मातृभूमि अब्दकोश १९३०

भारत सम्बन्धी हिन्दी भाषा का
एक मात्र सर्वाङ्ग पूर्ण ज्ञान का अपूर्व भण्डार।

सम्पादक
श्रीयुत रघुनाथ विनायक धुलेकर, एम. ए.
भूत-पूर्व सम्पादक उत्साह, मातृभूमि (दैनिक) व फ्री इण्डिया (अंग्रेजी साप्ताहिक)
वर्तमान सम्पादक मातृभूमि (मासिक), अनुवादक नेहरू कमेटी रिपोर्ट
लेखक "कांग्रेस", "कौंसिल सुधार", "राष्ट्रीय गीतावली"
"इण्डिपेण्डेन्स और डोमीनियन स्टेटस"
तथा अन्य पुस्तकें।

मुद्रक तथा प्रकाशक—
बी० डी० धुलेकर, बी. ए.

मातृभूमि प्रिंटिङ्ग हाउस,
झांसी.

भूमिका ।

हिन्दी साहित्य में यह ग्रन्थ अपने ढङ्ग का अनूठा है यह बात विषय सूची से स्पष्ट हो जावेगी । इस प्रकार के ग्रन्थ की अत्यन्त आवश्यकता थी इसमें भी सन्देह नहीं । जहां तक सम्भव था सब विषयों का विवेचन पर्याप्त रूप से करने का प्रयत्न किया गया है और यह भी बात ध्यान में रक्खी गई है कि ऐसे सब विषय इस पुस्तक में दिये जावें जो सब श्रेणी के पाठकों को उपयोगी हों ।

यह ग्रन्थ नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होगा और यह चेष्टा की जावेगी कि जो विषय इस आरम्भिक ग्रन्थ में नहीं दिये जा सके वे भी दिये जावें । मुख्य उद्देश्य इस ग्रन्थ का यह है कि समष्टि रूप में भारत की सामाजिक धार्मिक राजनैतिक तथा अन्य सब प्रकार की हलचलों का बिश्वस्नीय वर्णन पाठकों को मिल सके । पाठकों से प्रार्थना है कि इस ग्रन्थ की उपयोगिता को बढ़ाने के निमित्त अपनी सूचनायें लेखक के पास भेजे जिन पर आदर पूर्वक विचार होकर ग्रन्थ में समावेश करने का प्रयत्न किया जावेगा ।

ग्रन्थ की तैयारी में श्री० बी. डी. धुलेकर बी. ए. और श्री० मनसुखदास अग्रवाल जी से बड़ी सहायता मिली है जिसके लिये लेखक उनका कृतज्ञ है ।

र. वि. धुलेकर

समर्पण ।



सेवा में—

श्रीमान् राव साहब,

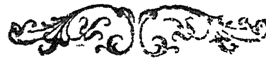
दामोदर राव धुलेकर

मेरे पूज्य ज्येष्ठ भ्राता के

चरण कमलों में समर्पित.



विषय--सूची ।





मातृभूमि अब्दकोश १९३०

भारतवर्ष ।

क्षेत्रफल-१८,०५,३३२ वर्गमील

जन संख्या-३१,८९,४२,४८०

भारत वर्ष जिसे भरतखण्ड भी कहते हैं महाद्वीप एशिया के दक्षिण में है। चीन के सिवाय जगत के सब देशों से यह देश अधिक आबाद है।

सीमा ।

इस देश के उत्तर में हिमालय पहाड़ दक्षिण में हिन्द महासागर पूर्व में ब्रह्मदेश तथा बङ्गाल की खाडी, पश्चिम में अरबी समुद्र, बिलोचिस्तान व अफगानिस्तान हैं।

विस्तार

इस देश की लम्बाई उत्तर दक्षिण नंगा पर्वत से कुमारी अन्तरीप तक लगभग १९०० मील है और चौड़ाई पूर्व पश्चिम करांची से उत्तर आसाम तक लगभग १९०० मील है।

समुद्री किनारे की लम्बाई ३६०० मील है। क्षेत्रफल १८ लाख ५ हजार ३ सौ ३२ वर्ग मील है।

इस क्षेत्रफल में से १०,९४,३०० वर्ग मील अर्थात ६१ प्रतिशत ब्रिटिश भारत में है और ७,१७,०३२ वर्गमील अर्थात ३९ प्रतिशत देशी राज्यों में है।

प्राकृतिक स्वरूप ।

यह देश चारों ओर स्वाभाविक सीमाओं से घिरा हुआ है। इसके उत्तरी भाग को सिंध पंजाब और कश्मीर के पश्चिमी सिरे से आसाम की पूर्वी सीमा तक, हाल और सुलेमान पहाड़ पश्चिम में, हिमालय पर्वत उत्तर में नागा खसिया और टिपरा की पहाडियों की श्रेणी पूर्व में बड़ी मजबूती से घेरे हुये हैं। हिमालय

ब्रिटिश भारत १०,९४,३०० वर्गमील (६१ प्रतिशत)
देशी भारत ७,११,०३२ वर्गमील (३९ प्रतिशत)

पर्वत की सर्वोच्च चोटी गौरीशङ्कर है जिसकी उचाई २९ हजार २ फीट है। इसे मौंट एवरेस्ट और देवदङ्गा भी कहते हैं। इन पहाड़ी सीमाओं के बीच में विस्तृत महान हरे भरे मैदान हैं जिनमें होकर बड़ी २ नदियां बहती हैं। पश्चिम में सिंध नदी बहुत सी सहायक नदियों को लेकर दक्षिण ओर बहती हुई अरब के समुद्र में गिरती हैं पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकल कर हिमालय के उत्तर तिबत में बहती हुई और हिमालय को आसाम में काटती हुई गंगा नदी में आ मिलती है। इन दोनों नदियों के बीच भारतवर्ष की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र नदी गंगा उत्तरी भारत में बहती हुई बङ्गाल की खाड़ी में गिरती है। इन उत्तरी मैदानों के दक्षिण में मध्यप्रदेश का ऊंचा मैदान है जिसके दक्षिण में विन्ध्याचल पहाड़ और सतपुड़ा की पहाड़ियां फैली हुई हैं और जिसके दक्षिणी पूर्वी ढाल का पानी गंगा में और दक्षिणी पश्चिमी ढाल का पानी सिंध में बह कर जाता है। गंगा के मैदान और सिंध के मैदान के दक्षिण में दक्षिण का प्रायद्वीप है इस दक्षिणी विभाग में दक्षिण का प्लेटो अर्थात ऊंचा मैदान भी शामिल है जिसकी औसत उचाई लगभग २००० फीट है। इस प्लेटो के उत्तर में विन्ध्याचल पर्वत नर्वदा सतपुड़ा की पहाड़ियां और ताप्ती नदी हैं। दक्षिणी विभाग के पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाटों के मैदान के एक ओर पहाड़ और दूसरी ओर समुद्र है इस प्रकार भारतवर्ष की पूर्वी और दक्षिणी और पश्चिमी किनारों की स्वाभाविक सीमायें बङ्गाल की खाड़ी, हिन्द महासागर और अरब सागर हैं।

भारतवर्ष के दक्षिण में लङ्का द्वीप है जिसे सीलोन कहते हैं यह द्वीप रामेश्वर द्वीप से निकट है। लङ्का द्वीप समूह मलाबार के किनारे से १५० मील दूर पर पश्चिम की ओर हैं यह मूंगे के बने हुये हैं। एन्डमन और नीकोबार द्वीप बङ्गाल की खाड़ी में है एन्डमन द्वीप में ब्रिटिश भारत के कैदी भेजे जाते हैं इसका मुख्य

स्थान पोर्टब्लेयर है और यहां लार्ड मेयो सन् १८७२ ई० में एक कैदी द्वारा मारे गये थे।

जलवायु।

भारत का दक्षिणी आधा भाग उष्ण कटिबन्ध में है और उत्तरी आधा भाग उत्तरी मध्य कटिबन्ध में है इस कारण इस देश का जलवायु प्रायः गरम है। भारत के सबसे गर्म प्रदेश दो हैं कारो-मण्डल का किनारा और पश्चिमी रेगिस्तान अर्थात राजपूताने का मैदान। उत्तरी भारतमें गर्मी की ऋतुमें लू चलती है और दिसम्बर और जनवरी के महीनों में कड़ाके का जाड़ा पड़ता है और काश्मीर व हिमालय पहाड़ की तराई में बर्फ भी गिरती है दक्षिणी भारत के किनारे समुद्र के समीप होने के कारण उत्तरी भारत की तरह गर्म नहीं हैं। मद्रास बम्बई तथा कलकत्ता का जलवायु इसी कारण समशीतोष्ण है। दक्षिणका प्लेटो भूमध्य रेखा के समीप होने पर भी उंचाई के कारण समशीतोष्ण है। भारत के तीन मुख्य ऋतु हैं--ग्रीष्म, वर्षा तथा शरद।

वायु की औसत उष्णता विभिन्न स्थानों पर नीचे कोष्टक में दी हुई है—

उष्णता का औसत।

स्थान	ऊँचाई फुटों में	वा० औसत	स्थान	ऊँचाई फुटों में	वा० औसत
अकोला	९३०	७९.२	पूना	१८४०	७५.९
अहमदनगर	२१५२	७५.०	बम्बई	३७	७९.३
अहमदाबाद	१६३	८२.१	बर्दवान	९९	७८.६
आगरा	५५५	७८.४	बनारस	२९६	७७.२
इलाहाबाद	३०९	७७.३	बीकानेर	७७१	७९.६
उटकमण्ड	७३२७	५७.३	बेलगांव	२५३९	७२.८
करांची	४९	७७.६	बङ्गलौर	३०२१	७२.८
कलकत्ता	२१	७७.९	बिलारी	१४७५	८०.८
गोपालपुर	२१	७८.८	मरी	६३३३	५८.०
जकोबाबाद	१८६	७९.३	मौंट आबू	३९४५	६८.८
जबलपुर	१३२७	७५.६	मद्रास	२२	८१.८
टोंगू	१८३	७९.३	मछलीपट्टम	१५	८१.४
दारजीलिंग	७३७६	५२.७	मण्डाले	२५०	८०.८
दिल्ली	७१८	७७.१	मेरठ	७३८	७४.४
नागपुर	१०२५	७९.६	मुलतान	४२०	७७.५
पटना	१८३	७७.१	राजकोट	४२९	७८.५

ऊष्णता का औसत (चालू)

स्थान	उँचाई फुटों में	वा० औसत	स्थान	उँचाई फुटों में	वा० औसत
रंगून	५७	७९.२	शोलापुर	१५९०	७९.३
लखनऊ	३६८	७६.६	श्रीनगर	५२०४	५३.३
लाहौर	७०२	७४.७	सिलचर	१०४	७५.९
शिलौंग	४९२०	६१.७	हैदराबाद (सिन्ध)	९६	७९.९
शिमला	७२२४	५५.१	हैदराबाद (दक्षिण)	१६९०	७८.५

सन १९२९-३० की शीत तथा ऊष्णता।

नीचे लिखे स्थानों में अधिक से अधिक ऊष्णता व शीत पिछली साल इस प्रकार थी—

स्थान	ऊष्णता २१ जून १९२९	शीत १० जनवरी १९३०	स्थान	ऊष्णता २१ जून १९२९	शीत १० जनवरी १९३०
अकोला	९०	८७	गोरखपुर	९८	६५
अहमदनगर	८९	...	चटगाँव	८९	७४
अहमदाबाद	९९	७८	जबलपुर	१०२	७६
अम्बाला	९५	६२	जैपुर	१०६	६८
अजमेर	१०५	७०	जकोबाबाद	११५	७३
आगरा	१०६	६७	झांसी	१०७	४७
इन्दौर	९९	७७	डी. आई. खाँ	११२	६४
इलाहाबाद	१०४	६९	दार्जिलिंग	६७	३४
कालीकट	७७	९२	देहली	९८	६१
कौनौर	७१	६०	देहरादून	८४	६९
कोदैकेनाल	६५	६७	नागपुर	९२	८५
करांची	९०	७३	पटना	१००	६५
कानपुर	१०५	६४	पचमढ़ी	९१	७१
क्वेटा	९९	४७	पेशावर	१०९	६३
कलकत्ता	९३	७२	पूना	९३	९०
कटक	९०	८१	फोर्ट सान्दमन	१०४	५५
कोलम्बो	८५	८८	बम्बई	८८	८१
खण्डवा	९५	८३	बनारस	...	६६

सन १९२९-३० की शीत तथा ऊष्णता (चालू)

स्थान	ऊष्णता २१ जून १९२९	शीत २० जनवरी १९३०	स्थान	ऊष्णता २१ जून १९२९	शीत २० जनवरी १९३०
बरेली	९९	६४	रावलपिंडी	१०७	६०
बंगलौर	८२	८८	लखनऊ	१०४	६६
मद्रास	९८	८४	लाहौर	१०६	६३
मङ्गलौर	७८	८८	लायलपुर	१११	६३
मैसूर	७९	...	शिमला	७४	४८
मुलतान	११४	६७	शिलौंग	७७	४९
मैमो	७९	६८	श्रीनगर	९०	८२
राजकोट	१००	८३	सोलापुर	९२	९१
रांची	८५	६४	स्यालकोट	१०४	६४
रतनागिर	८५	८४	हैदराबाद (सिंध)	१०२	७६
रंगून	८३	८१	हैदराबाद (दक्षिण)	८५	९३

पर्जन्य ।

भारतवर्ष में वृष्टि सामयिक पवनों पर अर्थात् "मानसून" पर निर्भर है। पश्चिमी किनारे में वृष्टि अधिकतर दक्षिण पश्चिमी पवन के कारण होती है। इसी प्रकार पूर्वी किनारे में वृष्टि उत्तर पूर्वी पवन द्वारा होती है। भारत में जिस प्रकार वर्षा ऋतु निश्चित है वैसी अन्य देशों में नहीं। दक्षिण पश्चिमी पवन अप्रैल से अक्टूबर तक चलती रहती है और उत्तर पूर्वी नवम्बर से फरवरी तक चलती है।

खासी पहाड़ियों में सारे जगत के स्थानों से सबसे अधिक वृष्टि होती है यहाँ तक कि चेरापूजी में ५२३ इंच जल एक वर्ष में बरसता है। महाबलेश्वर पहाड़ियों पर २४० इंच प्रतिवर्ष, बम्बई में ७० इंच, कलकत्ता में ६६ इंच, मद्रास में ४० इंच और दिल्ली में २७ इंच प्रतिवर्ष जल बरसता है।

विभिन्न स्थानों पर वृष्टि का औसत अगले पेज में दिया गया है—

वृष्टि का औसत ।

स्थान	उंचाई फुटों में	वार्षिक योग	स्थान	उँचाई फुटों में	वार्षिक योग
अकोला	९३०	३१ २७	बिलारी	१४७५	१८.३०
अहमदनगर	२१५२	२४.६६	मरी	६३३३	५७.९०
अहमदाबाद	१६३	२९.५२	मौंट आबू	३९४५	६२ ४९
आगरा	५५५	२६ ७०	मद्रास	२२	४८.३८
इलाहाबाद	३०९	३९.५२	मछलीपट्टम	१५	३८.३०
उटकमण्ड	७३२७	४६.६९	महाबाले	२५०	३२ ६३
करांची	४९	७.६६	मेरठ	७१८	२९.६२
कलकत्ता	२१	६० ८३	मुलतान	४२०	७.११
कालीकट	२७	११६.२०	मंगलौर	६५	१२९.८३
जबलपुर	१३२७	५५ ४५	राजकोट	४२९	२७.८०
दारजीलिंग	७३७६	१२१.८०	रायपुर	९७०	५०.२७
देहली	७१८	२७.७०	रंगून	५७	९८ ४९
नागपुर	१०२५	४५.६२	लखनऊ	२६८	३९.२०
पटना	१८३	४४ ५४	लाहौर	७०२	२०.७०
पूना	१८४०	२८ २५	शिलौंग	४९१०	८२.४४
बम्बई	३७	७३ ९९	शिमला	७२२४	६७.९७
बर्दवान	९९	५७.५४	शोलापुर	१५९०	२८.७४
बनारस	२६७	४०.५९	श्रीनगर	५२०४	२७ ०३
बीकानेर	७७१	११.२७	हैदराबाद (सिंध)	९६	७.२२
बेलगांव	२५३९	४८ ९१	हैदराबाद दक्षिण	१६९०	३१.५६
बंगलौर	३०२१	३६ ८३			

नीचे लिखे स्थानों पर ता० २७ सितम्बर सन् १९२९ तक जो वृष्टि हुई वह इंचों में दी गई है—

स्थान	इंच	स्थान	इंच
अकोला	२१.१	आगरा	१०.३
अहमदनगर	१२.८	इन्दौर	२४.३
अहमदाबाद	२३.६	इलाहाबाद	३९.०
अम्बाला	१९.०	कालीकट	१०४.९
अजमेर	२६.६	कानौर	.९

वृष्टि का औसत (चालू)

स्थान	इंच	स्थान	इंच
कोलम्बो	२०.०	बम्बई	५ १५
कादैकानल	२३ ३	बनारस	३५ ४
कलकत्ता	३८.०	बरेली	२१.४
क्वेटा	१.९	बंगलौर	१८.२
कटक	४३ ४	मद्रास	१३.३
करांची	२.३	मंगलौर	१२८.१
कानपुर	२५.५	मैसूर	१३ ९
खण्डवा	२३.७	मुलतान	१४ ८
गोरखपुर	३७.१	मैमो	३१.२
चटगांव	८६ ३	राजकोट	२४.५
जबलपुर	५४.९	रांची	४१.५
जैपुर	२२.८	रत्नागिरि	८३.५
जकोबाबाद	५.४	रंगून	८२.७
झांसी	२२ ९	रावलपिंडी	३२.१
डी० आई० खाँ	१४ ०	लखनऊ	३९ ५
दारजीलिंग	७८ ७	लाहौर	२२.४
दीसा	१५.६	लायलपुर	८.१
देहली	८.०	शिमला	४३.६
देहरादून	५६.०	शिलौंग	५३.४
नागपुर	३४.८	श्रीनगर	१२.८
पटना	३७.६	सोलापुर	१६.५
पचमढ़ी	६५ ९	स्यालकोट	१५.९
पेशावर	११.२	हैदराबाद (सिंध)	२१.२
पूना	१६.३	हैदराबाद (दक्षिण)	१६.५
फोर्ट सन्डेमन	७ .४		

उपज ।

भारतवर्ष में सब प्रकार की जल-वायु होने के कारण उपज भी सब प्रकार की होती है। यहां सहस्रों प्रकार की वनस्पति तथा अनेक प्रकार के पदार्थ अनाज, सन, जूट इत्यादि उत्पन्न होते है।

बङ्गाल और आसाम में चावल, सन जूट और तिलहन बहुतायत से पैदा होता है। गेहूँ थोड़ा बहुत सारे देश में होता है परन्तु विशेष कर पञ्जाब और मालवा प्रदेश में और साधारण संयुक्त प्रदेश में अच्छा होता है। जौ की खेती उत्तरी भारत में अनेक स्थानों में होती है। बरार और दक्षिण और मध्यप्रदेश में रुई बहुतायत से होती है। बम्बई प्रांत और राजपूताना में ज्वार व बाजरा बहुत होता है। मद्रास प्रांत में और बम्बई के कोकण प्रांत में चावल अधिक होता है। नीलगिरी प्रदेश तथा आसाम प्रांत में चाय होती है। काश्मीर में केशर, और बिहार में नील उत्पन्न होता है। बिहार और मालवा में अफीम पैदा होती है। आसाम में सिनकोना की खेती होती है जिससे कुनेन बनती है। दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च और कवहा की पैदावार दक्षिण में और विशेष कर पश्चिमी घाट में होती है।

भारतवर्ष की जमीन।

कुल ६६,७६,६४,०१८ एकड़

जङ्गल	८,६५,१४,०१२
खेती के लिये अप्राप्य	१५,०९,७१,०४९
खेती के लिये योग्य पड़ती	१५,२८,९३,३४३
ऊसर	४,७१,७८,९६४
जुती हुई	२२,६९,८०,२४८

जमीन की बाँट

(उपज के अनुसार)

चावल	७,९३,०६,२९९
गेहूँ	२,४२,४८,०६७
जौ	६९,६९,७९२
जुआर	२,२४,७०,३७३
बाजरा	१,१९,६५,४२०
राली	३९,८०,०९३
माका	५३,४७,९६४
चना	१,६५,५१,८१७
अन्य अनाज	२,८७,७५,२०९
फल, तरकारी तथा अन्य खाद्य पदार्थ	७७,८३,९३४
गन्ना	२६,५४,६७०
काफी	९४,२९८
चाय	७,१५,८३६
जोड़	२१,१४,६३,७७२

धातु ।

मैसूर में सोने की खान है । सम्भलपुर, बुन्देलखण्ड (पन्ना) और कोलेर झील के पास हीरा निकलता है । कोहनूर प्राचीन हीरा जो सम्राट पचमजार्ज के मुकुट में लगा है वह गोदावरी के किनारे मिला था । चाँदी मुरशिदाबाद में निकलती है । पंजाब में और मलावार के किनारों पर तथा विन्सेद में और अन्य नदियों की रेत से सोना निकलता है । कोयला, बङ्गाल, छोटा नागपुर और मध्यप्रदेश में बहुतायत से होता है । लोहा अनेक स्थानों में निकलता है । पंजाब में निमक की चट्टानें हैं । ताँबा, सीसा, गन्धक, हरताल इत्यादि की भी खानें हैं ।

खनिज पदार्थ ।

(स० १९२४-२५ के आंकड़े)

१ पाउण्ड=रु० १२-३

पदार्थ	मूल्य (पाउण्ड)
कोयला	८५०३८२८
पट्रोलियम	७७४०७२७
मैंगनीज	२६१७२८०
सोना	१६७३५०१
अबरख	७९९४८३
चाँदी	[illegible]
लोहा	[illegible]
पन्ना, लाल इत्यादि	६७४५४
हीरा	१०९८

पशु-पक्षी ।

भारतवर्ष में सब प्रकार के पशु-पक्षी पाये जाते हैं । गुजरात में कुछ सिंह हैं । हाथी, चीते, बाघ, भालू, अनेक प्रकार के बन्दर और हिरण सुरागाय जङ्गलों में पाये जाते हैं । गेंडा हाथी पूर्वी प्रदेश में पाया जाता है । कच्छ में जङ्गली गधा मिलता है और गोर (बहुत बड़ा जङ्गली बैल) पहाड़ी जङ्गलों में कहीं कहीं पाया जाता है । भेड़, बकरियां, गाय, बैल, भैंस, कुत्ते, घोड़े और ऊंट घरेलू पशु हैं ।

सुन्दर पक्षी सब प्रकार के तथा साधारण पक्षी कौवे चील इत्यादि सब जगह पाये जाते हैं । अनेक प्रकार के सर्प, जीव-जन्तु भारत में होते हैं । सर्प के काटने से प्रति वर्ष २०,००० मनुष्य मरते हैं । नदियों में घड़ियाल, मगर, सोंस, मछली, और कछुए भी मिलते हैं ।

रेशम के कीड़े बङ्गाल में पाले जाते हैं । मक्खियां, च्यूंटियां और मच्छर इत्यादि सब जगह होते हैं ।

भाषा ।

भारत में लगभग २२२ भाषायें बोली जाती हैं जिनके तीन प्रकार हैं— (१) संस्कृत (२) द्राविडी, (३) ब्रह्मी भाषाओं से उत्पन्न होने वाली । लगभग २५ करोड़ मनुष्य संस्कृत से उत्पन्न होने वाली भाषायें बोलते हैं, ५ ५ करोड़ लोग द्राविडी भाषायें, और १.३ करोड़ अन्य भाषायें बोलते हैं ।

भारत की मुख्य भाषायें बंगाली, उडिया, हिन्दी, पञ्जाब, मराठी, गुजराथी सिंधी, और आसामी संस्कृत भाषा की शाखायें हैं । इन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या कोष्टक में दी हुई है—

भाषा	संख्या सहस्रो में (००० कम किये हैं)		घटी या बढ़ी प्रतिशत	
	१९२१	१९११		
हिन्दी	९६,७१४	९६,०४१	+	१
बंगाली	४९,२९४	४८,३६८	”	२
मराठी	१८,७९८	१९,८०७	—	५
पञ्जाबी	१६,२३४	१५.८७७	+	२
राजस्थानी	१२,६८१	१४,०६८	—	१०
उडिया	१०,१४३	१०,१६२	—	२
गुजराथी	९.५५२	९ २३८	+	३
लहंडा (पश्चिमी पञ्जाबी)	५,६५२	४,७७९	”	१८

पश्तो (जिसे अफगान बोलते हैं) काश्मीरी, तथा नैपाली भी संस्कृत भाषायें हैं । हिंदुस्थानी अथवा उर्दू भी संस्कृत भाषा की शाखा है । मुसलमानी फौजों के डेरों में यह भाषा उर्दू उत्पन्न हुई इस में अनेक शब्द फारसी के हैं ।

द्राविडी भाषायें विशेषतः मद्रास प्रान्त में बोली जाती हैं । इसकी मुख्य शाखायें तामिल, मलायलम; कानडी, तैलंगी, और गोंडी है । इन भाषाओं के बोलने वालों की संख्या अगले पेज में कोष्टक से विदित होगी ।

भाषा	संख्या सहस्रों में (००० कम किये हैं)		घटी या बढ़ी प्रतिशत
	१९२१	१९११	
तैलंगी	२३ ६०१	२३,५४३	+ २
तामिल	१८,७८०	१८,१२८	„ ४
मलायलम	७४.९८	६ ७९२	„ १०
कानडी	१०,३७४	१०,५२६	— १
गोंडी	...	१५०	...

ब्रह्मी भाषा।

ब्रह्मी	८,४२३	७ ८९४	+ ७

धर्म तथा मत।

भारतवर्ष में अनेक मतमतान्तर तथा धर्म प्रचलित हैं जिनका विवरण विस्तार से अन्य स्थान पर दिया गया है। भारत-वासी मुख्यतः वेद, शास्त्र, पुराण मिश्रित धर्मावलम्बी हैं जिसकी अनेक शाखायें हैं। इस प्रचलित धर्म का नाम सनातन धर्म है और इसके मानने वाले खुद को हिन्दू कहते हैं। वास्तविक इस धर्म को आर्यधर्म कहना चाहिये। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज इत्यादि इसी मत की शाखा, उप शाखा हैं। सिख धर्म भी इस श्रेणी में है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कुछ सिद्धांत में भिन्नता रखने के कारण अलग मालूम होते हैं परन्तु वे वैदिक धर्म से ही निकले हैं। बौद्धों की संख्या विशेष कर ब्रह्म देश में ही है।

ईसाई मत अंग्रेजों के राज्य के पहिले से भारत में आया परन्तु अंग्रेजी राज्य के बाद इसको प्रगति हुई।

इसलाम अर्थात दीन मुहम्मदी भी परदेशी मत है और मुसलमानों के आक्रमणों के साथ २ भारत में आया। जोरास्ट्रियन मत पारसी मानते हैं। भारत में यहूदी मतावलम्बी कम हैं।

कोल, संथाल आदि पहाड़ी जातियों में जो मत प्रचलित है वे भी हिन्दुओं के धर्म से विभिन्न नहीं हैं।

धर्मानुसार जनसमाज का संक्षिप्त ब्योरा अगले पेज के कोष्टक में दिया हुआ है—

धर्म	सहस्रों में ०० कम किये है १९२१	प्रति १०००० में औसत १९२१	सहस्रों में ००० कम किये हैं १९११	अंतर प्रतिशत १९११ व १९२१
आर्य धर्म	२३२७२३	७३६२	२१७५८६	+ .१
सनातन	२१६२६१	६८४१	२१७३३७	— .५
आर्यसमाज	४६८	१५	२४३	+ ९२.१
ब्रह्मसमाज	६	२	५	„ १६.१
सिख	३२३९	१०३	३०१४	„ ७.४
जैन	११७८	३७	१२४८	— ५.६
बौद्ध	११५७१	३६६	१०७२१	+ ७.९
ईरानी				
पारसी	१०२	३	१००	„ १.७
सेमिटिक	७३५११	२३२५	७०५४३	„ ४.२
इस्लाम	६८७३५	२१७४	६६६४७	„ ५१
ईसाई	४७५४	१५०	३८७६	„ २२.६
यहूदी	२२	.६	२०	„ ३.८
पहाड़ी	९७७५	३०९	१०२९५	— ५१
अन्य	१८	१	३७	„ ५१.५

निवासी ।

भारतवासियों की संख्या १९२१ की गणनानुसार ३१,८९,४२,४८० है जो यूरोप की आबादी के बराबर है। १ वर्ग मील में १८८ मनुष्यों का औसत है। किन्तु कुछ भागों में औसत प्रति वर्ग-मील ६०० है और एक जिले में ८७० है।

भारतवर्ष के निवासी ब्रिटिश भारत तथा देशी भारत में जिस प्रकार बसे हुये हैं उसका कोष्टक अगले पेज पर दिया है

भारतवासी अधिकतर ग्रामों में रहते हैं। १ बटे २० से भी कम शहरों में रहते हैं और १७.५ करोड़ से अधिक खेती में लगे हुये हैं। उसके बाद सब से अधिक मनुष्य अर्थात् १.२ करोड़ कपड़े बुनने और कपड़ों के लिये उपयोगी सामग्री बनाने में लगे हुये हैं।

भारतवर्ष के अति प्राचीन निवासी सन्थाल, कोल, भिल्ल, किरात, गोंड, खाँड आदि जाति के हैं जो जङ्गलों में

भारत की जन संख्या
३१ ८९,४२,४८०

ब्रिटिश भारत में मनुष्य
२४,७०,०३,२९३
(७७ प्रतिशत)

देशी भारतमें मनुष्य ७,१९,३९,१८७
(२३ प्रतिशत)

और पहाड़ों में बसते हैं। इनका रङ्ग काला या सांवला, कद नाटा, कमजोर, नाक चपटी, डाढ़ी घनी, बाल अच्छे लम्बे सीधे या घूंघरवाले होते हैं। छाती और बदन के अन्य भागों पर भी बाल होते हैं।

पूर्वी हिमालय और उत्तरी पूर्वी भारत में मंगोल व शोनियों के सदृश जाति वाले लोग पाये जाते हैं। इनका रंग गेहुंआ, कद नाटा और चेहरा चौडा है, बाल लम्बे और कड़े होते हैं। नाक कुछ चपटी होती है।

दक्षिणी भारत में द्राविड़ जाति के लोग पाये जाते हैं। इनका रंग काला, और कद नाटा होता है।

भारत के निवासी अधिकतर आर्य जाति के हैं जो ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य होते हैं।

मुसलमानी आक्रमणों के कारण अरबी ईरानी, और अफगानी लोग भी आकर बस गये हैं और भारत की जातियों में मिश्रित हो गये हैं।

पश्चिमी किनारे पर पारसी लोग भी बसे हुये हैं जो संजाई बन्दर पर (जो बम्बई के ६० मील उत्तर है) ७१७ ई० में उतरे थे।

यूरेशियन जाति जो अंग्रेज और हिन्दुस्थानी से मिश्रित जाति है शहरों में पायी जाती है।

यहूदी और सीरियन ईसाई भी मलाबार किनारे पर बसे हुये हैं।

भारतीय जनसमाज ।

भारतीय जनसमाज।

जन समाज की घनता।

भारतवर्ष के पूर्ण क्षेत्रफल तथा जन संख्या के अनुसार; लोक संख्या की घनता प्रति वर्गमील १७१ है। ब्रिटिश भारत में घनता प्रति वर्गमील २२६ और देशी भारत में १०१ है।

घनता का सम्बन्ध सामाजिक परिस्थिति पर है। व्यापारी तथा औद्योगिक केन्द्रों में घनता सब से अधिक है। इसी प्रकार नगरों में और ग्रामों में बड़ा अन्तर पड जाता है; केवल ग्रामीण लोक संख्या में भिन्न २ प्रदेशों की घनता में परस्पर भेद भूमि की न्यूनाधिक उपज के अनुसार पड़ता है। इस कारण यदि नगरों की लोक संख्या अलग कर दी जावे तो ग्रामीण जन संख्या प्रति वर्गमील कहीं २ केवल १ मनुष्य और कहीं २ संख्या प्रति वर्गमील १८८२ है।

कुछ देशों की घनता।

देश	प्रति वर्गमील
बेलजियम	६५४
इंगलैण्ड वेल्स	६४९
फ्रांस	१८४
जर्मनी	३३२
हौलैंड	५४४
आस्ट्रिया	१९९
स्पेन	१०७
जापान	२१५
यूनाइटेड स्टेटस	३२
भारत	१७०

भारत के नगर तथा ग्राम।

नाम	ब्रिटिश भारत	देशी भारत	कुल
नगर	१५६१	७५५	२३१६
ग्राम	४,९८,५२७	१,८७,१३८	६,८५,६६५

भारत की घर सङ्ख्या।

	ब्रिटिश भारत	देशी भारत	कुल
नगरों में	५०,४६,८२०	१७,१८,१९४	६७ ६५ ०१४
ग्रामों में	४,५३,९४ ८१६	१ ३० ३८,५५९	५,८४ ३३ ३७५

भारत की लोक सङ्ख्या।

	ब्रिटिश भारत	देशी भारत	कुल
नगरों में	२५०४४३६८	७४३०९०८	३२४७५२७६
ग्रामों में	२२१९५८९२५	६४५६८२७१	२८,६४,६७,२०६

भारत में जन संख्या की बढ़ती।

	१९११	१९०१	१८९१	१८८१	१८७२
भारत	३१५१५६३९६	२९४३६१०५६	२८७३१४६७१	२५३८९६३३०	२०१६६२३६७
प्रांत	२४४२६७५४२	२३१६०५९४०	२२१२४०८३६	१९८८८२८१७	१८५१६३४३५
अजमेर मारवाड़	५०१३९५	४७६९१२	५४२३५८	४६०७२२	३९६३३१
अंडमान नीकोबार	२६४५९	२४६४९	१५६०९	१४६२८	...
आसाम	६७१३६३५	५८४१८७८	५४७७३०२	४९०७७९२	४१५०७६९
बलोचिस्तान	४१४४१२	३८२१०६	...	...	...
बंगाल	४५४८३०७७	४२१४१४७७	३९०८९६३२	३६३१६७२८	३४११९४६५
बिहार और उड़ीसा — बिहार	२३७५२९६९	२३३६०२१२	२३५८१५३८	२२४१८३६७	१९७३५६२७
बिहार और उड़ीसा — उड़ीसा	५१३१७५३	४९८२१४२	४६६६२२७	४३४३९६४	३६०३१५६
बिहार और उड़ीसा — छोटा नागपुर	५६०५३६२	४९००४२९	४६२८७९२	४२२५९८९	३१४७६९९
बम्बई प्रेसीडेन्सी — बम्बई	१६११३०४२	१५३०४७६६	१५९५५२९२	१४०४२६२१	१४०७३५०८
बम्बई प्रेसीडेन्सी — सिन्ध	३५१३४३५	३२१०९१०	२८७५१००	२८७५१००	२२०६५६५
बम्बई प्रेसीडेन्सी — अदन	४६१६५	४३९७४	४४०७९	३४८६०	१९२८९
बरमा	१२११५२१७	१०४९०६२४	७७२२०५३	३७३६७७१	२७४७१४८
मध्यप्रदेश और बरार — मध्यप्रदेश	१०८५९१४६	९२१७४३६	१०१५१४८१	९२७०६९०	७७२३६१४
मध्यप्रदेश और बरार — बरार	३०५७१६२	२७५४०१६	२८९७४९१	२६७२६७३	२२२७६५४
कुर्ग	१७४९७६	१८०६०७	१७३०५५	१७८३०२	१६८३१२
मद्रास	४१४०५४०४	३८२२९६५४	३५६४४४२८	३०८४११५४	३१२३०६२२
उत्तरी पश्चिमी सरहद्दी सूबा	२१९६९३३	२०४१५३४	१८५७५१९	१५७५१४३	१७६०९६७२
पञ्जाब	१९९७४९५६	२०३३०३३७	१९००९३६८	१७२७४५९७	१७६११६१२
यू० पी० — आगरा	३४६२४०४०	३४८५९१०९	३४२५४५८८	३२७६२१२७	३०७८०९६१
यू० पी० — अवध	१२५५८००४	१२८३३१६८	१२६५०९२४	११३८७७४१	११२२१०४३

भारत की पुरुष सङ्ख्या।

नाम	ब्रिटिश भारत	देशी भारत	कुल
नगरों में	१,३९,७१ १३६	३८,७४,११२	१,७८,४५,२४८
ग्रामों में	११,२९,००९,९८०	३,३२,४९,३२६	१४,८१,५०,३०६

भारत की स्त्री सङ्ख्या।

	ब्रिटिश भारत	देशी भारत	कुल
नगरों में	१.१०,७३,२३२	३५ ५६ ९९६	१४६३००२८
ग्रामो में	१०९०५७९४५	३१२५८९५३	१४०३१६८१८

भारत के स्त्री पुरुषों का औसत प्रति १०,००० मनुष्य।

उम्र	१९२१ पुरुष	१९२१ स्त्री	१९११ पुरुष	१९११ स्त्री
०—५	१२०२	१३१६	१३२७	१४३३
५—१०	१४७१	१४९४	१३८३	१३८३
१०—१५	१२४५	१०८१	११६५	९९७
१५—२०	८४२	८१५	८४८	८२६
२०—२५	७७५	८८१	८२२	९३०
२५—३०	८६५	८८५	८९६	९०९
३०—३५	८२५	८३३	८२९	८३५
३५—४०	६३६	५६५	६२२	५५६
४०—४५	६२१	६२१	६३४	६३१
४५—५०	३९२	३४६	३८०	३३८
५०—५५	४३४	४३८	४३२	४४३
५५—६०	१८५	१६८	१७७	१६४
६०—६५	२६६	२९८	२५१	३०५
६५—७०	८१	७९	८३	७५
७०—व अधिक	१६०	१८०	१४५	१७५
औसत उम्र	२४.८	२४.७	२४.७	२४.७

भारत मे योरोपियन व ऐंगलो इन्डियन।

प्रांत, राज्य तथा एजेन्सी	योरोपियन व अन्य जातियां अंग्रेजी प्रजा	योरोपियन व अन्य जातियां अन्य	योरोपियन व अन्य जातियां योग	योरोपियन व अन्य जाति १९११	ऐंगलो इंडियन १९२१	ऐंगलो इंडियन १९११
भारत	१६३९१८	१०१३९	१७४०५७	१९७६३९	११३०१२	१००४२०
प्रांत	१४८५२५	९१२४	१५७६४९	१७८१३०	९६५२९	८६१९६
राज्य तथा एजेंसी	१५३९३	१०१५	१६४०८	१९५०९	१६४८३	१४२२४

भारतीय जन संख्या की बढ़ती (देशी राज्य)

	१९११	१९०१	१८९१	१८८१	१८७२
राज्य और एजेन्सी	७०८८८८५४	६२७५५११६	६६०७३०३५	५५०१३५१३	२०९९८९२५
आसाम स्टेट (मनीपुर)	३४६२२२	२८४४६५	...	२२१०७०	...
बिलोचिस्तान स्टेट	४२०२९१	४२८६४०	...	...	...
बडोदा स्टेटस	२०३२७९८	१९५२६९२	२४१५३९६	२१८२१५८	१९९७५९८
बंगाल स्टेटस	८२२५६५	७४०२९९	७१६३१०	६९८२६१	५६७८२७
बिहार और उडीसा स्टेटस	३९४५२०९	३३१४४७४	३०२८०१८	२४१०६११	९७२३९००
बंबई स्टेटस	७४११६७५	६९०८५५९	८०८१९५०	६९३७८९३	६७९७९७०
सेन्ट्रल इण्डिया एजेन्सी	९३५६९८०	८४९७८०५	१०१३६४०३	९२६१९०७	...
मध्यप्रदेश स्टेटस	२११७००२	१६३११४०	१७१२५६२	१३८७२९४	९२८११६
हैदराबाद	१३३७४६७६	१११४११४२	११५३७०४०	९८४५५९४	...
कशमीर	३१५८१२६	२९०५५७८	२५४३९५२	...	...
मद्रास स्टेटस	४८११८४१	४१८८०८६	३७००६२२	३३४४८४९	३२८९३९२
मैसूर स्टेटस	५८०६१९३	५५३९३९९	४९४३६०४	४१८६१८८	५०५५४०२
उत्तर पश्चिमी सरहद्दी सूबा एजेन्सी	१६२२०९४	८३९६२	...	...	...
पञ्जाब स्टेटस	४२१२७९४	४४२४३९८	४२६३२८०	३८६१६८३	...
राजपूताना एजेन्सी	१०५३०४३२	९८५३३६६	१२१७१७४९	९९३४२५५	...
सिक्किम स्टेट	८७९२०	५९०१४	३०४५८	...	...
संयुक्त प्रान्तीय राज्य	८३२०३६	८०२०९७	७९२४९१	७४१७५०	६३८७२०

भारतीय लोक सङ्ख्या (जातियों के अनुसार)

जाति	मनुष्य	
	१९२१	१९११
अहीर	९०३२८६१	९४८११९४
अरांय	१११९४८६	९९८२२२
भन	११६७३७३	१२६४३७९
बागदी	८९५३९७	१०१५७३८
बालीजा	१०४२०९७	१०४१२४६
बलोच	१३२४०५३	१३३४७५६
बनिया	२७२६००७	२०८५४२७
बन्जारा	६५१९२७	८६६०२०
बढ़ई	९६९०४७	१०३३८७९
भील	१७९५८०८	१५९०६९०
ब्राह्मण	१४२५४९९१	१४५६८४७२
बर्मीज (ब्रम्हदेश)	८३५०१५२	७६४३७४२
चमार	११२२४५५७	११४४८८८६
चुहरा	११४६७७९	१२५४१५०
धोबी	२०२०५२१	२०२९४९५
दुसाध	११६७६८६	११८९२७४
फकीर	७९०७१४	८६५५११
गड़रिया	१२९९७७०	१३४०६३१
गोला	१४१६७५८	१५१५७९४
गोंड	२९०२५९२	२९९५५९८
गूजर	२१७९४८५	२१९५१६८
हज्जाम	२९०५७२४	२९७२९२८
जाट	७३७४८१७	६८८७६५५
जुलाहा	२६९८१३२	२७९९६२३
काली	१२२८५९०	१२८१५१५
कहार	१७०७२२३	१७२६५४६
कलवर्त	२८७७७५८	२७११९६०
कासमा	११६०९८४	११२६०९५
कम्मलन	१२८८७११	१०४७५८५
कपू	३३७९३२८	३३२७१७९
करेन	१०४२१३१	११०२६९५
कायस्थ	२३१२२३५	२१३३३१३
केवट	११५०४२७	११२९७९९
कोइरी	१६८०६१५	१७२६९७७

जातियों के अनुसार भारतीय लोकसङ्ख्या (चालू)

जाति	मनुष्य	
	१९२१	१९११
कोली	२४९९०१४	३१६४९६८
कोरी	८३७०२५	९०००६२
कुम्हार	३२५३०२९	३४१३९४२
कुनबी	३१९४६९४	४५१२१८२
कुरमी	३५७४८०८	३७०७०९०
लिंगायत	२७३८२१४	२९६८४४०
लोधी	१६१६६६१	१७०३५५६
लुहार	१५४६३१३	१५१७५८७
कामर	७७९८८६	७८६४३१
मादिग	१६८७८५७	१९२०४६२
महार	३००२५१६	३३२५७१२
माल	१९८६४१४	२०६७५२१
माली	१८७५६१०	१९३९८६९
मोपला	११०८३८५	१०४४५५७
मरहठा	६५६६३३४	४९७२९५४
मोची	९२३७१४	९२६४२६
नामशूद्र	२१७२८२३	२०८२५४१
नायर	१३११११२	११२७२६४
पाली	२८०९९६९	२८२०१६१
परावणां	२४०७३०९	२४४७३७०
पासी	१४८८५८२	१४६१९०२
पठान	३५४७८६८	३६२९५३४
राजबन्सी	१८१८६७४	१९१४८६३
कोच	३६०६०२	३६७१००
राजपूत	९७७२५१८	९४००८८५
सैयद	१६०१२४७	१५४४६२९
सन्थाल	२२६५२८२	२१२७८७८
शेख	३३३८७९०९	३१८५१०२८
सिंधी	८५८०५४	१६९७४८६
सुनार	११३७६११	११८०६२४
तेली	४१५९४७९	४१७८१४५
वक्कालीग	१३०२५५२	१३४६७५८
विलाला	२७१६३५९	२५९२२८२

भारत के अछूत।

आसाम	२००००००	पंजाब	२८९३०००
बंगाल	९००००००	यू पी.	९००००००
बिहार और उड़ीसा	८००००००	बड़ौदा	१७७०००
बम्बई	२८०००००	सेन्ट्रल इण्डिया	११४००००
मध्यप्रदेश और बरार	३३०००००	गवालियर	५०००००
मद्रास	६३७२०००	हैदराबाद	२२३९०००
मैसूर	९३२०००	राजपूताना	२२६७०००
ट्रावनकोर	१२६००००	जोड़	५२६८००००

भारत में हिन्दू (प्रान्तवार)

अजमेर मारवाड़	३६४३४१	अदन	३६२१
अण्डमान और नीकोवार	८८८०	बरमा	४८६१५०
आसाम	४१३२९६८	मध्यप्रदेश और बरार	११६२२०४४
बिलोचिस्तान	३८६७३	कुर्ग	१२६६९७
बंगाल	२०२०६८५९	दिल्ली	३२५५५१
बिहार और उड़ीसा	२८१६६४५९	उत्तरी पश्चिमी सरहदी सूबा	१४९८८१
बम्बई प्रेसीडेन्सी	१४८१६२३६	पंजाब	९३७८७५९
सिन्ध	८४१२६७	यू. पी.	३१५८८०४३

भारत के विद्यालय तथा विद्यार्थी।

	विद्यालय		विद्यार्थी	
	१९२४	१९२५	१९२४	१९२५
आर्टस कालेज	१७०	१८५	५६ १८९	६२,५४३
प्रोफेशनल कालेज	६७	७४	१६,०८४	१७,२८६
हाई स्कूल	२ ४२१	२,५३०	६७८,०६४	७१४,४३६
मिडिल स्कूल	६,९७७	७,५१९	७५०,१८८	८२९,७२२
प्राइमरी स्कूल	१६८,००४	१७५ ५९६	६ ५५४,७६४	७३०७२६२
मुख्य स्कूल	६,६१७	७,७२३	२१७,३४४	२५५ १६२
अन्य स्कूल	३४,८६०	३४,६०२	६४२,६५१	६१० ९३३
जोड़	२१९,११६	२२८,२२९	९,३१५ २८४	९७९७,३४४

भारत की लोक सङ्ख्या धन्धों के अनुसार।

धन्धे	मनुष्यों की गणना
भारत	३१६,०५५,२३१
चरागाह तथा खेती	२२९,०४५,०१९
मछली की शिकार तथा अन्य शिकार	१,६०७,३३१
खदानें, नमक की खदानें इत्यादि	५४२,०५३
उद्योग	३३,१६७,०१८
बुनाई (कपडे)	७,८४७,८२९
पोशाक	७,४२५ २१२
लकडी	३:६१३,५८३
भोजन पदार्थ	३,१००,३६१
सिरामिक्स	२;२१५ ०४१
इमारत	१.७५३,७२०
धातु	१ ८०२,२०८
केमिकल (रसायन) इत्यादि	१,१९४ २६३
चमडे की खाल (हाइन्स) इत्यादि	७३१,१२४
अन्य तिजारत	३,४८३,६७६
ट्रान्सपोर्ट (पोस्ट व तार, व टेलीफून)	४,३३१,०५४
तिजारत	१८,११४,६२२
खाद्य पदार्थ	९,९८८,९८३
टेक्सटाइल	१,२८६,२७७
बैंक, बीमा, इत्यादि	९९३,४९२
अन्य तिजारत	५,८४५,८७०
फौज और जल सेना	७५७,९५४
हवाई सेना	१,०३३
पुलिस	१,४२२,६१०
पब्लिक शासन प्रबन्ध	२;६४३,८८२
शिक्षिक धंधे	५,०२०,५७१
धर्म	२,४५५,६१४
शिक्षक	८०५,२२८
वैद्य	६५९,५८३
अन्य	१,०९८,१४६
घरेलू नौकर	४५७०.१५१
अन्य सर्व	१४,८३१,९३३

जन संख्या प्रान्तों तथा राज्यों में निम्नलिखित हैं:—

प्रांत व राज्य	जन संख्या १९२१	घनता प्रति वर्गमील
भारत	३१८९४२४८०	१७७
प्रान्त	२७०९५०८३३	१९६
अजमेर मारवाड	४९५२७१	१८३
अंडमान नीकोबार	२७०७	९
आसाम	७९९०२४६	१३०
बिलोचिस्तान	७९९६२५	६
बंगाल	४७५९२४६२	५७८
बिहार और उडीसा	३७९६१८५८	३४०
बम्बई	२६७५६४८	१४३
बरमा	१३२१२१९२	५७
मध्यप्रदेश व बरार	१३९१२७६०	१२३
कुर्ग	१६३८३८	१०४
देहली	४८८१८८	८०३
मद्रास	४२७९४१५५	२९७
उत्तर पश्चिमी सरहद्दी सूबा	५०७५४७६	१३०
पंजाब	२५१०१०६०	१८३
संयुक्त प्रांत आगरा व अवध	४६५१०६६८	४१४
राज्य तथा एजेन्सी	**७१९३९१८७**	**९१**
बडोदा राज्य	२१२६५२२	२६२
सेन्ट्रल इन्डिया (एजेन्सी)	५९९७०२३	११६
कोचीन राज्य	९७९०८०	६६२
ग्वालियर राज्य	३१८६०७५	१२१
हैदराबाद राज्य	१२४७१७७०	१५१
काश्मीर राज्य	३३२०५१८	३९
मैसूर	५९७८८९२	२०३
राजपूताना (एजेन्सी)	९८४४३८४	७६
सिकिम राज्य	८१७२१	२९
ट्रावन कोर	४००६,०६२	५२५

सन् १९२१ में हिन्दू विधवाओं का ब्योरा (भारत)

अवस्था	संख्या	अवस्था	संख्या
०—१	५९७	५—१०	८५,०३७
१—२	४९४	१०—१५	२,३२,१४७
२—३	१,२५७	१५—२०	३,९६,१७२
३—४	२,८३७	२०—२५	७४२,८२०
४—५	६,७०७	२५—३०	११,६२,७१०

भारत के गूंगे बहरे आदि।

रोग	संख्या तथा औसत प्रति १ लाख				
	१९२१	१९११	१९०१	१८९१	१८८१
पागल	८८३०५	८१००६	६६२०५	७४२७९	८११३२
बहरे व गूंगे	१८९६४४	१९९८९१	१५३१६८	१९६८६१	१९७२१५
अन्धे	४७९६३७	४४३६५३	३५४१०४	४५८८६८	५२६७४८
कोढ़ी	१०२५१३	१०९०९४	९७३४०	१२६२४४	१३१९६८
जोड़	८६००९९	८३३६४४	६७०८१७	८५६२५२	९३७०६३

भारतीय स्त्री तथा लड़कियों के विद्यालय १९२४—२५

	विद्यालय		विद्यार्थिनी	
	१९२५	१९२४	१९२५	१९२४
आर्टस कालेज	१६	१४	१२००	११३८
प्रोफेशनल कालेज	७	८	१७३	१४९
हाई स्कूल	२३६	२३६	४३६९३	४२१२०
मिडिल स्कूल	२६८	६४८	७९०५१	७२४१६
प्राइमरी स्कूल	२४६७७	२३५७९	८५५३३७	८१७७०९
स्पेशल स्कूल	३०१	२८७	११०९३	१००८४
सामान्य विद्यालय	२५७५	२६६३	५५२९८	५७४१६
जोड़	२८५१०	२७४२५	१०४५८४५	१००१०३२

शिक्षितों की संख्या (धर्मानुसार)

(प्रति एक हजार)

	पुरुष	स्त्री
जोरोस्ट्रयन	७८९	६७२
जैन	५१४	७६
बौद्ध	४८४	९६
क्रिश्चियन	३०९	१८०
हिन्दू	११५	१३
सिक्ख	९४	१४
मुसलमान	८१	१७

संसार में शिक्षितों की संख्या
(सं० १९२४ प्रतिशत)

देश	पुरुष	स्त्रियां
इङ्गलैण्ड	९३.४	९१.५
संयुक्तअमेरिका	९५.५	९३.०
डेनमार्क	१००.०	१००.०
जर्मनी	१००.०	१००.०
जापान	९८.०	९६.०
फिलिपाइन	७०.५	६१.०
फ्रांस	९६.५	९४.०

भिन्न भिन्न देशों में जन संख्या के किस अनुपात में स्कूलों में बालक बालिकायें शिक्षा पा रहे हैं इसका ब्योरा इस प्रकार है—

जर्मनी	३९.५
इंगलैण्ड	२९.२
फ्रान्स	२८.६
डेनमार्क	३५.४
ब्रिटिश भारत	३.२
जापान	३८.५
संयुक्त राज्य अमेरिका	३७.५

भारत में शिक्षितों की संख्या (प्रतिशत १०००)

प्रांत व राज्य	प्रति हजार जन	प्रति हजार पुरुष	प्रति हजार स्त्रियाँ
भारत	८२	१३९	२१
आसाम	७२	१२४	१४
बिलोचिस्तान	४७	७६	७
बड़ौदा	१४७	२४०	४७
बङ्गाल	१०४	१८१	२१
बिहार और उडीसा	५१	९६	६
बम्बई	९५	१५७	२७
बर्मा	३१७	५१०	११२
मध्यप्रदेश व बरार	४९	८७	९
कोचीन	२१४	३१७	११५
हैदराबाद	३३	५७	८
काश्मीर	२६	४६	३
मद्रास	९८	१७३	२४
मैसूर	८४	१४३	२२
उत्तर पश्चिमी सरहद्दी सूबा	५०	८०	१०
पंजाब व देहली	४६	७६	९
ट्रावनकोर	२७९	३८०	१७३
यू० पी०	४२	७३	७

अंग्रेजी भाषा के शिक्षितों की सङ्ख्या प्रति १०,०००

प्रान्त व राज्य	पुरुष	स्त्री
भारत	१६०	१८
अजमेर मारवाड़	३६४	५६
आसाम	१८९	११
बिलोचिस्तान	१८४	२५
बङ्गाल	३३९	२३
बिहार और उडीसा	७८	५
बम्बई	२३०	३७
बर्मा	१५५	३८
मध्यप्रदेश व बरार	८४	९
कुर्ग	३०१	६५
देहली	५६६	१०२
मद्रास	१९३	२३
उत्तरी पश्चिमी सरहद्दी सूबा	१६९	१५
पंजाब	११७	१२
यू. पी. (संयुक्त प्रान्त	७३	१०
बड़ौदा राज्य	१५३	१०
कोचीन ,,	३५३	७६
ग्वालियर ,,	५६	२
हैदराबाद ,,	५५	१०
काश्मीर ,,	६८	३
मैसूर ,,	२०२	२३
सिक्किम ,,	७०	३
ट्रावनकोर ,,	२४७	५८

भारत में जङ्गली जानवरों से मृत्यु । (सन् १९२५)

जङ्गली जानवर	मृत्यु	जङ्गली जानवर	मृत्यु
टाईगर (बाघ)	९७४	हिनाज	६
लपर्ड (चीता)	१८१	अन्य जंगली जानवर	३८८
भेड़िया	२६५	जङ्गली सुअर	७३
रीछ	८२	अजगर	९८
हाथी	७८	सांप	१९३०८

जन्म और मृत्यु का औसत (प्रति १०००)

प्रान्त	जन्म १९२६	मृत्यु १९२६	बच्चों की मृत्यु १९२१
दिल्ली	४०.९९	[illegible]२.८६	१९२.३५
बंगाल प्रेसीडेंसी	२७.४०	२४.६०	१७५.१३
बिहार और उड़ीसा	३७.२०	२५.३०	१३८.७३
आसाम	३०.८२	२३.०२	१५८.४५
संयुक्त प्रान्त	३४.२०	२५.१०	१७५.७१
पंजाब	४१.६१	३६.५२	१८५.७१
उत्तरी पश्चिमी सरहद्दी सूबा	३०.२०	२१.८०	१३९.१३
मध्यप्रदेश और बरार	४६.०३	३४.३३	२०४.४४
मद्रास प्रेसीडेंसी	३६.१०	२५.६०	१८०.९४
कुर्ग	२२.७५	३४.१७	२९३.५६
बम्बई प्रेसीडेंसी	३७.०५	२८.७५	१६२.०४
बरमा	२७.७९	२०.९२	१८९.९९
अजमेर मारवाड़	३१.३७	३१.६८	२०३.३५
ब्रिटिश इण्डिया	३४.७७	२६.७६	१७४.८०

मुख्य रोगों से मृत्यु सङ्ख्या ।

रोग	मृत्यु सङ्ख्या
हैजा	११५,६४२
सीतला	८५,९८६
प्लेग	११७,७१७
बुखार	३,६३६,२६४
पेचिस	२०८,९१२
रेसपिरेटरी रोग	३२६,५५१
अन्य रोग	१,४७७,३३७

बच्चों की मृत्यु सङ्ख्या ।

(मुख्य शहरों में)

शहर	मृत्यु सङ्ख्या
बम्बई	३५९
कलकत्ता	३२६
मद्रास	२७९
रंगून	३५२
हावड़ा	२९१
ढाका	२२२
पूना	६११
इलाहाबाद	२३६
नागपुर	२५८
दिल्ली	१८३
मुल्तान	४३९
लखनऊ	२६०
शिकारपुर	३२५
अहमदाबाद	३२३
करांची	२२२
सूरत	३३०
कानपुर	४२०
बनारस	२५३
जबलपुर	२५९
लाहौर	२२२

विदेशों में भारतवासी ।

विदेशों में भारतवासियों की सङ्ख्या इस समय लगभग २१ लाख है ।

दक्षिणी अफ्रीका में सबसे बड़ी संख्या है—अर्थात १५०००० है जिस में से १,३५००० भारती नेटाल में ११००० ट्रान्सवाल में और ७००० केप में है । मलाया में लगभग ५,००००० और जावा में करीब २०,००० भारती हैं । बाली द्वीप में कुल जन समाज हिन्दू ही है और उसने अभी तक अपनी सभ्यता कायम रक्खी है ।

इङ्गलैण्ड व आयरलैण्ड में लगभग १३६१ भारती विद्यार्थी हैं और यूनाइटेड स्टेटस अमरीका में ३१७५ भारती है ।

प्राचीन काल में भारतवासी व्यापार के लिये जलप्रवास किया करते थे और सुमात्रा, जावा, अफ्रीका, अरब आदि देशों तक भारती जहाज जाया करते थे । श्रीयुत राधाकुमुद मुकर्जी ने अपनी पुस्तक "हिस्टरी आफ इण्डिया शिपिंग ऐन्ड मेरीटाइम ऐक्टिविटी" में जो सामग्री प्रकाशित की है उससे पता चलता है कि ३००० वर्ष ई. पू. भारत का समुद्री व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा था और भारत के ही बने हुये जहाजों में भारत की बनी हुई वस्तुयें जाया करती थीं । प्लिनी इतिहासकार ने भी इसी सम्बन्ध में लिखते हुये कहा है कि रोमन साम्राज्य से व्यापार द्वारा भारत सारा सोना खींच रहा है । अनेक यूनानी, मुसलमान चीनी और अन्य विदेशी इतिहासकारों के लेखों से भी सिद्ध होता है कि भारतीय शासकों की सेना में जहाजी बेड़ा मुख्य अंग था और सब प्रकार के बड़े से बड़े लड़ाई और व्यापार के जहाज भारत में बनाते रहे । सम्राट अकबर के पास भी बहुत बडा जहाजी बेडा था । बंगाल, कश्मीर, सिंध जहाजों के बनाने के लिये प्रसिद्ध थे । कुस्तुन्तुनिया के सुलतान भी भारत मे जहाज बनवाया करते थे (सीजर डि फेडरिचा १५६५) शिवाजी महाराज के पास भी काफी बडा जहाजी बेड़ा था ।

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि भारतवासियों के लिये समुद्र यात्रा में कोई रुकावट न थी । किन्तु धीरे २ मुसलमानी काल में गृहयुद्ध के कारण तथा अन्य सामाजिक कारणों से समुद्र यात्रा हिन्दुओं के लिये निषिद्ध समझी जाने लगी ।

आधुनिक काल में जो भारतवासी अन्य देशों में पाये जाते हैं उनमें से अधिकतर स्वयं अथवा उनके पूर्वज मजदूरी के लिये गये हुये हैं । ईसा की ९ वीं शताब्दी के आरम्भ में गुलाम प्रथा योरोपियन राष्ट्रों ने बन्द कर दी जिससे मारीशस" आदि द्वीपों के योरोपियन शकर तैयार करने वाले व्योपारियों को असुविधा होने लगी । उन्होंने भारत से मजदूरों की भर्ती करना आरम्भ किया

और सन १८३४-३७ में लगभग ७००० मजदूर भर्ती हुये। धीरे २ यह बात प्रगट होने लगी कि मजदूरों की भर्ती धोखेबाजी से की जाती थी। दलालों को प्रत्येक मजदूर पर कमीशन दिया जाता था। यह कुली प्रथा भारतवासियों के लिये अत्यन्त अपमान कारक सिद्ध हुई कुलियों में स्त्री पुरुष दोनों भर्ती किये जाते थे किन्तु स्त्री और पुरुष मजदूर अकेले ही यहाँ से भर्ती किये जाते थे उनके विवाहित भ्रतार तथा पत्नियां साथ नहीं जाती थीं इस कारण इन कुलियों में बड़ा व्यभिचार होता था। साथ २ यह बात थी कि स्त्रियों की सङ्ख्या कम होने से अनेक प्रकार के जुर्म भी कुलियों में हुआ करते थे। ५ साल का इकरारनामा होने से कोई कुली बीच में न लौट सकता था। मारीशस की देखा-देखी बृटिश गायना ने भी कुली भर्ती करना आरम्भ किये। १८३८ में मजदूरों की भर्ती कुछ काल के लिये बन्द हो गई और सन १८४० में बृटिश सरकार की एक जाँच कमेटी ने कुली प्रथा की बुराइयाँ प्रकाशित कीं इस पर जमैका बृटिश गायना और ट्रिनिडाड के सिवाय अन्य देशों के लिये भर्ती बन्द कर दी गई।

सन १८५८ में सेन्ट लूशिया सेन्ट विन्सेन्ट नेटाल और सेन्ट किट्स को मजदूरों की भर्ती खोल दी गई। सन १८७२ में सुरीनम को और १८७९ में ग्रेनेडा की भर्ती खुली। इसी समय में जाँच कमीशन नियत हुआ जिसके कारण बृटिश गायना के लिये कानून बनाया गया और यही ट्रिनिडाड को भी लागू किया गया।

सन १८९२ में कुली प्रथा की बहुत सी बुराइयाँ प्रगट हुईं और फिर कड़ा कानून बनाया गया। १ जुलाई १९११ से नेटाल को कुली भेजना बन्द कर दिया गया। सन १९१५ में श्री० चिमनलाल और मि० मेकनील की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने सिफारिश की कि "प्रतिज्ञा बद्ध कुली प्रथा" बन्द कर दी जावे। सन १९१६ में सेक्रटरी आफ स्टेट ने यह सिफारिश पसन्द कर ली। इसके पश्चात ऐक्ट ७ सन १९२२ द्वारा विदेशों को मजदूरों का भेजना बन्द कर दिया गया। केवल उन देशों को भेजना कानूनी रक्खा गया जिसे ऐसेम्बली निश्चित करे।

विदेशों में भारतीयों के साथ व्यवहार।

उपरोक्त वर्णन से यह पता चलेगा कि विदेशों में प्रायः सभी भारती "कुलियों" की भाँति गये। उनके पूंजीपति मालिक उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करते रहे इस कारण सब प्रकार की असुविधायें भारतीयों के लिये उपस्थित की गईं। ब दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया। "बोर युद्ध" के छिड़ने पर यह कहा गया था कि भारतीयों के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके लिये बृटिश जाति

लड़ रही है । लार्ड लैन्सडाउन ने भी यही विचार प्रगट किये कि ट्रांसवाल रिपब्लिक का जो व्यवहार भारतीयों के प्रति है वह अत्यन्त खराब है । युद्ध के बाद जब यही ट्रांसवाल भारत साम्राज्य का भाग बन गया था तब भी भारतीयों की दशा न सुधरी । भारतीयों के स्वत्वों का अस्तित्व ही न रहा । इस पर महात्मा गान्धी ने सत्याग्रह आरम्भ किया और अनेक वर्षों तक जारी रक्खा अन्ततः सन् १९१४ में एक सन्धि हुई जिसे "गान्धी-स्मट्स" सन्धि कहते हैं जिससे कुछ दिन शान्ति रही । श्रीयुत गोपाल कृष्ण गोखले भी दक्षिणी अफ्रीका गये थे । इस सन्धि के बाद हो भारतीयों के विरुद्ध फिर से दक्षिणी अफ्रीका के गोरे निवासियों के विचार प्रगट होने लगे और भारतीयों को बड़ा कष्ट होने लगा ।

भारत सरकार के उद्योग से सन् १९१० व १९१८ की इम्पीरियल वार कान्फ्रेन्सों में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भागों में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये तथा वहां उन्हें क्या अधिकार प्राप्त होना चाहिये इस पर चर्चा हुई और साम्राज्य की नीति सम्बन्धी प्रस्ताव पास किये गये जिनमें भारतीयों के जन्म सिद्ध नागरिक स्वत्वों पर ज़ोर दिया गया ।

इसके पश्चात सन् १९२१ की साम्राज्य कान्फ्रेन्स में फिर उपरोक्त स्वत्वों के मिलने की सिफारिश की गई ।

सन् १९२२ में श्री० श्रीनिवास शास्त्री भारत सरकार की ओर से आस्ट्रेलिया, केनाडा, और न्यूजीलैण्ड गये और सन् १९२१ की साम्राज्य कान्फ्रेन्स के प्रस्तावों के कार्य रूप में परिणित होने का प्रयत्न किया । सन् १९२३ की साम्राज्य कान्फ्रेन्स में भारतीय प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

डोमीनियन सरकारें जिनमें भारतीय आबादी हैं, तथा बृटिश सरकार स्वयं केनया, उगण्डा, फिजी आदि प्रदेश जिनमें भारतीय आबादी है, एक एक कमेटी बनावें जो भारत सरकार द्वारा बनाई हुई कमेटी से परामर्श करें और सन् १९२१ के प्रस्ताव में ग्रथित समानता तत्व को शीघ्र से शीघ्र व्यवहार में लाने का उपाय सोचें ।

यह राय कोलोनियल सेक्रटरी तथा डोमीनियन प्रधान मन्त्रियों ने (जेनरल स्मट्स छोड़ कर) पसन्द किया । भारत सरकार ने मार्च स० १९२४ में एक कमेटी केनया और फीजी में भारतीय सम्बन्धी प्रश्नों पर कोलोनियल आफिस के साथ विचार करने के लिये कायम की ।

जिसके सदस्य इस प्रकार थे:— (१) जे. होम सिम्पसन (अध्यक्ष) (२) आगाखां (३) सर बी राबर्टसन (४) दीवान बहादुर टी. रंगा चार्यर (५) के. सी. राय और आर बी सूबेंक (सेक्रटरी) ।

७ अगस्त १९२४ का हौस आफ कामन्स में मि० जे० एच० टामस ने कोलोनियल आफिस का निर्णय बताया इन प्रयत्नों का फल कुछ अच्छा अवश्य हुआ।

स० १९२१ से १९२३ तक नेटाल में एक आर्डीनेन्स कौंसिल में पेश किया जाता रहा जो भारतीयों को हानिकारक था। किन्तु यूनियन सरकार ने उसे स्वीकृति न दी। दिसम्बर स० १९२४ में नेटाल बोरो आर्डीनेन्स को दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने स्वीकृति दे दी इसी प्रकार नेटाल टौनशिप आर्डीनेन्स (३ स० १९२५) भी पास हुआ दोनों का परिणाम भारतीयों के लिये बुरा था। भारत सरकार ने इन दोनों पर असन्तोष प्रगट किया जिस पर कुछ शाब्दिक परिवर्त्तन किया गया। जुलाई स० १९२५ में एशियाज रिजर्वेशन ऐन्ड इमीग्रेशन ऐन्ड रेजिस्ट्रेशन बिल यूनियन एसेम्बली में पेश किया गया। यह बिल भारतीयों के ही खिलाफ था। नवम्बर स० १९२५ में भारत सरकार ने एक शिष्ट मण्डल भेजा जिसके सदस्य (१) जी. एफ. पैडीसन (कमिश्नर आफ लेबर, मद्रास) लीडर (२) सैयद रजाअली और (३) सर देवप्रसाद सर्वाधिकारी मेम्बर थे। श्री० जी. एल. बाजपेयी आई. सी. एस. सेक्रटरी। इसके प्रयत्नों से यह निश्चित हुआ कि यूनियन सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधियों की एक कांफ्रेन्स होकर बिल में यथा योग्य परिवर्तन कर दिया जावे। दिसम्बर १९२६ में कांफ्रेन्स होना निश्चित हुई जिस के लिये (१) सर मुहम्मद हबीबुल्ला लीडर, (२) जी. एल. कोरबेट (डिपटी लीडर) (३) श्री० श्रीनिवास शास्त्री (४) सर डार्सी लिंडसे (५) सर फीरोज सेठना (६) सर जार्ज पैडीसन और जी. एस. बाजपेयी (सेक्रटरी) भेजे गये।

इस कांफ्रेंस के फलस्वरूप भारतीयों के स्वत्वों की रक्षा के लिये एक एजेन्ट जनरल भारत सरकार की ओर से दक्षिण अफ्रीका में रहने लगा है। पहिले एजेन्ट श्री० श्रीनिवास शास्त्री नियत हुये उनके बाद श्री० के. वी. रेडी नियत हुये।

उगांडा में भारतीयों को असुविधायें बहुत कम हैं। ब्रिटिश गायना में कोई कानूनी असुविधायें नहीं हैं परन्तु उस पर भी भारतीयों को तकलीफ है। फिजी द्वीप में भारतीयों को नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं है।

अफ्रीका में भारतीयों को पहिले समानाधिकार थे और भारती "गोरी सभ्य जाति" के सदस्य समझे जाते थे किन्तु कुछ वर्षों से अफ्रीका के हाईकोर्टों ने भारतीयों को "असभ्य जाति" के सदस्य ठहराना आरम्भ किया है जिसके कारण उन्हें राजनैतिक तथा नागरिक स्वत्व प्राप्त होने में बड़ी कठिनाई होती है।

इंगलैण्ड में भारती केवल विद्योपार्जन के लिये जाते हैं। भारतीय

पार्लमेंट के मेम्बर भी हो सकते हैं। जर्मनी में भी भारती विद्यार्थी हैं। सख्या बहुत कम है।

विदेशों में भारतवासी।

ब्रिटिश साम्राज्य।

देश	भारतीय जन सङ्ख्या
लङ्का (सीलोन)	७५००००
स्टेटस सेटिलमेंटस	१०४६२८
फेडेरेटेड मलाया स्टेटस	३०५२१९
ब्रिटिश मलाया	६१८१९
होंग कोंग	२५५५
मौरीशस	२६४५२७
सिचलीज	३३२
जिबराल्टर	५०
नाइगेरिया	१००
कीनिया	२२८२२
उगण्डा	५६०४
रोडेशिया	३६००
नयासालेंड	५१५
जन्जीवार	१२८४१
टेङ्गानी का राज्य	९४४१
जमैका	१८४०१
ट्रीनीडाड	१२१४२०
ब्रिटिश गायना	१२४९३८
फिजी द्वीप	६०६३४
बसूटोलेंड	१७९
स्वाजीलेंड	७
उत्तरी रोडेशिया	५६
दक्षिणी रोडेशिया	१२५०
केनाडा	१२००
आस्ट्रेलिया	२०००
न्यूजीलेंड	६०६
नैटाल	१४१३३६
ट्रान्सवाल	१३४०५
केप कोलोनी	६४९९
ओरेंज फ्रीस्टेट	१००
न्यूफाउन्ड लेंड	६००
जोड	२०३४४४१

यूनाइटेड स्टेट अफ्रीका	३१७५
मैडागास्कर	५२७२
रियूनियन	२१९४
डच ईस्ट इण्डीज	५००००
सुरीनम	३४९५७
मुजम्बिक	११००
फ्रान्स	३८२७

नोटः—प्रवासी भारती सम्बन्धी पिछले वर्ष का विस्तृत वृतान्त आगे दिया हुआ है—

भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास।

भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास।

आतृभूमि अब्दकोश जैसे वार्षिक ग्रन्थ के लिये भारतवर्ष के इतिहास का स्वरूप विस्तृत नहीं हो सकता। और न उसकी आवश्यकता ही है। पाठकों की सुविधा के लिये घटनाओं को क्रमानुसार लिख दिया है। जहाँ तक सम्भव है हमने कोई महत्व पूर्ण घटना छोड़ी नहीं है। अल्प प्रयत्न से किसी भी घटना का वर्ष जाना जा सकता है। और यदि आद्योपान्त पढ़ लिया जावे तो भारतवर्ष के इतिहास का ज्ञान भी बहुत कुछ हो सकता है।

भारत के आधुनिक विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले इतिहास बहुधा बौद्ध काल से आरम्भ होते हैं उसके पूर्व की घटनायें पाश्चात्य इतिहासकार दन्त-कथायें कहकर टाल देते हैं। यदि देखा जावे तो भारत की सभ्यता का उत्कृष्ट काल उसके पूर्व ही समाप्त हो जाता है। बौद्ध काल के पश्चात् विदेशियों के आगमन से भारतीय सभ्यता के स्वरूप में परिवर्तन होना आरम्भ हो जाता है, यहां तक कि मुसलमानो के इस देश में आने की तिथि से तो देश में दो सभ्यताओं के द्वन्द्वज से भारतीयों की प्रगति बन्द हो जाती है और भारतीय वैदिक संस्कृति, भारतीय कला कौशल भारतीय विज्ञान इत्यादि के जीवन की इतिश्री सो हो जाती है। मुसलमानी काल से आज तक भारतीयों को अपनी प्राण-रक्षा और धर्म-रक्षा के प्रयत्नों से अवसर नहीं मिला कि वे अपनी असली आर्य सभ्यता को जो उपनिषद् काल में उन्नति की सर्वोच्च शिखर पर चढ़ चुकी थी कायम रखकर सारे जगत को उसका लाभ देते।

भारतीय विद्वानों के मतानुसार आज तक नौ अवतार—मत्स्य, कच्छ, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, कृष्ण, बुद्ध—हो चुके हैं और दसवां अवतार कल्की भविष्यत में होगा। सृष्टिकाल कृतयुग से आरम्भ होता है और क्रमानुसार त्रेता और द्वापर होकर कलियुग में प्रवेश होता है जो इस समय वर्तमान है। वेद अनादि हैं परन्तु सृष्टि में उनका आगमन कृतयुग ही में कहा जा सकता है क्योंकि श्रीराम का अवतार त्रेता में हुआ और वे वैदिक पुरुष थे ऐसा स्पष्ट है। विदेशी इतिहासज्ञों के मत भिन्न २ हैं। कोई वैदिक काल को ई० स० के पूर्व ५००० वर्ष बताते हैं। कोई श्रीरामचन्द्र के काल को इतना ही समय व्यतीत होना बताते हैं। कोई इतिहासज्ञ महाभारत के काल को

२००० वर्ष ई० स० के पूर्व अनुमान करते हैं। हम इन प्रश्नों के सुलझाने का प्रयत्न न कर केवल भारतीय प्राचीन मत को भी ग्रथित कर देते हैं। उद्देश्य यह है कि भारतीय विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित होकर कोई निश्चयात्मक अवधि बताई जा सके।

सृष्टि का आरम्भ।

१७,२८,००० कृतयुग (सतयुग) का प्रमाण मच्छ, कच्छ, वराह, नृसिंह अवतार। महर्षियों द्वारा वेदों का जगत में आगमन। भारतीय सभ्यता का उन्नति काल।

१२,९६,००० त्रेता युग का प्रमाण। सूर्यवन्श क्षत्रियों का प्रावल्य राजा हरिश्चन्द्र सत्यबादी। वामन परशुराम और श्री रामचन्द्र का अवतार। रावण लङ्काधीश का पराजय। आर्य जाति का दक्षिणी भारत में विस्तार।

८,६४,००० द्वापर युग का प्रमाण। यदुबन्शी क्षत्रियों का प्रावल्य। मथुरा के राजा कंस का अत्याचार और श्रीकृष्ण द्वारा मरण। कौरव पाण्डवों का महाभारत नामक महा युद्ध। युधिष्ठिराब्द का आरम्भ।

४,३२,००० कलयुग का प्रमाण जिसमें ५०२९ वर्ष व्यतीत हुये।

——:०:——

आधुनिक विद्वानों के मतानुसार ऐतिहासिक घटनाओं का काल क्रम इस प्रकार है।

ई० पू०

५००० वैदिक काल का आरम्भ।

४००० श्री रामावतार।

३१०२ युधिष्ठिराब्द का आरम्भ। कौरव पाण्डवों का महाभारत नामक युद्ध श्रीकृष्ण द्वारा भगवद्गीता उपदेश।

१५०० रामायण तथा महाभारत ग्रन्थों का निर्माण होना।

७८० यूनान के साथ भारत का व्यापार।

६०० दारा का भारत पर आक्रमण।

५५७ महात्मा बुद्ध का जन्म।

५२२ महात्मा बुद्ध ने प्रचार आरम्भ किया।

४७७ महात्मा बुद्ध की मृत्यु।

३२७ सिकन्दर का भारत पर आक्रमण।

३२२ सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण और सीरियन्स को हराना।

३०६ मेगस्थनीस (यूनानी प्रवासी) का भ्रमण। भारत की प्राचीन सभ्यता का विश्वसनीय वर्णन।

२९७ सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य की मृत्यु।

२६९ सम्राट अशोक का राज्यारोहण। ब्रिटिश साम्राज्य से अधिक विस्तृत साम्राज्य।

२५० सम्राट अशोक ने शास्त्रों द्वारा विजय बन्द कर दी।

२२४ सम्राट अशोक की मृत्यु।

२२० अन्ध राज्य का स्थापन।

५० विक्रम सम्वत् आरम्भ।

ई० सन् का आरम्भ।

६८ यहूदी लोग रोग से पीड़ा पाकर भारतवर्ष की ओर भाग आये और मलाबार में बस गये।

१०० महाराज कनिष्क ने बौद्धों की बड़ी सभा की।

३२० गुप्तराज का उत्थान।

३४० समुद्र गुप्त भारत के महाराजाधिराज स्वीकृत हुये।

४०५-११ चीनी यात्री फहियान का भ्रमण।

४७३ आर्यभट्ट ज्योतिष के जन्म दाता का जन्म पृथ्वी अपने धुरे पर घूमती है यह सिद्ध किया और सूर्य व चन्द्र ग्रहणों का कारण बताया।

४८० ९० गुप्तराजवंश का टूटना।

५०५ वराहमिहिर ज्योतिषी का जन्म।

५५० राजपूतों ने एक राज्य दक्षिण में स्थापित किया जो ११९० तक चला।

६०६ हर्षवर्धन का राज्यारोहण।

६२२ इस्लाम धर्म की स्थापना। हिजरी सन् आरम्भ।

६२९-४५ चीनी यात्री ह्यून सांग का भ्रमण।

६४४ हर्षवर्धन ने ७५ दिन का मेला प्रयाग में आरम्भ किया जिसमें प्रतिदिन १०,००० बौद्ध भिक्षुओं को १०० सुवर्ण मुद्रा, १ मोती और एक कपड़ा दिया जाता था।

६४८ महाराज हर्षवर्धन की मृत्यु।

७०३ नेपाल व तिरहुत प्रदेश तिब्बत से निकाले गये।

७१२ अरबों ने मुल्तान और सिंध पर कब्जा कर लिया।

७१७ पारसियों का संजन बंदर (बम्बई से ६० मील उत्तर) पर पहुंचना।

७५० पालवन्श बङ्गाल में स्थापित हुआ।

७८८ जगद्गुरु शङ्कराचार्य का जन्म।

९९३ दिल्ली शहर की स्थापना।

९७३-१०४८ प्रसिद्ध इतिहास कार व वैज्ञानिक अलबरोनी।

९८६ पेशावर में सुलतान गजनी ने कबजा किया।

१००१ मुहम्मद गजनी का पहिला आक्रमण जैपाल की हार।

१००९ महमूद गजनी ने नगर कोट (कांगडा) को लूटा जहां उसे ७ लाख सुवर्ण मुद्रा ७०० मन सुवर्ण, थाल २०० मन सुवर्ण की ईंट २००० मन चांदी और बीस मन जवाहिरात, मोती, हीरे और लाल प्राप्त हुये।

१०२४ महमूद गजनी का १२ वाँ आक्रमण। सोमनाथ (गुजरात) की लूट और मूर्ति का तोडना।

१०२८-६० राजा भोज (पवार) ने मालवा में राज्य किया।

१०३८ राजा न्यायपाल (बगाल) ने अतीसा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिये तिब्बत भेजा ।

१०४९-११ चन्देल राज्य. चन्देल राज्य के मुख्य स्थान खजराहो (छतरपुर स्टेट) महोबा (हमीरपुर) कालिंजर (बांदा) इस राज्य को जेजाक मुक्ति (जिझौती) भी कहते थे ।

११५८-७ वल्लालसेन ने बङ्गाल के एक भाग पर राज्य किया ।

११८२ परमाल चन्देल को पृथ्वीराज ने प्रतस्त किया ।

११८४ मुहम्मद गोरी का आक्रमण ।

११९२ पृथ्वीराज की हार (मुहम्मद गोरी द्वारा) और उनकी हत्या । तराई का युद्ध ।

११९९-१२०० बखत्यार खिलजी ने १८ घोड सवारों से बङ्गाल फतह किया ।

१२०६ कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश का राज्य स्थापित किया । उर्दू भाषा का जन्म ।

१२३० कुतुब मीनार तैयार हुई ।

१२३६ रज़िया बेगम का राज्यारोहण ।

१२९० खिलजी वन्श का आधिपत्य ।

१२९८ अलाउद्दीन ने सोमनाथ को लूटा ।

१३०३ चित्तौर गढ़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई । रानी पद्मिनी की वीरता ।

१३१० खिलजियों ने मैसूर पर आक्रमण किया ।

१३२० तुगलक वन्श का आरम्भ ।

१३३६ विजया नगर में हिन्दू राज्य की स्थापना ।

१३४२ भारतवर्ष भर में दुर्भिक्ष ।

१३४७ दक्षिण भारत में बहमनी राज्य, मुसलमानों की स्थापना ।

१३९८ तैमूरलङ्ग का आक्रमण ।

१४१३ गुजराती कवि नरसिंह मेहता का जन्म ।

१४५१ लोदी राज वन्श की स्थापना ।

१४६९ गुरु नानक का जन्म ।

१४९८ वेस्कोडी गामा का आगमन ।

१५२६ पानीपत का युद्ध । बाबर का राज्यारोहण । मुगल राज्य की स्थापना ।

१५३० बाबर की मृत्यु ।

१५३९ गुरु नानक की मृत्यु जलन्धर के पास

१५४० हुमायूं दिल्ली से भगाया गया । शेरशाह पठान का राज्यारम्भ ।

१५४२ अकबर का जन्म (अमरकोट) ।

१५५५ हुमायूं का वापिस आना और अपना राज्य ले लेना ।

१५५६ अकबर का राज्यारोहण । द्वितीय युद्ध पानीपत ।

१५६५ जिजिया टैक्स का बन्द होना ।

१५७५ चाँद बीबी का अहमद नगर पर राज्य ।

१५७९ अकबर का नया धर्म ।

१५९५ चाँद बीबी ने वीरता से अहमद नगर के किले की रक्षा की ।

१५९१ शाहजहाँ का जन्म ।

१५९४ डच्च व्यापारियों का आगमन ।

१६०० ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना चाँद बीबी का कत्ल।

१६०१ आदिग्रन्थ गुरु अरजुन ने समाप्त किया।

१६०४ फ्रेंच व्यापारियों का आगमन।

१६०५ अकबर की मृत्यु जहाँगीर का राज्यारोहण।

१६०८ तुकाराम महाराष्ट्र कवि का जन्म।

१६११ जहाँगीर की शादी नूरजहां के साथ।

१६१३ जहाँगीर ने अंग्रेजी व्यापारियों को भारत का द्वारा खोल दिया। सूरत में प्रथम अंग्रेजी कोठी।

१६२३ तुलसीदासजी की मृत्यु।

१६२७ शिवाजी महाराजा का जन्म। जहांगीर की मृत्यु शाहजहाँ का राज्यारोहग।

१६३० दक्षिण में और गुजरात में दुर्भिक्ष।

१६३४ तख्ततावस ७ वर्ष की मेहनत के बाद तैयार हुआ। ईस्ट इण्डिया कम्पनी को गङ्गा जी के किनारों पर व्यापार करने की आज्ञा।

१६४८ शिवाजी ने तोरण किला ले लिया

१६५० शिवाजी ने कल्याण पर कबजा किया।

१६५७ शाहजहां के लड़कों में आपसी युद्ध।

१६५८ शाहजहा कैद हुये। औरंगजेब दिल्ली के बाहर बादशाह हुये।

१६५९ चन्द्राब्द फिर से आरम्भ। औरंगजेब का राज्यारोहण। अफजल खां का शिवाजी द्वारा वध।

१६६० शायिस्ता खां को शिवाजी ने पराहत किया।

१६६१ पोर्तुगाल ने बम्बई अंग्रेजों को दहेज में दी।

१६६६ शाहजहाँ की मृत्यु। शिवाजी मुगल दरबार में गिरफ्तार कर लिये गये लेकिन भागे।

१६६७ शिवाजी को औरंगजेब ने राजा माना और शिवाजी ने अपने सिक्के चलाये।

१६७४ शिवाजी के स्वतन्त्र शासक होने की घोषणा तथा राज्यारोहण पांडूचेरी की स्थापना (फ्रेंचद्वारा)

१६७५ गुरु तेगबहादुर नवें गुरु औरंगजेब द्वारा बलि हुए।

१६८० शिवाजी महाराज की मृत्यु।

१६८६ ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने शासन आरम्भ करने की चेष्टा की।

१६९० चारनौक ने कलकत्ता बसाया। औरंगजेब ने अंग्रेजी कम्पनी को दण्ड दिया।

१७०० राजाराम महाराज की मृत्यु पर ताराबाई ने मराठी सत्ता अपने हाथ में ली। यूनाइटेड ईस्ट इण्डिया कम्पनी बनी। भारत के छपे हुये कपड़े इंगलैण्ड में पार्लीमेंट के ऐक्ट द्वारा बन्द किये गये।

१७०७ औरंगजेब की मृत्यु और मुगल राज की इति श्री आरम्भ

१७०८ भारत अंग्रेजी कम्पनियों का एकीकरण ।

१७१० सिखों का सशस्त्र उभरना ।

१७१२ बहादुरशाह मुगल बादशाह की मृत्यु ।

१७१४–२० बालाजी विश्वनाथ । पहले पेशवे ।

१७१७ शाहु महाराजा का राज्यारोहण ।

१७१९ मुगल बादशाह ने मराठों का चौथ वसूल करने का अधिकार स्वीकृत किया ।

१७२० प्रसिद्ध बाजीराव प्रथम (पेशवा)

१७२१ इङ्गलैण्ड में भारतीय वस्तुओं की मनाई की ।

१७२४ बहुत से देशी राज्यों का निर्माण

१७२५ फ्रेंच लोगों को माही मिला ।

१७२७ शाहु महाराज ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिये ।

१७३७ मराठों का दिल्ली पर आक्रमण ।

१७३९ नादिरशाह का आक्रमण । पुर्तगाल का भारत में पतन ।

१७४४ अंग्रेजों और फ्रेंचों की भारतवर्ष में लड़ाई ।

१७४६ मद्रास फ्रान्स के कबजे में ।

१७४८ एक्सला चेपल की सन्धि इङ्गलैंड और फ्रान्स के बीच ।

१७४९ अंग्रेजी और फ्रांसीसी कम्पनियों के बीच युद्ध ।

१७५१ आरकोट का अंग्रेजों द्वारा घेरा ओड़ीसा मरहठों ने लिया ।

१७५४ विदेशी कम्पनियों में समझौता। डुप्ले वापिस बुलाया गया ।

१७५७ क्लाइव ने जाली सन्धि उमीचन्द के धोखा देने के लिये बनाई । प्लासी का युद्ध । ब्रिटिश राज्य का आरम्भ । मीर जाफर से अंग्रेजों को अटूट धन की प्राप्ति

१७५८ क्लाइव गवरनर हुआ । हैदर-अली मैसूर का राजा ।

१७६० वाडीवाश की लड़ाई । फ्रेंच की हार ।

१७६१ पानीपत पर तीसरा युद्ध । मराठों की हार ।

१७६३ फ्रेंच स्थान वापिस दिये गये ।

१७६४ अंग्रेजी फौज के देशी सिपाहियों का उभरना । २४ नेता तोप से उड़ा दिये गये ।

१७६५ शाह आलम ने अंग्रेजों को दीवानी अख्त्यारात दिये ।

१७६९ ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रयत्न आरम्भ किये कि बङ्गाल में कच्चा रेशम बटे लेकिन बिनावट का काम बन्द हो ।

१७७० हैदरअली मरहठों से हार गया। बङ्गाल में भयङ्कर दुर्भिक्ष । पहला बङ्क खुला ।

१७७२ वारन हेस्टिंग्स गवर्नर बङ्गाल । राजा राममोहनराय, ब्रह्म समाज के संस्थापक का जन्म ।

१७७३ रेगुलेटिंग ऐक्ट पास हुआ ।

१७७४ गवरनर जनरल का पद और सुप्रीम कोर्ट स्थापित। महाराजा नन्दकुमार की फांसी। हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों से धन लिया।

१७८० भारत में पहला समाचार पत्र "हिकीज़ गजेट" प्रकाशित हुआ रणजीतसिंह का जन्म। गवरनर जनरल को सुप्रीम कोर्ट से स्वतन्त्र बनाने का ऐक्ट पास हुआ।

१७८२ अंग्रेजों द्वारा पहिली शिक्षण संस्था की स्थापना। 'हिकी' (सम्पादक पहला समाचार पत्र) को जेल। हैदर अली की मृत्यु।

१७८८–९५ वारन हेस्टिंग्स पर पार्लमेंट में मुकद्दमा।

१७८९ बम्बई का पहिला पत्र 'बम्बई हैरल्ड' प्रकाशित 'कालीदास' के ग्रन्थों का अनुवाद विदेशी भाषा में।

१७९३ इसतिमरारी बन्दोबस्त ऐक्ट पास हुआ।

१७९४ महादजी सिंदे की मृत्यु।

१७९५ श्रीमहारानी अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु।

१७९९ चौथी मैसूर युद्ध का अन्त। टीपू की मृत्यु।

१८०० मराठा राजनीतिज्ञ नाना फडणवीस की मृत्यु।

१८०२ बसीन की सन्धि। पेशवा ने महाराष्ट्र स्वातन्त्र्य का नाश किया।

१८०४ बङ्गाल स्टेट आफेंसस रेग्युलेशन पास हुआ जिसमें मारशल्ला की आज्ञा देने का अधिकार सरकार से हुआ।

१८०६ वेलूर में बलवा।

१८१३ नया चार्टर ईस्ट इण्डिया कम्पनी। कम्पनी को मजबूर किया गया कि १ लाख रुपया देशी विद्या तथा पाश्चात्य विज्ञान की शिक्षा पर खर्च करें। हिन्दुस्तानी रुई के माल पर भारी कर इङ्गलैण्ड में लगाया गया।

१८१७ अन्तिम मराठा युद्ध।

१८१८ बम्बई प्रान्त बनाया गया। 'समाचार दर्पण' पहिली देशी भाषा (बङ्गाली) का पत्र, रेग्युलेशन जिसके द्वारा सरकार को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि किसी व्यक्ति को देश से बिना मुकदमे के निकाल दे।

१८२० सिक्ख राज्य का उत्थान।

१८२४ स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म। एलफिन्स्टन की शिक्षा सम्बन्धी प्रसिद्ध चिट्ठी।

१८२५ दादा भाई नौरोजी का जन्म।

१८२६ प्रथम ब्रह्मयुद्ध।

१८२८ ब्रह्म समाज की स्थापना।

१८२९ सती प्रथा बन्द की गई।

१८३१ राजा मैसूर गद्दी से उतारे गये।

१८३३ ईस्ट इण्डिया कम्पनी को नया चार्टर। शासन विधान में परिवर्तन।

१८३४ कुर्ग अंग्रेजों ने लिया।

१८३५ कलकत्ता मैडीकल कालेज स्थापित।
मुद्रकों की रजिस्ट्री का कानून पास हुआ। इसके पहिले गवर्नर जनरल से लाइसेन्स लेना पडता था।

१८३६ योरोपियन लोग भी दीवानी अदालत के अधिकार में किये गये। योरोपियनों का आन्दोलन निष्फल।

१८३७ पहिला सार्वजनिक डाकखाना खुला।

१८३९ रञ्जीतसिंह की मृत्यु।

१८४३ सिन्ध अंग्रेजों ने लिया।

१८४५ प्रथम सिक्ख युद्ध।

१८४८ द्वितीय सिक्ख युद्ध।

१८४९ पञ्जाब अंग्रेजों के कबजे में। लगभग १२९,००० हथियार छीने गये।

१८५१ भारत में प्रथम टेलीग्राम लाइन।

१८५२ दक्षिणी ब्रह्म देश पर कबज़ा।

१८५३ पहिली रेलवे लाइन २९ मील लम्बी बम्बई और थाना के बीच में। अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ।

१८५४ डाक के टिकट चलाये गये। शिक्षा विभाग की स्थापना। सर चार्लस वुड का शिक्षा सम्बन्धी खलीता। व्यवस्थापक सभा की पहिली बैठक।

१८५५ ई० आई० रेलवे खोली गई।

१८५६ लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक का जन्म।

१८५७-५८ स्वतन्त्रता का प्रथम युद्ध अथवा गद्दर (Sepoy Mutiny) महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की वीरता युक्त मृत्यु। मुगल बादशाह कैद करके रंगून भेजे गये। यूनिवर्सिटी स्थापित हुई।

१८५८ भारत का शासन इङ्गलैंड राजा के हाथ में आया। महारानी विक्टौरिया का घोषणा पत्र प्रयाग में पढ़ा गया। इण्डियन नेव्ही भारतीय जल सेना तोड़ दी गई।

१८५९ तांत्या टोपे को फांसी।

१८६१ इण्डियन कौंसिल ऐक्ट पास हुआ। गैर सरकारी सदस्य लिये गये। हाईकोर्ट स्थापित। कवि श्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ टागोर का जन्म।

१८६५ ओडीसा में भयङ्कर दुर्भिक्ष। १० लक्ष मनुष्यों की मृत्यु।

१८६७ किताबों की रजिस्ट्री का ऐक्ट पास हुआ।

१८६८ अमृतबाजार पत्रिका का प्रकाशन कटक में मारवाड़ा की घोषणा।

१८६९ महात्मा गान्धी का जन्म।

१८७० दफा १२४ ए पीनल कोड में जोडी गई।

१८७२ मालेर कोटला (पञ्जाब) में मारशल्ला की घोषणा। प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ। लार्ड मेयो की पोर्ट ब्लेयर में हत्या।

१८७५ महाराजा गायकवाड़ (बड़ौदा) गद्दी से उतारे गये। युवराज (एडवर्ड सप्तम) का भारत में भ्रमण। आर्य समाज स्थापित।

१८७६ रेलवे कान्फ्रेंस आरम्भ। देश में दुर्भिक्ष।

१८७७ रानी विक्टोरिया ने 'महारानी' का पद ग्रहण किया। लगभग सवा पाँच लाख अकाल पीड़ित मनुष्य मरे।

१८७८ अफ़गानिस्तान से युद्ध। धोंड़-मनमाड रेलवे आरम्भ। देशी भाषा के वर्तमान पत्रों का ऐक्ट पास हुआ। आर्म्स ऐक्ट पास हुआ।

१८७९ फौजी कमीशन कायम हुई।

१८८० "केसरी" और "मराठा" का लो० तिलक द्वारा जन्म। प्रथम राष्ट्रीय पाठशाला पूना में स्थापित।

१८८१ मैसूर स्टेट रेलवे खोली गई।

१८८२ देशी भाषा के पत्रों का ऐक्ट रद्द हुआ। श्री० सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को अदालत के अपमान करने में जेल की सज़ा। रुई के कपड़ों की आयात पर कर बन्द किया गया।

१८८५ राष्ट्रीय महासभा का जन्म (बम्बई), तीसरा ब्रह्म देश युद्ध। स्थानिक स्वराज ऐक्ट पास हुआ।

१८८६ गवालियर का किला सिंधिया को वापिस दिया गया। झांसी शहर अंग्रेजों को मिला। शिक्षा विभाग का नूतन प्रबन्ध।

१८८७ महारानी विक्टोरिया की जुबिली

१८९१ एज आफ कन्सेंट बिल (स्त्री द्वारा सम्भोग की अनुमति देने का आयु सम्बन्धी कानून) पास हुआ मनीपुर का मामला। चीफ कमिश्नर आसाम की हत्या। ब्रिटिश फौज भगा दी गई।

१८९२ इण्डियन कौंसिल ऐक्ट पास हुआ। सदस्यों को संख्या बढ़ाई गई।

१८९३ भारतीय टकसाल बन्द हुई। सरकारी सिक्का नीति का आरम्भ। महाराज बड़ौदा ने प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा आरम्भ की।

१८९४ दादाभाई नौरोजी मैम्बर ब्रिटिश पार्लीमेंट चुने गये। भारती सूती कपड़ों पर कर लगाया गया।

१८९५ प्रांतीय फौजी विधान बन्द हुआ। सरकारी खर्च सम्बन्धी शाही कमीशन नियत हुआ।

१८९६ प्लेग का आरम्भ।

१८९७ ब्रह्म देश छोटे लाठ के आधीन किया गया। भारत में भूचाल। दुर्भिक्ष भयङ्कर।

१८९८ १५३ ए० पीनल कोड और दफा १०८ ज़ाब्ता फौजदारी में बढ़ाई गई।

१८९९ लार्ड कर्ज़न वाइसराय हुये।

१९०० गोल्ड रिज़र्व फण्ड बनाया गया।

१९०१ महारानी विक्टोरिया की मृत्यु। आबपाशी कमीशन नियत हुआ।

१९०२ बरार के ज़िले निज़ाम हैदराबाद से ब्रिटिश को मिले। लार्ड किचनर कमानडर–इन–चीफ हुये।

१९०३ एडवर्ड सप्तम बादशाह हुए। दिल्ली में राज्यारोहण दरबार बहुत खर्च करके किया गया। जनता ने खर्च का विरोध किया लेकिन निष्फल रहा।

१९०४ लार्ड कर्ज़न की म्याद बढ़ी। यूनिवर्सिटी ऐक्ट पास हुआ। सहकारी संस्थाओं का आरम्भ। तिब्बत पर चढ़ाई।

१९०५ बग विच्छेद; विदेशी माल का बायकाट, सर्वेण्ट आफ इण्डिया सोसाइटी श्री० गोखले द्वारा स्थापित। लार्ड कर्ज़न और लार्ड किचनर में मतभेद। लार्ड कर्ज़न का इस्तीफा। लार्ड मिण्टो वाइसराय नियत हुए।

१९०६ आल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापित। निकल की इकन्नी चलाई गई। बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई।

१९०७ इंडिया कौंसिल में दो हिंदुस्तानी नियत हुए।

राजद्रोही मीटिंग ऐक्ट पास हुआ। कांग्रेस में फूट। दक्षिणी अफ्रीका में आन्दोलन। पञ्जाब में एण्टीकोलीनाइजेशन आन्दोलन। ला० लाजपतिराय का देश निकाला। अरविन्द घोष और अन्य देश भक्त पकड़े गये। लोकमान्य तिलक को ६ साल की सज़ा राजद्रोह में।

१९०८ दमनकारी कानून-समाचार पत्र ज़ाब्ता फौजदारी (समिति) और भक से उड़ने वाले पदार्थों सबंधी—पास हुए।

सप्तम एडवर्ड का घोषणा पत्र। खुदीराम बोस द्वारा बङ्गाल के लाट पर पहिला बम्ब का गोला चलाया गया।

१९०९ मार्ले–मिण्टो सुधार श्री० गोखले ने बडी व्यवस्थापक सभा में प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया जो अस्वीकृत हुआ।

१९१० प्रेस ऐक्ट पास हुआ। लार्ड हार्डिङ्ग वाइसराय हुए। सप्तम एडवर्ड की मृत्यु।

१९११ बंग विच्छेद रद्द हुआ। आसाम प्रान्त बनाया गया। बिहार ओडीसा अलग नया प्रान्त हुआ दिल्ली राजधानी बनाई गई। पञ्चमजार्ज और महारानी का आगमन। निजाम हैदराबाद आसफजाह की मृत्यु।

१९१२ पब्लिक सर्विसेज कमीशन नियत हुआ। लार्ड हार्डिंग दिल्ली में बम द्वारा घायल हुये।

१९१३ कानपुर में मसजिद का दंगा। श्री० टागोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिये मिला।

१९१४ कनाडा से लौटे हुये सिक्खों पर बज बज में सरकारी अत्याचार। योरोपीय महायुद्ध का आरम्भ। भारत की वीरता।

१९१५ हिन्दू विश्वविद्यालय का बिल पास हुआ। श्री० गोखले और श्री० फीरोजशाह मेहता की मृत्यु। प्रेस एसोसियेशन स्थापित, डिफेन्स आफ इण्डिया ऐक्ट पास हुआ। समाचार पत्रों की प्रथम प्रदर्शिनी बड़ौदा में हुई।

१९१६ मैसूर में यूनिवर्सिटी होमरूल लीग स्थापित, लार्ड चेम्स फोर्ड वाइसराय, कांग्रेस—लीग स्कीम (सुधार विधान) बनाया गया।

१९१७ रुई के कपड़ों पर आयात कर बढ़ाया गया। मि० बेसेण्ट नजर बन्द हुईं। श्री०-दादाभाई नौरोजी की मृत्यु। पबलिक सर्विसेज कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित। इण्डैनचर्ड लेबर (कुली प्रथा) सम्बन्धी विरोधी आन्दोलन। ब्रिटिश शासन नीति की घोषणा। मि० मांटेग्यू का आगमन। दो आने का निकल का सिक्का चलाया गया। इम्पीरियल कांफ्रेंस में भारतीय मेम्बर।

१९१८ अडयार में राष्ट्रीय विश्व विद्यालय। इन्फ्लूऐन्जा का फैलना। सुधारों की रिपोर्ट प्रकाशित, रौलेट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कांग्रेस व मुसलिम लीग की खास बैठकों ने सुधार पर बिचार किये। आल इण्डिया माडरेट कान्फ्रेंस स्थापित। बम्बई में सोने की टकसाल।

१९१९ रौलेट बिल जनता के घोर विरोध पर भी पास हुआ। सार्वदेशिक हड़तालें। सत्याग्रह का आरम्भ। महात्मा गान्धी पलवल व कोसी रेलवे स्टेशन के बीच रेल से उतारे गये। अनेक स्थानों में दंगे पंजाब में मारशला। जलियान वाला बाग हत्याकांड। हार्नीमैन का देश निकाला। सर सङ्करन नैयर का इक्जिक्यूटिव कौंसिल की मैंबरी से विरोधात्मक इस्तीफा। सर रवीन्द्रनाथ टागौर ने खिताब त्याग दिया।

अफगानिस्तान से युद्ध। पंजाब के दंगों के लिये कमेटी स्थापित हुई। शाही घोषणा। राजनैतिक कैदियों को माफी। सत्येन्द्र प्रसन्नसिंह को लार्ड की पदवी मिली।

१९२० पंजाब दङ्गों पर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अपराधियों को निर्दोष ठहराया गया। जनता को इस निर्णय से असन्तोष। खिलाफत आन्दोलन का जोर। असहयोग की तैयारी। खास बैठक कांग्रेस कलकत्ता असहयोग पास हुआ। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। नागपुर कांग्रेस में असहयोग देश व्यापी हुआ।

१९२१ मोपलाओं का मलाबार में दङ्गा लार्ड रीडिंग वाइसराय हुए। सुधार शासन का आरम्भ, जन संख्या की गणना हुई राष्ट्रीय कालेजों की स्थापना, श्री० शास्त्री पी० सी० बनाये गये ब्रह्मदेश अलग गवर्नर के आधीन प्रांत हुआ, तिलक स्वराज्य फण्ड एक करोड़ जमा हुआ, देश भर में बिलायती कपड़े जलाये गये, अली बन्धुओं पर मुकदमा और सज़ा युवराज का आगमन और उनका बायकाट, बम्बई में दंगा स्वयं सेवक गैर कानूनी हुए, सी. आर. दास प्रेसीडैण्ट कांग्रेस नियुक्त हुए; ला० लाजपतराय, मोतीलाल नेहरू तथा अन्य नेताओं की गिरफ्तारी, हस्तलिखित समाचार पत्रों का प्रकाशन, लार्ड सिंहा का इस्तीफा, इंपीरियल कांफ्रेंस में उपनिवेशों में भारतीयों की अवस्था पर विचार।

१९२२ जनवरी सन् १९२२ में बम्बई में राजनैतिक कांफ्रेंस और सर सङ्करन नैयर का कांफ्रेंस से उठ जाना, अहमदाबाद और सूरत म्यूनिसिपैलिटियां सस्पैण्ड हुईं, बारडोली में सत्याग्रह की तैयारी, चौरी चौरा घटना, सत्याग्रह का स्थगित किया जाना, महात्मा गान्धी का उपवास, महात्मा गान्धी पर मुकद्दमा और ६ साल की कैद का हुक्म, इण्डियन रेशियल डिस्टिङ्कशन कमेटी (रङ्गभेद कमेटी) की रिपोर्ट सर माइकेल ओडायर का सर सङ्करन नैयर पर मुकदमा, गया कांग्रेस में कौंसिल प्रवेश का प्रश्न, देशबन्धु दास का देश व्यापी प्रभुत्व।

सत्याग्रह जाँच कमेटी और उसकी रिपोर्ट, कौंसिल पार्टी का जन्म, कांग्रेस में द्वन्द-परिवर्तन वादी (Pro-changer) और अपरिवर्तन वादी (No-changer)

प्रेस ऐक्ट रद्द हुआ मांटेग्यु का इस्तीफा, सिक्खों ने गुरु के बाग में सत्याग्रह किया, गुरु द्वारा आन्दोलन अकालियों द्वारा।

१९२३ योरोपियन अफसरों की परिस्थिति की जांच के लिये 'ली कमीशन' नामक रायल कमीशन की नियुक्ति (जून), टैरिफ बोर्ड की स्थापना, लार्ड रीडिङ्ग ने व्यवस्थापक सभा के मत के विरुद्ध नमक टैक्स को दुगना करने का सार्टीफिकेट दिया जनता में असन्तोष, स्वराज्यपार्टी का जोर, देशबन्धु सी० आर० दास की लोकप्रियता, स्वामी श्रद्धानन्द ने शुद्धि का झण्डा उठाया, मुसलमान मलकाना राजपूतों की शुद्धि, पं० मालवीय का सङ्गठन कार्य और व्यायाम पर जोर देना, बब्बर अकालियों द्वारा कुछ आदमियों का मारा जाना, महाराजा नाभा का देश निकाला और पदच्युत होना, अकाली दल और गुरुद्वारा कमेटी का गैर कानूनी करार दिया जाना, मोल ऐलिस (एक अंग्रेजी महिला) का सरहद्दी जातियों द्वारा खून।

१९२४ महात्मा गाँधी को (Appendicites) रोग का आपरेशन, तदनन्तर रिहाई, ऐसेम्बली, सी० पी० और बङ्गाल कौंसिलों में बजट स्वराज्य पार्टी के प्रयत्नों से नामन्जूर हुआ। सुधार शासन की जांच के लिये मुडिमैन कमेटी की नियुक्ति, ब्रिटिश अम्पायर प्रदर्शनी, औद्योगिक हड़तालें, कोहाट में मुसलमानों का दङ्गा और हिन्दुओं पर घोर अत्याचार महात्मा गांधी और सी० आर० दास प्रभृति स्वराजिस्ट नेताओं के बीच जुहू (बम्बई) में कॉफ्रेंस और परस्पर विरोध, आल इंडिया काँग्रेस कमेटी में स्वराजिस्टों द्वारा विरोध तदनन्तर एकता परन्तु काँग्रेस मेम्बर द्वारा २००० गज सूत दिये जाने की प्रतिज्ञा बगाल आर्डीनेंस तथा रेगूलेशन (१८१८) द्वारा गिरफ्तारियां गाँधी स्वराजिस्ट पैक्ट (कलकत्ता) बेलगांव कांग्रेस (गांधी सभापति) मौंट एवरेस्ट (कैलाश) की चढ़ाई केवल ६०० फुट बाकी रही मेलोरी और अरविन इस उद्योग में मर गये।

१९२५ श्री सी० आर० दास की मृत्यु, श्री अरविन्द घोष को राजनैतिक कार्य के लिये निमन्त्रण और उस की अस्वीकृति, श्री सेनगुप्त स्वराजिस्ट नेता बनाये गये। मुडिमैन कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित (मार्च) श्री० ताम्बे (मध्य प्रांत के स्वराजिस्ट) कौंसिल के प्रेसीडेंट बन गये मि० पटेल ऐसेम्बली के

प्रेसीडेन्ट हुये, रिस्पांसिव को-अपरेशन (प्रतियोगी सहकारिता) का बम्बई और मध्य प्रदेश में जोर जयकर, केलकर, और मुन्जे का ऐसेम्बलीसे इस्तीफा, भारतीय टैक्स कमीशन का कार्य समाप्त हुआ, करेन्सी कमीशन ने कार्य आरम्भ किया, दक्षिणी अफ्रीका से शिष्ट मण्डल का आगमन तथा एक शिष्ट मण्डल का भारत से जाना, ऐसेम्बली के स्वराजिस्ट मेम्बरों का विरोध सूचक उठ कर चला जाना।

१९२६ लार्ड आयरविन की वाइसराय पर नियुक्ति, प्रान्त से कौंसिलों तथा ऐसेम्बली के चुनाव, स्वराजिस्ट पार्टी का जोर काफी रहा हिन्दू-मुसलिम दंगे कलकत्ते में तथा अन्य स्थानों में, करेन्सी कमीशन की रिपोर्ट जिसमें रुपया १ शिलिंग ६ पेंस किये जाने की सिफारिश की गई, भारतीय व्यापारियों का विरोध, रायल कृषि कमीशन की नियुक्ति, हिंदू सङ्गठन की वेगमयी प्रगति, रुई की मिलों सम्बन्धी जांच के लिये टैरिफ बोर्ड कमेटी की नियुक्ति, भारतवासियों की अवस्था पर विचार के लिये दक्षिणी अफ्रीका को एक शिष्ट मण्डल (सर जार्ज पैडिसन सभापति) भारत सरकार ने भेजा, पटुआखाली सत्याग्रह अब्दुलरशीद द्वारा स्वामी श्रद्धानन्द की मृत्यु तथा अब्दुल रशीद को फांसी, कांग्रेस (गौहाटी)

१९२७ इण्डियन सायन्स कांग्रेस (जनवरी) सर जे० सी० बोस सभापति, प्रथम अखिल भारतीय महिला परिषद् महारानी बड़ोदा अध्यक्ष, दक्षिणी अफ्रीका का समझौता और उस पर चर्चा, राजकुमारी पर अत्याचार के कारण खड्गबहादुर युवक द्वारा हीरालाल का खून और ८ साल की सजा, रुपया का दाम १८ पेन्स, पददलित जातियों की महासभा यूरोप में और भारतीय प्रतिनिधियों का सम्मिलित होना काकोरी डकैती का मामला और अमानुषिक सजायें स्कीन कमेटी (अर्थात् फौजी सुधार कमेटी) को रिपोर्ट, श्री सुभाषचन्द्र बोस नजर कैद से बीमारी की हालत में छोड़े गये, श्री० श्रीनिवास शास्त्री दक्षिणी अफ्रीका में भारत सरकार की ओर से एजेन्ट नियत हुये, पटुआखाली सत्याग्रह में श्री० सचिन्द्रनाथ सेन की जेल यात्रा, 'रंगीला रसूल'' का मामला और राजपाल को सजा, वाइसराय द्वारा बिना तार द्वारा समाचार इत्यादि के भारत में प्रसार

के लिये स्थान का उद्घाटन समारम्भ, मिस मेयो ने 'मदर इण्डिया' नामक पुस्तक जिसमें भारत पर अपमान जनक आक्षेप किये गये हैं प्रकाशित की, शिमला में हिन्दू-मुसलिम एकता कान्फ्रेन्स, और वाइसराय का भाषण. श्री० हरविलास शारदा द्वारा विवाह बिल पेश होना, ओडीसा में भयङ्कर बाढ़े, ब्रिटिश पार्लीमेंट द्वारा भारत के लिये स्टेचुटरी कमीशन की नियुक्ति (सर जान सायमन अध्यक्ष) लार्ड बर्किनहेड (भारत मन्त्री) का भारत के लिये अपमानयुक्त भाषण, कमीशन का वायकाट देश को सुझाया गया, खड़गपुर के कर्मचारियों की हड़ताल राष्ट्रीय कांग्रेस मद्रास। डा० अन्सारी अध्यक्ष। कांग्रेस का ध्येय बदल कर पूर्ण स्वातन्त्र्य रक्खा गया। मि० रलियाराम की अध्यक्षता में १४ वीं अखिल भारतीय कांफ्रेंस इलाहाबाद। बैकबे, बम्बई की फजूल खर्ची सम्बन्धी श्री० नरीमैन पर मि० हार्वीके मुकदमे की बहस दिसम्बर ३० तक। १९ वां अधिवेशन आल इण्डिया मुसलिम लीग कलकत्ता श्री० मुहम्मद याकूब अध्यक्ष। लिबरल फिडरेशन (कलकत्ता) सर तेजबहादुर सप्रू अध्यक्ष। रिपबलिकन कांग्रेस मद्रास अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू। लाहौर में सर मुहम्मद शफी की अध्यक्षता में प्रतिद्वंद्वी मुसलिम लीग की बैठक हुई। हकीम अजमलखाँ की मृत्यु।

१९२८ बम्बई में मिल मजदूरों की विराट हडताल, लार्ड सिंह की मृत्यु, मिस मिलर की शुद्धि और महाराजा इन्दौर के साथ ब्याह, एसेम्बली ने सायमन कमीशन वायकाट पास हुआ, पटियाला में ३५ देशी नरशों की सभा हुई, देशी राज्यों सम्बन्धी सर लेसली स्काट की स्कीम प्रकाशित हुई, सर एलेक्जैण्डर मुडीमैन की मृत्यु, बारडोली सत्याग्रह तथा जांच कमेटी की नियुक्ति, लिलूआ में हडताल, सीलोन सुधार रिपोर्ट प्रकाशित हुई, नेहरू कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित, पब्लिक सेफटी बिल कमेटी को सोंपा गया, लाहौर में रामलीला के जुलूस में बम फेका गया, एस. आर. दास की मृत्यु, लाहौर में सायमन कमीशन के आगमन पर जुलूस की पुलिस द्वारा मारपीट, ला० लाजपतराय की चोट के कारण मृत्यु, सांडर पुलिस अफसर लाहौर में मारा गया। दिल्ली में सायमन कमीशन

के कारण हडताल; शारदा केनाल का उद्घाटन हुआ, सम्राट पंचमजार्ज बहुत बीमार हुये और अच्छे हुये, ऐसेम्बली का दफ्तर अलग हुआ, श्री० राजेन्द्रनाथ लहरी को गोंडा में फांसी लगी, झरिया में आल इण्डिया कांग्रेस हुई, कलकत्ते में कांग्रेस तथा अन्य कान्फ्रेंसें सर्वदल सम्मेलन की बैठक, ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस ने ३१ दिसम्बर १९२९ तक का समय "डोमीनियन स्टेटस" देने के लिये दिया गया, स्वराज्य का सन्शोधित प्रस्ताव पास हुआ।



डायरी सन् १९३०

१ अप्रैल १९३० मङ्गलवार चैत्र शु० २, १९८७

२ अप्रैल १९३० बुधवार चैत्र शु० ३, १९८७

३ अप्रैल १९३० गुरुवार चैत्र शु० ४, १९८७

४ अप्रैल १९३० शुक्रवार चैत्र शु० ५, १९८७

समय।

आर्यमतानुसार समय के विभाग

प्राचीन आर्यमतानुसार समय अथवा काल अनादि और अनन्त है। उसका अनाद्यनन्तत्व निम्न लिखित विवेचन से स्पष्ट होगा।

मनु तथा मनवन्तर।

जगत का नियन्ता ब्रह्मदेव माना जाता है। मानवी काल गणनानुसार जब ४ अब्ज ३२ हजार वर्ष व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मदेव का एक दिवस होता है। जब इस प्रकार के दिवसों के १०० वर्ष व्यतीत होते हैं तब वह ब्रह्मदेव और उसकी सृष्टि लय को प्राप्त होती है। जग की उत्पत्ति होकर ब्रह्मदेव के ५० वर्ष हो चुके हैं। इस हिसाब से यह जगत कब उत्पन्न हुआ इसका पता चल सकता है। ब्रह्मदेव के एक दिवस के अन्तर्गत १४ मनवन्तर होते हैं उनमें से स्वयंभु, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत व चाक्षुष समाप्त होकर वैवस्वत मनवन्तर चालू है। इस के अनन्तर सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि, और इन्द्रसावर्णि ऐसे ७ मनवंतर होने वाले हैं।

युग।

प्रत्येक मनु ७१ महायुग तक रहता है। एक महायुग ४३,२०,००० वर्ष चलता है। अब तक २७ महायुग हुये और २८ वाँ चल रहा है। इस महायुग में से कृतयुग (सतयुग) १७,२८,००० वर्ष, त्रेतायुग १२,९६,००० वर्ष द्वापर युग ८,६४,००० वर्ष ऐसे तीन युग समाप्त होचुके हैं और चतुर्थ युग अर्थात् कलियुग ४,३२,००० वर्ष चल रहा है जिसमें ५०२९ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।

युगों की उत्पत्ति।

सतयुग की उत्पत्ति—कार्तिक शुक्ल ९, प्रथम प्रहर, चन्द्र श्रवण नक्षत्र, वृद्धि योग में हुई। इस युग में सूर्यग्रहण १६०० और चन्द्रग्रहण १०,००० हुये। मनुष्य आयुर्बल १ लाख वर्ष थी। उँचाई २१ हाथ। द्रव्य रत्न और पात्र सुवर्ण था। प्राण ब्रह्मांडमय। तीर्थ पुष्कर।

त्रेता युग की उत्पत्ति—वैशाख शुक्ल ३, चन्द्र रोहिणी नक्षत्र, शोभन योग, द्वितीय प्रहर, में हुई। इस युग में सूर्यग्रहण १८०० और चन्द्रग्रहण ११००० हुये। प्राण अस्थिमय। मनुष्य आयुर्बल १०००० वर्ष और उँचाई १४ हाथ थी। द्रव्य सुवर्ण और पात्र चांदी था। तीर्थ नैमिषारण्य।

५ अप्रैल १९३० | शनिवार | चैत्र शु० ६, १९८७

६ अप्रैल १९३० | रविवार | चैत्र शु० ८, १९८७

७ अप्रैल १९३० | सोमवार (रामनवमी) | चैत्र शु० ९, १९८७

८ अप्रैल १९३० | मङ्गलवार | चैत्र शु० १०, १९८७

९ अप्रैल १९३० | बुधवार | चैत्र शु० ११, १९८७

द्वापर युग की उत्पत्ति—माघ कृष्ण ३० शुक्रवार, धनिष्ठा नक्षत्र में चन्द्र, वरियसि योग वृष लग्न। सूर्यग्रहण ३६००, और चन्द्रग्रहण २०,००० इस युग में हुये। मनुष्य आयुर्बल १००० वर्ष ७ हाथ उँचाई, और रुधिरगत प्राण चांदी के सिक्कों का प्रयोग और ताम्र के पात्र बनना। तीर्थ कुरुक्षेत्र।

कलियुगकी उत्पत्ति—भाद्रपद कृष्ण १३ रविवार चन्द्र अश्लेषा नक्षत्र व्यतिपात योग अर्ध रात्रौ मिथुन लग्नोदय में हुई। मनुष्यायुर्बल १०० वर्ष उँचाई ३॥ हाथ अन्नमय प्राण द्रव्य कूट और पात्र मिट्टी। अस्थिका व्यवहार तीर्थ गङ्गा।

वर्ष।

वेद कालीन ज्योतिष शास्त्रज्ञों ने कालमान का माप निश्चित कर के समय के छोटे विभाग इस प्रकार किये हैं:—वर्ष, ऋतु, मास, वार।

सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की एक प्रदक्षिणा समाप्त होने में जो काल व्यतीत होता है उसे सौरवर्ष कहते हैं। इसमें ३६५ दिन, ५ घन्टे ४८ मिनट और ४७॥ सेकन्ड होते हैं परन्तु चन्द्र भी पृथ्वी के चारों ओर फिरता है इस में २७ दिन, १२ घण्टे, ४८ मिनट और २८ सेकन्ड लगते हैं इसे चन्द्र का एक मास कहते हैं इस प्रकार १२ फेरें लगाने में जो कालक्षय होता है उसे चान्द्रवर्ष कहते हैं। चान्द्रवर्ष में ३५४ दिन, ९ घंटे, ४८ मिनट और ३३'५५ सेकंड होते हैं।

प्राचीन काल में कुछ समय तक ५ सौर वर्षों को एक लघुयुग और ५ गुरुवर्षों को अर्थात ६० वर्षों को १ युग कहने की प्रथा चलती रही। पंचवार्षिक युग के वर्षों के नाम इस प्रकार थे—सम्वत्सर, परिवत्सर इदावत्सर, अनुवत्सर, इद्वत्सर। ६० सौर मास अथवा ६२ चान्द्रमास का एक युग उसमें सम्वत्सर में ३५५ दिन, परिवत्सर में ३५४ दिन, इदावत्सर में ३८४ दिन, अनुवत्सर में ३५४ दिन और इद्वत्सर में ३८३ दिन समझे जाते थे। इनके प्रीत्यर्थ यज्ञ में आहुति दी जाती थी। किन्तु अब इन युगों के मानने की प्रथा नहीं है। बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर फिरने में १२ वर्ष लगते हैं इस लिये यह वर्ष बार्हसपत्य अथवा गुरुवर्ष कहलाता है। इस प्रकार ५ गुरुवर्षों में ६० साधारण वर्ष अथवा सम्वत्सर होते हैं जिनमें प्रत्येक का एक नाम होता है जो प्रभव से आरम्भ होकर क्षय तक है सम्वत्सरों के ये नाम आज तक प्रचलित हैं।

ऋतु।

ऋतु ६ हैं—वसन्त (चैत्र-वैशाख) ग्रीष्म ज्येष्ठ-आषाढ, वर्षा (श्रावण-भाद्रपद) शरत् (आश्विन-कार्तिक) हेमन्त (मार्गशीर्ष-पौष) शिशिर (माघ-फाल्गुन)। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि ऋतुओं का भेद शीतोष्ण में न्यूनाधिक्य के कारण होता है।

१० अप्रैल १९३०	गुरुवार	चैत्र शु० १२, १९८७

११ अप्रैल १९३०	शुक्रवार	चैत्र शु० १३, १९८७

१२ अप्रैल १९३०	शनिवार	चैत्र शु० १४, १९८७

१३ अप्रैल १९३०	रविवार (हनुमज्जयन्ति)	चैत्र शु० १५, १९८७

१४ अप्रैल १९३०	सोमवार	वैशाख कृ० १, १९८७

पूर्वामनु प्रदिशं पार्थिवानामृतून प्रशासद्विदधावनुष्ठ ॥ ऋ० १—९५–३ ॥ सूर्य ऋतुओं का नियमन कर पृथ्वी की पूर्वादि दिशायें एक के बाद दूसरी निर्माण करता है । तैत्तिरेय संहिता में भी उपरोक्त षड्ऋतुओं के नाम दिये हैं. किसी २ स्थान पर हेमन्त और शिशिर का एकीकरण करके केवल ५ ऋतु माने हैं. "बसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः ते देवा ऋतवः शरद्धेमतः शिशिरस्ते पितरो·········स यत्रोदगा वर्तते. देवेषु तर्हि भवति······यत्र दक्षिणा वर्तते पितृषु तर्हि भवति." (शत–ब्राह्मण २–१.) वसन्तादि पहिले तीन ऋतु देवों के माने जाते हैं और शेष पितरों के. इसी के कारण भीष्म पितामह ने दक्षिणायन में (अर्थात पितृ ऋतुओं के मध्य) प्राण त्यागना उचित न समझा ।

मास ।

चन्द्र की सांवतसरिक गति २७ नक्षत्रों द्वारा होती है उसमें से जो नक्षत्र जिस पौर्णिमा को उदय होता है उसी के अनुसार मास का नाम रक्खा गया है. उदाहारणार्थ, चित्र नक्षत्र युक्त पौर्णिमा वाला मास चैत्र. इसी प्रकार विशाखा, ज्येष्ठा, अषाढ़ा; श्रवण नक्षत्रों युक्त पौर्णिमा ये भिन्न २ मास के नाम हैं । कभी २ इन नक्षत्रों का उदय आगे पीछे भी होता है ।

वार ।

वारों के नाम वेदों में नहीं हैं। वार की जगह वासर शब्द मिलता है । अथर्व ज्योतिष में इस प्रकार श्लोक है:—

आदित्यः सोमो भौमश्च
तथा बुध बृहस्पती ।
भार्गवः शनैश्चरै श्चैव
एते सप्तदिनाधिपाः ॥

याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इस प्रकार श्लोक है ।

सूर्यः सोमो महीपुत्रः
सोमपुत्रो बृहस्पतिः ।
शुक्रः शनैश्चरो राहुः
केतुश्चेते ग्रहाः स्मृताः ॥

इस में नवग्रहों के नाम दिये हैं इससे पता चलता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि के समय में दिनों के नाम प्रचलित हो गये होंगे ।

पंचाङ्ग ।

जिस में तिथि, वार. नक्षत्र योग और करण ये पांच अङ्ग हों उसे पञ्चाङ्ग कहना चाहिये । इसी कारण जिस पुस्तक में वर्ष सम्बन्धी ग्रहों तथा नक्षत्र राशि इत्यादि का ज्ञान रहता है उसे पंचांग कहने का प्रघात पड़ गया है ।

तिथि ।

आमावस्या के रोज सूर्य और चन्द्र एक स्थान में रहते हैं और फिर चन्द्र प्रतिदिन हटता २ दूसरी ओर पौर्णिमा तक जाता है और फिर वापिस आते २ आमावस्या को सूर्य के साथ एक स्थान

१५ अप्रैल १९३० मङ्गलवार वैशाख कृ० २, १९८७

१६ अप्रैल १९३० बुधवार वैशाख कृ० ३, १९८७

१७ अप्रैल १९३० गुरुवार वैशाख कृ० ४, १९८७

१८ अप्रैल १९३० शुक्रवार वैशाख कृ० ५, १९८७

१९ अप्रैल १९३० शनिवार वैशाख कृ० ६, १९८७

में आजाता है। इस गति के ३६० अन्श होते हैं और इन ३६० अन्शों में ३० तिथियां होती हैं अर्थात १ चांद्र मास में ३६० अन्श और ३० तिथियां होती हैं। दूसरे अर्थ से १ तिथि में चन्द्र १२ अन्श सूर्य से हट जाता है। ६३ ९ दिनों में १ तिथि का लोप हो जाता है अर्थात १२ चांद्र मास में ५-६ तिथियों का लोप हो जाता है। दो दिन सूर्योदय पर एक ही तिथि रहने से तिथि वृद्धि और सूर्योदय पर तिथि न रहने पर तिथि क्षय होती है।

वार।

सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक के काल को वार कहते हैं।

नक्षत्र।

नक्षत्र मण्डल के २७ भाग किये गये हैं जिस प्रत्येक भाग में ८०० कलायें होती हैं। इस प्रत्येक भाग के क्रमण करने में चन्द्र को जितना समय लगता है उस काल को नक्षत्र कहते हैं [नोट—ताराओं के कुछ विशिष्ठ समूह को भी नक्षत्र कहते हैं] नक्षत्र २७ हैं वे इस प्रकार हैं—अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृग, अर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती। इन्हीं नक्षत्रों से मिलकर १२ राशियां बनती हैं जो इस प्रकार हैं—मेष, वृषभ, मिथुन कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ, मीन।

योग।

योग—चन्द्र सूर्य के भोगमान को योग (जोड़) करके उस पर से ८०० कलाओं के योग आने में जो काल व्यतीत होता है उसे योग कहते हैं।

करण।

करण तिथि के आधे समय का अन्तर पड़ने के काल को करण कहते हैं।

—— ० ——

ज्योतिष शास्त्र।

ज्योतिष शास्त्र को इस उच्चावस्था तक पहुंचाने का श्रेय आर्यभट्ट (शक ३९८) वराह मिहिर (शक ४२७) ब्रह्मगुप्त (शक ५२०) प्रभृति प्राचीन पण्डितों को है। जयपुर, काशी, उज्जयनी मथुरा, तक्षशीला आदि स्थानों में आकाश में ग्रह तथा नक्षत्रों के वेध देखने के लिये वेध शालायें थीं।

ज्योतिष शास्त्र पर अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं। १८ सिद्धान्त लिखे गये थे ऐसा कहते हैं जिनमें से पाराशर तन्त्र; गर्ग संहिता, ब्रह्मसिद्धान्त, सूर्यसिद्धांत वशिष्ठ सिद्धान्त, रोमक सिद्धान्त, पुलिस्त सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं इन अन्त के पांच सिद्धान्तों पर से वराह मिहिर ने पंचसिद्धान्तका नामक ज्योतिष ग्रन्थ लिखा।

२० अप्रैल १९३०　　रविवार　　वैशाख कृ० ७, १९८७

२१ अप्रैल १९३०　　सोमवार　　वैशाख कृ० ८, १९८७

२२ अप्रैल १९३०　　मङ्गलवार　　वैशाख कृ० ९, १९८७

२३ अप्रैल १९३०　　बुधवार　　वैशाख कृ० १०, १९८७

२४ अप्रैल १९३०　　गुरुवार　　वैशाख कृ० ११, १९८७

प्रचलित सन् ।

भारत में अनेक सन् जारी हैं उनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है—

सप्तर्षि काल ।

काल गणना की यह पद्धति काशमीर तथा उसके निकटवर्ती प्रान्तों में चालू है। इसे "लौकिक काल" अथवा "शास्त्र काल" भी कहते हैं। ध्रुव नक्षत्र के चारों ओर १०० वर्ष में सप्तर्षि एक नक्षत्र आक्रमण करते हैं। इस प्रकार २७०० वर्ष में प्रदक्षिणा पूर्ण होती है। इसी सिद्धान्त पर यह काल गणना निर्धारित है। प्रत्येक सौ वर्ष के अनन्तर वर्षों के पहिले नाम का आरम्भ हो जाता है।

विक्रम सम्वत ।

उत्तरी हिन्दुस्थान में (बङ्गाल को छोड़कर) यह सम्वत् प्रचलित है। ईस्वी सन् के ५६ वर्ष पहिले इस सम्वत् का प्रारम्भ माना जाता है परन्तु उसके ६०० वर्ष पीछे तक भी इस सम्वत् का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिलता ऐसा विद्वानों का मत है। ऐसा भी कहते हैं कि लगभग ६०० ईस्वी में उज्जैन के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य ने परदेशी आक्रमण करने वालों को परास्त किया इस कारण उक्त विक्रमादित्य के नाम से यह सम्वत्सर जारी हुआ। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि यह सम्वत् ईस्वी सन् के ५६ वर्ष पूर्व से मालव कुलोत्पन्न लोगों में जारी था और विक्रमादित्य के काल में मालव जाति की उन्नति हुई इस कारण उसका नाम इस सम्वत् से सम्बन्धित कर दिया गया।

शालिवाहन शक ।

शालिवाहन नामक एक कुम्हार के पुत्र ने मिट्टी की सेना तैयार करके उसमें जीव भर दिया और इस मिट्टी की सेना से शक जाति को परास्त किया। स्पष्ट अर्थ यही है कि मृत्तिकावत निर्जीव प्रजा को उत्तेजना देकर शालिवाहन ने युद्ध करने पर तत्पर कर दिया और शक जाति के योद्धाओं को हरा कर नर्मदा के पार उत्तर की ओर भगा दिया। इसी विजय के उपलक्ष में शालिवाहन नृप शक आरम्भ किया गया। मलवार व तिन्नेवल्ली प्रदेश छोड़कर यह शक सारे दक्षिण भारत में प्रचलित है। इसका वर्ष चांद्र व सौर है। भारत के उत्तरी प्रदेशों में से अनेक प्रदेशों में अन्य स्थानिक सम्वत्सरों के साथ शक सन् का भी उपयोग किया जाता है। नर्मदा के उत्तर में इसके महीने पौर्णिमान्त हैं और दक्षिण भाग में अमान्त हैं। इसका आरम्भ ईस्वी सन् के ७८ वें वर्ष में हुआ। कतिपय इतिहासकारों का कहना है कि ईस्वी सन् की पहिली शताब्दी में शक राजा कनिष्क के नाम से यह शक आरम्भ हुआ अर्थात् बौद्ध धर्मीय राजा के नाम का यह शक है। इस राजा ने काश्मीर और पश्चिमी भारत पर अपनी सत्ता

२५ अप्रैल १९३० शुक्रवार वैशाख कृ० १२, १९८७

२६ अप्रैल १९३० शनिवार वैशाख कृ० १३, १९८७

२७ अप्रैल १९३० रविवार वैशाख कृ० १४, १९८७

२८ अप्रैल १९३० सोमवार वैशाख कृ० ३०, १९८७

२९ अप्रैल १९३० मङ्गलवार वैशाख शु० १, १९८७

जमाई इस कारण यह शक प्रचलित हुआ। तिब्बत, ब्रह्मदेश, जावा, सिंहल द्वीप इत्यादि प्रदेशों में यह शक प्रचलित था। प्राचीन लेखों में "शक नृपकाल" "शकेन्द्र काल" ऐसा वर्णन है। बङ्गाल के पंचांगों में "शकनरपतेः अतिताब्द" वर्णन रहता है।

हिजरी सन।

यह सन् अरब स्थान का है। मुसलमानी धर्म के स्थापक श्री मुहम्मद पैगम्बर को धर्म सम्बन्धी सुधारणायें करने के प्रयत्नों के कारण अपने प्राण रक्षा करने के निमित्त मक्का से मदीना भागना पड़ा। वह समय हिजरी अथवा पलायन काल नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका प्रारम्भ ई० स० ६२२ में ता० १५ जुलाई को हुआ शक शालिवाहन ५४४ (सम्वत् ५६६ वि०) श्रावण शुद्ध २ गुरुवार रात्रि काल अथवा मुसलमानी शुक्रवार की रात्रि को आरम्भ हुआ। बारा चांद्र मास मिलकर ३५४-५५ दिनों का हिजरी वर्ष होता है। वार का आरम्भ सूर्यास्त से होता है। यह सन् मुसलमानी शासन काल में भारत में आया।

बङ्गाली सन।

बङ्गाली सन् बङ्गाल में प्रचलित है। इसका आरम्भ ईस्वी सन् के ५९३ वर्ष बाद हुआ। वर्ष का आरम्भ मेष संक्रान्ति से (चैत्र-वैशाख) होता है। इस प्रारम्भिक मास को वैशाख कहते हैं।

विलायती सन व अमली सन।

उड़िया प्रान्त के राजा इन्द्रद्युम्न की जन्म तिथि भाद्र पद शुक्ल १२ से अमली वर्ष आरम्भ होता है। वर्ष चांद्र और सौर है।

विलायती सन बङ्गाल के कुछ भागों में और विशेषतः उड़ीसा प्रान्त में प्रचलित है। इसका वर्ष सौर है किन्तु मासों के नाम चांद्र हैं। वर्षारम्भ कन्या राशि की संक्रान्ति से (भाद्र पद से) आरम्भ होता है।

ये दोनों सन् ईस्वी सन् के पश्चात ५९२ से आरम्भ हुये हैं।

फसली सन।

अकबर ने यह सन् आरम्भ किया। अकबर का राज्यारोहण ई० स० १५५६ में हुआ उसी समय से फसली सन का प्रारम्भ है। वर्षारम्भ आश्विन कृष्ण १ से होता है। ई० सन् से फसली सन् ५९२-९३ वर्ष कम है। यह सन् फसली के हिसाब से है।

सूर सन।

यह सन् मराठों के शासन काल में प्रचलित रहा। इस सन् को शाहूर सन् भी कहते हैं। कहीं २ अब भी जारी है। ईस्वी सन् से ५९९-६०० वर्ष कम है। महीनों के नाम मुसलमानी हैं।

मगी सन।

यह सन् चिटगाँव (पूर्वी बङ्गाल) की ओर प्रचलित है। बंगाली सन् से ४५ वर्ष कम है। अन्यथा दोनों एक से हैं।

३० अप्रैल १९३०	बुधवार	वैशाख शु० २, १९८७

१ मई १९३०	गुरुवार (अक्षय्य ३)	वैशाख शु० ३, १९८७

२ मई १९३०	शुक्रवार	वैशाख शु० ४, १९८७

३ मई १९३०	शनिवार	वैशाख शु० ५, १९८७

४ मई १९३०	रविवार	वैशाख शु० ६, १९८७

कोल्लम अथवा परशुराम काल ।

यह सन् केरल देश अर्थात् मलावार में जारी है। मङ्गलौर से राजकुमारी तक कोल्लम काल कहते हैं। मासों के नाम राशियों के अनुसार हैं जैसे कन्नी व चिंगम नाम कन्या व सिंह राशियों के अपभ्रंश हैं। मलावार के उत्तर भाग में कन्या राशि में सूर्य आते ही (अर्थात भाद्रपद में) वर्षारम्भ होता है। अन्य स्थानों में सिंह राशि में सूर्य आते ही (श्रावण में) वर्ष आरम्भ होता है। १००० वर्ष का एक चक्र इस प्रकार चौथा चक्र चालू है ऐसा वहां के लोग कहते है। ईस्वी सन् से ८२४–२५ वर्ष यह सन् कम है। केरल प्रदेश परशुराम ने समुद्र से मुक्त किया इस कारण यह काल उनके नाम से जारी हुआ ऐसी वदन्ता है।

राज शक ।

श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने ज्येष्ठ शुक्ल १३ आनन्द नाम संवत्सर शके १५९६ को आरम्भ किया। यह वर्ष इसी तिथि से बदलता है। ई० सन् से यह वर्ष १६७३-७४ वर्ष कम है।

ईस्वी सन् ।

अंग्रेजी राजसत्ता भारत में स्थापन होने के साथ ही यह सन् भारत में जारी हुआ। सुप्रसिद्ध धर्म संस्थापक येशूख्रिस्त की जन्म तिथि से यह सन् आरम्भ हुआ। पहिली जनवरी से आरम्भ होता है। प्रत्येक मास के दिन निश्चित हैं और यह वर्ष सौर वर्ष होने के कारण ४ वर्ष में फरवरी मास में १ दिन जोड दिया जाता हैं। किन्तु १०० वर्ष में १ दिन की अधिकता पड जाती है इस कारण फरवरी मास के २८ ही दिन प्रत्येक १०० वर्ष में रक्खे जाते हैं। तृतीय जार्ज के समय में एक वर्ष में से इकदम ११ दिन कम कर दिये गये और सौर वर्ष से मिलान कर लिया गया।

५ मई १९३० सोमवार वैशाख शु० ७, १९८७

६ मई १९३० मङ्गलवार वैशाख शु० ८, १९८७

७ मई १९३० बुधवार वैशाख शु० ९, १९८७

८ मई १९३० गुरुवार वैशाख शु० ११, १९८७

९ मई १९३० शुक्रवार वैशाख शु० १२, १९८७

जगत के भिन्न २ स्थानों का समय।

ग्रीनविच (इङ्गलैण्ड) १२ बजे मध्यान्ह।

म० पू०=मध्यान्ह पूर्व म० प०=मध्यान्ह पश्चात्।

स्थान	समय	स्थान	समय
एडलेड	९-१४ म० प०	बरनीं	०-३० म० प०
एडिनबर्ग	११-४७ म० प०	बम्बई	४-५१ ,,
आकलैण्ड (न्यूजीलैंड)	१-३९ म० प०	बोस्टन (यू० एस)	७-१६ म० पू०
कलकत्ता	५-५३ ,,	ब्रूसबेन (क्वीन्सलेंड)	१०-१२ म० प०
केप आफ गुडहोप	१-१४ ,,	ब्रुसल्स	०-१७ ,,
		मद्रास	५-२१ ,,
कंस्टेन्टीनोपल (कुस्तुन्तुनिया)	१-५६ ,,	मेड्रिड	११-४५ म० पू०
क्यूबेक	७-१५ म० पू०	मालटा	०-५८ म० प०
ग्लासगो	११-४३ ,,	मेलबोर्न (आस्ट्रिया)	९-४० ,,
जेरुसलम	२-२१ म० प०	मास्को	२-३० ,,
टोरोन्टो	६-४२ म० पू०	रोम (इटली)	०-५० ,,
डब्लिन	११-३५ ,,	रेटरडेम	०-१८ ,,
न्यूफाउंडलैंड S.Jns.	८-२९ ,,	लिसबन	११-२३ म० पू०
न्यूयार्क	७-४ ,,	व्हेन्कोवर	३-३८ ,,
पेरिस	९-९ म० प०	व्हायना	१-५ म० प०
पेकिन	७-४६ ,,	सिडनी	१०-५ ,,
पेनजेन्स	११-३७ म० पू०	स्वेज	२-१० ,,
पर्थ (आस्ट्र०)	७-४३ म० प०	सैनफ्रान्सिसकोपोर्ट	३-५२ म० पू०
पोर्ट मोरेसबी	१०-४ ,,	सेन्टपिटर्सबर्ग	२-१ म० प०
प्रेग	०-५८ ,,	स्टाकहोलम	१-१२ ,,
फ्लारेंन्स	०-४५ म० पू०	हावर्ट (टस्मानिया)	९-४९ ,,
फिलाडेलफिया	६-५९ ,,		
बर्लिन	०-५४ म० प०		

१० मई १९३० शनिवार वैशाख शु० १३, १९८७

११ मई १९३० रविवार वैशाख शु० १४, १९८७
(नृसिंहजयन्ती)

१२ मई १९३० सोमवार वैशाख शु० १५, १९८७

१३ मई १९३० मङ्गलवार ज्येष्ठ कृ० १, १९८७

१४ मई १९३० बुधवार ज्येष्ठ कृ० २, १९८७

जनवरी				सन् १९३० ई०
पौष शु० २ से माघ शु० २ सं० १९८६				
वार	जनवरी १९३०	रजब सावान १३४८	पौष माघ १९८६	विशेष विवरण
बु	१	३०	२	चन्द्र दर्शन
बृ	२	१	२	सावान मु. ८
शु	३	२	३	
श	४	३	४	
र	५	४	५	
चं	६	५	६	
मं	७	६	७	
बु	८	७	८	
बृ	९	८	९	शुक्रास्त पूर्वे २५।१२
शु	१०	९	१०	
श	११	१०	११	पुत्रदा ११ व्रत
र	१२	११	१२	प्रदोष व्रत कूर्म १२
चं	१३	१२	१४	संक्रांति मकर ४५।४४
मं	१४	१३	१५	पुण्यकाल संक्रांति मकर
बु	१५	१४	१	माघ कृष्णपक्ष शब्वरात
बृ	१६	१५	२	
शु	१७	१६	३	
श	१८	१७	४	चतुर्थी व्रत तिलै:
र	१९	१८	५	
चं	२०	१९	६	
मं	२१	२०	७	
बु	२२	२१	८	
बृ	२३	२२	९	
शु	२४	२३	१०	
श	२५	२४	११	षटतिला ११ व्रत
र	२६	२५	१२	
चं	२७	२६	१३	
मं	२८	२७	१४	
बु	२९	२८	३०	मौना ३०
बृ	३०	२९	१	माघ शुक्ल पक्ष प्रा.
शु	३१	३०	२	

फरवरी				सन् १९३० ई०
माघ शु० ३ से फाल्गुन कृ० ३० स. १९८६				
वार	फरवरी १९३०	रमजान १३४८	माघ फाल्गुन १९८६	बिशेष विवरण
श	१	१	३	रमजान रोजा
र	२	२	४	
चं	३	३	५	बसन्त ५
मं	४	४	६	
बु	५	५	७	रथ ७
बृ	६	६	८	भीष्माष्टमी
शु	७	७	९	
श	८	८	१०	
र	९	९	११	जया ११ व्रत
चं	१०	१०	१२	जया ११ व्रत निंवार्क
मं	११	११	१३	प्रदोष व्रत
बु	१२	१२	१४	स. कुं ½ पूर्णिमा व्रत
बृ	१३	१३	१५	पूर्णिमा पुण्यम्
शु	१४	१४	१	फाल्गुन कृष्णपक्ष प्रा.
श	१५	१५	२	
र	१६	१६	३	चतुर्थी व्रतम्
चं	१७	१७	४/५	
मं	१८	१८	६	
बु	१९	१९	७	
बृ	२०	२०	८	श्रीसीता जयन्ती
शु	२१	२१	८	
श	२२	२२	९	
र	२३	२३	१०	
चं	२४	२४	११	व्यतिपातपुण्य विजया
मं	२५	२५	१२	प्रदोष व्रत (११ व्रत
बु	२६	२६	१३	शिव चतुर्दशी व्रत
बृ	२७	२७	१४	
शु	२८	२८	३०	

१५ मई १९३० गुरुवार ज्येष्ठ कृ० ३, १९८७

१६ मई १९३० शुक्रवार ज्येष्ठ कृ० ४, १९८७

१७ मई १९३० शनिवार ज्येष्ठ कृ० ५, १९८७

१८ मई १९३० रविवार ज्येष्ठ कृ० ६, १९८७

१९ मई १९३० सोमवार ज्येष्ठ कृ० ७, १९८७

मार्च सन् १९३० ई०
फाल्गुन शु० १ से चैत्र शु० १ सं० ८६-८७

वार	मार्च १९३०	रम०, सव्वाल १३४८	फाल्गुन चैत्र ८६-८७	विशेष विवरण
श	१	२९	१	फाल्गुन शु० पक्ष
र	२	३०	२	पश्चिमोदयंशुक्रः फुलै, २
चं	३	१	३	ईद, सव्वाल
मं	४	२	४	
बु	५	३	५	
बृ	६	४	६	
शु	७	५	७	
श	८	६	८	होलाष्टक
र	९	७	९	
चं	१०	८	१०	
मं	११	९	११	आमला ११ व्रत
बु	१२	१०	१२/१३	प्रदोष व्रत
बृ	१३	११	१४	
शु	१४	१२	१५	सं मीन $\frac{1}{3}$ होलि. दीपन
श	१५	१३	१	चैत्र कृष्णपक्षः धुलेंडी
र	१६	१४	२	
चं	१७	१५	३	
मं	१८	१६	४	चतुर्थी व्रत
बु	१९	१७	५	
बृ	२०	१८	६	
शु	२१	१९	७	शीतला पूजा
श	२२	२०	८	
र	२३	२१	९	
चं	२४	२२	१०	
मं	२५	२३	११	
बु	२६	२४	१२	पापमोचिनी ११ व्रत
बृ	२७	२५	१२	प्रदोष व्रत
शु	२८	२६	१३	वारुणी पर्व
श	२९	२७	१४	
र	३०	२८	३०	
चं	३१	२९	१	सवत १९८७

अप्रैल सन् १९३० ई०
चैत्र शु० २ से वैशाख शु० २ सं० १९८७

वार	अप्रैल १९३०	जिल्काद १३४८	चैत्र वैशाख १९८७	विशेष विवरण
मं	१	१	२	मत्स्यजयंती जिल्काद
बु	२	२	३	गौरी पूजन
बृ	३	३	४/५	
शु	४	४	६	
श	५	५	७	
र	६	६	८	भवान्युत्पत्ति
चं	७	७	९	श्रीराम जयन्ती
मं	८	८	१०	
बु	९	९	११	कामदा ११ व्रत
बृ	१०	१०	१२	प्रदोष व्रत
शु	११	११	१३	
श	१२	१२	१४	
र	१३	१३	१५	स मेष $\frac{2}{4}$ हनुमज्जयन्ती
चं	१४	१४	१	वैशाख कृष्णपक्ष प्रा.
मं	१५	१५	२	
बु	१६	१६	३	चतुर्थी व्रतम्
बृ	१७	१७	४	
शु	१८	१८	५	
श	१९	१९	६	
र	२०	२०	७	
चं	२१	२१	८	
मं	२२	२२	९	
बु	२३	२३	१०	
बृ	२४	२४	११	वरूथिनी ११ व्रत
शु	२५	२५	१२	
श	२६	२६	१३	प्रदोष व्रत
र	२७	२७	१४	
चं	२८	२८	३०	सोमवती अमावस्या
मं	२९	२९	१	वैशाख शु० पक्ष प्रा.
बु	३०	३०	२	

२० मई १९३० मङ्गलवार ज्येष्ठ कृ० ७, १९८७

२१ मई १९३० बुधवार ज्येष्ठ कृ० ८, १९८७

२२ मई १९३० गुरुवार ज्येष्ठ कृ० ९, १९८७

२३ मई १९३० शुक्रवार ज्येष्ठ कृ० १०, १९८७

२४ मई १९३० शनिवार ज्येष्ठ कृ० ११, १९८७

मई सन १९३० ई०

वैशाख शु० ३ से ज्येष्ठ शु० ४ सं० १९८७

वार	मई १९३०	जिल्हेज मुहर्रम १३४८-४९	वैशाख ज्येष्ठ १९८७	विशेष विवरण
बु	१	१	३	अक्षय ३ परशुरामज.
शु	२	२	४	(जिल्हेज
श	३	३	५	
र	४	४	६	
चं	५	५	७	
मं.	६	६	८	
बु	७	७	९ १०	
बृ	८	८	११	मोहिनी ११ बृत स्मार्त
शु	९	९	१२	मोहिनी ११ बृ.भा.निहज
श	१०	१०	१३	बकरीद प्रदोष बृत
र	११	११	१४	नृसिंह १४
चं	१२	१२	१५	
मं.	१३	१३	१	ज्येष्ट कृष्णपक्ष प्रा.
बु	१४	१४	२	सं. बृष २०।७
बृ	१५	१५	३	
शु	१६	१६	४	चतुर्थी बृत
श	१७	१७	५	
र	१८	१८	६	
चं	१९	१९	७	
मं.	२०	२०	७	
बु	२१	२१	८	
बृ	२२	२२	९	
शु	२३	२३	१०	
श	२४	२४	११	अपरा ११ बृत सर्वे
र	२५	२५	१२	प्रदोष बृत
चं	२६	२६	१३	
मं.	२७	२७	१४	
बु	२८	२८	३०	वट पूजन
बृ	२९	२९	१	ज्येष्ट शु० पक्ष प्रा.
शु	३०	१	२ ३	मुहर्रम हिजरी
श	३१	२	४	(सन् १३४९

जून सन १९३० ई०

ज्येष्ठ शु० ५ से अषाढ़ शु० ४ सं० १९८७

वार	जून १९३०	मुहर्रम सफर १३४९	ज्येष्ठ आषाढ़ १९८७	विशेष विवरण
र	१	३	५	
चं.	२	४	६	
मं.	३	५	७	
बु	४	६	८	
बृ	५	७	९	
शु	६	८	१०	गङ्गा दशहरा
श	७	९	११	निर्जला ११ बृत गुरु अ.
र	८	१०	१२	ताजिया प्रदोष बृत वट
चं	९	११	१३	(सावित्री बृतारंभ
मं.	१०	१२	१४	
बु	११	१३	१५	
बृ	१२	१४	१	आषाढ कृष्ण पक्षः प्रा.
शु	१३	१५	२	
श	१४	१६	३	सं. मिथुन ४५।५३
र	१५	१७	४	(चतुर्थी बृत
चं	१६	१८	५	
मं.	१७	१९	६	
बु	१८	२०	७	
बृ	१९	२१	८	
शु	२०	२२	९	
श	२१	२३	१०	
र	२२	२४	११	योगिनी ११ बृत
चं	२३	२५	१२	
मं	२४	२६	१३	प्रदोष बृत
बु	२५	२७	१४	
बृ	२६	२८	३०	
शु	२७	२९	१	आषाढ शु० पक्ष
श	२८	१	२	जगदीश रथोत्सव
र	२९	२	३	(सफर
चं	३०	३	४	

२५ मई १९३० रविवार ज्येष्ठ कृ० १२, १९८७

२६ मई १९३० सोमवार ज्येष्ठ कृ० १३, १९८७

२७ मई १९३० मङ्गलवार ज्येष्ठ कृ० १४, १९८७

२८ मई १९३० बुधवार ज्येष्ठ कृ० ३०, १९८७

२९ मई १९३० गुरुवार ज्येष्ठ शु० १, १९८७

जुलाई सन १९३० ई०

आषाढ़ शु० ५ से श्रावण शु० ६ स० १९८७

वार	जुलाई १९३०	सफर रबिउल. १३४९	आषाढ़ श्रावण १९८७	विशेष विवरण
मं.	१	४	५/६	
बु	२	५	७	
बृ	३	६	८	
शु	४	७	९	भडली ९
श	५	८	१०	
र	६	९	११	देवशयनी ११ व्रत
चं.	७	१०	१२	हरिवासरी नास्ति
मं.	८	११	१३	उदय गुरु ३२।३३ ×
बु	९	१२	१४	× (प्रदोष व्रत
बृ	१०	१३	१५	व्यासपूजा पवन परीक्षा
शु	११	१४	१	श्रावण कृष्णपक्ष प्रा.
श	१२	१५	२	
र	१३	१६	३	
चं.	१४	१७	३	चतुर्थी व्रत
मं.	१५	१८	४	
बु	१६	१९	५	स. कर्क २४।१० ❀
बृ	१७	२०	६	❀ (नाग पंचमी मरुस्थले
शु	१८	२१	७	
श	१९	२२	८	
र	२०	२३	९	
चं.	२१	२४	१०	
मं.	२२	२५	११	कामिका ११ व्रत
बु	२३	२६	१२	प्रदोष व्रत
बृ	२४	२७	१३/१४	
शु	२५	२८	३०	हरियाली ३०
श	२६	२९	१	श्रावण शु० पक्ष प्रा.
र	२७	३०	२	
चं.	२८	१	३	तीज का मेला रवि +
मं.	२९	२	४	× (वलावल
बु	३०	३	५	नाग पचमी
बृ	३१	४	६	

अगस्त सन १९३० ई०

श्रावण शु० ७ से भाद्रपद शु० ८ स० १९८७

वार	अगस्त १९३०	रबि रबिउलाखर १३४९	श्रावण भाद्रपद १९८७	विशेष विवरण
शु	१	५	७	
श	२	६	८	
र	३	७	९	
चं.	४	८	१०	
मं.	५	९	११	पुत्रदा ११ व्रत
बु	६	१०	१२	प्रदोष व्रत
बृ	७	११	१३	
शु	८	१२	१४	
श	९	१३	१५	श्रावणी ऋग्यजु, रक्षाब.
र	१०	१४	१	भाद्रपद कृष्णपक्षः प्रा.
चं.	११	१५	२	
मं.	१२	१६	३	
बु	१३	१७	४	चतुर्थी व्रत
बृ	१४	१८	५	
शु	१५	१९	६	
श	१६	२०	७	सं सिंह ५।१६
र	१७	२१	८	जन्माष्टमी व्रत स्मार्त
चं	१८	२२	९	जन्माष्टमी व्रत रामानु.
मं	१९	२३	१०	
बु	२०	२४	११	अजा ११ व्रत
बृ	२१	२५	१२	प्रदोष व्रत गोवत्सपू.
शु	२२	२६	१३	
श	२३	२७	१४	कुशाग्रहणी ३०
र	२४	२८	३०	सती पूजन
चं.	२५	२९	१/२	(❀ रबिउलाखर
मं.	२६	१	३	हरितालिका वाराद्ज.❀
बु	२७	२	४	गणेश चतुर्थी
बृ	२८	३	५	ऋषि पूजन
शु	२९	४	६	
श	३०	५	७	
र	३१	६	८	

३० मई १९३० शुक्रवार ज्येष्ठ शु० २, १९८७

३१ मई १९३० शनिवार ज्येष्ठ शु० ४, १९८७

१ जून १९३० रविवार ज्येष्ठ शु० ५, १९८७

२ जून १९३० सोमवार ज्येष्ठ शु० ६, १९८७

३ जून १९३० मङ्गलवार ज्येष्ठ शु० ७, १९८७

सितम्बर सन् १९३० ई०
भाद्रपद शु० ९ से आश्विन शु० ८ सं० १९८७

वार	सितम्बर १९३०	रवि० जमादि० १३४९	भाद्रपद आश्विन ८७	विशेष विवरण
चं	१	७	९	
मं	२	८	१०	
बु	३	९	११	पद्मा ११ व्रत
बृ	४	१०	१२	बामन जयन्ती
शु	५	११	१३	प्रदोष व्रत
श	६	१२	१४	अनन्त १४
र	७	१३	१५	महालय श्राद्धारम्भ
चं	८	१४	१५	
मं	९	१५	१	आश्विन कृष्णपक्ष प्रा.
बु	१०	१६	२	(सन् १३३८ फसली
बृ	११	१७	३	चतुर्थी व्रत
शु	१२	१८	४	
श	१३	१९	५	
र	१४	२०	६	
चं	१५	२१	७	
मं	१६	२२	८	सं. कन्या ५२।४७
बु	१७	२३	९ १०	
बृ	१८	२४	११	इन्दिरा ११ व्रत
शु	१९	२५	१२	
श	२०	२६	१३	प्रदोष व्रत
र	२१	२७	१४	
चं	२२	२८	३०	सोमवती अमावास्या
मं	२३	२९	१	आश्विन शुक्ला नवरा.
बु	२४	१	२	जमादि उलावल
बृ	२५	२	३	
शु	२६	३	४	
श	२७	४	५	
र	२८	५	६	
चं	२९	६	७	
मं	३०	७	८	महाष्टमी व्रत

अक्टूबर सन् १९३० ई०
आश्विन शु० ९ से कार्तिक शु० ९ सं. १९८७

वार	अक्टूबर १९३०	जमा'दि.जमा. १३४९	आश्विन कार्तिक १९८७	विशेष विवरण
बु	१	८	९	
बृ	२	९	१०	विजया दशमी
शु	३	१०	११	पापांकुशा ११ व्रत
श	४	११	१२	
र	५	१२	१३	
चं	६	१३	१४	
मं	७	१४	१५	कोजागर व्रत
बु	८	१५	१	कार्तिक कृष्णपक्ष प्रा.
बृ	९	१६	२	
शु	१०	१७	३	
श	११	१८	४	चतुर्थी व्रत
र	१२	१९	५	
चं	१३	२०	६	
मं	१४	२१	७	
बु	१५	२२	८	
बृ	१६	२३	९	
शु	१७	२४	१०	सं. तुला १'।३८
श	१८	२५	११	रमा ११ व्रत
र	१९	२६	१२	धन पूजन प्रदोष व्रत
चं	२०	२७	१३ १४	रूप चतुर्दशी
मं	२१	२८	३०	महालक्ष्मी पूजा दिवाली
बु	२२	२९	१	कार्तिक शु. प्रा. अन्नकूट
बृ	२३	३०	२	यम २
शु	२४	१	३	जमादिउलाखर
श	२५	२	४	
र	२६	३	५	
चं	२७	४	६	
मं	२८	५	७	
बु	२९	६	८	गोपाष्टमी
बृ	५०	७	९	अक्षय ९
शु	३१	८	९	

४ जून १९३० बुधवार ज्येष्ठ शु० ८, १९८७

५ जून १९३० गुरुवार ज्येष्ठ शु० ९, १९८७

६ जून १९३० शुक्रवार ज्येष्ठ शु० १०, १९८७

७ जून १९३० शनिवार (निर्जला ११) ज्येष्ठ शु० ११, १९८७

८ जून १९३० रविवार ज्येष्ठ शु० १२, १९८७

नवम्बर　　　　सन् १९३० ई०

कार्तिक शु० १० से मार्गशीर्ष शु० १० सं० ८७

वार	नवम्बर १९३०	जमादि. रजब १३४९	कार्तिक अगहन १९८७	विशेष विवरण
श	१	९	१०	
र	२	१०	११	देव प्रबोधिनी ११ व्रत
चं	३	११	१२	प्रदोप व्रत
मं	४	१२	१३	
बु	५	१३	१४	
बृ	६	१४	१५	
शु	७	१५	१	मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष प्रा.
श	८	१६	२	
र	९	१७	३	चतुर्थी व्रत
चं	१०	१८	४	
मं	११	१९	५	
बु	१२	२०	६	
बृ	१३	२१	८	
शु	१४	२२	९	
श	१५	२३	१०	
र	१६	२४	११	सं' वृश्चिक १११९ ❀
चं	१७	२५	१२	❀ उत्पत्ति ११ व्रत
मं	१८	२६	१३	
बु	१९	२७	१४	
बृ	२०	२८	३०	
शु	२१	२९	१	मार्गशीर्ष शु० पक्ष प्रा.
श	२२	१	२	रज्जब
र	२३	२	३	शुक्रास्त ८।३०
चं	२४	३	४	
मं	२५	४	५	
बु	२६	५	६	
बृ	२७	६	७	
शु	२८	७	८	
श	२९	८	९	
र	३०	९	१०	

दिसम्बर　　　　सन् १९३० ई०

मार्गशीर्ष शु० ११ से पौष शु० ११ सं० १९८७

वार	दिसम्बर १९३०	रजब साबान १३४९	अगहन पौष १९८७	विशेष विवरण
चं	१	१०	११	मोक्षदा ११ व्र शुक्रोदय
मं	२	११	१२	मोक्षदा ११ व्रत निंबार्क
बु	३	१२	१३	प्रदोष व्रत
बृ	४	१३	१४	
शु	५	१४	१५	दत्तजयन्ती
श	६	१५	१	पौष कृष्णपक्ष प्रा.
र	७	१६	२	
चं	८	१७	३	
मं	९	१८	४	चतुर्थी व्रत
बु	१०	१९	५	
बृ	११	२०	६	
शु	१२	२१	७	
श	१३	२२	८	
र	१४	२३	९	
चं	१५	२४	१०	सं. धन ३९।११
मं	१६	२५	११	सफला ११ व्रत
बु	१७	२६	१२ १३	
बृ	१८	२७	१४	
शु	१९	२८	३०	
श	२०	२९	१	पौष शुक्लपक्ष प्रा.
र	२१	३०	१	
चं	२२	१	२	साबान
मं	२३	२	३	
बु	२४	३	४	
बृ	२५	४	५	
शु	२६	५	६	
श	२७	६	७	
र	२८	७	८	
चं	२९	८	९	
मं	३०	९	१०	
बु	३१	१०	११	पुत्रदा ११ व्रत

९ जून १९३० सोमवार ज्येष्ठ शु० १३, १९८७

१० जून १९३० मङ्गलवार ज्येष्ठ शु० १४, १९८७

११ जून १९३० बुधवार ज्येष्ठ शु० १५, १९८७

१२ जून १९३० गुरुवार आषाढ़ कृ० १, १९८७

१३ जून १९३० शुक्रवार आषाढ कृ० २, १९८७

सन् १९२९ का तिथिक्रम।

जनवरी।

१—सर आगा खां के सभापतित्व में मुसलिम पार्टी कान्फ्रेंस हुई।
श्री० के० नाटरजन के सभापतित्व में आल इण्डिया प्रेस कांफ्रेन्स हुई।
कांग्रेस की कार्यवाही समाप्त हुई।

२—नई कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी बनाई गई। ला० रामचन्द्र (सम्पादक बन्देमातरम्) १२४ ए के अनुसार काकोरी दिवस के सम्बन्ध में पकड़े गये।
कलकत्ते में महात्मा गांधी ने चितरञ्जन सेवा सदन का उद्घाटन किया।

३—मैसूर में श्री० पी० जी० काले की अध्यक्षता में १२ वीं इण्डियन इकनामिक कांफ्रेंस हुई।
सायमन कमीशन बायकाट के कारण गुजरात कालेज के विद्यार्थियों पर आक्षेप तथा उनकी हड़ताल।

४—मलिक अमीर आलम नवीन सम्पादक "तरजुमान" की तलाशी।
मांट गोमरी जेल में दङ्गा।

५—कौंसिल प्रेसीडेन्टों की ८ वीं कांफ्रेंस वी० जी० पटेल अध्यक्ष।
श्री० सावरकर की नज़र कैद की मियाद १ साल और बढ़ा दी गई।

६—दौलतराम खन्ना प्रेसीडेन्ट नौजवान भारत सभा जलन्धर "सांडर हत्या कांड" के सिलसिले में पकड़े गये।

७—फारवर्ड पत्र के सम्पादक सत्यरञ्जन बख़शी और पुलिनविहारीधर प्रिंटर को १२४ ए में सजा हुई।

८—पञ्जाब के पेन्शनर सिपाहियों ने लाहौर में सत्याग्रह किया और सरदार अनूपसिंह की रिहाई मांगी।
सायमन कमीशन बायकाट कमेटी कलकत्ते में बनी।

९—२८४ मोपला दङ्गे के कैदी बीमारी के कारण छोड़ दिये गये।
सर नारमन मारजोरी बैंक्स की अध्यक्षता में मलाबार टेनेन्सी कान्फ्रेंस हुई।

१०—लाहौर डी० ए० वी० कालेज के १०० विद्यार्थी सांडर हत्या के सम्बन्ध में पुलिस में बुलाये गये।

११—महात्मा गांधी ने अहमदाबाद राष्ट्रीय विद्यालय के पदवी प्रदान उत्सव में व्याख्यान दिया।
रामलगनसिंह सम्पादक और सूर्यबन्शी सिंह प्रिन्टर "क्षत्रिय संसार"

१४ जून १९३०	शनिवार	आषाढ़ कृ० ३, १९८७
१५ जून १९३०	रविवार	आषाढ़ कृ० ४, १९८७
१६ जून १९३०	सोमवार	आषाढ़ कृ० ५, १९८७
१७ जून १९३०	मङ्गलवार	आषाढ़ कृ० ६, १९८७
१८ जून १९३०	बुधवार	आषाढ़ कृ० ७, १९८७

१२४ ए के अनुसार पकड़े गये। "मनमाड बम्ब केस" आरम्भ हुआ।

१२—कलकत्ते में सायमन कमीशन वायकाट सम्बन्धी जुलूस और काले झण्डे निकले।

१३—महारानी मेरी बीमार हो गईं।

१४—अमानुल्ला खां काबुल के अमीर ने राजपद त्याग दिया और अपने भाई इनायतुल्ला खां को दे दिया।

पं० प्रभुदत्त शास्त्री (काशी) की मृत्यु।

१५—गुजरात कालेज के विद्यार्थियों ने परीक्षाओं का वायकाट किया।

१६—करांची में भयङ्कर अग्निकांड। रुई की २००० गांठे जल गईं।

ए० बी० चिल्लम पिल्ले सम्पादक "देशोपकारी" १२४ ए में पकड़े गये।

१७—दिल्ली में प्राचीन स्थानों पर इटैलियन नेवी लीग के लोग गये।

१८—सी० पी० के मिनिस्टरों ने इस्तीफा दे दिया।

हिल्टन यंग कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। सरदार अनूपसिंह ३०,००० रु० की जमानत पर छोड़े गये।

डोवर में सकलतवाला के कागजात व सामान तलाश किया गया।

१९—बच्चा सक्का काबुल का अमीर बन गया।

२०—कलकत्ता, झांसी तथा अन्य स्थानों में लेनिन दिवस मनाया गया।

पञ्जाब प्रान्तीय तिब्बिया कान्फ्रेन्स के सभापति श्री० सादिक हुसेन चुने गये।

२१—पञ्जाब के पेन्शनर सिपाही गवरनर से मिले और गवरनर ने जांच का वादा किया।

कलकत्ता कांग्रेस प्रदर्शनी बन्द हुई। श्री० बिडला ने ५०००० रु० गीता फण्ड में दिया।

२२—श्री० ज्ञानांजन नियोगी १२४ ए० के अनुसार कलकत्ते में पकड़े गये।

२३—पेशावर में बम्ब के कारण १३ मनुष्य मरे और बहुत से घायल हुये।

दिल्ली का 'क्रांति" पत्र सरकार ने बन्द कर दिया।

२४—ला० लाजपतराय के स्थान पर एसेम्बली में ला० हंसराज चुने गये।

२५—हकीम मुहम्मद जमील खां की अध्यक्षता में तिब्बिया कान्फ्रेन्स दिल्ली में हुई।

२६—पटयाला में अनेक अकाली पकड़े गये।

२७—डा० रवीन्द्रनाथ टागोर की अध्यक्षता में "पार्लीमेंट आफ रिलीजन्स" हुई।

गुजरान वाला में जबरिया तालीम शुरू हुई।

२८—लार्ड आयर्विन ने दिल्ली वायुयान

१९ जून १९३० बुधवार आषाढ़ कृ० ८, १९८७

२० जून १९३० शुक्रवार आषाढ़ कृ० ९, १९८७

२१ जून १९३० शनिवार आषाढ़ कृ० १०, १९८७

२२ जून १९३० रविवार आषाढ़ कृ० ११, १९८७

२३ जून १९३० सोमवार आषाढ़ कृ० १२, १९८७

क्लब का उद्घाटन किया।

२९—एसेम्बली बाल विवाह निषेधक बिल (शारदा बिल) मुलतवी किया।

रंगून में सायमन कमीशन बायकाट के अवसर पर काले झण्डे का जुलूस निकला।

३०—सीनेमा सम्बन्धी रिज़ोल्यूशन के खिलाफ मि० पटेल ने कास्टिंग वोट दिया।

३१—श्री० सतीन्द्रनाथ सेन पटुआखाली सत्याग्रह के वीर १०७ धारा के अनुसार पकड़े गये।

फरवरी।

१—सिंध में पाला पड़ा। अनेक मौतें, फसलों को हानि।

२—महात्मा गांधी ने "ला० लाजपतराय फण्ड" के लिये सिंध में दौरा आरम्भ किया।

३—एसेम्बली में "Public Safety Bill" पेश हुआ।

दिल्ली में स्वामी विवेका नन्द की ६७ वीं जन्म तिथि मनाई गई।

४—बम्बई में पठान और मिल वालों में दङ्गा। अनेक मारे गये। और जख्मी हुये।

सर्दार हरी सिंह जो कि षड़यन्त्र केस Conspiracy Case में भाई परमानन्द के साथ १९१४ में पकड़े गये थे छोड़ दिये गये।

५—"Public Safety Bill" पर एसेम्बली में बहस हुई।

पठानों ने अनेक पुलिस वालों को घायल किया।

६—स्वामी चिदानन्द सम्पादक "शुद्धि समाचार" फिर से १५३ ए और २९५ ए के अभियोग में पकड़े गये।

७—Public Safety Bill Select Committee को भेजा गया।

दिल्ली में कलाकौशल प्रदर्शनी का उद्घाटन महाराजा पटियाला ने किया।

फार्वर्ड के सम्पादक को १ महीने की सादी कैद और १००० रु० जुर्माना और प्रिन्टर को १००० रु० जुर्माना हुआ था उसकी अपील खारिज हुई।

८—अहमदाबाद के विद्यार्थियों की विजय। प्रिन्सपल Shirras की आज्ञा खारिज हुई।

सिलेक्ट कमेटी में कोस्टेल रिजर्वेशन बिल पर बहस आरम्भ हुई।

९—वाइसराय ने रेलवे पब्लिसिटी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

बंगाल साहित्य कान्फ्रेंस के सभापति डा० टागोर चुने गये।

मंडाले में सायमन कमीशन का काले झण्डों से बायकाट हुआ।

प्रयाग के माघ मेले में १० लाख यात्री पहुंचे और उसी दिन कुंवर महाराजसिंह ने कृषि प्रदर्शिनी खोली।

२४ जून १९३० मङ्गलवार आषाढ कृ० १३, १९८७

२५ जून १९३० बुधवार आषाढ कृ० १४, १९८७

२६ जून १९३० गुरुवार आषाढ कृ० ३०, १९८७

२७ जून १९३० शुक्रवार आषाढ शु० १, १९८७

२८ जून १९३० शनिवार आषाढ़ शु० २, १९८७

१०—दिल्ली में भयङ्कर अग्नि कांड से जूतों की दुकानें जल गईं।

११—अमृतसर में सी. आई. डी. लोगों ने बहुत से घरों की तलाशियां लीं और अर्जुन सिंह को पकड़ लिया।

१२—कौंसिल आफ स्टेट आरम्भ।

१३—अमीर अहमद जान और उसका भतीजा मारा गया।

१४—नरेन्द्र मण्डल (चेम्बर आफ प्रिन्सेज) में युवराजों की शिक्षा सम्बन्धी प्रश्नों पर बहस। देशी नरेशों ने बटलर कमेटी पर विचार करने के लिये समय मांगा।

श्री० शास्त्री भारत को वापिस आया।

१५—एसेम्बली में लाला लाजपतराय की मृत्यु पर जांच के लिये बहस।

महाराजा अलवर हारे और महाराजा पटियाला नरेन्द्र मण्डल के अध्यक्ष चुने गये।

श्री० फैजुल्ला गगजी की अध्यक्षता में इण्डियन चेम्बर आफ कमर्स कलकत्ता की वार्षिक सभा हुई।

१६—कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कनवोकेशन।

कूचबिहार के महारानी की ६ लाख के जवाहरात की चोरी हुई।

१७—सिलेक्ट कमेटी में पबलिक सेफटी बिल Public Safety Bill पर बहस हुई।

१८—मद्रास में सायमन कमीशन का बायकाट काले झण्डों से हुआ।

दलित जातियों की कान्फ्रेन्स (कलकत्ता) के सभापति श्री० नरसिंह चिन्तामणि केलकर चुने गये।

बम्बई कौंसिल का प्रारम्भ। गवर्नर का भाषण।

सी. पी. (मराठी) पोलिटिकल कान्फ्रेन्स के सभापति पं० जवाहरलाल नेहरू चुने गये।

१९—श्री० पटेल के घर म० गान्धी और लार्ड अर्विन में १ घण्टे तक बात-चीत हुई।

१९२९-३० का रेलवे बजट एसेम्बली में पेश हुआ।

२०—मि० हाजी का कोस्टरिजर्वेशन बिल सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया (वोट पक्ष ५२—विपक्ष ४२)

एसेम्बली में सरकारी प्रस्ताव—सन् १९३२ से बी० एम० रेलवे सरकार लेवेगी।

२१—मद्रास में सायमन कमीशन बायकाट मीटिंग बन्द, १४४ दफा लगाई गई।

टोडरलाल समकर को १२४ ए व १५३ ए धाराओं में एक साल की सख्त सजा हुई।

२२—जनरल नादिरखां बम्बई में अफगानिस्तान जाने के लिये आये।

पं० श्रीनिवास शास्त्री का शानदार स्वागत दिल्ली में हुआ।

२९ जून १९३० रविवार आषाढ शु० ३, १९८७

३० जून १९३० सोमवार आषाढ शु० ५, १९८७

१ जुलाई १९३० मङ्गलवार आषाढ शु० ६, १९८७

२ जुलाई १९३० बुधवार आषाढ शु० ७, १९८७

३ जुलाई १९३० गुरुवार आषाढ शु० ८, १९८७

२३—एसेम्बली में रेलवे बोर्ड के लिये एक नया मेंबर हो ऐसा प्रस्ताव गिर गया (४३-५३ वोट)

कानपुर में यू. पी. संगीत कान्फ्रेंस राय साहब गोपीनाथ मेंहरोतरा की अध्यक्षता में हुई।

२४—गामा पहलवान ने मि० पिटर्सन को हरा दिया।

२५—१२४ ए धारा के अनुसार श्रीयुत ज्ञानशुन नियोगी को १००० रु० जुर्माना और एक महीने की सादी सजा हुई।

जनरल नादिरखां का स्वागत पेशावर में हुआ।

चतुर्थ अखिल भारतीय दलितोद्धार सभा श्री० बी० सी० मण्डल की अध्यक्षता में हुई।

२६—सरकार ने बैंक रेट (सूद) बढ़ाने के सम्बन्ध में एसेम्बली में विचार प्रगट किया।

२७—अमानउल्ला और बच्चा सक्का में लड़ाई शुरू हुई।

एसेम्बली में रेलवे बजट पर बहस हुई।

अ० भा० कायस्थ ३५ वीं कांफ्रेंस के अध्यक्ष श्री० सच्चिदानन्द सिनहा चुने गये।

२८—सिलेक्ट कमेटी में Trade Disputes Bill पर बहस हुई। स्वराजिस्ट उठ गये।

म० गान्धी ने लो० तिलक की मूर्ति का उद्घाटन अहमदाबाद में किया और म्युनिसिपल बिलडिंग पर राष्ट्रीय झण्डा फहराया।

मार्च।

१—मुन्शी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

२—१६ वीं बम्बई प्रोविन्शियल कोआपरेटिव कान्फ्रेंस आचार्य पी. सी. राय की अध्यक्षता में हुई।

३—आल इण्डिया एम्बूलेंस कम्पीटीशन गवालियर में हुये।

४—महात्मा गांधी कलकत्ते में विदेशी वस्त्रों की होली के सम्बन्ध में पकड़े गये और जमानत पर छोड़ दिये गये।

५—महात्मा गांधी कलकत्ते से बर्मा के लिये रवाना हो गये।

६—कौंसिल आफ स्टेट में बजट पर बहस हुई।

महादजी सेंधिया की मूर्ति उद्घाटन समारम्भ लार्ड इर्विन ने किया।

७—एसेम्बली में सरकार पर असन्तोष का प्रस्ताव ६१-४३ वोटों से पास हुआ।

हाउस आफ कामन्स (लन्दन) में महात्मा गांधी के पकड़ने के बारे में प्रश्न पूछे गये।

४ जुलाई १९३० शुक्रवार आषाढ शु० ९, १९८७

५ जुलाई १९३० शनिवार आषाढ शु० १०, १९८७

६ जुलाई १९३० रविवार आषाढ शु० ११, १९८७

७ जुलाई १९३० सोमवार आषाढ शु० १२, १९८७

८ जुलाई १९३० मङ्गलवार आषाढ शु० १३, १९८७

मन्दिर रक्षा कांफ्रेंस के सभापति डा० मुंजे चुने गये ।

८—महात्मा गांधी का शानदार स्वागत रंगून में हुआ वहाँ की म्युनिसिपैलटी ने मान पत्र दिया ।
मुसलिपट्टम में श्री० बुलुसु सांबमूर्ति को एक साल की सादी कैद १०८ धारा के अनुसार हुई ।

९—पंजाब पोलिटिकल कांफ्रेंस डा० सत्यपाल की अध्यक्षता में हुई और पं० जवाहर लाल ने राष्ट्रीय झण्डा फहराया ।

१०—पं० मोतीलाल नेहरू ने सरकार को डोमीनियन स्टेटस देने के लिये अन्तिम बार कहा नहीं तो असहयोग किया जावेगा ।
स्वराज्य का जुलूस हिंदुस्तान के बड़े शहरों में निकाला गया ।

११—मदुरा में विदेशी वस्त्र की होली करने के अपराध में दो कांग्रेस वर्कर्स पकड़े गये ।

१२—प० मोतीलाल का असन्तोष प्रदर्शक प्रस्ताव एसेम्बली में ६२-५३ वोटों से पास हुआ ।

१३—आल इण्डिया केन्टोनमेंट कान्फ्रेस के सभापति सरदार साहेब देवसिंह चुने गये ।
२३ वीं डाक्टरों की कांफ्रेंस के सभापति मलिक फीरोज़खाँ नून चुने गये ।

१४—नागपुर में सायमन कमीशन का बायकाट धूमधाम से हुआ ।
हारटोग कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई ।
हाउस आफ कामन्स (लन्दन) में लालाजी की मौत पर प्रश्न पूछे गये ।
श्री० सतीन्द्रनाथ सेन और इनके ३ साथी ११० धारा के अनुसार पकड़े गये ।
मालवीय जी की अध्यक्षता में दिल्ली में हिन्दू सम्मेलन हुआ ।

१५—एसेम्बली ने (६१-४४ वोटों से) फौजी खाते का पूरा बजट फौजी नीति के कारण नामन्जूर कर दिया ।

१६—पं० मोतीलाल नेहरू और पं० मालवीय जी ने विदेशी कपड़ों की होली दिल्ली में लगाई ।
२३ वीं यू. पी. पोलिटिकल कांफ्रेंस के गणेश शङ्कर विद्यार्थी सभापति चुने गये ।

१७—भारत में हर जगह विदेशी कपड़ों की होली हुई और सभायें हुईं ।

१८—पूर्वी अफ्रीका की इण्डियन कांग्रेस के लिये पं० हृदयनाथ कंजरू चुने गये ।
पं० मोतीलाल नेहरू ने "खद्दर" बिल एसेम्बली में पेश किया ।
एसेम्बली में प० मोतीलाल ने कलकत्ता कांग्रेस प्रस्ताव समझाया ।

९ जुलाई १९३० बुधवार आषाढ़ शु० १४, १९८७

१० जुलाई १९३० गुरुवार आषाढ़ शु० १५, १९८७

११ जुलाई १९३० शुक्रवार श्रावण कृ० १, १९८७

१२ जुलाई १९३० शनिवार श्रावण कृ० २, १९८७

१३ जुलाई १९३० रविवार श्रावण कृ० ३, १९८७

१९—कोस्टल रिजर्वेसन बिल पर बिचार सिलेक्ट कमेटी में खतम हुआ।

२०—बम्बई में २०,००० मिल मजदूरों ने काम बन्द कर दिया और इनके नेता पकड़े गये।

हिन्दुस्तान में घर तलाशियां और पकड़ धकड़ षडयन्त्र केस सम्बन्ध में हुई।

सिख शिक्षा कांफ्रेंस के सभापति सरदार बहादुर बिशन सिंह चुने गये।

२१—पं० मोतीलाल का असन्तोष प्रदर्शक प्रस्ताव वाइसराय ने नामन्जूर कर दिया।

श्री० लक्ष्मणराव कदम (झांसी) १२१ धारा के अनुसार पकड़े गये।

महात्मा गांधी रंगून से कलकत्ते के लिये रवाना हुये।

२२—मेरठ में षडयन्त्र सम्बन्धी हिंदुस्तान में पकड़े हुये किसान मजदूर पार्टी के नेता आये।

मेरठ में बङ्गाली कैदियों ने अँधेरी कोठरियों में जाने से इनकार किया।

२३—झाबवाला के पकड़े जाने के कारण ४००० आदमियों ने काम बन्द कर दिया।

कलकत्ता हिन्दू सम्मेलन पं० प्रमथ नाथ की अध्यक्षता में हुआ।

यू. पी. लिबरल कान्फ्रेंस की सभा-नेत्री डा० बेसेन्ट चुनी गईं।

श्री० जे. आर. बनर्जी प्रिन्सिपल विद्यासागर कालेज की अध्यक्षता में अखिल बंगीय शिक्षक सभा हुई।

२४—म० गान्धी ने Ethics of Boy-cott of foreign cloth पर कलकत्ते में भाषण दिया।

२५—कलकत्ते में २०० आदमी विदेशी कपड़े की होली करने के अपराध में पकड़े गये।

श्री० के. एन. जोगलेकर बम्बई में पकड़े गये।

२६—म० गान्धी का मुकदमा कलकत्ता कोर्ट में हुआ।

दीवान बहादुर पी. वी. जोशी (बम्बई के संस्कृत विद्वान) की मृत्यु।

२७—म० गान्धी पर कलकत्ता कोर्ट ने एक रुपया दण्ड किया।

भरतपुर के महाराज का स्वर्गवास हुआ।

श्री० कृष्णाजी प्रभाकर सम्पादक "नवाकाल" को १२४ अ धारा के अनुसार १ साल की सादी कैद और २००० रु० जुर्माना हुआ।

कलकत्ते में हिन्दू मुसलिम दंगा हुआ।

२८—फाइनेन्स बिल (अर्थात् बजट) ५०–३९ वोटों से पास हुआ।

बिलोचिस्तान में खिलाफत वालों को आने की मनाई।

आल इण्डिया केन्टूनमेंट कान्फ्रेंस

१४ जुलाई १९३० सोमवार श्रावण कृ० ३, १९८७

१५ जुलाई १९३० मङ्गलवार श्रावण कृ० ५, १९८७

१६ जुलाई १९३० बुधवार श्रावण कृ० ५, १९८७

१७ जुलाई १९३० गुरुवार श्रावण कृ० ६, १९८७

१८ जुलाई १९३० शुक्रवार श्रावण कृ० ७, १९८७

के सभापति मि० डी. नोरोना चुने गये।

यू. पी. गवर्नमेंट ने "भारत में अंग्रेजी राज" नाम की पुस्तक जप्त कर ली।

एम. ए. जिन्ना की अध्यक्षता में अ. भा. मुसलिम लीग हुई।

प्रयाग में हिन्दू मुसलिम दंगा हुआ

२९—आल इण्डिया कायस्थ कान्फ्रेंस श्री. एस. सिन्हा की अध्यक्षता में हुई।

प्रार्थना समाज का ६२ वां वार्षिकोत्सव मि. के. नटराजन की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ।

३०—सूरत में हिन्दू महा सभा का १२ वाँ अधिवेशन मि. रामानन्द चटर्जी की अध्यक्षता में हुआ।

यू पी. प्रोविन्शियल कान्फ्रेंस मि. गणेशशङ्कर विद्यार्थी की अध्यक्षता में फरुखाबाद में हुई।

जिला राजनैतिक कान्फ्रेंस (मुजफ्फर नगर) डा. आलम को बजाय महात्मा भगवानदीन की अध्यक्षता में हुई।

आल इण्डिया मोमीन (जुलाहा) कान्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन इलाहाबाद में मौलवी शेख मुहम्मद जहूरुद्दीन वकील अम्बाला की अध्यक्षता में हुई।

३१—प्रेम महा विद्यालय वृन्दावन की तलाशी जप्त किताबों के लिये हुई।

काठियावाड़ व्यापारी कान्फ्रेंस हाजी अबदुल गनी बेग मुहम्मद बावानी की अध्यक्षता में हुई।

———o———

अप्रैल।

१—यू. पी. सोशल कान्फ्रेंस मिसेज रमा नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई।

श्री. एन. सी. केलकर की अध्यक्षता में बरार प्रान्तीय कान्फ्रेंस यवतमाल में हुई।

काठियावाड़ पोलीटिकल कान्फ्रेंस का पांचवा अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मोरबी में हुआ।

२—ट्रेड डिस्प्यूट बिल की बहस एसेम्बली में हुई।

बिड़ला कालेज (पिलानी) की नींव ठाकुर मदनसिंह जी (नवलगढ नरेश) ने डाली।

नागपुर में ७५० भंगियों ने हड़ताल कर दी।

४—नासिक मनमाड बम्ब केस सेशन में भेज दिया गया।

सनातन धर्म सभा भिवानी में पं० दीनदयाल की अध्यक्षता में हुई।

पटना में भूमिहार ब्राह्मण कान्फ्रेंस सर गणेशदत्त सिंह की अध्यक्षता में हुई।

१९ जुलाई १९३० शनिवार श्रावण कृ० ८, १९८७

२० जुलाई १९३० रविवार श्रावण कृ० ९, १९८७

२१ जुलाई १९३० सोमवार श्रावण कृ० १०, १९८७

२२ जुलाई १९३० मङ्गलवार श्रावण कृ० ११, १९८७

२३ जुलाई १९३० बुधवार श्रावण कृ० १२, १९८७

६—महाशय राजपाल को लाहौर में एक मुसलमान ने मार डाला।
डा. रवीन्द्रनाथ टागोर कनाडा में पहुंचे और नेशनल कौंसिल आफ एजूकेशन की कान्फ्रेंस में व्याख्यान दिया।

७—मैसूर वकील कांफ्रेंस (कोलार) में मि० सी. नरसिंह अय्यर एडवोकेट की अध्यक्षता में हुई।

८—एसेम्बली में बम्ब फैका गया और पिस्तोलें चलाई गईं और लाल परचे फेंके गये।

कलकत्ते की जनता के खड्ग बहादुर सिंह का धूमधाम से स्वागत किया।
एसेम्बली में ट्रेड डिसप्यूट बिल ५७-३८ वोटों से पास हुआ।

९—कलकत्ते के पास अग्निकाँड लगभग १००० कुलियों के घर स्वाहा हुये।
सभाजी की पुण्यतिथि तुलजापुर में सरदार आंगरे की अध्यक्षता में मनाई गई।

१०—श्री० जे. एम. सेनगुप्ता फिरसे कलकत्ता कोरपोरेशन के मेयोर बनाये गये।
महाशय राजपाल की हत्या का मामला मि० लुई एडीशनल जिला मजिस्ट्रेट के सामने जेल में आरम्भ हुआ।
अ. भा. राजस्थानी नव जीवन मण्डल का दूसरा अधिवेशन कानपुर में मि० नवलकिशोर भरतिया की अध्यक्षता में हुआ।

११—अकाल सिख पार्टी कांफ्रेंस अमृतसर में सरदार खड्ग सिंह की अध्यक्षता में हुई।

१२—वाइसराय ने पबलिक सेफटी बिल को आर्डिनेन्स रूप में पास किया।
मेरठ में "भारत में अंग्रेजी राज" की प्रतियों के लिये बहुत से घरों की तलाशियां हुईं।

प्रेसीडेंट पटेल ने पबलिक सेफटी बिल के पेश करने की मनाई करदी।

१३—मैसूर सरकार ने १०,००० रु० सालाना दलित जातियों की उन्नति के लिये मन्जूर किया।

१५—लाहौर में बम्ब पाये गये और तीन पञ्जाबी हिन्दू पकड़े गये।
सिरामपुर में हिन्दू मुसलिम दङ्गा हुआ जिसमें २० आदमी पकड़े गये।
श्री० श्रीनिवास शास्त्री अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के प्रथम वाइस-चांसलर नियत हुये।

१६—बटलर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।
हिन्दुस्तान रिपबलिकन आर्मी का दूसरा पत्र प्रकाशित हुआ।

१७—महात्मा गांधी की अपील दाखिल हुई।

२४ जुलाई १९३० गुरुवार श्रावण कृ० १३, १९८७

२५ जुलाई १९३० शुक्रवार श्रावण कृ० ३०, १९८७

२६ जुलाई १९३० शनिवार श्रावण शु० १, १९८७

२७ जुलाई १९३० रविवार श्रावण शु० २, १९८७

२८ जुलाई १९३० सोमवार श्रावण शु० ३, १९८७

१८—आल इण्डिया सालिसिटर कांफ्रेंस कलकत्ते में सर डी. पी. सर्वाधिकारी की अध्यक्षता में हुई।
हज जांच कमेटी की बैठक बम्बई में हुई।
अग्रवाल युवक परिषद् जैपुर में श्रीयुत सेठ रंगीलालजी जजोड़िया की अध्यक्षता में हुई।
२०—बङ्गाल कौंसिल की बैठक बन्द हो गई।
सी. पी. और बरार की तीसरी प्रांतीय हिन्दू सभा पं० मालवीयजी की अध्यक्षता में हुई।
२१—अमृतसर में बोलशेविक साजिश के सम्बन्ध में घर तलाशियां हुई।
२२—कलकत्ता में विदेशी कपड़ों की होली के सम्बन्ध में २५ नवयुवकों को ३० रु० जुर्माना हुआ।
लखनऊ में अवध स्त्री परिषद् श्रीमती बेगम वजीर हुसैन की अध्यक्षता में हुई।
२३—विहार स्त्री शिक्षा कांफ्रेंस पटना में मिसेज के बादत्त की अध्यक्षता में हुई।
लार्ड गोशेन मद्रास के गवरनर की जगह पर ला० स्टैनले एम. पी. काम करेंगे ऐसा प्रकाशित हुआ।
आल इण्डिया स्टेटस प्रजा परिषद के सभापति श्री० सी. वाइ चिन्तामणि चुने गये।
आर्य महिला हितकारिणी महा परिषद का १० वां अधिवेशन हुआ।
२४—बकलैण्ड जज हाइकोर्ट कलकत्ता ने "फौरवर्ड" पत्र पर दोडिगरियां रेलवे वालों का डेढ़ लाख रुपया की दीं।
सर जोफ्री मोंट मोरेन्सी पंजाब गवरनर के ५महीने की छुट्टी जाने पर मि० ए. एम. स्टो कार्य करेंगे ऐसा प्रकाशित हुआ।
बारडोली की विजय हुई। कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित।
२५—सायमन कमीशन लन्दन में पहुंचा सख्त पहरा था।
मि० स्काट (पुलिस अफसर लाहौर) मारडालने के डर से लाहौर से इगलैण्ड के लिये रवाना हुये।
पं० मोतीलाल नेहरू ने रे० उत्तम को डा० सुन्यत सेन (चीन के प्रेसीडेण्ट की शाहाना अन्तिम क्रिया में सम्मिलित होने के लिये नियत किया।
सर ह्यू स्टीफिन्सन ४ महीने की छुट्टी पर इगलैण्ड को गये।
सायमन कमीशन वायकाट के सम्बन्ध में ३ हिन्दुस्तानी और १ अंग्रेज गिरफ्तार किये गये।
२६—बम्बई में आम हड़ताल हुई। ३८ मिलें बन्द १,३०,००० आदमीयों ने काम बन्द किया।
लाहौर बम्ब फेक्टरी के सम्बन्ध में

२९ जुलाई १९३० | मङ्गलवार | श्रावण शु० ४, १९८७

३० जुलाई १९३० | बुधवार (नाग ५) | श्रावण शु० ५, १९८७

३१ जुलाई १९३० | गुरुवार | श्रावण शु० ६, १९८७

१ अगस्त १९३० | शुक्रवार | श्रावण शु० ८, १९८७

२ अगस्त १९३० | शनिवार | श्रावण शु० ९, १९८७

श्री० अजयराम और उनकी माँ अमृतसर में पकड़ी गईं।

२७—महाशय राजपाल की हत्या का मामला सेशन में भेज दिया गया।

बम्बई में हिन्दू मुसलिम दङ्गा मसजिद के बाजे बजाने पर हुआ।

मि० पी. मुकर्जी तीसरी बार पंजाब चेम्बर आफ कमर्स अध्यक्ष चुने गये।

बनारस राजनैतिक कांफ्रेंस मि० टी. ए. के. शेरवानी की अध्यक्षता में हुई।

२९—लंडन पार्लियामेंट में कुछ लोग हरे परचे फेंके गये।

सातारा पोलिटिकल कांफ्रेंस मि० एन. सी. केलकर एम. एल. ए. की अध्यक्षता में हुई।

३०—नैनीताल में भयानक आग लगी जिसमें दो आदमी जल कर मर गये।

पं० अजयराम की माँ जो अपने लड़के के साथ लाहौर बम्ब केस में पकड़ी गईं थीं छोड़ दी गई।

लाहौर में मि० स्काट को दूसरी धमकी लाल कागज पर लिखी हुई प्रकाशित हुई।

सुखदेव और ३ अन्य सज्जन जो लाहौर बम्ब फैक्टरी के सम्बन्ध में पकड़े गये थे सांडर मर्डर केस में ३०२, और १०९ धारा के अनुसार पकड़े गये।

मई।

१—बम्बई में हिन्दू मुसलिम दंगा हुआ।

२—दिल्ली, लाहौर, इलाहाबाद, लखनऊ और बनारस में सांडर हत्या के सम्बन्ध में घर की तलाशियां हुईं। मैनपुरी में नरसिंह दत्त शर्मा सांडर मर्डर केस में पकड़े गये।

बनारस डिस्ट्रिक्ट पोलिटिकल कान्फ्रेंस मि० शेरवानी की अध्यक्षता में हुई।

हिन्दुस्तान और तमाम दुनिया भर में "मे डे" मनाया गया।

कानपुर में घर की तलाशियाँ हुईं ८ आदमी पकड़े गये। भगतसिंह दत्त और भी सांडर मर्डर केस में शामिल किये गये।

३—डा. सत्यपाल लाहौर में १२४ ए धारा के अनुसार पकड़े गये।

बम्बई में भयंकर हिन्दू-मुसलिम दङ्गा हुआ।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'न्यू फार्वर्ड' बन्द करने की आज्ञा दी।

श्रीमती सरोजिनी नायडू अमेरिका से इङ्गलैण्ड पहुचीं।

४—प्रयाग के रघुनाथप्रसाद सांडर मर्डर केस में कलकत्ता में पकड़े गये।

३ अगस्त १९३०	रविवार	श्रावण शु० १०, १९८७

४ अगस्त १९३०	सोमवार	श्रावण शु० १०, १९८७

५ अगस्त १९३०	मङ्गलवार	श्रावण शु० ११, १९८७

६ अगस्त १९३०	बुधवार	श्रावण शु० १२, १९८७

७ अगस्त १९३०	गुरुवार	श्रावण शु० १३, १९८७

महाराष्ट्र प्रोविन्शियल कान्फ्रेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में Bandra में हुई।

लण्डन में २ हिन्दुस्तानी और १ अंग्रेज सायमन कमीशन बायकाट के कारण पकडे गये।

५—अ. भा. अछूतोद्धार कमेटी का दफ्तर दिल्ली से कानपुर आया।

अ. भा. मुसलिम कान्फ्रेंस लाहौर में हुई।

६—एसेम्बली बम्ब केस की सुनवाई मि. एफ. बी. पूल के सामने दिल्ली में आरम्भ हुई।

मैसूर पीपल्स कांग्रेस श्रीयुत इण्डूट कृष्णय्या की अध्यक्षता में में हुई।

७—लाहौर में १७ नौजवान विद्यार्थी सांडर्स मर्डर केस और बम्ब फैक्टरी में पकडे गये।

बंगलौर में मैसूर युवक कान्फ्रेंस मि० वेंकटय्या की अध्यक्षता में हुई।

८—भगतसिंह और दत्त का मामला सिशन में भेज दिया गया।

डा० रवीन्द्रनाथ टैगोर की ६९ वीं वर्षगांठ कलकत्ते में बडे समारोह के साथ मनाई गई।

बंगलौर में महाराजा मिल के ३००० मजदूरों ने हडताल कर दी।

साधु वासवानी ने मुल्तान में औरतों की सभा में भाषण दिया।

९—बम्बई में सिखों को कृपाण रखने की मनाई की गई। सिखों के गुरू ने गवर्नर को ऐसा हुक्म बन्द करने के लिये लिखा है।

१०—मेरठ धर्मशाला में बम्ब की सन्दूक पाई गई और चार आदमी सन्देह में पकडे गये।

डी. ए. वी. कालेज लाहौर से सांडर मर्डर केस के सम्बन्ध में ३ नौकर पकडे गये।

११—अमृतसर में घर तलाशियां हुईं।

दारापाल में विद्यार्थियों के घर की तलाशी हुई।

प्रान्तीय रेविन्यू मेम्बरों की कान्फ्रेंस वाइसराय की अध्यक्षता में हुई।

१२—सर एम. टी टूटर मद्रास के चीफ जस्टिस की मृत्यु।

लाला कान्ताप्रसाद वाइस चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड वरन्ट के घर तलाशी हुई।

१३—मुलतान में टी. एल. वसवानी को मान पत्र दिया गया।

चिटगांव यूथ कान्फ्रेंस के अध्यक्ष प्रो० ज्योतिषचन्द्र घोष १२४ ए धारा के अनुसार कान्फ्रेंस पैण्डाल में पकडे गये।

अ. भा. गूजर कान्फ्रेंस महन्त जगन्नाथ जी की अध्यक्षता में हुई।

बेलगांव में कर्नाटक सम्पादक कान्फ्रेंस मि० बेलवी की अध्यक्षता में हुई।

अलीगढ़ में चपरासियों की कान्फ्रेंस

८ अगस्त १९३० शुक्रवार श्रावण शु० १४, १९८७

९ अगस्त १९३० शनिवार (रक्षाबन्धन) श्रावण शु० १५, १९८७

१० अगस्त १९३० रविवार भाद्रपद कृ० १, १९८७

११ अगस्त १९३० सोमवार भाद्रपद कृ० २, १९८७

१२ अगस्त १९३० मङ्गलवार भाद्रपद कृ० ३, १९८७

श्री० भगवती सहाय बेदार एम. एल. सी. की अध्यक्षता में हुई।

१४—बम्बई में हड़तालियों पर पुलिस ने सङ्गीनों से हमला किया और फौज ने हवा में गोलियां चलाई।

सहारनपुर में बम्ब और रिवालवर पाये गये और दो आदमी पकड़े गये।

चौथी आचार्य ब्राह्मण कांफ्रेंस मेरठ में हुई।

१५—पुलिस ने बम्बई मिल हड़तालियों पर गोली चलाई।

धर्मवीर और जैदेव जो लाहौर बम्ब फेक्टरी केस के सम्बन्ध में पकड़े गये थे छोड़ दिये गये।

सहारनपुर बम्ब केस के सम्बन्ध में एक बङ्गाली डाक्टर पकड़े गये।

दो नौ जवान युवक श्रीकृष्णबर्क और प्यारेलाल अवस्थी बाइसिकल से जगत भ्रमण के लिये कानपुर से निकले।

१६—वाइसराय ने पञ्चमजार्ज के निरोगी होने के उपलक्ष में धन्यवाद दान फंड खोला

भयानक धूल का तूफान दिल्ली में आया जिसकी वजह से आध घण्टे तक अंधेरा रहा।

१७—मि० अनिलचन्द्र मुकर्जी सेक्रटरी गांधी आश्रम बनारस छोड़ दिये गये।

१८—आयरलैण्ड में एसेम्बली में बम्ब फेंकने वालों की तारीफ के पर्चे बांटे गये।

पुलिस ने गांधी आश्रम मेरठ की तलाशी ली।

चिटगांव में मि० विपिनचन्द्र दत्त १२४ ए धारा के अनुसार पकड़े गये।

मेरठ में गांधी आश्रम के मेंबर मि० जालेश्वर सिंह ३०२ और १०९ आई. पी. सी. के अनुसार पकड़े गये।

रावलपिण्डी ब्राह्मण कांफ्रेंस (गूजरखान) में डा० सुखानन्द की अध्यक्षता में हुई।

मद्रास में अन्ध्रदेश वर्णाश्रम धर्म कांफ्रेंस हुई।

बङ्गलौर में मि० सेदरअली मन्त्री यूथ लीग बम्बई को द० १४४ दफा लगाई गई।

२०—लन्दन में बकरी ईद मनाई गई जिसमें श्रीसरोजिनी नायडू भी शामिल हुई और अपने को आनरेरी बताया।

नाशिक में १९ वीं अ. भा. आयुर्वेदिक कांफ्रेंस केपटैन श्रीनिवासमूर्ति की अध्यक्षता में हुई।

मेरठ की एक धर्मशाला में बम्ब पाये गये।

२१—महात्मा गांधीने अन्ध्रदेश का दौरा खतम किया और ढाई लाख से ज्यादा रु० इकट्ठा किया।

निजाम रियासत में सिख मुसलिम दङ्गा हुआ।

२२—पं० मालवीयजी ने दक्षिण हिंदुस्तान

१३ अगस्त १९३० बुधवार भाद्रपद कृ० ४, १९८७

१४ अगस्त १९३० गुरुवार भाद्रपद कृ० ५, १९८७

१५ अगस्त १९३० शुक्रवार भाद्रपद कृ० ६, १९८७

१६ अगस्त १९३० शनिवार (कृष्ण जयन्ती) भाद्रपद कृ० ७, १९८७

१७ अगस्त १९३० रविवार भाद्रपद कृ० ८, १९८७

का दौरा खतम किया।

महाशय राजपाल के हत्यारे इल्माम दीन को सजा हुई।

"शहीदों का पोथा" नामक किताब के लिये रावलपिन्डी में घर की तलाशियाँ हुईं।

बम्बई के २०००० हडताली बम्बई छोड कर अपने २ घर चले गये।

२३—बम्बई में आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी में एसेम्बली की मियाद बढ़ाने के सम्बन्ध में बहस मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई।

अमानुल्ला खाँ अमीर ने अफगानिस्तान छोडा।

मि० एस. अयंगर ने इण्डिपेन्डेन्स आफ इण्डिया लीग की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया।

२४—कलकत्ते में पुलिस ने प्रवासी और माडर्न रिव्यू के दफ्तर की तलाशी मि० सन्डरलैन्ड के "India in Bondage" के सम्बन्ध में ली और मि० सजनी कान्त दास को १२४ ए धारा के अनुसार पकडा।

कलकत्ते में फनी घोष के घर की तलाशी हुई।

बांदा में बुंदेलखण्ड मुसलिम पोलिटिकल कांफ्रेंस मौलवी मुहम्मद याकूब एम. एल. ए. की अध्यक्षता में हुई।

रामानन्द चटर्जी के घर की तालाशी "India in bondage" के सम्बन्ध में हुई।

२५—आ. इ. कांग्रेस कमेटी की बैठक बम्बई में कांग्रेस वालों के नियंत्रण के सम्बन्ध में हुई।

इण्डियन स्टेटस पीपलस कांफ्रेंस मि० सी. वाइ. चिंतामणि की अध्यक्षता में हुई।

२६—मुलतान में महात्मा बुद्ध की जयंती ब्रह्मसमाज में मनाई गई।

२७—अमीर अमानुल्ला दिल्ली पहुंचे।

टी एल. वस्वानी ने राजपुर में व्याख्यान दिया।

सहारनपुर बम्ब केस में जैदेव कपूर शिववर्मा और गयाप्रसाद पकड़े गये।

कृष्णगोपाल शर्मा "क्रान्तिकारी" साप्ताहिक हिंदी पत्र के सम्पादक १२४ ए धारा के अनुसार पकड़े गये।

ल्यालपूर में मि० गुलाम मुहम्मद शैदा सम्पादक और लाला दीवान चन्द प्रिन्टर साप्ताहिक पत्र 'तूफान' १५३ ए धारा के अनुसार पकड़े गये और प्रत्येक १०,००० रु० की जमानत पर छोड़ दिया गया।

२८—लाला केदारनाथ सहगल को १२४ ए धारा के अनुसार २ साल की सख्त सजा हुई।

३०—लाहौर में 'लाल पोस्टर' लिखने वाला एक पुलिस कानिस्टबल पकड़ा गया।

१८ अगस्त १९३०	सोमवार	भाद्रपद कृ० ९, १९८७
१९ अगस्त १९३०	मङ्गलवार	भाद्रपद कृ० १०, १९८७
२० अगस्त १९३०	बुधवार	भाद्रपद कृ० ११, १९८७
२१ अगस्त १९३०	गुरुवार	भाद्रपद कृ० १२ , १९८७
२ अगस्त १९३०	शुक्रवार	भाद्रपद कृ० १३; १९८७

पञ्जाब लेजिसलेटिव कौंसिल की मियाद बढाई गई

कामरेड सकलतवाला पार्लामेंट के चुनाव में हार गये।

३१—बम्बई में अमानुल्ला ने अफगानिस्तान छोड़ने के विषय में अपना वक्तव्य प्रकाशित किया।

दो मास की हडताल के बाद बंगलोर में मिनरवा मिलें खुलीं।

जून।

१—कलकत्ते में प्रताप जयन्ती मनाई गई।

पर्शिया में भूकम्प से ८५ गाँव व ३२५३ आदमी नाश हुये।

लन्डन में पार्लामेंट के चुनाव में मजदूर दल की जीत हुई।

२—डा० टागोर के कापीराइट के मुकदमे में डिगरी हुई।

३—लंडन में सम्राट की ५४ वीं वर्ष गांठ मनायी गयी शिमला में भी मनायी गय।

अमानउल्ला ने हिन्दुओं को अफगानिस्तान के साथ सहानुभूति प्रगट करने पर धन्यवाद दिया।

यू. पी. लेजिसलेटिव कौंसिल को मियाद बढ़ाई गई।

लाहौर में १७ लड़के और लड़कियां घर के गिरने से दब गईं।

४—फीरोजपूर के डेपुटी कमिश्नर ने कचहरी के हद में "प्रताप" वेचना बन्द कर दिया।

मि० बालडविन ने इस्तीफा दे दिया।

दिल्ली में एसेम्बली बम्ब केस में श्री० एस. एन. राय की गवाही हुई।

मि० गुप्ता सम्पादक "स्वाधीनता" कलकत्ते में १२४ ए धारा के अनुसार पकड़े गये।

नाशिक में मनमाड बम्ब केस में नरेन्द्र भट्टाचार्य और मनमोहन गुप्ता को ७ साल की सख्त सजा हुई।

मि० टी० रामचन्द्रराव बङ्गलोर में ३० पोलिस रेगुलेशन के अनुसार पकड़े गये।

लाहौर में अकाली कैदी सरदार लाहोरा सिंह १० वर्ष की सख्त सजा पूरी कर के छोड़ दिये गये।

बंगलोर में देशी राज्य प्रजा दिवस मनाया गया और नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया गया।

कलकत्ते में सी. आइ. डी. ने सरस्वती प्रेस की तलाशी ली और मि० फणिभूषण दासगुप्त सम्पादक साप्ताहिक पत्र "स्वाधीन" पकड़े गये।

५—मि० मेकडोनलड ने प्रधान मन्त्री

२३ अगस्त १९३०		शनिवार		भाद्रपद कृ० १४, १९८७

२४ अगस्त १९३०		रविवार		भाद्रपद कृ० ३०, १९८७

२५ अगस्त १९३०		सोमवार		भाद्रपद शु० २, १९८७

२६ अगस्त १९३०		मङ्गलवार (हरतालिका)		भाद्रपद शु० ३, १९८७

२७ अगस्त १९३०		बुधवार (गणेश ४)		भाद्रपद शु० ४, १९८७

पद स्वीकार किया।

कानपूर में एक बगीचे में बम्ब पाया गया।

हिन्दू मुसलिम दङ्गों में गाजीयाबाद में १० हिन्दू और ४ मुसलमान पकड़े गये। १४४ धारा लगाई गई।

"फार्वर्ड" कम्पनी को आज्ञा द्वारा बन्द करा दिया।

६—भगतसिंह और दत्त ने एसेम्बली बम्ब केस के विषय में सनसनीदार वक्तव्य दिल्ली कोर्ट में दिया।

अहमदाबाद कालेज के विद्यार्थियों ने सत्याग्रह किया।

"माडर्न रिव्यू" के सम्पादक रामानन्द चटर्जी १२४ ए धारा के अनुसार डा० सण्डरलैण्ड की (India in Bondage) किताब के सम्बन्ध में पकड़े गये।

सर सुलतान अहमद चांसलर पटना यूनिवर्सिटी अ. भा. शिया कांफ्रेंस के अध्यक्ष चुने गये।

मि० डी. पी. खेतान हिन्दुस्तान को लण्डन से रवाना हुये।

७—कैप्टेन वेजवुड बेन भारत मन्त्री के पद पर नियुक्त हुये।

श्री० पूरनचन्द्र जोशी अभियुक्त मेरठ केस एल. एल. बी. पास हुये।

बम्बई टेम्परेन्स कान्फ्रेंस सर पुरुषोत्तम दास ठक्कर की अध्यक्षता में हुई।

डा० आलम बुन्देलखण्ड युवक कान्फ्रेंस के अध्यक्ष चुने गये।

पीपल्स सोसायटी लाइब्रेरी की तलाशी हुई।

मि० कवाली लण्डन से हिन्दुस्तान के लिये उड़े।

८—गुलमरी में टीमप्लेट कामगारों ने हड़तालियों का बड़ा भारी जुलूस निकाला।

बम्बई में लेबर यूनियन के अध्यक्ष मि० मिरजकर को लोगों ने मारा।

९—मि० महाबीर सिंह के घर की तलाशी हुई और लाहौर षड्यन्त्र केस में पकड़े गये।

फणिभूषण घोष और ठाकुर बैजनाथसिंह मि० सांडर हत्या के मामले के विषय में पकड़े गये।

१०—पं० मदनमोहन मालवीय ने एसेम्बली बम्ब केस के विषय में दिल्ली में गवाही दी।

अजमेर में "प्रताप जयन्ती" मनाई गई।

११—मि० ड्रमण्ड शीलड्स भारत अण्डर सेक्रटरी आफ स्टेट बनाये गये।

मि० जे. पी. श्रीवास्तव कानपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाये गये।

१२—भगतसिंह और दत्त को काले पानी की सजा हुई।

बम्बई में सेठ जमुनालाल बजाज के घर की तलाशी भारत में अंग्रेजी राज्य के सम्बन्ध में हुई।

२८ अगस्त १९३० गुरुवार भाद्रपद शु० ५, १९८७
(ऋषि ५)

२९ अगस्त १९३० शुक्रवार भाद्रपद शु० ६, १९८७

३० अगस्त १९३० शनिवार भाद्रपद शु० ७, १९८७

३१ अगस्त १९३० रविवार भाद्रपद शु० ८, १९८७

१ सितम्बर १९३० सोमवार भाद्रपद शु० ९, १९८७

लण्डन में श्री सरोजिनी नायडू ने मि० बेन और डा० शीलडन से मुलाकात की।

मेरठ कोन्स परिसी केश शुरू हुआ।

१३—मि० वेजवुड वेन ने सायमन कमीशन का लण्डन में स्वागत किया।

प्रो० एम. सी. महलानबिया कलकत्ता यूनिवर्सिटी को इन्टर नेशनल फिजिआलाजिकल कांफ्रेंस यूनाइटेड स्टेटस होने का नियन्त्रण दिया।

१४—कलकत्ते में यतीन्द्रनाथदास लॉडर हत्या के सम्बन्ध में पकडे गये।

बरेली में महात्मा गांधी का धूमधाम से स्वागत हुआ और १८५० रु० की थैली भेंट दी गई।

बम्बई में मि० हचिन्सन मेरठ केस में पकड़े गये।

पार्लामेंट में पार्टियों की शक्ति इस प्रकार थी—

मजदूर २८९, कन्सरवेटिव २६० लिबरल ५८ इंडिपेंडेंट ८

उदयपुर में "प्रताप जयन्ती" बड़े धूमधाम से मनाई गई

१५—प० मालवीयजी का स्वागत करांची में हुआ।

१६—पं० मालवीय की अध्यक्षता में सिन्ध सनातन धर्म कांफ्रेंस करांची में हुई।

१७—मि० ललित कुमार मुकरजी मेरठ केस में पकडे गये।

नैनीताल में महात्माजी का धूमधाम से स्वागत हुआ और २२५० रु० की थैली और ६१ जेवर दिये गये।

मैनपुरी जिला पोलिटिकल कांफ्रेंस मि० श्रीप्रकाश की अध्यक्षता में हुई।

गोमती नदी में तीव्र बाढ़ आई और हजारों आदमी बेघर हो गये।

स्वर्गीय देशबन्धुदास की जयन्ती हिन्दुस्तान भर में मनाई गई।

सनातन धर्म कांफ्रेंस करांची में हुई।

१८—मिश्रदेश के प्रधान मन्त्री लंदन में पहुंचे और मि० मेकडोनलड और विदेशी मन्त्री ने उनका स्वागत किया।

करांची में पण्डित मदन मोहन मालवीयजी ने राष्ट्रीय झण्डा फहराया।

मैसूर राज्य में हिन्दू मुसलिम दङ्गा हुआ।

महात्मा गांधी को अलमोडा म्यूनिसिपल बोर्ड ने मान पत्र दिया।

१९—मि० बी. एफ. मदन मेंबर सेन्ट्रल बैंकिंग जांच कमेटी मर गये।

हिन्दुस्तान में बहुत से स्थानों में महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की पुण्यतिथि मनाई गई।

२ सितम्बर १९३० मङ्गलवार भाद्रपद शु० १०, १९८७

३ सितम्बर १९३० बुधवार भाद्रपद शु० ११, १९८७

४ सितम्बर १९३० गुरुवार भाद्रपद शु० १२, १९८७

५ सितम्बर १९३० शुक्रवार भाद्रपद शु० १३, १९८७

६ सितम्बर १९३० शनिवार भाद्रपद शु० १४, १९८७

बम्बई टेक्सटाइल कांफ्रेंस श्रीमान गवरनर ने की।

२०—लार्ड आयरविन ने शिमला चेम्सफोर्ड क्लब में भाषण किया।

सहवास सम्मति कमेटी पर मेंबरों के दस्तखत हुये।

बर्लिन में हिन्दुस्तानी झण्डों को जगह दी गई।

२१—वाइसराय ने शिमला में एग्रीकल्चर रिसर्च कौंसिल का उद्‌घाटन किया।

कलकत्ते में मि० बी. चक्रवर्ती भूत पूर्व मन्त्री बङ्गाल कौंसिल की मृत्यु।

बम्बई में इण्डियन प्रिन्सेस कांफ्रेंस की बैठक हुई।

लेबर केबिनेट की पहली मीटिंग हुई।

बम्बई में टेक्सटाइल स्ट्राइक कांफ्रेंस खतम हुई।

द्वितीय बर्गीय संगीत कांफ्रेंस कलकत्ते में हुई।

२२—जैसौर युवक कांफ्रेंस श्रीयुत सुभाष चन्द्र बोस की अध्यक्षता में हुई।

अमानुल्ला ने हिन्दुस्तान छोड़ा।

२३—मास्टर मोटासिंह प्रसिद्ध अकाली कैदी छोड़ दिये गये।

कलकत्ते में हिन्दू मुसलिम दङ्गा हुआ।

डा० अन्सारी ने लाहौर में "पञ्जाब के नवयुवकों के कर्त्तव्य" पर जोरदार भाषण दिया।

महात्माजी का अलमोडा में धूमधाम से स्वागत हुआ।

२४—यू. पी कौंसिल आरम्भ हुई।

२५—यू. पी. ने लाहौर कांग्रेस के लिये प० जवाहरलाल की सिफारिश की कि सभापति बनाये जायें।

पं० मोतीलालजी ने बंगाल स्वराजिस्टों को कौंसिल में जाने की आज्ञा दी।

२६—बम्बई में इण्डियन प्रिन्सेस कांफ्रेंस की बैठक हुई।

यू. पी स्वराजिस्टों ने कौंसिल से इस्तीफा देने के लिये सभा की।

२७—विदेशी वस्त्र बायकाट डेपुटेशन मुलतान पहुंचा।

२८—लदन में मि० रेमसे मेकडानलड की अध्यक्षता में इण्डियन सेन्ट्रल कमेटी को भेज दिया गया।

रामलगन सिंह सम्पादक "क्षत्रिय शङ्कर" को ५ मास की कैद हुई।

वर्किङ्ग कमेटी ने बम्बई में अपना काम शुरू किया।

२९—यू. पी. गवरनर ने यू. पी. लेजिसलेटिव कौंसिल में भाषण दिया।

सहवास सम्मति कमेटी की रिपोर्ट गवरमेंट के पास भेजी गई। जोशी कमेटी की सिफारिशें।

लार्ड और लेडी अर्विन बम्बई से इंगलैण्ड को रवाना हुये और नये वाइसराय वाइकौंट गोशेन ने

७ सितम्बर १९३० रविवार भाद्रपद शु० १४, १९८७

८ सितम्बर १९३० सोमवार भाद्रपद शु० १५, १९८७

९ सितम्बर १९३० मङ्गलवार आश्विन कृ० १, १९८७

१० सितम्बर १९३० बुधवार आश्विन कृ० २, १९८७

११ सितम्बर १९३० गुरुवार आश्विन कृ० ३ १९८७

राज भक्ति की शपथ ली।

३०---मि. जमनादास मेहता की अध्यक्षता में जी. आइ. पी. वर्कर्स कांफ्रेंस बम्बई में हुई।

---o---

जुलाई।

१--बरोदा में चाईल्ड मैरेज प्रीवेनशन ऐक्ट अगस्त से काम में लाने का तय हुआ।

बङ्गलोर में मैसूर लेजिसलेटिव कौंसिल में डा० ए. मलवा तथा डो. वी गुंडप्पा ने रिसपोंसिबल गवरमेंट दिये जाने का पक्ष समर्थन किया।

दिल्ली में मन्नीलाल घांड (लाल पत्रों के लेखक) जिन पर ५०७ धारा के अनुसार वारन्ट जारी हुआ था पकड़े गये।

वाइकौंट गोशेन शिमला में आये।

२—लाला अतरसैन जैन ("देशभक्त" के सम्पादक) की जमानत हुई (द: १२४ ए)

सम्राट के भाषण में हिन्दुस्तान के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया।

३—बङ्गाल लेजिसलेटिव कौंसिल के अध्यक्ष पद पर राजा आफ सन्तोष सर्व सम्मति से चुने गये।

लाहौर में मिस्टर यतीन्द्र दास की जमानत की अर्जी खारिज हुई।

सर तेज बहादुर सप्रू ने मेरठ केस के ट्रान्सफर के लिये इलाहाबाद में अर्जी दी।

४—यू. पी. सायमन कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

कलकत्ते में आचार्य पी. सी. राय की अध्यक्षता में देशबन्धु की पुण्य तिथि पर व्याख्यान हुये और मि० जे ए. सेनगुप्ता ने उनकी मूर्ति का उद्‌घाटन समारम्भ किया।

बैंकिंग जांच कमेटी के लिये मि० मदन के स्थान पर मि० सारभाई एन हाजी को अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसियेशन और कराची चेम्बर ने चुना।

इण्डियन सेन्ट्रल कमेटी के चेयरमैन का स्वागत प्रिन्स आफ वेल्स ने किया।

५—कांग्रेस की वर्किङ्ग कमेटी ने कौंसिल वायकाट पास किया और १६ जुलाई को प्रयाग में अ. इ. कांग्रेस कमेटी की बैठक कराई।

आसाम मेवाढ के लिये फण्ड इकट्ठा करने का प्रस्ताव पास हुआ।

(पी. सी. राय सभापति और डा० जे. एम. दास गुप्ता मन्त्री)

बम्बई में बम्बई दङ्गा जांच कमेटी

१२ सितम्बर १९३० शुक्रवार आश्विन कृ० ४, १९८७

१३ सितम्बर १९३० शनिवार आश्विन कृ० ५, १९८७

१४ सितम्बर १९३० रविवार आश्विन कृ० ६, १९८७

१५ सितम्बर १९३० सोमवार आश्विन कृ० ७, १९८७

१६ सितम्बर १९३० मङ्गलवार आश्विन कृ० ८, १९८७

के सामने मि० लालजी नारायणजी एम. एल. सी. सर वसन्तराव देहबोलकर और मि० के एफ. नरीमैन की गवाही हुई।

हिंदुस्तानी स्काउटों को लंदन में भोज दिया गया।

डा० आलम की अध्यक्षता में बुन्देलखण्ड युवक कांफ्रेंस झांसी में हुई।

कोलम्बो में इण्डियन मुसलिम एसोशियेशन ने लङ्का में हिन्दू मुसाफिरों के साथ बुरा व्यवहार करने पर एक मीटिंग की।

६—अलवर नरेश ने अपनी सिलवर जुबली के उपलक्ष में लंडन में बड़े लोगों को भोज दिया।

प्रिन्स आफ वेलनने महाराजा कपूरथला का लंदन में स्वागत किया।

७—साम्राज्य धन्यवाद दिवस मनाया गया।

बम्बई में कांग्रेस मुसलिम पार्टी मि० ब्रेलवी की अध्यक्षता में बनी।

९—एस. सरदार सिंह नामा जेल से छोड़ दिये गये और उनका अमृतसर में विराट स्वागत हुआ।

१०—टाटस्काई इङ्गलैण्ड में आने से रोके गये।

११—अ. भा. कांग्रेस स्वागत कमेटी के अध्यक्ष डा० सत्यपाल को १२४ ए धारा के अनुसार २ साल की सख्त सजा हुई।

सेठ जमनालाल बजाज ने खादी स्टोर का उद्घाटन समारम्भ श्रीनगर में किया।

अमृतसर में मास्टर मोटा सिंह ने नौजवान भारत सभा प्रान्तीय कांफ्रेंस की अध्यक्षता में स्वीकार की।

१२—डा० परांजपे ने सायमन जाइन्ट फ्री कांफ्रेंस के सामने गवाही देने से इनकार कर दिया।

पुलिस ने बम्बई सत्याग्रहियों पर गोली चलाई।

१३—शिमला में पञ्जाब सरकार ने लाहौर षडयंत्र केस के अभियुक्तों के लिये खास खाना देने की विज्ञप्ति निकाली।

लार्ड इर्विन लंडन पहुंचे। शानदार स्वागत।

लेजिसलेटिव एसेम्बली की अगली बैठक २ सितम्बर को होगी।

मि० आर, एस. देशमुख और राय बहादुर पी. सी. बोस नेशनल पार्टी को तरफ से मिनिस्टर बनाये गये।

१४—सोवियट गवरमेंट ने चीन को अल्टीमेटम दिया।

सतीनसेन ने अनशन व्रत त्यागा। मिस्टर सुभाष बोस का कहना माना।

मि० अन्नपुरनिया (अन्दरा लीडर) १२४ ए, १५३ आइ. पी. सी

१७ सितम्बर १९३० बुधवार आश्विन कृ० ९, १९८७

१८ सितम्बर १९३० गुरुवार आश्विन कृ० १०, १९८७

१९ सितम्बर १९३० शुक्रवार आश्विन कृ० ११, १९८७

२० सितम्बर १९३० शनिवार आश्विन कृ० १३, १९८७

२१ सितम्बर १९३० रविवार आश्विन कृ० १४, १९८७

धारा के अनुसार पकड़े गये।

१५—नागपुर साईन्स कालेज का उद्घाटन समारम्भ गवरनर ने किया।

महाशय राजपाल हत्या केस की अमलदीन की अपील खारिज हुई।

महाराज कामेश्वर सिंह बहादुर द्रभंगा की राजगद्दी पर बैठे।

१६—श्रीमती डांगे गिरनी कामगर यूनियन की उप सभापति चुनी गई।

मेरठ ट्रान्सफर एप्लिकेशन प्रयाग हाईकोर्ट से ना मन्जूर हुई।

सेठ जमनालाल बजाज ने पेशावर में व्याख्यान दिया जिसमें विदेशी कपड़े का बहिष्कार व खद्दर पहनने पर जोर दिया।

लार्ड अर्विन और मिस्टर बेन से लंडन में मुलाकात हुई।

मद्रास में आल इण्डिया रिसर्च कान्फ्रेंस हुई।

बम्बई दङ्गा जांच कमेटी के सामने मि० हाटमन की गवाही हुई।

१७—पूना में वायुचक्र शास्त्रीज्ञों की कान्फ्रेंस हुई।

पूना में क्लाइमेट ओरोलोजिस्ट कान्फ्रेंस हुई।

१८—हैदराबाद में सिख-मुसलमान दङ्गों के लिये जांच कमेटी मुकरर हुई।

मिस्टर आर. एस. शर्मा बङ्गाली पत्र कलकत्ता के सम्पादक लेजिस [illegible] के मेम्बरों के लिये [illegible]

स्त्रियों का पहिला स्ट्राइक हिंदुस्तान में (कालिमपोंग) में हुआ।

कलकत्ते में खान बहादुर अजीजुल हक एम. एल. सी. की गवाह हज कमेटी के सामने हुई।

१९—कलकत्ते में मि० के. सी. राय चौधरी ने स्वराज बैंक का उद्घाटन समारम्भ किया।

कलकत्ता में हज कमेटी के सामने मौलाना एकराम खां की गवाह हुई।

पटना में बिहार प्रान्तीय संगीत कान्फ्रेंस का अधिवेशन सर सुलतान अहमद की अध्यक्षता में हुआ।

२०—अमृतसर में सिकंदर खिजार, अतीत सिंह और गांजी अबदुर रहमान पर १२४ धारा लगाई गई।

२१—बम्बई दङ्गा की जांच कमेटी की बैठक हुई।

२२—सरोजिनी नाइडू अमेरिका व यूरोप की यात्रा समाप्त कर के हिन्दुस्तान में आई।

स्वामी चिदानन्द "शुद्धि समाचार" के सम्पादक को १५३ ए और २९५ ए धारा के अनुसार ६ माह की सख्त सजा और ३०० रु० जुर्माना और यदि जुर्माना न दे तो ३ माह की सख्त सजा और २९५ ए के अनुसार ६ माह की सख्त सजायें हुईं।

२३—बम्बई लैण्ड लीग के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल चुने गये।

२२ सितम्बर १९३० सोमवार आश्विन कृ० ३०, १९८७

२३ सितम्बर १९३० मङ्गलवार आश्विन शु० १, १९८७

२४ सितम्बर १९३० बुधवार आश्विन शु० २, १९८७

२५ सितम्बर १९३० गुरुवार आश्विन शु० ३, १९८७

२६ सितम्बर १९३० शुक्रवार आश्विन शु० ४, १९८७

मास्टर मोटासिंह १२४ ए धारा के अनुसार गिरफ्तार हुये।

२४—इजिप्ट के लार्ड लाइड ने हाई कमिश्नरशिप त्याग दी।

बम्बई में बम्बई दङ्गा जांच कमेटी के सामने मि० एम. आर. जयकर की गवाही हुई।

२५—गणेशशङ्कर विद्यार्थी, गोपीचन्द भार्गव, पारवती देवी, किशनसिंह और एक वकील लाहौर में अनशन व्रत करने वालों से मिलने जेल में गये।

२६—शिराजगञ्ज में जमना नदी की बाढ़ आने से ६ लाख का नुकसान हुआ।

दिल्ली में प्राथमिक शिक्षा जांच कमेटी की ५ वीं बैठक के सामने श्रीमती बी. एल. नेहरू, श्रीमती रजावल्ला और श्रीमती के. बोस की गवाहियां हुई।

कलकत्ता में बारी साल स्कूल के विद्यार्थी रमेश चटर्जी को सब इन्सपेक्टर पुलिस के मार डालने के मुकदमे की अपील में फांसी के बजाय काले पानी की सजा हुई।

प्रयाग में अ० भा० कांग्रेस कमेटी हुई कौंसिल वायकाट का प्रश्न लाहौर कांग्रेस के लिये छोड़ दिया

यू० पी० प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने कौंसिल में न जाने का प्रस्ताव पास किया।

श्री० रामकिशन स्वयं सेवकों के नेता को १५१ ए के अनुसार २ महीने की सख्त सजा हुई।

अमृतसर में अरजुनसिंह सम्पादक कीर्ति को १२४ ए धारा के अनुसार १ साल की सख्त सजा हुई।

दलजीतसिंह दूसरा सम्पादक कीर्ति १२४ ए के अनुसार ६ मास की सख्त सजा हुई।

लछमनसिंह सम्पादक "कौमी बबर शेर" डेढ़ साल की सख्त सजा हुई।

२७—शिमला में लैण्ड एलीनेशन ऐक्ट के सन्शोधन पर पञ्जाब कौंसिल में बहस हुई।

२८—जबरदस्त स्ट्राइक इंगलैंड में १८०० लंकाशायर की मीलें बन्द।

बम्बई सायमन कमेटी ने अपनी रिपार्ट प्रकाशित की।

ढाका मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों ने स्ट्राइक किया।

सर तेज बहादुर सप्रूने मिस्टर बेन को हिन्दुस्तान में आने के लिये सूचित किया।

२९—बम्बई में कांग्रेस मुसलिम पार्टी की पहली मीटिंग ब्रेलवी की अध्यक्षता में हुई।

बम्बई स्वराजिस्ट फिर से कौंसिल में गये

३०—पंजाब सायमन कमेटी ने अलग-२ रिपोर्ट प्रकाशित की।

२७ सितम्बर १९३०　　　　शनिवार　　　　आश्विन शु० ५, १९८७

२८ सितम्बर १९३०　　　　रविवार　　　　आश्विन शु० ६, १९८७

२९ सितम्बर १९३०　　　　सोमवार (महालक्ष्मी)　　　　आश्विन शु० ७, १९८७

३० सितम्बर १९३०　　　　मङ्गलवार　　　　आश्विन शु० ८, १९८७

१ अक्टूबर १९३०　　　　बुधवार (विजया १०)　　　　आश्विन शु० ९, १९८७

ख्वाजा गुलाम मोहम्मद लाहौरशहर के तथा खिलाफत कमेटी के सेक्रट्री को १२४ ए धारा के अनुसार एक साल की सख्त सजा हुई

पुलिस ने बेगालोर सत्याग्रहियों पर गोली चलाई।

एज आफ कनसेन्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई

मनीराज लाल पत्रों के लिखने वालों ने अनशन व्रत त्याग दिया गवर्नमेन्ट ने उनको शर्तें मजूर कर ली।

सतीसेन ने अनशन व्रत फिर से जारी किया।

३१—यू. पी. कांग्रेस के असिस्टन्ट सेक्रट्री श्रीमान व्ही. एस. दांडेकर मैनपुरी कान्फ्रेंस के व्याख्यान सम्बन्ध में १२४ ए धारा के अनुसार पकडे गये।

बङ्गाल सायमन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की।

———०———

अगस्त।

१—गवर्नमेंट ने लाहौर कांग्रेस के लिये "मिन्टो पार्क" देने से इनकार कर दिया।

वाइसराय की धमकी का जवाब डा० अन्सारी ने दिया।

हिन्दुस्तान भर में तिलक जयन्ती मनाई गई।

२—मेरठ केस के अभियुक्तों ने पुलिस को तलाशी नहीं लेने दी।

कलकत्ता जूट मिलों ने हडताल कर दी। ६०,००० आदमी बेकार हुये।

३—मद्रास सायमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

प्रोफेसर निपेन्द्रचन्द्र बनर्जी १२४ ए धारा के अनुसार पकड़े गये।

४—हिन्दुस्तान भर में राजनैतिक पीडित दिवस मनाया गया।

बङ्गाल ने महात्मा गांधी को लाहौर कांग्रेस का सभापति चुना।

श्री० सी. आर. दास के स्मृति दिवस पर व्याख्यान देने में श्री० ज्ञानजनराय नियोगी पकड़े गये।

५—कलकत्ते में १००,००० आदमी बेकार हुये।

बङ्गाल हिन्दू कांफ्रेंस के सभापति एन सी केलकर चुने गये।

वर्मा सायमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की।

६—कलकत्ता जूट मीलों में झगड़ा। अनेक मरे और बहुत से घायल हुये।

७—कलकत्ते में २०० हडताली बलवा करने के अपराध में पकड़े गये।

मि० डी. आर. टेंडी, लीग अगेन्स्ट इम्पीरियलिज्म के सभापति चुने गये।

२ अक्टूबर १९३० गुरुवार आश्विन शु० १०, १९८७

३ अक्टूबर १९३० शुक्रवार आश्विन शु० ११, १९८७

४ अक्टूबर १९३० शनिवार आश्विन शु० १२, १९८७

५ अक्टूबर १९३० रविवार आश्विन शु० १३, १९८७

६ अक्टूबर १९३० सोमवार आश्विन शु० १४, १९८७

८—सिन्ध में बाढ़ आने से ७ गांव पानी में डूब गये।

यू. पी. मुस्लिम एजुकेशनल कांफ्रेंस के सभापति डा० शफाअत अहमद खां एम. एल. सी. चुने गये।

९—रामदुलारे झांसी से लाहौर लीडर केस के सम्बन्ध में पकड़ा गया।

१०—श्री० गोकुलदास काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी पकड़े गये और २००) की जमानत पर छोड़ दिये गये।

भारत सरकार ने जेल के नियमों पर एक विज्ञप्ति प्रकाशित की।

११—तुलसीदास जयन्ती कानपुर सनातन धर्म कालेज ने मनाई।

अन्नपुरनियाः को १२४ ए १५३ ए धाराओं के अनुसार २ साल की सख्त सजा तथा ५०० रु० जुर्माना हुआ।

१२—रौंड टेबल कान्फ्रेंस के लिये मोतीलाल नेहरू ने देशी नरेशों को निमन्त्रण भेजा।

प्रान्तीय जमैतुलअलमा कान्फ्रेन्स मुरादाबाद में मौ० हुसैन अहमद की अध्यक्षता में हुई।

श्री० रमानन्द चटर्जी और सजनी कान्त दास प्रत्येक को १००० रु० जुर्माना हुआ।

१३—बुन्देलखण्ड देशी राज्य प्रजा परिषद् झांसी के सभापति श्री० विश्वनाथ सिंह चुने गये।

सी० पी० ने लाहौर कांग्रेस के लिये म० गान्धी को सभापति चुना।

श्री० भट्टाचार्जी १२४ ए व १५३ ए धाराओं के अनुसार जैसोर में पकड़े गये।

गढ़शङ्कर में बम्ब फेंका गया।

१४—सैलेशनाथ विशी, सुशील बनर्जी, सत्यभूषण दास गुप्त और धीरेन्द्र नाथ राय १२४ ए और १२० बी के अनुसार कलकत्ते में पकड़े गये।

सरवेंट आफ पीपल सोसायटी के सभापति पद पर श्री० पुरुषोत्तमदास टण्डन चुने गये।

'इण्डिया इन बोन्डेज" १२४ ए धारा के अनुसार जप्त कर ली गई।

१२४ ए, १५३ ए धाराओं के अनुसार श्री० भूपेन्द्र किशोर रक्षितराय सम्पादक वेणी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये गये।

१६—म० गान्धी ने Dietic Experiment छोड़ा दिया क्योंकि उनका वजन घट गया और वे बेहोश हो गये थे।

लन्दन के स्वतन्त्र मजदूर दल की पत्रिका 'न्यू लीडर" ने म० गांधी को दुनिया के सबसे बड़े आदमियों में दूसरा नम्बर बताया।

१७—श्री० मनिन्द्र नारायण राय सब एडीटर सर्च लाइट १२४ ए व १५३ ए धाराओं के अनुसार पकड़े गये।

बिहार सायमन कमीशन ने रिपोर्ट प्रकाशित की।

७ अक्टूबर १९३० मङ्गलवार आश्विन शु० १५, १९८७

८ अक्टूबर १९३० बुधवार कार्तिक कृ० १, १९८७

९ अक्टूबर १९३० गुरुवार कार्तिक कृ० २, १९८७

१० अक्टूबर १९३० शुक्रवार कार्तिक कृ० ३, १९८७

११ अक्टूबर १९३० शनिवार कार्तिक कृ० ४, १९८७

श्री० आइ. बी. सेन बैरिस्टर की अध्यक्षता में ई. बी. रेलवे की इण्डियन एम्पेलाइज एसोसियेशन की वार्षिक कान्फ्रेन्स हुई।

१८—कांग्रेस स्वागत कमेटी ने म० गांधी को लाहौर कांग्रेस का सभापति चुना और डा. किचलू स्वागताध्यक्ष बनाये गये।

भरतपुर की रानी का स्वर्गवास हो गया।

हिन्दुस्तान में बहुत सी जगहों में प्रोफेट मोहम्मद का जन्म दिवस मनाया गया।

१९—कलकत्ता जूट मिलों में भीषण हड़ताल हुई ४५००० आदमियों ने काम बन्द कर दिया।

डा० मुहम्मद आलम, लखनऊ राजनैतिक कान्फ्रेन्स के सभापति चुने गये।

काटन प्रेस बम्बई में भयङ्कर अग्नि कांड हुआ। ३॥ लाख का नुकसान हुआ।

२०—म० गांधी ने लाहौर कांग्रेस का सभापतित्व नामन्जूर कर दिया और पं० जवाहरलाल के लिये सिफारिश की।

गवर्मेंट ने लाहौर कांग्रेस के लिये ब्रेन पार्क दिया।

गढ़शङ्कर बम्ब केस में ३ आदमी पकड़े गये।

२१—"देशभक्त" सम्पादक लाला अतर सेन को १२४ ए धारा के अनुसार एक साल की सख्त सजा हुई।

यू. पी. पोस्टल और आर. एम. एस. कांफ्रेंस के सभापति मुन्शी नरायण प्रसाद अष्टाना चुने गये।

२२—इण्डियन सेन्ट्रल कमेटी ने सिंध को बम्बई हाते से अलग करने की सिफारिश और बर्मा को हिन्दुस्तान से अलग न करने की सिफारिश की।

विनायक सखाराम दांडेकर अ. सेक्रटरी प्रां. कां. कमेटी इलाहाबाद को १२४ ए धारा के अनुसार १८ महीने की सख्त सजा हुई।

२३—श्री० बी. के दत्त की बहनको दत्त से मिलने का हुक्म नहीं दिया गया

२४—दिल्ली में प० इन्द्र की अध्यक्षता में नायकों की कांफ्रेंस हुई।

२५—मि० जी. एल. कंडालकर प्रेसीडेण्ट गिरनी कामगार यूनियन पकड़े गये।

२६—अन्तर राष्ट्रीय मजदूर कांफ्रेंस जेनीवा के जहाजी बैठक में जाने के लिये श्री० यदुनाथ राय चुने गये।

२७—अब्राह्मण युवक कांफ्रेंस श्रीयुत शिवराज एम. एल. सी. की अध्यक्षता में हुई।

२९—चिनाव झेलम और सिंध नदियों में बाढ़ आई जिससे बहुत से घर बह गये।

फिरोज दीन नाम के एक रेलवे

१२ अक्टूबर १९३०	रविवार	कार्तिक कृ० ५, १९८७

१३ अक्टूबर १९३०	सोमवार	कार्तिक कृ० ६, १९८७

१४ अक्टूबर १९३०	मङ्गलवार	कार्तिक कृ० ७, १९८७

१५ अक्टूबर १९३०	बुधवार	कार्तिक कृ० ८, १९८७

१६ अक्टूबर १९३०	गुरुवार	कार्तिक कृ० ९ १९८७

पुलिस कान्सटबिल को "लालपत्र" चिपकाने के अपराध में सजा हुई।

३०—अमृतसर में भूख हड़ताल दिवस मनाया गया।

अमृतसर में अनेक जगहों में 'कीर्ति' पत्र के सम्बन्ध में तलाशियां हुई।

३१—३३ वीं तामिल नाडू प्रान्तीय कांफ्रेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में वेदारण्यं में हुई।

——o——

सितम्बर।

१—लाहौर के पास दुआबा नाम के ग्राम में बम्ब फेंके गये।

मि० वल्लभ भाई की अध्यक्षता में तंजोर जिला मीरासदार कान्फ्रेंस हुई।

२—एसेम्बली आरम्भ हुई। हड़तालियों की विजय।

होशियारपुर में फिर से बम्ब निकले।

बिहार प्रान्त के सायमन कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

३—बङ्गाल के मुख्य कांग्रेस मैनों पर मुकदमा चलाया गया और सम्मन निकाले गये।

बाढ़ के कारण चम्बलपुर में ३,५०० घरों की हानि हो गई।

सरदार दर्शनसिंह अमृतसर में १२४ ए धारा के अनुसार पकड़े गये।

४—शिमला में एसेम्बली के दरवाजे पर औरतों का जलूस शार्दा बिल के समर्थन के लिये निकाला जिसमें अनेक पोस्टर थे।

"बम्ब बम्ब गोले" के सम्पादक हीरालाल पांडे को १२४ ए धारा के अनुसार ६ माह की सख्त सजा हुई।

वल्लभ भाई पटेल ने मद्रास में हिन्दी मातृभाषा होने के लिये भाषण दिया।

५—यतीन्द्रदास को न छोड़ने पर बोर्स्टल जेल के ५०० कैदियों ने सहानुभूति प्रगट करने के लिये शाम का खाना नहीं खाया।

लाहौर के कैदियों ने फिर से यतीन्द्रनाथ दास को बिना शर्त न छोड़ने पर अनशन शुरू किया।

७—विदर्भ साहित्य कान्फ्रेंस श्रीयुत खापर्डे की अध्यक्षता में हुई।

८—म० गान्धी भोपाल गये वहां उन्होंने एक बड़ी सभा में व्याख्यान दिया और वहां उनको १०३५ रु० की थैली भेंट दी गई।

९—बङ्गाली पुस्तक "विद्रोही वीर प्रमोद रञ्जन" जप्त कर ली गई।

१०—मुल्तान ऐजुकेशनल कांफ्रेंस श्री० अबदुल हमीद एम. ए. इन्सपेक्टर

१७ अक्टूबर १९३०	शुक्रवार	कार्तिक कृ० १०, १९८७

१८ अक्टूबर १९३०	शनिवार	कार्तिक कृ० ११, १९८७

१९ अक्टूबर १९३०	रविवार (धन १३)	कार्तिक कृ० १२, १९८७

२० अक्टूबर १९३०	सोमवार (नरक १४)	कार्तिक कृ० १३, १९८७

२१ अक्टूबर १९३०	मङ्गलवार (लक्ष्मी पूजन)	कार्तिक कृ० ३०, १९८७

आफ स्कूल मुलतान की अध्यक्षता में हुई।
श्रीमन्त बाला साहेब पन्त ने ८ वीं वार्षिक स्वदेशी बाजार और औद्योगिक प्रदर्शिनी पूना में व्याख्यान दिया।

११—एसेम्बली में भूख हडताल के विरुद्ध बिल पास हुआ।
भुसावल स्टेशन पर सन्दूक में बम्ब व रिवाल्वर भगवानदास व सदाशिव झांसी वालों के पास निकले और वे पकडे गये।

१२—मुलतान में शेख अबदुल हमीद की अध्यक्षता में शिक्षा कांफ्रेंस हुई।
एक मनुष्य और भी भुसावल मनमाड बम्ब केस के सम्बन्ध में पकडा गया।
कृष्णकुमार मुकर्जी लाहौर षडयन्त्र केस के सम्बन्ध में पकडे गये।

१३—यतीन्द्रनाथ दास का स्वर्ग वास दोपहर को १.५ बजे हुआ।

१४—सरकार पर असन्तोष प्रस्ताव (५५-४७) वोटों से पास हुआ।
भारतवर्ष भर में यतीन्द्रनाथ दिवस मनाया गया।
मेरठ केस की सुनवाई यतीन्द्रदास की मृत्यु पर अभियुक्तों ने न होने दी।
श्री० विनायक सखाराम दांडेकर ने अनशन आरम्भ किया।
कानपुर में यू. पी. ट्रेड यूनियन कांग्रेस पं० जवाहरलाल की अध्यक्षता में हुई और दूसरे दिन पण्डित र वि. धुलेकर की अध्यक्षता में हुई।

१५—सुखदेव का भाई मि० मथुरादास ३०२ और १२० धाराओं के अनुसार पकडे गये।
यू. पी. युवक कांफ्रेंस श्रीमती सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में हुई।

१६—मारवाडी देशी प्रजा कांफ्रेंस जोधपुर बन्द करा दी गई।
एसेम्बली में भूख हडताल बिल पेश हुआ।
यतीन्द्रदास की अन्तिम क्रिया कलकत्ते में हुई।

मास्टर मोटासिंह को ७ साल की सख्त सजा हुई और सरदार फुतम सिंह और अर्जीतसिंह को दो दो साल की सख्त सजा हुई।

१७—पं० चम्पाराम जलंधर में गिरफ्तार हुये।
एसेम्बली में फौजी तालीम के सम्बन्ध में श्री० जयकर का प्रस्ताव पास हुआ।
होशियारपुर में बहुत से घरों की तलाशियां हुईं।

१८—श्री० सुभाष चन्द्र बोस ने यतीन्द्र दास के स्मारक के लिये २ लाख की अपील प्रकाशित की।

२२ अक्टूबर १९३०	बुधवार (बाल १)	कार्तिक शु० १, १९८७

२३ अक्टूबर १९३०	गुरुवार (यम २)	कार्तिक शु० २, १९८७

२४ अक्टूबर १९३०	शुक्रवार	कार्तिक शु० ३, १९८७

२५ अक्टूबर १९३०	शनिवार	कार्तिक शु० ४, १९८७

२६ अक्टूबर १९३०	रविवार	कार्तिक शु० ५, १९८७

सतींद्रनाथ सेन जमानत पर छोड दिये जायँ ऐसा हुकुम हुआ।

चार काकोरी कैदियों ने अनशन व्रत शुरू कर दिया।

मास्टर मोग सिंह ने १४ सितम्बर से अनशन शुरू कर दिया क्योंकि सिख लोग कांग्रेस का सहयोग नहीं करते हैं।

१९—बनारस में शारदा बिल के विरुद्ध सभा।

लाहौर में पञ्जाब कौंसिल के नेशनलिस्ट पार्टी ने यतींद्रनाथ की मृत्यु पर शोक का प्रस्ताव व सरकार की निन्दा का प्रस्ताव पास किया।

बांरी साल में सतीन सेन को मिलने के लिये उनके भाई और औरत को इजाजत नहीं दी गई।

२०—पञ्जाब सरकार ने भगत सिंह और दत्त को जवाब दिया कि यदि वे अनशन व्रत छोड दें तो स्वच्छ बर्ताव किया जावेगा।

लाहौर और होशियारपुर में "कीर्ति" की कापियों के लिये तलाशियां हुई।

सतीन सेन दिवस बङ्गाल में मनाया गया।

मि० जे. एच. व्हिटले प्रेसीडेण्ट मजदूर कमीशन लन्दन से रवाना हुये।

२१—सरकार द्वारा शर्तें माने जाने पर श्री० दांडेकर ने अनशन व्रत छोड दिया।

१६४ दिन उपवास के बाद जेल में श्री० पुङ्गी विजया की मृत्यु हुई।

जलपाइगोडी जिला युवक कांफ्रेंस श्रीयुत जे. एम. सेनगुप्ता की अध्यक्षता में हुई।

२२—सरदार राजेसिंह सम्पादक आजाद अकाली १२४ ए धारा के अनुसार पकडे गये।

झांसी के दो विद्यार्थी सदाशिव और भगवानदास भुसावल बम्ब केस में पकडे जाकर लाहौर भेजे गये।

गुजरानवाला में पुलिस स्टेशन के हाते में बम्ब फेंका गया।

पटना में युवक संघ का द्वितीय वार्षिकोत्सव श्री० कृष्णवल्लभ सहाय एम. एल. सी. की अध्यक्षता में मनाया गया।

२३—एसेम्बली में शारदा बिल (७६–१५) वोटों से पास हुआ।

महात्मा गांधी के मदर इण्डिया के जवाब में आफ्टर मदर इण्डिया नामक पुस्तक लंडन में प्रकाशित की।

गढ़शङ्कर बम्ब के सम्बन्ध में होशियारपुर में म्यूनिसिपल मेंबर पकड़े गये।

२७ अक्टूबर १९३० सोमवार कार्तिक शु० ६, १९८७

२८ अक्टूबर १९३० मङ्गलवार कार्तिक शु० ७, १९८७

२९ अक्टूबर १९३० बुधवार कार्तिक शु० ८, १९८७

३० अक्टूबर १९३० गुरुवार कार्तिक शु० ९, १९८७

३१ अक्टूबर १९३० शुक्रवार कार्तिक शु० १०, १९८७

२४—श्री० विजया की मृत्यु सम्बन्ध में एसेम्बली में एडजोर्नमेंट प्रस्ताव (४७–४६) वोटों से पास हुआ।

डा० मुहम्मद आलम ने अखिल बङ्गाल विद्यार्थी कान्फ्रेंस का सभापति होना स्वीकार किया।

यतीन्द्रनाथ दास दिवस पटना में मनाया गया।

२५—मेरठ केस के अभियुक्तों ने अनशन व्रत शुरू कर दिया।

महात्मा गाँधी को बनारस में विद्यार्थियों ने रुपयों की थैली भेट दी।

लखनऊ पोलिटिकल कांफ्रेंस की खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन समारंभ श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया।

महात्मा गांधी ने बनारस में एक बडी सभा में व्याख्यान दिया।

२६—लखनऊ में जिला राजनैतिक कांफ्रेंस श्रीमती नायडू की अध्यक्षता में हुई।

अमृतसर में सरदार केहर सिंह सम्पादक "कृपाण बहादुर" १२४ ए धारा के अनुसार पकड़े गये।

अमृतसर में पी. प्रेमप्रकाश देवेसर १२४ ए धारा के अनुसार पकड़े गये।

कलकत्ता में यतीन्द्रनाथ दास मेमोरियल कमेटी बनी जिसने २ लाख रु० की मांग की।

बरेली में काकोरी केस के अनशन वालों को बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाई जाने लगीं।

२७—बारीसाल के विद्यार्थियों ने सतीन्द्र सेन की रिहायी न हो तब तक के लिये हड़ताल करदी।

लखनऊ म्युनिसिपेलिटी ने श्रीमती नायडू को सम्मान पत्र दिया।

४० प्रसिद्ध हिन्दुस्तानियों ने ब्रिस्टोल में राजाराम मोहनराय की समाधि पर प्रार्थना की।

२८—पं० हृदयनाथ कुञ्जरु एम. एल. ए. प्रेसीडेण्ट पूर्वी अफ्रीकन इण्डियन नेशनल कांग्रेस, लन्दन को गये।

"कृत्रिम खाना" मेरठ के अनशन वालों के साथ शुरू कर दिया गया।

पं० जवाहरलाल अ. इ. कां. क. द्वारा चुने गये।

महात्मा गांधी ने लखनऊ में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व पर भाषण दिया।

जगत के स्काउटों की जम्बूरी जो बरकिनहेड (इङ्गलैण्ड) में हुई थी वहां से बम्बई में लौट कर आये।

"शारदा बिल" को कौंसिल आफ स्टेट ने पास किया।

हौड़ा जिला राजनैतिक कांफ्रेंस श्री० सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में हुई।

२९—नैनीताल की प्रदर्शनी खतम हुई।

१ नवम्बर १९३०	शनिवार	कार्तिक शु० १०, १९८७
२ नवम्बर १९३०	रविवार	कार्तिक शु० ११, १९८७
३ नवम्बर १९३०	सोमवार	कार्तिक शु० १२, १९८७
४ नवम्बर १९३०	मङ्गलवार	कार्तिक शु० १३, १९८७
५ नवम्बर १९३०	बुधवार	कार्तिक शु० १४, १९८७

अक्टूबर ।

१—सर शङ्करश्नायर की कमेटी में फूट पैदा हो गई।

डा० बेसेन्ट की ८३ वीं वर्ष गांठ मनाई गई

कलकत्ते में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन सरला देवी ने किया।

गवरनर जनरल ने शार्दा बिल मंजूर कर दिया।

टीनप्लेट हडताल के लिये ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने ५० पौंड और स्टील कारपोरेटेड यूनियन लंदन ने २५ पौंड भेजे।

२—मि० अलिन्द्र नरायन राय पटना में १२४ ए, १५३ धारा के अनुसार पकड़े।

महत्मा गाँधी की ६० वीं वर्ष गांठ हिन्दुस्तान के बड़े २ शहरों में मनाई गई।

डा० अन्सारी ने मैसूर में एक उत्तम व्याख्यान दिया।

वाइसराय की घोषणा का उत्तर नेताओं ने दिया।

४—पूनामें करंदीकर व राजगुरु और एक मनुष्य षडयंत्र सम्बन्धी पकडे गये स्वामी मुक्तानन्द १२४ ए धारा के अनुसार पकड़े गये।

पंजाब युवक सनातन धर्म कांफ्रेंस ने लाला बालकिशन बत्रा को सभापति चुना।

काकोरी अनशन वालों ने कांग्रेस की आज्ञा से अनशन छोड़ दिया।

पूर्वी अफ्रीका सम्बन्धी विलसन रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

लाहौर षडयन्त्र के भूख हडतालियों ने हडताल बन्द करदी।

५—सरदार तेजासिंह सफरी मन्त्री कीर्ति किसान पार्टी को डेढ़ साल की सख्त सजा हुई।

११ वां अब्राह्मण सम्मेलन श्री बी. सुब्रह्मण्यम आनन्द की अध्यक्षता में हुआ।

भगतसिंह और दत्त ने ११० दिन बाद अनशन छोड दिया।

देहरादून गान्धी आश्रम की पुलिस ने तलाशी ली।

६—प० मोहनलाल गौतम दफा १०७ धारा के अनुसार पकड़े गये।

अब्राह्मण सामाजिक कांफ्रेंस श्री० रामस्वामी मुडालियर की अध्यक्षता में हुई।

८—सरदार केहर सिंह केसरी सम्पादक 'कृपाण बहादुर' को २ साल की सख्त सजा और २०० रु० जुर्माना हुआ।

२२ वीं बिहारी विद्यार्थी कांफ्रेंस भागलपुरमें प्रो०एस.बी. पुणतांबेकर की अध्यक्षता में हुई।

६ नवम्बर १९३०   गुरुवार   कार्तिक शु० १५, १९८७

७ नवम्बर १९३०   शुक्रवार   मार्गशीर्ष कृ० १, १९८७

८ नवम्बर १९३०   शनिवार   मार्गशीर्ष कृ० २, १९८७

९ नवम्बर १९३०   रविवार   मार्गशीर्ष कृ० ३, १९८७

१० नवम्बर १९३०   सोमवार   मार्गशीर्ष कृ० ४, १९८७

९—अखिल भारतीय राजनैतिक पीड़ित कांफ्रेंस स्वामी गोविन्दानन्द की अध्यक्षता में हुई।

१०—लार्ड आरविन लंदन से हिन्दुस्तान के लिये रवाना हुये।

हरदोई डिस्ट्रिक्ट पोलिटिकल कांफ्रेंस पुरुषोत्तमदास टन्डन की अध्यक्षता में हुई।

म० गान्धी ने सिख कान्फ्रेंस को कांग्रेस बहिष्कार न करने का सन्देश भेजा।

११—मजदूर कमीशन बम्बई में उतरा।

१२—श्री० ए. रामस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मैसूर अब्राह्मण कांफ्रेंस हुई।

२६ वीं वार्षिक रेलवे कान्फ्रेंस सर अर्नेस्ट जैक्सन की अध्यक्षता में शिमला में हुई।

आल इण्डिया केन्टोन्मैन्ट के नौकरों की कांफ्रेंस का पहिला अधिवेशन मि० के. सी. राय की अध्यक्षता में हुआ।

१३—यतीन्द्रदास का श्राद्ध हुआ।

१४—आसनसोल में हिन्दू-मुसलिम दङ्गा हुआ।

श्री० ईश्वरदास (मन्त्री पूर्वी अफ्रीकन भारतीय डेलीगेशन) पूर्वी अफ्रीका के लिये रवाना हुये।

१५—राजेन्द्र सिंह अत्तारा सम्पादक अकाद् अकाली को १ साल की सख्त सजा हुई।

राजपाल के हत्यारे की अपील प्रीवी कौंसिल से खारिज हुई।

निजाम की माँ की मृत्यु।

१६—भाई अरुडसिंह जो सन् १९१४-१५ के लाहौर षडयन्त्र मामले में काले पानी भेजे गये थे मियांवाली जेल से छोड़े गये।

अहमदाबाद के पास रात को रेल में डाका पड़ा डाकुओं ने मुसाफिरों के धन को नहीं लिया।

लाला निरञ्जन दास केरपाल पकड़े गये।

म० गान्धी ने श्रद्धानन्द अनाथ भवन की शिला स्थापन समारम्भ किया।

ओड़ीसा विद्यार्थी कान्फ्रेंस के सभापति मि० सी. आर. रेडी एम. ए. चुने गये।

१७—नादिर खाँ काबुल का बादशाह बन गया।

एम. सी. राजा मेम्बर इण्डिया सेन्ट्रल कमेटी हिन्दुस्तान के लिये रवाना हुये।

पुरुषोत्तम दास टन्डन की अध्यक्षता में देहरादून पोलिटिकल कांफ्रेंस हुई।

१८—वतनसिंह बबर अकाली बम्बों के साथ पकड़े गये।

तीसरी मध्यप्रदेश स्त्री कांफ्रेंस श्रीमती रमाबाई तांबे की अध्यक्षता में हुई।

११ नवम्बर १९३० मङ्गलवार मार्गशीर्ष कृ० ५, १९८७

१२ नवम्बर १९३० बुधवार मार्गशीर्ष कृ० ६ १९८७

१३ नवम्बर १९३० गुरुवार मार्गशीर्ष कृ० ७, १९८७

१४ नवम्बर १९३० शुक्रवार मार्गशीर्ष कृ० ९, १९८७

१५ नवम्बर १९३० शनिवार मार्गशीर्ष कृ० १०, १९८७

१९—अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिये गणेशशङ्कर विद्यार्थी जी सभापति चुने गये।
बिड़ला बोर्डिङ्ग हाउस रांची का उद्‌घाटन समारम्भ सर स्टीफनसन ने किया।
गढ़शङ्कर बम्ब केस के सम्बन्ध में रतनसिंह पकड़े गये।
सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में द्वितीय पञ्जाब विद्यार्थी कान्फ्रेंस हुई।

२०—लण्डन में नैशनल यूनियन आफ इण्डियन स्टूडेन्टस नाम की एक सभा बनी।

२१—कलकत्ते में ७ सत्याग्रही पकड़े गये
लाहौर षडयन्त्र के एक अभियुक्त ने जयगोपाल मुखबर पर जूता फेंक कर मारा।

२२—१५ वीं मुसलिम शिक्षा कान्फ्रेंस बम्बई सर फजलहुसेन की अध्यक्षता में हुई।
लाहौर के कैदी जेल में पीटे गये।
"वीर केसरी" आफिस की तलाशी हुई।
सर शङ्करनायर हिन्दुस्तान के लिये लण्डन से रवाना हुये।

२३—लार्ड और लेडी गोशेन देहली से इङ्गलैण्ड के लिये रवाना हुये।

२४—सुभाषचन्द्र बोस के नाम वारन्ट निकला।
मास्टर मोटासिंह ने कांग्रेस की आज्ञा से असम्बली छोड़ दिया।
अंबरा हिन्दू कांफ्रेंस के सभापति डा० मुन्जे चुने गये।

२५—आल इण्डिया पोस्टल के सभापति दीवान चमनलाल चुने गये।
नैशनल सोशल कांफ्रेंस के सभापति प्रो० रुचिराम सोहनी चुने गये।
दिल्ली के अनेक विदेशी कपड़ों के व्यापारियों ने विदेशी कपड़ा न मंगाने के लिये दस्तखत कर दिये।

२६—एसेम्बली में कोस्टल रिजरवेशन बिल मुलतवी हुआ और पूर्वी अफ्रीका के प्रश्न पर बहस हुई।

२८—डा० आर. पी. परांजपे और मि० सिविलियन राइट को सरकार ने पेरिस कांफ्रेंस के लिये प्रतिनिधि नियत किया।
पं० जवाहरलाल लाहौर कांग्रेस के सभापति बनाये गये।

२९—सतीन्द्रनाथ सेन को ११० धारा के अनुसार ३ साल की सख्त सजा हुई।
लाहौर के मुखबर जयगोपाल का ब्याह खतम हुआ।

३०—हाजी अब्दुलरहमान हकीम सिकन्दर खिजर और सरदार अजीतसिंह को सजा हुई।

१६ नवम्बर १९३० रविवार मार्गशीर्ष कृ० ११, १९८७

१७ नवम्बर १९३० सोमवार मार्गशीर्ष कृ० १२, १९८७

१८ नवम्बर १९३० मङ्गलवार मार्गशीर्ष कृ० १३, १९८७

१९ नवम्बर १९३० बुधवार मार्गशीर्ष कृ० १४, १९८७

२० नवम्बर १९३० गुरुवार मार्गशीर्ष कृ० ३०, १९८७

नवम्बर।

१—जेनीवा को जो भारतीय डैलीगेशन गया था उसके सभापति सर मुहम्मद हबीबुल्ला वापिस आये।

वाइसराय ने सरकारी नीति की घोषणा की।

सरदार ब्रजसिंह १२४ ए धारा के अनुसार मुलतान में पकड़े गये।

करनाटक डिविजनल कोआपरेटिव कांफ्रेंस धाड वाड में श्री० बी. रामदास पन्टलू की अध्यक्षता में हुई।

२—देशी नरेशों ने रौंड टेबल कांफ्रेंस को स्वीकार किया।

अन्धरा पोलिटिकल कांफ्रेंस श्री० के. नागेश्वर राव सम्पादक "आन्ध्र पत्रिका" की अध्यक्षता में हुई।

पश्चम प्रान्तीय व्यापारी कांफ्रेंस रायबहादुर लाला रामसरनदास की अध्यक्षता में हुई।

३—अन्धरा युवक कांफ्रेंस मि० नरीमैन की अध्यक्षता में बेगपाडा में हुई।

४—चांदनी चौक दिल्ली में भयङ्कर अग्निकाण्ड हुआ जिसमें १० लाख का नुकसान हुआ।

बङ्गाल सरकार ने श्री० एम. सी. बोस की पुस्तक जप्त कर ली।

५—बम्बई के गवरनर ने बम्बई-पूना बिजली रेलवे का उद्घाटन समारंभ किया।

६—अन्धरा प्रान्तीय हिन्दू महासभा का अधिवेशन डा० मुन्जे की अध्यक्षता में बैजवाडा में हुआ।

वाइसराय की घोषणा पर हौस आफ लार्ड में गर्मा गर्म बहस हुई।

७—श्री० नरोत्तम मुरारजी की मृत्यु।

वाइसराय द्वारा जङ्गल रिसर्च इन्सटीट्यूट का देहरादून में उद्घाटन

लन्दन में वाइसराय की घोषणा पर हौस आफ कामन्स में गर्मा गर्म बहस हुई।

८—कलकत्ते में घरों की तलाशियां हुईं।

आल इण्डिया पोस्टल और आर. एम. एस. कांफ्रेंस पेशावर में हुई।

९—शारदा ऐक्ट के विरोध में एक मुसलिम डेपूटेशन वाइसराय की सेवा में गया लेकिन कुछ लाभ नहीं हुआ।

प्रो० बनर्जी मेंबर आ. इ. कां. क. को एक साल की सख्त सजा १२४ ए से हुई।

धार्मिक कांफ्रेंस (स्विटजरलैण्ड) में श्री० टी. एल. वस्वानी भारत के प्रतिनिधि स्वरूप निमन्त्रित हुये।

१०—हिन्दू युवक कांफ्रेंस अमृतसर के सभापति डा० मुन्जे चुने गये।

स्कीनर्स स्टेट कांफ्रेंस पं० मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में देहली में हुई।

२१ नवम्बर १९३० शुक्रवार मार्गशीर्ष शु० १, १९८७

२२ नवम्बर १९३० शनिवार मार्गशीर्ष शु० २, १९८७

२३ नवम्बर १९३० रविवार मार्गशीर्ष शु० ३, १९८७

२४ नवम्बर १९३० सोमवार मार्गशीर्ष शु० ४, १९८७

२५ नवम्बर १९३० मङ्गलवार मार्गशीर्ष शु० ५, १९८७

११—पूर्वी अफ्रीका इण्डियन कांग्रेस के लिये श्रीमती नायडू सभानेत्री चुनीं गईं।

रामसिंह अजीत १२४ए के अनुसार अमृतसर में पकड़े गये।

१२—डा० सत्यपाल दिल्ली जेल से छोड़ दिये गये।

हौस आफ कामन्स में मि० वेजवुड बेन ने भारतीय राजनैतिक कैदियों के छोड़ने से इनकार कर दिया।

बोगड़ा (बङ्गाल) जिला युवक कांफ्रेंस श्री० जे. एम, सेन गुप्ता की अध्यक्षता में हुई।

१३—हैदराबाद (सिंध) में एक आदमी की जेब में बम्ब फट पड़ा।

१४—देहली हिन्दू कालेज के होस्टल के विद्यार्थियों ने कुछ शिकायतें दूर करने के कारण हड़ताल करदी।

थीस्टिक (धार्मिक) कांफ्रेंस के सभापति श्री० रामानन्द चटर्जी चुने गये।

१६—मद्रास में स्त्री शिक्षा कान्फ्रेंस हुई।

पञ्जाब प्रान्तीय हिन्दू युवक कांफ्रेंस डा० मुन्जे की अध्यक्षता में हुई।

सकलतवाला को कांग्रेस में आने के लिये मि० बेन ने पासपोर्ट देने की इजाजत नहीं दी।

आल इण्डिया राजपूत महा सभा पं० जैदेव विद्यालङ्कार की अध्यक्षता में हुई।

लाहौर में महाशय कृष्ण मालिक प्रताप और श्रीमती भगवतीचरण के घरों की तलाशियां हुईं।

१७—कलकत्ते में प्रो० जे. एल. बनर्जी १२४ ए धारा के अनुसार पकड़े गये।

ला० लाजपतराय की पुण्य तिथि हिन्दुस्तान भर में मनाई गई।

१८—इलाहाबाद में सब नेता वाइसराय की घोषणा पर विचार करने के लिये एकत्रित हुये।

कलकत्ता हाईकोर्ट में लार्ड सिन्हा की मूर्ति का उद्घाटन समारम्भ किया गया।

सांगली में नये कृष्ण पुल का उद्घाटन वाइसराय ने किया।

१९—वाइसराय ने कोल्हापुर में सर लेसली विलसन की मूर्ति का उद्घाटन किया।

दरभङ्गा महाराज ने हिन्दू यूनिवर्सिटी को ५ लाख का दान दिया

कोल्हापुर में वाइसराय ने कृषि अजायब घर खोला।

२०—लाहौर में पुलिस ने नौजवान भारत सभा के देहली मेनीफेस्टो की निन्दा के पर्चों के लिये कुछ प्रेस और घरों की तलाशी ली।

बुद्धूलाल के लड़के के पास एक पिस्तौल और १८० गोलियां निकलने के कारण वह देहली में पकड़ा गया।

२१—"कीर्ति" के आफिस की तलाशी

२६ नवम्बर १९३० बुधवार मार्गशीर्ष शु० ६, १९८७

२७ नवम्बर १९३० गुरुवार मार्गशीर्ष शु० ७, १९८७

२८ नवम्बर १९३० शुक्रवार मार्गशीर्ष शु० ८, १९८७

२९ नवम्बर १९३० शनिवार मार्गशीर्ष शु० ९, १९८७

३० नवम्बर १९३० रविवार मार्गशीर्ष शु० १०, १९८७

हुई और उर्दू और गुरुमुखी का अक्टूबर १९२९ का अंक जप्त कर लिया।

कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी की बैठक इलाहाबाद में हुई।

२२—मि० एन. वी. गाडगील प्रेसीडेण्ट पूना यूथ लीग की घर तलाशी हुई।

२३—सत्याग्रह की विजय। बम्बई में एक मन्दिर अछूतों के लिये खुल गया।

अहमदगढ़ रेल डाके के सम्बन्ध में ३ सिख लोग गुरदयालसिंह, जसवानसिंह और छागनसिंह पकड़े गये

२४—लाहौर के धर्मशाला में बम्ब फट पड़े दो नौजवान बङ्गाली पकड़े गये लाहौर षडयन्त्र केस के फरार अभियुक्त कुन्दनलाल पकड़े गये।

२५—लाहौर में ४० आदमियों को क्रांतिकारी नारे लगाने पर ५०-५० रु० दण्ड हुआ।

नैपाल के प्रधान मन्त्री महाराजा शमशेरजङ्ग बहादुर की मृत्यु।

आर्य महिला कान्फ्रेंस श्रीमती आर. लक्ष्मीपति की अध्यक्षता में हुई।

श्री० श्रीचन्द दोनेरिया रेलवे ट्रेन की चैन खींचने पर पकड़े गये क्यों कि पाखाने में पानी नहीं था।

प्रो० नृपेन्द्र चन्द्र बनर्जी को १२४ ए धारा से एक साल की सख्त सजा हुई।

२६—दिल्ली प्रान्तीय स्त्री कांफ्रेंस श्रीमती बी. एल. नेहरू की अभिनेत्रिता में हुई।

श्री० भूपेन्द्र किशोर रक्षित राय सम्पादक "वेणु" को १२४ ए धारा के अनुसार १ साल की सख्त सजा हुई।

२७—नौजवान मैनीफेस्टो १२४ ए धारा के अनुसार जप्त कर लिया।

बाबू मनीन्द्रनरायन राय को १२४ ए धारा के अनुसार २ साल की सख्त सजा हुई।

२८—म० गान्धी ने "नवजीवन प्रिंटिंग प्रेस" को सार्वजनिक सम्पत्ति बना दिया।

२९—लाहौर में लाला जी की मूर्ति पर आक्रमण हुआ।

हिन्दुस्तान भर में सारदा ऐक्ट के खिलाफ मुसलमान लोगों ने हड़ताल मनाई।

मि० जे. बी. फिलिप की जगह पर कर्नल जे. डी. क्राफोर्ड एसेम्बली के मेम्बर चुने गये।

सी. पी. प्रान्तीय युवक कान्फ्रेंस श्री. सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में नागपुर में हुई।

सरदार दर्शोधसिंह १२४ ए धारा के अनुसार पकड़े गये और ६ महीने की सख्त सजा दी गई। आप राजा महेन्द्रप्रताप के साथी हैं।

१ दिसम्बर १९३० सोमवार मार्गशीर्ष शु० ११, १९८७

२ दिसम्बर १९३० मङ्गलवार मार्गशीर्ष शु० ११, १९८७

३ दिसम्बर १९३० बुधवार मार्गशीर्ष शु० १२, १९८७

४ दिसम्बर १९३० गुरुवार मार्गशीर्ष शु० १३, १९८७

५ दिसम्बर १९३० शुक्रवार मार्गशीर्ष शु० १४, १९८७

३०—आल इंडिया सनातनधर्म कांफ्रेंस पं० श्यामसुन्दर चक्रवर्ती की अध्यक्षता में मद्रास में हुई।

आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जवाहरलाल की अध्यक्षता में नागपुर में हुई।

श्री० नाडूगोपाल भट्टाचार्जी १२४ ए व १५३ ए के अनुसार खुलना में पकड़े गये।

जात पांत तोड़क कान्फ्रेंस लाहौर में डा० गोकलचन्द नारंग बार-एट-ला एम. एल. सी. की अध्यक्षता में हुई।

—o—

दिसम्बर।

१—न्यू फिडरेशन ट्रेड यूनियन्स की मीटिङ्ग दीवान चिमनलाल की अध्यक्षता में हुई।

२—पञ्जाब जेल इनकायरी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

आल इण्डिया जाट महासभा चौधरी श्री० छोटूराम एम. एल. सी. की अध्यक्षता में हुई।

३—सोलापुर में श्री० घनश्यामदास बिड़ला की अध्यक्षता में चौथी महाराष्ट्र कमर्शियल कांफ्रेंस हुई।

४—कुछ नौजवान पुलिस से झगड़ा करने के अपराध में कलकत्ता में पकड़े गये।

५—इङ्गलैण्ड में जबरदस्त तूफान आया जिससे बहुत से आदमी मर गये।

अहमदगढ़ ट्रेन डकैती के सम्बन्ध में लुधियाने में घर तलाशियां हुईं।

आल इण्डिया गौ कांफ्रेंस के सभापति सेठ गोविन्ददास चुने गये।

पञ्जाब प्रान्तीय वैद्य कांफ्रेंस ने वैद्यरत्न पं० रामप्रसाद को सभापति चुना।

६—श्री० सी. राजगोपालाचार्य ने आल इण्डिया टेम्परेन्स कांफ्रेंस का सभापति होना स्वीकार किया है।

७—महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू को वाइसराय ने आधुनिक राजनैतिक समस्या पर वाद विवाद करने के लिये बुलाया।

सर फीरोज सेठना नैशनल लिबरल फिडरेशन के सभापति चुने गये।

९—दिल्ली में मिलओनर्स कांफ्रेंस कमर्स मेम्बर के साथ हुई।

धन्यवाद फण्ड ६८९,५९७ जमा हुआ।

"वीर भारत" आफिस १५३ ए धारा से तलाशी हुई।

सरदार दीवान सिंह सम्पादक 'रियासत' प्रिन्सेस प्रोटेक्शन ऐक्ट के अनुसार पकड़े गये।

सी. पी. फाइन आर्ट एकजीबीशन समारम्भ सिर्सज व्हिटले ने किया।

६ दिसम्बर १९३० शनिवार पौष कृ० १, १९८७

७ दिसम्बर १९३० रविवार पौष कृ० २, १९८७

८ दिसम्बर १९३० सोमवार पौष कृ० ३, १९८७

९ दिसम्बर १९३० मङ्गलवार पौष कृ० ४, १९८७

१० दिसम्बर १९३० बुधवार पौष कृ० ५, १९८७

१०—पं० कृष्णगोपाल शर्मा झांसी में १२४ ए धारा के अनुसार पकड़े गये।

मि० एस. एन. राय कलकत्ते में १२४ ए धारा के अनुसार पकड़े गये।

डा० पी. सी. राय कांग्रेस प्रदर्शनी का उद्घाटन समारम्भ करेंगे प्रकाशित हुआ।

आर्य कुमार सम्मेलन के सभापति कालाकांकर के राजा साहब चुने गये।

११—१५ सिख और कुछ मनुष्य फिडरेटेड मलाया स्टेट में पकड़े गये।

आल इण्डिया लायब्रेरी कांफ्रेंस के सभापति सर पी. सी. राय चुने गये।

सरदार बूटा सिंह एम. एल. सी. पांचवीं वार्षिक पञ्जाब जमींदार लीग के सभापति चुने गये।

पञ्जाब रियासत मण्डल कांफ्रेंस के सभापति मि० पी. चद्गर चुने गये।

भुसावल बम्ब केस शुरू हुआ।

१२—सरदार सारदुल सिंह के घर की तलाशी हुई।

"कीर्ति किसान पार्टी कांफ्रेंस" अमृतसर के सभापति एस वचन सिंह चुने गये।

१३—राजनैतिक पीड़ित कांफ्रेंस के सभापति ला० हनवन्त सिंह चुने गये।

श्री० श्रीनिवास आयङ्गर एम. एल. ए हिन्दुस्तानी सेवा दल के सभापति चुने गये।

डा० बिधान चन्द्र राय अखिल भारतीय मेडिकल कांफ्रेंस के सभापति चुने गये।

श्री० रणदिवे मजदूर लीडर १२४ ए के अनुसार पकड़े गये।

१४—मेरठ षडयन्त्र केस मजिस्ट्रेट के यहां खतम हुआ।

१५—विमेन्स (महिला) कांफ्रेंस लाहौर में राज कुमारी अमृतकुंअर की अध्यक्षता में हुई।

सप्तम भारतीय क्रिश्चन कांफ्रेंस के सभापति श्री० बी. ए. नाग चुने गये।

१६—(अछूत) दलित जातीय कांफ्रेंस प्रयाग के सभापति श्री० पुरुशोत्तम दास टन्डन चुने गये।

(अछूत) दलित जातीय कांफ्रेंस लाहौर के सभापति महात्मा गांधी चुने गये।

पं० प्रेम प्रकाश को १२४ ए धारा के अनुपार २ साल की सख्त सजा हो गई।

१७—अखिल भारतीय विद्यार्थी कांफ्रेंस के सभापति पं० मदन मोहन मालवीय चुने गये।

अखिल भारतीय महिला कांफ्रेंस

११ दिसम्बर १९३० गुरुवार पौष कृ० ६, १९८७

१२ दिसम्बर १९३० शुक्रवार पौष कृ० ७, १९८७

१३ दिसम्बर १९३० शनिवार पौष कृ० ८, १९८७

१४ दिसम्बर १९३० रविवार पौष कृ० ९, १९८७

१५ दिसम्बर १९३० सोमवार पौष कृ० १०, १९८७

बम्बई में श्रीमती सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में हुई।

१८—पंचम फिलासोफिकल कान्फ्रेंस लाहौर में डा० डब्लू. एस अरकूहार्ट की अध्यक्षता में हुई।
अखिल भारतीय जर्नलिस्ट कान्फ्रेंसके सभापति मि. एम.ए.नेलवी चुने गये

१९—बहुत से बारीसाल के युवक पकड़े गये।
काकोरी दिवस लाहौर में सरदार किशनसिंह की अध्यक्षता में मनाया गया।
काकोरी दिवस हिन्दुस्तान के बड़े बड़े शहरों में मनाया गया।
अखिल भारतीय ह्यूमेनिटेरियन कान्फ्रेंस मिसेस रुक्मिणीलक्ष्मी रेडी की अध्यक्षता में हुई।

२०—कांग्रेस प्रदर्शिनी लाहौर का उद्घाटन समारम्भ सर पी. सी. राय ने किया।
सर्वेंट्स आफ पीपल सोसायटी के वार्षिकोत्सव का सभापति होना म० गान्धी ने स्वीकार किया।
राय साहब लाला केदारनाथ एम. ए. पञ्जाब अध्यापक कान्फ्रेंस के सभापति चुने गये।

२१—सरदार अनूपसिंह पकड़े गये।
हिसटोरिकल रिकार्ड्स कमीशन की बैठक ग्वालियर में हुई।
अखिल भारतीय पुस्तकालय प्रदर्शिनी का उद्घाटन करना सर अब्दुल कादिर ने स्वीकार किया है।
सर फ्रेंसनाएस की अध्यक्षता में १२वां इण्डियन हिसटारिकल कमीशन का अधिवेशन हुआ।
सुभाषचन्द्र बसु की अध्यक्षता में मिदनापुर युवक कान्फ्रेंस हुई।

२२—वरलिन में होने वाली वर्ल्डरावर कान्फ्रेंस में डा० जतीन्द्रनाथ वसु को बुलाया गया।
पं० जवाहरलाल (सभापति लाहौर कांग्रेस) लाहौर पहुंचे।

२३—वाइसराय के स्पेशल के नीचे बम्ब फूटा और वाइसराय की नेताओं के साथ कान्फ्रेंस न हो सकी।
मि० एन. सी. सुब्बाराव की अध्यक्षता में भारतीय इकनामिक कान्फ्रेंस इलाहाबाद में हुई।
अखिल भारतीय शीआ कान्फ्रेंस के सभापति मि० मिर्जा अलीमुहम्मद चुने गये।

२४—लाहौर में बहुत से आदमी बम्ब फेंकने के सन्देह में पकड़े गये।
म० गान्धी की अध्यक्षता में सर्वेंट आफ पीपल्स सोसायटी का वार्षिकोत्सव हुआ।
अखिल भारतीय दलित जातीय कान्फ्रेंस म० गान्धी की अध्यक्षता में लाहौर में हुई।
उलमा कान्फ्रेंस मौलाना मुहम्मद अली की अध्यक्षता में हुई।

१६ दिसम्बर १९३० मङ्गलवार पौष कृ० ११, १९८७

१७ दिसम्बर १९३० बुधवार पौष कृ० १२, १९८७

१८ दिसम्बर १९३० गुरुवार पौष कृ० १३, १९८७

१९ दिसम्बर १९३० शुक्रवार पौष कृ० १४, १९८७

२० दिसम्बर १९३० शनिवार पौष कृ० ३०, १९८७

२५—म० गान्धी ने ला० लाजपतराय के स्टेचु की नीव डाली।
फ्रांटियर हिन्दू कान्फ्रेंस लाहौर में मि० एन. सी. केलकर की अध्यक्षता में हुई।
इण्डियन नेशनल सोशल कान्फ्रेंस बा० हरिविलास सारदा की अध्यक्षता में हुई।
२६—खिलाफत कांफ्रेंस के सभापति नवाब मुहम्मद इसमाइल खां एम. एल. ए. चुने गये।
अखिल भारतीय लाइब्रेरी कांफ्रेंस प्रदर्शनी का उद्घाटन सर अबदुल कादिर ने किया।
अखिल भारतीय आर्य महिला कांफ्रेंस लाहौर में श्रीमती रुकमिणी लक्ष्मीपति की अध्यक्षता में हुई।
२७—पेन्शन पाने वाले सिपाहियों का सत्याग्रह शुरू हुआ।
आल इण्डिया फिडरेशन आफ टीचर्स एसोसिएशन की बैठक सर पी. एस. शिवदत्त सिंह ऐयर की अध्यक्षता में मद्रास में हुई।
अकाली कांफ्रेंस लाहौर के सभापति सरदार खड़क सिंह चुने गये।
पं० मालवीय ने कौंसिल वायकाट का विरोध किया।
श्री० श्रीनिवास अयंगर की अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी सेवा दल की कांफ्रेंस हुई।
२८—श्री० सुभाष बोस ने पेरेलल गवर्नमेंट का प्रस्ताव किया।
२९—लाहौर कांग्रेस का कार्य शुरू हुआ।
नरम दल फिडरेशन का कार्य सर पी. सेठना की अध्यक्षता में मद्रास में शुरू हुआ।
पोलिटिकल सफरर्स कांफ्रेंस मि० हनुमन्त सहाय की अध्यक्षता में हुई।
३०—आल इण्डिया स्टूडेन्टस कनवेशन पं० म[illegible]पाय की अध्यक्षता में हुआ
सरदार खड़क सिंह की अध्यक्षता में अकाली कांफ्रेंस हुई।
३१—आल इण्डिया आयुर्वेदिक कांफ्रेंस करांची में विद्यारत्न पण्डित रामप्रसाद की अध्यक्षता में हुई।
कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पेश हुआ और आधी रात के बाद पास हुआ।

२१ दिसम्बर १९३०	रविवार	पौष शु० १, १९८७
२२ दिसम्बर १९३०	सोमवार	पौष शु० २, १९८७
२३ दिसम्बर १९३०	मङ्गलवार	पौष शु० ३, १९८७
२४ दिसम्बर १९३०	बुधवार	पौष शु० ४ १९८७
२५ दिसम्बर १९३०	गुरुवार	पौष शु० ५, १९८७

कुछ उपयोगी विषय।

देशी डाँक के नियम।

(भारत, ब्रह्मदेश, लङ्का, व पोर्तुगीज इंडिया)

१—कार्ड।

साधारण)॥ जवाबी -) सरकारी कार्ड के नाप व वजन का सादा कार्ड भी उस पर Post Card लिखकर टिकट लगाकर भेज सकते हैं। कार्ड पर पते की ओर बायें आधे भाग में लकीर के भीतर सब कुछ लिख सकते हैं दाहिनी ओर पाने वाले का पता लिख सकते हैं। विरुद्ध होने से चिट्ठी बरंगी जाती है। बिना टिकट का कार्ड नहीं जाता।

२—चिट्ठी।

महसूल प्रति २॥ तोला या अंश पर -)

३—बुक या नमूने का पैकेट।

महसूल प्रति ५ तोला या अंश पर)॥ इसमें पुस्तकें विज्ञापन, नकशे, फोटो, प्रूफ वगैरह भेज सकते हैं किन्तु डाक के टिकट नोट, हुण्डी, चेक और चिट्ठियां नहीं भेजी जा सकतीं।

४—पार्सल।

इसमें प्रत्येक वस्तु जा सकती है किंतु बहने वाली वस्तु (तेल वगैरह) जो भली भांति बन्द न की गई हो और पत्र नहीं जा सकते। पार्सल बे-रंग नहीं भेजा जा सकता चौथाई सेर (२० तोला) तक ≡), ऊपर होने से कुल वजन के फी आधा सेर या अंश पर ५॥ सेर तक हो तो ≡), अधिक हो तो ।) देना होता है,

५—रजिस्ट्री।

५॥ सेर से ऊपर पार्सल, वी. पी., हुण्डी, चेक, टिकट नोट आदि रजिस्ट्री करानी चाहिये। स्वेच्छा से हर कार्ड, चिट्ठी, पाकेट, पार्सल रजिस्ट्री से भेज सकते हैं। महसूल के अलावे टिकट ≡) जवाबी रजिस्ट्री का -) अधिक।

६—बीमा रजिस्ट्री।

प्रत्येक चिट्ठी या पार्सल जिसमें नोट सिक्का, सोना, जवाहिरात, सोना चांदी के गहने आदि हों उन्हें अवश्य बीमा रजिस्ट्री से भेजना चाहिये। बीमा की हुई चिट्ठी या पार्सल गुम होने से डाकखाना कीमत का देनदार होगा किन्तु बीमा में लिखी रकम से अधिक का (चाहे रकम अधिक हो) या वस्तु की वास्तविक कीमत से अधिक का (चाहे बीमा अधिक का कराया गया हो) डाकखाना देनदार न होगा किन्तु दस्तावेज जिसकी निश्चित कीमत नहीं रहती

२६ दिसम्बर १९३० शुक्रवार पौष शु० ६, १९८७

२७ दिसम्बर १९३० शनिवार पौष शु० ७, १९८७

२८ दिसम्बर १९३० रविवार पौष शु० ८, १९८७

२९ दिसम्बर १९३० सोमवार पौष शु० ९, १९८७

३० दिसम्बर १९३० मङ्गलवार पौष शु० १०, १९८७

चाहे जितनी रकमों के लिये बीमा कराये जा सकते हैं। बीमा की रकम के फी १००) वा अंश पर =) महसूल अलावे =) फीस रजिस्ट्री लगाना चाहिये। वी. पी. भी बीमा हो सकती है। वी. पी कम की हो तो भी पूरी रकम का बीमा हो सकता है। बीमा पाने वाले की दस्तखती रसीद, भेजने वाले को मिलती है।

७—वेल्यु पेएबुल (वी. पी.)

रजिस्टड बीमा, सिर्फ रजिस्टर्ड पत्र ... व बुक पाकेट वी पी रवाना हो सकते है। दाम, डाक महसूल रजिस्ट्री तथा बीमा कराया हो तो बीमा का महसूल आदि मिलाकर कुल रकम फार्म पर लिखनी चाहिये। वही माल पाने वाले से वसूल होकर भेजने वाले को मनीआर्डर द्वारा मिल जाता है इस आने वाले मनीआर्डर का महसूल वी. पी. पाने वाले से लिया जाता है। एक वी. पी. १०००) रु० तक की हो सकती है।

८—बैरंग महसूल।

चिट्ठी या पाकेट बिना टिकट लगाये छोड़ा जाय तो असल महसूल का दूना या कम टिकट लगाकर छोड़ा जाय तो उसी का दूना महसूल पाने वाले से वसूल किया जायगा।

९—सार्टीफिकेट।

बिना रजिस्ट्री वस्तु डाकखाने तक पहुंचने का दाखिला, उस पर पते की नकल लिखकर)। का टिकट वस्तु के साथ लगा देने से डाक की मुहर लगाकर मिलता है। पार्सल ६ तक तथा कार्ड चिट्ठी या पैकेट ३ अदद तक का)। में सार्टीफिकेट मिल सकता है।

१०—मनीआर्डर।

१०) या उससे कम पर =) उससे अधिक २५) तक।) उससे अधिक प्रति २५ या अंश पर।) यदि अंश १०) से अधिक न हो =) एक मनीआर्डर में ६००) से अधिक नहीं जा सकता। मनीआर्डर में सवा, डेढ़ या पौन आना नहीं जाता।

११—तार का मनीआर्डर।

इसमें मनीआर्डर के महसूल के सिवाय तार का खर्च एक्सप्रेस तार दिया जाय तो १॥) व आर्डीनरी तार दिया जाय ॥) लगता है। मामूली मनीआर्डर फार्म पर ही बगल में लिखना चाहिये। इसमें भी कूपन पर और मजमून भेजा जा सकता है जिसका महसूल एक्सप्रेस का प्रति शब्द =) और आर्डीनरी का प्रति शब्द -) अधिक लगेगा। ऐसा मनीआर्डर ६००) तक का हो सकता है।

तार।

भारत के साधारण नियम।

(भारत व ब्रह्मदेश)

तार दो दर्जे का होता है (क) एक्सप्रेस जो हर रोज लिया जाता है

३१ दिसम्बर १९३० बुधवार पौष शु० ११, १९८७

१ जनवरी १९३१ गुरुवार पौष शु० १२, १९८७

२ जनवरी १९३१ शुक्रवार पौष शु० १३, १९८७

३ जनवरी १९३१ शनिवार पौष शु० १४, १९८७

४ जनवरी १९३१ रविवार पौष शु० १५, १९८७

और आर्डीनरी से पहिले भेजा जाता है (ख) आर्डीनरी जो छुट्टियां छोड और दिनों में लिया जाता है और एक्सप्रेस के बाद भेजा जाता है। महसूल—एक्सप्रेस का १२ शब्दों तक १ाा) आगे प्रति शब्द =), आर्डीनरी का १२ शब्दों तक ।ाा) आने प्रति शब्द -)

इसमें लिखे हुये पता के शब्द जोड़े जाते हैं। भेजने वाला चाहे तो अपना पता पूरा लिखे, अधूरा लिखे या न लिखे।

तार का जवाब मगाने के लिये कम से कम ।ाा) देना होगा। यह रकम यदि जवाब न भेजा गयाहो तो Office in charge of the Telegraph Check Office Calcutta को जमाकी तारीख से २ महीने के अन्दर दरख्वास्त करने से देने वाले को वापिस मिलेगी। तार का मजमून अङ्गरेजी अक्षरों में होना चाहिये। तार तामील होने की तारीख व समय में जाने का चार्ज ।ाा)

तार घरों में काम करने का समय रोज का अलग और छुट्टियों के दिन का अलग है छुट्टी के दिन "आर्डीनरी" तार नहीं लिया दिया जाता। आफिस बन्द होने के बाद १) लेट फी देने से सिर्फ "एक्सप्रेस" तार लिया जाता है।

डाक व तार की विशेष जानकारी के लिये "पोस्ट ऐण्ड टेलीग्राफ गाइड" मगाकर देखिये।

नोट के साधारण नियम।

(१) गवर्नमेंट करेंसी नोट इन दामों के होते हैं— १) २ाा) ५) १०) ५०) १००) ५००) १०००) १००००) रु.

(२) १) २ाा) ५) १०) ५०) १००) के नोट युनिवर्सल नोट कहलाते हैं।

(३) बड़े नोट इन हातों के होते हैं—कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास, बम्बई, कराँची व रंगून।

(४) किसी हाते का नोट उसी हाते के किसी सरकारी खजाने में और युनिवर्सल नोट हिन्दुस्तान के प्रत्येक सरकारी खजाने में पूरी या कीमत पर भुनाया जा सकता है।

(५) यदि पूरा टुकड़ा नोट डाक से कहीं भेजना हो तो उसकी रजिस्ट्री व बीमा अवश्य करा लेना चाहिये नहीं तो डाक में गुम हो जाने पर इसका दाम नहीं मिलेगा।

(६) यदि किसी के पास फटा नोट अथवा दो टुकड़े, दो नोट के भूल से आजायँ और दाम लेना चाहे तो "कन्ट्रोलर आफ करेंसी, कलकत्ता" के पास अर्जी भेजे कुछ दिन बाद जमानत देने पर दाम मिलेगा। १) व २ाा) वाले दो अलग अलग नम्बरों के नोट का दाम नहीं मिलेगा। अधूरे नोट का कोई मूल्य नहीं समझा जाता।

(७) किसी का नोट खो जाय तो इसे उस नोट का नम्बर लिखकर भेज

५ जनवरी १९३१ सोमवार माघ कृ० १, १९८७

६ जनवरी १९३१ मङ्गलवार माघ कृ० २, १९८७

जनवरी १९३१ बुधवार माघ कृ० ३, १९८७

८ जनवरी १९३१ गुरुवार माघ कृ० ४, १९८७

९ जनवरी १९३१ शुक्रवार माघ कृ० ५, १९८७

देना चाहिये जिससे इस नोट का लेनदेन बन्द कर दिया जाय सरकार नोट का रुपया देने से इनकार नहीं कर सकती यदि कोई लावे किन्तु उसका नाम और पता पूछकर असल मालिक को खबर कर देगी कि वह यथोचित प्रबन्ध करे।

अदालत के कोर्ट फीस का स्टाम्प।

१	से	५	तक	०–६
५	से	१०	तक	०–१२
१०	से	१५	तक	१–२
१५	से	२०	तक	१–८
२०	से	२५	तक	१–१४
२५	से	३०	तक	२–४
३०	से	३५	तक	२–१०
३५	से	४०	तक	३–०
४०	से	४५	तक	३–६
४५	से	५०	तक	३–१२
५०	से	५५	तक	४–२
५५	से	६०	तक	४–८
६०	से	६५	तक	४–१२
६५	से	७०	तक	५–४
७०	से	७५	तक	५–१०
७५	से	८०	तक	६–०
८०	से	८५	तक	६–६
८५	से	९०	तक	६–१२
९०	से	९५	तक	७–२
९५	से	१००	तक	७–८

इसी प्रकार हर एक पांच रुपये या उसके किसी हिस्से पर।=) आने के हिसाब से बढ़ के दो सौ तक ७॥) रुपये सैकड़ा लगता है। इसके आगे का हिसाब ठीक नहीं जितना लग जाय।

रसूम अदालत।

एक दावे में ३०००) रु० से अधिक नहीं लिया जाता दखल पाने की अर्जी में पूरी फीस लगती है।

तमस्सुक वगैरह लिखने का स्टाम्प।

१	से	१०	तक	०–२
१०	से	५०	तक	०–४
५०	से	१००	तक	०–८
१००	से	२००	तक	१–०
२००	से	३००	तक	१–८
३००	से	४००	तक	२–०
४००	से	५००	तक	२–८
५००	से	६००	तक	३–०
६००	से	७००	तक	३–८
७००	से	८००	तक	४–०
८००	से	९००	तक	४–८
९००	से	१०००	तक	५–०

इसी तरह से १०००) रु० से ऊपर हर एक पांच सौ या इसके किसी टुकड़े पर २॥) है।

रसीद का स्टाम्प।

इक्कीस रुपये पौने सोलह आने १९॥।≡)॥ तक की रसीद सादे कागज के ऊपर लिखी जाती हैं।

फीस २०) रु० या बीस से अधिक की रसीद के ऊपर एक आने का टिकट

१० जनवरी १९३१ शनिवार माघ कृ० ७, १९८७

११ जनवरी १९३१ रविवार माघ कृ० ८, १९८७

१२ जनवरी १९३१ सोमवार माघ कृ० ९, १९८७

१३ जनवरी १९३१ मङ्गलवार माघ कृ० १०, १९८७

१४ जनवरी १९३१ बुधवार माघ कृ० ११, १९८७

लगाया जाता है। डाक और रसीद के टिकट एक ही होते हैं।

(क) ऐसी रसीद को एक आने का टिकट बिना लगाये लिखने और लिखाने वाले दोनों दोषी (मुजरिम) होते हैं।

इकरारनामे आदि।

इकरारनामा ॥) आठ आने के स्टाम्प पर लिखा जाता है।

बैनामा या रेहननामा (भोग बन्धक)

१)	से	५०)	तक	॥)
५०)	से	१००)	तक	१)
१००)	से	२००)	तक	२)
२००)	से	३००)	तक	३)
३००)	से	४००)	तक	४)
४००)	से	५००)	तक	५)
५००)	से	६००)	तक	६)
६००)	से	७००)	तक	७)
७००)	से	८००)	तक	८)
८००)	से	९००)	तक	९)
९००)	से	१०००)	तक	१०)

एक हजार से ऊपर (५००), या उसके किसी हिस्से पर ५) रु० लगता है।

रुक्का इन्दुलतलब।

जब माँगे तब देने के इकरार पर जो रुपया उधार लिया जाता है, उसके रुक्के या हैंड नोट पर टिकट २५०) तक -) इससे ऊपर १०००) तक ≈) व इससे कितना ही अधिक हो तो ।) लगाना पड़ता है। हैंडनोट पर गवाह नहीं लिया जाता किन्तु अलग रसीद लेकर उस पर गवाही ली जा सकती है।

दर्शनी व मियादी हुण्डी।

दर्शनी हुंडी या चेक पर अब टिकट नहीं लगता। एक वर्ष या इससे कम मियाद की हुंडी पर नीचे लिखे मुताबिक दर या हुंडी का कागज लगना है:—

२००)	या इससे कम पर		≡)
इससे अधिक	४००)	तक	।≡)
,,	६००)	,,	॥-)
,,	८००)	,,	।॥)
,,	१०००)	,,	।॥≡)
,,	१२००)	,,	१।≡)
,,	१६००)	,,	१॥)
,,	२०००)	,,	२।)
,,	५०००)	,,	४॥)
,,	७५००)	,,	६॥।)
,,	१००००)	,,	९)
,,	१५०००)	,,	१३॥)
,,	२००००)	,,	१८।)
,,	२५०००)	,,	२२॥)
,,	३००००)	,,	२७)

इससे अधिक चाहे जितनी रकम होने से पूरी रकम के फी १०००० या अंश पर ९)

१५ जनवरी १९३१ शुक्रवार माघ कृ० १२, १९८७

१६ जनवरी १९३१ शुक्रवार माघ कृ० १३, १९८७

१७ जनवरी १९३१ शनिवार माघ कृ० १४, १९८७

१८ जनवरी १९३१ रविवार माघ कृ० ३०, १९८७

१९ जनवरी १९३१ सोमवार माघ शु० १, १९८७

स्टाम्प कागज़।

(१) एकरारनामा जिसके लिये दूसरा नियम न हो ...	॥)
(२) बैनामा यदि मालियत ५०) तक हो	॥)
५०) से अधिक १००) तक हो	१)
१००) ,, १०००) तक प्रति	१)
१०००) से अधिक प्रति ५००)	५)
(३) तमस्सुक १०) या इससे कम पर	=)
इससे अधिक ५०) तक	।)
,, १००) तक	॥)
,, १०००) तक प्रति १००) या अंश पर ...	॥)
,, प्रति ५००) या अंश पर	२॥)
(४) रेहननामा दखली ... बैनामे का रसूम ...	।)
(५) रेहननामा बिना कब्जा ... तमस्सुक का रसूम ...	।)
(६) मुखतारनामा खास	१)
(७) फारखती (किसी जायदाद का हक से अलग होना) ...	।)
१०००) तक के लिये ... तमस्सुक का रसूम ...	।)
इससे कितना ही अधिक हो	५)

इनकम टैक्स।

जिस व्यक्ति का वर्ष भर का साधारण मुनाफा २०००) से कम हो उसे कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पूरा २०००) या ऊपर होने से नीचे लिखे मुताबिक टैक्स लगेगा—

२०००) या अधिक हो तो फी रुपया	५ पाई
५०००) या अधिक हो तो फी रुपया	)॥
१००००) या अधिक हो तो फी रुपया	)॥।
२००००) या अधिक हो तो फी रुपया	-)
३००००) या अधिक हो तो फी रुपया	-)॥
४००००) या अधिक हो तो फी रुपया	-)॥

सुपर टैक्स, कम्पनियों आदि का टैक्स तथा विशेष हाल जानने के लिये इनकम टैक्स के खुलासा नियम देखिये।

२० जनवरी १९३१	मङ्गलवार	माघ शु० २, १९८७
२१ जनवरी १९३१	बुधवार	माघ शु० ३, १९८७
२२ जनवरी १९३१	गुरुवार	माघ शु० ४, १९८७
२३ जनवरी १९३१	शुक्रवार	माघ शु० ५, १९८७
२४ जनवरी १९३१	शनिवार	माघ शु० ५, १९८७

ब्याज फैलाने का कोष्टक।

दर सैकड़ा	एक दिन का ब्याज	एक अठवारे का ब्याज		एक महीने का ब्याज	
रु०	पा०	आ०	पा०	आ०	पा०
३॥	१॥।	१	०	४	८
४	२	१	२	५	४
४॥	२।	१	५	६	०
५	२॥	१	६	६	८
५॥	२॥।	१	८	७	४
६	३	१	१०	८	०
६॥	३।	१	११	८	८
७	३॥	२	१	९	४
७॥	३॥।	२	३	१०	०
८	४	२	५	१०	८
८॥	४।	२	७	११	४
९	४॥	२	९	१२	०
९॥	४॥।	२	१०	१२	८
१०	५	३	०	१३	४
१०॥	५।	३	२	१४	०
११	५॥	३	४	१४	८
११॥	५॥।	३	६	१५	४
१२	६	३	८	१६	०

सन् १९३० की तातीलें।

नाम पर्व	तारीख	महीना	वार
न्यूयिर्स डे	१	जनवरी	बुधवार
मकर संक्रान्ति	१३	,,	सोमवार
गणेश चौथ	१७	,,	शुक्रवार
बसन्त पञ्चमी	३	फरवरी	सोमवार
शिवरात्री	२७	,,	गुरुवार
रंगभरी एकादशी	११	मार्च	मङ्गलवार
होलिका दहनम्	१४	,,	शुक्रवार
धूलोत्सव	१५	,,	शनिवार
राम नवमी	७	अप्रैल	सोमवार

२५ जनवरी १९३१ रविवार माघ शु० ६, १९८७

२६ जनवरी १९३१ सोमवार माघ शु० ७, १९८७

२७ जनवरी १९३१ मङ्गलवार माघ शु० ८, १९८७

२८ जनवरी १९३१ बुधवार माघ शु० ९, १९८७

२९ जनवरी १९३१ गुरुवार माघ शु० १०, १९८७

सन् १९३० की तारीखें (चालू)

नाम पर्व	तारीख	महीना	वार
सोमवती अमावास्या	२८	अप्रैल	सोमवार
गङ्गा दशहरा	६	जून	शुक्रवार
रथ यात्रा	२८	,,	शनिवार
नाग पञ्चमी	३०	जुलाई	बुधवार
रक्षा बन्धन	९	अगस्त	शनिवार
कृष्णा जन्माष्टमी	१७	,,	रविवार
गणेश चौथ	२७	,,	बुधवार
अनन्त चौदश	६	सितम्बर	शनिवार
विजया दशमी	२	अक्टूबर	गुरुवार
धन तेरस	१९	,,	रविवार
नरक चौदस	२०	,,	सोमवार
दीपावली	२१	,,	मङ्गलवार
भ्रातृद्वितीया	२३	,,	गुरुवार
बड़ा दिन	२५	दिसम्बर	गुरुवार

उपनयन संस्कार के मुहूर्त ।

(संम्वत् १९८७)

चैत्र

१ चैत कृष्ण ५ शाके मूलभे लग्नांविंत्यं.

वैशाख

१ वैशाख कृष्ण ३ गुरौ ज्येष्ठा १० नं. मूलभे.

ज्येष्ठ

१ ज्येष्ठ शुद्ध ५ रवौ पुष्ये.

नोट—आगे गुरू के अस्त के कारण मुहूर्त नहीं हैं ।

माघ

+ माघ शुद्ध ५ शुक्रे पू. मा. भे. घ. १ नं. के. चे.

१ माघ शुद्ध १० गुरौ रोहिण्यां.

१ माघ कृष्ण ३ गुरौ पू. फा. भे.

३० जनवरी १९३१ शुक्रवार माघ शु० ११, १९८७

३१ जनवरी १९३१ शनिवार माघ शु० १२, १९८७

१ फरवरी १९३१ रविवार माघ शु० १३, १९८७

२ फरवरी १९३१ सोमवार माघ शु० १४, १९८७

३ फरवरी १९३१ मङ्गलवार फाल्गुन कृ० १, १९८७

फाल्गुन

+ फाल्गुन शुद्ध २ गुरौ पू. भा. भे. केतुवेधः
१ ,, ,, ३ शुक्रे उ. भा. भे.
१ ,, ,, ५ रवौ रे. अश्विन्योः
१ ,, ,, १० शुक्रे मृगे.
+ ,, कृष्ण २ शुक्रे हस्ते पापाक्रान्तभं.

विवाह के मुहूर्त ।

वैशाख

१ वैशाख शुद्ध २ बुधे रोहिण्यां घ. ३८ नं.
१ ,, ,, ३ गुरौ रोहिण्यां मृगेच.
१ ,, ,, ४ शुक्रे मृगभे घ. ५ प.
+ ,, ,, ८ भौमे घ. १७ नं. मघायां.
१ ,, ,, ११ गुरौ घ. १० नं. घ. २५ बटे ५० प. उत्तरायां.
१ ,, ,, १२ शुक्रे उफायां हस्तेच.
१ ,, ,, १३ शनौ घ. ५ प. हस्तभे.
१ ,, कृष्ण १ भौमे घ. ५ नं. अनुराधायां.
१ ,, ,, ३ गुरौ घ. ४६ नं. मूलभे.
१ ,, ,, ४ शुक्रे मूलभे घ. १५ प.
१ ,, ,, ५ शनौ घ. २० नं उभायां.
१ ,, ,, ६ रवौ घ २१ प. उभायां.
१ ,, ,, १० शुक्रे घ १६ नं. उ. भाभे.

नोट—ज्येष्ठ में मुहूर्त नहीं हैं

मार्गशीर्ष

१ मार्गशीर्ष शुद्ध १० रवौ उभायां.
१ ,, ,, ११ चं उभरेवत्योंच घ. ९ प.
१ ,, ,, १५ शुक्रे रोहिण्यां घ. २९ नं.
१ ,, कृष्ण १ शनौ रो. मृगेच
+ ,, ,, २ रवौ मृगे घ. ११ प.
१ ,, ,, ९ रवौ हस्ते घ. ४१ प.
१ ,, ,, ११ भौमे स्वात्यां घ. २८. प.

४ फरवरी १९३१ बुधवार फाल्गुन कृ० २, १९८७

५ फरवरी १९३१ गुरुवार फाल्गुन कृ० ३, १९८७

६ फरवरी १९३१ शुक्रवार फाल्गुन कृ० ४, १९८७

७ फरवरी १९३१ शनिवार फाल्गुन कृ० ५, १९८७

८ फरवरी १९३१ रविवार फाल्गुन कृ० ६, १९८७

माघ

१ माघ शुद्ध ४ शुक्रे उभाद्रायां घ. ३२ नं.
१ ,, ,, ५ शनौ उभायां.
१ ,, कृष्ण १ भौमे मघायां घ. ४० नं.
१ ,, ,, २ बुधे मघायां घ. ३५ प.
१ ,, ,, ४ शुक्रे उ फाभे हस्तमेच.
१ ,, ,, ५ रवौ हस्त घ. २४ प.
१ ,, ,, ७ चन्द्रे स्वात्यां घ १८ प.
१ ,, ,, ८ भौमे घ. १६ नं. अनुराधभे.
१ ,, ,, ९ बुधे घ. १६ प अनुराधाभे.
१ ,, ,, ११ शुक्रे मूलभे घ. १९ प.

फाल्गुन

१ फाल्गुन शुद्ध ३ शुक्रे उभायां.
१ ,, ,, ८ बुधे रोहिण्यां घ. ४१ नं.
१ ,, ,, ९ गुरौ रोहिणी मृगेच.
१ ,, ,, १० शुक्रे मृगे.
१ ,, ,, १४ भौमे मघायां घ ३० प.
१ ,, कृष्ण २ शुक्रे हस्ते घ. ४० प.
१ ,, ,, ३ शनौ स्वात्यां घ. ४१ नं.
१ ,, ,, ६ चन्द्रे अनुराधायां घ. ३० नं. ५६ प.
१ ,, ,, ७ भौमे अनुराधायां घ. २५ नं. ३६ प.
१ ,, ,, ८ बुधे घ. ३७ नं. मूलभे.

काल परिमाण ।

मानुष वर्ष ।

				६० पल	=	१	घड़ी
१८ निमिष	=	१	काष्टा	६० घड़ी	=	१	अहोरात्र
३० काष्टा	=	१	मुहूर्त	१५ अहोरात्र	=	१	पक्ष
३० मुहूर्त	=	१	अहोरात्र	२ पक्ष	=	१	मास
६० विपल	=	१	पल	१२ मास	=	१	वर्ष

९ फरवरी १९३१	सोमवार	फाल्गुन कृ० ७, १९८७
१० फरवरी १९३१	मङ्गलवार	फाल्गुन कृ० ८, १९८७
११ फरवरी १९३१	बुधवार	फाल्गुन कृ० ९, १९८७
१२ फरवरी १९३१	गुरुवार	फाल्गुन कृ० १०, १९८७
१३ फरवरी १९३१	शुक्रवार	फाल्गुन कृ० ११, १९८७

दैव वर्ष ।

६ मास (मनुष्यों के)	=	१	दिन
६ मास ,,	=	१	रात्रि
१२ मास ,,	=	१	अहोरात्र
३६० अहोरात्र (दैव)	=	१	वर्ष
१२००० वर्ष (दैव)	=	१	युग
४३२०००० मानुष वर्ष	=	१	युग
१ दैव युग	=	१	चतुर्युगमानुष

कल्पमान ।

४३२००० मानव वर्ष	=	कलियुग
८६४००० मानव वर्ष	=	द्वापर
१२९६००० ,,	=	त्रेता
१७२८००० ,,	=	कृतयुग
४३२०००० ,,	=	चतुर्युग(महायुग
१००० महायुग	=	१ कल्प

ब्रह्मायु परिमाण ।

१ कल्प	=	१ ब्राह्म दिन
१ कल्प	=	१ ब्राह्म रात्रि
२ कल्प	=	१ ब्राह्म अहोरात्र
३६० अहोरात्र (७२० कल्प)	=	ब्राह्म वर्ष
१०० ब्राह्म वर्ष (७२००० कल्प)	=	ब्रह्मा की आयु

३११०४०००००००००० मानुष वर्ष = ब्रह्मायु = १०० ब्राह्म वर्ष

पाश्चात मान ।

६० सेकंड	=	१	मिनट
६० मिनट	=	१	घन्टा
२४ घन्टा	=	१	अहोरात्र
१ घटी या घडी	=	२४	मिनट
१ पल	=	२४	सेकंड

माप तौल की सूची ।

कपड़े का माप

८ जौ या पौन इञ्च का १ अंगुल
३ अंगुल या २। इञ्च का १ गिरह
८ गिरह या १८ इञ्च का १ हाथ
२ हाथ या ३६ इञ्च का १ गज
१२ इञ्च की १ फिट
१॥ फिट या १८ इञ्च का १ हाथ
३ फिट या ३६ इञ्च का १ गज

वज़न ।

१ रुपये भर का १ तोला
५ तोले की १ छटाक
२ छटाक या १० तोले का आध पाव
२० तोले का १ पाव
२ पाव का आधसेर
४ पाव या दो आध सेर का १ सेर
५ सेर की एक पंसेरी
८ पंसेरी का १ मन

अंग्रेज़ी सिक्का ।

४ फार्दिग की १ पेनी
१२ पेनी का १ शिलिङ्ग
२० शिलिङ्ग का १ पाउण्ड = रु० १५

१४ फरवरी १९३१ शनिवार फाल्गुन कृ० १२, १९८७

१५ फरवरी १९३१ रविवार फाल्गुन कृ० १३, १९८७

१६ फरवरी १९३१ सोमवार फाल्गुन कृ० १४, १९८७

१७ फरवरी १९३१ मङ्गलवार फाल्गुन कृ० ३०, १९८७

१८ फरवरी १९३१ बुधवार फाल्गुन शु० १, १९८७

अंग्रेजी वजन।

८ ड्राम का १ औंस
१६ औंस का १ पौण्ड
२८ पौंड का क्वार्टर
४ क्वार्टर का १ हण्डरवेट
२० हण्डरवेट (हंडर) का १ टन = २७। मन

अंग्रेजी और देशी वजन।

प्रायः २॥ तोले का १ औंस
३९॥ तोले का १ पौंड
।(३॥= (तेरह सेर दस छटाक का) १ क्वार्टर
१।(४॥ (एक मन सढ़े चौदह सेर का) १ हण्डर
८२ पौंड का १ मन

रास्ते का अंग्रेजी माप।

१२ इञ्च का १ फिट
३ फिट का १ गज
१७६० गज का १ माइल

रास्ते का देशी माप।

३ अंगुल की १ मुष्टि
६ मुष्टि का १ हाथ
४ हाथ का १ धनु
२००० धनु का १ कोस

जमीन का माप।

५ हाथ लम्बा × ४ हाथ चौड़ा–४५ स्क्वायर फिट का १ छटाक
१४ छटाक या ७२० स्कायरफिटका १ कट्ठा
२० कट्ठा या १४४०० स्कायर फिट का १ बीघा
$२\frac{१}{८}$ बीघा का १ एकड

समय।

६० अनुपल का १ विपल
६० विपल का १ पल
६० सेकण्ड का १ मिनट
६० पल या २४ मिनट की १ घडी
२॥ घडी का १ घण्टा
७॥ घडी या तीन घण्टे का १ पहर
८ पहर का १ दिन रात
७ दिन का एक सप्ताह
२ सप्ताह का १ पक्ष
२ पक्ष का १ महीना
१२ महीने का एक वर्ष
१२ वर्ष का १ युग
१०० वर्ष की १ शताब्दी

डाक्टरी वजन।

२० ग्रेन का १ स्क्रुपल
३ स्क्रुपल का १ ड्राम
८ ड्राम या २॥ भरी का १ औंस
१२ औंस का १ पौंड
१८० ग्रेनका बजन १ तोले के समान होता है।

डाक्टरी माप।

६० बूंद का १ ड्राम
८ ड्राम का १ औंस
१६ औंस का १ पाइण्ट

वैद्यक वजन।

४ धान का १ रत्ती
८ रत्ती का १ माशा
१२ माशे का १ तोला

१९ फरवरी १९३१ गुरुवार फाल्गुन शु० २, १९८७

२० फरवरी १९३१ शुक्रवार फाल्गुन शु० ३, १९८७

२१ फरवरी १९३१ शनिवार फाल्गुन शु० ४, १९८७

२२ फरवरी १९३१ रविवार फाल्गुन शु० ५, १९८७

२३ फरवरी १९३१ सोमवार फाल्गुन शु० ६, १९८७

किराया या वेतन चुकाने का नक्शा। (बाबत १ दिन)

वेतन रुपये	२८ दिन का महीना रु.	आ.	पा.	२९ दिन का महीना रु.	आ.	पा.	३० दिन का महीना रु.	आ.	पा.	३१ दिन का महीना रु.	आ.	पा.
१	०	०	७	०	०	७	०	०	६	०	०	६
२	०	१	२	०	१	२	०	१	१	०	१	०
३	०	१	९	०	१	८	०	१	७	०	१	६
४	०	२	३	०	२	२	०	२	२	०	२	१
५	०	२	१०	०	२	९	०	२	८	०	२	७
६	०	३	५	०	३	४	०	३	३	०	३	१
७	०	४	०	०	३	१०	०	३	९	०	३	८
८	०	४	७	०	४	५	०	४	३	०	४	२
९	०	५	२	०	५	०	०	४	९	०	४	८
१०	०	५	९	०	५	६	०	५	४	०	५	२
११	०	६	३	०	६	१	०	५	१०	०	५	८
१२	०	६	१०	०	६	७	०	६	५	०	६	२
१३	०	७	५	०	७	२	०	६	११	०	६	८
१४	०	८	०	०	७	८	०	७	५	०	७	२
१५	०	८	७	०	८	३	०	८	०	०	७	९
१६	०	९	२	०	८	१०	०	८	६	०	८	३
१७	०	९	८	०	९	४	०	९	१	०	८	९
१८	०	१०	३	०	९	११	०	९	७	०	९	३
१९	०	१०	१०	०	१०	६	०	१०	२	०	९	९
२०	०	११	५	०	११	०	०	१०	८	०	१०	४
२१	०	१३	२	०	११	७	०	११	२	०	१०	१०

वेतन रुपये	२८ दिन का महीना रु.	आ.	पा.	२९ दिन का महीना रु.	आ.	पा.	३० दिन का महीना रु.	आ.	पा.	३१ दिन का महीना रु.	आ.	पा.
२२	०	१२	५	०	१२	१	०	११	९	०	११	४
२३	०	१३	०	०	१२	८	०	१२	३	०	११	११
२४	०	१३	८	०	१३	३	०	१२	९	०	१२	४
२५	०	१४	३	०	१३	९	०	१३	४	०	१२	११
२६	०	१४	१०	०	१४	४	०	१३	१०	०	१३	५
२७	०	१५	५	०	१५	५	०	१४	५	०	१३	११
२८	१	०	०	०	१५	५	०	१४	११	०	१४	५
२९	१	१	२	१	०	०	०	१५	६	०	१५	०
३०	१	१	२	१	०	६	१	०	०	०	१५	६
३५	१	४	०	१	३	३	१	२	८	१	२	१
४०	१	६	१०	१	६	१	१	५	४	१	४	८
५०	१	१२	७	१	११	७	१	१०	८	१	९	१०
६०	२	२	३	२	१	०	२	०	०	१	१५	०
७५	२	१०	११	२	९	४	२	८	०	२	६	९
१००	३	९	२	३	७	२	३	५	४	३	३	७
१५०	५	५	९	५	२	९	५	०	०	४	१३	७
२००	७	२	३	६	१४	४	६	१०	८	६	७	३
३००	१०	११	५	९	१	०	१०	०	०	९	१०	१०
४००	१४	४	७	१३	९	८	१३	५	४	१२	१४	६
५००	१७	१३	९	१७	३	१०	१६	१०	८	१६	२	१
१०००	३५	११	५	३४	७	८	३३	५	४	३२	४	२

२४ फरवरी १९३१ मङ्गलवार फाल्गुन शु० ७, १९८७

२५ फरवरी १९३१ बुधवार फाल्गुन शु० ८, १९८७

२६ फरवरी १९३१ गुरुवार फाल्गुन शु० ९, १९८७

२७ फरवरी १९३१ शुक्रवार फाल्गुन शु० १०, १९८७

२८ फरवरी १९३१ शनिवार फाल्गुन शु० ११, १९८७

कागज का नाप।

फुलस्कैप–१७ × १३॥ इञ्ची
डबल फुलस्कैप–१७ × २७ ,,
क्राउन–१५ × २० ,,
डबल क्राउन–२० × ३० ,,
डिमाई–१८ × २२ ,,
डबल डिमाई–२२ × ३६ ,,
मिडियम–१८ × २६ ,,
रायल–२० × २६ ,,
डबल रायल–२६ × ४० ,,
सुपर रायल–२२ × २९ ,,
डबल सुपररायल–२९ × ४४ ,,

द्रव द्रव्यों का अंग्रेजी वजन।

४ पिंट का १ क्वार्ट
२ क्वार्ट का १ गैलन

रेलवे के उपयोगी नियम।

(१) प्रत्येक मुसाफिर को टिकट लेकर तब गाड़ी में सवार होना चाहिये यदि किसी कारणवश वह टिकट न खरीद सके तो गार्ड को सूचना देकर उसे ट्रेन में सवार हो जाना चाहिये (यह नियम ई. आई. आर. रेलवे में नहीं भी माना जाता,)। ऐसा करने से केवल किराया ही लिया जायगा। बिना टिकट के अथवा गार्ड को सूचना दिये बिना ही, गाडो पर सवार हो जाने से टिकट के मूल्य के सिवाय जुर्माना भी देना होगा।

(२) यात्री के बिना टिकट सफर करने अथवा रेलवे द्वारा नियुक्त कर्मचारो को टिकट दिखाने से इन्कार करने पर जहाँ से गाडो शुरू हुई है वहां से, अथवा बीच में टिकट यदि चेक हो तो अन्तिम चेकिङ्ग–जङ्क्शन से उस स्थान तक का किराया तथा जुर्माना देना होगा, जुर्माने की रकम ऊँचे दर्जे (पहला दर्जा) के लिये ६) रु०, बीच के दरजे (दूसरा तथा डेवढ़ा) के लिये ३) रु० तथा नीचे के दरजे (तीसरा दर्जा) के लिये १) रु० होगी। यदि मुसाफिर सवार होने के बाद भी बिना–टिकट पकड़े जाने के पूर्व ही, गार्ड को सूचना दे दे तो जुर्माना क्रमशः १), ॥) और ≈) आना देना होगा।

(३) यदि मुसाफिर टिकट खरीद लेने के बाद किसी कारण वश यात्रा न कर सके तो गाडी छूटने के समय से ३ घण्टे के भीतर स्टेशन–मास्टर से कहने पर, उसे किराया वापस मिल सकता है। इसके पश्चात् ट्राफिक सुपरिंटेन्डेन्ट के पास लिखने से हो सकता है।

(४) तीन वर्ष तक के बच्चे का किराया नहीं लिया जाता। तीन से बारह वर्ष तक के लडकों का किराया आधा लगता है। इसके ऊपर पूरा।

(५) सौ मील से अधिक फासले का यात्री, सौ मील जाने के बाद, प्रति

१ मार्च १९३१ रविवार फाल्गुन शु० १२, १९८७

२ मार्च १९३१ सोमवार फाल्गुन शु० १३, १९८७

३ मार्च १९३१ मङ्गलवार फाल्गुन शु० १४, १९८७

४ मार्च १९३१ बुधवार फाल्गुन शु० १५, १९८७

५ मार्च १९३१ गुरुवार चैत्र कृ० १, १९८७

सौ मील पर एक दिन के हिसाबसे रास्ते में ठहर सकता है।

(६) जिस दिन टिकट खरीदा जाय उसी दिन रात्रि के १२ बजे तक रवाना हो जाना चाहिये, अन्यथा टिकट बेकाम हो जायगा। किन्तु वही टिकट यदि शहर के टिकट घर से खरीदा गया हो तो दूसरे दिन के बारह बजे रात तक यात्रा आरम्भ की जा सकती है।

(७) जिस दरजे का टिकट लिया गया हो उसमें स्थान के अभाव से यदि यात्री को नीचे दरजे में सफर करना पड़े तो गार्ड को इस बात की सूचना देकर एक रसीद ले लेनी चाहिये। रसीद ले लेने पर उन दोनों दर्जों के किराये में जो अन्तर होगा वह वापस मिल जायगा।

(८) टिकट खरीद लेने पर, किन्तु सफर करने के पूर्व, यदि कोई ऊँचे दरजे में सफर करना चाहे तो वह ट्रेन छूटने के दस मिनट पहले ही, टिकट घर से दोनों दर्जों के किराय के अन्तर दे देने से ऊँचे दरजे का टिकट ले सकता है। बीच रास्ते में भी ऊँचे दरजे के लिये स्टेशन-मास्टर से कह कर तथा बाकी दूरीका अधिक किराया देकर लिया जा सकता है। समय कम होने पर गार्ड से रसीद लेकर उतरने वाले स्टेशन पर भी बाकी किराया दिया जा सकता है।

(९) यदि कोई यात्री गलती से; जहां तक का टिकट लिया गया हो, उससे आगे चला जाय, किन्तु स्टेशन की हद के बाहर जाने के पूर्व ही यदि दूसरी ट्रेनसे पूर्व निश्चित स्थान पर लौटना चाहे, तो उसे केवल एक तरफ का किराया देना पड़ेगा।

(१०) बिना गार्ड से कहे अथवा उनसे सार्टिफिकेट लिये यदि कोई यात्री अपने टिकट से ऊँचे दरजे में सफर करे अथवा जहां का टिकट लिया हो उससे अधिक यात्रा करे तो उसे किराये के अन्तर के अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा।

(११) यदि यात्री उसी गाडी से जहाँ तक का टिकट लिया गया हो उस से आगे जाना चाहे तो उससे जिस स्टेशन का टिकट लिया गया हो वहीं पर आगे के लिये टिकट मिल सकें तो ले लेना चाहिये, अन्यथा गार्ड को आगे का किराया देकर रसीद ले लेने बाद आगे बढना चाहिये।

(१२) जिस रास्ते का टिकट हो उसी रास्ते से सफर करना चाहिये। जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते के किसी जंकशन पर पहुँचने पर यदि यात्री रास्ता बदलना चाहे तो नये रास्ते के किराये का अन्तर देकर जा सकता है। यदि नये रास्ते का किराया पिछले लिये हुये रास्ते के टिकट से कम हो तो बिना किसी प्रकार का चार्ज दिये ही स्टेशन मास्टर से कहकर रास्ता बदला जा सकता है।

६ मार्च १९३१ शुक्रवार चैत्र कृ० २, १९८७

७ मार्च १९३१ शनिवार चैत्र कृ० ३, १९८७

८ मार्च १९३१ रविवार चैत्र कृ० ४, १९८७

९ मार्च १९३१ सोमवार चैत्र कृ० ६ १९८७

१० मार्च १९३१ मङ्गलवार चैत्र कृ० ७, १९८७

(१३) निर्धारित रास्ते को छोड कर दूसरे रास्ते से सफर करते हुये पकड़े जाने पर यात्री बिना किसी प्रकार का चार्ज दिये ही सबसे नजदीकी रास्ते से अपने जाने वाले स्थान को जा सकता है। यदि वह इसे मन्जूर न करे तो किराये का अन्तर देकर जा सकता है।

(१४) मुसाफिरों के साथ पुराना अथवा इस प्रकार से फटा या मुड़ीमुड़ी टिकट, जिसकी तारीख नहीं पढ़ी जा सकती, रहने पर जहां से टिकट चालू हुआ है वहां से पूरा किराया तथा जुर्माना देना पडता है।

(१५) तीसरे या डेवढ़े दर्जे के मामूली टिकट वाले यात्री यदि बीच में कहीं अपने टिकट को मेल का कराना चाहें तो किराये का अन्तर देकर मेल का करा सकते हैं। इसपर अधिक दिये हुये किराये की रसीद मिलती है, जो कि उतरने वाले स्टेशन पर टिकट के साथ ही दे देनी पड़ती है।

(१६) अन्य यात्रियों की इच्छा के विरुद्ध धूम्र-पान (सिगरेट तम्बाकू आदि का व्यवहार) न करना चाहिये, अन्यथा २०) तक जुर्माना हो सकता है

(१७) दूसरे यात्रियों को गाली देने, उनको तकलीफ पहुंचाने तथा रोशनी बुझाने की अवस्था में ५०) तक जुर्माना हो सकता है।

(१८) काम में लाये हुये टिकट से यात्रा करने अथवा रेलवे कम्पनी को अन्य किसी प्रकार से धोखा देने की कोशिश करने पर १००) तक जुर्माना हो सकता है।

(१९) स्कूल तथा कालेज के विद्यार्थी अथवा स्काउट्स एक साथ ४ या ४ से अधिक संख्या में यात्रा करना चाहें तो उन्हें हेडमास्टर या प्रिंसिपल की चिट्ठी के साथ ट्राफिक सुपरिटेन्डेन्ट के पास पत्र भेजने पर रियायती (कन्सेशन) टिकट मिल सकता है।

(२०) पहले दरजे का यात्री १॥ मन, दूसरे का १ मन, डेवढ़े का ३० सेर, तथा तीसरे का २५ सेर असबाब अपने साथ बिना किसी प्रकार का महसूल दिये ले जा सकता है। आधे टिकट वाले लड़कों को ऊपर दिये हुये वजन का आधा माफ है। निर्धारित वजन से असबाब अधिक होने पर ऊपर लिखे हिसाब से वजन बाद देकर, बाकी का आगे दिये हुये लगेज के रेट के अनुसार महसूल लिया जायगा।

(२१) असबाब को मुसाफिर इच्छानुसार अपने साथ ले जा सकता है और ब्रेक में भी दे सकता है। किन्तु ऐसे बंडल, जो डब्बे में बेंच के नीचे आसानी से न आ सकें या जिनसे दूसरे यात्रियों को कष्ट पहुंचे, ब्रेक में ही देने चाहिएँ।

(२२) कई रेलवे कम्पनियों ने यह नियम बनाया है कि यात्री अपने अस-

११ मार्च १९३१ बुधवार चैत्र कृ० ८, १९८७

१२ मार्च १९३१ गुरुवार चैत्र कृ० ९, १९८७

१३ मार्च १९३१ शुक्रवार चैत्र कृ० १०, १९८७

१४ मार्च १९३१ शनिवार चैत्र कृ० ११, १९८७

१५ मार्च १९३१ रविवार चैत्र कृ० १२, १९८७

बाब को अच्छी तरह बाँध कर (पैक कर) स्टेशन मास्टर के पास छोड़ सकते हैं। इसके लिये उनको पहले २४ घण्टे या उसके हिस्से का ≈), बाद में प्रति २४ घण्टे या इसके हिस्से पर -) प्रति बंडल के हिसाबसे देना पड़ेगा। इसके लिये एक रसीद मिलती है जिसके देने पर माल वापिस मिलता है। एक महीने तक असबाब वापिस न लेने पर लावारसी समझा जाता है।

(२३) निर्धारित वजन से अधिक असबाब रहने पर जहां से टिकट लिया गया हो वहीं उसे तौला देना चाहिये, और बढ़ती सामान का महसूल देकर रसीद ले लेनी चाहिये। बीच रास्ते में पकड़े जाने पर कुल असबाब का महसूल देना पड़ेगा। नियम नं० २० के अनुसार उसमें बजन बाद न किया जायगा।

(२४) सभी रेलवे में स्टैण्डर्ड समय रखा जाता है, जो कि कलकत्ता लोकल टाइम से २४ मिनट पीछे तथा बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद, कराची व दिल्ली के लोकल टाइमों से क्रमशः ३९, ९, २, ६१ और २२ मिनट आगे रहता है। प्रायः सभी स्थानों पर कुछ न कुछ रेलवे तथा लोकल टाइम में अन्तर पड़ जाता है। मुसाफिरों को चाहिये कि अपनी घड़ी स्टेशन की घड़ी से मिला लिया करें।

(२५) कीमती सामान के गिर जाने अथवा किसी प्रकार की जान-जोखिम होने की सम्भावना होने पर खतरे की जंजीर खींच लेनी चाहिये। यह जन्जीर प्रत्येक डब्बे में लगी रहती है। इससे गाडी खड़ी हो जायगी। बिना कारण जंजीर खींचने पर ५०) तक जुर्माना हो सकता हैं।

(२६) किसी भी रेलवे कर्मचारी के असभ्य व्यवहार पर उसकी रिपोर्ट उस रेलवे के डिस्ट्रिक्ट ट्राफिक सुपरिंटेंडेंट अथवा ट्राफिक मैनेजर के पास करनी चाहिये।

(२७) रेलवे का कोई भी कर्मचारी बिना रसीद दिये कोई रकम लेने का अधिकारी नहीं है। भूल से अधिक ली गयी रकम रसीद के आधार पर लिख पढ़ी करने से वापस मिल सकती है।

१६ मार्च १९३१ सोमवार चैत्र कृ० १२, १९८७

१७ मार्च १९३१ मङ्गलवार चैत्र कृ० १३, १९८७

१८ मार्च १९३१ बुधवार चैत्र कृ० १४, १९८७

१९ मार्च १९३१ गुरुवार चैत्र कृ० ३०, १९८७

२० मार्च १९३१ शुक्रवार चैत्र शु० १, १९८७

लगेज तथा पार्सल का महसूल

२॥ सेर अथवा १ घन फुट तक (केवल पार्सल के लिए)

२॥ ढाई सेर तक ५०० मील या उससे कम पर ।~), ५०० मील के बाद प्रति १०० मील पर ~) एक आने के हिसाब से अधिक लगेगा। किन्तु अधिक से अधिक (कितनी ही दूरी के लिए) १) लगेगा।

२॥ सेर अथवा १ घन फुट से ऊपर (पार्सल-लगेज दोनों के लिए)

मील	५ सेर का १ घनफुट तक		१० सेर का २ घनफुट तक		१५ सेर का ३ घनफुट तक		२० सेर का ४ घनफुट तक		२५ सेर का ५ घनफुट तक		३० सेर का ६ घनफुट तक		३५ सेर का ७ घनफुट तक		१ मन का ८ घनफुट तक	
	रु०	आ०	रु०	आ०	रु०	आ०	रु०	आ०	रु०	आ०	रु०	आ०	रु०	आ०	रु०	आ०
२५	०	५	०	५	०	५	०	५	०	५	०	५	०	५	०	५
५०	०	५	०	५	०	५	०	५	०	७	०	८	०	९	०	१०
७५	०	५	०	५	०	७	०	९	०	११	०	१३	०	१४	०	१५
१००	०	५	०	६	०	९	०	१२	०	१४	१	०	१	२	१	४
१२५	०	५	०	७	०	११	०	१४	१	१	१	४	१	७	१	९
१५०	०	५	०	८	०	१२	१	०	१	४	१	७	१	१०	१	१३
१७५	०	५	०	९	०	१३	१	१	१	५	१	९	१	१३	२	१
२००	०	५	०	९	०	१४	१	३	१	८	१	१२	२	०	२	४
२५०	०	६	०	११	१	०	१	५	१	१०	२	०	२	४	२	८
३२५	०	७	०	१३	१	३	१	९	१	१५	२	४	२	९	२	१४
४००	०	८	०	१५	१	६	१	१३	२	४	२	११	३	१	३	७
४७५	०	९	१	१	१	९	२	१	२	९	३	१	३	९	४	०
५५०	०	१०	१	३	१	१२	२	५	२	१४	३	७	४	०	४	९
६००	०	११	१	५	१	१५	२	९	३	३	३	१३	४	६	४	१५
६७५	०	१२	१	७	२	२	२	१३	३	८	४	३	४	१४	५	८
७५०	०	१३	१	९	२	५	३	१	३	१३	४	९	५	५	६	१
८२५	०	१४	१	११	२	८	३	५	४	२	४	१५	५	१२	६	९
९००	०	१५	१	१३	२	११	३	९	४	७	५	५	६	२	६	१५
१०००	१	०	१	१५	२	१४	३	१३	४	१२	५	११	६	९	७	७
११००	१	१	२	१	३	१	४	१	५	१	६	१	७	०	७	१३
११७५	१	२	२	३	३	४	४	५	५	६	६	७	७	८	८	४
१२५०	१	३	२	५	३	७	४	९	५	११	६	१३	७	१५	९	१
१३२५	१	४	२	८	३	११	४	१४	६	१	७	४	८	७	९	१०
१४००	१	५	२	९	३	१३	५	१	६	५	७	९	८	१३	१०	१
१५५०	१	६	२	११	४	०	५	५	६	१०	७	१५	९	४	१०	९
अधिक	१	६	२	१२	४	२	५	८	६	१३	८	२	९	७	१०	१२

१ मन या ८ घन फुट से अधिक आठवें कालम के हिसाब से

२१ मार्च १९३१ शनिवार चैत्र शु० २, १९८७

२२ मार्च १९३१ रविवार चैत्र शु० ३ १९८७

२३ मार्च १९३१ सोमवार चैत्र शु० ४, १९८७

२४ मार्च १९३१ मङ्गलवार चैत्र शु० ५, १९८७

२५ मार्च १९३१ बुधवार चैत्र शु० ६, १९८७

रेल का किराया (थर्ड क्लास)

नाम स्टेशन	कलकत्ता से मील	कलकत्ता से रु.आ.पा	बनारस कैण्ट से मील	बनारस कैण्ट से रु.आ.पा	लखनऊ से मील	लखनऊ से रु.आ.पा	दिल्ली से मील	दिल्ली से रु.आ.पा	बम्बई से मील	बम्बई से रु.आ.पा	कराची सिटी से मील	कराची सिटी से रु.आ.पा	अहमदाबाद से मील	अहमदाबाद से रु.आ.पा	[illegible] मील	[illegible] रु.आ.पा
अजमेर	१०२३	११ १४ ६	५९४	८ ११ ०	४३८	६ १४ ०	२३५	३ १५ ०	७४६	१२ ६ ०	५५१	१० ८ ०	३०५	५ ० ०	४३६	[illegible] ० ०
अमृतसर	११४३	१२ १ ६	७१४	८ १३ ०	५०७	७ ४ ०	२७८	३ १४ ०	११४३	१६ ११ ०	७८८	८ ० ०	७८[illegible]	१२ ० ०	[illegible]	[illegible] ० ०
अयोध्या	५४६	६ २ ६	११७	१ १५ ०	८४	१ ८ ०	३८२	४ १४ ०	९६८	१४ ४ ०	१३[illegible]५	१४ १० ०	८२६	......	६८५	[illegible] ७ ०
अलीगढ़	८२३	८ ४ ६	३९४	४ १५ ०	२३८	३ ६ ०	७९	१ ६ ०	८२५	११ १५ ०	९८६	१० ५ ०	५७६	८ [illegible] ०	३०६	[illegible] ८ ०
अहमदाबाद	१३२७	१६ ० ६	८९८	१२ ११ ०	...	११ ७ ०	६६२	१० ३ ०	३१०	५ ० ०	६८२	१२ १० ०	...	......	७६[illegible]	[illegible] ८ ०
आगरा	७९२	८ ० ६	३६०	४ ११ ०	२०७	२ १५ ०	१२२	२ ६ ०	७७५	१२ १ ०	१०२९	११ ५ ०	५३८	८ ० ०	४१५	६ ८ ०
इन्दौर	१०८३	१४ १५ ६	६७०	१० १२ ०	...	११ ५ ६	५०१	८ २ ०	४४०	७ ६ ०	८५७	१५ १० ०	२७९	४ ९ ०	[illegible]	[illegible] ९ ०
इलाहाबाद	५१२	५ १४ ६	८४	१ ५ ०	१२५	१ १५ ०	३९१	५ १ ०	८४५	१२ ६ ०	१२९८	१४ ० ०	८०१	१२ १० ०	६०५	[illegible] १२ ०
उदयपुर	१२०७	१४ ९ ६	१४२०	१३ ९ ०	...	९ २ ०	४१९	६ १० ०	५९५	८ १४ ०	७३५	१३ ७ ०	३९२	६ ४ ०	५६७	[illegible] २ ०
कटिहार	२६४	४ ४ ०	३३०	३ १० ०	४८७	५ ७ ०	...	......	१२६५	१७ ९ ०	१६९१	१८ ९ ०	१२२८	१६ ८ ०	१०[illegible]	१३ ० ०
कराँची सिटी	१८०९	१७ १५ ६	१३८०	१४ ११ ०	१२५०	१३ ४ ०	९०५	७ १ ०	९९२	१६ १४ ०	...	......	६८२	१२ १० ०	[illegible]	७ १२ ०
कलकत्ता	...	......	४२९	५ ४ ६	६१६	६ १० ६	९०२	९ ० ६	१२२३	१७ १ ६	१८०९	१७ १५ ६	१२७३	२० ५ ६	[illegible]	[illegible] ८ ६
कानपुर	६३१	६ १२ ६	२०१	२ १५ ०	४६	० १३ ०	२७१	३ १४ ०	८४०	१२ ४ ०	११७८	१२ १३ ०	६९८	१० ६ ०	५५८	८ ० ०
खण्डवा	९५६	१३ ७ ६	५८०	९ ४ ०	५३२	८ ७ ०	६०४	९ ३ ०	३५३	५ १४ ०	९४४	१६ ४ ०	३६६	५ १२ ०	८७३	१२ १० ०
गया	२९२	४ २ ६	१३८	२ ३ ०	३७५	४ ५ ०	६११	६ ११ ०	१०५७	१५ ८ ६	१५१८	१५ १२ ०	१०१३	१५ १० ०	८८५	१० ५ ०
ग्वालियर	८०९	११ १ ०	५९२	६ १० ०	२४३	४ ७ ०	१९५	३ ९ ६	७६३	११ ४ ६	११०२	१२ ८ ६	६११	९ ७ ६	५९[illegible]	७ ११ ६
जबलपुर	७३३	९ १३ ६	३१३	५ ८ ०	३५४	५ १५ ०	५७२	८ १२ ०	६१६	९ ५ ०	१४७९	१७ ११ ०	५८९	९ १३ ०	८६९	१२ १० ०
जयपुर	९३९	१० ९ ६	५११	७ ४ ०	६५४	५ ८ ०	१८०	३ ० ०	६९९	१० १ ०	६३४	११ ८ ०	३८९	६ १ ०	४२८	६ १३ ०

२६ मार्च १९३१ गुरुवार चैत्र शु० ७, १९८७

२७ मार्च १९३१ शुक्रवार चैत्र शु० ८, १९८७

२८ मार्च १९३१ शनिवार चैत्र शु० ९ १९८७

२९ मार्च १९३१ रविवार चैत्र शु० १०, १९८७

३० मार्च १९३१ सोमवार चैत्र शु० ११, १९८७

३१ मार्च १९३१ मङ्गलवार चैत्र शु० १२, १९८७

रेल का किराया (थर्ड क्लास) चालू

नाम स्टेशन	कलकत्ता से		बनारस कैंट से		लखनऊ से		दिल्ली से		बम्बई से		करांची से		अहमदाबाद से		लाहौर से	
	मील	रु.आ.पा	मील	रु.आ.पा	मील	रु.आ.पा	मील	रु.आ.पा	मील	रु.आ.पा	मील	रु.आ.पा	मील	रु.आ.पा	मील	रु.आ.पा
जोधपुर	११२९	१४ ९ ६	७००	१० ११ ०	...	८ १५ ०	३४१	५ १३ ०	५७३	९ ३ ०	४४०	८ ८ ०	२८२	४ १५ ०	४८५	९ ८ ०
झांसी	७८८	१० १ ६	३३९	५ ९ ०	१८३	३ ७ ०	२५६	४ ८ ०	७०२	१० ७ ०	११५३	१३ ७ ०	५६०	९ ७ ०	५५३	८ १० ०
ढाका	२७०	५ ३ ३	...	८ ० ०	...	९ १३ ०	...	......	१४४४	२२ १० ०	२०११	२२ १५ ०	१५५२	२० १४ ०	१४०४	१७ ० ०
दार्जिलिंग	३८६	८ १२ ३	...	९ १४ ०	...	११ ११ ०	...	......	१५८६	२७ ५ ०	१८०२	२५ ६ ०	१४५२	२० १२ ०	२२२३	१९ १३ ०
दिल्ली	९०२	९ ० ६	४७३	५ १२ ०	३०३	४ ५ ०	...	......	८६५	१२ १३ ०	९०७	८ १५ ०	५३९	८ ० ०	२९७	४ २ ०
देहरादून	९५०	९ १४ ६	५४१	६ १० ०	३५४	५ १ ०	२११	३ ९ ०	१०७४	१६ ५ ०	९९६	१० १० ०	७२०	११ ९ ०	३३६	५ ३ ०
द्वारका	१५७९	२१ १० ०	१२६४	१९ १५ ०	...	१७ १ ६	७९१	१६ ५ ६	६०४	१२ २ ६	९३३	१८ ४ ६	२९४	६ ७ ६	१०१८	१७ १ ६
नागपुर	७०३	१० १२ ६	६५२	१० २ ०	...	१० ८ ०	६७९	१० २ ०	५२०	८ १ ०	१५८६	१९ १ ०	५९६	१० ३ ०	९७६	१४ ४ ०
नासिक रोड	१२३३	१६ ९ ६	८२०	१५ ६ ०	७६८	११ ८ ०	८४०	११ ४ ०	११७	२ ४ ०	१०९६	१९ २ ०	४१४	७ २ ०	११३७	१६ ६ ०
पटना	३३८	४ ७ ६	१४३	२ ३ ०	३३०	४ ७ ०	६१६	६ ११ ०	१०६२	१५ ६ ०	१५२३	१५ १२ ०	१०४१	१३ १२ ०	८९०	१० ५ ०
पुरी(जगन्नाथ)	३१०	५ ११ ६	६३१	१० ३ ०	...	१९ १४ ०	...	......	१२२२	२० ४ ०	२०११	२३ ३ ०	१४४०	२२ ९ ०	१३७८	१७ १२ ०
पूना	१३८४	१८ ८ ५	९८०	१४ ९ ०	...	१५ १० ०	९७३	१४ ३ ०	११९	२ ५ ०	१६६९	११ ३ ०	४१७	७ ३ ०	१२८१	१८ ४ ०
पेशावर कैंट	४१६३	१५ १ ६	१०३४	११ १३ ०	८४०	१० ४ ०	५८५	६ ६ ०	१४६३	१९ ३ ०	६२९	९ १ ०	१०५५	१४ १३ ०	२८८	४ ०
बड़ोदा	१२२९	१९ १० ६	१००७	१३ ३ ०	६९९	११ ६ ०	६०२	८ १४ ०	२४७	४ १ ०	७४५	१३ ९ ०	६३	१ १ ०	८३०	१२ ५ ०
बनारस कैंट	४२९	५ ४ ६	...	.....	१८७	२ १२ ०	४७३	५ १२ ०	९२९	१३ १२ ०	१३८०	४ ११ ०	८८५	१६ ० ०	७४७	९ ४ ०
बम्बई	१३४९	१८ १ ६	९२३	१३ [illegible] ०	८८५	१३ १ ०	८६५	१२ १३ ०	...	.....	९८८	१६ ३ ०	३१०	५ ० ०	१०७७	१५ ९ ०
बीकानेर	११७२	१५ २ ६	७०५	१२ २ ०	...	११ ० ०	३३२	६ ६ ०	७६३	१२ १३ ९	६११	१२ १ ०	४५३	८ ९ ०	३८४	६ ४ ०
भरतपुर	८२३	८ ९ ७	३९१	५ ४ ०	२३८	३ ८ ०	१११	२ २ ०	८०८	११ ११ ०	७४७	१३ ७ ०	५१५	७ ९ ०	४०८	६ ४ ०

रेल का किराया (थर्ड क्लास) चालू

नाम स्टेशन	कलकत्ता से		बनारस कैंट से		लखनऊ से		दिल्ली से		बंबई से		करांची सिटी से		अहमदाबाद से		लाहौर से	
	मील	रु.आ.पा	मील	रु आ.पा	मील	रु आ.पा	मील	रु.आ.पा	मील	रु.आ.पा	मील	रु.आ.पा	मील	रु.आ पा.	मील	रु.आ.पा
भावनगरदरबार	१४७०	२० ४ ६	१०४१	१५ १२ ०	...	१३ १४ ०	८४७	१३ २ ०	४७७	७ १० ०	८२४	१५ १ ०	१६७	२ १५ ०	१०९	१३ १४ ०
भुसावल	१०७३	१४ ७ ६	६५३	१० ४ ०	६०९	९ ७ ०	६८१	१० ३ ०	२७६	४ १३ ०	१५८८	१३ २ ०	३५३	६ २ ०	९७८	१४ ५ ०
भोपाल	९२६	१२ ९ ६	५२०	७ ६ ०	३६४	६ ४ ०	४३७	७ ० ०	५२१	८ १ ०	१३४४	१५ १५ ०	७२९	६ ८ ०	७३४	११ २ ०
मथुरा	९२५	८ १२ ६	३९६	५ ८ ०	...	३ ११ ०	९०	१ १३ ०	८६८	१२ ९ ०	९९७	१० १२ ०	५२६	७ १४ ०	३८७	५ ११ ०
मदरास	१०३२	१५ १ ६	१४६१	२० ५ ०	...	२१ ११ ६	...	......	७९४	१२ ० ०	१७७४	२८ १४ ०	१०९२	१६ १४ ०	१६५८	२४ ७ ०
मेरठ सिटी	९०१	८ १४ ६	४७३	५ ९ ०	२८६	४ ० ०	४२	१ १२ ०	९०८	१३ १० ०	९४९	९ ४ ०	५८१	८ १२ ०	३०८	४ ४ ०
मैसूर	...	......	१५२६	२२ २ ०	...	२२ २ ०	...	......	७४५	१० १५ ०	१८१४	३२ ० ०	१०४३	१५ १३ ०	१८३५	२७ ६ ०
रांची	२५१	४ ९ ९	३८९	६ १ ०	...	७ १२ ०	...	......	१३७४	१७ १२ ०	१७६६	१९ २ ०	११९२	१९ ४ ०	११३३	१३ ११ ३
रामेश्वर	११९५	२६ ९ ३	११०९	२६ ४ ०	...	२९ ३ ६	...	......	१२००	१७ ५ ९	२२०८	३२ १५ ३	१५३३	२२ ९ ३	२१४२	३० ११
रावलपिंडी	१३५५	१४ ३ ६	९२६	१० १५ ०	७३९	९ ६ ०	४७७	५ ९ ०	१३५५	१८ ६ ०	९३५	९ २ ०	९४७	१३ १३ ०	१८०	२ १० ०
लखनऊ	६१६	६ १० ६	१८७	२ १२ ०	...	......	३०३	४ ५ ०	८८५	१३ १ ०	१२१०	१३ ४ ०	७४२	१० १५ ०	५६०	७ ११
लाहौर	११७९	१२ ८ ६	७८७	९ ४ ०	५६०	७ ११ ०	२९७	४ २ ०	११७५	१६ १५ ०	७५५	७ १२ ०	७६७	११ ८ ०	...	......
शिमला	१२२४	१२ १० ६	६५९	९ ६ ०	५७०	७ १३ ०	३२२	४ ५ ०	११८७	१७ २ ०	१०४५	१० ० ०	९८०	१२ ५ ०	३८६	४ १३ ०
सहारनपुर	९३८	९ [illegible] ६	५०९	५ १६ ०	३२२	४ ५ ०	११३	१ १२ ०	९७५	१४ ८ ०	८९८	८ १३ ०	६५२	९ १२ ०	२३८	३ ६ ०
हरिद्वार	९२२	९ २ ०	४९३	५ १३ ६	३०६	४ ४ ६	१६३	२ १२ ३	१०२८	१५ ९ ६	९४८	९ १३ ६	७०२	१० १२ ६	२८८	४ ६ ६
हैदराबाद दक्षिण	९८७	१५ ८ ६	११५७	१७ १४ ०	९७३	१४ १२ ०	१०४४	१५ ८ ०	४९१	८ ० ०	१४८२	२४ १४ ०	७८९	१२ १४ ०	१३४६	१९ १० ०

धर्मशालायें।

अजमेर।

१—टीकमचंद सोनी की स्टेशन के पास।

२—रोलवालों की, स्टेशन के पास।

अयोध्या।

१—हरनारायणदास की, रायगंज।

२—कन्हैयालाल को, रायगंज।

३—महन्त सुखरामदास की नयाघाट।

४—लाला पन्नालाल नवाबगंज (गोंडा) वाले की वसुदेव घाट।

५—करमलीदास जी बम्बई वाले की स्वर्गद्वारघाट।

अलीगढ़।

१—जानकी बाई की, दूबे का पाड़ा।

२—मलूकचंद की स्टेशन के पास।

अमृतसर।

१—सन्तराम का तालाब, स्टेशन के पास।

२—लाला हरगोविन्द दास की, स्टेशन के पास।

३—हरदयाल दुर्गादत्त की, मलका को मूर्ति के पास मारवाडी बाजार।

अंबाला।

१—मास्टर हरगूलाल की, अनाजमंडी, छावनी।

आगरा।

१—लाला रामकिशन दास सरावगी की फोर्ट स्टेशन के पास।

२—रायबहादुर विश्वम्भरनाथ की, सिटी स्टेशन के पास।

३—उत्तम जैन दिगम्बर धर्मशाला, राजा की मण्डी स्टेशन के पास।

आरा।

१—बाबू हरप्रसाद जैन की, महाजन टोली में।

आजिमगंज।

१—रामबुद्धसिंह बहादुर की।

२—राय गणपतिसिंह बहादुर की।

आसनसोल।

१—आसाराम, जौहरीमल, रामनारायण गङ्गाविशन की, मुंशी बाजार में।

इन्दौर

१—सेठ हुकुम चन्द की नसिया स्टेशन के पास।

इटावा।

१—बद्री दास की धर्मशाला, पुराना शहर।

२—स्टेशन के पास भी एक धर्मशाला, है।

इश्री।

१—दिगम्बर जैन धर्मशाला।

२—श्वेताम्बर जैन धर्मशाला।

उज्जैन।

१—फतेहपुरियों की, क्षिप्रा नदी के किनारे।

२—खेमराज श्रीकृष्णदास की, हरिसिद्धि दरवाजा।

३—महाराज ग्वालियर की, स्टेशन के पास।

४—सखाराजा की धर्मशाला।

५—व्यंकटेश भवन धर्मशाला।

६—गजाधर की धर्मशाला।

उदयपुर।

१—महन्त माधवदासजी की सूरजपोल के पास।

उन्नाव।

१—लाला सोहनलाल अगरवाल की।

कलकत्ता।

१—फूलचन्द मुकीम जैन की, ९ श्याम बाई गली, बड़ा बाजार।

२—रायबहादुर सूरजमल की, ६ मल्लिक स्ट्रीट।

३—बाबू लक्ष्मीनारायण की, ५१ बांस तल्ला।

४—राजा शिवबख्श बागला की, हवड़ा स्टेशन पर।

५—विनायकमिश्र की, २२६ हरिसन रोड।

६—श्याम देवी भूतिका की, १५० हरिसन रोड।

७—बब्बूलाल अगरवाल, १६९ हरिसन रोड।

८—रामकृष्णदास गिरधारी लाल, १६७ हरिसन रोड।

कन्नौज।

१—बाबू कुञ्जबिहारी लाल जी का मन्दिर, शहर में।

क्यूल।

१—झगरमल हजारीलाल लोहिया की, स्टेशन से एक फर्लाङ्ग पर।

कासगंज।

१—परमानन्दजी की।

कानपुर।

१—बैजनाथ रामनाथ सिंहानियां की, स्टेशन से आध मील पर।

२—मच्छी भवन धर्मशाला, नयागंज।

३—सेठ लक्ष्मणदास की, लाठी मुहाल।

४—तुलसीराम शिवप्रसाद की, स्टेशन के पास।

५—पीली कोठी, चटाई मुहाल।

६—बेनीमाधव की, मूलगंज।

७—अनन्तराम की, फीलखाना।

काटा।

१—महारानी साहिबा की, जंक्शन स्टेशन के पास।

कटवा।

१—कालीबाड़ी धर्मशाला।

कोलगांव।

१—बा० गिरधारीलाल मारवाडी की।

खंडवा।

१—सेठानी पार्वती बाईकी, स्टेशन के पास।

गया।

१—सेठ शिवप्रसाद झुनझनू वाले की, स्टेशन पर।

२—सेठ शिवप्रसाद झुनझनू वाले की, चांदचौरे के पास

३—महाबोधी सोसाइटीकी, बौध गया।

ग्वालियर।

१—श्री कृष्ण धर्मशाला।

गढ़मुक्तेश्वर ।

१—राय साहब नामामल जानकीदास की दो हैं ।

गाजियाबाद ।

१—मि० जानईगिल ब्राइट,की ।

गिरीडीह ।

१—राय धनपतसिंह की ।

गुलजारी बाग ।

१—बा० किशोरीलाल चौधरी की ।

चाँदपुर सिआऊ ।

१—श्रीमती वासन्ती देवी का ।

जसीडीह ।

१—जुगुलकिशोर सूरजमल रुइया की, स्टेशन के पास ।

जामनगर ।

१—मूलजी जेठा की, खंभालिया नाका ।

जोधपुर ।

१—श्री जसवन्त जाड़ेची विलास, स्टेशन से एक फर्लाङ्ग पर ।

जूनागढ़ ।

१—जीवराज दयाल भाटिया की ।

जौनपुर ।

१—नारायणदास परमेश्वरीदास की, स्टेशन के पास ।

झांसी ।

१—बाबू मुन्नालाल की ।

ट्रिचनापल्ली ।

१—खेमराज श्रीकृष्णदास की ।

डाकोर ।

१—मु० शंकरस्वरूप की ।

डालटनगंज ।

१—सेठ चुन्नीलाल गनपतराम रांची वाले की, स्टेशन से पौन मील पर ।

दिल्ली ।

१—लाला छन्नामल की ।

२—लाला लक्ष्मीनारायण की, फतेहपुरी बाजार ।

३—मारवाड़ी धर्मशाला, नई सड़क, चांदनी चौक ।

४—पन्नालाल माधवप्रसाद, सीताराम बाजार ।

दरभंगा ।

१—दरभंगा नरेश की स्टेशन के पास ।

२—ऊगरमल हजारीमल की,

द्वारकापुरी ।

१—आऊजी प्रेमजी की, श्री जी के मंदिर के पास गोमती द्वारका ।

२—बलन्तलाल रामेश्वर लाल दुदवा वाले की मन्दिर के पास ।

३—हजारीमल दुदवा वाले की ।

४—अचारी जी की, भेंट द्वारका ।

५—सत्यभामा जी की, भेंट द्वारका ।

धामपुर ।

१—मु० भगत विहारीलाल की ।

नागपुर ।

१—जमुनादास जी पोद्दार की,

नासिक ।

१—महाराज कपूरथला की, पंचवटी पर

नैनी ।

१—बिहारीलाल कुन्जीलाल सिघानिया की ।

नीमसार।

१—सेठ शिवरामदास तथा रामनिरंजनदास की।

नैनीताल।

१—वच्छी गौड धर्मशाला; सिपाही धारा।

२—म्युनिसिपल सराय, तल्लीताल।

पटना।

१—गुरुमुखराय सरावगी की।

२—लाला अनन्तलाल अगरवाल की,

३—मारवाड़ी समाज की, चौक।

४—किशोरीलाल चौधरी की, गुलजार बाग।

५—लाला जय तथा छोटेलाल की।

पीलीभीत।

१—लाला मूलचन्द की।

पुरी।

१—रामचन्द्र गोयनका की।

२—धनजी मलजी तथा आत्माराम सीताराम की।

३—सेठ कन्हैयालाल बागला चूरू वाले की।

प्रयाग।

१—बिहारीलाल कुञ्जीलाल सिंहानिया की।

२—तेजपाल गोकुलदास की मुट्ठीगंज।

३—गोमती बीबी की मुट्ठीगज।

४—बाबू वंशीधर गोपालदास रस्तोगी की, दारागञ्ज।

पामरगंज।

१—सेठ शिवप्रसाद जी की।

पुनपुन।

१—सेठ शिवप्रसाद जी की।

फैजाबाद।

१—पतितदास के मन्दिर के पास मु० अमानीगंज में।

२—फैजाबाद और देवकली रोड के बीच में मुहल्ला वेनीगंज में।

३—देवकली रोड पर देरुआ की कोठी के सामने।

४—मुहल्ला साहबगंज के मूलचन्द चम्मनलाल की, दूकान के पास।

५—साहबगंज में पं० परमेश्वरनाथ शाहपुर के मकान के पास।

६—मुआफ नाका में हरदयाल जी की।

फर्रुखाबाद।

१—लाला सुन्दरलाल कलकत्तेवाले की बढनिया टोला।

२—दूलाराय की।

बनारस।

१—श्री कृष्ण धर्मशाला।

२—राधाकृष्ण शिवदत्तराय की, ज्ञानवापी।

३—लच्छीराम की, फाटक सुखलाल साव।

४—लखनऊ वाले की बुलानाला।

५—मोतीलाल मंगलचन्द की बुला नाला।

६—चित्र गुप्त आश्रम, कचौड़ी गली।

बम्बई।

१—हीराबाग, गिरगांव।

२—माधौबाग, गिरगांव।

बरेली।

१—सेठ खुन्नीलाल की।

बीकानेर।

१—मोहता मोतीराम की।

भागलपुर।

१—हरदेवदास जी की।

भुवनेश्वर।

१—हरगोविन्दराय मथुरादास डालमिया भिवानी वाले की।

मसूरी।

१—श्री सनातन धर्म } मसूरी कमेटी
२—आर्य समाज } के अधिकार में।

३—गढवाली धर्मशाला } ये लाहौर में
४—सिख धर्मशाला } कैन्टोमेन्ट में है

मदुरा।

१—एक वेश्या की स्टेशन के पास।

मैनपुरी।

१—सावित्री धर्मशाला स्टेशन से एक मील।

मोमामा।

१—भगवानदास बागला की, स्टेशन के पास।

मुंगेर।

१—रायबहादुर वैजनाथ गोयनका की, स्टेशन के पास।

मुरादाबाद।

१—लाला सांवलदास की।

२—लाला जवाहरलाल की।

मेरठ।

१—नाइन की धर्म सभा की।

२—लाला धर्म दास की।

३—लाला किशनसहाय की।

४—लाला परमानन्द की।

५—लाला सुन्दरलाल की।

६—लाला तोताराम की।

७—मुसम्मात सुन्दरकुंअर की।

८—पंचायती की।

९—रस्तोगी की।

मुलतानगंज।

१—सेठ बैजनाथमल मारवाडी की।

मानपुर।

१—प्रेमनारायणजी की।

मुगलसराय।

१—बा० रामजी दास जाटिया की।

मुहल्ला दारागंज।

१—बाबू मोतीचन्द की, मोरी।

२—बाबू रामप्रसाद चौधरी की, वकसी कला।

३—बुधसेन मङ्गलसेन की, नईबस्ती।

४—जीवनराम की, अलोपीबाग।

५—लाला शिवप्रतापसिंह की, अलोपीबाग।

६—लाला बच्चूलाल की, शिवकाटी महादेव।

७—लाला गुलजारीलाल की, अलोपी बाग।

८—महन्त जानकीदास की, मोरी।

९—रीवां के महाराज की, मिलहाजपुर।

१०—मुन्नीलाल सेठ की, मुट्ठीगंज।

११—गोमती बीबी की, अलोपीबाग।

१२—राय राधारमन की, नईबस्ती।

१३—राय शिवप्रसाद की, चौखण्डी।

१४—राय शिवप्रसाद की, अलोपीबाग।

१५—रामदास की, अलोपी बाग।

१६—राणा संग्रामसिंह की, मुट्ठीगंज।

१७—रामनाथ की, मिनहाजपुर।

१८—शेख मशीउद्दीन की, मुट्ठीगंज।

१९—तेजपाल गोकुलदास की, मोरी-वासुदेवराव की।

मिर्जापुर।

१—बीजराम भाड़ामल की।

मुजफ्फरनगर।

१—रायबहादुर बलदेवदास बसन्तलाल दुद्दवा वाले की सरैयागंज।

२—लछीराम की पुराना बाजार।

३—राय परमेश्वर नारायण महता की।

मथुरा।

१—तेजपाल गोकुलदास जी की, मारू गली।

२—राजा तिलोई की, बंगाली घाट।

३—रामगोपाल मालाणी की, प्रयाग घाट।

४—हरमुखराय दुलीचन्द्र हाथरस वाले की स्वामी घाट।

५—हरदयाल विष्णुदयाल कलकत्ते वाले की, नया बाजार।

६—महाराज आवागढ की पुल के पास

७—अहमदाबाद वाले की, दामोदर भवन छाता बाजार।

८—दामोदरदास तपसीदास, विश्राम घाट के पास।

मद्रास।

१—राजाराम स्वामी मुडलियर की।

२—वंशीलाल अबीरचंद की साहूकार पैठ।

मनमाड।

१—दीवान बहादुर गोविन्दास मदरा वाले की।

रामेश्वर।

१—बन्शीलाल अबीरचन्द की मन्दिर से थोडी दूर पर।

२—रायबहादुर भगवानदास बागला की रामझरोखे की सडक पर।

रायबरैली।

१—कन्हाई शाह बाकल की।

रानीगंज।

१—बजाज की धर्मशाला।

लखनऊ।

१—छेदीलाल की, अमीनाबाद पार्क।

२—भोलानाथ की।

३—प्रभूदयाल जैन की, अहियागंज।

४—गूंगेनवाब की, बाग धर्मशाला।

लाहौर।

१—मूलचन्द की।

लुधियाना।

१—लाहौरी खत्रियों की पञ्चायती कूचा लालूमल।

वर्द्धवान।

१—बा० शशिभूषण बोस की।

वरियारपुर।

१—शोभाराम शिवदत्तराय की।

विन्ध्याचल।

१—शिवनरायण बल्देवदास सिंहानिया की।

२—सारस्वत खत्रियों की।

३—चुनमुन मिश्र की।

बृन्दावन।

१—मिर्जापुरवालों की।

२—ताराचन्द रामनाथ पूनावाले की।

वांडी।

१—कंडा स्वामी मुडलियर (पोन्नेरी के राजा की)।

वैद्यनाथ।

१—मुखरामजी लक्ष्मीनारायण कानोडिया की।

२—रामचन्द्र गोयनका की।

३—हजारीमल दुदवा वाले की।

४—हरिकिशनदास पन्नालाल मदड की।

श्रीरामपुर।

१—बा० क्षेत्र मोहनशाह जी की।

सागर।

१—सेठ नरायणदास गेडा की।

२—केदारनाथ गरिया की।

३—दुर्गाप्रसाद मोदी की।

४—विन्द्रावन वाग धर्मशाला गोपालगंज।

५—जैन धर्मशाला बजाजी।

६—जैन धर्मशाला (दिवालानाका)।

१—सूरजमल की।

२—स्टेशन धर्मशाला।

३—रेस्ट हौस बोध गया।

सण्डीला।

१—राजा दुर्गाप्रसाद की।

सहारनपुर।

१—सेठी मूलराम की।

हाथरस।

१—लक्ष्मीनारायण की

२—सेठ बिहारीलाल की।

हरिद्वार।

१—सदासुख गंभीरचन्द्र की।

२—विनायक की।

३—सूरजमल की।

४—सुखीराम की।

५—सिन्ध शिकार पुरी की।

६—विलास पुर की।

७—महाराज कपूर्थला की।

८—पञ्चायती धर्मशाला।

९—कराडीमल की।

१०—जयरामदास भिवाली वाले की।

११—भोलागिरि की।

१२—बाबा काली कमली वाले की।

हिन्दुस्तान से यूरोप को जाने के जलमार्ग।

हिन्दुस्तान से युरोप को जाने का सीधा मार्ग बम्बई से है पांच लाईनों द्वारा जलयात्रा हो सकती है उनके नाम ये हैं।

(१) पी० एन्ड० ओ० लाईन।
(२) दी ऐंकर लाईन।
(३) दी सीटी एन्ड हौल लाईन।
(४) दी लायड ट्रीस्टीनो लाईन।
(५) ब्रिटिश इंडिया लाईन।

बम्बई से मारसीलीज होते हुए लण्डन को जाने के लिये कम से कम १५ दिन लगते हैं।

नेटाल लाईन स्टीमर पश्चिम की ओर जाने के लिये मिल जाते हैं कलकत्ते से भी कुछ जहाज योरुप को जाते हैं जो कोलम्बो (लङ्का) होकर जाते हैं इस तरह की लाईनें निम्न लिखित हैं।

(१) पी० एन्ड ओ० लाईन।
(२) ओरियन्ट लाईन।
(३) मीसेजरीज मेरीटाइम्स लाईन।
(४) बिब्बी. लाइन्स।
(५) एन. वाइ. के. लाईन।
(६) आस्ट्रेलियन कामनवेल्थ लाईन।
(७) रायल डच लाईन।

पी. एन्ड ओ. स्टीम नेव्हीगेशन कम्पनी का किराया

बम्बई या कराची से
लन्दन या प्लाईमाउथ तक।

पहिला सेलून	ए.	बी.	सी.
एक तरफ का	९५ पौं.	८५	७५
दोनो तरफ का	१६६	१४९	१३०
दूसरा सेलून			
एक तरफ का	६३	५७	
दोनों तरफ का	११०	१००	

बम्बई या कराची से
मारसीलीज (फ्रान्स) तक

पहिला सेलून	ए.	बी.	सी.
एक तरफ का	८७	७७	६८
दोनो तरफ का	१५२	१३५	११९
दूसरा सेलून			
एक तरफ का	५९	५३	
दोनो तरफ का	१०३	९३	

बम्बई या करांची से
माल्टा या जिब्राल्टर तक

पहिला सेलून	ए.	बी.	सी.
एक तरफ का	८९	७२	६९
दोनों तरफ का	१५५	१३८	१२१
दूसरा सेलून			
एक तरफ का	६१	५५	
दोनों तरफ का	१०६	९६	

कलकत्ते से लन्दन

पहिला सेलून	ए.
एक तरफ का	७०
दोनों तरफ का	१२३
दूसरा सेलून	
एक तरफ का	५३
दोनों तरफ का	९८

नोट—करांची से बम्बई जाने के लिये अलग किराया नहीं लिया जाता बल्कि यूरोप के किराये में शामिल रहता है।

ब्रिटिश इण्डिया स्टीम नेविगेशन ।

कहां से कहां तक	पहिला सेलून	दूसरा सेलून
बम्बई या मद्रास से लन्दन	पौंड	पौंड
एक तरफ का	६६	५२
दोनों तरफ का	११६	९१
बम्बई से मारसीलीज		
एक तरफ का	६२	५०
दोनों तरफ का	१०९	८८

ऐंकर लाइन का किराया

बम्बई या करांची से लिवरपूल	रु०	
एक तरफ का	८००	
दोनों तरफ का	१४००	
बम्बई से मारसीलीज		
एक तरफ का	७४७	
दोनों तरफ का (लिवरपूल से वापसी)	१३४७	

सिटी एण्ड हौल लाइन का किराया

बम्बई या करांची से लिवरपूल	रु०	रु०
एक तरफ का	८५३	६४०
दोनों तरफ का	१४९३	११२०
बम्बई या करांची से मारसीलीज		
एक तरफ का	८००	६१३
दोनों तरफ का	१४४७	१०८०
कलकत्ता से लन्दन		
एक तरफ का	९०७	६९३
दोनों तरफ का	१५८७	१२१३

बिब्बी लाइन का किराया

रंगून से लन्दन	पौंड	
एक तरफ का	७६	
दोनों तरफ का	१३२	
रंगून से मारसीलीज		
एक तरफ का	६८	
दोनों तरफ का	१२०	
कोलम्बो से मारसीलीज		
एक तरफ का	५८	
दोनो तरफ का	१०१	

ब्रिटिश इण्डिया स्टीम नेव्हीगेशन (चालू)

कहां से कहां तक		पहिला सेलून		दूसरा सेलून	
कोलम्बो से लन्दन		पौंड			
एक तरफ का		६१			
दोनों तरफ का		११५			
हेंडरसन लाईन का किराया					
रंगून से लिवरपूल		पौंड			
एक तरफ का		६५			
दोनों तरफ का					
(४ महीने के लिये)		१००			
(दो वर्ष के लिये)		११७			
लायड ट्रिस्टी नो लाईन का किराया					
बम्बई से ब्रिंडिसी ट्रीयस्ट और वेनिस		पौं.	शि.	पौं.	शि.
एक तरफ का		६६	०	५४	०
दोनों तरफ का					
(दो साल के लिये)		११५	१०	९४	१०

विदेश जाने के लिये पासपोर्ट ।

विदेश जाने के लिये नियत किये हुये फार्म पर प्रान्तीय सरकार को अर्जी देना चाहिये। साधारणतया यह अर्जी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भेजी जाती है और देशी रियासतों में अर्जी पोलीटिकल रेज़ीडेन्ट या एजेन्ट–टू–दी गवर्नर जनरल को देना चाहिये।

अमरिका, जापान, इटली, फ्रान्स आदि देशों में घूमने तथा उन देशों के भीतर से जाने के लिये अनुमतिपत्र (Visa) उन देशों के कौन्सिल (राजदूत) से लेना चाहिये ।

पासपोर्ट लेने के लिये अर्जी के साथ एक बयान होना चाहिये जिसकी तसदीक पोलीटिकल आफिसर, मजिस्ट्रेट, जस्टिस आफ दी पीस, पुलिस आफिसर (सुपरडेन्ट से कम न हो) या कोई नोटरी पबलिक जो भारत में रहता हो करे।

अर्जी के साथ दो छोटे अपने फोटो बिला दफती के सार्टीफिकट सहित पेश करना चाहिये।

पासपोर्ट की फीस रु० ३ है।

पासपोर्ट ४ वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं मिलते उन्हें बदलाना चाहिये। एक साल के लिये बदलाने की फीस १ रु० है।

इंग्लैंड में पासपोर्ट के लिये ७ शि० ६ पेंस फीस है। बदलवाई फीस २ शि० है।

विदेशी राजदूत ।

(कलकत्ता)

अमरीका (यू. एस.)—९ एस्प्लोनेड मैनशन्स ।

आर्जेन्टाइन रिपवलिक—४ फेरली प्लेस ।

वेलजियम—४ डलहौसी स्कायर ।

डेनमार्क—४ फेरली प्लेस ।

फ्रांस—२ आकलैंड प्लेस ।

जर्मन—१ स्टोर रोड ।

ग्रीस — ६ कमर्शल विल्डिंग, क्लाइवस्ट्रीट ।

इटली—१८ बी. पार्कस्ट्रीट ।

जापान—२६-२७ डलहौसी स्कायर

नीदरलैण्ड—ई/१ क्लाइव विल्डिंग क्लाइव स्ट्रीट ।

न्यूजीलैण्ड—११ क्लाइव स्ट्रीट ।

नोरवे—२२ कैनिंग स्ट्रीट ।

पर्शिया—२२७/१ लोअर चितपुर रोड ।

पुर्तगाल—१० ओल्ड पोस्टआफिस स्ट्रीट ।

रूस— १० एसपलेनेड मेन्शन्स ।

स्पेन—२६ डलहौसी स्कोयर ।

स्वीडन— २१ वर्द्वान रोड ।

स्विजरलैण्ड—१०० क्लाइव स्ट्रीट ।

वेनीजुला—२ फेरली प्लेस ।

भारत में अंग्रेजी शासन ।

भारत में अंग्रेजी शासन।

१—चार्टर, पार्लीमेंटरी ऐक्ट, और भारतीय ऐक्ट।

भारत में अंग्रेजी शासन का संक्षिप्त इतिहास आगे दिया गया है। इस जगह जितने कानून भारतीय शासन सम्बन्धी आरम्भ से वर्तमान काल तक, इङ्गलैण्ड में अथवा भारत में पास हुये हैं दिये जाते हैं।

इन कानूनों के काल के तीन भाग हैं-(१) चारटर काल (१६००—१७६५) इस काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को केवल व्यापार करने के अधिकार ब्रिटिश सरकार की ओर से दिये गये।

(२) कम्पनी द्वारा शासन काल (१७६५-१८५८) इस काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को पार्लीमेंट के एक्टों द्वारा भारत में शासन करने का अधिकार दिया गया।

(३) ब्रिटिश नरेश शासन काल (१८५८ से वर्तमान काल तक)

(१) चारटर अथवा व्यापारी काल १६००—१७६५

इस काल में १३ महत्व पूर्ण चार्टर (अधिकार पत्र) ईस्ट इण्डिया कम्पनी को ब्रिटिश सरकार ने दिये।

१—रानी एलीज़ाबेथ का चारटर (१६००)। यह चारटर सन्द अंग्रेजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने के लिये दिया गया। इसका उद्देश्य यह भी था कि भारत में डच व्यापारियों का व्यापार रुक जाय। इस चारटर की अवधि १५ साल की थी।

२—जेम्स प्रथम का चारटर १६०९) इसके द्वारा पहिला चारटर फिर जारी किया गया और सदा के लिये कर दिया गया।

३—क्रोमवेल का चारटर (१६५७) इस चारटर का उद्देश्य यह था कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अन्य कम्पनियों से स्वतन्त्र कर दिया जावे जैसा कि इस चारटर द्वारा किया गया।

४—चार्लस द्वितीय का चारटर १६६१—यह चारटर इस उद्देश्य से दिया गया था कि चार्लस चाहता था कि चारटर से क्रामवेल का नाम हट जावे। उसने यह चारटर १६६१ में दिया और यह भी अधिकार दिया कि कम्पनी सिक्के बनावे और चलावे और जो कम्पनी के हद में अन्य व्यापारी जावें उन्हें सजा देवे।

५—चार्लस द्वितीय का चारटर १६६९। इस चारटर द्वारा (अ)-ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बम्बई टापू दिया

गया (अ) कम्पनी को यह अधिकार दिया गया कि अपनी नौकरी में ऐसे सरकारी पदाधिकारियों को ले सकती है जो इसके लिये तैयार हों।

६—चार्लस द्वितीय का चारटर १६८५–इस चारटर द्वारा कम्पनी को किसी एशियाई और अमरीकन जाति से युद्ध और सन्धि करने का अधिकार दिया गया और इस कार्य के लिये फौजें भरती करने और उन्हें सिखाने का भी अधिकार दिया गया।

७—जेम्स द्वितीय का चारटर १६८६–इस चारटर द्वारा—

(क) कम्पनी के अधिकार फिर से जारी कर दिये गये और दृढ़ किये गये और कम्पनी को एडमिरेल, वाइस एडमिरेल, और अन्य समुद्री अफसर नियत करने का भी अधिकार दिया गया।

(ख) कम्पनी को अपने किलों में सिक्के ढालने का भी अधिकार दिया गया।

८—कम्पनी का चारटर १६८७–यह चारटर कम्पनी की ओर से था न कि ब्रिटिश नरेश की ओर से। इस साल जेम्स द्वितीय ने कम्पनी को अधिकार दे दिया था कि मद्रास में म्युनिस-पैलिटी अपने चारटर द्वारा कायम कर दे।

९—विलियम का चारटर १६९३, पिछला चारटर दृढ किया गया किन्तु यह भी शर्त रक्खी गई कि अगर नये रेग्यूलेशनों को कम्पनी एक साल के भीतर न माने तो चारटर रद्द कर दिया जावेगा।

१०—१६९८ का चारटर–इसके अनुसार एक नई कम्पनी बनाई गई।

(क) यह कम्पनी साधारण तथा पिछले तत्वों पर ही बनाई गई केवल कम्पनी के संचालकों का नाम "डायरेक्टर" रक्खा गया।

(ख) नई कम्पनी को ही ईस्टइन्डीज में व्यापार करने का अधिकार दिया गया।

(ग) नई कम्पनी को अधिकार दिया गया कि कानून और उप–कानून (आर्डीनेन्सेज) बनावे, गवरनर नियत करे, अदालतें कायम करे और धर्म के पादरी नियत करे।

११—जार्ज प्रथम का चारटर १७२६ इस चारटर द्वारा–

(क) बम्बई और कलकत्ता में म्यूनि-सपेलिटियाँ कायम की गईं।

(ख) बम्बई और कलकत्ता में मेयर की अदालत कायम की गई।

१२—जार्ज द्वितीय का चारटर १७५३–इस चारटर द्वारा मद्रास कोरपोरेशन जो फ्रेंच लोगों के कबजे में जाने के कारण टूट गया था फिर से बनाया गया।

१३—१७५८ का चारटर-इस चारटर द्वारा कम्पनी को यह अधिकार मिला कि देशी नरेशों से जीते हुये किले, प्रदेश

अथवा प्रांत वापिस देदे या उनका योग्य प्रबन्ध करे।

२—कम्पनी शासनकाल।

१७६५—१८५८

इस काल के आरम्भ में ईस्ट इंडिया कम्पनी की क्या रचना थी यह जानना आवश्यक है।

इंगलैण्ड में रचना।

कम्पनी का संचालन १६९८ के चारटर के अनुसार किया जाता था। मालिकों का एक जनरल "कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्स" था और संचालकों का एक "कोर्ट आफ डायरेक्टर्स" थो। डायरेक्टरों की संख्या २४ थी और प्रत्येक वर्ष उन का चुनाव होता था।

भारत में रचना।

कम्पनी के तीन प्रेसीडेन्ट कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में कायम किये थे। प्रत्येक प्रेसीडेन्सी का शासन प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल द्वारा चलाया जाता था। मालिकों के कोर्ट द्वारा प्रेसीडेन्ट नियत होता था और कौंसिल के मेम्बर (जिन-की संख्या ३ थी) डायरेक्टरों के कोर्ट द्वारा नियत होते थे। कुल शासन विभागों का नियंत्रण प्रेसीडेन्ट और कौंसिल के हाथों में था और उन्हीं का अधिकार फौजों पर भी था। ब्रिटिश नरेश द्वारा तीनों प्रेसीडेन्सियों में अदालतें कायम हुई थीं जिन्हें दीवानी और फौजदारी दोनों अधिकार थे।

इस काल में ६ ऐक्ट पार्लीमेंट ने पास किये।

१—लार्ड नार्थ का रेगुलेटिंग ऐक्ट १७७३।

इस ऐक्ट के निम्नलिखित परिवर्तन किये।

इंगलैंड में (क) कोर्ट आफ डायरेक्टर केवल एक साल के लिये चुना जावे।

(ख) मालिकों के वोट उनके पूंजी के अनुसार कम ज्यादा कर दिये जावें।

भारत में (ग) सुप्रीम कोर्ट कलकत्ते में कायम की गई जिसमें एक चीफ जज और ३ सहायक जज रक्खे गये।

(घ) कलकत्ता में गवरनर जनरल और ४ कौंसिलर नियत हुये जिनका अधिकार अन्य प्रेसीडेन्सियों पर भी रक्खा गया। गवर्नर जनरल नियमानुसार रिपोर्ट डायरेक्टरों को भेजे और डायरेक्टर सेक्रेटरी आफ स्टेट के यहां भेजे ऐसा नियम ऐक्ट में रक्खा गया।

२—पिट का इंडिया बिल १७८४।

इस बिल द्वारा (क) पार्लीमेंट ने ६ प्रीवी कौंसिलरों को कमिश्नर नियत किया जिनके अधिकार में कुछ भारतीय मामले सोंपे गये इन कमिश्नरों के मातहत कुछ इन्तजामी, फौजी और माली प्रबन्ध कम्पनी के बनाये गये। डायरेक्टरों का यह कर्तव्य हो गया कि इन कमिश्नरों (बोर्ड आफ कन्ट्रोल) के सामने भारत सम्बंधी कुछ कागजात पेश करें। कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्स को

अब कोई अधिकार नहीं रहा कि कोर्ट आफ डायरेक्टर्स की कार्यवाही में हस्तक्षेप करे। भारत का शासन एक गवर्नर जनरल और ३ कौंसिलरों के हाथ में रक्खा गया।

चार्टर ऐक्ट १७९३।

इस ऐक्ट द्वारा (क) ब्रिटिश नरेश के अधिकार में यह बात रक्खी गई कि बोर्ड आफ कन्ट्रोल के सदस्य नियत करे यह सम्बन्ध नहीं रक्खा गया कि ऐसे सदस्य केवल प्रावी कौंसिलर ही हों।

(ख) कम्पनी के व्यापारी स्वत्व २० साल के लिये दृढ़ किये गये।

४—चार्टर ऐक्ट १८१३—इस ऐक्ट के अनुसार—

(क) कम्पनी के ऐसे अधिकार, कि भारत में वही केवल व्यापार कर सकती थी छीन लिये गये केवल चीन के लिये ऐसे अधिकार रक्खे गये।

(ख) कम्पनी पर यह बाध्य किया गया कि एक बिशप और दो आर्कडीकन्स नियत करे।

५—चार्टर ऐक्ट १८३३

इस ऐक्ट द्वारा कम्पनी के व्यापारी अधिकार छीनलिये गये और कम्पनी को शासक समिति बना दिया गया। चीन में व्यापारी स्वत्व भी उससे छीनलिये गये। यह भी निश्चित किया गया कि पूरे भारत के लिये एक से कानून बनाये जावें और भारतके सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया कि वह कानून और रेगुलेशन्स तैयार करे जो भारत की सब प्रजा यूरोपियन और देशी पर लागू हों।

६—चार्टर ऐक्ट १८५३।

इस ऐक्ट द्वारा पार्लीमेंट ने कम्पनी के शासनाधिकार ऐसे समय के लिये दृढ़ कर दिये जो उसे उचित मालूम हों। बंगाल बिहार और ओडीसा की एक प्रेजीडेन्सी लेफटिनेंट गवरनर के मातहत बनाई गई। गवरनर जनरल का शासन किसी विशेष प्रेसीडेन्सी पर नहीं रहा। कोर्ट आफ डायरेक्टर्स की संख्या २४ से १८ कर दी गई।

ब्रिटिश नरेश शासन काल।

(१८५७ से वर्तमान काल तक)

भारत में सं० १८५७ में विप्लव हो गया इस कारण अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित होने पर पार्लीमेंट ने सन १८५८ में एक ऐक्ट पास किया।

(१) गवरमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १८५८। इस ऐक्ट द्वारा कंपनी के सब शासन अधिकार छीन लिये गये और ब्रिटिश नरेश में कुल शासन अधिकार केन्द्रीभूत हुये। सेक्रटरी आफ स्टेट की सहायता के लिये एक कौंसिल बनाई गई जिसमें १५ सदस्य रक्खे गये। ८ नरेश द्वारा नियोजित और ७ कोर्ट आफ डायरेक्टर द्वारा चुने हुये। कवेनेन्टेड सिविल सर्विस में नौकरियाँ सब प्रजा के लिये खोल दी गई और परीक्षा कायम की गई। बोर्ड आफ कन्ट्रोल तोड़ दिया गया।

(२) इंडियन कौंसिल ऐक्ट १८६१-गवर्नर जनरल की एक्जीक्यूटिव

कौंसिल की रचना में कुछ परिवर्तन किया गया। और कानून बनानेवाली सभाओं की रचना में भी फेर फार किया गया।

(३) हाइ कोर्ट ऐक्ट १८६१-इस ऐक्टद्वारा सुप्रीम और सदर कोर्ट तोड़ दिये गये और, बम्बई कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित किये गये प्रत्येक में एक चीफ जस्टिस और अधिक से अधिक १५ जज रक्खे गये।

(४) इंडिया कौंसिल ऐक्ट १८९२-इस ऐक्ट के अनुसार भारत में व्यवस्थापक सभाओं (कौंसिलों) के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और गवरनर जनरल-इन-कौंसिल को अधिकार दिया गया कि सेक्रेटरी आफ स्टेट-इन-कौंसिल की अनुमति के आधीन इन सदस्यों की नियुक्ति के लिये नियम बनावे।

५—इन्डियन कौंसिल ऐक्ट १९०९—सन् १९०९ में लार्ड मिंटो वाइसराय ने एक खलीता सेक्रेटरी आफ स्टेट (लार्ड मोरले) को भेजा जिसमें उन्हों ने यह सूचितकिया कि उस समय की राजनैतिक अवस्था विचार करने योग्य है और जनता की ओर से बराबर मांग होरही है कि उसे नागरिक के समान अधिकारमिलें और शासन में अधिक योग्य भाग लेने का अवसर प्राप्तहो। इस पर विचार करने के लिये एक कमेटी नियुक्त हुई। सुधारों की एक रचना भी तैयार हुई। प्रांतीय सरकारों से भी राय लीगई, और लार्ड मोरले ने फरवरी १९०९ में एक बिल पार्लीमेंट में पेश किया जो कुछ संशोधनों के साथ पास हुआ।

इस ऐक्ट ने दो दिशाओं में अत्यंत महत्व पूर्ण परिवर्तन किया।

ऐडीशनल (गैर सरकारी) सदस्यों की संख्या।

नाम कौंसिल	१८९२से पहिलेअधिक से अधिक ऐडीशनल मेंम्बरों की संख्या।	१८९२के पीछे अधिक से अधिक एडीशनल मेंबरों की संख्या।	१९०९ के एक्ट द्वारा अधिक से अधि कमेंबरों की संख्या।
इम्पीरियल कौंसिल	१२	६१	६०
बम्बई ,,	८	२०	५०
मद्रास ,,	८	२०	५०
बंगाल ,,	८	२०	५०
यू० पी० ,,	—	१५	५०
पंजाब ,,	—	—	३०
बर्मा ,,	—	—	३०

(१) भारतीय कौंसिलों की रचना तथा कार्यों में।

(२)—प्रान्तीय सरकारों की कार्यकारिणी कमेटियों की रचना में।

कौंसिलों की रचना और कार्यों में इस प्रकार परिवर्तन हुये।

(क) सदस्यों की संख्या में वृद्धि। एडीशनल सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई। (ख) सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों का औसत निश्चित कर दिया गया। (ग) सदस्य नियोजित तथा चुने हुये दोनों प्रकार के रक्खे गये।

६—गवर्मेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९१९।

इस ऐक्ट के पास किये जाने के कारण अन्यत्र दिये गये हैं। इस ऐक्ट द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिये दो व्यवस्थापक सन्स्थायें बना दी गईं (१) कौंसिल आफ स्टेट जिसमें धनियों तथा बड़े जमींदारों का ही प्राबल्य हैं (२) लेजिसलेटिव ऐसेम्बली। यह एक प्रकार की साधारण सभा है। प्रांतों में एक व्यवस्थापक सभा बनाई गई है और प्रान्तिक विषयों को 'रिजर्वड' (संरक्षित) और ट्रान्सफर्ड (समर्पित) विभागों में बांट दिया गया हैं समर्पित विषय "मिनिस्टरों" के हाथों में दे दिये गये हैं। चुने हुये मेम्बरों में से ही मिनिस्टर नियोजित किये जाते हैं।

भिन्न भिन्न व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों की संख्या

(गवरमेंट आफ इंडिया एक्ट १९१९)

सरकार या प्रांत	निर्वाचित	नियोजित	कुल
भारत सरकार			
(१) लेजिसलेटिव असेम्बली	१०३	४०	१४३
(२) कौंसिल आफ स्टेट	३३	२७	६०
मद्रास कौंसिल	९८	२९	१२७
बंगाल "	११३	२६	१३९
बम्बई "	८६	२५	१११
संयुक्तप्रांत "	१००	२३	१२३
पंजाब "	७१	२२	९३
विहार उड़ीसा"	७६	२७	१०३
बर्मा "	—	—	—
मध्यप्रांत वरार"	५४	१६	७०
आसाम "	३९	१४	५३

इस ऐक्ट की दफा ८४ (अ) में यह नियम रक्खा गया है कि १० वर्ष के बाद पार्लीमेंट की दोनों सभाओं की अनुमति लेकर भारत मन्त्री सम्राट के सामने ऐसे व्यक्तियों के नाम पेश करेगा जो "कमीशन" का कार्य करेंगे और इस बात की जांच करेंगे कि भारत वासियों को उत्तर दायी शासन की मात्रा कम और कितनी दी जावे। इसे "स्टेचुटरी कमीशन" कहते हैं।

इस धारा के अनुसार सन् १९२७ के अन्त में ब्रिटिश पार्लीमेंट द्वारा एक कमीशन जिसे "सायमन कमीशन" कहते हैं नियत हुआ।

इस कमीशन की सहायता के लिये प्रान्तीय कौंसिलों के मेम्बरों द्वारा कमेटियाँ प्रांत में बनाई गईं और एक केन्द्रीय कमेटी भी बनाई गई जिसके सदस्य लेजिसलेटिव ऐसेम्बली के मेंबरों द्वारा चुने गये। इस सेन्ट्रल कमेटी के सभापति सर सङ्कर नायर बनाये गये।

नोटः—स० १९१९ के ऐक्ट ने बर्मा में कौंसिल स्थापित नहीं की। स० १९२२ में एक नया ऐक्ट बनाया गया जिसके अनुसार बर्मा भी गवरनर के आधीन प्रांत बनाया गया और कौंसिल भी वहां स्थापित हुई। मेम्बरों की संख्या १०४ है जिसमें ७९ चुने हुये हैं।

भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासक ।

गवरनर जनरल फोर्ट विलियम, बङ्गाल

नाम	नियुक्ति
वारेन हेस्टिंग्स	२० अक्टूबर १७७४
सर जान मैक फरसन	८ फरवरी १७८५
अर्ल कार्नवालिस	१२ सितम्बर १७८६
सर जान शोर	२८ अक्टूबर १७९३
सर एलफ्रेड क्लार्क (स्थानापन्न)	१७ मार्च १७९८
अर्ल आफ मार्निंगटन (मारकुइस वेलसली	१८ मई १७९८
मारकुइस कार्नवालिस (दूसरी बार)	३० जुलाई १८०५
कैप्टेन एल. ए. पी. ऐन्डर्सन, तथा सर जार्ज बारलो, बार्ट	१० अक्टूबर १८०५
लार्ड मिन्टो	३१ जुलाई १८०७
अर्ल आफ मोमरा (मारकुइस आफ हेसटिंग्स)	४ अक्टूबर १८१३
जान ऐडम (स्थानापन्न)	१३ जनवरी १८२३
लार्ड ऐमहर्स्ट	१ अगस्त १८२३
विलियम बटवर्थ बेली (स्थानापन्न)	१३ मार्च १८२८
लार्ड बेनटिंक	४ जुलाई १८२८

नोटः ता० १४ नोम्बर १८३४ से लार्ड बेनटिंक गवरनर जनरल इण्डिया हुये ।

गवरनर जनरल इंडिया

नाम	नियुक्ति
लार्ड बेनटिंक	१४ नवम्बर १८३४
सर चार्लस मेटकाफ, बार्ट	२० मार्च १८३५
लार्ड आकलैण्ड	४ मार्च १८३६
लार्ड एलिनबरो	२८ फरवरी १८४२
विलियम विलबरफोर्स बर्ड (स्थानापन्न)	१५ जून १८४४
सर हेनरी हार्डिंज (वाइकौंट)	२३ जुलाई १८४४
अर्ल आफ डलहौसी	१२ जनवरी १८४८
वइकौंट कैनिंग	२९ फरवरी १८५६

नोटः १ मई १८५४ में बङ्गाल में लेफ्टिनेंट गवरनर नियत हुआ उसी रोज से बङ्गाल प्रेसीन्डेसी का अधिकारी गवरनर जनरल नहीं रहा । ता० १ अप्रेल १९१२ को बङ्गाल में गवरनर मुकरर हुआ और लेफ्टिनेन्ट गवरनर की जगह तोड़ दी गई ।

भारत में अंग्रेज़ी शासन।

२—इतिहास—आरम्भ से १८५७ तक।

वर्तमान अंग्रेजी शासन के जन्म और विकास का इतिहास अत्यन्त महत्व पूर्ण है और प्रत्येक मनुष्य को जो वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति को सूक्ष्म रीति से निरीक्षण करना चाहता है उसे ज़ानना आवश्यक है। भारत में अंग्रेजों के आने का मूल उद्देश्य अथवा कारण शासन न था किन्तु केवल व्यापार। २४ अक्टूबर सन् १५९९ ई० में अकबर के शासन काल में इंग्लैण्ड में लन्दन के व्यापारियों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस उद्देश्य से बनाई कि पूर्वी देशों से अधिक सुगमता से व्यापार कर सकें और उन्हें इंग्लैण्ड के राज्य की ओर से अधिकार पत्र (Charter) भी प्राप्त हुआ। इस कम्पनी का नियन्त्रण एक शासक (Governor) और उसके साथ दो कार्य कारिणी समितियों (१) कोर्ट आफ प्रोप्रायटर्स (मालिकों की समिति) और (२) कोर्ट आफ डायरेक्टर्स (सञ्चालकों की समिति) के हाथ में दिया गया। भारत में कम्पनी की फैक्टरियों और अन्य कार्य का प्रबन्ध तीन स्थानों से किया जाता था, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। प्रत्येक स्थान में एक गवरनर और कम्पनी के उच्चाधिकारियों को एक मण्डल नियुक्त किया गया जो स्वतन्त्र रूप से प्रबन्ध करता था किन्तु इस कारण परस्पर द्वेष भाव उत्पन्न होने से कार्य में बड़ी गड़बड़ी होती थी।

एक दूसरी अंग्रेजी कम्पनी ने भी दुकानें कायम कीं लेकिन १७०८ सन् के चार्टर से दोनों सम्मिलित हो गईं।

औरङ्गजेब के शासन काल के पश्चात् भारत में केन्द्रीय शासन का अन्त हुआ और देश भर में अनेक शासक प्रान्त प्रान्त में उत्पन्न हो गये। मुसलमान और मराठों के द्वन्द्व युद्ध में अनेक शाखायें फूटीं फ्रांसीसी व्यापारी और अंग्रेजी व्यापारियों की उपस्थिति ने स्थिति में अनेक ग्रन्थियां डाल दीं। परस्पर द्वेष भाव और प्रतियोगिता के कारण इन्होंने मराठों, निज़ाम, दिल्ली के मुगल बादशाहों, बङ्गाल के नवाबों के गृह युद्ध में स्वार्थ साधन के उद्देश्य को आगे रखकर पक्ष लेने को उलट फेर युक्त चाल चलना आरम्भ किया जिससे गृह युद्ध ने दधिकाधों का स्वरूप धारण कर लिया।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने व्यापार के साथ २ लड़ाई का काम भी आरम्भ कर दिया और 'मिल' इतिहासकार के अनुसार अंग्रेजों ने बिना किसी कारण तञ्जोर के

नरेश प्रतापसिंह के विरुद्ध शाहाजी को जो स्वयं राज्य चाहता था सहायता की, उद्देश्य इतना ही था कि देही कोटा मिल जावे। किन्तु, लड़ाई में अंग्रेज बुरी तरह हारे। इस पर वे दुबारा लड़ने पर तैयार हुये। अन्ततः सुलह होगई और अंग्रेजों ने शाहाजी का साथ छोड़ दिया और प्रतापसिंह से जिस किले को वे चाहते थे पाया और साथ २ रियासत भी जिस की आमदनी ९००० पैगोडा थी पाई।

बङ्गाल में सिराजुद्दौला के राज्यारोहण से अंग्रेजों के स्वार्थ साधन में बाधा पड़ने लगी थी। लड़ाई का कारण पैदा होते देर न लगी। एक जमींदार ने मालगुजारी न दी इस पर नवाब की तरफ से उस पर कड़ाई हुई वह भाग कर कलकत्ता चला आया। नवाब ने उसे अंग्रेजों से मांगा। उन्होंने इनकार कर दिया इस पर १८ जून १७५६ को सिराजुद्दौला ने कलकत्ते पर चढ़ाई करके फोर्ट विलियम ले लिया। हालवेल और बहुत से अंग्रेजी सैनिक पकड़े गये। मिल इतिहासकार का कहना है कि अंग्रेज लोग स्वयं कैदियों को उसी स्थान में रखते थे जिसमें वे रक्खे गये और उन्होंने नवाब के मनुष्यों को वह जगह बताई। ऐसा कहा जाता है कि १४६ आदमी बन्द किये गये जिसमें केवल २३ आदमी जीवित रहे बाकी मर गये। इसी को "ब्लैक होल" दुर्घटना कहते हैं। यह वैसी ही दुर्घटना मालूम होती है जैसी सन् १९२१ में हुई जब मोपलाओं के दङ्गे में रेलगाड़ी के डिब्बे में अनेक कैदी भर दिये गये और उनमें से बहुत थोड़े छोड़कर सब मोपला कैदी दम घुटने से मर गये। उपरोक्त दुर्घटना के कारण अंग्रेजों में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और क्लाइव और वाटसन दक्षिण से भेजे गये। उन्होंने नवाब से फोर्ट विलियम वापिस ले लिया और कुछ धन भी लिया।

इसी समय फ्रान्स और इंग्लैण्ड में लड़ाई आरम्भ होने से क्लाइव ने चन्द्रनगर पर धावा कर दिया। इस पर नवाब सिराजुद्दौला ने फ्रान्स की सहायता करनी चाही। क्लाइव ने यह देख कर नवाब के सेनापति मीरजाफर को यह लालच दिखाकर कि जीतने पर तुम्हें नवाब बना देंगे अपनी तरफ फोड़ लिया। यह फोड़ा फाड़ी बङ्गाल के प्रसिद्ध सेठ अमीचन्द्र के जरिये हुई थी। ३० लाख रुपया देना उसे कहा गया किन्तु उसका यह कहना था कि नवाब के खजाने से जो कुछ मिले उसमें से ५ रु० फी सैकड़ा मुझे मिले। यह बात क्लाइव के साथियों को पसन्द न थी परन्तु 'मिल' इतिहासकार कहता है कि क्लाइव ने दो संधियां बनाई जिसमें एक में अमीचन्द को कमीशन देनेका इकरार था और दूसरे में नहीं एडमिरल वाटसन चूंकि इस जाल के खिलाफ था इसलिये क्लाइव ने उसके जाली दस्तखत बना दिये। इस तैयारी के बाद नवाब से कड़े शब्दों में सब हानियों की भर पाई मांगी

गई। नवाब के इनकार करने पर क्लाइव ने धावा कर दिया प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें मीरजाफर ने धोखा दिया और सिराजुद्दौल हार गया। मीरजाफर बंगाल का नवाब बना दिया गया। और कंपनी को २३ लाख पौंड (३.४५ करोड रुपये) का धन मिला जिस में से क्लाइब को खुद २ लाख पौंड (३० लाख रुपया) का धन मिला।

मि० ब्रुक ऐडम्स अपनी पुस्तक "ला आफ सिविलीजेशन ऐन्ड डिके" में लिखते हैं कि "प्लासीकी लडाई के बाद ही बंगाल की लूट का माल इंग्लेंड में पहुंचना शुरू हुआ और सब सिद्ध हस्तों का इस बात पर एक मत है कि इंग्लैंड को इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन (औद्योगिक क्रांति) १७६० में शुरू हुई।......
कदाचित जगत के आरंभ से किसी भी व्यवसाय में किसी भी देश को ऐसा लाभ नहीं हुआ जैसा आंग्ल देश को भारत की लूट से हुआ" स० १७५८ में क्लाइव गवरनर मनाया गया।

ईस्ट इंडिया कंपनी की लालच बढती गई जिसे मीरजाफर पुरी न कर सका। इस लिये उसे हटा कर उस का दामाद मीर कासिम नवाब बनाया गया कंपनी के नौकर निजी व्यापार करते थे और नाजायज़ फायदा उठाते थे। मीर कासिम ने अपनी प्रजा और अंग्रेजों के लिये (जिन्हें पहिले टैक्समाफ थे) दोनों को समान करने के लिये कस्टम टैक्स माफ कर दिये। अंग्रेज व्यापारियों को यह बुरा लगा उन्होंने मीर कासीम को १७६३ में हटा दिया और मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया। मीर जाफर सन् १७६५ में मरा और उसका पुत्र नजीमुद्दौला नवाब बनाया गया। कंपनी के नौकरों ने नये नवाब से २० लाख रुपयेकी इनामें लेली और कुल इंतिजाम कंपनी के हाथों में देने के लिये मजबूर किया। इस के एवज नवाब को ४५ लाख रुपया पेन्शन लगा दी गई।

इसी बीच में शाह सालम द्वितीया से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उडीसा की दीवानी प्राप्त करली और उसे ३६ लाख रुपया की पेन्शन लगा दी। इस दीवानी की प्राप्ति से कंपनी को इन तीन प्रांतों में शासनाधिकार पूर्ण रीतिसे प्राप्त हो गये। इस अधिकार का सब से बडा उपयोगी कंपनी ने यह किया कि रेशम के कपडे बुनने वालों को कपडे बुनने की मनाई कर दी गई और इस मनाई को ऐसी सख्ती से बरता गया कि थोडे ही साल में बुनने का काम बिलकुल बन्द हो गया। और इंग्लैंड से बुना हुआ कपडा उलटा भारत को आने लगा।

सन् १७७३ में लार्ड क्लाइव पर हौस आफ कामन्स में रुपया खाने का अभियोग लगाया गया। वह बरी कर दिया गया परंतु दुख के कारण उस ने १७७४ में आत्मघात कर लिया।

स० १७७३ रगुलेटिंग एक्ट पास हुआ।

इस ऐक्ट के अनुसार सन् १७७४ में वारनहेस्टिंग्स गवनर जनरल बनाया गया और वह सन् १७८५ तक रहा। कंपनी की आर्थिक अवस्था अत्यन्त खराब थी। हेस्टिंग्स ने सब प्रकार से कंपनी को धनी बनाने का प्रयत्न किया। इलाहाबाद और कोरा उसने नवाब अवध को ५० लाख रुपये में बेंच दिये, दिल्ली के बादशाह को २६ लाख रुपये वाली पेन्शन बंद कर दी, अवध की बेगमों को लूट लिया। अवध के नवाब शिराजुद्दौला को हेस्टिंग्स ने ४ लाख पौंड पर अपनी अंग्रेजी फौज किराया पर देदी और रोहिला पर नवाब की फौजों से मिल कर हमला कर दिया। सारा रुहेलखन्ड बरबाद कर दिया गया। अंग्रेज लोग निष्कारण हैदरअली (मैसूर) से भी लड़े परंतु हार गये।

सन् १७८५ में वारन हेस्टिंग्स के इंगलैंड लौटने पर उस पर हौस आफ कामन्स में उपरोक्त अत्याचारों के लिये मुकद्दमा चलाया गया जो ७ वर्ष चला परंतु अंत में हेस्टिंग्स बरी कर दिया गया।

मि० मेकफारसन (कौंसिल के सीनियर मेम्बर) ने वारन हेस्टिंग्स के जाने पर २० महीने तक गवरनर जनरल का काम किया। (१७८५–८६)

लार्ड कार्नवालिस ने जो इस के बाद गवरनर जनरल हुये बंगाल में इस्तिमरारी बन्दोबस्त (Permanent Settlement) किया। (१७८३-९३)

सर जान शोर, गवरनर जनरल ने किसी से हस्तक्षेप न करने की नीति चलाई। (१७९३–९८) सर एलफ्रेड क्लार्क ने उसके जाने पर तीन महीने काम किया।

मारकुइस आफ वेलेसली सन् १७९८ में गवरनर जनरल हुये। उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेजी शक्ति को भारत में सर्वोच्च शक्ति बना दें। उन्होंने देशी राज्यों के साथ सन्धियां और उप-सन्धियां करने की नीति चलाई इस नीति से धीरे २ उन्होंने करीब २ सब देशी नरेशों की रक्षा का प्रबन्ध अपने हाथों में ले लिया अर्थात् उनसे यह बात मन्जूर करा ली कि उनकी रक्षा के लिये फौजें अंग्रेज रक्खेंगे और वे ही उनकी तरफ से लड़ेंगे। देशी नरेश इसके लिये अंग्रेजों को सालाना खर्चा देंगे। यह नीति देशी राज्यों के लिये कितनी घातक सिद्ध हुई यह बताने की आवश्यकता नहीं।

इस समय मराठों की शक्ति बड़ी बलवान थी। वेलेसली ने उसे तोड़ना चाहा और बराबर दो तीन साल तक प्रयत्न करते रहे कि श्रीमन्त पेशवे उनसे उपरोक्त प्रकार की सन्धि करलें परन्तु नाना फड़-णीस प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ इस चाल में न आये। सन् १८०० में नाना फड़णीस की मृत्यु पर मराठे सरदारों में घरेलू युद्ध आरम्भ हुआ और यह मौका देख कर वेलेसली ने श्रीमन्त पेशवे से सन्धि (बसीन) कर ली इस सन्धि के अनुसार

श्रीमन्त पेशवे ने कुछ सैनिक प्रबंध अंग्रेजों के हाथ में देदिया। इस संधि के कारण द्वितीया मराठा युद्ध छिड़ गया अंत में सेंधिया ने यमुना नदी के उत्तर का भाग अंग्रेजों को छोड़ दिया और शाह आलम दिल्ली के बादशाह को भी उन्हीं को देदिया। वेलेसली ने बादशाह को इस युद्ध का फल भी नहीं दिया वरन् उसके कुछ रहे सहे अधिकार भी नष्ट कर दिये। अंग्रेजों को भी इस युद्ध से बड़ी हानि पहुंच।

वेलेसली वापिस बुला लिये गये और लार्ड कार्नवालिस दुबारा भेजे गये कि किसी तरह शांति स्थापित करें। वे पहुंचने के बाद ही गाजीपुर में मर गये।

सर जार्ज बारलो ने कार्य गवर्नर जनरल का कुछ रोज किया। इन के शासन काल में १० जुलाई १८०६ को वेलोर में सिपाहियों ने गदर कर दिया था।

अर्ल मिंटो ने अंग्रेजी शासन को दृढ किया। जावा व मारीशस पर भी हमला किया। उन्हों ने महाराजा रंजीतसिंह "शेर पंजाब" से संधि की। इस समय भारत में सब से पहिला सत्याग्रह हुआ बनारस में हौस टैक्स लगाने जाने पर जनता ने घर छोड़ दिये और शहर के बाहर जा बसी। १५ दिन तक हड़ताल रही। सरकार को टैक्स बंद करना पड़ा।

लार्ड मोयरा (मारक्विस आफ हेसटिंग्स) के शासन काल (१८१३-२३ में श्रीमन्त पेशवे का कुछ राज्य ले लिया गया। सेंधिया से नई सन्धि की गई और होल्कर से भी उनके राज्य का कुछ भाग लिया गया। तीसरा मराठी युद्ध का यह सब फल था। इन्हीं गवर्नर जनरल के शासन काल में पुलिस टैक्स के कारण दंगा हुआ और नमक टैक्स के कारण अनेक स्थानों में दंगे हुये। नमक का मूल्य १४ आने मन से ६ रु० मन हो गया था।

लार्ड ऐम्हर्स्ट (१८२३-२८) के समय में ब्रह्म देश के अराकाना तथा अन्य प्रान्त अंग्रेजों को प्रथम बर्मा युद्ध के अन्त में मिले। गुजरात व कच्छ में अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध दंगे हुये।

लार्ड बेंटिंक (१८२८-३४) के समय में चार्टर ऐक्ट १८३३ का पास हुआ जिसमें अन्य बातों के साथ यह तत्व भी रक्खा गया कि भारत का कोई निवासी केवल धर्म या निवास स्थान या रंग के कारण ही कम्पनी की किसी नौकरी या पद से वञ्चित न रक्खा जावेगा। बेनटिंक ने कुछ सुधार किये परन्तु देश की दरिद्रता के कारणों में वृद्धि होने के कारण देश दिन प्रति दिन दुर्बल ही होता गया।

सर चार्लस मेटकाफ (१८३५-३६) के समय में समाचार पत्रों को आजादी दी गई।

लार्ड आकलैंड (१८३६-४२) ने अफगानिस्तान में अपने एक पिट्ठू शाह शुजा को राजा बनाना चाहा और लड़ाई

की परंतु बुरी तरह हारे। इस पर वे वापिस बुलाये गये।

लार्ड एलनबर (१८४२–४४) ने अफगानिस्तान को हगया। सिंध प्रांत पर निष्कारण कवजा कर लिया।

लार्ड हार्डिंज (१८४४–४८) ने सिक्खों से लड़ाई छेड दी और लाहौर प्रान्त पर कबजा कर लिया।

लार्ड डलहौसी (१८४८–५६) ने नई नीति जिसे (जप्ती या हड़प नीति) (Policy of Lapse) कहते हैं जारी की। इस नीति से सब देशी राज्यों के वारिस अंग्रेज बन बैठे। जिस देशी नरेश की मृत्यू हुई और उसने पुत्र न छोड़ा कि वारिस ईस्ट इंडिया कम्पनी बन गई। गोद लिये हुये लड़के नाजायज माने गये क्योंकि कम्पनी के धर्म में गोद लेने की प्रथा नहीं थी। इस न्याय (अथवा अन्याय) से सतारा, नागपूर, झांसी और अवध के राज्य'हड़प' कर लिये गये।

सन् १८५३ में कम्पनी का चारटर बदल दिया गया। कोई मियाद इस में नहीं रक्खी गई सिर्फ यह लिख दिया गया कि यह चारटर तबतक जारी रहे जब तक पार्लिमेंट इसे बदल न दे। तब तक ब्रिटिश नरेश के लिये कम्पनी शासन करे।

वाइकौंट कैनिंग (१८५६–१८६२) के समय में भारत में विप्लव हुआ। इसे अंग्रेजी में "सिपाय म्युटिनी" कहते हैं परंतु वास्तव में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का प्रथम संगठित युद्ध था जो अनेक कारणों से निष्फल हुआ। इस युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई (झांसी) नाना साहेब पेशवे, दिल्ली के शाहजादे तथा अनेक व्यक्ति सम्मिलित थे। अंग्रेजी सेना के देशी सिपाहियों का उभरना एक सामयिक बात थी। कारण पहिले से ही मौजूद थे। केयी और मेलेसन ने अपने इतिहास में कारणों को भली प्रकार दिया है।

इस साल के युद्ध के बाद देश में शांति स्थापित हुई और सन् १८५८ में भारत का शासन गवरमेंट आफ इंडिया के अनुसार ब्रिटिश नरेशके हाथों में लेलिया गया।

वाइसराय और गवर्नर जनरल आफ इंडिया।

नाम	नियुक्ति
१ वाइकौंट कैनिङ्ग	१ नवम्बर १८५८
२ अर्ल आफ एलगिल ऐन्ड किनकारडिन	१२ मार्च १८६२
३ सर रोबर्ट नेपियर	२१ नवम्बर १८६३
४ सर विलियम० टी डेनीसन	२ दिसम्बर १८६३
५ सर जान लारेन्स	१२ जनवरी १८६४
६ अर्ल आफ मेयो	१२ जनवरी १८६९
७ सर जान स्ट्रेची	९ फरवरी १८७२
८ लार्ड नेपियर आफ मर्चिसटाउन	२३ फरवरी १८७२
९ लार्ड नार्थ ब्रुक	३ मई १८७२
१० लार्ड लिटन	१२ अप्रेल १८७६
११ मारकुइस आफ रिपन	८ जून १८८०
१२ अर्ल आफ डफरिन	१३ दिसम्बर १८८४
१३ मारकुइस आफ लैन्सडाऊन	१० दिसम्बर १८८८
१४ अर्ल आफ एलगिन ऐन्ड किनकारडिन	२७ जनवरी १८९४
१५ लार्ड कर्जन	६ जनवरी १८९९
१६ लार्ड ऐम्पटिल	३० अप्रेल १९०४
१७ लार्ड कर्जन	१३ दिसम्बर १९०४
१८ अर्ल आफ मिंटो	१८ नवम्बर १९०५
१९ बैरन हार्डिङ्ग आफ पैन्सहर्स्ट	२३ नवम्बर १९१०
२० लार्ड चेलम्सफोर्ड	५ अप्रेल १९१६
२१ लार्ड रीडिंग	३ अप्रेल १९२१
२२ लार्ड आयर्विन	४ अप्रेल १९२६

सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इण्डिया ।

(भारत मन्त्री)

१ लार्ड स्टेनले	२ सितम्बर १८५८
२ सर चार्लसवुड	१८ जून १८५९
३ अर्ल डिग्रे और रिपन	१६ फरवरी १८६६
४ वाइकौंट क्रेन बोर्न	६ जुलाई १८६६
५ सर स्टैफर्ड नार्थकोट	८ मार्च १८६७
६ ड्यूक आफ आरगाइल	९ दिसम्बर १८६८
७ मारकुइस आफ सालसबरी	२१ फरवरी १८७४
८ वाइकौंट क्रेन ब्रुक	२ अप्रैल १८७८
९ मारकुइस आफ हारटिंगटन	२८ अप्रैल १८८०
१० अर्ल आफ किम्बरले	१६ दिसम्बर १८८२
११ लार्ड रैंडलफ चर्चहिल	२४ जून १८८५
१२ अर्ल आफ किंबरले	६ फरवरी १८८६
१३ वाइकौंट क्रास	३ अगस्त १८८६
१४ अर्ल आफ किंबरले	१८ अगस्त १८९२
१५ सर हेनरी फ्लावर	१० मार्च १८९४
१६ लार्ड जार्ज हैमिलटन	४ जुलाई १८९५
१७ वाइकौंट मोरले	११ दिसम्बर १९०५
१८ अर्ल आफ क्रू	७ नवम्बर १९१०
१९ वाइकौंट मोरले	७ मार्च १९११
२० अर्ल आफ क्रू	२५ मई १९११
२१ अस्टिन चेम्बरलेन	२६ मई १९१५
२२ ई. एस. मान्टेगू	२० जुलाई १९१७
२३ वाइकौंट पील	२१ मार्च १९२२
२४ लार्ड अलिवियर	२३ जुलाई १९२४
२५ अर्ल आफ बर्किनहेड	७ नवम्बर १९२४
२६ वाइकौंट पील	१८ अक्टूबर १९२८
२७ डबलू. वेजवुडबेन	जून १९२९

भारत में अंग्रेज़ी शासन ।

३—इतिहास—ब्रिटिश नरेश के आधीन ।
१८५८ से वर्तमान काल तक ।

१ दिसम्बर १८५८ को इलाहाबाद में एक बड़ा दरबार किया गया और शाही फरमान द्वारा घोषित किया गया कि रानी विक्टोरिया ने भारत का शासन अपने हाथ में लेलिया है। घोषणा में यह बताया गया कि सब की सम्पत्ति सुरक्षित रखी जावेगी और योरोपियन और भारतियों को समानाधिकार प्राप्त होंगे। उस समय भारतवासियों में से अनेकों को यह प्रतीत हुआ कि उनके दुःखों का अन्त आगया था परंतु थोड़े ही वर्षों के पश्चात यह स्पष्ट होने लगा कि पुरानी शासन पद्धत्ति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कोर्ट आफ डायरेक्टर्स के बदले सेक्रेटरी आफ स्टेट का निरंकुश शासन प्रारंभ हुआ। भारतीय प्रजा निःशस्त्र कर दी गई। और भारत का शासन नौकरशाही की स्वेच्छा पर निर्भर कर दिया गया।

लार्ड कैनिंग सन् १८६२ में चले गये और उनकी जगह पर लार्ड ऐलगिन ने केवल थोड़े महीने कार्य किया।

सर जान लारेन्स (१८६२-६९) ने सुलह करने की नीति चलाई। इन के शासन काल में दो बड़े जबरदस्त दुर्भिक्ष पड़े। ओड़ीसा (१८६६) और बुन्देलखण्ड (१८६८-६९) दोनों प्रांत तबाह हो गये।

लार्ड मेयो (१८६९-७२) ने एग्रीकलचरल डिपार्टमेंट (खेती विभाग) कायम किया। इस विभाग की उपयोगिता भारत वासियों के लिये आज तक कुछ नहीं हुई है यद्यपि लाखों रुपया हर साल इस विभाग के कर्मचारियों को बड़ी २ तनख्वाहें देने में खर्च किये जाते हैं। लार्ड मेयो ने प्रान्तीय जमा खर्च के हिसाब रखने का सिलसिला चलाया। इन के शासन काल में बाबा रामसिंह ने खालसा (सिंह) लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा किया परन्तु सरकार द्वारा उनका दमन किया गया। सरकारी नौकरों ने अनेक अत्याचार किये उनमें से एक उदाहरण यह है कि जलंधर के डिपुटी कमिश्नर मि० कोवन ने ४९ सिक्खों को निर्दयता पूर्वक तोपसे उड़ा दिया।

लार्ड नार्थ ब्रुक (१८७२-७६) ने भारतीयों के साथ कुछ सहृदयता प्रदर्शित की किंतु अंग्रेजी नौकरशाही ने उन का विरोध किया। इन्हीं के शासन काल में प्रिंस एडवर्ड (युवराज) भारत में भ्रमण करने आये। उनके लिये देश

भर में स्वागत के लिये नौकर शाही द्वारा प्रबन्ध किया गया। बाबू कृष्टोदास पाल ने युवराज के नाम एक खुली चिट्ठी प्रकाशित की और स्वागत करते हुये यह बताया कि नौकर शाही उन्हें भारत की असली परिस्थिति नहीं बता रही है। सारी सजावट केवल बनावट है। भारतीय दिन प्रति दिन निधन हो रहे हैं और इस निधनता का कारण दुःशासन है। अफगानिस्तान में अंग्रेजी कमीशन भेजने से इनकार करने के कारण लार्ड नार्थब्रुक ने इस्तीफा दे दिया। (१८७६)

लार्ड लिटन (१८७६–८०) के शासन काल में बड़ी फिजूल खर्ची की गई। दक्षिण भारत में जबरदस्त अकाल होने पर भी लाखों रुपया दिल्ली दरबार (१८७७) में उड़ाया गया। इसके साथ २ काबुल पर निष्कारण हमला किया गया जिसमें सर लुइ केवेगनेरी और उसके साथियों का बध हुआ और द्वितीय अफगान युद्ध छिड़ गया। रूसी हौआ बता कर फौज खूब बढ़ा दी गई, और सीमा प्रांत में बड़ी भारी फौज एकत्र की गई जो मौका पड़ने पर हार गई। देशी भाषाओं के समाचार पत्रों पर दमन आरम्भ किया गया, लङ्काशायर को प्रसन्न करने के लिये रुई के माल पर आयात कर बन्द कर दिया गया और शस्त्रों का कानून (Arms Act) बनाया गया।

लार्ड रिपन (१८८०–८४) ने देशी भाषा के समाचार पत्रों सम्बन्धी प्रेस ऐक्ट रद्द कर दिया और म्यूनिसपल और जिला बोर्ड स्थापित कराये। भारतीय और अंग्रेजी दोनों के मुकदमें भारतीय मजिस्ट्रेटों के सामने ही हो ऐसा एक बिल 'इलबर्ट बिल' इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल में पेश किया गया जिस पर अंग्रेजों ने घोर आन्दोलन किया और यहां तक असंतुष्ट हुये कि वाइसराय को पकड़ कर और जहाज में रख कर इङ्गलैण्ड भेज देने के लिये कुछ अंग्रेजों ने सलाह भी करली। बिल इस कारण पास न हुआ। अंग्रेज खुद को भारतीयों के समान नीचे कैसे बना ले सकते थे।

लार्ड डफरिन (१८८४–९२) ने ब्रह्म देश के साथ लड़ाई छेड़ दी और रूस से लड़ने के लिये तैयारियां कीं। इन्ही वाइसराय के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित की गई १८८५ लार्ड डफरिन ने कांग्रेस के स्थापित होने में बड़ी कठिनाइयां डालीं और मि० ह्यूम से जो पत्र व्योहार किया वह पढ़ने योग्य है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संगठित रूप से इन्हीं वाइसराय के शासन काल में पहिले पहिल आवाज उठाई गई।

लार्ड लैन्सडाऊन (१८९२–९४) ने भी लार्ड डफरिन की नीति चलाई अंग्रेजी राज्य की सीमा सब प्रकार बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। पश्चिमोत्तर सीमा का बहुत सा प्रदेश अमीर अफगानिस्तान की इच्छा के विरुद्ध दबा लिया। मनीपुर के राजा पर भी अत्याचार किया गया काश्मीर के महाराज को भी गद्दी से

उतार दिया गया। 'अमृत बाजार पत्रिका में इस सम्बन्ध में बड़ी कड़ी आलोचनायें निकलीं यहां तक कि लार्ड लैन्सडाऊन के हाथ के लिखे हुये पत्र की एक नकल भी प्रकाशित करदी गई जिसमें उक्त वाइसराय का सरासर अन्याय दिखाई देता था। इसी के कारण "आफिसियल सीक्रेट एक्ट" पास किया गया। इस ऐक्ट के अनुसार सरकारी गुप्त चिट्ठी पत्री प्रकाशित करना जुर्म करार दिया गया।

लार्ड एल्गिन (१८९४-९९) के आने पर सरकारी जमा खर्च में सवा दो करोड़ की घटी मालूम पड़ी जिसके कारण अनेक वस्तुओं पर आयात कर लगाया गया परन्तु रुई के माल पर नहीं लगाया गया। रुपया की दर कम होते २ इस समय १ शिलिंग १ पेनी होगयी (१८९५) सीमा प्रांत पर अनेक झगड़े हुये। स० १८९५ में चितराल में जो ब्रिटिश ऐजेंट था वह घेर लिया गया मुश्किल से छुड़ाया जासका। १८९७ में बज़ीर स्वातों और मोहमदी लोगों ने मक्के पर हमला कर दिया और अफ्रीदियों ने खैबर पास रोक लिया। इस झगड़े में करीब १०००० अफसर और सिपाही मारे गये भारत पर इन सब लड़ाइयों का खर्चा लद गया और १८९६-९७ में दुर्भिक्ष के कारण भारत, अधिक दुःखी हो गया। इसी समय में बम्बई प्रांत में बड़े जोर शोर से प्लेग आरम्भ हुआ। सरकारी कर्मचारियों ने जनता से बड़ा बुरा व्यवहार किया। पूना में इसी कारण मि० रैंड का खून भी हुआ। भारत के दुःख धीरे २ अंग्रेजी शासन में बढ़ते ही गये। शासकों ने लेकिन इस ओर ध्यान ही न दिया।

लार्ड कर्जन (१८९९-१९०५) ने आकर खुल्लम खुल्ला भारतीयों के विचारों तथा इच्छाओं की अवहेलना आरम्भ कर दी। स्थानीय स्वराज्य की जड़ काट दी। भारतीयों को झूठा और नीच कहने लगे। नौकर शाही के अधिकार बढ़ा दिये। यूनिवर्सिटियों पर अफसरी अधिकार जमाया गया। प्रांतीय नौकरियों के लिये परीक्षायें जो ली जाती थीं वे बन्द कर दी गईं। इसके अतिरिक्त हिन्दू मुसलमानों में भेद डालने के लिये और बङ्गालियों का जोर तोड़ने के लिये बङ्गाल प्रांत के दो टुकड़े कर दिये गये। इस नीति से सारे देश में असन्तोष छा गया और स्वदेशी तथा बायकाट आन्दोलन बड़ी तीव्रता से चलने लगे। अदालतों का बायकाट भी किया गया और पंचायत बोर्ड भी स्थापित हुये। १६ अक्टूबर १९०५ को देश में हड़ताल हुई और विदेशी वस्तु का वायकाट और स्वदेशी के ग्रहण की शपथ लाखों मनुष्यों ने ली।

लार्ड किचनर से फौजी मुहकमें पर भारत सरकार की देख रेख सम्बन्धी झगड़े के कारण स० १९०५ में लार्ड कर्जन ने इस्तीफा दे दिया।

लार्ड मिन्टो (१९०५-१०) के

आने से भारत में दमन नीति का स्वरूप उग्र हो गया। प्रजा के नेताओं की धड़पकड़ आरम्भ हुई अनेक बिना कारण पकड़े गये। ला० लाजपतराय निर्वासित किये गये। श्री० अरविन्द घोष तथा विपिनचन्द्रपाल गिरफ्तार हुये। लो० तिलक को कड़ी सजा दी गई। नये नये ऐक्ट पास किये गये जिनके द्वारा जनता के अधिकार कुचले गये, उदाहरणार्थ, "इकसप्लोसिव ऐक्ट" राजद्रोही सभाओं के मनाई सम्बन्धी कानून क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट इत्यादि।

इस शासन काल में यदि कोई अच्छा कार्य कहा जा सकता है तो वह यह था कि कौंसिलों का स्वरूप कुछ विस्तृत कर दिया गया। इन्हें "मोर्ले मिंटो" सुधार कहते हैं।

लार्ड हार्डिंग (१९१०-१६) के समय में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ सन् १९११ में सम्राट पंचमजार्ज भारत में आये और बङ्गभङ्ग रद्द कर दिया गया सन् १९१३ में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ अनुचित व्यवहार होने के कारण आन्दोलन आरम्भ हुआ। सन् १९१४ में जर्मन युद्ध शुरू हुआ और भारत से सब प्रकार की सहायता धन और मनुष्य लिये गये।

लार्ड चेम्सफोर्ड (१९१६-२१) के समय में कानून द्वारा दमन की मात्रा बहुत बढ़ गई। डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट पास करके राजनैतिक आन्दोलन को दबाने का कार्य किया गया। मिसेज़ बेसेन्ट, जार्ज एरंडेल और एच वाडिया नजर कैद किये गये। होमरूल आन्दोलन ने जोर पकड़ा और कांग्रेस के दोनों पक्ष नरम व गरम लखनऊ में (१९१६) एक हो गये। भारत ने स्वराज्य की मांग एक स्वर से की। इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल के १९ सदस्यों ने राष्ट्रीय मांग का मसौदा विलायत भेजा।

२० अगस्त १९१७ को ब्रिटिश पार्लामेंट में मि० मान्टेग्यू भारत मन्त्री ने घोषणा की।

'सम्राट के सरकार की यह नीति है और इस नीति से भारत सरकार पूर्णतया सहमत हैं कि शासन प्रबन्ध के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाय और क्रमशः स्वशासन की संस्थाओं की बढ़ती हो जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंश रहते हुये भारत में उत्तरदायी शासन पद्धति का दिनों दिन विकास हो सम्राट् की सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि यथा सम्भव शीघ्र ही इस ओर यथार्थ कार्य किया जायगा और क्रमशः प्रकार निर्णय करने के लिये यह अत्यावश्यक है कि पहले आंग्ल देश के अधिकारियों और भारत के कर्मचारियों में पूर्णतया बहस हो ले। अतः सम्राट् की सम्मति से सरकार ने यह निश्चय किया है कि वाइसराय का निमन्त्रण स्वीकार कर मैं भारत जाऊँ और वाइसराय और भारत सरकार से इस सम्बन्ध में बहस करूँ और वाइसराय के साथ

साथ प्रान्तीय सरकारों की राय भी लूँ और प्रतिनिधिक संस्थाओं आदि के विचारों को भी सुनूं।

"यह कहना जरूरी है कि इस नीति के अनुसार उन्नति धीरे २ मंजिल दर मंजिल ही हो सकती हैं। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार जिनके ऊपर भारत-वासियों के कल्याण और उत्कर्ष की जिम्मेदारी है वे ही उन्नति क्रमके समय और सीमा का निर्णय करेंगे। इस निर्णय का निर्भर इस बात पर होगा कि कहां तक उन लोगों की सहायता मिलती है जिनको कि सेवा के नये अवकाश मिलेंगे और उनके उत्तरदायित्व के भाव पर कहाँ तक भरोसा किया जा सकता है।

"हमारे प्रस्तावों पर जनता की ओर से बहस और आलोचना होने का पर्याप्त अवसर दिया जायगा और ये प्रस्ताव उपयुक्त समय पर पार्लीमेंट के सम्मुख उपस्थित किये जायँगे"।

इसके पश्चात मि० मांटेगू भारत में आये और अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिले। राष्ट्रीय महासभा और मुसलिम लीग ने एक संयुक्त योजना पेश की जिसे "कांग्रेस लीग स्कीम" कहते हैं। मिस्टर मांटेगू ने जो रिपोर्ट पेश की उसे मांटेगुचेलम्स फोर्ड रिपोर्ट ओफ रिफार्मस कहते हैं। तीन कमेटियों ने भी इन सुधारों के सम्बन्ध में काम किया था जिनकी जांच पार्लीमेंट की दोनों सभाओं की एक ज्वाइंट कमेटी ने की। इन सब कमेटियों की सामग्री के आधार पर १९१९ में "गवरमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट"* पास किया गया।

जब कि शासन सुधार सम्बन्धी जांच जारी थी सरकार ने एक दमनकारी ऐक्ट पास किया जिसे "काला ऐक्ट" और "रौलेट ऐक्ट" भी कहते हैं। इसका परिणाम बड़ा भयङ्कर हुआ। सारे भारत वर्ष में आग सी लग गई। असन्तोष की सीमा न रही। जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो गया। पञ्जाब में सरकार ने आँदोलन को अत्याचारों द्वारा दबाया। जलियान-वाला बाग में निर्दोषी तथा निःशस्त्र जनता पर जनरल डायर ने गोलियाँ चलाईं। बाद को "मारशल ला" भी

---

* १९१९ के सुधारों के लिये भारत पर भार।

ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में ता० ३० जून १९२२ को जो ब्योरा पेश किया गया उसके अनुसार स० १९१९ के सुधारों के लिये भारत का लगभग ४६ लाख रुपया खर्च हुआ वह नीचे दिया जाता है।

	लाख लगभग
भारत सरकार	९.०० ,,
मद्रास	५.५० ,,
बम्बई	५.२५ ,,
बङ्गाल	५ ७५ ,,
संयुक्त प्रांत	७.७५ ,,
पंजाब	५.०० ,,
बिहार	२.५० ,,
मध्यप्रांत	२.२५ ,,
आसाम	२. ७५ ,,

जारी कर दिया गया। अमृतसर में इज्जतदार मनुष्यों को पेट के बल रिंगाया गया और कोड़े लगवाये गये। स्त्रियों और बच्चों पर भारी अत्याचार किया गया। ला० हरकिशन लाल, डा० किचलू प्रभृति सज्जनों को कड़ी सजायें दी गईं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन का स्वीकार भारतीय जनता ने कर लिया और देश भर में असहयोग की हवा फैल गई इधर सरकार ने टर्की के विरुद्ध अपनी नीति प्रगट रूप से बरती जिस की वजह से भारतीय मुसलमान भी सरकार के विरुद्ध हो गये और खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई। मुसलमानों ने भी असहयोग आन्दोलन में अग्रसर भाग लिया। अफगानिस्तान में अमीर हबीबुल्लाह खां को किसी ने मार डाला थोड़ी गड़बड़ी के बाद अमीर अमानुल्लाह खां राज्यारूढ़ हुये और उन्होंने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण कर दिया। फलतः अंग्रेजों को अमीर अफगानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्र मानना पड़ा।

लार्ड रीडिंग (१९२१-२६) ने शुरू में यह प्रकट किया कि वे भारत से मिल कर कार्य चलावेंगे। ये वाइसराय अंत में बड़े कूट नीतिज्ञ सिद्ध हुये। इन्हों ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और कुछ दिनों तक असहयोग में किसी प्रकार की बाधा न डाली। किंतु थोड़े ही दिनों के बाद दमन नीति का बड़ी कड़ाई के साथ उपयोग किया। असहयोग आन्दोलन को तोड़ने के लिये उन्हों ने अनेक भारतीयों को लालच दिखा कर अपनी ओर कर लिया। स्वार्थी लोगों ने जिलों में अमन सभायें खोलीं। नरमदल वालों ने भारतीयों का साथ असहयोग में नहीं दिया और सरकार में मिले रहे। यू० पी० में व बंगाल क्रिमिनल ला एमेंडमैंट द्वारा सैकड़ोंमनुष्य गिरफ्तार किये गये। कांग्रेस के वालंटियर गैर कानूनी बना दिये गये। पंडित मोती-लाल नेहरू, श्री० सी० आर० दास तथा अन्य प्रमुख नेता जेल भेज दिये गये। आन्दोलन असह्य होने के कारण सरकार ने महात्मा गांधी पर भी राज द्रोह का मामला चला दिया और सजा दे दी। सरकार ने रेगुलेशन १८१८ का उपयोग बंगाल में किया और बिना मुकदमों के सहस्त्रों युवकों को नजर कैद कर दिया।

लार्ड रीडिंग के प्रारंभिक शासन काल में एक बड़ी भारी घटना मलाबार प्रान्त में हो गई। मलाबार के मुसलमान निवासी जो मोपला कहलाते हैं हिन्दू संगठन तथा शुद्धि कार्य के कारण भड़क उठे और दंगा फिसाद करना उन लोगों ने आरम्भ कर दिया। हिन्दुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये गये। हिन्दुओं के बच्चों और स्त्रियों को भ्रष्ट किया गया और जबर्दस्ती मुसलमान बनाया गया। सरकार ने भी मोपलाओं को अनेक

रीति से दबाया । एक दुर्घटना इस प्रकार हुई जो 'ब्लैक' होल घटना के बराबरी की कही जा सकती है । सौ से अधिक मोपला कैदी एक वैगन में जिस की लम्बाई १८ फुट और चौड़ाई ९ फुट थी भर दिये गये । उन्हें पानी नहीं दिया गया । हवा भी उन्हें नहीं मिली । ७० से अधिक दम घुटने से मर गये । रास्ते में प्यास के मारे उन्होंने एक दूसरे को काट खाया । यह दुर्घटना (१९२१) में हुई ।

इसी सन् में युवराज प्रिन्स आफ वेल्स भारत में आये परन्तु भारत भर में उनका वायकाट किया गया । इसी प्रकार भारतवर्ष की जनता ने असहयोग के कारण कौंसिलों और अदालतों का वायकाट कर दिया था ।

लार्ड रीडिंग सन् १९२६ में वापिस चले गये और उनकी जगह लार्ड आयर्विन आये । इन्होंने आनकर भारतीयों से अपील की कि वे सरकार से मिलकर काम करें । परन्तु जब सायमन कमीशन अक्टूबर सन् १९२७ में नियत हुआ उसमें एक भी भारतीय नहीं रक्खा गया । देशी राज्यों के अंग्रेजी सत्ता से सम्बन्धों की जांच के लिये एक कमेटी भी नियत हुई जिसे बटलर कमेटी कहते हैं । सायमन कमीशन का बायकाट सारी जनता ने स्वीकार कर लिया और इस वायकाट में सब प्रकार के राजनैतिक दल सम्मिलित हुये । सर्व दल सम्मेलन ने एक कमेटी नियत की जिसने भारतीय शासन का एक मसौदा तैयार किया जिसे नेहरू कमेटी रिपोर्ट कहते हैं ।

बटलर कमेटी और सायमन कमेटी की रिपोर्टों का ब्योरा अलग दिया गया है । सन् १९२८ की कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को मन्जूर करते हुये यह प्रस्ताव पास किया कि अगर ३१ दिसम्बर १९२९ तक सरकार ने नेहरू रिपोर्ट में दिया हुआ डोमीनियन स्टेटस भारत को न दिया तो कांग्रेस अपना ध्येय पूर्ण स्वाधीनता बना लेगी । सन् १९२९ में बराबर इसी शासन के प्राप्ति के लिये आन्दोलन होता रहा । लार्ड आयर्विन ने राजनैतिक आन्दोलन दबाने के लिये दो बड़े मुकदमे चलाये (१) लाहौर षडयन्त्र (२) मेरठ षडयन्त्र । इनका ब्योरा अन्यत्र दिया हुआ है । सैकड़ों मनुष्यों पर राजनैतिक मुकदमे चलाये गये और वे जेल भेजे गये । राजनैतिक वातावरण अधिक गरम हो जाने के कारण लार्ड आयर्विन विलायत गये और उन्होंने दिसम्बर १९२९ की घोषणा निकाली कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का है किन्तु उन्होंने कोई अवधि नहीं बताई कि कब दिया जायगा । भारत के नेताओं ने सन्तोष प्रदर्शित करते हुये ४ शर्तें पेश कीं जिनके मन्जूर होने पर भारतीय नेता गोलमेज कान्फ्रेंस में शरीक होंगे । शर्तें मन्जूर नहीं हुईं । फिर महात्मा गान्धी और पं० मोतीलाल

नेहरू २२ दिसम्बर १९२९ को वाइस-राय से दिल्ली में मिले। उसी रोज सुबह को किसी ने वाइसराय की ट्रेन के नीचे बिजली के तार के जरिये बम चला दिया था। दोपहर को मुलाकात में वाइसराय ने सन्तोष जनक उत्तर नहीं दिया। विवश होकर। महात्मा गान्धी ने कांग्रेस में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश कर दिया जो मन्जूर हुआ और कांग्रेस का अब ध्येय पूर्ण स्वाधीनता है।

भारतीय शासन ।

भारतीय शासन।

भारतवर्ष का शासन मुख्य दो भागों में विभाजित है। (१) बृटिश भारत (२) देशी भारत

नोट—भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जो पुर्तगाल, और फ्रांस के कबजे में है किन्तु उनके शासन का विवरण देना आवश्यक नहीं है।

ब्रिटिश भारत का शासन

ब्रिटिश भारत के शासन का इतिहास ऊपर दिया जा चुका है। इस अध्याय में उसका वर्तमान स्वरूप दिया जाता है।

शासन का स्वरूप।

ब्रिटिश सरकार।

भारत का वर्तमान शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में है। कुल देश का राज्य ब्रिटिश नरेश पंचम जार्ज के नाम पर किया जाता है गवरमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९१९ के अनुसार वर्तमान शासन की रचना है। स० १८७६ के रायल टाईटिल ऐक्ट के अनुसार इंग्लैंड के नरेश को भारत सम्राटका पद प्राप्त है।

सेक्रेटरी-आफ-स्टेट।

भारत के शासन के लिये ब्रिटेश पार्लीमेंट शासन की सर्वोच्च शक्ति हैं। सेक्रटरी आफ स्टेट द्वारा पार्लीमेंट भारत का शासन करती है। यह सेक्रेटरी (भारत सचिव) ब्रिटिश केबिनेट का मेम्बर होता है जो केबिनेट ब्रिटिश पार्लीमेंट की कार्य कारिणी कमेटी है। सब महत्व पूर्ण विषयों पर उसकी अनुमति भारत सरकार को अवश्य लेना पडती है। उसका वेतन स० १९१९ के सुधार ऐक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार देती है पहिले भारतीय आमदनी में से देना पडता था।

पार्लीमेंट के हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्डस दोनों सभाओं द्वारा ११-११ चुने हुये २२ सदस्यों की एक स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी कमेटी) भी पार्लीमेंट की भारतीय विषयों के संबन्ध में परामर्श देने के लिये बनाई जाती है।

इंडिया कौंन्सिल

सेक्रेटरी-आफ-स्टेट की सहायता के लिये एक समिति है जिसे इंडिया कौंसिल कहते हैं। इस कौंसिल में कम से कम ८ और अधिक से अधिक १२ सदस्य होते हैं। इनमें से कम से कम आधे सदस्य ऐसे होना चाहिये जो भारत में १० वर्ष रह चुके हों और नियुक्त के समय भारत छोडे हुये उन्हें ५ वर्ष से अधिक न हुये हों। वे ५ वर्ष के लिये नियुक्त होते हैं और सालाना १२०० पौंड वेतन पाते है। सन १९०७ में लार्ड मोर्ले

ने कौंसिल में हिन्दुस्थानी सदस्य भी लेना आरंभ किये तब से ३ सदस्य हिंदुस्तानी होते हैं। हिन्दुस्तानी सदस्य को ६०० पौंड सालाना भत्ता भी इस वेतन के अतिरिक्त मिलता है। कौंसिल की बैठक प्रतिमास १ वार होती हैं। कौंसिल को विषय पेश करने का अधिकार नहीं है। वस्तुतः कौंसिल केवल परामर्श कमेटी है। सेक्रटरी आफ-स्टेट अनेक अंशों में स्वतन्त्र है और महत्व पूर्ण तथा गुप्त विषयों को कौंसिल के सामने पेश करने या उसे बताने के लिये वाध्य नहीं है। निम्नलिखित विषयों पर उसे कौंसिल की अनुमति लेना ही चाहिये।

(१) भारत की आमदनी का खर्च

(२) भारत के उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेन्शन नियम फरलो नियम सम्बन्धी परिवर्तन।

(३) आइ. सी. एस. में भारतीयों को नियुक्त करना।

(४) वाइसराय की कौंसिल के किसी सदस्य का अस्थाई नियुक्ति।

इस कौंसिल का सभापति सेक्रेटरी आफ स्टेट ही होता है। और वही उप-सभापति नियुक्त करता है।

हाइ कमिश्नर।

स० १९२० के पूर्व भारत के लिये कर्ज लेने देने का कार्य (अर्थात ऐजेन्सी कार्य) व सामान खरीदना, मुआहिदे करना, इत्यादि कब कार्य सेक्रटरी आफ स्टेट किया करता था १ अक्टूबर १९२० से वह काम सेटक्रेरी-आफ स्टेट से लेकर एक उच्च पदाधिकारी को जिसे 'हाइ कमिश्नर' कहते हैं सौंप दिया गया है। पहिले हाइ कमिश्नर स्वर्गीय सर विलियम मेयर थे। इन के हाथों में भारत सरकार के लिये स्टोर्स खरीदने का काम, भारतीय विद्यार्थियों की जांच तथा ट्रेड कमिश्नर का कार्य, सौंपा गया। उस समय से कार्य बढ़ते जाते हैं जैसे सिविल लीव अलाउंसों और पेन्शनों का अदा करना, आई. सी.एस. और फारेस्ट उम्मेदवारों की नियुक्ति पर उनकी देख रेख जो अफसर भारत से डेपूटेशन पर या शिक्षा के लिये आवें उनके लिये प्रबन्ध करना, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकों तथा रिपोर्टों के बेचने का प्रबन्ध करना इत्यादि। हाइ कमिश्नर का दफ्तर ४२, ४४, व ४६ ग्रासवेनर गार्डेंस एस. डब्लू १ लन्दन में है।

हाई कमिश्नर के दफ्तर में ४०२ कर्मचारी हैं किन्तु उनमें से केवल ४४ हिन्दुस्तानी (ऐंग्लो इण्डियन सहित) हैं। कमिश्नर के दफ्तर का खर्च २,१२,९०० पौंड है।

ब्रिटिश सम्राट तथा उनका कुटुम्ब।

हिज मोस्ट एक्सलेन्ट मैजेस्टी जार्ज दि फिफ्थ, बाइ दि ग्रेस आफ गाड आफ ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, एन्ड दि ब्रिटिश डोमिनियन्स बियान्ड सीज़, दि किंग, डिफेन्डर आफ दि फेथ, ऐम्परर आफ इंडिया—जन्म ३ जून, १८६५, विवाह ६ जौलाई १८९३—हर मिरीन हाइनेस प्रिन्सेस विक्टोरिया मेरी (ज० २६ मई १८६७); राज्यारोहण ६ मई १९१० ।

सन्तान।

१—हिज रायल हाइनेस दि प्रिंस आफ वेलस (एडवर्ड एलवर्ट क्रिश्चन जार्ज ऐन्डरू फैड्रिक डेविड) ज० २३ जून १८९४।

२—हि॰ रा॰ हा॰ दि ड्यूक आफ यार्क (ऐलवर्ट फ्रेडेरिक आर्थर जार्ज) ज० १४ दिसंबर १८८५, वि॰ लेडी एलीजावेथ बोज लायन, २६ अप्रेल १९२३ ।

३—हि॰ रा॰ हा॰ प्रिन्सेज मेरी (विक्टोरिया एलकजेण्डरा अलाइस मेरी) ज० २५ अप्रेल १८९७, वि० वाइकौंट लेसलीस के॰ जी॰ २८ फरवरी १९२२ ।

४—हि॰ रा॰ हा॰ प्रिंस (हेनरी हेनरी विलियम फ्रेडीक एलवर्ट) ज० ३१ मार्च १९०० ।

५—हि॰ रा॰ हा॰ प्रिंस जार्ज (एडवर्ड एलेकजण्डर एडमण्ड) ज० २० दिसम्बर १९०२ ।

६—हि॰ रा॰ हा॰ प्रिंस जान ज० १२ जौलाई १९०५ मृत्यु १८ जनवरी १९१९ ।

खजानची।

ट्रेजर ट्रकिंग ऐण्ड कीपर आफ दी प्रिवी पर्स—राइट आनरेविल सर फ्रेडरिक पोनसोनवी जी॰ सी॰ बी॰, जी॰ सी॰ वी॰ ओ॰ ।

प्राइवेट सेक्रटरी।

ले॰ कर्नल स्टेम्फोर्ड हम, जी॰ सी॰ आइ॰ ई॰, जी॰ सी॰ वी॰ ओ॰, के॰ सी॰ एम॰ जी, के॰ सी॰ एस॰ आइ॰, आइ॰ ऐस॰ ओ॰ ।

शाही कुटुंब की एनुयिटीज़।

सम्राट व सम्राज्ञी का निजी खर्च	सालाना	पौंड	११००००
घरेलू कर्मचारियों को वेतन		”	१२५८००
घर खर्च		”	१९३०००
बकस		”	२००००
रायल बौंटी		”	१३२००
फुटकर		”	८०००
	जोड़		४७००००

ड्यूक आफ यार्क	२५०००
प्रिंसेस लुई (डचेज आफ आरगाइल)	६०००
ड्यूक आफ कोनाट	२५०००
प्रिंसेस बीट्रिस	६०००
एडवर्ड सप्तम की कन्याओं को	१८०००

नोट—शाही कुटुम्ब का ऊपरी खर्च यूनाइटेड किंगडम की जन संख्या पर ४ पेन्स प्रति मनुष्य पड़ता है।

इण्डिया आफिस।

सेक्रटरी आफ स्टेट फार इण्डिया

मि० डब्ल्यू वेजवुडबेन साळाना पौंड ५०००

अन्डर सेक्रटरी—सर आर्थर हर्टजेल के. सी. बी. ३०००

डा० टी. ड्रमंड शील्ड १५००

इंण्डिया कौंसिल

१ सर हेनरी व्हीलर के. सी. एस. आई. सालाना पौंड १२००
२ सर बी. राबर्टसन के. सी. एस. आई. के. सी. एन. जी. ,,
३ सर डबल्यू. एच एच. विसेन्ट, के सी. एस. आई. जी. सी. आई. ई. ,,
४ जनरल सर एच. हडसन. के. सी. बी., के. सी. आई. ई. ,,
५ सर आर ए. मेंट, के. सी. आई. ई. ,,
६ सर सी. डबल्यू. रोड्स. सी. बी. ई. ,,
७ मि० सी. एफ. गुडइलफ ,,
८ मि० आर. पी. परांजपे ,,
९ मि० एस. एन. मल्लिक सी आई ई ,,
१० नवाब सर उमरहयात खाँ ,,
११ सर आर. ई. हालैन्ड ,,

कार्य वाहक

१ फाइनेनशियल सेक्रटरी—मि० डबल्यू रोबिन्सन सालाना पौंड १२००
२ मिलेटरी सेक्रटरी—फील्ड मारशेल जेनरल सर क्लाडजेकब ,,
३ पोलीटिकल ऐन्ड सीक्रेट सेक्रटरी—मि० एल. डी. बेकली सी. बी. ,,
४ इकानोमिक ऐन्ड ओवरसीज सेक्रटरी—मि० ई. जे. टरनर सी. बी. ई. ,,
५ सर्विसेज ऐन्ड जनरल सेक्रटरी—मि० पी. एच. डम्बेल ,,
६ जुडिशल ऐन्ड पबलिक सेक्रटरी—मि० जे. ई. फेराड सी. बी. ई. ,,
७ एकौन्टेन्ट जनरल—मि० एल. टरनर. एफ आई, ए. ,,
८ सुपरिंटेन्डेन्ट रेकार्ड—मि० डबल्यू टी. ओटविल एम. बी. ई. ,,

इंडिया आडिट आफिस

आडीटर—मि० डबल्यू. ए. स्टर्डे सी. बी. ई. सालाना पौंड १५००

अ० आडीटर—मि० ई. एल. बाल ११००

हाइ कमिश्नर फार इण्डिया

सर ए. सी. चटर्जी आई सी. एस. के सी. आई. ई. ३०००

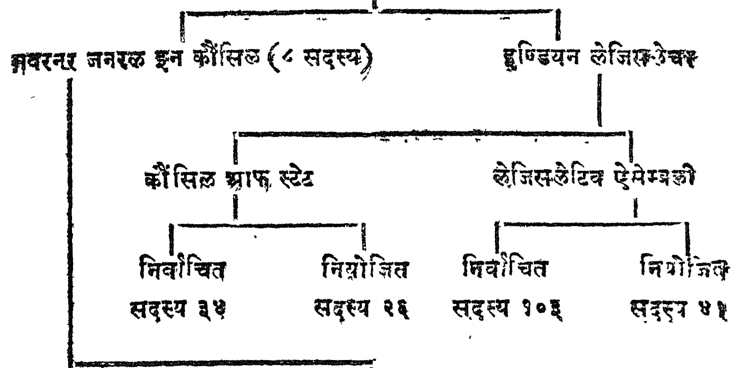
सेक्रटरी—मि० जे. सी. बी. ड्रेक ओ बी. ई.

भारतीय शासन का स्वरूप।

ब्रिटिश नरेश
हौस आफ लार्डस
हौस आफ कामन्स } = ब्रिटिश सरकार

सेक्रटरी आफ स्टेट (इण्डिया कौंसिल)

भारत सरकार



प्रान्तीय सरकारें

गवर्नरी प्रान्त जिनमें १ एक गवर्नर २ अनेक कौंसिल ३ अनेक मिनिस्टर ४ व्यवस्थापक कौंसिल (१ से ९) बम्बई बङ्गाल, मद्रास, संयुक्तप्रान्त, मध्यप्रदेश, बर्मा, बिहार उड़ीसा, पंजाब, आसाम.	सुपरिंटेंट पीनल सेटलमेंट पोर्टब्लियर १० अंडमान और निकोबार	रेजीडेंट मैसूर एक कौंसिल सहित ११ कुर्ग	एजेण्ट गवर्नर जनरल १२ ब्रिटिश बिलोचिस्तान १३ अजमेर (मारवाड़)	चीफ कमिश्नर १४ दिल्ली १५ उत्तर पश्चिमी

भारत सरकार।

वाइसराय तथा गवरनर जनरल।

भारत का शासन व्यवहारिक रीति से गवरनर जनरल इन कौंसिल द्वारा चलाया जाता है। गवरनर जनरल को वाइसराय कहते हैं परंतु इस के लिये कोई क़ानूनी आधार नहीं है। ब्रिटिश सम्राट का भारत में वह प्रतिनिधि है। इस कारण उसे यह पदवी प्राप्त हो गई है और अब यह पदवी क़ानूनी ही समझना चाहिये। गवरनर जनरल की नियुक्त ब्रिटिश नरेश द्वारा होती है और वह उन्हीं को उत्तरदायी है सम्राट की ओर से क्षमा तथा दया प्रकाशित करने के कुछ अधिकार गवरनर जनरल को हैं। भारतीय शासन के सर्वोच्च तथा कुल अधिकार उसी में केंद्री भूत हैं। सब प्रकार के कानून वह बना सकता है और भारतीय व्यवस्थापक सभाओं द्वारा बने हुये कानूनों को वह स्वयं रद्द कर सकता है इस प्रकार नये कानून बनाने की शक्ति को सर्टीफिकेशन, कहते हैं। स० १९१९ के बाद अनेक अवसरों पर दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया जा चुका है।

गवरनर जनरल की कौंसिल।

गवरनर जनरल की सहायता के लिये एक कार्य कारिणी समिति होती है जिसके सदस्य ब्रिटिश नरेश द्वारा नियुक्त होते हैं। साधारण तथा कुल शासन गवरनर जनरल-इन-कौंसिल द्वारा ही चलाया जाता है। क़ानूनन कौंसिल के बिना गवरनर-जनरल को कोई कार्य नहीं करना चाहिये परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। गवरनर जनरल स्वयं सब अधिकार वरत सकता है। कौंसिल में साधारणतः ३ सदस्य होते हैं और कमांडर इन-चीफ को मिलाकर ७ होते हैं। इस से भी अधिक हो सकते हैं। इन में से कम से कम ३ आइ. सी. ऐस होते हैं। और एक सदस्य बैरिस्टर अथवा वकील हाई कोर्ट होना चाहिये। यदि मद्रास, बम्बई या बंगाल प्रेसीडेन्सी में से किसी जगह इस कौंसिल की बैठक हो तो उस प्रेसीडेन्सी का गवरनर असाधारण सदस्य उस बैठक के लिये हो जाता है। किंतु बैठकें साधारणतया दिल्ली और शिमला में ही होती हैं।

प्रत्येक सदस्य के हाथ में एक विशिष्ट विभाग (Port Folio) होता है और वही उस विभाग का कार्य चलाता है। परंतु इन सदस्यों के नीचे जो अफ़सरी होते हैं उन्हें पूर्ण अधिकार है कि गवरनर जनरल के पास सीधे चले जावें और कोई कार्य केवल उसी की आज्ञानुसार कर दें।

इस कौंसिल का कुल कार्य बहुमत से होता है परंतु गवरनर जनरल को बहुमत न मानने का अधिकार है ऐसे अवसर पर विरोधी सदस्य अपना लिखकर पेश कर सकते हैं जो सेक्रेटरी आफ-स्टेट के यहां भेज दिया जाता है।

कार्य के विभाग इस प्रकार हैं—

१—'शिक्षा।स्वास्थ जमीन' विभाग

२—'होम' विभाग (भारतीय प्रबंन्ध इत्यादि) (Home)

३—'फाइनेन्स' विभाग (जमा खर्च

४—व्यापार विभाग (Commerce)

५—उद्योग विभाग (Industries) & Labor)

६—क़ानून विभाग (Law)

७—विदेशी संबन्ध (Foreign) यह विभाग स्वयं गवरनर जनरल के हाथ में रहता है।

८—फौजी विभाग-इस कौंसिल का सदस्य कमांडर इन-चीफ हो सकता है और बहुधा वही होता भी है उस के हाथ में फौजी विभाग रहता है।

इस कौंसिल की बैठक बहुधा एक सप्ताह में एक बार या दो बार होती है।

कौंसिल के सदस्यों की अवधि के लिये कोई नियम नहीं है। कौंसिल के सेक्रेटरी की अवधि ३ वर्ष है। सेक्रेटरी के नीचे डेपुटी और असिस्टेन्ट सेक्रेटरी तथा अन्य पदाधिकारी होते हैं।

भारत सरकार के कार्य

केन्द्रीय सरकार के हाथों में ऐसे कार्य हैं जो पूरे भारतवर्ष से संबंध रखते हैं अथवा उनका प्रबंध समष्टि रूप में अधिक भली प्रकार हो सकता है। अन्य कार्य प्रांतीय सरकारों के हाथों में दे दिये गये हैं। प्रांतीय 'संरिक्षत' विषयों के प्रबंध में केन्द्रस्थ सरकार को हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार है परंतु 'समर्पित' विषयों में केवल निम्न लिखित कारणों से ही हस्तक्षेप किया जा सकता है।

(१) यदि केन्द्रीय विषयों का संरक्षण आवश्यक हो।

(२) यदि दो या अधिक प्रांतीय सरकारों के बीच कोई बात तै करनी हो

(३) यदि हाई कमिश्नर के कार्य संबंधी कोई कर्तव्य गवरनर जनरल का हो,

(४) यदि प्रांतीय सरकारों को करजा निकालना हो इत्यादि।

पदाधिकारियों के वेतन।

गवरनर जनरल	सालाना रु०	२५६०००
कमांडर इन चीफ		१०००००
गवरनर आफ बङ्गाल		१२८०००
„ बम्बई		१२८०००
„ मद्रास		१२८०००
„ यू. पी.		१२८०००
„ बर्मा		१२८०००
„ पंजाब		१०००००
„ बिहार एंड उड़ीसा		१०००००
„ सेन्ट्रल प्रॉविंसिज		७२०००
„ आसाम		६६०००
मेंबर आफ गवरनर जनरल्स एक्जिक्यूटिव कौंसिल		८८०००
मेंबर आफ एक्जिक्यूटिव कौंसिल आफ गवरनर आफ बङ्गाल, बम्बई, मद्रास, बर्मा, तथा यू. पी.		६४०००
मेंबर आफ दि एक्जिक्यूटिव कौंसिल आफ दि गवरनर आफ सी. पी.		४८०००
मेंबर आफ दि एक्जिक्यूटिव कौंसिल आफ दि गवरनर आफ आसाम		४२०००
प्रेसीडेण्ट कौंसिल आफ स्टेट		५००००
प्रेसीडेण्ट लेजिसलेटिव ऐसेम्बली		५००००
प्रेसीडेण्ट मद्रास लेजिसलेटिव कौंसिल		३६०००
प्रेसीडेण्ट बम्बई	„	३६०००
बङ्गाल	„	३६०००
यू. पी.	„	४८०००
पंजाब	„	३६०००
सेन्ट्रल प्रॉविंसिज	„	३६०००
आसाम	„	१२०००

मिनिस्टर—बम्बई		सालानारु० ६४०८०
,,	बङ्गाल	६४०००
,,	मद्रास	६४०००
,,	यू. पी.	६४०००
,,	पंजाब	६००००
,,	बिहार एण्ड उड़ीसा	६००००
,,	सी. पी.	३६०००
,,	आसम	४२०००

केन्द्रीय सरकार के अधिकार।

निम्नलिखित कार्यों पर केन्द्रस्थ भारतीय सरकार (Central Government) का अधिकार है। अन्य कार्य प्रांतीय सरकारों के हाथ में दिये गये हैं।

१—भारत की रक्षा और अन्य सब विषय जो सम्राट की जल और थल सेनाओं से सम्बन्ध रखती हों। जहाजी और फौजी कार्य छावनियां इत्यादि।

२—बाहिरी देशों से सम्बन्ध तथा परदेश यात्रा के नियम इत्यादि।

३—देशी नरेशों से सम्बन्ध।

४—राजनैतिक खर्च।

५—मार्गों का सम्बन्ध।

(क) रेल व म्युनिस्पेलटी के बाहर की ट्राम्वे (जो किसी नियम द्वारा प्रान्तीय न हों)

(ख) वायुयान तथा तत्सबंधी विषय।

(ग) देश के भीतर के जल मार्ग (जो नियम द्वारा निश्चित हों।)

६—जहाज इत्यादि का प्रबन्ध।

७—लाइट हौस।

८—बन्दरगाहों के अस्पताल क्वारन्टाइन।

९—बन्दर गाहों का प्रबन्ध।

१०—डाक, तार, टेलीफोन, बेतार का तार इत्यादि।

११—कस्टम टैक्स, रुई टैक्स, आय कर नमक कर तथा अखिल भारतीय आय के अन्य स्रोत।

१२—सिक्के और टकसाल।

१३—सार्वजनिक ऋण।

१४—सेविंग बैंक।

१५—हिसाब के जांच का खाता।

१६—दीवानी का कानून।

१७—व्यापार, बैंकिंग, बीमा।

१८—व्यापारी कम्पनियां और अन्य समितियाँ।

१९—उन पदार्थों के निर्माण और विनिमय पर अधिकार जो सार्वजनिक लाभ के लिये आवश्यक समझे जावें।

२०—उद्योग धन्धों की उन्नति (जो नियम द्वारा रक्षित हों।

२१–अफीम की खेती, तैयारी और बेचने का प्रबन्ध।

२२–सामान जो इम्पीरियल डिपार्टमेंट के लिये जरूरी हो।

२३–पेटोलियम और भभक के उड़ने वाली वस्तुयें।

२४–जियोलोजिकल सर्वे।

२५–खानिज पदार्थ (१९) में दिये अनुसार।

२६–ट्रेगोनोमेट्रिकल सर्वे।

२७–आविष्कार इत्यादि।

२८–कापीराईट।

२९–ब्रिटिश इंडिया के बाहर जाना अथवा परदेशों से आना इत्यादि

३०–फौजदारी कानून (जाब्ता सहित)

३१–केन्द्रीय पुलिस।

३२–हथियार और बारूद वगैरः

३३–केन्द्रीय एजेन्सी और संस्थायें (वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि)

३४–गिरजों का प्रबन्ध (योरोपियन कबरिस्तान इत्यादि)

३५–सर्वे आफ इंडिया (पैमाइस)

३६–आर्कियालाजी।

३७–जूलोजीकल सर्वे।

३८–मिटियरालोजी

३९–जन गणना और सङ्ख्या निर्माण विभाग इत्यादि।

४०–सर्व देशी नौकरियाँ

४१–प्रांत सम्बन्धी ऐसा कानून निर्माण जो विशेष नियम द्वारा गवर्नर जनरल अथवा लेजिसलेटिव ऐसेम्बली ने अपने लिये रख छोड़ा हो।

४२–देश की भूमि का तबादला इत्यादि।

४३ खिताब, रसूम, आर्डर मान-मर्तबा इत्यादि।

४४–गवरनर जनरल द्वारा ली हुई गैर मनकूला जायदाद।

४५–पबलिक सर्विस कमीशन।

मुख्य मुख्य प्रांतीय विषय निम्नलिखित हैं—

१—पुलिस।

२—दीवानी और फौजदारीन्याय।

३—जेल।

४—मालगुजारी का लगाना।

५—शिक्षा।

६—अस्पताल और सफाई का प्रबन्ध।

७—बिलडिंगस और रोडस (मकानात और सड़कें)

८—जङ्गल।

९—म्युनिसिपेलटी और जिला बोर्ड।

प्रांतीय शासन।

प्रांत।

शासन के लिये ब्रिटिश भारत में १५ प्रांत हैं। इनसे ९ प्रांतों में १ गवर्नर एक एक्जीक्यूटिव कौंसिल अनेक मिनिस्टर (मन्त्री) और १ व्यवस्थापक सभा है। अन्य प्रांत चीफ कमिश्नर आदि शासकों द्वारा शासित होते हैं जो गवरनर जनरल इन-कौंसिल के प्रत्यक्ष आधीन हैं।

प्रांत	शासन
१—बङ्गाल	गवरनर, मिनिस्टर, कौंसिलर तथा लेजिसलेटिव कौंसिल
२—मद्रास	”
३—बम्बई	”
४—बिहार उड़ीसा	”
५—यू० पी०	”
६—पञ्जाब	”
७—आसाम	”
८—बर्मा	”
९—संयुक्त प्रांत	”
१०—उत्तर पश्चिमी सरहद्दी प्रांत	चीफ कमिश्नर
११—अजमेर मारवाड़	एजेन्ट टू गवरनर जनरल
१२—ब्रिटिश बिलोचिस्तान	ऐजेन्ट टू गवरनर जनरल
१३—कुर्ग	रेजिडेंट आफ मैसोर कौंसल सहित
१४—अन्डमन्स और निकोबार	सुपरडेन्ट पीनल सेटिलमेंट पोर्ट ब्लेयर
१५—दिल्ली	चीफ कमिश्नर

गवरनर।

गवरनरों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा होती है। उनके अधिकार बड़े विस्तृत हैं और इन अधिकारों पर किसी प्रकार की बाधा नहीं। शासन के प्रबन्ध के कुछ नियम बनाने का उन्हें अधिकार होता है। संरक्षित तथा समर्पित विषयों का संचालन गवरनर करता है और उसे अधिकार है कि खास मौकों पर अपनी इक्जिक्यूटिव कौंसिल की बात न माने। व्यवस्थापक सभा के कार्य में हस्तक्षेप करने का उसे पूर्ण अधिकार है। और वह प्रश्न बिल तथा प्रस्ताव पेश करने की मनाई कर सकता है।

बंगाल, बम्बई, मद्रास, यू. पी. के गवरनर का वार्षिक वेतन रु० १२८,००० हैं किन्तु यू. पी. के गवरनर से अन्य तीन गवर्नरों के निजू कर्मचारियों का खर्च बहुत ज्यादा हैं। उनको एक मिलीटरी सेक्रेटरी, एक सरजन, एक प्राइवेट सेक्रेटरी और बहुत से ए. डी. सी. होते हैं। पंजाब यू. पी. सी. पी. आसाम बिहार और उड़ीसा के गवरनरों के लिये मिलीटरी सेक्रेटरी नहीं है और न सरजन है। ए. डी. सी. की संख्या भी कम है। पंजाब और बिहार उड़ीसा प्रांत के गवरनरों का अधिक से अधिक वार्षिक वेतन १ लाख रुपया है और सी. पी. के गवरनर का ७२,००० और आसाम के गवरनर का रु० ६६०००.है।

इकजीक्यूटिव कौंसिल ।

इकजीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर ब्रिटिश नरेश द्वारा नियुक्त होते हैं और उनकी संख्या अधिक से अधिक चार होती है। उसमें से एक मेम्बर ऐसा होना चाहिये जिसने सरकारी नौकरी कम से कम १२ वर्ष तक की हो इसका अर्थ यह है कि कमसे कम एक कौंसिलर आई. सी. एस. होना चाहिये। साधारण कार्यों में गवरनर को कौंसिल की बात मानना चाहिये परन्तु खास कार्यों में उसे अधिकार है कि कौंसिल का निर्णय रद्द कर दे। इस कौंसिल के सदस्य पदाधिकारी होने के कारण (Ex Officio) व्यवस्थापक सभा के सदस्य हो जाते हैं चुनाव की या नियोजित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इन कौंसिलरों के हाथों में "संरक्षित" [Reserved] विषयों का प्रबंध रहता है।

मिनिस्टर ।

प्रत्येक प्रांत के लिये कुछ मिनिस्टर होते हैं जिन्हें व्यवस्थापक सभा के चुने हुये सदस्यों में से गवरनर नियत करता है। इकजीक्यूटिव कौंसिलर हमेशा मिनिस्टर से ऊंचा समझा जाता है। मिनिस्टरोंकेहाथों में "समर्पित" (Transferred) विषयों का प्रबन्ध रहता है। यदि व्यवस्थापक सभा को किसी मिनिस्टरकी नीति पसंद न हो तो असंतोष का वोट (Vote of no confidence) पास कर दे इस पर मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है। कोई कानून ऐसा नहीं है। जिससे अवश्य ही उसे ऐसा करना पड़े केवल अपमान के भय से मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है गवरनर का अधिकार मिनिस्टर पर पूर्ण है और वही उसे निकाल दे सकता है। गवरनर दूसरा मिनिस्टर नियत करेगा यदि उससे भी गवरनर का मत भेद होवे या कोई चुना हुआ सदस्य व्यवस्थापक सभा का मिनिस्टर होने पर रजामंद न हो तो गवरनर व्यवस्थापक सभा को तोड़ दे सकता है और जब तक दूसरी सभा न चुनी जावे वह कुछ "समर्पित" विषयों का प्रबंध कर सकता है।

मिनिस्टरों के सेक्रेटरी आइ. सी. एस. होते हैं और उन्हें गवरनर से मिलने

प्रांतिक कौंसिलों के सदस्य।

प्रांत	निर्वाचित													नामज़द			समस्त योग
	गैर मुसलमान		मुसलमान		योरपियन	ऐंग्लो इंडियन	ज़मींदार	विश्व विद्यालय	खान और खेती	उद्योग और वाणिज्य	सिक्ख	ईसाई	योग	प्रबंध कारिणी सभा के सदस्यों सहित (सरकारी)	गैर सरकारी	योग	
	ग्राम्य	नागरिक	ग्राम्य	नागरिक													
बंगाल	३५	११	३३	६	५	२	५	१	...	१५	...	...	११३	१८	८	२६	१३९
मद्रास	५६	९	११	२	१	१	६	१	१	५	...	५	९८	१९	१०	२९	१२७
बम्बई	३५	११	२२	५	२	...	३	१	...	७	...	...	८६	१६	९	१५	१११
संयुक्त प्रांत	५२	८	२५	४	१	...	६	१	...	३	...	...	१००	१६	७	२३	१२३
बिहार-उड़ीसा	४२	६	१५	३	...	...	...	१	२	...	...	...	७६	१८	९	२७	१०३
मध्य प्रांत	३१	९	६	१	...	...	३	१	१	२	...	...	५४	८	८	१६	७०
पंजाब	१३	७	२७	५	...	...	४	१	...	३	१२	...	७१	१४	८	२२	९३
आसाम	२०	१	११	...	...	...	...	...	५	१	...	...	३९	७	७	१४	५३

का पूर्ण अधिकार है और वे गवरनर से आज्ञा लेकर बहुत से कार्य स्वयं कर दे सकते हैं।

विभाजित सरकार।

(Diarchy)

प्रांतीय विषयों का प्रबंध उपरोक्त दो प्रकार से होता है (१) एक में गवरनर और इक्जीक्यूटिव कौंसिलर कार्य करते हैं। इन विषयों को संरक्षित (Reserved) कहते हैं। (२) दूसरे प्रकार में गवरनर और मिनिस्टर कार्य करते हैं। इन विषयों को समर्पित (Transferred) कहते हैं।

संरक्षित विषय—आबपाशी मालगुजारी अदालतें दुर्भिक्ष में प्रबंध, पुलिस जेल, सरकारी नाकरियां, टैक्स, कर्ज, इत्यादि।

समर्पित विषय—शिक्षा, सफाई खेती, स्थानिक स्वराज्य, म्युनिसिपेलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, उद्योग धन्धे रेजिस्ट्रेशन (मौत। पैदाइश) इत्यादि।

व्यवस्थापक सभा।

सब प्रान्तों में व्यवस्थापक सभायें नहीं है। केवल ९ बड़े प्रान्तों (Major Provinces में व्यवस्थापक सभायें (councils हैं। प्रत्येक कौंसिलके लिये एक प्रेसीडेंट होता है और एक डिप्टी प्रेसीडेंट भी होता है। दोनों को निश्चित वेतन मिलता है। स० १९१९ का ऐक्ट जब आरम्भ हुआ, तब पहिली कौंसिल में प्रेसीडेंट सरकार द्वारा नियत हुये थे परन्तु अब चुने हुये हैं।

कमिश्नरी, जिले और तहसील।

शासन के विचार से प्रांतों में बड़े और छोटे भाग हैं—(१) उपप्रांत, डिवीजन (२) जिले। डिवीजन का शासक कमिश्नर कहलाता है और जिलों के शासक कलेक्टर और कहीं कहीं डिप्टी कमिश्नर कहलाते हैं। इनके नीचे तहसील और तअल्लुके होते हैं जिनके शासकों को तहसीलदार सब डिप्टी, मामलतदार इत्यादि कहते हैं।

भारत संरकार के पदाधिकारी ।

वाइसराय ऐन्ड गवरनर जनरल आफ इण्डिया ।

हिज एक्सेलेन्सी दि राइट आनरेबिल एडवर्ड फ्रेडरिक लिन्डले वुड, बैरन आयर्विन आफ किर्वोअन्डरडेल, पी. सी. जी. एम. एस. आई., जी. एम आई ई. (४ अप्रैल १९२६)   मासिक रुपया २१,३३३-५-४

प्राइवेट सेक्रेटरी ।

सर जी. कनिंङ्गहैम, आई. सी. एस., सी. आई. ई. मासिक रुपया २७५०

मिलिटरी सेक्रेटरी ।

ले० कर्नल सी. ओ. हार्वी, सी. बी. ओ. एम. सी.

एक्जीक्यूटिव कौंसिल ।

१ होम मेम्बर—ओ. मि. जे क्रेरार सी. एस. आई.   ६६६६॥=)८
२ ला० मेम्बर—सर बी. एल. मिश्र   ,,
३ एजुकेशन हेल्थ एन्डलैण्ड—आ० खानबहादुर सर हबीबुल्ला   ,,
४ रेलवे ऐण्ड कमर्स—आ० सर जार्ज रेनी, की.सी.आई.ई. सी.एस आई.   ,,
५ फाइनेन्स—आ० सर जी. ई. मस्टर   ,,
६ इन्डस्ट्रीज ऐन्ड लेबर—आ० सर भूपेन्द्रनाथ मित्र के.सी एस आई., सी. बी. ई.   ,,
७ कमान्डर-इन-चीफ इन इण्डिया—हिज एक्सेलेन्सी   ,,
८ फील्ड मार्शल सर विलियम बर्ड वुड जी. सी. बी., जी सी. एस. जी.   ,,

सेना विभाग ।

सेक्रेटरी—मि० जी. एम. यङ्ग   रुपया ४०००

फाईनैन्शनल ऐडवाईजर ।

(सेना) मि० ए. एफ. एल. ब्रेन   रुपया ३२५०

व्यापार विभाग ।

सेक्रेटरी—जे. ए. वुडहेड आई. सी. एस.   रुपया ४०००
एकाउन्टेन्ट भारत सरकार—मि. एच. डी. डबल्यू. मीकल एफ. एफ ए.   २०००

एजूकेशन हैल्थ तथा लैन्ड विभाग।

सेक्रेटरी—मि. जी. एस. बाजपेई, सी. आई. आई. सी. एस., सी. बी. ई. मासिक रु. ४०००
ऐजूकेशनल कमिश्नर—मि. आर. लिटलहेलस २५००
इन्सपेक्टर जनरल फारेस्ट—मि. ए. राजर. ओ. बी. ई. ३२५०
डा० जनरल इण्डियन मेडिकल सर्विस—मेजर जनरल टी. एच. साइमन्स
सी. एस. आई., ओ. बी. ई. ३५००
पब्लिक हैल्थ कमिश्नर—ले० कर्नल जी. डी. ग्रेहैम आई. एम. एस. २५००
सर्वेयर जनरल—ब्रिग. आर. एच. टामस आर. ई. ३२५०
एग्रीकल्चरल ऐडवाइजर—डा० डी. क्लौस्टन एम. ए. सी. आई. ई. २७५०
डायरेक्टर जुलाजीकल सर्वे आफ इण्डिया—मेजर आर. वी. सोमोर
सीवेल आई. एम. एस. २०००
डायरेक्टर बोटेनिकल सर्वे आफ इण्डिया—मि. सी. सी. केलडर
बी. एस. सी., एफ. एल. एस.
लाइब्रेरियन इम्पीरियल लाइब्रेरी, मि. जे. ए. चेपमैन १५००
कीपर आफ दी रेकर्ड (भारत सरकार) मि. ए. एफ. एम. अबदुल
अली एम. ए. १५००

होम डिपार्टमेंट (स्वदेश विभाग)

सेक्रेटरी—मि. एच. जी. हेग, सी. आई. ई. आई. सी. एस. मासिक रु. ४०००
डायरेक्टर इन्टैलीजेन्स ब्युरो—मि. डी. पेट्री सी. आई. ई. सी. वी. ओ. ३०००
डायरेक्टर आफ पबलिक इनफारमेशन—मि. जे. कोटमैन आई. पी. २०००

इन्डस्ट्रीज ऐन्ड लेबर।

सेक्रेटरी—टी. रयान सी. आई. ई. ४०००

लेजिसलेटिव विभाग।

सेक्रेटरी—मि० एल. ग्राहाम सी. आई. ई. ४०००
सोलिसिटर—टी. ई. टी. अपटन २०००

रेलवे विभाग।

चीफ कमिश्नर—सर ए. हेडो, सी. बी. ओ. ६०००
फाइनेनशियल कमिश्नर—मि. ए. ए. एल. पार्सनस सी. आई. ई. ४०००
सेक्रेटरी—मि. आर. सी. मोस २५००

फाइनेन्स ।

सेक्रेटरी—मि. ई. बोर्डिन सी. आइ. ई. आइ. सी. एस.	रुपया ४०००
आडीटर जनरल—सर एफ. गान्टलेट, के. बी. ई. सी. आइ. ई.	५०००
कन्ट्रोलर आफ करेन्सी, मि. एच. डेनिङ्ग. आइ. सी. एस. सी. आइ. ई.	३५००

विदेशी और राजनैतिक विभाग ।

सेक्रेटरी (विदेश)—सर डी. एस. ब्रे के. सी. आइ. ई.	रु० ४०००
सेक्रेटरी (राजनैतिक)—सर सी. सी. वाटसन सी. आइ. ई.	४०००

पोस्ट ऐन्ड टेलीग्राफ ।

डायरेक्टर जेनरल पोस्ट ऐन्ड टेलीग्राफ—एच. ए. सैम्स, सी. आइ. ई.	३६००
मि० पी. जी. राजर्स (स्थानापन्न)	

अन्य विभाग ।

डायरेक्टर जियोलोजीकल सर्वे आफ इण्डिया— सर ई. एच. पेस्को डी. एस. सी.	३०००
डायरेक्टर जनरल आर्कीयालाजिकल भारत — सर जे. एच. मार्शल, सी. आइ. ई.	३०००
मि० एच. हारग्रीव्स (स्थानापन्न)	

भारतीय व्यवस्थापक मंडल।

भारत में कानून तीन प्रकार के हैं:-

(१) ब्रिटिश पार्लीमेंट के ऐक्ट उदाहरणार्थ गवरमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९१९।

(२) गवरनर जनरल द्वारा बनाये हुए आर्डीनेंसेज (यह कानून केवल ६ माह तक लागू रहते हैं और केवल आकस्मिक आवश्यकता होने पर इन्हें बनाना चाहिये ऐसा नियम है परंतु आवश्यकता है अथवा नहीं इस बात का निर्णय पूर्णतया गवरनर जनरल पर है) उदाहरण—बंगाल आर्डीनेंस।

(३) व्यवस्थापक सभाओं द्वारा बनाए हुए ऐक्ट।

भारतीय व्यवस्थापक मंडल।

व्यवस्थापक मंडल अर्थात (Indian Legislature) के दो भाग हैं—

(१) कौंसिल आफ स्टेट (राज्यपरिषद)

(२) लेजिस्लेटिव एसेम्बली (बड़ी व्यवस्थापक सभा)

किसी कानून को पास होने के लिये दोनों सभाओं की अनुमति होना चाहिये ऐसा साधारण नियम है।

दोनों सभाओं में निश्चित संख्या सदस्यों की होती है। कुछ नियमित संख्या तक सदस्यों के स्थान खाली रहें तो भी दोनों सभायें अपना कार्य कर सकती हैं। सरकारी नौकर चुना हुआ सदस्य नहीं हो सकता। यदि गैर सरकारी सदस्य सरकारी नौकरी कर ले तो उसका स्थान खाली हो जाता है। यदि कोई सदस्य दोनों सभाओं में चुने जावे तो एक स्थान का इस्तीफा देना पड़ता है। दोनों जगह सदस्य नहीं रह सकता।

गवरनर जनरल की कौंसिल के सदस्य दोनों में से एक सभा के सदस्य नियोजित हो सकते हैं परंतु दोनों जगह बैठने व बोलने का अधिकार उन्हें रहता है।

निर्वाचन विधि।

सदस्यों के निर्वाचन के लिये नियम बने हुये हैं। कौंसिल आफ स्टेट और एसेम्बली के निर्वाचन क्षेत्र (Seat or Constituency) अलग २ हैं और निर्वाचक की योग्यता भी अलग २ है। कौंसिल आफ स्टेट के लिये क्षेत्र भी बड़े हैं और योग्यता भी बड़ी है।

निर्वाचन संघ (Electorate) अर्थात निर्वाचकों (वोटरों) के समूह भी अलग २ हैं और कई प्रकार के हैं— साधारण, साम्प्रदायिक (मुसलमान, अब्राह्मण यूरोपियन इत्यादि) विशेष, यूनिवर्सिटी, व्यापार, जमींदार, खान, खेती इत्यादि।

निर्वाचक संघों का विशेष ज्ञान आगे चलकर कौंसिल आफ स्टेट तथा एसेंबली के विशेष विवरण में दिया गया है।

सदस्यों की संख्या (प्रान्त वार)

ऐसेम्बली और कौंसिल आफ स्टेट

प्रान्त		ऐसेम्बली	कौंसिल आफ स्टेट
मद्रास	निर्वाचित	१६	५
बङ्गाल	,,	१७	६
बम्बई	,,	१६	६
संयुक्तप्रांत	,,	१६	५
पञ्जाब	,,	१२	४
बिहार उड़ीसा	,,	१२	३
मध्यप्रांत	,,	५	२
आसाम	,,	४	१
बर्मा	,,	४	२
दिल्ली	,,	१	—
कुल	निर्वाचित	१०३	३४
भारत सरकार	नियोजित	४१	२६
कुल		१४४	६०

मताधिकार ।

मताधिकार (वोट की पात्रता) निम्नलिखित व्यक्तियों को नहीं रहती ।

१—जो ब्रिटिश प्रजा न हो किंतु देशी नरेश और उनकी प्रजा को मताधिकार है ।

२—पागल ।

३—२१ वर्ष से कम आयु वाला मनुष्य (बर्मा में १८ वर्ष से कम) ।

४—जिसे पिनल कोड के ९वें चैपटर के अनुसार ऐसे अपराध में सज़ा दी गई हो जिसमें ६ महीने से अधिक सजा हो । दंडित होने के ५ वर्ष बाद वह निर्वाचित हो सकता है ।

५—जो निर्वाचित कमिश्नरों द्वारा चुनाव के समय रिश्वत तथा दूषित व्यवहार के लिये अपराधी ठहराया गया हो । ऐसे व्यक्ति किसी प्रांत में ३ साल और किसी में ५ साल बाद निर्वाचक हो सकते हैं ।

स्त्रियों को सभी प्रांतों में मताधिकार है ।

गवरनर जनरल इन कौंसिल को अधिकार है कि उपरोक्त अवधियां (४) व (५) को कम कर दे ।

निर्वाचकों की सूचि को Electoral Roll कहते हैं और जिन व्यक्तियों का उसमें नाम दर्ज हो वे ही वोट दे सकते हैं ।

व्यवस्थापक सभाओं के नियम ।

कौंसिल आफ स्टेट का अध्यक्ष गवरनर जनरल द्वारा नियत होता है ।

लेजिस्लेटिव एसेम्बली का पहिला अध्यक्ष (नये ऐक्ट के अनुसार) गवरनर जनरल नियत करेगा जो चार वर्ष तक काम करेगा बाद को वह एसेम्बली द्वारा चुना जावेगा जिस की स्वीकृति गवरनर जनरल देगा । (इस समय अध्यक्ष चुना हुआ ही है)

एसेम्बली एक डिपटी प्रेसीडेन्ट भी नियत करेगी ।

इन दोनों का वेतन गवरनर जनरल द्वारा निश्चित होगा अगर वह इन्हें नियत करे अन्यथा ऐसेम्बली इन के निमित्त एक्ट पास करेगी ।

कौंसल आफ स्टेट ५ साल तक और एसेम्बली ३ साल तक (पहिली बैठक से) जारी रहेगी ।

गवरनर जनरल को अधिकार है कि लेजिस्लेटिव एसेम्बली और कौंसिल आफ स्टेट को अवधि के पहिले ही स्थगित कर दे या उनकी अवधि बढ़ा दे

कोई सरकारी नौकर किसी सभा के चुनाव के लिये खड़ा न हो सकेगा ।

गवरनर जनरल की कौंसिल का प्रत्येक मेम्बर दोनों सभाओं में से किसी एक का मेंबर नियुक्त होगा पर दोनों में उसे बोलने का अधिकार होगा ।

यदि कोई मनुष्य दोनों सभाओं का सदस्य चुन लिया जावे तो उसे एक सभा से इस्तीफा दे देना पड़ेगा ।

इन सभाओं को भारत सम्बन्धी सब प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है। परन्तु उन्हें सेक्रटरी आफ स्टेट की अनुमति के बिना ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी हाईकोर्ट को तोड़ दें या किसी अदालत को फांसी देने का अधिकार दे दें।

गवरनर जनरल की अनुमति बिना निम्न लिखित विषयों सम्बन्धी कोई कानून पेश नहीं किये जा सकते:—

१—सार्वजनिक कर्ज (Public Debt) तथा सार्वजनिक आमदनी।

२—धर्म तथा धार्मिक रीतियाँ (ब्रिटिश भारत की प्रजा संबंधी)

३—सरकारी फौजों के नियम तथा नियुक्ति सम्बन्धी विषय

४—विदेशी नरेशों तथा राज्यों से सम्बन्ध।

यदि एक सभा का पास किया हुआ बिल दूसरी सभा में ६ महीने के अन्दर न पास करे तो गवरनर जनरल उस बिल को दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक के सामने पेश करेगा।

यदि कोई बिल दोनों सभाओं ने पास कर दिया हो तो गवरनर जनरल उसे पुनः विचार के लिये उन्हीं को वापिस कर सकता है।

दोनों सभाओं के सदस्यों के विचार स्वातंत्र्य है और उनके भाषणों के कारण उन पर किसी अदालत में मुकद्दमा नहीं चल सकता।

अनुमान पत्र (Budget)

(१) प्रत्येक वर्ष भारत के सरकारी अनुमानित आय व्यय का व्योरा दोनों सभाओं के सामने पेश किया जायगा।

(२) किसी कार्य के लिये किसी आमदनी या रुपये का खर्च बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के पेश नहीं किया जा सकता।

(१) गवरनर जनरल-इन-कौंसिल के निम्नलिखित खर्चों के अनुमान लेजिसलेटिव ऐसेम्बली के वोटों के आधीन न रहेंगे। और उन पर वार्षिक अनुमान पत्र पर बहस के समय कोई चरचा भी नहीं हो सकती है। गवरनर जनरल इस बाधक नियम को हटा सकता है:—

१—कर्ज का सूद और किस्त।

२—ऐसा खर्च जो किसी कानून द्वारा बाध्य हो।

३—वेतन तथा पेन्शनें ऐसे कर्मचारियों की जिन की नियुक्ति सम्राट द्वारा अथवा सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा होती है।

४—चीफ कमिश्नर और जुडिशल कमिश्नरों के वेतन।

५—खर्च जो गवरनर जनरल इन कौंसिल निम्न प्रकार की मदों में रख दे

(क) गिरजों का खर्च।

(ख) राजनैतिक खर्च।

(४) यदि यह प्रश्न उपस्थित हो कि कोई खर्च उपरोक्त मद में आता है या नहीं तो गवरनर जनरल का फैसला अन्तिम होगा।

(५) गवरनर जनरल–इन–कौंसिल के अन्य खर्चों का अनुमान लेजिसलेटिव ऐसेम्बली के वोट के आधीन रहता है और भिन्न २ मदों की मांगों के रूप में पेश किया जाता है।

(६) लेजिसलेटिव एसेम्बली इन मागों में से किसी को अस्वीकार कर सकती है या मांग का रुपया कम कर सकती है।

(७) लेजिसलेटिव ऐसेम्बली द्वारा पास किये हुये अनुमान गवरनर जनरल इन कौंसिल को पेश किये जाते हैं। और यदि किसी मांग का ऐसेम्बली ने स्वीकार न किया हो या उसके रुपये को कम कर दिया हो तो गवरनर जनरल ऐसी मांग को पूर्ण रूप से स्वयं स्वीकार कर सकता है और ऐसेम्बली की राय को रद्द कर सकता है।

(८) उपरोक्त नियमों के होते हुये भी गवरनर जनरल स्वयं किसी खर्च को जिसे वह भारत की रक्षा तथा शांति के लिये उचित समझे पास कर सकता है।

आकस्मिक अधिकार।

गवरनर जनरल द्वारा स्वीकार किये हुये किसी बिल को दोनों सभायें या एक नामंजूर करें या संशोधन कर दें तो यदि गवरनर जनरल यह समझे कि ब्रिटिश भारत या, उसके किसी भाग की रक्षा, तथा शांति के लिये उस बिल का पास होना आवश्यक है तो इस प्रकार का सार्टीफिकट देदेगा और इस पर—

(१) यदि बिल दूसरी सभा ने पास कर दिया है तो गवरनर जनरल के हस्ताक्षर होने पर इस बात के होते हुये भी कि दोनों सभाओं ने इसे पास नहीं किया है, वह बिल तुरन्त कानून हो जावेगा।

(२) यदि बिल दूसरी सभा में पेश नही हुआ है तो वह दूसरी सभा में पेश किया जावेगा, तो यदि उस सभा ने गवरनर जनरल की इच्छानुसार उसे पास कर दिया तो वह ऐक्ट हो जावेगा अगर नहीं तो गवरनर जनरल के हस्ताक्षरों से ही वह एक्ट हो जावेगा—

इस प्रकार का एक्ट गवरनर जनरल द्वारा पास किया गया है ऐसा समझा जावेगा और जितनी जल्दी हो सके उसे पार्लीमेंट की दोनों सभाओं के सामने पेश किया जावेगा और जब तक पार्ली-मेंट उसे पास न कर दे तब तक वह लागू न होगा।

किंतु यदि गवरनर जनरल समझे कि ऐक्ट का पास होना अत्यन्त आव-श्यक है तो उसी समय ऐसे बिल को लागू कर देगा और वह तब तक लागू रहेगा जब तक सम्राट (कौंसिल सहित) उसे रद्द न कर दें।

कौंसिल आफ स्टेट

निर्वाचक (वोटर) की योग्यता

जिस व्यक्ति में उपरोक्त अयोग्यतायें न हों और जिसमें निम्नलिखित योग्यतायें हों वह वोटर हो सकता है और उसी का नाम वोटरों की सूची में दर्ज किया जाता है:—

१-जो निर्वाचन क्षेत्रConstituency of Seat की सीमा के भीतर रहता हो। और—

२–(१) जिसके पास निर्धारित मूल्य की जमीन हो।

या (२) जो निर्धारित आमदनी पर टैक्स (कर) देता हो।

या (३) जो किसी व्यवस्थापक सभा का सदस्य हो या रहा हो।

या (४) जो किसी म्युनिसिपल या डिस्ट्रिक्टबोर्ड या कौंसिल का निर्धारित पदाधिकारी हो या रहा हो।

या (५) जो व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी की निर्धारित पदवी प्राप्त हो।

या (६) जो किसी सहकारी बैंक का निर्धारित पदाधिकारी हो।

या (७) जिसे सरकार द्वारा शमसुल उलमा अथवा महामहोपाध्याय की पदवी प्राप्त हुई हो।

साम्प्रदायिक अथवा जाति संघ में उसी सम्प्रदाय अथवा जाति का मनुष्य निर्वाचक हो सकता है—जैसे मुसलमान संघमें मुसलमान ही निर्वाचक हो सकता है अन्य मनुष्य नहीं।

भिन्न २ प्रांतों में निर्वाचकों की योग्यता के लिये आमदनी पर टैक्स की सीमा अथवा मालगुजारी की सीमा अलग २ है:—

उदाहरणार्थः—

प्रांत	सालाना आमदनी	मालगुजारी
बङ्गाल	१२०००	५०००
बम्बई	३००००	७५००
मद्रास	२००००	२०००
संयुक्तप्रांत	१००००	५०००
सी. पी.	२००००	३०००
आसाम	१२०००	२०००
पंजाब	१५०००	७५००
विहार	१२०००	१२००
बर्मा	५०००	...

यह बात स्पष्ट है कि कौंसिल आफ स्टेट धनिकों की सभा है। पहले निर्वाचन में यह पाया गया कि देश भर में लगभग १८०० कुल निर्वाचक थे।

कुछ विशेष अयोग्यतायें।

कौंसिल आफ स्टेट के निर्वाचकों में निम्नलिखित अयोग्यतायें उपरोक्त अयोग्यताओं के अतिरिक्त भी न होना चाहिये-

(१) ऐसे वकील जो किसी अदालत द्वारा वकालत करने के अधिकार से वञ्चित कर दिये गये हों।

(२) ऐसे व्यक्ति जो ऐसे दिवालिये हों जो बरी न हुये हों।

(३) जिनकी आयु २५ वर्ष से कम हो।

(४) जिन्हें एक वर्ष से अधिक सजा या देश निकाला दिया गया हो।

(५) जो सरकारी नौकर हों।

यदि भारत सरकार चाहें तो पहिली या चौथी अयोग्यता किसी विशेष व्यक्ति के लिये रद्द कर सकती है पांच वर्ष के बाद चौथी योग्यता नष्ट हो जाती है

कौंसिल आफ स्टेट

सदस्यों की संख्या (६०) सभापति सहित

आकार या प्रान्त	चुने हुये						नामज़द		
	जनरल	गैर मुस्लिम	मुस्लिम	सिक्ख	योरोपियन व्यापारी	कुल	सरकारी	गैर सरकारी	कुल
भारत सरकार	...	...	...	...	...	...	१२	—	१२
मद्रास	—	४	१	—	—	५	१	१	२
बम्बई	—	३	२	—	१	६	१	१	२
बङ्गाल	—	३	२	—	१	६	१	१	२
संयुक्तप्रान्त	—	३	२	—	—	५	१	१	२
पंजाब	—	१	$१\frac{१}{२}$	—	—	$३\frac{१}{२}$	१	२	३
बिहार उड़ीसा	—	$२\frac{१}{२}$	१	१	—	$३\frac{१}{२}$	१	—	१
बर्मा	१	—	—	—	१	२	—	—	—
मध्यप्रान्त	२	—	—	—	—	२	—	—	—
आसाम	—	$\frac{१}{२}$	$\frac{१}{२}$	—	—	१	१	—	१
देहली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल						३४			२५

नोट—एक निर्वाचन में पंजाब में मुसलिमों को दो और दूसरे निर्वाचन में बिहार उड़ीसा के गैर मुसलिमों को दो सदस्य चुनने का अधिकार है। इसी प्रकार एक निर्वाचन में बिहार उड़ीसा में गैर मुसलिमों को ३ और दूसरे में पंजाब

में मुस्लिमों को एक सदस्य चुनने का अधिकार है। आसाम में मुसलिम व गैर मुसलिम बारी बारी से एक सदस्य चुनते रहते हैं।

ऊपर के कोष्टक से सदस्यों की संख्या मालूम होगी। सरकार २७ सदस्य (सभापति को मिलाकर) नामज़द कर सकती है जिसमें से २० तक (अधिक नहीं) सरकारी नौकर हो सकते हैं। बिहार प्रान्त के लिये सरकार १ सदस्य नियोजित कर देती है।

सभापति को सरकार सदस्यों में से ही नामजद करती है।

कौंसिल आफ स्टेट के सदस्यों के नामों के पहिले Hon'ble (माननीय) शब्द लगाये जाने का मान सरकार ने दे रक्खा है।

कौंसिल आफ स्टेट की आयु ५ वर्ष की है।

कौंसिल ओफ स्टेट के सदस्य।

प्रेसीडेण्ट—आनरेबिल सर हेनरी मोंक्रीफ स्मिथ,
कें. टी., सी. आई. ई., आई. सी. एस.

निर्वाचित (३३)

दीवान बहादुर सर एम.एम. अन्नामलई चटियर, के टी.
सर सी. शङ्करन नय्यर।
मिस्टर वी. रामदास पन्तलू।
राव साहिब यू. राम राव।
सैयद मुहम्मद पादशाह साहिब बहादुर
मि० मनमोहनदास रामजी वोरा।
सर फीरोज सी. सेठना के. टी., ओ. बी. ई.
मि० रतनजी दादाजी दुगार जी।
खान बहादुर सर इब्राहीम हारून जफर
मि० अलीबख्श मुहम्मद हुसैन।
सर अर्थर हेनरी फ्रूम के. टी.
कुमार शङ्कर राय चौधरी।
मि० लोकनाथ मुकरजी।
राय नलिनीनाथ सेठ बहादुर।
मि० महमूद सुहरावर्दी।
खान बहादुर मालवी अब्दुल करीम।
मि० जान विलियम ऐण्डरसन बेल।
राजा सर रामपालसिंह के. सी. आई. ई.
लाला सुखबीरसिंह।
राजा मोतीचन्द सी. आई. ई.
सैयद अली नबी।
सैयद रजा अली।
राय बहादुर लाला राम शरण दास सी. आई. ई.
सरदार शिवदेवसिंह उबीरोय।

नोट—कुछ सज्जन बाइ-इलेक्शनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं।

नवाब साहिबज़ादा मुहम्मद मेहरशाह ।

महाराजाधिराज सर रामेश्वर सिंह जी. सी. आई. ई., के. बी. ई.

श्री अनुग्रह नारायण सिंह ।

मि० महेन्द्र प्रसाद ।

शाह मुहम्मद जुबैर ।

सेठ गोविन्ददास ।

मौलवी गुलाम मुस्तफा चौधरी ।

मि. पी. सी. डी. चारी. ।

मि० डब्ल्यू. ए. ग्रे ।

ख—नियोजित (२६)

(क) सरकारी ।

हिज एक्सीलेन्सी फील्ड मार्शलविलियम बर्डवुड, बार्ट जी. सी. बी, जी. सी. एस. जी, के. सी. ऐस. आई, सी. आई. ई, डी. एस. ओ.

सर मुहम्मद हबीबुल्ला ।

मि. जे क्रेरर सी. एस. आई, सी. आई. ई.

मेजर जनरल टी. साइमन्स, सी एस. आई., ओ. बी. ई, के. एच. ऐम., आई. ऐम. ऐस.

मि. डी. ऐल. कारबेट सी. आई. ई.

ए. एम. ले ।

ए. ऐस. स्ट्रो., ओ. बी. ई.

जान पैरोनेट टोम्पसन, सी. आई. ई.

जेम्स ऐलेक्जेन्डर रिची. सी. आई. ई.

एच टायरमैन, सी. आई. ई.

जे. डब्ल्यू. स्मिथ ।

टी. इमरसन बी. ए, सी. आई. ई.

पंडित श्यामबिहारी मिश्र ।

ए. लेङ्गली, सी. आई. ई.

डी. वेस्टन ।

(ख) बरार ।

श्री० गणेश श्रीकृष्ण खापर्डे ।

(ग) गैर सरकारी ।

राजा श्वेताचलपति रामकृष्ण रङ्गराव बहादुर आफ बोबिली ।

सर दीनशाह ईदलजी वाचा, के. टी.

सर मानिक जी बैरामजी दादा भाई, के. सी. आई. ई.

राजा नवाब अली खां आफ अकबरपुर

राजा सर हरनामसिंह के. सी. आई. ई. आफ लुहारू ।

सरदार चरन जीत सिंह ।

कर्नल नवाब उमर हयात खां, के. सी. आई. ई.

मेजर नवाब मुहम्मद अकबर खां, सी. आई. ई. खान आफ होती ।

नोट—कुछ सज्जन बाइ-इलेक्शनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्यागपत्र दे दिये हैं ।

कांग्रेस आदेशानुसार त्यागपत्र देने वालों के नाम।

मि० महेन्द्र प्रसाद
वी. रामदास पन्तलू
डा० यू. राम राव
सेठ गोविन्द दास
रामप्रसाद मुकरजी
एस. एम. जुबैर
कुमार शङ्करराव
लोकनाथ मुकरजी
अनुग्रह नारायन सिंह

लेजिस्लेटिव एसेम्बली।

कार्य तथा अधिकारों की महत्ता की दृष्टि से एसेम्बली अत्यन्त महत्व रखने वाली सभा है। भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व इस में कौंसिल आफ स्टेट के मुकाबिले में ज्यादा है यद्यपि निर्वाचक संघ ऐसे रक्खे गये हैं कि असली लोकमत का प्राबल्य चुने हुये सदस्यों द्वारा नहीं हो सकता।

निर्वाचक की योग्यता—

जिन व्यक्तियों में निर्धारित अयोग्यतायें न हों और निम्नलिखित योग्यतायें हों, वे इस सभा के निर्वाचक हो सकते हैं—

१—जो निर्वाचक सङ्घ के क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले हों और

२—(१) जो निर्धारित मूल्य या उस से अधिक की जमीन के मालिक हों या

(२) जिन के अधिकार में निर्धारित मूल्य या उस से अधिक की जमीन हो या

(३) जो ऐसे मकान के मालिक हों या ऐसे मकान में रहते हों, जिस का वार्षिक किराया निर्धारित रकम था उस से अधिक हो,

या (४) जो ऐसे शहरों में, जहां म्युनिसिपैलिटियों द्वारा हैसियत टैक्स लिया जाता है, निर्धारित आमदनी या उस से अधिक पर म्युनिसपैल्टी को हैसियत टैक्स देते हों

या (५) जो भारत सरकार को इनकम-टैक्स देते हों अर्थात जिन की कृषि की आमदनी के अलावा अन्य आमदनी २००० रु० से अधिक हो।

जाति या साम्प्रदायिक या विशिष्ट निर्वाचक संघ से वही व्यक्ति चुना जा सकता है जो उस जाति, सम्प्रदाय या विशिष्ट निर्वाचक सङ्घ का सदस्य हो।

कौंसिल आफ स्टेट के निर्वाचकों की योग्यता से एसेम्बली के निर्वाचकों की योग्यता कम रक्खी गई है।

एसेम्बली के निर्वाचकों की योग्यतायें भिन्न २ प्रांतों में भिन्न २ हैं, जैसे बम्बई प्रांत के कुछ जिलों में कम से कम ३७॥) और कुछ जिलों में ७५) इनकम-टैक्स देने वाला मनुष्य निर्वाचक हो सकता है बंगाल में ६०) से अधिक मालगुजारी

और ५०००) रुपये की आमदनी पर टैक्स देने वाला, संयुक्त प्रांत में १८०) सालाना किराये के मकान में रहने वाला, या १५०) मालगुजारी देने वाला, पंजाब में १५०००) की लागत के मकान का मालिक, ३२०) सालाना का किरायेदार या १००) मालगुजारी देने वाला या ५००) पर इनकम टैक्स देने वाला, और मध्य प्रांत के विविध जिलों में मकान के किराये का १८०) देने वाला, या मालगुजारी का ९०) से १५०) तक देने वाला निर्वाचक हो सकता है।

साम्प्रदायिक तथा जमींदारों या व्योपारियों के प्रतिनिधियों (सदस्यों) के चुने जाने के लिये निर्वाचकों की योग्यतायें भिन्न २ प्रान्त में भिन्न २ हैं।

जो व्यक्ति एसेम्बली की (और कौंसिल आफ स्टेट) की मेंबरी के लिये खड़ा होना चाहे उसे ५००) जमानत के रूप में जमा करने होते हैं। यदि वोट देने वाले वोटरों की कुल संख्या में से अष्टमांश (आठवां हिस्सा) वोटों का उसे अपने पक्ष में न मिले तो जमानत जप्त हो जाती है।

एसेम्बली के सदस्यों को M.L.A. की पदवी अपने नाम के पीछे लगाने का अधिकार है। कौंसिल आफ स्टेट के सदस्यों को 'आनरेबिल' अपने नाम के पहिले लिखने का अधिकार है।

एसैम्बली के सदस्य

इस सभा में १४३ सदस्य होते हैं जिसमें ४० नामजद होते हैं। नामजद सदस्यों में २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते। सदस्यों की कुल संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है और निर्वाचित और नामजद सदस्यों का परस्पर औसत घट बढ़ सकता है परन्तु कम से कम पांच छटे सात सदस्य अवश्य निर्वाचित होने चाहिये और नामजद सदस्यों में कम से कम एक तिहाई गैर सरकारी होने चाहिये।

सितम्बर १९२६ में एसेम्बली ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है कि प्रान्तीय कौंसिलें प्रस्तावों द्वारा स्त्रियों को सदस्य होने का अधिकार दे सकती हैं। कौंसिल आफ स्टेट भी प्रस्ताव द्वारा स्त्रियों को सदस्य होने का अधिकार दे सकती है। अभी तक मद्रास, बम्बई, पंजाब और बर्मा की व्यवस्थापक सभाओं (कौंसिलों) ने प्रस्ताव पास कर दिया है।

सरकार किसी भी प्रान्त से स्त्रियों को नामजद कर सकती है।

एसेम्बली और कौंसिल आफ स्टेट की कार्य पद्धति।

इन दोनों सभाओं की बैठकें शिमला में गरमी में होती हैं और बाकी बैठकें दिल्ली में होती हैं। समय ११ से ५ बजे दिन तक का है। आरम्भ में सदस्यों द्वारा किये हुये प्रश्नों का उत्तर सरकारी पदाधिकारी देते हैं। अन्य कार्यों के दो भाग होते हैं—सरकारी और गैर सरकारी। गैर सरकारी कार्यों के लिये गवरनर जनरल कुछ दिन निश्चित

ऐसेम्बली के सदस्यों का वर्गीकरण।

सरकार या प्रान्त	निर्वाचित							नामजद			
	गैर मुसलिम	मुसलिम	सिक्ख	योरोपियन	जमींदार	व्यापारी मण्डल	जोड़	सरकारी	गैर सरकारी	जोड़	कुल जोड़
ारत सरकार	...	...	...	...	...	...	...	१२	...	१२	१२
ाद्रास	१०	३	...	१	१	१	१६	२	२	४	२०
म्बई	७	४	...	२	१	२	१६	२	४	६	२२
ङ्गाल	६	६	...	३	१	१	१७	२	३	५	२२
क्तप्रान्त	८	६	...	१	१	...	१६	२	१	३	१९
ाब	३	६	२	...	१	...	१२	१	१	२	१४
हार उड़ीसा	८	३	...	...	१	...	१२	१	१	२	१४
य प्रान्त	३	१	...	...	१	...	५	१	...	१	६
ाम	२	१	...	१	...	...	४	१	...	१	५
	३ गैर योरोपियन			१	...	...	४	१	...	१	५
र	...	...	...	...	...	...	...	...	२	२	२
मेर	...	...	...	...	...	...	...	...	१	१	१
ी	१ जनरल						१	...	...	...	१

कर देता है इनमें गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर ही विचार होता है अन्य दिनों में सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा होती है। सभापति की राय बिना कोई नवीन विषय पेश नहीं हो सकता।

एसेम्बली के लिये २५ सदस्यों की और कौंसिल आफ स्टेट में १५ सदस्यों की उपस्थिति कम से कम होना चाहिये सदस्यों के बैठने का क्रम सभापति निश्चित करता है। बहुधा सरकारी सदस्य और सरकार के पक्ष वाले दाहिनी ओर बैठते हैं और सार्वजनिक पक्ष वाले बाईं ओर और मध्यस्थ लोग मध्य भाग में बैठते है। वर्तमान ऐसेम्बली स्वराजिस्ट पार्टी का जोर है, और उस से छोटी पार्टियां नैशनेलिस्ट, इनडिपेण्डेंट मुसलिम, इत्यादि हैं। सभाओं की भाषा अंग्रेजी है परन्तु सभापति की आज्ञा से सदस्य देशी भाषा में बोल सकता है। प्रत्येक प्रस्ताव पर वोट लिये जाते हैं और निर्णय बहुमत से किया जाता हैं यदि वोट बराबर हों तो सभापति को अपना वोट देकर निर्णय करना पड़ता है। साधारणतया सभापति वोट नहीं दे सकता। भाषण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है परन्तु विषयान्तर न होना चाहिये। सभापति को शांति स्थापित करने का अधिकार है और यदि कोई सदस्य शांति रखने में बाधक हो तो सभापति उसे १ दिन या अधिक दिनों के लिये सभा में आने से बन्द कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अधिवेशन भी स्थगित कर सकता है।

प्रश्नोत्तर।

सभाओं में नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न उनही विषयों के सम्बन्ध में किये जा सकते हैं जिनके संबन्ध में प्रस्ताव पेश किये जा सकते हैं। प्रश्नोत्तर के समय में पूरक प्रश्न (Supplementary) भी सब सदस्यों द्वारा किये जा सकते हैं। किसी सरकारी सदस्य से वही प्रश्न किये जा सकते हैं जिन से सरकारी तौर पर उसका संबंध है। प्रश्नों की सूचना कम से कम १० दिन पहिले देना चाहिये सभापति को प्रश्न न पूछने देने का अधिकार है।

प्रस्तावों की पद्धति।

कौंसिल आफ स्टेट और लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली में जितने प्रस्ताव पेश किये जाते हैं वे सब सिफारिश के रूप में होते हैं और पास होने पर भी सरकार पर बाध्य नहीं हैं।

निम्न लिखित प्रकार के प्रश्न उपस्थित नहीं किये जा सकते:—

(१) ब्रिटिश सरकार, गवरनर जनरल या कौंसिल-युक्त गवरनर का विदेशी राज्यों या देशी राज्यों से सम्बन्ध।
(२) देशी रियासतों का शासन
(३) किसी देशी नरेश सम्बन्धी कोई विषय।
(४) ऐसे विषय जो किसी सरकारी अदालत में पेश हों।

निम्न लिखित विषयों के लिये

गवरनर जनरल की स्वीकृति अवश्य होना चाहियेः—

(१) धार्मिक विषय या रीतियाँ।

(२) जल, थल, या आकाश सेना की रचना।

(३) विदेशी राज्यों या देशी राज्यों से सरकारी सम्बन्ध,

(४) प्रांतिक विषयों का नियंत्रण।

(५) प्रांतिक कौंसिल का कोई कानून रद्द करना या बदलना।

प्रस्ताव दो उद्देश्य से पेश किये जाते हैं-(१) सरकार से किसी कार्य करने की सिफारिश निमित्त (२) किसी सार्वजनिक महत्व पूर्ण घटना के सम्बन्ध में वादानुवाद करने के लिये। साधारण कार्य स्थगित करने के निमित्त। इस प्रकार का प्रस्ताव प्रश्नोत्तर के समय के बाद ही पढ़ कर सुना दिया जाता है। यदि किसी सदस्य को इसमें आपत्ति हो तो सभापति सब सदस्यों से कहता है कि जो प्रस्ताव के वादानुवाद के अनुकूल हों वे खड़े हो जावें। कौंसिल आफ स्टेट में १५ और ऐसेम्बली में २५ खड़े हो जावें तो सभापति सूचित कर देता है कि अनुमति है और समय भी उसके लिये सूचित कर देता है जो साधारणतया ४ बजे का होता है।

कार्यों की सिफारिश सम्बन्धी प्रस्ताव के लिये १५ दिन पहिले और कुछ दशाओं में इससे अधिक समय पहिले सूचना देना पड़ती है। प्रस्ताव उपस्थित किया जाय या नहीं इसका निर्णय सभापति के आधीन है। इस प्रकार मन्जूर किये हुये प्रस्तावों में से किन प्रस्तावों पर विचार हो यह बात चिट्ठी (Ballot) डाल कर तै की जाती हैं। एक बक्स में चिट्ठियां रख दी जाती है और किसी मनुष्य से एक विशिष्ट संख्या चिट्ठियों की उठवा ली जाती हैं। जो प्रस्ताव इन चिट्ठियों में निकलते हैं उन्हीं पर विचार होता है। यह जुवे का प्रकार हटा कर यदि प्रस्तावों के पेश किये जाने को संख्या तथा उनके नाम ऐसी कमेटी के हाथों में दे दिया जावे जिसमें सब पक्ष के सदस्य हों तो अच्छा हो। इस कुरीति के कारण अनेक अच्छे प्रस्ताव पेश ही नहीं हो पाते।

प्रस्ताव की अनुपस्थिति में उसका प्रस्ताव रद्द हो जाता है।

बिल (कानून) के पास होने की रीति इस प्रकार हैः—

(१) पहिले गवरनर जनरल से अनुमति प्राप्त की जावे

(२) निश्चित किये हुये दिन पर बिल के सामुहिक सिद्धांतों पर वादविवाद होता है।

(३) यदि सभा चाहे तो उसे ' सिलेक्ट कमेटी" (जिसमें ला मेंबर बिल से सम्बन्ध रखने वाला सरकारी मेंबर और तीन या अधिक मेंबर चुने हुये होते हैं) के सुपुर्द कर दिया जाता है।

(४) यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है।

(५) इसके पश्चात बिल के प्रत्येक

(Clause) वाक्यांश पर बहस होती है और सन्शोधन इत्यादि पास किये जाते हैं।

(६) तत्पश्चात मसविदा दूसरी सभा में भेजा जाता है जो (क) इसे पूर्ण रूपेण पास कर दे या [ख] इसमें सन्शोधन कर दे।

(७) यदि बिल बिना संशोधन के दूसरी सभा में पास हो जावे तो गवरनर जनरल के पास अनुमति के लिये भेजा जाता है।

(८) अनुमति मिलने पर बिल की सूरत कानून (Act) में परिवर्तित हो जाती है।

(९) यदि दूसरी सभा के संशोधनों को पहिली सभा ने न माना तो पहिली सभा (क) उस बिल को रोक दे या (ख) गवरनर जनरल के पास भेज दे।

(१०) गवरनर जनरल ऐसे अवसर पर ऐसे बिल को दोनों सभाओं की संयुक्त सभा Joint Session के सामने पेश करेगा। इस संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौंसिल आफ स्टेट का सभापति होगा।

(११) इस संयुक्त बैठक में ऐसा बिल संशोधनों सहित बहुमत से पास होगा।

लेजिसलेटिव एसेम्बली के मेम्बरों के नाम

प्रेसीडेन्सी—दि आनरेबिल मिस्टर वी. जे. पटेल।

निर्वाचित (१०४)

श्रीमान एस. श्रीनिवास आयङ्गर।
मिस्टर वाराहगिरि वेङ्कट योगीय।
श्री टी. प्रकाशम।
श्री बट्टन पीरन्सल नाइडू।
„ चिटलुर दुरास्वामी अयंगर।
„ आर. के. सन्मुखम् चट्टी।
„ एम. के. आचार्य।
„ ए. रंगा स्वामी अयङ्गर।
„ सी. सर्वोत्तम राव।
मौलाना मुहम्मद अब्दुल लतीफ साहिब बहादुर फारुखी।
मौलवी सैय्यद मुर्तजा साहिब बहादुर।
खान बहादुर हाजी अब्दुल्ला।
हाजी कासिम।
दि रेव. डाक्टर ई. एम. मैकफेली, सी. आइ. ई., सी. बी. ई.
श्री के. बी. रंगा स्वामी अयङ्गर।
„ विद्यासागर पंडे।

नोट—कुछ सज्जन वाइ-इलेक्शनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं।

श्री एम. आर. जयकर, ऐम. ए. ऐल-ऐल. बी.
,, यमुनादास माधवजी मेहता
,, विठ्ठल भाई जे. पटेल।
,, फज़ल इब्राहीम रहमतुल्ला।
,, नरसिंह चिन्ता मणि. केलकर, बी. ए. ऐल-ऐल. बी.
,, मारा भाई नेमचन्द हाजी।
,, दत्तात्रय वेंकटेश बेलवी।
,, मुहम्मद अली जिन्ना।
सेठ हाजी अब्दुला हारुन।
वाडरो मुहम्मद पनाह गुलाम कादिर खां दखिन।
मिस्टर ई. एफ. साइक्स, एम. आई. सी. ई.
,, ह्यूग गोल्डिंग काक।
सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, के. टी. सी. आई. ई., एम बी. ई.
वादरे वाहिद बख्श इलाही बख्श भुत्तो।
सर विक्टर सेसून बर्ट।
श्री [illegible]चन्द्र।
,, तुलसीचन्द्र गोस्वामी।
,, [illegible]नाथ दत्त।
,, भवेन्द्रचन्द्र राय।
,, शतीशचन्द्र नियोगी।
,, ऐस. सी. मित्र।
,, [illegible] आरिफ।
डाक्टर ए. सुहरावर्दी।
मिस्टर ए. एच. गजनवी।
हाजी चौधरी मुहम्मद इस्माइल खां।
मिस्टर मुहम्मद अनवरुल अजीम।
,, कबीरुद्दीन अहमद।
,, डबल्यू अर्थर मूर, ऐम. बी. ई.
कर्नल जे. डी. क्राफोल्ड, डी ऐस. ओ ऐम. सी.
मिस्टर धीरेन्द्र कांत लाहेरी।
रायबहादुर तारित भूषणराय।
पंडित मोतीलाल नेहरू।
चौधरी मुख्तार सिंह।
पंडित हृदयनाथ कुंजरू।
मिस्टर सी. ऐस. रंगा अइयर।
पंडित मदन मोहन मालवीय।
श्री घनश्यामदास बिर्ला।
मुंशी ईश्वर शरण।
कुमार राना जयसिंह।
नव्वाबज़ादा अहमद खां शेरवानी।
मिस्टर मुहम्मद इस्माइल खां।
डाक्टर ऐल. के. हैदर।
मौलवी मुहम्मद याकूब।
मिस्टर यूसुफ इमाम।
शेख मुंशी हुसेन किडवाई।
मिस्टर टी. गिविन जून्स।
मियां मुहम्मद शाह नवाज।
लाला त्रिलोकी नाथ।
पंडित ठकुरदास।
राजा गजनफर अली खां।
मिस्टर अबदुल हये।
नवाब सर जुल्फिकार अली खां के. टी.

* नोट— कुछ सज्जन अब्द-दुर्घटनाओं के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार स्थान पत्र दे दिये हैं।

सैयद हुसेन शाह।
मख्दू सैयद राजा बख्श शाह।
सरदार करतार सिंह।
,, गुलाबसिंह।
मुहम्मद नवाब खां।
बाबू नारायणप्रसाद सिंह
मिस्टर गयाप्रसाद सिंह।
,, नीलकंठदास।
,, भवनानन्द दास।
,, अंबिकाप्रसाद सिंह।
,, के. सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह।
,, गंगानन्द सिंह।
,, रामनारायण सिंह।
खानबहादुर सरफराज हुसेन खां।
मौलवी बदीउज्जमां।
,, मुहम्मद शफी।
राजा रघुनन्दन प्रसाद सिंह।
डाक्टर बी. एस. मुंजे।
,, हरीसिंह गौड़ के. टी.।
मिस्टर द्वारिका प्रसाद मिश्र।
मौलवी सैयद अबदुल हसन नासिक।
सेठ जमनादास।
श्रीयुत तारुम राम फूकन।
मिस्टर श्रीशचन्द्र दत्त।
मौलवी अबदुल मतीन चौधरी।
यू. ख्यान मौङ्ग।
यू. टाक किजी।
यू. लाटनयू।
मिस्टर डब्ल्यू स्टेन हाऊसलैम्स।
लाला रङ्गबिहारी लाल।
राय साहिब ऐस. हरबिलास सारदा।
केप्टिन सूरजसिंह बहादुर आइ. ओ. एम.

नियोजित (४०)

सरकारी [२१]

दि आनरेबिल सर भूपेन्द्र नाथ मित्र, के. सी. आइ. ई., सी. बी. ई.
दि आनरेबिल सर बासिल फिलर ब्लाकिट, के. सी. बी.
दि आनरेबिल मिस्टर जे. डब्लू. भोर।
मिस्टर ऐल. ग्राहम, सी. आई. ई.
सर गंगन शेर, के. टी.
मिस्टर जे. एम. डुनमन्त।
,, जी. ऐम. योङ्ग।
,, ई. बी. हावेल, सी. ऐस. आई., सी. आई. ई.
,, ए. जे. रले।
,, ए. ए. ऐल. पारसंस।
,, ए. अयङ्गर।
,, जे. कोटमैन।
,, आर लिटिल हैल्ड।
दीवान बहादुर टी. राघवाय।
मिस्टर ऐफ. बी. डब्ल्स, सी. एस. आई.
,, ऐफ. डब्लू. ऐटीसन।
,, पी. बी. हेग।
,, जे. टी. डोनोवन।
खान बहादुर नसारुद्दीन अहमद।
मिस्टर ऐस. फोन।
खान बहादुर [illegible]

* ... बोड कुछ सज्जन बाद-इलेक्शनों [illegible] से कांग्रेस की आज्ञानुसार इस्तीफा पत्र दे दिये हैं।

राय बहादुर श्याम नारायण सिंह, ऐम. बी. ई.
मिस्टर ऐच. सी. ग्रीन फील्ड।
" जे. हैजलिट।
मिस्टर ऐच टाम किन्सन।
" माधव श्रीहरी अनै।

गैर सरकारी।

मिस्टर कोका भाई प्रेमचन्द।
प्रिन्स अफसरुल मुल्क मिर्जा मुहम्मद अकरम हुसेन बहादुर
मिस्टर केशव चन्द्र राय, सी. आई. ई.
राजा मुहम्मद ऐजाज रसूल खां, सी. ऐस आई.
सरदार बहादुर सरदार जवाहिर सिंह सी. आई. ई.
आनरेबिल केप्टिन कबूल सिंह बहादुर।
खान बहादुर नवाब जादा सैयद अशरफ उद्दीन अहमद, सी. आई. ई.
नवाब सर साहिब जादा अब्दुल कय्यूम के. सी आई. ई.
मिस्टर रत्न स्वामी।
लैफ्टेनेण्ट कर्नल ऐच ए. जे गिडनी।
मिस्टर नारायण मलहार जोशी।
राय बहादुर ऐम सी. राजा।
सर वाल्टर स्टूट जेम्स विल्सन, के. टी.

कांग्रेस आदेशानुसार त्यागपत्र देने वालों के नाम।—२१

मिस्टर आर. के. शानमु खां चेटी।
ए. रंगास्वमी अयङ्गर.
मोतीलाल नेहरू।
जमनादास मेहता।
एस. श्रीनिवास अयङ्गर।
श्रीस चन्द्र दत्त।
वी. वी. जोगीह।
द्वारका प्रसाद मिश्र।
सी दुरई स्वामी आयङ्गर।
रफी अहमद किदवाई।
टी. ए. के. शेरवानी।
टी प्रकासम।
लाला हंसराज।
सिद्धेश्वर प्रसाद सिनहा।
डी. वी. वेलवी।
बाबू पेरूमल नायडू।
यूसुफ इमाम।
नरायण प्रसाद।
गयाप्रसाद सिन्हा।
तरुणराम फूकन और कुमार
गङ्गानन्द सिन्हा।

टैरिफ बिल के विरोध में त्याग पत्र देने वालों के नाम।

महामना पंडित मदनमोहन मालवीय
श्री० कृष्णकान्त मालवीय
श्री० प्रकाशम्
श्री० ठाकुरदास भार्गव
श्री० बिडला
श्री० अने
श्री० नीलकण्ठ दास
श्री० मुखतारसिंह

नोट—कुछ सज्जन बाइ-इलेकशनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं।

प्रान्तीय कौंसिलें।

सन् १९१९ के गवरमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार प्रत्येक गवरनरी प्रान्त में एक व्यवस्थापक सभा (कौंसिल) होती है जिसमें (१) इकजीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य (२) नियोजित सदस्य और (३) निर्वाचित सदस्य।

गवरनर स्वयं लेजिसलेटिव कौंसिल का मेंबर नहीं होता परन्तु उसे पूर्ण अधिकार है कि कौंसिल की बैठक करावे और स्वयं भाषण करे।

सदस्यों की संख्या प्रत्येक प्रान्त में भिन्न २ है और उसका ब्योरा अन्यत्र दिया जा चुका है। २० प्रतिशत से अधिक सरकारी सदस्य नहीं हो सकते और ७० प्रतिशत से कम चुने हुये नहीं हो सकते।

गवरनर तथा कौंसिलों के अधिकारों का तथा कार्य पद्धति का विवरण नीचे संक्षेप में दिया जाता है—

१—प्रत्येक कौंसिल ३ साल तक चलेगी किन्तु (क) गवरनर जल्दी भी बरखास्त कर सकता है।

(ख) गवरनर केवल एक साल के लिये बढ़ा भी सकता है यदि खास कारण हों।

(ग) स्थगित होने के बाद अन्दर ६ महीने के (यदि सेक्रेटरी आफ स्टेट की अनुमति हो तो अन्दर ९ महीने के) दूसरी बैठक में गवरनर को बुलाना ही चाहिये।

२—प्रान्त के विभागों में शान्ति तथा सुशासन कायम रखने के लिये कौंसिलों को सब प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है।

३—प्रान्तीय कौंसिलों को अधिकार है कि स्वयं बनाये हुये कानूनों को अथवा जो पिछली कौंसिलों ने बनाये हों उनको रद्द कर दें।

४—प्रान्तीय कौंसिलें निम्न लिखित विषय सम्बन्धी कानून बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के नहीं बना सकतीं।

(१) नये टैक्स लगाना अथवा किसी को नये टैक्स लगाने का अधिकार देना। जब तक इस नियम के द्वारा बनाये हुये फिहरिस्त में से वह टैक्स हटा न दिया जावे।

(२) सार्वजनिक कर्जे तथा कस्टम ड्यूटी इत्यादि टैक्स जो गवरनर जनरल द्वारा लगाये गये हों।

(३) सरकारी फौजों (जल, थल, हवाई) के नियन्त्रण तथा कायम रखने के कानून।

(४) देशी राज्यों या विदेशी राज्यों से सम्बन्ध।

(५) केन्द्रीय विषय।

(६) ऐसा केन्द्रीय विषय जिसे मुख्य ऐक्ट (१९१९) ने भारतीय व्यवस्थापक मण्डल के आधीन कर दिया हो।

(७) ऐसा अधिकार जो किसी अनुसार गवरनर जनरल इन-कौंसिल के आधीन कर दिया गया हो।

(८) ऐसे कानून का बदलना या रद करना जिसे पुरानी कौंसिलों ने बनाया हो और जिसे मुख्य ऐक्ट ने कानून माना हो और उसके तबदीली या मन्सूखी की (बिना अनुमति के) मनाई कर दी हो।

(९) ऐसे कानून जो ऐक्ट [१९१९] के बाद बने हों और उस ऐक्ट ने तबदील करना या मन्सूख करना बिना अनुमति के मना कर दिया हो।

किन्तु यदि किसी कानून पर उसके पास होने के बाद गवरनर जनरल की अनुमति मिल जावे तो वह कानून लागू समझा जावेगा।

५—किसी प्रान्तीय कौंसिल को पार्लीमेंट के किसी ऐक्ट सम्बन्धी कोई कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है।

बजट (अनुमान पत्र)

१—प्रत्येक वर्ष कौंसिल के सामने प्रांतीय आमदनी व खर्च का अनुमानित ब्योरा पेश किया जावेगा और प्रान्तीय सरकार को जो खर्च करना है उसका प्रस्ताव नियम २ का-ों के अनुसार मांगों (Demands) के स्वरूप में पेश किये जावेंगे और उनका पास होना कौंसिल के मेंबरों के वोटों के आधीन रहेगा।

२—कौंसिल को अधिकार होगा कि किसी मांग को पूर्ण रूप से स्वीकृत करे या न करे या उसे घटा दे या किसी खर्च की मद को काट दे।

किन्तु (क) सरकार को अधिकार होगा कि किसी संरक्षित विषय की मांग जो कौंसिल ने कम कर दी हो या रद कर दी हो उसे कायम रक्खे, यदि गवरनर इस बात का सार्टीफिकट दे दे कि वह खर्च गवरनर के उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिये जरूरी है।

(ख) अत्यन्त आवश्यकताओं के अवसर पर गवरनर को अधिकार होगा कि यदि उसकी राय में शान्ति तथा सुशासन के लिये कोई खर्च जरूरी है तो ऐसे खर्च को स्वयम् पास कर दे।

(ग) किसी आमदनी या रुपया का खर्च जब तक गवरनर अनुमति न दे दे कौंसिल में न पेश किया जावेगा।

३—निम्नलिखित खर्चों की मद को कौंसिल में पेश करना जरूरी नहीं है—

(१) गवरनर जनरल इन-कौंसिल को जो आमदनी का हिस्सा प्रान्त की तरफ से देना चाहिये।

(२) सूद तथा कर्ज का किस्त।

(३) ऐसा खर्च जो किसी कानून के अनुसार करना लाजमी है।

(४) ऐसे पदाधिकारियों के वेतन जो सम्राट या सेक्रेटरी आफ

स्टेट द्वारा अथवा उनकी अनुमति से नियुक्त होते हैं ।

(५) हाई कोर्ट के जजों के तथा एडवोकेट जनरल के वेतन ।

नोटः—यदि ऐसा प्रश्न हो कि कोई खर्च उपरोक्त मदों में आता है या नहीं तो गवर्नर का फैसला अन्तिम रूप सा जावेगा ।

प्रस्तावों की पद्धति ।

१—जब कोई बिल कौंसिल में पेश हो या उस पर कोई सन्शोधन पेश हो और गवरनर यह समझे कि ऐसे संशोधन अथवा बिल से प्रांत के सुशासन अथवा शांति में फरक आता है तो गवर्नर इस प्रकार का सार्टीफिकट देगा कि बिल अथवा सन्शोधन पर कोई कार्य न किया जावे, और ऐसा सार्टीफिकट कौंसिल पर बाध्य होगा ।

२—लेजिसलेटिव कौंसिल में सदस्यों का पूर्ण भाषण स्वातंत्र्य रहेगा। और किसी सदस्य पर किसी भाषण के लिये कोई मुकदमा चलाया न जा सकेगा ।

३—यदि कोई बिल कौंसिल में पास हो गया हो तो गवरनर अपनी अनुमति न प्रकाशित करके अथवा अस्वीकृत भी न प्रगट करके बिल को कौंसिल के पास पुनः विचार के लिये भेज सकता है ।

४—गवरनर यह भी कर सकता है कि ऐसे पास हुये बिल को अपने पास विचार के लिये रखले ।

५—यदि गवरनर अपने पास किसी बिल को विचार के लिये रख ले तो निम्न लिखित नियम लागू होंगेः—

(क) गवरनर उस बिल को ६ महीने के भीतर गवरनर जनरल की अनुमति से, कौंसिल के पास पुनः विचार के लिये भेज दे और साथ यह लिख दे कि सन्शोधन पर भी कौंसिल विचार करे ।

(ख) बिल पर इस प्रकार के पुनः विचार बाद के बिल पुनः गवरनर के पास भेजा जावेगा ।

(ग) किसी बिल को जिसे गवरनर ने अपने पास विचार के लिये रख लिया हो अगर गवरनर जनरल की अनुमति ६ महीने के अन्दर मिल जावे तो वह कानून हो जावेगा ।

(घ) यदि गवरनर जनरल की अनुमति ६ महीने के अन्दर न मिले तो बिल बेकार हो जावेगा ।

किन्तु ऐसे बिल को जीवित रखने के लिये गवरनर (१) कौंसिल के विचार के लिये बिल को भेज सकता है (२) और अगर कौंसिल की बैठक न हो रही हो तो अपना विचार गजट में प्रकाशित करदे कि बिल फिर कौंसिल को भेजा जावेगा ।

६-गवर्नर जनरल अपनी अनुमति देने के अथवा न देने के बजाय यह कर सकता है कि ऐसे प्रांतीय बिल को सम्राट की अनुमति के लिये भेज दे और ऐसा बिल तब तक ऐक्ट न समझा जावेगा जब तक सम्राट अपनी अनुमति प्रदर्शित न कर दें और ऐसी अनुमति प्रकाशित न हो जावे।

आकस्मिक अधिकार।

१-संरक्षित विषय संबंधी कोई बिल यदि कौंसिल से पास न हो या गवरनर के संशोधनों सहित वह न पास करे तो गवरनर सार्टीफिकट दे सकता है कि इस विषय के उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिये बिल का पास होना अत्यावश्यक है ऐसे सार्टीफिकट देने पर वह बिल कौंसिल का ऐक्ट बन जावेगा।

२—इस प्रकार का एक्ट गवरनर द्वारा बनाया हुआ समझा जावेगा, गवरनर तुरन्त उसकी नकल गवरनर जनरल के पास भेज देगा और गवरनर जनरल उसे सम्राट की अनुमति के लिये भेज देगा। ऐसी अनुमति मिलने पर वह बिल एक्ट समझा जावेगा।

किन्तु यदि गवरनर जनरल समझे कि शांति के लिये यह अत्यंत आवश्यक है कि ऐक्ट पास कर दिया जावे तो गवरनर खुद अपनी स्वीकृति दे देगा और जब तक सम्राट-इन-कौंसिल उसे अस्वीकृति न करदे कानून रहेगा।

३—इस प्रकार का ऐक्ट जितनी जल्दी हो सके पार्लीमेंट की दोनों सभाओं के सामने रक्खा जावेगा और ऐसा करने के पहिले ८ रोज़ तक उस ऐक्ट की नकलें दोनों सभाओं में रक्खी जावेंगी।

प्रान्तीय अधिकारियों के नाम।

बंगाल।

क्षेत्रफल ७६,८४३ वर्गमील। जनसंख्या ४ ६६,९५,५३६।

गवरनर—

हिज एकसेलेन्सी ले० कर्नल दी राइट आनरेबल फ्रेन्सिस स्टेनले जैकसन पी. सी., जी. सी., आइ. ई. (२८ मार्च १९२७) रु० १०,०००।

चीफसेक्रेटरी—

मि० डब्ल्यू. डी. आर. प्रेन्टस एम. ए. ३,७५०।

प्राइवेट सेक्रेटरी।

मि० हैरलडग्रेहम आई. सी. एस. रु० १,५३०

मिलीटरी सेक्रेटरी—

ले० कर्नल आर. बी. बटलर रु० १५३०।

कौंसिलर।

आ० मि० ए मार आइ. सी. एस.

आ. मि. ए एन. मोवरली।

आ. सर. पी. सी. मित्र सी. आइ. ई.

आ. सर अबदुल करीम गजनवी,

आ. मि. एम. सी. मेकएलगिन।

रु० ५३३३।८)५

मिनिस्टर।

आ. नवाव मुशर्रफहुसेन अक्टूबर १९२७

आ० राजा बहादुर आफ नशीपुर अक्टूबर १९२८।

बंगाल लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम।

प्रेसीडेण्ट—दि आनरेबिल महाराजा मनमोद नाथ राय चौधरी सुनोश।

डिप्टी प्रेसीडेन्ट—खान बहादुर मौलवी इमामुद्दीन अहमद बी. एल.।

निर्वाचित।

बाबू सुभासचन्द बोस।

डाक्टर परमथ नाथ बनर्जी।

बाबू प्रसूनयाल हिमान सिंह।

” जे. एम. दास गुप्ता।

मिस्टर ए सी. बनर्जी।

बाबू विजय कृष्ण बोष।

” अमूल्य चन्द्र दत्त।

” चारूचन्द्र सिंह।

डाक्टर विधान चन्द्र राय।

बाबू सुरेन्द्र चन्द्र नाथ राय।

मिस्टर जोगेश चन्द्र गुप्त।

नोट—कुछ सज्जन बाइ-इलेक्शनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्यागपत्र दे दिये हैं हैं।

मिस्टर पी. सी. बोस
,, सरत सी. बासू
बाबू जितेन्द्र लाल बनर्जी
,, विजय कुमार चटर्जी
बाबू उमेश चन्द्र चटर्जी
,, दिवेन्द्र लाल खां
,, प्रोमोथ नाथ बनर्जी
महेन्द्र नाथ मैती
,, तारक नाथ मुकर्जी
बाबू हनुमत राय
,, हेमचन्द्र नास्कर
,, शशि शेखर बसु
राय हरेन्द्र नाथ चौधरी
मिस्टर बसन्त कुमार लाहिरी
महाराज कुमार श्रीश चन्द्र नन्दी
मिस्टर डा. एन. राय बार-एट-ला
राय जादवनाथ मजूमदार बहादुर सी. आई. ई.
बाबू नगेन्द्र नाथ सेन
मिस्टर किरन शङ्कर राय
बाबू अमरेन्द्र नाथ घोष
,, नलिनी रंजन सरकार
डाक्टर कुमुद शङ्कर राय
बाबू सुरेन्द्र नाथ बिश्वास
बाबू सरल कुमार दत्त
राय सतेन्द्र नाथ राय चौधरी बहादुर
मिस्टर डा. जे. एम. सेन गुप्ता
बाबू अखिल चन्द्र दत्त
,, सतेन्द्र चन्द्र घोष मलिक
,, सचिन्द्र नारायण सानियाल
,, जोगीन्द्र चन्द्र चक्रवर्ती
,, नगेन्द्र नारायण राय
,, जोतीन्द्र नाथ चक्रवर्ती
,, योगीन्द्र नाथ मित्र
बाबू रोमेशचन्द्र बागची बी. एल.
मिस्टर अपलदेव रैकट
सर अब्दुर्रहीम के. सी. आई. ई.
मिस्टर एच. एस. सुहरावर्दी
मौलवी अब्दुल रज़ाक हाजी अब्दुल सत्तार
मौलवी मुहम्मद सुलेमान
मिस्टर गुलाम हुसैन शाह
नवाब ख्वाजा हबीबुल्लाह
मौलवी अब्दुल कासिम
मौलवी अब्दुल करीम
मिस्टर ए. एफ. एम. अब्दुर्रहमान
खान बहादुर मौलवी अज़ीज़ुलहक़
खान बहादुर मौलवी इकरामुलहक
मौलवी सैयद अब्दुल रऊफ़
,, सैयद नासिर अली
,, शमशार रहमान
,, अब्दुल लतीफ़ बिश्वास
मिस्टर राजौर रहमान खां
अज़ीज़ुर्रहमान मियां
हाजी मिस्टर ए. के. अबू अहमद खां गज़नवी
मौलवी सैयद मुहम्मद अतीकुल्ला
खान बहादुर मौलवी मुहम्मद इस्माइल

नोट—कुछ सज्जन बाइ-इलेक्शनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्यागपत्र दे दिये हैं।

मौलवी तमीजुद्दीन खाँ
,, चौधरी गुलाम मौला
,, खुरशेद आलम चौधरी
,, सैयद महमूद अबजल
मि० ख्वाजा नजीमुद्दीन सी. आइ. ई.
मौलवी सैयद मकबूल हुसेन, एम. ए. बी. एल.
खाँ साहिब मौलवी अब्दुल सत्तार
खान बहादुर के. जी. एम. फारूकी
मौलवी असीमुद्दीन अहमद
,, मुहम्मद सादिक
,, अब्दुल गोफरान
मि० अशरफ अली खाँ चौधरी
मौलवी कादिर बख्श बी. एल.
,, कसीरुद्दीन अहमद
काजी इमदादुल हक
मि० अलताफ अली
खाँ साहिब मौलवी मुअज्जिम अली खाँ
नवाब मुशर्रफ हुसेन खाँ बहादुर
मि० जे. केम्पबेल फोरेस्टर
मि० एफ. ई. जेम्स ओ. बी. ई.
मि० डब्ल्यू. सी. वर्ड्सवर्थ
मि० जे ई. ओरडिश
मि० डब्ल्यू. एल. ट्रैवर्स सी. आई. ई. ओ. बी. ई.
मि० एल. टी. मैगव्रायर
मि० ई. टी. एम. सी. कुरकी
राजा भूपेन्द्र नारायण सिंह बहादुर (नशीपुर)
सर प्रकाश चन्द्र मित्र के टी. सी. आई. ई.
बाबू सरद कृपा लाल महाराजा जोगेन्द्र नाथ राय [नातुर]
मि० एस. सी. बोस
महाराजा शशिकान्त आचार्य
मि० आर. बी. विलसन सी. आई. ई.
,, जे. वाई. फिलिप
,, आर. एच. चाइल्ड
,, जी. मोरगन
,, एम. ए. सिनर
श्री० ए. के. कलकनर
,, आर बी. लैयर्ड
,, सी. जी. कोपर
,, टी. सी. क्राफोर्ड
,, जे. एच. जैदने
,, टी. जे. फेलान
,, व्योमकेश चक्रवर्ती
,, श्रीशचन्द्र सेन
राय बद्रीदास गोइन्का बहादुर
मि० आनन्द मोहन पोद्दार
मि० एच. सी. लिडेल
मि० जे. एच. लिंडसे
मि० जे. जी. ड्रुमन्ड
राय अमरनाथ दास बहादुर
मि० एफ. ए. एच. सी.
मि० ई. एफ. अ टन
मि. एस. सी. स्टूअर्ट विलियम्स
मि० एम. आर. सी. आई. ई.
मि० एस. एन. राय
मि० आर. एन. गिल क्रिस्ट

नोट—कुछ सज्जन बाइ-इलेक्शनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार इस्तीफा दे दिये हैं।

नियोजित सरकारी ।	नियोजित गैर सरकारी ।
मि० डबल्यू. डी. आर. प्रिंटिस	मि० एम. सी. मुकर्जी
,, के. सी. डी. ई. सी. आई. ई.	राय साहिब रेवती मोहन सरकार
लेफटेंट कर्नेल जे. सी. एच. लेसिलटर आई. एम. एस.	मि० के. सी. राय चौधरी
मि० जी. जी. डे.	मौलवी लताफत हुसेन
मि० जी. एच. दत्त	डा० सर देवप्रसाद सर्वाधिकारी. के टी सी. आई. ई., सी. बी. ई.
मि० जे. ए. वुडहैड	मि० डी. जे. कोहन

कांग्रेस आदेशानुसार त्याग पत्र देने वालों के नाम ३४

मि० अमरेन्द्रनाथ चटर्जी	बरोदा प्रोसन्ना पैन
जोगेन्द्रनाथ मित्रा	जे. सी. गुप्त
डा० बिधानचन्द्र राय	बिमलानन्द टारका तीर्थ
नलिनीरंजन सरकार	अखिल चन्द्र दत्त
पी. डी. हिमातसिंग	डा० कुमुद शङ्कर राय
सन्तोष कुमार बासु	डा० जे. एम. दास गुप्त
श्यामाप्रसाद मुखोपाध्याय	विजय कुमार चटर्जी
साधन चन्द्र राय	जोगेन्द्र चन्द्र चक्रवर्ती
मोनमोथ नाथ राय	विजय कृष्ण बोस
कुमार देवेन्द्रलाल खाँ	सुखलाल नाग
सुभाषचन्द्र बोष	अमरेन्द्रनाथ घोष
जे. एम. सेन गुप्त	मोहिनी मोहन दास
डा० प्रमथनाथ बनर्जी	टी. एन. मुकर्जी
सुरेन्द्र मोहन मित्रा	महेन्द्रनाथ मित्रा
सरत कुमार दत्त	अतुल गङ्गोली
सोमेशचन्द्र बागची	रंजीत पाल चौधरी
हृषीकेश मित्रा	किरन शङ्कर राय

बम्बई।

क्षेत्रफल १,२३,५४१ वर्गमील। जनसंख्या २,६७,५७,६४८।

गवरनर—

हि ए ले. कर्नल दि राइट आ. सर. फ्रेडरिक साइक्स रु० १०,०००

चीफ सेक्रेटरी—

जे. आर. मार्टिन ३ ०००

प्राइवेट सेक्रेटरी—

आर. एम. मैक्सवल आइ सी. एस. २२५०)

मिलीटरी सेक्रेटरी—

मेजर एच. जी. वां. सी. आइ. ई. एम. बी. को.

कौंसिलर।

आ. मि जे. ई. बी होटसन आइ. सी. एस.
आ. सर जी. एच. हिदायतुल्ला।
आ. मि. गोविंद बलवंत प्रधान।
आ. मि. जे. एल. रियू आइ. सी. एस सी० आइ० ई० ५३३५।/४

मिनिस्टर।

आ० दीवान बहादुर एच. जी. देसाई ३ ज० १९२७
आ० मि. वी. वी. जाधव २२ सितम्बर। २८
आ० मौलवी आर, अहमद २० जून १९२७।

बम्बई लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम।

प्रेसीडेण्ट—दी आनरे० मिस्टर ए. एम. के. देहलवी बार. एट. ला.।
डिप्टी प्रेसीडेन्ट—राय बहादुर एस. टी कम्बली।

निर्वाचित।

मिस्टर रामचन्द्र सन्तुराम अस्वली
" फ्रेमरोज जमशेद जी गिनवाला
डाक्टर मनचर्सा धुनजीभाइ गिल्डर
मिस्टर खुरशेद फ्रेमजी नरीमान
" फिरोजशा जहाँगीर मुर्जबान
" बालुभाई त्रिभुवन दास देसाई
" नारायण दास आनन्दजी बिचार
दीवान बहादुर हरीलाल देसाई भाई देसाई
डाक्टर मोहननाथ केदारनाथ दीक्षत
मिस्टर नटवर लाल जी मुजुमदार
" नरसो बालकृष्ण चन्द्रचूड़
" अमृतलाल दलपतभाइ सेठ
" जेठालाल चिमनलाल स्वामी नारायण।
मिस्टर हरीभाई झावरभाई अमीन
राय साहिब दादुभाई पुरुषोत्तम दास देसाई

नोट—कुछ सज्जन बाद-इलेकशनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्यागपत्र दे दिये हैं।

श्री० जीवभाई रीवाभ ई पटेल
" रामराव मीराराम मुकद्दम
" हसमल वहरमल शिवदासानी
राव बहादुर भीम भाई रन्छोड़जी नायक
श्री० शङ्करराव जयरामराव झुंझराव
" गोविन्द बलवन्त प्रधान
" नामदेवराव एकनाथ नवले
" कुन्दनमल सोभाचन्द फिरोदी
" राजमल लाखीचन्द
" हरीविनायक पाटसकर
" डोंगरसिंह रामजी पाटिल
" रामचन्द्र गणेश प्रधान
राव साहब रामचंद्रराव विट्ठलराव वंदेकर
श्री० सदाशिवराव उर्फ खासेराव
" जीवाजीराव पवार
" नारायण रामजी गुन्जल
" भास्कर राव विठोजी राव जाधव
राव बहादुर रावजी रामचंद्र काले
मिस्टर लक्ष्मण महादेव देश पांडे
राव बहादुर शनमुखपानिन्गापा अङ्गदी
श्री० पण्डितपा रायपा चिकोडी
" संगापा अमीनगोंडा सरदेसाई
राव बहादुर सिदापा टोंटापा कम्बली
श्री० विश्वनाथ नारायण जोग
" एम. डी. करकी
" वेन्कट राव आनंद राव सुर्वे
" भास्कर रामचंद्र नानल
" जैरामदास दौलतराम
" भोजासिंह गुरुदिनोमल पहलजनी
" शामराव पण्डुरंगराव लिगाडे
" आत्याराम महादेव अतवने
" माधौराव गोपालराव भोसले
" हसनअली मुहम्मद रहीम तुल्ला
" हुसेनभाई अब्दुल्ला लालजी
" मीर मुहम्मद बलोच शेख
खां साहिब अलीभाई मुहम्मदभाई मन्सूरी
खां साहिब अब्दुललतीफ हाजी हजरतखां
दी ओनरे. मिस्टर अली मुहम्मद खां देहल्वी
श्री० दाऊद खां शालिभोय
सरदार भासाहिब उर्फ दुल्हा बावा राय सिंह जी
श्री० शेख अब्दुल अजीज अब्दुल लतीफ
मौलाना मौलवी रफीउद्दीन अहमद
श्री गुलाम अहमद दादुमियां
" हाजी इब्राहीम हाजी मुहम्मद जितेकर
सर्दार महबूब अली खां मुहम्मद अबकरखर विरादर
मिस्टर दीवान साहिब आबा साहिब जनवेकर
दी ओनरे. खान बहादुर सर गुलाम हुसेन हिदायतल्ला
मिस्टर नूर मुहम्मद सुजावल

नोट--कुछ सज्जन बाइ-इलेकशनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने [illegible] त्याग पत्र दे दिये हैं।

मिस्टर रईसफाजुल मुहम्मद वलद खां साहिब हाजी बक्श लघारी

मिस्टर गुलाम हैदर शाह वलद साहिब दीनो शाह

खान बहादुर शाह नवाब खां गुलाम मुर्तिजा खां भुट्टो

खां साहिब गुलाम मुहम्मद अब्दुल्ला खां इसरन

मिस्टर मुहम्मद अयूब शाह मुहम्मद खुशरो

खांन बहादुर जान मुहम्मद खां वलद खां बहादुर शाह पसन्द खां

मिस्टर अल्लाबक्श वलद खां साहिब हाजी मुहम्मद उमर

खां साहिब गुलाम नबी शाह मौजअली शाह

मिस्टर जान मुहम्मद खां वलीमुहम्मद खां भुरगिरो

खान बहादुर हाजी इमाम बक्श खान गुलाम रसूल खां जटोई

खां साहिब शेर मुहम्मद खां करम खां बिजरानी

मिस्टर जे. एडीमैन

,, ए. सी. ओविन

सरदार गङ्गाधरराव नारायण मजूमदार

मि० जैरामदास दिहि चारदास देसाई

सैयद मुहम्मद कामिल शाह काबू मुहम्मद शाह

डाक्टर रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे

सर जोसेफ के,

मिस्टर जी. एल. विन्टरबाटम

,, ऐलेन डुगुड

,, एफ. डब्ल्यू पेच

,, सी. एन. वाडिया सी. आइ. ई.

,, गोवरधनदास आई. पटेल

,, लालजी नारायण जी

नियोजित सरकारी।

मिस्टर जी डवल्यू. हैच. सी. आई. ई. आई. सी. एस.

मिस्टर एच. एल. पेन्टर आई. सी. एस.

,, जो. ई. चैटफील्ड सी. आई. ई आई. सी. एस.

मिस्टर जे. आर. मारटिन सी. आई. ई. आई. सी. एस

मिस्टर जे. डबल्यू. स्मिथ आई. सी. एस

,, जी. वाइल्स सी आई. ई. आई. सी एस.

मिस्टर सी. डबल्यू ए. टरनर आई. सी. एस.

मिस्टर जे. मानटीथ आई. सी. एस.

,, वालके राम आई. सी. एस.

,, डी. आर. एच. ब्रौन ओ. बी ई.

,, आर. डी. बल. सी. आई. ई. आई. सी. एस.

नोट—कुछ सज्जन बाइ-इलेक्शनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं।

मिस्टर जे घोशाल सी. आई. ई. आई सी. एस.

मिस्टर सी. एच. सी. हेरीसन

आर. ई. गिबसन सी. आइ. ई. आइ. सी. एस.

मिस्टर एफ. जी. एच. ऐन्डरसन आइ. सी. एस.

,, सीताराम केशव बोले

,, सैय्यद मुनव्वर बी ए.

,, एम. सी. जोशी एम. ए. एल. एल. बी.

डाक्टर बी. आर. अंबडेकर बार एटला

,, पुरुशोत्तम सांलुके, एल, एम, एन्ड एस,

नियोजित गैर सरकारी।

मिस्टर जे. पी. थोर्नबर

,, एफ. ओलीवीरा

मिस्टर डबल्यू एलिस जोन्स

सर वसन्तराव दाभोल्कर, के. टी. सी. बी. ई.

कांग्रेस आदेशानुसार त्याग पत्र देने वालों के नाम। ६

मिस्टर एफ. जे. गिनवाला

अमृतलाल डी. सेठ

के. एफ. नरीमेन

नारायणदास आनन्द जी

जोराभाई रीवाभाई पटेल

हरीभाई जावरभाई अमीन

मद्रास।

क्षेत्रफल १,४२,२६० बर्गमील। जनसंख्या। ४,२३,१८,९८५।

गवरनर—

हिज एकसेलेन्सी सर जार्ज स्टेनली (के. टी)

रु० १००००

चीफसेक्रेटरी—

ए वाइ. जी केम्बेल सीं आइ. ई. रु० ३७५०

प्राइवेट सेक्रेटरी—

मि आइ. ग्रीन आइ. सी. एस. रु० १२००

मिलीटरी सेक्रेटरी—

कै. एल. बौटल बिल ब्राहाम

कौंसिलर्स।

आ० दीवान बहादुर एम. कृष्णन नागर आवरगल।

आ० मि टी ई. मेयोर सी. एस. आई. सी आइ ई.

आ० मि एन. ई मारजोरी बैंक्स सी आइ. ई आइ. सी एस

आ० खाँ बहादुर मु० उसमान साहिब बहादुर ५३३३।–)४

मिनिस्टर्स।

आ० डा. पी. सुब्बारायन ४ दि. १९२६

आ. एस. एम. मुडालियर १७ मा. १९२८

आ एम आर एस आयर १७ मा १९२८

मद्रास लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम।

प्रेसीडेन्ट—दी आनरे० राव बहादुर सी. बी एस. नरसिंह राजगुरू।

निर्वाचित।

अब्बास अली खां बहादुर बार एट-ला
अब्दुल हामिद खां साहिब बहादुर
के अब्दुल हयी साहिब बहादुर
खान बहादुर एस के. अब्दुल रजाक साहिब बहादुर
अब्दुल वहाब साहिब बहादुर मुंशी
श्री. टी. आदिनारायन चेटियर बार-एट ला
श्री० पी अनन्त नोलू
" सी डो अरावू चेटियर
" एव बो. अरी ओडर
" एन. अब्दुल रजाक उग्र
बशीर अहमद सैयद साहिब बहादुर
खान बहादुर मुहम्मद राजोउल्ला साहिब बहादुर सी. आइ ई सो बी ई.
श्री० पी भक्त वत्सल नाइडू
" ए बा. भनोजी राय।

नोट—कुछ सज्जन बाइ-इलेकशनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्यागपत्र दे दिये हैं।

श्रीमान विश्वनाथ दास महाशय
श्री. टी. के. चिदम्बरनाथ मुडालियर
मिस्टर सी आर टी कंग्रेव
" जे. ए. डेविच
श्री. राव साहिब एस. इलापा चेटिअर
" दीवान बहादुर पी सी. इथीराजुल नाइडू
" सी. गोपाल मेनन।
" सी. एम. गोविन्दराज मुडालियर
" जी. हरी सरबोत्तम राव
मिस्टर बी सी. एच. जोन.
श्री अय्यदेवर कालेश्वर राव
" वरदा कामेश्वर राव नाइडू
" के आर. करांत
मिस्टर के. केनेथ
" मुहम्मद खादिर मोहीदीन साहिब बहादुर.
श्री के. कोडी रेडी, बार एट-ला
" दीवान बहादुर एम कृष्ण नैयर।
" के. कृष्णास्वामी नयकर
" कुमार राजा वेंकटगिरि (राजा वेलूगोनी सर्वगण्य कुमार कृष्णचन्द्र बहादुर वारू)
" दीवान बहादुर एस. कुमार स्वामी रेडियर
श्री जे, कुरुस्वामी
सर एलेक्जेन्डर मेक डोगल के. टी.
श्री. के. मधुवन नैयर
" बी एस. मल्लाया
" एम. ए. मानिकवेलु नयकर
दी ऑनरे० मिस्टर एन. ई. मारजोरी बेंक्स सी. एस. आई., सी आई. ई., आई. सी. एस.
श्री सी. मरुद्वनम पिल्ले
" के. पी. बी. एल. मुहम्मद मीरा रावत्तर बहादुर
" टी. एम. नायडू साहिब बहादुर
दी ऑनरे. मिस्टर टी. ई. मोयर सी. एस. आई. सी. आई. ई. आई. सी. एस.
श्री० राव बहादुर वी. मुनीस्वामी नायडू
" मुपिल्लर कवलप्पारा उर्फ कुमारन रामन
" दीवान बहादुर ए. एम. एम. मुरुगप्पा चेटियर
" एल मुथिया मुदालियर,
" सी. एन. मुतरंग
" दण्डु नरायन राजु
" सोठे नारायन राव
श्री० वत्तनी नारायन रेडी
" ए. आर. नारायन चेटियर
" टी. एम. नारायन स्वामी पिल्ले
" चीन्नपालामद ओबी रेडी
" अर्कट परशुराम राव पन्तुलू
" सी. आर. पर्थसार्थी अयङ्गर
" राय बहादुर सर ए पी. पटरो, केटी
" सर पी. रामराय निङ्गर राजा पनागल के. सी. आइ. ई.

नोट—कुछ सज्जन बाइ-इलेकशनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्यागपत्र दे दिये हैं।

श्री० भास्कर राजराजेश्वर सेतुपथि उर्फ मथुरामलिंग सेतुपथि राजा रामनद्
,, पी. टी. राजन
,, के रामचन्द्र पाद्याची
,, बी. रामचन्द्र रेडी
,, चवली रामोसोम्ययजुलु
,, दी ओनरे० सर सी. पी. रामा स्वामी ऐयर के. सी. आइ. ई.
,, यू. रामा स्वामी ऐयर
,, राव बहादुर सी.एस. रत्नसापति मुदालियर
,, जे. ए. सालदन्हा
,, सामी वेंकटचलम चेटी
,, के. शर्मा रेडी
,, एस. सत्यमूर्ति
महमूद सचमनद साहिब बहादुर
श्री० एम. आर. सेतुरतनम ऐयर
,, ए. बी. शेटी
,, राव बहादुर के. सीताराम रेडी.
,, पी. शिव राव
,, के. एस. शिवसुवरमन्य ऐयर
मि० स्मिथ जे. मेकिंजी
श्री० आर. श्रीनिवास अयङ्गर
,, टी. सी. श्रीनिवास अयङ्गर
,, चवडी के. सुवरमन्य पिल्ले
,, के. वी. आर. स्वामी वार-एट ला.
सैयद इब्राहीम साहिब बहादुर नातम-दवास कादिर साहिब
सैयद तेजुद्दीन साहिब बहादुर
मि० टोमस डेनियल
श्री० एल. के. तुलसीराम
,, के. पी. साहिब बहादुर
दी ओनरे० खान बहादुर मुहम्मद उस्मान साहिब बहादुर
श्री० एस. बी. वनवुदिया गोंडर
,, पी. सी. वेंकटपाती राजु
,, के. आर. वेंकटराम अय्यर
,, सी. बी. वेंकटरमन अयङ्गर
,, सी. वेंकटरङ्गम नायडू
,, बी. वेंकट रतनम्
मि० सी. ई. वुड
श्री० श्रीमनारायन अप्पाराव बहादुर गरु सेक जमींदार गोलापल्ली
,, रामचन्द्र मान्दुराज देव जमींदार कलीकट
,, मिर्जापुरमराजा गरु उर्फ़ वेंकट रामय्या अप्पा राव बहादुर गुरू, जमींदार मिर्ज़ापुरम
,, बदमलाई तिरुवनाथ सेवुग पाँडया तेवर अवरगल जमींदार सेथुर

नियोजित।

खान बहादुर मुहम्मद वाजुल्ला साहिब बहादुर सी. आइ. ई. ओ. बी. ई.
श्री० जे. भीमय्या
मि० जी. टो. बोग आइ. सी. एस.
मि० सी. वी. कोटरेल सी. आइ. ई. आइ. सी. एस.

नोट—कुछ सज्जन दाइ-इलेक्शनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं।

श्री० एस. दोराइ राजा
" एम. बी. गङ्गाधर शिव
" राव साहिब एल. सी. गुरुस्वामी
" मि० जे. एफ. हाल, ओ. बी. ई., आइ. सी. एस.
" राव साहिब एम. हमपाइया
" के. कृष्ण
" वी. आई. मुनि स्वामी पिल्ले
" डा० मिसेज मुथुलक्ष्मी अमाल
" आर. नगन गौंड
" सूबेदार मेजर एस. ए. ननजपा बहादुर एम. वी. ओ.
राव बहादुर ओ. एस. नारायण नामबुदीपद
श्री० वी. पाण्डुरङ्ग राव आइ. सी. एस.
" जी. प्रेमइया
" राव बहादुर एम. सी. राजा
" महाराजा श्री रामचन्द्र देव (राजा जयपुर)
" रामनाथ गोयनका
श्री० स्वामी सहज नन्दन
" एन. शिवराज बी. ए. बी. एल.
मि० एस. एच. स्लेटर सी. आइ. ई. आइ. सी. एस.
श्री० डबल्यू. पी. ए. सौंद्र पांडिया नादर
" राव साहिब आर० श्रीनिवासन
" एस. सुब्रह्मन्य सूपनर
" राव साहिब पी. बी. एस. सुन्दर मूर्ति पिल्ले
मि० एच. एच. एफ. एम. टाइलर सी. आइ. ई. आइ. सी. एस.
श्री० टी. आर. वेंकटराम शास्त्री सी. आई. ई. (एडवोकेट जनरल)
" एस. वेंकीया

कौंसिल सेक्रटरी

श्री० राव बहादुर आर. वी. कृष्ण ऐयर अवल. बी. ए. एम. डी.

कौंसिल असिस्टैन्ट सेक्रटरी

श्री० सीसतनोपा आचारियर अवल बी. ए.

कांग्रेस आदेशानुसार त्यागपत्र देने वालों के नाम २०

मि० सेमी वेंकटचलम चेटी
के. आर. करांत
ए. कालेश्वर राव
के. कोटी रेडी
बी. कामेश्वर राव
सी. रामसमयजुलु
सी. ओ. रेडी
के. एम. नैर
सी एन. मुथुरङ्गा मुदालियर
सी. मरुदवनम पिल्ले
पी. सी. वेंकटपाटी राजू
बी. वेंकटरतनम
के. वी. आर. स्वामी
डी. नारायन राजू
एम नारायन राव
ए. परशुराम राव
जी. हरिसर्वोत्तम राव
पी. अन्नजेनीलू
एस. सत्यमूर्ति
सी. वी. वी. आयङ्गर

संयुक्त प्रांत।

क्षेत्रफल १,१२,२४४ वर्गमील

गवरनर—

हिज एकसेलेन्सी सर विलियम मैलकम हेली के. सी. एस. आई., सी. आइ. ई. ९ अगस्त १९२८ रु० १००००

चीफ सैक्रेटरी—

मि. कुंअर जगदीश प्रसाद ओ. बी. ई. रु० ३०००

प्राइवेट सैक्रेटरी—

मेजर टी. एस. पैटरसन।

जनसंख्या ४,६५,१०,६६८

कौंसिलर।

आ० मि. जार्ज बैनक्राफ्ट लैम्बर्ट सी. एस. आइ. आइ. सी एस.

आ० कै० नवाब सर मु० अहमद सैद खां सी. आइ. ई. रु० ५३३३।=)४

मिनिस्टर।

आ. नवाबमुहम्मद यूसुफ २४ दि. १९२६

आ. राजा बहादुर कुशलपाल सिंह ११ अक्टूबर १९२८

आ. महाराज कुमार मेजर महजीत सिंह १५ जून १९२८

संयुक्त प्रान्त लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम।

दी आनरे० राय बहादुर लाला सीताराम एम० ए० एल० एल० बी०

निर्वाचित।

श्री प्रयाग नारायण एम. ए. एल. एल. बी.
" गणेश शंकर विद्यार्थी
" ए. पी. दुबे बार. एट-ला
पंडित रहस बिहारी तिवारी
श्री० सम्पूर्णानंद
राय बहादुर लाला श्याम सुन्दर लाल
श्री भगवती सहाय बेदार
ठाकुर मन जीत सिंह राठौर
चौधरी मंगल सिंह
राय साहिब लाला जगदीश प्रसाद
चौधरी विजय पाल सिंह बी. ए. एल. एल. बी.
चौधरी धर्मवीर सिंह
पंडित नानक चंद एम. ए. एल. एल. बी.
ठाकुर मानिक सिंह
" प्रताप भान सिंह
" विक्रम सिंह
" हुकुम सिंह

नोट—कुछ सज्जन बाइ-इलेकशनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्यागपत्र दे दिये हैं।

राजा कुशलपाल सिंह एम० ए० एल०-एल० बी०
राय बहादुर पं० खड़गजीत मिश्र एम० ए० एल० एल० बी०
राव कृष्णपालसिंह
आ० लेफ्टैन्ट राजा कालीचरण मिश्र
लाला नेमीसरन बी० एस० सी० एल० एल० बी०
चौधरी बदनसिंह
राव साहिब कुँअर सरदार सिंह
ठाकुर साधौसिंह बी० ए०
पण्डित बृजनन्दन प्रसाद मिश्र
" भगवतनारायन भार्गव बी० ए०
राव उदयवीर सिंह
ठाकुर हरप्रसाद सिंह
श्री० किशोरी प्रसाद एम० ए० एल० एल० बी०
ले० राजा दुर्गा नारायन सिंह
पण्डित देवता प्रसाद
श्री० श्यामलाल एम०ए०एल०एल०बी०
" उमा शंकर
पण्डित वेंकटेश नारायण तिवारी
श्री० कनेन्द्र नारायण सिंह
पण्डित श्री सदयतन पांडे
राजा श्रीकृष्ण दत्त दुबे
ठाकुर शिव शङ्कर सिंह
राय बहादुर ठाकुर हनुमान सिंह
राय बहादुर बाबू अभयनन्दन प्रसाद
राजा इन्द्रजीत प्रताप बहादुर शाही ..
भइया हनुमत प्रसाद सिंह
बाबू गङ्गाप्रसाद राय
पं० गोविन्दवल्लभ पन्त बी०ए०, एल० एल० बी०
पं० बद्रीदत्त पांडे
श्री० मुकुन्दीलाल बी० ए०
सरदार निहालसिंह
राय बहादुर चौधरी जगन्नाथ प्रसाद
राजा बहादुर विश्वनाथ सरनसिंह
आ० ठाकुर राजेन्द्रसिंह
राय बहादुर बाबू मोहनलाल एम० ए० एल० एल० बी०
राय बहादुर पं० सङ्कटाप्रसाद वाजपेई
बाबू महेन्द्र देव वर्मा उर्फ लालजी
राजा रघुराजसिंह ओ० बी० ई०
महाराज कुमार मेजर महीजीतसिंह
कुँअर सुरेन्द्र प्रताप शाही
मि० सी० वाई० चिन्तामणि
आ० राय राजेश्वर बली ओ० बी० ई०
मि० ज़हूर अहमद
हाजी अब्दुल कयूम
मुहम्मद अब्दुल बारी
मौ० ज़हूरुद्दीन बी० ए० ऐल०ऐल० बी०
मौ० तुफैल अहमद
खान बहादुर शेख जियाउल हक़
ले० नवाब जमशेद अलीखां
नवाब ज़ादा मुहम्मद लियाक़त अलीखां
हफ़ीज मुहम्मद इब्राहीम बी०ए०, ऐल० ऐल० बी०

नोट—कुछ सज्जन बाइ-इलेकशनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं।

खान बहादुर ले० अब्दुर सामी खां
मौ० उबैदुल रहमान खाँ
शेख अबदुल्ला
खान बहादुर हफीज हिदायत हुसेन
मौ० सैयद हबीबुल्ला
आ० नवाब मुहम्मद यूसुफ
खान बहादुर शाह बद्रे आलम
,, मुहम्मद इसमाइल
मि० शेख गुलाम हुसेन
डा० शफाअत अहमद खां एम० ए०
खान बहादुर सैयद जफर हुसेन बार-एट-ला
खान बहदुर सैयद मुहम्मद उर्फ मैकू मियां
खान बहादुर मौलवी मुहम्मद फजल रहमान खां
खान बहादुर हकीम महबूब अलीखां
,, मौ० फसीउद्दीन
ख्वाजा खलील अहमद शाह
शेख मुहम्मद हबीबुल्ला ओ० बी० ई०
राजा सैयद अहमद अलीखां अलवी
चौधरी नियामत उल्ला
मि० मुहम्मद हबीब
मि० सेन्ट जार्ज एच० एस० जेरशान
राय बहादुर मुन्शी अम्बा प्रसाद
,, लाला बिहारीलाल
,, लाला मथुराप्रसाद मेहरोत्रा बी० ए०
राजा शम्भूदयाल
कुँअर विशेश्वर दयाल सेठ
राजा जगन्नाथ वक्स सिंह
श्री० जे० पी० श्रीवास्तव
राय बहादुर बाबू विक्रमाजीतसिंह बी० ए०, ऐल० ऐल० बी०
पं. इकबालनारायन गुरुटू ऐम. ए.
मि. ई. ऐम. सौटर ऐल. ऐल. बी.

नियोजित

मि० जी० बी० लेम्बर्ट सी०ऐस०आई०, आइ० सी० ऐस०
मि० ई० ए० ऐच० ब्लंट सी०आइ०ई०, ओ० बी० ई०,आइ० सी० एस
कुंअर जगदीश प्रसाद सी० आइ० ई०, ओ० बी० ई०,आइ० सी० एस०
सर आइवो इलियट, बार्ट, आइ० सी० ऐस०
मि० पी० ऐच० टिलार्ड, आइ०ऐस०ई०
मि० ऐच० ए० लेन सी० आइ० ई० आइ० सी० ऐस०
मि० आर० ऐल० यार्क आइ०सी०ऐस०
मि० ए०डबल्यू० पिम सी० ऐस० आइ० सी० आइ० ई० आइ० सी० ऐस०
मि० ए० डबल्यू० मेकनेअर सी० ऐस० आइ० ओ०बी०ई० आइ०सी०ऐस०
खान बहादुर चौधरी वाजिद हुसेन
मि० ई० ऐल० नारटन, आइ०सी०ऐस०

नोट—कुछ सज्जन बाइ-इलेक्शनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं।

मि० ऐफ० ऐफ० आर चेनर ओ० बी० ई० आइ० ऐफ० ऐस०

मि० आर० जे० ऐल० डाड आइ० पी० ऐस०

कर्नेल जी० टेट० आइ० ऐम० ऐस०

मि० ए० ऐच० मेकेंजी ऐम० ए० बी० ऐस० सी० आइ० ई० ऐस०

मि० जी० क्लार्क सी० आइ० ई० ऐफ० आइ० सी० ऐफ० सी० ऐस०

राजा सर सैयद अबुजाफर के० सी० आइ० ई०

खान बहादुर मुन्शी मसऊदुल हसन

मि० ऐच० सी० डिसांजेज

मि० ई० अहमद साहब ऐम० ए०

बाबू रामचरण बी०ए० ऐल०ऐल० बी०

कांग्रेस आदेशानुसार त्यागपत्र देने वालों के नाम।—१६

मि० गनेश शंकर विद्यार्थी

सम्पूर्णानन्द

चौधरी विजयपाल सिंह

चौधरी धरमवीर सिंह

ठाकुर मानकसिंह

" गुलाबसिंह

लाला नेमी सरन

रघुवीर सहाय

ठाकुर साधोसिंह

भगवतनारायन भार्गव

ठाकुर हरप्रसादसिंह

देवती प्रसाद

उमा शंकर

गोविन्द बल्लभ पन्त

बद्रीदत्त पांडे

मुहम्मद हबीब

मध्यप्रदेश (सी. पी.)

क्षेत्रफल ९९,८७६ वर्गमील　　जन संख्या १,३९,१२,७६०

गवरनर—

हिज एक्सेलेन्सी सर मांटेग्यू ऐस० टी० बटलर सी० बी०, के० सी० ऐस० आइ० २६ जनवरी १९२५　रु० ६०००

चीफ सेक्रेटरी—

मि० ऐच० सी० गोयन आइ०सी० ऐस०　रु० ३०००

कौंसिलर—

आ० मि० ए० ई० नेलसन ऐम० ए० सी० आइ० ई०　रु० ४०००

आ० मि० ऐस० बी० ताँबे बी० ए० ऐल० ऐल० बी०　रु० ४०००

मध्यप्रदेश (सी. पी.) लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम।

प्रेसीडेण्ट—दि ओनरे० सर शङ्करराव चिटनवीस के०टी०बी०ए०आइ०ऐस०डी०

निर्वाचित

मि० प्रभातचन्द्र बोस बी० ए० ऐल० ऐल० बी०

श्री० केशोराव खांडेकर

श्री० ई० राघवेन्द्रराय वार-ऐट-ला

श्री०चन्द्रगोपाल मिश्र बी.ए.ऐल.ऐल.बी.

डाक्टर एन. बी. खरे, एम. डी.
मि० जी आर प्रधान
,, तुकाराम जयराम केदार, बी. ए., एल एल बी.
,, राजेन्द्र सिंह एम. आर. ए. एस
पंडित काशी प्रसाद पांडे, एम. ए. एल. एल. बी.
श्री० गोकुलचन्द सिंगई
,, केदारनाथ रोहन बी. एस सी. एल एल. बी.
,, दुर्गाशङ्कर कृपाशंकर मेहता
,, उमेश दत्त पाठक
महन्त लक्ष्मी नारायण दास
सेठ शिवदास डगा
ठाकुर छेदी लाल बार-एट-ला
श्री० घनश्याम सिंह गुप्त
गजाधर प्रसाद जैसवाल बी. एस. सी, एल. एल. बी.
सेठ ठाकुर दास गोवरधन दास
चौधरी दौलत सिंह
श्री० विश्वनाथ दामोदर सालपेकर
,, दीपचन्द लक्ष्मीचन्द
,, कृष्णाजी पाण्डुरङ्ग वैद्य बी० ए० एल० एल० बी०
,, विनायक विट्ठल काली कर
,, गोविंद दामोदर चडे बी० ए० एल ०एल० बी०
,, नारायण राजाराम नगले बी० ए० एल० एल० बी०
श्री० नीलकन्ठ यादव राव देवतले
,, गनपतराव मादवराव पांडे
रावबहादुर नारायणराव कृष्णाराव केलकर
मिस्टर मजीदुद्दीन अहमद
खान बहादुर गुलाम मुहीउद्दीन बार-एट-ला
सैयद हिफाजत अली बी० ए., एल. एल बी०
सैयद यासीन सैयद लाल बी० ए०, एल. एल० बी०
श्री० श्याम सुन्दर भार्गव
सर शङ्कर राव माधव राव चिटनवीस केटी० आइ० एस० ओ०
श्री० एम० के० गोलवलकर बी०ए० एल० एल० बी०
,, एल०एच० बार्टलेट
राय बहादुर डी० लक्ष्मी नारायन

निर्वाचित (बरार)

श्री० पन्नालाल बन्सीलाल
,, पुरुषोत्तम बलवन्त गोले
,, रामराव माधौराव देशमुख बारएटला
रामराव आनन्दराव देशमुख
,, बत्तमराव सीतारामजी
राव साहिब तुकाराम शिवराम कोंडे

नोट—कुछ सज्जन बाइ-इलेक्शनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं ।

श्री नामदेव सदाशिव पाटिल
,, नायक दिनकर राव धारराव राजोरकर
,, यादव माधव काले
,, पाण्डुरङ्ग दीनानाथ पुंडलीक
,, महादेव पैकाजी कोल्हे
,, बापू राव कृष्णाजी पाटिल
सैयद ओविनूर रहमान बी० ए० एल० एल०बी०
मुहम्मद सफीउद्दीन बी० ए० एल० एल० बी
खान बहादुर मिरजा रहमान बेग
श्री० बाल कृष्ण गणेश खापर्डे
,, बृजलाल नन्दलाल बियानी

———o———

नियोजित सरकारी।

मि० सेवील अपटन विलत सी० आइ० ई० आइ० सी० एस०
" राल्फ एलेक्जेन्डर विल्सन आइ० सी० एस०
" हाइड क्लेरेन्डन गोवन आइ० सी० एस०
श्री० वीरेन्द्रनाथ आइ० सी० एस०
मि० रोबर्ट जोन जेफ्सन आइ० सी०एस बार-एट-ला
" रिशार्ड हेनरी बेकैट आइ० ई० एस०
कर्नल कृष्णा जी विष्णु कुकडे सी० आई आई० एम० एस०
श्री० चन्दूलाल माधव लाल त्रवेदी आइ० सी० एस०

———o———

नियोजित गैर सरकारी।

राजा ठाकुर रघुराज सिंह (पंडारिया)
मि० जार्ज पेरिस डिक सी० आइ० ई० बार-एट-ला
श्री० रतिराम (केवट दबरी) (दलित)
" गणेश अकाजी गवाई (दलित)
सुब जी उरकुड कंतगली (दलित)
" लक्ष्मण कृष्ण ओगले हिंदू मिशीनरी बोर्डिङ्ग (दलित)
मि० डी. टोम्सन
" आर० डब्ल्यू फुले० एम० ए० एल० एल० बी०

कांग्रेस आदेशानुसार त्याग पत्र देने वालों के नाम। २०

मि० बृजलाल बियानी
" पी० बी० गोले
" किशनलाल ओंकारदास
डाक्टर एन० बी० खरे
पन्नालाल
राय बहादुर केलकर
श्री० मेहता
दीपचन्द
घनश्यामसिंह गुप्ता
केदारनाथ
रोहन खांडेकर
नारायण राव केलकर
श्री० सालपेकर
केशो रामचन्द्र खांडेकर
शिवदास डागा
महान्त लक्ष्मीनारायण
ब्यौहर राजेन्द्र सिंह
राजेन्द्र सिंह
उमेश दत्त पाठक
एन याइ देवनले

पंजाब।

क्षेत्रफल ९९,८४६ जनसंख्या २,०६,८५,०२४

गवरनर—

हिज़ एकसेलेन्सी सर जोफरिड-मोंटमोरेन्सी के. सी. एस. आइ. सी. आइ. ई. आइ. सी. एस. ९ अगस्त १९२८ ८३३३।८।४

चीफ सेक्रेटरी—

मि० जे. जी० आफ बीजलेड रु० ३०००

प्राइवेट सेक्रेटरी।

मेजर आर. से. टी एस. ओ. लारेन्स

कौंसिलर

आ. मि० ए. मान्टेगू स्टो. ओ. बी. ई. रु० ५०००

आ० खां बहादुर मियां सर फजले हुसेन रु० ५०००

मिनिस्टर।

आ० सरदार जोगेन्द्र सिंह २० जनवरी १९२६।

आ. मि. मनोहरलाल ३ जनवरी १९२७

आ० मलिक फिरोज़ खां नून ३ जनवरी १९२७

पंजाब लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम।

निर्वाचित।

अफजल हक चौधरी

अहमद यार खां दौलताना मियां

अकबर अली पीर बी. ए. एल. एल. बी.

अली अहमद चौधरी

श्री० बलबीर सिंह, राव बहादुर ले० राव ओ० बी० ई०

श्री० बलदेव सिंह चौधरी बी. ए. बी. टी.

" बिसन सिंह सर्दार

" बोधराज लाला एम. ए. एल. एल बी.

" बूटा सिंह सर्दार बी० ए० एल० एल० बी०

श्री० छज्जूराम चौधरी सी. आई. ई.

" छोटू राम राय साहिब चौधरी बी० ए०, एल० एल० बी०

श्री० दौलत राम कलिया, राय बहादुर पंडित एम० ए० [illegible]

श्री० धनपत [illegible]

[illegible]

श्री० दुर्गा [illegible]

फैज मुहम्मद [illegible]

सर्दार फतह सिंह, [illegible]

फजल अली, खान बहादुर [illegible] एम० बी० ई०

नोट—कुछ सज्जन [illegible] और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्यागपत्र दे दिये हैं।

मि. फिरोजुद्दीन खां, बी. ए., एल. एल. बी.
लाला गंगा राम राय साहिब
डा० गोकुलचन्द नारंग एम० ए०
ला० गोपालदास
मिस्टर बी० एफ० ब्रे
सरदार हबीबुल्ला
श्री० हंसराज रायजादा
,, सर्दार हरी सिंह
,, सर्दार हीरा सिंह
ला० ज्योती प्रसाद
बाबा कर्तार सिंह बेदी
श्री० केसर सिंह चौधरी
ला० केशोराम सीकरी बी. ए., एल. एल. बी
खान मुहम्मद खां बाघा मलिक
श्री सरदार कुदंन सिंह महता
,, लाभ सिंह एम० ए० एल० एल० बी०
मीर मकबूल महम्मूद, बी० ए०, बी० एल
ला० मोहन लाल बी० ए०, एल० एल० बी
श्री० महेन्द्र सिंह सरदार
सैयद मुबारक अली शाह
खान मुहम्मद अब्दुला खां
चौधरी मुहम्मद अब्दुल रहमान खां
डा० शेख मुहम्मद आलम
मुहम्मद अमीन खां, खान बहादुर, मलिक ओ० बी० ई०
मियां मुहम्मद हयात कुरेशी, खान बहादुर सी० आइ० ई०
सैयद मुहम्मद हुसेन
डाक्टर सर मुहम्मद इकबाल
खान बहादुर नवाब मुहम्मद जमाल खां लिघारी
मखदूम जादा मुहम्मद रजा शाह
शेख मुहम्मद सादिक
खान मुहम्मद सैफ उल्ला-खां, खां साहिब
श्री० पंडित नानक चन्द एम० ए०
,, सरदार नारायण सिंह बी० ए०, एल० एल० बी०
श्री० राजा नरेन्द्र नाथ, दीवान बहादुर एम० ए०
रिसालदार बहादुर नूरखां
सरदार प्रताप सिंह
मौलवी सर रहीम बक्स के. सी. आइ. ई.
श्री० चौधरी राम सिंह
मियां सादुल्ला खां
श्री० सरदार संतसिंह
राय बहादुर सेवक राम,
राय शहादत खां
सर्दार सिकन्दर हयात खां के एम० बी० ई०
नवाब तलिब मेहदी खां मलिक
मेजर बख्शी तेक चन्द
श्री० सरदार उज्जल सिंह
चौधरी अमर हयात
चौधरी यशीन खां बी० ए०, एल० एल० बी०
चौधरी जाफर उल्ला खां बी० ए०, एल एल० बी०

नोट—कुछ सज्जन बाइ-इलेक्शनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं।

नियोजित सरकारी

सर जार्ज ऐन्डरसन सी० आइ० ई०

मि० ए०आर० ऐस्थुरी ऐम०आइ० सी० ई०

मि० सी० ए० बैरन सी० ऐम० आइ०, सी० आइ० ई०, सी० वी० ओ० आइ० सी० ऐस०

मि० ऐम० वी० डिडे आइ० सी० ऐस०

मि० ऐच० डी० क्रेक सी०ऐस० आई०, आइ० सी० ऐस०

मि० वी० ऐच० डोबसन सी० वी० ई०; आइ० सी० ऐस०

मि० ऐच० डबल्यू० इमरसन सी० आइ० ई०, सी० वी० ई० आइ०सी०ऐस०

ले० कर्नल डबल्यू० ऐच० फौरिस्टर सी० ऐम० बी०, डी० पी० ऐच०, आइ० ऐम० ऐस०

मि० सी० ऐम० किंग सी० ऐस०आइ०, सी० आइ० ई०, आइ० सी० ऐस०

मि० डी० मिलने सी० आइ० ऐस

खान बहादुर नवाब मुजफ्फर खां

श्री० रामचन्द्र ऐम० बी० ई०, आइ० सी० ऐस०

मि० जे० स्मिथ वी० जी०

नियोजित गैर सरकारी

खान बहादुर शेख अबदुल कादिर

मि० ऐफ० कीज बर्नी

श्री० सरदार दलपतसिंह आ० कैपटेन बहादुर आइ०ओ०ऐम०,ऐम० बी० ओ०

मि० गली ऐम० ए०

श्री० रायबहादुर सर गोपालदास भंडारी के टी० सी०आइ०ई०, ऐम०बी०ई०

श्री० अरनेस्ट मन्यादास बी० ए०

मि० ओजिन रोबटम

श्री० सरदार शिवनारायण सिंह सरदार बहादुर सी० आइ० ई०

कांग्रेस आदेशानुसार त्याग पत्र देने वालों के नाम—२

मि. अफजल हक

लाला बोधराज

विहार उड़ीसा ।

क्षेत्रफल—८३,१८१ वर्गमील । जनसंख्या ३,४०,०२,१८९ ।

गवरनर—

हिज एकसेलेन्सी सर लैन्सडाऊन स्टीफनसन के. सी आइ. ई. के. सी ऐस. आई. ५३३३।-)४

चीफसेक्रेटरी—

मि० ऐच. के. ब्रिसको आई. सी. ऐस. रु० ३०००

प्राइवेट सेक्रेटरी—

ले. ई. जे. मोन्ट गोमरी १५००)

कौंसिलर्स ।

आ. राजा आर. ऐन. भंगदेव सी. बी. ई.

आ० मि. जे. डी. सिफ्टन आई. सी. ऐस, सी. आइ. ई.

मिनिस्टर्स ।

आ. सर ऐस० मु० फकरूद्दीन २० दि० १९२६ ।

आ० मि० गणेशदत्त सिंह २० दि० १९२६

विहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम ।

निर्वाचित ।

श्री जगतनारायण लाल

सैयद अब्दुल अजीज

श्री० राजा बहादुर हरीहर प्रसाद नारायण सिंह

" राय वृजराज कृष्ण

" रजनधारी सिंह

" गुरसहाय लाल

मौलवी सैयद मुहम्मद हुसेन

श्री० राज किशोर लाल नंद केलियर

" भगवती सरनसिंह

मौलवी अहमद हुसेन काजी

श्री० सिद्धेश्वरी प्रसाद

पं० दूधनाथ पांडे

श्री० राजीव रंजन प्रसाद सिंह

सैयद सत्तार हुसेन

राव बहादुर द्वारिका नाथ ।

मौलबी अब्दुल गनी

श्री० चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह

" नंदन प्रसाद नारायण सिंह शर्मा

" नरसु नारायण सिंह

मौलवी सैयद मुबारक अली साहिब

श्री० हरबंस सहाय

" रामेश्वर प्रसाद दत्त

खान बहादुर मुहम्मद जान

ठाकुर रामनंदन सिंह

श्री० रामदयाल सिह

महन्त बद्री नारायण दास

नोट—कुछ सज्जन बाइ-इलेकशनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं ।

श्री० दीपनारायण सिंह
मौलवी मुहम्मद इसहाक
महन्त ईश्वर गिर
श्री० शिवशङ्कर झा
" गिरीन्द्र मोहन मिश्र
" सत्य नारायण सिंह
मौलवी अब्दुल हामिद खां
श्री० रामेश्वर नारायण अग्रवाल
खान बहादुर अबदुल वहाव खां
श्री, राय बहादुर दलीप नारायण सिंह
" राजेन्द्र मिश्र
राय बहादुर लक्ष्मीनारायण सिंह
श्री० कैलाश बिहारी लाल
खान बहादुर सैयद मुहम्मद नैम
श्री० राम चरित्र सिंह
" कालिका प्रसाद सिंह
चौधरी मुहम्मद नजीरुल हसन
राय बहादुर पृथ्वीचन्द लाल चौधरी
सैयद मुईनुद्दीन मिर्जा
मौलवी मुजीबुर रहमान
श्री० प्रतापेन्द्र चन्द्र पांडे
" रामेश्वर लाल मारवाड़ी
मौलवी अब्दुलबारी
राय साहिब लोक नाथ मिश्र
मौलवी सैयद मुहम्मद नूरूल हिदा
राज राजेन्द्र नारायण भंजदेव ओ. वी. ई.
श्री० नारायण वी० रावरसमन्त
" लक्ष्मीधर महन्त
" नन्दकिशोर दास
" हर कृष्ण महताप
" गोधबरीश मिश्र
" लिंगराज मिश्र
" बृज मोहन पांडे
" जीमुत वाहन सेन
खान बहादुर ख्वाजा मुहम्मद नूर
भय्या राजकिशोर देव
राय बहादुर सरत चन्द्र राय
श्री० कृष्ण बल्लभ सहाय
" गुनेन्द्र नाथ राय
" नीलकंठ चट्टोपाध्याय
" देवेन्द्रनाथ सामन्त
" बलदेव सहाय
मि० डब्ल्यू. ओ. मेक गिरेगर
" ई० जे० फिंच
श्री० अमृतलाल ओझा

नियोजित सरकारी

मि० जे. डी. सिफटन सी. आइ. ई.
" पी. सी. टेलेन्टस
" डबल्यू. एच. लुइस.
" एच. ई. होर्स फोल्ड
" ई. सी. अन्सोर्ज
" ए० ई० स्कूप
राय बहादुर विष्णु स्वरूप
मि० एच० ए० गुभाई
" वी. फोली. सी एम०आइ. ई.
" जी. ई० फावियूस सी० आइ. ई.
" डबल्यू स्वेन सी. आइ. ई.

नोट—कुछ सज्जन बाइ–इलेकशनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं।

कर्नेल एच. एन्सवर्थ
म० डब्ल्यू वी. हीकोक

गैर सरकारी।

राजा देवकी नन्दन प्रसाद सिंह
दीवान बेहादुर श्रीकृष्ण महापात्र
खान बहादुर शाह मुहम्मद याहिया
राय बहादुर काली पद सरकार

मि० ए. ई. डी सिल्वा
श्री० बृजनन्द दास
बाबू श्रीधर सामल
री. ई. एच. हिटले
मि० डेनियल लकरा
श्री० हरेन्द्र नाथ बनर्जी
राय बहादुर राधाकृष्ण जलन
मि० एस. एस. डे.

कांग्रेस आदेशानुसार त्यागपत्र देने वालों के नाम। ३१

मि० जे० बी० सेन
बल्देव सहाय
दीप नारायण सिंह
कृष्ण वल्लभ सहाय
श्रीकृष्ण सिंह
रामदयालु सिंह
नन्दकिशोर दास
नीलकंठ चटर्जी
एस० एन० सिंह
राजेन्द्र मिश्र
सिद्धेश्वरी प्रसाद
रामचरित्र सिंह
रामेश्वर नारायण अग्रवाल
निरशु नारायण सिंह
लिङ्गराज मिश्र
गोदावरी मिश्र

राम नन्दन सिंह
के० बी० सहाय
हरबन्स सहाय
गिरेन्द्र मोहन मिश्र
राय बहादुर द्वारका नाथ
अब्दुल बारी
गुर सहाय लाल
नारायण बीरबर सामन्त
बृज राज कृष्ण
कालिका प्रसाद सिंह
शशीभूषण राय
रामेश्वरलाल मारवाड़ी
शिवशंकर झा
केशरी प्रसाद
कैलाश बिहारी लाल

आसाम।

क्षेत्रफल ५३,०१५ वर्गमील जनसंख्या ७६,०६,२३०

गवरनर—

हिज एकसेलेन्सी सर ई. ऐल. ऐल. हैमड के. सी. ऐस. आइ सी. बी. ई. २८ जू० १९२७ रु० ५५००

चीफ सेक्रेटरी—

मि० जी० ई० सोम्स सी० आइ० ई० रु० २२५०

प्राइवेट सैक्रेटरी—

लेफ्टि जे० ऐम० डब्ल्यू० मार्टिन रु० १०५०

कौंसिलर।

आ० मि० ए. डब्ल्यू बौटहैम सी. आइ. ई., सी. ऐस. आई. रु० ३५००

आ० मौ. सैयद सर मुहम्मद सादुल्ला रु० ३५००

मिनिस्टर।

आ० मौलवी अबदुल हमीद १ अगस्त १९२९

आ० राय कनई लाल वरुआ बहादुर १ अगस्त १९२९

आसाम लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम।

निर्वाचित।

रि० जेम्स जो. आइ मोहन निकोलस राय
श्री० जितेन्द्र मोहन देव लस्कर
" हीरेन्द्र चन्द्र चक्रवर्ती
" वसंत कुमार दास।
" बृजेन्द्र नारायण चौधरी
" गोपेन्द्र लाल दास चौधरी
" रसिक लाल नंदी मजूमदार
" परेश लाल शोम चौधरी
राय बहादुर रमणी मोहन दास
श्रीयुत मकुंद नारायण वरुआ
" विपिन चंद्र घोष
" रोहणी कुमार चौधरी
श्रीयुत कामेश्वर दास
" महादेव शर्मा
" नबीनचंद वरदलाई
" विष्णु चरणवारा
" तारा प्रसाद चलीहा
" रोहणी कान्त हटी बरुआ
" कुलधर चलीहा
" नीलमनी फूकन
" सर्वेश्वर वरुआ
मौलवी अर्जान अली मजूमदार
" अब्दुल हामिद
" अब्दुल हामिद चौधरी
" मुनव्वर अली

नोट—कुछ सज्जन वाइ-इलेकशनों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्यागपत्र दे दिये हैं।

खान बहादुर हाजी मुहम्मद बख्त मजूमदार
मौलवी सैयद समीउर रहमान
" अली हैदर खां
" मुहम्मद अली
खां साहिब मौलवी मुहम्मद अब्दुल लतीफ एम. बी. ई.
मौलवी मिजाबर रहमान
टी. आ. मौलवी सैयद मुहम्मद सादुल्ला
मौलवी करामत अली
मि० हेमिल्टन एल्कजेन्डर गार्डनर
" एडगार स्टुवर्ट रफी
ले. क. वाल्टर डारलिंग स्माइल्स बी. ऐस. ओ. सी. आई. ई.
मि० जे. सी डवियन
" डब्ल्यू. ई. डी. कूपर
" काशी नाथ सैकिया

नियोजित सरकारी।

मि० जी. ई. सोम्स आई. सी. ऐस.
" ओ. एच. डीसेन आई. ऐस. ई.
" जे. आर. कनिंगहम सी. आई. ई.
" ए. फिलिप्सन आइ. सी. ऐस.
" आर. फ्रील आइ. सी. ऐस.

गैर सरकारी।

राय बहादुर अमर नाथ राय
" " सदानंद दोरा
खानबहादुर दीवानसाहिब अब्दुल हामिद चौधरी
मौलवी सैयदुल रहमान
मि० डोगलास स्मार्ट विदर्स
रेव० जोन सिरेडिग इवान्स
राय बहादुर राधाकांत हांडीकुई

कांग्रेस आदेशानुसार त्याग पत्र देने वालों के नाम ११

मि० कामेश्वर दास
ब्रजेन्द्र नारायन चौधरी
कामिनी कुमार सेन
बसन्त कुमार दास
गोपेन्द्र लाल दास चलीहा
लक्ष्मी कान्त बरुआ
जोगेन्द्र किशोर
कुलधर चलीहा
लक्ष्वेश्वर बरुआ
नवीन चन्द्र बरदलाई
रोहनी कुमार चौधरी

बर्मा।

क्षेत्रफल २,३३,७०७ वर्गमील जन संख्या १,३२,१२,१९६

गवरनर—

हिज एकसेलेन्सी सर एलेक्जेन्डर इनीज सी० आइ० इ०, के० सी० एस. आइ० २० दि० १९२७ रु० ८३३३।–)४

चीफ सैक्रटरी —

मि० जे० क्लेग बा० ए० ,आइ० सी० एस० रु० ३०००

प्राइवेट सेक्रटरी—

केपटेन टी. डब्ल्यू. रीज.डी. एस. ओ. एम० सी०

कौंसिलर—

आ० सर एस० ए० स्मिथ आइ० सी० एस० सी० एम० आइ० रु० ५००००

आ० सर जे० ए० मांगघी वार–एट–ला रु० ५००००

मिनिस्टर—

आ० यू० बा०यिन० ऐम०ए०, सी. एच. बी० ५ दि० १९२५

आ० मि०ली०आह याइन वार-एट-ला ”

——०——

बर्मा लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बरों के नाम।

——०——

निर्वाचित।

यू मरा टून
ऐम० जोन बीन
यू वा सीन
यू आइ मोंग
” मोंग गले
” बा यू
” पे अंग
यू टन बीन
” नी वार–एट–ला
” दी. आ. बा वा हैन. एम. आर. सी. एच० बी.
यू बापे, बी० ए०
केन्ना बेंग वलोंग
यू मांग गी, ऐम. ए. वार–एटला
ऐल० ऐच० विलिन्गटन
आर० के० घोष
श्री प्रमथनाथ चौधरी
ऐल० के० मित्तर
मिर्जा मुहम्मद रफी वार-एट-ला
ऐम० ए० ऐम० तयावजी
डा० वेंकट स्वामी
मुहम्मद आजम वार–एट-ला
जे० के० मुन्शी वार–एट–ला
सा पी चित वार–एट–ला
श्रीश्वेबा
साटा खुट
यू म्या पन

नोट—कुछ सज्जन वाइ-इलेक्शनों के कारण बदल गये हैं और कुछ ने कांग्रेस की आज्ञानुसार त्याग पत्र दे दिये हैं।

यू जेन सोंग
" चोट पू
" सा की अंग
ई० जी० मराकन
यू अंग गई
यू कला
" आन पे बार-एट-ला
" वा सो बार-एट-ला
" टुन लिन, टी० पी० एम
यू था मेडन
" पो हला
" पो थिन
" सान पे
" को गई
" पो शेन
" खांट
" क्या टुन टी० पी० एम०
" वा थव
" पो टन टी० पी० एम०
" सया
" शावे थून
" पान
" पो लू
" सया टी० पी० एम०
" वा जोन
" गंयर धान बार-एट-ला
" मि. टी० पी० एम०
" लन. सोंग ए० टी० एम०
" क्या गेंग बार-एट-ला
यू थेन मांग बी० ए०, एम० एस० एफ०
" वा वयू
" मांग मांग
" था जन
" सांग लु
" वा दीन
मि० सी० मोइन
यू वा हन
" लुगई
" पोचिट
यू सन लू
यू सीग संग
यू पू
यू पाडुन० बार-एट-ला
चार्ल्स हस्वेल कम्पगनेक एम० बी० ई०
बार-एट-ला
घोस्कर डि रहेनविली ओ० बी० ई०
बार-एट-ला
रोबर्ट सिन्कलेयर
एम० एस ओन घिनी
दी आ० मिस्टर ली० आह यीन के
आई० एस० बार-एट-ला
पेकन डानाल्ड
ले० क० यू वा केटी० आई० एम एस०
(रिटायर्ड)

नोट—कुछ सज्जन वाद-सूचीकरणों के कारण बदल गये हैं और कुछ सज्जनों ने कांग्रेस की आज्ञानुसार इस्तीफा दे दिये हैं।

नियोजित सरकारी

विलियम ऐडवर्ड लौरी सी० ए० आइ० सी० ऐस०

ले० क० ऐडवर्ड बटरफील्ड, डी० ऐस० ओ० आइ० ए०

डेविड फरगूसन चामर्स आइ० सी० ऐस०

जेम्स डोगलास स्टूअर्ट ए० ऐम० आइ० सी० ई०, ऐस० आइ० ई०

वाल्टर बूथ ग्रवली ऐम० ए० आइ० सी० ऐस०

विलियम ब्राउन ब्राण्डर सी० बी० ई०, ऐम० ए०, आइ० सी० ऐस०

आर्थर इगर, बेरिस्टर ऐट-ला

ले० क० अर्नेस्ट विसेंट ऐम० बी०, सी० ऐच० बी०, आइ० ऐम० ऐस०

टोमस कूपर ऐम०ए०, आइ० सी० ऐस०

हेनरी ओसबोर्न रेनोल्डस, आइ० सी० ऐस०

चार्लस एल्फ्रेड स्नो ऐम० ए०, आइ० ई० ऐस०

कर्नेल ऐलेक्जेण्डर केम्टन ऐम० बी०, आइ० ऐम० ऐस०

मा. वेसले ऐलन वाटसन

अर्नेस्ट गौरफे पेटिल आइ० सी० ऐस०

गैर सरकारी

आदम जी हाजी दाबुद मर्चेंट

ए० नारायण राव ऐम० ए०

जे० हौग मर्चेंट

डा० नसरवानजी नौरोजी पारख ऐल० ऐम० ऐस० ऐल० ऐम० ऐस० (वरोदा) आइ०ऐम०ऐस० (लन्दन)

मू पों थीन ए० टी० ऐम०

मू लुन

मू पोहन

विलियम केन्डल एजेन्ट बर्मा रेलवे

कांग्रेस आदेशानुसार त्यागपत्र देने वालों के नाम :

मि० ऐस० ए० ऐस० तयाबजी

उत्तर पश्चिमी सरहद्दी प्रान्त ।

क्षेत्रफल १३४१९ वर्गमील जन संख्या २२,५१,३४०

चीफ कमिश्नर—

आ० सर होरेशिया नोरमन बोल्टन
के. सी. आइ. ई., सी. ऐस. आई.
रु० ५५००

सेक्रेटरी—

मि० सी. ऐच. गिडनी आइ. सी. ऐस.
रु० १९००

दिल्ली प्रान्त ।

क्षेत्रफल ५९३ वर्गमील जन संख्या ४,८८,१८८

चीफ कमिश्नर—

आ. मि. जे. एन. जी. जौनसन सी. आइ. ई., आइ. सी. ऐस. रु० ३०००

सेना ।

थल सेना ।

भारत की थल सेना दो प्रकार की है—(१) अंग्रेजी ५७,३७८ सिपाही और (२) भारतीय १३६,४७३ सिपाही। सेना का शासन पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के हाथ में हैं। कमान्डर-इन-चीफ को सम्राट नियत करते हैं और लन्दन की आर्मी कौंसिल (Army Council) की सलाह से कमांडर-इन चीफ काम करता है।

इङ्गलैंड की भारतीय सेना का उद्भव सन् १७४८ में हुआ जब कि फ्रांसीसी लोगों की देखादेखी ईस्ट इण्डिया कंपनी ने भी कुछ सिपाही नियत किये। सन् १७७३ ई० में जब पहिले गवरनर जनरल नियत किये गये उस समय ९००० यूरोपियन और ४५००० भारती सेना में थे। मारकुइस आफ वेलेसली ने चढ़ाइयों के कारण सेना की संख्या बढ़ा दी और सन् १८५७ में फौज में ४५००० यूरोपियन और २,३५,००० भारती कर दिये सन् १८५८ में जब भारत का राज्य इङ्गलैण्ड के राजा के हाथ में गया उस समय अंग्रेजी फौज की संख्या बढ़ाकर ६२००० कर दी गई और भारतीय सिपाहियों की संख्या १,३५,००० कर दी गई।

सन् १८५९ ई० में अमलगमेशन स्कीम द्वारा (Amalgamation Scheme) ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भारतीय अंग्रेजी फौज इंगलैण्ड की फौज में मिला दी गई और दोनों एक ही नियन्त्रण में हो गईं। इस कारण इंग्लैंड की सेना को जो कुछ तरक्की इत्यादि दी जाती है उसी प्रकार की तरक्की इत्यादि भारत को भी देना पड़ती है। यहां तक कि लार्ड कार्डवेल ने जो "शार्ट सर्विस सिस्टम" (Short Service System) सेना में जारी किया वह भी भारतवर्ष पर लागू हुआ और यह विचार नहीं किया गया कि इससे भारत को कितनी हानि है। सेना के लोग अन्य विभाग के कर्मचारियों से कम वर्षों तक काम करें इस बात के अतिरिक्त यह भी इस आयोजना ने किया कि प्रत्येक पैदल बैटेलियन और प्रत्येक सवार रेजीमेंट जो इंगलैण्ड के बाहर रहे उसके लिये उतनी ही सेना इंगलैण्ड में होना चाहिये। इस काम के लिये इंगलैण्ड में डीपो इत्यादि होते हैं जहां रिक्रूट भरती किये जाते हैं और सिखाये जाते हैं। इस सब का लाभ इंगलैण्ड को मिलता है और भारत को उपरोक्त आयोजना का भार झेलना पड़ता है। प्रो० फासेट की भी यह राय थी कि यह आयोजना भारत जैसे गरीब देश के लिये अन्याय युक्त है क्योंकि इंगलैण्ड जो धनवान है वह सेना की सजावट इत्यादि पर जितना खर्च कर सकता है उतना भारत नहीं कर सकता। उनकी राय में यह शिरकत वैसी ही है जैसे एक

आदमी २०००० पौंड सालाना आमदनी पाने वाला और दूसरा १००० पौंड पाने वाला एक साथ एक घर में अमीरी ठाट से एक ही प्रमाण से रहें।

सन् १९२३ में कौंसिल आफ स्टेट की दिल्ली वाली बैठक में सर दिनशा वाचा ने एक प्रस्ताव पेश किया कि सन् १८५९ की "अमलगमेशन स्कीम" रद्द कर दी जावे या उसमें काफी संशोधन कर दिया जावे क्योंकि भारत इतना भार नहीं सह सकता। सर दिनशा ने सिद्ध करके बताया कि इस बेजोड़ शिरकत से भारत की बड़ी हानि है और ३० करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और प्रार्थना की कि भारत को इस विषय में स्वतन्त्र कर दिया जावे परन्तु प्रस्ताव गिर गया।

इसके पहिले सन् १९१९ में भारत मन्त्री (Secretary of State) ने भारत की सेना का प्रबन्ध और संचालन की जांच के लिये लार्ड ईशर की अध्यक्षता में एक कमेटी कायम की थी। मई सन् १९२० में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उससे तीव्र असन्तोष भारत में फैला मुख्य कारण यह था कि कमेटी ने यह सिफारिश की कि भारतीय सेना का प्रबन्ध पूरे साम्राज्य की रक्षा की दृष्टि से किया जावे। यह सिद्धान्त भारतीय नीतिज्ञों को पसन्द नहीं आया। भारतीय सेना केवल भारत की रक्षा के लिये है यही उनका कहना था।

भारतीयों को कमीशन्ड आफिसर बनाना चाहिये ऐसी सिफारिश जनरल चेसनी ने सन् १८८५ में की थी लेकिन लार्ड रोबर्ट्स ने किंग्स कमीशन का बड़ा विरोध किया जिससे वह प्रश्न वहीं रह गया। सन् १८८९ में पंजाब और बम्बई की प्रान्तीय सरकारों ने यह सिफारिश की कि भारतीय सैनिक अफसरों को ऊंची शिक्षा दी जावे। जनरल चेसनी को यह दूसरा अवसर मिला कि वह अपनी आयोजना फिर पेश करें परन्तु लार्ड रोबर्ट्स ने फिर यह राय चलने न दी। सन् १९०४ में लार्ड किचनर ने फिर यह मामला उठाया और बताया कि सेना में गदर होने की शङ्का करना अनुचित है। उन्हों ने यह भी राय दी कि एक स्कूल खोला जावे कि जिसमें कमीशन और नन-कमीशन आफिसर जो तरक्की के लिये चुने जावें शिक्षा पा सकें। इस राय पर कोई कार्य नहीं किया गया। सन् १९१८ में सरकार ने यह घोषणा की कि इंगलैण्ड के सैंडहर्स्ट कालेज में १० हिन्दुस्थानी प्रति वर्ष लिये जावेंगे।

सन् १९२१ में लेजिसलेटिव ऐसेम्बली ने सरकार की सम्मति के साथ यह प्रस्ताव पास किया कि प्रत्येक वर्ष कम से कम २५ प्रतिशत किंग्स कमीशन भारतीयों को दिये जाने चाहिये। और सैंडहर्स्ट की नाईं एक सैनिक विद्यालय भारत में खोला जावे। ईशर कमेटी की रिपोर्ट पर ऐसेम्बली में बहस होने के

बाद ही भारत सरकार ने "मिलीटरी रिक्वायर्मैन्ट्स कमिटि" नियत की जिसके अध्यक्ष लार्ड रालिंसन कमांडर इन-चीफ हुये फेब्रुअरी १९२३ में सरकार ने यह निश्चित किया कि भारत की सेना के ८ यूनिट में पूरी तौर से केवल भारतीय भरती किये जावें। सैनिक सेक्रेटरी ने यह प्रकाशित किया कि उक्त ८ यूनिटों को देशी बनाने के लिये २३ साल लगेंगे जिसका यह अर्थ निकला कि कुल सेना को देशी (Indianised) बनाने के लिये ३५० वर्ष लगेंगे। इसके बाद (Sandhurst Committee) सैण्डहर्स्ट कमेटी नियुक्त हुई जिसकी रिपोर्ट सं० १९२७ में प्रकाशित हुई लेकिन जो सब कमेटी जांच के लिये इंगलैंड गई थी उसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई क्योंकि उसमें सैण्डहर्स्ट के कुछ अधिकारियों पर कटाक्ष थे। सैन्डहर्स्ट कमेटी की मुख्य सिफारिशें यह हैं (१) सैन्डहर्स्ट में १० की जगह २० भारती प्रत्येक वर्ष लिये जाया करें। (२) सं० १९५२ तक भारत की सेना में आधे अफसर देशी हो जावें। (३) तोपखाने इन्जीनियरी सिगनल, टैंक और हवाई सेना में भारतीय कमीशन्ड अफसर बनाये जायें रायल मिलीटरी एकेडमी (वूलिच) में ८ भारती विद्यार्थी और रायल एयर फोर्स कालेज (क्रानवेल) में २० भारती विद्यार्थी प्रतिवर्ष लिये जावें (४) एक भारती सैन्डहर्स्ट (मैनिटरी कालेज) बनाया जावे जिसमें १०० विद्यार्थी सीख सकें।

सेना का प्रबन्ध।

सेना का प्रबन्ध तथा अन्य सब ब्योरेवार वर्णन 'दि आर्मी इन इंडिया एन्ड इट्स इवोल्यूशन" पुस्तक में मिल सकता है। यहां कुछ थोड़ासा आवश्यक विवरण दिया जाता है।

१—भारतसम्राट। सम्राट का प्रतिनिधि होने के कारण भारती सेना पर उनका सब प्रकार का प्रभाव है। उनके इंडिया आफिस में मिलीटरी सेक्रेटरी होता है जो इस विभाग का सञ्चालक होता है।

२—गवर्नर जनरल-इन-कौंसिल। भारत में प्रत्यक्ष दृष्टि से कुल सेना सम्बन्धी कार्य इन्हीं का है।

३—कमांडर-इन-चीफ (बड़े जंगी लाट)। गवर्नर जनरल की कार्यकारी कौंसिल का सदस्य होता है और उसके हाथों में सेना का चार्ज होता है।

४—बड़े जंगी लाट के नीचे निम्नलिखित पदाधिकारी होते हैं।

(क) चीफ आफ दि जनरल स्टाफ।

(ख) एडजुटेन्ट जनरल

(ग) क्वार्टर मास्टर जनरल।

(घ) मास्टर जनरल सप्लाइ

इनके सेना विभाग के प्रबंध में जल सेना (Royal Indian Marine) और वायु सेना (Royal Air Force) भी है। कमांडर-इन चीफ की सहायता के लिये एक सेना कौंसिल Army Council होती है जिसका वह अध्यक्ष होता है।

सैनिक विद्यालय।

सैनिकों को शिक्षा के लिये तथा उनके शिक्षकों को भी शिक्षा देने के लिये निम्न लिखित विद्यालय हैं:—

नाम	स्थान
स्टाफ कलेज	क्वेटा (विलोचिस्थान)
सीनियर आफिसर्स कालेज	बेलगाँव
स्कूल आफ आर्टिलरी	काकुल
इकुईटेशन स्कूल	सागर
स्माल आर्म्स स्कूल	पंचमढी
स्कूल आफ फिजीकल ट्रेनिंग	अम्बाला
मशीनगन स्कूल	अहमद नगर
आरमी सिगनल स्कूल	पूना
रायल टैंक कोर स्कूल	अहमद नगर
आरमी स्कूल आफ एडयूकेशन	बेलगांव
आरमी स्कूल आफ कुकरी	पून
आरमी विटरिनरी स्कूल	पूना और अम्बाला
इंडियन आरमी सर्विस कोर ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट	रावलपिंडी

भारतीय सैनिकों के लड़कों को झेलम और जलन्दर के किंगजार्ज रायल इंडियन मिलीटरी स्कूलों में सैनिक शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि वे आगे सेना में नौकरी पा सकें।

साधारण अंग्रेजी सेना।

अंग्रेजी सवार भारत में ५ रेजीमेंट अंग्रेजी सवारों की बहुवा रहती हैं प्रत्येक रेजीमेंट में २७ अफसर और ५७१ सवार होते हैं.

अंग्रेजी पैदल भारत और अदन में बहुधा ४६ बेटेलियन रहती हैं प्रत्येक में २८ अफसर और ८८२ सिपाही होते हैं।

स०१९२१ से इन अंग्रेजी पैदल की बटेलियन में कुछ देशी पैदल भी होते हैं।

तोपखानों की रचना में रायल हार्स आर्टिलरी, फील्ड, ब्रिगेड, अम्युनिशन कालम, इंडियन पैक ब्रिगेड होते हैं।

साधारण देशी सेना।

देशी सवार—देशीसवारों की रेजीमेंट २१ हैं प्रत्येक रेजीमेंट में १४ अंग्रेजी अफसर, १९ देशी अफसर ५१२ नन-कमीशन्ड अफसर और सिपाही होते हैं। ट्रेनिंग बटैलियन्स की संख्या अनिश्चित है। पैदल सेना के साथ रिजर्व और इण्डियन सिगनल कोर भी होते हैं।

देशी पैदल—देशी पैदल सेना की संख्या इस प्रकार है:—

२०	पैदल रेजीमेंट जिनमें	१०४ बटेलियन
३	पायोनियर रेजीमेंट जिनमें	११ ,,
१	इण्डिपेंडेन्ट पायोनियर रेजीमेंट (चौथी हजारा पायोनियर)	१ ,,
१०	गुरखा रेजीमेंट जिनमें	२० बटेलियन
३४		१३६

प्रत्येक बटेलियन में मनुष्यों की संख्या इस प्रकार हैं:—

	अंग्रेजी अफसर	देशी अफसर	सिपाही
इन्फेन्टरी	१२	२०	७४२
पायोनियर	१२	१६	७२०
गुरखा	१३	२३	९२०

इन्जीनियरिंग और मेडिकल विभाग।

सेनाओं के लिये इन्जीनियर और मेडिकल विभाग की भी आवश्यकता पड़ती है।

इंजीनियरिंग विभाग द्वारा सैनिक मकानात बनाये जाते हैं। इसी के अन्तर्गत "सेपरमाइनर" 'पायोनियस" और मिलीटरी इन्जीनियर वर्कस हैं।

मेडिकल विभाग में (१) रायल आर्मी मेडिकल कोर के अफसर (२) इण्डियन मेडिकल सर्विस के अफसर (३) इण्डियन मेडिकल डिपार्टमेंट जिसमें असिस्टंट सर्जन और सब—असिस्टेंट सर्जन होते हैं और (४) क्वीन अलेक्जेंड्रा मिलीटरी नरसिंग सर्विस फार इंडिया (५) आर्मी डेन्टल कोर (६) इंडियन ट्रूप्स नर्सिंग सर्विस (७) इण्डियन हास्पिटल कोर।

सैनिकों के नौकरी की अवधि।

सैनिकों के लिये नौकरी के नियम और उपनियम हैं। नौकरी की अवधि इन नियमों द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

(१) सवार—७ वर्ष।

(२) तोपखाना—६ वर्ष गोलंदाजों के लिये, ५ वर्ष गाड़ीवानों के लिये और ४ वर्ष हेवी बैटरी के कर्मचारियों के लिये।

(३) एस एंड एस कोर, ७ वर्ष (ब्रह्मदेश में ५ वर्ष)

(४) इंडियन सिगनल कोर—५ वर्ष

(५) पैदल (इनफेन्ट्री) और पायोनियस (गुरखा और चौथी हजारा पायोनियस और ट्रान्स फ्रांटियर पैदलों को छोड़ कर) ५ वर्ष सेना में और १० वर्ष रिजर्व।

(६) गुरखा, ४ थी हजारा पायोनियर्स ट्रांस फ्रान्टियर पैदल और देश

पैदल(अंग्रेजी पैदलों की सेना के साथ ४ वर्ष)

(७) इंडियन आर्मी आर्डिनेन्स कोर ४ वर्ष ।

(८) गाड़ीवान (मिकेनिकल ट्रांस्पोर्ट) इत्यादि ६ वर्ष ।

(९) वर्कस कोर के सिपाही—२ वर्ष

(१०) बैन्ड मैन, म्युजिशियन, ट्रम्पेटियर, ब्यूगलर, इत्यादि—१० वर्ष ।

अन्य थल सेना ।

१—फ्रान्टियर मिलिशिया और लेवीकोर-यह सेना एक प्रकार की सिविल सेना है और इसका रुपया सैनिक विभाग से नहीं दिया जाता है यह सेना उत्तर पश्चिमी सरहद्दी प्रदेश का रक्षा के लिये तैयार की गई है

२—आकजीलिरी सेना—महायुद्ध (१९१४—१९१९) के पश्चात यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि भारत में हर एक अंग्रेज सैनिक कार्य करना जाने और समय पड़ने पर सरकार की सहायता कर सकें। इसी उद्देश्य से आकजिलिअर सेना तैयार को गई है जिसमें नियम और उपनियम हैं। और स० १९२९ में एक ऐक्ट भी पास किया गया है।

३—इण्डियन टेरिटोरियल सेना—सब भारतवासियों को इस सेना में भरती होने का अवसर नहीं दिया जाता है। उद्देश यह है कि प्रत्येक भारतवासी को सैनिक शिक्षा दी जावे परन्तु अंग्रेजी शासन में जो काम भारतवासियों के लिये किया जाता है वह ऐसी उलटफेर के साथ किया जाता है कि उसका प्रत्यक्ष लाभ कुछ नहीं होता।

यह सेना दो प्रकार की है (१) प्रान्तीय (२) यूनिवर्सिटी। इनमें भारत वासियों को कुछ मास तक सैनिक शिक्षा दी जाती है। नियमों के अनुसार उन्हें भारत वर्ष की भीतर सरकार के आदेशानुसार काम करना पड़ता है और उन्हें समय पड़ने पर बाहर जाने पर भी बाध्य किया जा सकता है। जितने मास तक शिक्षा दी जाती है उस समय में कुछ साधारण वेतन भी दिया जाता है। यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को कुछ नहीं दिया जाता।

प्रांतीय बैटेलियन में ६ वर्ष के लिये भरती किया जाता है। यह अवधि ४ वर्ष का भी हो सकती है। साल में २८ दिन काम करना पड़ता है।

४—देशी राज्यों की सेना—"इंडियन स्टेट फोर्स" का पहिला नाम "इम्पीरियल सर्विस ट्रूप्स" था यह वह सेना है जो देशी नरेश अपने खर्च से रखते हैं। समय २ पर यह सेना अंग्रेजी सरकार को सहायता देती रहती है। महायुद्ध के बाद देशी नरेशों ने अपनी पुनर्रचना की जिससे सेना के तीन वर्ग कर दिये गये हैं। पहिले वर्ग की सेना अंग्रेजी सेना के ढंग पर रक्खी जाती है और

अन्य दो वर्गों की शिक्षा और उनके हथियार व सामान कम दर्जे के होते हैं।

इस प्रकार की सेना की संख्या निम्न लिखित हैः—

सवार	८२२६
पैदल	२०९१७
तोपखाना	८९९
सैपर्स	८४८
ऊँटों की फौज	४५९
ट्रान्सपोर्ट कोर	१३९५
मोटर मशीन गन बेटरी	२६
	३२,७७०

सैनिक अफसर।

सैनिक अफसर दो प्रकार के होते हैं (१) किंग का कमीशन प्राप्त (२) वाइसराय का कमीशन प्राप्त। दूसरी प्रकार के अफसर सब हिन्दुस्तानी होते है। प्रथम प्रकार में पहिले सब योरोपियन होते थे किन्तु अब कुछ २ देशी अफसरों को किंग का कमीशन प्राप्त हो जाता है देहरादून में प्रिन्स आफ वेल्स रायल इंडियन मिलीटरी कालेज खुला है जिस में उन भारतीयों को सैनिक शिक्षा दी जाती है जो इङ्गलैण्ड के रायल मिलीटरी कालेज सैण्डहर्स्ट में आगे सीखने जाते हैं।

भारत पर सैनिक भार।

ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत के रुपये से ही हुआ है इनका स्पष्टीकरण ३१६ पृष्ठ पर दिये हुये कोष्टक से होगा। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जो प्रदेश ऐशिया में इंगलैण्ड के लिये कमाये वे सब भारत के रुपये से ही कमाये। आइल आफ फ्रांस (मारीशस) सीलोन (लङ्का) सिंगापुर सेटलमेंट तथा बन्दर तथा अन्य द्वीप जो भारत सागर में है उन सब पर भारतीय सेना तथा धन द्वारा कब्जा किया गया। ईरान (परशिया) और अरब में पैठ, ब्रह्मदेश की प्राप्ति भी भारत ही के धन से हुई। विदेशी युद्धों का भी खर्च भारत पर ही पड़ा यह बात भी सिद्ध है।

भारत में सैनिकों की सङ्ख्या।

अंग्रेजी।

१९१०–१४ औसत	६९,४४०
१९१५	४४,८९१
१९१६	६०७३१
१९१७	८०,८२५
१९१८	८७,९८२
१९१९	५६,५६१
१९२०	५७,३३२
१९२१	५८,६८१
१९२२	६०,१६६
१९२३	६३,१२९
१९२४	५८,६१४
१९२५	५७,३०८
१९२६	५६,७९८
१९२७	५५,६३२

देशी।

१९१०–१४ औसत	१३०,२६१
१९१५	११९,९८५
१९१६	१३०,०७६
१९१७	१९१,२४२

१९१८	३४१,४५८	१९२३	१४३,२३४
१९१९	२२९,७३१	१९२४	१३४,७४२
१९२०	२१६,४४५	१९२५	१३६,४७३
१९२१	१७५,३८४	१९२६	१३५,१४६
१९२२	१४७,८४०	१९२७	१३३,२००

निम्न लिखित युद्धों का खर्च भारत के धन से किया गया।

युद्ध	साधारण खर्च		असाधारण खर्च	
	भारत	इंगलैण्ड	भारत	इंगलैण्ड
प्रथम अफगान युद्ध (१८३८–४२)	कुल	कुछ नहीं	कुल	कुछ नहीं
प्रथम चीन युद्ध (१८३९–४०)	कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुल
ईरानी युद्ध (१८५६)	कुल	कुछ नहीं	आधा	आधा
एबीसीनियन युद्ध (१८६७–६८)	कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुल
पीराक युद्ध (१८७५)	कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुल
द्वितीय अफगान युद्ध (१८७८–८०)	कुल	कुछ नहीं	बाकी कुल	केवल ५ लाख पौंड
इजिप्ट युद्ध (१८८२)	कुल	कुछ नहीं	बाकी कुल	केवल ५ लाख पौंड
सुडान युद्ध (१८८५–८६)	कुल	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुल

हवाई सेना।

हवाई सेना भी कमांडर–इन–चीफ के आधीन है और साधारण सैनिक खर्च में इसका भी खर्च रक्खा जाता है भारत में हवाई सेना को कमांडिङ्ग आफिसर "एयर वाइस मारसल" होता है। इस विभाग का मुख्य स्थान भी अन्य सेना के मुख्य स्थान पर ही होता है।

विंग्स—पेशावर, रिसालपुर, और क्वेटा में एक २ "विंग" है जहां अनेक अफसर तथा सैनिक रहते हैं

स्कड्रोन्स—'विंग' के भीतर स्कड्रोन होते हैं जिन में हवाई जहाज़ अनेक रक्खे जाते हैं और जो भिन्न २ स्थानों में होते हैं। इन के आधीन वर्क शाप इत्यादि भी होते हैं। स्कर्डान की संख्या ६ है जिन में से ५ सरहद्दी प्रान्त से क्वेटा तक हैं। और एक अम्बाला में है।

एयर क्रेफ्ट डिपो—यह एक प्रकार की सामग्री एकत्र करने का स्थान होता है।

एयर क्रेफ्टपार्क—इस स्थान में उपरोक्त डिपो से समान आता है और स्कड्रोन में बांटा जाता है।

हवाई सेना में २१८ अफसर १७५७ अंग्रेजी नन-कमीसन्ड अफसर और एयरमैन, तथा १३८ देशी आदमी हैं।

जल सेना।

भारत में अंग्रेजी जल सेना का आरंभ १६१२ में हुआ जब ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने व्यापार और फैक्टरियों की रक्षा पुर्तगाल व डच लोगों से करने के लिये फौजी जहाज रक्खे। प्रथमतः २ जहाज इंग्लैंड से भेजे गये जल सेना का नाम बदलता हुआ चला जाता है जो इस प्रकार है:—

नाम	समय
आनरेबल ईस्ट इंडिया कम्पनीज मेरीन	१६१२-१६८६
बम्बई मेरीन	१६८६-१८३०
इन्डियन नेवी	१८३०-१८६३
बम्बई मेरीन	१८६३-१८७७
हिज मेजेस्टीज इन्डियन मेरीन	१८७७-१८९२
रायल इन्डियन मेरीन	१८९२-हाल तक

भारतीय जल सेना का उपयोग इंग्लैंड ने अपने साम्राज्य के बढ़ाने में खूब किया है और उस का सब खर्च भारत वर्ष पर पड़ा है। जर्मन युद्ध में भी जलसेना से इंग्लैंड में बड़ा लाभ उठाया है।

बम्बई और कलकत्ता में डाकयार्डस थे। अब कलकत्ते का डाकयार्ड बंद कर दिया गया है।

फरवरी १९२६ में वाइसराय ने कौंसिल-आफ-स्टेट में प्रगट किया कि इस रायल इन्डिन मेरीन को रायल इन्डियन नेवी बना दिया जावे। उसके पश्चात में एक कमेटी भी बनाई गयी जिसके सभापति लार्ड रालिन्सन हुये। इस कमेटी ने अनेक सिफारशें कीं जिनका सारांश निम्नलिखित हैं—

१—इस नेवी (बेड़े) के जहाज़ ऐसे हों जो समुद्र में बम्बारी जा सकें और बढ़ सकें

२—शांति के जमाने में इस विभाग का यह काम हो कि (क) सैनिकों को सिखावें (ख) भारत सागर और

ईरान की खाड़ी में काम करें (ग) बन्दरगाहों का प्रबंध करे (घ) सरकार का समुद्री काम (मालढोने का काम) करे।

(३) इस "नेवी" में ४ स्लूप, २ पेट्रोलक्राफ्ट जहाज़, ४ ट्रालर्स २ सर्वे करने वाले जहाज़, १ डिपो जहाज आरम्भ में हों।

(४) इन कामों के लिये ६३ लाख रुपया लगेगा और इसके अलावा करीब १८ लाख अन्य कार्यों में लगेगा

(५) इस समय सालाना खर्च रायलइण्डियनमेरीन पर रु० ५१,६२००० है। अब खर्च ६२,६०००० होगा।

(६) देशी अफसरों को भी कमीशन दिये जावे ।

(७) देशी उम्मेदवार देहरादून कालेज द्वारा लिये जावें।

भारतीय सेना पर खर्च।

भारत वर्ष गरीब देश होता हुआ भी अपनी सालाना आमदनी १३० करोड़ में से ६० करोड़ से ऊपर केवल सेना पर खर्च करता है। सैनिक वर्ग दिन प्रति दिन किस प्रकार बढ़ता जाता है यह नीचे के दिये हुये कुछ आंकड़ों से स्पष्ट होगा:—

१८८४-८५	१७,००,००,०००
१८९९-१९००	२६,४०,००,०००
१९०९-१९१०	२८,६०,००,०००
१९१४-१९१५	३०,६५,००,०००
१९१६-१७	३३ ००,००,०००
१९२०-२१	८८,२३,२४,२५२
१९२१,२२	७१,५४,७१०००,
१९२२-२३	६७,७२,१४,०००
१९२३-२४	६१,०४,३१,७६०
१९२४-२५	५९ ६६,५१,८७७
१९२५-२६	६०,१३,८९,०००
१९२६-२७	५९,१७,७९,०००
१९३०-३१	५४,३५,००,०००

कुल सेना (१९२८)

	ब्रिटिश अफसर	ब्रिटिश सैनिक	देशी अफसर तथा सैनिक	अन्य	जोड़
योद्धा (कम्बटेन्ट)	६७७४	५९८२८	१६२८९६	९१८२८	३२१३२६

इङ्गलैण्ड में जो खर्च भारतीय सेना सम्बन्धी देना पड़ता है वह लन्दन में "वार मिनिस्ट्री" तथा "एयर मिनिस्ट्री" को (१) ब्रिटिश सेना जो भारत में काम करती है (२) इस सेना का सफर खर्च जो भारत में जाने में लगता है (३) भारत में यह सेना जो सामान ले जाती है। (४) इङ्गलैण्ड में भारतीय सेना सम्बन्धी शिक्षा पर खर्च करना पड़ता है (५) अफसरों की छुट्टी का वेतन (६) अन्य सामान जो इङ्गलैण्ड में भारत के लिये खरीदा जाता है। इङ्गलैण्ड में जो खर्च होता है उसमें से ४,९०,००० सेना के फालतू अफसरों के वेतन देने में जाता है।

यूरोप के कुछ देशों का सैनिक खर्चा।

(संख्या करोड़ों में)

		१९२५	१९२९
फ्रांस	पौंड	३.४४	६.४५
जर्मनी	"	२.८०	३.४०
रूस	"	४.१७	८.४०
यू० एस	"	५.२१	५.९३
इटली	"	२.१५	२.८५
इङ्गलैण्ड	"	५.१०	४.००

भारतीय सेना पर खर्च।

	१९२६-२७	१९२७-२८	१९२८-२९
	अन्तिम हिसाब	पुनः अनुमान	अनुमान
फौज	५५,८४,७१,०००	५१,१७,३३,०००	५२,८२,९३,०००
जहाजी बेड़ा	६५,३३,०००	८३,३६,०००	८५,१९,०००
फौजी कारखाने	४,४१,६०,०००	४ ४०,१५,०००	४.३६,००,०००
जोड़	६०,९१,६४,०००	५६,४०,८४,०००	५८ ०४,१२,०००

नोट—सन् १९३०-३१ का अनुमान ५५ करोड़ ३५ लाख सेना खर्च है।

पुलिस विभाग ।

देश की रक्षा के नाते पुलिस विभाग जितना आवश्यक और महत्व पूर्ण है उतना ही भारत वासी की वैयक्तिक दृष्टि से भयानक और आपत्ति जनक है। पुलिस विभाग के कार्य का दृष्टि कोण अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि साधारण मनुष्य आपत्ति के समय पुलिस चौकी में स्वच्छा से जावे। पुलिस के भय से अनेकों मनुष्य बडी २ घटनाओं को छिपा देते हैं क्यों कि अनेक बार सहायता मिलना तो दूर रहा रिपोर्ट करने के बाद पुलिस कर्मचारियों के अत्याचारों का पहाड़ सामने खडा हो जाता है। वह दिवस अभी निकट नहीं दिखाई देता जब कि अन्य देशों की भांति भारत की पुलिस भी रक्षक का स्वरुप धारण कर अपने प्रति विश्वास व श्रद्धा उत्पन्न करेगी।

सन् १९२३-२४ में २,०३,००० मनुष्य पुलिस विभाग में और उन पर खर्च लगभग रु० ९०,७८,००० हुआ उपरोक्त संख्या के अतिरिक्त भारतवर्ष और ब्रह्म देश में ३०,००० फौजी आदमी पुलिस का काम करते हैं।

चौकी—कुछ ग्रामों के लिये एक पुलिस चौकी हुआ करती है जिस में एक हेड कान्सटेबिल और ४ या ५ कान्सटेबिल रहते हैं इनका काम सडकों पर और गावों में गस्त करना होता है और यदि कोई घटना उनके हल्के में हो जावे तो थाने में रिपोर्ट करना उनका काम होता है।

थाना—थाने के अन्तर्गत कई एक चौकियां होती हैं जो थानेदार का हल्का कहलाता है प्रत्येक थानेमें एकसब्इन्स्पेक्टर पुलिस होता है जो उस हल्के के भीतर हर प्रकार की घटनाओं Cognizable को जांच का जुम्मेवार होता है। Cognizable घटना उसे कहते हैं जिस में अपराधी को बिना वारन्ट पुलिस पकड़ सकती है और जिस अपराध के लिये ६ मास से अधिक दण्ड दिया जावे।

देहातों में पुलिस सब इन्स्पेक्टर सब से बड़ा अधिकारी समझा जाता है और वास्तव में उसके अधिकार बहुत ही विस्तृत हैं और जनता का उसी से विशेष कर काम पड़ता है।

हल्का—४ या ५ थानों पर एक हलका इन्स्पेक्टर होता है जिस का काम विशेषतः निरीक्षण का होता हैं कभी २ आवश्यकतानुसार स्वयं भी वारदातों की जांच करता है प्रत्येक जिले में ४ या ५ हलके होते हैं और कहीं २ पर १ जिले में दो सब डिवीजन होते हैं जिनके ऊपर प्रत्येक में १ असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस रहता है ज्यादातर हर जिले में एक डिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस ही सब हल्कों का काम स्वयं

देखता है सार्वजनिक शांति और जुर्मों की जांच के लिये जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस जिला मजिस्ट्रेट को उत्तरदायी रहता है और पुलिस के इन्तजाम के लिये डिप्टी इन्सपेक्टर जेनरल और इन्सपेक्टर जेनरल को उत्तरदायी रहता है ८ या १० जिले के ऊपर १ डिप्टी जेनरल इन्सपेक्टर होता है उसके हल्के को रेन्ज कहते हैं।

प्रान्त भर की पुलिस का सब से बड़ा अधिकारी इन्सपेक्टर जेनरल पुलिस होता है जो प्रान्तीय सरकार के मातहत रहता है।

असिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस और उसके ऊपर के अधिकारी प्रायः अंग्रेज होते हैं।

कलकत्ता बम्बई और मद्रास में पुलिस प्रांतीय पुलिस से अलहदा होती है। हर एक शहर के कई विभाग होते हैं कलकत्ते में ऐसे विभाग के अधिकारी को डिप्टी कमिश्नर कहते हैं और बम्बई या मद्रास में सुपरिन्टेन्डेन्ट कहते हैं। इन विभागों में कई एक थाने होते हैं जो एक इन्सपेक्टर के चार्ज में होता है। उसके नीचे अनेक डिप्टी इन्सपेक्टर, सब इन्सपेक्टर और यूरोपियन सरजन्ट होते हैं।

दिल्ली की केन्द्रस्थ सरकार प्रांतीय पुलिस पर देख रेख डाईरेक्टर ऑफ क्रमीनल इन्टेलीजेन्स के द्वारा रखती है सी. आई. डी. अथवा C. I. D. (खुफिया पुलिस) अथवा क्रीमीनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट साधारण पुलिस मुहकमें से अलग है यद्यपि उसमें के पदाधिकारी सर्वसाधारण पुलिस में से लिये जाते हैं इस विभाग का काम प्रायः राजनैतिक जुर्मों की जांच राज विद्रोह तथा ऐसे जुर्मों की जांच है जो कई जिलों से सम्बन्ध रखती हो। इसका मुख्य पदाधिकारी डिप्टी इंसपेक्टर जनरल के बराबरी का होता है।

नियुक्ति—कोन्स्टेबिल की नियुक्ति साधारण मनुष्यों में से होती है। कुछ जात के लोग नहीं लिये जाते हैं और किसी २ प्रांत में कुछ संख्या कोंसटेबिलों की बाहर के प्रान्तों से निश्चित रूप से ली जाती है।

उम्मेदवार कोन्सटेबिलों को नेकचलनी और तन्दुरुसती का सार्टीफिकट पेश करना पड़ता है सन् १९०६ के पहले कोन्सटेबिल को सब इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर तक की जगह मिल सकती थी किन्तु अब वे केवल हेड कोन्सटेबिल हो सकते हैं। लार्ड कर्जन के कमीशन ने सन् १९०६ में यह नियम कर दिया कि सब इन्सपेक्टर की जगह के लिये उच्च जाति के लोग चुन कर लिये जाया करें। ऐसे चुने हुये सब इन्सपेक्टर एक साल या १८ महीने तक ट्रेनिंग स्कूलों में [illegible] और जिनके [illegible] किये जाते हैं [illegible] इन्सपेक्टर [illegible] बनाया जाता है। सन् १९०६ से डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट की जगह

हिन्दुस्तानियों के लिये नई बनाई गई है। कुछ इन्सपेक्टरों में से चुने जाते हैं और कुछ शिक्षित वर्ग में से सीधे ले लिये जाते हैं ऐसे लोगों को सेन्ट्रल पुलिस स्कूल में काम सिखाया जाता हैं सन् १८९३ के पहिले पुलिस के गजटेड अधिकारी फौज में से लिये जाते थे या अन्य रीति से नियत कर लिये जाते थे किन्तु सन् १८९३ ई० से यह रीति बन्द की गई और असिस्टेन्ट सुपरिंटेन्डेन्ट अधिकारी वर्ग लन्दन में परीक्षा द्वारा नियत किये जाने लगे। भारत में आकर इस वर्ग को देशी भाषा में ड्रिल कानून का इम्तिहान देना पड़ता है।

पुलिस के दो भाग होते हैं सशस्त्र और साधारण।

सशस्त्र पुलिस का काम खजानों की रक्षा, कैदियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, डाकुओं के झुण्ड का मुकाबला करना, बाहरी सड़कों पर पहरा देना इत्यादि हैं।

साधारण पुलिस का काम फौजदारी सम्मन और वारण्ट तामील करना, जुर्माना उगाना, सड़कों पर आमदरफ्त का प्रबन्ध वारदातों की जांच इत्यादि।

हर पुलिस अधिकारी को ३० साल काम करना पड़ता है उसके बाद पेन्शन मिलती है।

सार्वजनिक जुर्मों की संख्या।

सन्	सरकार के विरुद्ध जुर्म		कतल		डकैती	
	रिपोर्ट	सजायावी	रिपोर्ट	सजा		
१९१५	११६५०	४७७७	४७७२	१४०३	४४०८	८७७
१९१९	११५१८	४५७०	५६४४	१,४५७	५८२४	१,३३४
१९२४	१४७४४	४९१३	५८०३	१५३६	३७४६	७३३
१९२६	१४७५७	५०४८	६२२७	१७५८	३४५०	७४६

पुलिस कर्मचारियों की संख्या
तथा वार्षिक खर्च।

प्रान्त	कर्मचारियों की संख्या	खर्च	प्रान्त	कर्मचारियों की संख्या	खर्च
आसाम	४,३७०	२,०६५,९६९	सी. पी.	१०,५३२	५,६३५,७१३
बङ्गाल	२४,१७०	१३,९१२,२२४	मद्रास	२९,४००	१६,६५१,३६७
बिहार	१४,५२३	७,२३,८६४	N. W. F.	५,४३९	२,७३२,४००
बम्बई	२२,९३०	१२,०६६,२२२	पंजाब	२१,२३४	१०,६६६,४०४
बर्मा	१४,७५०	९,९६८,५६३	यू. पी.	३३,३६१	१४,२४५,०७५
			जोड़	१८२,७०९	९५,६६७,७०३

नोट—भारत में प्रत्येक १२३० मनुष्यों पर १ पुलिस कर्मचारी है।

सर्वे (माप विभाग)

वनस्पति विभाग
(Botanical Survey)

भारत सरकार के बोटेनिकेल सर्वे विभाग में एक डाइरेक्टर और उसके नीचे ३ सहायक डाइरेक्टरों के सञ्चालन में हैं। ब्रह्मदेश में सिनकोना* की खेती भी इसी विभाग के हाथ में है। इस विभाग का कार्य विभिन्न उपयोगी फूल पत्तियों की जाँच और उनका नाम करण है। सन् १९१६ में भारत सरकार ने सिनकोना की खेती बढ़ाने का निश्चय किया और कर्नल ए. टी. गेज, भूतपूर्व डाइरेक्टर बोटेनिकल सर्वे आफ इण्डिया को जांच के लिये नियत किया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार सन् १९२० से कार्य आरम्भ हुआ। इस कार्य क्रम के अनुसार ५०० एकड़ सालाना काम में लाये जाने का प्रबन्ध हुआ जिससे सन् १९२८ से ९०,००० पौंड सिनकोना पैदा होने लगेगा लेकिन सन् १९२१–२२ में बहुत वारिश होने से खेती बह गई। इस कारण रिट्रेंचमेंट कमेटी के प्रस्तावानुसार खेती का क्षेत्रफल केवल २५० एकड़ कर दिया गया है।

भारत में १६०,००० पौंड सिनकोना की सालाना खपत है और बङ्गाल और मद्रास में खेती बढ़ाई जा रही है जिस से सन् १९३० ई० में आशा है कि कुल पैदावार १२०,००० पौंड हो जावेगी। ८० लाख मनुष्य एक साल में बुखार के लिये कुनेन अस्पतालों से पाते हैं। मलेरिया से बीमार १०,०,०००,००० (दस करोड़) मनुष्य अस्पतालों में नहीं जाते हैं। इस कारण भारत में १५,००,००० पौंड सिनकोना की और आवश्यकता है। सन् १९०३ में इटेलियन सरकार ने कुनेन के दाम कम कर दिये जिस से मलेरिया से मौतें १५००० से ३००० सालाना हो गईं।

डाइरेक्टर—सी० सी० केलडर बी० एस० सी० एफ० जी० एस० क्यूरेटर इंडियन म्युजियम (देशी विभाग) डा० एस. एन. बाल पी. एच. डी सुपरिंटेंडेंट (सिनकोना खेती ब्रह्म देश) पी. टी. रसल।

जिओलोजिकल सर्वे— अर्थात भूगर्भसर्वे

इस विभाग का काम यह है कि भूगर्भ सम्पत्ति के नकशे तैयार करे जिन का उपयोग खदानों के व्यवसाय करने वालों को होता है। अनेक प्रकार के पशुओं के ढांचे भी खोदने के समय पाये जाते हैं जो कलकत्ते के अजायब घर में रख दिये गये हैं। इन अस्थि

*नोट—Cinchona (सिनकोना) से कुनैन (Quinine) तैयार की जाती है।

पिन्जरों से इतिहासिक रीति से काल निर्णय में सुभीता होता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के पत्थर; और अन्य खानिज द्रव्यों का भी संग्रह किया गया है। जो गैर सरकारी लोग भी खनिज द्रव्य जांच के लिये भेजते हैं उनकी जांच बिला फीस वह विभाग कर देता है।

डायरेक्टर—ई. एच. पेस्को, एम. ए., एस सी. डी., डी. एस. सी., एफ. जी. एस. एफ. ए. एस. बी.

सुपरडेन्ट—एल. एल, फर्मर, सी. ई. पिलग्रिम, जी. एच. टिपर, जी. डि. पी. कोटर, जे. सी ब्राउन, एच. सी. जोन्स।

कीमिस्ट—डब्ल्यू० ए० के० क्रिस्टी।

प्राणियों का ज्ञान।

Zoological Survey

जुलाई सन् १९१६ में इण्डियन म्युजियम कलकत्ता के जुओलाजिकल एन्ड एन्थ्रापालोजिकल विभाग को विभाजित कर दिया गया। जुओलाजिकल विभाग को सरकारी प्रबन्ध में लाया जाकर उसे जुओलाजिकल सर्वे में परिवर्तन कर दिया गया और शेष विभाग इंडियन म्युजियम में जैसे का तैसा बना रहा। वैज्ञानिक रीति से नमूनों की जांच करना इस सर्वे का मुख्य

डायरेक्टर अप्रेल सन् १९२४ तक डा० अनन्डेल रहे और उनकी मृत्यु पर डा० बेनी प्रसाद स्थानापन्न अध्यक्ष हुये और जुलाई सन् १९२५ में मेजर आर. बी. सीवेल नियुक्त हुये।

मेमल सर्वे (Mammal Survey) अर्थात स्तन्य प्राणियों का ज्ञान।

यह सर्वे सन् १९१२ में इस उद्देश्य से स्थापित की गई कि भारत वर्ष ब्रह्मदेश व लङ्का के स्तन्य प्राणियों (दुधार पशुओं) की जांच व संग्रह पर्याप्त रूप से की जा सके। इस विभाग के लिये कुछ उपयुक्त संग्रह बम्बई के 'नैचुरल हिस्टरी सुसाईटी' के अजायब घर और अन्य भारतीय अजायब घरों में मौजूद थे। सन् १८७४ में डा० जर्डन ने एक पुस्तक "मेमलस आफ इंडिया" नामक प्रकाशित की थी उसके पश्चात सन् १८८४ में आर. ए. स्टर्नडेल ने अपनी एक पुस्तक "नैचुरेल हिस्टरी आफ इंडियन मेमलस" प्रकाशित की लेकिन उसमें डा० जार्डन की पुस्तक से कुछ अधिक न था। सन् १८८१ में डा० स्लेटर (आनरेरी सेक्रटरी जुओलाजिकल सोसाइटी) ने एक प्रार्थना पत्र भारत मन्त्री को पेश किया। जिस पर अनेक विद्वानों के हस्ताक्षर थे जैसे डार्विन हुकर, हक्सले इत्यादि इस का फल स्वरूप वह पुस्तक हैं जो सन् १८८८-९० तक "फाना आफ ब्रिटिश इण्डिया" के नाम से प्रकाशित हुई और सामग्री के नाते अभी तक यही पुस्तक

सबसे उत्तम है । इसके सम्पादक डा० ब्लैन्फर्ड थे जिन्हें डा० स्लेटर आदि विद्वानों ने अपने आवेदन पत्र में मनोनीत किया था।

इस पुस्तक का ज्ञान भांडार पुराना होने से और अनेक नई वैज्ञानिक खोजों के कारण यह आवश्यक पाया गया कि मेमल सर्वे की आयोजना की जावे। सन् १९११ से १९२० तक करीब एक लाख रुपया चन्दे से एकत्र किया गया और सिंध, गुजरात, काठियावाड़, कनाडी देश, दक्षिणी महाराष्ट्र, कुर्ग, मैसूर, मध्यप्रदेश, बङ्गाल, बिहार, कुमायूं, दार्जिलिङ्ग, सिक्किम, भूटान, ब्रह्म देश आदि प्रदेशों में कार्य की प्राप्ति हुई।

महा युद्ध के प्रारम्भ में १७,००० नमूने विलायत के आजायब खाने को रवाना कर दिये गये। वहां उनका वर्गीकरण किया गया। युद्ध के पश्चात फिर कार्य आरम्भ किया गया है और प्रगति सन्तोष जनक है।

सर्वे आफ इण्डिया।
Survey of India

सर्वे आफ इण्डिया के कार्य के अनेक विभाग हैं (१) ट्रिग्नामेट्रिकल (२) टोपोग्राफिकल (३) फोरेस्ट (४) विशेष सर्वे (५) खेतों की सर्वे (माप) प्रांतीय लैंड रेकार्ड के आधीन है

सन् १९०४ में टोपोग्राफिकल सर्वे के नकशों की स्थिति सन्तोष जनक न पाई जाने के कारण एक कमेटी नियत की गई जिसने २,१०,००० रुपया का जायद खर्च २५ साल तक करने के लिये सिफारिश की लेकिन खर्च में कमी करने के कारण भारत सरकार ने यह निश्चित किया कि साधारणतः १ इंच फी वर्गमील का नकशा उपयुक्त होगा विशेष स्थान और (रिजर्वड) जङ्गल के लिये नकशा २ इंच फी वर्गमील के प्रमाण पर और गैर मुमकिन व पत्ती जमीन का नकशा एक बटे दो इंच फी वर्गमील के प्रमाण पर बनाया जावे।

सर्वेयर जनरल आफ इण्डिया—कर्नल-कमांडेन्ट ई, ए, टेन्डी. आर. ई.

आइ० सी० एस०

भारत के शासन में आइ सी. ऐस. इण्डियन सिविल सर्विस का बड़ा महत्व है। साधारण परगना अफसर से लेकर गवर्नर तक आइ. सी. ऐस. होता है गवर्नर जनरल के इक्जीक्यूटिव कौंसिल के ३ सदस्य आइ. सी ऐस. होते हैं और सेक्रेटरी आफ स्टेट की इण्डिया कौंसिल में भी आइ. सी ऐस. के पेन्शन प्राप्त कर्मचारी रक्खे जाते हैं।

इण्डियन सिविल सर्विस की परीक्षा इङ्गलैंड में हुआ करती है इस कारण भारतीयों को बहुत हानि होती है। सन् १८३३ में जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी का चार्टर बदला गया उस समय यह घोषणा की गई थी कि भारतीयों को ऊंची से ऊंची नौकरी मिलने में कोई रुकावट न होगी किन्तु १९१३ तक आइ. सी. ऐस. में भारतीय ५ प्रतिशत से अधिक न हो सके।

भारतीयों को भारत से इङ्गलैंड में जाकर आइ सी. ऐस. की परीक्षा पास करना कितना कठिन है यह बताने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस ने अपनी स्थापना के बाद ही से इस बात का आन्दोलन करना आरम्भ कर दिया था कि भारत और इङ्गलैंड दोनों जगह परीक्षायें हुआ करें परन्तु यह बात नहीं सुनी गई।

मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में आइ. सी ऐस. में भारतीयों की संख्या की मात्रा ३३ प्रतिशत रक्खी गई और यह नियम बनाया गया कि प्रतिवर्ष १२ भारतीय लिये जावें और ४८ तक हो जावें। "ली कमीशन" ने यह सिफारिश की कि आइ. सी. ऐस. की नौकरियों में से २० प्रतिशत प्रान्तीय कर्मचारियों को तरक्की देने के लिये सुरक्षित कर दिये जावें और ८० प्रतिशत में से ४० प्रतिशत अंग्रेजों को और ४० प्रतिशत भारतीयों को दी जावें। यह बात १९३९ तक जारी रहेगी जब तक भारतीय आइ. सी. ऐस. कर्मचारियों की संख्या अंग्रेज आइ. सी. ऐस. के बराबर हो जायेगी।

आइ. सी. ऐस की तनख्वाह पर ऐसेम्बली को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। पार्लीमेंट ने ऐसा ऐक्ट भी पास कर दिया है। सन् १९१९ के ऐक्ट ने भी उन कर्मचारियों की तनख्वाह, नान-'वोटेबिल' कर दी है जिन्हें सेक्रेटरी आफ स्टेट नियत करें या जो सम्राट की अनुमति से नियत हों या जो चीफ कमिश्नर और जुडिशियल कमिश्नर हों।

भारतीय नौकरियों के ३ विभाग हैं (१) आइ. सी. ऐस. (२) प्रांतीय सर्विस (३) सबार्डिनेट (मातहत) सर्विस आइ सी. ऐस. को प्रान्तीय सरकार भी नहीं हटा सकती। उसका तबादला हो सकता है और अन्य प्रकार की सजायें उसे मिल सकती हैं लेकिन वह सेक्रेटरी आफ स्टेट को अपील कर सकता है।

निम्न लिखित कोष्टक में यह प्रकट होगा कि अखिल भारतीय नौकरियों में भारतीय कितने हैं और अंग्रेजी कर्मचारियों से उनका क्या औसत पड़ता है।

नौकरी	हिन्दुस्तानी नौकरों की संख्या								सन १९२७ में हिन्दुस्तानी और यूरोपियन अफसरों का औसत	
	१९२०	१९२१	१९२२	१९२३	१९२४	१९२५	१९२६	१९२७	भारती	यूरोपियन
इण्डियन सिविल सर्विस	१५७	१७२	२०८	२२६	२५३	२६७	२८६	३११	२५	७५
,, पुलिस ,,	१९	३५	४९	६२	७९	९३	९५	१०५	१५	८५
,, फोरेस्ट ,, (जंगल)	४	२८	४२	५१	७३	८४	८९	९४	२६	७४
,, सर्विस आफ इञ्जीनियर्स	२९१	२८९	२९१	३०१	३०८	३०१	३०१	३०४	४५.६	५४·४
,, मैडीकल सर्विस (वैद्यक)	७९	१२७	१४०	१५५	१५०	१५१	१६१	१६३	२५	७५
,, एजूकेशनल (शिक्षा) पुरुष	३९	४६	१२१	१२९	१२६	१२०	११९	११५	४४	५६
स्त्री	...	१	५	९	९	९	६	७	२६	७४
,, एग्रीकलचरल सर्विस (खेती)	१५	१७	३३	४०	३६	३६	३६	३६	३५·३	६४·७
,, वेटरीनरी ,, (पशु वैद्यक)	१	१	१	२	२	२	२	२	६·७	९३·३

भारत की सम्पति ।

भारत सरकार के आय व्यय का ब्योरा देने के पहिले हम नीचे जगत के अनेक देशों के धन का अनुमान देते हैं जिससे यह स्पष्ट हो जावेगा कि आय व्यय सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति कहां तक भारत के लिये हानिकारक है और यदि भारतीय सरकार राष्ट्रीय होवे तो आय व्यय के ब्योरे में कितना अन्तर पड़ जावेगा।

जापान सरकार के संख्या शास्त्र (Statistics) के विभाग के प्रमुख आफिसर श्रीयुत शिमोजी ने अनेक राष्ट्रों की सम्पत्ति का अनुमान शास्त्रीय रीति से किया और निम्न लिखित राष्ट्रों के अंकड़े उन्हीं की गवेषणा के आधार पर दिये जाते हैं। उनके अंकड़े जापानी सिक्का येन के स्वरूप में हैं। १०० येन का मूल्य रुपयों में १२५ होता है।

येन = सवा रुपया

देश	सम्पति	वार्षिक आय प्रति मनुष्य
इङ्गलैण्ड	४३८३१ लाख येन	९७७ येन
अमरीका	१४२५१८ ” ”	१२७२ ”
जर्मनी	२४९२७ ” ”	३९८ ”
फ्रांस	२१९०७ ” ”	५४९ ”
जापान	१२८८५ ” ”	२१८ ”
इटली	१०३५२ ” ”	२६० ”
आस्ट्रेलिया	४५२४ ” ”	७७१ ”
भारत (हमारे अंकड़े)	७६५१२० ” ”	३४ ”

इसमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भारत की जन संख्या ३·१८ करोड़ है। सम्पत्ति प्रति मनुष्य अनेक देशों में इस प्रकार है।

देश	सम्पत्ति प्रति मनुष्य
भारत	३०० रुपया
अमरीका (यू. एस.)	५८९६ ”
फ्रान्स	३७५० ”
इङ्गलैण्ड स्काटलैण्ड	५७०० ”
जर्मन	३१०० ”
रूस	१२८८ ”
जापान	७५० ”

भारतवासी की आमदनी प्रति मनुष्य बहुत कम है। एक महीने में २॥) से अधिक नहीं पड़ती क्योंकि अनेक बार जांच हुई परन्तु आमदनी बहुत कम है यही सिद्ध हुआ।

सन्	अनुमान कर्ता	वार्षिक आमदनी	
१८७१	दादाभाई नौरोजी	रु०	२०
१८८२	बेयरिंग बारवर	,,	२७
१८९१	सर डेविड हारबर	,,	२७
१९००	विलियम डिगवी	,,	१७
१९११	फिंडले शिरास	,,	५०
१९१४	बी. एन शर्मा	,,	८६
१९२१	प्रो० शाहा	,,	४६

———

वार्षिक कर।

उपरोक्त हिसाब से वर्तमान आमदनी प्रति मनुष्य प्रति दिन अधिक से अधिक =)। सवा दो आने होती है। पञ्चमांश आबादी को पेट भर अन्न नहीं मिलता है और ४ करोड़ केवल एक ही समय भोजन करते है।

ऐसे गरीब देश के गरीब निवासी पर वार्षिक कर प्रति मनुष्य इस प्रकार बढ़ता जाता है:—

सं०	रु० आ. पा.
१८७१	१—१३—७
१८९१	२—०—३
१९११	२—११—३
१९१३	२—१४—५
१९२२	३—१—८

सरकारी आय व्यय।

भारत सरकार की (प्रांतीय सरकारों सहित) वार्षिक आय लगभग २ अरब है और केवल भारत सरकार की १,३८ अरब है और खर्च भी उसी कदर है।

भारत सरकार के जमा खर्च रखने की पद्धति में अनेक परिवर्तन हो चुके हैं पहिले पूरे भारतवर्ष के लिये एक अनुमान पत्र बनता था। कुल आमदनी केन्द्रीय सरकार ले लिया करती थी और फिर प्रांतों को बांटा करती थी। इस कारण प्रांतीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार में अनेक मत भेद रहा करते थे। भारत सरकार को जब अधिक रुपये की जरूरत होती तो वह प्रान्तीय सरकार के खर्चों में हस्तक्षेप कर देती थी। कभी २ प्रांतों से एक निश्चित भाग आमदनी दिये जाने का वादा कर दिया जाता है और कभी २ किसी विशेष आमदनी को भारत सरकार प्रांतीय सरकारों से नहीं लेती थी।

भारत सरकार की आय व्यय का क्रम

सन्	आय		व्यय	
१९०८–०९	पौंड	६६८०००००	पौंड	७३,५०००००
१९०९ १०	,,	७४,६००००००	,,	७४००००००
१९१०–११	,,	८०,३००००००	,,	७६९०००००
१९११–१२	,,	८२ ८३५७४०	,,	७८८९५,४१६
१९१२–१३	,,	८६,९८५३००	,,	८३६२३,४८०
१९१३–१४	,,	८४,२६२०००	,,	८३६७५,०००
१९१४–१५	रु०	७६१५३५०००	रु०	७८८३१४०००
१९१५–१६	,,	८०००९६०००	,,	८१७९२६०००
१९१६–१७	,,	९८५३१००००	,,	८७३१३७०००
१९१७–१८	,,	११८७०५८०००	,,	१०६५७५२०००
१९१८–१९	,,	१३०४०६६०००	,,	१३३१३७२०००
१९१९–२०	,,	१३७१३९८०००	,,	१६०७९२७०००
१९२०–२१	,,	१३५६३३२०००	,,	१६१६४१७०००
१९२१–२२	,,	११५२१५००००	,,	१४२८६५२०००
१९२२–२३	,,	१२१४१२९०००	,,	१३६४३०५०००
१९२३–२४	,,	१३३१६३३०००	,,	१३०७७६३०००
१९२४–२५	,,	१३८०३९२०००	,,	१३२३५६६०००

सन् १९१९ के ऐक्ट ने प्रान्तीय और केन्द्रीय विषयों को निश्चित कर दिया है जिससे खर्चों की मदें भी निश्चित हो गई हैं। इसी प्रकार आमदनी के विशिष्ट स्रोत केन्द्रीय सरकार ने अपने लिये सुरक्षित कर लिये हैं जैसे कस्टम्स; इनकमटैक्स, पोस्ट, तार, रेलवे, निमक इत्यादि और अन्य स्रोत प्रांतों को दे दिये हैं जैसे जङ्गल मालगुजारी, स्टाम्प्स आबकारी इत्यादि।

प्रांतीय सरकारों को निम्न लिखित कार्यों के लिये कर्ज लेने के लिये भारत सरकार की अनुमति से अधिकार है:—

(१) लागत जो (क) आबपाशी (ख) बिजली (ग) घर बनाने की आयोजना (घ) नालियां इत्यादि (ङ) जङ्गलों का हलाते (च) और कोई काम जो इसी प्रकार का हो।

(२) दुर्भिक्ष के समय कोई कार्य करना।

(३) प्रांतीय कर्ज का इन्तजाम।

(४) गवरनर-जनरल-इन-कौंसिल के दिये हुये रुपये की वापसी अथवा कर्जों को एकत्र करना और अन्य प्रबन्ध।

प्रांतीय सरकारें निम्नलिखित कर बिना गवरनर जनरल की अनुमति के लगा सकती हैं:—

शिड्यूल १

१—जमीन कर (खेती को छोड़ कर)

२—विरासत पर टैक्स

३—विज्ञापनों पर टैक्स

४—शौकीनी चीजों पर टैक्स

५—तमाशों पर टैक्स

६—जिट्टी फीस

७—स्टाम्प (जो अखिल भारतीय न हों)

शिड्यूल २

१—टौल

२—जमीन (खेती छोड़ कर) की कीमत पर

३—मकानात पर टैक्स

४—गाड़ियों और नावों पर टैक्स

५—जानवरों पर टैक्स

६—नौकरों पर टैक्स

७—चुंगी

८—टर्मिनल टैक्स

९—मेलों पर टैक्स

१०—निजू बाजारों पर टैक्स

११—पानी रोशनी, सफाई और:

इन टैक्सों के अलावा भी टैक्स प्रांतीय सरकारों द्वारा लगाये जा सकते हैं किन्तु भारत सरकार की अनुमति लेना चाहिये।

सन् १९१९ के ऐक्ट के बाद अब कोई रुपये की बांट भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों में नहीं होती। जो कुछ प्रांतीय सरकारें किसी मद से वसूल करती हैं वे सब अपने लिये रख लेती है।ॐ

ॐ नोट—सन् १९२७ से यह रकम जो प्रांतों द्वारा भारत सरकार को देना पड़ती थी नहीं दी जाती है बन्द करदी गई।

सन् १९१८–१९ में भारत सरकार के बजट में ६ करोड़ का घाटा हुआ। सन् १९१९–२० में घटी २४ करोड़ की दिखाई पड़ी मुख्य कारण अफगानिस्तान से युद्ध का खर्च था। १९२०–२१ में यह घटी २६ करोड़ हो गई और सन् १९२१–२२ के बजट में ३४ करोड़ की घटी मालूम हुई। इस प्रकार सरकारी जमा खर्च के ५ साल में ९० करोड़ की घटी प्रगट हुई। भारत सरकार की नीति खर्च को कम करने की कभी नहीं रही। इतनी घटी होने पर भी सरकारी फौजों पर खर्च कम नहीं किया गया और न सरकारी शासन विभाग का खर्च भी कम किया गया।

सन् १९२२–२३ में सरकार ने इस घटी को दूरा करने के लिये नये टैक्स बनाने की आयोजना की जिससे उसे आशा थी कि २९ करोड़ की आमदनी होगी। लेकिन इस २९ करोड़ के मिलने पर २$\frac{३}{४}$ करोड़ की घटी फिर भी रहती थी। देश में बड़ा असन्तोष हुआ और लेजिसलेटिव ऐसेम्बली ने खर्च में कमी करने के लिये एक कमेटी नियत की जिस के अध्यक्ष लार्ड इन्चकेप थे और इन्हींके नाम से यह कमेटी मशहूर है।

भारत सरकार को हिसाब में घटी पड़ने के कारण प्रांतों से उसे रुपया लेना आवश्यक पड़ा। लार्ड मेस्टन इस बात के लिये नियत किये गये कि भिन्न २ प्रान्तीय सरकारों को कितना २ रुपया देना चाहिये यह तै कर दें। उन्होंने ऐसी रकमें प्रत्येक प्रांत के लिये निश्चित करदीं। उसे 'मेस्टन एवार्ड" कहते हैं। सन् १९२२–२३ से प्रांतीय सरकारें कुल मिलाकर ९ करोड़ ८३ लाख देते हैं। निम्नलिखित औसत प्रतिशत प्रान्तों को भिन्न २ वर्षों में देना पड़ा।

प्रान्त	१९२२-२३	१९२३-२४	१९२४-२५	१९२५-२६	१९२६-२७	१९२७-२८
मद्रास	३२.५०	२९.५०	२६.५०	२३.००	२०.००	१७.००
बम्बई	७.००	८.५०	९.५०	१०.५०	१२.००	१३.००
बंगाल	८.५०	१०.५०	१२.५०	१५.००	१७.००	१९.००
यू. पी.	२३.५०	२२.५०	२१.००	२०.००	१९.००	१८.००
पंजाब	१६.५०	१५.००	१३.५०	१२.००	१०.५०	९.००
बरमा	६.५०	६.००	६.५०	६.५०	६.५०	६.५०
बिहार उडीसा	१.५०	३.००	५.००	७.००	८.५०	१०.००
मध्यप्रदेश बरार	२.५०	३.००	३.५०	४.००	४.५०	५.००
आसाम	१.५०	२.००	२.००	२.००	२.००	२.५०

आय व्यय का ब्योरा।

अनुमान १९२७–२८

	करोड़		करोड़
आय	१२८.९६	व्यय	१२५.२६

बचत ३.७० करोड़

पुनः अनुमान १९२७–२८

आय	१२७.७४	व्यय	१२७.७४

अनुमान १९२८–२९

आय	१३२.२३	व्यय	१२९.६०

बचत २.६३ करोड़

अनुमान १९२९–३०

आय	१३४.०६	व्यय	१३४.०६

अनुमान १९३०–३१

सर जार्ज शस्टर ने बजट पेश करते हुये बताया कि बजट में टैक्सों की कमी नहीं हो सकती वरन् कुछ नये लगाये जावेंगे। इन्होंने यह बताया कि ऐसी उम्मीद थी कि पिछले साल ३० लाख की बचत होगी किन्तु १ करोड़ ६ लाख रुपया अधिक खर्च हुआ जिसमें से ७४ लाख रेविन्यू रिजर्व फण्ड से दिया गया और ३२ लाख की घटी पड़ी। जर्मन लिकुइडेशन ऐकौंट से १-६ लाख रुपया इस साल मिलेगा।

नये टैक्स।

केरोसी तेल पर एक आना से एक आना ६ पाई किया जावे।

आयकर केरोसीन पर ढाई आने से ६ आना ३ पाई कर दिया गया।

शकर पर डेढ़ रुपया फी हण्डरवेट पहिले से अधिक कर दिया गया।

इनकम टैक्स और सुपर टैक्स में १५००० और इससे ऊपर की आमदनी पर फी रुपया एक पाई बढ़ाई गई।

चांदी पर आयकर ४ पैंस फी औंस फिर से कर दिया गया।

रुई इम्पोर्ट कर ११ फी सैकड़े से १५ कर दी गई।

इस प्रकार केरोसीन तेल से ३५ लाख, शकर से १८० लाख, इनकम टैक्स और सुपर टैक्स से ७० लाख, चांदी की ड्यूटी से १०० लाख, और रुई के टैक्स से १२५ लाख की नई आमदनी हो जावेगी।

आय व्यय का साधारण ब्योरा।

	हिसाब १९२६-२७	पुनः अनुमान १९२७-२८	बजट अनुमान १९२८-२९
आय	रु०	रु०	रु०
मुख्य आय की मदें—	—	—	—
आयात निर्यात कर	४७३८१०७२१	४८६३५००००	५०१८३७०००
आय पर कर	१५६४९६३३८	१५६४६२०००	१६९९५८०००
नमक	६६९८१०५३	६७५४२०००	७०००८०००
अफीम	४३३१३७४८	३८०२२०००	३४७७७०००
अन्य मदें	२१७५०१४८	२२७६४०००	२२०१००००
मुख्य मदों का योग	७६२३५२००८	७७११४००००	७९८५९००००
रेल	३४०७०८३८७	३८९५२००००	३८५००००००
आबपाशी	१०२५५७६	१०४७०००	१२३६०००
डाक और तार	७०६४५७७	५१७६०००	५७३७०००
ब्याज	४०८५९२८५	३३०५००००	२९१९७०००
सिविल शासन	८६०५०७९	९५३४०००	१०१३२०००
मुद्रा तथा टकसाल	४१५५१२२७	२७२९७०००	२४८८१०००
सिविल कार्य	१५७८७९१	१५६३०००	१४४१०००
मिश्रित	६००१०९६	४६४९०००	८१८२०००
सैनिक आय	४९४६८०६४	१४८८४०००	२९४१२०००
केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार में परस्पर लेनी	५१७७५४५१	१०५९०००	...
अन्य मदें	६०१०२५८	१८४७९०००	२६६७०००
आय का योग	१३१६९९९७९९	१२७७३९८०००	१२९६४७५०००

आय व्यय का साधारण ब्योरा।

	हिसाब १९२६–२७	पुनः अनुमान १९२७–२८	बजट अनुमान १९२८–२९
व्यय	रू०	रू०	रू०
मालगुजारी पर खर्च	४१९९५१६०	४१९९५०००	४२४८४०००
नमक तथा अन्य मालगुजारी पर खर्च	७१८३८५	१६८७०००	६४१०००
रेल	२८०५९५१८७	३२५९६२०००	३३०२०००००
आबपाशी	१५५०४३६	९२०००	२३१००००
डाक और तार	७५८२१९६	८१६[illegible]०००	८१६६०००
कर्ज	१६७४४९६७२	१५५७८३०००	१४९०६१०००
सिविल शासन	१११३४३८४७	११२८१६०००	११६९४५०००
मुद्रा तथा टकसाल	७६३७०५२	९१४९०००	६९६३०००
सिविल कार्य	१८९७४१६०	१६२५५०००	१७३३१०००
मिश्रित	३९६१५६०५	३९१७४०[illegible]०	४१०[illegible]६[illegible]००
सैनिक	६०९१६३[illegible]८९	५६४[illegible]८४०००	५८४[illegible]२०००
केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकार में परस्पर देना	४५२८९६	३४७[illegible]०[illegible]	....
अन्य मद	२९९२१३०८	१८८७०००	४५[illegible]००[illegible]
योग	१३१६९९९७९९	१२७७३८९०००	[illegible]
विविध (Surplus)	......	......	५०००००
योग	१३१६९९९७९९	१२७७८९८०००	१२९६४७५[illegible]००

सरकारी आमदनी।

भारत सरकार की आमदनी की अनेक मदें हैं—(१) भारत सरकार की सम्पत्ति-जमीन, जंगल इत्यादि से मालगुजारी व बिक्री के दाम (२) कुछ देशी राज्यों से खिराज (३) अफ़ीम की आमदनी (४) व्यापारी आमदनी —रेलवे, नहर, तार, डाकखाने, (५) अदालती स्टाम्प तथा अन्य स्टाम्प। (६) अनेक प्रकार के टैक्स।

मुख्य २ आमदनियों का वर्णन नीचे दिया जाता है।

मालगुजारी

सरकारी जमाखर्च में इस समय मालगुजारी प्रांतीय विषय है और कुल आमदनी इस मद से करीब ४२ करोड़ रुपये कुल प्रांतों में है।

सरकार ने जमीदारों से जमीन की आमदनी के लिये बन्दोबस्त कर लिये हैं जो दो प्रकार के हैं:—(१) स्थायी सदैव के लिये अथवा इसतिमारारी (Permanent Settlement) (२) थोड़े अवसर के लिये (अस्थायी अथवा Temporary, स्थायी बन्दोबस्त ५ बटे ८ बंगाल में और १ बटे ८ आसाम में ३ बटे ४ मद्रास में, १ बटे १० संयुक्त प्रांत के कुछ भागों में हैं। इस्ट इंडिया कम्पनी के आरंभिक काल में यह आमदनी अनिश्चित थी इस लिये अनेक प्रकार के दबाव डालकर बंगाल के जमीदारों से लार्ड कार्नवालिस के समय में स्थायी बन्दोबस्त करा लिया गया। बाद को जब शांति स्थापित हुई, उस समय यह प्रतीत हुआ कि यह स्थायी बन्दोबस्त जमीदारों को अधिक लाभ दायक है।

अस्थायी बन्दोबस्त दो प्रकार के हैं (१) जमीदार (२) रयतवारी। पहिले प्रकार में सरकार और किसान के बीच में जो मनुष्य होते हैं अर्थात जमीदार किसानों से लगान लेता है और उसका हिस्सा सरकार को अदा करता है जो मालगुजारी कहलाती है। यह बन्दोबस्त संयुक्त प्रांत पंजाब, और बिहार उड़ीसा में प्रचलित है।

रयतवारी बन्दोबस्त में सरकार किसानों से सीधी तौर पर मालगुजारी तै कर लेती है और स्वयं वसूल करती है यह रीति बम्बई में और गुजरात के कुछ भाग में जारी है। कुछ रयतवारी भागों में सरकार ग्राम के कुछ समूह से बन्दोबस्त करती है और उनका मुखिया कुल मालगुजारी का जिम्मेदार होता है। मालगुजारी चूंकि प्रांतीय सरकारों को मिलती है इस लिये केन्द्रीय सरकार के आय व्यय के ब्योरे में नहीं दिखाई जाती। लगभग ३२ करोड़ रुपये की वार्षिक आमदनी है।

आयकर (Income Tax)

इनकम टैक्स सरकार ने सन् १८६० के गदर में बहुत खर्चा बढ़ जाने के कारण लगाया था और उस समय यह कहा गया था कि यह टैक्स स्थायी नहीं रहेगा। परंतु सरकारी नीति यही रही है कि यदि एक बार कोई टैक्स लगा दिया और उस से आमदनी हो गई तो उसे आगे रद्द नहीं किया। यही बात इस टैक्स में भी हुई।

यह टैक्स खेती की आमदनी पर अर्थात जमीदारों और किसानों से नहीं लिया जाता।

आयकर इस प्रकार कमाया जाताहैः-

(१) २००० रु० के नीचे आमदनी पर टैक्स नहीं लगता है—
(२) २००० रु० से ऊपर और ५०००रु० से कम तक ५ पाई फी रुपया
(३) ५०००रु० से ऊपर और १००००रु० से कम तक ६ पाई फी रुपया
(४) १००००रु० से ऊपर और २००००रु० से कम तक ९ पाई फी रुपया
(५) २०००० रु० से ऊपर और ३००००रु० से कम तक १ आना फी रुपया
(६) ३००००रु० सेऊपर और ४००००रु० से कम तक १ आ० ३ पा० फी रु०
(७) ४०००० रु० से ऊपर और ५००००रु० तक १ आना ६ पाई

सुपर टैक्स।

५००००रुपये के ऊपर की आमदनी पर टैक्स फी रुपया निम्नलिखित प्रकार लगता है।

(१) अगर कम्पनी हो तो १ आना फी रुपया
(२) अन्य लोगों से १ आना से ६ आना तक सिलसिले बार टैक्स लगता है।

स० १९२८—२९ में इनकम टैक्स से आय रू० १६,९९,५८,०००

आबकारी

यह आमदनी नशेली चीजों से है जैसे शराब गांजा, भांग अफीम इत्यादि इस मद का टैक्स वस्तु के बनाने व बेचने दोनों पर लगता है। टैक्स लगाने की नीति यह बनाई जाती है कि आबकारी से अधिक अधिक से आमदनी हो जावे और यह कम से कम खर्च हो अब यह मद प्रांतीय सरकारों को दे दी गई है। वार्षिक आय १९२८—२९ में रु० ३,५७,७७,००० थी।

नमक।

ब्रिटिश राज्य के पहिले नमक पर कोई टैक्स (कर) नहीं था केवल उसके आयात निर्यात पर कहीं २ पर मार्ग कर था। ईस्ट इन्डिया कम्पनी के शासन के आरंभिक काल में मध्य भारत में नमक के आयात पर रोक करने के लिये सैकड़ों मील लम्बी दीवार सी बनाई गई थी जिस के कारण उत्तरी भारत में नमक सुगमता से नहीं प्राप्त होता था और कम्पनी के कर्मचारी भी प्रबंध करने में बड़ी गड़बड़ी करते थे।

सन् १८८८ से १९०३ तक फी मन २ रु० ८ आ० का टैक्स रहा । १९०३ में टैक्स घटा कर २ रु० कर दिया गया, सन् १९०७ में जनता के आन्दोलन पर १ रु० फी मन कर दिया गया किंतु फिर १९१६ में १ रु० ४ आ० कर दिया गया। भारतीयों की यह बडी भारी शिकायत है कि सरकार एसी परम उपयोगी वस्तु पर टैक्स लगाती है जिस से गरीब लोगों को व किसानों के गाय बैलों को नमक तक नहीं मिल सकता है -

स० १९२३ में फिर टैक्स बढ़ा दिया गया और टैक्स २ रु० ८ आना कर दिया गया। लेजिसलेटिव एसेम्बली में इस टैक्स के विरुद्ध राय दी गई परन्तु लार्ड रीडिंग गवरनर जनरल ने अपने निरंकुश अधिकारों का उपयोग कर के टैक्स को दूना कर दिया।

स० १९२४ में फिर टैक्स घटा कर १ रु० ४ आ. कर दिया गया।

नमक से सरकार को सालाना आमदनी रु० ६,९०,००,००० है।

नमक ४ स्थानों से प्राप्त होता है। (१) पंजाब में नमक के पहाड़ हैं और कोहाट में खदानें (कानें) हैं (२) राजपूताना में सांभर झील हैं जिससे नमक बनता है (३) कच्छ के राण में समुद्री पानी से नमक बनता है (४) बम्बई मद्रास और सिंध नदी के मुहाने पर नमक की फैक्टरियां हैं।

नमक की आमदनी केन्द्रीय विषय है और इसका जमा खर्च भारत सरकार के हिसाब में होता हैं।

नमक की आमदनी।

१९२०–२१	रु०	६,१८,७९,८४ हिसाब
१९२१–२२	”	६,४१,६२,००० पुनः अनुमान
१९२२–२३	”	६,८६,०३,००० अनुमान
१९२३–२४	”	१०,०१,५०,८७० हिसाब
१९२४–२५	”	७,३९,०४,८६० हिसाब
१९२५–२६	”	६,४०,००,००० पुनः अनुमान
१९२६–२७	”	६,९०,००००० अनुमान

स० १९२८–२९ में से आमदनी रु० ७,६०,०८,००० हुई।

कस्टम (आयात निर्यात कर)

भारत सरकार की नीति कस्टम लगाने में भारत वर्ष के लाभ को सामने रख कर नहीं चलाई गई। वरन् इङ्गलैण्ड और विशेषता लेंकाशियर (इंग्लैण्ड) के लाभ को ध्यान में रखकर ही चलाई गई। इसके कारण विदेशों से आने वाली वस्तुओं पर आयात कर घटता बढ़ता रहता है कभी २ सरकारी जमा खर्च में घटा बढ़ी के कारण भी यह टैक्स घटाया बढ़ाया गया हैं।

सन् १८५७ के पहिले आयात कर साधारणतया ५ प्रतिशत था । इसके बाद १० प्रतिशत कर दिया गया और कुछ वस्तुओं पर २० प्रतिशत भी किया गया। सन् १८७५ में घटाकर ५ प्रतिशत हो गया। किंतु लंकाशायर के 'फ्री ट्रेड' मतवादियों ने जो धनिक व्यापारी थे अपने लाभ को ही ध्यान में रख कर ऐसा आन्दोलन आरंभ किया कि आयात कर के रहने से भारतीय मिलों को अर्थात कपड़े के कारखानों को अनुचित लाभ मिलता है ऐसा नहीं होना चाहिये। इस कारण से भारत सरकार ने सन् १८८२ में कुल आयात कर (कस्टम) तोड़ दिये ।

इस काल में चाँदी के रुपये का मूल्य सोने के सिक्कों में घटने लगा और जहां एक रुपया की कीमत २ शिलिंग थी वहां घटते २ सन् १८९३ में १ शिलिंग के बराबर हो गई। इस तरह विलायती बाजार में १ पौंड के लिये करीब २० रुपये के देना पड़ने लगा। भारत सरकार की आमदनी घटने से यह परिणाम हुआ कि सन् १८९४ में ५ प्रतिशत कस्टम फिर लगा दिया गया केवल सूत और रुई के कपड़ों की आयात पर नहीं लगाया गया जिसका प्रत्यक्ष उद्देश्य तथा अर्थ लंकाशायर की सहायता करना था ।। भारत सरकार का खर्च बढ़ता गया और आमदनी की आवश्यकता भी बढ़ती गई इस कारण ३.५रु० (साढ़ेतीन) प्रतिशत का आयातकर विदेशी कपड़ों पर लगाया गया और ३.५ रु० [साढ़ेतीन] प्रतिशत 'इकसाइज़ ड्यूटी' देशी मिलों के बने हुये कपड़ों पर भी केवल लंकाशायर को प्रसन्न रखने के लिये लगा दी गयी । इस टैक्स से भारत में घोर असन्तोष फैला और देशी मिलों को भी बड़ी हानि हुई ।

सन् १९१० ११ में इस बात की आशंका हुई कि चीन को जो अफीम भारत से जाती है उसका निर्यात बंद हो जावेगा, इस कारण चांदी पर आयात कर ५ प्रतिशत से बढ़ाकर ४ पेंस [लगभग ४ आना] फी औंस वजन पर कर दिया गया। और साथ २ तम्बाकू पेट्रोलियम शराब पर भी कर बढ़ा दिया गया ।

स० १९१६–१७ में महायुद्ध के कारण आयात कर की फेहरिस्त एकदम बदल दी गई। साधारण आयातकर जो ५ प्रतिशत १८९४ से था साढ़ेसात कर दिया गया । शक्कर के ऊपर आयात कर १० प्रतिशत कर दिया गया। बहुत सी चीजें जिन पर कोई टैक्स नहीं था अब इस फेहरिस्त में रख दी गई । किन्तु रुई के कपड़ों पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। विदेशोंसे आये हुये सूत पर बीस साल से कोई आयात कर नहीं है इतना सब होने पर भी भारत सरकार के जमा खर्च में कोई फरक नहीं पड़ता। प्रतिवर्ष खर्च बढ़ता ही जाता है और आमदनी पूरी नहीं पड़ती। मुख्य कारण इसका यह है कि ३० प्रतिशत आमदनी सैनिक विभाग में लगा दी जाती हैं। भारत

"इम्पीरियल कस्टम सर्विस" में असिस्टेन्ट कलेक्टर दो प्रकार से भरती किये जाते हैं:—(१) आई. सी. एस. में से ३ जगहें और (२) सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा १९ जगहें भरी जाती है। कुछ अफसर ऐसे होते हैं जो प्रांतीय कस्टम विभाग में होते हैं और जिनकी नियुक्ति भारत सरकार की "सवार्डिनेट सर्विस" में से होती हैं।

कस्टम से आमदनी।

१९२०–२१	रु०	२२,३७,२८,००० हिसाब
१९२१–२२	"	२०,६०,१४,००० पुनः अनुमान
१९२२–२३	"	४५,४१,८४,००० अनुमान
१९२३–२४	"	३९,६९.६४,२९६ हिसाब
१९२४–२५	"	४५ ७५,३१,५१६ हिसाब
१९२५-२६	"	४६,८४,५७००० पुनः अनुमान
१९२६–२७	"	४६,४०,००,००० अनुमान
१९२८–२९	"	५०१८,३७,००० अनुमान

अफीम।

अफीम की खेती केवल लैसन्स प्राप्त किसान कर सकते हैं जिनको सब माल सरकार ही को देना चाहिये। अफीम सरकारी कर्मचारियों द्वारा गाजीपुर में साफ की जाती हैं और गोलों में बनाई जाती हैं विदेशी सरकारों को भी भारत सरकार निश्चित कीमत पर अफीम देती हैं। स्याम, निदरलैंडर्स इण्डिज, और स्ट्रेट्स सेटिलमैंट्स में मुख्यतः अफीम जाती हैं। चीन ने अपने मुल्क में अफीम खाना बिलकुल बन्द कर दिया हैं।

लेन देन का ब्योरा (Ways & Means)

लेन

	१९२७–२८	१९२७–२९
रुपयां कर्ज	१९.५	३२.०
स्टर्लिंग कर्ज	९.१	—
पोस्टल केशसर्टीफिकट—		
—सेविंग बैंक	६,७	६.६
अन्य कर्ज	४.९	५.१
कर्ज को छुड़ाना	५.२	५.६
घटी और जमा	५.८	६.८
दस्तावेजों की आमदनी—		
व पेपर करेंसी रिजर्व	७.१	—
केश बैलेन्स में कमी	११.४	२.२
	६८.८	५८.३

देन

	१९२७–२८ पुनः अनुमान	१९२८–२९ अनुमान
रेलवे पर लागत	३०.००	२८.००
अन्य लागत प्रांतीय	२.३	४.०
–सरकारोंसे लेनदेन	८.००	७.००
कर्ज की अदायगी	२५.४०	१९,१०
फुटकर	३.००	.२०
	६८.७	५८.३०

"इम्पीरियल कस्टम सर्विस" में असिस्टेन्ट कलेक्टर दो प्रकार से भरती किये जाते हैं:—(१) आई. सी. एस. में से ३ जगहें और (२) सेक्रटरी ऑफ स्टेट द्वारा १९ जगहें भरी जाती हैं। कुछ अफसर ऐसे होते हैं जो प्रांतीय कस्टम विभाग में होते हैं और जिनकी नियुक्ति भारत सरकार की "सबार्डिनेट सर्विस" में से होती हैं।

कस्टम से आमदनी ।

१९२०–२१	रु०	३३,३७,२८,०००	हिसाब
१९२१–२२	"	३०,६०,१४,०००	पुनः अनुमान
१९२२–२३	"	४५,४१,८४,०००	अनुमान
१९२३–२४	"	३९,६९.६४,२९६	हिसाब
१९२४–२५	"	४५ ७५,३१,५१६	हिसाब
१९२५–२६	"	४६,८४,५७०००	पुनः अनुमान
१९२६–२७	"	४६,४०,००,०००	अनुमान
१९२८–२९	"	५०१८,३७,०००	अनुमान

अफीम ।

अफीम की खेती केवल लैसन्स प्राप्त किसान कर सकते हैं जिनको सब माल सरकार ही को देना चाहिये। अफीम सरकारी कर्मचारियों द्वारा गाजीपुर में साफ की जाती हैं और गोलों में बनाई जाती हैं विदेशी सरकारों को भी भारत सरकार निश्चित कीमत पर अफीम देती हैं। स्याम, निदरलैंडस इण्डिज, और स्ट्रेट्स सेटिलमेंट्स में मुख्यतः अफीम जाती हैं। चीन ने अपने मुल्क में अफीम खाना बिलकुल बन्द कर दिया है।

लेन देन का व्योरा (Ways & Means)

लेन

	१९२७–२८	१९२७–२९
रुपया कर्ज	१९.५	३२.०
स्टर्लिंग कर्ज	९.१	—
पोस्टल केशसर्टी फेकट—		
—सेविंग बैंक	६,७	६.६
अन्य कर्ज	४.९	५.१
कर्ज को छुड़ाना	५.२	५.६
घटी और जमा	५.८	६.८
दस्तावेजों की आमदनी—		
व पेपर करेंसी रिजर्व	७.१	—
केश बैलेन्स में कमी	११.४	२.२
	६८.८	५८.३

देन

	१९२७–२८ पुनः अनुमान	१९२८–२९ अनुमान
रेलवे पर लागत	३० ००	२८.००
अन्य लागत प्रांतीय	२.३	४.०
–सरकारोंसे लेनदेन	८.००	७,००
कर्जा की अदायगी	२५,४०	१९,१०
फुटकर	३.००	.२०
	६८.७	५८.३०

भारत सरकार पर कर्ज (Public Debt)

सन	भारत में	इंगलैंड में
	रु० (करोड)	पौंड लाख
१८२०-२१	२७ २४	५७.६२
१८४०-४१	२९.४७	१७.५६
१८५०-५१	४५.४२	३९.२०
१८६०-६१	६३.४४	२८.४९
१८७०-७१	६६.८८	३७.६२
१८८०-८१	८५.९५	७१./२
१८९०-९१	१०२.७४	१ ४.४०
१९००-०१	११५.३३	१३३.४३
१९१०-११	१३८.०९	१७७.९९
१९१४-१५	१५०.५२	१७६.१९
१९१६-१७	१६७,७७	१७४.१४
१९२३	४७३,५७	३०३.९७
१९२५	५०१.१८	३४१.२०
१९२६	५११.२७	३४२.४८

	३१ मार्च १९२७	३१ मार्च १९२८
	रु० (करोड़)	रु० (करोड़)
लाभ दायक	७७४.७९	८१२.८८
अन्य	२००.८१	१७८.७३
	९७५.६०	९९१ ६१

अर्थात १६.०१ करोड़ कर्ज बढ़ गया

भारत सरकार का खर्च।

प्रबन्ध बिभाग

भारत जितना ही गरीब देश है उतना ही बड़ा खर्च यहाँ की सरकार कर रही है जगत में किसी भी राष्ट्र के नौकरों को इतना बेतन नहीं मिलता। भारतीय शासन के वर्णन में पाठक पदाधिकारियों के वेतन देख सकते हैं। केवल प्रबन्ध विभाग पर करीब १२ करोड़ रुपया प्रति वर्ष नौकरों पर खर्च किया जाता है।

होम चार्जेज

इङ्गलैण्ड में भारत को अनेक महों पर खर्च करना पड़ता है। साढ़े पेंतीस मिलियन पौंड अर्थात् ४६ करोड़ रुपये के लगभग वहाँ खर्च किया जाता है। इसमें से बहुत सा रुपया पेन्शनों, भत्तों इत्यादि पर खर्च होता है। बहुत सा सरकारी सामान खरीदने में खर्च होता है। ऐसा विश्वास्त अनुमान है कि कम से कम २० करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष ऐसा खर्च होता है जिसका भारत को कोई मूल्य नहीं मिलता।

सेना

सेना का वार्षिक खर्च लगभग ६० करोड़ है। इसका भी वर्णन विस्तार पूर्वक अन्यत्र दिया गया है।

सेना पर खर्च

	करोड़ रुपया
१९२१–२२	६९.८१
१९२२–२३	६५–२७
१९२३–२४	५६.२३
१९२४–२५	५५.६३
१९२५–२६	५६.००
१९२६–२७	५५.९७
१९२७–२८	५४.९२
१९२८–२९	५५.१०

रेलवे

रेलवे पर करीब २९ करोड़ के खर्च किया जाता है। सिद्ध हस्तों का यह मत है कि भारत को रेलवे से बड़ी हानि है और यह विभाग भारत को दरिद्रता में सबसे बड़ा कारण है।

रेलवे के समर्थकों का यह कहना था कि रेलवे बन जाने से भारत में दुर्भिक्ष कम हो जावेगा। जिस जगह दुर्भिक्ष होगा और अनाज की कमी होगी वहाँ दूसरे स्थानों से अनाज पहुँच जावेगा। साथ साथ व्यापार में भी उन्नति होगी परन्तु इतने वर्षों के अनुभव से यही सिद्ध होता है कि पहिले दुर्भिक्ष अनेक वर्षों के बाद होते थे अब सदा ही दुर्भिक्ष रहता है।

रेलवे सम्बन्धी ज्ञान आगे विस्तार के साथ स्वतन्त्र अध्याय में दिया जाता है–

भारत में रेलवे ।

सब से पहिले इङ्गलैण्डमें सन् १८२५ में वाष्पशक्ति संचालित यंत्र Locomotive Engine से लोहे के पथ Railway पर गाड़ियां चलाई गईं और सन् १८३० में उनका उपयोग यात्रियों के लिये किया गया ।

भारत में रेल चलाने का विचार सन् १८८० में आरंभ हुआ और सन् १८४४ में कुछ अंग्रेजी व्यापारियों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी से प्रस्ताव किया कि यदि सरकार मूलधन पर तीन प्रति सैकड़ा सूद देवे तो वे भारत में रेलवे चला सकते हैं। कम्पनी ने अपने डायरेक्टरों को लिखा और वहाँ से एक विशेषज्ञ (Expert) यहां आया। इन्होंने कह राय दी कि रेलवे के लिये संगठित होने वाली कम्पनियों को मूलधन पर निश्चित लाभ तथा भूमि मुफ्त दी जाना चाहिये ।

वाइसराय की कौंसिल ने भूमि मुफ्त देना स्वीकार किया किन्तु निश्चित लाभ देना उचित न समझा। लार्ड हार्डिंज की यह राय थी कि सैनिक दृष्टि से भी यहां रेलवे बनना चाहिये और केवल दिल्ली से कलकत्ते तक रेल के लिये ५ लाख रुपया और भूमि मुफ्त देना चाहिये । इस प्रकार २-३ वर्ष तक लिखा पढ़ी होती रही ।

लार्ड डलहौसी ने रेलवे चलाने का बड़ा प्रयत्न किया और ता० १७ अगस्त १८४९ को ईस्ट इंडियन और ग्रेट इंडियन पेनिनशुला नाम की दो रेलवे कम्पनियां संगठित हुईं ।

इन कम्पनियों से निम्न लिखित शर्तें हुईं—

(१) सरकार भूमि मुफ्त दे ।

(२) मूलधन पर कम्पनी को अगर ५ रुपया प्रति सैकड़े से कम मुनाफा मिलेगा तो सरकार उसे पूरा करेगी ।

(३) ५ रुपया सैकड़े से जो ऊपर मुनाफा होगा वह कम्पनियां स्वयं लेंगी उस में सरकार का कोई हक न होगा ।

(४) लाभ का हिसाब ६-६ महीने में होगा ।

(५) कम्पनियों को लन्दन में लाभ का धन एक रुपया का २२ पेन्स के हिसाब से मिलेगा।

(६) ९९ वर्ष के बाद कुल अचल चीजें सरकार की होजायेंगी कोई दाम न देना पड़ेगा ।

(७) चल चीजें जैसे डिब्बे, इंजन इत्यादि के लिये उचित दाम देने पड़ेंगे।

(८) ९९ वर्ष के पहिले भी सरकार रेल ले सकेगी लेकिन कम्पनी के हिस्सों के दाम बजार भाव देना पडेंगे ।

(९) २५ वर्ष से पहिले रेले सरकार न ले सकेगी ।

(१०) कम्पनियाँ अगर चाहें तो किसी वक्त सरकार से अपना मूलधन लेकर सरकार को खरीदने पर मजबूर कर सकेंगी ।

यह शर्तें इतनी लाभ दायक थीं कि तुरन्त अनेक कम्पनियां बन गईं।—

मद्रास रेलवे	१८५२
बी. बी. सी. आइ.	१८५५
सिंध पंजाब दिल्ली	१८५८
ईस्टर्न बङ्गाल	१८५८
ग्रेट सदर्न	१८५८

स० १८६२ में इण्डियन ब्रांच रेलवे कम्पनी खुली। उसे भूमि मुफ्त दी गई, और गारन्टी नहीं दी गई । किंतु २० वर्ष तक १००० रुपया प्रतिवर्ष प्रति मील पर सहायता दी गई। १८६७ में यह कम्पनी गारन्टी कम्पनी हो गई और इसका नाम अवध रुहेलखण्ड रेलवे हो गया।

सन १८६४ में इंडियन ट्राम्वे कम्पनी का संगठन हुआ। इसे १८७० में गारंटी मिली और इसका नाम कर्नाटक रेलवे पड़ा और १८७४ में यह रेलवे सदर्न कम्पनी से मिल गई। इन दोनों का नाम सौथ इंडियन रेलवे पड़ गया।

इस प्रकार आठ कम्पनियां हो गईं जिनके रेल पथ के मूलधन का मूल्य बाजार भाव से देकर सरकार ने निम्न लिखित सनों में खरीद लियाः—

(१) ईस्ट इंडियन रेलवे	१८७९
(२) ईस्टर्न बङ्गाल	१८८४
(३) सिंध पंजाब दिल्ली	१८८६
(४) अवध रुहेलखण्ड	१८८९
(५) साउथ इंडियन	१८९१
(६) ग्रेट इंडियन पैनिन्सुला	१९००
(७) बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया	१९०५
(८) मद्रास रेलवे	१९०८

इसके बाद मद्रास रेलवे के दो भाग कर दिये गये (१) एक का नाम मद्रास एन्ड सदर्न मरहटा रेलवे रख दिया गया। (२) दूसरे भाग को सौथ इंडियन रेलवे में मिला दिया गया।

इन रेलवे कम्पनियों को आरम्भ में लाभ नहीं हुआ। रेलवे बजट में सरकार को १८६९ तक १६६ सही एक बटे तीन करोड़ रुपयों की घटी पड़ी।

इस समय ३ प्रकार के रेलवे मालिक हैं:—

(१) सरकार	२६,१८९ मील
(२) देशी राज्य	४३९७ "
(३) कम्पनियाँ	५७४६ "

सरकारी रेलवे अनेक कम्पनियों को ठेके पर चलाने के लिये दे दी गई हैं जिससे असली लाभ कम्पनियों को हो जाता है और भारत वर्ष जिसने आज तक घाटा लिया है उसे लाभ नहीं हो रहा है। रेलवे कम्पनियां योरोपियन व

एँग्लो-इण्डियन कर्मचारियों को खूब मोटे २ बेतन देती हैं और हिन्दुस्थानी कर्मचारियों को उतना बेतन नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त सामग्री (पुर्जों) का बड़ा भारी भाग इङ्गलैण्ड से खरीदा जाता है जिससे लाभ इङ्गलैण्ड को ही होता है। वास्तव में जो कुछ असली कमाई रेलों की है वह कमाई तीसरे दरजे के मुसाफिरों और माल से है। फर्स्ट और सेकण्ड क्लास के यात्री कुल आराम उठाते हैं।

रेल यात्रा के कुछ आंकड़े

सन् १९२२--२३

यात्री		कमाई (रुपया)
दरजा	संख्या	
अव्वल	९,१८,०००	१,३९,००,०००
दोयम	५१,३४,०००	२,११,००,०००
सोयम	५१,३०,००,०००	३२,२०,००,०००

सन् १९२३-२४

अव्वल	८,१७,०००	१,२९,००,०००
दोयम	४५,३८,०००	१,९५,००,०००
सोयम	५१,३०,००,०००	३२,९१,००,०००

	यात्री	यात्रियों से कमाई रु०
१९२६--२७	६०,४३,७१,८००	३८,११,८९,०००
१९२७-२८	६२,३१,१४,८००	३९,१७,९५,०००
	माल (टनों में)	कमाई
१९२६--२७	८,५८,३३,०००	६५,००,६५,०००
१९२७--२८	८,९७,९१,०००	६९,३९,९९,०००

रेलवे कर्मचारियों की संख्या

१९२६--२७	७,७२,५६३
१९२७--२८	८,००,१०२

रेलवे में लागत

(१९२७-२८)

कुल लागत	रु० ८,२२,८६,२५,०००
सरकारी लागत	रु० ७,२८,८७,८१,०००

आमदनी फी सैकड़ा ५.४० है।

भारत में करीब २६ मुख्य रेलवे हैं जिनका रेल पथ ३९,०४,८८८ मील है। खैबर रेलवे २ नवम्बर १९२५ को खुली है। इस रेलवे का जो भाग जमराल से आरम्भ होता है वह १५०० फुट समुद्र तट से ऊंचा है और लडीकोटल पर ३५०० फुट ऊंचा हो जाता है। इसका रेल पथ ५ फुट ६ इंच चौड़ा है। २७ मील में ३४ बोगदे (टनेल) हैं।

भारत और लङ्का (सीलोन) को मिलाने का भी विचार किया गया है। बर्मा और नैपाल के लिये रेलवे बनाने की भी आयोजना की गई है। बम्बई के पास बी. बी. सी. आई. और जी. आई. पी रेलवे की गाड़ियां बिजली से भी चलने लगी हैं।

सन् १९२४–२५ से रेलवे का बजट अलग कर दिया गया है और उसकी आमदनी व खर्च का ब्योरा भारत सरकार के बजट में नहीं रक्खा जाता। केवल जो आमदनी लाभ के रूप में सरकार को रेलवे की ओर से दी जाती है वही रकम आमदनी की तरफ रख दी जाती है।

सन् १९२४–२५ में रेल का जमा खर्च ।

आमदनी		खर्च	
व्यापारी माल	४२.७१	रेल पथ	१२.२८
कोयला	११.६९	लोको	२१.७३
यात्री	३२.१९	कॅरेज वेगन	७.९९
पार्सल वगैरः	५.३९	ट्रैफिक	९.७७
अन्य	२.९१	अन्य	९.२८
			१.३६
	९४.८९	सूद व किस्त	२६.०१
			८८.४२

सरकार को लाभ ६.४७

रेलवे की स्थिति

३१ मार्च १९२७

रेल पथ की लम्बाई

	मील
सिंगल लाइन	३५५४२.४१
डबल लाइन	३५०६.४७
मार्ग की लम्बाई	३९०४८.८८
कुल रेलपथ की लंबाई	५२८८६.२७

गेज (चौडाई)

५ फुट ६ इंच गेज	१९,३६७.४५
३ फुट ३⅜ इंच गेज	१५,९३१.८१
२ फुट ६ इंच या २ फुट	३,७४९.६३

यात्रियों की संख्या

पहिला दर्जा	१०१२१००
दूसरा दर्जा	१०००६३००
डेवढ़ा दर्जा	१४९४४८००
तीसरा दर्जा	५७८४०८६००
	६०४३७१८००

रेलों की आमदनी। रु०

पहिला दर्जा	११७७८००
दूसरा दर्जा	१८८३०००
ड्योढ़ा दर्जा	३३४४०२००
	३८११८९००

प्रबंध।	मील
सरकारी रेलवे	१३५४८९२
सरकारी रेलवे (कम्पनी-का प्रबंध)	१४३१५३३
सरकारी सहायता प्राप्त-कम्पनियों की रेलवे	१९८३५२
कम्पनियों की रेलवे	६९७०
जिला बोर्डों की रेलवे	२७१२७
देशी राज्यों की रेलवे	३१५३१९

दुर्घटनायें।

कुल दुर्घटनायें	२३४६३
रेलों का लड़ना	५२१
मनुष्य जो मारे गये	२८९३
मनुष्य जो घायल हुये	५७३६

१९२९—३० का रेलवे बजट।

सर जार्ज रेनी कमर्स मेम्बर ने लेजिसलेटिव एसेम्बली में बजट पेश किया। उन्होंने बतलाया कि इस वर्ष के लिये आमदनी का अनुमान १०७.३३ करोड़ रुपया है और खर्च का अनुमान ९५.०० करोड़ है। १.७५ करोड़ रुपया फौजी रेल पथ पर घाटे के तौर पर कट जायगा और सरकार को १०.७५ करोड़ का लाभ होगा।

डाक तथा तार।

डाक और तार में अब बड़ी तरक्की हो गई। तार के साथ टेलीफोन और बेतार के तार से भी खबरें जाने लगी हैं।

सन् १७६६ में लार्ड क्लाइव ने पहिला डाकखाना भारत में कायम किया और १७७४ में वारन हेस्टिंगस गवरनर जनरल ने सर्वसाधारण के उपयोग के लिये सुविधा देदी। वेल्यू पेबिल की पद्धति सन् १८७७ में आरंभ हुई और चिट्ठियों और पार्सल का बीमा १८९८ में आरंभ किया गया। सन् १८९९ में भारतीय पोस्ट आफिस विभाग "अन्तर राष्ट्रीय पोस्टल संघ" से संबद्धित हुआ। चिट्ठियां और पारसल विदेशों में भेजी जाने लगीं। सन् १८७० में सेविंग बैंक कायम हुये सन् १८८४ में पोस्ट आफिस विभाग अलग कर दिया गया और एक डायरेक्टर जनरल नियत हुआ। उस समय ७०० डाकखाने थे।

डाकखानों सम्बन्धी ब्योरा।

१९२५—२६

डाकखाने	२३१०८
कर्मचारी	१०७५२७
चिट्ठियां	५४ करोड़ २० लाख
पोस्टकार्ड	५५ करोड़ ०० लाख
समाचार पत्र	७ करोड़ ७० लाख

तार सम्बन्धी ब्योरा।

तारों की संख्या	१८ करोड़ ७० लाख
तारघर	१०००० लगभग
विना तार के तार घर	२३

भारत के धर्म तथा सम्प्रदाय ।

भारत के धर्म तथा सम्प्रदाय।

इस अध्याय में भारतीय धर्म तथा मतों का वर्णन ऐतिहासिक रूप से दिया जा रहा है। प्रत्येक धर्म तथा मत के मुख्य २ सिद्धांत तथा उनके प्रवर्तकों के नाम भी समयानुसार दिये गये हैं।

वैदिक धर्म।

ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक धर्म ही सबसे अधिक प्राचीन है। वैदिक ग्रन्थों के पठन से प्रतीत होता है कि सामाजिक उन्नति वैदिक काल में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई थी। वैदिक काल में ईश्वर की एकता का पूर्ण ज्ञान था और उसमें भिन्न २ नामों से एक ही ईश्वर की आराधना की गई है यह बात सिद्ध है। कुछ पाश्चात्य लेखकों ने वेदों को 'गड़रियों के गीत' बताया है यह बात केवल उन्हीं की असमर्थता तथा अज्ञान की सूचक है।

वैदिक संस्कृति क्या है यह निम्नलिखित विवेचन से स्पष्ट होगा।

वेद।

वेद जगत का प्रथम ग्रन्थ है और सकल शास्त्रों का मूल तथा ज्ञान का अमूल्य भण्डार है। वेद काण्डरूप हैं और अन्य शास्त्र शाखा प्रशाखा रूप हैं। वेद प्रधानतः दो प्रकार के हैं (१) कण्ठास, जिन श्रुतियों को ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया था (२) कल्प्य, जो श्रुतियाँ स्मृति तथा शिष्टाचार द्वारा अनुमान में आईं। कण्ठास श्रुतियां मन्त्र भेद के अनुसार त्रिविध हैं यथा ऋक, यजु, और साम। इनका दूसरा नाम 'त्रयी' है। यही कण्ठास श्रुतियां अन्य प्रमाण से चतुर्धा विभक्त हैं। ऋक्, यजुः, साम और अथर्व। प्रायः पद्य में प्रकाशित मन्त्रों का नाम ऋक्, गद्य में प्रकाशित मन्त्रों का नाम यजुः, और गाने योग्य मन्त्रों का नाम साम है। अथर्व वेद में उक्त तीनों प्रकार के मन्त्र मिश्रित हैं।

वेद विभाग के लिये दो सम्मतियां हैं। (१) वेदव्यास ने ही वेदों की त्रिधा और चतुर्धा विभक्ति की है। (२) यज्ञ क्रियाओं की सुविधा के लिये अथर्व ऋषि ने वेद विभाग किया था यज्ञ कार्य के उपयोगी सूक्त समूह को प्रथम तीन वेदों में कर अन्यान्य सूक्तों को अलग कर दिया और अथर्व वेद के नाम से इस समूह की संज्ञा हुई।

ज्ञान नित्य वस्तु है इस कारण प्रलय के समय भी ज्ञान रूपी वेद ॐकार रूप से नित्य स्थित रहते हैं। वेद अनादि है और नाश विहीन भी हैं। कृष्णयजुर्वेदी श्वेताश्वतरोपनिषद

में लिखा है कि परमात्मा ने पहिले ब्रह्माजी को उत्पन्न करके उनको वेद प्रदान किया। उस विराट परम पुरुष की श्रवणेन्द्रियें दिशायें हैं और वाक्य वेद रूप है। कर्म वेद से उत्पन्न हैं और वेद अक्षर परमात्मा से उत्पन्न है। ऋषि गण वेद के कर्ता नहीं परन्तु द्रष्टा मात्र हैं। वेद नित्य वस्तु है केवल ऋषियों के समाधि शुद्ध अन्तः करण में प्रकाश को प्राप्त होते हैं।

वेद का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ज्ञान अथवा अपूर्ण जीव की पूर्णता और ब्रह्म भाव प्राप्ति है। जैव प्रकृति की पूर्णता ही मुक्ति है। प्रकृति त्रैगुण्य है (१) स्थूल (२) सूक्ष्म (३) कारण अथवा (१) अधिभूति (२) अधिदैव (३) अध्यात्म (क्रमश) इन तीनों प्रकार की पूर्णता प्राप्ति पर जीव ब्रह्मरूप बन सकता है। जीव के लिये आधिभौतिक शरीर है जिसकी शुद्धि कर्म्म के द्वारा, आधिदैविक मन है जिसकी शुद्धि उपासना के द्वारा और आध्यात्मिक बुद्धि है जिसकी शुद्धि ज्ञान के द्वारा होती है। इसी लिये वेद में ब्राह्मण (कर्म्म कांड) सहित (उपासना कांड) और आरण्यक अथवा उपनिषद् (ज्ञान कांड) विभाग हैं। वेद में ऋषि, छंद, और देवताओं का उल्लेख है उसका अर्थ इस प्रकार है। (१) ऋषि, जिन ऋषियों के चित्त में स्वतंत्ररूप से जो २ मन्त्र आविर्भूत हुये वे उन मन्त्रों के ऋषि कहाते हैं (२) छंद जिन पद्धति अथवा छंद रूप में यह मन्त्र कहे गये हैं वही उन मन्त्रों का छंद है (३) देवता, जिन जिन मंत्रों द्वारा जिन जिन भगवच्छक्तियों की उपासना की जाती हैं वे उपास्य शक्तियां उन मन्त्रों के देवता हैं। मन्त्रों की आदिभौतिक शक्ति का स्वरूप छंद है आधिदैविक शक्ति का स्वरूप देवता है। और आध्यात्मिक शक्ति का स्वरूप ऋषि है।

महाभाष्य के अनुसार यजुर्वेद की १०१ शाखायें, सामवेद की १००० शाखायें ऋगवेद की २१ शाखायें और अथर्व वेद की ९ शाखायें हैं। किंतु मुक्तिकोपनिषद के अनुसार।

ऋगवेद	की	२१	शाखा।
यजुर्वेद	”	१०९	शाखा।
सामवेद	”	१०००	शाखा।
अथर्ववेद	”	५०	शाखा।

स्कन्द पुराण के अनुसार—

ऋगवेद	२४	शाखा।
यजुर्वेद	१०१	शाखा।
सामवेद	१०००	शाखा।
अथर्ववेद	१२	शाखा।

परन्तु आज कल केवल सात आठ शाखायें ही दृष्टि गोचर हैं।

ऋगवेद।

इसकी संहिता में १० मण्डल हैं जिनमें ८५ अनुवाक समूह है। इन अनुवाक समूह में १०२८ सूक्त हैं। सूक्त के भेद इस प्रकार हैं महा सूक्त, मध्यम सूक्त, क्षुद्रसूक्त, ऋषिसूक्त, छन्दसूक्त, और देवतासूक्त,। ऋगवेद की कविता

संख्या १०४०२ और शब्द संख्या १५३८२६ और शब्दांश की संख्या ४३२००० है। शौनिक मुनि के ग्रन्थ के अनुसार ऋगवेद संहिता के आठ भाग हैं—श्रावक, चर्च्चक, श्रवणीयपार क्रमपार, क्रमस्थ, क्रमजटा, क्रमशट, क्रमदण्ड । ऋगवेद की पांच शाखायें जो प्रचलित हैं इस प्रकार हैं—आश्वलायन, साङ्ख्यायन, शाकल, बास्कल, और मांडुक ।

इसमें ६४ अध्याय, १० मंडल, वर्ग संख्या २००६, पदक्रम, वशिष्ट के १५२५१४, दूसरे के ५८, ऋक के १०५८० पद पारायण नाम से अभिहित हैं।

यजुर्वेद

यह दो भाग में विभक्त हैं—शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद का अन्य नाम वाजसनेय संहिता है । कृष्ण यजुर्वेद संहिता का अन्य नाम तैत्तरीय संहिता है शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। इसमें १९०० और इसके ब्राह्मण में ७६०० मंत्र हैं । शुक्ल यजुर्वेद की १७ शाखायें इस प्रकार हैं—जाबाल, औधेय, कण्व, माध्यन्दिनै, शापीय तापायनीय, कापाल, पौंड्रवत्स, आवटिक, पामावटिक, पाराशरीय, वैधेय, वैनेय, औधेय, गालव वैजेय, कात्यायनीय। वाजसनेय, संहिता में ४० अध्याय २९० अनुवाक तथा अनेक कांड हैं। इसमें पुरुमेध अश्वमेध, षोडसी, चातुर्मास्य अग्निहोत्र, वाजपेय अग्निष्टोम, दर्शपौर्णमास यज्ञों का वर्णन मिलता है । इसमें वैदिक युग की सामाजिक रीति नीति का भी वर्णन है। प्रसिद्ध 'शतपथ ब्राह्मण" इसकी माध्यन्दिन शाखा के अन्तर्गत हैं। बृहदारण्यकोपिनषद भी इसके अन्तर्गत है ।

कृष्ण यजुर्वेद की ८६ शाखा हैं परन्तु आज कल यजुर्वेद की १२ शाखायें और १४ उपशाखायें मिलती हैं शाखाओं के नाम इस प्रकार हैं—वरचक, आहरक, कपिष्टलकठ, औपमन्य, आष्टलकठ, चारायणीय, वारायणीय, वातन्तिवेय, श्वेताश्वतर, मैत्रायणीय । कृष्णयजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम तैत्तरीय ब्राह्मण और आरण्यक का नाम तैत्तरीय आरण्यक है तैत्तरीय शाखा की उपशाखा हैं—औक्षय और खाण्डिकेय । इस खाडिकेय उपशाखा में पांच प्रशाखा हैं—आपस्तम्बी बौधायनी, सत्याषाढी, हिरण्यकेशी और ओथेय । ब्राह्मणात्मक कृष्ण यजुर्वेद में १८००० मन्त्र हैं इसके तैत्तरीय संहिता में ७ अष्टक हैं जो प्रत्येक ७-८ अध्याय में विभाजित है । प्रत्येक अध्याय में अनुवाक हैं जो कुल ७०० हैं । प्रजापति सोम आदि देवता इसके ऋषि हैं। इसमें अश्वमेघ, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, राजसूय, अतिरात्र आदि यज्ञों का वर्णन है । ज्ञानकाण्ड में शाखाओं के अनुसार उपनिषद हैं मैत्रायणीय उपनिषद कठोपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद और नारायणीय उपनिषद आदि मिलते हैं।

साम वेद ।

सामवेद की सहस्त्र शाखायें थीं उनमें केवल ८ अर्थात् सुत्रायणीय, वत्तन्तिवेय प्राञ्जल, ऋग्वर्णभेदा प्राचीनयोग्य, शाणायवीय मिलते हैं। सामवेद के छः प्रपाठक हैं इसका दूसरा नाम छन्द अर्चिक है। सामवेदीय उद्गातागण इसी को गाते थे। इसको सप्तसाम भी कहते हैं। सामवेद के उत्तर भाग का नाम उत्तरार्चिकया आरण्यगण है। सामवेद के ब्राह्मण भाग में आर्षेयु देवता ध्याय अदभुत ताण्डय, महा ब्राह्मण हैं। इसमें दो उपनिषद छन्दोग्य और केनोपनिषद प्रधान है।

अथर्व वेद ।

अथर्ववेद की नौ शाखाओं के नाम इस प्रकार पाये जाते हैं—पैप्पल, दन्त प्रदान्त, स्नात, सौहन ब्रह्मदावल, शौनक देवी दर्शती और चरण विद्या है। आज कल शौनक शाखा उपलब्ध है। इसकी मन्त्र संख्या १२३०० है जिनमें शत्रु पीडन अ ९ रक्षा विषहरी कारण आदि कार्यों के लिये अनेक मन्त्र हैं। वर्तमान तन्त्र शास्त्र की उत्पत्ति अथर्ववेद ही से हुई है ऐसा प्रतीत होता है। इस वेद के ब्राह्मण का नाम गोपथ ब्राह्मण है। ज्ञान काण्ड में जाबाल कैवल्य आनन्दवल्ली आरुणीय तेजोबिंद ध्यान-बिन्दु अमृतबिन्दु, ब्रह्मबिन्दु नादबिन्दु प्रश्न मुण्डक अथर्वशिरस गर्भ माण्डुक्य, नीलरुद आदि उपनिषद मिलते हैं।

वेदांग ।

वेदों का अर्थ साधारण कोष तथा विद्याभ्यास द्वारा ज्ञेय नहीं हैं। उनके सत्यार्थ समझने के लिये विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। साधारण व्याकरण तथा कावर कोष द्वारा वेदों के अर्थ लगाने से अर्थ का अनर्थ होता है यह प्रायः देखा जाता है। इस कारण परम पूज्य ऋषियों ने वेदाङ्ग को निर्माण किया है। यह अङ्ग छः हैं। मुण्डकोपनिषद् के अनुसार वेदांग इस प्रकार है:—

शिक्षाकल्पोव्याकरणनिरुक्तछंदोज्योतिषमिति

अर्थात शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द और ज्योतिष।

शिक्षा ।

इस शास्त्र में वेद के पाठ करने की शैली विस्तृति रीति से वर्णित हैं। शब्द के साथ शाब्दिक भाव का और वाचक के साथ वाच्य का सम्बन्ध हैं। अतः अलौकिक शक्ति पूर्ण वेद के पद समूह द्वारा तब ही पूर्ण लाभ हो सकता है जब वे अपनी वैज्ञानिक शक्ति युक्त यथावत ध्वनि के साथ बोले जावें

वेद की साधारण शिक्षा में केवल ह्रस्वादि तीन स्वर भेदों का वर्णन, पाठकी शैली और हस्त चालनादि वहिः क्रिया की शैली का वर्णन किया गया है और सामवेद सम्बन्धीय संगीत शिक्षा में इन स्वर भेदों से और सात स्वरों की उत्पत्ति दिखा कर उन्हीं की सहायता से मूर्च्छना आदि असाधारण सूक्ष्म शक्ति की उत्पत्ति द्वारा शब्द विज्ञान की और विशेष अलौकिकता आविष्कृत की गई है। महामुनि नारद, पाणिनि आदि के ग्रन्थ पाये जाते हैं जो साधारण शिक्षा में अत्यन्त लाभदायक हैं परन्तु साम शिक्षा के ग्रन्थ प्रायः लोप हो गये हैं।

कल्प।

यह शास्त्र मन्त्र सम्बन्धीय क्रिया सिद्धांत का वर्णन करने वाला है। इस वेदाङ्ग में अग्निष्टोम आदि नाना योग उपनयन आदि नाना संस्कार, और ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य आदि आश्रम सम्बन्धीय नाना कर्मों की बहिरंग साधन विधि का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। जितनी शाखाओं में वेद विभक्त हैं उतने ही स्वतन्त्र कल्प शास्त्र हैं। वे शास्त्र सूत्र बद्ध होने के कारण कल्प सूत्र नाम से प्रसिद्ध हैं। आज कल क्रिया कांड में जितने कल्प शास्त्रों का व्यवहार होता है वे प्रधानतः तीन भागों में विभक्त हैं यथा:—श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र, और गृह्यसूत्र, श्रौतसूत्र में यज्ञादि की विधि बतलाई गई है धर्मसूत्र में सामाजिक जीवन यौवन में जितने प्रकार के नियम पालन करने होते हैं उनका वर्णन है। गृह्य सूत्र के अनुसार जात कर्म, विवाह आदि नित्यनैमित्तिक कर्म किये जाते हैं। श्रौतसूत्रों की शाखाओं में से आश्वलायन, बौधायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, हिरण्य केशीन तथा कात्यायन, धर्म सूत्रों की शाखाओं में से वशिष्ठ, गौतम, बौधायन, तथा आपस्तम्ब और गृह्य सूत्रों की शाखाओं में से सांख्यायन, आश्वलायन, पारस्कर तथा गोभिल आदि उल्लेख योग्य हैं।

व्याकरण।

यह शास्त्र शब्दानुशासन का द्वार रूप है। संस्कृत भाषा अपने नामानुसार संस्कृत और अपने सब अंगों में पूर्ण होने से सर्वथा नियम बद्ध है इस कारण संस्कृत भाषा में व्याकरण की सर्वोपरि आवश्यकता है। इस शास्त्र का प्रारम्भ भगवान पातञ्जली ने "अथ-शब्दानुशासन" से किया है।

निरुक्त।

व्याकरण शास्त्र द्वारा प्रथम शब्दार्थ का बोध होता है और तदनन्तर निरुक्त शास्त्रोक्त विज्ञान द्वारा वेद का भावार्थ समझने में सहायता प्राप्त हुआ करती है। निरुक्त शास्त्र का निघन्टु नाम से एक अन्तर्विभाग है।

छंद।

जिस प्रकार शिक्षा शास्त्र स्वर की सहायता से वैदिक कर्मकांड और उपासना कांड में सहायता करता हैं उसी प्रकार यह छंद शास्त्र भी छंदो-विज्ञान की सहायता से अलौकिक शक्तियों

का आविष्कार करके वैदिक शाख के विस्तार करने में और कर्म में सफलता प्राप्त कराने में बहुत ही उपकारी हैं। साधारण उपयोग इस शास्त्र का यह है कि वेदों का अध्ययन, पठन पाठन योग्य रीति से स्वरों सहित होता है और मंत्रों के कंठस्थ करने में तथा अर्थ समझने में सुगमता होती है।

ज्योतिष ।

ज्योतिष शास्त्र के दो विभाग हैं—फलित और गणित । सूर्य, चन्द्र, शनि इत्यादि ग्रहों का चलना नियमित रूप से होता है और गणित द्वारा जाना जा सकता है। गणित ज्योतिष ब्रह्मांड में अनेक ग्रहों के पर्यटन के नियमों को बताता है और फलित ज्योतिष इन ग्रहों का परिणाम मानव सृष्टि पर कैसा पड़ता है इन नियमों को अर्थात् फलों को बताता है। ज्योतिष काल के स्वरूप का प्रतिपादक है । आर्य जाति में अनेकानेक विप्लव और दुर्दैवों के कारण कई शताब्दियों से गणित ज्योतिष की सारणी का संस्कार नहीं हुआ है। इस कारण भारतवर्ष में ज्योतिष शास्त्र की योग्य उन्नति नहीं है। यह आवश्यक है कि यन्त्रालयों के निर्माण द्वारा तथा पाश्चात्य जाति के नवीन दृग्गणित की शैली की सहायता ली जावे।

उपवेद

उप वेद चार भागों में विभक्त हैं यथा—

आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्व्वश्चेति तेत्रयः
स्थापत्य वेदमपत्मुपवेदश्चतुर्विधिः ॥

आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्व वेद और स्थापत्य वेद ही चार उपवेद हैं।

आयुर्वेद ।

शरीर का स्वास्थ्य ठीक रख कर दीर्घायु बनाने के लिये यह वेद निर्माण हुआ है। इसकी उपयोगिता सर्व मान्य है।

धनुर्वेद ।

इसके ग्रन्थों में मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान मन्त्र विज्ञान, लक्ष्यसिद्धि, अस्त्र-शस्त्र विज्ञान युद्ध विज्ञान आदि अनेक विषयों का वर्णन था। इसके ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं।

गान्धर्व वेद ।

संगीत शास्त्र के आर्यग्रन्थ छिन्न विछिन्न दशा में मिलते हैं। अर्वाचीन ग्रंथ असली गांधर्व वेद नहीं हैं।

स्थापत्यवेद ।

इसमें नाना प्रकार के शिल्प कला, काष्ठ-कार्य और पदार्थ विद्या का वर्णन था। इसके भी ग्रन्थ लुप्त प्राय हैं।

दर्शन शास्त्र ।

दर्शन शास्त्र सात श्रेणी में विभक्त हैं। और यह सात विभागों के अनुसार तीन वर्गों में रक्खे गये हैं। (१) न्याय दर्शन और (२) वैशेषिक दर्शन (पदार्थ

(पदार्थवाद सम्बन्धीय) (३) योगदर्शन और (४) सांख्य दर्शन (सांख्य प्रवचन सम्बन्धीय) (५) कर्म मीमांसा (६) देवी मीमांसा और (७) ब्रह्म मीमांसा (वेदों के काण्डत्रय के अनुसार मीमांसा सम्बन्धीय) दर्शन कहाते हैं। इनके अतिरिक्त और किसी दार्शनिक सिद्धांत को आर्यगण स्वीकार नहीं करते।

न्याय दर्शन।

यह महर्षि गौतम प्रणीत है। इसको आन्वीक्षिकी तथा अक्षपाद दर्शक भी कहते हैं। प्रमाण के द्वारा पदार्थों का निरूपण अथवा दूसरे के समझाने के लिये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन इन पांच अवयव का अवतारण का नाम न्याय है। इसके तीन भाग किये जा सकते है तर्क, न्याय और दर्शन। तर्कांश में तर्क निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा आदि विषय हैं। न्यायांश में प्रमाण आदि के विषय में चर्चा की गई है और दर्शनांश में आत्मा अनात्मा की आलोचना है। न्याय दर्शन का प्रतिपाद्य विषय दुःख निवृत्ति है।

वैशेषिक दर्शन।

इस न्याय के प्रवर्तक महर्षि कणाद है। इसमें विशेष नामक एक अतिरिक्त पदार्थ स्वीकृत होने से इसका नाम वैशेषिक दर्शन हुआ। धर्म विशेष से उत्पन्न द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य, विशेष समवाय इन छः पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य ज्ञान जनित तत्व ज्ञान के द्वारा निःश्रेयस लाभ होता है। इस प्रकार से निःश्रेयस लाभ का उपाय बताना ही वैशेषिक धर्म का उद्देश्य है।

योग दर्शन।

इसके प्रवर्तक श्री भगवान पातंजलि हैं। योग दर्शन के चार पाद हैं समाधि-पाद, साधनपाद, विभूतिपाद, और कैवल्यपाद। इस दर्शन का नाम सांख्य प्रवचन भी है। इसका कारण यह है कि भगवान पातंजलि ने महर्षि कपिल के सिद्धान्तों का ग्रहण किया है सांख्योक्त २५ तत्व अर्थात् पुरुष, प्रकृति, महत्तत्व, अहङ्कार, पञ्चतन्मा, एकादश इंद्रिय, और पञ्च महाभूत इस दर्शन में स्वीकृत हैं परन्तु भगवान पातंजलि ने इनके सिवाय एक और तत्व का प्रचार किया वह तत्व ईश्वर हैं।

सांख्य दर्शन।

इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। सांख्य के मत में जगत त्रिगुणात्मक है। इसका २५ वां तत्व पुरुष है जो असङ्ग, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, और मुक्त स्वभाव है। संसार दुःखमय है पुरुषार्थ द्वारा वह दुःख दूर होता है। ज्ञान ही परम पुरुषार्थ है ज्ञान ही के द्वारा मुक्ति का लाभ है यही इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है।

कर्म मीमांसा।

अथवा पूर्व मीमांसा—इस के प्रवर्तक महर्षि जैमिनि हैं। इसमें १२ अध्याय हैं—यज्ञ, अग्नि होत्र, दान,

आदि विषय इसमें वर्णित हैं। कर्म ही वेद का प्रतिपाद्य होने से कर्म के सिवाय वेद को और अन्श वृथा है तथा वेद में जो तत्व ज्ञान दिया हुआ है उसका उद्देश्य देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व प्रमाण करके जीव को अदृष्टि स्वर्ग आदि के साधन रूप याग यज्ञ में प्रवृत्ति कराना है, ऐसा जैमिनी मीमांसा का सिद्धान्त है। महर्षि जैमिनी के मत में यज्ञ ही मोक्ष फल का देने वाला है इस दर्शन में ईश्वर का नाम नहीं है कर्म मीमांसा के दूसरे ग्रन्थ के प्रधान आचार्य महर्षि भरद्वाज हैं।

दैवी मीमांसा।

इस मीमांसा के प्रतिपादन का विषय परमात्मा की आनन्द सत्ता है। एवं आनन्द सत्ता के सत् और चित्त दोनों में ही व्यापक होने से सद्भाव और चिद्भाव दोनों में ही आनन्द प्राप्त होता है। इसके प्रथम पाद का नाम रस पाद और द्वितीय पाद का नाम उत्पत्ति पाद है।

ब्रह्म मीमांसा।

वेदोक्त ज्ञान कांड की प्रतिष्ठा वेदांत दर्शन की लक्ष्नीभूत है। इसके प्रवर्तक महर्षि वेद व्यास हैं। वेद के अन्तिम (ज्ञान) कांड का प्रतिपादन होने से इसे उत्तर मीमांसा (वेदान्त) कहते हैं और ब्रह्म ही इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय होने से इसका नाम ब्रह्म मीमांसा है। मुख्य उद्देश्य जीव को दुःख मय संसार से मुक्त करके आनन्द मय ब्रह्म पद में स्थापित करना है।

स्मृति।

वैदिक तत्वों को स्मरण करके पूज्यपाद महर्षियों ने सकल अधिकारियों के कल्याण के लिये जो ग्रन्थ प्रणयन किये हैं उनको स्मृति शास्त्र कहते है।

प्रधान स्मृतियां।

मनु, अत्रि विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना, अङ्गिरा, यम, आपस्तम्ब सवर्त्त, कात्यायन, बृहस्पति, पराशर, व्यास, शङ्ख, लिखित, दक्ष, गौतम, शतातप और वशिष्ट।

उप स्मृतियां।

गोभिल, जमदग्नि, विश्वामित्र, प्रजापति, बृद्ध, शातातप, पैठीनसि, आश्वालायन, पितामह, बौद्धायन, भारद्वाज, छागलेय, जाबालि, च्यवन मरीच, कश्यप। कहीं २ ऐसा मत भी देखने में आता है कि केवल (१) मनु और (२) याज्ञवल्क्य प्रधान स्मृतियां हैं और बाकी उप स्मृतियां हैं और जिन्हें ऊपर उप स्मृतियों में गिनाया है वे औप स्मृतियां हैं। कोई २ श्री महाभारत को पञ्चम वेद कहते हैं और कोई २ इसके बहुत से अंशों को स्मृति भी कहते हैं एवं कोई २ आचार्य इसी प्रकार सब पुराणों के विशेष अंशों को भी स्मृति कहते हैं।

अन्य सब उपदेशों के अतिरिक्त स्मृतियों में प्रति दिन के कार्य क्रम और सामाजिक रीतियों का वर्णन है।

चार्वाक मत ।

महाभारत के युद्ध के पश्चात भारत वर्ष में अन्धकार सा छा गया। बड़े २ योद्धा, नीतिज्ञ, धर्मपारायण सज्जन विद्वान अर्थात भारतवर्ष की संस्कृति के आधार स्तम्भ मारे गये और भारतवर्ष में अवनति आरम्भ हो गई। वैदिक धर्म का ह्रास होने लगा। वैदिक मन्त्रों के आधार पर पशु यज्ञ होने लगे और जनता में बुद्धि भेद प्रगट हो गया। मत-मतान्तरों के उत्पन्न हो जाना इन्हीं सब कारणों क फल है।

बृहस्पति नामक ब्राह्मण को व्यभिचार करने के कारण उसकी जाति ने वहिष्कृत कर दिया। अतः उसने ब्राह्मणों से बदला लेने के लिये चार्वाक को एक नूतन मत लोकायतिक (अर्थात जो साधारण रीति से माना जा सके ऐसा) मत प्रचार करने के लिये तत्पर किया। चार्वाक के पिता का नाम इन्द्र कांत और माता का नाम श्रवणी था। उसका जन्म युधिष्ठिर शक ६६१ (ई० सन् पूर्व २४३९) वैशाख शुद्ध १५ को हुआ था चार्वाक ने ब्राह्मणों की निन्दा करना आरम्भ किया तथा वेदों में अनेक अनाचार लिखे हैं ऐसा ही बताना आरम्भ किया। सर्व साधारण को उसने यह बताया कि सृष्टि का रचियता कोई नहीं है। पृथ्वी वायु तेज और जल इन्हीं से सृष्टि उत्पन्न हुई। चार्वाक की मृत्यु पर उसके अनुयायिओं में ४ भेद हो गये जो (१) देह (२) मन (३) प्राण (४) इन्द्रियों को ही ईश्वर मानने लगे।

चार्वाक के बाद इस मत का एक बड़ा आचार्य क्षपणक नामक हुआ परंतु यह मत सर्व ग्राह्य नहीं हुआ ईस्वी सन की आठवीं शताब्दी में भी कुछ अनुयायी इस मत के थे अब कोई नहीं है ऐसा मालूम होता है।

जैन धर्म ।

यह धर्म वैदिक धर्म की शाखा हैं। इस धर्म के प्रवर्त्तक ऋषभदेव आदि नाथ, तीर्थङ्कर थे ऐसा जैन मतावलम्बी कहते हैं। जैन मतानुसार जगत का रचयिता कोई ईश्वर नहीं है परन्तु जो मनुष्य मुक्त हुये हैं अर्थात जो अष्टधा दूषण रहित हुए हैं वही ईश्वर होते हैं।

इस धर्म का विशेष प्रचार तीर्थङ्कर महावीर स्वामी ने किया। वे जैनाचार्य कहलाते हैं। अरिहन्त ने जैन धर्म को और भी प्रकाशित किया। यु० स० १५३३ (ई० पू० १५६७) में अरिहन्त निर्वाण को प्राप्त हुये

महावीर स्वामी ने ॐ का मन्त्र कायम रक्खा। इस धर्म ने जीव और निर्जीव आदि को अनन्त माना है।

महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात तीर्थङ्करों की मूर्तियों की पूजा आरम्भ हुई। अन्त में मत भेद होने से २ भेद हो गये हैं (१) दिगाम्बरी (२) श्वेताम्बरी सम्प्रदाय।

श्वेताम्बर अपनी मूर्तियों को वस्त्रालङ्कारों से विभूषित करते हैं दिगम्बर नहीं करते। श्वेताम्बर १२ स्वर्ग व ६४ इन्द्र मानते हैं। दिगम्बर १६ स्वर्ग और १०० इन्द्र मानते हैं। श्वेताम्बर स्त्री को मोक्ष की अधिकारणी मानते हैं दिगम्बर नहीं।

"अहिंसा परमो धर्मः" इसी तत्व को जैन मतावलम्बी पूर्ण रूप से पालन करना चाहते हैं। जैनी पुनर्जन्म मानते हैं, जातिभेद नहीं मानते। इस धर्म के अनुयायी करीब १६ लाख हैं। गिरनार अष्टापद, पावापुरी, चम्पापुरी, पाली–ताना, अम्बू सम्मेद शिखर यह सात इन के मुख्य तीर्थ–स्थान हैं। इस धर्म के लोग विशेष कर व्यापारी हैं। कहा जाता है कि इसी धर्म के २४ तीर्थंकरों के कारण विष्णु के २४ अवतार पौराणिक मताम्बलम्बी मानने लगे।

बौद्ध सम्प्रदाय।

कपिल वस्तु (नेपाल) के राजा शुद्धोधन के पुत्र (ज० ५५७ ई० पूर्व) गौतम ने यह सम्प्रदाय चलाया। इस समय की भी वातावरण पशु हिंसा पूर्ण था। इसी कारण इस धर्म का भी मूल मन्त्र अहिंसा है। गौतम ने योग साधन तथा तप द्वारा बुद्धगति प्राप्त की इस कारण उनका नाम बुद्ध हुआ। उन्होंने युवा अवस्था ही में राज पाट त्याग दिया था और निर्माण मार्ग के चिन्तन में अपने आप को लगा दिया। अपने जीवनक्रम में ही मगध, मिथिला, अयोध्या, व काशी प्रदेशों में अपने सम्प्रदाय का अच्छा प्रचार कर दिया था। बुद्ध देव ने वेदों को नहीं माना और वर्णभेद को भी नहीं माना। इस कारण ब्राह्मणों से बड़ा ही मत भेद हुआ।

बुद्ध देव ने कोई लिखित ग्रन्थ नहीं छोड़ा। उनकी मृत्यु के बाद ४ महासभायें हुईं (१) मगध के राजा अजातशत्रु के समय में (ई० पू० पांचवीं शताब्दी) इस सभा में महात्मा बुद्ध का उपदेश संग्रह हो कर बौद्ध शास्त्र बना। यह शास्त्र तीन प्रकार का था, सूत्रपिटक विनयपिटक, और आदि धर्म पिटक, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। बौद्ध शास्त्र के द्वादस विभाग हैं—अन, सम रोय व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवुत्तक, जातक अवभूत, वेदल्ल, निदान, अवदान' और उपदेश है।

(२) सम्राट कालाशोक (४ थी शताब्दी ई० पू०) (३) अशोक (ई० पू० २४६४७।

(४) कशमीर के राजा कनिक (ई० पू० १४३)

बौद्ध शास्त्र पहिले संस्कृत भाषा में रचे गये उसके बाद तिब्बती भाषा में उनका अनुवाद हुआ।

बौद्ध मतावलम्बी ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते । जड़ पदार्थ ही नित्य है और इसी की शक्ति से ही सृष्टि चल रही है । नेपाल में सम्प्रदाय एक बुद्धि का अस्तित्व अनादि और अनन्त मानते हैं । सिंहली बुद्ध नास्तिक है । नेपाल और चीन देश के बौद्ध ज्ञानी बुद्ध, बोधिसत्तत्व आदि बुद्ध, और अन्य देवताओं को मानते हैं ।

बुद्ध गया मुख्य तीर्थ स्थान है । इस सम्प्रदाय के भिक्षुओं ने ब्राह्मण देश, चीन, जापान, लङ्का आदि देशों में यह सम्प्रदाय चलाया । इस मत पर भी पौराणिक रीतियों का बड़ा प्रभाव पड़ा । इसके चार पन्थ हैं—शून्य वाद योगाचार, सौत्रांतिक, व वैभाषिक । ई० सन् की ८ वीं शताब्दी में भारत से यह पन्थ लुप्त प्रायः हो गया जिसका मुख्य कारण शङ्कराचार्य का दिग्विजय था ।

पुराण काल ।

पुराणों का अर्थ इतिहास है ऐसा वैदिक ग्रन्थों से सिद्ध होता है । किन्तु अर्वाचीन काल में पौराणिक शब्द कुछ विचित्र हो गया है । पुराण का अर्थ अब विशेष ग्रन्थ ही समझा जाता है । बौद्ध काल के अन्तिम काल से पौराणिक काल का आरम्भ आधुनिक विद्वान मानने लगे हैं किन्तु ऐसा मानना भूल है । उपनिषदों में भी पुराणों का उल्लेख है । अस्तु ।

महा पुराण ।

महापुराण १८ हैं—ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कण्डेय अग्नि, भविष्य ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वाराह, स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य; गरुड़ और ब्रह्मांड

उप पुराण ।

उप पुराण भी अष्टादश हैं—सनतकुमारोक्त, आद्य, नरसिंह, कुमारोक्त, वायवीय, नन्दीशभाषित; दुर्वासस, नारदीय, शिव धर्म; नन्दी केश्वर, उशनावकापिल, वारुण साम्ब, कालिका, माहेश्वर, दैव, पाराशर; मारीच, भास्कर ।

इसके अतिरिक्त मुद्गल व कल्कि, बृहद्धर्म भी पुराण हैं ।

कुमारिल भट्टाचार्य का वेदोक्त कर्म काण्ड ।

वैदिक धर्म पर बौद्ध तथा जैन मतों ने बड़ा ही आक्रमण किया और ईसा की शताब्दी के करीब वैदिक कर्म कांड का बिलकुल लोप सा हो रहा था । ऐसे समय में कुमारिल भट्ट ने वेदोक्त कर्मकांड की पुनः जागृति की । कुमारिल भट्ट तैलंगी ब्राह्मण थे और उनका जन्म ७४१ ई० में महानदी तटवर्ती जयमंगल ग्राम में हुआ । ऐसा कहा जाता है कि चम्पा नगरी के राज सभा के बौद्ध पंडितों को परास्त किया और वेदोक्त कर्मकांड का प्रचार किया ।

चूंकि उन्होंने बौद्ध गुरु के पास शिक्षा ग्रहण की थी और फिर बौद्धों को ही हराया इस कारण उन्होंने गुरुद्रोह के लिये देहांत प्रायश्चित के निमित्त चिता में प्रवेस किया। उन्होंने बौद्ध मत खंडन सम्बन्धी ७ ग्रन्थ लिखे। उनके शिष्य विश्वरूप, मुरारीमिश्र प्रभाकर, पार्थ, सारथी, तथा मंडन मिश्र थे।

(१) शैवसम्प्रदाय।

यह सम्प्रदाय कब प्रचलित हुआ यह ठीक नहीं कहा जा सकता। रामायण और महाभारत ग्रन्थों में शिव जी का महातम्य दिया हुआ है। यह सम्प्रदाय अति प्राचीन है। बौद्ध ग्रन्थों में भी महादेव का उल्लेख है। संस्कृत नाटकों में शिवजी की आराधना आरम्भ में पाई जाती है।

(२) केवलाद्वैत

इस मत के प्रवर्त्तक श्री शङ्कराचार्य थे। उनका जन्म ७८९ ई० में केरल देश में हुआ। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सती था।

इस सम्प्रदाय में वैदिक ज्ञानकांड पर जोर दिया गया है। श्रीमान् शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भगवद्‌गीता तथा उपनिषदों के भाष्य तथा अनेक धार्मिक ग्रन्थ लिखे। श्रीमान् आचार्य जी ने बौद्धों तथा मंडन मिश्र सरीखे कर्मकांडी ब्राह्मणों को भी परास्त किया। साधारण मनुष्यों में धर्म के प्रचार के लिये उन्होंने मूर्तिपूजा कायम रक्खी और मठ भी कायम किये (१) द्वारिका में शारदा मठ (२) जगन्नाथपुरी में गोबरधन मठ (३) हरिद्वार में ज्योतिष मठ (५) मैसूर में श्रृंगेरी मठ (६) काशी में सुमेर मठ।

(३) रसेवश्र

इसकी स्थापना ६ठीं ई० शताब्दी में हुई। शरीर को अमर बना कर मोक्ष हो सकता है और पारदा दिरसों के सेवन से ही शरीर अमर हो सकता है ऐसा सम्प्रदाय का मत है। यह सम्प्रदाय शैव है।

(४) पाशुपत मार्ग

यह सम्प्रदाय भी शैव है इसके स्थापक नकुलीश थे जो पांचवीं शताब्दी में हुये। उन्हों ने पाशुपत नामक सूत्रग्रन्थ की स्थापना की है।

(५) प्रत्यभिज्ञा

अभिनव गुप्ताचार द्वारा ईसा की छठीं शताब्दी में यह सम्प्रदाय स्थापित हुआ। सिद्धांत यह है कि जीव शिव से भिन्न नहीं है और दृष्य जगत शिव का आभास है।

(६) दत्तात्रेय पंथ

श्री दत्तात्रेय का अवतार त्रेतायुग में अत्रि ऋषि की पत्नी महासती अनुसूया के उदर से हुआ। उन्हीं के

उपदेशों के आधार पर ईसा की ५ वीं शताब्दी में यह पन्थ किसी योगी ने चलाया। यह पन्थ ज्ञान मार्ग को ही मुख्य मार्ग समझता है।

(७) लिङ्गायत (शैव) सम्प्रदाय।

कल्याण (दक्षिण) देश के राजा बीजल के साले का नाम बसव था जिसे राजा ने अपना मन्त्री बनाया। बसव ने यह अवसर पाकर एक नवीन मत चलाया जिसमें जांत पांत का भेद न रक्खा केवल शिवलिंग को पूजा ही प्रधान मार्ग बताया। इस पन्थ में शिव लिंग के चिन्ह शरीर पर धारण करना प्रचलित है इसलिये इसे लिंगायत कहते हैं। बीजल ने कुछ काल के बाद उसे निकाल दिया और बसव ने कुएँ में गिर कर आत्मघात किया। इस कुएँ वाले नगर को उलवी कहते हैं और वह लिंगायतों का तीर्थ स्थान है। कर्नाटक का दक्षिण भाग कानड़ा जिला निजाम राज्य, कोल्हापुर स्टेट बल्लाभारी जिला में तथा मैसूर स्टेट में लिंगायतों का प्राबल्य हैं। इस देश में २६ लाख लिंगायत रहते हैं। इस सम्प्रदाय की स्थापना १० वीं शताब्दी में हुई।

(८) शक्ति सम्प्रदाय।

यह सम्प्रदाय अति प्राचीन है। तंत्र शास्त्र इसका मूल ग्रन्थ है। इस मत में शक्ति की उपासना भिन्न २ नामों से की जाती है—काली, तारा, जगदम्बा, सिंहवाहिनी, जगद्धात्री इत्यादि। गुरु व शिष्य का इस पन्थ में बड़ा माहात्म्य है। मांस और मदिरा से शक्ति (देवी) की पूजा करना पशु, पक्षी, और मनुष्य तक को बलिदान देना योग्य समझा जाता है।

(९) वामाचारी सम्प्रदाय।

इसे वाममार्ग भी कहते हैं। इसमें "मद्यं, मांसञ्च, मत्स्यंच, मुद्रा, मैथुनमेवच। मकार, पचकचैव, महापातक नाशनम्" धर्म के मूल तत्व है। सब प्रकार के व्यभिचार ग्राह्य हैं ऐसा इस पन्थ के प्रवर्तकों का कहना है। यह पन्थ शक्ति सम्प्रदाय का उग्र स्वरूप है। इस पन्थ का मुख्य तीर्थ स्थान आसाम में कामाक्षी देवी का मन्दिर है जहां भग का पूजन होता है। इस मत में भेद हैं चोलीपन्थी, करारीपन्थी, शीतलापन्थी, मार्गी, मातापन्थी, कूड़ापन्थी इत्यादि।

(१०) वैष्णव सम्प्रदाय।

वैष्णव सम्प्रदाय के मुख्य ५ आचार्य हैं जिनके अवलम्बी इस समय पाये जाते हैं (१) विष्णुस्वामी (२) रामानुजाचार्य (३) मध्वाचार्य (४) निम्बार्क (५) चैतन्य।

(क) विष्णु स्वामी का प्रादुर्भाव सम्भवता ३ री शताब्दी ई० में हुआ उन्होंने विष्णु की उपासना का आदेश दिया और विष्णु की मूर्ति पूजा भी उन्होंने योग्य बतलाई। विष्णु स्वामी ने व्यास सूत्र पर भाष्य और गीता पर

व्याख्या लिखी। वे ब्राह्मणों को ही दीक्षा देते थे इस कारण उनके मत का प्रचार कम हुआ। उनके बाद ज्ञानदेव, नामदेव केशव त्रिलोचन, हीरालाल और श्रीराम प्रभृति सज्जनों ने यह सम्प्रदाय चलाया केशव ने गोस्वामी का पदवी बंश परंपरा के लिये ग्रहण की। ई० सन् ८०९ में श्री शंकराचार्य के किसी शिष्य ने इस पन्थ के गोस्वामी विल्वमङ्गल को परास्त किया और परमात्मा साकार है इस मत का खण्डन किया। उस समय से यह गद्दी उच्छिन्न हो गई फिर अनेक शताब्दियों के बाद यह सम्प्रदाय फिर चला।

(ख) (१) रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत अथवा श्री सम्प्रदाय।

रामानुजाचार्य ने शैव सम्प्रदाय तथा केवलाद्वैत मत को बढ़ता देख वैष्णव सम्प्रदाय को जाग्रत करने के लिये वेद और उपनिषदों के सहारे विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय स्थापित किया। उन्होंने न्याय दर्शन के द्वारा जीव और ब्रह्म में भेद बताकर अद्वैत वाद का खण्डन किया। ब्रह्म अद्वितीय है, परन्तु केवल नहीं, विशिष्ट है। परमात्मा एक है परन्तु जीव भिन्न हैं। भक्ति को प्रधान बताया और विष्णु के दो अवतार राम, कृष्ण की पूजा का उपदेश किया। जगन्नाथ, काशी, जैपुर में मठ स्थापित किये गये।

अद्वैत मत के अनुसार ब्रह्म ज्ञान रूप है और जगत मायामय तथा मिथ्या है। रामानुजाचार्य ने यह प्रतिपादन किया कि ज्ञान मयता में अज्ञान नहीं रह सकता। परमात्मा पुरुष है और जीव भी पुरुष है परन्तु जीव सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकता परमात्मा ही कर सकता है। इसी अर्थ में वह विशिष्टाद्वैत है। जीव मुक्त होकर लय होता है।

(२) *रामानन्दी सम्प्रदाय*—यह सम्प्रदाय उत्तरी भारत में प्रचलित है। इसके अनुयायी राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की उपासना तथा पूजा करते हैं। रामानन्द शिष्य रामानुजाचार्य के थे ऐसा कहते है किन्तु कोई प्रमाण नहीं है। भक्तमाल की शिष्य परम्परा इस प्रकार है—रामानुज के देवाचार्य, राघवानन्द, और उनके रामानन्द शिष्य हुये इस प्रकार रामानन्द और रामानुज के समय में बड़ा अन्तर पड़ता है। रामानन्द का मठ काशी में है और एक वेदी पर उनके पद चिन्ह भी बताये जाते हैं। इस सम्प्रदाय में गृहस्थ और त्यागी दोनों होते हैं।

(ग) मध्वाचारी सम्प्रदाय।

इस सम्प्रदाय का असली नाम ब्रह्म सम्प्रदाय है। इसे पूर्ण प्रज्ञ सम्प्रदाय भी कहते हैं। मध्वाचार्य का जन्म ई० सन् १२३९ में हुआ था। उन्होंने अनन्तेश्वर मठ में वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया था और शङ्कर मतानुसार सन्यास ग्रहण किया था उस समय उन्होंने अपना नाम आनन्द तीर्थ रक्खा था। उन्होंने गीता पर एक भाष्य लिखा

है। शंकराचार्य का अद्वैतमत उन्हें पसंद न आया और श्री रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत (त्रिधातत्व युक्त) मत भी पसन्द न पड़ा। इस कारण उन्हों ने द्विधा युक्त द्वैतमत का प्रतिपादन किया। उन्होंने विष्णु को ही जगत का नियन्ता बताया। और जिस प्रकार यह सृष्टि पैदा करता है उसी प्रकार जीव को दण्ड भी देता है। परमात्मा और जीव दोनों अनादि हैं। माध्वाचार्य जीवात्मा को परमात्मा में लय हो जाना स्वीकार नहीं करते। कैवल्य के समय भी जीवात्मा अलग रहता है केवल जैसे सूर्य के सम्मुख तारे दिखाई नहीं देते वैसे ही जीवात्मा का प्रकाश परमात्मा के सम्मुख अलग नहीं दीखता। शैवों का योग और वैष्णवों का सायुज्य नहीं मानते। इस पथ में ब्राह्मण और सन्यासियों को ही दीक्षा मिल सकती है। अस्पृश्य जाति को नहीं मिल सकती।

(घ) निम्बार्क सम्प्रदाय।

इस सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक भास्कराचार्य प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और उनका जन्म १०३६ शकाब्द में वेदर (हैदराबाद निजाम) में हुआ था।

उनके पिता का नाम महेश्वर भट्ट था उन्होंने अपने पिता के पास गणित मुहूर्त ग्रन्थ, सिद्धांत ग्रन्थ, वेद तथा शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनके समय में जैन मत का प्राबल्य था। भास्कराचार्य ने वैष्णव सम्प्रदाय का प्रचार किया। उन्होंने मन्दिरों में राधाकृष्ण की मूर्तियों की पूजा करने का उपदेश किया कहते हैं कि एक जैन अतिथि को सन्ध्या समय भोजन कराने में देर हो रही थी तो उन्होंने सूर्य भगवान को अस्त होने से कुछ समय तक रोक दिया और सूर्य भगवान एक निम्ब वृक्ष पर दिखाई देते रहे इस लिये भास्कराचार्य का नाम निम्बार्क और निम्बादित्य पड़ा। कहते हैं उन्होंने वेद भाष्य लिखा था जो मथुरा पर औरंगजेब द्वारा चढ़ाई के समय नगर के साथ जल गया निम्बार्क के दो शिष्य थे—केशव भट्ट और हरिव्यास। उनके कारण यह सम्प्रदाय दो श्रेणियों में विभक्त हो गया है (१) विरक्त (२) ग्रहस्थ यमुना के किनारे मथुरा के पास ध्रुवक्षेत्र में निम्बार्क की गद्दी है।

(ङ) चैतन्य सम्प्रदाय।

वैष्णव सम्प्रदायों में यह सम्प्रदाय बहुत बड़ा है इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक महात्मा चैतन्य थे और नित्यानंद और अद्वैत उनके सहायक थे। सम्प्रदाय के अनुयायी श्री चैतन्य को कृष्ण का अवतार मानते हैं। महात्मा चैतन्य का जन्म १४०७ शकाब्द में नवद्वीप (बंगाल) में हुआ उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची था। चैतन्य का दूसरा नाम निमाइ था और गौर वर्ण के कारण उन्हें गौराङ्ग भी कहते हैं। उनके दो व्याह हुये किन्तु २४ वर्ष की अवस्था में ही वैराग्य आगया और

उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। हरि कीर्तन और ईश्वरोपासना में वे इस प्रकार तन्मय रहते थे कि उन्हें बाह्य सृष्टि का कुछ भी ध्यान न रहता था। नित्यानन्द और अद्वैत उनके सहायक थे परन्तु उन्हें भी इस सम्प्रदाय वाले महा प्रभु कहते है। इस पन्थ में प्रेम भक्ति को ही प्रस्थान दिया गया हैं। चैतन्य महा प्रभु ने मुसलमान तथा अन्य म्लेच्छ जाति के लोगों को भी शिष्य बनाया। भक्ति सबके लिये समान मार्ग है कोई ऊंच नींच नहीं हैं। हरिनाम स्मरण के अतिरिक्त कोई उपाय परित्राण का नहीं। गुरू को भी बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है यहां तक कि भगवान अप्रसन्न हो जावें किन्तु गुरू अप्रसन्न न हों क्योंकि गुरू की अप्रसन्नता से नाश हो जाता हैं। इस सम्प्रदाय की अनेक शाखायें हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) स्पष्टदायक—इस शाखा वाले गुरुओं का देवत्व नहीं मानते और एकाधिपत्य नहीं मानते। धर्म विषय में स्त्रियों को भी स्वतन्त्र मानते हैं आश्रमों में स्त्री पुरुष एक साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं।

(२) बाउल—इस सम्प्रदाय वाले शरीर को राधाकृष्ण और अन्यान्य देवों का निवास स्थान मानते हैं। इस मता-नुसार पुरुप और प्रकृति (स्त्री) का प्रेम ही मोक्ष का साधन है। वामाचारियों की तरह इस पन्थ में भी व्यभिचार को स्थान हैं मल मूत्र भी ग्राह्य कहागया है।

(३) न्याडा—इस पन्थ वाले नित्या नन्द के लड़के वीरभद्र को अपना प्रवर्त्तक बतलाते हैं। इसमें और बाऊल पन्थ में विशेष भेद नहीं है।

(४) सहजी—इस मतानुसार प्रत्येक पुरुष अपने को शिक्षा गुरु किंवा कृष्ण मानता है और प्रत्येक स्त्री अपने को राधा मानती है और सब स्त्री पुरुप जब चाहें तब सहज साधना (स्त्री पुरुष के शारीरिक मिलन) द्वारा मोक्ष प्राप्ति की चेष्टा कर सकते हैं।

(५) गौराङ्गसेवक—इस मत वाले चैतन्य स्वामी को राधाकृष्ण दोनों का सम्मिलित अवतार मानते हैं और मन्दिरों में उन्हीं की पूजा करते हैं।

(६) दरवेश—इस वैष्णव शाखा का प्रवर्त्तक चैतन्य का कोई शिष्य था ऐसा कहा जाता है किन्तु उसकी श्रद्धा इसलाम धर्म पर भी थी ऐसा मालूम होता है। इस मत की भजनावली में अल्ला, मुहम्मद, इत्यादि शब्द मिलते हैं दरवेश शब्द भी फारसी है।

(७) कर्ता भक्त—राम शरण पाल ने पूर्णचन्द्र नामक उदासीन से दीक्षा ग्रहण की और यह मत चलाया। यह मत जाति भेद और स्पर्श दोष नहीं मानता गुरुओं को महाशय कहते हैं। चैतन्य पूर्णचन्द्र, और रामशरण पाल को एक ही मानते हैं। बङ्गाल के साधारण जनों में से लाखों मनुष्य इस सम्प्रदाय में हैं।

(८) रामवल्लभी—कृष्णकिंकर, गुणसागर, और श्रीनाथ इन तीन मनुष्यों ने रामशरण पाल का मत न मान कर यह पन्थ चलाया । इस मतानुसार सभी जाति सभी देव और सभी धर्म एक हैं । "परम सत्य" वेदी पर ईसा मुहम्मद और नानक को नैवेद्य देते हैं और भगवद्गीता, बाइबल और कुरान का पाठ करते हैं । जाति भेद नहीं मानते ।

(९) इनके अतिरिक्त अनेक शाखाएं हैं जैसे सतकुली, अन्तकुली, पागलनाथी रूपनारायणजी, विश्वासी, सहज, कर्त्ताभक्त, जगन्मोहिनी, तिलकदासी, अतिबड़ी इत्यादि ।

११-शुद्धाद्वैत (पुष्टिमार्ग वल्लभाचारी)

इस मार्ग के प्रवर्त्तक श्रीमान् वल्लभाचार्य थे । इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था । वे तैलङ्गी ब्राह्मण थे । उनके पिता काशी में तीर्थाटन के लिये आये तब हिन्दू मुसलमानों में झगड़ा हो गया इस कारण उनके पिता चम्पारन (बिहार) चले गये वहां वल्लभाचार्य पैदा हुये (जन्म सम्वत् १५३५) उनका पहिला नाम वदक्रम था । वल्लभाचार्य ने नारायण भट्ट से वेद, शास्त्र न्याय, पुराणादि का अध्ययन किया था । उन्होंने यह प्रतिपादन किया कि ब्रह्माण्ड में जो परमाणु हैं उनका नाश नहीं होता । केवल रूपान्तर होता है । रूपान्तर को ही तिरोभाव और आविर्भाव कहते हैं । परमात्मा साकार है और सृष्टि दो प्रकार की—जीवात्मक और जड़ात्मक है इन्हीं के सम्मिश्रण से यह रूप-रूपांतर दिखाई देते हैं । इन तीनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है । विष्णु स्वामी के "परमात्मा साकार" मत का प्रतिपादन करने से वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के मठाचार्य नियुक्त हुये । उन्होंने गद्दी गोकुल में रक्खी और पुष्टि मार्ग की स्थापना की । अद्वैत वाद को ग्रहण किया । उन्होंने राधाकृष्ण की क्रीड़ा और प्रेम पूर्वक भक्ति का उपदेश दिया और अपने सम्प्रदाय को अधिक रसिक और अधिक मनोरञ्जक बनाया उद्देश्य यही मालूम होता है कि सर्व साधारण का झुकाव मनोरञ्जन की तरफ अधिक होता है । विष्णु स्वामी ने सन्यास को अभीष्ट बताया था किन्तु वल्लभाचार्य ने उसे निरर्थक बताया । उनके दो पुत्र हुये श्रीनाथ की मूर्ति उन्होंने पहिले गोवर्द्धन में प्रतिष्ठित की बाद को सम्वत् १५७६ में वे उसे मेवाड़ ले गये । वहां से काशी चले आये और वहीं उनकी सद्गति हुई ।

पन्थ।

१—कबीर पन्थ।

भारत में कबीर पन्थ छोटी कहाने वाली जातियों में प्रचलित है किन्तु इस पन्थ के प्रवर्त्तक को सभी आदर की दृष्टि से देखते हैं। कबीर किस जाति के थे यह निश्चित नहीं है किंतु वे ब्राह्मण थे ऐसा अधिक लोग मानते हैं। उन्हें पैदाइश से ही एक नूरी जुलाहे ने पाला था और बाल्यावस्था से ही उन्हें वैराग्य आ गया था। उन्होंने युक्ति चातुर्य से रामानन्द की दीक्षा प्राप्त की थी।

कबीर के अनेक सिद्धांत वैष्णवी हैं किन्तु अनेक बातें इसलाम मत के अनुकूल हैं। उन्होंने दोनों में से अपने सिद्धांत कायम किये हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं बताते और न मांस मदिरा का सेवन बताते हैं। पुनर्जन्म को उन्होंने माना किन्तु जाति भेद नहीं। परमेश्वर और अल्ला एक ही है।

कबीर ने काशी नरेश को जो उपदेश दिया था वह बीजक में संग्रहित है। यह ग्रन्थ ७०० अध्यायों में विभक्त है। शब्दावली और सुखनिधान दो ग्रन्थ पूजनीय माने जाते हैं।

महात्मा कबीर का देहान्त गोरखपुर जिले में मगर गांव में हुआ। कहा जाता है कि उनके शव के लिये हिन्दू व मुसलमान दोनों लड़ने लगे। शव पर से कपड़ा उठाने पर केवल फूल ही मिले। काशी नरेश वीरसिंह ने आधे फूल मंगा कर मणिकर्णिका घाट पर अग्नि संस्कार किया और वहाँ कबीर चौरा बनवाया। मुसलमानों ने आधे फूल दफनाये और उसी गाव (मगर) में बीजल खान पठान ने समाधि बनवाई। दोनों स्थान पवित्र माने जाते हैं। कबीर के मुख्य शिष्य १२ थे—धर्मदास, भागूदास, जीवनदास, ज्ञानी, साहेबदास, नित्यानन्द आदि।

२—सिख सम्प्रदाय।

गुरु नानक जन्म १४६९ ई० में नानकुचान (पंजाब) में हुआ था। बाल्यावस्था से हो नानक की चिकित्सा प्रवृत्ति थी और वैराग भी था। उनका ब्याह उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ और दो पुत्र भी हुये किन्तु शीघ्र ही उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। वे मक्का, मदीना तक गये फिर उन्होंने सन्यास छोड़ दिया और सब जाति के लोगों को धर्म उपदेश करने लगे। उन्होंने बताया कि आत्म शुद्धि बिना कुछ नहीं हो सकता, आत्मा ईश्वर का अंश है, वेद के ज्ञान काण्ड को मानना, मूर्ति पूजा असत्य है, ईश्वर अवतार नहीं लेता, गुरु का लिखा ग्रन्थ ही वेद है जाति पाँति का भेद असत्य है इत्यादि।

नानक के बाद अंगद, अमरदास, रामदास, तथा अर्जुन देव ने गुरू का स्थान ग्रहण किया। अर्जुन देव मुसलमानों द्वारा मारे गये। उनके बाद हरिगोविन्द गुरू ने सिक्खों को तलवार पकड़ना सिखाया। नवें गुरू तेगबहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया। गुरू गोविंदसिंह ने सिख जाति को पूर्ण सैनिक जाति बना दिया। औरंगजेब से उन्होंने खूब युद्ध किया। उनके दो पुत्र निर्दयी औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिये। इतना होने पर भी सिखों ने मुसलमानों के छक्के छुड़ा दिये। पाँच वस्तुओं का रखना प्रत्येक सिख पर बाध्य है—कड़ा, केश, कन्घा, कच्छ, और कृपाण। गुरू ग्रन्थ साहेब सिक्खों की पूज्य पुस्तक है।

अमृतसर शहर अर्जुन देव का बसाया हुआ है। यह एक झील के बीच बसाया गया है।

नानक पन्थ की अनेक शाखायें हैं जैसे कूका पन्थी, गाँजा भक्षी, सुथी-श्राही, निर्मल और रामरायी आदि।

इस पन्थ के अनुयायी करीब २५ लाख के हैं। अकाली आन्दोलन आगे दिया जा रहा है।

३- मानभाव पन्थ।

इस पन्थ के स्थापक कृष्णभट्ट का जन्म १०४७ ई० में दक्षिण प्रांत शोम्बे ग्राम में हुआ था। वह कृष्ण वेश में रहता था और लोगों को कृष्ण का दर्शन देता था। पैठन स्थान के राजा चन्द्रसेन के मन्त्री हेमाड़पन्त ने उसके छल को जान लिया और उसे कारागारमें डाल दिया। तौ भी इस पन्थ के अनुयायी अभी तक महाराष्ट्र और विहार में पाये जाते हैं। इस पन्थ के पांच मठ हैं—रुद्रपुर, कारञ्ज दरियापुर, फलटन और पैठन एक महन्त गद्दी अधिकारी होता है।

४—इलाही मत।

अकबर ने यह मत ई० सन् १५७५ में हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, और यहूदी मतों के सिद्धांतों को सम्मिलित करके क़ायम किया था। जाति बन्धन इस मत के अनुयायियों के लिए नहीं रक्खा गया। किन्तु यह मत चल न सका।

५—खीजड़ा अथवा प्रणामी पन्थ

इस पंथ के प्रवर्त्तक देवचन्द्र और प्राणनाथ थे। देवचन्द का जन्म अमरकोट (सिंध) में सन् १६५८ में हुआ था। वे बड़े विद्वान थे और उन्होंने जप तप बहुत किये प्राणनाथ से मित्रता होने पर उन्होंने यह पन्थ स्थापित किया। प्राणनाथ धवलपुर राज्य में उच्चपद पर थे इस कारण कुछ अनुयायी पन्थ के होगये। वैष्णवी सिद्धांतों के साथ कुछ सिद्धांत इसलामी भी हैं। कृष्ण की उपासना इस पन्थ का मुख्य उद्देश है।

६-उद्धवि अथवा स्वामी नारायण सम्प्रदाय।

इस पन्थ के प्रवर्तक स्वामी सहजानन्द थे। वे सरयूपारी ब्राह्मण थे। उनका जन्म १७८१ ई० में हुआ था। उनके गुरु रामानन्द नामक साधु थे। आरम्भ में गढड़ा नरेश दादाखाचर को उपदेश दिया। यह स्वामी अपढ़ थे किंतु भाग्यवान थे। इस पन्थ का मुख्य ग्रन्थ शिक्षा-पत्री है।

स्वामी सहजानन्द कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। भक्ति से मोक्ष होता है ऐसा इस पन्थ का उपदेश है। इसके अनुयायी काठियावाड़ और गुजरात ही में पाये जाते हैं।

७—राधास्वामी सम्प्रदाय।

इस मत के संस्थापक स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका जन्म स० १८१८ ई० में आगरे में हुआ था।

इस मत के नाम का आधार निम्न-लिखित पद्य पर हुआ ऐसा कहा जाता है।—

कबीर धारा अगम की,
　　सद्गुरु देहि लिखाय।
उलटि ताहि सुमिरन करो,
　　स्वामी सङ्ग मिलाय॥

धारा शब्द को उलट कर, स्वामी के साथ मिलाने से राधा स्वामी होता है ऐसा स्पष्ट है। राधास्वामी परमात्मा का नाम है गुरू का नहीं और न कृष्ण का। इस सम्प्रदाय में सृष्टि के ३ भाग माने जाते हैं (१) दयालु देश (२) ब्रह्मांड (३) पिंड। मुक्ति प्राप्ति के भी तीन मार्ग हैं—राधा स्वामी का ध्यान, राधा स्वामी का स्मरण, और आत्मधारा शब्द का श्रवण। इस पन्थ में जाति पांति का भेद भाव नहीं रक्खा गया है। गुरू का बड़ा भारी महात्म्य इस पन्थ में है। गुरू को प्रत्येक वस्तु अर्पण करके आपस में बाँट ली जाती है। गुरू का जूठन गुरू के वस्त्र और गुरू का पादार्घ्य पवित्र और ग्राह्य माने जाते हैं।

इस पन्थ वाले सतसङ्गी कहलाते हैं। आगरे में बड़ा भारी स्थान दयाल बाग के नाम से बनाया गया है जहाँ पाठशालायें भी हैं और मुख्य तीर्थ स्थान है। सब प्रचार की वस्तुयें तैयार होती हैं। इस सम्प्रदाय के लोग एक दूसरे को सहायता देना अपना कर्तव्य समझते हैं।

८—रयदासी।

रामानन्द के रयदास (जाति के चमार) शिष्य थे। चित्तौड़ की झाली रानी ने उनकी दीक्षा ली थी। विष्णु की पूजा और नाम स्मरण इस पंथ का मार्ग है।

९—मलूकदासी।

इस पंथ वाले रामचन्द्र की उपासना करते हैं। मलूकदास रामानन्दी थे। भगवद्गीता को मानते हैं। और ग्रहस्थ गुरु से दीक्षा लेते हैं। करा (मानिकपुर इलाहाबाद) में इस पंथ का प्रधान मठ है।

१०—दादू पन्थी ।

अहमदाबाद के दादू ने इस पंथ को चलाया। कबीर के कमाल, कमाल के जमाल, जमाल के विमल विमल के बुद्धन, बुद्धन के दादू शिष्य थे। इस पंथ के श्री रामचन्द्र उपास्य देव हैं किंतु मूर्ति पूजा नहीं करते।

११—आचार्यी ।

रामानुजी सम्प्रदाय की एक शाखा हैं। धर्माचार्य केवल ब्राह्मण हो सकते हैं किन्तु क्षत्री और वैश्य भी दीक्षा ले सकते हैं। दक्षिण भारत में इसके अनुयायी हैं।

१२—मीरा पन्थ ।

भगवान भक्त मीराबाई ने इस पंथ की स्थापना की है। मीराबाई मेडता नरेश की कन्या थी और उदयपुर के राना को ब्याही थी जो शैव थे इस कारण मीराबाई से नहीं बनी। मीराबाई गिरिधर गोपाल की उपासक थीं। राना ने उन्हें सब प्रकार से समझाया, डराया, दुःख दिया, विष तक दिया पर उन्होंने साधुओं की सेवा और श्रीकृष्ण की पूजा न छोड़ी।

मीराबाई के पद, अत्यन्त मधुर चित्ताकर्षक और मार्मिक हैं।

१३—राधावल्लभी ।

मुख्य धाम वृन्दावन है। राधाकृष्ण की उपासना ही ध्येय है।

१४—सखी भाव ।

इस पंथ वाले कृष्ण की उपासना करते हैं और खुद को कृष्ण की सखी समझते हैं। स्त्रीभेष में भी इसी कारण रहते हैं।

१५—सत नामी ।

इस पन्थ के लोग ईश्वर को सत नाम कहते हैं। जगजीवन क्षत्रिय ने नवाब आसफुद्दौला के समय में यह पंथ प्रचलित किया। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं कहते हैं कि इस पन्थ के साधु [illegible] भी भक्षण करते हैं।

१६—ईसुनी[illegible] ।

सम्वत् १६०६ में [illegible] पादरी डी० नोबिली भारत में आया और बाइबल को पञ्चम वेद ईसुर्वेद बनाकर ऋग्वेद की प्रथम ऋचा "अग्निमीळे" का अर्थ "ईसुमीळे" किया। यह पंथ चल न सका।

१७—विट्ठल भक्त ।

पुंडरीक ने १४वीं [illegible] शताब्दी में इसकी स्थापना की। इस पंथ के गुरु देव विठोबा हैं जो विष्णु के नवम अवतार माने जाते हैं। [illegible] के तट पर पंढरपुर में विठोबा का मन्दिर है। महाराष्ट्र में विठोबा की उपासना बहुत प्रचलित है।

[illegible] के [illegible] कवि [illegible] भागवत[illegible] पुं[illegible] [illegible] के बड़े

भक्त हुये हैं। इनके अभङ्ग मार्मिक, सरल और रसिक हैं। जन्मानुसार वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते।

१८—चरणदासी पन्थ।

यह पन्थ चरणदास देहरा (अलवर) निवासी ने स्थापित किया। राधाकृष्ण उपास्यदेव हैं। भागवत और भगवद्गीता इनके प्रमाणिक ग्रन्थ हैं। दिल्ली में प्रधान मठ है यहीं चरणदास की समाधि है।

१९—आदि वराहोपासक।

इस पन्थ के लोग वराह की उपासना करते हैं और शरीर पर बराह का चिन्ह रखते हैं। उपासक बहुत कम हैं।

२०—समर्थ सम्प्रदाय (रामदासी)

यह सम्प्रदाय श्री समर्थ रामदास स्वामी शिवाजी महाराज के गुरू ने स्थापित किया था। रामदास स्वामी का मुख्य ग्रन्थ दासबोध है। इनके उपासक महाराष्ट्र भर में पाये जाते हैं। रामचन्द्र मुख्य उपास्य देव हैं।

२१—चूहड़ पन्थ।

आगरे के एक बनिया ने थोड़े ही दिन हुये तब कायम किया था। उपास्य देव श्रीकृष्ण हैं। साधन के समय स्त्री पुरुष साथ मिलकर नृत्य गायन करते हैं।

२२—अन्यान्य पन्थ।

इन पन्थों के अतिरिक्त भारत में अनेक पन्थ हैं जैसे रामप्रसादी, हरि-व्यासी, वारकरी, माधवी, सधन, हरिश्चन्द्री (डोम ही इस पन्थ में हैं) रामदेव (मारवाड़ के खेड़ापा ग्राम निवासी) रामसनेही (जयपुर निवासी) स्थापना सम्वत् १८२४। चक्रांकित (शठकोप कजर द्वारा स्थापित) विष्णु पन्थ (जम्म जी दिल्ली निवासी द्वारा स्थापित) कृष्णराम (सम्वत् १८९९ में कृष्णराम ब्राह्मण अहमदाबाद निवासी) कार्मोलिन (सन् १६०७ में स्थापित ईसाई मत की उपशाखा) कुबेर (कुबेर कोली द्वारा सारसा में स्थापित) बाबालाल का पन्थ (सीमा प्रान्त की ओर प्रचलित) अनंत पन्थ, निरंजन (राजपूताने में प्रचलित) बीजमार्गी, आपा पन्थ (मल्लारपुर के मुन्नादास सुनार द्वारा स्थापित अयोध्या के माडवा नामक ग्राम में प्रधान मठ) षड् दर्शनी (मारवाड़ में प्रचलित) सन्तराम, पल्टूदासी, (अयोध्या में मुख्य मठ) खाकी, सेन पन्थ आदि हैं।

२३—पारसी मत (जरथोस्ती धर्म)

महात्मा जरथोस्त का जन्म टेहरान के पास रहे (ग्राम) में १५३७ ई० सन् के पूर्व में हुआ था। तीस वर्ष की अवस्था में ईरान के बादशाह के पास गये। बादशाह ने धर्माचार्यों की सभा की उसमें जरथोस्त ने सबको पराजित किया किन्तु स्वार्थियों ने बादशाह को कुल उलटा समझा दिया इस कारण बादशाह ने उन्हें बन्दीग्रह में डाल दिया किन्तु थोड़े ही दिन पीछे बादशाह बीमार

हुये और जब किसी दवा से अच्छे न हुये तब जरथोस्त के शरण आये। बादशाह ने अपना सेबियन धर्म त्याग दिया और जरथोस्ती धर्म को स्वीकार किया। इसके पश्चात अनेक देशों ने यह धर्म स्वीकार किया। इस धर्म के सिद्धान्त यह हैं—परमेश्वर अनादि, अनन्त, निर्विकार हैं। मूर्तिपूजा व्यर्थ है। जाति पांति नहीं मानी जाती। दया, गायों की रक्षा करना, स्वच्छता से रहना, यही उपदेश दिया जाता है।

मुसलमानों ने ईरान पर आठवीं शताब्दी में आक्रमण किया उस समय कुछ ईरानी ई० सन् ७२१ में भारत में भाग आये और संजाब बन्दर पर उतरे। इस समय के पारसी उन्हीं के वन्शज हैं

२४—इसलाम मत।

भारत पर मुसलमानों के आक्रमण के साथ यह मत भारत में आया। इसलाम का प्रचार भारत में तलवार के जोर पर हुआ यह बात सिद्ध है।

इस धर्म के प्रवर्तक श्री मुहम्मद का जन्म ५७० ई० सन् में मक्का में हुआ था। वे कोरेश वन्श की खतीजा नामक स्त्री के यहां नौकर थे। एक बार वे बसरा गये और वहां पर एक ईसाई साधु (बाहिरी) का उपदेश सुना जिससे मूर्ति पूजा के वे विरुद्ध हो गये। इसके बाद उन्होंने मूर्ति पूजा के खण्डन और ईश्वर की एकता का प्रचार किया। खुद को ईश्वर का भेजा हुआ पैगम्बर (दूत) बताया। अरब स्थान के लोगों ने उन्हें तङ्ग किया और वे मदीने भाग कर आये उसी समय से हिजरी सन् चला। भारत के इतिहास में मुसलमानी काल अन्धकार का काल समझा जाता है। भारतीय संस्कृति का विनाश इसी काल में हुआ।

२५—पीराना पन्थ।

ई० सन् १४४९ में अहमदाबाद के पास गरमथा गांव में एक फकीर इमाम शाह ने इस पन्थ को चलाया। उसने अनेक हिन्दुओं को अपने पन्थ में मिलाया। मत्स्य मांस और मादक वस्तु से अलग रहना बताया जाता है। सिद्धांत हिन्दू और मुस्लिम मिश्रित हैं।

२६—यहूदी मत।

भारत में यहूदी मत के मानने वाले बहुत कम हैं। इस धर्म के प्रवर्तक मूसा का जन्म ई० सन् पूर्व १५७१ में हुआ।

२७—ईसाई मत।

भारत में ईसाई मत का प्रचार छटवीं शताब्दी में आरम्भ हुआ। ऐसा कहते हैं कि सेंट टामस (एपोसल) ने भारतवर्ष में इस मत का प्रचार किया और आरंभ में कुछ भारतवासी मलाबार के समुद्र तट पर ईसाई हुये।

ईसामसीह के जन्म को १९२९ वर्ष हुये और ईसाई मतावलम्बियों का विश्वास है कि वर्जिन मेरी के गर्भ से केवल ईश्वरी प्रेरणा से ईशु उत्पन्न हुये ईसाई मत अनुदार नहीं है। ईसाई

मतावलम्बी तीन दैविक व्यक्तियों को मानते हैं—(१) पिता (२) पुत्र (३) होली गोस्ट (पवित्र आत्मा)। ईसामसीह ईश्वर के पुत्र माने जाते हैं। ईसा ने धर्म प्रचार एशिया, माइनर, जेरूसलम आदि शहर में किया। रोगियों को निरोगी करने की उनमें अद्भुत शक्ति थी इस कारण उन्हें 'मसीह' कहते हैं। इस धर्म की अनेक शाखायें हो गई हैं—(१) रोमन केथोलिक (२) प्रोटेस्टैण्ट (३) लिबरल केथोलिक (४) प्रिस्बेटेरियन। इङ्गलैण्ड के प्रोटेस्टैण्टों ने चर्च आफ इङ्गलैण्ड अलग कर लिया है। प्रोटेस्टैण्ट शाखा के प्रवर्तक 'लूथर' थे इस मत की मुख्य पुस्तक 'बाइबिल' है जिसके दो भाग हैं—(१) ओल्ड टेस्टामेंट (२) न्यूटेस्टामेंट।

आधुनिक मत।

१—ब्रह्म समाज।

ब्रह्म समाज की स्थापना १८१८ ई० में राजाराम मोहनराय ने की। राजाराम मोहनराय को हिन्दू धर्म की प्रचलित कुरीतियों से असन्तोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अनेक लेख इस विषय में लिखे। मूर्ति पूजा, ब्राह्मण, पुरोहितों, की आढ्यता, स्त्रियों में परदा, धर्म के नाम पर स्त्रियों का जलाया जाना (सती प्रथा). वेदों की विस्मृति—यह सब बातें उन्हें अच्छी न लगीं और उन्होंने इनके विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया। सन् १८२८ ई० में उन्होंने एक आस्तिक सङ्घ (Theists Union) भी कायम किया जिसमें बैदिक साहित्य पढ़ा जावे और धर्म पर व्याख्यान दिये जावें। ब्रह्म समाज के उद्देश्य ये थे—नीत, धर्म, उदारता, पवित्रता, आदि सद्गुणों की समाज में उन्नति तथा विभिन्न धर्म तथा मतों के मनुष्यों में पारस्परिक प्रेम बन्धनों को दृढ़ करना।

राजाराम मोहनराय का जन्म मई १८७२ ई० में राधानगर (बङ्गाल) में हुआ था उनके पिता का नाम रामकण्ठ राय था। उन्होंने महेश नामक अध्यापक द्वारा अरबी, फारसी और बङ्गला की शिक्षा प्राप्त की थी। १६ वर्ष की अवस्था में "मूर्ति पूजा निषेध" पुस्तक लिखी जिसके कारण वे जाति बहिष्कृत किये गये और पिता ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। उन्होंने पहिले नौकरी की किन्तु बाद को धर्मोपदेश के लिये उसे त्याग दी। ब्रह्म समाज के सिद्धान्तानुसार परमात्मा एक है जीव उससे भिन्न हैं मूर्ति पूजा और जाति भेद मिथ्या है, सर्वत्र समान भाव से आचरण करना चाहिये। १८२८ ई० सन् में सती प्रथा बन्द हुई वह इन्हीं के प्रयत्नों का फल है। सन् १८३१ में वे इङ्गलैण्ड गये और १८३३ में इनका

वहीं देहान्त हुआ । बाबू द्वारकानाथ टागोर और बाबू प्रसन्न कुमार ने उन्हें बड़ी सहायता दी थी।

१८५८ ई० में केशवचन्द्र सेन ने यह मत स्वीकार किया और स० १९६२ में आचार्य नियत हुये । उन्होंने १९६६ ई० में भिन्न २ जाति के अनेक स्त्री पुरुषों के विवाह कराये । यह बात महर्षि देवेन्द्रनाथ टागोर को पसन्द न आई । इस कारण मत की दो शाखायें हो गई—(१) आदि ब्रह्म समाज (२) भारतवर्षीय ब्रह्म समाज।

केशलचन्द्र ने भारत में भ्रमण कर अनेक शाखयें कायम कीं। स० १८७० में वे इगलैंड गये । अंग्रेज लोग उनके भाषणों से दंग रह गये । मि० मैक्स मुलर से उनसे मुलाकात हुई और महारानी विक्टोरिया ने उन्हें भोज दिया। स० १८७८ में वे अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बतलाने लगे । कट्टर सुधारक होने पर भी उन्होंने अपनी १३ वर्ष की कन्या का विवाह कुंच विहार के राजा से कर दिया। इन बातों से उन पर लोगों की श्रद्धा कम होगई और साधारणब्रह्म समाज नामक तीसरी शाख खुल गई। स० १८८४ में केशवचन्द्र सेन की मृत्यु हुई।

२—प्रार्थना समाज।

बम्बई प्रांत में ब्रह्म समाजी जैसे तत्वों के मानने वाले अपने को प्रार्थना समाजी कहते हैं। उन्हें 'सुधारक" भी कहते हैं। हिन्दुओं की अनिष्ट कारक प्रथाओं को नहीं मानते । विधवा विवाह, प्रौढ़ विवाह, स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं। जाति पांति के भेद को नहीं मानते। इसकी उपशाखा स० १९१४-१५ में आर्यब्रदरहुड नाम से चली हैं। इस समाजके प्रसिद्ध संचालक श्री० महादेव गोविन्दरान्डे, सर रामकृष्ण भंडारकर और सर नारायण जी० चन्दावर कर थे।

३—आर्य समाज।

आर्य समाजकी स्थापना ता० १ मार्च १८७५ में स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा बम्बई में हुई। उस समय से उन्हों ने वेद भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश लिखना आरम्भ किया। स० १८७५ में चांदापुर में अनेक धर्माचार्यों से वादविवाद कर वैदिक धर्म को पुष्ट किया।

महर्षि दयानन्दका जन्म १८२४ ई० में टंकारा काठिया वाड़ में हुआ था । उनका जन्म नाम मूलशंकर था और उन के पिता का नाम अम्बाशंकर था वे औदीच्य ब्राह्मण थे । बाल्यअवस्था ही में मूर्ति पूजा पर अश्रद्धा हो जाने के कारण घर से चल दिये । मथुरा में और काशी में वेदाध्ययन किया । उन्होंने स्वामी पूर्णानन्द से सन्यास ग्रहण किया । उस समय उनकी आयु २३ साल की थी। उस के बाद उन्होंने देशटन किया और मथुरा में आकर उन्होंने स्वामी बृजानन्द से ७ वर्ष तक वेद पढ़ा । उनके आदेशानुसार उन्हों ने वैदिक धर्म का पुन प्रचार करने का

दृढ़ निश्चय किया। ता० १७ नवम्बर १८६९ को उन्होंने काशी में ८००-९०० पंडितों को राजा जयकृष्ण काशी नरेश की सभापतित्व में वाद विवाद कर मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध सिद्ध कर दी और वैदिक धर्म को भारत में पुनः प्रतिष्ठित किया। आर्यसमाज की स्थापना निम्न लिखित सिद्धांतों पर की गईः—

[१] सर्व ज्ञान और धर्म का मूल वेद है

[२] परमात्मा निराकार और सर्व व्यापक हैं

[३] मूर्तिपूजा वेद विरुद्ध है।

[४] पुराण सर्वथैव मानने योग्य नहीं है।

[५] पुनर्जन्म सत्य है।

[६] वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर है, जन्म से ही नहीं।

[७] द्विजों को १६ संस्कार और नित्य कर्म करना चाहिये।

[८] यज्ञ में पशु हिंसा वेदानुकूल नहीं है।

[९] नियोग प्रथा ग्राह्य है।

[१०] जीव और ईश्वर भिन्न है।

सन् १८७८ में न्यूयार्क की थियोसोफ़िकल सोसाइटी के साथ पत्र व्यवहार होकर यह निश्चित हुआ कि वे भी आर्य समाज के साथ सामाजिक व धार्मिक कार्य करें, किंतु तुरन्त ही मत भेद हो गया।

उन्होंने पंजाब, संयुक्त प्रांत और बिहार में अनेक शाखायें कायम कीं। देशी राज्यों में भी भ्रमण किया और जोधपुर में कुछ मास रहे। जोधपुर नरेश की वेश्या ने स्वामी जी को उनके विरोधियों की सहायता से रसोइये द्वारा पिसा हुआ कांच अन्न में डलवा दिया स्वामी जी ने आबू पहाड़ पर जाकर चिकित्सा कराई परन्तु कोई लाभ न हुआ। वहां से अजमेर गये और वहीं सम्वत १९७९ की दीपावली के दिन उन का देहान्त हुआ।

आर्य समाज की स्थापना से भारत की उन्नति का सूर्य क्षितिज में उदय हो गया है इस समाज ने वेद विद्या को पुनः प्रतिष्ठित कर नवीन जीवन का सञ्चार कर दिया। सब प्रकार की सामाजिक प्रगति शील हल चलों में आर्य समाज ने अग्रसर भाग लिया है। गोरक्षा अनाथालय, विधवाश्रम, कन्या पाठशालायें, पद दलित जातियों की उन्नति परधर्मियों और पतितों की शुद्धि बाल विवाह का रोकना, विधवा विवाह इत्यादि सभी बातों में आर्य समाज के कार्य कर्ताओं ने ठोस कार्य किया है।

आर्य समाज द्वारा दयानन्द एंगलो वैदिक कालेज लाहौर और गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई है जिनके द्वारा युवकों में जागृति हुई है।

आर्य समाज का संचालन अखिल भारतवर्षीय आर्य प्रतिनिधि द्वारा होता है। उस के नीचे प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि सभायें भी हैं।

पिछले वर्षों में आर्यसमाज ने शुद्धि और सङ्गठन आन्दोलन में बड़ा काम किया। इस संस्था के करीब ४ लाख ६८ हजार अनुयायी हैं। सन् १९११ से संख्या ६३ प्रतिशत बढ़ी पञ्जाब में ६५ प्रतिशत और संयुक्त प्रान्त में ५६ प्रतिशत।

४—देव समाज।

यह समाज सन् १८७७ में श्रीयुत शिवनारायण अग्निहोत्री कानपुर निवासी ने कायम की। मनुष्य में ऐसी शक्तियां हैं जो उन्नति को प्राप्त होकर ब्रह्मांड को लाभ पहुँचा सकती हैं। इस समाज में केवल चरित्रवान और अच्छे मनुष्य लिये जाते हैं। मद्यपान, मांसाहार की मनाई है। ईश्वर को यह समाज नहीं मानता। समानता के तत्व पर यह समाज चलाया जाता है इसके अनुयायी बहुत कम हैं। श्री० अग्निहोत्री जी ने देवगुरू की उपाधि धारण की थी और समाज की स्थापना लाहौर में की।

५—थियासोफिकल सोसायटी।

थियोसोफी के सिद्धान्तों का प्रकाश श्रीमती मेडमब्हेलेना पेट्रोना ब्लावेटस्की (रूसी महिला) ने सन् १८७५ में किया इन्होंने एक बड़ा ग्रन्थ "इसिस अनव्हेल्ड" लिखा और यह बताया कि इस ग्रन्थ को उन्होंने दैवी आदेश स्फुरण से प्रगट किया है। मेडम ब्लावेटस्की ने अपने सिद्धान्तों का आधार हिन्दू "कर्मफल" तत्व को बनाया। कर्नल आलकॉट एक अमरीकन सज्जन को यह सिद्धान्त पसन्द आये और फिर दोनों सज्जनों ने इस थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयार्क (अमरीका) में ता० १७ नवम्बर १८७५ को की। ऐसा कहा जाता है कि यह दोनों व्यक्तियां स्थापना में केवल निमित्त मात्र हुई किंतु असली संस्थापक महर्षि देवापी अथवा लार्ड मैत्रेय हैं।

कहा जाता है कि इन महर्षियों का उल्लेख भागवत, विष्णु पुराण और कलकी पुराण में इस प्रकार है कि वे कलियुग में धर्म की स्थापना करेंगे। कर्नल आलकाट और मेडम ब्लावेटूस्की से स्वामी दयानन्द सरस्वती से पत्र व्यवहार हुआ और ता० २२ मई १८७८ को थियोसोफिकल सोसाइटी की बैठक में स्वामी जी को आचार्य बनाना भी निश्चित हुआ किंतु स्वामी जी से अवतार और महात्माओं से मिलन इत्यादि विषयों में मतभेद हो गया। कर्नल आलकाट और मेडम ब्लावेटूस्की ने अपनी समाज का केन्द्र अडयार (मद्रास) में बनाया और स्वतन्त्रता से नूतन धर्म का प्रचार करने लगे।

मेडम ब्लावेटूस्की ने अनेक पुस्तकें लिखीं जिनमें दो अत्यन्त गम्भीर तथा ज्ञान पूर्ण हैं—"इसिस अनव्हेल्ड" और "सीक्रेट डाकट्रिन"

कर्नल आलकाट का प्रथम लेकचर बम्बई में २३ मार्च १८९० को हुआ और सोसाइटी का भारतीय भाग

ता० २७ दि० १८९० को स्थापित किया मेडम ब्लावेट्स्की की मृत्यु पर कर्नल आलकाट सभापति हुये । ऐसा कहा जाता है कि मिसेज एनीबेसेण्ट को मि० डब्लू. टी. स्टीड ने "इसिस अनव्हेल्ड' पुस्तक समालोचना लिखने के लिये दी उसको पढ़कर उन्होंने थियोसोफि में प्रवेश किया । मि० एनीबेसेण्ट सन् १९०६ में प्रेसीडेण्ट हुई जिस वर्ष कर्नल आलकाट का देहान्त हुआ ।

इस समाज के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—(१) जाति, रङ्ग, धर्म, वर्ण, आदि किसी प्रकार का भेद न मान कर मनुष्यों में भ्रातृ भाव उत्पन्न करना ।

(२) सब प्रकार के धर्म, आत्म-विद्या, विज्ञान की शिक्षा की उन्नति ।

(३) मानवी प्रकृति के नियमों की खोज और उन पर बिचार ।

थियोसोफी के अनुयायियों में बड़े २ विद्वान हैं—जैसे मि० लेडबीटर, मि० ऐरंडेल, मि० जीन् राजा दास, बाबू भगवानदास ।

थियोसोफिकल सोसाइटी के आरंभ होने के कुछ वर्षों बाद एक "एसोटेरिक सेकशन" (गुप्त मण्डल) बन गया जिस में केवल विशिष्ट सदस्य ही लिये गये । इस मण्डल ने खुद को अन्य सज्जनों से अधिक ज्ञान वान तथा गुप्त रहस्यों का जानकार बताना आरम्भ किया । उसकी बैठकों में गुप्त रीति से जगद्गुरु के आने की चर्चा आरम्भ की गई । इसी प्रकार यह भी प्रगट किया जाने लगा कि मि० बेसेण्ट से और ऋषियों से जो तिब्बत में रहते हैं मुलाकात होती हैं इत्यादि । धीरे २ यह भी प्रगट किया जाने लगा कि मद्रास प्रांत के नारायण अय्यर के पुत्र जे० कृष्णमूर्ति के शरीर में जगद्गुरु लार्ड मैत्रेय अवतीर्ण होने वाले हैं । इन बातों पर बड़ा बाद विवाद हुआ और थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख्य सदस्य बा० भगवानदास ने अनेक लेख इसी सम्बन्ध में टीकात्मक लिखे। सन् १९११ में कृष्णमूर्ति को वे इङ्गलैण्ड ले गईं । कृष्णमूर्ति के पिता ने मि० एनी-बेसेण्ट पर पुत्र की वापिसी के लिये दावा किया । सन् १९१३ में यह मुक़दमा हुआ । बाल्यावस्था में ही कृष्णमूर्ति ने एक पुस्तक "एट दी फीट आफ माई दी मास्टर" लिखी ।

इस समाज का वार्षिक कन्वेशन होता है जो एक वर्ष अडयार और एक वर्ष बनारस में होता है सारे जगत के प्रतिनिधि यहां आते हैं ।

समाज की शाखायें सारे जगत में हैं और अब श्री जे. कृष्णमूर्ति जगद्गुरु भी कहाये जाने लगे हैं । जगद्गुरु के आगमन की बाट जोहने तथा उनके अवतार लेने के लिये प्रयत्न करने के लिये इस समाज के साथ २ एक दूसरी संस्था तैयार की गई थी जिसका नाम स्टार इन दी ईस्ट रक्खा गया था उस संस्था का वर्णन अन्यत्र दिया जा रहा है—

शाखाओं और सदस्यों का ब्योरा नीचे दिया जाता है—

देश	शाखायें	सदस्य	देश	शाखायें	सदस्य
यूनाइटेड स्टेटस	२६८	७३३३	आस्ट्रिया	१२	५७०
इङ्गलैण्ड	१५२	४९३८	नार्वे	१५	२५०
भारतवर्ष	४०३	६३९५	मिश्र	८	९१
आस्ट्रेलिया	२६	१५६४	डेनमार्क	१०	५०४
स्वीडेन	४३	१०७३	आयरलैण्ड	७	११६
न्यूजीलैण्ड	१८	९५३	मैकसिको	२२	४९३
हालैण्ड	४०	२६७२	केनाडा	२३	६३५
फ्रांस	७२	२९२३	आर्जेनटाइना	१७	४७०
इटली	३४	६२३	चिली	१४	२३१
जर्मनी	३१	६५०	ब्रेजिल	२३	२९६
क्यूबा	३२	८०५	बलगेरिया	१२	१५०
हङ्गरी	१०	३९८	आइसलैंड	७	२७६
फिनलैण्ड	२२	६२६	स्पेन	२१	४३५
रूस	९	१७५	पुर्तगाल	१४	२९०
जेकोस्लोविया	८	१२५	वेल्स	१६	३१०
दक्षिणी अफ्रीका	१२	४५२	पोलैंड	१२	२१९
स्काटलैण्ड	३२	७९४	उरागवे	९	१४९
स्विजरलैण्ड	१७	२३९	पोर्टिकोरिची	१३	१९७
बेलजियम	१२	३५८	रोमानिया	७	१५०
डच ईस्ट इंडिया	२९	१९३९	युगोस्लेविया	७	१२२
बर्मा	१०	२४१	अन्य	२७	५४९

इन कुल देशों में १५७६ शाखायें और ४७६३१ सदस्य हैं। यह अङ्क सन् १९२५ तक के हैं उसके बाद अनेक शाखायें बनी हैं। इस समाज में हर धर्म के लोग प्रविष्ट हो सकते हैं और अपने २ धर्म को पालन कर सकते है।

अडयार में भव्य इमारतें बनाई गई है। मन्दिर, मसजिद, और गिरजा भी बनाये गये हैं जिससे अपने २ धर्म के अनुसार लोग पूजा कर सकें।

थियोसोफिकल सभा ने अनेक सर्वोपयोगी संस्थायें भी चलाई—

(१) हिन्दू कालेज बनारस, जो अब हिन्दू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित होगया है

(२) बालिकाओं के लिये स्कूल, बनारस।

(३) पञ्चम स्कूल, अडयार। यह स्कूल अछूतों के लिये है।

(४) मदनापल्ली नेशनल यूनिवर्सिटी

(५) अडयार में महान् पुस्तकालय

६—सत्य सोधक समाज।

श्रीयुत ज्योतिराव फुले ने इस समाज को सन् १८६६ में पूना में स्थापित किया। परमेश्वर निराकार है। उसकी भक्ति से ही मोक्ष होता है। वह अवतार नहीं लेता। मूर्ति पूजा अयोग्य हैं। वेद पुराणादि को स्वार्थी लोगों ने रचा है अतः उन्हें सर्वथा सत्य न मानना चाहिये उन्हें जाँच कर अपनी बुद्धि अनुसार सत्यासत्य विवेक करना चाहिये। जाति भेद व्यर्थ हैं सब समान हैं। यही सिद्धान्त इस मत के श्री० फुले ने अपने सामने रखकर इस सभा की स्थापना की इस समाज ने अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इसके अनुयायी महाराष्ट्र और बिहार में हैं। श्री० भास्करराव विठोजीराव जाधव ने सन् १९११ में इस समाज को पुनः जागृत किया और धीरे २ इस समाज के अनुयायी ब्रह्मणोत्तर पक्ष में शामिल हो गये और सन् १९२८ महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण-अब्राह्मण झगड़े हुये उनमें इस समाज के ही लोग मुख्य थे।

७—फ्रीमैसन।

इस समाज की शाखायें भारत में अनेक हैं और बहुत से धनी और विद्वान् मनुष्य इसके सदस्य हैं। १६ वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी स्थापना विलायत में हुई थी ऐसा कहा जाता है। इस समाज की बातें गुप्त रक्खी जाती हैं इस समाज का केवल एक ही सिद्धान्त मालूम होता है। पारस्परिक सहायता। इसी कारण न कोई गूढ़ तत्व है और न कोई गुप्त बात है। जब कोई गुप्त बात नहीं तो कोई मनुष्य बताना भी चाहे तो क्या इस समाज से जगत को कोई लाभ नहीं ऐसा स्पष्ट है। अनेक भारतीय धनवान तथा विद्वान मनुष्य इसके सदस्य केवल इसीलिये हो जाते हैं कि अंग्रेजों का अनुग्रह प्राप्त करलें और उनके कृपा-पात्र बने रहें।

८—स्वामी रामतीर्थ के वेदांत मत

स्वामी रामतीर्थ ने कोई पन्थ नहीं चलाया किन्तु उन्होंने उपनिषदों में ग्रथित एकता वाद को पुष्ट किया। सारा ब्रह्माण्ड परमात्मा का स्वरूप है, सब चल-अचल वस्तुऐं एक हैं, कोई भिन्नता नहीं यही उन्होंने प्रतिपादन किया। अर्थात वेदान्त मत का पुनः प्रचार किया।

स्वामी रामतीर्थ गोस्वामी तुलसीदासजी के वन्शज थे। गुजरान वाला जिले में सन् १८७४ में स्वामी जी का जन्म हुआ। २० वर्ष की अवस्था में उन्होंने एम. ए. पास किया और फिर प्रोफेसर हुये। सन् १८९८ के बाद एक वर्ष तक वे आरण्य में रहकर आत्मोन्नति पर एकान्त में विचार करते रहे।

फिर २६ वर्ष की अवस्था में सन्यासी होगये। हिमालय पर्वत पर उन्होंने खूब भ्रमण किया। इसके बाद अमरीका और जापान गये। और वहां उन्होंने वेदान्त पर अनेक व्याख्यान दिये और अनेक अनुयायी बनाये। टेहरी (गढवाल) के पास गढवाल में गंगा स्नान करते समय पैर फिसलने से उनको जल समाधि होगई उस समय उनकी आयु ३५—३६ साल की थी।

६—जगद्गुरु का संघ।

ओर्डर आफ दि स्टार अथवा
जगद्गुरु का आगमन।

थियोसोफिकल सोसायटी के मुख्य कार्य कर्ता मिसेज एनीबेसेन्ट, मिस्टर लीडबीटर और मि० ऐरन्डेल प्रभृति सज्जनों ने यह पन्थ चलाया है। उनका कहना है कि भगवद्गीता में जो भगवान श्रीकृष्ण ने यह बचन दिया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म बढता है तब तब वे अवतीर्ण होते हैं। हर एक ऐश्वर्यवान और सुन्दर पदार्थ में उनका अंश है। धर्म की रक्षा के लिये समय २ पर अवतारी पुरुष और ऋषि, मुनि, जगत में प्रगट होते आये हैं। ऐसे जगतगुरु के आने की तैयारी करने के लिये ११ जनवरी १९११ को काशी में इस संघ की स्थापना हुई और इसका प्रचार कार्य सब बड़े २ शहरों में थियोसोफिकल सभाओं द्वारा किया गया। अब इसकी शाखाये सारे जगत में हैं। इस सब के ६ नियम आरम्भ में रक्खे गये जिन सब का यह मुख्य अर्थ था कि संघ के सदस्यों को चाहिये कि कायिक और मानसिक शुद्धि द्वारा तथा ईश्वरी कृपा की प्रार्थना द्वारा जगतगुरु के शुभागमन के लिये तैयारी करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अनेक पुस्तकें प्रकाशित की गईं और सहस्त्रों सभायें तथा प्रवचन किये गये। श्रीमती एनी बेसेन्ट तथा उनके अनेक सहयोगियों ने अपना पूर्ण विश्वास इस सम्बन्धी प्रगट किया कि आने वाले जगतगुरु का आवेश श्री कृष्णमूर्ति के शरीर में होगा। उसी शरीर में प्रवेश कर जगत्गुरु अपना कार्य इस जगत में करेंगे।

बा० भगवानदास और अन्य सज्जनों से मतभेद हो जाने से कुछ दिन यह कार्य ठण्डा पड़ गया परन्तु शीघ्र ही बढ़ता गया। मि० एनीबेसेन्ट का कहना है कि इक्त आवेश क्रिया २८ दिसम्बर स० १९२५ से आरम्भ होगई और बाद को अब कृष्णमूर्ति ने स्वयं भी यह घोषित कर दिया है कि उनकी और जगत्गुरु की तन्मयता हो गयी है और अब उन्होंने जगद्गुरु का कार्य आरम्भ कर दिया है।

श्री० कृष्णमूर्ति की सब से पहिली पुस्तक ऐट दि फीट आफ दी मास्टर है, जिसका हिन्दी भाषान्तर 'श्रीगुरुदेव चरणेषु" है।

हॉलैण्ड के एक धनवान ने बहुत सी सम्पत्ति इस संघ को दी हैं। वहां के ओमेन शहर में हर साल अधिवेशन होता है। पिछले अधिवेशन में २००० से अधिक उपस्थिति जगत की सब जातियों के सदस्यों की थी। अफ्रीका में ४०००० पौंड इकट्ठा किया जा रहा हैं और इस संघ ने एक भारत समाज भी कायम की है जो भारत के मन्दिरों का उद्धार कर रहे हैं। अडयार (मद्रास) में इस संघ का केन्द्र है। कुछ समय से श्री० कृष्णमूर्ति ने संघ को तोड़ दिया है। उनका कहना है कि संघ कायम रहने से साम्प्रदायिक भाव उत्पन्न होता है जो धीरे २ संकुचित होकर अन्य सम्प्रदायों से विरोध करने लगता हैं। सत्य सब की सम्पत्ति है और उसकी खोज के लिये कोई सम्प्रदाय की आवश्यकता नहीं।

भारत में शिक्षा प्रसार ।

भारत में शिक्षा प्रसार।

(अंग्रेजी काल)

इस अध्याय में केवल अंग्रेजी शासन काल में जो शिक्षा प्रसार भारत में हुआ है वह दिया जाता है।

ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतियों की शिक्षा की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया। सन १७८२ में वारनहेस्टिंग्स ने कलकत्ता मद्रास मुसलमानों के लिये खोला और सन १७९१ में बनारस में संस्कृत कालेज खोला। सन् १८१३ के एक्ट द्वारा भी जो यह नियम बना कि कम्पनी को चाहिये कि कम से कम १ लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च करे उसका भी बहुत उपयोग नहीं हुआ। स० १८१६ में डेविड हेयर (एक अंग्रेज घड़ी साज) ने राजा राम मोहन राय की सहायता से एक हिन्दू कालेज खोला। ईसाइयों और हिन्दुओं दोनों की इस पर अश्रद्धा थी किन्तु धीरे २ उसकी उपयुक्तता प्रतीत होने लगी। कमेटी पबलिक इन्सट्रकसन बंगाल ने भी १५ साल बाद रिपोर्ट दी कि अंग्रेजी शिक्षा के लिये रुचि बढ़ रही है। बम्बई में एलफिन्सटन कालेज वहां के गवरनर की स्मृति में खोला गया और १८३५ में कलकत्ता मेडीकल कालेज खोला गया। मृतक की चीर फाड़ कठिनाई रूप में खड़ी हो गई क्यों कि हिन्दू छात्र इस कार्य के लिये तैयार नहीं थे किन्तु श्री मधुसूदन दास और कुछ अन्य विद्यार्थियों ने यह कार्य आरंभ कर दिया। कैरी, मारशमैन और वार्ड ने स० १८१८ में मिशनरी कालेज सीरामपुर में खोला किन्तु अलेक्जेण्डर डफ पादरी ने कलकत्ते में साधारण कालेज खोल दिया जिसमें ईसाई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी। मद्रास क्रिश्चियन कालेज भी १८३७ में खोला। बम्बई में १८३४ में विलसन स्कूल (फिर कालेज हुआ) खोला गया।

इस समय गवरमेंट आफ इंडिया के पदाधिकारियों में पाश्चात्य शिक्षा भारत में चलाई जावे या भारत की भाषाओं की शिक्षा ही दी जावे ऐसा बड़े जोरों का विवाद कई साल तक चला अंत में स० १८३५ में लार्ड मेकाले ने यह विवाद तै कर दिया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा ही दी जावे यह निश्चित कर दिया।

स० १८५४ में सर चार्लस वुड, प्रेसीडेन्ट बोर्ड आफ कन्ट्रोल ने अपना प्रसिद्ध खलीता भेजा जिसके द्वारा कलकत्ता में यूनिवर्सिटी कायम की गई। शिक्षा विभाग हर प्रांत में खोले गये और गैर सरकारी स्कूलों को सहायता दिये जाने का नियम बनाया गया।

स० १८५८ में बम्बई और मद्रास यूनिवर्सिटियां कायम की गईं और शिक्षा संबंधी एक दूसरा खलीता भी रानी की ओर से जारी किया गया।

स० १८८२ में एक 'शिक्षा कमीशन' कायम किया गया जिसने शैक्षणिक संस्थाओं की जांच की। स० १८५५-५६ में कुल पाठशालायें ५०९९८ थीं और क्षात्र ९, २३, ७८० थे, और स० १८८२ में पाठशालायें १, १४, १०९ थी और विद्यार्थी २६ ४३, ९७८ थे। कमीशन ने सार्व जनिक शिक्षा पर जोर दिया और उच्च शिक्षा की सहायता बंद कर दी। इस नीति का परिणाम अनिष्ट-कारक हुआ। थोड़े दिनों बाद प्राथमिक शिक्षा म्युनिशपेलटियों और जिला बोर्डों को देदी गई। लार्ड रिपन ने पंजाब यूनिवर्सिटी स० १८८२ में आरंभ की। और सन् १८८७ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कायम हुई।

इस जमाने में भारतीय राजनैतिक आन्दोलन आरम्भ हो गया और भारतीयों ने अपने स्वत्वों की मांग करना आरम्भ कर दिया था। इस कारण लार्ड कर्जन ने शिक्षा नीति में परिवर्तन कर दिया। स० १९०१ में उन्होंने शिमला में एक कान्फ्रेंस की जिसमें केवल अंग्रेज बुलाये गये और कार्यवाही गुप्त रक्खी गई। इसी के बाद एक दूसरा कमीशन "यूनिवर्सिटी कमीशन" नियत हुआ जिसने यूनिवर्सिटियों को सरकारी मुहकमा बना दिया। चांसलरों को अधिकार मिल गया कि सिनेट के ८० प्रतिशत मेंबरों को स्वयं नियत करें और बाकी के लिये भी इनकी अनुमति जरूरी रक्खी गई। यूनिवर्सिटी के आधीन स्कूलों का निरीक्षण सरकारी शिक्षा विभाग के हाथ में दिया गया। यूनिवर्सिटी के सब प्रस्तावों और स्कूलों की सम्बद्धता (Affiliation) के निर्णय भी सरकारी अनुमति के आधीन कर दिये गये। स० १९५७ में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन नियत हुआ जिसने अनेक सिफारशें की जो जनता के लिये हानिकारक ही सिद्ध हुईं। ढाका में एक यूनिवर्सिटी (जो शिक्षा दे केवल परीक्षा ही न ले) कायम हुई।

इसके पश्चात अनेक यूनिवर्सिटियां और भी कायम हुई हैं सभों का व्योरा नीचे दिया जाता है—

नाम	ऐक्टों की साल	क्षेत्र
१—कलकत्ता	१८५७, १९०४,	बंगाल आसाम
	१९०५, १९२१,	और कुछ देशी राज्य
२—बम्बई	१८५७, १९०४,	बम्बई प्रांत और
	१९०५;	कुछ देशी राज्य (बड़ौदा आदि)
३—मद्रास	१८५७, १९०४;	मद्रास प्रांत (कुर्ग
	१९०५, १९२३,	तैलंग प्रदेश छोड़कर)

४—पञ्जाब	१८८२, १९०४, १९०५	पञ्जाब सीमा प्रान्त बिलोचिस्तान और कुछ देशी राज्य (कश्मीर आदि)
५—इलाहाबाद	१८८७, १९०४, १९०५, १९२१	संयुक्त प्रांत अजमेर मारवाड़ और कुछ देशी राज्य
६—बनारस	अक्टूबर १९१५	बनारस जिला
७—मैसूर	जुलाई १९१६	मैसूर राज्य
८—पटना	सितम्बर १९१७ व १९२३	बिहार उड़ीसा और कुछ राज्य
९—उसमानिया (निजाम प्रदेश)	१९१८	हैदराबाद
१०—ढाका	अप्रैल १९२०	५ मील
११—अलीगढ़ मुसलिम	सितम्बर १९२०	१० मील
१२—रंगून	१९२० व १९२४	ब्रह्म देश
१३—लखनऊ	नवम्बर १९२०	स्थानीय
१४—दिल्ली	मार्च १९२२	दिल्ली
१५—नागपुर	जनवरी १९२३	सी. पी. बरार
१६—आंध्र	जनवरी १९२६	तैलङ्ग प्रदेश (मद्रास)

हारटोग कमेटी।

सायमन कमीशन के साथ एक कमेटी शिक्षा सम्बन्धी जांच के लिये नियुक्त हुई हैं जिसके निम्नलिखित सदस्य हैं और जो इस समय जांच कर रही है।

१—सर फिलिप हारटोग अध्यक्ष

२—सर एम्हर्स्ट सेलवी बिग

३—सर सैयद सुलतान अहमद

४—सर जार्ज ऐण्डर्सन

५—मिसेज मुथु लक्ष्मी रेडी

१—हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस

हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस की स्थापना का श्रेय पूज्यपाद पं० मदन मोहन मालवीय को ही है। कल्पना भी इन्हीं ही की है और जिन कठिनाइयों का सामना करके इन्होंने इस विश्व-विद्यालय को खड़ा कर दिया उन्हें केवल वही बता सकते हैं। उन्होंने १ कोटि रुपया इकट्ठा करने का संकल्प किया और देश भर में घूम २ कर धन एकत्र किया अन्य यूनिवर्सिटियों की नाई यह संस्था सरकारी प्रसाद नहीं है। सारे भारतवर्ष के गरीब अमीर छोटे बड़े सब का इस संस्था की स्थापना और उत्कर्ष में हाथ है।

भारत के अनेक देशी राज्य रजवाड़ों ने इसे सहायता दी है। महाराजा मैसूर ने सबसे अधिक धन दिया है महाराजा बनारस ने जमीन दी है और महाराजा दरभङ्गा ने धन, शारीरिक परिश्रम और उद्योग भी इस विश्वविद्यालय को दिया है।

यूनिवर्सिटी का संचालन इस प्रकार है—

(१) कोर्ट—कुल प्रबन्ध कार्य इसके हाथ में हैं। कोर्ट की एक कार्य कारिणी कमेटी भी है जिसे कौंसिल कहते हैं।

(२) सिनेट—कुल शिक्षा कार्य का प्रबन्ध इस कमेटी के हाथ में है। इसकी कार्य कारिणी सभा है जिसे सिण्डीकेट कहते हैं।

सितम्बर १९१५ में बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ और १ अक्टूबर १९१७ को बनारस का सेन्ट्रल हिन्दू कालेज इस यूनिवर्सिटी के माने जाने की घोषणा की गई।

हिन्दू धार्मिक शिक्षा इस संस्था में दी जाती है किन्तु सब धर्म के छात्र लिये जाते हैं। भारतवर्ष भर में स्कूल इससे सम्बद्धित हो सकते हैं।

२—मैसूर यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी सन् १९१६ में ऐक्ट द्वारा मैसूर राज्य में शिक्षा की उन्नति के उद्देश्य से आरम्भ की गई। यूनिवर्सिटी के चान्सलर महाराजा मैसूर हैं और पुरानी यूनिवर्सिटियों की तरह ही इस की संचालन विधि हैं। सीनेट में कम से कम ५० और अधिक से अधिक ६० मेम्बर हो सकते हैं। नवीनता यह हैं कि सब प्रोफेसरों को सदस्यता स्वयम् प्राप्त हो जाती हैं।

मैसूर के शिक्षा विभाग की ३० जून १९२६ को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट से विदित होता है कि इस वर्ष में विद्यालयों की संख्या ८७२२ से ९०८४ और शिक्षार्थियों की २८७७९४ से ३०३०९२ होगई प्रति ३.२४ वर्गमील में ६४५ जन संख्या पीछे एक विद्यालय था। विद्यालय जाने योग्य प्रतिशत बालकों तथा बालिकाओं में क्रमशः ५५.०३ और १३.१४ बालक और बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त करती हैं। गत वर्ष यह संख्या क्रमशः ५२.३० और १२.४८ थी। गत वर्ष २० मनुष्य पीछे एक शिक्षार्थी था, इस वर्ष यह अनुपात १९ और एक का रहा। यह औसत ब्रिटिश भारत के अधिकांश प्रान्तों से अधिक है व्यक्ति पीछे शिक्षा के लिये वहां बारह आना व्यय पड़ा।

३—अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी

यह संस्था सर सैयद अहमद के परिश्रमों का फल स्वरूप हैं। मुसलमानों को शिक्षा का सुप्रबन्ध होना चाहिये इस उद्देश्य से उन्होंने १८७५ में एक स्कूल खोला जो तीन वर्ष के बाद मुहमडन ऐङ्गलो ओरियण्टल कालेज परिवर्तित हो गया। उसके पश्चात अनेक वर्षों तक इस संस्था को यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयत्न जारी रहा। सन् १९११ में आगाखां ने बहुत सा रुपया जमा किया और संचालन विधि का मसौदा भी बनाया। किन्तु सेक्रटरी आफ स्टेट ने मन्जूर नहीं किया और विशेषतः इस प्रश्न पर कि यूनिवर्सिटी को भारत भर में स्कूल व कालेज सम्बन्ध करने का अधिकार दिया जावे उन्होंने अपना मत

विरुद्ध प्रकट किया। और ऐसा ही मत भारत सरकार ने प्रदर्शित किया। ता० १५ अक्टूबर १९१५ को मुसलिम यूनिवर्सिटी के ऐसोसियेशन की एक सभा राजा महमूदाबाद के सभापतित्व में हुई जिसमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि मुसलिम यूनिवर्सिटी फौंडेशन (स्थापना) कमेटी से सिफारिश की जावे कि यह हिन्दू यूनिवर्सिटी को जैसी सुविधायें प्राप्त हैं वही मंजूर करले। यह भी उस समय स्पष्ट हुआ कि अनेक मुसलमान इस सिफारिश को पसन्द नहीं करते थे।

अप्रैल १९१७ में स्थापना कमेटी ने इस आशय का प्रस्ताव पास किया— भारत सरकार के शिक्षा विभाग की चिट्ठी नं० ६६ डी० ओ० दिल्ली १७ फरवरी १९१७ पर विचार करते हुए स्थापना कमेटी तै करती है कि हिन्दू यूनिवर्सिटी के ढङ्ग पर मुसलिम यूनिवर्सिटी का स्वरूप मन्जूर करने पर वह तैयार है और लखनऊ की मीटिंग में बनाई हुई रेगूलेशन कमेटी व प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी मुसलिम यूनिवर्सिटी एसोसियेशन को स्थापना कमेटी अधिकार देती है कि भारत सरकार के शिक्षा सदस्य से परामर्श करके इम्पीरियल कौंसिल में मुसलिम यूनिवर्सिटी बिल पेश करें।

उपरोक्त बिल सितम्बर १९२० में पास हुआ और १ दिसम्बर १९२१ में जारी हुआ।

४—कलकत्ता यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी स० १८५७ में सरकार द्वारा स्थापित हुई। स० १९०४ स० १९०५ और स० १९२१ में अनेक परिवर्तन हुये। सं० १९०४ व सं० १९०५ में पोस्ट ग्रेजुएट (बी. ए के बाद) अध्ययन किये जाने का कार्य आरम्भ हुआ। इस यूनिवर्सिटी की उन्नति के शिखर पर पहुंचाने का श्रेय श्रीयुत आशुतोष मुकर्जी को है जिन्होंने अनेक वर्षों तक निस्पृहता से वाइस चांसलर का कार्य किया और अनेक विद्वानों का संग्रह किया तथा अनेक पुस्तकें विद्वानों से तैयार कराईं।

५—मद्रास यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी भी स० १८५७ में स्थापित हुई और स० १९०४, १९०५ और १९२३ के ऐक्टों द्वारा अनेक परिवर्तन उसके कार्य प्रणाली में हुये। इसका सञ्चालन कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरह है।

६—बम्बई यूनिवर्सिटी।

यह भी १८५७ में कायम हुई और स० १९०४ व १९०५ एक्ट द्वारा इसके सञ्चालन में परिवर्तन किया गया।

७—पंजाब यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी स० १८८२ में कायम हुई और उसके सञ्चालन विधि में १९०४ व १९०५ में परिवर्तन हुआ।

८—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी १८८७ में कायम हुई। स० १९०४ १९०५ में परिवर्तन हुआ स० १९२१ के ऐक्ट द्वारा यह यूनिवर्सिटी रेसीडेन्शल हो गई अर्थात केवल इलाहाबाद ही में उसका कार्य क्षेत्र रह गया और उसका कार्य पढ़ाने का हो गया अब यह परीक्षा संस्था ही नहीं रही। इस यूनिवर्सिटी में से लखनऊ (१९२०) और नागपुर (१९२३) आगरा (१९२८), बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (१९१५) और अलीगढ़ १९२० में अलग हो गई।

९—पटना यूनिवर्सिटी

यह यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स० १९१७ में अलग हुई। इसमें कुछ परिवर्तन १९२३ में हुये।

१०—ढाका यूनियर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी अप्रैल १९२० में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अलग होकर कायम हुई।

११—दिल्ली यूनिवर्सिटी।

पञ्जाब यूनिवर्सिटी का कुछ क्षेत्र अलग करके दिल्ली यूनिवर्सिटी स० १९२२ में कायम की गई।

१२—नागपुर यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी स० १९२३ में कायम हुई। सी. पी. तथा बरार इसका कार्य क्षेत्र है।

१३—आंध्र यूनिवर्सिटी।

जनवरी १९२६ में यह यूनिवर्सिटी कायम हुई। मद्रास यूनिवर्सिटी का कुछ भाग अलहदा कर दिया गया है।

१४—आगरा यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी पिछले वर्ष आरम्भ हुई है।

१५—उसमानिया यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी हैदराबाद (निजाम) प्रांत में स० १९१८ में कायम हुई। इस यूनिवर्सिटी का माध्यम उर्दू भाषा है।

१६—रंगून यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी स० १९२३ (जून) में कायम हुई।

१७—लखनऊ यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी स० १९२० (नवम्बर) में कायम हुई।

राष्ट्रीय विद्यालय ।

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी ।

इस संस्था की स्थापना का निश्चय आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाव ने २६ नवम्बर १८९८ ई० के अधिवेशन में किया था। असली संस्थापक महात्मा मुंशी राम (स्वामी श्रद्धानन्द) ही कहना चाहिये। इन्हीं के प्रयत्नों से ता० २ मार्च १९०२ को वैदिक संस्कृति को पुनरुज्जीवित करने वाली यह संस्था स्थापित हुई। यह निश्चित हुआ था कि संस्था के लिये ३० हजार रुपया पहिले मिलने का अभिवचन मिलना चाहिये और ८०००। रुपया नकद मिल जावे तब संस्था का आरंभ हो। महात्मा मुंशीराम तारीख २६ अगस्त १८९९ को यह भीष्म प्रतिज्ञा करके निकले कि जब तक ३०००० रुपया न लाऊंगा घर लौट कर न आऊंगा और फल यह हुआ कि ७ मास में ३०००० रुपया एकत्र हो गया। स्वर्ग वासी दानवीर मु० अमनसिंह ने अपना पूरा ग्राम कांगडी दान में दे दिया। जिस में १२०० बीघे पक्के हैं।

यह गुरुकुल प्राथमिक ४ श्रेणियों से आरंभ किया गया। स० १९०८ में महाविद्यालय और १९११ में विश्व विद्यालय का इसने रूप धारण किया। स० १९२३ में वेद महाविद्यालय और आयुर्वेद महा विद्यालय भी खोले गये। अब तक इस गुरुकुल की ६ शाखायें खुल चुकी हैं।

नाम गुरुकुल	स्थापना
१—मुलतान	१३ फरवरी १९०९
२—कुरुक्षेत्र	१ वैसाख १९६९ वि०
३—भटिन्डू	१९७२ वि०
४—रायकोट	१८७६ वि०
५—सूपा	१९२४ ई०
६—[illegible]	१९२१ वि०

१३ कार्तिक १९८० को दीपावली के दिन कन्या गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की स्थापना की गई।

स० १९८४ अथवा स० १९२८ तक कुल १८० स्नातक (ग्रेजुएट) निकले हैं। उनमें से ५० शिक्षा कार्य, १० पत्र सम्पादक कार्य, ३ विशुद्ध राजनैतिक कार्य ३७ चिकित्सा कार्य, ४४ व्यापार व जमींदारी कर रहे हैं। ६ स्नातक राजनैतिक कार्यों के लिये जेल भी जा चुके हैं। ६० स्नातक अच्छे लेखक हैं। २९ स्नातकों ने पुस्तकें लिखी हैं। १६ स्नातक भारतवर्ष के बाहर योरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, तथा अफ्रीका, आदि हो आये हैं।

महा विद्यालयों और अधिकारियों की पाठ विधि निश्चित करने के लिये एक शिक्षा पटल की आयोजना १२ माघ १९७९ वि० को अतरंग सभा ने की है।

इस संस्था के मुख्य आचार्य श्री० प्रो० रामदेव हैं।

सम्वत् १९८३ (१९२७ ई०) में गुरुकुल की रजत जयन्ती (सिलवर जुबिली) हुई जिसमें १,५३,००० रु० नकद और एक लाख ३० हजार रु० के वचन मिले।

इस संस्था को २,३५,१३७ रु० स्थिर उपाध्याय (Chairs) वृत्ति के लिये मिला है, छत्र वृत्तियों के लिये १,५२,६९० रु० और पदकों के लिये सहस्रों रु० मिला है। कुछ साल पहिले बाढ़ से गुरुकुल की अनेक इमारतों को हानि पहुँची थी परन्तु शीघ्र ही क्षति पूरी हो गई।

गुरुकुल का कोष ७ लाख रुपये से ऊपर है।

गुरुकुल वृन्दावन।

यह गुरुकुल संयुक्त प्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि द्वारा ता० १ दिसम्बर १९०५, को स्थापित हुआ। कार्य के संचालन के लिये ११ सदस्यों की एक सभा है। मुख्य अधिष्ठाता श्रीरामजी हैं।

इस संस्था में १८० ब्रह्मचारी पढ़ते हैं और वार्षिक व्यय लगभग ७०,००० रुपया है। स्याम, फिजी, ब्रह्मदेश आदि देश के विद्यार्थी इसमें शिक्षा पा रहे हैं। ८।१० वर्ष की आयु के ब्रह्मचारी लिये जाते हैं और २५ वर्ष तक की आयु तक पढ़ाये जाते हैं। इस संस्था की इमारतें डेढ़ लाख रुपये की हैं।

स्नातकों को वेद शिरोमणि, सिद्धांत-शिरोमणि और आयुर्वेद शिरोमणि की उपाधियां दी जाती हैं।

गुरुकुल विद्यापीठ अहमदाबाद।

गुरुकुल विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आन्दोलन के समय हुई है। पहिले गुजरात महा विद्यालय ता० १५ नवम्बर १९२० को खोला गया। हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य है। इस संस्था के अत्युत्तम वाचनालय हैं जिनमें ४०,००० रुपये से अधिक की पुस्तकें हैं।

गुजरात विद्यापीठ के मुख्य नियम यह हैं—

१—विद्यापीठ का मुख्य काम स्व-राज्य प्राप्ति के लिये चलते हुये आन्दोलनों के लिये चारित्र्यवान, शक्ति सम्पन्न, और कर्तव्य निष्ठ कार्यकर्ता तैयार करने का है।

२—विद्यापीठ की कोई संस्था सरकार से सहायता न लेगी।

३—सब संचालकों और शिक्षकों को अहिंसा व्रत धारण करना चाहिये।

४—विद्यापीठ में छूत अछूत का भेद न रक्खा जावेगा।

५—विद्यापीठ के संचालकों, शिक्षकों तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले कार्यकर्ताओं को सूत कातना और खादी पहिरना अनिवार्य होगा।

६—विद्यापीठ में गुजराती भाषा शिक्षा की माध्यम भाषा होगी।

७—हिन्दी राष्ट्र भाषा को योग्य स्थान दिया जावेगा।

८—विद्यापीठ में औद्योगिक शिक्षा को बौद्धिक शिक्षा के बराबर ही महत्व दिया जावेगा।

९—ग्रामों में शिक्षा का प्रचार विद्यापीठ का मुख्य कर्तव्य होगा। आदि।

विद्यापीठ से निकले हुये विद्यार्थियों ने अहमदाबाद में तथा निकटवर्ती ग्रामों में स्वदेशी आन्दोलन का कार्य बड़ी अच्छी तरह से किया है। बारडोली सत्याग्रह में भी गुजरात विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों ने अग्रसर भाग लिया है।

प्रेम महाविद्यालय वृन्दावन।

यह संस्था ता० २४ मई १९०२ को देशभक्त त्याग वीर राजा महेंद्रप्रतापसिंह ने स्थापित की। उन्होंने इस संस्था के लिये अपना महल प्रदान किया। और पांच गांव जिनकी आमदनी खर्च काट कर ३०००० रु० सालाना है। श्रीमान् राजा महेन्द्र प्रताप सिंह इस समय देश की स्वतन्त्रता के लिये अब विदेशों में कार्य कर रहे हैं। जाने के पूर्व इस संस्था की रजिस्ट्री कर दी थी जिसका नाम "प्रेम महाविद्यालय एसोसियेशन वृन्दावन" है। इसके प्रबन्ध के लिये दो समितियां हैं—(१) जनरल कौंसिल (२) एक्जीक्यूटिव कमेटी।

इस संस्था का संचालन इस समय श्री० ए० टी० गिडवानी के हाथ में है। जिनकी सेवा में इस संस्था को महात्मा गान्धी ने दी है।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज के प्रधान बाबू नारायण दास बी० ए० हैं।

इस संस्था की विशेषता यह है कि इसके पाठ्य क्रम में साहित्यक और औद्योगिक शिक्षा का सम्मिश्रण है। एक स्कूल मेट्रीक्यूलेशन तक की शिक्षा देता है। माध्यम हिन्दी है। अंग्रेजी भी सिखलाई जाती है। विद्यार्थी औसत से २ घण्टे प्रति दिन कारखाने में काम करते हैं जहां लकड़ी, चीनी मिट्टी, कालीन बुनना और सिलाई सिखलाई जाती है। सन् १९२७ से

ललित कला भी सिखाई जाती है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विभाग हैं—व्यापार, इंजीनियरिंग, मिट्टी व चीनी, मिकेनिकल (यन्त्र विद्या) लकड़ीय लोहारी, बुनाई, छापाखाना।

विद्यार्थियों के लिये छात्रालय, पुस्तकालय, वाचनालय हैं।

प्रेम महा विद्यालय के सभी विद्यार्थी खद्दर पहिनते है। शारीरिक व्यायाम पर जोर दिया जाता है। छात्र वृत्तियां भी दी जाती है।

विद्यार्थियों को १०) मासिक भोजन व्यय के लिये देना पड़ते हैं। फीस नहीं ली जाती है।

कारखाने से सब प्रकार का सामान जो तैयार होता है बेचा जाता हैं। महा पुरुषों के वस्त्र भी तैयार होते हैं।

प्रेम महा विद्यालय किसी सरकारी संस्था से सम्बद्ध नहीं है। राजा साहेब की रियासत से ही खर्च चलता है।

स० १९२६-२७ में वार्षिक आय ११९३४० रु० ७ आ० ९ पा० और खर्च ८४५५१ रु० १५ आ० १ पा० था और बचत ३४७८८ रु० ८ आ० ८ पा० थी। यही औसत वार्षिक खर्च व आमदनी का है।

विश्व भारती।

शांति निकेतन बोलपुर।

प्रसिद्ध कवि सर रवीन्द्रनाथ टागोर ने इस संस्था को स० १९२१ में स्थापित किया। श्रीयुत टागोर को भारत की प्रचलित शिक्षा प्रणाली अत्यन्त दोष जनक मालूम हुई इस कारण उन्हों ने बोलपुर में एक पाठशाला आरम्भ की उसमें विशेष ध्यान छात्रों के चरित्र गठन और सुसंस्कृति पर ही दिया गया। ऐसी शिक्षा जो केवल उदर भरण के लिये अन्य पाठशालाओं में दी जाती है वह नहीं दी जाती। धीरे २ यह संस्था अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयमें परिवर्तित हो गई है और उस का नाम विश्व-भारती रक्खा गया है। योरोप के प्रसिद्ध विद्वान इस सन्स्था में जिस का नाम "शांति निकेतन" रक्खा गया है आकर ठहरते हैं और विद्या अभ्यास में समय व्यतीत करते हैं। श्रीयुत सी. एफ एन्डरूज और मि० रोलैंड भी इस विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं।

मालवविद्यापीठ अर्वाचीन गुरुकुल राऊ इन्दौर

इस सस्था की स्थापना पं नारायण प्रसाद दीवान देवास (सीनियर) द्वारा १९१८ में देवास में हुई और फिर इन्दौर में यह संस्था आ गई। इसका उद्देश्य है—मालव के बालक तथा बालिकाओं को शारीरिक, मानसिक, और आध्यात्मिक उन्नति करना, उनका जीवन स्वावलम्बी बनाना, हिन्दी,

संस्कृत, और अंग्रेजी की उच्च शिक्षा देकर सदाचारी, ईश्वर भक्त, और व्यवहार दक्ष बनाता है। इस संस्था द्वारा चलाई हुई पाठशाला बहुत अच्छा काम कर रही है।

इण्डियन विमेन्स यूनिवर्सिटी।

अर्थात्

भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई।

प्रोफेसर धोंडूकेशव कर्वे ने स० १८९६ में हिन्दू विधवा आश्रम पूना में स्थापित किया और फिर उसे हिंगणे स्थान जो पूना के करीब है लेगये वहीं पर वह अब भी है। स्थापना के समय शिष्य संख्या केवल २ थी किन्तु स० १९१५ तक बढ़ कर वह काफी बड़ी हो गई। स० १९१५ में जब प्रो० कर्वे भारतीय सामाजिक कान्फ्रेन्स के सभापति हुये उस समय उन्होंने अपने विचार स्त्रियोंके लिये यूनिवर्सिटी सबंधी प्रकट किये। स० १९१६ में प्रो० कर्वेने भारत में भ्रमण करके २००० सज्जनों की सहायता प्राप्त की। जून १९१६ में प्रथम सिनेट की बैठक हुई जिसके (चांसलर) सभापति सर रामकृष्ण भांडारकर और वाइस चांसलर प्रो० रघुनाथ पुरुषोतम परांजपे हुये। प्रारंभिक संचालन विधि बनाई गई और पाठ्यक्रम भी निश्चित किया गया। विधवा आश्रम (हिंगणे) को इस संस्था से सम्बन्धित कर दिया। ५ जुलाई १९१६ को प्रथम कालेज ४ विद्यार्थियों से खोला गया।

सिनेट के स्थान चुनाव द्वारा भरे जाने का प्रथम से ही निश्चय किया गया।

संस्था में मुख्य नियम यह है कि कुल शिक्षा की माध्यम देशी भाषायें हैं और पाठ्यक्रम में यह विशेषता रक्खी गई है कि स्त्रीवर्ग के लिये उपयोगी विषय, पाकशास्त्र, बालचिकित्सा इत्यादि अन्य विषयों के साथ पढ़ाये जाते हैं।

स० १९१६ से १९१९ तक यूनिवर्सिटी का संघटन हुआ। स० १९२०में सर विट्ठलदास डी० ठाकरसी ने यूनिवर्सिटी को सालाना ५२,५०० रुपये की आमदनी (जो १५ लाख रुपये के सरकारी प्रोनोटों पर साढ़े तीन प्रतिशत के हिसाब से व्याज होता है) प्रदानकी और कुछ शर्तें भी लगाईं जिन में से मुख्य यह थीं (१) इस संस्था के नाम के पहिले नाथीबाई दामोदर ठाकरसी लगा दिया जावे (२) यूनिवर्सिटी का मुख्य स्थान पूना से बम्बई तबदील कर दिया जावे। (३) कुछ बातें पूरी होने पर असल रुपया १५ लाख भी यूनिवर्सिटी को मिल जावेगा।

सेठ पूरणचन्द्र खत्राव ने ३५००० रु० स्त्रियों के बोर्डिङ्ग हौस के लिये दिया है। और स० १९१६ से १९२६ तक यूनिवर्सिटी से लगभग ७२ हजार रुपया की सहायता प्राप्त की है।

स० १९२० में एक कालेज और दो स्कूल गुजरात के इससे सम्बद्धित हुये। १९१६-२६ तक ४० स्त्रियां ग्रेजुयेट हुईं।

इस समय चांसलर दि आनरेबल सर चुन्नीलाल वी मेहता और वाइस चांसलर डा० रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे हैं। इस संस्था के प्राण वास्तव में प्रो० कर्वे हैं इन्हीं के परिश्रमों से यह संस्था इस रूप को प्राप्त हुई।

प्रयाग महिला विद्यापीठ।

यह संस्था २ फरवरी १९२२ को श्रीयुत पुरुषोत्तमदास जी टन्डन तथा बाबू संगमलाल अग्रवाल के प्रयत्नों से स्थापित हुई। श्रीयुत टन्डनजी चेयरमैन और बा० अग्रवालजी मेम्बर म्युनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद के थे इस कारण उक्त म्युनिसिपल बोर्ड से इस कार्य को बड़ी सहायता मिली। यह विद्यापीठ परीक्षक संस्था के स्वरूप में ही आरम्भ किया गया है। इस विद्यापीठ की मुख्य परीक्षायें तीन रक्खी गई हैं (१) विद्याविनोदिनी (मैट्रीकूलेशन) (२) विदुषी (बी.ए.) और (३) सरस्वती (एम. ए.)।

जिस समय से यह विद्यापीठ आरम्भ हुआ है उसी समय से जनता ने इसे अपनाया है। प्रत्येक बड़े शहर में इसकी परीक्षायें उस स्थान के प्रतिष्ठित सज्जनों की देख रेख में प्रति वर्ष होती है सन् १९२३ से ३ साल के भीतर इस विद्यापीठ के केन्द्र विद्याविनोदिनी की परीक्षा के लिये ५२ हो गये और परीक्षार्थिनियों की संख्या ४१३ होगई। इसी प्रकार विदुषी परीक्षा के लिये स० १९२४ में २६ परीक्षार्थिनियां थीं। परीक्षायें हिन्दी भाषा में होती हैं।

काशी विद्यापीठ।

काशी विद्यापीठ की स्थापना ता० १० फरवरी १९२१ को हुई असहयोग आन्दोलन का यह पीठ प्रत्यक्ष फल है। श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त तथा बाबू भगवानदास राष्ट्रीय पाठशाला खोलने का उद्योग कर रहे थे कि जनवरी स० १९२१ में महात्मा गांधी ने श्रीयुत भगवानदास को पत्र लिखा कि "मुझे विश्वास है कि अब काशी जी में एक महाविद्यालय शीघ्र खोलना चाहिये।" इस पर निश्चय दृढ़ कर लिया गया और २८ माघ १९७७ (सौर) क

शुभ मुहूर्त पर महात्मा गाँधीजी के कर कमलों से और पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जबाहिरलाल नेहरू, सेठ जमनालाल बजाज, आदि नेताओं की उपस्थिति में पवित्र वेद मन्त्रों के उच्चारण सहित विद्यापीठ का आरम्भ हुआ।

इस विद्यापीठ का सञ्चाल दो सभाओं के आधीन है (१) निरीक्षक सभा (२) प्रबन्ध समिति। प्रबन्ध समिति ही मुख्य कार्यवाहक सभा हैं। उसके अध्यक्ष बाबू भगवानदास हैं और मन्त्री श्री० शिवप्रसाद गुप्त है। निरीक्षक सभा के सदस्य महात्मा गांधी, पं० मोतीलाल नेहरू, श्री० श्रीप्रकाश श्री० नरेन्द्र देव आदि हैं। एक शिक्षा परिषद् भी है जो पाठ्य क्रम को निश्चित करती है।

श्री० शिवप्रसाद गुप्त ने इस संस्था के लिए १० लाख रुपये का प्रबन्ध कर दिया है जिसका वार्षिक सूद ६०००० रु० आता हैं। इस कोश का नाम "श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि" (बा० शिब प्रसाद के भाई के नाम से) रक्खा गया है।

विद्यापीठ के तीन मुख्य विभाग हैं क—विद्यालय जिसमें (१) दर्शन (२) इतिहास राजधर्म अर्थ शास्त्र, (३) गणित (४) संस्कृत, हिन्दी उर्दू, अंग्रेजी के अध्ययन का भी प्रबन्ध है। ख—परीक्षायें (१) विशारद (२) शास्त्री (३) आचार्य की स्थिर की गई हैं। (ग) विद्यापीठ में युक्त प्रांत के अनेक विद्यालय सम्बद्धित हैं। सम्वत् १९७८ में १५ राष्ट्रीय पाठशालाओं के १५० विद्यार्थियों ने परीक्षा दी तथा एफ. ए. के समान परीक्षा में १३. और बी. ए. के समान परीक्षा में १० सम्मिलित हुये। उस समय से विद्यापीठ बराबर उन्नति करता जाता हैं। उसकी इमारतें भी अब तैयार हो गई है और श्रीयुत नरेन्द्र देव आचार्य की अध्यक्षता में कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। गांधी आश्रम इस संस्था से अलग कर दिया गया हैं। विद्यापीठ में शिक्षा विभाग भी है जिसमें विद्यार्थी उपयोगी धन्धे सीख रहे हैं। श्रीयुत श्रीप्रकाश और श्री० वीरबल सिंह ने इस पीठ के लिये बड़े परिश्रम किये हैं।

विहार विद्यापीठ।

इसका कार्य्य १० जनवरी १९२१ को ही आरम्भ हुआ। पर विधि पूर्वक इसका उद्घाटन महात्मा गाँधी द्वारा ६ फरवरी १९२१ को हुआ।

इसके प्रधान संस्थापक मौ० मजरूल हक श्री राजेन्द्र प्रसाद तथा श्री व्रजकिशोर प्रसाद हैं।

प्रधान कार्य्यकारिणी समिति के

सदस्य ये हैं:—

१ श्री० राजेन्द्र प्रसाद
२ " ब्रजकिशोर प्रसाद
३ " बदरी नाथ बर्मा
४ " रामनिरीक्षण सिंह
५ " जयचन्द्र विद्यालङ्कार
६ " राम चरित्र सिंह
७ " अनुग्रह नारायण सिंह
८ " धरणीधर
९ " कृष्णबल्लभ सहाय
१० " गदाधर प्रसाद अम्बर
११ मौ० ओजाबर मुनीमी

वार्षिक अधिवेशन का स्थान विहार विद्यापीठ पो० दीघाघाट।

प्रथम समावर्तन संस्कार के सभापति श्री० राजगोपालाचार्य्य।

द्वितीय के महात्मा गाँधी

तीसरे के मैजर बी. डी. बसु।

संस्था द्वारा चलाये हुए विद्यालयों के नामः—

(क) राष्ट्रीय उच्च विद्यालयः—

१ सदाकत आश्रम पटना
२ खगोल (पटना)
३ दानापुर (पटना)
४ पिपरा पो० दमोदर पुर (चम्पारण)
५ खगड़िया (मुंगेर)
६ खड्गपुर (मुंगेर)

गांधी विद्यालय—

१ मधुबनी (दरभंगा)
२ गोगरी (मुंगेर)

धर्मपुर विद्यालय—

१ बरैठा पो० कोढ़ा (पुर्णियां)

राष्ट्रीय विद्यालय—

१ लाल बाग (दरभङ्गा)

(ख) माध्यमिक राष्ट्रीय विद्यालय—

१ लखीसराय (मुंगेर)
२ उन्नाव (मुंगेर)
३ बसनगामा (भागलपुर)
४ चक्रधर पुर (सिंहभूमि)
५ मधुपुर (संथाल परगना)
६ मस्तीपुर (दरभङ्गा)
७ दलसिंग सराय (दरभङ्गा)
८ बैरिगिनियां (मुजफ्फरपुर)
९ शिवहर (मुजफ्फरपुर)
१० रक्सौल (चम्पारण)
११ चनपटिया (चम्पारण)

(ग) प्रारम्भिक राष्ट्रीय विद्यालय—

१ रोसड़ा (दरभंगा)

गोरक्षा राष्ट्रीय विद्यालय—

१ भरखा (छपरा)

इसके अलावा और कितने ही प्रारम्भिक विद्यालय हैं।

(घ) महाविद्यालयः—

विहार विद्यापीठ पो० दीघाघाट। संस्था द्वारा चलाया हुआ एक राष्ट्रीय

महाविद्यालय पुस्तकालय है और एक बाचनालय है।

इसके अन्तर्गत एक राष्ट्रीय शिक्षा मण्डल है जिसका काम संस्था के लिये धन इकट्ठा करना है। इसके ३ प्रकार के सदस्य हैं।

(१) जो एक बार ५०००) या इससे अधिक देते हैं। वे संरक्षक कहलाते हैं। इस प्रकार के एक सदस्य है।

(२) दूसरे प्रकार के सदस्य आजीबन सदस्य कहलाते हैं जो एक वार ५००) या इससे अधिक देते हैं। इस प्रकार के सदयस्य २०–२५ हैं।

(३) तीसरे में वे हैं जो बार्षिक ५) या अधिक देते हैं। इस प्रकार के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है।

जातीय मकान और लगभग छः सौ बीघा जमीन हैं।

इसके अन्तर्गत एक विहार विद्यापीठ आयुर्वेदिक औषधालय है जिसका लक्ष्य यहाँ के विद्यार्थियों को आयुर्वेदिक शिक्षा देकर स्वावलम्बी बनाना है तथा भारत में आयुर्वेदिक औषधियों का प्रचार करना है। तथा विद्यापीठ को आर्थिक मदद पहुंचाना है।

इसके अन्तर्गत एक लकड़ी का कारखाना हैं जिसमें सब प्रकार की लकड़ी का काम किया जाता हैं।

एक बिशेष उल्लेख योग्य घटना यह है कि यहां के विद्यार्थी बर्ष में दो महीना देहातों में जाते हैं और वहां देहातों का अनुभव प्राप्त करते हैं तथा लोगों में सफाई, चर्खा शिक्षा का प्रचार करते हैं। विशेष अवसर पड़ने पर यथा बाढ़, मलेरिया इत्यादि में विद्यार्थी गण देहातियों की मदद के लिये भेजे जाते हैं।

ब्रिटिश भारत में विद्यालय (१९२५-२६)

प्रान्त	राजमान्य विद्यालय						अन्य विद्यालय		जोड	
	कालेज		स्कूल		जोड					
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
मद्रास	६८	७	४४४९२	३४०९	४४५६०	३४१६	२७४८	५८	४७०८	३४७४
बम्बई	२२	...	१२७३८	११६४५	१२७६०	१६४५	१२०२	११०	१४०२३	१७५५
बंगाल	५३	७	४२५३९	१३९४९	४२५९२	१३९५५	११७५	२५४	४३७६७	१४२०९
संयुक्त प्रान्त	५३	५	१९५००	१७९८	१९५५३	१८०३	२७२०	१७२	२२२७३	१९७५
पंजाब	२८	३	११२०९	१२८८	११२३७	१२७१	२५८९	१७५७	१३८२६	३०८८
बरमा	२	...	५७८४	९०७	५७८६	९०७	१८४२२	६७	२४२०८	९७४
बिहार और उड़ीसा	१४	१	२८७८७	३०२१	२८८०१	३०२२	१६५१	१५६	३०४५२	३१७८
मध्य प्रदेश	८	...	४६४९	३९३	४६५७	३९३	२९९	१९	४९३६	४१२
आसाम	४	...	४७५०	४३७	४७५४	४३७	३६८	१७	५१२२	४५४
उत्तर पश्चिमी सरहद्दी प्रांत	४	...	५९७	८५	६०१	८५	३५१	१४	९५२	९९
ब्रिटिश बिलोचिस्तान	...	...	८१	६	८१	९	५३४	१	३१५	१०
अजमेर मारवाड़	१	...	१७५	२०	१७६	२०	९५	१८	२७१	३८
कुर्ग	...	...	१०२	१०	१०२	१०	६	...	१०८	१०
देहली	५	२	१८५	३६	१९०	३८	९०	३	२८०	४१
बंगलोर	१	१	६२	३८	६३	३९	१५	५	७८	४४
अन्य	१	...	७३	४०	७४	४०	२५	५	९९	४५
जोड	२६४	२६	१५६७२३	२७०८८	१७५९८७	२७११०	३२०३०	२६९६	२०८०१७	२९८०६

विद्यार्थियों की संख्या (१९२५–२६)

प्रान्त	विद्यार्थी जो राजमान विद्यालयों में हैं — कालेज पुरुष	कालेज महिला	स्कूल पुरुष	स्कूल महिला	जोड़ पुरुष	जोड़ महिला	विद्यार्थी जो अन्य विद्यालयों में हैं — पुरुष	महिला	जोड़ पुरुष	जोड़ महिला
मद्रास	१३११९	४३५	२०१७२३४	२३५००२	२०३०२५३	२३६०३७	७९१४५	१०१७	२१०९४९८	२३७०५४
बम्बई	९८६३	...	८९००५४	१३७५२४	९०९९१७	१३७५२४	३३१०१	४४८८	९३५०१८	१४२०१२
बंगाल	३१११०	३२५	१८०४०२१	३३६६४१	१८३५२११	३३६४६६	४३२४७	६५८८	१८७८४५८	३४३५४४
संयुक्तप्रांत	१२३४०	१३३	११३३६८५	७५२८२	११४६०२५	७५३१५	६४१४८	४०५७	१२१४१७३	७९४५२
पंजाब	९१२९	११६	८९१०८५	७५१८७	९००२१४	७५३०३	५४३८७	३१८१२	९५४०६१	१०८२१५
बरमा	१३९७	...	३५०२१७	५९८८४	३५१५१४	५९८८४	२०१९४३	१७६७	५५३४५७	६१६५१
बिहार और उड़ीसा	४०१४	८	९६३५०९	७४०५२	९६७००५	७४०६०	३९६४१	८०७१	१००७३४८	७७१३१
मध्य प्रदेश	१७३३	...	३४१२७१	२५७८३	३४३००४	२५७८३	८४४२	७५४	३५१४४६	३६५३७
आसाम	१३३४	...	२४१९७४	१७०४८	२४३००८	१७०४८	१४९९३	७३७	२५८२०१	१७७८५
उत्तर पश्चिमी प्रान्त	४२०	...	५१६५२	६३४४	५२०७२	६३४४	७८३७	२६६	५९९०९	६६१०
ब्रिटिश बिलोचिस्तान	...	...	४५४५	९०८	४५४५	९०८	३१९९	२५	७७३५	९३३
अजमेर मारवाड़	१३१	...	१०१२९	१७६६	१०२६०	१७६६	३८३७	७५३	१४०९७	२५१९
कुर्ग	...	...	७९९९	८४२	७९९९	८४२	१२७	...	४१२६	८४२
देहली	१२०७	१०५	१०३५६	३२३८	१०५६३	३३६३	४३३२	३३०	२२८९५	३६७३
बंगलौर	११५	३१०	७८६८	४५६३	७९८३	४८७३	६५२	११७	८६३५	४९९०
अन्य	३०१		११८३३	४०२८	१११५४	४०२८	१४५७	२५७	१३५८१	४२८५
जोड़	८७१७७	१४१२	८७४६४२२	१०५८६१२	८८५९५९९	१०६०१०४	५६४४७९	५७१३९	९३९७०७८	१११७२५३

महिला विद्यार्थिनियां ।

स्टेज	योरोपियन तथा ऐंग्लो इंडियन	देशी ईसाई	हिन्दू	मुसलमान	बौद्ध	पारसी	अन्य	जोड
कालेज	१६१	३८७	४१८	३२	...	७	१८	१०२३
हाई स्कूल	१२५४	१७६८	२३७०	१२२	१२८	४८३	११८	६०२३
मिडिल स्कूल	४३०४	८५६७	१४१२७	१५२४	१०१९	१४०८	६९६	३१६४५
प्राथमिक पाठशालायें	१७६१९	५८९१६	५७४४०८	२८९१०८	४७७३३	४६५१	१७४२१	१००९८५६
विशेष पाठशालायें	८१९	५१०६	३७४४	९५८	३६१	२४८	१११	११३४७
अन्य पाठशालायें	४७	१०३४	१४३०८	३८३२७	१७७८	३३	१६५९	५७१३९
जोड	२४१५७	७५७७८	६०९३७५	३३००७१	५१०१९	६८३०	२००२३	११९७२५३

शिक्षा सम्बन्धी व्यय।

सन् १९२५-२६ में निम्नलिखित व्यय ब्रिटिश भारत में शिक्षा पर किया गया है—

नाम	रुपया
मद्रास	४,१६,२०,०५१
बम्बई	३,७७,२९,७३३
बङ्गाल	३,७६,९४,२९०
संयुक्त प्रान्त	३,१३,५३,८८०
पंजाब	२,५६,२२,०४४
बर्मा	१,७२,४१,५९८
बिहार और उड़ीसा	१,५३,८१,८१५
मध्य प्रदेश	१,०२,७२,४६४
आसाम	४०,५३,५६८
उत्तर पश्चिमी सरहद्दी प्रान्त	१८,२९,५६९
ब्रिटिश बिलोचिस्तान	४,६२,९७३
अजमेर मारवाड़	६,१०,१५०
कुर्ग	२,२१,३०६
देहली	१६,७६,१४०
बङ्गलौर	७,८८,८१६
हिन्दुस्थानी रियासतें	१२,१४,१३५
	२२,७७,९२,५३२

भारत में पढ़े लिखों की संख्या ।

नाम	कुल आबादी	पढ़े लिखे	फी सैकड़े
भारत	३१६०५५२२१	२२६२३६५१	७
आसाम	७६०६२३०	४८३१०५	६।
बङ्गाल	४६६९५५३६	४२५४६०१	९
बिहार उड़ीसा	३४००२१४९	१५४६२५७	४।
बम्बई	१७२७१७१७	१६४५५३३	९॥
बर्मा	१३१६९०९९	३६५२०४३	२
" प्रदेश बरार	१३९१२७६०	६३३२९२	४॥
मद्रास	२२५१३४०	८७०५३	३॥
पंजाब	२०६८५०२४	८३३४९२	४
संयुक्त प्रान्त	४५३७५७८७	१६८८८७२	३॥।
बड़ौदा	२१२६५२२	२७२४१८	१२॥
बिहार के देशी राज्य	३९९९६६९	११५२३२	३
बम्बई के ,,	७४०९४२९	५८०७२३	८
मध्यप्रांत के ,,	५९९७०२३	९८९४४६	३
हैदराबाद	१२४७७७०	३६५२९०	३
काश्मीर	३२५९५२७	७२२२८	३।
मद्रास के देशी राज्य	५४६०३१२	११९५३७२	२२
मैसूर	५९७८८९२	४४३१७३	७॥
पंजाब के देशी राज्य	४४१६०३६	१३४४५१	३
राजपूताना व मध्यभारत	९८४४३८४	३३१७२५	३।

(भारत की १९२१ की मनुष्य गणना पर से)

धार्मिक साहित्यिक तथा सामाजिक संस्थायें।

धार्मिक साहित्यिक तथा समाजिक सन्स्थाय।

१—डेक्कन सभा पूना।

स्वर्गीय जस्टिस रानडे ने इस संस्था की स्थापना सार्वजनिक राजकीय हित रक्षा के उद्देश्य से १८९६ पूना में की। पता—सदाशिव पेठ पूना सिटी।

२—भारत इतिहास संशोधक मंडल पूना।

संस्था का उद्देश्य प्राचीन प्रख्यात ग्रन्थकारों के अप्रकाशित ग्रन्थों की व ऐतहासिक कागज़ पत्रों की खोज करना व उनका प्रकाशन करना है। पता—शनवार पेठ, पूना।

३—इंडियन होमरूल लीग।

स्थापना १९१६ उद्देश्य—हिन्दुस्तान के लिये स्वराज्य प्राप्त। मुख्य आफिस पूना में है और बहुत सी शाखायें अन्यत्र फैली हैं।

४—इंडियन सायन्स कांग्रेस कलकत्ता।

यह संस्था वैज्ञानिक शोधकी उन्नति के लिये १९१४ में स्थापित हुई। हर साल भिन्न भिन्न स्थानों में इस का अधिवेशन होता है। अध्यक्ष सर एम विश्वेश्वर अय्यर, पता—एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता।

५—कामगार हितवर्धक सभा बम्बई।

स्थापना १९०९। उद्देश्य (१) मजदूर व उन के मालिकों के बीच झगड़ों का समझोते से निपटारा करना (२) मजदूरों को शिक्षा देकर उनकी बुरी आदतें दूर करना (३) उन को उनके संकट काल में आर्थिक कानूनी या वैद्यकीय मदद देना और हर तरह से उनके हितों की रक्षा करना।

६—नेशनल होमरूल लीग अडयार।

जहां तक जल्द हो सके वहा तक सब उचित उपायों से हिन्दुस्तान के लिये स्वराज्य हासिल करने के उद्देश से १९१० में स्थापित हुई। अडियार, मद्रास शाखायें अन्यत्र फैली हैं।

७—राजस्थान सेवा संघ अजमेर।

संघ भारतीय देशी राज्यों की प्रजा को उन्नति के लिये आन्दोलन करता है अध्यक्ष श्रीयुत वी. एस. पथिक।

८—सेवा समिति इलाहाबाद।

स्थापना १९१५। अध्यक्ष पंडित मदनमोहन मालवीय, सेक्रेटरी हृदयनाथ कुन्जुरू एम. एल. सी.

९—ब्रिटिश इण्डियन पीपल्स असोसियेशन कलकत्ता।

उद्देश्य—भारत निवासी यूरोपियन्स एङ्गलो इण्डियन्स व अन्य भारतीयों के हित का संरक्षण करना। प्रेसीडेण्ट राजा ऋषिकेश ला, सेक्रटरी डाक्टर मोरीनो २, वेलस्ली स्केअर कलकत्ता।

१०-यूरोपियन एसोसियेशन कलकत्ता

स्थापना १८८३ उद्देश्य—हिन्दी राजकीय जीवन में यूरोपियन वर्कस कायम रखना। इसकी भारत में कुल २० शाखायें हैं और एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकलती है। प्रेसीडेण्ट मि० जे. लांगफर्ड जेम्स, जनरल सेक्रटरी कर्नल जे. डी. क्राफर्ड, मुख्य आफिस १७ स्टीफन कोर्ट, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।

११-इंडियन केमिकल सोसायटी कलकत्ता।

१९२४ में सर पी. सी. राय की अध्यक्षता में स्थापित हुई, सेक्रटरी प्रो. जे.ऐन. मुकर्जी ९२ अपर सरक्यूलर रोड कलकत्ता।

१२—इंडियन सोसायटी आफ़ ओरियंटल आर्ट कलकत्ता।

बङ्गाल के प्रसिद्ध व्यक्तियों ने १९०५ ई० में इस सभा की स्थापना की प्रत्येक वर्ष प्रदर्शिनी होती है। प्रेसी-डेण्ट, सर राजेन्द्रनाथ मुकर्जी, सेक्रटरीज, मेसर्स काटन व जी. एन. टागोर, पता—६ ए. कारपोरेशन स्ट्रीट हिन्दुस्तान बिल्डिंग, कलकत्ता।

१३—आर्ट सोसायटी कलकत्ता।

१८८८ में चित्र व अन्य कला के कामों की प्रदर्शिनियों से कलाओं को उत्तेजन देने के उद्देश्य से स्थापित हुई।

१४-एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता

पौर्वात्य हस्त लिखित ग्रन्थों का संग्रह अच्छी संख्या में करना उद्देश्य है सेक्रटरी, जी. एच. टिपर ५७ पार्क स्ट्रीट.

१५—सोशल सर्विस लीग बम्बई

स्थापना १९११ उद्देश्य-सामाजिक जन सेवा। संस्था की 'सोशल सर्विस क्वार्टर्ली' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका है और संस्था अन्य लोकोपयोगी काम करती है।

१६—ट्रेड यूनियन कांग्रेस।

स्थापना १९२०, उद्देश्य-सर्व प्रांतों के और सब व्यवसायों की मजदूर संस्थाओं के प्रयत्नों का केन्द्रीकरण और सामाजिक राजकीय व औद्योगिक मामलों में भारतीय मजदूरों के हितों की रक्षा करना। जनरल सेक्रटरी श्री० डी. चमनलाल, लाहौर।

१७—वेस्टर्न इंडिया नेशनल लिबरल असोसियेशन बम्बई।

स्थापना १९१८, उद्देश्य-जन साधारण के नैतिक, आर्थिक व राजकीय सुख वृद्ध्यर्थ अखण्डित प्रयत्न करना, प्रेसीडेण्ट, सर डी. ई. वाच्छा।

१८—ऐङ्गलो इंडियन लीग कलकत्ता

ऐङ्गलो इण्डियनों के हितरक्षणार्थ यह सभा स्थापित हुई। अध्यक्ष डा० एच. डब्ल्यू. बी. मोरोनो एम. एल सी. सेक्रटरी, मि०. ए. मेकडोनाल्ड बी. ए. बी. एल. आफिस, २ वेल्सली स्क्वेयर कलकत्ता।

१९-बनारस मेथिमेटिकल सोसायटी

गणित विषय का अध्ययन व ऐतिहासिक जांच करने के लिये ता० २९ अगस्त १९१८ में स्थापित हुई। सोसायटी का एक जर्नल व लायब्रेरी है और उसमें करीब ६० मेंबर हैं। लाइफ प्रेसीडेण्ट डा० गणेशप्रसाद एम. ए. डी एस. सी. सेक्रटरी, प्रो० चण्डीप्रसाद।

सदस्य—प्रो० श्यामाचरण
डा० लक्ष्मीनारायण
डा० अवधेशनरायण सिंह
डा० गोरख प्रसाद
डा० विभूति भूषणदत्त
मि० रामकुमार चौबे
मि० वेणीमाधवसिंह
मि० राजकिशोर
डा० जियाउद्दीन अहमद

खजानची — यशुमति प्रसाद

२०—रसिक समाज कानपुर।

स्थापना—३० वर्ष से ऊपर। स्वर्गीय राय देवीप्रसाद पूर्ण इसके जीवन दाता थे। वर्तमान सभापति पं० रामरतन शर्मा 'रत्नेश' हैं इसकी शाखाये साहित्य मण्डल और नाट्य समिति हैं। साहित्य मण्डल के सभापति श्री० रामाज्ञा द्विवेदी "समीर" एम. ए. हैं। इस समाज से "कादम्बरी" नामक पत्रिका प्रकाशित होती है—वार्षिक अधिवेशन चैत्र रामनवमी। पता—कानपुर।

२१—हिन्दू वनिता आश्रम तथा आल इंडिया हिन्दू सम्बन्ध सहायक समिति सहारनपुर।

स्थापना—२२ जून १९२२ को पं० हरिदेव शर्मा कथा वाचक द्वारा। सदस्यों की संख्या ६० है।

२२—ज्ञान मण्डल काशी।

स्थापना—सन् १९१९ में श्री० शिवप्रसाद गुप्त ने की और वही इसके सञ्चालक हैं। प्रधान व्यवस्थापक श्री० श्री प्रकाश हैं। इस मण्डल से अनेक उत्तम २ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। हिन्दी भाषा की उन्नति ही इसका ध्येय है। 'आज' दैनिक पत्र यहीं से प्रकाशित होता है। परन्तु आर्डीनेन्स प्रेस ऐक्ट के कारण ता. १-५-३० से बन्द है।

२३—महारानी लक्ष्मीबाई स्मारक सभा झांसी।

इस सभा का उद्देश्य महारानी लक्ष्मीबाई के लिये एक उत्तम स्मारक तैयार करना है। सभा के अध्यक्ष श्री० गणेशशङ्कर विद्यार्थी सम्पादक 'प्रताप' कानपुर तथा मन्त्री र. वि. धुलेकर हैं। जिनको नमक-कानून में १५माह की सादी कैद व २००) जुर्माना ता. २-५-३० को हो चुका है। इस संस्था की रजिस्ट्री हो चुकी है।

२४—दलित जातियों की उन्नति के लिये सभा कलकत्ता

यह सभा सन् १९०९ में स्थापित हुई जिस समय इसके आधीन १ स्कूल था। अब १९२८ में ४०७ स्कूल हैं। दलित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या १३,५४३ लड़के और ३१३४ लड़कियां हैं। स० १९२७-२८ में इस सभा ने १७८३४॥।) खर्च किया। अध्यक्ष सर पी. सी. मित्र और उपाध्यक्ष (१) सर पी. सी. राय (२) जुगलकिशोर बिडला (३) राय साहिब राजा मोहन दास। मंत्री डा० पी. के. आचार्जी एम. ए. पता—१३ बादुर बागा न रो. कलकत्ता।

२५—इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पोलिटिकल एंड सोशल सायन्स बम्बई।

स्थापना १९१७,। उद्देश्य-राजकीय व सामाजिक विषयों का सांगोपांग व व्यापक तौर पर अभ्यास, उनकी चर्चा व उन पर मत प्रदर्शित करना और उन विषयों पर ग्रन्थ प्रकाशित करके इन उद्देश्यों की पूर्तियों के लिये एक लायब्रेरी रखना। आफिस-सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसायटी सेन्डहर्स्ट रोड, गिरगाँव बम्बई अध्यक्ष—मि० के. नटराजन सेक्रेटरी डा. आंबडेकर और मि. देवले।

२६—इंडियन मैथेमेटिकल सोसाइटी पूना।

स्थापना १९०७। हिन्दुस्तान में गणित विषय के अध्यन की प्रगति के उद्देश्य से स्थापना। संस्था की लायब्रेरी फरग्यूसन कालेज पूना में हैं जहां से उसके अखिल भारतीय २२५ मेंबरों को किताबें व पत्रिकायें भेजी जाती हैं, संस्था की त्रैमासिक पत्रिका मद्रास से प्रकाशित होती हैं। प्रेसीडेन्ट बी. राम स्वामीं अय्यर एम. ए. डिपुटी कलेक्टर चित्तूर, सेक्रेटरी प्रो. नरसंयंगर बंगलोर व मि० शहा० पूना

२७—पेसिंजर्स एंड ट्रैफिक रिलीफ असोसियेशन बम्बई।

स्थापना १९१५। संस्थापक जीवराज जी० नेन्सी। उद्देश्य—भारतीय रेलवे और जहाज व अन्य कम्पनियों के प्रवासियों के कष्टों की खोज करके दूर करने के लिये सभाओं, अर्जियों, प्रचार वगैरा द्वारा प्रयत्न करना व इस उद्देश्य पूर्ति के लिये शाखाओं की स्थापना व धन सञ्चय करना। प्रेसीडेन्ट मि० मेयर निस्सीन सेक्रेटरी, खानबहादुर पी. ई. घामट तथा जीवराज जी० नेन्सी। सदस्यों की संख्या लगभग ३५० है पता—१३९, मेडोज स्ट्रीट फोर्ट बंबई।

२८—आर्ट सोसायटी बम्बई।

स्थापना १९८८। उद्देश्य—चित्र व

अन्य कला कोशल्य के कामों के प्रदर्शन से कलाओं की उन्नति में सहाय्यता करना। सेक्रेटरी एस. बी. भांडारकर, बम्बई।

२६—नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी बम्बई।

स्थापना १९१३। उद्देश्य-प्राणिशास्त्र की सर्व शाखाओं के अध्ययन को उत्तेजना देना। संस्था का एक प्राणि संग्रहालय है जिसमें हिन्दुस्तान भर के सब तरह के प्राणी हैं इसके करीब १७०० मेंबर हैं। संस्था की तरफ से एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है। प्रेसीडेन्ट सर लेस्ली विलसन सेक्रेटरी। आर. ए. स्पेन्सर पता ६ अपीली स्ट्रीट बम्बई।

३०—खादी प्रतिष्ठान, सोदेपुर बंगाल।

यह खादी प्रचार की सबसे बड़ी संस्था बंगाल में है। साबरमती आश्रम के ढङ्ग पर यहां कार्यकर्ता सिखाये जाते हैं। मुख्य कार्यकर्ता इस प्रतिष्ठान के श्री. सतीशचन्द्र दास गुप्त हैं। डा. पी. सी. राय की भी बहुत कुछ सहायता हैं। रंगसाजी भी सिखाई जाती है बंगाल में इस संस्था की शाखायें खादी तैयार करने वाली १२ हैं। और खादी बेचने वाले भण्डार २५ हैं। १०००० रु. की खादी प्रत्येक मास तैयार होती है। लागत खुद संस्था की १,०७०·० रु० है और अ. भा. चरखा संघ से १,८६,००० रुपया कर्ज लिये हुये हैं। यह प्रतिष्ठान पुस्तकें भी प्रकाशित करता है और प्रचार का भी कार्य मैजिक लेन्टर्ण लेक्चरों द्वारा करता है। इसके कार्यकर्ता १६० हैं।

३१—भांडारकर ओरियंटल रिसर्च इंन्सिटयूट पूना।

स्वर्गीय सर रामकृष्ण भांडारकर के नाम से १९१७ में स्थापित, संस्था के उद्देश्य पौर्वात्य प्राचीन साहित्य के मौलिक ग्रन्थों का व अन्य ग्रन्थों के शुद्ध संस्करण का प्रकाशित करना पौर्वात्य साहित्य की खोज करने के मार्ग छात्रों को सिखाना, साहित्य का ज्ञान हर तरह से संग्रहित करना व ग्रन्थों का संग्रहालय स्थापित करना है इस संस्था को डाक्टर सर आर. जी. भांडारकर की बहुमूल्य लायब्रेरी और डेक्कन कालेज के हस्तलिखित प्रतियों का संग्रह प्राप्त हुआ है और इसकी सांपत्तिक स्थिति भी अच्छी है। संस्था से एक पत्रिका प्रकाशित होती है और इसने 'महा भारत' का संशोधित संस्करण प्रकाशित करने का काम हाथ में लिया है सेक्रेटरी डाक्टर एस. के. वेलवेलकर सन् १९२८–२९ में ८२,२४१ रु० की आमदनी हुई और ७४७८७ रु० का खर्च हुआ।

विधवा सहायक सभा लाहौर।

नीचे दिये हुये कोष्ठक में भिन्न २ प्रान्त से संस्था के पास जिन विधवा बिवाहों की रिपोर्ट पहुंची उनकी संख्या मालूम होगी

संस्था के कार्य की उन्नति १९१४–२६।

जाति	१९१४ १५	१९१६	१९१७	१९१८	१९१९	१९२०	१९२१	१९२२	१९२३	१९२४	१९२५	१९२६	जोड़
ब्राह्मण	५	३	७	१५	१८	३५	३५	९६	१६३	३३८	४४७	५७६	१७३८
क्षत्री	४	६	९	१२	३१	३८	६७	११२	१८३	२७३	५०८	४०५	१६४८
अरोडा	...	...	२	२	६	५१	१०४	११०	२३२	३४७	५७०	६१३	२०३७
अग्रवाल	२	२	४	७	२३	५३	३३	४१	१०५	१०८	१८०	३७७	९३५
कायस्थ	१	२	२	२	३	१३	१०	२०	१९	५९	७६	१२७	३३१
राजपूत	...	...	३	१	२	१२	१४	१६	६३	१४०	२०२	२८९	७४२
सिक्ख	...	...	१	...	...	...	१६	१९	६	४६	२५१	२८५	६२४
	...	...	३	१	७	१८	३३	३९	१२१	२६५	४२९	५००	१४५१
जोड	१२	१३	३१	४०	९०	२२०	३१७	४५३	८९२	१६०३	२६६३	३१७२	९५०६

विधवाओं की संख्या ।

प्रान्त ।	विधवाओं की संख्या	२५ साल के नीचे की विधवायें	१९२५ में रिपोर्ट हुए विवाह	१९२६ में रिपोर्ट हुए विवाह	कैफियत
१ पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर पश्चिमी सरहद्दी सूबा	८७७१०७	४०७५७	२०९८	२०१३	
२ संयुक्त प्रांत आगरा व अवध	३२७१९८४	१९२१३३	३५६	६१३	
३ विहार व उड़ीसा	३०४३८९०	२२५९३८	६	५७	
४ बंगाल व आसाम	२८१६३७४	२०५८९५	१०३	१५४	
५ राजपूताना	७५२२०५	४४४८९	१७	६९	
६ बम्बई	१९५८३१९	१४३२५८	१२	६	
७ मध्यप्रदेश	१०८५९९०	९७६८९	१५	२१	
८ मद्रास	३९४३६७१	२३९३१६	२३	९	

३२—विधवा विवाह सहायक सभा लाहौर ।

स्थापना १९१४ । उद्देश्य (१) बिधवा विवाह का प्रचार करना तथा बिवाहों का प्रबन्ध करना (२) इस उद्देश्य पूर्ति के लिये योग्य साहित्य लोगों के हाथों में देना (३) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अन्य कार्य करना। इस सभा की स्थापना सर गङ्गाराम ने की और इसके लिये एक ट्रस्ट बनाया जिससे सभा को आर्थिक सहायता दी जाती हैं। सन् १९२६–२७ में इस सभा की ५९७ शाखायें थीं। संस्था के वैतनिक कर्मचारी अनेक हैं। इस संस्था ने इस कार्य में अभी तक १,१६,०७० रु० खर्च किये हैं १९८६ तक ११७१२ मर्दों के व १८५१ विधवाओं के (या उनके संरक्षकों के) प्रार्थना पत्र संस्था में आये। यह संस्था तीन मासिक पत्रिकायें प्रकाशित करती है (१) विधवा सहायक (उर्दू) (२) विधवा बन्धु (हिन्दी) (३) विडोज काज (अंग्रेजी)

३३—सैन्ट्रल लेबर बोर्ड बम्बई ।

भारतीय मजदूरों की वर्तमान स्थिति का सुधार व उन्नति इसका उद्देश्य है। सब प्रकार के मजदूर संघ कायम करना आन्दोलन करना, तथा मजदूरों की शिकायतों को इकट्ठा करना आदि इस संस्था के कार्य हैं। सन् १९२२ में इस की स्थापना हुई और इसके मुख्य कार्यकर्ता मि० झावबाला सेक्रटरी हैं। जो मेरठ षडयंत्र केश में जेल में पड़े हैं।

३४—जामैमिल्लया इसलामिया दिल्ली ।

यह संस्था उर्दू भाषा की राष्ट्रीय विद्यापीठ है। अरबी व फारसी विद्या की उच्च शिक्षा देना इसका उद्देश्य हैं अनेक परीक्षायें प्रति वर्ष ली जाती हैं। इस संस्था के पास एक अत्युत्तम वाचनालय, छापाखाना, तथा उर्दू पुस्तकों का भांडार भी है। जामैमिल्लिया ने एक 'उर्दू एकाडामी' भी कायम की है जिसमें विज्ञान इतिहास इत्यादि के विश्वस्त ग्रन्थ लिखने का प्रबन्ध किया गया है। इस एकाडामी के अधिष्टाता डा० सैयद आबिद हुसेन एम. ए. पी. एच. डी. हैं। पता—करदल बाग, दिल्ली

३५-क्षय रोगियों के लिये शुश्रूषाग्रह भुवाली यू. पी.

यह रजिस्टर्ड संस्था स्वर्गीय मि० बी. एम. मलवारी व मि० दयाराम गिडुमल ने १९०९ में स्थापित की। धरमपुर में यह सेनिटोरियम देवदार के जङ्गल में विस्तृत स्थान में है १९११ में उसका नाम 'दी किंग एडवर्ड दी सेवन्थ सेनिटोरियम' रक्खा गया इस संस्था की एक स्वतन्त्र गौशाला दूध के लिये है और इसके लिये लेडी हार्डिङ्ग वाटर वर्क्स नामक पानी का भांडार है यहां ७५ रोगियों के लिये प्रबन्ध है और दो डाक्टर भी इलाज के लिये संस्था की तरफ से नियत हैं।

इस भवन में सन् १९२६ में १३६ रोगी थे उनमें पेशों के हिसाब से निम्न-लिखित प्रकार के रोगी थे। इसके बाद रिपोर्ट नहीं छपी।

क्लार्क	२९
गृहणी	२०
विद्यार्थी	२३
व्यापारी	१२
जमीदार वगैरः	१३
शिक्षक	६
फुटकर	३३
कुल	१३६

जिसमें १११ पुरुष और २५ स्त्रियां थीं।

सेनिटोरियम् में मकानों के वर्ग ए. बी. सी. और डी. हैं। अंग्रेजों के लिये फीस कम से कम ६० रु० और अधिक से अधिक २५० रु० मासिक है। हिन्दुस्तानियों के लिये फीस इस प्रकार है—

ए.	६० रु०
बी.	३० ,,
सी.	१५ ,,

डी. वर्ग के रोगी छप्पर में रक्खे जाते हैं और खाना मुफ्त में मिलता है। पता—धर्मपुर भुवाली।

३६—थियोसोफिकल एजुकेशनल ट्रस्ट अडियार।

स्थापना १९१३। उद्देश्य-भारतीय विद्यार्थियों को मानसिक, शारीरिक, धार्मिक, व बौद्धिक शिक्षा देना ट्रस्ट की साधारण शिक्षा नीति मि० बेसेन्ट की "प्रिन्सिपल्स आफ एजूकेशन" नामक किताब में है। संस्था की मुख्य शालायें व पाठशालायें निम्नलिखित हैं—

(१) थियोसोफिकल स्कूल व कालेज, अडियार. (२) थियोसोफिकल स्कूल, मदनापल्ली. (३) थियोसोफिकल स्कूल, बनारस. (४) महिला थियोसोफिकल पाठशाला, बनारस। प्रेसीडेण्ट डाक्टर ऐनीबेसेन्ट. सेक्रटरी मि० यदुनन्दन प्रसाद. मुख्य स्थान—अडियार।

३७—सेवा सदन सोसायटी पूना।

स्वर्गीय श्रीमती रमाबाई रानडे, मि० गो. कृ. देवधर प्रभृति सज्जनों ने १९०९ में पूना में स्थापित की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को स्वावलम्बी बनाना और शैक्षणिक व वैद्यकीय क्षेत्रों में सेवा करने की शिक्षा देना है। इस संस्था की शाखायें सतारा, बारामती, बम्बई, सोलापुर, अहमदनगर, अलीबाग, व नासिक आदि स्थानों पर हैं और लगभग १२०० स्त्रियां व बालिकायें इन सब शाखाओं में मिलकर सङ्गीत रोग चिकित्सा दाइयों का काम तथा अन्य विषयों की शिक्षा पाती हैं बाई मोतीबाई वाडिया के नाम से एक ट्रेनिङ्ग कालेज है जिसमें ८५ महिलायें शिक्षक बनने की शिक्षा पाती हैं। इस

संस्था ने अपना ध्यान इस समय विशेषतः सूतिका परिचरिया शिशु व बालसङ्गोपन व अन्य नर्सिङ्ग कार्य की ओर भी दिया हैं। प्रेसीडेन्ट श्रीमती राणी साहेब सांगली हैं और जनरल सेक्रेटरी श्री गोपाल कृष्ण देवधर हैं।

३८—बम्बई ह्युमेनिटेरियन लीग (जीव दया सन्घ)

स्थापना १९१५। उद्देश्य आरोग्य उपयोगिता तथा भूत दया की दृष्टि से पशु हत्या निषेध लोगों को बतलाना और हर तरह की निर्दयता से पशुओं को बचाने की कोशिश करना। अंग्रेजी मासिक इण्डियन ह्यूमनिटेरियन और गुजराती मासिक "जीवदया" संस्था की ओर से प्रकाशित होती है। सेक्रटरीज श्री० झावबाला व शहा।

३९—डेक्कन ऐजुकेशन सोसायटी पूना।

यह संस्था महाराष्ट्र में शिक्षा प्रचार के उद्देश्य से स्थापित हुई। इस के संस्थापकों में लोकमान्य तिलक व श्रीयुत आगरकर प्रभृति स्वार्थ त्यागी नेता थे। प्रारम्भ में न्यू इङ्गलिश स्कूल नामक पाठशाला खोली गई। संस्था द्वारा कायम किये हुये फरग्युसन कालेज पूना व विलिंग्डन कालेज सांगली नामक दो कालेज व अनेक पाठशालायें हैं जिनमें कई हजार छात्र शिक्षा पाते हैं और संस्था के स्वामित्व की कई कीमती इमारतें व छात्रालय हैं देश की शिक्षा संस्थाओं में इस संस्था का प्रधान स्थान है।

४०—विमेंस इण्डियन एसोसियेशन अडयार।

इस संस्था की स्थापना १९१७ में अडयार में हुई। संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—(१) बाल विवाह की प्रथा की रोक (२) महिलाओं के लिये कौंसिलों व म्युनिसिपैलिटियों में मताधिकार प्राप्त करना। मत दान का व मेंबर होने का हक सम्पादन करना (३) महिलाओं को यह ज्ञान करा देना कि भारत के भविष्य का उत्तरदायित्व इनके हाथ में हैं क्योंकि माताओं व पत्नियों के नाते से भारत के भावी शासकों का चरित्र बनाने का कार्य इनका ही है (४) अनाथ, व रोगी दुःखितों की शुश्रूषा करने की शिक्षा महिलाओं को देना। इस संस्था ने ८ साल में कुल भारत में ६५ शाखाएँ स्थापित कीं और उसमें तीन हजार से ऊपर मेंबर बनाये। संस्था में सेवा सदन की तरह सङ्गीत, सीना, पिरौना, आरोग्य, धर्म व साहित्य की शिक्षा दी जाती है। संस्था से एक 'स्त्री धर्म' नाम की मासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती हैं।

४१—यंगमेन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन कलकत्ता।

इस संस्था की स्थापना १८४४ में सर जार्ज विलियम्स के द्वारा हुई। इस समय इस संस्था की लगभग दो सौ पचास शाखायें सारे जगत में फैली हुई हैं हिन्दुस्तान में इसकी ६० से ऊपर शाखायें हैं और सर्व धर्म व पंथ के कई हजार मेंबर हैं। संस्था का उद्देश्य युवकों की धार्मिक, सामाजिक, मानसिक व शारीरिक उन्नति करना है। इस उद्देश्य पूर्ति के लिये संस्था की तरफ से कई जगह छात्रगृह, वाचनालय, व्यायाम शालायें आदि स्थापित की गई हैं। और मैजिक लेंटर्न द्वारा विभिन्न विषयों पर व्याख्यान व चर्चा की जाती हैं। संस्था की तरफ से एक मासिक पत्रिका "यंग मेन आफ इंडिया" निकलती है। मुख्य आफिस ५ रसेल स्ट्रीट कलकत्ता है। चेयरमेन, दी आनरेबल सर ईवर्ट ग्रीवज व सेक्रेटरीज मेसर्स पाल व दत हैं।

४२—यंगविमेन्स क्रिश्चियन एसोसियेसन आफ इंडिया कलकत्ता।

स्थापना १८७५ उद्देश्य—यूरोपियन एङ्गलो इंडियन व भारतीय युवतियों व कन्याओं की अध्यात्मिक, बौद्धिक शारीरक व सामाजिक उन्नति करना। शाखायें १५४। संस्था के २३ निवासग्रह हैं। संस्था का कार्य वाइ. एम. सी. ए. के ही धरती पर होता है। कन्याओं के लिये शारीरिक व्यायाम खेल क्लब, व्याख्यान व्यापारिक शिक्षा बाइबिल शिक्षा व सामाजिक सायंकालों आदि का इन्तजाम किया जाता हैं। संस्था की तरफ से बड़े २ बन्दरगाहों पर प्रवासियों की मदद की जाती है और उन के ठहरने का इन्तजाम संस्था गृहों में किया जाता है। "विमेंस आउट लुक" यह संस्था की मासिक पत्रिका है और आफिस ५ रसेल स्ट्रीट कलकत्ता में हैं। जनरल सेक्रेटरी मिसेस एस के दत्त हैं।

४३—इंडियन इकोनोमिक सोसायटी बम्बई।

स्थापना १९१५ उद्देश्य—अर्थ शास्त्र का अध्ययन शास्त्रीय दृष्टि से करना और भारत के उद्योग धन्दों का निश्चित ज्ञान एकत्र करना। एक त्रैमासिक पत्रिका "दी जर्नल आफ दी इंडियन एकोनोमिक सोसायटी„ संस्था से प्रकाशित होती है, आफिस सर्वेंट आफ इंडिया सोसायटीज् होम गिरगांव बम्बई।

४४—पारसी राजकीय सभा बम्बई।

स्थापना १९८१, उद्देश्य राजकीय विषयों की पारसी समाज को शिक्षा देना और पारसियों में राजनैतिक कार्य की रुचित उत्पन्न करके भारतोन्नति में अन्य समाजों की सहायता करने के लिये उनको तैय्यार करना, अध्यक्ष

एस: आर बोमनजी सेक्रेटरी मि. बी. एफ. भारूचा, पता—लिप्टन कम्पनी के सामने, अपोलो स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई।

४५—सर्वेंट्स् आफ इंडिया सोसायटी पूना।

यह संस्था स्व० देश भक्त गोपाल कृष्ण गोखले ने १९०५ में स्थापित की इस संस्था का उद्देश्य ऐसे देश सेवकों को तैयार करना है जो देश सेवा को धर्म समझ कर उस के लिये अपना पूरा आयुष्य देवें। यह संस्था सब वैध उपायों द्वारा भारतवासियों के हित वृद्धि के प्रयत्न करने का उद्देश्य अपने सामने रखता है। संस्था का मुख्य आफिस पूना में हैं और बम्बई, मद्रास्, इलाहाबाद, नागपूर, में शाखायें है। उप शाखायें कालिकट मंगलोर, लखनऊ लाहोर व कटक में हैं। सेवक को प्रवेश के अनन्तर तीन वर्ष तक पूना में और दो साल तक और जगह पर कुल पांच साल तक अस्थाई रूप से रहना पड़ता है। हर मेंबर को प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि देश ही का स्थान उस के हृदय में सदा प्रथम रहेगा और वह जात पांत विचार छोड़ कर सब भारतवासियों की सेवा भ्रातृभाव से करेगा स्वर्गीय गोखले के बाद आनरेबल मि० सी. एस श्रीनिवास शास्त्री प्रेसीडेन्ट हुये और इस वक्त मि० गो० कृ० देवधर प्रेसीडेन्ट हैं। सहकारी-समितियों का आन्दोलन, दुर्भिक्ष पीड़तों की सहायता मजदूर संगठन व अन्य सामाजिक कार्यों में संस्था के मेंबर प्रमुख भाग लेते हैं। सोसाइटी के तीस मेंबर हैं और उसके नियंत्रण में हितवाद, ज्ञानप्रकाश, व सर्वेंट आफ इंडिया, समाचार पत्र हैं।

४६—अखिल भारतीय चरखा संघ साबरमती।

यह संस्था सितम्बर सन १९२५ में पटना में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक के अवसर पर महात्मागांधी द्वारा कायम हुई। मुख्य उद्देश्य यह था कि खादी प्रचार के कार्य में राजनैतिक कार्यों से बाधा न पड़े। कांग्रेस कमेटी ने अपना कुछ धन जो खादी कार्य में लगा हुआ था इस संस्था को प्रस्ताव द्वारा दे दिया। पांच वर्ष के लिये एक कार्य कारिणी कमेटी भी बना दी गई और इसके लिये नियम भी बना दिये गये। सदस्य (१) महात्मा गांधी (२) मौ० शौकत अली (३) श्री० राजेन्द्र प्रसाद (४) सतीशचन्द्र दासगुप्त (५) मगनलाल गांधी (६) सेठ जमनालाल बजाज (खजानची) (७) शुयैब कुरैशी (८) शंकर-लाल बैंकर (९) जवाहरलाल नेहरू। इस संस्था को कर्ज लेने व देने का भी अधिकार दिया गया है। इस समय पं० जवाहिरलाल और शुयैब कुरैशी कार्य कारिणी सभा में नहीं हैं। श्री० सी० राजगोपालाचारयर व श्री० गंगाधर राव देशपांडे व श्री० कोंडा वैंकट पैया और श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम भी शामिल कर लिये गये हैं।

प्रान्तों में एजेन्ट और सेक्रेटरी नियत हैं जो संस्था का कार्य चलाते हैं।

इस समय इस संस्था के ७४१ खादी बनाने वाले केन्द्र और २४५ वेचने वाले भण्डार हैं स० १९२७-२८ में संस्था की ओर से २४१६३८२ रु० की तैयार की गई और ३३०८६३४ रु० की वेची गई।

इस संस्था का यह भी कार्य है कि खादी प्रचार के लिये रुई धुनकना, कातना, बुनना, रंगना, सूत जांचना, और यन्त्र बनाना विद्यार्थियों को सिखावे

चरखा संघ का इस समय २१,५७,१६०॥ लगा हुआ है। और ९२४४०४॥)११ पाई अन्य संस्थाओं को कर्ज दिया हुआ है। इस संस्था में ४३४ कार्य कर्ता हैं।

४७—सत्याग्रह आश्रम साबरमती अहमदाबाद।

यह संस्था महात्मा गांधी ने कोचरब स्थान (अहमदाबाद) में वैषाख शुद्ध ११ सम्वत १९७१ (२५ मई १९१५) को स्थापित की। बर्तमान स्थान साबरमती है।

उद्देश्य।

जगत हित की अविरोधी देशसेवा करने की शिक्षा लेना और ऐसी देश-सेवा करने का संतत प्रयत्न करना इस आश्रम के उद्देश्य हैं।

नियम।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये नीचे के नियमों का पालन आवश्यक है—

(१) सत्य—सामान्य व्यवहार में असत्य न बोलना या उसका आचरण न करना ही सत्य का अर्थ नहीं है। किन्तु सत्य ही परमेश्वर है और उसके अलावा और कुछ नहीं है।

(२) अहिंसा—प्राणियों का वध न करना ही इस व्रत के पालन के लिये बस नहीं है। अहिंसा है सूक्ष्म जन्तुओं से लेकर मनुष्य तक सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखना।

(३) ब्रह्मचर्य—ब्रह्मचारी किसी स्त्री या पुरुष पर कुदृष्टि न करे केवल इतना नहीं मन से भी विषयों का चितबन या सेबन न करे।

(४) अस्वाद—भोजन केवल शरीर यात्रा के लिये ही हो, भोग के लिये कभी नहीं।

(५) अस्तेय—दूसरे की बस्तु बिना उसकी अनुमति के लिये हुये न लेना और न जिस उपयोग के लिये मिली हो उससे दूसरा उपयोग लेना।

(६) अपरिग्रह—जिस वस्तु की जरूरत न हो उसका संग्रह न करना।

(७) शारीरिक श्रम—दूसरे के श्रम पर निर्भर न रहना स्वयं श्रम करना।

(८) स्वदेशी—पड़ोसी की सेवा करना जगत की सेवा करना है। इस भावना का नाम स्वदेशी है। जो अपने नजदीकियों की सेवा छोड़कर दूर वालों की सेवा करने या लेने को दौड़ता

है वह स्वदेशी व्रत को भंग करता है। कुटुम्ब के लिये अपने आप को, शहर के कल्याण के लिये कुटुम्ब को और देश के लिये शहर को और जगत के लिये देश को होम कर दिया जाय।

(९) अभय—किसी का भय न मानना।

(१०) अस्पृश्यता निवारण—आश्रम जाति भेद नहीं मानता।

(११) सहिष्णुता—सर्व धर्मों के प्रति आदर रखना।

इस के अतिरिक्त कुछ प्रवृत्तियाँ भी हैं जो आश्रम के रहने वाले धारण करते है [१] उपासना [२] शौच सुधार [३] कातने का यज्ञ [४] खेती [५] दुग्धालय [६] चर्मालय [७] राष्ट्रीय शिक्षा जिस में १५ विद्यार्थी और २ विद्यार्थिनियां तैयार हुई हैं [८] खादी सेवक शाला इस शाला में आज तक २५० विद्यार्थियों ने लाभ उठाया है। ३३ विद्यार्थी भिन्न भिन्न प्रांतों में हैं।

ता० २४ जुलाई सन् १९२६ से आश्रम की व्यवस्था एक कार्य वाहक मंडल करता है जिस के प्रमुख [१] महादेव हरिभाई देसाई और [२] इमाम अबदुल कादिर व बजार उप-प्रमुख हैं।

वार्षिक खर्च।

औसत वार्षिक खर्च ३०००) है।

आश्रम की मिलकियत।

जमीन—१३२ एकड़ २८ गुंठा कीमत २६९०२।-)६

मकान   २,९५,१२१॥|-)६

यह सम्पत्ति एक ट्रस्ट के हाथ में है जिस में ५ सज्जन हैं प्रमुख श्री जमना लाल बजाज हैं।

जन संख्या।

६ जून सन् १९२८ को इस आश्रम में १३३ पुरुष, ६६ स्त्री, और ७८ बालक बालिकायें। कुल २७७ आदमी थे। कुल १२ मजदूर हैं।

४८—सर्वेन्टस आफ दी पीपल्स सोसायटी लाहौर।

स्थापना सन् १९२१ में शुभनाम लाला लाजपतराय जी ने इस समिति की नीव डाली। उद्देश्य-राजनैतिक आर्थिक सामाजिक और शिक्षा सम्बंधी क्षेत्रों में मातृभूमि की सेवा के लिये होनहार और शिक्षित नवयुवकों को तैयार करना। प्रत्येक व्यक्ति को जो सोसायटी में शामिल होता है यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि वह कम से कम बीस साल तक सोसायटी की सेवा करेगा उस के उद्देश्यों को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेगा और कोई कार्य एसा नहीं करेगा जो सोसायटी के उद्देश्यों के प्रतिकूल हो। सोसायटी के मेम्बर वे ही लोग बनाये जा सकते हैं जो ग्रेजुएट हों या उतनी योग्यता रखते हों। सोसायटी का सारा इंतजाम कार्यकारिणी कमेटी करेगी जिस में सिर्फ सोसायटी के मेम्बर होंगे और

जिसके मेंबरों का चुनाव हर साल सोसायटी के मेंबरों द्वारा हुआ करेगा। लालाजी संस्था के नियमों द्वारा प्रथम सभापति थे बाद में हर तीसरे साल सभापति का चुनाव हुआ करेगा ऐसा नियम है। सभापति मेंबरों में से ही चुना जायगा।

अपने मेंबरों के गुजारे मात्र के लिये सोसायटी कुछ मासिक वृत्ति देती है जो निम्नलिखित आधार पर है यदि कोई मेंबर विवाहित हैं तो उसे पहिले वर्ष साठ और दूसरे और तीसरे वर्ष सत्तर और चौथे से आठवें वर्ष तक एक सौ आठवें वर्ष बाद ११० रु० मिलेंगे। हर सन्तान के लिये १० रु० अलग दिये जायेंगे पर यह शर्त चार लड़कों तक लागू रहेगी। (२) यदि कोई मेंबर अविवाहित है तो पहिले वर्ष ५०) और तीसरे वर्ष ६०), चौथे से आठवें साल तक ७५), आठवें से बारहवें साल तक ९०), और उसके बाद १०० रु० मिलेंगे हर मेंबर को चाहे वह विवाहित हो चाहे अकेला हो तीन साल तक २५) और उसके बाद ४०) तक मकान किराया मिलेगा हर मेंबर की जिन्दगी का बीमा चार हजार रुपयों के लिये होगा। सभा के सहायक एसोशियेट बनाये जा सकते हैं।

इस समय सोसायटी के मौजूदा सदस्य असोशियेट हैं।

आजीवन सदस्य

(१) लाला फिरोजचन्द (२) लाला अचिन्तराम (३) ला० जगन्नाथ (४) गोपबन्धु दास (५) मोहनलाल (६) बलदेव चौबे (७) अलगूराय शास्त्री (८) हरिहरनाथ शास्त्री (९) हनुमान प्रसाद माथुर (१०) लिङ्गराज मिश्र (११) मोहनलाल गोतम (१२) लाल बहादुर शास्त्री (१३) बलवन्तराय मेहता (१४) अमरनाथ विद्यालङ्कार (१५) लाला छबीलदास।

सभा की कार्यकारिणी सभा—श्री० पुरुषोत्तम दास टंडन (प्रेसीडेण्ट), श्री० फीरोजचन्द, श्री० अचिन्तराम, श्री० मोहनलाल, श्री० छबीलदास, श्री० जगन्नाथ सेक्रटरी)

अछूतोद्धार का कार्य सोसायटी की तरफ से पञ्जाब और संयुक्त प्रान्त में हो रहा है। संयुक्त प्रान्त में अछूतोद्धार के केन्द्र मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर अलीगढ़, एटा, आगरा, बनारस और झांसी हैं। पञ्जाब में अमृतसर, लाहौर, गुरुदासपुर, कपूरथला, जलन्धर, और फीरोजपुर में काम हो रहा है। अछूतोद्धार के कार्य पर हर साल ४० हजार रुपया खर्च किया जा रहा है।

सोसायटी के प्रयत्नों से पञ्जाब और संयुक्त प्रान्त में सहयोग समितियों (कोआपरेटिव सोसाइटीज) का कार्य खूब जोर पकड़ रहा है। इस समय १६ सोसाइटियां पंजाब में और २१२ सोसाइटियां संयुक्त प्रान्त में, सोसाइटी के

प्रयत्न से सङ्गठित हुई हैं। सोसाइटी के आधीन दोनों प्रान्तों में अछूतों की शिक्षा के लिये १०० से अधिक पाठ-शालायें खुल चुकी हैं। मेरठ में कुमार आश्रम और लाहौर में श्रद्धानन्द आश्रम सोसाइटी द्वारा सञ्चालित हो रहे हैं। इन आश्रमों में आक्षरिक ज्ञान के अलावा बच्चों को रहन सहन का ढङ्ग सिखाया जाता है और उन्हें समाज सेवा के लिये तैयार किया जाता है।

सोसाइटी द्वारा किये हुये आन्दोलन से पंजाब सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाल कर बेगार को गैर कानूनी करार दे दिया हैं। सोसाइटी की ओर से 'बन्देमातरम्' (उर्दू) और 'पीपल' (अंग्रेजी) यह दो पत्र प्रकाशित होते हैं जिन्होंने अल्प काल में ही बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है।

सोसाइटी के सदस्य श्री० बलवन्त राय मेहता भावनगर में शिक्षा का कार्य और अलीगढ़ में बाबू हनुमानप्रसाद जी विधवा सहायक सभा का कार्य कर रहे हैं। लाहौर में स्वास्थ्य, शिशुपालन व व्यायाम वगैरः की शिक्षा का प्रबन्ध भी सोसाइटी की ओर से हुआ है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता व मजदूर सङ्गठन का कार्य भी सोसाइटी करती हैं। राज-नैतिक क्षेत्र में सोसाइटी की कोई निश्चित नीति नहीं है। सोसाइटी के मेंबरों को कांग्रेस के कार्य में भाग लेने की पूर्ण आजादी है और कई मेंबर राजनैतिक जीवन का खास अङ्ग हैं। स्वर्गीय ला० लाजपतराय असेम्बली के मेंबर थे और प० लिंगराम मिश्र बिहार उड़ीसा कौंसिल के मेंबर थे।

संस्था का धन लगभग १,६०,००० रु० है इसके अतिरिक्त लालाजी स्मारक फण्ड भी जमा हुआ हैं। तारीख २४ दिसम्बर १९२९ को महात्मा गान्धीजी के कर कमलों से लाजपतराय हाल समारोह सहित खोला गया।

४९—हिन्दू अबलाश्रम कलकत्ता।

श्री० पद्मराज जैन, श्री० बालकृष्ण मेहता तथा अन्य सज्जनों ने मिलकर यह आश्रम विधवाओं तथा अनाथ स्त्रियों की रक्षा के लिये ४-५ साल हुये जब खोला है। सन् १९२८ में ऐसी १५ कुमारी बालिकायें आईं जिन्हें उनके सम्बन्धियों ने ही भ्रष्ट कर दिया था और वे गर्भवती हो गईं। ७२ बच्चों में से ३२ अपनी माताओं के साथ गये और १८ मर गये। शेष का प्रबन्ध कर दिया गया। ३१ मई १९२८ को ५४ बालिकायें थीं। वार्षिक व्यय १३०९०) हैं स्थायी मासिक आमदनी २५०) है।

५०—शिरोमणि गुरु द्वारा प्रबन्धक कमेटी अमृतसर।

यह संस्था ता० १५ नवम्बर १९२० ई० को स्थापित हुई। इस संस्था का उद्देश्य यह है कि सिख पंथ के गुरुद्वाराओं का उचित प्रबंध सिखों द्वारा ही किया जावे

आरम्भिक काल में सिखों के गुरुद्वाराओं का प्रबन्ध स्थानिक संगतों (सदस्यों के समूहों) के हाथों में रहता था जो अपना २ ग्रन्थी (पुजारी) नियत कर लेते थे। कभी २ समय पाकर यह ग्रन्थी स्वार्थ वश, अपने आपको मालिक समझ लेते थे और कुकर्मों में लिप्त हो जाते थे। उस समय सिखों की संगतें ऐसे लोगों को हटा देती थीं। किन्तु अंग्रेजी राज्य में इन ग्रन्थियों को महन्तों का सा मान कानून द्वारा मिलने लगा और ग्रन्थी ही (जो ग्रन्थ साहेब के एक प्रकार के पुजारी थे) गुरु द्वारा के मालिक माने जाने लगे। संगतों की भी दृष्टि इन गुरुद्वारों की ओर कम हुई। फलतः गुरुद्वाराओं का प्रबन्ध बिगड़ गया और ग्रन्थ लोग आमदनी को नाच रंग में उड़ाने लगे। जायदादें बरबाद की जाने लगीं। स० १९१८ के करीब सिखों में गुरुद्वाराओं के सुधार की चरचा चलने लगी। और अमृतसर के सुवर्ण मन्दिर में नाच रंग बन्द किये जाने का प्रयत्न किया जाने लगा किन्तु सिखों की कुछ चल न सकी। गुरु गोविन्द सिंह ने सिखों को शसस्त्र सिपाही बना दिया था. ऐसे सशस्त्र योद्धाओं का नाम "अकाली" पड़ गया था। इन्हीं अकालियों ने गुरुद्वारा सुधार आन्दोलन आरम्भ किया। उन्हें यह देख कर अत्यन्त दुःख हुआ कि सुवर्ण गुरुद्वारा अमृतसर के महन्त ने जनरल डायर को जिसने जलियानवाला बाग में भीषण हत्याकांड किया था 'खिलअत' दी। स० १९२० में नानकाना साहेब में एक ऐसा महन्त बना दिया गया जो सिख धर्म छोड़ चुका था। 'वाबेदी बेर' नामक मुकदमा भी चला किंतु सिख हार गये। सरकार ने सिखों को इस कार्य में कोई सहायता न दी। इन्हीं बातों से सिखों ने निश्चय कर लिया कि बिना सरकारी सहायता के वे स्वयं अपनी शक्ति से गुरुद्वारों का सुप्रबन्ध कर लेंगे। इन कारणों से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी की स्थापना हुई। इस कमेटी ने गुरुद्वारा सुधार आन्दोलन बड़े जोर शोर से चलाया। गुरु का बाग सत्याग्रह इसी कमेटी ने चलाया और सरकार को हरा दिया। उस स्थान पर सहस्रों अकालियों को भारी से भारी चोटें सरकारी पुलिस व फौज द्वारा दी गईं सहस्रों अकाली जेल भेज दिये गये अनेक नेताओं को कड़ी सजायें दी गईं किन्तु सिख पीछे न हटे। जैतो सत्याग्रह भी अकालियों द्वारा किया गया और वहां भी अकालियों की विजय रही स० १९२५ में सरकार ने मजबूर होकर एक ऐक्ट पास किया जिसके द्वारा सब गुरुद्वारा सिखों के हाथ में दे दिये गये और महन्तों की शक्ति तोड़ दी गई।

इस सन्स्था की निम्न लिखित शाखायें हैं—

१—छूत तोड़ सभा २—शहीद सिख मिशनरी कालेज ३—कानून

विभाग (शि० गु० प्र० क०) लाहौर।

४—प्रत्येक सिख गुरु द्वारा के लिये एक प्रबन्धक कमेटी।

कार्य वाहक मण्डल।

१—सरदार खडकसिंह बी. ए., एल-एल. बी. सभापति।
२—मास्टर तारासिंह बी. ए. बी. टी.
३—सरदार अभयसिंह बी. ए., बी. टी. सेक्रटरी।
४—सरदार लालसिंह बी. ए. अ० सेक्रटरी।
५—ज्ञानी शेरसिंह सेक्रटरी, छूत तोड़ कमेटी।
६—सरदार गङ्गासिंह प्रिन्सिपल शहीद सि. मि. कालेज।
७—सरदार मानसिंह बी. ए. एल एल. बी. सीनियर कौंसिल कानून विभाग।

कार्य कारिणी सभा।

१—सरदार मङ्गलसिंह २—सरदार जसवन्त सिंह ३—सरदार भागसिंह ४—ज्ञानी करतार सिंह ५—सरदार हरीसिंह ६—ज्ञानी शेर सिंह ७—भगत जसवन्तसिंह ८—सरदार बखशी सिंह अमाड़ो।

साधारणतया १ वर्ष में दो सभायें आम होती हैं। १० मार्च के करीब बजट पास करने को और अक्टूबर या नवम्बर से पदाधिकारी चुनने के लिये उपरोक्त कमेटी २८ अक्टूबर १९२८ को चुनी गई थी।

प्रबन्धक कमेटी के कोष के चार भाग हैं। १—प्रचार २—गुरुद्वारा सेवक सहायता ३—गुरुद्वारा बोर्ड ४—जनरल ट्रस्ट कोष।

५१—अखिल भारतवर्षीय धर्म महा मण्डल काशी।

प्रयाग में महा कुम्भ के अवसर पर श्री स्वामी केशवानन्द, श्री स्वामी वाला नन्द आदि महा पुरुषों ने इस प्रकार के मण्डल स्थापित किये जाने का कार्य आरम्भ किया। इसी के बाद ही मथुरा में 'निगमागम मण्डली' खोली गई और शास्त्र प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया गया। सन् १९०१ में सनातन धर्म महा परिषद दक्षिण, धर्म मण्डली पूर्व, भारत धर्म महा मण्डल उत्तर भारत, तथा अन्य सभाओं के सम्मेलन से यह अखिल भारतवर्षीय धर्म महा मण्डल का जन्म हुआ। सन् १९०२ में इस संस्था की रजिस्ट्री हुई।

वर्णाश्रम धर्मावलम्बी हिन्दू जाति में संघ शक्ति उत्पन्न करके उसके सब प्रकार के कल्याण करने के अभिप्राय से इस भारतधर्म महामण्डल का सूत्रपात हुआ। सनातन धर्म के अनुयायियों की यह मुख्य सभा है।

सबसे पहिले इस संस्था ने यह कार्य किया कि विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा यह सभा सबकी प्रतिनिधि सभा मानी जावे। इसके अतिरिक्त अनेक ग्रन्थ भी प्रकाशित किये गये. हिन्दू राजन्य वर्ग

से और सरकार से सहानुभूति भी प्राप्त की गई।

इस सभा के संरक्षक दो प्रकार के हैं—(१) स्वाधीन हिन्दू नरपति (२) साम्प्रदायक धर्माचार्य गण।

व्यवस्थापक सभा।

धर्म के विवाद स्पद विषयों के निर्णय करने के लिये और उचित धर्म व्यवस्था देने के लिये विद्वान ब्राह्मणगण व्यवस्थापक बनाये जाते है। इन विद्वानों की सभा को व्यवस्थापक सभा कहते हैं।

सहायक।

सहायक ५ श्रेणियों में विभक्त है—(१) विद्या संबंधी सहायता देने वाले (२) धर्म कार्य करने वाले (३) धन देने वाले (४) विद्या दान करने वाले (५) धर्म प्रचार करने वाले साधु सन्यासी आदि।

साधारण सभ्य।

साधारण सभ्य हिन्दू मात्र हो सकते हैं।

प्रधान कार्यालय।

काशी में प्रधान कार्यालय है। ट्रस्टों की शर्तों में ऐसा लिखा है कि यदि प्रधान कार्यालय यहां से हटाया जावे तो ट्रस्टों की स्थावर अस्थावर सम्पति उसे न मिलेगी।

ट्रस्ट सम्पति।

(१) महामण्डल ट्रस्ट (२) महामाया ट्रस्ट दो अलग २ ट्रस्ट इस सभा की सहायता के संचालन के लिये हैं। दोनों ट्रस्टों की सम्पत्ति का मूल्य आठ लाख रुपये से अधिक है। प्रधान कार्यालय ट्रस्ट के ही भवन में हैं। इस भवन में (१) गायत्री मन्दिर (२) सरस्वतीमंदिर (३) महामण्डल भवन हैं।

प्रकाशन विभाग।

(१) इस सभा का एक शास्त्र अनुसंधान विभाग है।

(२) पाठशालाओं, स्कूलों तथा कालेजों के लिये धार्मिक पुस्तकें तैयार करने वाला विभाग।

(३) हिन्दी भाषा प्रचार विभाग। हिन्दी की अनेक पुस्तकें प्रकाशन हुई हैं

(४) महामन्डल डायरेक्टरी विभाग। इसका प्रकाशन आरंभ हो गया है।

अन्य विभाग।

(१) हिन्दी सामाजिक संघटन।

(२) मानदान विभाग।

(२) रक्षा विभाग।

(४) स्त्री शिक्षा विभाग—आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद् नामक एक स्वतंत्र रजिस्टर्ड संस्था स्थापित कर दी गई है। 'आर्य महिला' पत्रिका भी प्रकाशित होती है।

(५) संगीत उत्साह प्रदान विभाग

(६) वाराणसी विद्या परिषद्। अनेक परीक्षायें की जाती हैं और उपाधियां दी जाती हैं।

दान भण्डार।

(८) उपदेशक महाविद्यालय।

(९) धर्मालय संस्कार विभाग। तीर्थ स्थानों तथा मन्दिरों का जीर्णोद्धार इसी विभाग द्वारा होता है।

(१०) सार्वजनिक धार्मिक सेवा।

(११) प्रान्त मण्डल और शाखा सभा।

(१२) धर्म प्रचार विभाग।

(१३) समाज हितकारी कोष।

५२—हिन्दू महा सभा दिल्ली।

अप्रैल १९१५ में यह सभा आल इण्डिया हिन्दू सभा के नाम से प्रारम्भ की गई। उद्देश्य यह था कि विभिन्न हिन्दू जातियों में एकता कायम की जावे इस सभा में प्रगति शील हिन्दू लोग ही शामिल हुये। अछूतोद्धार, विधवा विवाह, शुद्धि और सङ्गठन के कार्य इस सभा के सदस्यों ने बड़ी रुचि के साथ किये हैं। आरम्भ से ही इस सभा में राजनैतिक वातावरण फैल गया और कुछ दिनों से इस सभा ने हिन्दुओं के राजनैतिक स्वत्वों की रक्षा की ओर अपना ध्यान देना आरम्भ किया है। सन् १९२३ में आल इंडिया हिन्दू सभा का नाम बदल कर हिन्दू महा सभा हो गया। सन् १९२६ के कौंसिल और ऐसेम्बली के चुनाव में हिन्दू महा सभा ने अपने उम्मेदवार भी खड़े कर दिये थे। कुछ वर्षों से हिन्दू महा सभा के सभापति राजनैतिक नेता होते हैं। सन् १९२९ तक ११ अधिवेशन हो चुके हैं। देश और विदेशों में २००० शाखा सभायें हैं। अध्यक्ष—डा० बी. ऐस. मुन्जे सदस्य—पं० मदनमोहन मालवीय मि० केलकर, राजा सर रामपालसिंह, मि० जयकर, बाबू जगतनारायण लाल, बाबू पद्मराज जैन, पं० गौरीशङ्कर, भाई परमानन्द। प्रतिवर्ष १ लाख रुपया खर्च होता है। शुद्धि, अछूतोद्धार, शारीरिक व्यायाम, हिन्दू राजनैतिक अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया जाता हैं। सदस्यों की संख्या ५ लाख है। मन्त्री—पं० देवरत्न शर्मा, प्रधान कार्यालय नई दिल्ली।

५३—नागरी प्रचारिणी सभा काशी

काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना १६ जुलाई १८९३ ई० को हुई थी। इन ३७ वर्षों में इस सभा ने हिंदी की निस्सीम सेवा की है।

संयुक्त प्रदेश की अदालतों में फारसी अक्षरों का पूर्ण प्रचार था। देव नागरी अक्षरों का नाम मात्र को भी कहीं प्रवेश न था। इससे साधारण प्रजा को तो कष्ट होता ही था, साथ ही साथ प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार में भी बड़ी बाधा पड़ती थी। इन बिचारों से प्रेरित होकर सभा ने अदालतों में नागरी अक्षरों के प्रचार का विशेष उद्योग आरम्भ किया। इस उद्योग का परिणाम यह हुआ कि सन् १८९८ में संयुक्त प्रदेश की गवर्नमेंट ने यह आज्ञा निकाल दी कि जो सज्जन चाहें वे अदालतों में आवेदन पत्रादि नागरी अक्षरों में दे सकते हैं और अदालतों से जो समन आदि निकलें वे नागरी और उर्दू दोनों ही लिपियों में निकलें।

सं० १८९९ में संयुक्त प्रदेश की गवर्नमेंट ने सभा को हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों की खोज के लिये ४००) की वार्षिक सहायता देना स्वीकार किया। गवर्नमेंट अपनी यह सहायता बढ़ाती रही और अब सं० १९२१ से वह सभा को इसके लिये २०००) की सहायता प्रतिवर्ष देती हैं। खोज में जो कार्य हुआ है, उसकी ६ वार्षिक रिपोर्ट तथा ३ त्रैवार्षिक रिपोर्ट छप चुकी हैं और चौथी तथा पाँचवीं वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार हो गई हैं। छठी त्रैवार्षिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इन वर्षों में सैकड़ों नये कवियों तथा कई सहस्र ग्रन्थों का पता लगा हैं और अनेक ग्रन्थों के सन् सम्वत् आदि का ठीक २ निश्चय किया गया है। गत वर्ष ३८५ पुस्तकों की खोज हुई इस वर्ष ३९६ ग्रन्थों में कोई २०० ग्रन्थ ऐसे हैं जिनकी नोटिस पहले नहीं हुई थी इस कार्य को २ एजेन्टों द्वारा कराया जा रहा है जो ६०) मासिक तथा ≤) प्रति मील यात्रा व्यय के लिये पाते हैं। धार्मिक ग्रन्थ १३२, काव्य ९१, चिकित्साशास्त्र ३८, इतिहास २९, कहानियां २८, सङ्गीत २४, नीति २२, दर्शनशास्त्र १५, कोश ३, फुटकर २, २१५८॥) व्यय हुआ। श्रीमान् रायबहादुर बाबू हीरा लाल बी. ए. के सुयोग्य निरीक्षण में यह कार्य होता रहा।

पञ्जाब की गवर्नमेंट ने भी अपने प्रान्त में प्राचीन हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों की खोज के लिये सन् १९२१ से १९२३ तक तीन वर्ष ५००) की वार्षिक सहायता दी थी, पर अब वह बन्द हो गई है।

प्राचीन पुस्तकों की खोज के साथ ही साथ सभा ने चुनी २ पुस्तकों को प्रकाशित करना भी आरम्भ कर दिया। ये पुस्तकें नागरी प्रचारिणी ग्रन्थमाला के नाम से प्रकाशित हुई हैं जिनमें से निम्नलिखित पुस्तकें विशेष उल्लेख के योग्य हैं—१ भक्त नामावली २ सुजान चरित ३ पृथ्वीराज रासो ४ छत्र प्रकाश ५ दादू दयाल की बानी ६ इन्द्रावती ७ हमीर रासो ८ भूषण ग्रन्थावली ९ राज विलास १० चित्रावली ११ परमाल रासो १२ दीनदयाल गिरि ग्रन्थावली १३ प्रेमसागर १४ तुलसी ग्रन्थावली और १५ जायसी ग्रन्थावली।

इस काम में भी संयुक्त प्रदेश की गवर्नमेंट ने कई वर्षों तक कभी २००) और कभी १००) की वार्षिक सहायता दी थी। श्रीमान अलबर नरेश ने तुलसी ग्रन्थावली प्रकाशित करने के लिये ५०००) की सहायता दी थी।

हिन्दी में वैज्ञानिक शब्दों का बड़ा अभाव था और विज्ञान सम्बन्धी लेख या ग्रन्थ लिखने में बड़ी कठिनता पड़ती थी। अतः सन् १८९८ में सभा ने यह निश्चय किया कि भूगोल, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित शास्त्र पदार्थ विज्ञान तथा दर्शन शास्त्र के अंग्रेजी शब्दों का एक कोश उनके

पर्यायवाची हिन्दी शब्दों के साथ तैयार किया जाय। सात वर्षों के निरन्तर उद्योग के अनन्तर सन १९०८ में यह कोश छपकर प्रकाशित हुआ। इसमें अंगरेजी के १०३३० और हिन्दी के १६२६९ शब्द हैं।

सन् १९०८ में इस सभा ने हिन्दी में एक सर्वाङ्गपूर्ण वृहत् कोश के निर्माण करने का काम अपने हाथ में लिया और अब सन १९२८ में यह कोश तैयार हो गया हैं। सभा ने यह भी निश्चय किया हैं कि इस कोश का एक संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित किया जाय। बाबू श्यामसुन्दर दास ने इस कोश की तैयारी में बड़ा परिश्रम किया है।

सन् १९१४ से सभा ने मनोरञ्जन पुस्तकमाला नाम की एक पुस्तकावली छापना आरम्भ किया है जिसमें सब पुस्तकें एक ही आकार प्रकार की प्रकाशित होती हैं तथा प्रत्येक का मूल्य १) होता है। अब तक इसमें ४४ पुस्तकें छप चुकी हैं। प्रकीर्णक पुस्तकमाला, महिला पुस्तकमाला, कचहरी हिन्दी कोश आदि पुस्तकों के प्रकाशन का प्रयत्न जारी है।

जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता स्वर्ग वासी मुन्शी देवीप्रसादजी ने सन् १८९८ में इस सभा को बम्बई (अब इम्पीरियल) बंक के ७ हिस्से इसलिये दिये थे कि इनकी आय से सभा हिन्दी में इतिहास सम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित करे। इसमें अब तक निम्न लिखित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं—

१ फाहियान २ सुङ्गयुन ३ सुलेमान सौदागर ४ अशोक की धर्म लिपियां पहला भाग ५ हुमायूं नामा ६ प्राचीन मुद्रा और ७ मूतानैणसी की ख्यात पहला भाग।

इस पुस्तकमाला में गत वर्ष की बचत २५६७।)॥ हैं। और इस साल की आय ८४०) इंपीरियल बैंक के शेयरों का डिविडेण्ड हैं ५५॥≈) इन-कमटैक्स का फिरता है २०५॥≈) की पुस्तकें बिकीं जिसमें ९) खर्च होगये फिर ३६५९॥-)॥ बचत में रहे।

शाहपुरा के श्रीमान महाराज कुमार उम्मेदसिंह जी से उनकी स्वर्गीया धर्म पत्नी श्रीमती महाराज कुंवरानी श्री सूर्य कुमारी देवी की स्मृति में हिन्दी की उन्नति के लिये ४ वर्ष तक प्रतिवर्ष ५ हजार रु० सभा को मिलते रहे। इस सहायता से सभा "सूर्य कुमारी पुस्तक-माला" प्रकाशित कर रही है जिसमें अब तक निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हुये हैं—१ ज्ञानयोग पहला भाग २ करुणा ३ शशांक ४ बुद्ध चरित ५ ज्ञानयोग दूसरा भाग ६ मुद्रा शास्त्र ७ कर्मवाद और जन्मान्तर ८ हिन्दी रस गङ्गाधर ९ हिन्दी साहित्य का इतिहास।

इस वर्ष की आय ४९८२॥≡)॥ है और व्यय ४७७) है।

जयपुर राज्य के बारहट बालाबख्श जी ने राजपूतों और चारणों की रची हुई ऐतिहासिक ग्रन्थ और कविता की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये सभा को ७०००) दिये हैं। इस सहायता से बारहट बालाबख्श राजपूत चारण पुस्तक माला प्रकाशित होती है जिसमें बांकीदास की ग्रन्थावली और बीसलदेव रासो ये दो ग्रन्थ निकले हैं। इसमें आय १५०५॥।≈)७ है और व्यय २१८॥≈) है

सन् १९०७ में सभा ने यह निश्चय किया कि हिन्दी का एक सर्वाङ्ग सुन्दर व्याकरण बनना चाहिये यह काम पंडित कामताप्रसाद गुरू को सौंपा गया जिन्होंने आठ वर्ष के निरन्तर परिश्रम के अनंतर एक व्याकरण तैयार किया हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वानों की एक समिति के निर्देश के अनुसार यह व्याकरण संशोधित होकर छप गया। इसके कई संक्षिप्त संस्करण भी तैयार हुये हैं और भिन्न २ स्थानों में पाठ्य क्रम के अन्तर्गत आ गये हैं।

सभा ने अपने जीवन के चौथे वर्ष में नागरी प्रचारिणी पत्रिका नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका निकालना आरम्भ किया था। ११ वर्ष तक यह त्रैमासिक रूप में निकली। १२ वें वर्ष से इसका रूप मासिक हो गया। सम्बत् १९७७ से इसे पुनः त्रैमासिक रूप दिया गया और अब इसमें प्राचीन शोध सम्बन्धी लेख ही दिये जाते हैं। हिन्दी में यह अपने ढङ्ग की बिलकुल नई और अद्वितीय पत्रिका है। इस पत्रिका के १० वें भाग की ४ संख्यायें प्रकाशित हुई हैं पत्रिका के सम्पादन का कार्य महा महोपाध्याय पं० गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा के हाथ में है।

सभा ने अपने जीवन के दूसरे वर्ष से हिन्दी की सुन्दर हस्तलिपि के लिये पुरस्कार देना आरम्भ किया था। पहले पहल यह पुरस्कार संयुक्त प्रदेश के वर्नाक्यूलर स्कूलों के विद्यार्थियों को दिया जाता था, पर सन् १९१९ में प्रति वर्ष ५४) के पुरस्कार संयुक्त प्रदेश के समस्त स्कूलों के विद्यार्थियों में बाँटे जाते हैं।

हाई और मिडिल विभाग—३ विद्यार्थियों को १०), ८), ६), मिले और ६ लड़कों को प्रशंसा पत्र मिले।

प्राइमरी विभाग में ३ विद्यार्थियों को ८), ६), ४) रु० मिले औ ५ लड़कों को प्रशंसा पत्र मिले।

प्रिप्यरेटरी विभाग—३ लड़कों को ६), ४), २) रु० मिले। ४ लड़कों को प्रशंसापत्र मिले।

इसके सिवा प्रति तीसरे वर्ष २००) के निम्नलिखित पुरस्कार ग्रन्थकारों को सभा से दिये जाते हैं जिनके साथ एक एक पदक भी दिया जाता है:—

मेहता जोधसिंह पुरस्कार—इतिहास-विषयक सर्वोत्तम ग्रन्थ के लिए सम्बत् १९८८ में मिलेगा। राधाकृष्णदास पदक दिया जायगा।

छन्नूलाल पुरस्कार-विज्ञान विषयक सर्वोत्तम ग्रन्थ के लिये। इसवर्ष मानव

शरीर रहस्य के लेखक मुकुन्दस्वरूप वर्मा को दिया गया व रेडिचे रौप्यपदक दिया।

रत्नाकर पुरस्कार—ब्रज भाषा की सर्वोत्तम कविता के लिए। सं० १९८७ में दिया जायगा और गुलेरी रौप्य पदक दिया जायगा।

वटुक प्रसाद पुरस्कार—सर्वोत्तम शिक्षाप्रद मौलिक उपन्यास या नाटक के लिये सम्वत् १९८८ में मिलेगा। इसके साथ सुधाकर रौप्य पदक दिया जायगा।

द्विवेदी स्वर्ण पदक—"काव्य में रहस्यवाद" नामक ग्रन्थ के लिये यह पदक पं० रामचन्द्र शुक्ल को दिया गया अब यह अगले वर्ष से सर्वोत्तम ग्रंथ के रचियता को प्रतिवर्ष दिया जायगा।

आर्यभाषा पुस्तकालय जिसमें हिन्दी की लगभग १०९३८ छपी पुस्तकें, अंग्रेजी की करीब १६४१ पुस्तकें तथा १२० पत्र पत्रिकायें आती हैं ११ गुजराती, ३ मराठी, १ बङ्गला और १ गुरुमुखी भी आती है। हिन्दी का इतना बड़ा पुस्तकालय भारतवर्ष में दूसरा नहीं है। पण्डित महाबीर प्रसाद द्विवेदी का भी संग्रह अब इसी पुस्तकालय में सम्मलित है जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया हैं। इस संग्रह में कई सहस्र अच्छे अच्छे ग्रन्थ हैं इस वर्ष पुस्तकालय को १०००) प्रान्तीय गवरमेंट से तथा बनारस के म्यूनिसिपल बोर्ड से भी ३६०) वार्षिक प्राप्त होता है। ४०४॥≋)। सहायकों के वार्षिक चंदे से प्राप्त हुआ इस वर्ष व्यय २४१५।) हुआ।

सभाभवन निज का है। सन् १९०४ में यह भवन बनकर तैयार हुआ था। यह काशी के पब्लिक गार्डन के पूर्वी कोने में स्थित हैं। यह जमीन ३५००) पर काशी के म्युनिसिपल बोर्ड से खरीदी गई और ३००००) लगाकर सुन्दर भवन बनवाया गया अब ४००००) पर इसकी पिछली जमीन भी ले ली गई है जिस पर एक और भवन बनवाने का बिचार है। इस वर्ष इस कार्य के लिये १६७२५) रु० सभा को प्राप्त हुआ है।

इस सभा को "सरस्वती" पत्रिका तथा 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन" को जन्म देने का गौरव प्राप्त है, और इसने हिन्दी के उत्थान, प्रसार तथा प्रचार में अमूल्य सहायता की है।

सेंतीसवें वार्षिक विवरण में कुल आय ४०१८८।≋) हैं और व्यय ३९७३४॥﴿)१० है।

हस्त लिखित हिंदी पुस्तकों का संग्रह—गत वर्ष २६७ पुस्तकें थीं इस वर्ष वह २७४ हैं। इसका उद्घाटन ३ मार्च सन् १९३० को हुआ सभापति अर्द्धेन्द्र कुमार गांगोली हुये।

भारत कला भवन—१००० चित्र राजपूत मुगल तथा कांगड़ा शैली के हैं। प्राचीन मूर्तियों की संख्या लगभग १०० से अधिक हैं। प्राचीन सिक्कों की संख्या ३०० के लगभग है। बहुमूल्य साहित्यिक, और एतिहासिक ग्रन्थ सोने

और चांदी की बनी हुई मूल्यवान मीने की वस्तुओं हाथी दांत की तथा पीतल और अन्य धातुओं की बनी हुई वस्तुओं और ऊनी रेशमी तथा सूत के प्राचीन वस्त्रों आदि का दर्शनीय संग्रह है। इस वर्ष इस भवन में १९०६॥।)। व्यय हुआ।

संयुक्त प्रांत की अदालतों में नागरी लिपि का प्रचार—नागरी में दावे आदि लिखने वाले मुहर्रिरों को प्रत्येक अर्जी दावे के लिए ।) तथा प्रत्येक इजराय डिग्री की दरख्वास्त के लिये ≤) पुरस्कार देने से काशी की दीवानी कचहरी में बड़ी सफलता हुई इस वर्ष १४७८ अर्जी दावे नागरी लिपि में दाखिल हुये है। गत वर्ष १००७ थे।

बनारस की कलक्टरी में सभा की ओर से एक मुहर्रिर लगभग २७ वर्ष से काम करता है इस वर्ष उपर्युक्त मुहर्रिर के द्वारा लगभग १५३३ दरख्वास्तें भिन्न २ विभागों में दाखिल हुई हैं। सभा को इस वर्ष इस निधि में ७५॥=) की आय हुई और ५१३।=) व्यय हुआ। ४४ वकील बनारस के इस काम के लिये तैयार हैं कि सब दावे हिंदी में होना चाहिये।

शाखा सभायें—नागरी प्रचारिणी सभा भगवानपुर रत्ती जिला मुजफ्फर-पुर। इसका चौथा वर्ष है इसमें एक अवधेश पुस्तकालय है जिसमें ४५९ पुस्तकें हैं इसकी आय १२१॥।)॥ है और व्यय ११७॥।) है और अन्य शाखाऐं नागरी प्रचारिणी सभा गोंडा व बहराइच हैं जो सामान्य कार्य चला रही हैं।

संस्था ने हिन्दी भाषा की बड़ी भारी सेवा की है इसमें सन्देह नहीं।

संस्था के प्रधान कार्यकर्ता निम्न लिखित हैं—

सभापति—बाबू श्यामसुन्दरदास
उपसभापति—पंडित रामनारायण मिश्र, राय बहादुर पंडा बैजनाथ।
प्रधान मंत्री बाबू माधवप्रसाद।
अर्थ मंत्री बाबू रामचन्द्र वर्मा प्रकाशन मंत्री पं० केशवप्रसाद।

५४—हिन्दुस्थानी सेवादल।

डा० एन. एस हार्डीकर ने करीब ४ साल हुये ता० २८ दिसम्बर १९२३ को हिन्दुस्तानी सेवादल की स्थापना की। उन्होंने यह देखा कि बाय स्काउट और सेवा समितियां राजनैतिक आन्दोलन में सहायक नहीं होती और जब तक एक स्वतंत्र संस्था ऐसी न जारी की जावे जो राजनैतिक आन्दोलन में युवकों को सेवा भावसे खींच सके तब तक देश को असली लाभ नहीं हो सकता। इन उद्देश्यों को सामने रखकर उन्हों ने इने गिने स्वयं सेवकों से ही कार्य आरम्भ कर दिया और राजनैतिक कान्फ्रेन्सों के समय इन स्वयं सेवकों की उपयोगिता सिद्ध कर दी।

प्रथम वालन्टियर कान्फ्रेन्स सन १९२५ में हुई। इसके बाद ता० ५ मार्च १९२६ ई० को आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने अपनी दिल्ली वाली बैठक में प्रस्ताव द्वारा प्रान्तों से अनुरोध किया कि सब ज़िलों में हिन्दुस्तानी सेवादल की शाखाएँ बनाई जावें। इस के अनुसार भी अनेक प्रान्तोंने सेवा दलकी शाखाएँ खोली हैं। हिन्दुस्तानी सेवादल के सेवक कानफ्रेन्सों और कांग्रेस की बैठकों के पहिले पहुंचकर स्थानी स्वयं-सेवकोंको कवायद आदि सिखाकर तैयार करते हैं और फिर उनसे काम लेते हैं। डा० ऐन० ऐस० हर्डीकर ने इस कार्य में बड़ा परिश्रम किया है। वे एक पत्र "वालण्टियर" नामक प्रकाशित करते हैं जिसमें हिन्दी और अंग्रेज़ी भाषा दोनों रहती हैं। इस संस्था ने एकेडमी आफ फिज़ीकल कलचर बाग़ल कोट बीजापुर, टिलक व्यायामशाला कानपुर, हिन्दुस्थानी सेवादल व्यायामशाला दिल्ली कायम की हैं। इस संस्था के शिक्षित स्वयं सेवक भारत वर्ष भर में हैं। पता—वालण्टियर आफ़िस, हुबली।

५५—दुर्गावती आश्रम, जबलपुर

मध्यप्रांत में स० १९२६ से दुर्भिक्ष जारी होने के कारण सूबे के कार्य कर्ताओं ने दुर्भिक्ष पीड़ित किसानों की सहायता के लिये यह संस्था स्थापित की। मुख्य संस्थापक श्रीयुत सेठ गोविन्ददास हैं। इसको उद्देश्य यह नहीं है कि मुफ्त रुपया या नाज बांटा जावे किन्तु किसानों मज़दूरों को कोई लाभदायक कार्य दिया जावे इस आश्रम ने ११८३५ रुपया इकट्ठा किया जुलाई १९२९ से असली कार्य आरंभ किया। महात्मा जी ने श्री० प्रेमराज को पहिले भेजा। बाद को श्री० रमणीक लाल मोदी भेजे गये पीड़ा निवारण का कार्य चरखा द्वारा आरंभ किया गया। अनेक केन्द्र नियत किये गये और चरखे बांटे गये और कातने के लिये रुई बांटी गई। थोड़े ही दिनों में ४२७ चरखे बांटे गये। इस संस्था ने बहुत अच्छा काम किया है।

५६—हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग स्थापना।

हिन्दी-साहित्य सम्मेलन का जन्म विक्रमी सम्वत् १९६७ में काशीपुरी में हुआ। प्रथम अधिवेशन के सभापति श्रीयुत पण्डित मदनमोहन मालवीय थे। द्वितीय वर्ष में सम्मेलन का सभापतित्व हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान् स्वर्गीय श्री० प० गोविन्दनारायण मिश्रजी ने ग्रहण किया। इसी वर्ष सम्मेलन की नियमावली बनी जो केवल एक वर्ष के लिए स्वीकृत हुई। तृतीय सम्मेलन

स्वर्गीय श्री० प० बद्रीनारायण चौधरी के सभापतित्व में कलकत्ते में हुआ। यहां पर सम्मेलन को और भी पुष्टी प्राप्त हुई। चौथा सम्मेलन भागलपुर में हुआ। उसके सभापति आर्य समाज के प्रसिद्ध नेता महात्मा मुन्शीरामजी (स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्दजी) हुये। इस सम्मेलन में हिन्दी की परीक्षा-सम्बन्धी नियमावली बनाई गई। इस वर्ष नागरी वर्णमाला पर विचार करने के लिए एक उपसमिति का सङ्गठन हुआ और उसकी रिपोर्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। पांचवां सम्मेलन प्रयाग के प्रसिद्ध कवि पण्डित श्रीधर पाठकजी के सभापतित्व में लखनऊ में बड़ी धूमधाम से हुआ। इस सम्मेलन में इतने अधिक प्रतिनिधि सम्मिलित हुए जितने इस से पहिले किसी सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए थे। सम्मेलन के साथ हिन्दी ग्रन्थों की प्रदर्शिनी का प्रकाश इसी सम्मेलन ने प्रचलित किया। हिन्दी शब्दों के लिङ्गभेद पर विचार करने के लिए इसी वर्ष एक समिति भी बनी। पहिले पहल परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों को इसी सम्मेलन में उपाधिपत्र प्रदान किये गये।

छटा सम्मेलन लाहौर में होने वाला था; पर वहां हो न सका, इस लिए प्रयाग में हुआ। हिन्दी के प्रसिद्ध कार्य कर्त्ता बाबू श्याम सुन्दर दास जी बी० ए० इस सम्मेलनके सभापति बनाये गये सातवां सम्मेलन जबलपुर में साहित्याचार्य पण्डित रामावतार शर्मा ऐम० ए० के सभापतित्व में हुआ। आठवां सम्मेलन इन्दौर में बड़े महत्व का हुआ। इसके सभापति कर्मवीर महात्मा गांधी थे। इस सम्मेलन में आर्थिक सहायता भी अच्छी प्राप्त हुई और मद्रास में हिन्दी-प्रचार का कार्य आरम्भ करने के लिए एक मन्तव्य स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार अभी तक कार्य हो रहा है। नवां सम्मेलन बम्बई में माननीय मालवीय जी के सभापतित्व में हुआ। इसी सम्मेलन में श्रीमान् बड़ौदा नरेश ने पाँच सहस्र रुपये की सहायता दी थी, जिससे सुलभ-साहित्य-माला का प्रकाशन हो रहा है। दसवां सम्मेलन स्वर्गीय प० विष्णुदत्त शुक्ल के सभापतित्व में पटने में हुआ और ग्यारवां फिर कलकत्ते में हुआ। इसके सभापति बाबू भगवान दासजी हुए। १२ वां लाहौर में श्री० पण्डित जगन्नाथप्रसादजी चतुर्वेदी के सभापतित्व में हुआ। १३ वां कानपुर में श्रीपुरुषोत्तम-दासजी टण्डन के सभापतित्व में, १४ वां दिल्ली में श्री० पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के सभापतित्व में, १५ वां देहरादून श्री० माधवराव सप्रे की प्रधानता में, १६ वां वृन्दावन में श्री० बाबू अमृतलाल चक्रवर्ती की प्रधानता में, और १७ वां भरतपुर रायबहादुर श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओझा के सभापतित्व में और १८ वां मुजफ्फरपुर श्री० प० पद्मसिंहजी शर्मा के सभापतित्वमें हुआ। १९ वां गोरखपुर में श्री० गणेश शंकर विद्यार्थी के सभापतित्व में हुआ।

श्रीमङ्गलाप्रसाद पारितोषिक।

कलकत्ते के प्रसिद्ध हिन्दी प्रेमी और धनी श्री० बाबू गोकुलचन्द जी ने कलकत्ते में एकादश सम्मेलन के अवसर पर ४० सहस्र रुपये के प्रामेसरी नोट इस अभिप्राय से सम्मेलन को प्रदान किये थे कि इनके ब्याज से १२००) का एक पारितोषिक उनके भ्राता स्वर्गीय श्री मङ्गलाप्रसाद जी के स्मारक में उस हिन्दी ग्रन्थ लेखक को सम्मेलन प्रति वर्ष दिया करे जिसका ग्रन्थ उस वर्ष सर्वोत्तम और मौलिक सिद्ध हो। दाता महोदय की इच्छा के अनुसार इस पारितोषिक का नाम "श्रीमङ्गलाप्रसाद पारितोषिक" रक्खा गया और नियमानुसार पांच सदस्यों की एक पारितोषिक समिति का सङ्गठन भी हो गया। यह पारितोषिक पहिले पहल साहित्य विषय की सर्वोत्तम रचना के लिये श्री० पं० पद्मसिंह जी शर्मा को उनके बिहारी सतसई (भाग १ व २) ग्रन्थ पर कानपुर सम्मेलन में प्रदान किया गया। नियमानुसार दूसरी बार यह पारितोषिक समाज शास्त्र विषय पर (जिसके अन्तर्गत पुरातत्व, इतिहास, राजनीति और अर्थ शास्त्र विषय सम्मिलित हैं) देने का निश्चय किया गया। नियमानुसार पांच सज्जनों की पारितोषिक समिति का सङ्गठन हुआ और पांच निर्णायक चुने गये। अन्त में इस विषय का पारितोषिक 'भारतीय प्राचीन लिपि माला' नामक खोज-पूर्ण अद्वितीय ग्रन्थ के रचियता सप्तदश सम्मेलन के सभापति राय बहादुर पं० गौरीशङ्कर हीराचन्द जी ओझा को दिया गया। तीसरी बार का पारितोषिक दर्शन विषय पर था। इस विषय के अन्तर्गत धर्म-शास्त्र, नीति-शास्त्र, तर्क शास्त्र, अध्यात्म विद्या और मनोविज्ञान विषय माने जाते हैं। तीसरी बार यह पारितोषिक प्रोफेसर सुधाकर ऐम. ए. को उनकी 'मनोविज्ञान' नामक सर्वोत्तम पुस्तक पर दिया गया। इस पारितोषिक का चौथा विषय विज्ञान है। इस विषय के अन्तर्गत गणित, रसायन, भौतिक शास्त्र, ज्योतिष, वैद्यक तथा कृषि-विज्ञान माने जाते हैं। तदनुसार यह पारितोषिक 'हमारे शरीर की रचना' नामक सर्वोत्तम ग्रन्थ के लेखक श्रीमान् डा० त्रिलोकीनाथ जी वर्मा बी. ऐस. सी., ऐम. बी. बी. ऐस., ऐफ. आर. ऐफ. पी. ऐण्ड डी. ऐच. ऐम, ऐल. ऐम, को दिया गया। पांचवां पुनः साहित्य विषयक था जो साहित्य की सर्वोत्तम पुस्तक 'वीर सतसई' के लेखक श्री० 'वियोगी हरि' जी को दिया गया, किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार करके अपनी उदारता का परिचय देते हुये पुनः उसे सम्मेलन को दान कर दिया। छटवां पारितोषिक १९ वें अधिवेशन में 'मौर्यविजय' के लेखक प्रो० सत्यकेतु शान्तिनिकेतन को दिया गया। हर्ष की बात है कि अभी तक यह पारितोषिक उपर्युक्त जिन २ महानु-

भावों को दिया गया है वे सब अपने २ विषय के सर्व मान्य आचार्य हैं।

सम्मेलन के द्वारा मद्रास, आसाम आदि प्रान्तों में हिन्दी के प्रचार का कार्य दृढ़ता के साथ हो रहा है। जगह जगह से हिन्दी प्रचारकों की मांग बढ़ रही है। सम्मेलन की परीक्षाओं का भी प्रचार भारत के सभी प्रान्तों में विशेष रूप से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है।

सम्मेलन परीक्षायें।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं को कार्य-क्षेत्र में आये हुये अभी केवल १६ वर्ष हुये हैं। इन १६ वर्षों में इन परीक्षाओं की आशातीत उन्नति हुई है। पहले वर्ष इन परीक्षाओं में २८ परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र आये थे, अब इस वर्ष १०००० से भी अधिक परीक्षार्थियों के सम्मिलित होने की आशा की जाती है, क्योंकि पिछले वर्ष सम्मेलन के परीक्षा मन्त्री श्री० दयाशङ्कर दुबे ऐम. ए. ऐल ऐल. बी. तथा श्री० पं० वेदव्रत शास्त्री सहायक मन्त्री परीक्षाओं के प्रचार का बहुत उद्योग कर रहे थे। अब तक परीक्षाओं के २०० केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। इन परीक्षाओं में लगभग १५०० विशारद निकल चुके हैं और जिनमें से एक दो नहीं, शतशत विशारद हिन्दी साहित्य की सेवा में तत्पर होकर उसकी गौरव वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। इन परीक्षाओं के कारण हिन्दी प्रकाशन का भी क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण हो गया है। इस वर्ष पं० रामनरेश त्रिपाठी परीक्षा मन्त्री हैं।

सम्बद्ध संस्थायें।

भारत के कोने २ में हिन्दी और नागरी के प्रचार और प्रसार के लिये ऐसी संस्थाओं की अत्यन्त आवश्यकता है, जिनका कार्य हिन्दी भाषा और देव नागरी लिपि के प्रचारार्थ प्रयत्न करना, एवं आन्दोलन करना हो। देश में कहीं २ ऐसी संस्थायें भी हैं, जिनका उपर्युक्त उद्देश्य है और वे कार्य भी अच्छा कर सकती हैं। पर एक तो आर्थिक कठिनाइयों के कारण, दूसरे योग्य पथ-प्रदर्शक के अभाव से, इन संस्थाओं को अपने कार्य में यथेष्ट सफलता नहीं मिलती। इन दोनों अभावों को दूर करने के लिये, सम्मेलन की यह आकांक्षा रहती है कि ऐसी संस्थायें सम्मेलन से सम्बद्ध होकर कार्य करें। सम्मेलन की नियमावली में भी इस प्रकार की संस्थाओं को सम्बद्ध करने का विधान है। इसी विधान के अनुसार प्रायः हिन्दी भाषा और देव नागरी लिपि के प्रचार और प्रसार का उद्देश्य रखने वाली संस्थायें सम्मेलन से सम्बद्ध हो जाती हैं। अब तक ६० संस्थायें सम्मेलन से सम्बद्ध हो चुकी हैं सम्मेलन के ४ वैतानिक प्रचारक चारों ओर देश भर में घूम २ कर हिन्दी का प्रचार और सम्बद्ध संस्थाओं का निरीक्षण करते हैं।

हिन्दी विद्यापीठ।

सम्मेलन के हिन्दी विद्यापीठ का

कार्य जमना के दक्षिणी तट पर एक विस्तृत स्थान में होता है। प्रयाग के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने खेती सम्मेलन को हिन्दी विद्यापीठ में खेती की विशेष शिक्षा के [illegible] को १० हजार रु० की सहायता। [illegible] तदनुसार विद्यापीठ में खेती [illegible] शिक्षा का कार्य आरम्भ हो गया है ६० एकड़ भूमि और खरीदी गई है। संयुक्त प्रान्त के लखीमपुर खीरी, बलिया और बाराबंकी के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों ने अपनी ओर से एक एक छात्रवृत्ति देकर एक एक विद्यार्थी विद्यापीठ में पढ़ने और खेती की विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेज दिया है। और भी डि० बो० छात्रवृत्ति देने का विचार कर रहे हैं।

यह विद्यापीठ 'हिन्दी विश्वविद्यालय' का सूत्रपात समझना चाहिये। इस विद्यापीठ में और भी अनेक अर्थकरी कलाओं के सिखाने का उद्योग किया जा रहा है। सम्मेलन चाहता है कि हिन्दी विद्यापीठ के विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे उनको विद्यापीठ से निकलने पर आजीविका की कठिनता न रहे।

संग्रहालय।

सम्मेलन का संग्रहालय अभी तक एक पुस्तकालय के रूप में है। इस पुस्तकालय में इस वर्ष ५००० पुस्तकें हैं। इन में २० के लगभग महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थ हैं।

सम्मेलन इस संग्रहालय के लिये एक 'विशाल' सुन्दर तथा सुदृढ़ भवन बनवाना चाहता है। इसके लिये सम्मेलन को कम से कम ५०-६० हजार रुपये की आवश्यकता है। गोरखपुर में कुछ रुपया इकट्ठा हुआ है :

पुस्तक-प्रकाशन।

सम्मेलन का एक साहित्य विभाग है जिसमें पुस्तकें प्रकाशन का कार्य भी होता है। अभी तक सम्मेलन ने छोटी बड़ी सब मिलाकर ७५ पुस्तकें प्रकाशित की है। इन ग्रन्थों में कई ग्रन्थ तो बड़े महत्व के हैं और हिन्दी जगत में उनकी खूब खपत है। श्रीमान् गायकवाड़ नरेश ने ५०००) रुपया इस कार्य के लिए प्रदान किये थे। इस पूँजी से सुलभ-साहित्य-माला निकल रही है। अभी तक इस माला के अन्तर्गत १८ ग्रन्थ प्रकाशित हुए है। सम्मेलन ने श्रीमान् नारायणदास जी बाजोरिया की ५०००) प्राप्त सहायता से अब एक सरल बैज्ञानिक पुस्तकमाला भी प्रकाशित करनेका आयोजन किया है। इस माला में विज्ञान विषयक ग्रन्थरत्न सुलभ मूल्य में प्रकाशित कर पिरोये जायँगे।

सम्मेलन-पत्रिका।

अभी तक सम्मेलन की ओर से एक मासिक मुख पत्रिका प्रकाशित होती रही है। अगले वर्ष से उसे त्रैमासिकरूप में, बृहत् आकार प्रकार से निकालने की आयोजना हो रही है।

उसका सम्पादन प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी डिपार्टमेंट के हेड श्रीयुत धीरेन्द्र जी वर्मा एम. ए. करेंगे।

हिन्दी प्रचार।

हिन्दी प्रचार का कार्य करते हुये सम्मेलन को यह ११ वाँ वर्ष है। मद्रास आन्ध्र तामिल, कर्नाटक, मैसूर, सिन्ध पंजाब आसाम तथा बंगाल आदि इन प्रदेशों में जहाँ की भाषा तथा लिपि हिन्दी तथा देवनागरी नहीं हैं, यहाँ हिन्दी प्रचार का कार्य सम्मेलन अपनी शक्ति के अनुसार तत्परता के साथ कर रहा है। अब तक दक्षिणी प्रान्तों में लगभग ९०००० भारतीयों ने हिन्दी सीख ली है इनमें ४०० देवियाँ हैं। अब तक दक्षिण में हिन्दी-प्रचार के कार्य में सम्मेलन ने स्वयं तथा पूज्यवर महात्मा गाँधी जी की सहायता से, संयुक्त रूप से कोई डेढ़ दो लाख रुपया व्ययं किया है पंजाब विहार तथा बंगाल प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन स्वतन्त्र रीत्या हिन्दी प्रचार कर रहे हैं और उन्हें इस कार्य में यथेष्ट सफलता मिल रही है। अबोहर मण्डी (पंजाब) में सम्मेलन का एक साहित्य-सदन नामक वृहत् पुस्तकालय है। इसका भवन अभी पिछले वर्ष ही २००००) की लागत से तैयार हुआ है। यह पुस्तकालय जो कार्य अपने पात्र में करना चाहता है, वह बड़े महत्व का है। इसका श्रेय पुस्तकालय के सर्वस्व—स्वामी केशवानन्द जी को है।

आसाम में हिन्दी प्रचार के लिये मुख्य रूप से २ केन्द्र हैं। डिब्रूगढ़ और गोहाटी। इन्हीं केन्द्रों में सम्मेलन के प्रचारक कार्य करते हैं। वहाँ के कालेज और हाई स्कूलों के विद्यार्थियों का हिन्दी वर्ग कायम करके उन्हें हिन्दी पढ़ाते हैं। गोहाटी म्युनिसिपलिटी ने भी ५००) हिन्दी प्रचारार्थ देना स्वीकार किया है। आसाम की पहाड़ी जातियों में भी हिन्दी का प्रचार कार्य हो रहा है।

सदस्य वृद्धि।

सम्मेलन के सदस्यों की संख्या उत्तरोत्तर वढ़ रही हैं। पिछले ४ वर्षों की सदस्य-वृद्धि का विवरण देखिये—

सम्वत	साधारण सदस्य	स्थायी सदस्य	हितैषी
१९८१	१५	१९	१
१९८२	५६	२३	३४
१९८३	१२७	२९	८०
१९८४	१६६	३०	१३२

प्रधान कार्यालय प्रयाग में है जहाँ छः सात मन्त्री और इतने ही लेखक नित्य कार्य करते हैं। आरम्भ से अब तक सम्मेलन में ३८९००७ रु० ३॥ आ० १॥ पाई आमदनी हुई है और खर्च

२८५३६३ रु० ९।। आ० हुआ है। आज कल सम्मेलन में लगभग १०००) मासिक का तो साधारण चालू खर्च है।

कार्य कारणी सभा।

इस वर्ष सम्मेलन के प्रधान श्रीमान गणेशशंकर विद्यार्थी जी हैं। प्रधान मन्त्री श्री० कृष्णकांत मालवीय, परीक्षा मन्त्री पं० रामनरेश त्रिपाठी प्रबन्ध मन्त्री जगन्नाथप्रसाद शुक्ल अर्थ मन्त्री श्री० वा० निरंजन लाल, भार्गव साहित्य मन्त्री श्री० रामनारायण मिश्र, प्रचार मन्त्री श्री० बा० राघवदास जी और सहायक मन्त्री श्री० पं० वेद-व्रत शास्त्री, हैं। यही आठ सज्जन बड़ी लगन के साथ इस समय सम्मेलन का समस्त कार्य बड़ी लगन से चला रहे हैं।

५७—कृषि प्रयोगशाला पूसा (बिहार)

सन १९०३ ई० में अमेरिका के प्रसिद्ध दानवीर मि० हेनरी फेलपूस ने तत्कालीन वाइसराय लार्ड करजन को २०००० पौंड (जिसे उन्हों ने बाद में ३०००० पौंड कर दिया) भारत के किसी सार्व-जनिक हित में—विशेषतः वैज्ञानिक छानवीन में—लगा देने के उद्देश्य से दिये थे। इस रकम का कुछ हिस्सा तो कोनूर के पास्टर इंस्टीटयूट (Coonoor Pasteur Institute) में लगाया गया और बांकी से एक कृषि-प्रयोग-शाला बनाने की बात सोची गई। यही मंसूबा पूसा में कृषि-संबंधी शोध का काम करने के निश्चय के रूप में परिणत किया गया। भारत-सरकार ने इस काम को अपने हाथ में लिया और पूसा में एक कृषि-कालेज तथा एग्रीकलचरल रिसर्च-इंस्टीटयूट की नींव डाली गई।

प्रयोगशालाओं से सुसज्जित उपयुक्त इंस्टीट्यूट सचमुच देखने की चीज है। इसमें अजायबघर, वनस्पतिवाटिका और एक बहुत बढ़िया आधुनिक वैज्ञानिक पुस्तकालय भी है इंस्टीट्यूट के कार्य-क्रम का शोध और प्रयोग की शिक्षा से ही विशेष-रूप से सम्बन्ध है। शोध का काम अखिल भारतवर्ष पर दृष्टि रख कर किया जाता है, और उन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो प्रांतिक प्रयोगशालाओं में नही हो सकता। कृषि-शास्त्र की सर्वोच्च शिक्षा का यहां प्रबन्ध है, और प्रान्तीय कृषि-कालेजों से उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा भारतीय विश्व-विद्यालयों से सम्मान-सहित पास किये हुये छात्र भी इसमें भरती किये जाते हैं। कहा जाता है कि कृषि के भिन्न २ विभागों में भारतीय विद्यार्थियों को अधिकाधिक स्थान देने एवं भारतीयों को कृषि-शास्त्र सम्बन्धी उच्च शिक्षा का अध्ययन-विशेष करने के लिये विदेश जाने में जो असुविधा होती थी, उसे दूर करने के अभिप्राय से, सन् १९२४ ई० में, यहीं उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था कर दी गई है। अस्तु जो हो, प्रायः ४०० विद्यार्थियों ने अब तक इस संस्था से लाभ उठाया है। यहां से

'साइंटिफिक मैमोर्यस और बुलेटिनों' (Scientific memoirs and Bulletins) के रूप में स्थानीय शोध करने वालों एवं प्रान्तीय कार्यकर्ताओं की खोज के फल प्रकाशित होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त एक पाक्षिक पत्र भी निकलता है, जिस में भारतीय कृषि-सम्बन्धी भिन्न २ विषयों पर विद्वत्ता-पूर्ण लेख और उसके फलाफल की सूचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। किसी की भी कृषि सम्बन्धी जिज्ञासाओं का उचित उत्तर देने की यहां व्यवस्था है। निम्न-लिखित ६ विभाग इस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत हैं—

१—कृषि विभाग—इस विभाग में ६४० एकड़ भूमि सम्मिलित है। खेती का विशाल आयोजन इसी विभाग के अंतर्गत है। कुलकाम कल पुर्जों से किये जाते हैं, और ३०-३० हजार की लागत के इंजिनों से काम लिया जाता है। जिस खेत में पहिले साधारण उपज होती थी, उसी में अब इन कलों की कृपा से दुगनी-तिगुनी कही जाती है।

इस विभाग के अन्दर जो खेत हैं, वे १३ टुकड़ों में बटे हैं जिनका जोड़ सब मिला कर ४१३ एकड है। इसमें जो उपज गत १३ वर्षों में हुई, वह इस प्रकार है—

सन	उपज
१९१२-१३	३,६२६ मन
१९१८-१९	४,९८२ मन
१९२१-२२	६,१५३ मन
१९२४-२५	७,५१७ मन

इस तरह इस दशा में मोटे तौर पर देखने से अच्छी सफलता हुई मालूम पड़ती है डेयरी हर्ड (Dairy Herd) भी इसी विभाग के अन्तर्गत है। खेती के लिये आवश्यक है कि बढ़िया बैल हों।

देश भर में हर एक आदमी कल से काम नहीं ले सकता, यह निश्चित है। इसी बात को लक्ष्य में रखकर पूसा में डेरी-हर्ड का आयोजन हुआ। इसके भी तीन विभाग हैं—(क) असल मांट-गोमरी गउएं, (ख) कम दूध देनेवाली मान्टगोमरी गउए, जो संकरीकरण (Cross breeding) के लिये रक्खी जाती हैं। (ग) आयर शायर (Ayrshire) मांट-गोमरी वर्ण संकर' और उनकी सन्तान उपर्युक्त विभागों में कुल मिला कर ९ मांटगोमरी सांड, १ डबल संकरीकृत सांड ८२ मांटगोमरी गउएं, ६६ संकरीकृत गउएं और १९७ उनके कच्चे बच्चे हैं। गत १३ वर्षों में प्रति गऊ प्रति दिन औसत दूध इस प्रकार हुआ—

सन	वजन
१९१३-१४	७ सेर
१९१८-१९	९ सेर
१९२१-२२	१४ सेर
१९२४-२५	१५ सेर

गो-धन में विश्वास रखने वाले प्रत्येक भारतीय के लिये उपर्युक्त अंक-वृद्धि विचारणीय है।

अब तक पूसा से प्रायः ९०० गउएं विभिन्न प्रदेशों में भेजी जा चुकी हैं,

और जो यहां है उनका दूध मुजफ्फरपुर आदि जगहों में मोटर-लारियों द्वारा ले जाकर काफी नफे से बेचा जाता है।

२-बोटेनिकल सेक्सन (Botanical Section) इस विभाग में, कृषि-कालेजों के पूर्व-और वैज्ञानिक प्रयोग-शालायें है। और पूसा-स्टेट के पश्चिम की ओर, नदी तट के पास, वनस्पति-वाटिका है। पौदों के जनन पर यहां विशेष ध्यान दिया जाता है। वनस्पति-वाटिका में प्रायः ५० एकड भूमि है। कई प्रकार के बीजों पर प्रयोग करके उनकी शक्ति उपज और स्वाद की वृद्धि की गई है। कुछ विदेशी गेहूँ पर, जो रूस से मंगाये गए हैं, विशेष रूप से प्रयोग किया जा रहा है। तीसी और कई प्रकार के बूटों पर भी प्रयोग किया जारहा है। देशी तम्बाकू की पत्तियों को भी अमेरिकन वरजीनियां-पत्तियों (American Vırginialeaf) जैसी बनानेका काम भी हाथमें है। इस विभाग के अन्तर्गत जितनी भी भूमि है, उसका एक-एक हिस्सा विद्यार्थियों में बटा है। वे एक या अधिक अनाज पर प्रयोग करते हैं।

३-केमिकल सेक्शन (Chemical Sectlon)—केमिकल सेक्सन फिप्पस प्रयोगशाला के ऊपरी खण्ड में, पश्चिम की ओर है। यह विभाग उन्हीं समस्याओं पर अधिक ध्यान देता है, जो प्रांतिक कृषि-कालेजों द्वारा सुगमता से हल नहीं की जा सकती हैं। अनाज के लिये जल की आवश्यकता अनावश्यकता तथा जमीन की शक्ति के विषय में छान बीन की जाती हैं।

४-बैक्ट्रिआलाजिकल सेक्सन (Bacteriological Section) यह फिप्पस प्रयोगशाला के नीचे के खण्ड में पश्चिम की ओर है। यह विभाग खाद सम्बन्धी शोध और लाभ एवं हानि पर विचार करता है।

५—एंटमालाजिकल सेक्सन (Entomological Section) यह फिप्पस प्रयोगशाला के ऊपरी खण्ड में, पूर्व की ओर है। इस विभाग द्वारा कीड़े-मकोड़ों की जाच पड़ताल की जाती है। उनकी आर्थिक उपयोगिता और कृषि-संबंधी आवश्यकता-अनावश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसी विचार से बहुत-से भारतीय कीड़े मकोड़े इकट्ठे भी किये गये हैं। रेशम के कीड़े भी उनमें हैं। कीड़ों की जीवन संबन्धी खोज और उनसे होने वाली हानि को मिटाने के प्रयत्न भी हो रहे हैं। रोग उत्पन्न करने और काट खाने वाले कीड़ों की भी छान बीन की जाती है। लाह के कीटों का भी यहां सन्ग्रह है।

६-माईकालाजिकल सेक्सन (Mycological Section) यह फिप्पस प्रयोग शाला के नीचे के खण्ड में, पूर्व की ओर है। यह विभाग वृक्ष और गल्ले के शत्रु-उन रोगों की ओर ध्यान देता है, जो उनकी अटूट हानि करते हैं। इस

सम्बन्ध में जिज्ञासुओं को तद्विषयक उपदेश देने की और जहां ऐसी बीमारी फूट निकलती है वहां स्पेशल आफिसर के भेजने की व्यवस्था भी है।

कृषि-कालेज—यह सन् १९०८ ई० के जौलाई में पोष्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिये खोला गया था। भारतवर्ष में अपने विषय की यह सर्वोच्च शिक्षा संस्था है।

शुगर ब्युरो—(Sugar Bureau) इसको स्थापना सन १९१९ में हुई थी, और यह भी फिप्पस प्रयोगशाला में ऊपरी तल्ले के पूर्व में है। चीनी से संबंध रखने वाली बहुत-सी बहु-मूल्य पुस्तकें पत्र पत्रिकायें और संसार भर की सामाग्रियों का यहां संग्रह है, और उससे भारतीय व्यापारियों और जिज्ञासुओं को लाभान्वित करने की व्यवस्था भी है। इसके द्वारा ऊख की खेती की दशा सुधारने और उसके डंडे को पुष्ट एवं सुस्वादु बनाने का प्रयत्न किया जाता है। समग्र भारत और जावा क्यूबा और फिलीपाइन के कारखानों की बनी चीनी का एक अजायबघर भी इस में सम्मिलित है इस में साधारण दर्शकों को भी मनोरंजन होता है।

अस्पताल—पूसा के आफिसरों और यहां काम करने वाले मजदूरों की सुविधा के लिये एक अस्पताल भी है, जिसका हेड एक योरोपियन है। आसपास के गांव वाले भी इस से यथेष्ट लाभ उठाते हैं।

हाई इंगलिश स्कूल—यह स्कूल उपर्युक्त अभिप्राय से ही खोला गया हैं। किन्तु ग्रामीण भी उससे लाभ उठाते हैं। जिस समय हम लोग वहां गये, क्लास लगी थी। विद्यार्थियों में अधिक ग्रामीण ही नजर आए। इस का भवन भी अच्छा है।

पूसा में इतने बड़े २ कारखानों के हो जाने से वह एक स्टेट ही हो गया है। यह स्टेट १,३५८ एकड़ भूमि में है।

५८—बंगाल-सोशल-सर्विस लीग कलकत्ता।

यह संस्था डाक्टर डी० एन० मैत्र तथा उनके साथियों द्वारा २६ जनवरी सन् १९१५ को स्थापित हुई।

लीग अथवा समिति का कार्य तीन भागों में बांटा गया:—(१) सामाजिक दशा का अध्ययन, (२) समाज-सेवा की बातों का प्रचार और (३) सेवा-कार्य।

सामाजिक दशा का अध्ययन:—पहले इस समिति ने ग्रामों की दशा के विषय में एक प्रश्नावली तैयार की। इन प्रश्नों का उत्तर देने वालों को ग्रामों की हालत अपनी आंखों से देखना और ग्राम-निवासियों की आवश्यकताओं को जानना जरूरी था।

प्रचार कार्य:—प्रचार-कार्य के लिये समिति ने पहला कार्य जो किया, वह यह था कि कलकत्ते में सम्मेलन कराये जिनमें समाज-सेवा के भिन्न २ अंगों के विशेषज्ञों ने अपने विचार प्रकट किये। सार्वजनिक व्याख्यान कराये। सफाई

तन्दुरुस्ती इत्यादि के बारे में छोटे छोटे ट्रैक्ट छपाकर बटवाये ।

समाज-सेवाकी प्रदर्शनी—समिति का यह कार्य वास्तव में अत्यन्त महत्व पूर्ण कहा जा सकता है । समिति ने जो चार्ट बनाये हैं इन चित्रों की सहायता से अशिक्षित जनता की समझ में उपयोगी बातें बड़ी आसानी के साथ समझाई जा सकती हैं । आज तक समिति की सहायता से नौ सौ से अधिक बार ये प्रदर्शनी की जा चुकी है ।

मैजिक लालटेन द्वारा व्याख्यान—समिति में जो चार्ट और चित्र इत्यादि रँगे हुये हैं, उन की स्लाइड तैयार करा ली गई है और उनके द्वारा सर्व साधारण में बड़े मनोरञ्जक व्याख्यान दिये जाते हैं । ये स्लाइड कई विषयों की हैं भारतवर्ष में अशिक्षा, भारत के महा पुरुष, ग्राम सङ्गठन, माताओं तथा बच्चों की रक्षा, भिन्न भिन्न बीमारियां, सामाजिक बुराइयां, हिन्दू मुसलमानों का प्रश्न, प्राचीन काल का विशाल भारत इत्यादि अनेक विषयों पर उत्तम उत्तम चित्र प्रदर्शनी में तैयार कराये गये हैं और उनके स्लाइड भी तैयार हैं ।

असली समाज सेवा — असली समाज सेवा का काम जो समिति ने किया है, वह और भी महत्व पूर्ण है । समिति की स्थापना हुये दो ही महीने हुये थे कि मुर्शिदाबाद के जिले के एक गांव में आग लगी । समिति ने बड़ी कठिनाई से २००) इकट्ठे किये और उन से गांव वालों की मदद की । इसके दो महीने बाद त्रिपुरा से ब्राह्मण बेड़िया नामक स्थान में बाढ़ आई ! यहां भी समिति ने अपने स्वयं सेवक भेजे और लगभग ४०००) बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ व्यय किये इसके बाद बांकुड़ा जिले में अकाल पड़ा । समिति ४० हजार रु० इकट्ठे कर सकी, और इसके द्वारा अकाल पीड़ितों को बड़ी सहायता मिली चावल और कपड़े बांटे गये । जो स्कूल गरीबी के कारण बन्द हो गये थे, उनको फिर से खुलवाया गया । ३३ पक्के कुएँ उन स्थानों में जहां पानी पीने के लिये सुविधा नहीं थी, खुदवाये गये । दो बड़े बड़े तालाब फिर से ठीक कराये, अनाज के भण्डार स्थापित किये । सहयोग समिति की बैङ्क कायम की, समाज सेवक समिति की शाखायें खोलीं । इस प्रकार कितने ही कार्य समिति ने किये ।

औद्योगिक स्कूल—समिति के अधीन कलकत्ते में एक औद्योगिक स्कूल चल रहा है, जिसमें १५० के लगभग छात्र पढ़ते हैं । दर्जीगीरी और बुनाई इत्यादि की शिक्षा दी जाती है ।

अछूतों में कार्य—रात्रि पाठशालायें खोलकर समिति ने अछूतों को शिक्षा देने का प्रबन्ध किया है । गन्दी बस्तियों में भी समाज सेवा का कार्य किया गया है । जो सज्जन इसके विषय में अधिक जानना चाहें वे डाक्टर डी. एन. मैत्र एम. बी., ३ बोडन स्ट्रीट, कलकत्ता से पत्र व्यौहार करें ।

५६—सनातन धर्म अनाथालय दिल्ली।

यह अनाथालय २७ फरवरी सन् १९२७ को पूज्यपाद पं० दीनदयाल जी व्याख्यान वाचस्पति पं० हरिहर स्वरूप जी शास्त्री, शास्त्रवाचस्पति, पूज्य स्वामी प्रकाशानन्दजी सरस्वती, महामहोपाध्याय पं० हरनारायणजी शास्त्री, पं० अखिलानन्द जी कविरत्न, गोस्वामी जीवनदासजी, पं० गुरुदत्तजी, पं० देवरत्न शर्मा मन्त्री हिन्दू महा सभा, पं० सुखराम शास्त्री तथा अन्य सनातन धर्मी नेताओं और सर्व नगर निवासियों की उपस्थिति में भारत भूषण पूज्य पं० मदन मोहन मालवीय जी के शुभ कर कमलों से खोला गया। इसी अवसर पर इस अनाथालय की सहायता के लिये सर्व सज्जनों से हृदय द्राविक और प्रभावशाली व्याख्यानों द्वारा प्रार्थना की गई। इस अनाथालय के मन्त्री ला० गुर्दित्तामल भण्डारी चुने गये और उनकी सहायता के लिये प्रतिनिधि सभा के महोपदेशक श्रीमान् प० गुरुदत्त जी नियत हुये।

अनाथालय की प्रबन्ध क्रिया।

प्रधान—पं० श्रीराम शर्मा

उप प्रधान—१ शास्त्र वाचस्पति पं० हरिहर स्वरूप जी शास्त्री, बी. ए.

२ ला० बनारसीदास जी गन्धी

मन्त्री—ला० गुर्दित्तामल भण्डारी

उपमन्त्री—पं० कन्हैया लाल जी मन्त्री स० ध० सभा।

अतरङ्ग सभा के सभासद।

१ गो० गणेशदत्त जी प्रधान मन्त्री स० ध० प्रतिनिधि सभा पञ्जाब।

२ पं० मौलिचन्द्र जी एम. ए.

३ राय बहादुर ला० अम्बाप्रसादजी

४ सेठ यमुनादास जी पोद्दार

५ पं० मुकुन्दराज जी शास्त्री

६ ला० केदारनाथजी मालिक फर्म सेठ प्रेम सुखदास जी नरसिंहदास जी

७ राय साहब ला० केशरचन्द्र जी एस. डी. ओ.

८ पं० रामरङ्ग जी ठेकेदार

९ ला० श्रीराम गोटेवाले

१० ला० दीवानचन्द जी सेठ

११ प० श्यामसुन्दर लाल

विद्या वितरण।

इस अनाथालय में बालकों को संस्कृत हिन्दी और उर्दू की शिक्षा देने के लिये तीन अध्यापक नियत किये गये हैं। हिन्दी का पढ़ना प्रत्येक बालक के लिये आवश्यक है। और बालकों ने इस थोड़े से समय में विद्या में सन्तोष जनक उन्नति की है।

शिल्प (दस्तकारी)

शिल्प की ओर विशेष ध्यान दिया गया है, परन्तु धनाभाव के कारण इस विभाग में यथोचित उन्नति नहीं हो सकी।

बैण्ड बाजा।

इस अनाथालय की एक भजन मंडली के अतिरिक्त अपना बैण्ड बाजा भी है जिसमें २५ लड़के काम कर रहे हैं।

लड़के बैंड बजाने में बहुत निपुण हैं। इस बैंड का नाम महाबीर बैंड कम्पनी और इसकी बर्दी भी महाबीर दल के समान है। यह बैंड विबाह जलसों और जलूस इत्यादि में भेजा जाता है। एक हुशियार बैंड मास्टर इनकी शिक्षा के लिये रक्खा गया है।

महाबीर बालचर दल।

महाबीर बालचर दल में २५ लड़के भरती किए गये हैं। यह दल भूले भटके बच्चों के अन्वेषण रेलवे वालिण्टियरी और धार्मिक जलूसों और मेलों में सेवा का काम बड़ी दक्षता से महाबीर दल के साथ साथ करता है। इस दल ने शतशः बच्चों को ढूढ़ कर उनको उनके बन्धुओं तक पहुंचाने और आवारह गर्द बच्चों को लाकर अनाथालय में भरती करने का कार्य भी कुशलता से किया।

धर्मार्थ औषधालय।

एक धर्मार्थ औषधालय शहर के केन्द्रीय स्थान में खुला हुआ है। जिस में हर समय पब्लिक को बिना मूल्य के दवाई दी जाती है।

अध्यापक पर्याप्त हैं, और बालकों की संख्या कुल एक सौ इकत्तर तक पहुंच चुकी है। जिन में से बहुतों को उन के संरक्षकों के पास पहुंचा दिया है और कई एकों को आजीविका कमाने के योग्य कर दिया है। इस समय भी अनाथालय में (७०—७५) बालक मौजूद हैं। मासिक खर्च पाँच छः सौ रुपया के लगभग है। आमदनी कम है जिस से अनाथालय ऋणी हो रहा है। अनाथालय का स्थाई कोश अवश्य होना चाहिये। मालिक मथुरादास साहिब रईस लायलपुरी ने २५०००) की अपील स्थाई कोष के लिये की है। सनातन धर्मी जनता का कर्तव्य है कि वे इस आवश्यक संस्था की नींव को सुदृढ़ बनाने के लिये इस तुच्छ रक़म को शीघ्र ही संचित कर के यश और पुण्य के भागी बनें।

६०—गीता धर्म मंडल, पूना।

इस मंडल की स्थापना, ता० २३ जुलाई १९२४ को हुई। मंडल का उद्देश्य यह है कि श्रुति स्मृति विशेषतः दशोपनिषद् महाभारत भगवद्गीता के आधार पर प्रचार शिक्षण, और ग्रन्थ प्रकाशन द्वारा कर्म योगात्मक गीता धर्म का प्रसार किया जावे।

रचना।

मंडल के सहायक निम्न प्रकार के हैं:—

(१) आश्रयदाता—जो ५०० रुपया या अधिक एकदम देवें।

(२) सभासद जो एकदम १०० रु० या अधिक देवें।

(३) चंदा देने वाले—जो मंडल को प्रति वर्ष ५ रु० देते हों।

(४) हितचिंतक—जो कुछ भी सहायता दें।

इस मण्डल द्वारा गीता जयन्ती उत्सव प्रति वर्ष मार्गशीर्ष शुद्ध ११ को

मनाये जाने का प्रयत्न किया जाता है और भारतवर्ष में गीता जयन्ती मनाई जावे ऐसा आन्दोलन किया जा रहा है। अनेक स्थानों में गीता जयन्ती मनाई जाने लगी।

गीता रहस्य विषयक निबन्धों के लिये प्रति वर्ष इनाम देने के लिये रुपया जमा कर लिया गया है और जो व्यक्ति इस विषय पर सर्वोत्तम निबन्ध लिखे उसे दिया जाता है।

मण्डल के मुख्य कार्य कर्ता निम्न लिखित हैं—

१—नृसिंह चिन्तामणि केलकर अध्यक्ष
२—वे० शा० सं० सदाशिव शास्त्री भिडे प्रचारक।
३—ग० वि० केलकर—खजांची व मंत्री।

६१—अखिल भारतवर्षीय अछूतोद्धार सभा कानपूर।

इस सभा की स्थापना प० मदन-मोहन मालवीय, स्व० ला० लाजपतराय तथा श्री० घनश्यामदास विडला के प्रयत्नों से कुछ वर्ष पहिले स्थापित हुई।

अछूत कहाने वाली जातियों को निम्नलिखित सुविधाएं दिलानेका प्रयत्न करना इस सभा का उद्देश्य है:—

(१) अछूत प्रथा का मिटाना

(२) अन्य हिन्दू जातियों के समान अछूतों को सामाजिक अधिकारों का प्राप्त करना जैसे पबलिक कुओं से अछूतों को पानी लेने देना सार्वजनिक कार्यों में समान रूप से भाग लेने देना सार्वजनिक पाठशालाओं में शिक्षा लेने देना, मंदिरों में देव दर्शन लेने देना आदि।

इस सभा की शाखायें भारतवर्ष में हैं। सभा का कार्य स० १९२४ से १९२७ तक अधिक जोर से चला क्योंकि उस काल में हिन्दू—मुसलिम अनबन बहुत बढ़ गई थी और दोनों ओर से अपने २ धर्म की उन्नति करने का प्रयत्न किये जारहे थे।

ला० लाजपतराय के तिलक स्कूल आफ पोलीटिक्स के कुछ कार्य कर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं। सभा की ओर से संयुक्त प्रांत, बिहार, पंजाब में अनेक शाखायें हैं। अछूतोद्धार सभा के प्रधान मंत्री का कार्य श्रीयुत लाला रामप्रसाद (भूतपूर्व सम्पादक बन्देमातरम्) कुछ बर्षों तक करते रहे।

सभा द्वारा अनेक स्थानों में स्थानिक कमेटियां स्थापित करादी गई हैं और वैतानिक कार्यकर्ता मुकर्रर किये गये हैं। सभा द्वारा अनेक कान्फ्रेन्सें भी करायी गई हैं।

६२—संगीत समाज कानपुर।

स्थापना—८ जनवरी १९२७। उद्देश्य संगीत के लिये लोगों में रुचि उत्पन्न करना तथा उसका प्रचार करना।

स० १९२७—२८ में समाज ने १० जलसे किये। स० १९२८–२९ में ७ जलसे किये। स० १९२९ में २३, २४, व २५ फरवरी से द्वितीय युक्तप्रान्तीय

संगीत परिषद् संस्था के नियंत्रण पर हुई। बालक बालिकाओं की संगीत प्रतियोजना का आयोजन किया गया है। प्रो० बी. एन. भातखंडे और प० विष्णुदिगम्बर पुस्कर संरक्षक हैं।

अध्यक्ष—राय साहेब गोपीनाथ मेहरोत्र उप सभापति (१) पं० चम्पाराम (२) प्रिन्सपल पी० सेशाद्रि, मंत्री—श्री० जगदेवसिंह संयुक्तमंत्री—श्री० पादशंकर बोंडेप, कोशाध्यक्ष—कांतिलाल बी० मोदी। सदस्यों की संख्या इस समय ११५ है

६३—महाराष्ट्र साहित्य सभा, इन्दौर।

स्थापना—सितम्बर सन् १९१५। उद्देश्य—मराठी साहित्य की उन्नति। सभापति—श्रीयुत राय बहादुर सरदार माधव राय बिनायक किबे। मन्त्री—वि० हा० आपटे पता—इन्दौर।

६४—काशी अनाथालय, एसोसियेशन।

यह संस्था ८ बर्ष हुये राजा मोतीचन्द और बाबू शिवमोहन लाल ने स्त्रियों और बच्चों की रक्षा के लिये स्थापित की गई। एक साल (१९१६–२७) में १३५ स्त्रियों व बालकों की सहायता की गई। एक साल में करीब ४००० रु० खर्च हुआ, पता—काशी।

६५—श्री गोबर्धन संस्था, बांई बम्बई।

इस संस्था को श्री० बालकृष्ण मार्तंड चौंडे महाराज ने गोहत्या रोकने तथा गौओं की वृद्धि करने उत्तम दूध का प्रयत्न करनें, चरागाहों का प्रबन्ध करने आदि उद्देश्यों के लिये सम्वत् १९६२ में स्थापित की। इस संस्था ने आज तक रु० ४८६००० एकत्र किये। स० १९२९ तक ८६५५ गौ बैलों की प्राण रक्षा की है। 'गोरक्षण" पत्र १२ बर्ष से प्रकाशित किया जाता है। बम्बई प्रांत के बाद्रा कसाई खानें में गोबध बिलकुल कम होगया हैं। वार्षिक अङ्क इस प्रकार हैं—

१९१९	६४६६८
१९२१	६१२९८
१९२३	३९०४६
१९२५	३४५४५
१९२८	१३७८१

४००७० रु० खर्च करके ५०० एकड़ चराभूमि इस संस्था ने खरीदी है। लगभग ४० शाखायें खाली जाचुकी हैं।

गोबध किस प्रमाण से भारत में हैं उसका व्योरा नीचे दिया जाता है—

गोबध का चिट्ठा।

प्रत्येक प्रान्तके मुख्य २ शहरोंमें एक बर्ष में कमसे कम कितना गोबध होता है?

बम्बई	९२२९७
कराची	१७५२२५

कराची फौज	२९२२
" टाटा कसाबखाना	५८५६
" " "	३२
हैदराबाद (सिंध)	१०१२३०
सक्कर	४८९५८
अहमदनगर व खानदेश	५८०३९
नासिक (तीर्थ)	८०९०
पूना-सतारा	१७८४७
बेलगांव-बीजापुर धारबार-कनारा लरकानानबाबशा	७६३९८
थोर-पारकर	१५७८८
उत्तरीय सिंधसीमा	७४०
अहमदाबाद	१४१२८
कैरा-पञ्चमहल	१९५४१
बडोच	३०७६
सूरत	३८४०
थाना	१३०९२
मीजान...	६१७१०९

बिहार प्रान्त।

आरा	२६५४
बालासोर	१४४०
भागलपुर	१२०४६
बकसर-छैबासा	१६७५
छपरा	२५५५
कटक (तीर्थ)	६०००
दाउदनगर दरभङ्गा डाल्टेन गञ्ज	३३२९
गया	१५०७३
हजारीबाग (तीर्थ)	६४८०
हाजीपुर-जगदीशपुर झालदा	१४६७
येन्दापाड़ो	२०००
किशनगञ्ज	१५६०
मधुबनी	६२७८
मुंगेर	३४९९
मुतिहारी-मुजफ्फरपुर	५२६०
पटनाशहर	३२८५
पुरनियां-पुरलिया	२०२२
रांची	७७४५
सहसराम	२२०२
साहबगञ्ज-सम्बलपुर	१८४८
भद्रक	६६७०
धामनगर	१८२५
धनबाद	८१६४
आदरा स्टेशन	१०५०
बभुआ	१०००
शाहाबाद स. डि.	२६८४
पुरनिया	१२०००
डिहरी विक्रमगञ्ज कूथ व विक्रमगञ्ज	९१५
	११९८४३

संयुक्त प्रान्त (यू० पी०)

आगरा	६६०५४
अलीगढ़	३०२२६
अलाहाबाद	१४७११
अमरोहा	६५२५
अल्मोढ़ा	२०७
आजमगढ़	२१३६
बहराइच	४३९०
वलिया बुलन्दशहर बाराबङ्की	२२८१
बरेली	१६२२६

बदायूं	५७८५
बिलासपुर	१४११
कानपुर	१७१०१
देवबन्द	१८४७
चन्दौसी	२०९२
एटा	१९०६
इटावा	२९१५
फतेहपुर	१७४४
फैजाबाद (अयोध्याके पास)	३०१०
गाजियाबाद	३५७०
गाजीपुर	८५७२
गोन्डा	१४१४
गोरखपुर	४०३७
हापुड	१११६
जौनपुर	३७९७
कन्नौज	२३५८
झांसी	८३८३
कासगञ्ज	४८२३
जलेसर	१५०३
खुरजा	३४४४
ललितपुर	६१३३
लखनऊ	११५००
मेरठ	८३५६
मिरजापुर	२४९७
मुरादाबाद	१३६२५
मसौरी	४३०१
मथुरा (तीर्थ)	४१९५
मुजफ्फर नगर	२५७३
नगीना	१५८७
नैनीताल	२७१५
कैराना	१४०९
रायबरेली	१४४४
सहारनपुर	१२५७३
शाहाबाद	१७७२
सिकन्दराबाद	१४५२
सुलतानपुर टांडा	१७५६
तिलहर	३३०३
उझानी	१५४७
उन्नाव	१७८२
नौपारा	२६६४
रसरा	२१७४
कान्डला	१२१०
कैराना	१४०९
वासी	१०८५
भवाना राजपुर	१०५०
सरधाना—कर्नलगढ़	२६३७
शिकोहाबाद	१३४१
बंगरमान	१६१०
पुर्नी	१५७३

छावनी में।

बरेली	२८६१
लखनऊ	६६७८
दीगर जगहोंपर	१००१७
अलमोड़ा	२०७
परतावगढ़	४००
उरई	६५१
कोसी	५४५
नैनीताल	५३७
शाहजहांपुर	४३४
मीजान	३४९४१९

मध्यप्रदेश व बरार।

(अपूर्ण.)

अकोला	४३४४
आकोट	३६०४

अमरावती	२९४३
आरवी	११६४
वासिम	२६६७
विलासपुर	१४००
बुलढाना	८००
बुरहानपुर	२३२२
छिन्दबाड़ा	११६३
बालाघाट-बैतूल भन्डारा	१३००
एलिचपुर	३७९२
आमगांव गोन्दिया वगैरह	१४६५७
हींगनघाट	३२४९
होशंगाबाद जिला	१८००
जबलपुर	१०१७९
करंजा	२११६
खामगांव	२०६०
खन्डुवा	३२९६
मुर्तिजापुर	१०३८
नागपुर	६७४२
नागपुर जिला	३४५०
पुलगांव आदि	९००
रायपुर शहर	१२६२
सिवनी	८०१
शेगांव	१४७८
वर्धा	७३९
यवतमाल	३०८
सागर जबलपुर व दमोह जिला	६७०००
	१५३५६६

पंजाब।

(अपूर्ण)

अम्बाला	२२९४
अम्बाला छावनी नहीं मालुम	
चिनिओट	१२७६
फीरोजपुर झिरका	१२१६
गुजरानवाला	१३३५
गुजरात	१७६०
हिसार	२१२३
होशियारपुर	१२२१
जालंधर	३२४३
कैथल	१०२५
कसूर	६७५४
लाहोर	१२७७६
लुधियाना	३८१९
लायलपुर	१८४०
पानीपत	५१७३
रायकोट	२१७०
रिवाडी	३३८२
रुपड़	१६१३
सियालकोट	५७६९
बजीराबाद	२३३०
झप्प जलगा	५०००
फीरोजपुर	२४६१
फीरोजपुर छावनी नहीं मालुम	
दीगर जगहों पर	८८००
	७७४०००

बंगाल।

कलकत्ता	१६४६५२
आसनसोल	५४७५
बंकुरा	७२८
बजबज	१६४४
बर्दवान	५०४७
ढाका	१०४४५
गार्डनरीच	११३५२

कुर्सियांग	२३४३	वीरभूमि	४२००
सुरी	१०००	दानाजपुर	७०००
अलीपुर	११३१६	बारीसाल	१०००
बैरकपुर	१३११	दीगरस्थान	३८००
जलापहाड	१०६४		२४८४७०
काकरगाछ	१००००		

मद्रास प्रान्त।

	बैल व सांड.	गाय.	बछड़े.
म्यूनिसिपल हद में	७८१३१	१४३३१६	११४२९
लोकल बोर्ड हद में	नहीं मालुम	९०६३७	१३५०९
कुल मीजान	७८१३१	२३३९५०	२४९३८

हिन्दुस्थान से ब्रह्मदेश को सूखे मांस का चालान (हन्डरवेट में)

सन्.	बंगाल से.	बम्बईसे.	मद्राससे.	टोटल.
१९२०-२१	६८१२८	अप्राप्त	अप्राप्त	६८८२२
१९२१-२२	५२५०४	”	”	५३४०६
१९२३-२४	८०६०२	२८७०	”	८३४७२
१९२४-२५	९३४५६	३२५८	”	९६७१४
१९२५-२६	९६२४४	२१४४	२	९८३१९०

नोटः—एक हन्डरवेट में ११२ रतल (पौन्ड) अर्थात ५६ सेर सूखा मांस आता है ताजे मांस से सूखा मांस चौथाई रह जाता है।

६६—दीनहितकारिणी सभा झांसी।

इस संस्था को झांसी के कुछ उत्साही नव युवकों ने अक्टूबर सन् १९२६ में स्थापित किया और जिसका दीन हितकारिणी सभा नाम रक्खा इसके उद्देश ये हैं—

(१) निस्सहाय व अनाथ बालकों की रक्षा करना

(२) अवलाओं और विधवाओं के धर्म की रक्षा करना।

(३) सभा द्वारा सञ्चालित संस्थाओं के रहने वालों के लाभ के लिये शिक्षालय खोलना।

(४) दरिद्राश्रम खोलना व असहाय हिन्दुओं को आर्थिक सहायता करना।

उक्त संस्था को डिस्ट्रिक बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड भी सहायता देते हैं. इस सभा की रजिस्ट्री २९-४-२९ को सन् १८६० के एक्ट नं० २१ के अनुसार हो चुकी है। सभापति-बा. श्यामाचरण जी वकील हैं। पता—झांसी।

६७—दयाल बाग, आगरा।

यह संस्था राधा स्वामी सम्प्रदाय अवलम्बियों ने अपनी उन्नति के लिये दिसम्बर स० १९१३ में स्थापित की है। सारे भारत में यह संस्था अनूठी है। पहिले इसका मुख्य स्थान मुरार, ज़िला शाहाबाद प्रांत बिहार में था किन्तु थोड़े ही वर्षों के बाद मुख्य स्थान वहां से हटाकर आगरा लाया गया।

स० १९१५ में ४ एकड़ जमीन लीगई जो राधा स्वामी सम्प्रदाय के पुरस्कर्ता की समाधि के सामने हैं। २० जनवरी १९१५ को इस संस्था की नौआबादी की नीव एक वृक्ष लगाकर डाली गयी।

इस समय दयाल बाग की नौआबादी ५०० एकड़ भूमि में बसी हुई है। २००० स्त्री पुरुष बालक वहां रहते हैं। दयाल बाग के संस्थापकों का उद्देश्य यह है कि स्वतंत्र रीति से राधा स्वामी मतावलम्बी आदर्श जीवन यहां बितावें और अपने सम्प्रदाय को पुष्ट करें। पहिले कार्य केवल रु० ५००० से ही आरंभ हुआ। इस समय दयालबाग में २० लाख रुपया लगा हुआ है। दयालबाग में ३ नगर बसाये गये हैं — प्रेम नगर, स्वामी नगर, और श्वेत नगर। इन नगरों के लिये बिजली वा पानी का कारखाना, आटे, व तेल की चक्कियां, खेत और फेक्टरियां, अस्पताल अर्थात सभी प्रकार की संस्थायें और कारखाने इन नगरों के लिये मौजूद हैं। नगरों के लिये बाहर से अन्न, वस्त्र, रोज की उपयोगी चीजें नहीं मंगाई जाती। किन्तु सब वस्तुयें जैसे जूते, कपड़े, फाउन्टेन पेन आदि सभी दयाल बाग के कारखानों में बनाये जाते हैं।

स० १९२७-२८ में दयाल बाग नौआबादी में रु० ४,१६,६८९ का माल बाहिर से मंगाया गया और रुपया ३,९३,६५८ का माल कारखानों और खेतों में पैदा हुआ।

राधा स्वामी सम्प्रदाय में १ लाख मनुष्य हैं और २०१ शाखायें हैं। राधा स्वामी सत्संग सभा में ४५ सदस्य भारत वर्ष भर की शाखाओं से चुने हुये रहते हैं। कार्य कारिणी सभा में १० सदस्य होते हैं सत्संग सभा की दो बैठकें प्रति वर्ष होती हैं। सभा की आमदनी खर्च १९२८—२९ में इस प्रकार था—

आय

भेंट विशेष	रु० ७५ ०००
भेंट साधारण	रु० १२००००
जमीन	रु० १३०००
उद्योग	रु० १४०००
ब्याज	रु० ४६०००

खर्च

सालाना खर्च रु. ३०४,६०० का है जिन में मुख्य मदें निम्न लिखित हैं—

केन्द्रीय सत्संग	रु० ३१७००
शिक्षा उद्योग आदि	रु० १२००००
लंगर (खाना)	रु० ११०००
इमारतें	रु० ९१०००
ब्याज	रु० ३८०००

दयालबाग में स्कूल कालेज उद्योग धंधों के कारखाने स्वतंत्र रूप से हैं।

६८—आर्य विद्या सभा काशी।

आर्य समाज रीति पर वैदिक शिक्षा देने, संस्कृत तथा आर्य भाषा पढ़ाने और विद्यार्थियों का शुद्ध स्वावलम्बी आर्य जीवन बनाने के अभिप्राय से वैदिक आश्रम खोलने के लिये इस सभा की संस्थापना सन् १९१२ में हुई थी। पहिले इसका नाम वेद विद्यालय और दयानन्द स्कूल था। सभा के आधीन इस समय ३ संस्थायें हैं—नित्यानन्द वेद विद्यालय, दयानन्द ऐङ्गलो वैदिक हाई स्कूल तथा प्रारम्भिक ६ मित्र पाठशालायें जिनकी संख्या इस समय १७ है। सन् १९२७-२८ में २६८०४॥।)७ की आमदनी हुई और खर्च २६२३८।≈)७ हुआ। पता—काशी

६९—हिन्दुस्तानी एकाडमी प्रयाग

यह संस्था देशी भाषाओं में उत्तमोत्तम ग्रन्थ प्रकाशित करने के लिये स्थापित हुई है। इसने कुछ ग्रन्थ तैयार किये हैं किन्तु जैसा लाभ इस संस्था से होना चाहिये वैसा नहीं हुआ। पुस्तकें—हिन्दू सभ्यता पर मुसलिम सभ्यता का प्रभाव, जन्तू जगत, चर्म बनाने का सिद्धान्त, हिन्दी शायरी, मुसलिम तमद्दुन पर हिन्दुओं का असर आदि पता—प्रयाग।

७०—जात पांत तोड़क मण्डल लाहौर।

यह संस्था नवम्बर सन् १९२२ में स्थापित हुई थी श्री भाई परमानन्दजी एम. ए. ने इस संस्था की नींव डाली और आप इसके प्रधान रहे। इसका उद्देश्य आर्य जाति में वर्तमान जन्म मूलक जात पांत को तोड़कर हिन्दू मात्र को एकता के सूत्र में सङ्गठित करना है। मण्डल ने कई विवाह जात पांत तोड़ कर कराये हैं इस मण्डल के सदस्य सभी जाति के लोग हो सकते हैं। इस की शाखायें मेरठ, अजमेर, कलकत्ता, काशी आदि में हैं। मण्डल का मासिक पत्र "क्रान्ति" उर्दू में निकलता है इसके ग्राहकों की संख्या २००० के लगभग है। आज कल श्री सङ्गतराम जी मन्त्री हैं।

७१—आदि हिन्दू कानपुर।

इस संस्था के संस्थापक श्री १०८ अछूतानन्द स्वामी जी महाराज हैं। आप आदि हिन्दू (अछूत तथा शूद्र कहाने वाली जातियों) की उन्नति के लिये बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। इस संस्था का उद्देश्य—(१) बिना मत पक्षपात के एकता प्रेम व शान्ति से काम करना। (२) सरकार के साथ सहानुभूति रखकर सब मुल्की हक हकूक दिलाना (३) साहित्य इतिहास आदि के आधार पर सर्वत्र आन्दोलन करना (४) शिल्प विद्यालय, प्रेस, पुस्तकालय, अखबार आदि से विद्या, जीवनी, हुनर, शिक्षादि का प्रचार करना। इस संस्था का एक पाक्षिक पत्र भी "आदि हिन्दू" नाम से कानपुर से निकलता है। इस सभा का

शाखायें भी कई जगह खुल रही हैं। पता—कानपुर यू. पी.

७२—आल इण्डिया केन्टोनमेंट फंड इम्पलाईज एसोसियेशन अम्बाला।

यह संस्था सितम्बर सन् १९२६ में स्थापित हुई। आरम्भ में १४३ मेंबर हुये। इसका उद्देश्य यह है कि छावनियों के फण्ड के कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जावे। १२ अक्टूबर १९२९ को इस सभा की एक कान्फ्रेंस श्री० के. सी. राय, सी. आई. ई., एम. एल. ए. की अध्यक्षता में हुई।

७३—श्री रामकृष्ण मिशन बेलूर।

श्री रामकृष्ण परम हंस के शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने सन् १८९९ में इस संस्था को स्थापित किया। बेलूर मुख्य स्थान बनाया गया। सन् १९०१ में बेलूर मठ के लिये स्वामी जी ने एक ट्रस्ट बना दिया।

श्री रामकृष्ण परमहंस ने सब धर्मों को परस्पर सहायक ही बताया और इसी सन्देश को जगत में फैलाना इस संस्था का उद्देश्य है। वैदिक सत्य जो उपनिषदों तथा अन्य वेदान्तिक ग्रन्थों में ग्रथित है उसी का प्रचार करना इस संस्था के कार्य कर्ताओं का कर्तव्य है। इस संस्था के कार्य कर्ता सन्यासी ही होते हैं क्योंकि स्वार्थ त्याग सेवा ही इस संस्था का ध्येय है।

इस संस्था की शाखायें कलकत्ता, बनारस, अलमोड़ा, मद्रास, बङ्गलौर, ट्रिवेंड्रम, टिरुवेला, शमलाताल, बम्बई, पटना, उटकमण्ड, मैसूर, इलाहाबाद, हिमालय ढाका, भुवनेश्वर, देहरादून, सोराबाडी (रांची) जामतारा (सन्थाल परगना), बांकुड़ा, पोन्नामपेट (कुर्ग), राजकोट, दिल्ली, नागपुर आदि स्थानों में हैं। अनेक अस्पताल इस संस्था के जारी हैं। यह संस्था प्राण रक्षा का कार्य बहुत अच्छा करती हैं।

विदेशों में शाखायें इस प्रकार हैं—

१—वेदान्त सोसायटी, न्यूयार्क।
२—वेदान्त सोसायटी, सैन फ्रांसिस के (यू. ऐस. ए.)
३—शान्ति आश्रम, केली फोर्निया।
४—वेदान्त सोसायटी, पोर्ट लैण्ड, ओरीगोन।
५—वेदान्त सेन्टर, बोस्टन (मेस.)
६—आनन्दाश्रम, लोस एन जी लीस (केली फोर्निया)
७—श्रीरामकृष्ण मठ कुआला लुम्पुर (फिडरेटेड मलाया स्टेटस)
८—वेदान्त सोसायटी, प्रोवीडेन्स।

इस संस्था की कार्य कारिणी कमेटी इस प्रकार हैं—

१—स्वामी शिवानन्द, प्रेसीडेण्ट
२— „ अखन्दानन्द वाइस प्रेसी.
३— „ शुद्धानन्द, सेक्रेटरी
४— „ शङ्करानन्द, ज्वाइंट सेक्रे.
५— „ सर्वानन्द, „

६—स्वामी धीरानन्द, कोषाध्यक्ष

७— ,, अमृतीश्वरानन्द एकाउंटैन्ट

८— ,, अभयदानन्द

९— ,, सुबोधानन्द

१०— ,, बोधानन्द

११—स्वामी विरजानन्द

१२— ,, अचलानन्द

१३— ,, महिमानन्द

१४— ,, विशुद्धानन्द

१५— ,, माधवानन्द

भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति ।

वर्तमान ।

भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति ।

वर्तमान ।

अग्रवाल, लाला गिरधारी लाल—एडवोकेट ज० १८७८, शिक्षा आग्राकालेज बी. एस. एम. लंदन, सभापति अग्रवाल सेवासमिति, मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली, डाइरेक्टर मुरादाबाद स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स (१० वर्ष तक) और बवराल काटन जिन एन्ड प्रेस कम्पनी लिमिटेड (६ वर्ष,) आरंभिक मेम्बर यू. पी. चेम्बर आफ कमर्स, चुने हुये मेम्बर, रायल सोसाइटी लंदन (१९१९) पार्लामेंट की स्पेशल गैलरी में बैठे और वेम्बली प्रदर्शनी में गये, भारत में मवेशीयों की उन्नति और रक्षा के लिये एसेम्बली में कानून पेश किया मेम्बर हिन्दुलॉं रिसर्च सोसायटी पताः-जार्ज टाऊन इलाहाबाद ।

अजमेरी, मुन्शी,-धर्मसे मुसलमान, रहन सहन हिन्दू की नाईं । पूर्वज ब्रह्मभट्ट थे । हिन्दी के अच्छे लेखक व कवि । श्री मैथिलीशरणगुप्त के परम मित्र । श्री. रवीन्द्रनाथ ठाकुर की पुस्तक 'चित्र गदा" का हिन्दी कविता में अनुवाद । तथा अन्य पुस्तकों के लेखक । पता—चिरगांव झांसी ।

अज़ीज़, शेख अब्दुल-बी. ए. एफ. पी. यू. जन्म० १८७८, प्रिंस आफ वेल्स की यात्रा के लिये रिपोर्टर १९०५-६, फैलो पंजाब यूनिवर्सिटी, मेम्बर कौंसिल आल इंडिया मुसलिम लीग, भूतपूर्व सम्पादक "आबजरवर" लाहोर ।

अडवानी, दुर्गादास भोजराज-इंजिनियर ज० १८८०, शिक्षा, डी. जे सिंध कालेज कराची, म्युनिसिपल कमिश्नर १२ वर्ष तक, सम्पादक "होमरूलर" १९१८-१९, राजद्रोह के लिये सजा १९१९, सभापति सिंध प्रांतीय कान्फ्रेन्स, मेम्बर, बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल १९२३—२६, इंजीनियर और आर्कीटेक्ट, पताः बंदर रोड कराची ।

अणे, माधवराव श्रीहरि—प्रमुख राजनैतिक नेता, बरार, शिक्षा वकील, लो० तिलक के साथ के कार्यकर्ता होमरूल आंदोलन में प्रमुख, भार्गाल्यः, अध्यक्ष मराठी साहित्य सम्मेलन (१९२८) मराठी के उत्तम वक्ता तथा लेखक, असहयोग आंदोलन में प्रमुख कार्यकर्ता मेम्बर आलइंडिया कांग्रेस कमेटी, मेम्बर लेजिस्लेटिव एसेम्बली, मेम्बर नेहरू कमेटी, सर्वदल सम्मेलन १९२८, पताः-यवतमाल, बरार ।

अन्सारी, डाक्टर मुख्तार अहमद्–सभापति, राष्ट्रीय महासभा १९२७। जन्म १८८०। शिक्षा म्योर सेन्ट्रल कालेज इलाहाबाद, निजाम कालेज डेक्कन; यूनिवर्सिटी एडिनबरा; एम. बी. सी. एच. बी. (१९०५); हाऊस सर्जन चेरिंग क्रास अस्पताल लंदन; टर्की को आल इंडिया मेडिकल मिशन (१९१२–१३), होम रूल आन्दोलन में अग्रसर होकर काम किया, प्रेसिडेन्ट आल इंडिया मुसलिम लीग १९२०, सभापति, सर्वदल सम्मेलन १९२८। पताः–दर्यागञ्ज दिल्ली।

अन्सारी, मौलवी अब्दुल— एम. ए. एलएल. बी., जन्म० गाजीपुर शिक्षा अलीगढ़ कालेज, असहयोग में वकालत छोड़ी १९२१, सेक्रेटरी दिल्ली खिलाफत कमेटी १९२१, १ वर्ष की कैद १९२१।

अपसन, एस० जी०—जर्नलिस्ट; जन्म २५ दिसम्बर १८९२ कोटा; सम्पादक "इंडियन पिकचर मैगजीन, १९१४; 'सोसाइटीइलस्ट्रेटेड" १९१५-१६; असिस्टेंट एडीटर अन्सायर, करनाल १९१६—१९, सम्पादक "लुकर आन" १९१७–२१, 'इंडियन बिजिनेस' १९१७—२१; ईस्ट ऐन्ड वेस्ट १९२० इंडिपेंडेंट १९२२. मुसलमान हुये १९२१ सम्पादक मुसलिम औटलुक, लाहौर।

अफसरुल मुल्क, अफसरुद्दौला, अफसर जंग, मिरजा मुहम्मद अली बेग, नवाब, लेफिटिनेंट कर्नल; के. सी. आई. ई. (१९०८) सी. आई. ई. (१८९७), एम. वी. ओ. (१९०६); ए. डी. सी. निजाम हैदराबाद; चीफ कमांडर, निजाम की रेगुलर फौजें; जन्म औरंगाबाद (दक्षिण) कमांडर गोलकंडा ब्रिगेड (१८८५ से); कमांडर रेगुलर फोर्स (१८९७ से); अफगानवार (१८७९—८०) में काम किया; चीन एक्स पीडीशन (१९००); अफसेरुल मुल्क १९०३; इम्पीरियल सर्विस केवेलरी ब्रिगेड, इंडियन इक्सपीडिशनरी फोर्स, मिश्र १९१५; इंडियन केवलरी कोर और ए. डी. सी. सरजान फ्रेंच १९१५–१६; पताः—राहत मंजिल हैदराबाद दक्षिण।

अब्दुल करीम, मौलवी— बी० ए०, मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट, सर्कारी पेंशनर, पुस्तकें, भारत का इतिहास हिन्दी उर्दू बङ्गाली और महोमेडन अम्पायर इनइंडिया इत्यादि। पताः— रांची।

अब्दुल हमीद, खानबहादुर, दीवान—बार ऐटला सी. आई. ई. ओ. बी. ई., चीफ मिनिस्टर कपूरथला स्टेट; जन्म० १५ अक्टूबर १८८१ शिक्षा, गवर्नमेंट कालेज लाहौर; स्टेट मेजिस्ट्रेट १९०८; जज १९०९; सुपरिंटेंडेंट जन संख्या गणना १९११, मन्शीर माल, फेलो पंजाब यूनिवर्सिटी, चीफ सेक्रटरी

१९१५, चीफ मिनिस्टर १९२०, कारोनेशन दरबार मेडल १९११, खान बहादुर १९१५, ओ. बी. ई. १९१८, सी. आइ. ई. १९२३, पता—कपूरथला ।

अयोध्या सिंह उपाध्याय,—उच्च कोटि के हिन्दी के कवि, जन्म १८६५, अध्यापक हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस, पुस्तकें 'ठेठ हिन्दी का ठाट' 'अधखिला फूल' 'प्रिय प्रवास' आदि अनेक ग्रन्थों के लेखक, पता—बनारस ।

अयङ्गर, श्री निवास,—मेम्बर लेजिसलेटिव ऐसेम्बली, ज० १८७४ शि० मदुरा तथा प्रेसीडेन्सी कालेज मद्रास, वकील १८९८, मेम्बर मद्रास सिनेट १९१२–१६, अध्यक्ष वकील एसोसियेशन एडवोकेट जनरल मद्रास; लेजिसलेटिव कौंसिल के मेम्बर और सी. आइ. ई. की पदवी कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के कारण छोड़ दी, सभापति मद्रास प्रान्तीय कान्फ्रेंस १९२०, सभापति कांग्रेस (गौहाटी) १९२६, पुस्तक कारिफार्म, पता—मद्रास ।

अयङ्गर सी० दुरायस्वामी,—हाइकोर्ट वकील, चितूर, मेम्बर लेजिसलेटिव ऐसेम्बली, जन्म १८७३, शिक्षा क्रिश्चन कालेज मद्रास, प्रेसीडेण्ट तालुका बोर्ड व म्यु० बोर्ड अनेक वर्षों तक, प्रेसीडेण्ट जिला कांग्रेस कमेटी, पोस्टल और आर. एम. एस. युनियन मद्रास प्रान्त के प्रेसीडेन्ट १९२९ महात्मा गान्धी को "कलकी अवतार" बताते हैं पता—चितूर ।

अयंगर, सी० वी० व्यङ्कटरामन,—मेम्बर लेजिसलेटिव कौंसिल मद्रास, ज० १८७३, शि० प्रेसीडेन्सी कालेज मद्रास, वकील १८९७–१९१८ प्रेसीडेण्ट अनेक बंक, डेपुटी लीडर कांग्रेस पार्टी मद्रास कौंसिल, म्युनिसिपल कौंसिलर, दान में २ लाख से अधिक की जायदाद दी, पता—धर्म विलास, कोयमबट्टूर ।

अयंगर के० वी० रंगा स्वामी—जमीदार और मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट (१९२०–२५) जन्म १८८१, मेम्बर पुरानी इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल (१९१६–२०) जमीदारों द्वारा चुने हुये, कांग्रेस मैन नैशनेलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय कालेज ट्रिचनापल्ली की स्थापना में सहयोग; चित्तूर कांफ्रेंस के सभापति सभापति, मद्रास प्रान्तीय कान्फ्रेंस, तथा त्रिचनापल्ली जिला कान्फ्रेंस, पता—वासुदेव विलास श्री रंगम (मद्रास प्रांत)

अय्यर टी० पी० शेषगिरि—जन्म १८६० शि० बी. ए., बी. एल., जज हाइकोर्ट मद्रास (रिटायर्ड १९२०) मेम्बर सिनेट मद्रास २० वर्ष तक, प्रेसीडेण्ट अनेक संस्थायें, मद्रास कौंसिल में यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि ५ वर्ष (१९१३ से पहिले, मेम्बर लेजिसलेटिव ऐसेम्बली (१९२०–२३) पता—मद्रास ।

अय्यर, सी० एस० रंगा—जर्नेलिस्ट जन्म १९ सितम्बर १८९५;

स्पेशल कारस्पांडेंट "मद्रास स्टैन्डर्ड स्पेशल रिप्रेजेन्टटिव "इंडियनपेट्रिअट" असिटुंट एडीटर वेल्थ आफ इन्डिया एडवोकेट लखनऊ १९१४ असिस्टेन्ट एडीटर "इंडिपेंडेन्ट इलाहाबाद १९१९, लीडर राइटरडिमोक्रेट" इलाहाबाद "फ्री-इंडिया झांसी, जेलयात्रा १९२१ मेम्बर आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी १९२१, सम्पादक 'इन्डिपेन्डेन्स" लखनऊ, लेखक—"ए वायस फ्राम दि जेल" "इजिप्ट",फादर इण्डिया मदर इण्डिया का उत्तर १९२७, मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली, नाभा नरेश की ओर से इङ्गलैण्ड गये १९२५, पताः—दिल्ली।

अय्यर, सर सी० पी० रामस्वामी—लामेम्बर मद्रास गवर्नमेंट, ज० १८७९ शिक्षा-बैरिस्टर १९०३; मेंबर मद्रास कोरपोरेशन १९११ फैलो यूनिवर्सिटी १९१२; सेक्रेटरी कांग्रेस १९१७—१८; मद्रास डेलीगेट दिल्ली बार कॉंफ्रेंस मेम्बर मद्रास लेजिसलेटिव कौंसिल १९१९, एडवोकेट जनरल मद्रास; मेंबर वास्ते बनाने उपनियम रिफार्म ऐक्ट १९१९ के अनुसार। सभापति आल इण्डिया लायर्स कांफ्रेंस १९२१। मेंबर मद्रास इकजीक्यूटिव कौंसिल १९२३। मद्रास युनिवर्सिटी का कन्वोकेशन ऐड्रेस १९२४। लीग आफ नेशन्स के डेलीगेट (जीनोवा) १९२६ और १९२७। पताः—दी ग्रोव, केथीड्रेल, मद्रास।

अय्यर, सर पी० एस० शिवस्वामी,—के. सी. एस. आई. (१९१५) सी. एस. आई. (१९१२) सी. आई. ई. (१९०८) ज० ७ फरवरी १८६४ शि० एस. पी. जी. कालेज तञ्जोर, प्रेसीडेन्सी कालेज मद्रास वकील १८८५ एडवोकेट जनरल मद्रास १९०७-१२। मेंबर ए० कौंसिल मद्रास १९१२-१७, वाइस चान्सलर मद्रास यूनिवर्सिटी १९१६-१८ वाइस चान्सलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी १९१८-१९ पताः—सुधर्म, मयलापुर मद्रास।

अली, अशफाक—बी० ए० प्रमुख खिलाफत कार्यकर्ता, शि० एम. ए ओ. कालेज अलीगढ़ प्राइवेट सेक्रेटरी मोलाना शौकत अली, सेक्रेटरीखिलाफत सिविल डिसोबीडियंस कमेटी, पताः—सेन्ट्रल खिलाफत कमेटी, बम्बई।

अली, खानबहादुर, मीरअसद, व्यापारी, जागीरदार और मेम्बर लेजिस्लेटिव एसेम्बली, ज० १८७९, शिक्षा निजाम कालेज हैदराबाद मेम्बर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल १९१३—२० प्रेसीडेंट जिला राजनैतिक कान्फ्रेन्स कुडथा १९१६, प्रेसीडेंट प्रांतीय शिक्षा कान्फ्रेन्स पूना १९१९, प्रेसीडेंट मद्रास प्रान्तीय मुसलिम लीग १९१७—२० प्रेसीडेंट आल इंडिया यूनानी कान्फ्रेन्स दिल्ली प्रेसीडेंट यूनानी आयुर्वेदिक कान्फ्रेन्स हैदराबाद १९२२, इराक और पर्शिया की तीर्थयात्रा १९२८, पताः—कोस्मोपालीटन क्लब मौंट रोड, मद्रास।

अली, मुअज़्ज़म—जन्म रामपुर स्टेट, शिक्षा, रामपुर, अलीगढ और लंदन, लारीडर, ढाका कालेज, इस्तीफा देकर पटना में वकालत शुरू की, मुरादाबाद आये १९२०, असहयोग में वकालत छोड़ी १९२० सुपरडेंट सेंट्रल खिलाफत कमेटी और मेम्बर खिलाफत कमेटी की सिविल डिसओबेडियंस कमेटी, भूतपूर्व मेम्बर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी।

अली, मुहम्मद——सम्पादक 'हमदर्द, ज० १८७८ शि० एम० ए० ओ० कालेज अलीगढ़ और लिंकन कालेज आक्सफोर्ड, चीफ एडूकेशनल आफिसर रामपुर स्टेट १९०२–०३, गाइकवाड सिविल सर्विस १९०४–१०; "कमरेड" पत्र स्थापित किया और सम्पादन किया डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट द्वारा नजर कैद १९१५–१९, छोड़ दिये गये १९१९ इंडियन खिलाफ़त डेपुटेशन लंदन के अध्यक्ष १९२०, २ वर्ष की कड़ी सज़ा १९२१, सभापति राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस १९२३—२४) संस्थापक मुस्लिम लीग (१९०६) खुद्दाये काबा (१९१३) और नेशनल मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ (१९२०) पताः दिल्ली।

अली, शौकत,—शि० एम. ए. ओ. कालेज अलीगढ़, बी. ए. सरकारी अफीम विभाग, संस्थापक अलीगढ़ ओल्ड बाइज एसोसीयेशन, अलीगढ़ कालेज के लिये धन एकत्र किया, युद्ध के समय डिफैन्स आफ इंडिया ऐक्ट द्वारा नजरकैद, खिलाफत और असहयोग आंदोलनों के प्रमुख नेता १९१९–२१, दो वर्ष की कैद कड़ी, अत्यंत वीर तथा पराक्रमी पुरुष, अध्यक्ष आल इंडिया मुसलिम कांफ्रेंस १९२८ पता–सुलतान मैन्शन, डोंगरी, बम्बई।

अलवर, महाराजा,–ज. १८८२ कर्नल हिजहाइनेस राजराजेश्वर श्री सवाई महाराज सर जयसिंह जी वीरेन्द्रदेव, जी. सी, एस आई. (१९२४,) जी. सी. आइ. ई. (१९१९), इम्पीरियल कान्फ्रेन्स में भारतीय प्रतिनिधि १९२३। पताः–अलवर।

अहमद, कबीरुद्दीनः–बैरिस्टर मेंबर लेजिसलेटिव एसेम्बली (१९२१ से) ज० १८८६; बैरिस्टर १९१० मेंबर बङ्गाल लेजिसलेटिव कौंसिल (१९२०); संस्थापक पार्लीमेंटरी मुसलिम पार्टी [एसेम्बली]; पुस्तक हैन्डबुक आफ इक्वीटी, रोमनला; पताः— हेस्टिंग्स स्ट्रीट, कलकत्ता।

अहमद, खानबहादुर मौलवी इमादउद्दीन—डिप्टीप्रेसीडेन्ट बङ्गाल लेजिसलेटिव कौंसिल, चेयरमैन डिस्ट्रिक बोर्ड राजशाही, वकील और जमींदार पताः—राजशाही।

अहमद, खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन—सी. आइ. ई., ओ. बी. ई., आई. ऐस ओ. चीफ मिनिस्टर दतिया स्टेट, ज० ७ अप्रैल १८९१, प्रान्तीय सिविल सर्विस यू. पी. ३४ वर्ष तक, मैजिस्ट्रेट और कलक्टर बुलन्दशहर और असिस्टन्ट डायरेक्टर ऐग्रीकलचर और कमर्स यू. पी, भूतपूर्व अमीर काबुल के साथ भारत की यात्रा में डेपुटेशन पर, भरतपुर की कौंसिल आफ रिजेन्सी में रेविन्यू मेम्बर (१९१०), धौलपुर को तबादला १९१३ और सरकारी नौकरी से १९२० में रिटायर हुये किन्तु धौलपुर में जुडीशल मिनिस्टर का कार्य करते रहे, चीफ मिनिस्टर दतिया स्टेट (नियुक्ति १९२२) मेंबर कोर्ट अलीगढ़ और दिल्ली यूनिवर्सिटी ट्रस्टी आगरा कालेज मेंबर, रायल एशियाटिक सोसायटी. करीब ४० पुस्तकें उर्दू और अंग्रेजी की लिखीं, युद्ध कांफ्रेंस १९१९, और कौरोनेशन दरबार १९११ की कार्यवाही का उर्दू में अनुवाद सरकारी इच्छा से किया, पता—दतिया।

अहमद जहूर—बार-ऐट-ला सहयोगी सम्पादक "खिलाफत बुलेटिन" बम्बई, मेंबर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी तथा खिलाफत कमेटी, मेंबर यू. पी. कौंसिल, पता—इलाहाबाद।

अहमद डा० जियाउद्दीन प्रो,—वाइस चैन्सलर मुसलिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, ज० १८७८, शिक्षा इलाहाबाद केम्ब्रिज तथा गोटिंजेन, मेंबर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, मेंबर सेंडहर्स्ट कमेटी. पता—अलीगढ़।

अहमद सैयद अशरफुद्दीन—खान बहादुर नवाबजादा, सी. आई. ई. १९२५, मेंबर लेजिसलेटिव कौंसिल और वाइस प्रेसीडेन्ट बिहार उड़ीसा हज कमेटी जन्म ६ जनवरी १८५५, शि० कलकत्ता मद्रास, इफरम कालेज कलकत्ता, ए. डी. सी, अन्तिम राजा अवध के १८७४ मैनेजर हुगली इमाम बाड़ा १८७५, लाइफ ट्रस्टी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और फेलो कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पुस्तकें—तुहफये सखुन. नौ रतन, यादगार दर्दाना तवारीख मोहसिनिया. पता—नवाब कोठी बाढ, (ई. आई. आर. पटना)

अहमद हुसन सर—नवाब अमीन जंग बहादुर, ऐम. ए, बी. ऐल. सी. ऐस. आई. १९११, नवाब १९१७, के. सी. आई. ई. १९२०, मिनिस्टर इनवेटिंग निजाम, चीफ सेक्रटरी निजाम सरकार, जन्म ११ अगस्त १८६३, शि० क्रिश्चन कालेज और प्रेसीडेन्सी कालेज मद्रास, हाईकोर्ट वकील १८९० डिप्टी कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट १८९०-९२. असिस्टैन्ट सेक्रटरी निजाम १८९३, खास सेक्रटरी निजाम १८९५, चीफ सेक्रटरी निजाम सरकार १८९६, मिनिस्टर इनवेटिंग १९१५ से, लेखक "नोटस ओन इसलाम" मासिक पत्रों में लेख. पता—अमीन मंजिल सैदबाद हैदराबाद।

अवस्थी, रमाशंकर—ज० मई १८१७ ई०, कांग्रेस कार्यकर्ता, तथा स्वतंत्र भारत संघ के सदस्य; उच्चकोटि के निर्भीक जर्नेलिस्ट, "अभ्युदय" तथा 'प्रताप' के भूतपूर्व सहायक सम्पादक, 'वर्तमान' दैनिक के संस्थापक; अनेक वर्षों तक सम्पादक। इस समय सञ्चालक 'वर्तमान' लेखक 'रूस की राज्यक्रांति' 'बोलशेविक लाल क्रांति' 'बोलशेविक रूस' तथा 'बोलशेविक जादूगर' इत्यादि पता—वर्तमान दैनिक' कानपुर

आगाखां, आगा सुलतान मुहम्मद शाह—खोजा समाज के गुरु, जन्म १८७५, महायुद्ध में सरकार को सहायता देने के कारण ११ तोप की सलामी और प्रथम वर्ग के देशी नरेश का मान प्राप्त किया, जंजीबार और ईरान की पदवियां प्राप्त, भारत, अफ्रीका और मध्य ऐशिया में अनेक शिष्य हैं, गोल्फ, घुड़दौड़ मोटर इत्यादि में बड़ी रुचि रखते हैं। पताः—आगा हाल, बम्बई।

आंकलीकर, लेफ्टि० कर्नल अमीरुल उमरा सरदार सर अप्पा जी राव साहब शितोले देशमुख, सेना, हरदु शाह श्री,—के. बी. ई. (१९१९), सी. आई ई. १९१३ मेंबर ग्वालियर सरकार माल व खेती विभाग (१९१८) ज० १८७४, शि० बेलगांव, प्राइवेट सेक्रेटरी महाराजा, ग्वालियर १८९७, महाराजा जयाजी राव सिंधिया की सबसे कनिष्ट बहिन से विवाह, वाइस प्रेसीडेन्ट कौंसिल आफ रीजेन्सी ग्वालियर सरकार, पताः—ग्वालियर।

आचार्य, एम० के०—मेम्बर लेजिसलेटिव असेम्बली। जन्म १८७६ हेडमास्टर १९ २-१७, मैनेजर "मद्रास स्टैंडर्ड," अनेक पुस्तकों के लेखक पताः—४६ लिंगाचेटी स्ट्रीट, जार्जटाउन, मद्रास।

आचार्यर, सर पी० राजागोपाल—के. सी. एस. आइ. १९२० सी. आई. ई. भारत मन्त्री की कौंसिल के मेंबर १९२५, शिक्षा मद्रास यूनिवर्सिटी, आई. सी. एस. (१८८८) कोचीन के दीवान (१८९६–१९०२) ट्रावनकोर के दीवान (१९०७–१४) मद्रास सरकार के सेक्रेटरी (१९२४) मद्रास इकजीक्यूटिव कौंसिल के मेंबर १९१७, प्रेसीडेन्ट मद्रास कौंसिल १९२१ पता—मद्रास।

आयर्विन, लार्ड, आन० एडवर्ड फ्रेडरिक लिंडले वुड, वाइसराय तथा गवर्नर जनरल (इंडिया) जन्म १८८१ विवाह लेडी डोरोथी एवलिन आगस्टा ओन्सलो सन्तति ३ पुत्र १ पुत्री शिक्षा ईटन आक्सफोर्ड पार्लीमेंटरी अंडर सेक्रेटरी कोलोनीज १९२१–२३ कुछ समय के लिये प्रेसीडेन्ट शिक्षाबोर्ड खेती के मिनिस्टर

१९२४-२५ मेंबर पार्लमेंट १९११-२५ पता—वाइसरीगल लाज दिल्ली शिमला।

आरकोट, प्रिन्स आफ, सर गुलाम मुहम्मद अली खान बहादुर—प्राचीन नवाब कार्नटक के वन्शज, जन्म १८८२, शि० न्यू-इंगटन कोर्ट आफ वार्डस इन्स्टीट्यूशन मद्रास, मेंबर मद्रास लेजिसलेटिव कौंसिल १९०४-०६ व १९०६-०७ मेंबर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल १९१०-१३ प्रेसीडेन्ट आल इण्डिया मुसलिम लीग (दिल्ली) पता—अमीर महल, रोयापेट्टा मद्रास।

आरोग्य स्वामी मुडालियर—आनरेबल दीवान बहादुर रायपुरम नल्लवीरन बी. ए. बी, सी. ई. राव बहादुर (१९१५) दीवान बहादुर (१९२५) मिनिस्टर पबलिक हैल्थ और एकसाइज मद्रास, ज० १८ अप्रैल १८७० शि० मद्रास क्रिश्चन कालेज आफ इंजीनियरिंग मद्रास, सरकारी नौकरी (१८९६ से १९२५) पता—मयलापुर।

आलम, डा० शेख महमूद—बार ऐट-ला, मेंबर पंजाब लेजिसलेटिव कौंसिल ज० १८९२, शि० आक्सफोर्ड और ट्रिनिटी, असहयोग में वकालत स्थगित की पुनः आरम्भ की १९२३, पंजाब कौंसिल में नेशनेलिस्ट पार्टी के नेता, प्रमुख कांग्रेस कार्य कर्ता, प्रेसीडेन्ट यूथ लीग झांसी और बङ्गाल और राजनैतिक काफ्रेंस सागर नमक कानून तोड़ने के कारण जेल पता—लाहौर।

आसफ अली—बार-ऐट-ला, एडवोकेट लाहौर हाइकोर्ट. ज० ११ मई १८८८, शि० दिल्ली, लिंकन्स इन लन्दन, प्रेसीडेन्ट दिल्ली प्रान्तीय कांफ्रेंस १९२३, म्यु० कमिश्नर दिल्ली, डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार मुकदमा चला लेकिन छूट गये १९१८, असहयोग में वकालत स्थगित कर दी १९२०, क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट के अनुसार १॥ साल की सजा, मिश्र देश, इङ्गलैंड, फ्रांस, स्विटजरलैंड, इटली, जर्मनी, टर्की आदि देशों में भ्रमण किया. ऐसेम्बली बम केस में भगतसिंह और दत्त की तरफ से पैरवी की. पता—कूचा चेलान दिल्ली।

इकबाल सर महमूद,—मेम्बर पंजाब लेजिसलेटिव कौंसिल ज० १८७७ (सियालकोट) शि० स्काच मिशन कालेज सियालकोट, गवर्नमेंट कालेज लाहौर कैंब्रिज लेकचरर ओरियंटल कालेज लाहौर, जर्मनी यात्रा पी. ऐच. डी. पदवी (म्यूनिच) प्रोफेसर अरबी भाषा लन्दन यूनिवर्सिटी प्रथम कविता हिमालयन मौंटेन (१९२१) फयासीमसर्वक प्रकाशित १९२५ उच्चकोटि के कवि. पता—लाहौर।

इन्द्र, प्रो०—स्वामी श्रद्धानन्द के सुपुत्र ज० १९ नवम्बर १८९०. वेदालंकार विद्यावाचस्पति (गुरुकुल कांगड़ी)

एम. आर. ए. ऐस. मन्त्री प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी दिल्ली प्रधान मन्त्री अखिल भारतवर्षीय सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा आर्य समाज सेवा सचालक अर्जुन (दिल्ली) दैनिक तथा साप्ताहिक पत्र सम्पादक सार्वदेशिक (मासिक) पुस्तकें नेपोलियन बोनापार्ट महावीर गैरी बाल्डी का चरित्र आर्य समाज का इतिहास (प्रथम भाग) उपनिषदों की भूमिका. स्वर्ग देश का उद्धार (नाटक) आदि पता—दिल्ली।

इंदौर, महाराजा तुकोजीराव होलकर—ज० २६ नवम्बर १८९० शि. मेयो चीफ्स कालेज अजमेर इम्पीरियल केडिट कोर यूरुप यात्रा १९१० राज्यारोहण १९११ पुनः यूरुप यात्रा १९१३ १९२१ और १९२६ बावलामर्डर केस के कारण राज्य त्याग २७ फरवरी १९२६ मिस नैन्सी मिलर अमरीकन महिला को शुद्ध करके विवाह (१७ मार्च १९२८) पता—इन्दौर।

इंदौर महाराजा हिज हाइनेस महाराजाधिराज राज राजेश्वर सवाई श्री यशवन्तराव होलकर बहादुर—ज० ६ सितम्बर १९०८ वि० पुत्री जूनियर चीफकगल (कोल्हापुर) फरवरी १९२४ शि० इङ्गलैंड १९२०-२३ तथा पुनः ओक्सफोर्ड राज्यारोहण (१९२६) पता—इन्दौर सेन्ट्रल इंडिया।

इनीज, ओ० चार्ल्स एलेक्जेण्डर—बी. ए. आक्सफोर्ड गवरनर बर्मा १९२८ सी. ऐस. आई. (१९२१) सी. आइ. ई. (१९१९) मेंबर (कमर्स और इन्डस्ट्री) कौंसिल गवरनर जन्म २७ अक्टूबर १८७४ शि० मर्चेंट टेलर्स स्कूल लन्दन और सेन्ट जोहन कालेज ओक्सफोर्ड आई. सी. ऐस. १८९८ असिस्टैन्ट सेटिलमैंट आफीसर मलाबार (१९०१ से १९०५) अन्डर सेक्रटरी भारत सरकार (१९०७ से १९१०) कलक्टर मलाबार (१९११-१५) डायरेक्टर इन्डस्ट्रीज तथा म्यूनिशिन कन्ट्रोलर मद्रास (१९१६-१९) फुड स्टफ कमिश्नर भारत सरकार १९१९ सेक्रटरी कमर्स डिपार्टमेंट १९२०-२१ (१९२२-२३) मेंबर एक्जीक्यूटिव कौंसिल गवरनर जनरल. लेखक—मलाबार जिला गजेटियर पता—रंगून।

इमाम सर सैयद अली,—ज० १८६९ वि० १८९१ बैरिस्टर मिडिल टेम्पल १८९० स्टैंडिंग कौंसिल कलकत्ता हाइकोर्ट प्रेसीडेन्ट प्रथम अधिवेशन आल इंडिया मुसलिम लीग १९०८ मेंबर मुसलिम लीग डेपुटेशन इङ्गलेंड १९०९ मेंबर बंगाल कौंसिल १९१० फेलो कलकत्ता यूनिवर्सिटी १९०८-१२ ला मेंबर कौंसिल गवरनर जनरल १९१०-१६ जज पटना हाइकोर्ट १९१७ मेम्बर इक्जीक्यूटिव कौंसिल बिहार उड़ीसा १९१८ प्रेसीडेन्ट इक्जीक्यूटिव कौंसिल निजाम हैदराबाद १९१९ प्रथम अधिवेशन लीग आफ नेशन्स (१९२०) में

प्रथम भारतीय प्रतिनिधि; नेहरू कमेटी (सर्वदल सम्मेलन) के सभासद् पता—हसियन मंजिल, पटना ।

इमाम, सर सैयद हसन, बैरिस्टर, ज० ३१ अगस्त १८७१ शि० पटना और इंग्लैंड बैरिस्टर मिडिल टेम्पल १८९२' जज कलकत्ता हाइ कोर्ट (१९१२–१६) प्रेसीडेंट स्पेशल सेशन राष्ट्रीय कांग्रेस १९१८, प्रेसीडेंट आल इंडिया होमरूल लीग, डेलीगेट लन्दन कान्फ्रेन्स टर्किश पीस ट्रीटी १९२१, भारतीय प्रतिनिधि लीग आफ नेशन्स १९२३ पता—हसन मंजिल पटना ।

इसमाइल, मिर्जा मुहम्मद दीवान मैसूर, ज० १८८३, शि० महाराजा मैसूर के सहपाठी (पैलेस स्कूल,) बी. ए. १९०५, मैसूर सर्विस (१९०५) पुलिस एकौन्ट ओर सर्वे मुहकमें असिस्टंट सेक्रटरी महाराजा (१९०८) हुजूर सेक्रटरी (१९२४), प्राईवेट सेक्रटरी महाराजा (१९२२) अमीनुल मुल्क की पदवी (१९२०) पता—समर पैलेस मैसूर ।

इसरार हसनखाँ,—खान बहादुर सर, सी. आई. ई. ज० शाहजहापुर १८६५ होम मेम्बर और प्रेसीडेन्ट जूडीशियल कौंसिल—भोपाल; पताः—भोपाल ।

ईश्वर सरन, मुन्शी,—मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली शि० म्योर सेन्ट्रल वकालत गोरखपुर में वकील शुरू की फिर इलाहाबाद आये कायस्थ पाठशाला तथा अनेक संस्थाओं के सहायक "लीडर" पत्र के संस्थापकों में होमरूल आन्दोलन में भाग लिया १९१८–१९ लिबरलदल के प्रमुख कार्यकर्ता नेहरू कमेटी रिपोर्ट के समर्थक सरकारी दमन के विरोध में एसेम्बली की मेम्बरी से त्याग पत्र दिया १९३० पता—इलाहाबाद ।

ईश्वरी प्रसाद, प्रो०—एम, ए. १९१४. एल. एल. बी. १९१६ डाक्टर की उपाधि (१९२६) । जन्म सं० १९४८ वि० सनाढ्य ब्राह्मण शि० आग्रा कालेज आरम्भ से वड़े चतुर विद्यार्थी अनेक पारितोषक तथा स्कालरशिप प्राप्त किये मि० ब्रुक्स के युद्ध जाने पर सीनियर प्रोफेसर आगरा कालेज, १९१९ तक फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर इतिहास; "तुगलकों का इतिहास" नामक लेख पर डाक्टर की उपाधि (१९२६) में मिली, रीडर, इ० यूनिवर्सिटी १९२७; "लीडर" "पायोनियर" तथा अन्य अंग्रेजी पत्रों में शिक्षा और राजनीति पर लेख लिखते हैं; प्रभा, माधुरी, सरस्वती, महारथी, भारतेन्दु आदि मासिक पत्रों में हिन्दी लेख; हिन्दी इतिहास की पुस्तकें यू. पी. पंजाब विहार, राजपूताने के स्कूल में पढ़ाई जाती हैं; हिस्ट्री आफ मेडिवियल इंडिया (अंग्रेजी); इस समय इलाहाबाद यूनि० में कोर्ट, एकेडेमिक कौंसिल फैकल्टी आफ आर्ट्स, आदि के सदस्य

कुछ समय तक हिन्दी परिषद्के उपसभापति; आगरा यू० के सीनेट; फैकल्टी आफ आर्ट्स; बोर्ड आफ स्टडीज इन हिस्टरी; इकजीक्यूटिव कौंसिलके सदस्य। सिनेटमें रजिस्टर्ड ग्रेजुएट के प्रतिनिधि। पता—यूनिवर्सिटी इलाहाबाद।

उपाध्याय, हरिभाऊ—ज० चैत्र कृष्ण ९ सं० १९४९ स्थान कौंरासा (गवालियर) शि० हिन्दूकालेज बनारस, महात्मा गांधी के अनुयायी, सम्पादक, "औदुम्बर" काशी (१९१२-१५). उप सम्पादक "सरस्वती" १९१६-१८ सम्पादक "हिन्दी नवजीवन" १९२१-२५ वर्तमान सम्पादक "त्यागभूमि" अजमेर। अनुवादित पुस्तकें-काबूर; रागिणी; सम्राट अशोक इत्यादि मुजफ्फरपुर के सम्पादक सम्मेलन के सभापति चुनें गये पर स्वीकार नहीं किया। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति के सदस्य अध्यक्ष राजस्थान अछूत सहायक मंडली संचालक गांधी सेवा संघ (राजस्थान शाखा) सस्ता साहित्य मंडल के संस्थापकों में कार्य खादी प्रचार अस्पृश्यता निवारण आदि राजस्थान की सेवा के लिये अपना जीवन समर्पित पता—त्यागभूमि कार्यालय अजमेर।

एरंडेल, जार्ज सिडनी,—बीशोप लिबरल केथोलिक चर्च ज० १ दिसम्बर १८७८, शि. केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बि० रुकिम्णी पुत्री नीलकंठ शास्त्री मद्रास १९२० प्रिंसपल सेन्ट्रल हिन्दू कालेज बनारस ऑरगेनाइजिङ्ग सेक्रेटरी इन्डियन होमरूल लीग. मिसेज एनी विसेन्ट के सहकारी १९१७; थिओसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख कार्य कर्ता प्रेसीडेन्ट बोम्बै स्टूडेन्टस कन्वेनशन १९१८ लेखक—निर्वाण वैड रोक्स एजूकेशन इत्यादि पता—थिओसोफिकल सोसाइटी अद्यार मद्रास।

ऐन्डरसन, सर जार्ज—के. टी सी. आई. ई. १९२० एम. ए. ओक्सफोर्ड; डाइरेक्टर पवलिक इन्सट्रकशन पंजाव १९२० से। ज० १८७६ शि० बिनचेस्टर कालेज ओक्सफोर्ड हिस्ट्री प्रोफेसर इलफिनस्टोन कालेज बम्बई। असिस्टेन्ट सेक्रेटरी शिक्षा विभाग भारत सरकार सेक्रेटरी कलकत्ता यूनीवर्सिटी कमीशन १९१८—१९ लेखक—दी एक्सपेन्शन आफ बृटिश इन्डिया शोर्ट हिस्ट्री आफ दी ब्रिटिश अमपायर। पता—ग्रान्ट लाज शिमला।

ऐन्डरूज़, सी० एफ०—प्रोफेसर इन्टर नेशनल यूनीवर्सिटी शान्ति निकेतन ज० १८७१ शि० बरमिङ्घम तथा केमब्रिज फेलो तथा लेकचरर पैनब्रोक कालेज केमब्रिज १८९९ प्रोफेसर सेन्ट स्टीफन कालेज देहली भारतीयों के कट्टर सहायक तथा प्रेमी दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के लिये अमूल्य कार्य किया। पता—वोलपुर ई. आई. रेलवे बंगाल।

कच्छ,—हिज हाइनेस महाराजा (महाराव) धिराज मिरज़ान् महाराव

श्री खेंगरजी सवाई बहादुर, ज० १८६६ वि० १८८४ इम्पीरियल कान्फ्रेंस में भारतीय प्रतिनिधि(१९२१),फ्रीमैन सिटी आफ लन्दन (१९२१) और फ्रीमैन सिटी आफ वाथ (१९२१) पता—दी पैलेस भज, कच्छ।

कजिन्स, जेम्स हेनरी,—जन्म १८७३ वेलफास्ट, प्रिंसपेल ब्रह्म विद्या आश्रम; मेयर वेलफास्ट १८९१ लेखक, प्रथम पुस्तक पद्य १८९४ बि० १९०३, शि० ईस्टर्न फिलोसोफी विशेषकर वेदांत; इंगलैण्ड और आयरलैण्ड में वेदांत पर लेकचर दिये; भारत यात्रा (१९१४) "न्यू इण्डिया" में सम्मिलित होने के अभिप्राय से, मदनापल्ली थियोसिफिकल कालेज में शिक्षक १९१६; भारत में नेशनल एजूकेशन में सहायक। पता—अड्यार मद्रास।

कजिन्स, मिसेज़ मारगरेट ई.—भारत में प्रथम स्त्री मजिस्ट्रेट; जन्म १८७८ आयरलैण्ड; शिक्षा रायल यूनीवर्सिटी आयरलैंण्ड, म्यूजिक ग्रेजुयेट १९०२; वि० डा० जे० एच० कजिन्स १९०३; मेम्बर सिनेट वोमेन्स यूनीवर्सिटी; सेक्रेटरी वोमेंस इण्डियन एसोसियेशन, प्रसिद्ध सोलोपियानिस्ट लेखिका- 'अवेकिनिंग आफ एशियन वोमेन हुड' तथा अन्य लेख। इङ्गलैण्ड में स्त्रियों के मताधिकार आंदोलन में दो बार कैद पता—उडवंगलो थियोसोफिकल सोसायटी, अड्यार मद्रास।

कनिका, राजा,—आ० राजा राजेन्द्र नारायण भंज देव बहादुर ओ० बी० ई० कनिका; एम० एल. सी. ज० २४ मार्च १८८१ वि० पुत्री फयुडेटरी चीफ नयागढ़ १८८८, शि० रैविनशा कालेज कटक, किल्ला कनिक का प्रबन्ध कोर्ट आफ वार्ड्स से १९०२ में प्राप्त किया, मेम्बर बङ्गाल लेजिसलेटिव कौंसिल १९०९-१०, मेम्बर बिहार तथा उड़ीसा लेजिसलेटिव कौंसिल १९१२—१६, मेंबर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल, १९१६—२०; मेंबर बिहार तथा उड़ीसा लेजिसलेटिव कौंसिल १९२१—२६; प्रेसीडेंट उड़ीसा लैंड होल्डरस एसोसियेसन; वाइस प्रेसीडेन्ट बंगाल लैंड होल्डरस एसोसियेशन, वाइसप्रेसीडेंट विहार लैंड होल्डरस एसोसियेशन, मेंबर बंगाल फिशरीबोर्ड मेंबर रोयाइल एशियाटिक सोसायटी, मेंबर गवर्निङ्ग बोर्ड, राविनशा कालेज कटक, फैलो पटना युनिवर्सिटी; पता—कटक या राजकनिका उड़ीसा।

कन्ट्रेक्टर मिस, नवजबाई दोराबजी,—बी० ए० चन्दारामजी हिंदू लड़कियों की पाठशाला बम्बई की लेडी सुपरिन्टेंन्डैन्ट; जस्टिस आफ दी पीस बंबई में आनेरेरी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट; बंबई बिश्वविद्यालय की फैलो; सहकारी सम्मितियों की मुख्य कार्य कर्ता; चीन, जापान, यूनाइटेड स्टेटस इङ्गलैंड आर्यलैंड

और यूरप में भ्रमण; समाचार पत्रों की लेखिका । पता—हार्डिंग हाउस गोआलिया टैंक रोड बम्बई ।

कन्हैयालाल,—दी ओनरेबिल मिस्टर जसटिस, राय बहादुर एम. ए. एल. एल. बी. जज हाई कोर्ट इलाहाबाद ज० १८ जुलाई १८६६ वि. श्रीमती देवी पुत्री व्यास गोकुलदास जी आगरा शि० दी म्यरि सेन्ट्रल कालेज इलाहाबाद मुन्सिफ यू पी. सिविल सर्विस २२ अप्रैल १८९१, सबोर्डीनेट जज १२०७; असिस्टन्ट सेसनं जज तथा एडीशनल जिला जज फरवरी १९०८; जिला तथा सेसन जज १२२०—२२, एडीशनल जुडीशियल कमिश्नर अवध जुलाई १९१८; जज इलाहाबाद हाईकोर्ट १९२३; १९२८-२९ वाइस प्रेसीडेन्ट एस. आफ. कन्सेन्ट कमेटी मेम्बर हिन्दू धार्मिक मंदिरों की कमेटी । लेखक—"एलीमेन्टरी हिस्ट्री आफ इन्डिया' धर्म शिक्षा हिन्दी भाषा तथा नोट जुडिशियल स्टाफ रिआर्गीनाइजेशन पता-नं० ९ एलगिन रोड, इलाहाबाद ।

कपूरथला,—ज० १८७२ हिज हाईनेस, महाराजा फर्जिन्द दिलवन्द रसीखुल इतीकाद दोलते इंगलिशिया राजैराजगान महाराजा जगतजीत सिंह बहादुर महाराजा, जी. सी. एस. आई. (१९११) सी. जी. आई. ई. (१९१२) औनरेरी कर्नल आर्मी तथा ओनरेरी कर्नल सिक्ख रेजीमेंट २—११ वीं; महाराजा १९११, महायुद्ध (१९१४) में सरकार को सहायता देने के कारण ११ सलामी से १५ सलामी हुई और ९००० पोंड खिराज सदा के लिये ब्रिटिश सरकार ने माफ कर दिया । पता—कपूरथला ।

कम्बली, राव बहादुर सिदापी थोटापी, प्लीडर, डिप्टी प्रेसीडेंट बंबई लेजिसलेटिव कौंसिल ज० १८८२, मेजुएट १९०३ एल. एल. बी. १९०५ वि० १८१७; मेम्बर हुबली म्यूनी १९१७ तथा उसके प्रेसीडेंट १९२३ तक; मैम्बर धारवार लोकल बोर्ड ६ साल तक; पता—हुबली ।

कर्वे, धोंडू केशव, प्रो—संस्थापक इंडियन वीमेन्स युनिवर्सिटी. ज० मई १८५८, बी. ए. स्त्रियों की उन्नति के लिये उच्चकोटिके कार्यकर्ता. विधवाके साथ विकिया १९८३, विधवा आश्रम पूना के पास स्थापित किया, स० १८९६; समाज सेवा के लिये अपना जीवन समर्पित किया है, नैशनल सोशल कान्फ्रेन्स के अध्यक्ष (१९१५) इंडियन वीमेन्स युनिवर्सिटी की स्थापना जून १९०६ पता—पूना ।

करीम भाई इब्राहीम,—सर (सेकिंड बेरोनेट) (मुहम्मद भाई करीम भाई इब्राहीम) मर्चेन्ट तथा मिलओनर ज० ११ सितम्बर १८६७ वि० सकीना-बाई. पुत्री जयराज भाई पीर भाई लीडिंग मेम्बर खोजा मुसलिम. समाज

ट्रस्टी बंबई पोर्ट १६ वर्ष; मेम्बर म्यू० कारपोरेसन २० साल; डाइरेक्टर अनेक इंडसट्रियल कन्सर्न तथा बोर्ड आफ इंडिया बैंक पता—वेलवडियर वार्डन रोड बंबई।

करीमभाई, सर फजल भाई, मिल ओनर तथा मेर्चन्ट बम्बई ज० १८७२, २० वर्ष से अधिक मेंबर वेट्स ऐण्ड मेजरकमेटी, मेंबर बंबई प्रोविन्शिअल कौंसिल तथा इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल, शेरिफ बम्बई १९२६ डेलीगेट इन्टर नेशनल फाइनेनशियल कॉंफ्रेन्स ब्रसेल्स (१९२०) पता—बंबई।

कमलादेवी, श्रीमती— मेंबर बङ्गाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी; ज० १५ फरवरी १८९५ कालीघाट; कलकत्ता बङ्गाली हिन्दी संस्कृत की पूर्ण विदुषी मेम्बर नारी कर्म मन्दिर खिलाफत कमेटी स्त्री महामण्डल इत्यादि; बङ्गाल में अनेक लेडीज कांग्रेससभायें स्थापित कीं प्रभावशाली व्याख्यान दात्री बङ्गाली तथा हिन्दी; पता—अपर सरक्युलर रोड कलकत्ता।

करन्दीकर, ज. स.,—जन्म १८ फरवरी १८७५ लोकमान्य टिलक के सहयोगी कार्यकर्ता, ज्योतिषशास्त्र के प्रख्यात पंडित शि० बी. ए. एल एल. बी. उपाधि तत्व भूषण अध्यक्ष प्रथम बृहन्महाराष्ट्र परिषद् झांसी १९२९ मराठी साहित्य सम्मेलन ग्वालियर में प्रमुख भाग लिया वर्तमान सहायक सम्पादक केसरी पूना; पुस्तकें-कौटिलीय अर्थशास्त्र आदि। पता—केसरी आफिस पूना।

करन्दीकर, रघुनाथ पांडुरंग, हाईकोर्ट वकील बम्बई प्रोफेसर ला कालेज पूना मेंबर कौंसिल आफ स्टेट ज० २१ अगस्त १८५७ खाडिलकर कुटुम्ब से दत्तक करन्दीकर कुटुम्ब १८६५ शि० सतारा और पूना सब जज १८७४ मेंबर और फोरेस्ट कमेटी १८८५ इंगलैंड यात्रा १९०८ मेम्बर बंबई कौंसिल १९११ मेंबर कांग्रेस १८८६ से १९१८ तक प्रथम इण्डियन कांफ्रेंस इलकली यार्कशायर इङ्गलैंड (१९१९) का उद्घाटन प्रेसीडेण्ट डिस्ट्रिक्ट सतारा स्वराज्य पार्टी पता—सतारा।

करमरकर, विनायक राव पांडोबा—ज० १८९२ शि० बंबई स्कूल आफ आर्ट १९१०-१३; कलकत्ते में शिल्पकारी का काम किया १९१६-२० स० १९२० में उच्च शिक्षा के लिये इङ्गलैंड गये ऐल्वर्ट आर्ट फौंड्री में मजदूर बनकर काम सीखा हिंदुस्थानी होने से कालेजों में जगह न मिली; अच्छा कार्य होने से रायल ऐकेडेमी में एकदम तीसरे वर्ष के वर्ग में लिये। स० १९२२ में इटली में रोम फ्लारेन्स नेपल्स पांपाई आदि नगरों में मूर्ति-निर्माण कला सीखी; भारत में लौटने पर उन्हें अधिक लाभ न हुआ; स० १९२४ से उत्तरोत्तर उन्नति हुई।

शिवाजी स्मारक के लिये शिवाजी की आश्वारूढ मूर्ति १४ फुट ऊंची निर्माण की; पता—४ वार्डन रोड बंबई।

कबीरउद्दीन, काज़ी,—बार-एट-ला, ज० १८७३, शि० इंगलैंड, आनरेरी सेक्रटरी लंडन यूनियन सोसायटी तथा टेंमपरेंस एसोसियेशन, लंदन; वाइस प्रेसीडेंट अनजुमन इसलाम क्लब, मैंबर बंबई कोरपुरेशन कुछ समय तक सेक्रटरी वेस्टरन इंडिया लिवरल एसोसियेशन पता—एडवोकेट बंबई।

कस्तूरभाई लालभाई, सेठ—मिलओनर ज० २२ दिसम्बर १८९४ शि० गुजरात कालेज अहमदाबाद आनरेरी सेक्रटरी अहमदाबाद फेमीन-रिलीफ कमेटी १९१८-१९ अहमदाबाद मिल ओनर्स असोसियेसन के उप-सभापति १९२३-२४ मिल ओनर्स असोसियेशन की ओर से लेजिसलेटिव असेम्बली में मेंबर १९२३-२६ १२ वीं इन्टर नेशनल लेवर कान्फ्रेन्स जिनेवा के चुने हुए प्रतिनिधि १९२९ पता—अहमदाबाद।

काज़ी, सय्यद हिफाजतअली, ज० १८९२; शि० जवलपूर अलीगढ़ और इलाहबाद बी. ए. एल. एल. बी. प्रेसीडेंट म्युनिसपल कमेटी खंडवा १९२० मिनिसटर लोकल सेल्फ गवरमेंट पवलिक वर्कस इत्यादि सी. पी. सरकार पता—खन्डवा।

कांजी द्वारकादास,—मेम्बर बंबई लेजिस्लेटिव कौंसल १९२१-२४ ज० १८९२ बंबई शि. एलफिनस्टोन कालेज बंबई; हॉन ट्रेजरर; आल इन्डिया होमरूल लीग; बंबई ब्रान्च १९१७-१९ ट्रेजरर चिलड्रेन्स एड सुसाइटी; आ० सेक्रेटरी; होमरूल लीग बंबई ब्रान्च १९१९; जनरल सेक्रेटरी; नेशनल होमरूल लीग; मेम्बर बंबई प्रोस्टीट्यूशन कमेटी १९२१; मेम्बर लेवर टस्यूटस कमेटी; १९२१ पता—रिजरोड बम्बई।

कामत, बी. एस—ज० २१ मार्च १८७१; शि. बी. ए; डेक्किन कालेज मेंबर बंबई लेजिसलेटिव कौंसिल १९१३-२० मेंबर लेजिसलेटिव एसेम्बली १९२१—२३; मेंबर रायल कमीशन एग्रीकलचर १९२७; पता—पूना।

काले, वामन गोविन्द,—ज० १८७६; शि. न्यूइंगलिश स्कूल तथा फरगूसन कालेज पूना; दक्षिण एजूकेशन सोसायटी पूना के लाइफ मेंबर १९०७; फेलो बंबई यूनीवर्सिटी १९२२ तक, हिस्ट्री तथा इकोनोमिक प्रोफेसर फरगूसन कालेज, मेंबर इंडियन फिस्केल कमीशन और टेरिफ बोर्ड १९२१; १९२५-२८ डी० ई० सोसायटी पूना के सेक्रटरी। लेखक-"इंडियन इंडसट्रीयल तथा इकोनोमिक प्रोवलेम्स" इन्डियन एडमिनिस्ट्रेशन" गोखले एंड इकोनोमिक

रिफोर्म' "इंडियाज वार फाइनेन्स" "अंग्लो रिफोर्म इन इंडिया" "कन्सटीच्यूशनेल रिफोर्मस इन इण्डिया" पता—फरगुशन कालेज पूना।

कावस जी जहांगीर, सर जूनियर—ज० १८७९ शि० सेंट जेवियर कालेज बम्बई और सेंटजान्स कालेज केम्ब्रिज, अनेक वर्षों तक मेम्बर कारपोरेशन बम्बई, प्रेसीडेन्ट बम्बई कारपोरेशन १९०२–०७, मेम्बर लेजिसलेटिव कौंसिल १९२१ पता—रेडीमनी हाउस, मलवार हिल बम्बई।

कासिम बाजार; महाराजा सर मनीन्द्र चन्द्र नन्दी के. सी. आई. ई.—वाइस प्रेसीडेन्ट बंगाल लेंडहोलडरस एसोसियेशन और ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन, कुछ समय तक कौंसिल आफ स्टेट, प्राचीन विद्या में अधिक रुचि रखते हैं. लेखक—हिस्ट्री आफ इंडियन शिपींग एन्ड मेरीटायम, ग्रेट वैष्णव ग्रन्थांज, दी इंडियन मैडीकल प्लांट इत्यादि पता—कासिम बाजार बङ्गाल।

किचलू, सैफुद्दीन डा०—बार-एट-ला, वकालत आरम्भ १९१३ (रावलपिंडी) विवाह १९१५ सत्याग्रह में प्रमुख भाग लिया १९१९, मारशल ला कमीशन १९१९ में जन्म कैद और देश निकाले की सजा, छोड़ दिये गये दिसम्बर १९१९, वकालत छोड़ दी १९२०, असहयोग में प्रमुख भाग लिया सेक्रेटरी मुसलिम लीग १९२८, नमक कानून में जेल यात्रा १९३०. पता—अमृतसर।

किडवई; शेख रफीअहमद—बिहार कांग्रेस पार्टी लेजिसलेटिव एसेम्बली ज० १८९४, शि० अलीगढ़, ला कालेज असहयोग में छोड़ दिया १९२१, सेक्रटरी यू. पी. कांग्रेस कमेटी १९२२ क्रि. ला. एमेंडमेंट ऐक्ट में सजा १ साल १९२२, मेंबर लेजिसलेटिव एसेम्बली १९२७, सेक्रटरी सर्वदल सम्मेलन १९२८ पता—मसौली, बाराबङ्की।

किनकेड, चार्लस अगस्टस सी. पी. ओ.—जुडीशियल कमिश्नर सिंध, ज० १८७०, आ.ई. सी. एस. १८८९, भारत यात्रा १८९१, जिला तथा सिशन जज सतारा १९१३–१८, एडीशनल जुडीशियल कमिश्नर सिंध १९१८ लेखक काठियावाड़ आउट ला, तुलसी पौधे की कहानी, (एसे ओन इंडियन सबजक्ट) दक्षिन नर्सरी कहानियां १९१४, इंडियन हीरोज १९१५, इस्तुर फकडी १९१७, भारतीय पौरानिक कहानियां १९१८, मरहठों का इतिहास (भाग १) १९१८ पन्ढरपुर सेन्ट्स कहानियां १९१९ द्वारका में श्रीकृष्ण १९२०, हिन्दू देवता १९२० राजा विक्रमादित्य की कहानी १९२१ प्राचीन सिंध की कहानी मरहठों का इतिहास (भाग २) १९२२. पता—करांची।

किशनप्रसाद राजा, — सर चीफ मिनिस्टर हैदराबाद निजाम जन्म २८ जनवरी १८६४ शिक्षा निजाम कालेज हैदराबाद मिनिस्टर सेना विभाग १८९३–१९०१ प्राइम मिनिस्टर हैदराबाद १९०१–१२ पुनः १९२७ लेखक ५७ पुस्तकें फारसी उर्दू व मराठी पता—हैदराबाद दक्षिण।

कौन, एम०—सी. आई. ई. ज० १८७४ आई. सी. एस १८९८ टोंक तथा सिरोही राज्यों में बन्दोबस्त का कार्य किया कुछ समय चीफ सेक्रटरी गवर्नमेंट प्रेसीडेन्ट यू. पी. कौंसिल १९२३--२६ कमिश्नर झांसी पता—लखनऊ।

कुर्तकोटी, डा०—ज० २० मई १८७९ हिज होलीनेस श्री विद्याशंकर भारती स्वामी जगद्गुरु शंकराचार्य कर्वीरपीठ सन्यास तथा पीठारोहण ३ जून १९१७ शि० एम ए. (भारत) तथा पी. एच. डी. (जर्मनी) धर्म मीमांसा की शैली आधुनिक परधर्मी मनुष्यों की आर्य धर्म में शुद्धि को वेदोक्त बताते हैं मिस नैन्सीमिलर अमरीकन महिला को शुद्ध किया १९२८ पता — चांसलर तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ पूना।

कुलकरणी: आर. के.—प्रोफेसर विक्टोरिया कालेज गवालियर शि० एम ए. (बम्बई) एल एल. बी. थिओसोफिकल सोसायटी के मुख्य कार्य कर्ता लीग आफ पेरेन्ट्स एन्ड टीचर्स के संस्थापक अफ्रीका यात्रा १९२२ शिशु शिक्षा सम्बन्धी अनेक पुस्तकों के लेखक तथा प्रकाशक अंग्रेजी तथा मराठी के उत्कृष्ट वक्ता पता—गवालियर।

कृपलानी, प्रो०—शि० एम. ए. प्रोफेसर बनारस यूनि० असहयोग में नौकरी का त्याग तथा कांग्रेस का कार्य काशी में राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक वर्तमान कार्य खादी प्रचार यू. पी. चरखा संघ के प्रमुख कार्य कर्ता १९२४ ए में आप गिरफ्तार कर जेल में डाल दिये गये १९३० पता--मेरठ।

कृपलानी हीरानन्द खुशीराम--आई. सी. एस, बार-एट-ला ज० २४ जनवरी १८८८ शि० एन. एच. एकाडेमी हैदराबाद (सिंध) डी. जे. सिंध कालेज कराची तथा मेस्टन कालेज ओक्सफोर्ड असिस्टन्ट कन्ट्रोलर तथा मजिस्ट्रेट अहमदाबाद भड़ौच सूरत १९१२--१८ म्युनिसिपल कमिश्नर सूरत १९१८ से १९२० ताल्लुकदारी सेटिलमेंट आफीसर गुजरात १९२१ डिपटी म्यु० कमिश्नर बम्बई १९२१ डिपटी गवनमेंट सेक्रटरी रेविन्यू डिपार्टमेंट १९२४--२६ एक्टिंग म्यु० कमिश्नर बम्बई सिटी १९२७ पता—हैदराबाद सिंध।

कुरार, जेम्स, होम मेंबर भारत सरकार ज० १८७७ आई. सी. एस. असिस्टेंट कलक्टर सिंध मैनेजर इंकम्बर्ड स्टेटस सिंध, असिस्टेंट कमिशनर सिंध, डिप्टी म्यूनिसपिल

कमिश्नर बंबई, न्यू० कमिश्नर बंबई प्राइवेट सेक्रेटरी गवर्नर बंबई, सेक्रेटरी गवरमेंट बंबई (होम डिपार्टमेंट) एकटिंग होम सेक्रेटरी भारत सरकार १९२२-२६ पता—देहली शिमला।

कृष्णकान्त, मालवीय,—बी. ए. (इलाहाबाद) मेंबर आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी १९२२–२३ मेंबर आल इण्डिया हिन्दू महासभा सेक्रेटरी यू. पी. इण्डिपेन्डेन्ट कांग्रेस पार्टी (१९२६) मेंबर लेजिसलेटिव एसेम्बली (१९२३–२६) टैरिफ बिल के विरोध में एसेम्बली से त्याग पत्र १९३० लेखक—संसार सङ्कट वैवाहिक अत्याचार मोरक्को, चीन, यूनान आदि का राजनैतिक इतिहास भूतपूर्व संपादक "मर्यादा" मुख्य संपादक "दैनिक अभ्युदय" तथा साप्ताहिक अभ्युदय प्रयाग पता— अभ्युदय कार्यालय प्रयाग।

कृष्णन, चरबरी—दीवान बहादुर एम. ए. (Cantab) बार-एट ला जज हाईकोर्ट मद्रास ज० २६ नवम्बर १८६८ वि० १८९५ शि० हाई स्कूल कनानोर गवर्नमेन्ट कालेज कालीकट; प्रेसीडेन्सी कालेज मद्रास क्राइस्ट कालेज कैंब्रिज भारत सरकार स्कोलर तथा क्राइस्ट कालेज कैंब्रिज स्कोलर मद्रास बार १८९१ केमिस्ट्री प्रोफेसर प्रेसीडेन्सी कालेज मद्रास चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट मद्रास चीफ जज खफीफा मद्रास फैलो मद्रास यूनिवर्सिटी पता—सेनिस्टन पार्क हेटिंगटन रोड मद्रास।

कृष्ण, महाशय,—बी. ए. पंजाब के प्रसिद्ध आर्य समाजिस्ट कार्यकर्ता लाला लाजपतराय के परम मित्रों में "प्रताप" प्रसिद्ध दैनिक उर्दू समाचार पत्र के सम्पादक पता—लाहौर।

कृष्णमाचार्यर, वी० टी०,—राय बहादुर दीवान बड़ौदा राज्य। ज० १८८१ शि० प्रेसीडेन्सी कालेज तथा ला कालेज मद्रास डिपुटी कलेक्टर १९०३; चीफरेविन्यू आफिसर कोचीन स्टेट १९०८–११; अंडर सेक्रेटरी गवरमेंट १९१३–१९; सौथीबरो कमेटी के साथ स्पेशल डिपुटी १९१९–२२; सेक्रेटरी मद्रास गवरमेंट पता—बड़ोदा।

कृष्णमूर्ति, जे—आर्डर आफ दी स्टार के अधिष्ठाता अनेक थियासोफिस्ट इन्हें जगत गुरु (वर्ल्ड टीचर) मानते हैं; ज. मदनपल्ले (मद्रास) ११ मई १८९५ शि० लन्दन तथा पेरिस मि० बेसेन्ट तथा मि० एरंडेल के साथ बाल्यपन से रहे; १२ वर्ष की आयु में 'एट दी फोट आफ दी मास्टर" पुस्तक लिखी लेखक अनेक पुस्तकें; उत्कृष्ट वक्ता तथा विद्वान; भ्रमण यूरोप तथा अमरीका पता—अड्यार (मद्रास) ईरडी ओमेन (हालेन्ड)।

केई जार्ज रजवी,—एफ. आर. ए. एस. केसरे हिन्द प्रथम १९२१ क्यूरेटर ब्यूरो आफ एजूकेशन तथा

भारत सरकार सेक्रेटरी सेन्ट्रल एडवाजरी बोर्ड एजूकेशन, ज० १८६६, वाइस प्रिन्सिपल गवर्नमेंट ट्रेनिङ्ग कालेज इलाहाबाद, प्रोफेसर म्योर सेन्ट्रल कालेज इलाहाबाद, लेखक–इंडियन मेथिमेटिक एस्ट्रोनोमिकल औवजरवेटरी जयसिंह (इम्पीरियल आर्किलोजिकलीसीरीज) हिन्द एस्ट्रोनोमी, आर्किलोजीकल मेमोआइर्स, मेथिमेटिक तथा एस्ट्रोनोमी के एतिहासिक लेख, पत्र (लीपजिग) (सिनटिया) मिलन, रोआइल एशियाटिक सोसायटी जोर्नल. पता—शिमला ।

केलकर नरसिंह चिंतामणि—जर्नेलिस्ट तथा मेंबर लेजिसलेटिव एसेम्बली ज० २४ अगस्त १८७२ (मिरज) सम्पादक, "मराठा" तथा 'केसरी" सन् १८९६ से, मेम्बर पूना म्युनिसिपेलिटी (१५ वर्ष तक) प्रेसीडेन्ट कोसमोस ऐन्ड कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज, प्रेसीडेन्ट महाराष्ट्र प्रा० कांग्रेस कमेटी १९२२, रिस्पांसिव पार्टी के संस्थापकों में लेखक अनेक अंग्रेजी और मराठी पुस्तकें लोकमान टिलक की जीवनी तथा उनके पत्र (२ भाग) तथा अनेक पौराणिक नाटकों के लेखक, प्रेसीडेन्ट हिंदू महा सभा १९२८, टैरिफ बिल के पास होने के विरोध में लेजिसलेटिव एसेम्बली से इस्तीफा दिया १९३०. पता—केसरी आफिस पूना ।

केला, भगवानदास—प्रोफेसर गुरुकुल प्रेम महा विद्यालय, शि० बी. ए. तक १९१५, अर्थ शास्त्र तथा इतिहास के पंडित, लेखक–भारतीय शासन, भारतीय निर्माण, भारतीय अर्थ शास्त्र, देश भक्त दामोदर इत्यादि, भूतपूर्व सम्पादक प्रेम, लेखक तथा प्रकाशक भारतीय ग्रन्थमाला. पता—प्रेम महा विद्यालय वृन्दावन ।

कैरी, सर विलोबी लेन्जर—के. टी. १९२४, सीनियर रेजीडेन्ट पार्टनर वर्ड ऐन्ड को तथा एफ. डब्लू. हीलजर्स ऐन्ड को ज० १२ अक्टूबर १८७२ शि० वेलिंगटन कालेज, भारत यात्रा १९०१, वाइस प्रेसीडेन्ट बङ्गाल चेम्बर कमर्स १९२२, प्रेसीडेन्ट १९२३, बङ्गाल लेजिसलेटिव कौंसिल १९२०–२४, पैनेल डिप्टी प्रेसीडेन्ट १९२३–२४, शैरिफ कलकत्ता १९२४, डाइरेक्टर इम्पीरियल बैंक १९२२–२४ प्रेसीडेन्ट १९२४, मेम्बर ई. आई. रेलवे एडवाईजरी बोर्ड कमिश्नर कलकत्ता पोर्ट, ट्रस्टी विक्टोरिया मैमोरियल तथा मेंबर रेशियल डिस्टिंकशन कमेटी १९२२, मेंबर लेजिसलेटिव एसेम्बली १९२५. पता—बङ्गाल क्लब कलकत्ता ।

कोटला, ओन० राजा कुशलपाल सिंह—एम. ए. एल एल. बी. एल एल. डी. मेम्बर इंडियन लेजिसलेटिव एसेम्बली, ज० १५ दिसम्बर १८७२, कोटला स्टेट १९०५, मेम्बर यू. पी. लेजिसलेटिव कौंसिल १९१९ तक, मेम्बर इम्पीरियल लेजिसलेटिव

कौंसिल, रिप्रेजेंटेटिव लैंडेड एरिस्टोकेसी आगरा प्रोविन्स १९१३, स्पेशल मजिस्ट्रेट, वाइस चेयरमेन आगरा जिला बोर्ड चेयरमेन फीरोजाबाद म्युनीसिपलटी ट्रस्टी तथा मेम्बर मेनेजिंग कमेटी आगरा कालेज, तथा आगरा युनिवर्सिटी के मेम्बर पता—कोटला कोर्ट पो. आ. कोटला जि० आगरा यू. पी.।

कोरबेट, जी. एल. एम.—सी. आई. ई० १९२१; जुआइन्ट सेक्रटरी कमर्स डिपार्टमेंट भारत सरकार, ज० ९ फरवरी १८८१ शि० ब्रोमी ग्रोव स्कूल हर्ट फोर्ड कालेज, ऑक्स फोर्ड फर्स्ट कलास ओनर मौडिल १९०२ आई, सी. एस. १९०४ असिस्टेन्ट कमिशनर सी. पी. १९०५-०९; सेटलमेंट आफीसर सागर १९१०-१६; डिप्टी कमिशनर सी. पी. १९१६-१८; डायरेक्टर इंडस्ट्रीसज तथा डिप्टी सेक्रटरी सी. पी. १९१८; सेक्रटरी कमर्स डिपार्टमेंट, भारत सरकार १९१९-२१ दक्षिण और पूर्व अफ्रीका डेपूटेसन १९२० वाशिंगटन डिसआर्मिमेंट कान्फ्रेस १९२१ फिजी द्वीप यात्रा १९२२, डाइरेक्टर इंडस्ट्रीज तथा रजिष्ट्रार कोआपरेटिव क्रीडिट सोसाइटीज, सी. पी. १९२३; ऑफिसियेटिंग सेक्रटरी कर्मस डिपार्टमेंट भारत सरकार १९२३-२४, पता—देहली तथा शिमला।

कोलंगोड, दी ओन० राजा वसुदेव राजा वलियां नम्मीदी—सी. आइ. ई. (१९१५) एफ. एम. यू. (१९२१) जमीदार तथा मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट ज. अक्टूबर १८७३, वि० सी कल्यानी अम्मा, पुत्री श्री० के. दामा मेनन ट्रावनकोर चीफ जस्टिस शि० राजा पाइ स्कूल कोलंगोड तथा विक्टोरिया कालेज, हाल घाट सीनियर मेम्बर तथा मैनेजर एरिस्टोकेटिक फार्मसी वेनजानद मलाबार, दोबाराह मेबर मद्रास लेजिसलैटिव कौंसिल रिप्रजेंटिंग लैन्ड होलडरस, के प्रतिनिधि पता—कोलगोड मलाबार डिस्ट्रक्ट।

कोल्हटकर, अच्युत बिलवंत
जन्म स्थान सतारा; बी. ए; एल एल बी० भूतपूर्व सम्पादक "देश सेवक" नागपुर, सम्पादक "श्रुतिबोध" वेदों का मराठी भाष्य; संस्थापक तथा सम्पादक "संदेश" व "संजय" दैनिक; मराठी के प्रसिद्ध तथा ओजस्वी लेखक; नारंगी-निशाण इत्यादि नाटक; पता—संपादक संदेश बम्बई।

कोल्हापुर, सर श्रीराजाराम छत्रपती महाराजा—(१९२२) जन्म ३० जुलाई १८९७; शिवाजी महाराज के वंशज; वि० १९१८ श्रीमती ताराबाई साहिब नातनी गायकवाड़; शि० हेन्डम स्कूल श्रुइंग क्रिश्चियन कालेज; रिक्रीएसनस घुड़दौड़; टेनिस शिकार; १९२७ में लैफटिनेन्ट कर्नल की उपाधि मिली पता—कोल्हापुर।

कौल, राजा, पंडित हरीकिशन मेम्बर इन्डियन टेरिफ बोर्ड १९२६ ज० १८६९; शि० गवर्नमेंट कालेज लाहौर असिस्टेन्ट कमिश्नर १८९० डिप्टी कमिश्नर मौंटगोमरी १९१३; स्पेशल ड्यूटी वास्ते क्रिमनल ट्राइवस रिपोर्ट १९१७ कमिश्नर रावलपिण्डी डिवीजन १९१९-२० कमिश्नर जलंधर डिवीजन १९२०-२३ रोआइल कमीशन सर्विस १९२३-२४; मेम्बर इकोनोमिक इनकुआइरी कमेटी १९२५; पता—१४ एबट रोड लाहौर ।

खड़कसिंह, सरदार—बी. ए. एल. एल. बी. सिख लीडर ज० स्यालकोट प्रेसीडेन्ट सिख एजूकेशनल कांफ्रेंस प्रेसीडेन्ट सिख लीग १९२०; प्रेसीडेन्ट सिख शिरोमणि गुरु द्वारा कमेटी १९२२ जेलयात्रा पता—अमृतसर ।

खलकसिंह, श्री. राजासाहब खनियाधाना गवालियर रेजीडेन्सी; जन्म अगहन सुदी ७ सं० १९४९ हिंदी के प्रसिद्ध लेखक अनेक मासिक पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित होते हैं; राष्ट्रीय भावों के प्रेमी; विद्वज्जनों की सहायता प्रेम तथा उत्साहपूर्वक करते हैं पुस्तक—सत्य कथा संग्रह पता—खनियाधाना ।

खलीकुज्जमा खाँ, चौधरी—ज० २५ दिसम्बर १८८९ शि० बी० ए. एल. एल. बी. (अलीगढ़) १९१६ असहयोग में वकालत छोड़ी १९२० मेंबर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी १९२१ क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट में सजा १ साल चेयरमैन म्यू० बोर्ड १९२३-२६ लखनऊ के प्रमुख कार्यकर्ता स्वराजिष्ट पता—लखनऊ ।

ख्वाजा, अबदुल मजीद—बार एट ला प्रिंसपल नेशनल मुसलिम यूनीवर्सिटी शि० अलीगढ़ लन्दन वि० नवाब सरवलन्द जङ्ग हैदराबाद (दक्खिन) चीफ जज वकालत अलीगढ़ असहयोग १९२१ मेम्बर आल इंडिया कांग्रेस तथा खिलाफत कमेटी ६ माह जेलयात्रा पता—नेशनल मुसलिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ ।

खाडलकर, कृष्णाजी प्रभाकर—जन्मस्थान सांगली बी. ए. असिस्टेंट तथा मुख्य संपादक "केसरी" १९२१ तक (करीब २५ वर्ष तक) संस्थापक व सम्पादक लोकमान्य दैनिक १९२१; सन्स्थापक तथा सम्पादक नवाकाल दैनिक बम्बई । मराठी के प्रसिद्ध नाटक लेखक—कांचन गढची मोहना कीचक बध भाऊ बंदकी सत्व परीक्षा मानापमान इत्यादि पता—सम्पादक दैनिक नवाकाल बम्बई ।

खापर्डे, जी. एस.—मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट एडवोकेट ज. १८५५ शि० बरार तथा बबई एकस्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर १८८५-८९ वकालत फिर आरंभ करदी वाइस चेयरमैन अम्रावती म्युनिसिपैल्टी ११ वर्ष तक मेम्बर पुरानी लेजिसलेटिव कौंसिल स्वागत

ध्यक्ष. राष्ट्रीय कांग्रेस (अमरावती) १८९८, वाइसप्रेसीडेन्ट इंडियन होमरूल लीग १९१८, मेंबर होमरूल डेपूटेशन इंगलेंड १९१९, बरार में राष्ट्रीय शिक्षा समिति के संस्थापक, लोकमान्य टिलक के सहयोगी, मेम्बर, कौंन्सिल आफ स्टेट दुवारा १९२५ पता—अमरावती, बरार।

खां, शफायत अहमद्– बी. ए. फर्स्ट क्लास ओनर हिस्ट्री १९१४, डी. लिट १९१९, ट्रीनिटी कालेज डबलिन यूनीवर्सिटी प्रोफेसर मोर्डन इंडियान हिस्ट्री इलाहाबाद यूनीवर्सिटी ज० फरवरी १८९३, शि० गवनमैंट हाई स्कूल मुरादाबाद, सिडनी ससेक्स कालेज कैंब्रिज, ट्रीनिटी कालेज डबलिन तथा लंदन यूनीवर्सिटी लेकचरर लंदन काऊंटी कौंसिल १९१७–१९, तथा रोआइल हिस्ट्री सोसायटी लंदन १९१९, स्कूल ओरिंटियल स्टडीज तथा किंगस कालेज युनिवर्सिटी लंदन में अनेक व्याख्यान दिये गये १९१९–२० एम. एल. सी. मुरादाबाद यू. पी. १९२४ तक, गवाही रिफार्म कमेटी के सन्मुख दी १९२४, इकोनोमिक इन्कुआरी कमेटी १९२५ तथा यू. पी. की अन्य कमेटियों में शामिल रहे. प्रेसीडेंट प्रांतीय मुसलिम शिक्षा परिषद् इलाहाबाद १९२५, चेयरमेन, कान्फ्रेन्स मुसलीम लेजिसलेटिव कौंसिल की १९२८ यू. पी. सायमन कमीशन के चुने हुये मेम्बर, प्रेसिडेन्ट यू. पी. मुकाटीम शिक्षा परिषद प्रभाग लेखक फैन्डर तथा संपादक १९२५ तक इंडियन हिस्ट्री जनरल एंगलोपोर्चगीज नेगोशियेशनस बम्बई १६६७–१६७३ की पुस्तकें सन १९२३ में प्रकाशित की ईस्टइंडियन ट्रेड सतरहवीं सदी १९२४, ब्रिटिश इंडिया हिस्ट्री सारसेज १७ वीं सदी १९२६ "आइडियलस तथा रिआलिटीज" मद्रास में १९२० में प्रकाशित की। डोल्स इन्डियन करन्सी तथा बैंकिग तथा इंगलिस एजूकेशन १६८९–१७५० १ भाग मद्रास में प्रकाशित किया जिसमें दो विभाग हैं पहले में इंडियन करन्सी तथा बैंकिंग दूसरे में अंग्रेजी एजूकेशन १६८९—१७५०, पता—यूनीवर्सिटी इलाहाबाद।

खेतान, देवीप्रसाद—मेम्बर बंगाल लेजिसलेटिक कौंसिल, ज. १८८८ सोलिसिटर कलकत्ता हाईकोर्ट १९११ प्रेसीडेंट, चेम्बर इंडियन मर्चेंट्रस कलकत्ता प्रेसीडेंट, एन्टी–इम्वेनवर्ड एमीग्रेशन लीग १९१२, सेक्रटरी मारवाड़ी एसोसियेशन (१९२२), कमिश्नर कलकत्ता कोरपोरेशन, मेंबर, लेजिसलेटिव कौंसिल १९२२–२६, बोर्ड आफ इडस्ट्रीज बंगाल १९२२–एडवाइजर, इंटर नेशनल लेबर कांफ्रेंस १९२८, पता,—केनिंग स्टीट, कलकत्ता।

खेर, श्रीमंत आत्माराम गोविंद् रईस सुरसराय, चेयरमैन म्यूनिसिपल

बोर्ड झांसी। ज० १८९४, शि० बी. ए., ऐल ऐल, बी. १९१९, श्रीमन्त आत्माराम बाबा साहेब खेर राजा गुरसराय के पौत्र तथा राजा गोविन्द पन्त (बुन्देले) जालौन के वन्शज, असहयोग में वकालत त्याग दी १९२१, कांग्रेस के अनुयायी, चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड प्रथम बार १९२३–२६, द्वितीय बार १९२६–२८, तृतीय बार १९२८, इनको तथा पण्डित र० वि० धुलेकर को मसजिद के सामने बाजा बजाने सम्बन्धी पुलिस द्वारा मनाई के हुकुम को न मानने पर ६ माह कैद सख्त और ५००) जुर्माना १९२३, अपील पर दोनों छूट गये, यू. पी. सरकार की अपील पर १ माह सादी कैद और ५००) जुर्माना की सजा १९२४, १० वें दिन सरकार ने स्वयं दोनों को छोड़ दिया, मेंबर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी अनेक बार, स्वागताध्यक्ष, द्वितीय बृहन्महाराष्ट्र परिषद् १९२५, नमक सत्याग्रह के प्रथम सेनापति श्री० र० वि० धुलेकर थे जो कि १२४ धारा के अनुसार १५ माह के लिये जेल भेज दिये गये और २००) जुर्माना किया गया. उनके बाद आप ही सेनापति हैं आपने सत्याग्रह कार्य में काफी सफलता पाई है १९३० पता—झांसी।

गर्दे, लक्ष्मण नारायण—ज० सं. १९४६, हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध लेखक भूतपूर्व सम्पादक "भारत मित्र" लेखक सरल गीता, एशिया का जागरण श्री कृष्ण चरित्र, वर्तमान सम्पादक "श्रीकृष्ण सन्देश" पता—बनारस।

गंगा प्रसाद सिंह—आखौरी विशारद ज० कार्तिक सं० १९५८, भूतपूर्व सहायक सम्पादक "विश्व दूत" (कलकत्ता) सम्पादक 'भारत जीवन' काशी, सभासद नागरी प्रचारिणी सभा काशी, जमीदार, लेखक—हिन्दी के मुसलमान कवि, देवदास, अभागिनी, माधुरी, मिश्र, दाम्पत्य जीवन, गीता प्रदीप आदि पता—काशी।

गंगोली, नगेन्द्रनाथ—प्रोफेसर कृषि विज्ञान और ग्राम अर्थ शास्त्र कलकत्ता वि० वि० मेंबर भारतीय रायल कृषि कमीशन, विवाह विश्व विख्यात कवि श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की सबसे छोटी पुत्री के साथ, शि० कलकत्ता इलिनोइ और लण्डन. कुछ समय तक कृषि बैंक के डायरेक्टर। प्रकाशन, प्रौबलेम्स आफ इण्डियन एग्रीलचर पता—वाली गंज. सरकुलर रोड, कलकत्ता।

गंगोली, सुप्रकाश—श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुर के भतीजे, आर्टिस्ट और बड़ौदा के म्यूजयम और आर्ट गैलरी के संयोजक, ज० १८६०, शिक्षा डेवटन कालेज कलकत्ता तथा योरोप, उच्च कलाओं तथा पुरातत्व की शिक्षा के लिये इम्पीरियल पुरातत्व शोधक विभाग में अस्थायी पद पर ६ वर्ष व्यतीत किये। बङ्गाल बिहार और उड़ीसा, आसाम, और छोटा नागपुर के

प्रांतों में भ्रमण करके प्राचीन समय के चित्र लिये और उनकी सूची बनाई और इण्डियन म्यूज़ियम कलकत्ता तथा उसकी शाखाओं में भारत की प्राचीन लिपि और खुदाई बगैरह की कारीगरी का अध्ययन किया, पता—पुष्पबाग बड़ोदा।

गज़नवी, अब्दुलहलीम अब्दुल हुसैन—मेंबर लेजिसलेटिव असेम्बली सेन्ट जेवियर कालेज, कलकत्ता; मेम्बर मैमन सिंह म्यु० बोर्ड० चेयरमैन ननगेल म्युनिसपल्टी; सन लाख और जूट का विदेश से व्यापार पता—१८ कैनल स्ट्रीट अंटाली कलकत्ता।

ग़ज़नवी, ए० के० अबूअहमद खां—जमीदार; ज० १८७९, १२ बर्ष की उम्र से शिक्षा के लिये आक्स फर्ड, जेनोवा और म्यूनिच के बिश्वविद्यालयों में रहे। कई वर्षों तक मेम्बर डिस्ट्रक्ट बोर्ड, मैमनसिंह, मेंबर बङ्गाल लेजि० कौंसिल, मेम्बर इम्पीरियल लेजि० कौंसिल, मिनिस्टर बङ्गाल सरकार, १९२४ पुनः मिनिस्टर बनाये गये १९२७, राजनैतिक कारणों से हेजाज पैलेस्टाइन और सीरिया गये, १९१३; हज यात्रा की, १९१३; लंडन में नेशनल इंडियन क्रिकेट क्लब कायम किया, १८८९, इन की खोज जो बङ्गाल के मुसलमानों के सम्बन्ध की थी; बङ्गाल की मर्दुम शुमारी की रिपोर्ट में शामिल की गई (१९००), पता—नार्थ हाउस, मैमनसिंह।

गजेन्द्रगडकर, अश्वत्थामा वालाचार्य—ज० १ अक्टूबर १७९२, शि० एम० ए०, पी. एच. डी., एम. आर ए. एस. लेखक अनेक पुस्तकें "शकुन्तला" 'हर्ष चरित' आदि; प्रोफेसर संस्कृत, एलफिस्टन कालेज; बम्बई।

गणेशप्रसाद, डा.—एम. ए. डी. ऐस. सी. एम. एल, सी. (इलाहाबाद यूनिवर्सिटी) हार्डिञ्ज प्रोफेसर हायर मेथिमेटिक्स कलकत्ता यूनीवर्सिटी, लाइफ प्रेसीडेन्ट बनारस मैथिमेटीकिल सोसाइटी, वेटरन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मैथिमैटिक एसोसियेसन, ज. १५ नौम्बर १८७६ शि० बलिया, इलाहाबाद केम्ब्रिज, गोटिन्जन; कोर्ट मेंबर कौंसिल तथा सिनेट यूनिबर्सिटी (१९२४), मेम्बर एक्जीक्यूटिव, तथा एकिडिमिक कौंसिल, तथा साइन्स फेकल्टी इलाहाबाद यूनीबर्सिटी फैलो कलकत्ता, यूनीवर्सिटी तथा वाइस प्रेसीडेन्ट, इंडियन एसोसियेशन साइन्स कल्टीवेशन लेखक, 'कोन्सटीटयूशन आफ मेटर' तथा एनालिटीकल थियोरीज आफ हीट (वरलिन १९०३) टैक्स्ट बुक्स, तथा अन्य वैज्ञानिक पुस्तकें पता—कारपोरेशन स्ट्रीट कलकत्ता।

गणेशशंकर विद्यार्थी,—ज० १९४७ सं०, उच्च कोटि के हिन्दी लेखक तथा बिद्वान, 'प्रताप' की स्थापना १९१३, वीरपालसिंह ताल्लुकेदार परताप

गढ़ ने मानहानि का मुकदमा प्रताप पर चलाया उसमें २७००० रुपया खर्च हुआ जेल यात्रा १९२१–२२, बड़े वीर तथा योग्य जर्नलिस्ट, मेंबर आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी तथा मेंबर यू. पी. कौंसिल (स्वराजिस्ट) सम्पादक 'प्रताप' कानपुर १९१३ से, कांग्रेस आज्ञानुसार यू. पी. कौंसिल से त्याग पत्र दिया तथा प्रेस आर्डीनेन्स के कारण 'प्रताप' का प्रकाशन बन्द किया व नमक कानून के सम्बन्ध में जेलयात्रा १९३०. पता—कानपुर।

गांधी मोहनदास करमचन्द—(महात्मा) असहयोग आन्दोलन के विधाता, जन्म २ अक्टोबर १८६९। विवाहित हैं और ४ लड़के हैं। पिता पोरबन्दर राज्य के २५ वर्षों तक दीवान रहे। बचपन में गान्धी जी को स्कूल की अन्तिम शिक्षा राजाकोट और भावानगर में दिलाई गई और बाद में वे आगे की शिक्षा के लिये इङ्गलैण्ड भेजे गये। बैरिस्टर होकर उन्होंने वकालत बम्बई और काठियावाड़ में की। एक खास मुकदमे के सम्बन्ध में उन्हें दक्षिणी अफ्रीका जाना पड़ा। वहां उन्होंने देखा कि हिन्दुस्तान के वाशिन्दों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। वे जमीन के मालिक नहीं हो सकते, परेशान किये जाते हैं और तरह तरह की बाधायें उनके सामने उपस्थित की जाती हैं। उसी समय वहां महात्मा गान्धी ने अपने देश वासियों का पक्ष लेकर बड़े जोर शोर से उनके हकों के लिये आन्दोलन शुरू किया वे उन लोगों के रक्षक बने और उन्हें सत्याग्रह के लिये तैयार किया। किन्तु इसी बीच में बार युद्ध (१८९९–१९०२) प्रारम्भ हुआ और गान्धीजी ने अंग्रेजों की सहायता की। जुलु रिवोल्ट नेटाल में हुआ गान्धीजी ने अस्पताली सेना तैयार की और स्वयं भी अग्रसर हुये। युद्ध की समाप्ति के बाद शान्ति हो जाने पर उन्होंने पुनः अपने सत्याग्रह (Passive Resistance) विचारों का प्रचार किया वे और उनकी पत्नी तथा उनके बच्चे सब जेल में डाल दिये गये।

यूरोप के महा युद्ध (१९१४) के प्रारम्भ होने के समय से दो वर्ष बाद तक गान्धी जी ब्रिटिश राज्य के इतने बड़े भक्त बने रहे जितना कि सम्राट का अधिक से अधिक हितैषी अंग्रेजी प्रजा का कोई व्यक्ति हो सकता था। उन्होंने घोर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना की सेवायें कीं थीं एक बार घायल हुये थे और उनके सेवाओं का वर्णन खलीतों में भी किया गया था। यूरोप के महायुद्ध के प्रारम्भ होने के समय वे लण्डन में थे वहां उन्होंने उसी समय इङ्गलिश यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले २५० हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों का एक वालिंटियर कोर बनाया जो बिना किसी वेतन के हर प्रकार की सेवायें करने को तैयार हुये थे। बीमारी के कारण गांधीजी हिन्दुस्तान लौट आये और

यहां आकर अच्छे हुए । १९१८ में बड़े विरक्ति जनक समय में गांधी जी ने फौज की नई भर्ती के काम में अपने आपको लगाया और इतनी शक्ति से काम किया कि ९ महीने की भरती की तादाद ७ महीने में ही पूरी हो गई। गांधी जी ने खेड़ा प्रांत में किसानों का सत्याग्रह चलाया और पटना प्रदेश में निलहा साहिबों के विरुद्ध किया और दोनों में सफलता प्राप्त की।

१९१९ के रौलट एक्ट ने भारत में आग लगा दी और उसी से पञ्जाब में घोर अशांति हुई और डायर के हत्याकारणी और भयङ्कर मारकाट के कर्म हुए। इसी के साथ ही खिलाफत का झगड़ा भी खड़ा हुआ १९१९, गांधी जी का विश्वास इन सब बातों से भारत के अंग्रेजी राज्य प्रबन्ध पर से एक दम हट गया और उन्हों ने भारत में अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया(१९२०) जो १९२०-२२ तक चला

महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा पर विश्वास करते हैं। सत्याग्रह आश्रम "नवजीवन" (हिन्दी गुजराती) तथा 'यङ्ग इण्डिया' (अंग्रेजी) पत्रों के संस्थापक। जेलयात्रा (मार्च १९२२-४ फरवरी १९२४), प्रेसीडेन्ट, राष्ट्रीय कांग्रेस १९२५, अप्रेल १९३० में नमक का कानून तोड़ा और अनिश्चित समय के लिये जेल यात्रा। पता—सत्याग्रहआश्रम, साबरमती, अहमदाबाद

गिडनी, लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी अलबर्ट जान—मेम्बर लेजि० असेम्बली, जन्म. १८७३; शिक्षा कलकत्ता, एडिनबरा, लण्डन, केम्ब्रिज, आक्सफर्ड; इण्डियन मेडीकल सरविस में सम्मिलित हुये, १८९८; चीन की चढ़ाई में सेवा की १९००—१; नार्थ-वेस्टर्न फ्रंटियर में घायल हुए; १९१४-१५ सदस्य बम्बई कारपोरेशन, १९१८—२१; सभापति एंग्लो इंडियनों और भारत में बस जाने वाले यूरोपियनों की सभा के; सदस्य जातिगत भेद निर्णयक कमेटी; इङ्गलैंड भेजने के लिये एंग्लोइण्डियनों का डेपुटेशन बनाया, १९२५; मनोरञ्जन मुष्टयुद्ध, क्रिकेट और बिलयर्ड्स के खेल पता—थियेटर रोड कलकत्ता।

गिडवानी, असुदोमल टेकचन्द—वाइस चेंसलर गुजरात राष्ट्रीय विद्यापीठ, १९२१—२३; जन्म ११ सितम्बर १८९० हैदराबाद में; शि० सिंध और एलफिंस्टन कालेज, बम्बई; म्योर सेंट्रल कालेज इलाहाबाद में अर्थ शास्त्र के प्रोफेसर; महाराजा बीकानेर के प्राइवेट सेक्रेटरी; प्रिंसपिल रामजस कालेज, देहली; प्रिंसिपल गुजरात महाविद्यालय, १९२०; वाइस चांसलर १९२१; नाभा में ब्रिटिश प्रबन्धक द्वारा गिरफ्तारी, १९२३। पता—गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद।

गुप्त वैद्य कृष्णदत्त—कुष्टरोग चिकित्सक, आपने कुष्टरोग से ग्रसित

रोगियों के सम्बन्ध में बहुत कुछ अनुसंधान किया है, इसी विषय पर अनेक लेख पत्रों में प्रकाशित करते हैं, कुष्टरोग आश्रम कटनी में खोल रक्खा है, बडे दयालु तथा स्वार्थ त्यागी वैद्य, लेखक भारत कुष्ट रोग समस्या पता—कटनी ।

गुप्त, देशबन्धु—जर्नलिस्ट तथा कांग्रेस कार्यकर्ता, ज. १९०१, शि. आर्य स्कूल अम्बाला, सेंट स्टीफन्स कालेज दिल्ली; असहयोग में शिक्षा त्याग, तिलक स्कूल आफ पालिटिक्स में विद्याध्ययन १९२१-२२ दिल्ली प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री १९२१; जेलयात्रा १९२१–२२; संस्थापक तथा सम्पादक "तेज" दैनिक पत्र; लेखों के कारण १५३ अ० पीनलकोड में एक साल की सजा परन्तु ४ साल में मुक्त हुये; प्रांतीय हिन्दू सभा दिल्ली के संस्थापकों में; स्वामी श्रद्धानन्द के कृपा पात्र; सदस्य, अ० भा० हिन्दू सभा की कार्यकारिणी समिति, आ० इं० कांग्रेस कमेटी, आ० इं० स्वामी श्रद्धानन्द मेमोरियल ट्रस्ट; सोल डाइरेक्टर तेज दैनिक; पता "तेज" कार्यालय दिल्ली ।

गुप्त बाबू शिवप्रसाद,—बनारस के प्रसिद्ध दानवीर तथा देश भक्त ज० अषाढ कृ० ८ सं १९०० शि० बी. ए. (चतुर्थ वर्ष तक), राजनैतिक आंदोलन में प्रवेश (१९०४-०५), विदेश यात्रा के लिये प्रस्थान बम्बई से ८ मई १९१४; जगत का भ्रमण, मिश्र १५ दिन, इंगलैंड व आयरलैंड ६ मास; अफ्रीका ६ मास; जापान ढाई मास; कोरिया व चीन २ मास; इसी भ्रमण में सिंगापुर की जेल में ३ मास रहना पड़ा, जर्मन युद्ध छिड़ने से पूरे यूरोप की यात्रा न हो सकी; काशी विद्या पीठ (राष्ट्रीय संस्था) के मुख्य संस्थापक तथा सहायक (स्थापना, माघ शु० २ सं० १९७७) विद्यापीठ के लिये इतनी सम्पत्ति अर्पण की है जिसकी वार्षिक उत्पत्ति लगभग ६०००० रुपया है, ज्ञानमण्डल के संस्थापक तथा संचालक (स्था० १९१८) संस्थापक, दैनिक पत्र "आज" कृष्ण जन्माष्टमी १९७७ (असहयोग आंदोलन का आरंभ दिवस) भारतमाता के मंदिर की नींव चैत्र शुक्ल १ सं १९८४ को २४ लक्ष गायत्रीजप तथा दशांग हवन इत्यादि की समाप्ति पर रक्खी। इस मंदिर में ३० फुट लम्बा और ३० फुट चौड़ा संगमरमर पत्थर पर भारत का चित्र (Relief map) जिसमें बृहत्तर भारत के कुछ कुछ भाग भी सम्मलित हैं लगाया जायगा। लागत अभी तक १२,००० रुपया लग चुकी है और २-३ हजार लगेगी। मंदिर में लगभग ५०,०९० हजार रुपया लगेगा। कुल लागत १ लाख रुपया होगी; हिन्दी भाषा के कट्टर भक्त, तथा भारत माता के सच्चे सेवक; असहयोग में पूर्ण भाग लिया, प्रेसीडेंट प्रांतीय कांग्रेस कमेटी (१९२७-२८), लेखक पृथिवी प्रदक्षिणा, पुनः वृहत् यात्रा १९२९ पता—बनारस ।

गुप्त, मैथिलीशरण — हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध कवि, अनेक वर्षों से सरस्वती तथा अनेक मासिक पत्रों में कविता प्रकाशित होती हैं, अनेक पुस्तकों के लेखक "भारत-भारती" 'जयद्रथ-वध" "चन्द्रहास" "तिलोत्तमा" "पलासी का युद्ध" इत्यादि पता — चिरगांव, झांसी.

गुरुदत्तसिंह, (बाबा)—प्रसिद्ध कोमा गाटामारू जहाज की यात्रा की व्यवस्था करने वाले, अमृतसर जिले के एक गांव में पैदा हुये जहां आपकी कुछ एकड़ जमीन भी है, कई वर्षों पहले भारत से विदेशों में रहने और व्यवसाय करने के लिये गये और सिंगापुर और मलाया स्टेट्स में ठेकेदारी का काम किया। व्यवसाय के लिये विदेश जाने वाले सिक्खों के लिये लड़े जिन्हें आसानी से पासपोर्ट नहीं मिलता था और एक जहाजी कम्पनी स्थापित करना निश्चय किया। भारत के मजदूरों को तथा इनके व्यवसाय की उन्नति की चिन्ता में ही सर्वदा व्यस्त रहे। प्रारम्भिक अनुभव के लिये ६ महीने को एक जहाज ठेके पर लिया। १९१४ में 'कोमागाटामारू' की भयङ्कर घटना के बाद बहुत दिनों तक अपने आप को छिपाये रक्खा और पोलिसी से १९२२ तक बचते रहे और इसके बाद अपने आप जाकर गिरफ्तार हुये और कैद में डाले गये पता— अमृतसर।

गुलाबसिंह सरदार—मैनेजिंग डाइरेक्टर पंजाब जमीदार बैंक लिमि० लायलपुर, ज० १८६६, मेंबर लायलपुर म्युनिसपैलटी तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अनेक वर्षों तक, मेंबर लेजिसलेटिव ऐसेम्बली १९२०–२६, पता—लायलपुर, पंजाब।

गोखले, डी. बी.—शि० बी. ए. एल एल. बी. कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्पादक "मराठा" १९१९ से, पता— पूना।

गोंडल महाराजा श्रीभगवन्त सिंह जी—ज० १८६५, शि० राजकुमार कालेज राजकोट और एडिनबरा, बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा अपने राज्य में अनिवार्य करने वाले सबसे प्रथम देशी नरेश। मनोरंजन, मोटर चलाना, भ्रमण यूरोप, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और जापान. प्रकाशन— जनरल आफ विजिट टु इङ्गलैंड, हिस्ट्री आफ आर्यन मेडीकल साइन्स। पता— हुजूर बङ्गला गोंडल।

गोपालराम,—सम्पादक 'जासूस गहमर, ज० पौष वद्य ५ सं० १९२३, हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक, लेखनी बड़ी ओजस्वी तथा रोचक, करीब ६० पुस्तकें जासूसी विषय की लिखीं, "जासूस" मासिक पत्र के संस्थापक तथा सम्पादक आरम्भ से, आरम्भिक जीवन में पुलिस में नौकरी, "हिन्दुस्तान" के सहायक सम्पादक १८९१, "भारत मित्र" के

स्थानापन्न सम्पादक १८९१, श्री वेङ्कटेश्वर सम्पादक १९०१, कलकत्ते की साहित्य परिषद् से 'साहित्य सरस्वती' और 'विद्याविनोद' प्राप्त, पता—गहमर (गाज़ीपुर)

गोविंदानद, (स्वामी)—जन्म १८८८ हैदराबाद (सिंध) में, बम्बई विश्व वि० से ग्रेजुएट हुए; एम. ए. पास करने के बाद मुजफ्फरपुर, नागपुर और बांकीपुर के कालेजों में प्रोफेसर रहे, यूरोप के महायुद्ध के प्रारंभ में जापान जाने के लिये जहाज से रवाने हुए, कोमा गाटामारू जहाज वाले मामले में पकड़े गये. (१९१४) विना मुकदमा चलाये ही जेल में कैद रहे १९१८ तक, छूटने पर हैदराबाद (सिन्ध) में ही रहने की आज्ञा हुई। पर. यह आज्ञा १९१९ में हटा ली गई। असहयोग आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया और सजा पाई, छूटने के वाद सिंधी दैनिक पत्र 'केसरी' प्रकाशित किया सभापति राज-नैतिक पीड़ित कानफ्रेंस कानपुर. १९२६, पता—मनसुखानी लेन, हैंदराबाद (सिंध)

गोस्वामी, तुलसी चरण—प्रसिद्ध असहयोगी, जमीदार, मेंबर लेजि० असेम्बली; १९२३ से। जन्म १८९८, शि० कलकत्ता, आक्सफर्ड और पैरिस, वि० मुक्त गाछा के राजा की पुत्री के साथ। पता—राजवाड़ी, बहरामपुर, रेनीपार्क, वालीगञ्ज, कलकत्ता कामाक्षी बनारस।

गोशेन, वाइकांउट जाज गोशेन आफ हाकहर्स्ट—गवर्नर मद्रास १९२४ से, जन्म १८६६, शि० रगवी और वेलिवल कालेज आक्सफोर्ड, न्यू साउथ वेल्स के गवरनर के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे और सेना सञ्चालन विभाग में अपने पिता के अवैतनिक सेक्रेटरी रहे, सदस्य किंग्स वेंच सम्बन्धी रायल कमीशन १९१२, बोर्ड आफ एग्रीकलचर में संयुक्त पारलियामेंटरी सेक्रेटरी १९१८ मेंबर पार्लियामेंट ससेक्स की ओर से १८९५–१९००, लार्ड राबर्ट्स कमान्डर-इन-चीफ के ए. डी. सी., आनरेरी कर्नल और लेफ्टिकर्नल, उच्च पदवी प्राप्त; कुछ समय के लिये एकटिंग गवर्नर जनरल आफ इंडिया १९२९, बाद में इङ्गलैण्ड चले गये। पता—गवरमेन्ट हाउस, मद्रास।

गौड़, सर हरीसिंह—मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली, वैरिस्टर; जन्म १८७२, शि० एम. ए. एल. एल. बी. (केम्ब्रिज) एल, एल. डी. डवलिन डी. सी. एल. (आक्सफर्ड) चेयरमैन नागपुर म्युनिसिपैल्टी १९१८–२२; प्रथम वाइस चांसलर देहली यूनि०, नागपुर बार एसोसिएशन के सभापति। प्रकाशन-ला आफ ट्रान्सफर इन ब्रिटिश इंडिया पेनल ला आफ ब्रिटिश इंडिया हिन्दू को०, हिज ओनली लव, स्पिरिट आफ बुद्धिज्म, स्टेपिंग वेस्ट वार्ड आदि आदि। पता—नागपुर।

घोष, अरविन्द—जन्म कलकत्ते में १५ अगस्त १८७२, शि० सेंट पाल स्कूल दार्जिलिंग और इंगलैंड सिविल सर्विस परीक्षा में शामिल हुये, पठन पाठन की परीक्षा में पास हुये पर घुड-सवारी में फेल हो गये १८९०, किंग्ज कालेज कैम्ब्रिज में भरती हुये और ग्रेजुयेट हुये १८९२, बड़ौदा राज्य में नौकरी की और उसमें १२ वर्ष तक रहे। नेशनल कालेज कलकत्ता के प्रिन्सिपल १९०६, सम्पादक 'वन्देमातरम्' राज-विद्रोह में पकड़े गये किन्तु बरी हो गये राष्ट्रीय आन्दोलन में मुख्य भाग लिया १९०७, विद्रोह करने और षडयन्त्र बनाने के अपराध में गिरफ्तार हुये १९०८, एक वर्ष तक लगातार मुकद्दमा चलने के बाद जब निर्दोष सिद्ध हुये तब छोड़ दिये गये, आज कल वे पांडि-चेरी में रह कर योगी का जीवन बिता रहे हैं। प्रकाशक-सुपरमैन ईशोपनिषद् आइडियल आफ कर्मयोगिन, योग एन्ड इटस ओरिजिन, ब्रेन आफ इंडिया, योग साधना, लव एन्ड डेथ आदि २ पता—पांडिचेरी।

घोष, हेमेन्द्रप्रसाद्—सम्पादक 'वसुमती' ज० १८७६, शि० कलकत्ता वि० वि०, सदस्य 'वन्देमातरम्' सम्पा-दकीय संघ १९०७, मेंबर मैसोपोटेमिया जाने वाली प्रेस डेपुटेशन के १९१७, बँगला भाषा की लगभग १ दर्जन पुस्तकों के लेखक. पता—१०६।२, श्याम बाजार स्ट्रीट कलकत्ता।

घोषाल, श्रीमती सुवर्णकुमारी देवी—भारत में प्रथम स्त्री पत्र सम्पा-दिका, स्व० महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर की कन्या, जन्म १८५७, २० वर्ष की अवस्था के पहले ही एक उपन्यास लिखा जिसमें अपना नाम नहीं दिया, इसके अनन्तर शीघ्र ही 'भारती' की सम्पादिका हुईं, विधवा आश्रम स्था-पित किया, अनेक पुस्तकें लिखी हैं, इनकी कुछ पुस्तकें अनुवादित होकर इंगलैंड में भी प्रकाशित हुई हैं. पता—ओल्ड वेली गंज रोड कलकत्ता।

चक्रवर्ती, बी०— एडवोकेट कलकत्ता हाईकोर्ट, ज० १८६१, शि० कलकत्ता वि० वि० के एम. ए., कृषि सम्बन्धी छात्रवृत्ति (१० हजार रु० की) पाकर इंगलैंड गये और वहां कृषि विज्ञान की परीक्षा और बैरिस्टरी पास की, कला कौशल और व्यापार के अनेक कारबारों से सम्बन्ध, अनेक वर्षों तक बङ्गाल कौंसिल के सदस्य, बङ्गाल सरकार के मन्त्री १९२७। पता—कलकत्ता।

चटर्जी, रामानन्द—सम्पादक 'माडर्न रिव्यू' और 'प्रवासी' ज० १८६५ विश्व विद्यालय की सब परीक्षायें बड़ी योग्यता के साथ पास की और सभी में छात्रवृत्ति प्राप्त की, बी. ए. १८८७, सिटी कालेज कलकत्ता में अंग्रेजी के प्रोफेसर १८८७—९५, प्रिन्सिपल कायस्थ

पाठशाला इलाहाबाद १९९५–१९०६, इलाहाबाद युनिवर्सिटी के फेलो, यू. पी. की एंगलो इंडियन टेम्परेंस एसोसियेशन के कुछ समय तक सदस्य यू. पी. की माध्यमिक शिक्षा सुधार कमेटी के सदस्य, साधारण ब्रह्म—समाज के सभापति. 'दासी' 'प्रदीप' 'धर्म बन्धु' का सम्पादन किया, भारतीय पत्र–कला में नियमित रूप से तिरङ्गी छपाई का क्रम प्रारम्भ किया, प्रथम भारतीय पत्र—सम्पादक जो राष्ट्रसंघ के पूरे अधिवेशन में उपस्थित रहने के लिये संघ द्वारा निमन्त्रित किये गये १९२६, प्रकाशन–राजा राममोहन राय और 'नवीन भारत' होमरूल की ओर' चटर्जी चित्र–संग्रह (एल्बम) १८ जिल्दें विशाल भारत' हिन्दी मासिक के अधिष्ठाता सूरत हिन्दू महा सभा के सभापति १९२९ में इंडिया इन बोन्डेज के सम्बन्ध में १२४ ए धारा के अनुसार पकड़े गये। पता–माडर्न रिव्यू आफिस कलकत्ता।

चटर्जी लेडी ग्लेडीस मेरी, O. B. E.—जन्म इङ्गलैन शिक्षा यूनिवर्सिटी कालेज लन्दन, लन्दन स्कूल आफ इकोनौमिक्स एण्ड पोलिटिक्स, फिलासफी में M. A. (लण्डन) एकोनोमी में D. Sc. (लण्डन) वि० सर अतुलचन्द चटर्जी के साथ, १९२४; लन्दन के बोर्ड आफ ट्रेड में अन्वेषणमंत्री मध्य प्रान्त के स्कूलों के मुख्य इन्सपेक्टर, लन्दन की मिनिस्ट्री आफ म्यूनिशन्स के स्वास्थ्य विभाग की मुख्य सुपरिटेंडन्ट स्त्रियों और बच्चों को मजदूरी के सम्बन्ध में इंडियन गवर्नमेंट की सलाहकार (१९२०-१९२२) पता–१३१, एशे गार्डन्स, लन्दन, S. W.

चटर्जी, सर अतुलचन्द्र—हिन्दुस्तान के हाइ कमिश्नर, ज० १८७४ शि० प्रेसीडेंसी कालेज, कलकत्ता किंग्स कालेज, कैम्ब्रिज, आई. सी. एस. परिक्षा में फर्स्ट १८९६ भावनगर, मेडल प्राप्त (कैम्ब्रिज वि० वि० में) १८८७, यू. पी. की कोपरेटिव सोसाईटियों के रजिष्ट्रार यू. पी. के रेवेन्यू सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी; गवर्नमेंट आफ इंडिया के इंडस्ट्रीज और मिलिटरी स्टोर बोर्ड के मेम्बर; भारत सरकार के इंडस्ट्रीज विभाग के सेक्रेटरी और वाइसराय की कौन्सिल के औद्योगिक विभाग के सदस्य अन्तर राष्ट्रीय मजदूर कानफरेंस वाशिंगटन में भारत सरकार के प्रतिनिधि १९१९ जनेवा प्रतिनिधि १९२१, १९२४ १९२५; १९२६, १९२८; अन्तर राष्ट्रिय मजदूर कानफरेंस के सभापति १९२७ और उस के कार्यालय की प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्य १९२६; राष्ट्रसंघ की बैठक में भारत के प्रतिनिधि १९२५; साम्राज्य आर्थिक संरक्षण कमेटी के मेम्बर। रचना–नोट्स आन इण्डस्ट्रीज आफ यू० पी०; मासिक पत्रों और कितने ही पत्रों में लेख। पता—४२ ग्रासवेनर गार्डन; लन्दन S. W.

चन्दा, कामिनी कुमार—एडवोकेट ज० १८६४, रायबहादुर की पदवी अस्वीकृत की १८८४, सिलचर म्यु० बो० के प्रथम गैर सरकारी चेयरमैन, कांग्रेस में प्रवेश १८८६, सूरत में पृथक हुये, लखनऊ (१९१६) में पुनः शामिल हुये, प्रथम सुरमाघाटी कांफ्रेंस के सभापति। कुछ समय तक मेंबर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल पता—सिलचर आसाम।

चन्द्र, निर्मलचन्द्र—सोलिसिटर और जमींदार, ज० १८८८, एम. ए और बी. एल. कलकत्ता वि० वि० म्युनिसिपल मेम्बर कलकत्ता १९२३-२६, मेंबर बङ्गाल लेजिसलेटिव कौंसिल मेंबर लेजिसलेटिव एसेम्बली १९२७, मेंबर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी १९१९ से पता—२३ वेलिङ्गटन स्ट्रीट कलकत्ता।

चमनलाल, दीवान—एडवोकेट हाईकोर्ट लाहौर, और मेंबर लेजिसलेटिव एसेम्बली, ज० १८९२; शिक्षा गोर्डन मिशन कालेज, रावलपिंडी, फोकस्डोन लन्दन तथा पेरिस में, बैरिस्टरी १९१०, कानून में आनर्स डिगरी जेमस कालेज आक्सफर्ड से प्राप्त की १९१७, जेनरल एडीटर "कोटेरी" कला और साहित्य विषयक त्रैमासिक पत्र लन्दन, सहायक सम्पादक बाम्बे क्रानिकल १९२०, ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापित की १९२०, नेशनल को जन्म दिया १९२३, अन्तर. राष्ट्रीय मजदूर कांफ्रेंस में प्रतिनिधि १९२५; ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि १९२६ सभापति ट्रेड यूनियन कांग्रेस १९२७ टैरिफ बिल के विरोध में लेजिसलेटिव एसेम्बली से त्याग पत्र १९३०. पता—लाहौर।

चिन्तामणि, सी. वाई.—सम्पादक लीडर इलाहाबाद जन्म विजयनगरम १८८० शि० महाराजा कालेज विजयनगरम सम्पादक विजग स्पेक्टेटर १८९८ इंडियन हेरल्ड १८९९-१९०० मद्रास स्टेंडर्ड में सहायक सम्पादक हुये १९०१ "इंडियन पीपुल" में सम्पादक १९०३-१९०५ मन्त्री प्रथम इंडियन इंडस्ट्रियल कांफ्रेंस १९१५ नर्मदल के इंगलैंड जाने वाले डेपूटेशन के मेंबर १९१९ सभापति अखिल भारतीय लिबरल कांफ्रेंस १९२० मिनिस्टर यू. पी. गवनमेंट १९२१-२३, सम्पादक इंडियन डेलीमेल १९२५, सदस्य यू. पी. कौंसिल। पता—साउथ रोड इलाहाबाद।

चिटणीस, सर गंगाधर माधव—बैरिस्टर. जन्म १८८२ गवर्नमेंट एडवोकेट रायपुर C. P. १८९१ मेंबर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल १८९३ सभापति सी. पी. और बरार प्रान्तीय कांफ्रेंस १९०६ सभापति मध्य प्रान्तीय लेजिसलेटिव कौंसिल १९२१-२५ चेयरमैन नागपुर म्युनिसिपैलिटी १८९६-१९१८. पता—नागपुर।

चिटणीससर शङ्करमाधव— सभापति मध्यप्रान्तीय कौंसिल; जन्म १८६३; बम्बई बि. वि. के ग्रेजुएट; मेम्बर स्टेचुटरी सिविलियन, १८८५–१९१६, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के पदों पर रहे, सदस्य भारतीय फैक्टरी कमीशन १९०७–१९०८; मिनिस्टर सी. पी. सरकार १९२१–२४, भ्रमण—यूरोप, जापान और अमरीका, पता—नागपुर ।

चेटी, । आर. के. शणमुखम्— वकील और मेम्बर ले० असेम्बली, ज० १८९२ शि० क्रिश्चियन कालेज, मदरास चुने हुए सदस्य मदरास ले० कौंसिल १९२०, डिवलप्मेंट मिनिस्टरी के कौंसिल सेक्रेटरी १९२२, बम्बई, बंगाल संयुक्त प्रांत में नशा खोरी रोकने के जो उपाय किये गये हैं उनके जानने और उन पर रिपोर्ट लिखने के लिये मदरास गवरमेंट से नियुक्त किये गये १९२२, सदस्य ले० एसेम्बिली, १९२३ में भारत के नेशनल कन्वेन्शन के डेपुटेशन के साथ इंगलैंड गये । १९१४ में नई राजधानी स्थापित होने के समय आष्ट्रेलिया में भारतीय प्रतिनिधि हो कर गये । १९२७ पता—"हावर्डन" रेसकोर्स, कोयम्बटूर ।

चोइथराम परतावराय— सभापति सिंध प्रान्तीय हिन्दू सभा, जन्म १८८९, एल. सी. पी. एस., १९१०, डाक्टर हैदराबाद जेल; १९११, त्याग नौकरी और ब्रह्मचर्य आश्रम में शामिल हुए १९१२, मन्त्री तिलक नेशनल होमरूललीग १९१६, सत्याग्रह आन्दोलन में शामिल हुए १९१९, मेंबर कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी १९२१; सम्पादक 'हिन्दू' हैदराबाद (सिंध) १९२१, सजा हुई राजविद्रोह में १८ मास की १९२२, जेल से मुक्त हुये १९२३ में पुनः गिरफ्तार हुए मानहनि के जुर्म में सभापति सिंध प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी १९२३-२४ हिन्दू संगठन में शामिल हुए १९२५

चौधरी, कृष्णचन्द्रराय— मजदूरों के सदस्य बंगाल कौंसिल १९२१ से कौंसिलर कलकत्ता कारपोरेशन जन्म १८८४ शिक्षा कलकत्ता और मैंचेस्टर संस्थापक और प्रथम मन्त्री मैंचेस्टर इण्डियन ऐसोशियेशन श्री० गोपालकृष्ण गोखले के साथ प्राईवेट सेक्रेटरी होकर राजनैतिक कार्य के लिये इङ्गलैंड गये १९०५ मि. केयर हार्डी मेम्बर पार्लीमेंट के भारत भ्रमण के समय प्राईवेटसेक्रेटरी १९०७ लन्दन में ब्रिटिश इंडियन सीमैन्स इस्टीटयूट के संस्थापक हावड़ा कुली संघ के प्रथम सभापति भारतीय प्रतिनिधि पंचम अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कान्फरेंस १९२३ जेनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में (श्रमजीवी विभाग के) एसेसर प्रकाशक—यूरोप में श्रमजीवी आन्दोलन आदि २ पता—कार्यालय चन्दननगर बङ्गाल ।

चौधरी, जोगेशचन्द्र—वैरिस्टर ज० १८६३, श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की तृतीय पुत्री से विवाह। कुछ समय तक फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेकचरर विद्या सागर कालेज कलकत्ता में 'कलकत्ता वीकली नोटस' के सम्पादक १८९६ से, संयोजक मन्त्री भारतीय शिल्पकला प्रदर्शनी कलकत्ता १९०१–१९०२ और १९०३–१९०७; सदस्य बङ्गाल कौंसिल १९०४–०७; सदस्य लेजिसलेटिव एसेम्बली १९२१–२३. फेलो कलकत्ता यूनिवर्सिटी १९२७. पता—३ हेस्टिगज स्ट्रीट और देवद्वार ३४ बालीगंज सरकुलर रोड; कलकत्ता।

चौधरी, तुलसीराम—खद्दर प्रचार के कट्टर प्रेमी; ज० १९४६; राली ब्रदर्स के यहां कर्मचारी १९१४ तक, स्वतन्त्र व्यापार १९१४–१९१९, असहयोग आन्दोलन के समय राजनीति में प्रवेश १९१९; प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर १९२२; राजनैतिक कार्य में जेलयात्रा १९२२; खद्दर का कार्य आरम्भ १९२३; संस्थापक गान्धी खद्दर कार्यालय १९२६ (दिसम्बर) पता—उभयानी।

चौधरी, धीरेन्द्रकांत लाहिरी—मेंबर लेजिसलेटिव एसेम्बली; ज० १९०० मेंबर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैमनसिंह; मनोरंजन, टैनिस. पता—कालीपुर पो० आ० गोवीपुर।

चौधरी, नवाब बहादुर सैयद नवाब अली—मेंबर कार्य कारिणी कौंसिल बंगाल सरकार; ज० १८६३; १७ वर्ष तक बंगाल और इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिलों के मेंबर; मिनिस्टर बंगाल सरकार १९२१ आल इंडिया मुसलिम लीग के वाइस प्रेसीडेन्ट रहे; बंगाल मुसलिम फेडरेशन के संस्थापकों में. पता—धनवरी; जिला मैमनसिंह या बंगाल राइटर्स विल्डिगंज; कलकत्ता।

चौधरानी, मिसेज सरलादेवी—ज० १८७३, वि० स्व० पं० रामभजदत्त चौधरी (पंजाब) से १९०५, शि० कलकत्ता में; १७ वर्ष की अवस्था में बी.ए. हुई। पद्मावती सुवर्ण पदक कलकत्ता वि० वि० में सर्व प्रथम प्राप्त किया; तिलक स्वराज्य फंड में अपने सारे आभूषण दिये १९२१; अध्यक्ष हिन्दू समाज सुधार कांफ्रेंस १९२६. पता—कलकत्ता।

चौधरी, लालचन्द—लेफ्टनेंट राव बहादुर ज० १८८२; वि० श्रीमती सुशीला देवी; रोहतक जिला बोर्ड के चुने हुये वाइस चेयरमैन १९१४–१९२३ पंजाब कौंसिल के मेंबर १९२६ कौंसिल आफ स्टेट के मेंबर १९२२ मिनिस्टर पंजाब गवर्नमेंट (त्याग पत्र दिया १९२४) भरतपुर राज्य की कौंसिल के सभापति सन् १९२७ तक, पता—रोहतक पंजाब.

जगतनारायण, पंडित—वकील ज० १८६४ शि० कैनिंग कालेज लखनऊ लखनऊ म्युनिसिपैलिटी के गैर सरकारी

चेयरमैन ३१ वीं कांग्रेस की स्वा० स० के चेयरमेन मेम्बर हंटर कमेटी (पंजाब के अत्याचारों की जांच के लिये) लोकल बोर्डों और स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्टर संयुक्त प्रांत १९२२–२३। पता—गोलागञ्ज लखनऊ।

जयकर, मुकुन्दराव—बैरिस्टर मेम्बर लेजि० असेम्बली अनेक शिक्षा संस्थाओं के सदस्य आर्य शिक्षा समिति के स्थापकों में से एक जो बम्बई में १८९७ में स्थापित हुई थी सभापति नासिक कॉफ्रेन्स सभापति पूना जिला कांनफ्रेंस १९१८ बम्बई होमरूल लीग की मैनेजिंग कमेटी के मेंबर १९१८ बकालत छोड़ी असहयोग में १९२० किन्तु फिर शुरू की १९२२ में सभापति सिंध हिंदू कांफ्रेंस १९२५ प्रति सहयोगी दल के स्थापकों में से एक। पता—ठाकुर द्वार बंबई।

जयरामदास दौलतराम-मेंबर बंबई कौंसिल १९२७ वकीली पास करके करांची में बकालत शुरू की किंतु राजनीतिक कार्यों में लगे रहने के कारण उसे छोड़ दिया सिंध में देश को आगे बढ़ाने वाले सभी आन्दोलनों से संबंध रहा सम्पादक हिन्दुस्तान टाइम्स देहली १९२५–२६ सेक्रेटरी हिंदू महासभा १९३० में नमक कानून भङ्ग में जेल यात्रा। पता—हैदराबाद सिंध।

जाधव, भास्करराव विठोजी राव—मेंबर बंबई कौंसिल शि० बिलसन कालेज एलफिंस्टन कालेज और गवर्नमेंट ला स्कूल। कोल्हापुर राज्य में नोकरी करके और रेवन्यू मेंबर के पद पर से रिटायर हुये। मराठा शिक्षा कांफरेंस शुरू की १९०० में और सत्य-शोधक आंदोलन को पुनर्जीवित किया (१९११) प्रांत के अब्राह्मण आंदोलन में प्रारंभ से शामिल रहे। मिनिस्टर शिक्षा बिभाग बंबई १९२४–२६ लेजि० कौंसिल के अब्राह्मण पार्टी के लीडर। पता—सतारा।

जाफर, खान बहादुर सर इब्राहीम हारून—मेंबर कौंसिल आफ स्टेट ज० १८८१ शि० डेकन कालेज पूना सभापति अंजुम ने इस-लामियां पूना बंबई प्रांतीय मुसलिम लीग संगठित की १९०८ सभापति आल इं० मुसलिम कांनफरेंस लखनऊ १९१९ मेंबर कैंटूनमेंट सुधार कमेटी मेम्बर बम्बई लेजिसलेटिव कौंसिल १९१६–१९ मेंबर इम्पीरियल कौंसिल १९१९–२०; सभापति आल इण्डिया मुसलिम शिक्षा कांनफरेंस १९२० मुसलिम युनिवर्सिटी के कोर्ट के मेंबर १९२२–२६ मेंबर हज्ज इनक्वायरी १९२७–२८; १९२२ में कौंसिल आफ स्टेट के मेम्बर फिर चुने गये। पता—ईस्ट स्ट्रीट पूना।

जिना, महमद अली—बैरिस्टर मेंबर लेजिसलेटिव असेंबली ज० १८७६ करांची में, शि० करांची व इंगलैंड एड-

वोकेट; बम्बई हाई कोर्ट १९०६, प्राइवेट सेक्रटरी दादा भाई नौरोजी के १९०६ मेंबर इंपीरियल कौंसिल, १९१०, रोलेट एक्ट के विरोध में मेंबरी से इस्तीफा १९१९, प्रेसीडेन्ट मुसलिम लीग (स्पेशल सेशन) १९२० मेंबर सुधार जांच कमेटी १९२४–२५, मेंबर सेंढर्स्ट कमेटी १९२६–२७ असेंबली दल के नेता पता—मलाबार हिल बम्बई।

जीजीभाई, सर वैरामजी—ज० १८८१, शि० सेंट ऐकजीवियर्स स्कूल और कालेज बम्बई; बंबई कारपोरेशन के सदस्य १९१४ से बंबई के शेरीफ १९२७, बम्बई सिनेमा फिल्मों के जांच करनेवाले बोर्ड मेम्बर, बम्बई में बच्चों का अस्पताल बनाने के लिए २ लाख रु० दान किया। पता—दि विल-फरिज रोड मलाबार हिल बम्बई।

जैक्सन, सर स्टेनली—गवर्नर बंगाल प्रान्त, जन्म १८७० शि० हैरी ट्रिनिटी कालेज केंब्रिज, वार आफिस के फाइनेन्स सेक्रटरी, १९२२—२३, साउथ अफ्रीका में नौकरी की १९००-२; चेयरमेन यूनियनिस्ट पार्टी १९२३; यार्क शायर के एक भाग से पार्लियामेंट के मेम्बर, १९१५-२७। पता—कलकत्ता।

जोगेन्द्रसिंह, सरदार—कृषि विभाग के मंत्री पंजाब, शकर व कर व सांढर्स्ट कमेटियों के मेंबर, ताल्लुकदार आका, संपादक इस्टऐंड वेस्ट; ग्रंथ नूरजहान कमला पता—लाहोर।

जोशी, नारायण मल्हार—मेम्बर लेजि० असेंबली, जन्म १८७९ शि० पूना, ८ साल तक शिक्षक, सर्वेंट आफ इंडिया १९०९, १९११ से सेक्रटरी समाज सेवा संघ बंबई; १९१९ से सेक्रटरी राष्ट्रीय लिबरल सभा; भारतीय समाचार पत्रों के प्रतिनिधि के हैसियत से भारत सरकार की तरफ से मेसोपोटेमिया को गये १९१७ अंतर-राष्ट्रीय मजदूर परिषद् को भारत मजदूर संघ के प्रतिनिधि स्वरूप १९२० में वाशिंगटन को और १९२१; १९२२ व १९२५ में जिनेवा को गये; कैसर-इ-हिंद रौप्य पदक १९१९; मेंबर बांबे म्युनिसिपल कारपोरेशन १९१९-२३ सी. आइ; ई. पदवी लेने से इंकार १९२१; लेजि० असेंबली में श्रमजीवियों के प्रतिनिधि स्वरूप सरकारके नियोजित मेंबर; १९२१ व १९२४-१९२७ पता—सेंवटस आफ इंडिया सोसायटी संढर्स्ट रोड बम्बई।

जोशी, सर मोरो पंत विश्वनाथ—ज० १८६१; शि० डेक्कन कालेज पूना व एल्फिन्स्टन कालेज एडव्होकेट (सी. पी. व बरार) १८८४–१९२०; होम मेंबर; सी. पी गवर्नमेंट १९२० २५ १९२८–२९ चेयरमेन; एज आफ कन्सेन्ट कमेटी पता—नागपुर सी. पी.।

जोसेफ, जार्ज—बैरिस्टर जन्म १८८७ त्रावणकोर में मेंबर; १९१८ में इंग्लेंड को गये हिन्दी डेप्यूटेशन के वकालत छोड़ी १९२०; कुछ दिन तक

संपादक इंडिपेंडेंट व यंग इंडिया; वकालत को फिर से प्रारम्भ १९२५; प्रेसीडेंट; टामिल नायडू प्रांतिक पारिषद् १९२३; सत्याग्रह के नेता; पता—कोम्बूकवम् मदुरा ।

जोसेफ, पोथन—जर्नलिस्ट ज० १८९२ दोयम संपादक "बांबेक्रानिकल" १९२० व १९२४-२६ दोयम् संपादक कॅपिटल १९२०-२४, संपादक "वोइस आफ इंडिया" एडीटर "इंडियन डेली टेलीग्राफ" १९२६; उप संपादक व डायरेक्टर बोर्ड आफ इंडिया नेशनल हेरल्ड १९२७; मेंबर; बंबई कारपोरेशन तथा प्रेसीडेन्ट; साउथ इंडियन एसोशियन बम्बई पता—बाइकुला बम्बई ।

टागोर, अवनीन्द्रनाथ—आर्टिस्ट ज० १८६१; शि० संस्कृत कालेज कलकत्ता व इंग्लैंड; उमर खयाम; रवींद्र नाथ टागोर की क्रिसेंटमून सिस्टर निवेदिता की मिथस लीजंडस आफ इंडिया के विषयों की रंगीन तसवीरें बनाई; करीब दो सो रंगीन तसवीरें तैयार की व बहुत से मेडल व पारतोषक संपादन किये; मेंबर आर्टस् एड् वहायजरी कमेटी टू बंगाल गवनमेंट संस्थापक व मेंबर एलाइड् आर्टिस्टम् असोसिएशन पता—द्वारका नाथ टागोर लेन कलकत्ता ।

टागोर, रवीन्द्र नाथ—ज० १८६१; शि० बोलपुर (बंगाल) में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय "विश्व भारती" शांति निकेतन की स्थापना १९००-१ तब से यह शाला ही उन के जीवन का मुख्य कार्य हुआ है; इंग्लैंड प्रवास १९१२; अपनी बंगाली पुस्तकों में से कुछ पुस्तकोंका अंग्रेजी में अनुवाद किया जिस में गीतांजली जगत प्रसिद्ध है नोबल प्राइज फार लिटरेचर १९१३-२८ गद्य और लगभग ३० काव्य की पुस्तकों के लेखक; पुस्तकें (अंग्रेजी) गीतांजली, गार्डनर, साधना, क्रोसेन्ट-मून पोस्ट आफिस (नाटक) गोरा इत्यादि पता—शांतिनिकेतन बोलपुर बंगाल ।

टाटा, दोराबजी जमशेटजी—के. टी. सीनियर पार्टनर टाटा एंड् सन्स लिमिटेड जन्म १८५९ स्वर्गीय जमशेटजी नसरवानजी टाटा के पुत्र शि० केन्स् कालेज (आँन फेलो) कॅंब्रिज पता—स्पलनॅंड हाऊस वाडवी रोड बांबे ।

तय्यबजी, अब्बास शम्सुद्दीन-रिटायर्ड हायकोर्ट जज बड़ोदा ज० १८५४ कॅंबे शि० इग्लॅन्ड ग्यारा साल की उम्र से गये मॅट्रिक्युलेट लन्डन युनि० १८७२ बॅरिस्टर लिकन्स इन १८७५ बड़ोदा जुडीशियल सर्विस में नियुक्ति १८७९ हाईकोर्ट जज १८९३-१९१३ १९२१ में असहयोग आन्दोलन में शामिल हुये व तब से राष्ट्रीय प्रचार करते हैं पंजाब में दंगे की जांच के गै। सरकारी कमीशन के सदस्य १९१९-२०-१९३० में महात्मा गांधी

के अतराधिकारी नमक कानून तोडने के लिये वनाये गये और ५९ वालिन्टियर के साथ ता० १०–५–३० को गिरफ्तार किये गये पता—कंप, बड़ौदा।

तांबे, श्रीपाद् बलवन्त—होम मेंवर सेंट्रल प्राव्हिन्सेस् गव्हनमेन्ट ज० १८७५, शि० जवलपूर (हितकारणी स्कूल). अमरावती, ऐंगलो व्हर्नाक्युलर हाई स्कूल व एलिफन्स्टन् कालेज, वंबई अमरावती में वकालत की, अमरावती टाउन म्युनिसिपल कमेटी के मेम्बर व व्हाइस प्रेसीडेंट, प्रेसीडेंट प्रांतिक कांग्रेस कमेटी मेम्बर, सी. पी. लेजि० कौंसिल १९१७-२० व १९२४, प्रेसिडेंट सी. पी. लेजि० कौंसिल, मार्च १९२५, एकटिंग गवरनर सेन्ट्रल प्रोविन्स के १९२९ पता—नागपुर, सी. पी.

त्रावणकोर, महाराणी रीजंट एच. एच. सेथू लक्ष्मी बाई—वर्तमान महाराजा की फूफी, महाराजा नावालिग होने के कारण १९२४ से महाराणी रीजंट, उच्च कोटि के नैसर्गिक गुण व शिक्षा संपन्न, इंग्लिश अच्छी तरह से लिख व बोल सकती हैं, ज० १८९५, देवालयों में पशु वलिदान का प्रतिबंध तथा अन्य अनेक सुधारणायें की. पता—त्रिवेंद्रम्, त्रावणकोर।

तिवान, नवाब सर उमर हयातखान—जमीदार व मेंबर कौंसिल आफ स्टेट, ज० १८७४, शि० एटकिन्सन् कालेज, लाहोर, हेड अटेची टू अमीर आफ अफगानिस्तान, १९०७, मेम्बर इंपीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल, हेरल्ड दिल्ली दरवार १९११; सरहद्दी युद्ध में भाग लिया और सा र मतंबे सरकारी खलीतों में प्रशस युद्ध उल्लेख हुआ, तीसरे काबुल युद्ध में भाग लिया, १९१९, मेम्बर ईशर कमेटी १९२०, प्रेसीडेंट हार्स ब्रीडिंग एंड शो सोसायटी आफ इंडिया, भ्रमण—अफ्रिका यूरप एशिया, तिव्वत, पता—काहा, जिला शाहपुर, पंजाब।

दत्त; अमरनाथ—मेम्बर लेजि० असेम्बली, जन्म १८७४, शि० प्रेसीडेंसी कालेज कलकत्ता, कानून पास करके वर्दवान लोकल बोर्ड, डिप्टी चेयरमेन वर्दवान सेंट्रल कोपरेटिव बैंक लि०, मेंबर कोर्ट आफ देहली युनिवर्सिटी प्रेसीडेन्ट—शुद्धि कान्फ्रेन्स, आल इन्डिया टेली ग्राफ यूनियन, वंगाल पोस्टेज कान्फ्रेन्स सम्पादक आलो। पता—केशवपुर (वर्दवान)

दलाल, सर दादाबा मेरवानजी—इंडिया के हाई कमिश्नर इंगलैंड में १९२३–२४, ज० १८७०, मेम्बर करैंसी कमेटी १९१९ और अल्प मतवाली रिपोर्ट लिखी, चेयरमैन गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिहैबिलिटेशन कमेटी बम्बई १९२१ मेम्बर इंडिया कौंसिल और मेम्बर रिट्रेंचमेंट (खर्च कम करने की) कमेटी, १९२२, इम्पीरियल इकोनोमिक

कांफ्रेन्स में प्रतिनिधि १९२३। पता—न्यूमैरिन लाइन्स बम्बई।

दाउदी, मोहम्मद शफी—जमीदार, मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली १८२४ से, ज० १८७९, कलकत्ता वि० वि० के. बी. ए. बी. एल., वकील हाइ-कोर्ट कलकत्ता और पटना, असहयोग में वकालत छोड़ी १९२०, दफा १०८ के अनुसार जमानत मांगी गई और उसे देने से इनकार करने पर एक साल की सजा हुई १९२१। पता—पो० आ० दाऊनगर जिला मुजफ्फरपुर (बिहार और उड़ीसा)

दादा भाई, सर माणिक जी बैरामजी—मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट जन्म १८६५, वकालत शुरू की १८८७, एडवोकेट बम्बई हाइकोर्ट १८८७, मध्य प्रान्त में गवर्नमेंट एडवोकेट १८९१, सभापति अखिल भारती इंडस्ट्रियन कान्फ्रेंस कलकत्ता १९११, मेम्बर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल १९०८–१२, और १९१४–१७, कौंसिल आफ स्टेट के मेम्बर चुने गये १९२१, मेम्बर फिस्कल कमीशन १९२१, मेम्बर करेंसी कमीशन १९२५–२६, मालिक अनेक मैंगनीस की खानों के जो मध्य प्रान्त, बरार और बिहार उड़ीसा में हैं और कितने ही जिनिंग और कपास ओटने की फेक्टरियों के जो भारत के प्रान्त सभी हिस्सों में हैं। पता—नागपुर।

दास, पं० नीलकण्ठ—बच्चों के लिये नये ढंग पर पुस्तकें लिखने वाले, ज० १८८४, शि० रावेनशा कालेज और स्काटिश चर्च कालेज कलकत्ता, सत्यवाडी में नये ढङ्ग पर खुले मैदान में शिक्षा देने वाला एक स्थानीय प्राइवेट स्कूल स्थापन किया जो आज कल 'सत्यवाडी बिहार' कहलाता है, पुरी के अकाल में कार्य किया १९१९, पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा के प्रोफेसर कलकत्ता वि० वि० में नियुक्त हुये १९२०, असह-योग किया १९२१ में, सभापति उत्कल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी १९२२, सजा हुई ४ मास की और २०० रु० जुर्माना हुआ १९२३. एसेम्बली में चुने गये १९२४–१९२७, पता—पो० आ० साखी गोपाल, (उड़ीसा)

दास, रजनी कान्त—जेनेवा के राष्ट्र संघ के अन्तर्राष्ट्रीय श्रमजीवी कार्यालय के विशेष सदस्य १९२५ से, ज० १८८१, देनर (ढाका) में शि० कलकत्ता वि० वि० और ओहियो मिस्सोरी, शिकागो और विस कॉसिन विश्व विद्यालयों में, लेकचरर नार्थ वेस्टर्न वि० वि० और डिपाल वि० वि० शिकागो १९१९–२०, व्याख्याता न्यू-यार्क वि० वि० १९२०–२२, प्रोफेसर विश्व भारती, बङ्गाल १९२४–२५, पैसिफिक महासागर के किनारे के देशों में भारतीय श्रमजीवियों की मजदूरी की दशा को जांच करने के लिए गवर्नमेंट

के विशेष एजंट, १९२१–२२, भारत, यूरोप और अमरीका में बहुत दूर २ तक भ्रमण किया है। प्रकाशन 'लेवर मूवमेंट इन इंडिया; 'फैक्टरी लेवर इन इंडिया' और 'फैक्टरी लेजिस्लेशन इन इंडिया'। पता—C/O एक्स प्रेस कम्पनी १ रयूडू मोंट ब्लैंक; जेनेवा; स्विजर लैंड।

द्विवेदी, महावीर प्रसाद, पण्डित—जन्म वैशाख शुक्ल ४; स० १९२१ हिन्दी भाषा के प्रकाण्ड विद्वान तथा लेखक; "सरस्वती" मासिक पत्रिका के अनेक वर्षों तक सम्पादक; लेखक; महाभारत; वनिता विलास; नागरी भाषा रसज्ञ रञ्जन; आदि; पता—मौजा दौलतपुर; जिला राय बेरली।

दुनीचंद—बैरिस्टर और म्युनिसपिल कमिश्नर; लाहोर; ज० १८७०; शि० गवर्नमेंट कालेज; लाहौर औरग्रेज़ इन लन्दन पंजाब मार्शलला के समय देश निर्वासन; १९१९ बाद में जन्म भर कैद की सजा हुई किन्तु दिसम्बर १९१९ में छोड दिये गये;असहयग में वकालत छोड़ दी; लारेंसकी प्रतिमा के सत्याग्रह के सम्बन्ध में८ मास कैद की सजा हुई; १९२१। पता—लाहोर।

दुनी चन्द, लाला—मेम्बर लेजि० एसेम्वली जन्म १८७३ मैनेजर एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल १९०६-१९२१ मेंबर मैनेजिंग कमेटी डी० ए० वी० कालेज लाहोर वकालत शुरु की १९२३ सभापति अखिल भारतीय शुद्धि संमेलन १९१७ क्रिमिन ला एक्ट के अनुसार गिरफ्तार हुये और ६ महीने की कैद की सजा हुई १९२२ पंजाब प्रान्तीय कांन्फ्रेन्स के सभापति हुए। दूसरी लेजिसलेटिव एसेम्वली के स्वराजिस्ट मेम्वर पता—कृपानिवास अम्बाला।

दुबे, दयाशंकर—अर्थ शास्त्र अध्यापक विश्व विद्यालय जन्म २८ जुलाई १८९६ शि० एम. ए. एल. एल. बी. इलाहाबाद परीक्षा मंत्री हिन्दी साहित्य संमेलन प्रयाग (१० सितबर १९२८-२९) मन्त्री भारतवर्षीय हिन्दी अर्थ शास्त्र परिषद उप सभापति विश्व-विद्यालय ग्राम सेवा संघ सदस्य हिन्दी साहित्य गोष्ठी प्रयाग लेखक भारत में कृषि सुधार विदेशी विनिमय भारत के उद्योग धंधे निर्वाचन नियम ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स० १९१९-२० में इलाहावाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कालर लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर चार बर्ष तक पता- इलाहावाद यूनिवर्सिटी इलाहावाद।

देवधर, गोपाल कृष्ण—सभापति सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसायटी जन्म १८७७ शिक्षा विल्सन कालेज वंबई एम. ए. वंबई वि० वि० १९०४ सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसायटी में शामिल होने वाले प्रथम सदस्य १९०५ भारतीय पत्रों के डेपुटेशन के मेम्बर होकर

इंगलैंड गये और वहां तथा यूरोप के अन्य भागों में भ्रमण किया १९१८, पूना सेवासदन संस्था के संस्थापकों में से एक और मलाबार सहायता फंड के संयोजक १९२१, सहयोग. स्त्री शिक्षा और समाज सुधार पर कितने ही छोटे बड़े पैम्फलेट प्रकाशित किये हैं । पता—सर्वेन्ट्स आफ इंडिया सोसायटी, पूना ।

देशपांडे गंगाधर बालकृष्ण—लो० टिलक के सहयोगी, ज० १८७०, शि० बी. ए, एल. एल. बी. कर्नाटक प्रांत के प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता, कट्टर असहयोगी तथा खादी भक्त व प्रचारक, सदस्य आल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेंबर, होमरूल डेपूटेशन १९१७, जेल-यात्रा १९२१—२२ । पता—बेलगांव ।

देशमुख, रामराव माधवराव—मध्य प्रान्त की सरकार के कृषि विभाग के मिनिस्टर, जन्म १८९२ शिक्षा केम्ब्रिज में अर्थ शास्त्र और कानून, मिडिल टेम्पल से बैरिस्टरी १९१६, सी० पी० कौंसिल के मेम्बर १९२१, स्वराजिस्ट होकर पुनः चुने गये १९२४, पार्टी में मत भेद होने के कारण कौंसिल छोड़ दी १९२५, एसेम्बली में स्वतंत्र रूप से चुने गये १९२६, सी० पी० कौंसिल में प्रति सहयोगी होकर चुने गये १९२७, पता—नागपुर, सी० पी० ।

देसाई, महादेव हीरालाल—बी. ए. प्राइवेट सेक्रेटरी महात्मा गांधी, 'यंग इण्डिया' तथा 'नव जीवन' के सम्पादन में सहायक, सम्पादक 'इंडिपेंडेंट' इलाहाबाद. जेल यात्रा, १९२१—२२ पत्र की जमानत जब्त होने के बाद 'इंडिपेंडेंट' की हस्तलिखित प्रति प्रकाशित की, पता—साबरमती सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद ।

देसाई, श्रीमती सत्यबाला—वैज्ञानिक संगीतज्ञा, ज० १८९२, ८ वर्ष की उम्र में धार्मिक गीतों के अंश गाने लगीं थीं, सामवेद और संस्कृत की अष्टपदी के गान भी । १२ वर्ष की उम्र में स्वरों के साथ गाने में वे प्रवीण हो गई थीं । संसार का भ्रमण किया और यूरोपियन, चीनी और जापानी आदि कितने ही जन समूहों के सामने परिदर्शन के साथ संगीत पर अनेक व्याख्यान दिये । हिन्दी, संस्कृत, फारसी, गुजराती और बङ्गाली और अन्य कितनी ही भाषाओं में वे गा सकती हैं । चित्रकला में अत्यन्त प्रवीण हैं, न्यूयार्क (अमरीका) फिलेथियन सोसायटी की फेलो हैं ।

देहलवी, अली मुहम्मद खां—सभापति बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल. जन्म १५ [illegible] १८७७ [illegible] बम्बई और [illegible] गुजरात [illegible] बकालत का [illegible]) और पालनपुर राज्य, बम्बई से [illegible] कालेज छोड़ के जज के पद का कार्य किया मिनिस्टर एग्रीकलचर १९२४—२७

प्रकाशन—"हिस्ट्री ऐण्ड ओरीजिन आफ पोलो" 'मेडीकेंसी इन इण्डिया' पता—सेक्रेटरियट, बम्बई।

ध्रुव, आनन्द शङ्कर बापूभाई प्रो०—प्रोवाइस चांसलर हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस, ज० सम्वत् १९२५, शि. एम. ए. एल एल. बी. (१८९१), प्रो० गुजरात कालेज व एल्फिन्स्टन कालेज आइ. ई. एस. सम्पादक सुदर्शन (१८९७), वसन्त मासिक (१९०२) हिन्दू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होकर प्रवेश तदनन्तर प्रोवाइस चांसलर, संस्कृत के प्रवर विद्वान उत्तम अध्यापक समर्थ लेखक गम्भीर वक्ता, धर्मनिष्ठ सज्जन पता—हिन्दू यूनिवर्सिटी।

नटराजन, कामाक्षी—जे. पी. एडीटर "दी इण्डियन सोशल रिफार्मर" व "इण्डियन डेली मेल" बम्बई, जन्म १८६८ हेडमास्टर आर्यन हाई स्कूल ट्रिपलीकेन मद्रास. दोयम एडीटर दी "हिन्दू" मद्रास. फेलो बम्बई यूनिवर्सिटी व मेंबर सिंडिकेट (१९१६) प्रेसीडेन्ट मद्रास प्रान्तिक सामाजिक परिषद करनूल १९११ प्रेसीडेन्ट बम्बई प्रान्तिक सामाजिक परिषद बीजापुर १९१८. प्रेसीडेन्ट मैसूर परिषद् १९२१ प्रेसीडेन्ट आल इण्डिया सामाजिक परिषद् १९२७ ग्रन्थ दक्षिण हैदराबाद सेंसस् रिपोर्ट १९११ पता—टाटा का बंगला खार रोड बांदरा बम्बई।

नटेसन, जी. ए.—मेंबर कौंसिल आफ स्टेट एडीटर दी "इण्डियन रेव्हू" ज० १८७९ ग्रेजुएट १८९७ फेलो मद्रास यूनिवर्सिटी व मेंबर मद्रास कारपोरेशन माडरेट परिषद में १९१९ में सम्मिलित हुये. सेक्रेटरी मद्रास लिबरल लीग, जाइन्ट सेक्रेटरी नेशनल लिबरल फेडरेशन आफ इंडिया १९२२. एम्पायर पार्लमेंटरी डेलीगेशन के सम्बन्ध में कनाडा गये १९२८. पता—६० थम्बू चेट्टी स्ट्रीट मद्रास।

नदिया, महाराजा किशनचन्द्र राय—१९२४ से मेंबर बङ्गाल एक्जीक्यूटिव कौंसिल, ज० १८९०. शिक्षा खानगी १९१०. मेंबर प्रथम रिफार्मड् बङ्गाल लेजिसलेटिव कौंसिल प्रेसीडेन्ट नदिया जमीदार सभा. पता—दीपेलस कृष्णनगर "नदिया हाउस" २ ब्राइट स्ट्रीट बेलीगंज कलकत्ता।

नन्दी, महाराजा सर महीन्द्र चन्द्र—कासिम बाजार के महाराज बङ्गाल. ज० १८६०. कुछ समय तक मेंबर बङ्गाल लेजिसलेटिव कौंसिल, इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल व कौंसिल आफ स्टेट. चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुर्शिदाबाद, आनरेरी फेलो कलकत्ता यूनिवर्सिटी व लाइफ मेंबर हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस. बङ्गाल के कृत. समाज व अनेक संस्थाओं के पेरन. पता—राजवाडी कासिम बाजार बङ्गाल या ३०२ अपर सरक्यूलर रोड कलकत्ता।

नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ— शि० शास्त्री (पञ्जाब) वेदतीर्थ (कलकत्ता) ज० २१ अक्टूबर १९२० मेम्बर प्रोफेसर महाविद्यालय ज्वालापुर (यू. पी.) सम्पादक शंकर, लेखक— आर्य ... का इतिहास (१ व २ भाग) गीता विमर्श, का... की रामकहानी आदि; स्वागताध्यक्ष राजनैतिक कांनफ्रेंस (१९२०) स्वागताध्यक्ष हिन्दी साहित्य सम्मेलन १९२४ आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी १९२३; गुरुकुल (कांगड़ी) में निरुक्त के प्रोफेसर; पता—देहरादून ।

नरीमन, के. एफ.— हाईकोर्ट वकील मेम्बर बम्बई लेजिसलेटिव कौंसिल मेंबर म्यूनिस्पिल कारपोरेशन दो मर्तबे; मेंबर लेजिसलेटिव कौंसिल बम्बई, डेवलपमेंट मुहकमे की सरकारी नौकरी की मानहानि के इल्जाम में मि० हार्वी ने मुकद्दमा चलाया लेकिन निर्दोषी पाये गये प्रेसीडेन्ट बम्बई प्रांत युवक परिषद व युवक आन्दोलन के बम्बई के नेता, नमक कानून भङ्ग के आन्दोलन में दो बार जेल १९३० पता—हिल्यूम रोड, चौपाटी बम्बई ।

नरेन्द्र देव— आचार्य; काशी विद्यापीठ जन्म कार्तिक सं० १९४६ विक्रम एम. ए. एल. एल. बी. पाली प्राकृत बौद्ध साहित्य के प्रकाण्ड पंडित फैजाबाद होमरूल लीग के सेक्रेटरी १९१६ विद्यापीठ में सहयोग १९२१ सम्पादक "विद्यापीठ" त्रैमासिक पता— काशी ।

नरोत्तम मुरारजी— व्यापारी व मिल एजेन्ट जन्म १८७७ पोर बन्दर में शिक्षा एल्फिन्सटन कालेज; भूतपूर्व शेरीफ खजांनची मांटेग्यू मेमोरियल फण्ड, सैक्रेटरी दादा भाई नौरोजी मेमोरियल मैनेजिंग एजेंट सिंधिया स्टीम नविगेशन कंपनी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बम्बई वाय स्काउट्स असोसिएशन पता—शांती भवन; पेडर रोड बंबई ।

नवानगर, जामसाहिब कुमार श्री रणजीत सिंह— प्रसिद्ध क्रिकेट पटु; ज० १८७२; उनके चचा सर विभोजी जाम आफ नवानगर ने इन को गोद लिए; शि० राज कुमार कालेज राजकोट; ट्रिनिटी कालेज कैंब्रिज; प्रसिद्ध टेनिस पटु इ० लेनशों को पराजित किया १८९० क्रिकेट ब्लू सम्पादन किया और जंटलमैन के तरफ से प्लेज के खिलाफ खेले १८९३; नोन मरतबे एक ही सीजन में तीन हजार रनस निकाले; यार्क शायर के खिलाफ एक ही स्थान में एक ही दिन में दोड बल सेंचरीज की १८९६-१९०० में सब इङ्गलैंड में चेम्पियन बल्समन थे आस्ट्रेलिया कनाडा वा युनाइटेड स्टेट्स में क्रिकेट टीमस में गये राज्यारोहण १९०५; युद्ध में भाग लिया १९१४-१५ पता—नवानगर ।

नाभा, महाराजा श्री गुरुचरण सिंह— पहिले श्री रिपुदमनसिंह के नाम से ज्ञात थे; जन्म १८८३;

शि० खानगी अन्य देशों में बहुत प्रवास किया मेंबर वाइसराय की कौंसिल १९०६–८. प्रेसीडेन्ट हिन्दी राष्ट्रीय सामाजिक परिषद १९०९; युद्ध में कई फण्डों में अच्छी मदद दी. १९२३ में राज्य त्याग करना पड़ा राजद्रोह के सबब पर. १९२९ में महाराजा की उपाधि व अधिकार छीने गये और मालिक पेन्शन की रकम २५ हजार से दस हजार की गई और मद्रास प्रान्त में कोडाई केनाल के मुकाम पर रहने का हुक्म हुआ।

नायडू, मिसेज सरोजिनी—प्रेसीडेन्ट; इंडियन नेशनल कांग्रेस १९२५ ज० १८७९. डाक्टर एम. जी. नायडू के साथ १८९८ में शादी. दो पुत्र दो कन्यायें; शि० हैदराबाद किंग्ज कालेज लंडन; गर्टन कालेज केम्ब्रिज अंग्रेजी कविताओं के ग्रन्थ लिखे जिनका भाषान्तर करीब २ सब हिन्दुस्थानी भाषाओं में हो चुका है, कुछ ग्रन्थों का अन्य यूरोपीय भाषाओं में भी भाषान्तर हुआ है, जाइन्ट कमेटी आन रिफार्मस के सामने गवाही दी १९१९, अन्तर्राष्ट्रीय स्त्री मताधिकार परिषद जिनेवा के सामने भाषण किया १९१९. हिन्दुस्थान की प्रतिनिधि की हैसियत से दक्षिण अफ्रीका को गई मेंबर बम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन. प्रेसीडेन्ट बम्बई प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी. मेम्बर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी १९२२. डायरेक्टर इंडियन नेशनल हेरल्ड. प्रेसीडेन्ट कानपुर कांग्रेस १९२५. अब्बास तैयब जी के पश्चात् आपने नमक कानून तोड़ने के लिये धरसना पर कई वालिंटियरों के साथ धावा किया और पकड़ी गईं १९३०. पता—ताजमहल होटेल बम्बई।

नायर, दीवाण बहादुर एम. क्रिष्नन—भूतपूर्व दीवान त्रावणकोर व मेम्बर मद्रास लेजिसलेटिव कौंसिल ज० १८७०. हाइकोर्ट वकील; ५ साल तक चेयरमेन कलिकता म्युनिसिपैलिटी प्रेसीडेन्ट मलाबार कृषि सभा चीफ जस्टिस; त्रावणकोर ४ साल तक. पता—पालघाट मलाबार।

नायर, सर सी. शंकरन—ज० १८५७; शि० मद्रास; हाइकोर्ट वकील सरकारी वकील व पब्लिक प्रासिक्यूटर मद्रास सरकार, कुछ दिन तक एडवोकेट जनरल मद्रास, जज हाइकोर्ट मद्रास. कई साल मेंबर मद्रास लेजिसलेटिव कौंसिल. प्रेसीडेन्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस अमरावती. प्रेसीडेन्ट इंडियन सोशल कान्फ्रेंस मद्रास, 'मद्रास रिव्यू' व 'मद्रास ला जरनल' के संचालक व कुछ दिन एडीटर मेम्बर गवरनर जनरल की कार्यकारिणी कौंसिल १९१८–१९. पंजाब अत्याचारों के निषेध में पद–त्याग. हिन्दी राजकीय सुधारों के विषय में भारत सरकार के खलीतों पर टीकात्मक लेख लिखे. मेम्बर कौंसिल आफ

सेक्रटरी आफ स्टेट १९१९-२१ मेम्वर कौंसिल स्टेट १९२५ चेयरमेन सेन्ट्रल लेजिसलेयर कमेटी सायमन कमीशन १९२८ चेयरमेन इंडिया सेन्ट्रल कमेटी १९२९. पता—मलाबार ।

निहालसिंह, संट—जर्नलिस्ट, जन्म पंजाव में, प्रवास व देश निरीक्षण की इच्छा से कालेज छोड़ दिया। मकान गुप्त रीति से छोड़ कर हिन्दुस्तान भर भ्रमण किया, और लेख लिखकर ही द्रव्य संपादन करते हैं, जापान व अमेरिका भ्रमण में कुछ दिन नोहीमियन मेगेजीन' के संपादक रहें, १९१० में इंग्लैंड गये अमेरिकन महिला से, जो खुद जर्नलिस्ट है; विवाह किया, पता—ग्रैन्डहोटेल, सीलोन ।

नेहरू, जवाहिर लाल—वार-एट-ला; प्रेसीडेन्ट रिपब्लिकन् कांग्रेस १९२७; जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस १९२८, ज० १८८९, शि० हेरो स्कूल व ट्रिनिटी कालेज. केंब्रिज; बार-एट-ला आफदी इनरटेंपल, एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट सेक्रेटरी होमरूल लीग इलाहाबाद १९१८; मेंवर, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी १९१८ से, डायरेक्टर इंडिपेंडेंट, कट्टर असहयोगी; १९२१ व फिर १९२२ में कैद: दलित राष्ट्रों की कांग्रेस में हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि, सेक्रेटरी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी संस्थापक इंडिपेंडेन्स लीग १९२८; प्रेसीडेन्ट, ४४ वीं लाहोर कांग्रेस १९२९ नमक कानून भंग करने से ६ माह की सादी कैद १९३० पता—इलाहाबाद।

नेहरू, मोती लाल—असेम्ब्ली में कांग्रेस पार्टी के नेता; ज० १८६१; काश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण, हाई कोर्ट परीक्षा पास करके वकालत शुरू की और जल्द अपने धन्धे में नाम कमाया, प्रेसीडेन्ट यू. पी. प्रांतिक परिषद् १९०७, मोर्ले मिंटो सुधार के बाद यू. पी. लेजि. कौंसिल के मेम्बर रहे, "इंडिपेंडेंट" के सस्थापक १९१२, प्रेसीडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस १९१९ पंजाब के मामले की कांग्रेस जाँच कमेटी के मेम्बर १९१९-२०, असहयोग में वकालत छोड़ दी १९२०, छः माह की कैद १९२१-२२ मेंवर सिविल डिस्ओबीडिअन्स कमेटी १९२१, मेंवर संडहर्स्ट कमेटी लेकिन् वाद में इस्तीफा दे दिया, प्रेसीडेंट नेशनल कांग्रेस १९२८, कांग्रेस आज्ञानुसार एसेम्बली से त्याग पत्र १९२९ श्रीयुत जवाहर लाल की गिरफ्तारी पर पुनः प्रेसीडेन्ट पता—आनन्द भवन, इलाहाबाद।

नेहरू, श्याम लाल—सेक्रेटरी टाउन कांग्रेस कमेटी; इलाहाबाद, ज० १८८० "इंडिपेंडेंट" "लीडर" व "लाजनल" प्रेसस इलाहाबाद के मैनेजर रहे गत पांच साल से मेम्बर म्युनिसिपेलटी, डायरेक्टर "दी डेमोक्रेट" मेंवर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी १९२२ कैद ६ माह १९२१ पता-इलाहाबाद।

पटवरधन (मिसेस) मालती—आनरेरी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट आदि ज० १८९९ मुशोक में शिक्षा दो साल तक इंगलैंड में थियोसोफीकल ... स्कूल बनारस से मेट्रिक्युलेट नेशनल यूनिवर्सिटी, अडयार मद्रास की ग्रेजुयेट मि. वीं. सी. पटवर्धन वेरिस्टर सांगली से विवाह. आनरेरी डिप्टी कमिश्नर फारगाइडस, आनरेरी सुपरिंटेन्डेन्ट कन्या गृह; थियोसोफीकल राष्ट्रीय शाला अडियार मद्रास, वाइस प्रेसीडेन्ट आल इंडिया युवक परिषद् मद्रास १९२७, पता—अडियार मद्रास.

पट्टणी, सर प्रभाशंकर दलपत राम—प्रेसीडेन्ट कौंसिल आफ एडमिनिस्ट्रेशन भावनगर स्टेट १९२० से, ज० १८६२, शि० मोरवी राजकोट बम्बई मेम्बर एकजीक्यूटिव कौंसिल बम्बई १९१२–१५, मेम्बर वम्बई लेजिसलेटिव कौंसिल १९१६; मेम्बर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल १९१७, मेम्बर कौंसिल आफ इंडिया १९१७–१९. पता 'आनन्दवाडी' भावनगर।

पटियाला, महाराजा—महाराजा भूपेन्द्रसिंह महिन्दर बहादुर जन्म १८९१, शि० एटकिंसन् कालेज, महायुद्ध में इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स के साथ काम किया १९१४, अफगान वार १९१९, वार कांफ्रेंस में हिन्दुस्थान के प्रतिनिधि १९१८. लीग आफ नेशन्स में प्रिसेज के प्रतिनिधि १९२५, नरेन्द्र मंडल कमेटी के मेंबर व चांसलर १९२६. पता—पटियाला।

पनिक्कर, केचलम माधव—शिक्षा आक्सफर्ड, मेम्बर अकेडेमिक कौंसिल मुसलिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ सह सम्पादक 'स्वराज्य' मद्रास, सम्पादक 'हिन्दुस्तान टाइम्स' १९२४–२५, ग्रन्थ 'इंडियन नेशनेलिज्म इटस हिस्ट्री एन्ड प्रिंसिपल्स' 'इन्डियन स्टेटस' पता-पटियाला।

परमानन्द भाई—शि० एम. ए. देश भक्त तथा राष्ट्रीय कार्य कर्ता, क्रांतिकारी मामले में जन्म कैद हुई किन्तु छोड़ दिये गये. लेखक—भारत माता का सन्देश आदि पता—लाहौर।

पराडकर, बाबू राव—हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध लेखक, अनेक वर्षों से सम्पादक 'आज' काशी, सामाजिक सुधारणा में अग्रसर भाग लेते हैं, विधवा विवाह के कट्टर पक्षपाती, प्रेस आर्डीनेंस के विरोध में प्रकाशन बन्द १९३०. पता 'आज' कार्यालय काशी।

परांजपे, रघुनाथ पुरुषोत्तम—मेम्बर कौंसिल आफ सेक्रटरी आफ स्टेट, ज० १८७६, शि० हिन्दुस्तान, केम्ब्रिज, पेरिस, गोटिंगहम, सब यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में प्रथम केम्ब्रिज में सीनियर रङ्गलर १८९९, प्रिन्सिपल फरग्यूशन कालेज पूना १९०२–२०, वाइस चान्सलर इन्डियन 'वुइमेन्स'

यूनिवर्सिटी, १९१६-२०; मेंबर बम्बई लेजि० कौंसिल १९१३-२०, मिनिस्टर आफ एज्यूकेशन बम्बई, १९२१-२३ मेंबर, रीफार्म्स इन्कायरी कमेटी १९२४ आक्जिलियरी व टेरीटोरियल फोर्सेस कमेटी १९२४, मेंबर टेक्सेसन् कमेटी १९२४-२५, प्रेसीडेन्ट लिबरल फेडरेशन १९२४, बम्बई कौंसिल के लिये युनिवर्सिटी के तरफ से प्रतिनिधि चुने गये १९२६, मिनिस्टर नियत हुये १९२७. इण्डिया आॅफिस में नियत होने से त्यागपत्र. पता—इण्डिया आफिस लन्दन ।

प्यारेलाल लाला—कानून में गोल्ड मेडलिस्ट १८८०, पञ्जाब यूनिवर्सिटी बकील, हाइकोर्ट, जन्म १८५८, प्रेसीडेन्ट. दिल्ली बार एसोसियेशन, वाइस प्रेसीडेन्ट, म्युनिसपिल कमेटी, दिल्ली आ. सेक्रेटरी, बोर्ड आफ ट्रस्टीज हिंदू कालेज दिल्ली, एकजीक्यूटिव कौंसिल दिल्ली, यूनियन, दिल्ली, बार कान्फ्रेंस में दिल्ली के प्रतिनिधि १९१८, मेंबर लेजि० एसेम्बली १९२४-२६, पता—चांदनी चौक दिल्ली.

पटेल वल्लभ भाई—बैरिस्टर असहयोग में वकालत त्याग; कांग्रेस के प्रमुख कार्य कर्ता; 'बारडोली सत्याग्रह १९२८ के प्रमुख संचालक व नेता; इनको जनता ने 'सरदार' की पदवी दी है, नमक कानून भङ्ग के आंदोलन के प्रारंभ में एक व्याख्यान पर आपको ३ महीने की जेल १८३०. पता—अहमदाबाद ।

पटेल विट्ठल भाई—बैरिस्टर-एट-ला प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष लेजि० एसेम्बली शि० अहमदाबाद व इंगलैंड मेंबर बंबई कारपोरेशन, बंबई कौंसिल व इम्पीरियल कौंसिल; भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट, बांबे कारपोरेशन, चेयरमैन रिसेप्शन कमेटी बांबे स्पेशल कांग्रेस, १९१८, मेंबर सिव्हिल डिस ओबी डियन्स कमेटी १९२२, लेजि० एसेम्बली के प्रेसीडेन्ट फिरसे चुने गये १९२७. सरकार की दमन नीति के विरोध में त्यागपत्र और भारत के उद्धार के लिये परिश्रम करना आरंभ पेशावर हत्याकांड इनक्वायरी कमेटी के प्रेसीडेन्ट १९३०. पता—अहमदाबाद ।

पं० किशोरीलाल गोस्वामी, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, ज० माघकृष्ण ३० सम्वत् १९२२, आपने करीब ६५ पुस्तकें लिखीं हैं; मञ्जपराग, पञ्चपल्लव, रजिया वेगम, प्रसायनी परिणाम, पञ्चकालिका आदि पता—वृन्दाबन ।

पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, जन्म सम्वत् १९२७ हिंदी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखीं हैं, नियन्धमालादर्श प्रणयि माधव, मेघदूत, डा० जानसन, रसवाटिका, आदि पता लखनऊ ।

पं० गौरीशंकर, हीराचंद ओझा—हिन्दी भाषा के उत्तम लेखक, महामहोपाध्याय, रायबहादुर, [illegible]

पटवरधन (मिसेस) मालती—आनरेरी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट जन्म ज० १८९९ मुशोक में शिक्षा दो ... इंगलैंड में थियोसोफीकल ... स्कूल बनारस से मैट्रिक्युलेट नेशनल यूनिवर्सिटी, अड्यार मद्रास की ग्रेजुयेट मि. वी. सी. पटवर्धन वेरिस्टर सांगली से विवाह. आनरेरी डिप्टी कमिश्नर फारगाइडस, आनरेरी सुपरिंटेन्डेन्ट कन्या गृह; थियोसोफीकल राष्ट्रीय शाला अडियार मद्रास, वाइस प्रेसीडेन्ट आल इंडिया युवक परिषद मद्रास १९२७, पता—अडियार मद्रास.

पट्टणी, सर प्रभाशङ्कर दलपत राम—प्रेसीडेन्ट कौंसिल आफ एडमिनिस्ट्रेशन भावनगर स्टेट १९२० से, ज० १८६२, शि० मोरवी राजकोट बम्बई मेम्बर एकजीक्यूटिव कौंसिल बम्बई १९१२–१५, मेम्बर बम्बई लेजिसलेटिव कौंसिल १९१६; मेम्बर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल १९१७, मेम्बर कौंसिल आफ इंडिया १९१७–१९. पता 'आनन्दवाडी' भावनगर।

पटियाला, महाराजा—महाराजा भूपेन्द्रसिंह महिन्दर बहादुर जन्म १८९१, शि० एटकिंसन् कालेज, महायुद्ध में इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स के साथ काम किया १९१४, अफगान वार १९१९, वार कान्फ्रेंस में हिन्दुस्थान के प्रतिनिधि १९१८. लीग आफ नेशन्स में प्रिंसेज के प्रतिनिधि १९२५, नरेन्द्र मंडल कमेटी के मैंबर व चांसलर १९२६. पता—पटियाला।

पनिक्कर, केचलम माधव—शिक्षा आक्सफर्ड, मेम्बर अकेडेमिक कौंसिल मुसलिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ सह सम्पादक 'स्वराज्य' मद्रास, सम्पादक 'हिन्दुस्तान टाइम्स' १९२४–२५, ग्रन्थ 'इंडियन नेशनेलिज्म इटस हिस्ट्री एन्ड प्रिंसिपल्स' 'इन्डियन स्टेटस' पता-पटियाला।

परमानन्द भाई—शि० एम. ए. देश भक्त तथा राष्ट्रीय कार्य कर्ता, क्रांतिकारी मामले में जन्म कैद हुई किन्तु छोड़ दिये गये, लेखक—भारत माता का सन्देश आदि पता—लाहौर।

पराडकर, बाबू राव—हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध लेखक, अनेक वर्षों से सम्पादक 'आज' काशी, सामाजिक सुधारणा में अग्रसर भाग लेते हैं, विधवा विवाह के कट्टर पक्षपाती, प्रेस आर्डीनेंस के विरोध में प्रकाशन बन्द १९३०. पता 'आज' कार्यालय काशी।

परांजपे, रघुनाथ पुरुषोत्तम—मेम्बर कौंसिल आफ सेक्रटरी आफ स्टेट, ज० १८७६, शि० हिन्दुस्तान, केम्ब्रिज, पेरिस, गोटिंगहम, सब यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में प्रथम केम्ब्रिज में सीनियर रङ्गलर १८९९, प्रिन्सिपल फरग्यूसन कालेज पूना १९०२–२०, वाइस चान्सलर इन्डियन 'वुइमेन्स'

यूनिवर्सिटी, १९१६-२०; मेंबर बम्बई लेजि० कौंसिल १९१३–२०, मिनिस्टर आफ एज्यूकेशन बम्बई, १९२१–२३ मेंबर, रीफार्म्स इन्क्वायरी कमेटी १९२४ आक्जिलियरी व टेरीटोरियल फोर्सेस कमेटी १९२४, मेंबर टेक्सेसन् कमेटी १९२४–२५, प्रेसीडेन्ट लिबरल फेडरेशन १९२४, बम्बई कौंसिल के लिये युनिवर्सिटी के तरफ से प्रतिनिधि चुने गये १९२६, मिनिस्टर नियत हुये १९२७. इण्डिया ऑफिस में नियत होने से त्यागपत्र. पता—इण्डिया आफिस लन्दन ।

प्यारेलाल लाला— कानून में गोल्ड मेडलिस्ट १८८०, पञ्जाब यूनिवर्सिटी वकील, हाइकोर्ट, जन्म १८५८, प्रेसीडेन्ट. दिल्ली बार एसोसियेशन, वाइस प्रेसीडेन्ट, म्युनिसपिल कमेटी, दिल्ली आ. सेक्रेटरी, बोर्ड आफ ट्रस्टीज हिंदू कालेज दिल्ली, एक्जीक्यूटिव कौंसिल दिल्ली, यूनियन, दिल्ली, बार कांनफ्रेंस में दिल्ली के प्रतिनिधि १९१८, मेंबर लेजि० एसेम्बली १९२४–२६, पता— चांदनी चौक दिल्ली.

पटेल वल्लभ भाई—बैरिस्टर असहयोग में वकालत त्याग; कांग्रेस के प्रमुख कार्य कर्ता; 'बारडोली सत्याग्रह १९२८ के प्रमुख संचालक व नेता; इनको जनता ने 'सरदार' की पदवी दी है, नमक कानून भङ्ग के आंदोलन के प्रारंभ में एक व्याख्यान पर आपको ३ महीने की जेल १९३०, पता— अहमदाबाद ।

पटेल विट्ठल भाई—बैरिस्टर-एट-ला प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष लेजि० एसेम्बली शि० अहमदाबाद व इंगलैंड मेंबर बंबई कारपोरेशन, बंबई कौंसिल व इम्पीरियल कौंसिल; भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट, बांबे कारपोरेशन, चेयरमैन रिसेप्शन कमेटी बांबे स्पेशल कांग्रेस, १९१८, मेंबर सिव्हिल डिस ओबी डियन्स कमेटी १९२२, लेजि० एसेम्बली के प्रेसीडेन्ट फिरसे चुने गये १९२७. सरकार की दमन नीति के विरोध में त्यागपत्र और भारत के उद्धार के लिये परिश्रम करना आरंभ पेशावर हत्याकांड इनक्वायरी कमेटी के प्रेसीडेन्ट १९३०. पता—अहमदाबाद ।

पं० किशोरीलाल गोस्वामी, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, ज० माघकृष्ण ३० सम्वत् १९२२, आपने करीब ६५ पुस्तकें लिखीं हैं; मञ्जपराग, पञ्चपल्लव, रजिया वेगम, प्रसायनी परिणाम, पञ्चकालिका आदि पता—वृन्दावन ।

पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, जन्म सम्वत् १९२७ हिंदी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखीं हैं, निबन्धमालादर्श प्रणयि माधव, मेघदूत, डा० जानसन, रसवाटिका, आदि पता लखनऊ ।

पं० गौरीशंकर, हीराचंद ओझा— हिन्दी भाषा के उत्तम लेखक, महामहोपाध्याय, रायबहादुर, मङ्गलाप्रसाद पारि-

तोषिक प्राप्त कर्ता लेखक राजस्थान का इतिहास (टाड) पता—अजमेर।

पन्त, गोविन्द वल्लभ—लीडर स्वराज्य पार्टी यू. पी. कौंसिल, शिक्षा बी. ए. एल एल. बी. मेम्बर प्रान्तीय तथा आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस आज्ञानुसार त्याग पत्र. नमक कानून भंग में जेल यात्रा १९३० पता—नैनीताल।

प्रकाशम, टी.—मेम्बर लेजिस-लेटिव एसेम्बली, एडीटर "स्वराज्य" १९२१ से बैरिस्टर १९२१ में वकालत छोड़ी. प्रेसीडेन्ट मद्रास बार असोसि-येशन. प्रेसीडेन्ट आंध्र प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी. कांग्रेस आज्ञानुसार त्याग पत्र व नमक कानून भंग में जेल यात्रा १९३० पता—मद्रास।

प्रधान, गोविन्द रघुनाथ—वकील व मेम्बर सी. पी. लेजिसलेटिव कौंसिल ज० १८८७ शि० विल्सन् कालेज बम्बई व मारिस कालेज नागपुर सेक्रटरी अब्राह्मण कांग्रेस १९२५, सेक्रेटरी आल इण्डिया सोशल कांफ्रेंस १९२०. वाइस चेयरमैन नागपुर जिला परिषद. मेम्बर बोर्ड आफ स्टडीज इन ला नागपुर यूनि-वर्सिटी. पता—सिविल स्टेशन नागपुर.

पानगल, राजाराम राजैयंगर सर पी—अ-ब्राह्मण हलचल के नेता ज० १८६६. मेंबर इम्पीरियल लेजिस० कौंसिल १९१२–१५ व १९१९. जाइन्ट पार्लमेंटरी कमेटी के सामने जमीदार. प्रतिनिधि की हैसियत से गवाही दी १९१९. मिनिस्टर मद्रास सरकार १९२०. चीफ मिनिस्टर १९२१–२६. प्रेसीडेन्ट साऊथ इण्डियन लिबरल फेड-रेशन. प्रेसीडेन्ट अब्राह्मण कांग्रेस १९२५ पता—मद्रास।

पाल, विपिनचन्द्र—जर्नेलिस्ट ज० १८५८ शि० प्रेसीडेन्सी कालेज कलकत्ता. हेडमास्टर कटक एकेडमी १८७९. सब एडीटर "बंगाल पबलिक ओपीनियन" कलकत्ता १८८३–८४. सब एडीटर "ट्रिब्यून" लाहौर १८८७–८८. सेक्रेटरी व लाइब्रेरियन कलकत्ता. पबलिक लायब्रेरी १८९०–९२. लायसेंस इन्स्पेक्टर. कलकत्ता कारपोरेशन १८९२-९३. आक्सफर्ड में तुलनात्मक धर्म शास्त्र का अभ्यास करने के लिये साधा-रण ब्रह्म समाज की तरफ से स्कालर शिप लेकर इंगलैण्ड गये और वहां हिंदू धर्म व हिंदी राज कारण पर व्याख्यान दिये. नेशनल टेंपरन्स फेडरेशन के आमं-त्रण पर न्यूयार्क गये १९००. हिन्दुस्तान लौटकर ब्रह्म मिशनरी की हैसियत से काम किया. कलकत्ता से 'न्यू इंडिया' निकाला १९०१. प्रथम एडीटर राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक 'वन्दे मातरम्' जिसके बाद श्री० अरविन्द घोष एडीटर हुये. राष्ट्रीय आन्दोलन बङ्गाल के प्रमुख नेता १९०५–७. मि० अरबिन्द घोष के खिलाफ राजद्रोही मामले में गवाही देने

से इनकार करने पर अदालत की तौहीन इस इलजाम पर दो माह की सादी कैद १९०७, बाद इङ्गलेंड में जाकर अंग्रेजी मासिक 'स्वराज्य' लण्डन से निकाला और इङ्गलैंड भर हिन्दी राजकीय परिस्थिति पर व्याख्यान दिये, १९११ में बम्बई पहुंचने पर 'स्वराज्य' में राजद्रोही लेख के कारण एक माह की सादी कैद हुई 'दी हिन्दु रिव्यू' मासिक निकाला १९१२, कई ग्रन्थ लिखे; मेंबर लेजिसलेटिव असेम्बली, १९२४, पता—कलकत्ता ।

पालीवाल, श्री कृष्णदत्त,—शि. एम. ए. (इलाहाबाद) साहित्य रत्न (हि० सा० सम्मेलन सन १९२० में ला कालेज छोड़ दिया असहयोग में प्रवेश जाइन्ट जनरल सेक्रेटरी स्वागत समिति ४०वीं राष्ट्रीय महासभा कानपुर संयोजक यू. पी. स्वराज पार्टी प्रेसीडेन्ट आग्रा नागरी प्रचारिणी सभा उपसम्पादक 'प्रताप' 'प्रभा' मेंबर यू. पी. कौंसिल १९२६ वर्तमान संपादक 'सैनिक' नमक कानून भङ्ग में जेलयात्रा १९३० पता—आगरा ।

पांगारकर, लक्षमण रामचन्द्र, ज० ३१ जुलाई १८७२ शि० बी. ए. भक्तिमार्ग में तल्लीन अनेक मराठी पुस्तकों के लेखक सम्पादक 'मुमुक्षु' संत तुकाराम के विशेष कर भक्त मुख्य पुस्तकें 'महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि मोरोपन्त का चरित्र' तथा 'रामदास स्वामी का चरित्र' आपकी बहुत सी मराठी पुस्तकें बी. ए. एम. ए., और ला के लिये बंबई और नागपुर युनिवर्सिटी में नियमित की गई. पता—पूना ।

पांडेय, रूप नारायण—हिन्दी के उत्कृष्ट लेखक उप सम्पादक 'माधुरी' अनेक वर्षों तक, पुस्तकें; पतित पति, गोरा आदि; सम्पादक 'सुधा' पता—लखनऊ ।

पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, सर—मेंबर इण्डियन लेजिसलेटिव एसेम्बली कपास के व्यापारी ज. १८७९ शि० एल्फिन्स्टन कालेज प्रेसीडेन्ट ईस्ट इण्डियन काटन एसोसिएशन मेंबर इंचकेप कमेटी गवरनर इम्पीरियल बङ्क आफ इंडिया (सेंट्रल बोर्ड) मेंबर रायल कमीशन आन इंडिया करन्सी अंड फायनेन्स १९२६; पता—मलाबार केसल बम्बई ।

पुणतांबेकर, श्री कृष्णव्यंकटेश, ज० १८ जनवरी १८९०; शि० एम. ए. बारएट-ला; विदेशी स्कालरशिप २०० पौंड वार्षिक, प्रिंसिपल नैशनल कालेज (१९२१–२५) महात्मा गांधी से १०००) खादी लेख के लिये पुरस्कार पाया लेखक—इन्ट्रोडकशन टु सिविक्स ऐन्ड पोलिटिक्स; इन्ट्रोडकशन टु इण्डियन सिटिजनशिप ऐन्ड सिविलिजेशन (दो जिल्द) प्रोफेसर इतिहास और राजनीति हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस ।

पूर्णिमा देवी (मिसेस) उमालाप्रसाद—जमींदार, प्रथम महिला अध्यक्ष सामाजिक परिषद; ज० १८८५

डाक्टर रविन्द्रनाथ टागोर की भतीजी प्रथम बंगाली महिला जिन का विवाह यू. पी. में हुआ १९०३, इनके पति स्वर्गीय पण्डित ज्वालाप्रसाद डिप्टी-कमिशनर हरदोई थे, भाषाज्ञान अंग्रेजी संस्कृत हिंदी उर्दू व फ्रेंच, केंब्रिज ट्रिनिटी कालेज गान परीक्षायें उत्तीर्ण, संस्थापक, पण्डित ज्वालाप्रसाद कन्या पाठशाला संस्थापक पर्दा क्लब मुजफ्फरनगर; पता—प्रसाद भवन शाहजहांपुर।

पेटिट, जहांगीर बोमनजी—व्यापारी, मिल मालिक व बेंकर, मेंबर, बम्बई लेजि० कौंसिल, सर डी. एम. पेटिट प्रथम बैरोनेट के नाती, जन्म १८७९ शि० सेंट जेवियर कालेज, बम्बई, मेंबर बम्बई कारपोरेशन व डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष, हिंदी औद्योगिक परिषद् १९१८, ट्रस्टी, पारसी पंचायत संस्थापक व मालिक दी इंडियन डेलीमेल अंधों के लिये विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल व दी इंपीरियल इंडियन सिटीजनशिप असोसिएशन के संस्थापक व आनरेरी सेक्रटरी, मेंबर युनिवर्सिटी रीफार्म कमेटी, १९२४ पता—माउंट पेटिट पेडर रोड बम्बई गुलिस्तां मथेरान माउंट माल्कम महाबलेश्वर।

प्रेमचंद,—आपका असली नाम धनपतराय है ज० श्रावण संवत् १८३७ बी. ए. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सरकारी शिक्षा विभाग में अनेक वर्षों तक नौकरी की असहयोग में त्याग दी कांग्रेस मैंबर तथा सुधारक मेंबर हिन्दुस्तानी एकाडमी इलाहाबाद हिन्दी संसार के सुपरिचित उपन्यास लेखक पुस्तकें सेवा सदन, वरदान प्रेम प्रेमाश्रम आदि। सम्पादक 'माधुरी'—लखनऊ।

पोचखानावाला सोराब जी नसरवानजी—सर्टिफाईड असोशिएट इंस्टिट्यूट आफ बंक (लंडन) १९१० मेनेजिंग डायरेक्टर सेंट्रल बंक आफ इंडिया लि० ज० १८८१ शि० सेंटझेवियर कालेज बांबे चार्टर्ड बंक आफ इंडिया आस्ट्रेलियर अंड चायना में सात साल व बंक आफ इंडिया में पांच साल नौकरी करने के बाद सेंट्रल बंक आफ इंडियन की स्थापना की मेम्बर गवरमेंट सिक्यूरिटीज कमेटी १९२१ पता—न्यू वरली रिक्लमेशन वरली बम्बई।

फ्रूम सर आर्थर हेनरी—कौंसिल आफ स्टेट के मेंबर १९२१ जन्म १८७३ शिक्षा सेंट पाल स्कूल, नौकरी में हुए P. & O S. N. कम्पनी बंबई की १९१६ से चेयरमेन मेंबर आफ कामर्स बंबई १९२० मेंबर इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल १९२१ मेंबर इंडियन मरकेंटायल मैरीन कमेटी १९२३-२४ मेंबर सुधार जांच कमेटी १९२४ मेंबर भारत के रेलवों की सेंट्रल एडवाईजरी कमेटी। पता—मौंट प्लेजेन्ट डेडीसेटहिल. बम्बई।

फैजी, रहमान—आर्टिस जन्म १८८० वि० जंजीरा की बेगम साहवा

की बहन से, शि० स्कूल आफ रायल एकेडेमी आफ आर्ट्स, लन्दन, रायल एकेडेमी की वार्षिक प्रदर्शनियों में प्रदर्शक, पैरिस, लन्दन और अमरीका के मुख्य २ चित्रकला प्रदर्शनों में अपनी कला दिखाई। सन् १९२५ में नेशनल गैलरी आफ ब्रिटिश आर्ट में आप के बनाये हुये दो रंगीन चित्र (हाथ से बनाये हुये रंगीन चित्र) स्थायी संग्रह के लिये लिये गये, गायकवाड़ बड़ोदा के यहां आर्ट एडवाइजर अनेक वर्षों तक पता—ऐकने रिफायत मलावार रोड बम्बई ।

बजाज जमना लाल—जन्म कसीरकाबास जयपुर राज्य; १८८९, चेयरमैन स्वा० स० नागपुर कांग्रेस (१९२०) बरधा (C. P.) में मारवाड़ी शिक्षा मण्डल के संस्थापक; अखिल भारतीय मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के संचालक, खिलाफत और कांग्रेस के कार्यों में बहुतसा द्रव्य दान किया आल इंडिया कांग्रेस के खद्दर विभाग के मुख्य कार्य कर्ता पद पर नियुक्ति(१९२१) साबरमती सत्याग्रह आश्रम के ट्रस्टी; नमक कानून भंग में जेल यात्रा १९३० पता—वरधा (C. P.)

बटलर, सर मांटेग्यू शेरार्ड डविस—१९२५ से मध्य प्रान्त के गवर्नर; ज० १८७३; पंजाब में नौकरी की; १८९६–१९०९, इंडियन गवर्नमेंट के होम विभाग के डिप्टी सेक्रटरी; १९११; स्पेशल डियूटी में पबलिक सरविसेज की जांच करने वाले रायल कमीशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी १९१२-१५ सभापति पंजाब कौंसिल १९२१ इंडियन गवरमेंट के शिक्षा, स्वास्थ्य और भू विभाग के सेक्रेटरी, १९२२; सभापति कौंसिल आफ स्टेट १९२४, पता—गवरनर का कैम्प सी. पी. ।

बटलर, सर स्पेंसर हाईकोर्ट—चेयरमैन देशी राज्यों की जांच कमेटी १९२८, जन्म १८६९–इंडियन सिविल सरविस में नियुक्त गवरमेंट के फिनेशल सेक्रेटरी, कृषि विभाग के डायरेक्टर, लखनऊ में डिप्टी कमिश्नर, वाइसराय की कार्य कमेटी के सदस्य, बर्मा के ले० गवरनर १९१५–१७, ले० गवरनर और गवरनर युक्त प्रांत १९१८–२२; बरमा के गवरनर १९२३–२७ पता—C/o इंडिया आफिस लन्दन ।

बड़ौदा महाराजा गायकवाड़ सर सयाजीराव तृतीय—स्वर्गीय महाराजा बड़ोदा की विधवा द्वारा गोद लिये गये, १८७५, पूर्ण राज्याधिकार प्राप्त हुआ, १८८१, दो विवाह हुये, ३ लडके और १ लडकी राज्य में महाराजा ने अनेक सुधार किये हैं और राज्य प्रबन्ध उत्तम प्रकार से चलाने का आप का सर्वदा प्रयत्न रहा है । विदेशों में बहुत भ्रमण किया है भारतीय सामाजिक कानफेंस के सभापति १९०४ पता—बड़ोदा राज्य ।

बरौदा महारानी चिमनाबाई— अनेक गुण सम्पन्न महारानी, विवाह १८८५, प्रेसीडेन्ट अखिल भारतीय स्त्री कान्फ्रेंस १९२७, बहुत भ्रमण किया है रचना—भारत में स्त्रियों का स्थान पता—बरौदा।

बनर्जी, जितेन्द्रलाल— बङ्गाल कानून कौंसिल के मेम्बर, प्रोफेसर विद्यासागर कालेज कलकत्ता, ज० १८८२ रिपन कालेज कलकत्ता में अंग्रेजी के और कलकत्ता विद्यालय में ग्रेजुएट क्लासों के प्रोफेसर, कलकत्ता हाईकोर्ट में कई वर्षों तक वकालत की, असहयोग में वकालत छोड़ी १९२०, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेम्बर १९२१, राज विद्रोह के दोष पर २ वर्ष की सख्त कैद १९२१ में और १९२३ में जेल से छूटे, सिन्ध विद्यार्थी सम्मेलन के सभापति १९२५. पता—कार्न वालिस स्ट्रीट कलकत्ता।

बनर्जी, सर एलबियन राज कुमार— दीवान काश्मीर, ज० बृस्टल में १८७१, स्व० सर कृष्णगुप्त की कन्या से विवाह १८९८, शि० कलकत्ता विश्व विद्यालय और आक्स फोर्ड. आई. सी. एस. में नियुक्ति १८९५, कोचीन के दीवान १९०७–१४, कलक्टर कुडापा, मेम्बर एक्जीक्यूटिव कौंसिल मैसूर राज्य १९१६, आई. सी. एस. से रिटायर हो कर मैसूर के दीवान १९२२–२६, काश्मीर में नियुक्ति १९२७–२९, पता—श्रीनगर काश्मीर।

बर्दवान, महाराजा धिराज बहादुर सर विजयचन्द्र महताब— ज० १८८१. वि० लाहौर की राधारानी (लेडी महताब) के साथ १८९७, दो पुत्र दो कन्यायें, मेम्बर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल १९०९–१२, बङ्गाल कौंसिल १९०७–०८, मेम्बर बङ्गाल कार्यकारिणी कौंसिल १९१९–२४ मेम्बर इंडियन रिफार्म जांच कमेटी १९२४, करों की जांच करने वाली कमेटी १९२४–२५, एम्पायर कांफ्रेंस में प्रतिनिधि १९२७, रचना विजयगीतिका और अन्य कितने ही बंगला काव्य और नाटक. पता—बर्दवान।

वाजपेई, गिरिजाशंकर— डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट आफ इंडिया, जन्म १८९१, इंडियन सिविल सर्विस में नियुक्ति १९१५, राइट आनरेबल श्री० श्रीनिवास शास्त्री के प्राइवेट सेक्रेटरी और भारत के सेक्रटरी इम्पीरियल कांफ्रेंस में १९२१ व वाशिंगटन की निरस्त्रीकरण कांफ्रेंस में १९२१–२२, केनडा. आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारतीय अधिवासियों की स्थिति जांच करने वाले डेपुटेशन मे १९२२, दक्षिणी अफ्रीका के भारतीय डेपुटेशन के सेक्रटरी १९२५–२६. पता—पेटलैंड, शिमला या देहली।

बेदार, भगवती सहाय— ज० १८९३, शि० सीनियर केम्ब्रिज, असहयोग में प्रवेश १९२१, जेल एक

साल, मेंबर संयुक्तप्रान्त कौंसिल १९२३ से कांग्रेस आज्ञानुसार त्याग पत्र १९३० सम्पादक 'बेदार' पुस्तक. सरमद शहीद पता—शाहजहांपुर ।

बेनीप्रसाद, प्रोफेसर—जन्म १९ फरवरी १८९४; शिक्षा कानपुर इलाहाबाद, और लन्दन, एम. ए. इलाहाबाद; संस्कृत मध्यमा क्वीन्स कालेज बनारस; रिसर्च स्कालर इंडियन हिस्टरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी; लंदन यूनिवर्सिटी की पी. एच. डी., और डी. एस. सी. की उपाधियां प्राप्त, इंडियन हिस्टरी के लेकचरर (१९१८–२४) और रीडर राजनीति तथा समाज विज्ञान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी (१९२५ से), हिन्दी भाषा के उत्कृष्ट लेखक. अनेक समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित होते हैं (सत्येन्द्र और सत्यशोधक उपनाम से) पुस्तकें हिस्टरी आफ जहांगीर, थियरी आफ गवरमेंट इन एनशियेंट इंडिया स्टेट इन एनशियन्ट इंडिया. प्राबलेम आफ दी इंडियन कान्सटीटयूशन. पता—इलाहाबाद ।

बेलवी, दत्तात्रेय व्यंकटेश—लो० टिलक के साथी, रिस्पांसिविस्ट, शि० बी. ए. एल-एल. बी. असहयोग में वकालत का त्याग, स्वागताध्यक्ष बेलगांव कांग्रेस (१९२५), मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली, पता—बेलगांव ।

ब्र, डेनीस डी सावमैरिज—गवर्नमेंट आफ इंडिया के परराष्ट्र विभाग के सेक्रटरी; ज० १८७५, शि० स्टेट गार्ट, ब्लंडल्स, बेलिगोल; आक्सफर्ड मेंबर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल १९१८–१९. मेंबर कौंसिल आफ स्टेट १९२१. मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली १९२२–२७, पता—देहली ।

ब्रेलवी, सैयद अब्दुल्ला—एम. ए., एल-एल. बी, सम्पादक—'बांबे क्रानिकल' ज० १८९१ एलफिंस्टन कालेज से बी. ए. १९१०; एम. ए. १९११, फेलो एलफिंस्टन कालेज १९१०–११; 'बांबे क्रानिकल' के सम्पादकीय विभाग में अग्र लेख लेखक १९१५ जूनियर असिस्टैन्ट एडिटर १९१७; सीनियर असिस्टैन्ट १९१८; स्थानापन्न संपादक का कार्य किया. श्री० बी. जी. हार्नीमैन के देशनिर्वासन पर अप्रैल १९१९ से सितंबर १९२० तक । 'सोशल सर्विस क्वार्टरली' के सम्पादकीय कमेटी के सदस्य । पता—'बांबे क्रानिकल' बम्बई ।

बेसेन्ट, एनी डा०—प्रेसीडेंट थियोसोफिकल सोसाइटी और संपादिका न्यू इंडिया । ज० १८४७; १ अक्टोबर स्वर्गीय पादरी फ्रैंक बेसेन्ट से विवाह १८६७, कानूनन उनसे पृथक हुई १८७३; नेशनल सेकुलर सोसाइटी में सम्मिलित हुई, १८७४; चार्ल्स ब्राडला के चलाये हुये स्वतंत्र विचार और तत्व ज्ञान के प्रचार में कार्य किया । फेबियन सोसाइटी की सदस्या हुई; थियोसोफिकल सोसाइटी में प्रवेश, १८८९ और उसकी

अधिष्ठा भी १९०७। बनारस हिन्दू कालेज की स्थापक १८९८, गर्ल्स स्कूल की स्थापक १९०४, भारत रक्षा कानून से नजरबन्द १९१७, राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिष्ठात्री १९१७; इंडियन नेशनल कन्वेशन के सेक्रटरी, राष्ट्रीय शिक्षा के लिये अत्यन्त प्रयत्न किया। बनारस विश्वविद्यालय से आनरेरी डी. एल. १९२१. धर्म और राजनीति में अनेक पुस्तकों की लेखिका. पता—अडयार मद्रास।

बेपटिस्टा, जोसेफ—बैरिस्टर ज० १८६४, शि० सेंट मैरी स्कूल बम्बई; साइन्स कालेज पूना, केम्ब्रिज विश्व-विद्यालय; स्व० लो० तिलक के सहकारी और कई प्रसिद्ध राजनैतिक मुकदमों में सलाहकार, सभापति महाराष्ट्र होमरूल लीग १९१८; प्रथम इण्डियन होमरूल लीग के प्रतिनिधि होकर इङ्गलैण्ड गये पार्लियामेंट के चुनाव में खड़े हुये १९१८, मजदूर कांफ्रेंस जेनेवा में प्रति-निधि १९२४, बम्बई कारपोरेशन के प्रेसीडेंट १९२५; मेंबर बड़ी व्यवस्थापिका सभा १९२५, समुद्र में काम करने वालों के यूनियन के सभापति, रचना—संसार के व्यापारिक कानून (कमर्शल लाज आफ दी वरल्ड) पता—बम्बई।

बोस, सर जगदीश चन्द्—प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जिनकी पौधों और वनस्पतियों के जीव तत्व सम्बन्धी सन्धान और आविष्कार से सारा संसार चकित हो उठा है। ज० १८५८; शिक्षा कलकत्ता और केम्ब्रिज विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर प्रेसीडेन्सी कालेज कलकत्ता; प्रतिनिधि इंटरनेशनल वैज्ञानिक कांग्रेस पैरिस; योरोप और अमरीका जाने वाले डेपूटेशन के वैज्ञानिक सदस्य लीग आफ नेशनल के मानसिक बिचारों की प्रगति में सहयोग करने वाली समिति के मेंबर; बोस रिसर्च इन्स्टीट्यूट की स्थापना की १९१६, रच-नायें सजीव और निर्जीव का भेद, जीव तत्व सम्बन्धी अनुसन्धान में पौधों का स्थान; विद्युत शक्ति का जीव तत्व में योग आदि। पता—बोस इन्स्टीट्यूट कलकत्ता।

बोस, सुभाषचन्द्र — सदस्य बङ्गाल कानून कौंसिल; ज० १८९७, शि० कलकत्ता केम्ब्रिज, इण्डियन शि० सरविस में नियुक्ति १९२१ में त्याग और असहयोग आन्दोलन में शामिल होना, मैनेजर फारवर्ड कलकत्ता १९२२-२४, मेम्बर कलकत्ता कारपोरेशन १९२४ चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर कलकत्ता कारपोरेशन १९२४, बङ्गाल रेगुलेशन सन् १८१८ के अनुसार गिरफ्तारी, बङ्गाल कौंसिल के मेम्बर चुने गये १९२६ रिहाई १९२७; मनोरंजन अध्ययन और टैनिस. लाहौर कांग्रेस की आज्ञा-नुसार कौंसिल मेम्बरी से त्याग पत्र; १२४ ए धारानुसार जेल यात्रा १९३०, बङ्गाल युवक संघों के प्रमुख कार्य कर्ता

कलकत्ता कांग्रेस १९२८; कमांडर वालिंटियर कूप पता—३८।२ एलजिन रोड कलकत्ता।

भगवानदास, बाबू—शि. एम. ए. (कलकत्ता) ज० १८६९; बी. ए. १८८५ और १८८७; गवर्नमेंट नौकरी में तहसीलदार १८९०, पद त्याग १८९९ में सेन्ट्रल हिन्दू कालेज बनारस की सेवा के लिये, उक्त कालेज के बोर्ड आफ ट्रस्टीज के सेक्रेटरी १८९९–१९१४, प्रिंसिपल काशी विद्यापीठ १९२१, प्रान्तीय राजनैतिक कांफ्रेंस के सभापति १९२०, एकादश अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति १९२१, राजनैतिक कैदी १५ दि० १९२१ से १९ जन० १९२२ तक। हिन्दु युनिवर्सिटी से Hon. D. L की उपाधि १९२८; अनेक पुस्तकें और पत्रिकाओं के लेखक, भारतीय तत्वज्ञान आदि पर जिनमें से अधिकांश का अनुवाद कितनी ही विदेशी भाषाओं में हुआ है। पता—सेवाश्रम; सिगरा बनारस।

भार्गव, दुलारेलाल—हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध लेखक "माधुरी" पत्रिका के जन्म दाता तथा सम्पादक (१९२२). "माधुरी" से पृथक होकर 'सुधा' प्रारम्भ की, गङ्गा पुस्तकमाला के संचालक, पता—लखनऊ।

भार्गव, भगवन्नारायण—बी. ए. हिन्दी के अच्छे कवि तथा लेखक, मेम्बर, लेजिसलेटिव कौंसिल यू. पी. स्वराजिस्ट, ६ साल से ज्यादा समय तक, दो मर्तबा १९३० में त्याग-पत्र पहले कांग्रेस आज्ञानुसार बाद में महात्मा गांधी के पकड़े जाने के विरोध में पता—झांसी।

भोर, जोसेफ बिलियम—सुधार सम्बन्धी रायल कमीशन के सेक्रेटरी, ज० नासिक, १८७८; शि० डेकन कालेज पूना, यूनिवर्सिटी कालेज लंडन; अंडर सेक्रेटरी मद्रास गवर्नमेंट १९१०; दीवान कोचीन राज्य, १९१४–१९; डिप्टी डायरेक्टर सिविल सपलाइज, १९१९; भारतीय हाई कमिश्नर के सेक्रेटरी, १९२२–२३; गवर्नमेंट आफ इण्डिया के सेक्रेटरी, १९२४; वाइसराय की कार्य कारिणी कौंसिल के अस्थाई सदस्य, १९२६–२७ पता—६ रायसीना दिल्ली।

मनोहर लाल—वार-एट-ला, पञ्जाब सरकार के एजूकेशन मिनिस्टर ज० १८७९, शि० लाहौर व केम्ब्रिज, कावडेन पारितोषिक प्राप्त, कुछ दिनों तक मिंटो प्रोफेसर कलकत्ता युनिवर्सिटी ट्रिस्ट्री, ट्रिब्यूनटस्ट लाहौर, पता—लाहौर।

महेन्द्रप्रताप सिंह, राजा—दानवीर तथा देश सेवक, ज० अगहन सुदी ५ सम्वत १९४३ पिता का नाम राजा घनश्यामसिंह जन्म स्थान मुरसान हाथरस के राजा हरनारायणसिंह के दत्तक पुत्र ९ वर्ष की अवस्था में पिता का देहान्त रियासत कोर्ट आफ वार्डस

हुई, शि० बी. ए. तक, सन १९०३ में सपत्नीक यूरोप यात्रा सं० १९०९ में प्रेम महा विद्यालय की स्थापना और ३३७०० रु० सालाना की जायदाद तथा महलों का दान देना गुरुकुल वृन्दावन (आर्य सामाज) को १५००० रु० की जमीन दी (अक्टूबर ९११), प्रेम तथा निर्बल सेवक पत्र' का सम्पादन, दूसरी यूरोप यात्रा १९१२, तीसरी यूरोप यात्रा १९१४ से। उस समय से स्विटजरलैंड जर्मनी, फ्रांस, टर्की, रूस अफगानिस्तान इत्यादि देश में रह कर भारतीय स्वतंत्रता के लिये कार्य कर रहे हैं अभी तक वे भारत के बाहर हैं।

महमूदाबाद, महाराजा, सर महमदअली, महमद खान—ज० १८७७ ज० मेंबर कौंसिल आफ स्टेट, होम मेम्बर, यू. पी. गवर्नमेन्ट १९२१–२७ प्रेसीडेंट मुसलिम लीग १९१८; वाइस चांसलर अलीगढ यूनिवर्सिटी, सेक्रेटरी लखनऊ यूनिवर्सिटी कलेक्शन कमेटी प्रेसीडेंट, आल इंडिया एज्यूकेशनल कमेटी, कट्टर नेशनेलिस्ट पता—केसर बाग लखनऊ।

मास्टर मनहर जी, बर्वे—संगीत विद्या में निपुण संगीत सम्राट की उपाधि अनेक प्रकार के बाजों को बजाते हैं, हिन्दुस्तान की १० या १२ भाषा में गाना जानते हैं हिन्दुस्तान के बाहर भी आप घूमे हैं, कई सुवर्ण व रौप्य पदक पाये।

माखन लाल, चतुर्वेदी—प्रसिद्ध देश भक्त तथा हिन्दी के उत्तम लेखक असहयोग में कार्य तथा जेलयात्रा सम्पादक 'कर्मवीर' पता—खंडवा।

माधव राव वी० पी०—ज० फरबरी १८५०, मैसूर संस्थान में ३५ साल तक प्रमुख जगहों पर नौकरी मेंबर कौंसिल आफ रिजली १८९८ से १९०२ दीवान त्रावणकोर १९०४ से १९०६ दीवान मैसूर १९०६ से १९०९ दीवान बरोदा १९१४ से १९१६ कई कांफ्रेंसों के प्रेसीडेन्ट कांग्रेस के डेप्यूटेशन पर इंगलैण्ड को गये प्रेसीडेन्ट प्रथम करनाटक कान्फ्रेन्स धारवार १९२० पता—'पाहन भवन' बंगलोर।

मालवीय, पंडित मदनमोहन—मेंबर लेजिस्लेटिव एसेम्बली ज० २५ दि० १८६१: शि० म्योर सेन्ट्रल कालेज इलाहाबाद ग्रेज्युएट १८८४–१८८७ तक गवर्नमेन्ट हाईस्कूल में शिक्षक; "हिन्दुस्थान" और "इंडियन यूनियन" के एडीटर एल. एल. बी. १८९१, हाईकोर्ट वकील १८९३; मेंबर प्रांतिक लेजिसलेटिव कौंसिल १९०२-१२ प्रेसीडेंट यू. पी. राजनैतिक परिषद् १९०८ प्रेसीडेंट इंडियन नैशनल कांग्रेस १९०९ और १९१८ मेंबर इंपीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल १९१०–१९; रौलिट कानून की वजह से इस्तीफा दिया मेंबर इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन १९१६–१९: मायरिनाटी रिपोर्ट लिखी;

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक और १९१९ से वाइस चंसलर, मालिक 'हिन्दुस्तान टाइम्स' प्रेसीडेन्ट सेवा समिति प्रयाग चीफ स्काउट, सेवासमिति स्काउटस एसोसियेशन, प्रेसीडेन्ट हिन्दू महा सभा १९२३-२४. मेंबर लेजि० एसेम्बली १९२४ से लीडर आफ औपोजिशन, टैरिफ बिल के विरोध में त्यागपत्र १९३०. विदेशी कपड़े के बहिष्कार करने के लिये देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। पता—बनारस।

मिश्र, रामनरायण,—बी. ए. (इलाहाबाद) ज० १८९५, प्रधान अध्यापक कान्यकुब्ज हाईस्कूल लखनऊ भूगोल अध्यापक देव-नागरी स्कूल मेरठ सम्पादक 'भूगोल' तथा अध्यापक ई. सी. कालेज प्रयाग।

मिश्र, रामप्रसाद,—हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक ज० १९४६ सम्वत 'जीवन' (१९१०-१२) उत्साह (१९१७) कान्यकुब्ज हितकारी आदि के सम्पादक उपसम्पादक 'सरस्वती' (१९०९); कांग्रेस में प्रवेश १९०६; असहयोग में प्रमुख कार्यकर्ता प्रान्तीय तथा अखिल भारतवर्षीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य अनेक वर्षों तक मेम्बर म्युनि० बोर्ड १९२३-२६ पता—कानपुर।

मिश्र, पं० श्यामबिहारी—ज० सं० १९३० शि० एम. ए. यह स्वयं और इनके बन्धु पं० शुकदेव बिहारी मिश्र कविता तथा पुस्तक मिश्र बन्धु के नाम से प्रकाशित करते हैं हिंदी संसार में सुपरिचित प्रसिद्ध समालोचक तथा उत्कृष्ट कवि हैं पुस्तकें—हिन्दी नवरत्न मिश्रबन्धु विनोद भारत का प्राचीन इतिहास भूषण ग्रन्थावली आदि पता—दीवान टीकमगढ़ स्टेट टीकमगढ़।

मिश्र, पं० शुकदेव बिहारी—ज० १९३५ शि० बी. ए. हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध लेखक. पता—दीवान छतरपुर बुन्देलखण्ड।

मिश्र, हरकरण नाथ—ज० १६ जुलाई १८९० ई० शि० बी. ए. केम्ब्रिज एल. एल. बी. बार-एट-ला (१९१४) असहयोग में प्रवेश १९२१ जेलयात्रा नवम्बर १९२१ ज्वाइन्ट एडीटर 'अवध ला जर्नल'; सीनियर वाइस चेयरमैन (१९२३-२५) एम. एल. ए. (१९२३-२६); डायरेक्टर 'इंडिपेन्डेंस' मेम्बर प्रान्तीय तथा आल इंडिया कांग्रेस कमेटी; पता—लखनऊ।

मित्र, सर भूपेन्द्रनाथ—१९२४ से मेंबर वाइसराय कौंसिल; ज० अक्टूबर १८७५; शि० मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूशन; हेयर स्कूल व प्रेसीडेन्सी कालेज; कलकत्ता १८९६ से मिनिस्ट्रीयल स्थानों पर काम किया १९१५ में एनरोल्ड लिस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट में नियुक्ति; असिस्टेंट सेक्रेटरी १९१९; रायल कमीशन आन इण्डियन फाइनेंस एंड करेन्सी के साथ जून से सितम्बर

१९१३ तक स्पेशल ड्यूटी; मई १९१५ से कन्ट्रोल आफ वार एकौंटस की हैसियत से डेपूटेशन पर ओ. बी. ई. १९१७ मिलिटरी एकौंटट जनरल १९१९; मिलिटरी फाइनेंस शाखा के अस्थाई सरकारी एडवाइजर मई १९२०; स्थाई हुये, मई १९२२; स्थाई फाइनेंस मेंबर मार्च से जून १९२५ तक. पता—दिल्ली व शिमला।

मित्र, सर सत्येन्द्र चन्द्र—मेंबर लेजिसलेटिव असेम्बली, जन्म १८८८; शि० कलकत्ता यूनिवर्सिटी; वकील कलकत्ता हाइकोर्ट, सेक्रेटरी बङ्गाल प्रान्तिक स्वराज्य पार्टी १९२४; मेंबर ए. आई. सी. सी. १९२०-२७; मेंबर बङ्गाल लेजिसलेटिव कौंसिल १९२३-२६; डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार नजरकैद १९१६-१९; असहयोग में वकालत छोड़ी १९२१; रेगुलेशन तीसरा १८१८ के अनुसार कैद १९२४-२७; जेल में ही एसेम्बली के लिये निर्वाचित हुये. पता—नोआखाली बङ्गाल.

मीर, सैयद अमीर अली—हिन्दी भाषा के उत्कृष्ट कवि; ज० सं० १९३०; ब्रज भाषा के प्रेमी, इन्स्पेक्टर आफ पुलिस उदयपुर, लेखक—बूढ़े का विवाह; बच्चे का विवाह; नीति दर्पण की भाषा टीका, काव्य संग्रह आदि पता—देवरी जिला सागर।

मुकुन्दी लाल—बार-एट-ला; मेंबर यू. पी. लेजिसलेटिव कौंसिल, ज० १८९०, शि० इलाहाबाद, बनारस व कलकत्ता; और क्राइस्ट चर्च, आक्सफोर्ड बैरिस्टर ग्रेज-इन १९१८, एडवोकेट इलाहाबाद हाईकोर्ट; यू. पी. लेजिस० कौंसिल में गढ़वाल के मेंबर १९२३-२६, हिन्दी व अंग्रेजी अखबारों में लेखक, मेंबर स्वराज्य पार्टी, पता—देहरादून; लैंसडाउन, जिला गढ़वाल यू. पी.

मुकर्जी. प्रो० राधाकुमुद—ज० २५ जनवरी १८८४, डबल एम. ए. कलकत्ता (१९०१-१९०२), दो बड़े मेडल प्राप्त, प्रेमचन्द रायचन्द स्कालर (रु० ७०००) और मेडल 'विद्यावैभव' उपाधि (धर्म महा मंडल काशी) बड़ौदा राज्य से रु० ७००० का पारितोषिक 'इतिहास' के लिये मिले, 'इतिहास शिरोमणि' बड़ौदा सरकार; कलकत्ता यूनिवर्सिटी, रीडर (१९२५) हिन्दू यूनिवर्सिटी में सर मणीन्द्रचन्द्र नन्दी लेकचरर मैसूर यूनिवर्सिटी लेकचरर १९१८-२०, इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, यूनिवर्सिटियों की अनेक सभाओं के सदस्य, नैशनल कौंसिल आफ एजूकेशन बङ्गाल, प्रोफेसर और मुख्य इतिहास विभाग लेखक हिस्टरी आफ इण्डियन शिपिंग, फन्डामेन्टल यूनिटी आफ इंडिया, लोकल गवर्नमेंट इन एनशियेन्ट इण्डिया, नैशनलिज्म इन एनशियेन्ट इन्डिया, हर्ष आदि पता—लखनऊ।

मुकर्जी, सतीशचन्द्र—वकील कलकत्ता; मेम्बर बंगाल लेजि० कौंसिल ज० १८७२; एम. ए. बी. एल. कलकत्ता यूनिवर्सिटी; प्रेसीडेंट इंडियन क्रिश्चन परिषद् १९२१; प्रेसीडेंट राष्ट्रीय क्रिश्चन कौंसिल हिन्दुस्तान; वर्मा व सीलोन; १९१८; प्रेसीडेन्ट बंगाल क्रिश्चन फेमिली प्रेशन फन्ड; पता—६ मुलेन स्ट्रीट; कलकत्ता।

मुन्शी; कन्हैयालाल मणिकलाल—एडवोकेट बंबई हाईकोर्ट व मेम्बर बबई लेजि० कौंसिल; ज० १८८७; भड़ोंच में; शि० वड़ोदा कालेज; मेंबर बम्बई यूनिवर्सिटी सेनेट; एडीटर 'यंग इडिया' १९१५; एडीटर "दी गुजरात" गुजराती सचित्र मासिक; प्रेसीडेन्ट साहित्य संसद बंबई चंदरोज सेक्रेटरी बंबई होमरूल लीग; कई गुजराती उपन्यास लिखे; पता—नेपियन सी रीड बंबई।

मेमन, सी गोपाल—मेंबर लेजिसलेटिव कौंसिल; मद्रास; ज० १८७५, कई सालों तक मद्रास महाजन सभा के प्रेसीडेन्ट, सेक्रेटरी. साऊथ इंडिया चेंबर आफ कामर्स अमण यूरुप अन्य व्यापारिक विषय पर छोटी किताबें पता—२४ पथियान रोड, एगमोर, मद्रास।

मेहता, जमनादास माधव जी बैरिस्टर, लेजिसलेटिव एसेम्बली १९२३-२९ से, ज० जामनगर में १८८४, वाइस प्रेसीडेन्ट लन्डन इंडियन एसोशियेसन १९१४, मेंबर बंबई कारपोरेशन १९२२, एडीटर "राष्ट्र सेवक"। पता—नेपियनसी रोड बम्बई।

मेहता, जमशेद एन आर—प्रेसीडेन्ट, करार्ची म्युनिसपेलटी १९२२–२९ ज० ७ जनवरी १८८६, तेरा साल उमर में मेट्रिक हो कर दावर कालेज आफ कामर्स बम्बई में भरती हुए, होमरूल आंदोलन (१९१६) में शामिल हुए; प्रेसीडेंट सिंध प्रविनशियल कान्फ्रेंस १९१८, सिंध नेशनल कालेज का प्रमुख संचालक व सहायक, 'पारसी पंचायत वाडी' के संचालक, मेम्बर एक्साइज कमेटी, मेंबर करांची पोर्टट्रस्ट, डिवीजनल सेक्रटरी, आर्डर आफ दी स्टार वाईस चेयरमेन,—करांची रिपोर्ट ट्रस्ट १९२९ पता—कंप, करांची।

मेहता, लज्जाराम शर्मा—जन्म कु० २ संवत १९२०, हिंदी भाषा के उच्च कोटी के लेखक; श्री वेंकटेश्वर 'समाचार' के अनेक वर्षों तक सम्पादक 'धूर्त रसिकलाल' 'हिन्दू ग्रहस्थ' आदि अनेक पुस्तकें, पता—बम्बई।

मेहता, सर चुन्नीलाल विजभूकनदास—फाइनेन्स मेम्बर गवरमेंट आफ बम्बई और लीडर आफ हाउस १९२४ से ज० १८८१. शि० सेंटजेवियर कालेज बम्बई, बम्बई म्युनिसपिल

कारपोरेशन के सदस्य, प्रेसीडेंट म्यूनिसपिल कारपोरेशन १९१६; मेंबर बम्बई लेजिसलेटिव कौंसिल १९१६; चेयरमैन इंडियन मर्चेन्टस मेंबर १९१८, मिनिस्टर बंबई गवरमेंट १९२१—२३; प्रमुख मिल मालिक व्यापारी और जाइन्ट स्टाक कम्पनी के डायरेक्टर; मेंबर एक्जीक्यूटिव कौंसिल बंबई १९२३-२८; पता—रिजरोड बम्बई।

मेहता, सर लल्लूभाई सामलदास, ज० १८६२, सामल दास परमानन्ददास दीवान भावनगर के पुत्र, शि० भावनगर हाईस्कूल एल्फिन्सटन कालेज सामलदास भावनगर स्टेट सर्विस में नियुक्ति १८८१, महाराजा के अंडर सेक्रेटरी, १५ साल तक रेविन्यू कमिश्नर १८९९ में स्तीफा देकर बंबई में ग्यारंटी ब्रोकर के धंदे का आरम्भ, बंबई सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक, बैंक आफ इण्डिया बैन्क आफ बड़ोदा, इंडियन सीमेंट कंपनी और दो हायन्डो इलेक्ट्रिक कंपनियों के निर्माण में मदद की. मेंबर बंबई कौंसिल मेंबर कौंसिल आफ स्टेट १९२०; कराची औद्योगिक परिषद् के प्रेसीडेन्ट १९१३, मेंबर मेकलेगन कोआपरेटिव कमेटी १९१४—१५ प्रेसीडेन्ट मैसूर कोआपरेटिव कान्फ्रेंस १९१५; चेयरमैन मैसूर कोआपरेटिव कमेटी १९२१—२३; मेंबर सेनेट बम्बई युनिवर्सिटी १९१८ से, प्रेसीडेन्ट इण्डियन मर्चेन्ट्स चेंबर १९१७—१८, मेंबर इंडियन मर्केंटाइल मेरीन कमेटी १९२३—२४, ऐक्टिंग मेंबर बंबई एक्जीक्यूटिव कौंसिल १९२६, पता—१५ अपोलो स्ट्रीट बम्बई।

मोतीचन्द, राजा—ताल्लुकेदार बैंकर व मिलओनर, ज० १८७६; बनारस मेंबर कौंसिल आफ स्टेट, चेयरमैन सरकारी वीविंग इन्सटीट्यूट बनारस, चेयरमैन दी बनारस बैङ्क कंपनी, चेयरमैन बोर्ड आफ डायरेक्टर्स काटन एंड सिल्क मिल्स लि०, मेंबर कोर्ट एन्ड कौंसिल व खजानची बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी; मेंबर लखनऊ यूनिवर्सिटी व दीगर गैर सरकारी संस्थायें। पता—बनारस,

मोहनलाल महतो;—साहित्यालंकार, कविरत्न, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, गया की हिंदी साहित्य सभा के उपसभापति; लेखों के लिये माधुरी सुवर्णपदक तथा भिन्न २ सभाओं से पदक प्राप्त किये, पुस्तकें—निर्माल्य, एकतारा उत्सर्ग, आदि; पता—गया।

मोहनलाल, सकसेना—ज० २४ अक्टूबर १८९१, बी. ए. एल. एल. बी., यू. पी. कौंसिल के मेंबर, (१९२३—२६), चीफ व्हिपस्वराज्य पार्टी (१९२३—२६); जेल यात्रा (१९२१) व (सितम्बर १९२३); मन्त्री नगर कांग्रेस कमेटी, लखनऊ नमक के कानून में जेलयात्रा १९३० पता—लखनऊ।

मोहानी, हसरत—आल इंडिया मुसलिम लीग के भूतपूर्व प्रेसीडेंट, १९०३ में ग्रेजुएट होनेपर 'उर्दू-ए-मुअल्ला'

नाम का उर्दू पत्र निकाला व कांग्रेस में प्रवेश किया, राजद्रोह में दो साल की सख्त कैद व ५०० रुपये जुर्माना १९०८, जुर्माना देने से इनकार करने पर पुलिस ने उनकी लायब्रेरी में से हजारों रुपयों की किताबें जप्त कर ली छूटने पर स्वदेशी स्टोर्स खोला 'तजकराय शुअरा' त्रैमासिक निकाला; दुबारा कैद छूटने पर फिर देश सेवा में मग्न, प्रेसीडेन्ट मुस्लिम लीग १९२१; फिर कैद १९२२, पता—कानपुर।

रत्नाकर, जगन्नाथप्रसाद—जन्म भाद्रपद शु० ५ संवत १९२३ शि० बी. ए. व्रज भाषा के सर्वमान्य कवि, हिन्दी संसार में सुपरिचित लेखक, गंगावतरण काव्य पर हिंदुस्थानी एकाडेमी और काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सर्व प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ;-पुस्तकें-हिन्डोला; साहित्य रत्नाकर; समालोचनादर्श; घनाक्षिरी नियम रत्नाकर आदि पता—इलाहाबाद।

रशब्रुक विलियम्स, एल फ्रेडरिक—फारिन मिनिस्टर पटियाला स्टेट; ज० १८९१; शि० यूनिवर्सिटी कालेज आक्सफर्ड; पेरिस व वेनिस व रोम में अभ्यास; ट्रिनिटी कालेज आक्सफर्ड में लेकचरार; १९१२; केनेडा व यूनाइटेड स्टेटस में प्रवास १९१३; फेलो आफ आल सोल्स १९१४; जनरल स्टाफ आर्मी हेडक्वार्टर्स इंडिया में नियुक्त १९१६; प्रोफेसर; इलाहाबाद यूनिवर्सिटी १९१५-१९; प्रिंस आफ वेल्स के हिंदुस्तान भ्रमण के सरकारी इतिहासकार १९२१-२२; सेक्रेटरी; इंडियन डेलीगेशन इम्पीरियल कान्फ्रेंस १९२३; १९२५ तक हिन्दुस्तान सरकार के डायरेक्टर आफ पब्लिक इनफारमेशन सरकार की ओर से अनेक पुस्तकें लिखी पता—पटियाला।

रहीम, सर अब्दुर—जन्म १८६७ शि० प्रेसीडेंसी कालेज कलकत्ता मिडल टेंपल एड्वोकेट कलकत्ता १८९० प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट कलकत्ता १९००-०३ कई साल तक जज मद्रास हाई कोर्ट अस्थाई चीफ जस्टिस मेंबर रायल कमीशन आन पब्लिक सर्विसेस १९१३-१५ बंगाल सरकार के एक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर रहे पता—कलकत्ता।

रहीमतुल्ला, सर इब्राहीम—जन्म १८६२ मेम्बर एक्जीक्यूटिव कौंसिल बम्बई सरकार इंपीरियल ले० कौंसिल के मेम्बर प्रेसीडेंट बम्बई लेजि० कौंसिल १९२३ पता—पेडर रोड कम्बाला हिल बम्बई।

रंगाचारियर; दीवान बहादुर तिरुवेंकटा—मेंबर लेजि० एसेम्बली वकील हाइकोर्ट मद्रास ज० १८६५ ३ साल स्कूल मास्टर वकील हाईकोर्ट मद्रास १८९१ प्रोफेसर ला कालेज १८९८-१९०० मेंबर मद्रास कारपोरेशन १९०० से मेंबर मद्रास लेजिस्लेटिव

कौंसिल १९१६–१९, मेंबर इण्डियन वार कमेटी, मर्कैंटाइल मेरीन कमेटी, ईशर कमेटी, डिपुटी प्रेसीडेन्ट लेजिसलेटिव एसेम्बली में रहे, मेंबर इण्डियन कोलनीज कमेटी. कलोनियल आफिस लंडन को डेपूटेशन पर गये, प्रेसीडेन्ट "टेलीग्राफ" कमेटी १९२१, मेंबर फ्रान्टियर कमेटी, प्रेसीडेन्ट इण्डियन सिनेमा इन्क्वायरी कमेटी १९२८, चैयरमैन मद्रास पबलिक सिटी बोर्ड, पता—रिथरडन हाउस वेपेरी मद्रास।

राजा, गोपालाचार्य चक्रवर्ती वकील हाइकोर्ट मद्रास, ज० १८७९, शि० सेंट्रल कालेज बङ्गलौर, व ला कालेज मद्रास, सालेम में वकालत की, चेयरमैन सालेम म्यूनिसिपैलटी १९१७-१९, असहयोग में वकालत छोड़ी १९२० बेलोर में कैद १९२१; महात्मा गान्धी के कारावास के समय सम्पादक "यङ्ग इण्डिया" असहयोग के जमाने में सविनय आज्ञा भङ्ग की हलचल हाथ में लेने से फ्रीमैसन सोसायटी ने अलग किया. सविनय आज्ञा भङ्ग कमेटी के मेंबर की हैसयत से कौंसिल बहिष्कार कायम रखने की राय दी. स्वर्गीय देश बन्धु सी. आर. दास के खिलाफ गया कांग्रेस में कट्टर असहयोगियों के नेता १९२२. इस वक्त डायरेक्टर गान्धी आश्रम. पता—ट्रिचगोडू जिला सालेम.

राजेन्द्रप्रसाद—ज० १८८४ कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मेट्रिक्यूलेशन में प्रथम एम. ए. १९०७. एम. एल. १९१५. मेंबर सिंडिकेट पटना यूनिवर्सिटी लेकिन असहयोग में इस्तीफा दिया व वकालत भी छोड़ी प्रेसीडेन्ट बिहार छात्र परिषद. कुछ दिन जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय महा सभा. चम्पारन में महात्मा गान्धी के साथ काम किया. पता—खद्दर डिपो बङ्कीपुर, पोष्ट आफिस पटना।

रामपालसिंह, राजा सर—ताल्लुकेदार कुरी सुदौली राज रायबरेली ज० १८६७. शि० एम. ए. ओ० कालेज अलीगढ़. यू. पी. लेजिस० कौंसिल के कई साल तक मेंबर. मेंबर इम्पीरियल लेजिस० कौंसिल. दो बार नियोजित मेंबर कौंसिल आफ स्टेट. प्रेसीडेन्ट अखिल भारतीय शुद्धि सभा. वाइस प्रेसीडेन्ट अखिल भारतीय हिन्दू महा सभा. डायरेक्टर इलाहाबाद बैङ्क लि० फेलो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. कई धर्मादाव संस्थाओं के प्रेसीडेन्ट. पता—कुरी सुदौली राज जिला रायबरेली अवध।

रामजी, सर मनमोहनदास—मिल मालिक व मेंबर कौंसिल आफ स्टेट. ज० १८५१, इंडियन मर्चेंट्स चेम्बर के संस्थापक व प्रेसीडेन्ट १९०७–१३. फिर १९२४ में, बांबे नेटव पीस गुड्स मर्चेंट्स असोसियेशन के ३० साल से ऊपर प्रेसीडेन्ट. कई साल तक ट्रस्टी बांबे पोर्ट ट्रस्ट. मेंबर

बंबे लेजिस० कौंसिल १९१०–२०, मेंबर लेजिस० असेम्बली १९२१–२३, १९ साल तक मेंबर बंबे कारपोरेशन व प्रेसीडेण्ट १९१२–१३, पता—रिजरोड, मलाबार हिल बंबे।

रामदास गौड़, प्रो०—शिक्षा एम. ए., बनारस यूनिवर्सिटी में कुछ समय तक प्रोफेसर थे; असहयोग में कंग्रेस कार्य, हिन्दी रीडरें स्कूलों के लिये राष्ट्रीय ढंग पर लिखीं जो जप्त हुईं अन्य पुस्तकें—इटली के विधायक महात्मा, वैज्ञानिक अद्वैतवाद, आदि पता—विहार विद्यापीठ पटना।

रामदेव, प्रो०—गुरुकुल (कांगड़ी) विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकर्ता तथा सञ्चालक; संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान; आर्य समाज की ओर से अफ्रीका आदि देशों में प्रचार कार्य किया है; पता—गुरुकुल; कांगड़ी।

रामनरेश त्रिपाठी,—हिंदी के प्रसिद्ध लेखक तथा उच्च कोटि के कवि, जन्म सम्वत् १९४६; हिंदी; उरदू; अंग्रेजी भाषा के अच्छे विद्वान, बङ्गला; मराठी आदि भाषायें भी जानते हैं; हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रचार मन्त्री अनेक वर्षों तक; असहयोग आंदोलन में १८ महीने की कैद; साहित्य सेवी; पुस्तकें—कविता कौमुदी; मिलन; पथिक; स्वप्न; भूषण ग्रन्थावली; व रामचरित मानस की टीका आदि, सञ्चालक हिन्दी मन्दिर प्रयाग।

राममूर्ति, प्रो०—भारत के आधुनिक भीम; मोटरों को रोकना; वजन उठाना छाती पर भारी पत्थर तुड़वाना; लोहे की जंजीर को तोड़ना; आदि कार्य शारीरिक बल द्वारा अनेक वर्षों तक किया; राममूर्ति सरकस के संचालक व मालिक; ब्रह्मचर्य को शारीरिक बल का तत्व बताते हैं; जापान आदि देशों में मान मर्यादा प्राप्त; पता—मद्रास।

रामाज्ञा द्विवेदी, 'समीर'—ज० पौष सुदी ५ सम्वत् १९५८; शि० एम. ए.; एम. आर. ए. एस; अनेक छात्र वृत्तियां प्राप्त कीं; स० १९२४; में माधुरी पुरस्कार मिला; नागरी प्रचारिणी सभा के सदस्य तथा साहित्य-सम्मेलन की स्थायी समिति के सदस्य, सम्पादक 'उदय' 'यमदूत' आदि; पुस्तकें—एसेज (अंग्रेजी) १९२३; त्रिकलिका (१९२०); सुहागरानी १९२२; सोने की गाडी (नाटक); माधुरी; मनोरमा, आदि पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होते हैं; प्रोफेसर डी.; ए. वी. कालेज कानपुर।

राय एम. एन., जगत प्रसिद्ध भारती कम्यूनिस्ट; जर्मन; फ्रांस; रूस; आदि देशों में भारत की स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्न कर रहे हैं; अंग्रेजी भाषा के उत्तम लेखक तथा विद्वान; पता—विदेश;

राय, कालीनाथ—एडीटर 'ट्रिब्यून' लाहौर, ज० १८७८; जैसूर बङ्गाल में; 'बङ्गाली' के सब एडीटर

१९००, मि० बनर्जी के इंग्लैण्ड जाने पर पत्र के मुख्य सम्पादक "दी पंजाबी" १९१५–१७. १९१७ से "ट्रिब्यून" के एडीटर, १९१९ में राजद्रोह में दो साल की सख्त कैद, पता—"ट्रिब्यून" लाहौर

राय; केशवचन्द्र—एसोसियेटेड प्रेस आफ इण्डिया के संस्थापकों में से एक व उसके डायरेक्टर. ज० १८७३. मैंबर लेजिस० असेम्बली. कौंसिल आफ स्टेट के मेंबर रहे. मेंबर कोलोनायजेशन कमेटी. पता—४ अंडर हिललेन दिल्ली.

रुस्तमेहिन्द, गामा—भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ पहलवान इंग्लैंड जाकर अनेक पहलवानों को हराया. पटियाला में प्रसिद्ध रूसी पहलवान जेविस्को को एक मिनट में परास्त किया १९२८. फ्रान्सीसी पहलवान को पटियाला में परास्त किया. महाराजा पटियाला का इन पर अत्यन्त प्रेम है पता—पटियाला ।

रेड्डी, डाक्टर मथु लक्ष्मी—ब्रिटिश इंडिया में प्रथम स्त्री एम. एल. सी. डिप्टी प्रेसीडेन्ट मद्रास लेजिस० कौंसिल. ज० १८८६. पुदु कोटा में डाक्टर टी. सुन्दरा रेड्डी प्रोफेसर आफ एनाटोमी मद्रास मैडिकल कालेज से विवाह हुआ. स्त्रियों व बच्चों की बीमारियों की खास तरह पर शिक्षा लेने के लिये इङ्गलैंड भेजी गईं अन्तर्राष्ट्रीय महिला परिषद पेरिस की प्रतिनिधि. १९२६ पता—मद्रास।

लक्ष्मणराव, कदम—संयुक्त प्रान्त के प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता, मजदूर किसान आन्दोलन में प्रमुख भाग. जी. आइ. पी. रेलवेमेन्स यूनियन झांसी के सेक्रेटरी. किसान मजदूर कान्फ्रेंस यू. पी. (१९२८) के सेक्रटरी. मेरठ राजद्रोह के मुकद्दमे में गिरफ्तार १९२९ पता—झांसी ।

लाला, सीताराम—ज० जनवरी १८५८ ई० शि० बी. ए. साहित्य रत्न. रायबहादुर फारसी अरबी संस्कृत फ्रेंच तथा हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान. आपने अनेक संस्कृत नाटकों तथा काव्य ग्रन्थों का गद्य पद्य अनुवाद किया है. पता—सेरी ।

वर्मा, वृन्दावन लाल—शि० बी. ए. एल एल. बी. हिन्दी भाषा के अच्छे लेखक तथा साहित्य प्रेमी. पुस्तकें "लगन" आदि. लिबरल दल के मेंबर पता—झांसी ।

वर्मा, सूर्यकुमार—हिन्दी के अच्छे लेखक गवालियर राज्य में अच्छे पद पर हैं. ज० अषाढ़ शु० २ संवत् १९३४. पुस्तकें जर्मनी का विकाश बाल भारत आदि पता—लश्कर ।

वाडिया, सर हुरमसजी अरदेसर—बैरिस्टर ज० १८४९. शिक्षा एलफिंस्टन कालेज बम्बई व यूनिवर्सिटी कालेज लंडन. पर्सनल असिस्टैन्ट मि० दादा भाई नौरोजी. दीवान आफ बरौदा १८७७–७५. १८७४ से काठियावाड़ में

वकालत, ट्रस्टी, पारसी पंचायत १९१२, कैसरेई|हिन्द सुवर्ण पदक मिला १९१८, पता—३७, मेरीन लाइन्स बम्बई व पूना।

वाच्छा, सर दिनशा एडल जी,—मेंबर कौंसिल आफ स्टेट, डायरेक्टर, दी सेन्ट्रल बेंक आफ इंडिया एंड दी सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी, ज० १८४४, शि० एल्फिंसटन कालेज, बम्बई, १८७४ से कपास के व्यापारी, ३० साल तक बम्बई म्युनिसपल कारपोरेशन के मेम्बर व उसके प्रेसीडेन्ट १९०१—०२, मेम्बर बम्बई मिलओनर्स एसोसिएशन कमेटी, ८८९—१९२७, प्रेसीडेंट १९१७, मेंबर बंबई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट १८९८-१९१९ प्रेसीडेन्ट, १७ वीं राष्ट्रीय महासभा कलकत्ता १९०१, प्रेसीडेंट, बेलगांव प्रांतिक परिषद् १८९४ जनरल सेक्रटरी, राष्ट्रीय महासभा, १८९४—१९१२ ट्रस्टी विकटोरिया ज्युबिली टेकनिकल इंस्टीटयुट १९०२ से व आनरेरी सेक्रटरी १९०९-२३. मेम्बर बम्बई लेजि० कौंसिल १९१५-१६, प्रेसीडेंट वेस्टर्न इंडिया लिबरल एसोसियेशन १९१९ से सेक्रटरी, बम्बई प्रेसीडेंसी एसोसिएशन १८८५-१९१५, व प्रेसीडेन्ट १९१५—१८ प्रेसीडेन्ट प्रथम बंबई प्रांतिक लिबरल कान्फ्रेंस १९२२, पता—जिजी हाउस, रेवेलीन स्ट्रीट फोर्ट बम्बई।

विष्णु दिगम्बर पलुस्कर—पं० गायनाचार्य, ज० १८७२, शि० मिरजस्टेट, गायन विषय पर नोटेशन्स की ५४ किताबें लिखी, पता—श्रीराम-नामाधार आश्रम पंचवटी, नाशिक,

विश्वनाथ, प्रोफेसर—जन्म १८९० शि० विद्यालंकार (गुरुकुल वि०) लेखक वैदिक जीवन, वीरमाता का संदेश पशुयज्ञ मीमांसा, गृहस्थ जीवन का वैदिक आदर्श वाइस प्रिंसिपल गुरुकुल यूनिवर्सिटी प्रो० वैदिक साहित्य पता—कांगड़ी।

विश्वेश्वरय्या, सर मोक्षगुडम—जन्म १८६१ शि० सेन्ट्रल कालेज बंगलोर व सायन्स कालेज पूना असि० इंजीनियर. पी. डब्लू डी. बम्बई १८८४, सुपरि० इंजीनियर १९०४ रिटायर्ड १९०८ सुप० कन्सल्टिंग इंजी- निजाम सरकार १९०९ चीफ इंजीनियर व सेक्रेटरी पी. डबल्यू. आई. आर डिपार्ट मैसूर सरकार १९०९ दीवान मैसूर १९१२—१८ भ्रमण यूरुप अमेरिका व जापान १९१९-२० चेयरमेन बम्बई टेकनिकल व इंडस्ट्रियल एज्यूकेशन कमेटी १९२१-२२ चेयरमेन भारतीय आर्थिक जांच कमेटी १९२५ ग्रन्थ "रीकन्स्ट्रक्टिंग इंडिया" पता—अपैलेंडस हाई ग्राउंड. बंगलोर।

वी. डी. ऋषि. प्रो०—परलोक विद्या के ज्ञाता तथा प्रचारक अनेक समाचार पत्रों में लेख लिखते हैं फ्रांस में परलोक विद्या परिषद् में भारतीय प्रतिनिधि पता—इन्दौर।

वैद्य, चिन्तामण विनायक—रिटायर्ड चीफ जस्टिस ग्वालियर स्टेट शि० बी. ए. एल. एल. बी.; जन्म १८ अक्टूबर १८६१. कुछ काल तक सबजज ब्रिटिश इण्डिया तदनन्तर चीफ जस्टिस ग्वालियर राज्य, प्रसिद्ध इतिहास संशोधक तथा लेखक. 'रिडिल आफ दी रामायण' 'हिस्ट्री एफ ए फान्नोरान अंपायर' 'अबलोन्नति माला' 'मध्ययुगनी भारत;' ज्योतिष शास्त्र वेत्ता, प्रेसीडेन्ट वृहन्महाराष्ट्र परिषद् झांसी (१९२७), पता—इतिहास मंडल, पूना।

शफी, मियां सर महम्मद, खानबहादुर—प्रेसीडेंट, पञ्जाब राष्ट्रीय लिबरल लीग, पञ्जाब मुसलिम शिक्षा परिषद्, अञ्जुमन-इ-स्थन-इ-हिंद व सर्व जातीय क्लब लाहोर, प्रो–चांसलर दिल्ली युनिवर्सिटी, १९२२–२५, लीगल ऐडवाइसर भागलपुर स्टेट; जन्म १८६९ शि० गवर्नमेंट कालेज व फोरमेन क्रिश्चियन कालेज, लाहोर, विद्यार्थी व वैरिस्टर मिडिल टेंपल; प्रेसीडेन्ट आल इंडिया उर्दू परिषद् १९११, प्रेसीडेन्ट आल इंडिया मुसलिम लीग; १९१३; प्रेसीडेंट इण्डिया मुसलिम दक्षिण परिषद् १९१६; प्रेसीडेन्ट हाईकोर्ट बार एसोसियेशन १९१७-१९, प्रेसीडेन्ट पञ्जाब प्रांतिक बार कनफ्रेंस, १९१९ मेंबर पञ्जाब लेजि० कौंसिल व इंपीरियल लेजि० कौंसिल १९०९–१९. शिक्षा मंत्री भारत सरकार १९१९–२२; वाइस प्रेसीडेन्ट कार्यकारी कौंसिल व ला मेंबर, भारत सरकार १९२२–२४; प्रेसीडेंट इण्डियन सोलजरस बोर्ड; १९२४, प्रेसीडेन्ट पञ्जाब मुसलिम शिक्षा कांफ्रेंस १९२६; ग्रन्थ 'पञ्जाब टेननसी एक्ट विद नोटस' प्राविन्शियल स्माल काज कोर्टस एक्ट विद नोटस व ला आफ कान्वेन्शन फार इम्परूमेंटस इन ब्रिटिश इण्डिया, पता—'इकबालमंजिल' लाहौर।

शर्मा, कृष्ण गोपाल, देशभक्त तथा कांग्रेस कार्य कर्ता, अनेक वर्षोंतक सञ्चालक व सम्पादक 'उत्साह' उर्दू व झांसी, राष्ट्र कार्य में जेलयात्रा दो बार; मेंबर युक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी; सेक्रेटरी स्वागत कमेटी २२ वीं यू. पी. प्राविंशियल कानफ्रेंस झांसी (१९२८) १२४ ए. धारा के अनुसार ६ माह जेल १९३०. पता—झांसी।

शर्मा, नाथूराम शंकर—ज० चैत्र शुक्ल ५ सम्वत् १९१६, आपने अनेक वर्षों तक हिन्दी साहित्य की सेवा की है, उत्कृष्ट लेखक; पुस्तकें अनुराग रत्न, गर्भरंडारहस्य, बायस-विजय। पता—बनारस।

शर्मा, पण्डित नेकीराम—हिंदी के प्रसिद्ध बक्ता सेक्रेटरी हिंदू महा सभा, ज० १८८७, असहयोग में अग्रसर भाग, देश कार्य में आठ माह कैद १९२१; पता—भिवानी; पञ्जाब।

शर्मा, बालकृष्ण—ज० ८ दिसंबर १८९७, शि० बी. ए. तक, असहयोग में शिक्षा त्याग, प्रताप में कार्य आरम्भ (१९२०), रायबरेली जिले में किसान आन्दोलन के समय प्रताप की ओर से काम किया (१९२१) जिस समय वीरपालसिंह शूटिंग केस चला, जेल यात्रा (१९२१), सम्पादक 'प्रभा' (१९२३–२५), सह सम्पादक 'प्रताप' (१९२३), नमक कानून भंग आन्दोलन में जेल १९३०. हिन्दी के अच्छे कवि व लेखक 'नवीन' नाम से लिखते हैं. पता—कानपुर।

शर्मा, पं० रामावतार—शि० एम. ए. साहित्याचार्य, अनेक वर्षों तक पटना कालेज में प्रोफेसर, संस्कृत तथा हिन्दी भाषाओं के प्रसिद्ध विद्वान व लेखक नागरी प्रचारिणी सभा तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन के कार्य के प्रमुख सदस्य. पता—बनारस।

शर्मा, रामेश्वर प्रसाद—हिंदी भाषा के सुपरिचित लेखक, 'सरस्वती' पत्रिका के उप-सम्पादक कुछ काल तक अनेक पुस्तकों के लेखक, सम्पादक 'न्याय' 'साहस' 'महिला' आदि. पता—झांसी।

शर्मा, सर वी. नरसिंह—ज० १८६७, शि० हिन्दू कालेज विजगापट्टम राज महेन्द्री कालेज व प्रेसीडेन्सी कालेज मद्रास, बाद शिक्षक व वकील विजगापट्टम व मद्रास, भूतपूर्व ला मेंबर भारत सरकार. पता—मद्रास।

श्याम सुन्दर दास, बाबू—शि० बी. ए. हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक नागरी प्रचारिणी सभा के कर्णाधार, आप ने हिन्दी भाषा का एक विशाल कोश तैयार किया है. पुस्तकें संक्षिप्त रामायण साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान. पता—काशी।

शास्त्री, श्रीनिवास राइट आनरेबिल पी. सी.—भूतपूर्व एजेंट जनरल इन साउथ अफ्रीका १९२७ से १९२९, ज० १८६९, शि० कुम्भकोनम हेडमास्टर ट्रिप्लिकेन हाइस्कूल. इस्तीफा १९०६, व सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी को १९०७ में प्रवेश, स्व० मि० गोखले के बाद सोसायटी के प्रेसीडेन्ट १९१५–२७, मेंबर मद्रास लेजिसलेटिव कौंसिल १९१३–१६ व इम्पीरियल लेजिस० कौंसिल १९१६–२०; मेंबर साउथबरो कमेटी, मेम्बर अक्वर्थ इंडियन रेलवे कमेटी १९२१–२२. मेंबर माडरेट डेप्यूटेशन इङ्गलैण्ड को १९१९. इम्पीरियल पीस कांफ्रेंस १९२१. लीग आफ नेशन्स जिनेवा व वाशिंगटन परिषद् में हिन्दुस्थान के प्रतिनिधि. नियुक्ति प्रीवी कौंसिलर व फ्रीडम आफ दी सिटी आफ लन्दन की पदवी मिली १९२१. उपनिवेशों में हिन्दुस्थान सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से दौरा किया १९२२ मेंबर कौंसिल आफ स्टेट १९२१–२४. मेंबर केनिया डेपूटेशन १९२३. मेंबर

भारतीय डेलीगेशन साउथ अफ्रीका की राउन्डटेबिल परिषद् के लिये १९२६–२७; पता—सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसायटी; बम्बई व पूना।

शर्मा, विश्वम्भरनाथ कौशिक. हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक, अनेक समाचार पत्रों तथा मासिक पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होते हैं, पुस्तकें संसार की असभ्य जातियों की स्त्रियां पता-कानपुर।

शीतला सहाय,—बी० ए० कांग्रेस के कार्य कर्ता; असहयोग में प्रवेश; हिंदी के लेखक, पुस्तकें, हिंदी त्योहारों का इतिहास; मनोरमा; यू. पी. प्रांतीय चर्खा संघ के सञ्चालक; पता—इलाहाबाद।

श्रीयुत छगनलाल नाथूभाई, जोषी,—जन्म १९ सितम्बर १८९६; गुजरात विद्यापीठ में अर्थ शास्त्र के अध्यापक; लेखक; 'खादी निबंध'; मंत्री सत्याग्रह आश्रम; साबरमती अहमदाबाद।

श्री झाबवाला, शोषकश हुरमस जी,—जन्म २० मई १८८७; सूरत शि० बी. ए. सेक्रेटरी अनेक राजनैतिक सामाजिक संस्थायें. बंबई के मजदूरों के नेता. चीफ सेक्रेटरी जी. आई. पी. रेलवेमेंस यूनियन बम्बई. स्वार्थ त्यागी और उच्च कोटि के कार्यकर्ता. किसान मजदूर कांफ्रेंस यू० पी० झांसी के सभापति १९२८. राजद्रोह के मामले में ३१ मनुष्यों के साथ गिरफ्तार अप्रेल १९२९; पता—बम्बई।

श्रीप्रकाश,—जन्म. भाद्रपद कृष्ण ४. सम्बत १९४७; शि० सेन्ट्रल हिन्दू कालेज काशी. ट्रिनिटी कालेज केम्ब्रिज. बी. ए. एल. एल. बी बार एट-ला. हिंदू कालेज तथा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर (१९१४–१७) इंडिपेंडेन्ट और 'लीडर' पत्रों के सम्पादकीय विभाग में कार्यकर्ता. कांग्रेस के कार्यकर्ता अनेक वर्षों तक 'आज' के सम्पादक १९२०–२४. स० १९२१ से बराबर 'काशी विद्या पीठ' के अध्यापक. स० १९२६ में कांग्रेस की ओर से लेजि० असेम्बली के लिए खड़े हुए. पता—काशी।

सकलत वाला, शापुरजी—मेंबर ब्रिटेश पार्लीमेंट १९२२–२३, और अक्टूबर १९२४ से. ज. १८७४ बम्बई में. शि० सेन्टजेवियर स्कूल व कालेज बम्बई व लिन्कन्स इन टाटा-सन्स में शरीक होकर हिन्दुस्थान के जङ्गलों में लोहा वगैरः की ३ साल तक खोज की जिसके फल स्वरूप टाटा, आयर्न एंड स्टील वर्क्स की स्थापना हुई. जनरल वर्क्स यूनियन में शरीक हुये; आई. एल. पी. बी. एस. पी. कोआपरेटिव आंदोलन व थर्ड इन्टरनेशनल के मेंबर हुये. मेंबर ब्रिटिश-कम्यूनिस्ट पार्टी. लन्दन में वर्क्स वेलफैयर लीग आफ इंडिया के संस्थापक. लोक प्रिय वक्ता; १९२७ में भारत में आने पर अपूर्व सत्कार हुआ. आपको

लाहौर कांग्रेस में आने के लिये ब्रिटिश सरकार ने पास पोर्ट नहीं दिया आप भारत स्वतन्त्रता के लिये इंगलैण्ड में आन्दोलन कर रहे हैं। ग्रन्थ भारतीय मजदूर दल पर छोटी राजकीय किताबें पता—२ सेंट अलवियन्स विलास, हायगेट रोड एन. डब्ल्यू. ५ लंडन।

सत्यदेव, स्वामी—हिन्दी भाषा तथा राष्ट्र के निर्भीक सेवक. अमरीका में स्वतन्त्र रूप से विद्याभ्यास तथा भ्रमण अनेक वर्षों तक. लौट कर देश कार्य में प्रवेश. असहयोग में प्रमुख भाग हिन्दू संगठन के अग्रसर कार्य कर्ता. हिन्दी भाषा के उत्कृष्ट लेखक तथा वक्ता राष्ट्रीय शिक्षा; हिन्दू संगठन का बिगुल तथा अन्य पुस्तकों के लेखक वर्तमान. पता—जर्मनी देश।

सत्यमूर्ति, एस.—वकील हाईकोर्ट व १९२३ से मेंबर मद्रास लेजिस० कौंसिल. ज० १८८७ पदुकोटा में, शि० राज्य कालेज पदुकोटा. क्रिश्चियन ला कालेज मद्रास. मेंबर सिनेट व सिंडिकेट मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास कौंसिल में कांग्रेस पार्टी के डेपुटी लीडर, भ्रमण यूरुप, ग्रन्थ नागरिकों के हक पता—२।१९ सिङ्गच्यु स्ट्रीट त्रिपलीकेन मद्रास.

सत्यव्रत, प्रो०—ज० १८९७. शि० गुरुकुल विश्वविद्यालय (कांगड़ी) की सिद्धांतालंकार उपाधि प्राप्त, अष्टम हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सुवर्ण पदक प्राप्त, मद्रास तथा मैसूर प्रान्तों में आर्य समाज केन्द्रीय निर्माण का ३ वर्ष तक कार्य किया, कोल्हापुर के राजाराम कालेज में प्रोफेसर रहे. बंगलोर के दयानन्द ब्रह्मचर्याश्रम को स्थापित किया. हिन्दी में ब्रह्मचर्य सन्देश और अंग्रेजी में How to learn Hindi तथा Confidential Talks to Young men लिखी. "अलंकार" मासिक के सम्पादक. आपकी धर्म पत्नी श्रीमती चन्द्रावती इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एम. ए. हैं। उन्होंने "मदर इंडिया का जवाब" पुस्तक लिखी है. भ्रमण—अफ्रीका. वर्मा, गुरुकुल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा रजिस्ट्रार. पता—कांगड़ी।

सनेही, गयाप्रसाद शुक्ल—हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध कवि. अनेक पुस्तकें हिन्दी कविता की लिखी हैं। "सनेही" व "त्रिशूल" नामों से कविता लिखते हैं. पुस्तकें त्रिशूल तरंग कृषक-क्रन्दन कला में त्रिशूल. पता—कानपुर

सन्तानम, कृष्णमाचारि—वैरिस्टर ज० १८८५ तंजोर जिले में शि० मद्रास. कैम्ब्रिज व वैरिस्टर १९१०, पंजाब हाइकोर्ट में वकालत शुरू की १९११. असहयोग में वकालत छोड़ी १९२०. सेक्रेटरी पंजाब कांग्रेस जांच कमेटी १९१९-२०. मेम्बर लाहौर म्युनिसिपैलटी १९२१. प्रेसीडेन्ट पंजाब प्रान्तिक परिषद् १९२२. ला० लाजपतराय के साथ नजर कैद हुई और १८

माह की कैद व ५०० रु० जुर्माना हुये, कैद माफ होकर ३१ जनवरी सन १९२२ को छूटे; लाहौर कांग्रेस स्वागत के मेम्बर १९२९ पता— फेन रोड लाहौर।

सप्रू, सर तेजबहादुर—जन्म १८७५, एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद १८९६ मेम्बर यू. पी. लेजि० कौंसिल १९१३–१६. मेंबर इंपीरियल लेजि० कौंसिल १९१६–२०, मेंबर साउथवरो फ्रेंचाइज कमेटी १९१८–१९ मेंबर माडरेट डेप्यूटेशन व लार्ड सेलबोर्न कमेटी लन्दन के सामने गवाह १९१९, प्रेसीडेंट यू. पी. राजकीय परिषद् १९१४, प्रेसीडेंट यू. पी. सामाजिक परिषद् १९१३, प्रेसीडेंट यू. पी. लिबरल लीग १९१९–२०, फेलो इलाहाबाद युनिवर्सिटी १९१०--२०, भारत सरकार के ला मेम्बर १९२०—२२, इस्तीफा, १९२२ मेम्बर इम्पीरियल कान्फ्रेंस लन्दन १९२३; प्रेसीडेंट आल इंडिया लिबरल फेडरेशन पूना १९२३, व बंबई १९२७, मेंबर रिफार्म्स इन्क्वायरी कमेटी १९२४, एडीटर इलाहाबाद ला जर्नल १९०४--१७, पता | १९ अलबर्ट रोड इलाहाबाद ।

सम्पूर्णानन्द,—हिन्दी के अच्छे लेखक, शि० बी. ए. कांग्रेस कार्यकर्ता सेक्रेटरी यू. पी. प्रांतीय कांग्रेस कमेटी काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर, पुस्तक 'अन्तर्राष्ट्रीय विधान' हर्ष वर्धन सम्राट अशोक पता— काशी ।

सरकार, जदुनाथ—शिक्षा प्रेसीडेन्सी कालेज कलकत्ता प्रेमचन्द रामचन्द स्कालर, आनरेरी मेंबर रायल एशियाटिक सोसाइटी ग्रेट ब्रिटेन सन १९२३, सरजेम्स कैम्पबेल गोल्ड मेडलिस्ट, बम्बई ब्रिटिश आर. ए. एस. वाइस चांसलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी (१९२६); इंडियन एजुकेशनल सर्विस, ज० १८७०, कुछ दिन हिन्दू यूनि० बनारस में आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रोफेसर, १९१७-१९, रीडर इन इंडियन हिस्टरी पटना यूनिवर्सिटी, १९२०-२२ वाइस चांसलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी १९२२--२८ पता---कलकत्ता

सहगल, रामरख सिंह—ज० २४ सितम्बर १८९८, प्रसिद्ध पत्रिका 'चांद' हिन्दी और उर्दू के जन्मदाता तथा संचालक, असहयोग आंदोलन में राजनैतिक कार्य, पता—चन्द्रलोक इलाहाबाद ।

सारदा, रायसाहब. हरविलास मेंबर लेजि० असेंबली १९२४ से, जन्म १८६७, शि० अजमेर व आगरा कालेज, ग्रेजुएट कलकत्ता यूनि०, प्रोफेसर गवर्नमेंट कालेज अजमेर, १८८९, गार्डियन टू महारावल जैसलमेर १८९४, जज, स्माल काज कोर्ट अजमेर १९१२; महायुद्ध में सेक्रटरी अजमेर-मारवाड पबलिसिटी बोर्ड कमांडर-इन-चीफ के डिसपेच में उल्लेखित हुए, जज चीफ कोर्ट जोधपुर १९२५, अध्यक्ष, अखिल,

भारतीय वैश्य परिषद् १९२५, दुबारा लेजि० एसेम्बली के मेंबर चुने गये १९२७, प्रसिद्ध नारदा बिल के निर्माण कर्ता, ग्रन्थ, महाराजा कुन्थ, हिंदू सुपी-रिआरिटी महाराणा सांगा, अजमेर. पता—हरनिवास सिविल लाइन्स अजमेर

सावरकर, गणेश दामोदर—एडीटर 'श्रद्धानन्द', बैरिस्टर-एट-ला, प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय देश भक्त नेता, देश अभिमान पूरित कविताओं के निर्माण कर्ता कवि, राजद्रोह करने के अभियोग में आजीवन देशनिर्वासन की सजा १९१०, पोर्टब्लेअर में १९१०–२१ तक कैद रहे, सितंबर १९२२ में छूटे बंबई निवासियों ने उनका सार्वजनिक आदर सत्कार किया। पता—बम्बई।

सिंह, अनुग्रह नारायण—विहार में कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता, शि० एम. ए. बी. एल. (पटना) असहयोग आन्दोलन में वकालत त्याग, गया कांग्रेस में सेक्रेटरी स्वागत कमेटी. मेंबर कौंसिल आफ स्टेट १९२३–२६, (१९२६ से फिर) पता—पटना।

सिंह, गयाप्रसाद—वकील १९२५ से मेंबर लेजि० असेम्बली, असेम्बली में नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक, मुजफ्फरपुर म्युनिसिपेलटी के मेंबर रहे, ग्रन्थ चित्रमय काश्मीर' पता—मुजफ्फरपुर विहार।

सिंह, नरवदा प्रसाद—जन्म सं० १८४६; शि० हायर डिपलोमा मेयोकालेज अजमेर, (१९१९). असहयोग में प्रवेश, १९२१, रीवां राज्य में रेविन्यू कमिश्नर, त्याग पत्र (१९२१): पता – इलाहाबाद।

सिंह, सच्चिदानन्द—बैरिस्टर मेंबर एक्जीक्यूटिव कौंसिल; विहार व उड़ीसा १९२१–२२, ज० १८७१, कलकत्ता; बैरिस्टर (मिडिलटेंपल) १८९८ एडवोकेट कलकत्ता हाई कोर्ट १८९२; इलाहाबाद हाईकोर्ट १८९६; पटना हाइकोर्ट १९२६, संस्थापक व सम्पादक हिंदुस्तान रिव्यू १८९९-१९२१; दोबारा लेजि० असेम्बली में निर्वाचित १९२०, असेम्बली के प्रथम डिप्टी प्रेसीडेंट निर्वाचित १९२१, अपनी पत्नी के स्मारक में १९२४ में श्रीमती राधिका इंस्टीट्यूट नामक संस्था निर्माण की व उसके लिये द्रव्य अर्पण किया। इस संस्था का पटना में सबसे बड़ा सार्वजनिक हाल व उत्तम अंगरेजी साहित्य से सजित 'सच्चिदानंद सिंह' लायब्रेरी है। पता—पटना विहार व ७ हरिसन रोड; इलाहाबाद।

सीतलवाद, सर चिमनलाल, डी. एल. एडवोकेट हाईकोर्ट बम्बई ज० १८६६. शि० एल्फिंस्टन कालेज, बंबई प्लीडर हाईकोर्ट बंबई; मेंबर साउथबार रिफार्म्स कमेटी १९१८, मेंबर हंटर कमेटी १९१९. एडीशिनल जज, बम्बई हाईकोर्ट १९२०; मेंबर एक्जीक्यूटिव कौंसिल बम्बई सरकार जनवरी १९२१ से जून १९२३, वाइस चांसलर बम्बई

यूनिवर्सिटी १९२७–२९. पता—सीतलवाद रोड मलाबार हिल बम्बई।

सील, सर बृजेन्द्रनाथ—वाइस चांसलर मैसूर यूनिवर्सिटी, जार्ज दी फिफ्थ प्रोफेसर आफ मेंटल ऐन्ड मोरल सायन्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी १९१४–२० मैसूर सरकार कौंसिल के मेंबर १९२५–२६, ज० १८६४, पौर्वात्य परिषद् रोम के प्रतिनिधि १८९९, फर्स्ट यूनिवर्सिटी रेसेस कांग्रेस लन्डन के प्रथम वक्ता १९२१, कलकत्ता यूनिवर्सिटी रेग्यूलेशन के तैयार करने के प्रिंसपल कमेटी के मेम्बर १९०५, चेयरमैन मैसूर कांस्टीट्यूशनल रिफार्मस कमेटी १९२२–२३.

सुन्दरलाल, पंडित— प्रसिद्ध देश सेवक, शि० बी. ए. तक, विद्यार्थी जीवन में ही राजनीति में प्रवेश (इलाहाबाद) शिक्षा त्याग, हिन्दी 'कर्मयोगी' व 'भविष्य' के भूतपूर्व सम्पादक, असहयोग आन्दोलन में अग्रसर, सी. पी. में अनेक वर्षों तक कार्य किया, हिन्दी भाषा के उत्तम लेखक, महात्मा गान्धी के परम भक्त, खद्दर प्रचार में रुचि, लेखक 'भारत में अंग्रेजी राज्य' 'सभ्यता महा रोग' पता—इलाहाबाद।

सुहरावर्दी, महमूद—'रईस' मिदनापुर, मेंबर लेजिस० एसेम्बली, ज० १८८७, १५ साल रजिस्टरिंग आफीसर, वाइस चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिदनापुर, सार्वजनिक काम करने के लिये सरकारी नौकरी का इस्तीफा दिया १० साल कमिश्नर मिदनापुर म्युनिसिपैलिटी, फेलो दिल्ली यूनिवर्सिटी; पता—मिदनापुर बंगाल।

सुहरावर्दी, हुसेन शहीद—बार-एट-ला, ज० १८९३; शि० सेंट जेवियर्स कालेज कलकत्ता व आक्सफर्ड यूनिवर्सिटी; मेंबर बंगाल लेजिसलेटिव कौंसिल, ३ साल डेप्युटी मेयर आफ कलकत्ता, संस्थापक इंडिपेन्डेन्ट मुसलिम पार्टी बंगाल. पता—३ वेलस्ले स्ट्रीट, फर्स्ट लेन कलकत्ता।

सेठ कन्हैयालाल पोद्दार—ज० सम्वत् १९२८, हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध ग्रन्थों के लेखक अलंकार प्रकाश पंचगीत, गंगा लहरी, हिन्दी मेघदूत विमर्ष, कला कल्पद्रुम, आदि पता—रामगढ़ (सीकर राज्य)

सेठना, सर फीरोज— मेंबर कौंसिल आफ स्टेट; ज० १८६६, चेयरमैन सेंट्रल बेंक आफ इंडिया; लि० मेंबर बम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन, ट्रस्टी बम्बई इंप्रूवमेंट ट्रस्ट; ट्रस्टी बम्बई पोर्ट ट्रस्ट; मेंबर संढर्स्ट कमेटी, पता—कैनाडा बिल्डिङ्ग, हार्न्बी रोड बम्बई।

सेनगुप्ता, ज्योतीन्द्र मोहन—बार-एट-ला; मेंबर कलकत्ता कारपोरेशन ज० १८८५, चिटगांव में राजकीय आंदोलन में १९०९ से भाग लेने लगे, वाइस प्रेसीडेन्ट बंगाल प्रांतिक कांग्रेस

कमेटी १९२१—२२, असहयोग में वकालत त्याग और ३ माह कैद १९२१ बंगाल लेजिस० कौंसिल में स्वराज्य पार्टी के नेता; पता—१, वेलस्ली,मैशंस वेलस्ली स्ट्रीट; कलकत्ता ।

हक, मजहरुल—बैरिस्टर; ज० दिसम्बर १८६६; शि० पटना कालेज और कैनिंग कालेज लखनऊ; कलकत्ता हाईकोर्ट के एडवोकेट मुंसिफ १८९२; पद त्याग करके वकालत शुरू की १८९६. विहार में मुसलिम लीग की एक शाखा कायम की १९०८. इम्पीरियल लेजिस० कौंसिल के मेम्बर १९०९. कांग्रेस की स्वागत समिति के सभापति १९१२. सभापति मुसलिम लीग १९१५ १६ असहयोग में वकालत छोड़ी १९२०. अपनी वेश-भूषा वदल दी और एक आश्रम कायम किया मदर लेंड अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र स्थापित किया जेल यात्रा १९२२. पता—सदाकत आश्रम पटना ।

हकसर लें० कर्नल कैलाश नारायण—पोलीटिकल मेंबर गवालियर राज्य १९१२ से. ज० १८७८. शि० इलाहाबाद वि० वि० अवैतनिक प्रोफेसर हिस्ट्री और फिलासफी १८९९—१९०२ महाराजा सिंधिया के प्राइवेट सेक्रटरी १९०३—१२ अंडर सेक्रटरी पॉलि० डिपा० १९०५—०७ गवालियर फौज में कप्तान १९०२ और लें० कर्नल १९१० सीनियर मेंबर,रेवेन्यू बोर्ड १९१०—१२ पता—गवालियर ।

हबीबुल्ला, खान बहादुर सर, मुहम्मद—मेंबर वाइस राय की कार्य कारिणी कौंसिल १९२४ वकालत शुरू की १८८८ में मेंबर मद्रास लेजि० कौंसिल १९०९—१२ अस्थाई मेंबर मद्रास कार्यकारिणी कौंसिल १९१९ मद्रास कारपोरेशन के मेंबर १९२० रिफार्मस कमेटी में बाहर से लिये हुए मेम्बर की तरह काम किया मेम्बर रायल कमीशन जो भारत की ऊंची नौकरियों के सम्बन्ध में बैठा था १९२३-२४ मद्रास के गवरनर की कौंसिल के मेंबर १९२०-२४ साउथ अफ्रीका जाने वाले गवर्नमेंट डेपूटेशन के प्रमुख १९२५ पता—देहली और शिमला ।

हरकिशन लाल; लाला—ज० १८६६ शि० गवर्नमेंट कालेज लाहौर और ट्रिनटी कालेज कैम्ब्रज। बैरिस्टर वकालत छोड़ी १८८९ इसी समय औद्योगिक और व्यापारिक कार्यों में संलग्न हुए कांग्रेस में प्रवेश १८९३ कांग्रेस की स्वा० का० के चेयरमैन १९१० इंडस्ट्रियल कान्फ्रेंस के सभापति १९१२ इंडस्ट्रियल कमीशन के सामने इनकी ज्ञातव्य बातों से भरी हुई निर्भीक और सच्ची गवाही ने अधिकारियों और एंग्लो इंडियन के दल में खलबली पैदा कर दी मेंबर पंजाब कौंसिल फेलो पंजाब वि० वि० मार्शल ला के जमाने में विद्रोह मुकदमा चलाया गया और आजन्म के लिए

देशान्तर वास की सजा हुई, परन्तु बड़े दिनों में छूटे १९१९; पंजाब के मिनिस्टर बनाये गये १९२०, प्रेसीडेन्ट कमरशियल कांग्रेस देहली १९२६, पता लाहौर।

हरदयाल, लाला—प्रसिद्ध देश भक्त, शि० एम. ए. पंजाब; विदेशों में भारत की स्वतन्त्रता के लिये कार्य कर रहे हैं। अंग्रेजी के अप्रतिम विद्वान तथा लेखक।

हलदर, असितकुमार—प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्ट्स एंड क्राफटस लखनऊ, ज० १८९०; भारतीय कला के मुख्य शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल आफ आर्टस कलकत्ता १९१८-२०, प्रिंसिपल कला भवन विश्व भारती शान्ति निकेतन १९२०-२३, न्यूयार्क (अमरीका) के रेनिच म्यूजियम के प्रतिष्ठित सलाहकार। प्रकाशन—अजंटा बंगला में, पता—लखनऊ।

हर्डीकर डाक्टर नारायण सुब्बराव—ज० १८८९, शि० राष्ट्रीय मेडिकल कालेज कलकत्ता, अमरीका का मिचिगोन वि० वि०, न्यूयार्क के 'यङ्ग इंडिया' के प्रबन्धक सम्पादक, कुछ समय तक कर्णाटक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री, हिंदुस्तानी सेवा दल के मंत्री, सम्पादक 'वालंटियर' कर्णाटक के स्वयं सेवकों का नागपुर झण्डा सत्याग्रह में संचालन किया और जेल गये; चीन को सेवा दल भेजने का प्रस्ताव किया जिसे गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया पता—हुबली।

हिन्दी कोविद जहूरबख्श—ज० १९००, गढ़ाकोटा (सागर), हिंदी भाषा के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान, अनेक पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित होते हैं, हिन्दी अक्षरों को भिन्न प्रकार से सुन्दर पूर्वक लिखते हैं। "चांद" व गंगा पुस्तक माला के लिये अनेक डिजाइन्स तैयार किये हैं कुछ स्कूली पुस्तकें भी लिखी हैं स्त्री उपयोगी पुस्तकों में देवी सीता देवी सती देवी पार्वती प्रमुख हैं मनोहर ऐतिहासिक कहानियां भारत के सपूत ऐतिहासिक कथा माला वीरों की सच्ची कहानियां आदि औद्योगिक प्रदर्शिनी सागर में सुवर्ण पदक प्राप्त (१९२०) पता—शिक्षक म्यु० स्कूल सागर।

होर्नीमैन, बी० जी०—प्रबंधक सम्पादक और डाइरेक्टर 'इंडियन नैशनल हेरल्ड' ज० १८७३, पत्र सम्पादन व्यवसाय में लगे १८९४. 'सदर्न डेलीमेल' के सम्पादक हुये १८९६. सहायक संपादक स्टेटस मैन कलकत्ता १९०६-१३ संपादक बम्बई क्रानिकल १९१३-१९, पंजाब हत्याकांड पर लेखों के कारण इंगलैंड भेजे गये १९१९. ७ वर्ष तक भारत आने के लिये पास पोर्ट नहीं दिया गया. भारत में पुनरागमन सन् १९२६. प्रकाशन—'अमृतसर और हमारी ड्यूटी भारत के लिये' 'अमृतसर के जुल्म' तथा अन्य पुस्तकें पता—बम्बई।

राजनैतिक संस्थायें ।

कांग्रेस।

ईंडियन नेशनल कांग्रेस अथवा हिन्दी राष्ट्रीय महासभा उस बड़ी सभा का नाम है जिसमें भारत निवासियों के चुने हुए डेलीगेट या प्रतिनिधि प्रत्येक वर्ष एक स्थान पर एकत्र होकर भारतवर्ष सम्बन्धी राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करते हैं और वादविवाद करके स्वराज्य प्राप्ति के लिये उपाय सोचते हैं।

कांग्रेस की रचना।

पूरे भारतवर्ष के लिये एक मुख्य कमेटी है जिसको भारतीय कांग्रेस कमेटी (All India Congress Committee) कहते हैं प्रत्येक वर्ष जो कांग्रेस का सभापति चुना जाता है वही इस कमेटी का भी सभापति एक साल के लिए होता है इस कमेटी के अधिकतर मेम्बर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के मेम्बरों द्वारा चुने जाते हैं और पुराने सभापतियों व कांग्रेस के कुछ मुख्य कर्मचारियों को मेम्बर बने रहने का मान जन्म भर के लिये स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। आल इण्डिया कमेटी अपना कार्य चलाने के लिये एक छोटी कमेटी बनाती है जिसे Working Committee कहते हैं। प्रत्येक प्रान्त में एक एक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी (Provi .cial Congress Commi ttee) होती है जिसके मेंबरों को जिलों के प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रत्येक जिले में कई जिला कांग्रेस कमेटी (District Congress Committee) होती हैं जिसके सदस्य नगर कांग्रेस कमेटी (Town Congress Committee) तथा तहसील कांग्रेस कमेटी (Tahsil Congress Committee) द्वारा चुने हुये सज्जन होते हैं। तहसील के अन्तर्गत ग्राम कांग्रेस कमेटी होती है जिसका सदस्य प्रत्येक मनुष्य जो कांग्रेस का ध्येय मानता हो हो सकता है इन सब कमेटियों में सभापति, मन्त्री खजांची इत्यादि पदाधिकारी चुने हुए होते हैं। जो एक साल तक काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष कांग्रेस की बैठक एक मुख्य स्थान पर होती है। भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रांतीय कांग्रेस कमेटियां ही कांग्रेस की बैठक होने के पहिले सभापति चुन लिया करती हैं। इसके पश्चात सभापति अपनी आसन ग्रहण करता है। भारत निवासी को यदि कोई सबसे ऊंचा सम्मान प्रजा की ओर से मिल सकता है तो वह कांग्रेस का सभापति चुना जाता है।

कांग्रेस क्यों कायम हुई ?

कांग्रेस के कायम किये जाने के मुख्य तीन कारण हैं (१) भारत वासियों के हृदय में एक जातीयता का भाव फिर से उत्पन्न होना (२) राज्य

पद्धति सन्तोषं कारक न होने से राज-नैतिक जागृति होना (३) देशोन्नति के मार्गों को ढूंढ़े जाने के प्रयत्न आरम्भ होना। ब्रिटिश राज्य के पहिले हिन्दुस्थान में बहुत काल से पृथक २ कई स्वतन्त्र राज्य होने से एक जातीयता का भाव (Idea of Nationalism) नष्ट सा होने लगा था किन्तु हिन्दू धर्म के सिद्धान्त देश में अति प्रबल और बहुत गहरे जमे हुये होने के कारण यह भाव निर्मूल न हो सका और ज्यों ही कि ब्रिटिश साम्राज्य ने देश में शान्ति स्थापित करना आरम्भ की त्योंही एक ज़ातीयता का भाव पुनः उत्पन्न हो उठा राज्य पद्धति जो ब्रिटिश सरकार ने कायम की उसके सिद्धान्त जांचे जाने लगे और उनमें न्यूनता प्रतीत होने पर राजनैतिक जागृति का आरम्भ हुआ। देशोन्नति एक ध्येय के स्वरूप में प्रजा के सामने उपस्थिति हुई। भारतवासियों को यह मालूम होने लगा कि देशोन्नति करना उनका कर्तव्य है और देश भक्ति एक अमूल्य वस्तु है।

करीब १०० वर्ष हुये जब पहिले पहिल राजा राममोहन राय (बङ्गाल निवासी) ने राजनैतिक प्रश्नों पर चर्चा आरम्भ की। उन्होंने प्रजा की कुछ आवश्यकताओं को एक संगठित रूप में सरकार के सामने रक्खा किन्तु उस समय प्रायः कुछ प्रमुख भारत-वासियों का यह विश्वास था कि देश की हीन दशा का मुख्य कारण भारत-वासियों का धर्म में विश्वास व श्रद्धा कम हो जाना है इस कारण राजनैतिक सुधार की ओर उचित ध्यान न दिया गया। इसके बाद जब अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ और भारत वासियों को राज्य प्रणाली की जांच का ज्यादा अवसर मिला तो राजनैतिक सुधारों की आवश्यकता अधिक मालूम होने लगी करीब १८५० ई० के कलकत्ता में 'ब्रिटिश इण्डियन एसोसियेशन' व बम्बई में "बम्बई असोसियेशन" राजनैतिक चर्चा के लिये खोली गई। १८७५ ई० में पूना की सार्वजनिक सभा खोली गई जो अभी तक जारी है। इसी समय कुछ पार्लीमेंट के मेम्बरों ने विलायत में भारत सम्बन्धी प्रश्नों पर चर्चा करना आरम्भ किया इनमें से 'जान ब्राइट' 'हेनरी फासेट' और 'चार्लस ब्रेडला' ने भारत के लिये बड़ी सहानुभूति दिखलाई। इसी काल में समाचार पत्र भी जारी होना शुरू हुये और सर्व साधारण का ध्यान देश की गिरी दशा की ओर आकर्षित होना आरम्भ हुआ सरकारी कर्मचारियों की बुराइयां जनता की निगाह में आने लगीं। इन समाचार पत्रों पर सरकारी कर्मचारियों की कुदृष्टि होने के कारण छापेखानों की स्वतन्त्रता प्रायः बहुत काल तक नष्ट ही कर दी गई जिसका यह परिणाम हुआ कि देश में असन्तोष फैलना शुरू हुआ। सन् १८७६ ई० के करीब सिविल सर्विस की परीक्षा के लिये विद्यार्थियों की उम्र

केवल १९ वर्ष कर दी गई और चूंकि यह परीक्षा विलायत में होती है और इसी परीक्षा के पास किये लोगों को कलेक्टर कमिश्नर इत्यादि ऊंचे उहदे मिलते हैं इस कारण स्पष्ट हो गया कि उम्र का किया जाना केवल हिन्दुस्थानियों के मार्ग में कठिनाई डालना है । देश में बड़ा असन्तोष फैला और राजनैतिक आन्दोलन को बड़ा उत्तेजन मिला । यद्यपि सन् १८५७ के गदर के बाद महारानी विक्टोरिया के घोषणापत्र द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह विश्वास दिलाया था कि भारतवासियों को वही हक होंगे जो अंग्रेजों को हैं और सरकारी कर्मचारी नियत किये जाने में जाति, धर्म या रंग का कोई भेद भाव नहीं किया जावेगा लेकिन यह सिद्धान्त व्यवहारिक रीति में बरता न गया । बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने उस समय देश में घूमकर कई जगह व्याख्यान दिए प्रजा की ओर से यह मांग की गई कि सिविल सर्विस की परीक्षा हिन्दुस्थान में भी हुआ करे इस आन्दोलन में देश के प्रमुख सज्जनों को एक दूसरे से मिलने और अपने विचार प्रगट करने का सुअवसर मिला । इसके बाद इलबर्ट साहब के बिल ने जो उन्होंने बड़े लाट साहिब के कौंसिल में सन् १८८३ में पेश किया देश को बहुत जागृति कर दिया । इलबर्ट साहब की यह राय थी कि हिन्दुस्थानी मजिस्ट्रेटों को भी यह अख्तियारात दिये जावें कि वह यूरोपियन और अमेरिकन मुलजिमों का मुकदमा कर सकें लेकिन हिन्दुस्थान भर के अंग्रेजों ने ऐसा असन्तोष प्रगट किया कि जिससे यह कानून पास न हो सका । इस कानून के पास न होने से भारतवासियों को यह प्रतीत होने लगा कि सरकारी कर्मचारियों के हृदय में साम्यता का भाव नहीं है और जब तक भारतवासियों को राजशासन में प्रबल भाग न मिलेगा उनकी उन्नति नहीं हो सकती । इन मुख्य कारणों के अतिरिक्त असन्तोष का एक बड़ा भारी कारण यह भी हुआ कि देशी उद्योग धन्धे विलायती तिजारत के मुकाबिले के कारण दिन पर दिन नष्ट होने लगे और भारतवासियों की गरीबी बढ़ने लगी । राज्य पद्धति की सुधारणा बड़ी आवश्यक मालूम होने लगी । इस आवश्यकता को केवल भारतवासियों ही ने नहीं किन्तु कुछ उदार चित्त अंग्रेजों ने भी मालूम किया मि० ए० ओ० ह्यूम; सर विलियम वेडरबर्न और सर हेनरी काटन प्रभृति सज्जनों ने इन कुल कारणों को भली प्रकार मनन किया और भारतवासियों से सहानुभूति प्रगट की । मि० ह्यूम ने पहिले पहल आगे होकर संगठित राजनैतिक आन्दोलन करने की युक्ति सोची । उन्हों ने पत्र व्यवहार द्वारा प्रमुख भारतवासियों को यह बतलाया कि देश में एक ऐसी सार्वजनिक संस्था की आवश्यकता है जिससे कुछ भारतवासी

मिलकर अपनी आवश्यकताओं को सरकार के सामने उपस्थिति कर सकें इस कारण मि० ह्यूम ने बड़ा ही परिश्रम किया और सन् १८८५ ई० में कांग्रेस कायम की गई।

कांग्रेस के जन्म दाताओं में मुख्य सज्जन मि० ह्यूम, बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सर दिनशा एडलजी वाच्छा, श्री० एस. सुब्रह्मन्य अय्यर, श्री० महादेव गोविन्द रानडे, श्री० सीताराम हरी चिपलूणकर, श्री० आनन्दाचार्लू, सर फीरोजशाह मेहता, मुन्शी गंगाप्रसाद वर्मा, श्री० काशीनाथ त्र्यम्बक तैलङ्ग, श्री० दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस की पहिली बैठक बम्बई में हुई जिसके सभापति बाबू उमेशचन्द्र बनर्जी चुने गये।

—०——०—

कांग्रेस का इतिहास।

प्रथम कांग्रेस पूना में होने वाली थी। उसी स्थान से गश्ती चिट्ठियां सारे देश में भेजी गई थीं और एक स्वागत सभा भी बन गई थी। किन्तु कांग्रेस के पहिले पूना में कालरा फैल गया इस कारण कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में ता० २८ दिसम्बर १८८५ ई० को गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कालेज हाल बम्बई में हुआ। प्रत्येक अधिवेशन के मुख्य प्रस्ताव नीचे दिये जाते हैं। साधारण प्रस्ताव तथा ऐसे प्रस्ताव जो केवल दुहराये गये उनका उल्लेख नहीं किया गया है।

१—बम्बई १८८५

सभापति—श्री० उमेशचन्द्र बनर्जी

मुख्य प्रस्ताव-(१) भारतीय शासन की जांच के लिये रायल कमीशन की नियुक्ति (२) इण्डिया कौंसिल को तोड़ देना (३) कौंसिलों का सुधार (४) आई. सी. एस. की परीक्षायें भारत व इंगलैंड दोनों जगहों में होना और उम्मेदवारों की उम्र बढ़ा देना (५) फौजी खर्च को कम करना (६) ब्रह्म देश पर कबजा करने पर असन्तोष।

२—कलकत्ता १८८६

सभापति—श्री० दादा भाई नौरोजी

मुख्य प्रस्ताव—(१) भारतीयों की गरीबी हटाने के लिये प्रातनिधिक संस्थायें ही एक मात्र उपाय हैं (२) कौंसिलों का सुधार (३) न्याय और प्रबन्ध खातों का अलग २ किया जाना (४) वालंटियर बनने की सरकारी अनुमति।

३—मद्रास १८८७

सभापति—श्री० बद्रुद्दीन तय्यब जी

विषय नियामक सभा सर्व प्रथम बनाई गई।

मुख्य प्रस्ताव—(१) देशी धन्धों की उन्नति (२) सैनिक कालेजों के खुलने की सरकार से सिफारिश।

४---इलाहाबाद १८८८

सभापति--सर फीरोज शाह मेहता।

मुख्य प्रस्ताव (१) पुलिस प्रबंध पर असंतोष। (२) आवकारी मुकदमे का सुधार।

५---बंबई १८८९

सभापति---सर विलियम वेडरबर्न।

मुख्य प्रस्ताव-(१) एक शिष्ट मंडल की नियुक्ति जो इंग्लैंड में राजनैतिक आंदोलन भारत की ओर से करे।

६---कलकत्ता १८९०

सभापति---सर फीरोजशाह मेहता।

मुख्य प्रस्ताव-(१) मद्यपान निशेध (२) नमक कर कम किया जाना (३) इसतिमरारी बन्दोबस्त (३) बंगाल सरकार की इस आज्ञा पर कि सरकारी नौकर कांग्रेस में न जावें असंतोष।

७---नागपुर १८९१

सभापति---श्री० आनंद चारलू।

मुख्य प्रस्ताव---(१) प्रातिनिधिक संस्थाओं की वृद्धि होना चाहिये (२) भारतीयों को अधिक भाग सरकारी शासन में मिलना चाहिये।

८---इलाहावाद १८९२

सभापति---वोमेशचन्द्र बनर्जी।

मुख्य प्रस्ताव---(१) पवलिक सर्विसेज कमीशन की रिपोर्ट पर असंतोष।

९---लाहौर १८९३

सभापति---दादाभाई नौरोजी।

मुख्य प्रस्ताव---(१) कौंसिल ऐक्ट (१८९२) पर असंतोष (२) पंजाब के लिये हाई कोर्ट और कौंसिल की मांग। [३] मुफ्त व अनिवार्य शिक्षाकी मांग। [४] यूरोपियन अफसरों को बट्टा दिये जाने पर असंतोष।

१०---मद्रास १८९४

सभापति---एेलफ्रेड वेब।

मुख्य प्रस्ताव---[१] रुई के कपड़ों पर टैक्स पर असंतोष। [२] इंडिया कौंसिल का तोड़ा जाना। [३] दक्षिणी अफ्रीका में हिन्दुस्थानियों का मताधिकार छीने जाने पर असंतोष।

११---पूना १८९५

सभापति---सुरेन्द्रनाथ बनर्जी।

मुख्य प्रस्ताव---[१] सरकारी जमा खर्च पर असंतोष और खर्च कम करने की मांग। [२] जूरी पद्धति की मांग। [३] रेलवे के तीसरे दर्जे के मुसाफिरों की दशा पर असंतोष। [४] जंगल सम्बन्धी दुःख।

१२---कलकत्ता १८९६

सभापति---मु० रहीमतुल्ला सयानी।

मुख्य प्रस्ताव---[१] प्रान्तीय सरकारों को खर्च करने की अधिक स्वतन्त्रता [२] शिक्षा विभाग में हिंदुस्थानियों की तनखाहें पहिले से कम कर दी गईं इस संबंध में असंतोष। [३] दुर्भिक्ष का उचित प्रबंध किया जावे [४] युनिवर्सिटियों का सुधार [५] देशी नरेश बिना अदालती निर्णय के पदच्युत न किया जावे।

१३—अमरावती १८९७

सभापति—सी. शंकरनय्यर

श्री० खापर्डे स्वागताध्यक्ष ने अन्य बातों के अतिरिक्त पूना में प्लेग और उसके सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये हुये अत्याचारों को बताया।

मुख्य प्रस्ताव—(१) सरहद्दी चढ़ाइयों पर असन्तोष (२) सन् १८१८, १८१९, १८२७ के रेगुलेशनों का दुरुपयोग (३) राजद्रोह सम्बन्धी कानून के परिवर्तन पर असन्तोष क्योंकि उससे भाषण स्वातन्त्र्य पर प्रहार किया गया।

१४—मद्रास १८९८

सभापति—आनन्द मोहन बोस

मुख्य प्रस्ताव—(१) उपरोक्त राजद्रोह का कानून जनता के विरोध पर भी पास किया गया इस बात पर घृणा प्रदर्शन (२) कलकत्ता म्युनिसिपल बिल और बम्बई सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के कारण असन्तोष।

१५—लखनऊ १८९९

सभापति—रमेशचन्द्र दत्त

मुख्य प्रस्ताव—(१) पंजाब लैंड एलीनेशन ऐक्ट का विरोध (२) मिस गारलैंड (ब्रिटिश कमेटी की प्रतिनिधि) ने प्रस्ताव किया कि भारत की अंग्रेजी सेना का खर्च इंगलैंड देवे (३) भारत में गोल्ड स्टैंडड का विरोध (४) राजनैतिक सभाओं शिक्षकों के जाने पर मनाई पर असन्तोष (५) कांग्रेस की रचना के नियम पास हुये।

१६—लाहोर १९००

सभापति—एन. जी. चन्द्वरकर

मुख्य प्रस्ताव—(१) भारत की आर्थिक दशा की जांच की जावे जिससे दुर्भिक्षों के कारण मालूम पड़ें (२) सैनिक कालेजों की मांग (३) शिक्षा तथा औद्योगिक विषयों पर चर्चा प्रत्येक कांग्रेस में आधे दिन हुआ करे (४) शराब रोकने के कानून की मांग (५) वाइसराय के पास प्रस्तावों को पेश करने के लिये शिष्ट मंडल कायम किया गया।

१७—कलकत्ता १९०१

सभापति—दिनशा इदुलजी वाच्छा

मुख्य प्रस्ताव—(१) प्रीवी कौंसिल में भारतीय अपीलें सुनने के लिये भारतीय जज नियत किये जावें (२) श्री० गान्धी ने दक्षिणी अफ्रीका के दुःखों पर व्याख्यान दिये (३) आसाम कुलियों के अत्याचारों पर असन्तोष।

१८—अहमदाबाद १९०२

सभापति—सुरेन्द्रनाथ बनर्जी

मुख्य प्रस्ताव—(१) गोरे सिपाहियों के वेतन में वृद्धि पर असन्तोष (२) कोटन इकसाइज ड्यूटी और नमक टैक्स पर असन्तोष (३) जजों की जगहों पर सिविलियनों की नियुक्ति पर असन्तोष (४) टाटा रिसर्च इन्स्टीच्यूट को सरकार सहायता देवे।

१९—मद्रास १९०३

सभापति—लाल मोहन घोष

ब्रह्म देश के प्रतिनिधि पहिले पहिल

आये। मुख्य प्रस्ताव—(१) लार्ड कर्जन के दिल्ली दरबार की फिजूल खर्ची (२) भारतीयों को ऊंची नौकरियां न देने पर असन्तोष (३) आफीशियल सीक्रेट्स बिल का विरोध (४) बंगाल के दो टुकड़े करने पर असन्तोष।

२०—बम्बई १९०४

सभापति—सर हेनरी काटन

मुख्य प्रस्ताव—(१) भारत की गरीबी (२) किसानों की दशा की जांच (३) ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीयों को दुःख (४) सेक्रेटरी आफ स्टेट का खर्च इंगलैण्ड पर डाला जावे (५) इंगलैण्ड में इस साल जनरल इलेक्शन्स के समय एक शिष्ट मंडल वहां भेजा जावे जो वहां के मत दाताओं को भारत की दुर्दशा बतावे।

२१—बनारस १९०५

सभापति—गोपाल कृष्ण गोखले

मुख्य प्रस्ताव—(१) वंग भंग पर असन्तोष (२) दमनकारी नीति पर घृणा (३) विदेशी माल का वायकाट (४) हौस आफ कामन्स में प्रत्येक प्रांत से दो मेम्बर जाया करें। इस वर्ष बंगाल में सभायें, संकीर्तन, वन्देमातरम् गीत आदि बन्द कर दिये गये थे।

नोटः—कांग्रेस के इस समय के जीवन काल में दो प्रवृत्तियां स्पष्ट होने लगी थीं (१) लो० टिलक के नेतृत्व में युवक राजनीतिज्ञ कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वातन्त्र्य रखना चाहते थे और उसी ध्येय की पूर्ति के लिये सरकारी दमन से भी मुकाबला करने पर तैयार थे। स्वदेशी व वायकाट इसी प्रवृत्ति का प्रकाश था (२) दूसरे प्रकार से राजनीतिज्ञ कांग्रेस के ध्येय का पूर्ण स्वातन्त्र्य नहीं समझते थे वरन् औपनिवेशिक स्वातंत्र्य ही पर सन्तुष्ट थे। यह ध्येय भी उन्होंने अभी तक स्पष्ट नहीं किया था। इन्हीं प्रवृत्तियों की भिन्नता से दो दल (गरम) और (नरम) कायम हो चले थे। पहले को Extremist और दूसरे को Moderate (आगे चलकर Liberal) कहने लगे।

२२—कलकत्ता १९०६

सभापति—दादा भाई नौरोजी

इस कांग्रेस के लिये लो० टिलक को सभापति बनाने की करीब २ सबों की इच्छा थी किन्तु बंगाल के कुछ डरपोक नेताओं की तथा वृद्ध कांग्रेसमैनों की ऐसा करने में हिम्मत नहीं पड़ती थी। इस कारण उन्होंने बुद्धिमत्ता से श्री० दादा भाई नौरोजी को सभापति बनाना निश्चय किया और उन्हें आमन्त्रित भी कर दिया। उनके विरुद्ध आवाज उठाने की फिर किसी की इच्छा न हुई।

मुख्य प्रस्ताव—(१) वंग भंग के कारण आन्दोलन को दबाने के लिये सरकार ने जो दमन नीति चलाई उस पर असन्तोष।

नोटः—दादा भाई नौरोजी ने गरम दल वालों के विचारों को मान लिया और कांग्रेस का ध्येय औपनिवे-

शिक स्वराज्य है ऐसा घोषित कर दिया।

२३—सूरत मद्रास १९०७–०८

सभापति—डा० रास बिहारी घोष

सूरत कांग्रेस (१९०७)

सूरत कांग्रेस होने के पहिले से ही गरम दल व नरम दल में अनबन काफी हो गई थी। कांग्रेस के आरम्भ होने के पहिले ही से लो० टिलक, श्री० अरबिन्द घोष आदि जनता में जोरों से व्याख्यान द्वारा पूर्ण स्वातन्त्र्य के ध्येय का प्रचार करने लगे थे। इस समय जनता भी कांग्रेस की कार्यवाही में भाग लेने लगी थी और सर्व साधारण का झुकाव नरम दल के ही ओर था।

ज्योंही श्री० सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने २६ दि० १९०७ को सभापति के चुनाव के प्रस्ताव पर बोलना आरम्भ किया कि सभा में बड़ी गड़बड़ी मच गई और सभा वहीं विसर्जन हुई। दूसरे दिन सभापति के प्रस्ताव की उपस्थिति और अनुमोदन के बाद लो० टिलक प्लेटफार्म पर आये और उन्होंने सभापति के चुनाव के प्रस्ताव पर संशोधन पेश करना चाहा सभापति ने ऐसा न करने दिया इस पर फिर गड़बड़ी पैदा हुई और कांग्रेस स्थगित कर दी गई।

उसी के बाद ही रास बिहारी घोष, फीरोजशाह मेहता, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, जी. के. गोखले, डी. ई. वाच्छा, नरेन्द्रनाथ सेन, अम्बालाल शंकरलाल देसाई, बी. कृष्णस्वामी अय्यर, त्रिभुनवदास, मदनमोहन मालवीय तथा अन्य सज्जनों के हस्ताक्षरों पर निम्नलिखित आशय का नोटिस जारी किया गया और एक "नेशनल कन्वेन्शन" में आने के लिये आमन्त्रित किया—

२३ वीं कांग्रेस दुःखमयी घटनाओं के कारण स्थगित कर दी गई है अब आगे राजनैतिक कार्य चलाये जाने की इच्छा से यह प्रस्ताव पास किया गया है कि केवल ऐसे ही प्रतिनिधियों को कन्वेन्शन में बुलाया जावे जो निम्नलिखित बातें मानते हों—

(१) ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य स्व-शासित विभागों के सदृश स्वराज्य प्राप्ति तथा उन्हीं की भांति बराबरी से साम्राज्य के स्वत्वों और उत्तरदायित्वों में समान भाग रखना भारत का ध्येय है।

(२) इस ध्येय की ओर प्रगति केवल वैध उपायों से, राष्ट्रीय ऐक्य से, शासन में उत्तरोत्तर सुधार से, सार्व-जनिक भाव को उत्पत्ति से और सर्व-साधारण की हालत सुधरने ही से हो सकेगी।

(३) कन्वेन्शन का संचालन उन्हीं के हाथों में रहेगा जिन्हें ऐसे अधिकार दिये गये हों।

२८ दिसम्बर १९०७ को इस कन्वेन्शन की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस का ध्येय (१) के अनुसार निश्चित किया गया। इसके पश्चात प्रत्येक प्रतिनिधि को ध्येय पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया। फलतः

गरमदल के लोगों ने कांग्रेस में आना बंद कर दिया ।

मद्रास कांग्रेस [१९०८]

२३वीं कांग्रेस जो सूरत में स्थगित हुई थी मद्रास में डा० राशबिहारी घोष के सभापतित्व में हुई ।

मुख्य प्रस्ताव—(१) बङ्गभङ्ग को रद्द करने की सिफारिश (२) स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन (३) बङ्गाल रेगूलेशन ३ सन् १८१८ के रद्द किये जाने की सिफारिश (४) एक्ट ७ सन् १९०८ (अखबारों के छापेखानों की जब्ती का कानून) और एक्ट १४ स० १९०८ (सराकर द्वारा नामंजूर किये हुये किसी सभा में चंदा देना जुर्म है) के रद्द किये जाने की सरकार से सिफारिश।

२४—लाहोर । १९०२.

सभापति—पं. मदनमोहन मालवीय ।

मुख्य प्रस्ताव–(१) इंडिया कौंसिल ऐक्ट १९०९ पर असतोष (२) यू. पी. पञ्जाब; पूर्वी बङ्गाल, ब्रह्मदेश में इक्जीक्यूटिव कौंसिलों का बनाया जाना (३) दक्षिणी अफ्रीका में भारतवासियों की दुर्दशा पर दुःख प्रदर्शित किया गया ।

२५—इलाहाबाद । १९१०.

सभापति—सर विलियम वेडरबर्न ।

मुख्य प्रस्ताव—(१) कुल स्थानिक संस्थायें (ग्राम पञ्चायतें, म्युनिसिपेलिटियां, और जिला बोर्ड) प्रतिनिधिक बना दी जावें (२) सिडीशस मीटिंग्स ऐक्ट मियाद खतम होने पर आगे न चलाया जावे । और प्रेस ऐक्ट एकदम हटा दिया जावे (३) प्रातिनिधिक संस्थाओं में साम्प्रदायिक तत्व का निषेध ।

२६—कलकत्ता । १९११.

सभापति—पं. बिशन नरायण दर

मुख्य प्रस्ताव—(१) सम्राट को धन्यवाद कि उन्होंने बङ्गविच्छेद रद्द कर दिया (२) दमनकारी कानून हटाये जावें (३) पुलिस सुधार ।

१७—बांकीपूर (पटना) १९१२.

सभापति—आर. एन. मुधोरकर ।

मुख्य प्रस्ताव—(१) ब्रिटिश उपनिवेशों में हिन्दुस्थानी मजदूरों की दुर्दशा और कुली प्रथा की बन्दी (२) फौजों में ऊंचे अफसरों की जगहें भारतियों को नहीं दी जाती हैं इस पर निशेध ।

२८—कराची । १९१३.

सभापति—नवाब सैय्यद मुहम्मद

मुख्य प्रस्ताव—(१) मुसलिम लीग ने स्वराज्य का ध्येय ग्रहण कर लिया इस पर उसे बधाई (२) आल-इंडिया कांग्रेस कमेटी को अधिकार दिया गया कि इङ्गलैण्ड को एक शिष्ट मण्डल भेजे ।

२९—मद्रास । १९१४.

सभापति—सुरेन्द्रनाथ बसु ।

मुख्यप्रस्ताव—(१) जर्मन लड़ाई में देशी फौज भेजने पर सन्तोष (२) हथियारों के कानून में सुधार (३) देशी उद्योगों की रक्षा ।

३०—बम्बई । १९१५

सभापति—सर सत्येन्द्र प्रसन्न सिंह

मुख्य प्रस्ताव—(१) फौजों में देशी आदमियों को कमीशन मिलना चाहिये और फौजी कालेजों में उन्हें शिक्षा भी मिलनी चाहिये (२) कांग्रेस की रचना में कुछ परिवर्तन।

३१—लखनऊ । १९१६.

सभापति—बा. अम्बिकाचरन मजुमदार।

कांग्रेस में गरमदल के लोग शामिल हुये। लो॰ टिलक प्रभृति सज्जन आये। मुख्य प्रस्ताव—(१) स्वराज्य प्रस्ताव—(क) सम्राट को चाहिये कि यह घोषणा करदें कि ब्रिटिश नीति का लक्ष भारत को जल्द स्वराज्य देने का है (ख) कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कमेटियों द्वारा बनाये हुए सुधारों के मसौदे के अनुसार ब्रिटिश सरकार को भारत में स्वराज्य की पहिली मात्रा देवे (ग) साम्राज्य की पुनर्घटना में भारत को "डिपेन्डेन्सी" की हैसियत से उठा कर साम्राज्य के अन्य स्वशासित विभागों के समान कर दिया जावे।

३२—कलकत्ता । १९१७.

सभानेत्री—मि॰ एनी. बेसेन्ट

मुख्य प्रस्ताव–[१] स्वराज्य का ध्येय। [२] मि. मांटेगू की २१ अगस्त १९२७ वाली घोषणा पर विचार।

विशेष अधिवेशन—बम्बई । १९१८.

सभापति—हसन इमाम।

२८ अगस्त १९१८ को यह अधिवेशन मांटेगू चेलम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार के लिए खास कर किया गया। नरम दल वाले अलग हो गये उन्हें रिपोर्ट बहुत कुछ पसंद आई और उन्होंने अलग कान्फ्रेन्स की, जो आगे चलकर नैशनल लिबरल फिडरेशन हुई।

मुख्य प्रस्ताव—[१] सुधार कुछ हद तक उत्तरदायी शासन की मात्रा है किन्तु वे "नाकाफी, असन्तोषजनक, और निराशाजनक हैं। [२] पार्लीमेंट द्वारा भारतवासियों के "स्वत्वों की घोषणा" [Declaration of Rights] इस प्रकार कर दी जावे [क] सब प्रजा समान है और किसी भेद के कारण किसी प्रकार का भिन्न भांति का कानून किसी के लिये न रहेगा [ख] सम्राट की प्रजा का किसी देशी मनुष्य को बिना अदालत में मुकदमा चलाए हुए कोई दण्ड न दिया जायगा [ग] सब को लाइसेंस लेने पर हथियार रखने का अधिकार होगा [घ] अखबारों को आजादी होगी और कोई जमानत उनसे न मांगी जावेगी। [ङ] फौज में देशी मनुष्य को किसी प्रकार का ऐसा शारीरिक दण्ड न दिया जावेगा जो अन्य सैनिकों को नहीं दिया जाता हो।

३३—दिल्ली । १९१८

सभापति—पं मदनमोहन मालवीय

मुख्यप्रस्ताव—[१] स्त्रियों को

मताधिकार दिया जावे (२) स्वभाग्य निर्णय का प्रस्ताव जो इस प्रकार था—

चूंकि प्रेसीडेन्ट विलसन मि० लायड जार्ज तथा अन्य ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने यह घोषणा की है कि जगत की आगामी शान्ति के लिये स्वभाग्य निर्णय का तत्व सब प्रगति शील राष्ट्रों को लागू होगा—इस कारण यह प्रस्ताव किया जाता है कि—

१—यह कांग्रेस दावा करती है कि सन्धि कांफ्रेंस और ब्रिटिश पार्लीमेंट भारत को ऐसा प्रगति शील राष्ट्र माने जिसे उपरोक्त तत्व लागू हो।

२—व्यवहारिक रीति से इस सिद्धान्त का उपयोग इस प्रकार हो कि—

क—वाद विवाद स्वातन्त्र्य पर सब रोक टोक हटा लेना, दमनकारी कानूनों का रद्द होना जो समाचार पत्रों, सभाओं, विचार प्रकाशन, राजनैतिक प्रश्नों पर चर्चा आदि से सम्बन्ध रखते हैं जिससे भारत के कुल निवासी निडर होकर अपने ध्येय और रायें प्रगट कर सकें। इसी प्रकार सब कायदे व कानून रद्द कर दिये जावें जिनके द्वारा शासक वर्ग को बिना साधारण फौजदारी कानून की सहायता के गिरफ्तारी, रोकटोक, निर्वासन; आदि के अधिकार हैं और राजद्रोह का कानून इंगलैण्ड में जैसा है वैसा कर दिया जावे।

ख—ऐसा कानून ब्रिटिश पार्लीमेंट पास करे जो भारत में शीघ्र उत्तरदायी शासन कायम कर दे।

ग—जब उत्तरदायी शासन कायम हो जावे तो आन्तरिक विषयों में सर्वोच्च शक्ति केवल सुप्रीम लेजिसलेटिव ऐसेम्बली होगी जो भारतीय राष्ट्र की आवाज होगी।

घ—साम्राज्य की नीति में विदेशी नीति में, लीग आफ नेशन्स में भारत को स्वशासित उपनिवेशों की नाईं समान स्थान मिलेगा।

होमरूल लीग।

लखनऊ कांग्रेस १९१६ के स्वराज्य विषयक प्रस्तावानुसार लो० टिलक और श्री० बेसेन्ट ने "होमरूल लीग" कायम की। स्थान २ पर उसकी शाखायें खोली गईं और आन्दोलन तीव्रता से चलाया गया। लीग के मुख्य दफ्तर पूना तथा अडयार में थे। सहस्रों सदस्य भर्ती हुये और भारतवासियों में स्वराज्य प्राप्ति की इच्छा प्रबल हो उठी महा युद्ध के कारण लाखों भारतवासियों को विदेशों में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ जिसके कारण भारतवासियों के विचार विस्तृत हुये। मि० लायड जार्ज प्रधान मंत्री इंगलैण्ड, तथा मि० वुडरो विलसन प्रेसीडेन्ट यूनाइटेड स्टेटस अमरीका ने 'स्वभाग्य निर्णय' और छोटे २ राष्ट्रों की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त का बड़े वेग से प्रचार किया। भारतवासियों से जब महायुद्ध के लिये अंग्रेजी सरकार ने धन और सैनिक लिये उस समय उन्हें स्वशासन व स्वतन्त्रता देने के अभिवचन

भी दिये और उनकी स्वराज्य की मांग को उत्तेजना भी दी। इन सब कारणों से जब होमरूल लीग के सहस्रों सदस्यों ने अविश्रांत होकर स्वराज्य आन्दोलन को तेजी से बढ़ाया तो सरकार को बेचैनी उत्पन्न हो गई उसने दमन नीति का प्रारम्भ किया। मिसेज ऐनी बेसेन्ट, मि० एरंडेल और मि० वाडिया को "इंडियन डिफेन्स" (भारत रक्षा कानून के अनुसार नजर बन्द कर दिया। देश भर में प्रतिवाद सभायें हुईं आन्दोलन और अधिक चमका। भारत मन्त्री को अनेक तार दिये गये कि मि० एनी बेसेन्ट प्रभृति सज्जनों को मुक्त कर दिया जावे। इन बातों से 'होमरूल लीग' का कार्य बहुत बढ़ गया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि तीनों सज्जन तीन मास ही में मुक्त कर दिये गए।

पंजाब हत्या कांड (१९१९)

भारत की स्वराज्य प्राप्ति की इच्छायें प्रबलता से बढ़ रही थीं कि सरकार ने एक कमेटी बनाई जिस के सभापति सर सिडनी रौलैट नियत हुए। इस कमेटी को यह कार्य सुपुर्द हुआ कि भारत में खुफिया अराजक समितियों की जांच करे और उस पर रिपोर्ट देवे। कमेटी ने एक बृहत रिपोर्ट तैयार की और उस के आधार पर एक बिल इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल में सर विलियम विन्सेन्ट ने ता० ६ फरवरी १९१९ को पेश किया जिसके अनुसार सरकारी अफसरों के साधारण जाप्ता फौजदारी के अतिरिक्त विशेष अधिकार दिये जाने की योजना की गई। इस बिल के पास होने से सार्वजनिक स्वातंत्र्य पर आक्रमण होने की सम्भावना से जनता ने इसका घोर विरोध किया और असंतोष सूचक लेख प्रकाशित हुये, सभायें की गईं और व्याख्यान भी दिए गए। १२ मार्च १९१९ को कमांडर इन चीफ ने इंडियन डिफेन्स फोर्स ऐक्ट १९१७ (जो महा युद्ध के समय आकास्मिक आवश्यकता के लिए बनाया था) की मियाद बढ़ाए जाने के लिए बिल पेश करने की अनुमति प्राप्त करली। इस से असन्तोष और भी बढ़ा। उसी रोज सर विलियम विन्सेण्ट ने "इमरजेन्सी पावर्स" (रौलट) बिल पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सम्बन्धी बिचार आरम्भ कराया जिस पर बड़ा वाद-विवाद हुआ। यह 'रौलट' बिल जिस का नाम "एनार्कीकल एण्ड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स बिल" इम्पीरियल कौंसिल में ता० १८ मार्च १९१९ को बहुमत से (३५ वोट पक्ष व २० विपक्ष) पास हो गया। भारतवर्ष भर में खलबली मच गई। ३१ मार्च १९१९ सारे भारत में अपमान व प्रार्थना का दिन (Day of Humiliation and Prayer) माना गया। दिल्ली में विरोध प्रदर्शक विराट जुलूस निकला। पुलिस ने उस पर गोली चलाई। स्वर्गीय स्वामी

श्रद्धानन्द ने बड़ी वीरता बताई और बोरवा फौज के सामने सीना खोल कर खड़े हो गये। देश भर में ता० ६ अप्रेल १९१९ को रौलेट ऐक्ट के खिलाफ असन्तोष व दुख सूचक हड़तालें की गईं और सहस्त्रों सभायें विरोध प्रकट करने के लिए की गईं। बम्बई में उसी रोज महात्मा गांधी ने विराट सभा के सम्मुख व्याख्यान दिया। ता० ७ अप्रेल १९१९ सत्याग्रह सभा ने बम्बई में हस्त लिखित समाचार पत्र बिना रजिस्ट्री व जमानत प्रकाशित किये व बेचे। महात्मा गांधी जब रेल द्वारा पञ्जाब में राजनैतिक कार्य के उद्देश्य से दिल्ली में शान्ति स्थापित करने की नियत से जाने लगे तो १० अप्रेल १९१९ को पञ्जाब सरकार ने उन पर एक आज्ञा इस विषय की तामील की कि वे पञ्जाब में न आवें जिसे उन्होंने अस्वीकृत किया। फलतः सरकार ने पलवल व कोसी स्टेशनों के बीच उन्हें रेल से उतार लिया और बम्बई की दूसरी ट्रेन में रवाना करा दिया देश भर में सनसनी फैल गई विशेषतः यह समझ कर कि महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिये गये हैं बंबई लाहौर, अहमदाबाद, अमृतसर आदि स्थानों में दंगे हुये और अमृतसर में कुछ अंग्रेज भी मारे गये।

१४ अप्रेल १९१९ को लाहौर व अमृतसर जिलों में 'फौजी कानून जारी कर दिया गया। अकथनीय अत्याचार भारतीय स्त्री पुरुषों पर किये गये। पेट के बल रिंगाया गया, कोड़े मारे गये, विद्यार्थियों व शिक्षकों को अनेक कष्ट दिये गये, स्त्रियों की लज्जाहरण की गई, जलयान वाला बाग में निःशस्त्र स्त्री पुरुष और बच्चों पर जनरल डायर ने मशीनगनें चलाईं सैकड़ों मनुष्य हताहत हुए। डा० हरिकिशुनलाल, डा० किचलू डा० सत्यपाल तथा अनेक सज्जन पकड़ लिये गये और उन्हें लम्बी लम्बी सजायें भी दी गईं। भारतीय क्षोभ का पारावार न रहा। गवरमेंट ने एक कमेटी लार्ड हन्टर के सभापतित्व में पञ्जाब हत्याकांड की जांच के लिये नियत की किन्तु इस कमेटी ने अपराधी अधिकारियों को निर्दोषी ठहराया कांग्रेस ने स्वयं एक सब-कमेटी हत्याकांड की जांच के लिये नियत की जिसने अनेक विश्वासनीय गवाहियों की गवाही से सिद्ध कर दिया कि सरकारी अधिकारियों ने निष्कारण जनता पर अत्याचार किये हैं। कांग्रेस ने हन्टर कमेटी के सामने गवाही पेश करने से इनकार कर दिया था। हन्टर कमीशन के तीन हिन्दुस्थानी सदस्यों ने जो राय लिखी थी वह भी सरकार ने मान्य नहीं की। ५ अंग्रेज सदस्यों की ही राय मानी गई।

२४ दिसम्बर १९१९ को एक घोषणा प्रकाशित हुई जिसमें सम्राट सुधार ऐक्ट को जो पार्लामेंट ने पास किया था अपनी अनुमति देदी साथ २ पञ्जाब के सब ऐसे अभियुक्तों को आम माफी देदी जो

वास्तव में हिंसात्मक जुर्मों के अपराधी न थे। और अन्य राजनैतिक कैदियों को भी छोड़ दिया। इसके कारण देश में शांति के चिन्ह दिखाई देने लगे। सन् १९१९ की कांग्रेस में जो २६ दिसम्बर १९१९ को अमृतसर में आरंभ हुई ला० हरकिशन लाल, डा० किचलू मौलाना मुहम्मद अली प्रभृति कैद से छूट कर शामिल हो सके।

३४—अमृतसर। १९१९

सभापति—पं० मोतीलाल नेहरू।

मुख्य प्रस्ताव—[१] पञ्जाब अत्याचारों पर असन्तोष। [२] रिफार्मस ऐक्ट १९१९ ना काफी असन्तोष जनक, तथा निराशा जनक है किन्तु कांग्रेस उसे मन्जूर करने पर तैयार है और जो कुछ लाभ हो सकता है उठायेगी।

नोट—(१) प्रस्ताव न० २ महात्मा गांधी के अनुरोध पर पास हुआ था (२) इसी अवसर में लो० टिलक ने रिफार्मस के सम्बन्ध में कहा था कि भारतीय 'रिसपन्सिब कोआपरेशन" (प्रति-योगी सहकारिता) करेंगे। आगे चल कर दोनों महात्माओं के यह दोनों बिचार भारतीय राजनैतिक कार्यक्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व के हो गये।

असहयोग का जन्म।

कांग्रेस १९१९ की बैठक के बाद आशा उत्पन्न होने लगी थी कि भारत के साथ अब कुछ न्याय होगा और स्थिति में कुछ उन्नति होगी किन्तु शीघ्र ही यह पता चल गया कि मि० लायड जार्ज, ब्रिटिश प्रधान मन्त्री द्वारा दिये हुये टर्की तथा इसलामी पवित्र स्थानों सम्बन्धी बचन निरथक ही रहेंगे अर्थात् खिलाफत के प्रश्न तथा पवित्र स्थानों के प्रश्न पर ब्रिटिश सरकार मुसलमानों का पक्ष न लेगी इसी प्रकार पञ्जाब अत्याचारों के सम्बन्ध में भी सरकार ने अच्छी नीति न बरती। अत्याचार करने वाले अधिकारी निकाले न गये; उन्हें कोई सजायें न दीगईं उनकी पेन्शनें जप्त न की गईं, वरन कुछ अधिकारियों को इनामें दी गईं। इन बातों से शीघ्र ही असन्तोष फैलने लगा। और अहिंसात्मक असहयोग का सिद्धांत महात्मा गान्धी ने कष्टों के निवारण का उपाय सबसे पहिले ९ अप्रेल १९२० को बताया। इस सिद्धांत को पहले भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत प्रश्न के सुलझाने के उपयोग में लाने का निश्चय किया।

३५—नागपुर। १९२०

सभापति—विजयराघवाचार्यर।

मुख्य प्रस्ताव—(१) असहयोग का कार्यक्रम मन्जूर किया गया और कुछ परिवर्तन किया गया (२) प्रत्येक ग्राम में कांग्रेस कमेटियां बनाईं जावें जो असहयोग का कार्य करें। (३) आल इंडिया टिलक स्वराज्य फण्ड कायम किया गया जिस में १ करोड़ रुपये की अपील की गई (४) कांग्रेस ध्येय में इस प्रकार परिवर्तन किया गया—कांग्रेस का यह उद्देश्य है कि भारतवासी

कुछ उचित तथा अहिंसात्मक उपायों से स्वराज्य प्राप्त कर लें ।

असहयोग का आरम्भ ।

ऊपर बताया जा चुका है कि असहयोग मुसलमानों ने आरम्भ किया। उसी सिलसिले में यह कहना आवश्यक है कि मौ० शौकतअली और मौ० मुहम्मद अली ने "तरके मवालात" को खिलाफत कमेटी द्वारा पास कराया। वाइसराय को एक 'अलटीमेटम' भी भेजा गया कि वे खिलाफत आन्दोलन में भाग लें और विश्वास दिलावें कि यदि ब्रिटिश मंत्री मुसलमानों की इच्छानुसार टर्की सम्बन्धी शर्तों में परिवर्तन न करेंगे तो वे अपने पद (वाइसराय) का स्थानापन्न दे देवेंगे अन्यथा ता० १ अगस्त १९२० ई० में सरकार से भारती मुसलमान सम्बन्ध तोड़ देंगे और ऐसा हुआ भी कि अवधि के बाद मुसलमानों ने असहयोग आरम्भ कर दिया।

इस निर्णय से यह आवश्यक हो गया कि देश की राजनैतिक महा सभा (कांग्रेस) भी इस पर विचार करे। इस लिये कलकत्ते में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया।

विशेष कांग्रेस कलकत्ता १९२०

ता० ४ सितम्बर १९२०

सभापति—लाला लाजपतराय

मुख्य प्रस्ताव—असहयोग

चूंकि भारतीय सरकार और विलायत की सरकार ने खिलाफत प्रश्न के सुलझाने में अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया और वजीर आजम ने मुसलमानों से वादा खिलाफी की है और अब प्रत्येक गैर मुसलिम (हिन्दू इत्यादि) का कर्तव्य है कि अपने मुसलमान भाई की मदद करे।

चूंकि भारतीय और विलायती सरकार ने पंजाब में बेगुनाहों की रक्षा करने में कोताही की और अपराधियों को सजा नहीं दी।

इन कारणों से भारतवर्ष में संतोष तब तक नहीं हो सकता जब तक इन दोनों दुःखों को निवारण न किया जाय और न इन प्रकार के दुःखों के दुहराए जाने की सम्भावना मिट सकती है जब तक हिन्दुस्तान को स्वराज्य न प्राप्त हो ऐसे समय भारतवर्ष को सिवाय असहयोग के (जो प्रतिदिन बढ़ता जावे) और कोई मार्ग नहीं है।

आरम्भ में निम्न लिखित बातें करनी चाहिये। १—सरकार के दिए हुए खिताब, उहदे, व मेम्बरी छोड़ना २—सरकारी दरबार व जलसे इत्यादिकों में न जाना ३—क्रमशः लड़कों को सरकारी मदद या इन्तजाम वाले स्कूल व कालेजों से हटा लेना और उनकी जगह राष्ट्रीय स्कूल व कालेज बनाना ४—क्रमशः सरकारी अदालतों में वकीलों व सायलों का न जाना और पंचायतें कायम करना ५—मेसोपोटेमियां में फौजी क्लर्क या मजदूर बनकर न जाना ६—कौंसिल की मेंबरी के लिए खड़े न होना और किसी को वोट न देना ७—विदेशी माल का त्याग (बहिष्कार) ८—स्वदेशी माल का बड़े प्रमाण पर

प्रचार और घरों में सूत कातने और जुलाहों को कपड़े बनाने में उत्तेजना देना

असहयोग की सफलता १९२१

असहयोग कार्यक्रम ने बड़ी तेजी से जोर पकड़ा प० मोतीलाल नेहरू मि० सी. आर. दास तथा सहस्रों वकीलों ने वकालत छोड़ी, विद्यार्थियों ने सरकारी पाठशालाएं छोड़ दीं, विलायती कपड़ें का बायकाट हुआ और जलाया भी गया, खिताब अनेक त्याग दिये गये ग्राम २ में असहयोग का प्रचार हुआ और टिलक स्वराज्य फण्ड में लाखों रुपया तुरन्त आ गया। विलायती कपड़े की दुकानों पर धरना तथा शराब की दुकानों पर धरना दिया गया और सहस्रों मनुष्य जेल गए। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रांतीय कमेटियों को सविनय आज्ञा भंग (Civil Disobe dience) अकेले व्यक्ति द्वारा या सब जनता द्वारा करने का अधिकार दे दिया था। गुजरात की प्रांतीय कमेटी ने बारडोली और आनन्द ताल्लुकाओं को आज्ञा भंग करने के लिए तैयार कर लिया। २३ नवम्बर १९१९ को सत्याग्रह आरम्भ होना था किंतु १७ नवम्बर १९१९ को जिस रोज युवराज भारत में आये बम्बई में बड़ा दङ्गा हो गया इस कारण चन्द दिनों के लिए स्थगित हुआ वर्किङ्ग कमेटी ने प्रांतीय कमेटियों को आगाही दी कि समष्टि रूप में आज्ञा भंग के लिए अहिंसात्मक (शांति मय) वातावरण आवश्यक है।

यू. पी. और बंगाल में सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत वालंटियर गैर कानूनी कर दिए फलतः सहस्रों मनुष्य आज्ञा भंग करके जेल चले गए जिनमें पं० मोतीलाल नेहरू, श्री० सी. आर. दास, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य ५५ सदस्य यू. पी. प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के भी शामिल थे। सरकार ने १४४ दफा जाप्ता फौजदारी का भी अनेक अवसरों पर उपयोग किया।

३६—अहमदाबाद १९२१

सभापति—सी. आर. दास (जेल में), हकीम अजमल खां

मुख्य प्रस्ताव— १— वालंटियर संस्थाएं मजबूत की जावें और लोग सविनय आज्ञा भंग करने के लिए भर्ती हों २—महात्मा गांधी डिक्टेटर (आज्ञा देने वाले) बनाए गए और कांग्रेस कार्यक्रम का कुल संचालन उन्हीं के हाथों में दिया गया।

बारडोली सत्याग्रह (प्रथम)

बारडोली ताल्लुक में पूर्ण रूप से सविनय आज्ञा भंग करने की तैयारी की जाने लगी और वाइसराय को अलटीमेटम भी भेजा गया। किंतु ४ फरवरी १९२२ को चौरी चौरा [गोरखपुर] में कुछ लोगों ने कुछ पुलिस वालों को मार डाला, थाने में आग लगा दी आदि। इस कारण ११ और १२ फरवरी १९२२ को वर्किङ्ग कमेटी ने प्रस्ताव पास किया—१—बारडोली सत्याग्रह स्थगित किया गया २—देश में सविनय

आज्ञा भङ्ग भी स्थगित किया गया (३) १ करोड़ मेम्बर बनाये जावें (४) चरखा चलाया और सूत कातने का कार्य बढ़ाया जावे (५) राष्ट्रीय पाठशालाओं का संगठन (६) अछूतोद्धार (७) ग्राम पंचायतें कायम की जावें।

इसके बाद ही दिल्ली की बैठक में आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने उपरोक्त प्रस्ताव को पास कर दिया किन्तु वैय-क्तिक सविनय आज्ञा भङ्ग करना तथा बिलायती कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना (पिकेटिंग) देने का अधिकार दे दिया गया।

१० मार्च १९२२ को सरकार ने महात्मा गांधी पर राजद्रोह का मामला चलाकर गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ६ साल की सादी कैद की सजा देदी।

सविनय आज्ञा भंग कमेटी।

महात्मा गांधी के कैद जाने से असहयोग आन्दोलन को बड़ा धक्का पहुँचा राजनैतिक नेताओं में मत भेद होकर असहयोग प्रोग्राम बदलने का विचार उत्पन्न हुआ कुछ लोगों की राय कौंसिलों में प्रवेश करने की भी हुई। आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक कमेटी नियत की जिसे वह काम सुपुर्द हुआ कि वह इस बात की जांच करे कि देश सविनय आज्ञा भङ्ग के लिये कहां तक तैयार है। कमेटी ने ६ सप्ताह दौरा किया और ५५९ साक्षी दारों के बयान लिये। कमेटी की दो रिपोर्टें प्रकाशित हुईं (१) हकीम अजमल खां पं० मोती-लाल नेहरू, और बी. जी. पटेल ने कौंसिल प्रवेश की राय दी, (२) डा० अन्सारी सी० राज गोपालाचार्यर और एस कस्तूरी रङ्गाअयङ्गर ने कौंसिल प्रवेश के विरुद्ध राय लिखी। इस कारण देश में दो दल (Prochanger और Nochanger) हो गये।

३७—गया १९२२

सभापति—सी. आर दास

मुख्य प्रस्ताव—कांग्रेस ने असह-योग प्रोग्राम में परिवर्तन करना मंजूर नहीं किया और असली प्रोग्राम पास कर दिया।

स्वराज्य पार्टी।

कांग्रेस में कौंसिल पक्ष की सफलता न देख कर श्री० सी. आर. दास और पं० मोतीलाल नेहरू प्रभृति नेताओं ने कौंसिल प्रवेश तत्व पर एक पार्टी कायम की जिसका नाम 'कांग्रेस खिलाफ स्वराज्य पार्टी' रक्खा गया। इस पार्टी का जोर बढ़ता ही गया और मई १९२३ में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो बैठक बम्बई में हुई उसमें कौंसिल पक्ष जीत गया क्योंकि कमेटी ने बहुमत से यह पास किया कि वोटरों में कौंसिल बायकाट का प्रचार नहीं किया जावे।

इस प्रकार स्वराज्य पार्टी मजबूत होती गई और कांग्रेस के विशेष अधि-वेशन की आवश्यकता पड़ी।

विशेष—कांग्रेस दिल्ली १९२३

सभापति—अबुलकलाम आजाद।

यह विशेष अधिवेशन सितम्बर

सन् १९२३ में कौंसिल प्रवेश के प्रश्न को ही सुलझाने के लिये हुआ।

मुख्य प्रस्ताव—(१) कौंसिल प्रवेश वायकाट उठा लिया गया। ऐसा प्रस्ताव पास किया गया कि कांग्रेस के सदस्य अपनी वैयक्तिक हैसियत में कौंसिल चुनाव के लिये खड़े हो सकते हैं। हिंदू मुसलिम एकता के स्थापित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे राष्ट्रीय समझौता तैयार करने का काम सुपुर्द किया।

स्वराज्य पार्टी ने अपने प्रोग्राम की सफलता के लिये फण्ड भी जमा किया समाचार पत्र भी चलाए, कार्यकर्ता भी मुकर्रर किये और चुनाव के समय तक बड़ी शक्ति शाली हो गई। पार्टी की तरफ से एक 'मेनीफेस्टो' भी प्रकाशित हुआ जिसमें यह प्रगट किया गया कि पार्टी का यह ध्येय हैं कि (१) कौंसिलों की संस्थाएं सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रगति के विरुद्ध उपयोग में न लाई जा सकेंगी (२) सरकार को राष्ट्रीय मांग द्वारा 'अलटामेटम' दिया जावेगा कि अगर वह न मानी गई तो स्वराज्य पार्टी की ओर से कौंसिलों व एसेम्बली में 'सतत लगातार और एकसी अड़ङ्गा नीति' का उपयोग किया जावेगा और कौंसिलों को तोड़ दिया जावेगा। चुनाव में हर प्रांत में स्वराज्य पार्टी के उम्मेदवार बड़ी संख्या में आए और विशेषकर बंगाल व मध्य प्रदेश में काफी बहुमत में आये।

बंगाल पैक्ट।

मि० सी आर. दास ने बंगाल के लिए हिन्दू मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए एक 'पैक्ट' बनाया जिसमें (१) मुसलमानों को ५५ प्रतिशत सरकारी नौकरियां दी जावें और [२] स्थानिक संस्थाओं में ६० प्रतिशत सदस्यों की संख्या दी जावे ऐसी मुख्य शर्तें रक्खी गईं। कोकोनाडा कांग्रेस ने इसे न माना।

सन् १९२३ में हिन्दू मुसलिम वैमनस्य बहुत बढ़ गया था। दोनों धर्मों के लोग आक्रमणिक नीति का पालन करने पर तत्पर थे। शुद्धि, संगठन; तबलीग तनजीम आदि कार्य बड़े बेग से चलाये गये और भारतीय वातावरण शांति व सुख की दृष्टि से बड़ा दूषित हो गया था।

इस स्थान पर यह कहना अनुचित न होगा कि सन् १९१८ से नरम दल कांग्रेस से अलग हो गया था और उस ने एक अलग संस्था [लिबरल फिडरेशन] कायम कर ली थी जिसका इतिहास अलग दिया गया है। असहयोग आंदोलन के समय यह दल नाम मात्र के लिए जीवित रहा।

३८—कोकोनाडा १९२३

सभापति—मौ० मुहम्मद अली

मुख्य प्रस्ताव—दिल्ली की बैठक में पास किया हुआ प्रस्ताव फिर पास हुआ किन्तु महात्मा गांधी का पुराना त्रिमुखी वायकाट भी पास हुआ। वस्तुतः

स्वराज पार्टी की कौंसिल में कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई।

राजनैतिक परिस्थिति १९१४

सन १९२४ के आरम्भ में स्वराज पार्टी बडी शक्ति शाली हो गई। उसकी जेनरल कौंसिल ने सदस्यों के लिये नियम बनाये और यह तय किया कि सरकार के सामने जो मांग पेश की जावेंगी उसमें मुख्य बातें ये होंगी [१] सब राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायें। (२) कुल दमन कारी कानून रद्द कर दिये जावें। [३] एक नैशनल कनवेन्शन बुलाई जावे जो भारी शासन की रचना तैयार करे। यदि सरकार न माने तो अडन्गा नीति चलाई जावे। यह भी निश्चय किया गया कि स्वराज पार्टी का कोई सदस्य [१] सरकारी पद न ग्रहण करेगा [२] किसी सिलेक्ट कमेटी पर सदस्य न बनेगा और न अपना नाम उसमें देगा। [३] कौंसिलों के साधारण कार्य में भाग लेंगे। इसी निश्चय के अनुसार जिस प्रांत में स्वराज पार्टी के सदस्य बहुमत में थे यहां उनके सदस्यों ने मिनिस्टर होने से इन्कार कर दिया [बंगाल व सी. पी.]

ऐसेम्बली की आरम्भिक बैठकों में ही स्वराज पार्टी के नेता प० मोतीलाल नेहरू ने सरकार से कहा कि भारत के शासन के लिये नया विधान बनाने के लिये "रौंडटेबल कान्फ्रेंस" बुलाई जावे किन्तु सरकार ने न माना।

स्वराज पार्टी ने सरकारी आय व्यय का ब्यौरा [फाइनेन्स बिल] बहूमत से अस्वीकृत कर दिया। लार्ड रीडिंग को अपने "सार्टीफिकट" से कायम करना पड़ा।

महात्मा गांधी ५ फरवरी सन १९२४ को बीमारी के कारण छोड़ दिये गये २७ जून १९२४ ई० को आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक अहमदाबाद में हुई उसमें महात्माजी ने अनेक प्रस्ताव पेश करने चाहे (१) प्रत्येक कांग्रेस का सदस्य १ मास में २००० गज सूत बिने (२) प्रांतीय कमेटियाँ अपने अधिकारियों के कार्य की जांच करें (३) जो बायकाटन माने उन्हें कमेटियों से निकाल दिया जावे। (४) बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने जो प्रस्ताव मि० डे के मार ने वाले श्री० गोपीनाथ शाहा के संबंध में पास किया है उसकी नीति की अस्वीकृति, आदि। महात्माजी के प्रस्ताव पास हुए किन्तु अल्प वहुमत से। इस कारण उन्हों ने फिर स्वराज पार्टी से समझौता कर लिया और उन्होंने कौंसिल प्रोग्राम की पूर्ति की स्वतंत्रता देदी।

एसेम्बली में स्वराज पार्टी के सदस्यों की संख्या ५० थी इस कारण उसने स्वतंत्र सदस्यों से मेल कर के एक "नैशनैलिस्ट पार्टी" एसम्बली के लिये बना ली जिससे सरकार को अनेक वार हारना पड़ा।

हिन्दू मुसलिम दंगे तथा
एकता कान्फ्रेस।

जुलाई सन १९२४ में दिल्ली में

हिन्दू मुसलिम दंगे हुए और उसी मास में नागपुर में हुए। अगस्त में लाहौर, लखनऊ, मुरादाबाद, भागलपुर, नागपुर और हैदराबाद (निजाम राज्य) में हुए। कोहुए में सब से बड़ा दंगा हुआ जिसमें हिन्दू जनता को शहर से भागना पड़ा। सैकड़ों घर जला दिये गये और अनेक मनुष्य मारे गये और सहस्रों अत्याचार हुए। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि ता० १८ सितम्बर १९२४ से २१ दिन का उपवास करेंगे और ऐसा किया भी चारों ओर से 'एकता कान्फ्रेंस" किये जाने की सूचना की गई। यह कान्फ्रेंस ता० २६ सितम्बर को आरम्भ हुई जिसमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, सिख, ईसाई, सब शामिल हुए। मेट्रोपोलिटन आफ इंडिया भी इस में शामिल हुये थे। बड़ी कठिनता से 'एकता कान्फ्रेंस' ने अनेक प्रस्ताव पास किये जिस का आशय इस प्रकार है—

(१) कोई मनुष्य धर्म सम्बन्धी पीड़ा होने पर कानून को अपने हाथ में न ले अर्थात स्वयं मार पीट से बदला लेने पर तैयार न होवे।

(२) कुल धर्म सम्बन्धी झगडे पंचायत में फैसल कराये जावें, अगर वहां न तै हों तो अदालत से तै करावें।

(३) सब धर्म पवित्र हैं और सब लोगों को चाहिए कि अपनी धार्मिक रीतियां दूसरे के विचारों का ख्याल करके बरतें।

(४) गोहत्या हिन्दू लोग जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते। मुसलमानों को चाहिये कि इस मामले में हिन्दुओं के दिल जहां तक बने न दुखावें।

(५) मसजिद के सामने बाजा बजाना, अजान देना आदि बातें दूसरों के विचारों तथा सुविधा को ख्याल में रख कर की जावें।

(६) १५ मनुष्यों का एक पंचायत बोर्ड कायम किया गया। जिसमें सब जातियों के सदस्य रक्खे गये।

आल पार्टी लीडर्स कान्फ्रेंस

अर्थात

सर्वदल नेता सम्मेलन।

२५ अक्टूबर १९२४ को लार्ड रीडिंग ने आर्डीनेन्स नं० १ जारी किया जिसके द्वारा राजनैतिक अपराधियों की सरसरी गिरफ्तारी व खास कमिश्नरों के सामने तहकीकात की रीति पास करदी गई। इसी 'अर्डीनेन्स' के अनुसार श्री सुभाष चन्द्र बोस (स्वराजिस्ट) चीफ एक्जीक्यूटिव अफसर कलकत्ता कारपोरेशन तथा अन्य स्वराजिस्ट गिरफ्तार कर लिये गये। यह अर्डीनेन्स और यह गिरफ्तारियां स्वराज्य पार्टी को कुचलने के लिये ही को गईं ऐसा पं० मोतीलाल नेहरू तथा श्री० सी. आर. दास ने प्रगट किया। महात्मा गांधी ने भी इस आर्डीनेन्स की निंदा की और नवम्बर १९२४ में एक बयान गांधी दास-नेहरू के हस्ताक्षरों से प्रकाशित किया गया कि जिसके द्वारा यह सुझाया गया कि

[१] समय आ गया है कि सब राजनैतिक दल मिल जावें (२) आगामी कांग्रेस [बेलगांव] से सिफारिश की गई कि विदेशी कपड़ों के बायकाट के सिवाय सब बायकाट बन्द कर दिये जावें [३] स्वराज्यपार्टी कौंसिलों में कांग्रेस के नाम पर काम करे। [४] कांग्रेस और सब दल रचनात्मक कार्यक्रम मानें [५] कांग्रेस का चन्दा २००० गज मासिक हाथ का कता हुआ सूत रक्खा जावे [नोटः—यह सूत खरीद कर भी दिया जासके]

सब राजनैतिक दलों को सर्वदल नेता सम्मेलन में आने के लिये आमंत्रित किया गया। सिवाय योरोपियन एसोसियेशन के बाकी सब दलों ने—लिबरल इंडिपेन्डेन्ट, मि० बेसेन्ट की होमरूल लीग, आदि ने-निमंत्रण मंजूर किया।

२१ नवम्बर १९२४ को यह सर्व दल नेता सम्मेलन की बैठक हुई। इस सम्मेलन ने [१] एक स्वर से "आर्डीनेन्स" पास करने के कारण सरकारी नीति की निन्दा की [२] एक कमेटी नियत की जो सब राजनैतिक दलों को कांग्रेस में लाने के लिये उपाय सोचे स्वराज्य का मसौदा बनावे और सम्प्रदायिक प्रश्नों को सुलझाने के उपाय बतावे। इस कमेटी के लिये समय ३१ मार्च १९२५ तक दिया गया।

इस कमेटी की बैठक जनवरी व फरवरी १९२५ में हुई। उसने एक उप-समिति हिन्दू मुस्लिम झगड़ों के निपटारे के लिये बनाई लेकिन इस उप-समिति ने कोई कार्य नहीं किया और टूट गई। दूसरी उपसमिति जो शासन के मसौदे के लिये बनी उस की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

३९—बेलगांव १९२४

सभापति— महात्मा गांधी।

मुख्य प्रस्ताव -(१) स्वराज पार्टी के साथ जो समझौता पहिले महात्मा गांधी से हुआ था उसका समर्थन इस कांग्रेस ने किया (२) बंगाल आर्डीनेंस पर असन्तोष प्रगट किया गया (३) असहयोग बन्द कर दिया गया।

इस कांग्रेस के पहिले यह प्रयत्न किया गया था कि कांग्रेस में सब राजनैतिक दल मिल जावें किन्तु ऐसा न हो सका।

राजनैतिक परिस्थिति १९२५

इस वर्ष में राजनैतिक आन्दोलन गिरता गया। स्वराज पार्टी का जोर अवश्य रहा। ७ जनवरी स० १९२५ को लार्ड लिटन ने बंगाल कौंसिल में "आर्डीनेंस" विषयक कानून पेश किया किन्तु स्वराजिस्ट सदस्यों ने बहुमत से गिरा दिया। लार्ड लिटन ने सार्टीफिकट द्वारा उसे पास कर दिया। कुछ दिनों के बाद स्वराज पार्टी में कुछ मेम्बरों की राय यह होने लगी कि स्वराजिस्टों को 'मिनिस्टर' बनना चाहिये। संयुक्त प्रांत में यह सवाल उठा भी किन्तु स्वराजिस्ट कौंसिल ने उसे ना मन्जूर कर दिया। १७ फरवरी १९२५ को बंगाल लेजिस्लेटिव

कौंसिल ने मिनिस्टरों के वेतन बजट में रक्खे जाने का प्रस्ताव पास कर दिया। दो मिनिस्टर नियत भी कर लिये गये। किन्तु २३ मार्च १९२५ को बजट के पेश होने पर मिनिस्टरों के वेतन (६९ पक्ष ६३ विपक्ष) अस्वीकृत कर दिये। लेजिसलेटिव एसेम्बली में मि० डुरायस्वामी अयङ्गर ने बंगाल आर्डिनेन्स को रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया जो सरकार के विरोध पर भी [५८—४५ वोटों से] पास हुआ। इसी प्रकार मि० बी. जे. पटेल का बिल कि बंगाल, मद्रास, बम्बई, स्टेट प्रिजनर्स ऐक्ट १८५०. व पंजाब फ्रांटियर औटरेजेस ऐक्ट १८६७ और प्रिवेन्शन आफ सिडीशस मीटिंग्स ऐक्ट १९२१ रद् कर दिये जावें। हर प्रकार के सन्शोधनों के गिरने पर प्रस्ताव पास हुआ केवल पंजाब फ्रान्टियर औटरेजेस ऐक्ट १८६७ प्रस्ताव में से वापिस ले लिया गया क्योंकि वह उपयोगी समझा गया। मि० के. सी. नियोगी का रेलवे ऐक्ट संशोधन [५०–३६ वोटों से] पास हुआ। मि० व्यंकटपति राजू का प्रस्ताव कि तुरन्त एक फौजी कालेज भारत में खोला जावे प० मालवीय के संशोधित रुप में सरकारी विरोध पर भी पास हुआ बंगाल क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट को सम्राट ने स्वीकृति दे दी ऐसा सर एलेकजेन्डर मुडीमैन ने एसेम्बली में प्रगट किया और एक बिल उसी की पुष्टि रुप में एसेम्बली में पेश किया। स्वराजिस्ट और इंडिपेन्डेन्ट मेम्बरों ने उस में के कुछ भाग हटा कर पास करना चाहा लार्ड रीडिंग ने सिफारिश की कि बिल असली हालत में ही पास किया जावे किन्तु ७२–४५ वोटों से लार्ड रीडिंग की राय गिर गई कौंसिल आफ स्टेट ने लार्ड रीडिंग की इच्छानुसार बिल पास कर दिया और लार्ड रीडिंग ने ६७ वी (२) गवर्मेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार सार्टीफिकट देकर पास कर दिया।

१६ जून १९२५ को श्री० सी. आर. दास का स्वर्गवास हुआ जिससे स्वराज-पार्टी को बड़ी हानि पहुंची। किन्तु पं० मोतीलाल नेहरू ने कार्य सम्भाल लिया। सितम्बर १९२५ में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने यह प्रस्ताव पास किया कि "कांग्रेस स्वयं आवश्यक राजनैतिक कार्य करे"

४०—कानपूर १९२५

सभापति—श्रीमती सरोजनी नायडू

मुख्य प्रस्ताव—कांग्रेस ने स्वराज पार्टी की नीति तथा कार्य क्रम को पूर्ण रूपसे अपना लिया। और जो "नैशनल डिमांड" राष्ट्रीय मांग एसेम्बली में पेश की गई थी उसे मंजूर किया।

श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अपने अभिभाषण में कहा कि यदि अगले तीन चार महीने में सरकार ने हमारी मांग को पूरा न किया तो कांग्रेस को चाहिये कि प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाओं के सदस्य अपनी

मेम्बरियां छोड़ दें और सब मिलकर ध्येय प्राप्ति के लिये स्वार्थ त्याग करने पर तैयार हो जावें।

राजनैतिक परिस्थिति १९२६

कानपुर कांग्रेस के अवसर पर ही मि० केलकर, डा० मुन्जे, और मि० जयकर ने एसेम्बली से इस्तीफा दे दिया था और वे स्वराज्य पार्टी के साथ चलने पर तैयार न थे और चाहते थे कि ' रिस्पांसिव कोआपेरेशन" [प्रतियोगी सहकारिता] नीति का उपयोग किया जावे।

रिस्पांसिविस्ट कान्फ्रेन्स अकोला
फरवरी १९२६

सभापति—मि० एम. आर. जयकर

कांग्रेस के बाद ही रिस्पान्सिव कोआपरेशन के पुरस्कर्ताओं ने अपनी पार्टी बनाना आरम्भ की और १४ फरवरी १९२६ को अकोला [बरार] में एक कान्फ्रेंस की जिसके सभापति मि० एम. आर. जयकर हुये। मि० जयकर ने पार्टी की नीति इस प्रकार बताई, वर्तमान परिस्थिति में केवल एक ही नीति है और वह रिस्पान्सिव कोआपरेशन कि जिसका अर्थ हैं—सुधारों का उतना उपयोग करना—नाकाफी, असन्तोष जनक और निराशा जनक वे अवश्य हैं—जितना उनमें तथ्य हो और उन्हें इस रीति से काम में लाना जिससे स्वराज्य शीघ्रता से प्राप्त हो सके, सुधारों का इसलिये भी उपयोग करना कि जनता को अपने हितों के साधन के अवसर मिलें और अन्याय तथा दुःशासन से मुकाबिला करने की शक्ति पैदा हो। मि० जयकर ने यह भी बताया कि इस नीति से न तो वे किसी सिद्धान्त को ही छोड़ते है और न पीछे ही हटते हैं। सुधारों के उपयोग में ये बातें शामिल है—कौंसिलों के प्रति उत्तर—दायित्व रखने वाली सब नौकरियों को ग्रहण करना और उसके लिये इस प्रकार के वेतन लेना जो समय २ पर पार्टी के नियमों द्वारा निश्चित हों।

मुख्य प्रस्ताव—१. एक कमेटी बनाई गई जो पार्टी के कार्य क्रम को निश्चित करे। मि० जयकर, मि० देश-मुख, डा० मुन्जे, मि० एन. सी. केलकर अणे, मि० एस. बी. केलकर, [बरार] मि० जयकर वेपटिस्टा; २. पार्टी के सिद्धान्त उपरोक्त रीति पर निश्चित हुये ३. स्वराज्य पार्टी व कांग्रेस की वर्तमान नीति की निन्दा ४. पार्टी का कार्य क्रम "कांग्रेस डिमाक्रेटिक पार्टी" [१९२० में जो स्थापित हुई था] के कार्य क्रम की भांति ही रक्खा गया।

मार्च १९२६ में स्वराज्य पार्टी के सदस्यों ने तमाम कौंसिलों और एसेम्बली से विरोधात्मक "वाकाउट" [उठ जाना कर दिया क्योंकि सरकार ने राष्ट्रीय मांग की ओर किसी प्रकार का ध्यान न दिया। स्वराजि.. और रिस्पांसिविस्ट नेताओं ने एक दूसरे पर बड़ी टीकायें कीं। अन्त में महात्मा गान्धी को बीच

में पड़ने से एक सन्धि बनाई गई जिसे 'साबरमती' पैक्ट कहते हैं। इस सन्धि के अनुसार स्वराजिस्ट सदस्यों को मन्त्री पद स्वीकार करने की स्वतन्त्रता दे दी गई केवल यही रुकावट रक्खी गई कि अगर सरकार उन्हें पूरी संचालन शक्ति पूरा उत्तर दायित्व देने पर रजा—मन्द होवें तो मन्त्री पद लिया जावे। पं० मोतीलाल नेहरू को बम्बई व मद्रास के स्वराजिस्टों ने बड़ा बुरा भला कहा। आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी ने इस पैक्ट को पास नहीं किया जिससे रिस्पांसिविस्ट फिर बिगड़ गये।

ला० लाजपतराय जेनेवा (यूरुप) से इसी समय लौटे किन्तु उन्हें स्वराजिस्ट नीति पसन्द न आई। उन्होंने पं० मालवीय की सहायता से एक नवीन पार्टी बनाई जिसका नाम "इण्डिपेन्डेन्ट" रक्खा गया। हिन्दू सभा के प्रोग्राम को इस पार्टी ने आगे रक्खा।

अक्टूबर १९२६ से कौंसिलों और एसेम्बली के चुनावों के लिये देश भर में आन्दोलन आरम्भ हो गया। इस समय देश की विचित्र अवस्था हो गई स्वराज्य पार्टी, रिस्पांसिविस्ट पार्टी, इंडिपेन्डेन्ट पार्टी, लिबरल पार्टी; हिन्दू सभा, मुसलिम लीग, खिलाफत पार्टी; दक्षिण में अब्राह्मण पार्टी, अनेक दलों के उम्मेदवार खड़े हुये और आपस में सब प्रकार के झगड़े होने लगे। चुनाव का फल स्वरूप अच्छा न हुआ। स्वराज पार्टी ने हर प्रान्त और एसेम्बली में अधिक संख्या में मेम्बर पाये किन्तु बहुमत सिवाय मद्रास के और कहीं नहीं पाया।

४१—गोहाटी १९२६

सभापति—श्रीनिवास अयङ्गर

इस कांग्रेस में ला० लाजपतराय और श्री० जयकर शामिल नहीं हुये। स्वामी श्रद्धानन्द को एक मदांध मुसलमान अबदुल रशीद ने दिल्ली में मार डाला यह समाचार कांग्रेस में फैलने पर हिन्दू मुसलिम एकता को बड़ा धक्का पहुंचा।

मुख्य प्रस्ताव—(१) कांग्रेस ने सरकारी पद (मन्त्री पद आदि) को ग्रहण करना अस्वीकृत किया और जब तक 'राष्ट्रीय मांग' की पूर्ति न की जाय और बङ्गाल के नजर बन्द कैदी न छोड़े जायें तब तक सरकारी बजट ना मन्जूर किया जाया करे। (२) राष्ट्रोन्नति के लिये कौंसिल और एसेम्बली में प्रस्ताव पेश करने व समय २ पर पार्टी की आज्ञानुसार बहस करने की भी अनुमति कांग्रेस ने दे दी (३) सर्व साधारण को राजनैतिक शिक्षा, चरखा और खद्दर का प्रचार (४) जातियों में परस्पर ऐक्य (५) कांग्रेस मैन सब रोजाना खद्दर पहना करें ऐसा प्रस्ताव दुहराया गया।

पूर्ण स्वातन्त्र्य कांग्रेस का ध्येय है ऐसा प्रस्ताव इस साल भी पेश हुआ किन्तु महात्मा गान्धी ने विरोध करके उसे गिरा दिया।

राजनैतिक परिस्थिति १९२७

सन् १९२७ के आरम्भ में हिंदू मुसलिम वैमनस्य बहुत बढ़ गया । स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या के कारण राजनैतिक वातावरण अत्यन्त दूषित होगया । काकोरी डकेती नामक मामला भी इसी काल में चला जिसमें भारत के अनेक युवक गिरफ्तार कर लिये गये सरकार की ओर से डकेती को राजनैतिक स्वरूप दिया गया और अमानुषिक सजायें अनेक अभियुक्तों को दी गईं मिस मेयो की 'मदर इंडिया' नामक पुस्तक प्रकाशित होने से भारत में खलबली मचगई । ऐसी असत्यता पूर्ण और अपमान जनक पुस्तक भारतीय संस्कृति के लिये कभी पहले किसी ने नहीं लिखी थी । 'रंगीला रसूल' पुस्तक पर सरकार ने फोजदारी कानून के अनुसार पुस्तक रचियता पर मुक़दमा चलाया और उसे सजा हुई । लेजिसलेटिव असेम्बली और कौंसिल में स्वराज्य पार्टी का जोर जैसा पहिले था वैसा नहीं रहा एसेम्बली में श्रीयुत हर बिलास शारदा ने लड़कियों के विवाह की उम्र निश्चित कर दी जावे इसके सम्बन्धी कानून पेश किये ।

अक्टूबर १९२७ में ब्रिटिश पार्लीमेंट ने स्टेचुटरी कमीशन 'सायमन कमीशन' कायम किया । जिसमें सब अंग्रेज मेंबर ही रक्खे गये । भारत में इस पर बड़ा असन्तोष उत्पन्न हुआ । भारतबासी जिस सिद्धांत पर स्वभाग्य निर्णय के लिये आंदोलन कर रहे हैं उसी सिद्धांत पर पार्लीमेंट ने आक्रमण किया कमीशन में भारतियों को कोई भाग नहीं मिला इसी से स्पष्ट है कि भारतियों की आवाज का निरादर किया गया । सब राजनैतिक दलों ने एक स्वर से कमीशन के वायकाट को घोषित कर दिया । देशीराज्यों से व अंग्रेजी सरकार से कैसा सम्बन्ध है इसकी जांच के लिये एक कमेटी (बटलर-कमेटी) नियत की गई इसके कारण भी बड़ा असन्तोष फैला ऐसी परिस्थिति में अगली कांग्रेस मद्रास में हुई । साइमन कमीशन और बटलर कमेटी का संक्षिप्त वर्णन आगे दिया हुआ है ।

४२— मद्रास १९२७

सभापति—डा० एम. ए. अन्सारी ।

मुख्य प्रस्ताव—(१) पूर्ण स्वातंत्र्य कांग्रेस का ध्येय है । (२) हिन्दू मुसलिमऐक्य (३) ब्रिटिश माल का वायकाट (४) चूंकि स्वराज्य निर्णय के तत्व के विरुद्ध कमीशन नियत किया गया है । इस कारण कांग्रेस निश्चित करती है कि स्वाभिमानी भारत के लिये केवल एक ही मार्ग है कि कमीशन का बायकाट करे । इस लिये [क] कमीशन के भारत में आने के दिन देश भर में जलूस आदि से विरोध प्रकट किया जावे [ख] कमीशन के वायकाट के लिये देश व्यापी आंदोलन किया जावे । [ग] कमीशन के सामने राजनैतिक नेता, कौंसिल व एसेम्बली के गैर सरकारी सदस्य गवाही

न दें और न उनसे निजी मुलाकातों से सहयोग करें उनके साथ भोजादि में शरीक न हों। [घ] कौंसिल व एसेम्बली के गैर सरकारी सदस्य कमेटियों में शामिल न हों और कमीशन के खर्च के लिये वोट भी न दें। [ङ] जब तक कमीशन भारत में रहे तब तक कांग्रेसी मेंबर कौंसिलों में और एसेम्बली में हाजिर न हों केवल उस समय हाजिर हो सकते हैं अगर गैर हाजिरी से उनकी जगह खाली होने की सम्भावना हो या वर्किङ्ग कमेटी राष्ट्रीय कार्य के लिये जरूरी समझे। (४) संयुक्त साम्प्रदायिक चुनाव को तत्व मान्य किया गया (५) सरहद्दी प्रांत और ब्रिटिश बिलोचिस्तान में सुधार कानून लागू कर दिया जावे। (६) प्रांतों की रचना भाषा भेद पर होना चाहिये कर्णाटक सिंध और आंध्र प्रांत नवीन बनाये जावें।

४३—कलकत्ता १९२८

सभापति—पं० मोतीलाल नेहरू

मुख्य प्रस्ताव—(१) ला० लाजपतराय हकीम अजमल खां, ला० सिन्हा की मृत्यु पर शोक। (२) लाहौर में सायमन कमीशन जाने पर पुलिस अत्याचारों की निन्दा। (३) लन्दन और न्यूयार्क में जो कांग्रेस कमेटियां खुली है उनकी स्वीकृति तथा अफ्रीका और इंगलैण्ड में और कायम की जावें इसकी सिफारिश। (४) कांग्रेस का विदेशी विभाग कायम किया गया जो उन देशों से सम्बन्ध रक्खेगा जो साम्राज्यवाद के कारण दुख उठा चुके हैं या उठा रहे हैं। (५) वर्किङ्ग कमेटी एक एशिया के देशों का संघ कायम करने का प्रयत्न करे और १९३० में एक सम्मेलन बुलावे। (६) चीन को बधाई (७) मिश्र, सीरिया, फैलेसटाइन और इराक से सहानुभूति। (८) लीग अगेन्स्ट इम्पीरियलिज्म से सहानुभूति। (९) वर्तमान भारत सरकार भारतीयों की प्रतिनिधि नहीं है। आगामी युद्ध में भारतीय साथ न देंगे।। (१०) बिदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। (११) बारडोली के लोगों को तथा श्री० वल्लभ भाई पटेल की प्रशंसा तथा बधाई। (१२) सरकारी कामों का वहिष्कार। (१३) देशी रियासतों में उत्तरदायी राज्य कायम हो। (१४) ५ बङ्गालियों के जेल में मृत्यु पर उनके परिवारों से समवेदना। (१५) महात्मा गांधी द्वारा पेश किये हुये स्वराज्य सम्बन्धी प्रस्ताव का सारांश—देश की राजनैतिक स्थिति को देखते हुये यह कांग्रेस नेहरू कमेटी की तैयार की हुई शासन पद्धति को ३१ दिसम्बर १९२९ तक स्वीकार करली है अगर उस समय तक ब्रिटिश पार्लीमेंट ने उसे स्वीकार न किया या उसे इस तारीख से पहिले ही अस्वीकार कर दिया तो ऐसी दशा में कांग्रेस देश को इस बात के लिये तैयार करके कि सरकार को न तो टैक्स दिया जावे और न कोई और मदद दी जावे अहिंसात्मक असहयोग सङ्गठन शुरू कर देगी।

नोट—इस प्रस्ताव पर श्री० सुभाष चन्द्र बोस ने सन्शोधन पेश किया कि पूर्ण स्वाधीनता ही हमारा ध्येय होना चाहिये जैसा कि मद्रास कांग्रेस ने पास किया। पं० जवाहिरलाल ने समर्थन किया।

वोट लेने पर सन्शोधन के पक्ष में ९७३ वोट और विपक्ष में १३५० वोट आये इस कारण मुख्य प्रस्ताव पास हुआ।

(१६) कांग्रेस कार्य क्रम।

राजनैतिक परिस्थिति १९२९

भारत के इतिहास में सन् १९२९ महत्त्व पूर्ण वर्ष है। कांग्रेस ने प्रस्ताव द्वारा "डोमीनियन स्टेटस" दे देने की अवधि ब्रिटिश सरकार को एक वर्ष की दी थी इसके अनुसार आन्दोलन आरम्भ हुआ। महात्मा गान्धी ने रचनात्मक कार्य क्रम को सफल बनाने के लिये भारतवर्ष का दौरा शुरू किया। पहिले दौरा मद्रास में किया और बहुत सा रुपया खद्दर प्रचार के लिये उन्हें भेट किया गया। बंगाल के दौरे में एक घटना होगई। कलकत्ते के एक पार्क में व्याख्यान के समय उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जिस पर इनकी गिरफ्तारी हुई। जमानत पर छूटने पर वे रंगून चले गये फिर वापिसी में उन पर १ रुपया जुर्माना किया गया देश में हलचल मच गई। इसी समय पंजाब में नौजवान सभा के कुछ सदस्य पकड़े गये २० मार्च को देश भर में मेरठ षडयन्त्र केस के सम्बन्ध में मजदूर दल के नेता गिरफ्तार हुये। श्री० भगतसिंह और श्री० बी. के. दत्त ने एसेम्बली में बम फेंका जिसके कारण उन पर मुकदमा चला और उन्होंने एक सनसनी दार बयान अदालत में पेश किया। देश में क्रान्तिकारी लहर फैल गई। सांडर हत्या के सम्बन्ध में अनेक युवक पकड़े गये। राजनैतिक कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिये इस तत्त्व को लेकर श्री० भगतसिंह व श्री० दत्त व श्री० यतीन्द्रनाथ दास तथा अन्य अभियुक्तों ने जेल में अनशन कर दिया। मुकदमे में अभियुक्तों की अनुपस्थिति के कारण गड़बड़ी पड़ने पर सरकार ने जाब्ता फौजदारी में सन्शोधन पेश किया किन्तु पास न हुआ। अनशन के कारण श्री० यतीन्द्रनाथ दास बहुत कमजोर होगये जनता ने उन्हें छोड़ देने के लिये आंदोलन किया। किन्तु सरकार ने बिला जमानत न छोड़ा। अन्त में श्री० दास की मृत्यु हुई और उनकी लाश लाहौर से कलकत्ता ले जाई गई। राजनैतिक परिस्थिति में लाहौर षडयन्त्र केस (सांडर हत्या) और मेरठ षडयन्त्र केस के कारण बड़ा अन्तर पड़ गया। भारत वर्ष में युवक संघों का जोर बहुत बढ़ गया। भुसावल में झांसी के दो युवक

सदाशिव व भगवानदास बंब रखने के संबन्ध में पकड़े गये। उन पर मुकदमा जलगांव में चला।। अदालत के बाहर भगवानदास ने रिवालवर से फनीन्द्र नाथ और जैगोपाल सुखविरों पर गोलियां चलाईं जैगोपाल घायल होगया राजनैतिक परिस्थिति में बहुत गड़बड़ी होने से लार्ड अर्विन वाइसराय इंङ्गलैण्ड गये। लौटकर उन्होंने वक्तव्य निकाला जिसमें ब्रिटिश शासन का ध्येय भारत को डोमीनियन स्टेटस देना हैं। ऐसा बताया और गोल मेज़ कान्फ्रेन्स की योजना भी कही। सर्वदल के नेताओं ने दिल्ली में सभा की। उन्होंने गोलमेज कांफ्रेंस में शामिल होने के पहिले ४ शर्तें रक्खीं।(१) कान्फ्रेन्स में "डोमीनियन स्टेटस" का स्वरूप ही निश्चित किया जावेगा। अवधि की बावत कोई बात न होगी (२) राजनैतिक कैदो छोड़ दिये जावें (३) कांग्रेस ध्येय के मानने वालों के सदस्य बहुत संख्या में होंगे (४) डोमीनियन स्टेटस का वर्ताव तुरंत शुरू होगा। नेताओं की ओर से यह कहा गया कि इन ४ शर्तों को मानते हुये सरकार विज्ञप्ति निकाले परन्तु इङ्गलैण्ड में जो वक्तव्य उत्तरदायी अधिकारियों ने दिये उनसे यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिटिश सरकार "डोमीनियन स्टेटस" तुरंत देने के लिये तैयार नहीं है। इस पर महात्मागांधी तथा अन्य नेताओं ने वक्तव्य प्रकाशित किया कि बिना इन चार शर्तों के पूरे हुए भारत गोलमेज़ कान्फ्रेन्स में शरीक न होगा। ता० २३ दिसम्बर १९२९ को महात्मा गांधी और पं० मोतीलाल नेहरू से लार्ड अर्विन से दिल्ली में वात चीत हुई किंतु कोई संतोषजनक बातचीत न होसकी। इसके पश्चात लाहौर कांग्रेस में महात्मा जी नेपूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रक्खा जो ३१ दिसम्बर १९२९ की रात को ठीक १२ बजे पास हुआ। जिस रोज लार्ड अर्बिन से वात चीत महात्मा जी से होने वाली थी उसी रोज किसी ने लोर्ड अर्विन की रेल के नीचे बिजली के जरिये बम्ब चलाया लेकिन कुछ विशेष हानि नहीं हुई।

सांडर हत्या केस के अभियुक्त।

	नाम.	स्थान.
१.	सुखदेव	लायलपुर
२.	किशोरीलाल रतन.	होशयार पुर
३.	शिव बर्मा.	सहारनपुर
४.	गयाप्रसाद.	कानपुर
५.	जयदेव.	सहारनपुर
६.	यतीन्द्रनाथ दास	कलकत्ता
७.	भगतसिंह	देहली
८.	बटुकेश्वरदत्त	बर्दवान
९.	कमलनाथ त्रिवेदी	कलकत्ता
१०.	यतीन्द्रनाथ सानयाल	इलाहाबाद
११.	अजयराम	स्यालकोट
१२.	देशराज	लाहौर
१३.	प्रेमदत्त	गुजरात
१४.	सुरेन्द्रनाथ पांडे	कानपुर
१५.	महावीरसिंह	इटावा
१६.	अजयकुमार घोष	कानपुर

जो अभियुक्त फरार हैं जैसे

नाम	स्थान
१. भगवती चरण	लाहौर
२. यशपाल	धर्मशाला
३. विजय कुमारसिंह	कानपुर
४. चन्द्रशेखर आजाद	बनारस
५. रघुनाथ	बनारस
६. कैलाशपति	आजमगढ़
७. कुन्दनलाल	बनारस
८. कैलास	झांसी
९. सत्य गुरुदयाल अवस्थी	कानपुर

जो मुखबर हैं और जिनको सरकार ने छोड़ रक्खा है--

१. जयगोपाल	लाहौर
२. हंसराज	,,
३. आमचरनदास	कपूरथला
४. ललितकुमार मुकर्जी	इलाहाबाद
५. बृह्मदत्त	कलकत्ता
६. फनीन्द्रघोष	कलकत्ता
७. मनमोहन मुकर्जी	चम्पारन

कांग्रेस के मुख्य नियम ।

१—कांग्रेस का ध्येय पूर्ण स्वातन्त्र्य है।

२--प्रत्येक भारतवासी स्त्री पुरुष जिसकी आयु १८ वर्ष से कम न हो और जो कांग्रेस के ध्येय को मानता हो कांग्रेस का सदस्य बन सकता है।

३—प्रत्येक सदस्य को चार आना चन्दा अथवा २००० गज हाथ का कता हुआ सूत देना चाहिये। सूत अखिल भारतीय चरखा संघ को दे दिया जाता है। चन्दे का वर्ष १ जनवरी से ३१ दिसम्बर तक होता है।

४—प्रांतीय कांग्रेस कमेटी कांग्रेस के लिये प्रतिनिधियों के चुनाव का प्रबन्ध करती है।

५—प्रांतीय कमेटियां निश्चित धन आल इण्डिया कमेटी को देती हैं।

६—कांग्रेस की बैठक के अधिवेशन से कम से कम ६ मास पहिले स्वागत समिति बनना चाहिये।

७—स्वागत समिति को डेलीगेटों [प्रतिनिधियों] की फीस का आधा हिस्सा मिलता है। यह फीस १) होती है।

८—आल इण्डिया कमेटी के मेंबर को १०) वार्षिक देना होता है।

९—आल इण्डिया कमेटी में ३५० सदस्य होते हैं जो संख्या प्रत्येक प्रांत को बांट दी गई है।

१०—कांग्रेस का प्रेसीडेण्ट अगले साल आल इण्डिया कमेटी का अध्यक्ष होता है।

११—कमेटी में १५ मेंबर होते हैं जिसमें ५ पदाधिकारी और १० सदस्य आल इण्डिया कमेटी द्वारा चुने हुए होते हैं।

आलइन्डिया कांग्रेस कमेटी १९३०।

वर्किङ्ग कमेटी।

अधिकारी मेम्बर ५

प्रेसीडेण्ट

पं० जवाहर लाल नेहरू इलाहाबाद।

खजांची

श्री जमनालाल बजाज बम्बई — श्री० शिवप्रसाद गुप्त बनारस

जनरल सेक्रटरी

डा० सैयद महमूद छपरा — श्री प्रकाश बनारस

निर्वाचित मेंबर १०

श्री० जयराम दास दौलतराम — श्री वल्लभ भाई जे. पटेल

डा० बी० पट्ट भी सीताराम — श्री० जे. एम. सेन गुप्ता

श्री. एम. के गांधी — डा० सत्यपाल

मौलाना अबुल कलाम आजाद — सरदार शारदूल सिंह

पं० मोती लाल नेहरू — श्री. सी. राजगोपालाचार्यर

आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी १९३०

अधिकारी मेंबर १४

प्रेसीडेन्ट

१ पं० जवाहर लाल नेहरू

भूतपूर्व प्रेसीडेन्ट

२. पं० मोतीलाल नेहरू — ६. मौलाना अबुल कलाम आजाद

३. पं० मदन मोहनमालवीय — ७. मौलाना मुहम्मद अली

४. एम ए. अंसारी — ८. महात्मा गांधी

५. श्री०, सी. वीजैराघवाचार्यर — ९. श्रीमती सरोजिनी नायडू

१०. श्री एस श्रीनिवास अयङ्गर

जनरल सेक्रटरी

११. सैयद महमूद — १२. श्री श्री प्रकाश

खजानची

१३. श्री जमनालाल बजाज — १४. श्री० शिवप्रसाद गुप्त

निर्वाचित मेंबर ३५० (प्रांत २१)

अजमेर—७

१. श्री चन्द्रकाप्रसाद तिवारी अजमेर
२. श्री हरिभाउपाध्याय अजमेर
३. श्री नरसिंहदास अजमेर
४. श्री गौरीशंकर भार्गव अजमेर
५. श्री० वलवंत सांवलराम देशपन जैपुर
६. श्री० विट्ठलदास बजाज भोपाल
७. श्री त्रिम्बक दामोदर पुस्तके उज्जैन

आँध्र—२४

१. „ श्री. एन नारायण मूर्ति जिला गंजम
२. „ टी. विश्वनाथम् विजगापट्टम
३. श्री. के. सुवेरयन्यम् कड़ापा
४. ए. गोविन्दाचारी एलोर
५. बी० पट्टाबी. सीताराम मछलीपट्टम
६ „ ए. कालेश्वर राव बेजवादा
७. श्री. के. सूर्यनारायण मूर्ति चौधरी गंतूर
८. „ के कल्यान राव नीलोर
९. „ के. नागेश्वर राव मद्रास
१०. श्री डी. नारायण राजू एलोर
११. „ जी. वी. पुन्नाई, शास्त्री. गन्तूर
१२. „ डा० नजीर अहमद गोदावरी
१३. जनाव घोष वेग साहब गंतूर
१४. श्रीमती कमला देवी कोकोनाड़
१५. श्री. एम. गुरुवुलू गंजम
१६. एम अन्नीहा नाइडू कोकोनाड़ा
१७. श्री० के. वेंकटप्पा पंतरू गंतूर
१८ श्री० एस. रामास्वामी चौधरी गन्तूर
१९. „ बी० शम्भू मूर्ति कोकानाडा
२०. श्री काला वकट राव गोदावरी
२१. डा. वी. सूभरामन्यम गोदावरी
२२. श्री. एन वी. एल. नरसिंह राव गंतूर
२३. श्री. सी. वी. रंगम चेटी चित्तूर
२४. श्री. एम. तिरूमलराव कोकोनाड़ा

सिंध—६

१. स्वामी गोविन्दानन्द किरांची
२. चोइथ रामगिडवानी हैंदरावाद सिंध
३. श्रीयुत प्रभुदास एस तोलानी „
४. श्री० के. पुन्ना कारांची
५. श्री. श्री कृष्णदास लला करांची
६. श्री. अर्जुनदास मोतवानी सिंध
७ जैरामदास दौलतराम हैंदरावाद सिंध
८. आर. के. सिद्ध किरांची
९. श्री. नारायणदास आनन्द जी विचार किरांची

आसाम—५

१. टी. आर फूकन गोहाटी
२. खाली
३. श्री कुलधर चलीहा जोरहट
४. श्री रोहनी कुमार चौधरी गोहाटी
५. श्री० गोपीनाथ वरदुलोई

बिहार—३३

१. श्री कृष्णसिंह सिंहा मुंगेर
२. श्री राजेन्द्रप्रसाद पटना

३. श्री० रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर
४. श्री० मथुराप्रसाद पटना
५. डा० सैयद महमूद छपरा
६. मौ० अब्दुल बारी पटना
७. शाह मुहम्मद जुबैर मुंगेर
८. श्री० विपिन बिहारी वर्मा मोतीहारी
९. ,, कुंवर कालिकाप्रसाद सिंह मुंगेर
१०. खाली
११. स्वामी सहजानन्द सरस्वती पटना
१२. श्री० दीपनारायन सिंह भागलपुर
१३. मौ० जहूरुल हसन हसमी ,,
१४. श्री० रामविनोद सिंह सारन
१५. ,, बलदेव सहाय पटना
१६. शाह मुहम्मद वजीर ,,
१७. मौ० अबदुल घनी सारन
१८. श्री० जगत नरायन लाल पटना
१९. श्री० जनान साहा पटना
२०. श्री० बाबू अनुग्रह नारायण सिंह मुजफ्फरपुर
२१. सरदार हरिहर सिंह शाहाबाद
२२. श्री० नारायन प्रसाद सिंह सारन
२३. ,, दीपनारायन सिंह मुजफ्फरपुर
२४. ,, चतुरानन दास दरभङ्गा
२५. ,, प्रजापति मिश्र चम्पारन
२६. ,, राघ बिहारी लाल भागलपुर
२७. ,, रामचरित्र सिंह मुंगेर
२८. ,, विनोदानन्द झा सन्थाल
२९. ,, पुनयानन्द झा पूर्निया
३०. खाली
३१. श्री० पुर्णाचन्द्र मित्र रांची
३२. ,, हरिप्रसाद सिंह जमशेदपुर
३३. ,, जिमुत बाहन सेन पुरुलिया

बंगाल—४८

१. श्रीमती बसन्ती देवी कलकत्ता
२. ,, हेमाप्रभा मोजूमदर टिप्परा
३. ,, लतिका बोस कलकत्ता
४. मौ० मुहम्मद अबदुल्लाहील बाकी दिनाजपुर
५. मौ० अली अहमद वालो इसलामाबादो कलकत्ता
६. मौ० गयासुद्दीन अहमद मैमनसिंह
७. मौ० सैयद असादुद्दौला शिराजी पबना
८. मौ० ए. के. गुलाम जिलानी ढाका
९. मौ० मुहम्मद मुहसिन अली कलकत्ता
१०. मौ० मुहम्मद कासिम ,,
११. मौ० अतीफुर रहमान मुधारमी बोगरा
१२. मौ० मुक्लेश्वर रहमान कोमीला
१३. मौ० जान मुहम्मद कलकत्ता
१४. चौधरी मुअज्जम हुसैन फरीदपुर
१५. मौ० अफताब हुसैन जौस्दार नदिया
१६. मौ० अफताब उद्दीन चौधरी बोगरा
१७. मौ० सैयद उज्जमान कलकत्ता
१८. मौ० मुजीबर रहमान फूलपुरी ,,
१९. मौ० अबदुल मालिक ,,
२०. मौ० अबदुररहमान सैयदी ,,
२१. मौ० सिराजुल हक ,,
२२. श्री० सुभाष चन्द्र बोस ,,
२३. ,, किरनशंकर राय ,,

२४. श्री जलजुन नियोगी कलकत्ता
२५. " जे. एम. दास गुप्त "
२६. " पुरुषोत्तम राय "
२७. " नृपेन्द्र चन्द्र बनर्जी "
२८. " सतीन्द्रनाथ सेन वारीसाल
२९. " पूरनचन्द्र दास फरीदपुर
३०. " सुरेन्द्रमोहन घोष मैमनसिंह
३१. डा० कुमुदशङ्कर राय कलकत्ता
३२. श्री बसन्तकुमार मजूमदार कोमिला
३३. श्री हरि कुमार चक्रवर्ती कलकत्ता
३४. " विपिन विहारी गांगोली "
३५. " गोपेन्द्रलाल राय "
३६. " सुरेशचन्द्र दास "
३७. श्री कुमार देवेन्द्रलाल खां मिदनापुर
३८. " हेमचन्द्र घोष कलकत्ता
३९. " ललितमोहन दास कलकत्ता
४०. " कामिनीकुमार दत्त कोमिला
४१. " सुरेन्द्रमोहन मैत्रा राजशाही
४२. " ललितमोहन सान्याल बोग्रा
४३. " सतीशचन्द्र दास गुप्त २४ परगना
४४. " नलिनीमोहनराय चौधरी कलकत्ता
४५. " निर्मल चन्द्र चुन्दर "
४६. डा० विधान चन्द्र राय "
४७. श्री जे. ऐम. सेन-गुप्त "
४८. " बाबा गुरुदित सिंह "

बरार—७

१. खाली
२. डा० एन. एस. परांजपे एवटमल
३. श्री. बी. जी. खापरडे अमरावती
४. खाली
५. श्री पी. बी. गोले अकोला
६. " ब्रिजलाल वियानी अकोला
७. " पन्धरीनाथ अमबुलकर खामगांव

बरमा—१२

१. श्री यू. टोक कयी मौलमीन
२. " यू. सा ह्लैंग सेक्रेटरी बर्मा
३. " मनीलाल हिम्मतलाल ठाकुर रंगून
४. श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी टौंगू
५. " अखिलानन्द ब्रह्मचारी क्यौकटागा
६. " एच. एम, वत्त कन्ट्रेक्टर रंगून
७. श्री रन्छोदास एच, गांधी रंगून
८. " सी. वी. गलिअरा "
९. " यू. एल. गांगोली मर्चेन्ट सेमयो
१०. खाली
११. श्री श्यामसुन्दर चक्रवर्ती कलकत्ता
१२. " वी. मदनजीत रंगून

सी. पी. हिन्दुस्तानी—१२

१. श्री सेठ गोविन्ददास जबलपुर
२. " द्वारका प्रसाद मिश्र जबलपुर
३. " रवीशङ्कर शुक्ल रायपुर
४. " घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग
५. श्री वासुदेव राव सूबेदार सागर
६. " ब्रिजमोहनलाल वर्मा छिन्दवाड़ा
७. " माखनलाल चतुर्वेदी खण्डवा
८. " गिरजाशङ्कर अग्निहोत्री मण्डला

९. श्री बद्रीनाथ दुबे — जबलपुर
१०. सेठ दीपचन्द — बेतूल
११. डा० शिवदुलारे मिश्र — बिलासपुर
१२. श्री० पांडुरंग डोंडगांवकर — द्रग
१३. „ शिव शंकर सहाय — बिलासपुर

सी. पी. मराठी—७

१. श्री० एम. वी. अभ्यङ्कर — नागपुर
२. „ भगवानदीन — „
३. सेठ पूनमचन्द रंका — „
४. डा० एन. बी. खरे — „
५. श्री० खुशालचन्दजी खजांची — चांदा
६. „ नीलकंठ राव देशमुख — पुलगांव
७. „ एन. एम. वटवई — नागपुर

बम्बई सिटी—७

१. श्री० एम. एन. टलपाडे — बम्बई
२. „ गनपति शंकर एन. देसाई — „
३. „ के. एफ. नरीमैन — „
४. „ एस. ए. ब्रेलवी — „
५. श्री० बालूभाई टी. देसाई — बम्बई
६. अबीद अली जाफर भाई — „
७ श्री० मुन्शी मिरजा मुहम्मद अली — बम्बई

देहली—७

१. मौलाना अरीफ हसवी — देहली
२. लाला शंकरलाल — „
३. मि० आसफ अली — „
४. मि० फरीदुल हक अन्सारी — „
५. श्री० विश्नुचन्द्र — मुजफ्फरनगर
६. रघुवीर नारायण सिंह — हापड़
७. खाली

गुजरात—१२

१. श्री० वल्लभ भाई जे. पटेल — अहमदाबाद
२. „ महादेव हरिभाई देसाई — साबरमती
३. „ गोपालदास अम्बादास देसाई — बोरसद
४. „ अब्बास एस. तैयबजी — बड़ौदा
५. „ चन्दूलाल मनीलाल देसाई — भड़ौंच
६. „ मनीलाल वल्लभजी कोठारी — ओरावरनगर
७. श्री० दयालजी नानाभाई देसाई — सूरत
८. „ हरिप्रसाद पीताम्बरदास मेहता — अहमदाबाद
९. „ इमाम अबदुल कादिर बावजीर — साबरमती
१०. „ कल्यानजी वी. मेहता — सूरत
११. „ फूलचन्द बापूजी शाह — नदियाद
१२. „ कालीदास जसकरन झावेरी — अहमदाबाद

करनाटक—१६

१. डा० एन. एस. हार्डीकर हुबली
२. श्री० वामनराव नायक हैदराबाद
३. श्री० श्रीनिवासराव कौजलगी बीजापुर
४. श्री० होसकुप्पा कृष्णराव कादुर
५. ,, एच. एस कौजलगी बेलगांव
६. ,, एस. आर. मंगलावाधी बीजापुर
७. ,, एम. आर. केम्भवी ,,
८. ,, गंगाधर राव देशपांडे बेलगांव
९. डा० डी. आर. हुलवेलकर जमखांडी
१०. श्री० के. रंगा आयङ्गर तुमकुर
११. खाली
१२. श्री० आई. वासुपलप्पा बिलारी
१३. खाली
१४. श्री० करनाद सदाशिवराव मंगलौर
१५. ,, के. टी. भाशयम आयङ्गर बंगलौर
१६. डी. वी. बेलवी बेलगांव

केरल—८

१. श्री० के. केलप्पन नायर मलाबार
२. ,, के. मधवानर कालीकट
३. ,, कुरुर नीलकंठन नुम्बुदीरीपद त्रीचुर
४. श्री० पी. के. कन्हैशंकर मेनोन कालीकट
५. खाली
६. श्री. वी. कृष्ण मेनोन तेलीचेरी
७. ,, के. टी. कुन्हीरमन नेम्बियर कनारा
८. ,, के. वी. सुबरामनिया ऐय्यर पालघाट

महाराष्ट्र—१६

१. खाली
२. श्री० एल. बी. भोपतकर पूना
३. ,, आर. पी. करांदीकर सतारा
४. ,, जी. वी. केतकर पूना
५. ,, डी. वी. दिवेकर ,,
६. ,, एस. डी. देव ,,
७. ,, एस. के. अलटेकर सतारा
८. डा० एम. बी. वेलकर बम्बई
९. श्री० छोटेलाल आर. शराफ थाना
१०. खाली
११. श्री० जे. के. मेहता थाना
१२. ,, बी. जी. खेर बम्बई
१३. ,, आर. एन. मंडलीक कोलाबा
१४. खाली
१५. श्री० पी. एम. साठे रत्नागिरि
१६. ,, डी. वी. गोखले पूना

उत्तरी पश्चिमी सरहद्दी सूबा—४

१. हाकिम अबदुल जलील पेशावर
२. डा० चारुचन्द्र घोष ,,
३. बाबा लाल बादशाह ,,
४. श्री० स्वराज्य सेवक डेरा इसमाइल खाँ

———

पंजाब—३३

१. डा० सत्यपाल लाहौर
२. मौलाना अब्दुल क़ादिर ,,
३. डा० मुहम्मद आलम ,,
४. सरदार सारदूल सिंह कवीश्वर लाहौर
५. ला० दुनीचन्द अम्बाला
६. डा० खां चन्द देव लाहौर
७. लाला दुनीचन्द ,,
८. सरदार किशन सिंह ,,
९. मास्टर नन्दलाल लायलपुर
१०. मौलाना जफर अली खां लाहौर
११. लाला पिंदी दास ,,
१२. श्री सरजदीन प्रचा ,,
१३. ला० श्यामलाल रोहतक
१४. मास्टर सुनमराय जालंधर
१५. मेहता आनन्द किशोर लाहौर
१६. मौलवी हबीबुर रहमान अमृतसर
१७. ला० गिरधारी लाल दिल्ली
१८. खाली
१९. ला० लालचन्द फलक लाहौर
२०. ला० चिन्तराम थापर लायलपुर
२१. डा० परशुराम शर्मा लाहौर
२२. मौलाना दाउद गज़नवी लुधियाना
२३. श्री एच. एम. चटर्जी लाहौर
२४. हकीम नूरदीन लायलपुर
२५. पं० श्रीराम शर्मा रोहतक
२६. श्री० हसमदीन अमृतसर
२७. ला० रूपलाल पुरी ,,
२८. मि० सरदुलसिंह कवीश्वर लाहौर
२९. कोमरेड हसन इलाही ,,
३०. कोमरेड रामकृष्ण ,,
३१. मास्टर धारासिंह अमृतसर
३२. बाबा निहाल सिंह लाहौर
३३. कोमरेड धन्वन्तरि ,,

टामिल नाडू—२५

१. एस. सत्य मूर्ति एम. एल. सी. मद्रास
२. सी. एन. मथुरङ्ग मुडालियर चिंगलपुर
३. श्री सी पिरुमल स्वामी रेडियर अर्काट
४. श्री. के. विशम अयंगर मद्रास
५. सी वैंकट रङ्गम नायडू एम. एल. सी, मद्रास
६. एम. भक्तवत्सलम मद्रास
७. श्री. के. एस. गोपालकृष्ण मद्रास
८. एस वैंकटा राम मद्रास
९. श्री एम एस सुबराम अय्यर मद्रास
१० खाली
११ ए वेदरतनम् पिल्ले तंजोर
१२ मौली सफी मुहम्मद मद्रास
१३ डब्लू एस श्री निवास राव अर्काट
१४ श्री पी एम पालन स्वामी पांडरम सलीम
१५ श्री ए. रंगास्वामी अयंगर मद्रास
१६ श्री वी. सी. गुरुनाथ मुदालियर मद्रास
१७ श्री एन अन्नामलाई पिल्ले अर्काट
१८ श्री सी राजगोपाल चार्यर सलीम
१९ मिसेज ए लक्ष्मीपति मद्रास

२० श्री आर चिनास्वामी मद्रास
२१ एन एस वरदाचारी कोइमवटूर
२२ श्री सी एस स्वामीनाथ चेटियर तंजोर
२३ डा (मिस) पिचमुथु मदूरा
२४ श्री सी आई पट्टावीरमन मद्रास
२५ मि. ओ कन्दास्वामी चेटियर मद्रास

संयुक्त प्रान्त—४६

१ श्री बालकृष्ण शर्मा कानपुर
२ डा. कैलाशनाथ कटजू इलाहाबाद
३ श्री पुरुषोत्तम दास टंडन ,,
४ श्री गणेशशंकर विद्यार्थी कानपुर
५ श्रीमती उमा नेहरू इलाहाबाद
६ आचार्य जे. बी. कृपलानी मेरठ
७ सम्पूर्णनन्द बनारस
८ श्री गजानंद मारवाड़ी गाजीपुर
९ श्री विंध्यवासनी प्रसाद गोरखपुर
१० मौल्वी मसूद अली नदंवी आजमगढ़
११ श्री० सीताराम शुक्ल बस्ती
१२ आचार्य नरेन्द्र देव बनारस
१३ मि० रफी अहमद किदवई बाराबंकी
१४ श्री० मोहनलाल सकसेना लखनऊ
१५ खाली
१६ मि० सैदुर्रहमान किदवई ,,
१७ श्री० चन्द्रभान गुप्त ,,
१८ ,, दामोदर स्वरूप सेठ बरेली
१९ ठाकुर पृथ्वीराज सिंह ,,
२० मौलवी मुहम्मद अहसन साहब बिजनौर
२१ श्री० हरगोविन्द पन्त अलमोड़ा
२२ ,, नरदेव शास्त्री ज्वालापुर
२३ चौधरी बिहारीलाल देहरादून
२४ श्री० कृष्णदत्त पालीवाल आगरा
२५ आचार्य युगलकिशोर मथुरा
२६ श्री० चन्द्रधर जौहरी आगरा
२७ ,, भगवान दयाल मैनपुरी
२८ हकीम बृजलाल वरमन मथुरा
२९ श्री० रघुनाथ विनायक धुलेकर झांसी
३० कुंवर हरप्रसादसिंह बांदा
३१ दीवान शत्रुधन सिंह हमीरपुर
३२ श्री० गोविन्द वल्लभ पन्त नैनीताल
३३ ,, गौरीशंकर मिश्र इलाहाबाद
३४ ,, कमलापति त्रिपाठी बनारस
३५ ,, तसद्दुक पु. के. शेरवानी इलाहाबाद
३६ ,, चौधरी धर्मवीरसिंह मेरठ
३७ ,, बद्रीदत्त पांडे अलमोड़ा
३८ ,, मुजफ्फर हुसेन इलाहाबाद
३९ ,, कृष्णचन्द्र शर्मा बनारस
४० ,, हरिहरनाथ शास्त्री कानपुर
४१ सरदार नरमदा प्रसाद सिंह इलाहाबाद
४२ श्री० नारायण प्रसाद अरोड़ा कानपुर
४३ डा० मुरारीलाल ,,
४४ श्री० स्वराज्य प्रकाश इटावा
४५ ,, विश्वनाथ शर्मा बनारस
४६ डा० भगवानदास मिरजापुर

उतकल—१२

१ श्री० गोपवन्धु चौधरी	कटक	७ श्री० हरिकृष्ण महताब	बालासोर
२ " राजकृष्ण बोस	कटक	८ " नन्दकिशोर दास	"
३ पं० नीलकंठ दास	पुरी	९ " अटलबिहारी आचार्य	कटक
४ " लिंगराज मिश्र	पुरी	१० " गोविन्द चन्द्र मिश्र	"
५ श्री० जीवरामजी कलयानजी कोठारी	बालासोर	११ " मुकुन्द प्रसाद दास	बालासोर
६ " निरञ्जन पतनायक	गञ्जम	१२ " भागीरथी महापत्र	कटक

सब-कमेटी—३

१ श्री० जैरामदास दौलतराम हैदराबाद
२ " सी. राज गोपाला चार्युर तिरचेंगोडू
३ श्री० जमना लाल बजाज कालवादेवी बम्बई

—:—

नोटः—चुनाव के झगड़ों के लिये पञ्चायत अभी मुकर्रर नहीं हुई है ।

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियों के दफ्तरों के पते ।

१ सेक्रेटरी,	अजमेर	प्रां० कां० क०,	अजमेर (राजपूताना)
२ "	आन्ध्र	"	आन्ध्रा-भवन वेजवाड़ा (मद्रासप्रेसीडेंसी)
३ "	आसाम	"	गोहाटी
४ "	बिहार	"	सदाकत आश्रम पोष्ट दीघाघाट पटना
५ "	बङ्गाल	"	११६ बोबाजार स्ट्रीट कलकत्ता
६ "	बरार	"	अमराबती
७ "	बर्मा	"	२४ मर्चेंट स्ट्रीट पो० बौक्स ८३१ रंगून
८ "	बम्बई सिटी	"	कांग्रेस हाउस ३९२ A गिरगांव बैक रोड बम्बई,
९ "	सी. पी. हिन्दुस्तानी	"	१७४, सिविल लाइन जबलपुर
१० "	सी. पी. मराठी	"	महल नागपुर
११ "	दिल्ली	"	दिल्ली
१२ "	गुजरात	"	अहमदाबाद
१३ "	कर्नाटक	"	मारकेट रोड धारवार (बम्बई प्रेसीडेन्सी)
१४ "	केरल	"	मातृभूमि बिल्डिङ्ग कालीकट (मद्रास प्रेसीडेन्सी)

१५	सेक्रटरी	महाराष्ट्र	प्रा० कां० क०	पूना सिटी
१६	,,	उत्तर पश्चिमी सरहद्दी प्रान्त	,,	पेशावर
१७	,,	पंजाब	,,	ब्रेडला हाल लाहौर
१८	,,	सिन्ध	,,	तिलक कांग्रेस भवन फौजदारी रोड हैदराबाद (सिन्ध)
१९	,,	तामिल नाद	,,	म्हाजन सभा हाल माउन्ट रोड मद्रास
२०	,,	संयुक्त प्रान्त	,,	बनारस कैन्ट
२१	,,	उत्कल	,,	पो० आ० चांदनी चौक कटक

सम्बद्धित समितियां।

१ मि० सी. बी. वकील सेक्रेटरी लंडन ब्रांच इण्डियन नेशनल कांग्रेस; ३० जोहन स्ट्रीट बेडफोर्डरो लंडन डब्ल्यू. सी.

२ मि० रहमान अल्लाह हुमायू सेक्रेटरी काबुल कांग्रेस कमेटी काबुल अफगानिस्तान

३ दी ज्वाइंट आ० सेक्रटरी, सौथ अफ्रीकन इंडियन कांग्रेस पो० बौक्स २०२ नेटाल (सौथ अफ्रीका)

४ मि० टी. मागनका कुनका; सेक्रेटरी गोआ कांग्रेस कमेटी कन्सौलिम गोआ (इंडिया)

५ मि० ए. एम. सहाय, सेक्रटरी कोबे ब्रांच इंडियन नेशनल कांग्रेस पो० बौक्स नं० ३१२ कोबे (जापान)

इम्पीरियलिज्म के विरुद्ध संघ।

हरन वी. चट्टोपाध्याय, सेक्रटरी लीग अगेन्स्ट इम्पीरियलिज्म २४ फ्रेडरिकस्टरसे बरलिन एस. डब्ल्यू. ४८ (जर्मनी)

बरलिन समाचार प्रकाशन विभाग।

हरन ए. सी. एन. नम्बियर बरलिन डब्ल्यू. ८ (जर्मनी)

प्रान्तीय कांग्रेस कमेटियां।

बम्बई।

प्रेसीडेन्ट

मि० सरोजनी नायडू बम्बई

वाइस प्रेसीडेन्ट

जहांगीर बी, पटेल बम्बई ६

जोआन्ट ऑन० सेक्रेटरी

१ के बी. सेलुगिरि

२. आर. एच. निम्बकर बम्बई ४

खजानची

आर. कृष्णा अय्यर

आडीटर

मेसर्स आ. सी. मेहता एन्ड को

बंगाल।

प्रेसीडेन्ट

सुभाष चन्द्र बोष कलकत्ता

वाइस प्रेसीडेन्ट

१ निर्मल चन्द्र चुन्दर कलकत्ता

२ ललित मोहन दास ,,

३ जोगेन्द्रचन्द्र चक्रवर्ती ,,

४ मौलवी मुहम्मद अकरम खां साहब कलकत्ता

सेक्रेटरी

हरिकुमार चौधरी कलकत्ता

असिस्टेंट सेक्रेटरी

१ अश्वनीकुमार गांगोली कलकत्ता

२ सत्यप्रिय वनर्जी ,,

३ मौलवी शम्शुद्दीन अहमद ,,

खजानची

कुंवर डी० एल० खां

आडीटर

मि० एस० एम० सेन गुप्त

मि० एन० आर० सरकार

पंजाब

प्रेसीडेन्ट

मौलाना अब्दुल कादर कासुरी लाहौर

वाइस प्रेसीडेन्ट

१ डा० सत्यपाल लाहौर

२ डा० मुहम्मद आलम ,,

३ सरदार किशन सिंह ,,

खजानची

लाला केदारनाथ सहगल लाहौर

जनरल सेक्रेटरी

डा० खां चन्द देव लाहौर

आफिस सेक्रेटरी

१ डा० परशुराम शर्मा लाहौर

२ ला० पिण्डी दास ,,

सेक्रेटरी

१ मेहता आनन्द किशोर पञ्जाब

२ लाला छबीलदास ,,

३ सरदार मङ्गल सिंह लाहौर

संयुक्त प्रान्त

सभापति

श्री० गणेश शङ्कर विद्यार्थी

प्रधान मन्त्री

श्री० श्रीप्रकाश (स्थानापन्न आचार्य

नरेन्द्र देव)

मन्त्री

१ श्री मोहनलाल सक्सेना (स्थानापन्न श्री कमलापति)

२ श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (स्थानापन्न श्री कृष्णचन्द्र शर्मा)

कोषाध्यक्ष

श्री० विश्वनाथ शर्मा

उत्कल।

प्रेसीडेंट

हरेकृष्ण महताब

सेक्रेटरी

१ गोपबन्धु चौधरी कटक

२ राजकृष्ण बोष

खजानची

अतल बिहारी आचार्य

आडीटर

जगन्नाथ राठ

बिहार

प्रेसीडेन्ट

राजेन्द्र प्रसाद पटना

वाइस प्रेसीडेन्ट

१ दीपनारायन सिंह भागलपुर

२ रामदयाल सिंह

३ श्रा. शाह मुहम्मद जुबैर मुन्घेर

जनरल सेक्रेटरी

श्री कृष्ण सिंह मुंघेर

असिस्टेन्ट सेक्रेटरी

१ मथुराप्रसाद पटना

२ जीमत वाहन सेन

३ रामनारायण सिंह

खजानची

सारंगधर सिंह वकील पटना

महाराष्ट्र

प्रेसीडेन्ट

एल. बी. भोपटकर पूना

वाइस प्रेसीडेंट

१ डा० एम. बी. वेलकर बम्बई २

२ एस. एस. नायक थाना

३ पी. के. शिरालकर सितारा

४ एन. पी. पाटनकर नासिक

सेक्रेटरी

१ डी. बी. दिवेकर पूना

२ आर. एन. मंडलीक कोलाबा

३ डी. के. गोसावी सतारा

४ पी. वी महाजन कल्यान

खजांची

१ डी. वी. गोखले पूना

२ जी० के० फडके कल्यान

आडीटर

एस० आर० केतकर पूना

सी. पी मराठी

प्रेसीडेंट

एम. बी. अभ्यङ्कर नागपुर

वाइस प्रेसीडेन्ट

भगवान दीन जी नागपुर

जनरल सेक्रेटरी

पूरनचन्द रम्का नागपुर

जुआन्ट सेक्रेटरी

एन० एम० घटबई हींगनघाट

खजानची

सेठ जमनालाल बजाज　　　　　वारधा

करनाटक

प्रेसीडेन्ट

आर० आर० दिवाकर एम० ए० एल० एल०, बी०

वाइस प्रेसीडेन्ट

१ एस० वी० कुन्नजलगी
२ आई० बसनपालय
३ के० रङ्गा अयङ्गर

सेक्रेटरी

१ डा० एन० एस० हरडीकर
२ एच० एस० कुन्नजलगी
३ आर० एस० हुकरीकर

खजानची

डा० वी० एस० उमचजी

देहली

प्रेसीडेन्ट

डा० एम० ए० अन्सारी　　　　दिल्ली

वाइस प्रेसीडेन्ट

१ हकीम बृजलाल　　　　मथुरा
२ ला० शङ्करलाल　　　　दिल्ली
३ डा० बाबू राम गर्ग　　मुजफ्फर नगर

जनरल सेक्रेटरी

प्रो० इन्द्र　　　　दिल्ली

ओरगनाईजिंग सेक्रेटरी

मि० फरीदुल हक अंसारी　　　　दिल्ली

एन. डब्ल्यू. एफ.

प्रेसीडेन्ट

सैयद आगालाल बादशाह

वाइस प्रेसीडेन्ट

१ मि० अब्दुल रहीम खाँ
२ मि० अब्दुल गफ्फार खाँ
३ मि० हबीब उल्ला खाँ

जनरल सेक्रेटरी तथा खजानची

डा० सी. सी. घोष

असिस्टेंट सेक्रेटरी

हकीम अब्दुल जलील नदवी

केरल

प्रेसीडेंट

के. मधवन नैयर बी. ए. बी. एल. एडवोकेट　　　　कालीकट

सेक्रेटरी

पी. के. कन्हई शङ्कर मेनन बी. ए., बी एल. वकील　　　　कालीकट

खजानची

टी. वी. सुन्दर अइयर बी. ए. बी. एल. वकील　　　　कालीकट

तामिल नाडु

प्रेसीडेन्ट

एस. श्रीनिवास अयङ्गर एम. एल. ए. मद्रास

वाइस प्रेसीडेन्ट

सी. एन. मथुरङ्गा मुडालियर　　मद्रास

सेक्रेटरी

१ सी. मरुदवनम पिल्ले　　जि० तञ्जोर
२ मि० बसीर अहमद सैयद　　मद्रास

खजानची

सी. वी. व्यंगटेरामन अयंगर कोयमबटूर

मैनेजर

एस. व्यंकटरामन

सिन्ध

प्रेसीडेन्ट

स्वामी गोविन्दा नन्द

आंध्र

प्रेसीडेंट

टी. प्रकाशम मद्रास

सेक्रेटरी

के. नागेश्वर राव मद्रास

हिन्दुस्तानी मध्यप्रदेशीय।

प्रेसीडेन्ट

१ सेठ गोविन्दास (गिरफ्तार)

२ केशव रामचन्द्र खांडेकर (गिरफ्तार)

३ घनश्याम सिंह गुप्त (मौजूदा प्रे०)

सेक्रेटरी

१ द्वारकाप्रसाद मिश्र (गिरफ्तार)

२ रामशङ्कर मिश्र (मौजूदा से०)

आसाम

प्रेसीडेन्ट

टी. आर. फोकन गोहाटी

वाइस प्रेसीडेंट

१ एन. सी. बरदलोई गोहाटी

२ मौलवी फैजनूर अली

३ कुलधर चलीहा जोरहट

जनरल सेक्रेटरी

एम. तम्यवुल्ला साहब गोहाटी

खजानची

सुरेन्द्रनाथ बरूआ

बर्मा

सेक्रेटरी

बी. मदन जीत रंगून

गुजरात

प्रेसीडेन्ट

वल्लभ भाइ जे. पटेल (जेल) अहमदाबाद

सेक्रेटरी

१ महादेव एच. देसाई (जेल)

२ मल्लीलाल वी. कोठारी (")

३ जीवनलाल एच. दीवान

बरार

प्रेसीडेन्ट

वीर वामनराव जोशी अमरावती

वाइस प्रेसीडेन्ट

१ मि० ब्रिजलाल बियानी अकोला

२ डा० एस. जी. पटवर्धन अमरावती

सेक्रेटरी

वैद्य पन्धरीनाथ दामोदर मूले अमरावती

नोटः—जहां तक ब्योरा मिल सका दिया गया गिरफ्तारियों के कारण बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं।

आल इण्डिया स्पिनर्स एसोसियेशन

कार्यकारिणी समिति ।

१ महात्मा गांधी प्रेसी० साबरमती
२ सेठ जमनालाल बजाज खजा० बार्धा
३ श्रीसी. राजगोपालाचार्यर तिरचंगोदू
४ " राजेन्द्र प्रसाद पटना
५ " गङ्गाधरराव बेलगांव
६ " कोन्डा वेन्कटप्पाया गन्तूर
७ " बल्लभभाई जे. पटैल सूरत
८ " सतीस चन्द्र दास गुप्त सोदेपुर
९ पं० जवाहर लाल नेहरू इलाहाबाद
१० श्री वी. वी. जेराजनी ए. आई. एस. ए. बम्बई २
११ डा० बी. सुबरामेनिअम सीतानगरम्
१२ श्री सन्तनम तिरचंगोदू
१३ " मनीलाल वी. कोठारी जोरावर नगर (काठियाबाड़)
१४ श्री शङ्करलाल जी. बेंकर मिर्जापुर

हिन्दुस्तानी सेवादल

आल इण्डिया वालिण्टियर बोर्ड ।

१ मि० बी. साम्बमूर्ति प्रेसी. कोकनाडा
२ " वामनराब आर. नायक खजाँची बेगमपट
३ डा० एन. एस. हार्डीकर जनरल सेक्रेटरी हुबली
४ मि० सुभासचन्द्र बोस कलकत्ता
५ पं० जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद
६ डा० एम. ए. अन्सारी दिल्ली
७ मि० श्री प्रकाश बनारस
८ डा० एस. सत्यपाल लाहौर
९ मि० जी. हरिसर्वोत्तम राव नन्दयाल
१० मि० प्रतुल चन्द्र गांगोली ढाका
११ मि० वी. वी. सूबेदार सागर
१२ मनीलाल कोठारी साबरमती
१३ सरदार मङ्गल सिंह लाहौर
१४ मि० कमलादेवी चट्टोपाध्याय पूना
१५ कुमारी लज्जावती जालन्धर
१६ प्रोफे० जनान शाहा पटना
१७ बा० राजेन्द्र प्रसाद पटना
१८ मि० के. भश्याम एडवोकेट मेलपुर
१९ डा० गोपीचन्द भार्गव लाहौर
२० डा० वी. वी. अठल्ये सतारा
२१ ... ...

नेशनल लिबरल फिडरेशन ।

(नरम दल सभा)

सन् १९०७ के पहिले से ही कांग्रेस में दो दल (गरम और नरम) बन गये थे । गरम दल में वे लोग थे जो राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रबलता से चलाना चाहते थे और स्वदेशी व बायकाट [illegible] का पूर्ण रीति से उपयोग करना चाहते थे । इस दल के नेता लो० बाल गंगाधर तिलक, श्री० अरविन्द घोष, श्री० विपिन चन्द्र पाल प्रभृति सज्जन थे । नरम दल में वे थे जो धीमी चाल से चलना चाहते थे और सरकार से [illegible] पर तैयार न थे और न किसी [illegible] सरकारी रोष का मुकाबला करने को ही तैयार थे । स० [illegible] सूरत कांग्रेस में यह दो दल [illegible] से पृथक २ दिखाई देने लगे और कांग्रेस में गड़बड़ी मच जाने के कारण कांग्रेस की बैठक न हुई । बाद को कांग्रेस नरम दल वालों के हाथों में ही रही । स० १९१६ में आपसी समझौता होने पर लखनऊ की कांग्रेस में गरम दल के नेता सम्मिलित हुए । किन्तु यह एका बहुत दिन न चला । स० १९१७ में मि० मांटेग्यू (भारत मन्त्री) ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत को स्वराज्य देने का है किन्तु उसकी मात्रा तथा समय ब्रिटिश पार्लमेंट निश्चित करेगी । स० १९१८ में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई तभी से नरम और गरम दलों में अधिक अन्तर पड़ गया । प्रश्न यह आगे आया कि सुधारों की उपरोक्त का किस प्रकार स्वागत करना चाहिये । गरम दल चाहता था कि रिपोर्ट बिल्कुल अस्वीकार कर दी जावे । नरम दल इस के लिये तैयार न था ।

अगस्त १९१८ में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बम्बई में हुआ जिसमें मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार किया गया किन्तु उसमें नरम दल के लोग न आये । उन्हों ने अपनी एक अलग कांग्रेस कायम की जिस का नाम "आल इंडिया माडरेट कांफ्रेंस" रक्खा गया । यह बैठक श्री सुरेन्द्र नाथ बनर्जी के सभापतित्व में बम्बई में हुई इस कांफ्रेंस में यह निश्चय कर लिया गया कि कांग्रेस से अलग रह कर ही नरम दल अपना काम करेगा । दिसम्बर में फिर कांफ्रेंस हुई और इस का नाम "आल इंडिया लिबरल फिडरेशन" हुआ । बाद का नाम "नैशनल लिबरल फिडरेशन" हो गया ।

१९१८ दिसम्बर को कांफ्रेंस [illegible]

यह खास रीति से प्रगट किया गया कि सुधार रिपोर्ट से देश का लाभ है और भारतवासियों को राजनैतिक क्षेत्र में तथा प्रबन्ध क्षेत्र में अनेक सुविधायें दी गईं हैं और यह लिबरल दल उसे स्वीकार करने पर तैयार है।

नैशनल लिबरल फिडरेशन ने अपना ध्येय वही रक्खा था जो उस समय कांग्रेस का था। कांग्रेस ने सन् १९२० व १९२७ में दो बार अपना ध्येय बदला जिसे फिडरेशन नहीं मानता।

स० १९१९ ई० में जो अधिवेशन नैशनल फिडरेशन का हुआ उसके प्रस्तावों का सार दिया जाता है जिससे उनकी दृष्टि वर्तमान गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ऐक्ट की ओर क्या स्पष्ट होगी। इस अधिवेशन के सभापति सर पी० एस शिवस्वामी अय्यर थे।

(१) मि० मांटेग्यू को उनकी बुद्धिमत्ता पर बधाई।

(२) लार्ड सिन्हा को बधाई (रिफार्म ऐक्ट पास कराने तथा पीस कान्फ्रेंस में शामिल होने के कारण)

(३) पार्लीमेंट की जुआइन्ट कमेटी को बधाई।

(४) केन्द्रीय सरकार में उत्तरदायित्व नहीं है इस पर अफसोस प्रगट किया गया और स० १९१९ के सुधार ऐक्ट को साधारण रूप में 'निश्चित व ठोस' मात्रा (Definite and-Substantial Step) उत्तरदायी शासन की बतलाई गई।

(५) टर्की से सन्धि व खिलाफत सम्बन्धी प्रश्नों के निपटारे में देर होने पर खेद प्रगट किया गया।

(६) पंजाब में जनता द्वारा किये हुये अत्याचारों पर घृणा और सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये हुये अत्याचारों पर रोष प्रगट किया गया।

(७) सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने अत्याचार किये हों सजा देने की सिफारिश की जावे।

(८) कार्य कारिणी कमेटी को 'हन्टर कमेटी की रिपोर्ट' पर (जो आगे प्रकाशित होगी) उचित कार्यवाही करने का अधिकार दिया तथा अन्य विषयों पर उचित कार्यवाही करने का भी अधिकार दिया गया।

इसके बाद स० १९२० में कांग्रेस ने असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया और स० १९२१ में तीव्रता से आंदोलन चलने लगा। लिबरल दल इस में शामिल नहीं हुआ। स० १९२१ व १९२२ के अधिवेशनों में असहयोग, सविनय आज्ञा भंग करना (Civil Disobedience) बायकाट आदि का निषेध किया गया।

इस दल का उद्योग केवल वैध (Constitutional) आन्दोलन द्वारा ही राजनैतिक स्वत्वों को मांगना है। (Direct Action) प्रत्यक्ष कार्य के यह दल विरुद्ध है। कौंसिलों में प्रवेश करके कार्य करना इस दल का मुख्य कार्य क्रम है। इस दल ने निम्न-

लिखित विषयों पर अपने प्रस्तावों द्वारा ज़ोर दिया हैं ।

(१) प्रान्तीय स्वराज्य ।

(२) सरकारी नौकरियों में केवल भारतवासी ही हों।

(३) केन्द्रीय सरकार में विस्तृत अधिकार ।

(४) फौजों में देशी अफसरों की नियुक्ति।

(५) सरकारी आमदनी व खर्च का उचित प्रमाण में होना ।

सर पी. सी. एस. शिवस्वामी अय्यर मि० सी. वाइ. चिन्तामणि, डा० सर तेज बहादुर सप्रू, श्री० श्रीनिवास शास्त्री सर मोरोपन्त जोशी प्रभृति सज्जन इस संस्था के आधार स्तम्भ हैं ।

सन् १९२८ में सायमन कमीशन के वायकाट में लिवरल दल शामिल हुआ है और उसने सब प्रकार से कमीशन का वायकाट किया है । नेहरू कमेटी की तैयारी तथा सर्वदल सम्मेलन की कार्यवाही में भी नरम दल के नेताओं ने अग्रसर भाग लिया है । सन् १९२८ का अधिवेशन प्रयाग में श्री० चिमनलाल सीतलवाद की अध्यक्षता में हुआ श्री० सी. वाई. चितामणि स्वागताध्यक्ष थे ।

मुख्य प्रस्ताव—(१) स्वराज्य की मांग और सरकार को चेतावनी (प्रस्तावक डा० तेजबहादुर सप्रू) (२) साम्प्रदायिक प्रश्नों का फैसला जो नेहरू रिपोर्ट ने किया है उसका समर्थन (३) देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन होना चाहिये तथा नेहरू रिपोर्ट के इस सम्बन्ध में विचारों का समर्थन (४) श्री० चिंतामणि व श्री० कुन्जरु आगामी साल के लिये मन्त्री चुने गये (५) आगामी अधिवेशन मद्रास में होगा ।

मुसलिम लीग ।

मुसलिम लीग की स्थापना सन् १९०६ में हुई । इसके पहिले मुसलमानों ने राजनीति में बहुत कम भाग लिया सर सैयद अहमद की नीति थी कि मुसलमानों को राजनीति में न पड़ना चाहिये इसलिये उन्होंने शिक्षा की ओर ही ध्यान दिया । कुछ मुसलमान कांग्रेस में आते रहे किन्तु मुसलमान समाज शामिल नहीं हुआ ।

सन् १९०६ के करीब जब कौंसिल सुधार का प्रश्न छिड़ा उस समय मुसलमानों ने अपने स्वत्वों की रक्षा का विचार किया और हिज हाइनेस दी आगाखां के नेतृत्व में वाइसराय के पास एक मुसलमान शिष्ट मंडल गया और अपनी मांग लिखकर पेश की। उसी समय मुसलमानों ने यह भी सोचा कि राजनैतिक प्रश्नों को जो विशेषतः मुसलमानों से सम्बन्ध रखते हैं सोचने तथा उन पर विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि कांग्रेस से भिन्न एक संस्था कायम की जावे । इन्हीं कारणों से मुसलिम लीग की स्थापना हुई ।

उद्देश्य ।

मुसलिम लीग के उद्देश्य निम्न-लिखित रक्खे गये—

(१) ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों का ओर से राजभक्ति बढ़ाना तथा सरकारी कार्यों से यदि कोई भ्रम उत्पन्न हो तो उसे हटाना।

(२) भारतीय मुसलमानों के राजनैतिक तथा अन्य हितों की रक्षा करना और नम्र भाषा में उनकी आवश्यकताओं और उनके कष्टों को सरकार के सामने रखना।

(३) उपरोक्त ध्येयों के आधीन मुसलमानों और अन्य समाज वालों से मित्रता बढ़ाना।

सन् १९१२ व स० १९१३ में परिस्थिति में अन्तर पड़ने से मुसलमानों के विचारों में परिवर्तन हो गया। पहिले कार्य कारिणी सभा की बैठक में और पीछे वार्षिक अधिवेशन में मुसलिमलीग के ध्येयों में "भारत के लिये स्वराज्य शासन की प्राप्ति" का ध्येय भी जोड़ दिया गया।

इस परिवर्तन पर बड़ा वादविवाद हुआ और वृद्ध मुसलमान विशेषतः इस परिवर्तन के विरुद्ध थे।

मुख्य स्थान लखनऊ में है। एक ब्रांच लन्दन में भी है।

स० १९१८ में मांटेग्यू चेलम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसके पहिले मुसलिम लीग ने कांग्रेस के साथ स्वराज्य की एक योजना बनाई [जिसे "कांग्रेस-लीग स्कीम" कहते हैं] जो मि० मांटेग्यू के सामने पेश की गई थी।

स० १९१९ की अमृतसर कांग्रेस के समय मुसलिम लीग की राजनीति और कांग्रेस की नीति में कुछ भेद नहीं रहा।

स० १९१९ के स्वागताध्यक्ष डा० सैफुद्दीन किचलू थे जिन्हें सरकार ने पंजाब हत्याकांड के समय कड़ी सजा दे दी थी और जो लीग की बैठक के थोड़े ही पहिले छोड़ दिये गये थे। हकीम अजमलखाँ प्रेसीडेंट थे। यह अधिवेशन कांग्रेस के साथ अमृतसर ही में हुआ था।

हकीम अजमलखाँ ने खिलाफत तथा इसलामी पवित्र स्थानों के सम्बन्ध में बताया कि ब्रिटिश सरकार की नीति ठीक नहीं है। किसी भी गैर-मुसलिम शक्ति का इसलामी पवित्र स्थानों पर किसी प्रकार का अधिकार जमाने का हक नहीं है।

स० १९१६ में में कांग्रेस और लीग के बीच एक 'पैक्ट' हो गया था जिसके द्वारा मुसलमानों की प्रतिनिधि संख्या कौंसिलों में निश्चित कर दी गई थी। यही पारस्परिक प्रतिनिधि प्रतिशत औसत मुसलमानों के लिये गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट [१९१९] में स्वीकृत कर लिया गया था।

खिलाफत कमेटी स० १९२० में स्थापित होने से मुसलिम लीग का अस्तित्व मिट सा गया था। अप्रैल स० १९२३ मि० भुरंग्री के सभापतित्व

में बैठक हुई किन्तु आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित न हुये इस कारण सभा न हो सकी। स० १९२४ में मि० जिन्ना ने यह सोचकर कि खिलाफत प्रश्न का अन्त हो गया है मुसलिम लीग को पुनर्जीवित किया। यह अधिवेशन लाहौर में उन्हीं के सभापतित्व में हुआ। स० १९२५ का अधिवेशन अलीगढ़ में सर अब्दुर्रहीम के सभापतित्व में हुआ। सर अबदुलरहीम ने मुसलमानों को अपने अतीत की याद दिलाकर उन्हें उत्तेजित किया। स० १९२६ के अधिवेशन में खान बहादुर शेख अबदुल कादिर (सभापति) ने कांग्रेस व लीग के बीच एक राउंडटेबल कांफ्रेंस किये जाने की सिफारिश की जिस कान्फ्रेंस में लेजिसलेटिव एसेम्बली के मुसलमानों की प्रतिनिधि संख्या निश्चित हो जावे मि० एम, ए. जिन्ना ने मुख्य प्रस्ताव पेश किया जिसमें 'स्टेचुटरी कमीशन' के नियत किये जाने की मांग सरकार के सामने पेश की गई अन्य प्रस्तावों द्वारा बंगाल के कैदियों को छोड़ना, दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के कष्ट निवारण आदि की मांगें की गई।

सन् १९२७ में सायमन कमीशन नियत हुआ और साथ २ सवदल सम्मेलन की योजना भी देश की ओर से हुई। मुसलिम लीग में दो भाग हो गये और सर मुहम्मद शफी ने लीग को अपने कब्जे में करना चाहा और कोशिश की कि सायमन कमीशन का बायकाट न हो। उन्होंने यह भी प्रयत्न किया कि नेहरू कमेटी रिपोर्ट को मान्यता न दी जावे। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर उन्होंने मत भेद आरम्भ कर दिया। सर मुहम्मद शफी ने अधिवेशन अलग भी कराया इस पर महाराजा साहब महमूदाबाद ने इसका तीव्रता से विरोध किया दिल्ली में सन् १९२८ में सब दल मुसलिम सम्मेलन का अधिवेशन सर आगा खाँ के सभापतित्व में हुआ। ६०० प्रतिनिधि और ३००० दर्शक उपस्थित थे स्वागत कारिणी के सभापति हकीम जमील खाँ (हकीम अजमल खाँ के पुत्र) थे।

मुख्य प्रस्ताव—साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया गया। सम्मेलन ने "एसेम्बली में ३३ प्रतिशत मेंबर मुसलमान होने चाहिये" ऐसी मांग का समर्थन किया।

खिलाफत कमेटी।

सन् १९२० में मौ० शौकतअली ने महात्मा गान्धी की सहायता से 'खिलाफत कमेटी' का निर्माण कर यह संस्था स्थापित की। इस संस्था द्वारा हिन्दुओं से अपील की गई कि मुसलमानी पवित्र स्थानों की रक्षा तथा खिलाफत प्रश्न को सुलझाने के लिये वे मुसलमानों की सहायता करें। महात्मा गांधी ने देशव्यापी आन्दोलन इस सम्बन्ध में किया। फलतः हिंदू खिलाफत आंदोलन

में मुसलमानों के साथ हो गये और कांग्रेस द्वारा असहयोग पास होने के पहिले ही अनेक हिन्दू नेता खिलाफत आन्दोलन में तन, मन, धन से पड़ गये मद्रास में खिलाफत कांफ्रेंस मौलाना शौकत अली के सभापतित्व में हुई उसमें असहयोग का प्रोग्राम रक्खा गया कलकत्ता की विशेष कांग्रेस (१९२०) ने सेन्ट्रल खिलाफत कमेटी के निश्चयानुसार वाइसराय को अलटीमेटम भेज कर कहा गया कि आप खिलाफत आन्दोलन में प्रमुख भाग लें और यह विश्वास दिलावें कि यदि ब्रिटिश मन्त्री हमारी इच्छानुसार टर्की सम्बन्धी शर्तों में परिवर्तन न करेंगे तो आप अपने २ पद से इस्तीफा दे देंगे अन्यथा १ अगस्त १९२० से सरकार से सम्बन्ध त्याग देंगे और असहयोग करेंगे यह सब असहयोग प्रोग्राम मन्जूर किया और उद्देश्यों में दो बाते जोड़ दीं (१) स्वराज्य प्राप्ति और (२) पंजाब अत्याचारों की भरपाई मौ० मुहम्मद अली और मौ० शौकत अली ने कमेटी को बड़े जोर शोर से चलाया।

खिलाफत कमेटी की स्थापना इस प्रकार है—सेन्ट्रल खिलाफत कमेटी में १ प्रेसीडेन्ट २ वाइस प्रेसीडेन्ट, अनेक सेक्रेटरी खजांची और अनेक मेंबर होते हैं। प्रान्तीय खिलाफत कमेटियों के प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी सेन्ट्रल कमेटी के सदस्य समझे जावेंगे इन सदस्यों के अतिरिक्त सेन्ट्रल कमेटी में ३०० सदस्य होंगे।

सेन्ट्रल कमेटी के सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय कमेटी द्वारा होगा। सन् १९२१ में मियां मुहम्मद हाजी जान मुहम्मद छोटानी प्रेसीडेन्ट थे। उनके पास बहुत सा कमेटी का रुपया जमा हुआ वह उन्होंने अपने कार्य में लगा लिया जनता में इस कारण बड़ा असन्तोष फैला इस पर उन्होंने अपनी दो मिलें कमेटी के स्वाधीन कर दीं। मुसलमानों को उलमाओं ने फौजी सरकारी नौकरी करना मुसलमानों के लिये हराम है ऐसा फतवा दिया। इस फतवे के प्रचार करने में अली बन्धु श्री शंकराचार्य भारतीय कृष्ण तीर्थ प्रभृति ६ सज्जनों को ता० १ नवम्बर सन् १९२१ को कड़ी सजायें दो गईं।

सन् १९२२ की कांफ्रेंस (गया) में सुल्तान अबदुल मजीद खलीफा माने गये और तुर्कों को बधाई दी गई। अन्य प्रस्तावों द्वारा यह बताया गया कि लासेन कान्फ्रेंस की ऐसी शर्तों का मुसलमान विरोध करेंगे जो खिलाफत की इज्जत को कम करेंगी या खलीफा की स्वतन्त्रता में या पवित्र स्थानों की रक्षा में बाधक होंगी। एक प्रस्ताव द्वारा कान्फ्रेंस ने अपना सन्तोष अंगोरा नेशनल ऐसेम्बली के इस कार्य पर प्रगट किया कि उसने इसलामी जगत के प्रतिनिधियों की एक कांफ्रेंस सुल्तान अबदुल मजीद के खलीफा चुने जाने की स्वीकृति करने के लिये बुलाने का

निश्चय किया है। एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश माल का बायकाट पास किया गया।

एक प्रस्ताव द्वारा सरकार को चेतावनी दी गई कि टर्की से लडाई छेडने पर भारत के मुसलमान "सविनय आज्ञा भङ्ग" करेंगे और यह प्रोग्राम पुलिस और फौज में प्रसार करेंगे" युद्ध का कर्ज न देने देंगे, अँगोरा फौज के लिये भर्ती करेंगे, शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पिकेटिंग करेंगे। कान्फ्रेंस ने १० लाख रुपये और ५०००० वालन्टियरों को भर्ती के लिये अपील की।

यह कान्फ्रेंस अत्यन्त महत्व पूर्ण थी। उलमाओं की सभा ने यह भी पास किया कि कौंसिलों में प्रवेश हराम है।

इसके बाद असहयोग आन्दोलन गिरता गया और टर्की में भी खलीफा का देश निकाला हो गया। एक खिलाफत डेपुटेशन नेजद को भेजा गया और आपसी झगड़े का निपटारा करने का प्रयत्न किया गया किन्तु निष्फल रहा। एक डेपुटेशन टर्की भी जाना चाहता था किन्तु टर्की सरकार ने पसन्द नहीं किया।

स० १९२५ की कान्फ्रेंस में मौ० हसरत मोहानी ने इबसऊद पर असन्तोष प्रगट किया। मौ० अबुल कलाम आजाद सभापति थे। एक प्रस्ताव द्वारा इराक सम्बन्ध ब्रिटिश नीति का खण्डन किया गया। और मोसल सम्बन्धी लीग आफ नेशन्स के फैसले का भी विरोध किया गया और यह भी घोषणा की गई कि यदि टर्की इस प्रश्न पर लड़ेगी तो मुसलमान उसकी मदद करेंगे।

इन्डिपेन्डेन्स आफ इन्डिया लीग।

कांग्रेस के भीतर एक पूर्ण स्वाधीनता संघ, की स्थापना पिछले साल हुई है। ध्येय इस संघ का स्पष्ट है— भारतवर्ष के लिये पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना।

इस संघ के सभापति श्रीयुत श्री० निवास अयंगर और मन्त्री प० जवाहर लाल नेहरू नियत हुये।

संघ की प्रांतीय शाखायें भी स्थापित हुई हैं। नवम्बर १९२९ में एक कार्य क्रम प्रकाशित हुआ था जिसकी मुख्य बातें निम्न लिखित हैं—

१—राजनैतिक लोक तंत्र

क—पूर्ण राजनैतिक स्वाधीनता;

२—आर्थिक लोक तन्त्र

क—आर्थिक भेदभाव का त्याग

ख—सम्पत्ति का सम वितरण

ग—सब के लिये आत्मोन्नति के समान साधनों की उपस्थिति करना

घ—जीवन की आवश्यकताओं को बढ़ाना।

३—व्यापारी लोकतन्त्र

क—राष्ट्रीय जीवन से सम्बन्ध रखने वाले उद्योग धन्धों का राष्ट्रीकरण

ख–यद्यपि संघ का विश्वास बड़े कारखानों की उपयोगिता में है तथापि वह गृह शिल्प की उन्नति में सहायक होगा।

ग–रेल, जहाज, और वायुयानों का राष्ट्रीकरण

घ–कारखाने बिना मजदूरों की राय के बन्द न हों

ङ–कारखानों के लाभ में मजदूरों को हिस्सा मिलना

च–मिल मालिकों व मजदूरों के झगड़ों के लिये पंचायतें कायम करना।

छ–वैयक्तिक पूंजी के प्रभाव की सीमा निर्द्धारण।

४–सामाजिक लोकतन्त्र

क–सामाजिक कुरीतियों का त्याग जैसे अस्पृश्यता जातपांत, खानपान, में भेद–भाव, परदा, स्त्रियों का समानाधिकार न देना आदि—

इसके अनन्तर दिसम्बर १९२८ में कांग्रेस के अवसर पर कलकत्ता में इस लीग की बैठक हुई जिसमें नेहरू कमेटी द्वारा पेश किये हुये "औपनिवेशिक शासन" की रचना तथा ध्येय पर चरचा हुई। वाद विवाद के पश्चात 'लीग' ने बड़े भारी बहुमत से इस ध्येय को नामन्जूर किया और अपना ध्येय पूर्ण स्वाधीनता ही रक्खा। सन् १९२९ में कांग्रेस ने भी अपना ध्येय पूर्ण स्वाधीनता बना लिया।

———

किसान मजदूर पार्टी

सन् १९२८ में भारतवर्ष में सर्वदेशिक मजदूरों की हड़तालें हुईं। ई० आई० रेलवे, जी. आई. पी. रेलवे, बम्बई की कपड़े की मिलें, एम. आई. रेलवे आदि अनेक औद्योगिक कम्पनियों के मजदूरों ने हड़तालें अनेक कारणों से कीं जिन सब का मुख्य नतीजा यह निकला कि मजदूरों का संङ्गठन होने लगा और जो मजदूर संस्थायें पहिले निर्जीव सी थीं उनमें जान सी पड़ गई। कांग्रेस अनेक वर्षों से किसानों के सङ्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव पास करती चली आ रही है किन्तु उसकी ओर से कुछ न हुआ मजदूर नेताओं ने किसानों का भी सङ्गठन करना आरम्भ किया। बारदोली सत्याग्रह ने किसानों की सङ्घ शक्ति की सफलता दिखाकर सिद्ध कर दिया। सरकार ने विदेशी मजदूर कार्यकर्ताओं के देश निकाला करने का अधिकार लेने के लिये "पबलिक सेफटी बिल" एसेम्बली में पेश किया जो रद्द हो गया। इस प्रकार अनेक कारणों का फल स्वरूप "किसान मजदूर पार्टी" बन गई।

झांसी में २९-३० अक्टूबर १९२८ को यू. पी. किसान मजदूर कान्फ्रेंस हुई जिसके सभापति मि० झाबवाला थे। बाद को मेरठ में बंगाल, पंजाब यू. पी. आदि प्रांतों के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई जिसमें "किसान मजदूर पार्टी" का नियमित रूप से सङ्गठन हुआ। डा०,

नियमित रूप से संगठन हुआ। डा० विश्वनाथ मुकर्जी (गोरखपुर) सभापति और पूरनचन्द जोशी (इलाहाबाद) सेक्रेटरी बनाये गये।

ध्येय।

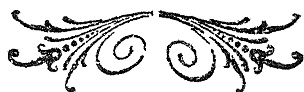
(१) भारत को लोकतन्त्री तथा (२) सब स्त्री पुरुषों को आर्थिक और राजनैतिक रीति से स्वतन्त्र बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य से पूर्ण स्वाधीन करना।

रीति।

प्रत्यक्ष सार्वजनिक कार्य

इन ध्येयों को खुलासः करने के लिये अनेक प्रस्ताव भी पास किये गये।

इसके पश्चात् कलकत्ते में २१ दिसम्बर १९२८ को इस पार्टी की प्रथम अखिल भारतीय कान्फ्रेंस हुई जिसके सभापति कामरेड मोहनसिंह जोश थे। द्वितीय कान्फ्रेंस सन् १९२९ में पण्डित जवाहिरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नागपुर में हुई।



मजदूर आन्दोलन ।

भारतीय मजदूरों का आन्दोलन अब बड़ा जोर पकड़ रहा है श्री० ना... मेवाजी लोखन्डे ने पहिला ... संघ बम्बई में स० १८९० में ... उन्होंने एक समाचार पत्र "... ..." भी आरंभ किया । अनेक वर्षों तक मजदूर सन्घों की संख्या न बढ़ी । इस के अनेक कारण थे—मुख्य ... की कुपढ़ता तथा सुशिक्षितवर्ग का ... की ओर दुलक्ष ।

स० १९१० में दूसरा "यूनियन" मजदूर संघ खुला और धीरे २ प्रगति होने लगा । स० १९१८ में मि० बी. पी. वाडिया ने मद्रास बकिंगहम और कर्नाटक मिलों के मजदूरों का सङ्गठन किया । स० १९१९ में ४ 'यूनियन' और २०००० मेम्बर हो गये । अब इस समय प्रत्येक औद्योगिकेन्द्र में सब प्रकार के संघ मौजूद हैं और सदस्य लाखों की संख्या में हैं ।

स० १८८१ में पहिला फैक्टरी ऐक्ट पास किया और स० १८९१ में संशोधित हुआ । किन्तु इस ऐक्ट से कोई लाभ न हुआ मिल मालिक मजदूरों से ज्यादा घण्टे काम लेते रहे । उनके साथ निर्दयता का व्यवहार करते रहे और अन्य प्रकार की असुविधायें भी उनके लिये बनी रहीं । जांच के बाद स० १९११ के फैक्टरी ऐक्ट ने दैनिक घण्टों को निश्चित कर दिया स० १९१९ में 'लीग आफ नेशन्स' (राष्ट्र संघ) योरुप में बना । भारत को भी सदस्य के नाते मजदूरों के प्रश्नों पर विचार करना पड़ा । भारत के प्रतिनिधि "अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कांफ्रेंस" वाशिंगटन में सम्मिलित हुये और भारत पर भी मजदूरों के लिये उचित कानून बनाना वाध्य हुआ ।

दिसम्बर १९१९ में बम्बई के फैक्टरियों के मजदूरों की एक कांफ्रेंस हुई जिस में ७१ फैक्टरियों के सदस्य उपस्थिति थे । उन्होंने एक "मेमोरियल" बनाया जिस में 'दैनिक घंटों' में कमी तथा मजदूरी में बढ़ती की मांगें रक्खी गईं । मिल मालिकों ने इस ओर कुछ ध्यान न दिया जिसके कारण अनेक हड़तालें हुईं । सन् १९१९ से हड़तालों का युग आरंभ होता है । कोई वर्ष उसके बाद ऐसा नहीं है जिस में मिलों के या रेलवे के मजदूरों की हड़तालें न हुई हों । इसी साल में जी. आई. पी. रेलवे के वर्कशाप झांसी में हड़ताल हुई जिसमें करीब १०००० मजदूर २८ दिन तक काम पर नहीं गये । श्री० धुलेकर व श्री० खेर मजदूरों का पक्ष लेकर बम्बई गये और राजीनामा करा दिया जिस में मजदूरों की मजदूरी में बढ़ती हो गई और छुट्टी व पासों में भी सुविधा हो गई ।

स० १९२० में मजदूर आन्दोलन जोर पकड़ गया और उसने राष्ट्रीय स्वरूप भी धारण कर लिया ३१ अक्टूबर

१९२० को बम्बई में "आलइंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस" ला० लाजपतराय की अध्यक्षता में हुई। दूसरी ट्रेड-यूनियन कांग्रेस झरिया में हुई। [नवम्बर १९२१]। इस कांग्रेस में १०००० प्रतिनिधि १०० संघों से आये थे। तीसरी कांग्रेस लाहौर में श्री० सी. आर दास की अध्यक्षता में हुई। स० १९२७ की कांग्रेस कानपुर में हुई जिस के अध्यक्ष दीवान चिमनलाल थे। सन् १९२८ की ट्रेड यूनियन कांग्रेस झरिया (बङ्गाल) में हुई।

सन् १९२२ में भारत अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कान्फ्रेंस को स्वतन्त्र रूप से सदस्य बनाया गया और ८ महत्वशाली औद्योगिक राष्ट्रों में उसका स्थान है। इस प्रकार इस कफ्रेंस के सब प्रस्ताव भारत पर लागू है।

फैक्टरी कानून।

सन् १९११ के फैक्टरी ऐक्ट के मुख्य अन्तर्गत है ( ) फैक्टरी की परिभाषा में वे भी औद्योगिक फैक्टरियां रक्खीं गईं जो केवल फसल पर चलाई जाती हैं। (२) बच्चों और स्त्रियों के दैनिक घंटो में कमी करके घटे निश्चित कर दिये गये और उन्हें रात में (सिवाय वीविंग और प्रेसिंग फैक्टरियों के) सब में काम करने की मनाई कर दी गई। (३) मजदूरों का स्वास्थ्य फैक्टरियों की जांच आदि के लिये भी नियम बनाये गये। (४) प्रौढ़ मजदूरों के दैनिक घंटे (बुनाई की फैक्टरियों में) अधिक से अधिक १२ कर दिये गये।

वाशिंगटन कफ्रेंस के प्रस्तावों के कारण सन् १९२२ में ऐक्ट फिर बदला गया जिसमें यह बातें रक्खी गईं (१) एक सप्ताह ६० घण्टे का रक्खा गया। (२)मजदूर बच्चों की उम्र ९ से १२ तक करदी गई। १२ वर्ष की उम्र से नीचे कोई बच्चा काम न कर सकेगा। (३) स्त्रियां रात को काम न कर सकेंगी (४) छोटी २ फैक्टरियों को भी ऐक्ट लागू किया गया। यह ऐक्ट सन् १९२३ में फिर संशोधित हुआ जिससे साप्ताहिक छुट्टी की सुविधा निश्चित कर दी गई।

एक कफ्रेंस चीफ इन्स्पेक्टरों की की गई जिन्होंने कुछ संशोधन १९२३ के ऐक्ट में किये जाने की सिफारिश की फलतः सन् १९२६ में प्रान्तीय सरकारों की राय लेकर व इन्सपेक्टरों की उत्तम कांफ्रेंसों की शिफारिशों की घटना पर १९२६ में फैक्टरी ऐक्ट पास किया गया।

सन् १९२३ में एक ऐक्ट पास किया गया जिसके द्वारा मजदूरों को दुर्घटना से चोटें लगने पर फैक्टरी के मालिक ने मुआवजा देना अनिवार्य कर दिया।

ट्रेड यूनियन कानून

मार्च स० १९२१ में मि० एन. एम. जोशी एम. एल. ए. ने ऐसेम्बली में प्रस्ताव पेश किया कि एक कानून बनाया जावे जिससे "ट्रेड यूनियनों" की रजिस्ट्री हो सके और उनकी रक्षा भी हो। भारत सरकार ने सितम्बर १९२१

में इस विषय पर सब प्रान्तीय सरकारों से राय मांगी एक बिल बनाया गया जो पुनः राय के लिये भेजा जाकर ३१ अगस्त १९२५ को एसेम्बली में पेश हुआ। लेजिसलेटिव एसेम्बली ने उसे ८ फरवरी १९२६ को और कौंसिल आफ स्टेट ने उसे २५ फरवरी १९२६ को पास किया। इसके अनुसार संघ बनाना, उसके उद्देश्य पूर्ति के लिये आपस में कोई इकरार करना कानूनी समझा जावेगा इसी प्रकार ट्रेड यूनियन या उसके सदस्यों के खिलाफ कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा न चलाया जावेगा इस कारण कि "ट्रेड डिस्प्यूट" [व्यापारी झगड़े] के सुलझाने के लिये कोई ऐसा काम किया गया है जिससे मजदूरों ने मालिकों के साथ अपना इकरार तोड़ दिया है या कुछ मिलकर काम करने पर तैयार नहीं है।

मजदूर आंदोलन का नया स्वरूप।

हड़तालें धीरे २ बढ़ती जाती हैं और साथ २ मजदूर आन्दोलन एक नया रूप धारण करता जाता है। हडतालों का स्वरूप व्यापक हो जाता है। स्थानिक हडतालें भी प्रान्तीय रूप धारण कर लेती हैं और बहुत दिनों तक—कभी २ महीनों तक—चलाई जाती हैं।

सन १९२३ से जो हडताल अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने की वह १ अप्रैल सन १९२३ से ४ जून १९२३ तक चली। ४३,११३ मनुष्यों ने काम छोड़ दिया था। यदि १ आदमी के दिन लिये जावें तो २३,७०,९३३ दिन काम बन्द रहा।

सन १९२४ में बम्बई में रुई की मिलों में हडताल हुई। झगड़ा 'बोनस' बन्द कर देने पर हुआ। १७ जनवरी से हडताल शुरू हुई और २५ मार्च तक चली। सरकार ने सर नोरमैन मैकलियड चीफ जस्टिस बम्बई हाईकोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियत की। कमेटी ने मजदूरों के विरुद्ध फैसला दिया।

सन १९२४ में १३३ झगड़े मिल मालिकों और मजदूरों में भारत में हुये। ३,१२,४६२ मजदूरों ने काम छोडा ८७ ३०,९१८ दिन काम बन्द रहा। सन १९२५ में हडतालें व झगड़े बढ़ गये। झगड़े १३४ मजदूरों की संख्या जिन्होंने काम छोडा २,७०,४२३ और काम १,२५,७८,१२९ दिन बन्द रहा। सन १९२६ व १९२७ में भी यही हाल रहा।

सन १९२८ में अनेक हडतालें हुई खडकपूर की हडताल कई मास चली। लिलुआ इ. आइ. आर. वर्कशाप की भी हडताल काफी बड़ी थी। बम्बई में जो हडताल मिलों के मजदूरों की हुई वह वर्षारम्भ से चलते २ छः मास तक चली। इस हडताल में श्री० डांगे श्री० निम्बकर, मि० झाबवाला, मि० ब्रैडले, आदि कार्य कर्ताओं ने कार्य किया। यह हडताल इतनी बडी थी कि पीड़ितों के लिये बहुत सा रुपया

भारत में एकत्र हुआ और कुछ रुपया रूस के मजदूरों ने भी भेजा।

बम्बई की इस हड़ताल में १;४७,६४४ मजदूरों ने काम छोड़ दिया था। इस हड़ताल का मुख्य कारण यह था कि मिल मालिकों ने पैसा बचाने का नया तरीका यह निकाला कि प्रत्येक बुनने वाले मजदूर को दो करघों का जगह तीन करघों पर काम करने का नियम बनाया और इसी प्रकार सूत कातने वाले मजदूर को १ फ्रेम की जगह दो फ्रेम पर काम करने पर वाध्य किया। सन् १९२७ में छोटी २ अनेक हड़तालें इन नये नियमों के विरोध में हुईं किंतु कोई फल नहीं हुआ। अन्ततः किसान मजदूर पार्टी का बम्बई ब्रांच ने १६ अप्रैल १९२८ और २६ अप्रैल १९२८ के बीच सब मिलों के मजदूरों की हड़तालें करा दीं। गवर्नर से मिल मालिकों से तथा बम्बई टेक्सटाइल लेबर यूनियन और गिरनी कामगार महा मंडल के प्रतिनिधियों से मिले। एक ज्वाइंट स्ट्राइक कमेटी सब मजदूरों की बनाई गई और १७ मांगें रक्खी गईं। कई महीनों के बाद सरकार ने एक जांच कमेटी सर चार्लस फासेट की अध्यक्षता में बनाई और ६ अक्टूबर से हड़ताल बन्द होना आरम्भ हो गई हड़ताल से मिल मजदूरों को बहुत थोड़ा लाभ हुआ क्योंकि सरकार मजदूर आन्दोलन को पसन्द नहीं करती।

टाटा आयरन और स्टील वर्क्स (जमशेदपुर) में भी बड़ी भारी हड़ताल हुई जो अप्रैल १९२८ से आरम्भ होकर सितम्बर १९२८ में खतम हुई। श्री० सुभाषचन्द्र बोस तथा मि० सी. एफ. एण्डरूज ने मजदूरों के लिये बड़ा काम किया।

साउथ इंडियन रेलवे और इस्टइंडियन रेलवे की हड़तालें भी काफी बड़ी थीं लेकिन सफल नहीं हुईं।

दो नये कानून।

सरकार ने बढ़ते हुये मजदूर आंदोलन को दबाने के लिये दो नये कानून बनाने का प्रयत्न किया जनता ने बड़ा विरोध किया किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। १। ट्रेड डिस्प्यूट ऐक्ट जिसके द्वारा स्ट्राइक और लाकआउट के लिये नियम बनाये गये। (२) पब्लिक सेफटी बिल (जो पास नहीं हुआ) द्वारा यह प्रयत्न था कि मजदूर आंदोलन को चलाने वालों को अर्थात् नेताओं और कार्यकर्ताओं को देश से निकाल दिया जावे। सरकार का यह [illegible] कि रूस तथा विदेशों से मनुष्य [illegible] मजदूरों को भड़काते हैं।

मेरठ षड्यन्त्र का मुकदमा।

भारत में राजनैतिक आन्दोलन के साथ २ मजदूर आन्दोलन ने भी जोर पकड़ लिया है। किसान मजदूर पार्टी ने मजदूरों में हलचल मचा दी है और मजदूरों में भी स्वाभिमान उत्पन्न हो गया है। किसान मजदूर पार्टी की अनेक

शाखायें भारतवर्ष में कायम हो गई हैं आन्दोलन की इस बढ़ती हुई मात्रा को दबाने के लिये ता० २० मार्च १९२९ को सारे देश भर में मजदूर नेताओं की गिरफ्तारियाँ की गईं और उन पर यह अभियोग लगाया गया कि उन सबने एक ऐसा षडयन्त्र रचा है जिससे वे रूस की साम्यवादी थर्ड इंटर नेशनल से सहायता लेकर भारतवर्ष में स्थापित ब्रिटिश शासन नष्ट करना चाहते हैं। सारे देश भर में सनसनी फैल गई। सरकार की ओर से कलकत्ते के प्रसिद्ध बैरिस्टर मि० लैंगफर्ड जेम्स नियत हुए और मुकदमा मेरठ में चलाया गया। स्पेशल मजिस्ट्रेट मि० मिलनर व्हाइट की अदालत में मुकदमा आरम्भ हुआ और अनेक अड़चनों के बाद अभियुक्त श्री० चौधरी धर्मवीर सिंह को छोड़कर सभी अभियुक्त सेशन सुपुर्द हुये।

मेरठ षड्यन्त्र केस के अभियुक्त

अभियुक्त हिन्दुस्थान के भिन्न २ प्रान्तों के निवासी हैं, यथा १० बंगाल के, ३ पंजाब के ५ युक्त प्रान्त के, और १३ बम्बई के हैं इनमें २ यूरोपियन, ४ मुसलमान, ११ सिख और बाकी हिंदू हैं। उन पर ताजीरात हिन्द की दफा १२१ अ का अभियोग है।

नाम	स्थान
१. फिलिप स्प्राट	बंगाल
२. धरणीधर गोस्वामी	,,
३. मुजफ्फर अहमद	,,
४. किशोरीलाल घोष	बंगाल
५. गोपेन्द्र चक्रवर्ती	,,
६. राधारमण मित्रा	,,
७. अयोध्या प्रसाद	,,
८ गोपाल प्रसाद	,,
९. हचिंसन	,,
१०. शिवनाथ बनर्जी	,,
११ सोहनसिंह जोशी	पंजाब
१२. श्री ए. मजीद	,,
१३. केदारनाथ सहगल	,,
१४. पी. सी. जोशी	युक्त प्रांत
१५. गौरीशंकर	,,
१६. लक्ष्मणराव कदम	झांसी
१७. डा० विश्वनाथ मुकर्जी	युक्त प्रांत
१८. चौधरी धर्मवीर सिंह	,,
१९ बेंजामिन फ्रैंक ब्राडले	बम्बई
२० एस. ए. डांगे	,,
२१ ऐस. वी. घाटे	,,
२२. के. एन. जोगलेकर	,,
२३. एस. एस. मीरजकर	,,
२४ आर. एस. नीमकर	,,
२५. गंगाधर मोरेश्वर अधिकारी	,,
२६. एस. जी. देसाई	,,
२७. शौकत उस्मानी	,,
२८. ए. ए. आलवे	,,
२९. जी. आर. कासले	,,
३०. एस० एच० झाबवाला	,,
३१. ढुंढिराज थेंगडी	,,

इस षडयन्त्र के मुकदमे चलने से भी आन्दोलन में कुछ कमी नहीं हुई। वरन् मजदूर दल बढ़ता ही गया।

नवम्बर १९२९ में जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस नागपुर में हुई (अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू) उसमें नाम दल के नेताओं का प्रभुत्व बिलकुल उठ गया। दीवान चमनलाल श्री० जोशी प्रभृति नेता उठ कर चले गये। सन् १९३० के आरम्भ में जी. आई. पी. रेलवे की बड़ी भीषण हड़ताल आरम्भ हुई। मि० रुईकर (अध्यक्ष जी. आई. पी. रेलवेमेन्स यूनियन) द्वारा नोटिस दिया जाकर ४ फरवरी १९३० को हड़-ताल सारी लाइन भर में आरम्भ हुई। ऐसी बड़ी हड़ताल कभी पहिले नहीं हुई थी। हड़ताल पूरी सफल नहीं हुई। मजदूरों को सत्याग्रह भी करना पड़ा। श्री० रुईकर को २ मास की सजा १४४ दफा के तोड़ने में हो गई। अन्य हड़-ताली भी जेल गये। सरकार ने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की जिसमें कुछ मांगों की पूर्ति की गई किंतु असन्तोष कम नहीं हुआ।

बारडोली सत्याग्रह।

सन् १९२८ के आरम्भ में गुजरात प्रदेश के कुछ भागों में बम्बई सरकार द्वारा मालगुजारी बढ़ाई गई जिसकी मात्रा २२ प्रतिशत थी। मात्रा अधिक होने के कारण किसानों ने उजर किया। बहुत से प्रार्थना पत्र भेजे गये। समा-चार पत्रों द्वारा भी आन्दोलन किया गया और कहा गया कि सरकार दुबारा जांच करे किन्तु सरकार ने न सुनी। अन्ततः श्री० वल्लभ भाई पटैल तथा अन्य सज्जनों ने किसानों का काम अपने हाथ में लिया और सरकार से लिखा पढ़ी की। किंतु सरकार ने न सुना बारडोली ताल्लुका ने सत्याग्रह आरम्भ कर दिया और मालगुजारी देने से इनकार कर दिया। सरकार की ओर से दमन नीति जारी की गई। किसानों के पशु आदि सैकड़ों रुपये के थोड़े थोड़े दामों में नीलाम किये गये किंतु लेने वाले न मिले। ६९ पटैलों व १३ पट-वारियों ने त्याग पत्र दे दिये। स्त्रियों ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया। सर-कार ने कार्यकर्त्ताओं को जेल भेज दिया पठान सिपाहियों द्वारा अत्याचार कराया किंतु किसान न दबे। १२ जून १९२८ को देश भर में बारडोली दिन मनाया गया। सरकार को अन्त में एक कमेटी मि० ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता में नियत करना पड़ा और इसको दुबारा जांच का काम सुपुर्द किया गया।

भारत के देशी राज्य ।

भारत के देशी राज्य।

भारतवर्ष की राज्य व्यवस्था में देशी राज्यों का वर्णन बड़े महत्व का विषय है। देशी नरेशों के आधीन भारत का क्षेत्रफल ७११०३२ वर्ग मील है और उस क्षेत्रफल में रहने वाली ८१९३९१८७ हैं।

बहुत अंशों में देशी राज्य स्वतन्त्र प्रदेश हैं उनके आंतरिक प्रबन्ध से और अंग्रेजी सरकार से कोई सम्बंध नहीं। पुलिस, न्याय, टैक्स, मालगुजारी, कस्टम आदि सब खाते स्वतंत्र रीति से चलाने का अधिकार लगभग सब देशी नरेशों को है। तात्विक दृष्टि से अंग्रेजी सरकार और देशी राज्यों के बीच सम्बन्ध संधि पत्रों द्वारा ही है और एक दूसरे से इन संधियों की शर्तों के आधीन स्वतंत्र हैं किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है समय २ पर अंग्रेजी सरकार ने देशी नरेशों के आन्तरिक प्रबन्ध में भी हस्तक्षेप किया है उनके उत्तराधिकारियों के राज्यारोहण में भी फेर बदल की हैं कुछ देशी नरेशों को पदच्युत भी किया है और समय पड़ने पर देशी नरेशों के पूर्ण स्वातंत्र्य मांगने से इनकार भी किया हैं—काशमीर, नागपुर, झांसी, दतिया इंदौर, नाभा आदि इसके उदाहरण हैं। सन् १९२६ में लार्ड रीडिंग ने हैदराबाद (निजाम) को एक खलीते में स्पष्ट लिखा दिया कि देशी राज्य स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है जब तक अंग्रेजी सरकार न माने तब तक गद्दी का कोई वारिस जायज नहीं है और भारतवर्ष भर में (अंग्रेजी व देशी) के वली अंग्रेजी सरकार ही सर्वोच्च शासन शक्ति है उसी के आधीन सब हैं।

देशी राज्यों के तीन वर्ग हैं—१ ऐसे देशी राज्य जो ऊंची श्रेणी के हैं और जिनका संबंध सीधा वाइसराय से है। इनमें से प्रत्येक राज्य में "रेजीडेन्ट" रहता है—हैदराबाद; मैसूर, बड़ोदा; कशमीर, गवालियर और सिक्किम।

२—दूसरे वर्ग में वे देशी राज्य है जिनका वर्गीकरण अलग २ समूह अथवा "एजेंसी" में कर दिया गया है और उनका सम्बन्ध इस समूह के एजंट टू दी गवरनर जनरल से रहता हैं इस प्रकार के समूह अथवा एजेंसियां ४ हैं—(१) राजपूताना एजेंसी (२) सेन्ट्रल इंडिया एजेन्सी (३) बिलोचिस्तान एजेंसी (४) उत्तर पश्चिमी सरहद्दी प्रदेश एजेंसी।

(३) प्रांतीय सरकारों के आधीन राज्य जो लगभग ५०० हैं।

देशी राज्यों का वर्गीकरण।

वर्ग	संख्या	देशीराज्य	क्षेत्रफल (बर्गमील)	जनसंख्या (१९२१)
प्रथम	१	हैदराबाद	८२,६९८	१,२४,५३,६२७
	२	मैसूर	२९,४४४	५९,७६,६६०
	३	बड़ौदा	८,०९९	२१,२१,८७५
	४	कशमीर	८०,९००	३२,२२,०८०
	५	सिक्कम	२,८१८	८१,७२२
	६	गवालियर	२६,३८०	३१;९५,०२२
द्वितीय	लगभग १७५ राज्य	राजपूताना एजन्सी	१,२७,५४१	९८,५७,०१२
		बिलोचिस्तान एजन्सी	८६,५११	३,७८,९९९
		पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत ए०	२५,५००	२८,२८,०५५
		मध्य भारत एजन्सी	७८,७७२	९१,८०,४०३
तृतीय	लगभग ५०० राज्य	पंजाब में	३६,५३२	४४,१५,४०१
		बिहार उडीसा में	२८,६४९	३९,६५,४३१
		बंगाल में	३२,७७३	८,९६,१७३
		बम्बई में	६५,७६१	७४,१२,३४१
		मध्य प्रांत में	३१,१८८	२०,६८,४८२
		आसाम में	८,४५६	३.८३.६७२
		मद्रास मे	९,९९६	५४,६०,०२९
		संयुक्त प्रान्त में	५,०७९	११,३४;८२४
		बर्मा मे	६०,५९३	१४,९७,३९२
		योग	७,३७,६६७	७,६६,२९,२००

चेम्बर आफ प्रिन्सेज ।

चेम्बर आफ प्रिन्सेज अथवा नरेन्द्र मंडल की रचना तथा स्थापना मांटेग्यू चेलम्स फोर्ड सुधार १९१९ के अनुसार हुई है।

इन सुधारों के पहिले वाइसराय के निमन्त्रण पर देशी नरेशों की कांफ्रेंस हुआ करती थी और आवश्यक विषयों पर चर्चा हुआ करती थी। सुधार रिपोर्ट ने यह सिफारिश की कि देशी नरेशों की एक स्थायी कौंसिल बनाई जावे जिसका अध्यक्ष वाइसराय हो और उसकी अनुपस्थिति में कोई एक नरेश हो। कार्यवाही के नियम वाइसराय देशी नरेशों की सलाह से बनावे। इसी रिपोर्ट ने यह भी सिफारिश की थी कि वह कौंसिल हर साल एक छोटी सी स्थायी कमेटी बनावे जिसके सामने वाइसराय समय समय पर देशी राज्यों सम्बन्धी आवश्यक प्रश्न पेश किया करें। यह भी सिफारिश की गई कि देशी राज्यों के पारस्परिक झगड़ों के फैसले के लिये तथा नरेशों के राज्य प्रबन्ध में गड़बड़ियों की जांच के लिये "कमीशन" नियत किये जाया करें।

जनवरी १९१९ में नरेशों की एक कान्फ्रेंस उक्त प्रश्नों के बिचार के लिये दिल्ली में हुई एक प्रश्न पर बहुत बड़ी बहस हुई वह प्रश्न यह था कि सुधार रिपोर्ट ने यह सिफारिश की थी कि देशी राज्यों के दो भाग कर दिये जावें (१) जिन राज्यों को पूर्ण अधिकार है और (२) जिन राज्यों को पूर्ण नहीं हैं। कुछ नरेशों की यह राय थी कि नरेशों की कौंसिल के सदस्य केवल वर्ग (१) वाले नरेश ही समझे जावें वर्ग (२) को उसमें अनेक अधिकार न हों। अन्य नरेशों की यह राय थी कि वर्ग दो वाले नरेशों को कौंसिल में प्रतिनिधित्व अवश्य दिया जावे। इस प्रश्न का निपटारा न हुआ। किन्तु कौंसिल बनाई जावे इस विषय पर साधारण रीति से लगभग सब ही रजामन्द थे। यह भी कहा गया कि इस कौंसिल का नाम नरेन्द्र मंडल रक्खा जावे।

कांफ्रेंस की कार्यवाही भारत मन्त्री के सामने रक्खी गई और नवम्बर १९१९ में लार्ड चेलम्स फोर्ड ने "चेम्बर आफ प्रिन्सेज" की रचना कान्फ्रेंस के सामने पेश की; जिसने उसे पास कर दिया।

ता० ८ फरवरी १९२१ को नरेन्द्र मंडल का उद्घाटन हुआ। चेम्बर का अध्यक्ष चुना हुआ होता है जिससे "चांसलर" कहते हैं। इस समय महाराजा बीकानेर चाँसलर हैं। ६ सदस्यों की एक "स्टैंडिंग कमेटी" होती है जो एक वर्ष में दो तीन बार बैठती है। देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार से सम्बन्ध रखने वाले विषयों पर वह विचार करती है डाक, तार, रेलवे लैनों पर पुलिस; कस्टम आदि प्रश्नों पर इस कमेटी ने विचार किया है लगभग ४०–५० नरेश इस चेम्बर में आते हैं। कार्यवाही चेम्बर की गुप्त रक्खी जाती है।

प्रबन्ध की जांच ।

ता० २९ अक्टूबर १९२० को गवरनर जनरल ने एक "रिजोल्यूशन" प्रकाशित किया जिसमें यह निश्चित किया कि "जब कभी किसी देशी नरेश के पदच्युत करने अथवा उसके अधिकार, स्वत्व, आदर, उपाधि आदि के जप्त करने का प्रश्न उठेगा उस समय जाँच की जावेगी और (१) एक कमीशन नियमानुसार नियुक्त होगा (२) उक्त नरेश को किसी कमिश्नर की नियुक्ति पर आक्षेप करने का अधिकार होगा । (३) जांच की रिपोर्ट पर उक्त नरेश को अधिकार होगा कि प्रकाशित होने दे या नहीं (४) अपने वकील द्वारा काम करा सकेगा (५) और सेक्रेटरी आफ स्टेट के पास गवर्नमेंट आफ इंडिया के फैसले की अपील कर सकेगा ।

बटलर कमेटी ।

ता० १७ दिसम्बर १९२७ ई० को सेक्रेटरी आफ स्टेट ने एक जांच कमेटी नियुक्त की जिसके सदस्य (१) सर हारकोट बटलर (अध्यक्ष), (२) दि आनरेबल सिडनी पील और (३) डब्ल्यू एस. होल्ड्सवर्थ रक्खे गये । इस कमेटी का कार्य यह था—(१) यह रिपोर्ट करना कि ब्रिटिश सरकार और देशी नरेशों के बीच वास्तविक सम्बन्ध क्या है । इस जाँच में कमेटी सब प्रकार के सन्धिपत्र, सनद, इकरारनामे, रसूम, अधिकार आदि सब कारणों पर विचार करे । (२) ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के बीच आर्थिक और औद्योगिक सम्बन्धों की जांच करे (३) योग्य शिफारिशें पेश करे ।

देशी नरेशों ने अपनी ओर से सर लेसली स्काट को वकील नियत किया और उनके द्वारा अपना मामला पेश कराया । मुख्य बात जिस पर मि० स्काट लड़े वह यह थी कि देशी राज्यों से सीधा सम्बन्ध सम्राट से है भारत सरकार से नहीं ।

बटलर कमेटी रिपोर्ट ।

कमेटी की रिपोर्ट पर १४ फरवरी १९२९ को मेम्बरों के हस्ताक्षर हुये और ता० १६ अप्रेल १९२९ को इंगलैंड और भारत में साथ २ प्रकाशित हुई । रिपोर्ट ५२ पृष्ठों की है और तीनों सदस्यों के एक मत से लिखी गई हैं । कमेटी की रिपोर्ट के मुख्य मन्तव्य ये हैं—(१) अंग्रेजी सरकार ही सर्वोच्च शक्ति है । देशी नरेशों और सरकारी राजनैतिक विभाग के बीच किसी भी प्रश्न पर चरचा का पूरा अवसर नरेशों को दिया जावेगा किंतु अंतिम फैसला सर्वोच्च शक्ति (Paramount Power) के ही हाथों में रहेगा (२) देशी नरेशों से और भारत सरकार से ही सीधा सम्बन्ध रहेगा । (३) पिछले दस वर्षों में १८ अवसरों पर देशी शासकों के प्रबन्ध में हस्तक्षेप किया गया उसमें से ९ मामले बुरे प्रबन्ध के कारण हुये, ४ फिजूलखर्चों के कारण और ५ विभिन्न कारणों

से हुये। केवल तीन अवसरों पर देशी नरेश पदच्युत किये गये है। कमेटी का कहना है कि बड़ौदा, मनीपुर और हैदराबाद के मामलों में "पैरामौंट पावर" के इस अधिकार को सरकार ने अचूक रीति से दर्शा दिया है। (४) कमेटी ने सिफारिश की है कि आर्थिक व हिसाबी सम्बन्धों के तै करने के लिये एक सिद्ध हस्त कमेटी नियत की जावे जो कस्टम की आमदनी का बटवारा कर दे और साम्राज्य के खर्च में देशी राज्य क्या दें यह भी निश्चित करे (५) कमेटी की यह भी सिफारिश हैं कि चेम्बर आफ प्रिन्सेज के सब सदस्यों के लिये मौजूदा सुविधा दे दी जावे कि नरेशों के निजी उपयोग की वस्तुओं पर कस्टम नहीं लिया जाता (६) देशी राज्यों में अफसरों की जगहों के लिये इंगलैण्ड की यूनिवर्सिटियों से खास तौर से मनुष्य लिये जावें। आई. सी. एस. और देशी फौजों से काफी आदमी नहीं मिल सकते। (७) ब्रिटिश इण्डिया और देशी राज्यों के बीच झगड़ों के निबटारे के लिये कमेटियां बनाई जावें।

हैदराबाद

शासक—हिज इकजाल्टेड हाइनेस सर उसमान अली खान बहादुर फतेह-जंग जी. सी. बी., जी. सी. एस. आई.

यह राज्य देशी राज्यों में प्रधान है क्षेत्रफल ८२६९८ वर्गमील है और आबादी १;२४,५३ ६२७ है। करीब ८५ प्रतिशत हिन्दू हैं, १० प्रतिशत मुसलमान हैं। इस प्रदेश की जमीन बड़ी उपजाऊ है और तिलहन बहुत पैदा होता है। शासक "निजाम" कहलाता है। शासन के लिये ८ सदस्यों की कौंसिल है और कानून बनाने के लिये एक व्यवस्थापक सभा है जिसमें १२ सरकारी, ६ गैर सरकारी और २ विशेष सभासद होते हैं। रियासत में ९ सूबे और ८८ ताल्लुके हैं। डाक, स्टाम्प और टकसाल विभाग स्वतंत्र हैं। सिक्के को "उसमानिया" कहते हैं। इस राज्य की फौज में १९५८२ सिपाही हैं। १०६८ इम्पीरियल सर्विस ट्रुप्स भी हैं। राज्य की आर्थिक दशा अच्छी है। न्याय विभाग और प्रबन्ध विभाग बिलकुल अलग हैं। उसमानिया यूनिवर्सिटी का माध्यम उर्दू है और प्रार्थमिक शिक्षा बिलकुल मुफ्त है। राज्य में ४००१ स्कूल हैं।

सरकारी जमा खर्च—वार्षिक आमदनी लगभग ७ करोड़ ९६ लाख है और खर्च लगभग ६ करोड़ ७८ लाख है।

रेलवे—राज्य के भीतर ५२४ मील (बड़ी लाइन) और ५८० मील (छोटी लाइन) रेलवे है। इसमें से अधिकतर निजाम की गैरेन्टीड स्टेट रेलवे की लाइनें हैं।

बरार—[illegible] में बरार अंग्रेजी सरकार को पट्टे पर दिया गया था।

इसके बदले सरकार को हैदराबाद की रक्षा के लिये एक फौज रखना पड़ती थी जो खर्च से बचे वह निजाम को मिलता था। इस प्रबन्ध में कठिनाई पड़ने पर सन् १९०२में सदा के लिये बरार अंग्रेजी सरकार को २५ लाख रुपया सालाना पर दे दिया गया सन् १९२३ में निज़ाम ने बरार वापिस मांगा लेकिन सरकार ने इन्कार कर दिया।

मैसूर

शासक—महाराजा कर्नल श्रीकृष्ण राजेन्द्र वाडयार बहादुर जी. सी. एस. आई.; जी. बी. ई.

भारत के देशी राज्यों में यह राज्य सबसे अधिक प्रगति शील है। कुछ बातों में ब्रिटिश भारत से भी आगे है। इसका क्षेत्रफल २९,४६९ वर्गमील है और ५९,७८,८९२ जन संख्या है। भाषा कानड़ा है।

दीवान तथा तीन सदस्यों द्वारा राज्य का प्रबन्ध चलाया जाता है। यह प्रबन्ध कारिणी कमेटी महाराजा के निरीक्षण में कार्य करती हैं। तीन जजों का एक चीफ कोर्ट हैं।

सन् १८८१ में प्रतिनिधि सभा (Representative Assembly) स्थापित की गई रेगुलेशन १८ सन् १९२३ के अनुसार यह सभा शासन की कानूनी अंग बना दी गई है। मताधिकार विस्तृत कर दिया गया है और स्त्रियों को भी दे दिया गया है। बजट पर बहस करने और साधारण नीति पर प्रस्ताव पेश करने का अधिकार सदस्यों को है नये टैक्स लगाने के लिये प्रतिनिधि सभा की अनुमति होना चाहिये। व्यवस्थापक सभा के सदस्यों की संख्या ३० से ५० कर दी गई हैं जिसमें २० सरकारी और ३० गैर सरकारी हैं। इस व्यवस्थापक सभा के लिये एक "सार्वजनिक हिसाब कमेटी" है जो सब हिसाबों की जांच का निरीक्षण करती रहती है और देखती है कि बजट से किस खर्च में अन्तर पड़ा हैं।

प्रतिनिधि सभा तथा व्यवस्थापक सभा दोनों का अध्यक्ष दीवान ही होता है।

(१) स्थानिक स्वराज्य (२) रेलवे बिजली और पबलिक वर्क्स विभाग (३) अस्पताल, सफाई और सार्वजनिक तन्दुरुस्ती के कार्यों के निरीक्षण के लिये प्रतिनिधि सभा और व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों की तीन स्थायी कमेटियां हैं।

फौज—फौजी सिपाहियों की संख्या ३७८० है, जिसमें २४९२ मैसूर लान्सर्स में, ३९३ सवार और १७२७ पैदल भी हैं।

जमा खर्च—सालाना आमदनी और खर्च लगभग ३ करोड़ के है—

आमदनी

१९२२–२३	३,३० लाख
१९२३–२४	३,३२ लाख
१९२५–२६	३,४० लाख
१९२६–२७	३,४१ लाख

खर्च

१९२२–२३	३,३० लाख
१९२३–२४	३,३२ लाख
१९२५–२६	३,३९ लाख
१९२६–२७	३,४१ लाख

खेती व उद्योग धन्धे—सरकारी खेती का विभाग बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है। नये खेती के तरीके किसानों को बताये जाते हैं और अच्छा बीज भी दिया जाता है। सन् १९१३ में उद्योग और व्यापार विभाग खुला था। सरकारी कारखाने साबुन, चन्दन, लोहा आदि के चल रहे हैं।

शिक्षा—ता० १ जुलाई १९१६ को मैसूर में यूनिवर्सिटी स्थापित की गई महाराजा कालेज के अतिरिक्त स्त्रियों के लिये एक कालेज है जिसका नाम महारानी कालेज है।

मैसूर में कुछ स्थानों में अनिवार्य शिक्षा जारी है। सरकारी स्कूलों की संख्या ६८३१ और गैर सरकारी स्कूलों की संख्या ११३१ है। इस प्रकार ३.६८ वर्गमील में एक स्कूल है और ७३२ मनुष्यों की संख्या के लिये एक स्कूल है

बड़ौदा

हिज हाइनेस फरजन्दे खास दौलते इंगलिशिया महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ सेना खास खेल शमशेर बहादुर जी. सी. एस. आई.; जी. सी. आई. ई.

इस प्रदेश का क्षेत्रफल ८१२७ वर्ग मील है और २१,२६,५२२ जन संख्या है। यह राज्य भी बड़ा प्रगति शील है और व्यापार तथा कला कौशल में बढ़ा चढ़ा हैं। यहाँ के नरेश राज्य की उन्नति में बड़ी रुचि रखते हैं।

प्रबन्ध—एक प्रबन्ध कमेटी जिसमें राज्य के मुख्य अफसर होते हैं महाराजा के निरीक्षण में काम करती हैं। एक व्यवस्थापक सभा भी है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायतें कायम की गई हैं।

शिक्षा—इसी राज्य ने पहिले पहिल प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा आरम्भ की वाचनालय देश भर में खोले गये हैं। बड़ौदा राज्य में २९१६ विद्यालय हैं। बड़ौदा कालेज का कला भवन बड़ा प्रसिद्ध विद्यालय है। जिला बोर्डों में स्त्रियों को मताधिकार है।

सरकारी जमा खर्च—सरकारी आमदनी लगभग २.५ करोड़ है और खर्च लगभग २ करोड़ है। केवल मालगुजारी से आमदनी १.२ करोड़ है। सन् १९०१ से अंग्रेजी रुपया जारी हुआ।

उद्योग—मुख्य उद्योग खेती है जिस

में ६३ प्रतिशत मनुष्य लगे हैं। ९९ रजिस्टर्ड कम्पनियां उद्योग धन्धों की हैं।

काश्मीर।

हिज हाइनेस महाराजा सर श्री० हरि सिंह जी बहादुर।

इस राज्य का क्षेत्रफल ८४,२५८ वर्गमील और जन संख्या ३२,२०,५१८ है। यह राज्य दो मुख्य प्रदेशों का संयुक्त राज्य है—जम्मू तथा काशमीर प्रदेस अत्यन्त ही सौंदर्य पूर्ण है। केशर यहीं पैदा होती है। इस प्रदेश में अत्युत्तम ऊन उत्पन्न होती है जिसके कपड़ों को 'पशमीना' कहते हैं। सारे जगत में काश्मीरी शाले प्रेम से खरीदे जाते हैं।

प्रबन्ध कारिणी सभा में चार सभासद होते हैं जिसके अध्यक्ष महाराजा हैं।

आय—व्यय—आमदनी लगभग २ करोड़ २५ लाख है। खर्च इस से कम है।

उद्योग—रेशम और ऊन का काम जगद्विख्यात है।

काश्मीर में कोई रेल नहीं है।

ग्वालियर।

स० १९२१ में यह राज्य सेन्ट्रल इण्डिया एजेन्सी से अलग कर दिया गया और एक रेजीडेण्ट नियत कर दिया गया। इस रेजीडेण्ट के नीचे खनियाधाना राज्य भी कर दिया गया।

शासक—हिज हाइनेस महाराजा जयाजीराव।

इस प्रदेश का क्षेत्रफल २६८० वर्ग मील और जन संख्या ३१९५०२२ है। उत्तरी भारत में मरहठों का सबसे बड़ा संस्थान है। सं० १८५७ में ग्वालियर राज्य के शासक सेंधिया घराने ने ब्रिटिश सरकार की बड़ी सहायता की। यदि सेंधिया विपक्ष में हो जाते तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन का इतिहास बदल जाता।

यह राज्य बड़ा ही प्रगति शील है। महाराजा माधवराव सेंधिया ने शासन प्रबन्ध को बड़ी अच्छी भांति देखा और उसमें सुधारणायें कीं। राज भर में सहकारी संस्थायें, ग्राम पंचायतें, पाठशालायें, उत्तम सड़कें पुल, तथा उत्तमोत्तम इमारतें तैयार कराईं। ग्वालियर और सपरी (शिवपुरी) को बड़ा सुन्दर बना दिया। महाराजा माधौ राव व्यापार भी अच्छा करते थे। अपने राज में 'ग्वालियर लाइट रेलवे' द्वारा सब मण्डियों को मिला दिया जिससे व्यापार बढ़ गया।

ग्वालियर में विक्टोरिया कालेज है। चमड़ा, पोटरी (मिट्टी के बर्तन) कांच, पत्थर, आदि की फैक्टरियां सरकारी चलाई गई हैं।

इस राज में टांबट ब्रदर्स की एक उत्तम नवीन फैक्टरी है। चन्देरी जहां का सूती कपड़ा मशहूर है इसी राज में है।

उज्जैन और ग्वालियर में कपड़ों की मिलें हैं।

सरकारी आय लगभग २ करोड़ सालाना हैं।

खनियाधाना ।

शासक—राजा खलकसिंह साहेब ।

यह राज ग्वालियर रेजीडेन्सी में है। छोटा होने पर भी बड़ा प्रगति शील है। राय साहेब प्रभू दयाल मुख्य प्रबन्धक हैं। राजा साहेब को साहित्यसे बड़ा प्रेम है।

सिक्किम ।

हिज हाइनेस महाराजा सर तशीना मग्याल के. सी. आई. ई. ।

पहिले यह प्रदेश बङ्गाल सरकार से सम्बद्धित था किन्तु १९०६ से भारत सरकार से इनका सीधा सम्बन्ध है। स० १८३५ में दार्जीलिंग इस राज से २१०० रुपया सालाना पर मिला था।

इसका क्षेत्रफल २८१८ वर्गमील और जनसंख्या ८१७२१ है जिनमें सब हिन्दू और बौद्ध ही हैं।

बर्तमान महाराजा स० १९१४ में शासक हुये और उन्हें स० १९१८ में पूरे अधिकार मिले।

आमदनी लगभग ४,०२,४२२रु० है।

राजपूताना एजेन्सी ।

इस एजेन्सी में १७ राजपूत राज्य, १ मुसलमान, और दो जाट राज्य हैं। प्रबन्ध के लिये ७ विभाग कर दिये गये हैं।

बीकानेर ।

इस प्रदेश की जन संख्या ६५६९८२ है जिस में ८४ प्रतिशत हिन्दू हैं। महाराजा श्री० सर गङ्गासिंह जी बहादुर प्रगतिशील शासक हैं। यूरोपियन महा-युद्ध में स्वयं गये थे और प्रशंसनीय सहायता सरकार को दी। सन् १९१७ में इम्पीरियल वार कांफ्रेंस और केबिनेट में देशीनरेशों के प्रतिनिधि होकर गये और फिर १९१८-१९ में पीस कान्फ्रेंस में गये।

प्रबन्ध—प्रबन्ध कमेटी में ६ सदस्य हैं जिनके अध्यक्ष और प्रधान मन्त्री युवराज हैं। सन् १९२३ में एक लेजिस-लेटिब असेम्बली बनाई गई है जिस में ४५ सदस्य हैं। जिनमें १५ चुने जाते हैं।

आय व्यय—आमदनी लगभग ९० लाख हैं। ५६८ मील रेलवे राज्य की सम्पत्ति है।

खेती की उन्नति के लिये पिछले साल एक 'गंगा नहर' बनाई गई है और दूसरी बनाई जाने वाली है।

सिरोही ।

शासक हिज हाइनेस महाराजाधिराज महाराव श्रीसर सरूप रामसिंह बहादुर के. सी. एस. आई. हैं। [illegible] राजधानी सन् १४२५ में बनी थी जोधपुर राज्य इस प्रदेश पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था किन्तु सन् १८[illegible] में अंग्रेजी सरकार ने अपनी संरक्षता में कर लिया।

राजपूताना एजेन्सी ।

राज्य	क्षेत्रफल	जन संख्या
१–एजेन्ट गवरनर जनरल से सीधा सम्बन्ध		
बीकानेर	२३३१५१२	६५६९८५
सिरोही	१९६४	१८९१२७
झालावार	८१०	९६१८२
२–मेवाड़ रेजीडेन्सी		
उदयपुर	१२६९१	१३८००६३
३–दक्षिणी राजपूताना राज्य एजेन्सी		
बांसवाड़ा	१६०६	१९०३६२
डुंगरपुर	१४४७	१८९१९२
परताब गढ़	८८६	६७११४
कुसलगढ़	३४०	२९१६२
४–पश्चिमी राज्य रेजीडेन्सी		
जोधपुर	३४९६३	१८४१९४२
जैसलमेर	१६०६२	६७६५२
५–जयपुर रेजीडेन्सी		
जयपुर	१५५७९	२६३६६४७
किशन गढ़	८५८	७५८०६
लावा	१९	२२६२
६–हरावटी टोंक एजेन्सी		
बून्दी	२२२०	२१८७३०
टोंक	२५५३	२८७८९८
शाहपुरा	४०५	४७३९७
७–पूर्वी राज्य एजेन्सी		
भरतपुर	१९८२	४९६४३७
धौलपुर	१२००	२३०१८८
करोली	१२४५	१३३७३०
अलवर	३२२१	७०११५४
कोटा	५६८३	६३००६०

झालवार ।

सन् १८९६ में पिछले शासक गद्दी से उतारे गये। एक हिस्सा कोटा को दिया गया और कुंअर भवानीसिंह (ठाकुर छत्रशाल जी के पुत्र) शासक बनाये गये। सन् १९०८ में के. सी. एस. आई. बनाये गये । आमदनी ७ लाख सालाना है ।

उदयपुर ।

उदयपुर राज्य सन् ६४६ में स्थापित हुआ यहां के शासक हिज हाइनेस महाराजाधिराज महाराना सर भूपेन्द्र नारायण सिंह जी बहादुर हाल ही में गद्दी पर बैठे। सीसोदिया राजपूतों में मुख्य हैं। सालाना आमदनी ४५ लाख रुपया है और इसी के लगभग खर्च है ।

बांसवाड़ा ।

शासक—हिज हाइनेस राय रायन महारावल साहेब श्री पृथ्वी सिंह जी बहादुर ।

इसका क्षेत्रफल १९४६ वर्गमील और जन संख्या २'९८२४ है (इस में पट्टा कुशलगढ़ की जन संख्या भी शामिल हैं)।

बांसवाड़ा और डुगरपुर दोनों पहिले एक ही प्रदेश 'वगर' नामक था और शासक भी एक ही था । यह ठाकुर सीसोदिया वंश के हैं। करीब १५२९ के उदयसिंह नरेश की मृत्यु पर दो भाइयों ने बटवारा कर लिया और बांसवाड़ा व डुगरपुर दो भाग हो गये ।

शासक को १५ तोपों की सलामी है।

प्रबन्ध—दीवान (मि० एन भट्टाचार्य एम. ए.) और व्यवस्थापक सभा द्वारा प्रबन्ध होता है।

वार्षिक आय लगभग ९ लाख रुपया है।

डुंगरपुर ।

शासक—राय रायन महारावल श्री० लक्ष्मण सिंह जी ।

शासक नावालिग है इस कारण पोलीटिकल एजेन्ट की निरीक्षणता में एक कौंसिल कार्य करती है ।

वार्षिक आय साढ़े छः लाख रु० है।

परतावगढ़ (राजपूताना)

शासक—हिज हाईनेस महारावल सर रघुनाथ सिंह बहादुर के. सी. आइ. ई.

महाराजा होलकर को ३६३५० रुपया खिराज देना पड़ते हैं ।

दीवन और एक राज सभा (११ सदस्य) द्वारा प्रबन्ध किया जाता है।

वार्षिक आय लगभग ६ लाख रुपया है।

जोधपुर ।

शासक—मेजर महाराजा सर उम्मेद सिंह जी साहेब बहादुर ।

महाराजा स० १९१८ में शासक हुये जब वे नाबालिग थे।स० १९२३ में बालिग होकर राज्यसूत्र अपने हाथों में लिये ।

महायुद्ध—इन के बड़े भाई जो शासक थे युद्ध में गये थे। राजपूताना में यह राज्य सब से बड़ा है।

राठौर बंश के मुख्य समझे जाते हैं और श्रीरामचन्द्र के बंशज हैं।

इस राज का क्षेत्रफल ३४९६३ बर्ग मील है औरजन संख्या १८,४१,६४२है।

वार्षिक आय १,२१,९०,००० है। राज में पत्थर की उत्तम खानें हैं।

जैसलमेर ।

शासक—हिज हाइनेस महाराजा धिराज महारायल श्री० सर जवाहिर सिंह जी बहादुर।

जैसलमीर नगर स० ११५६ में स्थापित हुआ था। स० १८१८ में सन्धि द्वारा ब्रिठिश राज से सम्बन्ध हुआ। महाराजा साहेब यदुवन्शी हैं।

क्षेत्रफल १६,०६,२५९ और जन संख्या ६७६५२ है।

वार्षिक आय ४,३२,००० हैं। राज का सिक्का अलग है।

जैपुर ।

शासक—हिज हाइनेस महाराजा सवाई मानसिंह बहादुर (द्वितीय) (ज० १९११)

भूतपूर्व महाराज ने स० १९२१ में वर्तमान महाराज को गोद लिया है और स० १९२२ में इनका राज्यारोहण हुआ महाराजा जोधपुर की बहिन से ब्याह हुआ है।

राज का क्षेत्रफल १५५७९ वर्गमील और जन संख्या २३,८८,८०२ है।

जयपुर नगर की बड़ी सुन्दर रचना है। राजा प्रगति शील है। वार्षिक आय १,२०,००,००० रुपया है।

किशनगढ़ ।

शासक—लै० क० हिज हाइनेस महाराजाधिराज सर मदनसिंह बहादुर के. सी. एस. आई के. सी. आई. ई.

शासक राठौर राजपूत हैं। महाराजा किशनसिंह ने किशनगढ़ स० १६११ में स्थापित किया।

प्रबन्ध के लिये एक कौंसिल है। योरोपियन युद्ध में फ्रांस में कार्य किया।

वार्षिक आय ६ लाख है।

लावा राज्य ।

शासक—ठाकुर मङ्गलसिंह।

पहिले यह प्रदेश जयपुर के आधीन था। फिर टोंक रियासत के आधीन हुआ फिर स्वतन्त्र हो गया।

वार्षिक आय ११००० रुपये के करीब है।

बून्दी ।

शासक—हिज हाइनेस महाराव राजा सर रघुबीर सिंह बहादुर।

यहां के शासक चौहान राजपूतों के मुख्य हैं। मुसलमानी काल के मुसलमानों की ओर रहे। ब्रिटिश सम्बन्ध १८१८ में हुआ।

वार्षिक आय १० लाख रु० है।

टोंक।

शासक—हि० हा० अमीरुद्दौला वजीरुल मुल्क नबाब सर हाफिज मुहम्मद इब्राहीम अलीखाँ बहादुर।

प्रबन्ध—नवाब साहिब की सहायता के लिये एक कौंसिल ४ सदस्यों की है। होलकर ने यह प्रदेश नवाब साहब के पूर्वजों को दिया था। ५ परगने हैं जो अलग २ हैं।

वार्षिक आय रु० २३,६५,७८५ है। खर्च इस आय से कुछ अधिक है।

शाहपुरा

शासक—राजाधिराज सर नाहर सिंह जी के सी. आई. ई.।

यहां के शासक सीसोदिया वंश के हैं। महाराजा सुजानसिंह को शाहजहां मुगल बादशाह ने फुलिया परगना दिया था। महाराना उदयपुर ने परगना कछोरा राजा रणसिंह को दिया था।

भरतपुर।

शासक—राजकुमार हैं जो नाबालिग हैं और एक एड मिनिस्ट्रेटर नियुक्त है।

यह राज्य जाटों का है। राजपूताना में यह पहिला राज्य है जिस ने ब्रिटिश से सम्बन्ध किया (१८०३) और लार्ड लेक को ५००० सवारों के साथ मरहटों के विरुद्ध सहायता दी। स० १८०४ में भरतपुर ने होलकर का साथ अंग्रेजों के विरुद्ध दिया। किन्तु स० १८०५ में फिर अंग्रेजों से संधि हुई।

इस राज्य ने अंग्रेजों को अनेक बार सहायता दी। महायुद्ध में बहुत धन और सेना द्वारा ब्रिटिश की मदद की।

वार्षिक आय ५० लाख रु० है।

धौलपुर।

शासक—हि० हा० रईस उद्दौलाह सिपह दारुल मल्क सर मद राजहाय हिंद महाराजाधिराज श्री सवाई महाराज राना सर उदय भान सिंह लोकेन्द्र बहादुर दिलेर जंग जयदेव के. सी एस. आई. के. सी. वी. ओ.।

इस राज्य के नरेश का सम्बन्ध पटियाला, झिंध, नाभा भरतपुर नरेशों से है। वर्तमान महाराजा की मां महाराजा रंजीत सिंह के खानदान की थीं।

१३ अक्टूबर १७८१ में ब्रिटिश सरकार और सेंधिया से एक सन्धि हुई थी जिसके अनुसार भरतपुर नरेश के पूर्वजों का शासन वर्तमान राज्य के एक विशिष्ट भाग पर निश्चित किया गया। बाद को गोहद स्थान सम्बन्धी सेंधिया से झगड़ा होने पर १८०५ में गोहद और गवालियर किला सेंधिया को दे दिया गया और धौलपुर आदि महाराजा राय कीरत सिंह को मिला।

राज्य प्रगतिशील है। शासक सहित्य प्रेमी है।

—

करौली

शासक—हिज हा० महाराज सर भँवर पाल बहादुर यदुकुल चन्द्र भाल जी. सी. आई. ई.

प्रदेश का क्षेत्रफल १२४२ वर्गमील है। गवालियर और इस राज्य के बीच होकर चम्बल नदी बहती है।

कोटा

हि० हा० ले० कर्नल महाराज सर उम्मेदसिंह बहादुर जी. सी. ऐस. आइ. जी. सी. आइ. ई., जी. बी. ई.

यह प्रदेश १८१७ में ब्रिटिश सरकार से सम्बन्धित हुआ।

झालावार स्टेट के १५ जिले जो पहले इसी कोटा राज्य में से दिये गये थे वापिस मिल गये।

वार्षिक आय ५३ लाख और खर्च ४८ लाख रु० है।

अलवर

हि० हा० वीरेन्द्र शिरोमणि देव कर्नल श्री सवाई महाराज सर जैसिंह जी बहादुर।

शासक—सूर्य बन्शी क्षत्रिय हैं। उदयकरण जी पूर्वज थे जिनके वंशज अलवर और जयपुर नरेश दोनों हैं।

प्रबन्ध—४ मन्त्री, एक कौंसिल तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा होता है

क्षेत्रफल ३२२१ वर्गमील और जन संख्या ७,०१,१५४ है।

वार्षिक आय लगभग ४० लाख रु० के है।

महा युद्ध (१९१४–१९१७) में अलवर ने सबसे अधिक सैनिक दिये। अलवर राजधानी दिल्ली से ९८ मील पश्चिम में है।

सेन्ट्रल इंडिया एजेन्सी

इस एजेन्सी का मुख्य स्थान इन्दौर है जहां एजेन्ट गवरनर जनरल रहता है

इस एजेन्सी के दो प्राकृतिक भाग हो गये हैं दोनों के बीच में झांसी और सागर जिले तथा गवालियर राज्य पड़ गये हैं। (१) पूर्वी भाग में बुन्देलखंण्ड और बघेलखण्ड एजेन्सियां हैं और (२) पश्चिमी दक्षिणी भाग में भूपाल मालवा और दक्षिणी स्टेट एजेन्सियां हैं।

क्षेत्रफल ५१,५०५ वर्गमील है और जन संख्या ५९,९७,०२३ है।

इस एजेन्सी में ५८ छोटी बड़ी रियासतें हैं। तीन प्रकार की रियासतें हैं—सुलहनामा सुदा रियासतें, सनद सुदा रियासतें, गारण्टी रियासतें हैं। जिनमें १० मुख्य है जिनसे सरकार से सीधी रीति पर सन्धि पत्र है वे इस प्रकार हैं—(१) इन्दौर (२) भोपाल (३) रीवां (४) ओड़छा (५) दतिया (६) देवास (सीनियर) (७) देवास (जूनियर) (८) समथर (९) धार (१०) जावरा। केवल जावरा और भूपाल मुसलमानी राज्य हैं बाकी हिन्दू हैं।

इनके अतिरिक्त ३० सनद सुदा रियासतें हैं जो दो पूर्वी एजेन्सियों में विभाजित है। शेष गारण्टी रियासतें हैं

एजेन्सी का प्रबन्ध आठ समूल बनाकर किया जाता है।

(१) भोपाल ८ राज्य।

(२) बघेलखन्ड १२ राज्य (मुख्य रीवां)

(३) बुन्देलखन्ड २२ ,, मुख्य ओड़छा

(४) दक्षिणी राज्य और मालवा— एजेन्सी ४६ राज्य

इन्दौर, हीरापुर लालगढ़ राज्यों का प्रबन्ध अलग होता है।

मुख्य राज्यों का ब्योरा इस प्रकार है:—

इन्दौर।

शासक—हिज हाईनेस महाराजा धिराजा ले. कर्नेल श्री राज राजेश्वर सवाई यशवन्त राव होलकर बहादुर

यह राज्य बड़ा ही प्रगतिशील है। व्यापारिक उन्नति इस प्रदेश ने खूब की है।

प्रबन्ध—महाराजा इस समय नाबालिग हैं इस कारण एक कौंसिल तथा प्रधान मन्त्री द्वारा चलाया जाता है।

राज्य में स्त्री शिक्षा, साधारण शिक्षा व्यापार आदि के लिये अनेक सुविधायें है।

मुख्य आयात की वस्तुयें कपडा मशीन, कोयला शक्कर, निमक, मट्टी का तेल, और धातु है जिनका वार्षिक मूल्य रु० ३,१६,२४,०० के लगभग है और मुख्य निर्यात के पदार्थ रुई, कपड़ा, तम्बाकू दालें आदि है जिन का मूल्य रु० ४१,२०,००० है। मिलों में जो कपड़ा तैयार होता है उसका सालाना मूल्य करीब २ करोड के हैं।

साढ़े तीन रु० प्रतिशत का टैक्स रुई के कपड़ों पर ता० १ मई १९२६ से बन्द कर दिया गया है और मिलों पर रु० ५०००० की आमदनी तक डेढ़ आना फी रुपया और उसके ऊपर ढाई आना फी रुपया टैक्स लगाया गया है।

क्षेत्रफल ९५९० वर्गमील है और जन संख्या ११,५१,५८७ है।

वार्षिक आय १ करोड ४४ लाख के लगभग है।

बघेलखण्ड एजेन्सी

रीवां, बरोंदा, नगोद, मैहर

छोटी रियासतें व जागीर—सुहावल कोठी, जसो, पलदेव; पहरा; तारौन; भेसौंदा, कामता, राजौला।

यह एजेन्सी १८५७ में बनी जिसका पालिटीकल ऑफीसर रीवां दरबार से सम्बद्धित था सन् १८७१ में यह अलग कर दी गई। इसकी राजधानी सतना हैं पोलिटिकल एजेन्ट बघेलखन्ड सतना के आधीन है।

रीवां।

शासक—हि० हा० महाराजा सर गुलाबसिंह बहादुर के. सी. एस. आई.

क्षेत्रफल इस प्रदेश की १३,००० वर्ग मील है और जन संख्या १४०१५८७ है

शासक बघेल राजपूत हैं जो [illegible] में १० वीं शताब्दी से १२ वीं शताब्दी

[illegible] राज्य [illegible] ने [illegible] १८१२ में [illegible] के भय से रीवां ने ब्रिटिश [illegible] सन्धि करली। गदर (१८५७) में रीवां ने अंग्रेजों की सहायता की थी जिसके बदले में अनेक परगने जो मरहटों ने छीन लिये थे वे वापिस दिये गये।

प्रबन्ध—स्वयं महाराज के हाथ में है।

व्यापार की बस्तु मुख्य लाख है। जंगल इस राज्य में बहुत बड़ा है।

वार्षिक आमदनी ६० लाख रु० हैं।

बघेलखण्ड एजेन्सी की बड़ी रियासतें

शासक	नाम	क्षेत्रफल	जन संख्या	औसत आमदनी
राजा गयाप्रसाद सिंह	बरांव	२१८ वर्गमील	१५९१२	४०००० रु०
राजा महेन्द्र सिंह	नगोद	५०१ "	६८१६६	२५४००० रु०
राजा बृजनाथ सिंह	मैहर	४०७ "	६६५४०	४००००० रु०

छोटी रियासतें

शासक	नाम	क्षेत्रफल	जन संख्या	औसत आमदनी
राजा भगवनराज सिंह	सुहावल	२१३ वर्गमील	३८०७८	१००००० रु०
राजा [illegible] प्रताप सिंह	कोठी	१६९ "	२००८७	७४००० "
	जासो	७२ "	७२२१	४१००० "
	चौबे जागीर	११६ "	२१०९५	११९००० "

जागीरें

नाम	क्षेत्रफल	जन संख्या	औसत आमदनी
पालदेव	२८ वर्गमील	९०३८	५०००० रु०
पहरा	२७ "	३१८३	२०००० "
तारौन	१६ "	३४२९	२१००० "
भैसौंधा	३२ "	४३९०	२०००० "
कमटा राजौला	१३ "	१०५५	८००० "

भोपाल एजैन्सी

रियासतें—भोपाल, राजगढ़, नरसिंह गढ़, खिलचीपुर।

छोटी रियासतें—कुरवई; मुहम्मदगढ़, पथरी; बसौदा।

यह १८१८ में बनी थी यह पोलीटिकल एजेन्ट भोपाल के आधीन है।

भोपाल एजेन्सी की बड़ी रियासतें

नाम	क्षेत्रफल	जन संख्या	औसत आमदनी
राजगढ़	९६२ वर्गमील	११४९७२	८७४९४० रु०
नरसिंहगढ़	७३४ ,,	१०१४२६	९९०६७९ ,,
खिलचीपुर	२७३ ,,	१००४३	२२२००० ,,

छोटी रियासतें

नाम	क्षेत्रफल	जन संख्या	औसत आमदनी
कुरवई	१४२ वर्गमील	१९८५१	२६४००० रु०
मुहम्मदगढ़	२९ ,,	२६४७	३०००० ,,
पथरी	३० ,,	३४०४	३०००० ,,
बसौदा	४० ,,	४२३७	४०००० ,,

भोपाल।

शासक—हि० हा० सिकन्दर सौलत इफ्तिखां रुल मुल्क नवाब मुहम्मद हमीदुल्ला खान बहादुर बी. ए., सी. एस. आई. सी. वी. ओ.।

क्षेत्रफल ६९०२ वर्गमील और जन संख्या ६,९२,४४८ है।

स० १८१७ से यह राज्य ब्रिटिश सरकार से सम्बंद्धित है।

नवाब साहिब के पहिले इन की मां गद्दी पर थीं इन्होंने मई स० १९२६ में गद्दी नवाब साहिब को अपने सामने दी।

प्रबन्ध—१ कौंसिल जिस में ५ सदस्य और एक अध्यक्ष होता है कार्य करती है।

राज्य ने कोई खास उन्नति किसी विभाग में नहीं की है।

वार्षिक आमदनी ६२१०००० रु०।

बुन्देलखण्ड एजेन्सी ।

सलामी की रियासतें—ओड़छा, दतिया, समथर, पन्ना, चरखारी, अजयगढ़, बिजावर, बाओनी, छतरपुर।

छोटी रियासतें—बड़ौला, ढुरवई, बिजना, टोड़ी फतहपुर, बङ्का पहाड़ी, जिगनी, लुगासी, बीहट, बेरी, अलीपुरा, गौरहार, गरौंली, नैगाँव रिवई।

यह एजेन्सी १८०२ में बनी थी राजधानी नौगांव है पोलिटिकल एजेन्ट नौगाँव के आधीन हैं।

छोटी रियासतें ।

नाम	क्षेत्रफल	जनसंख्या	आय
१ सरीला	३५ वर्गमील	६०८१	१ लाख रुपया
२ ढुरवई	१५ ,,	१८८०	१४००० ,,
३ बिजना	८ ,,	१४५१	८०००० ,,
४ टोड़ी फतहपुर	३६ ,,	६५८०	४०००० ,,
५ बङ्का पहाड़ी	५ ,,	१६१३	६०१०० ,,
६ जिगनी	१७ ,,	३६४२	२०००० ,,
७ लुगासी	४५ ,,	६१८२	३०००० ,,
८ बीहट	१६ ,,	४७८६	३५००० ,,
९ बेरी	३२ ,,	४६२१	४५००० ,,
१० अलीपुरा	७३ ,,	१४५८	७०००० ,,
११ गौरहार	७१ ,,	९४८६	५५००० ,,
१२ गरौंली	३९ ,,	४८१७	३५००० ,,
१३ नैगाँव रीबाई	१२ ,,	२११३	१४००० ,,

ओड़छा ।

शासक—हि० हा० महाराजा बीरसिंह देव जू बहादुर।

क्षेत्रफल २०८० वर्गमील है और जन संख्या २८४,९४८ है राजधानी टीकमगढ में है। ओडछे में किला है और श्रीरामचन्द्रजी का प्रसिद्ध मंदिर ... ओड़छा राज्य ही का हिस्सा झांसी ... गया था जब ओड़छा नरेश ने ... पेशवा को एक भाग दे दिया।

वार्षिक आमदनी लगभग १० लाख है।

दतिया ।

शासक—हि० हा० महाराजा लोकेन्द्र सर गोविंद सिंह बहादुर के. सी. एस. आई।

यह राज्य बुन्देले राजपूतों का है। दतिया स्थान झांसी से १६ मील पर है। यहां बड़ी उत्तम २ इमारतें हैं।

प्रबन्ध—काजी अजीजुद्दीन अहमद ओ. बी. ई. दीवान हैं।

क्षेत्रफल ९११ वर्गमील और जन संख्या १,९८६५९ है। वार्षिक आमदनी लगभग १९ लाख हैं।

समथर ।

शासक—हि० हा० महाराजा सर बीरसिंह देव बहादुर के. सी. आई. ई.

क्षेत्रफल १८० वर्गमील है जनसंख्या ३३२६१ है आमदनी ३५०००० रु० है और किले में अपरिचित मनुष्य को नहीं आने देते हैं और यहां के राजा ज्योतिष पर अधिक विश्वास करते हैं।

पन्ना ।

शासक—हिज हाइनेस महाराजा सर यादवेन्द्र सिंह बहादुर के. सी. आई. ई.

इस राज्य का क्षेत्रफल ... वर्ग-मील हैं जन संख्या १,९७,६०० है और वार्षिक आय ९ लाख ४८ हजार रुपया है और राज्य में हीरों की खानें हैं जिन में प्राचीन काल से ही हीरे निकलते आते हैं। इस राज्य में जङ्गल बहुत बड़ा है और उससे आमदनी भी अच्छी है। हाथी दांत का काम बहुत अच्छा होता है।

चरखारी ।

शासक—हि० हा० महाराजाधिराज सिपहदारुल मुल्क ... सिंह जू देव बहादुर ।

क्षेत्रफल ८८० वर्गमील है जन संख्या १,२३,४०५, हैं आय ८२६०० रुपया है कृषि मुख्य व्यापार है। कुछ हीरे की खानें हैं।

अजयगढ़ ।

शासक—हि० हा० महाराजा सवाई भोपालसिंह बहादुर।

क्षेत्रफल ८०२ वर्गमील है जनसंख्या ८४७९० है। आय ५ लाख रु० है।

ठाकुर सुखदेव सिंह रिटायर्ड डिप्टी कलक्टर यू. पी. दीवान हैं।

बिजावर ।

शासक—हि० हा० महाराजा मबाई सर सामन्त सिंह जू बहादुर के. सी. आई. ई.

क्षेत्रफल ९७३ बर्गमील है और जन संख्या १११७२३ है। वार्षिक आय ३ लाख ३४ हजार रुपया है इस राज्य में भी अनेक स्थानों में हीरे निकलते हैं।

बाओनी ।

शासक—हि० हा० आजमुल उमरा इफतीखरुद्दौला इमामुलमुल्क साहिबी-जाह मोहीन सर्दार नवाब मुहम्मद मुस्ताकुल हसन खां सफदर जङ्ग ।

क्षेत्रफल १२१ बर्गमील है जनसंख्या १९७३४ हैं आय १९५००० रु. है।

छतरपूर ।

शासक—हि० हा० महाराजा सर विश्वनाथ सिंह जू देव बहादुर के. सी. आई. ई.।

इस राज्य का क्षेत्रफल ११३० वर्ग मील है जन संख्या १,६६ ५४९ हैं वार्षिक आय ७ लाख रुपया हैं शासक बड़े विद्वान पुरुष हैं और हिन्दी साहित्य से बड़ा प्रेम रखते हैं।

मालवा एजेन्सी ।

बड़ी रियासतें—देबास सीनियर ब्रांच देबास जूनियर ब्रांच, जावोरा, रतलाम, सीतामऊ, सेलाना।

छोटी रियासतें—पिपलोदा, और पंथ पिपलोदा।

सन् १९२५ मई से पोलिटिकल एजेन्ट मनीपुर के आधीन हैं।

मालवा एजेन्सी की बड़ी रियासतें

नाम	क्षेत्रफल	जन संख्या	आय
देबास सीनियर ब्रांच	४४९ बर्गमील	७७००५	१० लाख रु०
भोजन खेरी	६ ”	५७१	४००० ”
जुआसिया	४ ”	५१२	१३००० ”
पथारी	१५ ”	१५२७	११५०० ”
देबास जूनियर ब्रांच	४१९ ”	६६९९८	६। लाख ”
सीता मऊ	२०१ ”	२६५४९	२५९००० ”
सेलाना	२७९ ”	२७१६५	३॥ लाख ”

मालवा एजेन्सी की छोटी रियासतें ।

नाम	क्षेत्रफल	जन संख्या	आय
पिपलोदा	३५ वर्गमील	९७६६	११४००० रु०
पंथ पिपलोदा	२५ ”	४४०६	१०८८४॥=)॥

जावरा ।

के. सी. आई. ई. ।

शासक—ले० क० हि० हा० फखरुद्दौला नवाब सर मुहम्मद इफ्तिखार अलीखां साहिब बहादुर सौलतजंग

क्षेत्रफल ६०१ वर्गमील और जन संख्या ८५७७८ है ।

वार्षिक आमदनी १२ लाख है ।

जावरा रियासत के आधीन जागीरें

नाम	क्षेत्रफल	जन संख्या	आय
बिलौद	४.५८ व० मी.	३४९	३४०० रुपया
बोरखेरा	७.१५ ”	८३३	२०१६४ ”
खेरवासा	३.४५ ”	४३१	६४५३ ”
खोजनखेरा	५.२४ ”	४१०	६८८२ ”
सदा खेरी	२.३० ”	३६८	६२२४ ”
शुजोता	५.७ ”	३८५	१७७२० ”
सिदरी	१.८१ ”	२७२	३८५७ ”
सिरसी	७.५६ ”	९४१	१५०२७ ”
ताल	९ ३६ ”	१२५०	२०५३१ ”
उपरवारा	७.१ ”	९७४	२१७४० ”
उपलाल	.६३ ”	११०	१७८९ ”

रतलाम ।

शासक--कर्नेल हि० हा० महाराजा सर सज्जन सिंह के. सी. एस. आई. के. सी. वी. ओ. और ए. डी. सी. टू. एच. आर. एच प्रिंह आफ वेलस ।

मालवा एजेन्सी का यह प्रधान राज्य है। इस का क्षेत्रफल ६९३ वर्ग मील हैं। जन संख्या ८५४८९ है।

शासक को दीवानी व फौजदारी के पूर्ण अधिकार प्राप्त है। महाराजा सज्जनसिंह ने महायुद्ध में १९१५ से १९१८ तक कार्य किया। १३ तोपों की सलामी है। आय ९–८ लाख है।

सदर्न स्टेट एजेन्सी ।

बड़ी रियासतें—धार, झबुआ, बरबानी, अली राजपुर।

छोट रियासतें—जोवत, मातवर, कोठी बाड़ा, रतनमल, मानपुर परगना।

१९२५ में मालवा एजेन्सी इस एजेन्सी में मिला दी गई इसकी राजधानी मानपुर है।

सदर्न स्टेट एजेन्सी की बड़ी रियासतें

नाम	क्षेत्रफल	जन संख्या	आय
झबुआ	१३३६ वर्गमील	१२३९३२	३॥ लाख रु०
बरवानी	११७८ ,,	१२०१५०	११ लाख ,,
अलीराजपुर	८३६ ;,	८९३६४	५॥ लाख ,,

छोटी रियासतें

जोवत	१३० वर्गमील	१८२९६	१०८२३२ रु०
कोठी बाड़ा	४२ ,,	५२००	४७००० ;;
मतवार	६५ ;,	२६९५	११७०० ,,
रतनमल	३२ ,,	१७९०	३८००० ,,
मानपुर परगना	४९ ,,	४५६९५	६०००० ,,

धार।

इस समय कौंसिल आफ रीजेन्सी द्वारा कार्य चलाया जा रहा है। दीवान राय बहादुर खण्डेराव गंगाधर नाडकर हैं। जन संख्या २३०३१३ है।

यहां के शासक हि० हा० महाराजा आनंद राव हैं।

वार्षिक आय १६.६५ लाख रुपये के लगभग हैं।

क्षेत्र फल १७७७ वर्ग मील है

धार रियासत के आधीन जागीरें

नाम	क्षेत्रफल	जन संख्या	आय
राजपूत ठाकुर	...	...	...
मुलथान	१०० वर्गमील	११२९१	९६००० रु०
काछी बड़ौदा	३४.५१ ,,	७४५५	६०००० ,,
दोतरिया (भैसोला)	२७.७ ,,	२४०१	२४००० ,,
बाखतगढ़	६६ ,,	१०४१४	७४००० ,,
भूमिया	...	...	...
मोटा बरखेरा	५१ ,,	७४९३	५३००० ,,
छोटा ,,	२८ ,,	२५८२	२२००० ,,
भरुदपुरा	३२ ,,	२०४६	१३८३८ ,,
कली बावरी	१७.२१ ,,	२५३९	१६२१० ,,
गढ़ी	४ ,,	९४७	५००० ,,
कोठीदेह	६ ,,	५५३	३३०० ,,
जमनिया	३१ ,,	२०४२	३४००० ,,
राजगढ़	३० ,,	७२८	१८४३८ ,,
नीमखेरा (तिली)	१०६.०७ ,,	५५५३	६१६७७ ,,

बिलोचिस्तान एजेन्सी।

शासक—बेगलर बेगी सर मीर महमूद खां जी सी, आई. ई. हैं।

इस एजेन्सी में कलात राज्य और सहायक राज्य लासबेला है।

कलात का क्षेत्रफल ८०,४१० वर्ग-मील है और जन संख्या ३७९००० हैं। आय १७६०००० रुपया है। निवासी ब्रहुर्या अथवा बलोच जाति के मुसलमान हैं।

लासबेला का क्षेत्रफल ७१३२ वर्ग-मील है और जन संख्या ५०६९६ और आय ३८०००० रुपया है।

पश्चिमोत्तर सीमा के राज्य।

अम्ब, चितराल, दीर और फुलेरा इस में हैं। क्षेत्रफल ७७०४ वर्गमील है। और जन संख्या १६,२२,०९४ है।

आय ४६५००० रुपया है।

चितराल के शासक लगभग ३०० वर्ष से स्वतन्त्र चले आते हैं। सं० १८८५ में ब्रिटिश सरकार की ओर से 'लाकहार्ट मिशन' गया फिर स० १८८९ में ब्रिटिश सरकार उन्हें वार्षिक सबसेडी देने लगी और गिलगिट में पोलिटिकल एजेन्ट नियत किया गया। अमानुल मुल्क जिसे सबसिडी दी जाती थी वह १८९२ में मर गया उसका लड़का निजामुल मुल्क को ब्रिटिश सरकार ने माना किंतु वह मार डाला गया। फिर विरासत का युद्ध होने लगा। ब्रिटिश एजेन्ट स० १८८५ में घेर लिया गया और हिन्दुस्थान से फौज भेजी गई।

इस प्रदेश का शासक इस समय हिज हा० सर शुजाउल मुल्क के. सी. आई. ई. मेहता चितराल हैं मालाकन्द में पोलिटिकल एजेन्ट है।

मद्रास प्रेसीडेन्सी के देशी राज्य

मद्रास प्रेसीडेन्सी के देशी राज्य ५ हैं। इन से भारत सरकार से सीधा सम्बन्ध हैं प्रान्तीय सरकार से सम्बन्ध रखने वाले राज्य अन्य हैं। इन ५ राज्यों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारत सरकार से १ अक्टूबर स० १९२३ से हुआ।

मद्रास प्रेसीडेन्सी के देशी राज्यों का ब्यौरा।

राज्य	क्षेत्रफल	जन संख्या	वार्षिक आय
ट्रावन्कोर	७६२५	४००६०६२	२३८.५४ लाख
कोचीन	१४१८	९७९०१९	७६.५४ ,,
पदु कोटाइ	११७९	४२६८१३	२२.५१ ,,
बंगन पल्ले	२५५	३६६९२	३.५८ ,,
सन्दुर	१६७	११६८४	१.४२ ,,

ट्रावंकोर

इस देशी राज्य ने बड़ी उन्नति की हैं। राज्य व्यवस्था अति उत्तम है और प्रजा की प्रगति के लिये अनेक प्रकार की सुविधायें हैं। महाराजा इस समय नावालिग हैं। उनकी आयु १६ वर्ष की है इस कारण उनकी चाची महारानी सेतु लक्ष्मीबाई प्रबन्ध करती हैं।

सन् १८८८ में एक प्रबन्ध समिति कौंसिल बनाई गई थी। अब वह कौंसिल सन् १९२१ से बड़ी बना दी गई है और उसमें गैर सरकारी चुने हुये सदस्यों का बहुमत है। इस कौंसिल को वजट पर वोट देने का अधिकार है।

इसके अतिरिक्त एक श्री मुलम सार्वजनिक प्रतिनिधि सभा है जो प्रत्येक वर्ष बैठती है और प्रबन्ध सम्बन्धी चर्चा करती है और अपनी इच्छायें और लोक मत प्रगट करती है। किसी देशी राज्य ने अपनी प्रजा को इतने स्वत्व नहीं दिये।

शिक्षा—राज्य में शिक्षा का बड़ा प्रचार हुआ है।

राजधानी त्रिवेन्द्रम स्थान में है। प्रदेश की मुख्य फस्ल चावल है अन्य उपज मिरच; पीपल।

कोचीन

शासक—हिज हा० श्री० सर राम वर्मा जी. सी. आइ. ई.

इस राज्य में साखू इबोनी संगमूसा आदि लकड़ियां बहुत हैं।

दीवान राव बहादुर टी. ए. नारायण अय्यर एम. ए. बी. एल.

पश्चिमी भारत के राज्य

बम्बई सरकार से सम्बन्धित देशी राज्यों की संख्या बहुत बड़ी थी इस कारण अक्टूबर १९२४ में एक नई रेजीडेन्सी कायम की गई जिसमें काठियावाड़; पालनपुर और कच्छ एजेन्सियों के सब राज्य रक्खे गये और अब इन सब का प्रत्यक्ष सम्बन्ध भारत सरकार से कर दिया गया।

काठियावाड़ एजेन्सी

इसका क्षेत्रफल २३४४५ वर्गमील है और जन संख्या २५,४२,५३५ है। इसमें बहुत से देशी राज्य हैं। मुख्य २ का वर्णन नीचे दिया जाता है।

भावनगर

शासक—हिज हाइनेस महाराजा कृष्ण कुमारसिंह जी.

यह राज्य भारत सरकार को रुपया १२८०६० वार्षिक खिराज देता है, रुपया ३५८१-८-० पेशकशी बड़ौदा को, और रुपया २२८५८ जर तलबी जूनागढ़ को देता हैं।

शासक—नावालिग है इस कारण एक प्रबन्ध कमेटी है जिसके अध्यक्ष सर प्रभाशंकर डी. पट्टाणी हैं। इस राज्य में प्रबन्ध खाता और न्याय खाता अलग अलग हैं।

नाज रुई, गल्ला, नमक, मुख्य पदार्थ हैं जो इस राज में उत्पन्न होते हैं।

भावनगर स्टेट रेलवे २८२ मील है। भावनगर राजधानी भी है और एक अच्छा बन्दरगाह है।

क्षेत्रफल जन संख्या ४२६,४०४ है। वार्षिक आय १०००९५२१ है और रु० ८५६१८४३ वार्षिक खर्च है।

गोन्डल राज्य।

शासक—हि० हा० श्री भगवत सिंह जी. जी. सी. आई. ई.।

यह राज्य भारत सरकारको १,१०७२१ रु० खिराज देता है। इस राज्य में जरतार का काम, और ऊनी कपड़े बहुतायत से पैदा होते हैं।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जारी की गई है। रू० १३ लाख तालाबों, नहरों आदि पर खर्च किये गये हैं।

जूनागढ़।

शासक—नवाब हि० हा० सर महाबत खां तृतीय। के. सी. एस. आई.।

इस राज का क्षेत्रफल ३३३६९ वर्ग-मील है और वार्षिक आय रु० ७३०००००‌ हैं। जन सन्ख्या ४६५४९३ है।

सन १८०७ में यह राज ब्रिटिश सरकार से सम्बन्धित हुआ वार्षिक खिराज भारत सरकार को रू० २८३९४ देना पड़ती है। और ३७२१० रुपया गायकवाड को बतौर पेशकशी देना पड़ता है। साथ साथ यह राज स्वयं १३४ छोटे २ राजों से कुल मिलाकर ९२४२१ रूपया जर तलबी की तरह पाता है।

नावनगर।

शासक—जाम साहिब हि० हा० श्री रंजीत सिंह जी विभाजी।

क्षेत्रफल ३७९१ वर्ग मील जन संख्या ३४५३५३ है।

यह राज रूपया १२००९३ वार्षिक खिराज देता है जो भारत सरकार गायकवाड़ और नवाब जूनागढ़ को देती हैं।

जाम सहिब जगद्विख्यात क्रिकेटियर हैं।

मोती भी समुद्र तट पर निकलते हैं। अनेक समुद्री बन्दर हैं जहां से बाहर के देशों को माल जाता है।

कच्छ।

शासक—हि० हा० महाराव श्री० खेन्गारजी सवाई बहादुर जी. सी. एस. आई. जी. सी. आई. ई.।

राजधानी भुज [नगर] है। इस राज में बहुत सा प्रदेश ऐसा है जिसमें नमक का गाढा पानी भरा है और जहां नमक तैयार होता है। इस प्रदेश को छोड कर इसका क्षेत्रफल १६७७ मील है। जन संख्या १६००० है।

इस राज से ब्रिटिश सबंध स० १८१५ से हैं। इस राज में १३४ सरदार हैं जिन्हें जागीरें लगी हुई हैं। वार्षिक खिराज रू० ८२२५७ देना पडती है। इनके अतिरिक्त पालनपुर एजेन्सी और राधन पुर राज भी इसी काठियावाड एजेन्सी में हैं।

बम्बई सरकार के आधीन

देशी राज्य

बम्बई सरकार के आधीन १५१ देशी राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल २८०३९ वर्गमील है और जन संख्या ३८७९०९५ है। प्रबन्ध के लिये विभिन्न एजेन्सियों में यह राज्य बटे हुये हैं।

(१) बेलगांव एजैन्सी (२) बीजापुर एजैन्सी (३) खेड एजैन्सी (४) धारवाड (५) कुलावा एजैन्सी कोल्हापुर रेजीडेन्सी और दक्षिणी मरहठा प्रदेश एजैन्सी (६) मही कण्ठ एजैन्सी ५१ राज्य (७) नासिक एजैन्सी (८) पूना एजैन्सी (९) रेवकन्था एजैन्सी ६२ राज्य (१०) सतारा एजैन्सी (११) शोलापुर एजैन्सी (१२) सक्कर एजैन्सी (१३) सूरत एजैन्सी ३ राज्य और १४ डंग सरदार (१४) थाना एजैन्सी (१५) केरा एजैन्सी

कोल्हापुर

शासक—हिज हाइनेस लें० कर्नल सर श्री० राजाराम छत्रपति महाराज

इस राज्य का क्षेत्रफल ३२१७ वर्गमील है और जन संख्या ८३३७२६ है। कोल्हापुर के आधीन ९ राज्य हैं जिसमें विशालगढ़; कगल और इचलकरंजी मुख्य हैं।

शासक—शिवाजी महाराज के वंशज हैं सन् १८१२ में सन्धि द्वारा ब्रिटिश राज्य से सम्बन्ध हुआ।

राज्य प्रगति शील है। शिक्षा न्याय साधारण प्रबन्ध अच्छा है। प्रबन्ध कौंसिल में न्याय, माल और खासगी विभाग के मन्त्री तथा दीवान होते हैं ग्राम पंचायतें ऐक्ट द्वारा कायम की गई हैं। देव स्थान और ताजीरात खास पंचायतों के हाथ में है। शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त है। वार्षिक आय ९० लाख रुपया है। रेलवे लाइन जिसका मालिक राज्य है २९२८ मील है और रुपया २४ ४३,३५२ लागत में लगे हुये हैं। ३ लाख रुपये का रेलवे से लाभ है।

मुख्य राज्यों का क्षेत्रफल उनकी जन संख्या और वार्षिक आय अगले पेज में कोष्टक में दी हुई है।

इडर

शासक—लें० कर्नल हि० हा० सर दौलतसिंह जी के. सी. एस. आई.

इस राज्य का क्षेत्रफल १६६८ वर्गमील, जन संख्या २२६,३५१ और आय १६४७३७९ रुपया है। मही कण्ठ एजैन्सी में इस राज्य के अतिरिक्त ५१ छोटे २ राज्य हैं।

औंध

शासक—मेहरवान भवनराव श्री० निवासराव उर्फ बाला साहेब पन्त प्रतिनिधि।

इस राज्य का क्षेत्रफल ५०१ वर्गमील है जन संख्या ६४;५६० है और वार्षिक आय ३००००० रुपया है। इस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और

मुफ्त है प्रातिनिधिक सभा भी बनाई गई है जिसे बजट पर बोट देने का अधिकार है।

कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्हें सतारा जागीर कहते हैं।

सतारा जागीर में निम्नलिखित राज्य हैं।

राज्य	क्षेत्रफल बर्गमील	जन संख्या	औसत मागुजारी (रुपयों में)
औंध	५०१	६४५६०	३ लाख
फलटन	३९७	४३२८६	३ ,,
भोंर	९२५	१३०४२०	५ ,,
अकालकोट	४९८	८१२५०	९ ,,
जथ	९८१	८२६५४	३ ,,

बम्बई प्रान्त के मुख्य राज्यों का व्योरा।

राज्य	क्षेत्रफल (बर्गमील)	जनसंख्या (१९२१)	औसत आमदनी (रुपयों में)
बालसानियर	१८९	४४,०३०	२५१०००
बसन्दा	२१५	४०,१२५	७९७५२१
बरिया	८१३	१३७,२९१	८८३१९४
कैम्बे	३५०	७१,९१५	९९४९३४
छोटा उदयपुर	८९०	१२५,७०२	१२४१०००
दन्ता	३४७	१९,५४१	१७४८०६
धरमपुर	७०४	९५,१७१	१२४७८२१
इडर	१,६६९	२२६,३५५	१६७५६३९
जन्जीरा	३२४	८७,५३४	७४३३०७
जौहर	३१०	४९,६६२	५५७६३८
खेरपुर	६,०५०	१९३,१५२	२५५७८७१
कोल्हापुर	३,२१७	८३३,७२६	१४०११८४४
लुनौदा	३८८	८३,१३३	७७५०००
मुधाल	३६८	६०,१४०	४७२०००
राजपीपला	१,५१७	१६८,४५४	१७२१२६२
सेचीन	४९	१९,९७७	४१२०००
सेन्गली	१,१३६	२२१,३२१	११७११८४
सेवन्तवादी	९२५	२०६,४४०	६९२५०८
सेन्ट	३९४	७०,९५७	२४४५०९
भोर	९२५	१३०४२०	५७९८८७

दक्षिणी महाराष्ट्र के राज्य निम्नलिखित हैं ।

राज्य	क्षेत्रफल वर्गमील	जन संख्या	औसत मालगुजारी (रुपयों में)
१ संगली	११३६	२२१३२१	१३६०८५२
२ मीराज (सीनियर)	३४२	८२५८०	४३१२८४
३ मीराज (जूनियर)	१९६॥	३४६६५	३५२३८२
४ कुरन्दवाद (सीनियर)	१८२॥	३८७६०	३५६२५०
५ कुरन्दवाद (जूनियर)	११४	३४२८८	२७०९२८
६ जमखण्डी	५२४	१०११९५	९४४३१०
७ मुधोल	३६८	६०१४०	४८०५९९
८ रामदुरग	१६९	३३९९७	३६९४८२
जोड़	३०३२	६०६९४६	४५६६०२८

खैरपुर (सिन्ध)

शासक—मीर अली नवाबखां ।

सिन्ध विभाग में यही एक देशी राज्य है । क्षेत्रफल ६०५० वर्गमील; जन संख्या १९३,१५२ और वार्षिक आय २६ लाख रुपया है ।

बङ्गाल सरकार के आधीन देशी राज्य ।

कूचबिहार

शासक—युवराजकुमार जगद्दीपेन्द्र नारायण (जं० १५ दिसम्बर १९१५)

इस राज्य का क्षेत्रफल १३०७ वर्गमील हैं जन संख्या ५,९२,९८९ है ।

युवराज कुमार के पिता महाराजा सर जितेन्द्र नारायण का इंग्लैण्ड में सन् १९२२ में देहान्त हुआ । उनकी रानी हिं० हा० महारानी साहिबा रीजेन्ट नियत हुई हैं । ४ सभासदों की एक कौंसिल भी हैं । पहिले यह राज्य काम रूप देश का भाग था ।

सन् १७७२ में यह राज्य ईस्ट इंडिया कम्पनी से सम्बद्धित हुआ ।

राजधानी कूचबिहार है । वार्षिक आय ४२ लाख रुपया है ।

त्रिपुरा

शासक—महाराजा माणिक्य वीर विक्रम किशोर देव वर्मन बहादुर ।

इस राज्य का क्षेत्रफल ४११६ वर्गमील, जन संख्या ३०४,४३७, आय १७ लाख है प्रदेश में पहाड़ियां और जङ्गल ही अधिक हैं । शासक के पास टिप्परा, नोआखाली और सिलहट जिलों में बहुत सी जमीदारी भी है । विरासत के समय सदा झगड़े होते रहे किन्तु सन् १९०४ से एक सनद द्वारा विरासत का हक निश्चित कर दिया गया है ।

बिहार सरकार के आधीन देशी राज्य।

इस प्रांतीय सरकार के आधीन खरसवान, सिराइकेला और उडीसा के छोटे २ लगभग २४ राज हैं। पहिले दो का क्षेत्रफल २८,६५६ और जन संख्या ३९५९६६९ आय १०६२३१०२ रु. है

२४ राज्यों का नाम—अठगढ़, तलछार, मयूरभंज, नीलगिरि, केन्दुभर पाल लहाड़ा, धेनकनल, अथमलिक, हिंडोल, नरसिंहपूर, बारम्बा टिगिरिया खानपुरा, नयागढ़, रनपुरा, दसपल्ला बौद, बमरा रैराखोल, सोनपुर, पटना कलहन्डी, गंगापुर, बोनाई। इन की जन संख्या ३८०७१७२ है और वार्षिक आय लगभग ९४५००३९ रु० है।

यू. पी. सरकार के आधीन देशी राज्य।

इस सरकार के आधीन तीन राज्य हैं—रामपुर, टेहरी, बनारस।

रामपूर।

शासक—कर्नल हि० हा० सैयद रिजा अली मुखलिसुद्दौला नसीरुल मुलक अमीरुल उमरा नवाब सर सैय्यद मुहम्मद हामिद अलीखां बहादुर मुस्तैद जंग।

यह राज रुहेला राज का शेष है।

क्षेत्रफल ८९२ वर्गमील और जन संख्या ४५३,६०७ है।

महा युद्ध में सेना द्वारा सरकार की सहायता की थी।

वार्षिक आय ५४ लाख रुपया है।

टेहरी।

शासक—कैप्टेन हि० हा० नरेन्द्र शाह सी. एस. आई.।

यह प्रदेश हिमालय पर्वत में है। गंगा व यमुना के उगमस्थान इसी राज्य में हैं। गेहूं और चावल इस प्रदेश में पैदा होता है जंगल में उत्तम लकड़ी होती है जिससे राज को अच्छी आमदनी है। क्षेत्रफल ४५०० वर्गमील है और जन संख्या ३१८४८२ है।

साधारण राजधानी टेहरी है और गर्मी की राजधानी प्रताप नगर है जो समुद्र तट से ८००० फीट ऊंचा है।

वार्षिक आय १४ लाख रु० है।

बनारस।

शासक—लै० कर्नल हि० हा० महाराज सर प्रभुनारायण सिंह बहादुर जी. सी. एस. आई. जी. सी. आई. ई. एल. एल. डी.।

यह राज्य श्रीमान मन्साराम ने कायम किया। श्रीमान बलवन्त सिंह ने बहुत से प्रदेश जीत लिये जिस पर स० १७७० तक वे शासन करते रहे। स० १७९४ में ब्रिटिश सरकार ने राज्य अपने प्रबंध में कर लिया और शासक को १ लाख रुपया वार्षिक देना निश्चित किया। इस काल में शासक को अपने राज के भीतर कलक्टर के समान माली अधिकार प्राप्त थे। १ अप्रेल १९११ को रामनगर भदोही और चकियां आदि

प्रदेश मिलाकर एक सम्पूर्ण राज्य बना दिया गया और शासक को कुछ नियमों के आधीन स्वतन्त्र कर दिया गया ।

महाराजा को १५ तोपों की सलामी है । राज्य का क्षेत्रफल ८७५ बर्गमील, जन संख्या ३,६२,७३५ और वार्षिक आय २२ लाख रुपया है ।

पंजाब के देशा राज्य ।

पञ्जाब के निम्नलिखित देशी राज्य ता० १ नवम्बर १९२१ से भारत सरकार के प्रत्यक्ष सम्बन्धित कर दिये गये हैं ।

कपूरथला ।

शासक—क० हि० हा० महाराजा फरजन्दे दिलबंद जगतजीत सिंह बहादुर जी. सी. एस. ओइ. जी. सी. आई. ई. जी. बी. ई.

यह प्रदेश जालंधर के द्वाव में तीन भागों में है । स० १८१७ में अंग्रेजी सरकार को सहायता देने के कारण अबध में कुछ प्रदेश दिया गया जिसकी अच्छी आमदनी राज्य को मिलती है । स० १९११ में महाराजा की पदवी दी गई । सलामी १५ तोपों की कर दी गई और ले० कर्नल बनाये गये ।

शासक—सिख हैं किन्तु प्रजा अधिकतर मुसलमान हैं ।

प्राथमिक शिक्षा मुफ्त दी जाती है स० १९१६ में एक व्यवस्थापक सभा महाराजा ने कायम की है । वार्षिक आय रु० ३७५०००० है ।

पंजाब के मुख्य २ देशी राज्य निम्न लिखित हैं ।

नाम	क्षेत्रफल बर्गमील	जन संख्या (१९२१)	औसत मालगुजारी (रुपयों में)
१ बहाबलपुर	१५०००	७५११९१	३८३९000
२ विलासपूर (कहलुर)	४४८	९८०००	३00000
३ चम्बा	३२१६	१४१८६७	४११000
४ फरीद कोट	६४३	१५०६६१	२०४२000
५ जिन्द	१२५९	३०८१८३	२८00000
६ कपूरथला	६३०	२८४२७५	३७५0000
७ लुहारू	२२२	२०६१४	१३१000
८ मलीर कोटला	१६८	८०३३२	१४०४0000
९ मण्डी	१२००	१८५०४८	१२९२000
१० नाभा	९२८	२६३३३४	२३०१000
११ पटियाला	५९३२	१४९९७३९	१२८५0000
१२ सिरमूर (नाहन)	११९८	१४०४६८	६00000
१३ सुकैट	४२०	५४३२८	२१३४000
जोड़	३१२६४	४००८०४०	३४३६0000

नाभा

शासक—हि० हा० महाराज रिपुदमनसिंह (निर्वासित)

सन् १७६३ में यह राज्य पृथक बना था। राज्य का क्षेत्रफल करीब १००० वर्ग मील है और जन संख्या ३ लाख है सन् १९२३ में महाराजा नाभा को राज छोड़ना पड़ा। कारण उसका यह बताया जाता है कि नाभा व पटियाला में परस्पर अनेक झगड़े थे जिसमें महाराजा नाभा दोषी ठहराये गये। यह भी मत है कि महाराजा नाभा के राजनैतिक विचार सरकार को पसन्द नहीं थे।

पटियाला

शासक—मेजर जनरल हि० हा० फरजन्दे खास दौलते इंगलिशिया मंसूरउलजमान अमीरउलउमरा महाराजाधिराज राजेश्वर श्री० महाराजा राजगण सर भूपेन्द्र सिंह मोहिन्द्र बहादुर जी. सी. एस. आई. जी. सी. आई. ई.

इस प्रदेश में जङ्गल बहुत हैं। सर हिन्द और यमुना की नहरों से आबपाशी होती है।

इस राज्य का क्षेत्रफल ५९३२ वर्गमील है और जन संख्या १४९९७३९ है।

वार्षिक आय १ करोड़ २९ लाख रु० के लगभग है।

मण्डी

शासक—ले० हि० हा० राजा जोगेन्द्र सेन बहादुर।

क्षेत्रफल १००० वर्ग मील और जन संख्या १८५०४८ है। वार्षिक आय १३ लाख रु० है।

रानी साहिब मंडी प्रगतिशील विदुषी हैं और स्त्री समाज की उन्नति में बड़ी रुचि रखती हैं।

बहावलपुर

शासक—केप्टन हि० हा० रूकनुद्दौला नसरत जंग हाफिजुलमुल्क नवाब सर सादिक मुहम्मदखां बहादुर अब्बासी पंचम के. सी. एस. आई., के. सी. वी. ओ.

क्षेत्रफल १५ हजार वर्ग मील और जन संख्या ७८११९१ हैं। वार्षिक आय लगभग ४९ लाख रुपया है।

आसाम सरकार के आधीन देशी राज्य

मणिपुर

हि० हा० महाराजा चूड़ाचन्द्र सिंह

ब्रह्म देश से इस राज्य से अनेक बार युद्ध हुआ और मणिपुर के लोग सदा स्वतन्त्र रहना चाहते थे। सन् १८२६ से बराबर यह राज्य स्वतन्त्र रहा सन् १८९१ में ब्रिटिश सरकार ने कुलचन्द्रसिंह का पक्ष लेकर हस्तक्षेप किया मि० कुइन्टन कमिश्नर मारे गये जिस पर ब्रिटिश सरकार ने राज्य अपने प्रबंध में कर लिया और सन् १९०७ तक पोलीटिकल एजेन्ट द्वारा प्रबन्ध होता रहा। उस साल वर्तमान महाराजा के-

बालिग होने पर इन्हें शासन सौंपा गया महा युद्ध में सहायता देने के कारण महाराजा की पदवी दी गई।

इस राज्य का क्षेत्रफल ८४५६ वर्ग-मील और जन संख्या ३८४०१६ है।

सी० पी० सरकार के आधीन देशी राज्य

इस सरकार के आधीन १५ राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल ३१०८० वर्ग मील है और जन संख्या २०६७३७१ है। होशंगाबाद जिले में मकराई राज्य है और बाकी छत्तीसगढ़ कमिश्नरी में हैं।

यह राज्य सब मिलकर सरकार को ढाई लाख रु० खिराज देते हैं।

मुख्य राज्यों का ब्यौरा इस प्रकार है--

राज्य	क्षेत्रफल वर्गमील	जन संख्या १९२१	औसत माल-गुजारी रु०
बसतर	१३०६२	४६४१३७	८ लाख
जशपुर	१९६३	१५४१५६	३ लाख
कांकर	१४२९	१२४९२८	४ लाख
खैरगढ	९३१	१२४००८	६ लाख
नांदगांव	८७१	१४७९११	८ लाख
रायगढ	१४८६	२४१६३४	६ लाख
सरगजा	६०५५	३७८२२६	६ लाख
आठ अन्य राज्य	५२८३	४३२३६३	१४ लाख
जोड	३१०८०	२०६७३७१	५५ लाख

भारतीय नरपतियों के लिये तोपों की सलामी।

२१ तोपों की सलामी।

महाराजा बड़ौदा (गायकवाड़)

महाराजा गवालियर (सिन्धिया)

निजाम हैदराबाद

महाराजा जम्बू तथा कश्मीर

महाराजा मैसूर

१९ तोपों की सलामी।

भूपाल के नवाब

महाराजा इन्दौर (होलकर)

खां साहब किलाट (वाली)

महाराजा कोल्हापुर

महाराजा ट्रावंकोर

महाराजा उदयपुर (मेवाड़)

१७ तोपों की सलामी

नबाब बहावलपुर
महाराजा भरतपुर
महाराजा बीकानेर
महाराव राजा बून्दी
महाराजा कोचीन
महाराव कच्छ
महाराजा जैपुर
महाराजा जोधपुर-(मारबाड़)
महाराजा करौली
महाराव कोटा
महाराजा पटियाला
महाराजा रीवां
नबाब साहब टोंक

१५ तोपों की सलामी

महाराजा अलवर
महारावल बंसवारा
महाराजा भूटान
महाराजा दतिया
महाराजा देवास (बड़ा)
महाराजा देवास (छोटा)
महाराजा धार
महाराज राणा धौलपुर
महारावल डूगरपुर
महाराजा ईदर
महारावल जैसलमेर
महाराजा किशनगढ़
महाराजा ओरछा
महारावल प्रतापगढ़
नबाब रामपुर
महाराजा सिक्किम
महाराव सिरोही
मीर खैरपुर

१३ तोपों की सलामी

महाराजा बनारस
महाराजा भावनगर
महाराजा कूच बिहार
महाराजा धरं धारा
नबाब जावरा
महाराजा राणा झालावार
महाराजा झींद
नबाब जूनागढ़
महाराजा कपूरथला
महाराजा नाभा
महाराजा नबानगर
नबाब पालनपुर
महाराजा पोर बन्दर
महाराजा रायपिपला
महाराजा रतलाम
महाराजा त्रिपुरा

११ तोपों की सलामी।

महाराजा अजयगढ़
राजासाहब अलिराजपुर
नबाब बाओनी
राना बरबानी
महाराजा बिजावर
राजा बिलासपुर
नबाब केम्बे
राजा चम्बा
महाराजा चरखारी
महाराजा छतरपुर
राजा फरीद कोट
ठाकुर साहब गोन्डला
नबाब जनजीरा

राजा झाबुआ
नबाब मलेर कोटला
राजा मण्डी
महाराजा मनीपुर
ठाकुर साहब मोरवी
राजा नरसिंहगढ़
महाराजा पन्ना
राजा पद्दुकोटा
नबाब राधनपुर
राजा राजगढ़
राजा सैलाना
राजा समथर
महाराजा सिरमौर
राजा सीता मऊ
राजा सुकेत
राजा टेहरी गढ़वाल

९ तोपों की सलामी

नवाब बालासमोर (बाबी)
नबाब बङ्गनापल्ली
राजा बांसदा
राजा बरोंधा
राजा बरिया
राजा छोटा उदयपुर
महाराना दन्ता
राजा धरमपुर
ठाकुर साहिब ध्रोल
सुलतान फदथली (शुक्रा)
सउबबा हसीपाव
राजा काला हांडी
सोवबबा केंगटंग
राव बहादुर खिलचीपुर
सुलताना किशन और सकोत्रा
सुलताना लहेज या अलहोता
ठाकुर साहब लिम्बडी
नबाब लोहारू
राजा लुनावदा
राजा मैहर
महाराजा मयूरभंज
साव बबा मोंगानाई
सरदार मुधोल
राजा नागौद
ठाकुर साहब पलितना
महाराजा पटना
ठाकुर साहब राजकोट
नबाब सेचीन
सरदार संगली
सर देसाई सावन्तवाड़ी
सुलतान शेहर और मोकल्ला
महाराजा सोनपुर
राजा सन्थ
ठाकुर साहब वाधयान
राजा साहब बीकानेर
साव बा० याङ्ग्वे
राजा जोहर

वर्तमान हिन्दी साहित्य।

अनंत कुमार जैन—सेवा धर्म
अंबिका प्रसाद व्यास—पावसपचासा
अयोध्यासिंह उपाध्याय—अधखिला फूल देवबाला, ठेठ हिन्दी का ठाठ, काव्योपवन प्रियप्रवास
अक्षयवट मिश्र—श्रीदुर्गादत्त परमहंस
अर्जुनलाल सेठी बी. ए.—महेन्द्र कुमार
अश्विनी कुमार दत्त—भक्तियोग
ओंकार नाथ वाजपेई—कन्यादिनचर्या
ओंकार नाथ शर्मा—बालविनोद
इन्द्र प्रो०—राष्ट्रों की उन्नति,
ईश्वरदास जालान—लिमिटेड कम्पनियां
ईश्वरी प्रसाद शर्मा—कर्म क्षेत्र
उग्र बेचन शर्मा—चाकलेट, चिनगारियां दिल्ली का दलाल, दोजख की आग
उदयवीर शास्त्री—कोटिल्य अर्थ शास्त्री
उमाशंकर मेहता—अंजना सुन्दरी
उमादत्त शर्मा—भारतीय देश भक्तों की कारावास कहानी
ऋषीश्वर नाथ भट्ट—स्त्रियों की पराधीनता
कन्हैयालाल जी सेठ—काव्य कल्पद्रुम
कन्हैया लाल पोद्दार—अलंकार प्रकाश
कस्तूर चन्द्र बाडिया—व्यापारी पत्र
कस्तूरीमल बाडिया—कम्पनी व्यापार प्रवेशिका
कामता प्रसाद—हिन्दुस्तानी शिष्टाचार
किशनचन्द—हमारा देश
किशोरी लाल गोस्वामी—पंच पराग पंच पल्लव, पंच पुष्प, पंच मन्जरिका, पंच कलिका, रजिया बेगम, राजकुमारी
कुन्दनलाल गुप्त—व्यवहार हिन्दू विधया
कृष्णकांत मालवीय—सुहागरात
कृष्णकुमारी—गुप्तसन्देश
कृष्णगोपाल माथुर—भिन्न २ देशों के अनोखे रीति रिवाज
कृष्णानंद गुप्त—गीता रहस्य [बंगला से अनुवाद]
कृष्णलाल शर्मा—जननी जीवन
कृष्ण विहारीमिश्र—देव और विहारी मति राम ग्रन्थावली
कैलाश चन्द्र भटनागर—विदूषक
खूबचन्द सोधिया बी. ए.—सफल ग्रहस्थ
गणपत राम अग्रवाल—खूनी इतिहास
गणेश दत्त गौड (इन्द्र) सन्तान शास्त्र वलिदान वीर अर्जुन, दीर्घायु; गुजराती हिन्दी शब्दकोष, भारत में दुर्भिक्ष।
गणेश शंकर विद्यार्थी—वलिदान
गयाप्रसाद शुक्ल (सनेही त्रिशूल)—त्रिशूल तरंग, कृषक क्रन्दन, कला में त्रिशूल
गयादत्त त्रिपाठी—लाख की खेती
गंगाप्रसाद अग्निहोत्री—प्रणयी माधव

गंगाप्रसाद जी. एम. ए.—अंग्रेज जाति का इतिहास
गंगाप्रसाद उपाध्याय एम. ए.—आस्तिकवाद, विधवा विवाह मीमांसा
गंगानाथ झा० डाक्टर वैषेशिक दर्शन
गंगाप्रसाद बी. ए.—हिन्दी शेक्सपियर
गिरजा कुमार घोष—गल्पलहरी नारी रत्नमाला, होमरगाथा, नारीउपदेश
गिरधरदास—कुन्डलिया
गिरधर शर्मा—भीष्म प्रतिज्ञा (नाटक) व्यापार शिक्षा
गुलाबराय एम. ए.—कर्त्तव्य शास्त्र नवरस सौंदर्यचित्रावली, सुनहरी नदी का राजा
गोकुल चन्द शर्मा—जयद्रथवध नाटक तपस्वी तिलक
गोपाल नेवटिया 'कोविद—यूथिका
गोपाल चन्द शर्मा—तपस्वी तिलक जयद्रथवध
गोपाल नरायण सेन—सिन्ह'—ग्रह शिल्प, किशोरावस्था,
गोपाल राम—गोवर गणेश संहिता
गोपाल राम गहमर—मायावी, खूनी की खोज, डबल जासूस आदि
गोपाल स्वरूप भार्गव — मनोरंजक रसायन
गोपाल दामोदर तामस्कर एम. ए. एल. बी.—अफलातून की सामाजिक व्यवस्था
गोपाल लाल वैद्य—मनुष्यों का अहार
गोविंद वल्लभ पन्त—कन्जूस की खोपड़ी
गोविन्द हयारण—राजा मेहन्द्र प्रतापसिंह
गोविन्दसिंह—इतिहास गुरुखालसा
गौरीशंकर ओझा—अशोक की धर्म लिपियां
गौरीशंकर प्रसाद जी—श्रीवद्र-केदार-यात्रा
चन्डी चरन सेन—महाराज नन्दकुमार को फांसी
चन्डीप्रसाद बी. ए. (हृदयेश)—मंगल प्रभात, वनमाला, ननिदननिकुन्ज
चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा—शब्दार्थ पारिजात, बालोपयोगी ग्रन्थ माला
चतुर सेन शास्त्री—सत्याग्रह और असहयोग.
चन्द्रराज भंगरी—हरफन मौला, नैतिक-जीवन.
चन्द्रशेखर बी. ए.—सफलता की कुन्जी
चन्द्रशेखर पाठक—पंजाब का भीषण हत्या कान्ड
चन्द्र शेखर शास्त्री — वीरोपाख्यान, वाल्मीकीय रामायण.
चौधरी हरी रामसिंह—कृषिकोष
छविनाथ पांडे—व्यापारदर्पण कर्म योग चरित्र चिन्तन
छेदीलाल एम. ए.—एशिया निवासियों के प्रति यूरोपियनों का वर्ताव
जगन्नाथ खत्री शुक्ल—रसायन विज्ञान भारत का अरबाचीन इतिहास
जगन्नाथ खत्री—अमेरिका का व्यवसाय
जनार्दन भट्ट एम. ए.—संस्कृत कवियों की अनोखी सूझ; अशोक के धर्म लेख
जगतमोहन वर्मा—चीनी यात्रा, ह्यूनचांग की यात्रा, चीनीयात्रा, फाहयान की यात्रा

जटाधर प्रसाद शर्मा 'विकल'—सीता, दमयन्ती

जमनादास मेहरा— नियक्त कसौटी, विधवाश्रम

जयरामदास गुप्त—कलयुग का बिचार, भक्त सूरदास

जयशङ्कर प्रसाद—विशाख (नाटक) अजातशत्रु, कानून कुसुम, कंकाल

ज्वालादत्त शर्मा—भवभूति

जहूर बख्श—मनोहर ऐतिहासिक कहानियां, मनोरंजक कहानियां समाज की चिनगारियां

जी. श्रीनिवास चन्द्रदास—प्रतिभा

जी. पी. श्रीवास्तव—प्राणनाथ, मरदानी औरत (नाटक), गुदगुदी भड़ाम सिंह शर्मा, नोके झोंके, लंबी डाढ़ी साहब बहादुर

जी. एस. पथिक—अबलाओं पर अत्याचार

झावरमल शर्मा—भारतीय गोधन

ठाकुर प्रसाद खत्री—जगत व्यापारिक पदार्थ कोष, सुघर दरजिन

डा० मङ्गल देव शास्त्री एम. ए. डी. फिल. (आक्सफर्ड)—तुलनात्मक भाषाशास्त्र

तोताराम सनाढ्य—फिजी द्वीप में मेरे २१ वर्ष

दयाचन्द जैन—शांति वैभव

दयाशङ्कर दुबे—भारत में कृषि सुधार, विदेशी विनिमय, किसानों की कामधेनु

द्वारकाप्रसाद (रसिकेन्द्र)—आत्माभिमान सती सारन्धा, ज्ञात बास

दुर्गाप्रसाद खैतान—ज्योतिष शास्त्र

दुर्गाप्रसाद सिंह—कृषिकौमदी, खाद का उपयोग

देवकी नन्दन खत्री—चन्द्रकान्ता चार भाग चन्द्रकान्ता सन्तति चौबीस भाग, भूतनाथ बारह भाग, आदि

देवनारायण द्विवेदी—धर्म और जातीयता

देवीप्रसाद खत्री—रामेश्वर यात्रा, वद्रिकाश्रम यात्रा

धर्मानन्द शास्त्री—उपयोगी चिकित्सा

नन्दकुमार देव शर्मा—महाराणारंजीत सिंह, पत्रसम्पादन की कला, पंजाब हरण

नरसिंह चिन्तमण केलकर—लो० तिलक का चरित्र

नाथूराम प्रेमी—विद्यार्थियों का सच्चा मित्र

नाथूराम शङ्कर शर्मा—अनुरागरत्न गर्भ रंडा रहस्य, वायसविजय

नाभादास—भक्तमाल

निष्कामेश्वर मिश्र—हिन्दी शार्टहेंड

पंडा बैजनाथ—मनुष्य के कोष

पं० माखनलाल चतुर्वेदी—कृष्णार्जुन युद्ध (नाटक)

पं० चन्द्रशेखर बाजपेयी—यूरोप के प्रसिद्ध शिक्षण सुधारक,

पदमलाल पन्नालाल बख्शी—प्रायश्चित्त

पद्मसिंह—विहारी सतसई

पद्माकर—गंगा लहरी, जगत विनोद पद्माभरण

प्यारेलाल—सांख्य दर्शन

परमानन्द जी स्वामी—दृष्टान्त जूषा
प्रताप नारायण मिश्र—चरिताष्टक, मन की लहर, निबंध नबनीत
प्रवासी लाल वर्मा—मूर्खराज,
प्रभूदयाल—योगदर्शन
प्रसिद्ध नारायण—हठयोगी
प्राणनाथ विद्यालंकार—सम्पत्ति शास्त्र भारतीय अर्थ शास्त्र, राजनीति शास्त्र
प्रेमचन्द (श्री धनपतराय बी. ए.)—अहंकार, नवनिधि, पंचपरमेश्वर, प्रेमप्रसून, प्रेमपच्चीसी, प्रेमाश्रम, प्रेमपूर्णिमा, बर्दान, रंगभूमि, मन मोदक, कर्बला (नाटक)
प्रो॰ कालीदास माणिक—राममूर्ति व्यायाम ६ भाग
प्रो॰ नारायणप्रसाद—दुकानदार
प्रो॰ राधाकृष्ण झा—भारत की साम्पत्तिक अवस्था
प्रोफेसर रामकृष्ण शुक्ल—अमृत और विष अथवा मुगल दरबार रहस्य.
प्रो॰ लक्ष्मी चन्द—रंग की पुस्तक, आरोग्य विद्या, तन्तुकला, रोशनाई, आदि साबुन वारनिश और पेन्ट
बदरीनाथ भट्ट—तुलसीदास, दुर्गावती, वेन चरित्र, चन्द्रगुप्त, कुरूवनदहन, किंगलियर आदि नाटक
बङ्किम चन्द्र चटर्जी—लोकरहस्य
बनारसीदासचतुर्वेदी-भारतभक्त ऐंडरूज फिजी में प्रतिज्ञा बद्ध कुली प्रथा, फिजी की समस्या हृदय तरंगें
बलदेव प्रसाद (दावदे)—राजा शिन
बंशीधर विद्यालंकार—मेरे फूल
ब्रजराज एम. ए.—मीराबाई, सहजोबाई, दयाबई का पद्य संग्रह, कथा कादम्बिनी
बाबू राम विन्थरिया—हिन्दी काव्य में (नवरस)
बाबूलाल मयाशङ्कर दुबे—स्वप्न वासोदत्तम (हिन्दी)
बाबू श्याम सुन्दर दास—संक्षिप्त रामायण, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान हिन्दी शब्दसागर
बालकृष्ण टेंगशे—महारानी लक्ष्मीबाई नत्थे खाँ युद्ध
बालकृष्ण भट्ट—साहित्यसुमन सौसुजान एक अजान, नूतन ब्रह्मचारी, शिक्षादान
बालमुकुन्द बाजपेई-गोरा चाम काले काम
विश्वम्भर नाथ जिजा—रूस में युगान्तर
विश्वेश्वरनाथ रेव—भारत के प्राचीन राजवंश ३ भाग
भक्तराम—रागरत्नाकर
भगवान दास केला—भारतीय शासन, भारतीय राष्ट्रीय निर्माण, भारतीय जागृति, देश भक्त दामोदर, भारतीय अर्थ शास्त्र इत्यादि
भगवानदास बी॰ ए॰—समाज सङ्गठन
भगवती प्रसाद बाजपेई—नबीन पद्य संग्रह
भगवती प्रसाद सिंह एम. ए.—बनारस व्यवसाय
भाई परमानन्द—आपबीती; शिक्षा प्रणाली, हिन्दूराज्य भारत रमणी रत्न, भारत माता का सन्देश
भानु—शीतलामाता भजनाबली, तुम्हीं तो हो

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र—मुद्राराक्षस; भारत जननी, भारत दुर्दशा, चन्द्रावली, करपूर मंजरी, विद्या सुन्दर, रत्नावली; सत्य हरिश्चन्द्र, वैदिक हिंसा हिंसन भवति, प्रेम योगिनी, दुर्लभ बन्धु, सुन्दरी तिलक, काश्मीर कुसुम

भास्कर रामचन्द्र भालेराव—मराठों का उत्कर्ष

मक्खनलाल खत्री—सुख सागर

मंगलानन्द पुरी सन्यासी—अफ्रीका-यात्रा, हिन्दी शब्द सागर

मणिराम शर्मा—पाक विद्या

मतिराम—रजराज

मदारीलाल गुप्त—माणिक मन्दिर सखा राम

मन्नन द्विवेदी—रामलाल; विनोद, कल्याणी

महर्षि दयानन्द सरस्वती— सत्यार्थ प्रकाश, वेदों के भाष्य तथा अन्य ग्रन्थ

महावीरप्रसाद द्विवेदी—वनिता विलास नागरी भाषा, रसज्ञरंजन, महाभारत

महिधर शर्मा—गोरक्षा पद्धति

महेन्दुलाल गर्ग—डा० वृद्धावस्था दूर करने के उपाय; एलोपेथिक मेटीरिया मेडीका

महेश चरण सिंह—विद्युत शास्त्र

माधवराव सप्रे—गीता रहस्य, दासबोध (अनुवाद) जीवन संग्राम में विजय प्राप्त करने के कुछ उपाय

माधवलाल शर्मा—योग चिकित्सा

माधव शुक्ल—महाभारत नाटक, भारत गीतांजलि, जागृत भारत

मान कवि—राज विलास

मिश्रबन्धु—मिश्रबन्धु विनोद, भारतवर्ष का इतिहास, भारत की प्राचीन झलक, भूषण ग्रन्थावली, भारत विनय

मुख्त्यार सिंह—खाद

मुन्शी देवीप्रसाद—जहांगीरनामा; कवि रत्न माला

मुरलीधर शर्मा—शरीर पुष्टि विधान, आरोग्य शिक्षा

मेहता लज्जाराम शर्मा—आदर्श हिंदू

मेहताबसिंह—भारतीय जेल

मेहरचन्द—पंचदशी, धर्म सिंधु

मैथिलीशरण गुप्त—चन्द्रहास (नाटक) भारत-भारती, जयद्रथ-वध, तिलोत्तमा (नाटक) पलासी का युद्ध, शकुन्तला; रुबाइयात उमर खय्याम

मोहनदास करमचन्द गांधी—स्वाधीन भारत, आत्म कथा, (सत्य के प्रयोग)

मोहनलाल नेहरू—गल्पांजलि

यदुनन्दनप्रसाद श्रीवास्तव—अपराधी

योगिराज म० अरविन्द घोष—अरविंद मन्दिर में

रघुकुल तिलक—घर और बाहर

रघुनाथ माधव भगाडे—हिन्दी ज्ञानेश्वरी

रजनीकान्त गुप्त—भारतीय वीरता

रमाशंकर अवस्थी—रूस की राजक्रांति

राजकिशोर सिंह बी. ए —हिन्दू संगठन

राजा शिवप्रसाद—प्रेमसागर, इतिहास तिमिर नाशक
राजेन्द्रसिंह जी—ग्रामों का सुधार
राधाकृष्णदास—महाराणा प्रताप
राधा वल्लभ वैद्यराज—रक्त
राधामोहन गोकुलजी—मेजीनी
राधेश्याम कथा वाचक—रामायण महा भारत, वीर अभिमन्यु (नाटक) मशरिकी हूर
राम कवि और बेताब—पिंगलसार
रामकिशोर मालवी—शैलकुमारी शांता
रामकिशोर शर्मा—यूरोप का इतिहास ३ भाग
रामचन्द्र वर्मा—भूकम्प सामर्थ समृद्धि और शक्ति
रामचन्द्र रघुनाथ सबेरे—अब्राह्म लिंकन
रामचन्द्र शर्मा—निहिलिस्ट रहस्य
रामचन्द्र शुक्ल—भगवानदीन
बृजरत्न दास—तुलसी ग्रन्थावली
रामचरित उपाध्याय—उपदेश रत्नमाला, देवदूत, रामचरित चन्द्रिका, राम चरित चिन्तामणि, सूक्त मुक्तावली
रामजीवन नागर—देशी बटन
रामदास गौंड—रोम साम्राज्य इटली के विधायक महात्मा गण, वैज्ञानिक अद्वैतवाद
रामबृक्ष शर्मा—शिवाजी गुरु गोबिन्द सिंह
रामदीन मिश्र—साहित्य मीमांसा
राम नरेश सिंह ठाकुर—खनी; पौंडा, धान की खेती, गन्ना, ऊख, केसर की खेती
रामनरेश त्रिपाठी — पथिक मिलन, कविता कौमुदी (४ भाग) हिन्दी महाभारत, देश का दुखी अंग
रामप्रसाद—मूंगफली की खेती, आलू की खेती, गेहूं की खेती
रामेश्वरप्रसाद पांडे—देशी और विलायती
राम प्रोफेसर—बोलशेविक की करतूत
रामेश्वर प्रसाद वर्मा—अस्तोदय
रामेश्वर प्रसाद शर्मा—निशीथ चिंता
रामयश प्रसाद—अभागी
रामलाल अग्निहोत्री—प्रेम प्रपंच
रामलाल पांडेय—महारानी लक्ष्मीबाई का आत्म परिचय
राय कृष्णदास—साधना: संलाप
रामशरण लाल वर्मा—पाक प्रकाश
रुद्रनारायण—आदर्श भूमि चित्तौड़
रूपनारायण पांडे—भू प्रदक्षिणा
रामेश्वर भट्ट — मनुस्मृति, रामायण
लज्जाराम शर्मा—भारत की कारीगरी
लल्लीप्रसाद पांडे—'राय बहादुर'
लक्ष्मीकांत त्रिपाठी—पूर्ण संग्रह
लक्ष्मण नारायण गर्दे—सरल गीता हिन्दुत्व, जापान की राजनैतिक प्रगति
लक्ष्मणसिंह— हिंदुस्तान गुलाम कैसे बना, शकुन्तला
लक्ष्मीधर बाजपेयी—मेघदूत, बज्राघात
लक्ष्मणदास वैश्य—संगीत दिग्दर्शन
लाला निवासदास—परीक्षा गुरु रणधीर प्रेम मोहिनी (नाटक)

लाला भगवानदीन—केशव चन्द्रिका, बिहारी बोधिनी, वीर पञ्चरत्न

लालालाजपतराय—भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास मेजिनी, दुःखी भारत

लाला सीताराम—अपनी २ रुचि, आत्म माधव, जङ्गल में मङ्गल, मृच्छकटिक महावीर चरित्र, बगुला भगत, माल बिकानी, भूल भुलैयां, मनमोहन का जाल, आदि नाटक

लाला हरदयाल एम. ए.—अमृत में विष, जर्मन और तुर्की में चवालीस मास

व्यायोग—निर्भय भीम, बारिदनाद बध

वृन्दावनलाल बर्मा—लगन, हृदय की हिलोर

वृन्दावन भट्टाचार्य एम. ए.—सारनाथ का इतिहास

विनायकराव नायक—काव्य कुसुमाकर

वियोगी हरि—योगी अरविंद की दिव्य वाणी, साहित्य विहार, कवि कीर्तन, प्रभुद यमुना नाटक; विनय पत्रिका, तरंगिनी, वीर सतसई, श्री पद्म योगिनी नाटक, छत्रसाल ग्रन्थावली

विष्णुदत्त शुक्ल—नारी विज्ञान

विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक—चित्रशाला, संसार की असभ्य जातियों की नारियां, भीम नाटक

विश्वम्भरनाथ खत्री—लोकोक्ति कोष हीन

विनोद शङ्कर व्यास—अशान्त

शरश्चन्द्र चट्टोपाध्याय—चरित्र हीन

शीतला सहाय बी. ए.—हिन्दु त्योहार का इतिहास, मनोरमा

शङ्कर राव जोशी—फसल के शत्रु, रोम साम्राज्य

शङ्कर प्रसाद मिश्र—बच्चों का जीवन सुधार

शारदा कुमारी देबी—गल्प विनोद

शिवव्रत लाल वर्म्मन—शाही यात्रा

शिवचन्द्र जी भरतिया—विचारदर्शन

शिवनन्दन सिंह ठाकुर—देशदर्शन

शिव नारायण द्विवेदी—१८५७ ई० के गदर का इतिहास

शिव नारायण मिश्र—अकाली दर्शन राष्ट्रीय विज्ञान

शिव शंकर मिश्र—भारत का धार्मिक इतिहास

शिव प्रसाद गुप्त—पृथ्वीप्रदक्षिणा

शिब सहाय चतुर्वेदी—सतीदाह

शुकदेव प्रसाद बाजपेयी—हारमोनियम मास्टर

शैलकुमारी देबी—उमासुन्दरी

श्रवणलाल—नारीउपदेश

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—सेवामर्ग

श्री चन्द्रमौलि शुक्ल—मनो विज्ञान

श्रीमती उमानेहरू—मदर इण्डिया और उसका जवाब

श्रीप्रकाश जी—स्वराज्य का सरकारी मस्वदा

श्रीधर पाठक—गोखले गुणाष्टक, एकान्त वासी योगी, ऊजड़गांव, आराध्य शोकांजलि, मनोविनोद

श्री नगेन्द्र नाथ बसु—हिन्दी विश्वकोष (१४ भाग)

श्री पुरुषोत्तम दास लोइया—कुललक्ष्मी
श्री शशि नाथ चौधरी—भगवान बुद्ध
श्रीमती विद्यावती सहगल—पाकचन्द्रिका
श्रीमुख सम्पत्तिराव भण्डारी—संसार की क्रान्तियां, जगतगुरु भारतवर्ष
श्रीमती स्फुरना देवी—अवलाओं का इन्साफ
श्रीमती चन्द्रमणि देवी—मां बेटी
सत्यदेव स्वा०—जातीय शिक्षा, हिन्दू संगठन का बिगुल आश्चर्य जनक घन्टी, अफ्रीका के निर्धन विद्यार्थियों के परिश्रम
सत्यनारायण (कवि)—उत्तर राम चरित नाटक, मालती माधव
संतराम बी. ए.—एकाग्रता और दिव्य शक्ति
सबल सिंह—महाभारत
सम्पूर्णानन्द—सम्राट हर्ष वर्धन, अंतर राष्ट्रीय विधान, चीन की राज्य क्रान्ति, चेत सिंह और काशी का विद्रोह, अकालियों का सत्याग्रह तथा विजय, भौतिक विज्ञान, अन्तर राष्ट्रीय विधान
स्वामीदयानन्द जी काशी—आर्य गौरव, नवीन दृष्टि में प्रवीण भारत, प्रवीण दृष्टि में नवीन भारत २ भाग, धर्म कल्पद्रुम ८ भाग
स्वामी विवेकानन्द—भक्ति
स्वामी वेदान्त गोविन्दाचार्य मिश्र—सामाजिक जीवन
स्वामी राम तीर्थ—राष्ट्रीय संदेश, सफलता की कुञ्जी
स्वामी शिवानन्द—ब्रह्मचर्य ही जीवन है
सियाराम शरण—अनाथ, मौर्य विजय
सुन्दर लाल—सभ्यता महारोग, भारत में अंग्रेजी राज्य
सुदर्शन—सुप्रभात
सुदर्शनाचार्य शास्त्री—संगीत सुदर्शन
सुशीला देवी निगम—दामपत्य जीवन, सफलमाता
सूर्यकान्ति त्रिपाठी—अनामिका
सूर्य कुमार वर्मा, ठाकुर—जर्मन का विकास, बाल भारत २ भाग
सूर्य नारायण शर्मा—हास्य रत्नाकर
सूरज भानु वकील—जीवन निर्वाह
सैयद अब्दुलसालिक बी. ए.—कृषिवंग
सोमदत्त जी विद्यालंकार—रूस का पुनर्जन्म
हनुमतप्रसाद जोषी—तमाखू से हानि
हवलदारीराम गुप्त—त्यागी भरत
हृदयनाथ कुन्जरू—भारत में सरकारी नौकरियां
हरिमङ्गल मिश्र—प्राचीन भारत
हरीदास मानिक—रजपूतों की बहादुरी २ भाग भारत की प्राचीन झलक
हरिदास वैद्य—श्रृंगार शतक
हरिदास हालधर—कर्म पथ
हरनारायण आपटे—उषाकाल
हरी भाऊ उपाध्याय—जीवन का सद्व्यय
हरिहरनाथ शास्त्री—मीरकासिम
हीरालाल जी—गद्य कुसुमावली
हेमन्त कुमारी देवी—संक्षिप्त स्वास्थ्य रक्षा

छापाखाने तथा समाचार पत्र।

स० १८३५ से पहिले गवरनजनरल इन कांसिल से लैसंस प्राप्त करके ही किताब या समा चार पत्र छापे जासकते थे। एक्ट ९ स० १८३५ ने इन रेगूलेशनों को रद्द कर दिया। इस के अनुसार केवल प्रिन्टर की रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई। स० १८५८ में गदर के समय एक ऐक्ट साल भर तक रहा जिसने छापाखानों के अधिकार बहुत कुछ छीन लिये थे।

स० १८६७ में प्रेस और रजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट पास हुआ जो संशोधित स्वरुप में अभी तक मौजूद हैं। स० १८७८ में वर्ना कुलर प्रेस ऐक्ट बनाया गया जिसने देशी भाषाओं के पत्रों की स्वतंत्रता ही छीन ली। जोर का आन्दोलन हुआ स० १८८२ में यह ऐक्ट रद्द कर दिया गया। इसके वाद सरकार ने पुस्तक लेखनेकों और सम्पादकों पर सेकड़ों मुकदमें दफा १२४ ए और १५३ ए के अनुसार चलाये। स० १९०८ में न्यूजपेपर (एक्साइटमेंट टू आफेन्सेस) ऐक्ट पास किया गया जिस के द्वारा समाचार पत्रों में हिंसात्मक जुर्मों के किये जाने के लिये प्रोत्साहन हो तो उन्हें रोकने के लिये प्रयत्न किया जाय।

स० १९१० के इंडियन प्रेस ऐक्ट ने छापाखानों व समाचार पत्रों पर नकद जमानत दाखिल करने का बोझा रख दिया। लेखों के लिये जमानत लिया जाने का अधिकार सरकार को दिया गया। इस ऐक्ट के पास होने से स० १९२१ तक अनेक सम्पादकों से जमानतें ली गई और जप्त हुई। स० १९२१ में लेजिस्लेटिव एसेम्बली में चर्चा होने के बाद एक कमेटी नियत हुई और प्रान्तीय सरकार से भी राय ली गई। इस कमेटी ने इस प्रकार सिफारशें की (१) प्रेस ऐक्ट स० १९१० का रद्द कर दिया जावे (२) न्यूजपेपर ऐक्ट स० १९०८ का रद्द कर दिया जावे। (३) प्रेस ऐन्ड रेजिस्ट्रेशन आफ बुक्स ऐक्ट और पोस्ट आफिस ऐक्ट में संशोधन कर दिया जावे।

स० १९२२ में यह बातें हो गई।

अब डाकखाने और कस्टम के अफसरों को अधिकार है कि राजद्रोही कागजात जप्त कर लें। इसकी चाराजोई प्रान्तीय सरकार के यहां होसकती है। सरकार को भी ऐसे कागजात जप्त करने का अधिकार है। समाचार पत्रों के मुद्रक और प्रकाशक को एक लेख जिला मजिस्ट्रेट के यहां दाखिल करना चाहिये। प्रेस के कीपर (रखने वाले) को भी ऐसी ही करना पड़ता है। सम्पादक का नाम पत्र के किसी मुख्य

स्थान पर छपा हुआ रहना चाहिये
और लेखों के लिये मुद्रक प्रकाशक

और सम्पादक तीनों समान उत्तर-
दायी हैं।

समाचार पत्रों की सूची।

हिन्दी

दैनिक

आज	बनारस
कलकत्ता समाचार	कलकत्ता
भारतमित्र	,,
वर्तमान	कानपुर
विश्वमित्र	कलकत्ता
स्वतन्त्र	,,
हिन्दू संसार	दिल्ली

द्विदैनिक

प्रणवीर	बम्बई
सुवर्ण	काशी

साप्ताहिक

अध्यापक	बाराबंकी
अभ्युदय	इलाहाबाद
अर्जुन	देहली
आर्यमित्र	आगरा
आर्य	लाहौर
कमल	बरेली
कर्मवीर	खण्डुवा
गोरखा समाचार	देहरादून
जयाजी प्रताप	गवालियर
तरुण राजस्थान	अजमेर
देश	पटना
पंजाब केशरी	लाहौर
प्रताप	कानपुर
प्रेम प्रचारक	आगरा
बलिया गजट	बलिया
बङ्गवासी	कलकत्ता
भारत	इलाहाबाद
भारतमित्र	कलकत्ता
मतवाला	,,
माहेश्वरी	बम्बई
मल्हारी मार्तंड	इन्दौर
मिथिला मेहिर	दरभङ्गा
राजपूत	आगरा
लोकमत	जबलपुर
व्यङ्कटेश्वर समाचार	बम्बई
वर्णाश्रम	काशी
विश्वमित्र	कलकत्ता
शिक्षा	बांकीपुर
श्रद्धानन्द	बम्बई
श्रीकृष्ण सन्देश	बनारस
स्वाधीन	झांसी
स्वदेश	गोरखपुर
स्वतन्त्र	कलकत्ता
संसार	बलिया
सूर्य	काशी
समालोचक	सागर
सैनिक	आगरा

हितचिंतक	इटावा
हिंदी केशरी	काशी
हिंदी बङ्गवासी	कलकत्ता
हिंदी नवजीवन	अहमदाबाद
हिंदूपंच	कलकत्ता
हैहय क्षत्रिय मित्र	प्रयाग
क्षत्रिय संसार	कलकत्ता
ज्ञान शक्ति	गोरखपुर

पाक्षिक

कानपुर म्युनिसिपल गजट	कानपुर
गढ़वाली	देहरादून
जैन जगत	अजमेर
भारतवासी	प्रयाग
भूमिहार ब्राह्मण	काशी
सनातन जैन	वर्धा
साधु सर्वस्व	डाकोर
समय	मुरार
सूर्योदय (संस्कृत)	काशी
क्षत्रिय मित्र	,,

मासिक

आरोग्य सिंधु	फीरोजाबाद
आर्य-महिला	काशी
आशा	कानपुर
उपन्यास लहरी	काशी
ऊषा	दिल्ली
कल्याण	गोरखपुर
कादम्बरी	कानपुर
कान्यकुब्ज	काशी
किसान	इन्दौर
किसानोपकारक	प्रतापगढ़
कुशवाहा क्षत्रिय मित्र	काशी
कूर्मिक्षत्रिय दिवाकर	,,
खिलौना	प्रयाग
गल्पमाला	काशी
गृहलक्ष्मी	प्रयाग
चांद	,,
चित्रमय जगत	पूना
जात पात तोड़क	काशी
ज्योति	लाहौर
तीर्थराज	प्रयाग
त्यागभूमि	अजमेर
द्विजराज	प्रयाग
धन्वन्तरी	अलीगढ़
नवयुग	कलकत्ता
नारायण	,,
बालक	लहेरियासराय
बालसखा	प्रयाग
ब्राह्मण सर्वस्व	इटावा
बुद्धि-प्रकाश (गुजराती)	अहमदाबाद
बूटी दर्पण	लाहौर
भ्रमर	बरेली
भाग्योदय (गुजराती)	अहमदाबाद
भारतेन्दु	प्रयाग
भूगोल	मेरठ
मनोरंजन	कानपुर
मनोरमा	प्रयाग
महारथी	दिल्ली
मातृभूमि	झांसी
माधुरी	लखनऊ
युवक	पटना
वरनवाल चन्द्रिका	काशी
विकास	विलासपुर
विद्यार्थी	प्रयाग

विज्ञान	प्रयाग
विशाल भारत	कलकत्ता
वीणा	इन्दौर
वीर सन्देश	आगरा
वैद्य	मुरादाबाद
शिशु	प्रयाग
शुद्धि समाचार	दिल्ली
श्रीकृष्ण	कलकत्ता
सम्मेलन पत्रिका	प्रयाग
समन्वय	कलकत्ता
समालोचक	लखनऊ
सरस्वती	प्रयाग
सरोज	कलकत्ता
स्त्री दर्पण	कानपुर
सुकवि	,,
सुधा	लखनऊ
सेवा	प्रयाग
हलवाई वैश्य संरक्षक	काशी

त्रैमासिक

नागरी प्रचारिणी पत्रिका	काशी
विद्यापीठ	,,

उर्दू

दैनिक

प्रताप	लाहौर
जमीदार	,,
बन्देमातरम्	,,
हमदर्द	दिल्ली

साप्ताहिक

अजीजहिंद	झांसी
अलइलाल	कलकत्ता
तेज	दिल्ली
दरबार	जालंधर
नैयरेआजम	मुरादाबाद
प्रकाश	लाहौर
प्रताप	,,
फरिश्ता	आगरा
ब्राह्मण समाचार	जालंधर
मदीना	बिजनौर
मुखबरे आलम	मुरादाबाद
मेहनतकश	लाहौर
सुरमय रोजगार	आगरा
रियासत	दिल्ली
सद्धर्म प्रचारक	अमृतसर
क्षत्री	मेरठ

मासिक

कृति	लाहौर
नकवी	भोपाल
सूफी	लाहौर
हुमायूँ	,,

त्रैमासिक

औरंगाबाद	दक्षिण

अंग्रेजी

दैनिक

अमृत बाजार पत्रिका	कलकत्ता
इण्डियन डेलीमेल	बम्बई
इंडियन डेली टेलीग्राफ	लखनऊ
इंडियन नेशनल हिराल्ड	बम्बई
इंगलिशमैन	कलकत्ता

इवनिंग न्यूज आफ इण्डिया	बम्बई
ऐक्सप्रेस	पटना
जसटिस	मद्रास
टाइम्स आफ इण्डिया	बम्बई
ट्रीवन्द्रम डेली न्यूज	ट्रीवन्द्रम
ट्रीब्यून	लाहौर
डेली ऐक्सप्रेस	मद्रास
डेली गजट	करांची
न्यू अम्पायर	कलकत्ता
न्यू लाइट आफ वर्मा	रङ्गून
नागपुर मेल	नागपुर
पाइनियर	इलाहाबाद
न्यू फोरवर्ड	कलकत्ता
बङ्गाली	,,
बम्बई क्रोनीकल	बम्बई
बसुमती	,,
बिलोचिस्तान हिराल्ड	क्वेटा
मद्रास मेल	मद्रास
मुसलिम कटक	लाहौर
रंगून गजट	रंगून
रंगून टाइम्स	,,
रंगून डेली न्यूज	,,
लीडर	इलाहाबाद
स्टेट्स मैन	कलकत्ता
स्वराज्य	मद्रास
सिन्ध औवजरवर	करांची
सिंध पायोनियर.टेवलेट	हैदराबाद
सिविल एण्ड मिलीटरी गजट	लाहौर
हिन्दुस्तान टाइम्स	देहली
हिन्दू हिराल्ड	लाहौर
हिन्दू	मद्रास

साप्ताहिक ।

इक्वालिजर	बम्बई
इण्डियन इन्जी नयरिंग	कलकत्ता
इण्डियन शोशल रिफार्मर	बम्बई
कमर्स	कलकत्ता
कलकत्ता म्यूनीसिपल गजट	कलकत्ता
केपीटल	,,
गार्जियन	,,
टाइम्स आफ आसाम	डिब्रुगढ
ढाका गजट	ढाका
न्यू इन्डिया	मद्रास
न्यू वर्मा	रंगून
प्यूपिल	लाहौर
प्रिंसली इन्डिया	देहली
फेडरेटेड इन्डिया	मद्रास
वेतरनी	कटक
बर्मा औवजरवर	रंगून
वर्मा सन्डे टाइम्स	,,
बिहार हिराल्ड	पटना
मराठा	पूना
मातृभूमि	कालीकट
यंगइण्डिया	अहमदाबाद
यूनाइटेड इन्डिया एन्ड इण्डियन स्टेटस	देहली
राजस्थान	देहली
लिवर्टी	कलकत्ता
सर्च लाइट	पटना
सर्वेन्ट आफ इन्डिया	पूना
हिन्दू पन्च	बम्बई
हिमालियन टाइम्स	देहादून

मासिक ।

इंडियन रिव्यू	कलकत्ता

करन्ट थौट्स	मद्रास	वेलफेयर	कलकत्ता
कलकत्ता रिव्यू	कलकत्ता	स्त्री धर्म	मद्रास
कल्पक	टिनावेली	**त्रैमासिक**	
प्रबुद्ध भारत	कलकत्ता	इंडियन हिस्टारिकल कार्टरली	कलकत्ता
बुद्धिस्ट इंडिया	,,	जर्नल आफ दी आंध्र हिस्टारिकल रिसर्च सोसायटी	राजमुन्द्री
मौर्डन रिव्यू	,,	जर्नल आफ दी विहार एन्ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी	पटना
यंग थियोसोफिस्ट	बम्बई		
लेबर गजट	,,		
वेदांत केशरी	मद्रास		

प्रेस आर्डीनेन्स।

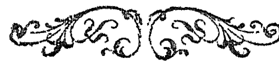
ता० २७-४-३० को लार्ड इर्विन ने राष्ट्रीय समाचार पत्रों व छापाखानों पर आर्डीनेंस लगा दिया जिसकी शर्तें यह हैं (१) हत्या और हिंसा के लिये उकसाना (२) फौज और पुलिस वालों को भड़काना (३) सर्कार, सरकारी न्याय, किसी देशी नरेश या प्रजा के किसी समुदाय के प्रति घृणा और अश्रद्धा फैलाना (४) किसी को अनुचित रूप से डराना; धमकाना (५) किसी को कानून तोड़ने या कानून के संचालन में बाधा डालने या किसी अपराध के करने या किसी को लगान, टैक्स, या बधाव या किसी ऐसी रकम के देने से जो सरकार को मिलनी चाहिये रोकना (६) किसी सरकारी आदमी को फर्ज अदायगी से रोकना या उससे इस्तीफा दिलाना (७) सरकार की प्रजा में विद्वेष उत्पन्न करना (८) फौज में या पुलिस में भर्ती रोकना या उसमें बाधा डालना। ये समस्त बातें आपत्ति जनक समझी जायँगी। प्रान्तिक सर्कार उपरोक्त बातों पर समाचार पत्र जप्त कर लगी। नये समाचार पत्र बिना जमानत न निकल पायँगे। राष्ट्रीय पत्रों से ५००) से लेकर ५०००) तक की जमानत ली जायगी। यदि समाचार ने रंग ढंग न बदला तो जमानत जप्त कर ली जायगी और १००००) तक की जमानत लेगी। पुनः समाचार पत्रों को दोषी पाया तो इस बार जमानत के साथ प्रेस भी जप्त हो जायगा। जमानत की जब्ती की दशा में अपील हो सकेगी। जमानत मांगे जाने पर यदि बिना जमानत दिये छापेखाने में कुछ भी छप गया तो छापाखाना जब्त और जिस मकान व घेरे में वह छापाखाना होगा यदि उसमें और भी कोई छापाखाना होगा तो वह भी जब्त हो जायगा।

इसके बाद कई समाचार पत्र साइकिलो स्टाइल व लीथो प्रेस से निकले

पुनः दूसरा आर्डीनेन्स पास किया गया जिससे आज, लोकमत आदि जो साइक्लो स्टाइल से निकले थे बन्द हो गये पुनः वर्तमान ने प्रेस आर्डीनेन्स के विरुद्ध अपना अखबार निकाला जो हाल ही में बन्द कर दिया गया।

कांग्रेस की आज्ञानुसार निम्नलिखित पत्र बन्द हैं—

हिन्दुस्तान टाइम्स; तेज, अर्जुन, रियासत, मिलाप; (अब फिर निकलने लगा) शुद्धि समाचार, हिन्दू संसार, हिन्दू पंच, स्वतन्त्र, लिबर्टी, एडवांस, आनन्द बाजार पत्रिका, विश्वमित्र, अमृत बाजार पत्रिका, गुरु घंटाल, जमीदार, प्रताप, वन्देमातरम्; ट्रिब्यून, देश, महावीर, प्रताप (हिन्दी), आज; स्वदेश; हमदर्द, आनन्द, सैनिक, सत्याग्रह समाचार, अभ्युदय; वर्तमान, रंगूनमेल, असामिया; लोकमत, हिंदू; हिंदू जाति, तामिल नायडू, कृष्णा पत्रिका, स्वतन्त्र मित्रम्, यंग इंडिया, नवजीवन इत्यादि।



सन् १९२९ की परिषदें ।

५ वीं बिहार प्रांतीय हिन्दू कान्फ्रेन्स

पूर्निया—२ जून १९२९

स्वागताध्यक्ष कुमार गंगानन्द सिंह ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। आपने अपने भाषण में अछूतोद्धार को सब से आवश्यक प्रश्न वतलाया. और कहा कि अस्पृश्यता की बुराई हिन्दू समाज की जड को खोखला कर रही हैं. इसी कारण हजारों अछूत, मुसलमान और ईसाई होते जारहे हैं. हमें इस संख्या ह्रास को अवश्य रोकना चाहिये।

सभापति डाक्टर मुंजे ने अपने भाषण में हिन्दू संगठन पर बहुत जोर दिया। हिन्दूओं के शारीरिक ह्रास पर दृष्टि डालते हुये आपने कहा कि राष्ट्र की रक्षा के लिये अपनी संख्या के हिसाब से हिन्दूओं को जितने सिपाही देने चाहिये वे वर्तमान अवस्था में उतने नहीं दे सकते हैं अतः कसरत' कुश्ती, लाठी, तलवार वन्दूक आदिका विशेष रूप से अभ्यास करना अत्यावश्यक है. । हम लोगों को अपनी रक्षा के लिये स्वयम् तैयार हो जाना चाहिये।

मुख्य प्रस्ताव—(१) हिन्दू संगठन (२) अछूतोद्धार (३) वाल विवाह (४) विधवा आश्रम, (५) अनाथालय आदि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुये। लाला लाजपत राय, श्री राजपाल, और प्रोफेसर रामावतार शर्मा की मृत्यू पर शोक सूचक प्रस्ताव भी पास हुये।

---

२ री. यू. पी. कानूनगों कांफ्रेंस

इलाहाबाद—६ जुलाई १९२९

केप्टिन. एल. एच्. नीव्लेट, स्वागत कमेटी के अध्यक्ष ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

सभापति खान बहादुर मोलवी फशीउद्दीन एम. एल. सी. रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर बदांयू ने अपने भाषण में कानूनगों के काम की महत्वता वताते हुये कहा कि जो तनखाह उन को दी जाती है वह बहुत कम है. उन्होंने असहयोग के जमाने में सरकार को बहुत मदद दी है. आपने सरकार को एक कमेटी वनाने की सलाह दी है कि वह वर्तमान रेव्हीन्यू रूलूस की जांच करे क्योंकि वे कानूनगों के कामों में बहुत वाधक होते हैं।

कान्फ्रेन्स ने उपरोक्त विषयों पर कई प्रस्ताव पास किये।

बारी साल जिला, युवक कांफ्रेंस

बारी साल—१३ जुलाई १९२९

उक्त कांफ्रेंस श्रीयुत सुरेन्द्रमोहन वोश की अध्यक्षता में हुई आपने वतलाया कि युवक आन्दोलन राष्ट्र की जागृती का चिन्ह है. जो कि राष्ट्र को सब प्रकार से—धर्म, राजनीति,

समाज; साहित्य आदि २ मे उन्नति के शिखर पर पहुँचाने के लिये बढ़ा रहा है। आपने कहा कि इस आन्दोलन को कोई भी बन्द नहीं कर सकता है।

मुख्य प्रस्ताव—(१) विदेशी वस्त्र का वहिष्कार (२) साम्प्रदायिक झगड़े बन्द करके एकता स्थापित करना (३) आल बंगाल वालिंटियर कोर खोलकर कांग्रेस के प्रोग्राम को चलाना इत्यादि २

---

११ वीं गुरुकुलीय हिन्दी साहित्य कान्फ्रेन्स

गुरुकुल विश्व विद्यालय कांगड़ी

२ जून १९२९

श्री सिंहेश्वरजी स्वागताध्यक्ष थे। श्री बलरामजी आयुर्वेदालंकार ने सभापति का आसन ग्रहण किया था। आप ने हिन्दी की वर्तमान दशा और उसके उद्धार के उपायों का अच्छी तरह से विवेचन किया। अन्त में आपने बताया कि हिन्दी भाषा का उद्धार बिना राष्ट्र की उन्नति के नहीं हो सकता।

मुख्य प्रस्ताव—(१) देव नागरी प्रचार (२) हिन्दी भाषा भाषी प्रान्तों के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी होना (३) प्राचीन हिन्दी का शब्दकोष (४) घासलेटी साहित्य की निंदा (५) पारिभाषिक शब्दकोष आदि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हुये।

---

३ री हैदराबाद टीचर्स कान्फ्रेन्स

सिकन्दराबाद—४ जुलाई १९२९

श्रीयुत फजल मुहम्मद खां की अध्यक्षता में उपरोक्त कान्फ्रेंस हुई आपने अध्यापकों के कर्तव्य तथा चाल चलन के ऊपर उनका ध्यान आकृषित किया और आपने बतलाया कि हिन्दुस्तान की शिक्षा विद्यार्थियों को इतना सफलीभूत नहीं बनाती जितनी बनानी चाहिये इसमें शिक्षा प्रणाली का कोई दोष नहीं है बल्कि अध्यापकों के पढ़ाने की प्रणाली का दोष है यदि वे अपना कर्तव्य पूरा करें तो बहुत से विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। अन्त में आपने महाराजा निजाम को शिक्षा पर ध्यान देने के सम्बन्ध में धन्यवाद दिया।

कान्फ्रेंस ने उपर्युक्त प्रस्ताव पास किये।

---

२ री बिहार प्रान्तीय संगीत कांफ्रेंस

पटना—१९ जुलाई १९२९

सर सुलतान अहमद सभापति ने अपने भाषण में संगीत की उत्पत्ति का स्पष्ट विवरण करते हुये बतलाया कि भारत में संगीत विद्या का प्रचार ३००० वर्ष पूर्व से है। साम वेद के श्लोक हमेशा से मन्दिरों में गाये जाते हैं और वर्तमान संगीत भी ऐसे ही हिंदू पुरानी किताबों के आधार पर हैं। आपने पाश्चात्य संगीत विद्या से तुलना करते हुये कहा कि दोनों में बहुत अन्तर हैं।

कान्फ्रेन्स ने, उपयुक्त प्रस्ताव पास किये सभापति ने अन्त में पटना यूनिवर्सिटी में संगीत विद्या का स्कूल खुलने पर अत्यन्त सतोष प्रगट किया ।

बुन्देलखन्ड युवक कान्फ्रेन्स

झांसी—६ जुलाई १९२९

श्रीमान् गंगाधर अण्णाजी जोशी स्वागत समिती के अध्यक्ष ने भारत की राजनीति परिस्थिती पर दृष्टि डालते हुये प्रतिनिधियों का स्वागत किया. आपने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिये जनता से प्रार्थना की. ।

उक्त कान्फ्रेन्स ने स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी भी की थी जिस में हिन्दुस्तान की बनी हुई अनेक वस्तुयें आईं थीं. ।

सभापति डाक्टर मुहम्मद आलम ने युवकों को राजनीति में पूरा २ भाग लेने की अपील की और साम्प्रदायिक वैमनस्य का अन्त करने के लिये कहा. आपने कहा कि युवकों को चाहिये कि वे व्यक्तियों की पूजा न करें बल्कि सिद्धांतों की पूजा किया करें श्री दाडेंकर जी ने भी अपने ओजस्वी भाषण में युवकों को आगे बढ़ने के लिये कहा और कहा कि हम युवकों को भारत के राज की बागडोर हाथ में लेना है इस लिये हमको स्वतन्त्रता के युद्ध में लग जाना चाहिये ।

मुख्य प्रस्ताव—(१) युवकों में व्यायाम की रुचि बढ़ाना (२) स्वदेशी वस्तु का प्रयोग और विदेशी वस्तु का बायकाट (३) साम्प्रदायिक वैमनस्य का अन्त करना (४) ग्रामसंगठन आदि २ प्रस्ताव पास हुये ।

---

१. मध्य भारत देशी राज्य प्रजा कान्फ्रेन्स

झांसी—७ सितम्बर १९२९

स्वागताध्यक्ष श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा "साहस" सम्पादक ने अपने भाषण में मध्य भारत देशी राज्यों के अत्या चारों और अनाचारों का चित्र खीचते हुये ब्रिटिश भारत में रहने वालों से सहयोग देने की अपील की गवर्मेन्ट के पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट के अनुचित हस्तक्षेप की निंदा की ।

सभापति श्री विश्वनाथ सिंह जी. एल. एल. बी. । कनकुआ (बुन्देलखंड) ने बतलाया कि जब कि देशी राज्यों की संधियों में प्रजा की रक्षा तथा उसे सुखी और समृद्धि बनाने की बात लिखी गई है तो ब्रिटिश गवर्मेन्ट इस ओर ध्यान क्यों नहीं देती ? आपने देशी राज्यों की प्रजा की दशा की जांच के लिये एक कमीशन प्रजा के मामलों की अपील की सुनवाई के लिये एक उच्च न्यायालय के स्थापना के लिये ब्रिटिश गवर्मेन्ट से अनुरोध किया ।

परिषद् में मध्य भारत के देशी राज्यों के अतिरिक्त श्री राबा मोहन गोकुल जी, अवध के बाबा रामचन्द्र, 'पण्डित रघुनाथ विनायक धुलेकर'

श्री रतनसिंह—डाक्टर मदन लाल आदि सज्जन उपस्थित थे।

सहानुभूतक तार तथा पत्र पढ़कर सुनाये जाने के बाद अनेक प्रस्ताव पास हुये जिन में से मुख्य २ ये हैं।

(१) चरखारी राज्य की दशा की जांच के लिये ब्रिटिश गवर्मेन्ट से अनुरोध: (२) राज्य की आय का ८० प्रतिशत प्रजा के लिये और केवल २० प्रतिशत राज घराने के लिये आदि।

दरभंगा जिला संगीत सम्मेलन

दरभंगा—३० अगस्त १९२९

श्री ब्रजकिशोर प्रसाद वकील की अध्यक्षता में उक्त सम्मेलन हुआ, स्वागताध्यक्ष श्री हरबंश सहाय ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

मुख्य प्रस्ताव—(१) संगीत के उन्नति के लिये मुनिसिपल व जिला बोर्ड से सहायता की प्रार्थना (२) जगह २ स्कूल खोलना आदि २।

बंगाल हिन्दू कान्फ्रेन्स

ढाका—२८ अगस्त १९२९

यह कान्फ्रेन्स बड़े समारोह के साथ श्री नरसिंह चिंतामणि केलकर की अध्यक्षता में हुई आपने हिन्दुओं की वर्तमान स्थिति पर महत्व पूर्ण भाषण दिया जिस में उनकी कमजोरियों का स्पष्ट चित्र खींचा। आपने बतलाया कि इस समय हिन्दु समाज को दो बातें अवश्य करना चाहिये (१) हिन्दू समाज को शक्ति शाली बनकर आत्मरक्षण करना हो तो उसे अपना पुनः संघठन करना आवश्यक है और ऐसा करते हुये उसे उचित सामाजिक सुधार भी करना चाहिये (२) हिन्दुओं को राजनैतिक स्वराज्य प्राप्त करना है इस लिये कि यह स्वराज्य प्राप्त करते हुये हिन्दु समाज के साथ अन्याय न हो और उसे कोई हानि न पहुंचे इस के लिये यह आवश्यक है कि लोकमत तैयार किया जाय।

मुख्य प्रस्ताव:—(१) सब जातियों को बराबर समझना (२) सारदा बिल (३) प्रत्येक हिन्दू को स्त्रियों के सम्मान की रक्षा अपना प्रथम कर्तव्य समझना चाहिये (४) अस्पृश्यता आदि २ प्रस्ताव पास हुये।

---

८ वीं यू. पी. पोस्टल (डाक) वर्कर्स कान्फ्रेन्स

कानपुर—८ सितम्बर १९२९

उक्त कान्फ्रेन्स मुन्शी नारायण प्रसाद अष्ठाना की अध्यक्षता में हुई डाक विभाग के कई उच्च कर्मचारी उपस्थित थे।

स्वागताध्यक्ष राय बहादुर विक्रमजीत सिंह एम. एल. सी. ने सब प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये कहा कि डाक विभाग के कर्मचारियों के कामका समय घटाना चाहिये और उनका वेतन बढ़ाना चाहिये।

सभापति ने अपने भाषण द्वारा इन को अपनी शिकायतों और कष्टों को दूर करने के लिये मिलकर आंदोलन करने की सलाह दी।

सर माल्कम हैली तथा अन्य सज्जनों के सहानुभूति सूचित तार पढ़े जाने के बाद अनेक उपयुक्त प्रस्ताव पास हुये।

---

१ संयुक्त प्रांतीय युवक कांफ्रेंस

लखनऊ—१५ सितम्बर १९२९

स्वागताध्यक्ष चौधरी खली कुज्जमा, अध्यक्ष चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड लखनऊ ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये बताया कि देश की स्वतंत्रता युवकों के प्रयत्न पर ही निर्भर है इनको राष्ट्रीय जीवन का नाश करने वाले साम्प्रदायिक भाव को दूर करना चाहिये।

सभानेत्री श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अपने भाषण में युवक संघ आदर्श पूर्ण स्वाधीनता की चर्चा की आपने बतलाया कि पूर्ण स्वाधीनता का मतलब संसार के अन्य राष्ट्रों से बिल्कुल अलग होना कदापि नहीं है बल्कि इस का मतलब संसार के अन्य राष्ट्रों के साथ बराबर के आधार पर अपनी इच्छा के अनुसार काम करना है अन्त में आपने सब को चेतावनी देते हुये कहा कि खाली बातें करने से काम न चलेगा. सब को सचाई के साथ काम करना चाहिये।

सभा में संयुक्त प्रान्त के सब हिस्सों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, पण्डित जवाहर लाल नेहरू भी उपस्थित थे सभा की बैठक वीर भाई यतीन्द्र दास की मृत्यु पर शोक और उसके प्रति सम्मान प्रगट करती हुई दूसरे दिन के लिये सभा स्थगित कर दी गई।

दूसरे दिन की बैठक में बहुत से प्रस्तावों पर वाद विवाद हुआ तथा वे स्वीकृत हुये।

मुख्य प्रस्तावः—(१) पं० जवाहर लाल नेहरू ने यह प्रस्ताव पेश किया कि सम्मेलन की राय में भारतवासी स्वराज्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब कि एक व्यक्ति का दूसरे को तथा एक दल का दूसरे को दबाना बन्द हो जाय तथा सार्वजनिक लाभ के लिये पारस्परिक सहयोग से सभा की नई रचना की जाय. समाज की इस रचना की सहायता के लिए वे पुराने सामाजिक धार्मिक और आर्थिक प्रथाओं से दूर कर दी जांय जिन का प्रचलित रहना अनावश्यक हानिकारक और देश की उन्नति में बाधक है (२) जन्मना तथा बंश परम्परा के अनुसार जाति प्रथा, जो हिन्दु समाज को कमजोर करने और उसे असंख्य उपजातियों में बांटने का कारण है (३) कुछ जातियों को अस्पृश्य बने रहना और अस्पृश्यता का कड़ा रिवाज (४) सामाजिक और कानूनी दृष्टि से स्त्रियों का अयोग्य समझना जिससे वे सामाजिक जीवन में भाग नहीं [illegible] [illegible] [illegible] खर्चीली विवाह प्रथा, ऐसे और कई

प्रस्ताव जैसे बेकारी दिवस मनाना, साम्प्रदायिकता से दूर रहना विवाह अवस्था आदि २ पास हुये।

आगामी कान्फ्रेन्स के लिये कानपुर का निमन्त्रण स्वीकार किया गया।

लखनऊ जिला राजनैतिक कान्फ्रेंस

लखनऊ—२६ सितम्बर १९२९

स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री० मोहनलाल सक्सेना ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये कहा कि सब लोगों को मिल कर कांग्रेस के कार्यक्रम को पूरा करने की कोशिश करना चाहिये १५० वर्ष में ब्रिटिश शासन के कारण भारत की जो दुर्दशा हो गयी है उससे मुक्ति पाने का एक मात्र उपाय यही है कि वर्तमान स्थिति में किसी को भी हिन्दूराज्य या मुसलिम राज्य का विचार भी न करना चाहिये बल्कि सबको मिलकर भारतीय स्वराज्य के लिये कोशिश करना चाहिये।

श्रीमती सरोजिनी नायडू ने सभा-नेत्री का आसन वन्देमातरम की ध्वनि के बीच ग्रहण करते हुये कहा कि हमारे स्वराज्य के मार्ग में केवल एक ही बड़ी रुकावट है और वह है हिन्दू मुसलमानों का झगड़ा। आपने बतलाया कि कुछ हिन्दुस्तानियों की नजर में कौंसिलों और सरकारी नौकरियों के झगड़े स्वराज्य पाने से ज्यादा महत्व के हैं। यह बात हिन्दुस्तानियों के लिये कितनी लज्जा की है।

श्री पट्टाभी सीतारामैया ने वर्तमान राजनैतिक स्थिति पर भाषण दिया।

मुख्य प्रस्ताव—(१) लाला लाजपत राय, पं० गोकर्णनाथ मिश्र, द्वारका प्रसाद की मृत्यु पर शोक, (२) शहीद यतीन्द्र दास और भिक्षु विजय की मृत्यु पर शोक और सम्मान, (३) सरकार की नीति की घोर निन्दा आदि २ उपयुक्त प्रस्ताव कान्फ्रेंन्स ने पास किये।

यू. पी. ट्रेडयूनियन कान्फ्रेंन्स

कानपुर—१४ सितम्बर १९२९

स्वागताध्यक्ष श्री रामरतन गुप्त ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये हिन्दुस्तान में मजदूर संगठन की आवश्यकता तथा उसके प्रभाव पर भाषण दिया।

सभा में श्रीमती सरोजिनी नायडू श्रीयुत मोहनलाल सक्सेना, पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हसरत मोहानी, प्रिन्सपल सोसाइी लाला छबीलदास (लाहौर) र० बि० धुलेकर (झांसी) आदि सज्जन उपस्थिति थे।

श्रीयुत गणेश शङ्कर विद्यार्थी जी ने पं० जवाहर लाल को सभापति बनाने का प्रस्ताव किया जिसका हसरत मोहानी ने अनुमोदन किया।

सभापति पं० जवाहर लाल ने अपना भाषण आरंभ किया। आपने अपने भाषण में मजदूरों की कमजोरी को बतलाते हुये कहा कि चाहिये तो यह था कि सभापति उन्हीं में से होता क्योंकि वह अपनी उन्नति को दूसरे के बजाय अच्छी तरह से सोच सकता है और अपनी कमजोरियों को दूर

कर सकता है। आपने कहा कि मजदूरों के लिये हड़ताल ही एक यशस्वी हथियार है जिसको कि वे हमेशा अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिये काम में ला सकते हैं। बाद में आपने कहा कि Whitely Commission व्हिटले कमीशन का वहिष्कार करना चाहिये क्योंकि इन कमीशनों से हिन्दुस्तान को कुछ भी फायदा नहीं हो सकता है मसलन आपने कहा कि हिन्दुस्तान में Agricultural Commission आया परन्तु उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ।

सभापति के भाषण के बाद सहानुभूति सूचक तार पढ़े गये और श्रीमती सरोजिनी नायडू का एक छोटा सा भाषण हुआ उसके उपरान्त पहिले दिन की बैठक का काम समाप्त हुआ।

दूसरे दिन की बैठक का काम श्रीमान् र० वि० धुलेकर की अध्यक्षता में हुआ। चूंकि पं० जवाहरलाल नेहरू लखनऊ को यू. पी. युवक कांफ्रेंस के लिये चले गये थे।

सभापति र० वि० धुलेकर जी ने सब प्रस्तावों पर दृष्टि डालते हुये यह विश्वास दिलाया कि यह सभा इस प्रान्त में मजदूर संगठन करने के लिये और उनको विदेशी शासन और आर्थिक कठिनाइयों से छुटकारा दिलाने के लिये पूरा २ उद्योग करेगी।

मुख्य प्रस्ताव—(१) हिन्दुस्तान के आगामी राज व्यवस्था में मजदूरों के हकों पर पूरा २ ध्यान दिया जावे (२) गवर्नमेंट की दमन नीति जो कि Trade Dispute Act Public Safty ordinance से मजदूर दल को दबाने पर निन्दा (३) मजदूर संगठन (४) Whitely Commission व्हिटले कमीशन का वहिष्कार आदि २

---

३३ वीं तामिल नायडू प्रान्तीय कान्फ्रेन्स

वेदारण्यम् (मद्रास) ३० अगस्त १९२९

श्री मारुतदमन पिल्ले एम. एल. सी. स्वागताध्यक्ष और श्रीयुत एस. श्रीनिवास अइयंगर एम. एल. ए. ने सभा आरम्भ की।

स्वागताध्यक्ष ने अपने भाषण में प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये कांग्रेस के काम को जोर के साथ करने की अपील की और बारडोली विजय की चर्चा की।

श्रीनिवास अइयंगर ने सभा आरंभ करते हुये हिन्दुस्तान की वर्तमान स्थिति पर और सायमन कमीशन के वहिष्कार पर दृष्टि डालते हुये कहा कि हमको पूर्ण स्वतन्त्रता की तरफ बढ़ना चाहिये आपने आगे कहा कि मेरा विश्वास मुझे बाध्य करता है कि कांग्रेस का संगठन और नीति को स्वराज्य प्राप्ति के लिये पूरी तौर से उसे आधुनिक पाश्चात्य तरीकों से बदलना चाहिये।

सभापति सरदार वल्लभ भाई पटेल

ने अपने भाषण में असहयोग आंदोलन को शुरू करने की अपील की और ... ही हमारे आंदो- ... कर दिया । कौंसिल ... राक्षस है और अगर हम ... माया में फसे रहें तो यह हम सबको खा जायगा । अन्त में आप ने कहा कि हमको कांग्रेस के ध्येय को बदलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह ध्येय हमारे दूरदर्शी और अच्छे लीडरों का बनाया हुआ है ।

कान्फ्रेंस के साथ खादी प्रदर्शनी भी हुई थी जिसमें अनेक प्रकार की खादी आई थी और जिसका उद्घाटन समारम्भ श्री० सी. राजगोपालाचार्य ने किया था ।

अनेक प्रस्ताव पास हुये परन्तु कांग्रेस का ध्येय बदलने के प्रस्ताव पर बहुत गर्मागर्म बहस हुई आखिर वह प्रस्ताव रद्द हो गया ।

---

२ री संयुक्त प्रांतीय संगीत परिषद्

कानपुर—२३ फरवरी १९२९

स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री० पं० चम्पाराम मिश्र डिप्टी डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज ने आगत सज्जनों का स्वागत करते हुये आपने संगीत कला की उत्पत्ति व उसका ह्रास कैसे हुआ इसका एक स्पष्ट चित्र खींचा और बतलाया कि इसके पुनः उद्धार के लिये युवक समाज को पूरा २ ध्यान देना चाहिये ।

सभापति श्री राय साहब गोपीनाथ ... में प्राचीन ... के ... अपने ... किये

श्रीमान् पं० विष्णु दिगम्बर जी तथा अन्य गवइयों ने अपने मधुर गाने से सभा को प्रसन्न किया ।

मुख्य प्रस्ताव—(१) परिषद् के कार्य चलाने के लिये एक समिति बनाई गई (२) एक अखिल भारतीय स्वर-लिपि के प्रचार के लिये भिन्न २ संगीत समाजों और विद्यालयों के विद्वानों को एकत्र किया जाय और एक स्वर लिपि को नियत करने की चेष्टा की जाय (३) पुराने ख्यालादि के ध्वनि के अनुकूल भाव पूर्ण नई कवितायें बनाई जावें (४) प्राचीन भारतीय वाद्यों को एकत्र तथा उनके प्रचार करने का प्रयत्न किया जाय ।

---

११ अब्राह्मण कानफीडूरेशन

नेलोर—५ अक्टूबर १९२९

स्वागताध्यक्ष श्री० रामचन्द्र रेडी एम. एल. सी. ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये राष्ट्रीय उन्नति के लिये कोई प्रोग्राम रखने के लिये अपील की ।

सभापति मुनूस्वामी नायडू ने अपने भाषण में कहा कि अब्राह्मण आन्दोलन ब्राह्मणों के प्रतिकूल नहीं हैं बल्कि प्रत्येक जाति के साथ समानता पाने के लिये है । आपने कहा कि जो ब्राह्मण

इस पार्टी के ध्येय को मानने के लिये तैयार हैं उन्हें इसमें शामिल करने में कोई नुकसान नहीं है।

अनेक उपयुक्त प्रस्ताव पास हुये।

अब्राह्मण सोशयल सामाजिक कान्फ्रेन्स

नेलोर—६ अक्टूबर १९२९

स्वागताध्यक्ष श्री० यादीअली ने अपने भाषण में बतलाया कि विद्या के विना सामाजिक उन्नति होना असम्भव है। आपने परदा प्रथा को हटाने की भी प्रार्थना की।

सभापति श्री० रामा स्वामी मुडालियर ने सामाजिक हिन्दू मुसलिम कुरीतियों पर बिचार करते हुये कहा कि सिर्फ प्रस्ताव पास करने से काम न चलेगा।

मुख्य प्रस्ताव— (१) यतीन्द्रनाथ की मृत्यु पर शोक (२) अस्पृश्यता (३) शारदा बिल आदि प्रस्ताव पास हुये।

---

२२ बिहारी विद्यार्थी कान्फ्रेन्स

पटना—८ अक्टूबर १९२९

उक्त कान्फ्रेंस प्रोफेसर एस. वी. पुणतांबेकर की अध्यक्षता में बड़े समारोह के साथ हुई। आपने अपने भाषण में कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली रियासती ढंग पर है जो कि राष्ट्रीयता के भावों के विरुद्ध है। बाद में आपने विद्यार्थियों के कर्तव्यों पर अपने बिचार प्रगट किये।

मुख्य प्रस्ताव—(१) स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार (२) ग्राम संगठन (३) व्यायाम आदि २

अखिल बंगाल विद्यार्थी कान्फ्रेन्स

मैमनसिंह—३० सितम्बर १९२९

डा० आलम की अध्यक्षता में उपरोक्त कान्फ्रेंस बड़े समारोह के साथ हुई कांफ्रेंस में उपस्थिति अच्छी थी। प्रतिनिधि प्रत्येक जिले से आये हुये थे। सभापति ने उत्तेजित भाषण दिया जिसमें आपने साम्प्रदायिक वैमनस्य का अन्त करने के लिये कहा और सब लोगों से स्वराज्य की लड़ाई लड़ने के लिये जो कि १ जनवरी से शुरू होने वाली है तैयार होने के लिये कहा।

अनेक उपयुक्त प्रस्ताव कांफ्रेंस ने पास किये।

---

११ वीं सिख लीग कांफ्रेन्स

लायलपुर—१२ अक्टूबर १९२९

मास्टर तारासिंह की अध्यक्षता में उक्त कांफ्रेंस का ११ वां अधिवेशन लायलपुर में हुआ। कांफ्रेंस का पंडाल प्रतिनिधि और जनता से भरा हुआ था।

स्वागताध्यक्ष ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया बाद में सभापति मास्टर तारासिंह ने भाषण दिया जिसमें आपने

कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिये अपील की और कहा कि वर्तमान समय में सब को एक साथ मिल कर स्वराज्य की लड़ाई लड़ना चाहिये । स्वराज्य मांगने से कभी भी नहीं मिल सकता और न कि इनाम की वतौर भी मिल सकता है वल्कि हमको उसको छीन कर लेना पड़ेगा । आपने नेहरू रिपोर्ट की चर्चा करते हुये कहा कि यह एक कमजोर समझौता है। हम लोग न तो हिन्दुस्तान में अंग्रेजी राज रक्खेंगे और न मुसलमान राज्य स्थापित होने देंगे। अन्त में आपने कहा कि सम्प्रदायिक झगड़े मिटाने से ही मिट सकते हैं न कि और बढ़ाने से।

कान्फ्रेन्स में दो पार्टियां होने के कारण कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो पाया और कांन्फ्रेन्स का कार्य खतम होगया।

२ री अखिल पंजाब विद्यार्थी कांफ्रेन्स ।

लाहौर—१८ अक्टूबर १९२९

उक्त कांफ्रेन्स का अधिवेशन बड़े समारोह के साथ लाहोर में हुआ । दो हजार से ज्यादा विद्यार्थियोंने कान्फ्रेन्स में हिस्सा लिया जनता की भी उपस्थिति बहुत थी। सभापति श्री सुभाष चन्द्र बोष का जुरूस बड़ी शान के साथ शहर में निकाला गया था।

स्वागताध्यक्ष मिस. तुलसी बी. ए. ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। कांफ्रेन्स में किरण दास (यतीन्द्र दास का भाई) और डा० किचलू डा० गोपी चन्द सरदार नवल सिंह आदि २ उल्लेखनीय सज्जन भी उपस्थिति थे।

वन्देमातरम्, इन्कलाब, जिन्दावाद के नारे के साथ सभापति ने अपना भाषण आरंभ किया। आपनें भगतसिंह और दत्त की तारीफ करते हुये कहा कि अब हमको किसी भी प्रकार की दमन नीति से न दवना चाहिये आपने यतीन्द्र नाथ दास की मृत्यु की चर्चा करते हुये कहा कि उसकी मृत्यु ने सिर्फ हिन्दुस्तान को ही नहीं जगा दिया है वल्कि बङ्गाल और पञ्जाब से एक घनिष्ट नाता जोड़ दिया है ।

अन्त में अनेक सहानुभूतिक तार पढ़े गये, अनेक उपयुक्त प्रस्ताव भी पास हुये।

हरदोई जिला राजनैतिक कांफ्रेन्स ।

हरदोई १० अक्टूबर १९२९

बन्देमातरम् के गान के साथ २ कांफ्रेंस का अधिवेशन श्री पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में वड़े समारोह के साथ हुआ।

स्वागताध्यक्ष कुंवर जङ्गबहादुर सिंह ने एक छोटा योग्य भाषण देते हुये प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

सभापति ने राष्ट्रीय महासभा का इतिहास पर दृष्टि डालते हुये बताया कि हमको अपनी ताकत खूब बढ़ाना

चाहिये और मजबूत सङ्गठन करना चाहिये क्योंकि बिना शक्ति के कमजोर राष्ट्र को स्वतन्त्र होने का कोई अधिकार नहीं है।

म० गांधी जी ने अपने भाषण में कहा कि हम लोग प्रस्ताव तो पास कर देते हैं परन्तु उन पर चलते नहीं इस कमजोरी ने हमारी राष्ट्र उन्नति में बहुत ही बाधा डाली है यदि १९२१ में हम अपने वायदों को पूरा कर देते तो स्वराज्य बहुत पहले ही प्राप्त कर चुके होते। बाद में आपने हिन्दू मुसलिम एकता पर जोर दिया और युवकों से कहा कि अब उनका काम करने का समय आगया है क्योंकि अब की साल सभापति युवक जवाहर लाल हैं।

मुख्य प्रस्ताव—(१)लाहौर कांग्रेस में लेजिसलेटिव में जाने व न जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव न रक्खा जाय (२) सरकार की दमन नीति की निन्दा (३) परदा प्रथा (४) अस्पृश्यता (५) राउण्डटेबिल कांफ्रेंस का वहिष्कार हो जबतक कोई योग्य समझौता न हो जाय (६) यतीन्द्रदास व पुंगि बिजया की मृत्यु पर शोक प्रकट किया गया।

इण्डियन रेलवे कांफ्रेन्स।

शिमला—१२ अक्टूबर १९२९

सर अरनेस्ट जेकसन B. B. and C. I. Ry. के एजेन्ट की अध्यक्षता में उक्त कांफ्रेंस हुई। आपने अपने एक विस्तृत भाषण में रेलवे का खर्चा कम करना, रेलवे कामगारोंकी तकलीफें, बिना टिकट का सफर आदि २ बातों पर विचार प्रकट किये।

कांफ्रेंस के उल्लेखनीय सज्जन सर आलटन टेड्डो, मिस्टर टी. जी. रन्बूल, सर जार्ज रेनी आदि २ थे।

अनेक उपयुक्त प्रस्ताव पास हुये।

आल इण्डिया केण्टोनमेंट कांफ्रेंस

दिल्ली—अक्टूबर १९२९

यह कांफ्रेंस श्रीमान् आर. सी. राय एम. एल. ए. की अध्यक्षता में हुई आपने एक बहुत विस्तृत, बिद्वत्ता पूर्ण भाषण दिया जिसमें आपने केन्टोनमेन्ट के सम्बन्ध में बहुत सी बातों का उल्लेख किया। आपने बतलाया कि कि मुझे सिविलमिलीटरी के ट्रेड यूनियन में विश्वास नहीं है।

सभा में १३ केन्टोनमेंट्स के प्रतिनिधि सम्मलित हुये।

कांफ्रेंस में अनेक उपयुक्त प्रस्ताव पास किये गये।

देहरादून जिला राजनैतिक कांफ्रेंस

देहरादून—१७ अक्टूबर १९२९

उक्त कांफ्रेस का अधिवेशन बन्देमातरम् की जय ध्वनि के साथ एक सुन्दर सजे हुये पांडाल में आरम्भ हुआ प्रथमतः श्रीमान द्वारकानाथ रैना ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

सभापति पुरुषोत्तमदास टण्डन ने एक प्रभावशाली भाषण द्वारा सम्पूर्ण सामाजिक और राजनैतिक वर्तमान परिस्थिति का ज्ञान करवाया । आपने कहा कि १९१७ अगस्त की घोषणा का कोई अर्थ नहीं जब तक कि हिन्दुस्तान के आधीन पूर्ण रीति से सरकारी कोष और वैदेशिक सम्बन्ध न आ जाय। हम (हिन्दुस्तानी) केनाडा और आस्ट्रेलिया के समान स्वराज्य से तनिक भी कम पर कभी भी सन्तुष्ट नहीं हो सकते ।

मुख्य प्रस्ताव— (१) कौंसिल वहिष्कार (२) स्वदेशी प्रचार तथा विदेशी वहिष्कार (३) अस्पृश्यता (४) साम्प्रदायिक झगड़ों का अन्त आदि २

अखिल भारतीय जाट क्षत्रिय कांग्रेस

आगरा—२० नवम्बर १९२९

स्वागताध्यक्ष श्री० ठाकुर टीकम-सिंह जी बी. ए. एल एल. बी. वकील ने अपने भाषण में जाटों का भरतपुर के साथ सम्बन्ध, भरतपुर की वर्तमान हालत, जाटों की जाति रक्षा आदि २ विषयों पर अपने बिचार प्रगट किये।

सभापति राय साहब श्री० चौ० छोटूरामजी बी. ए. एल एल. बी. एम. एल. सी. ने अपने प्रभावशाली भाषण में भरतपुर राज्य का प्रबन्ध, जाटों की हक तलफियाँ, धाऊ परिवार की स्थिति आदि २ विषयों पर दृष्टि डाली।

मुख्य प्रस्ताव—(१) स्वर्गीय श्री १०८ महाराजा श्री० बृजेन्द्र सवाई कर्नल सर कृष्णसिंह जी तथा राजमाता महारानी साहिबा और श्री महाराज रामसिंह जी की अकाल मृत्यु पर शोक (२) ठाकुर मालसिंह जी की मृत्यु पर शोक (३) सारदा कानून का समर्थन (४) Land alienation act संयुक्त प्रांत में जारी हो (५) जाट जाति के युवकों को मिलीट्री कालेज में भेजने की सुविधा (६) भरतपुर राज्य के सम्बन्ध में बहुत प्रस्ताव पास हुये।

६ वीं हिंदुस्तानी सेवा दल कांग्रेस

लाहोर—२७ दिसम्बर १९२९

स्वागताध्यक्ष लाला दुनीचन्द ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये आपने सेवादल की उत्पत्ति तथा सेवा का चित्र खींचा और कहा कि इस संस्था को स्काउट आंदोलन से अलग रखना चाहिये क्योंकि स्काउट आंदोलन राष्ट्र विरुद्ध संस्था है। अन्त में आपने युवकों से इसमें शामिल होने की अपील की।

सभापति श्री० एस. श्रीनिवास आयंगर ने सबको धन्यवाद देते हुये कहा कि वर्तमान स्थिति में फौजी शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है फौजी शिक्षा पाये हुये थोड़े भी मनुष्य बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। आपने इटली का उदाहरण देते हुये कहा कि मुसोलिनी की अध्यक्षता में रहने वाले थोड़े फौजी शिक्षा पाये हुये लोगों ने इटली स्वतंत्र कर दिया।

करीब २ नौ प्रान्तों से प्रतिनिधि लोग आये हुये थे। झण्डा अभिवन्दन का समारोह पं० जवाहरलाल के हाथों से बड़े शान शौकत से हुआ था।

कांफ्रेंस में अनेक उपयुक्त प्रस्ताव पास किये गये।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस

नागपुर—३० नवम्बर १९२९

यह कांफ्रेंस बड़े समारोह के साथ पं जवाहरलाल की अध्यक्षता में हुई उपस्थित व्यक्तियों में श्री० सुभाषचन्द्र, वसु, कुलकर्णी; गिरि, गिनवाला जोशी; देश पांडे आदि २ नाम उल्लेखनीय हैं।

स्वागताध्यक्ष श्रीमान् रुईकर ने अपने भाषण में प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये सरकार की दमन नीति का विरोध और व्हिटले कमीशन के बायकाट का समर्थन किया।

सभापति पं० जवाहरलाल ने अपने भाषण में मजदूरों की कमजोरी का दृश्य खींचते हुये कहा कि मैं चाहता हूं कि मजदूरों के नेता मजदूरों के अन्दर ही पैदा हों उनको स्वयं अपना काम अपने पैरों खड़े होकर करना चाहिये।

मुख्य प्रस्ताव—(१) नेहरू रिपोर्ट की निंदा और राउण्ड टेबिल कांफ्रेंस का वहिष्कार (२) व्हिटले कमीशन का वहिष्कार (३) मजदूरों का प्रजातन्त्र स्थापित करना (४) थर्ड इन्टर नेशनल नामक विदेशी साम्यवाद संस्था, व्यवसाय संघ व कांग्रेस से सम्बद्धित की जाय।

चूंकि श्रीमान् जोशी और चमनलाल व्हिटले कमीशन के मेंबर थे। इसलिये उनको उक्त प्रस्ताव ठीक नहीं मालूम हुये। उन्होंने "आल इण्डिया ट्रेड यूनियन फिडरेशन आफ यूनियन" नाम से एक नई संस्था स्थापित की जिन्होंने उक्त प्रस्तावों के विरुद्ध प्रस्ताव पास किये।

सी. पी. युवक कांफ्रेंस

नागपुर—२९ नवम्बर १९२९

उक्त कांफ्रेंस का अधिवेशन श्री० सुभाषचन्द्र बोस की अध्यक्षता में हुआ आपने भाषण में युवक आन्दोलन का ध्येय बतलाते हुये कहा कि उसका उद्देश्य युवकों के जीवन को नवीनता प्रदान करना और उसके मन में आदर्श की स्फूर्ति फूक देना है। इसी आदर्श से जीवन के उद्देश्य और महत्व में नवीनता आ जायगी। यह आदर्श स्वाधीनता के भावों से ओत प्रोत है। स्वाधीनता और आत्म सन्तोष को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। स्वाधीनता के बिना आत्म सन्तोष असम्भव है और स्वाधीनता का मूल्य इसलिये हैं कि उससे आत्म सन्तोष होता है और सब आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

मुख्य प्रस्ताव—(१) यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु पर शोक (२) दमन

नीति की निन्दा (३) श्रम जीवी कमीशन का बहिष्कार (४) किसानों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति (५) शारदा एक्ट समर्थन आदि २।

जात पात तोडक कान्फ्रेन्स

लाहौर—३० नवम्बर १९२९

डाक्टर गोकुल चन्द नारंग एम. एल. सी. के सभापतित्व में उक्त कान्फ्रेन्स का अधिवेशन हुआ, सभापति ने कार्यारम्भ करते हुये कहा कि जब तक जात पात का झगड़ा रहेगा तब तक हिन्दु संघठन शुद्धि या अच्छूतोद्धार सभंव नहीं है।

मुख्य प्रस्ताव—(१) हिन्दू युवकों को चाहिये कि वे देश की भलाई के लिये जहां तक होसके अन्तर्जातीय विवाह करने की प्रतिज्ञा करें (२) जात पात तोडक मंडल के कार्य को आर्य समाज अपने हाथ में लेवे आदि २।

काशी महिला परिषद्।

बनारस—१० दिसम्बर १९२९

मिसेज पद्मा बाई राव (प्रिन्सिपल थियोसाफिकल विमेन्स कालेज) ने सभानेत्री का आसन ग्रहण किया था सभा में अनेक प्रतिष्ठित घरानों की स्त्रियां उपस्थित थीं।

मुख्य प्रस्ताव—(१) श्री हरविलास सारदा, सहवास वय कमेटी के सदस्यों, गवर्नमेन्ट तथा कुल स्वतंत्र राज्यों ने भारत की बालिकाओं के विवाह की अवस्था बढ़ाने पर हार्दिक कृतज्ञता। (२) शारदा कानून को फलदायक बनाने के लिये कमेटी स्थापित की जाय (३) म्युनिसिपल बोर्ड से बलहीन बच्चों को पौष्टिक भोजन के देने की प्रार्थना आदि २।

आल इंडिया सनातन धर्म कान्फ्रेन्स

मदरास—३० नम्बर १९२९

पं० श्याम सुन्दर चक्रवर्ती के सभापतित्व में उक्त कान्फ्रेन्स का अधिवेशन बडे समरोह के साथ हुआ.।

सभा में उल्लेखनीय सज्जन लोग श्री एम. के. आचार्य, सत्य मूर्ति, टी., आर. रामचन्द्र आय्यर, सी. बी. श्री निवास आयगांयर आदि २।

मुख्य प्रस्ताव—(१) शारदा कानून का निशेध (२) शारदा कानून सरीखे कानून के पास करने के लिये कम से कम चार पंचांश ४ बटे ५ की राय होना चाहिये (३) वय सहवास कमेटी की निन्दा (४) भारत के भावी शासन विधान में सब जातियों का धार्मिक विश्वास और प्रथा के सम्बन्ध में पूर्ण स्वाधीनता रहे आदि २

बम्बई प्रांतीय युवक कान्फ्रेन्स

अहमदाबाद—१४ दिसम्बर १९२९

श्रीमान् सुभाष चन्द्र बोस की अनुपस्थिति के कारण उक्त कान्फ्रेन्स श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्या की

अध्यक्षता में हुई. आपने अपने भाषण में कहा कि वर्तमान संसार में युवक आन्दोलन एक प्रभावशाली तथा एक जबरदस्त ताकत है। हिन्दुस्तान सरीखे मुल्क में इस आन्दोलन की खासकर आवश्यकता है। इस आन्दोलन के काम तो असंख्य हैं परन्तु इसको थोड़े शब्दों में कहा जाय तो "स्वतन्त्रता प्राप्त करना है" आपने कहा कि युवकों को चाहिये कि वे पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करें और औपनिवेशिक स्वराज्य के बखेड़े में न पड़ें।

मुख्य प्रस्ताव—(१) भारत लक्ष्य तुरन्त पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है। (२) यह सम्मेलन लाहौर कांग्रेस से सिफारिश करता हैं कि वह स्वाधीनता की घोषणा करे (२) नेताओं से प्रार्थना हैं कि वे सरकार से समझौता न करें अगर समझौता किया गया तो युवक समझौता न मानेंगे और स्वतन्त्रता की लड़ाई जारी रक्खेंगे (३) राइफिल क्लब कायम किया जाय (४) जाति प्रथा उठा दी जाय।

इण्डिपेन्डेन्स (स्वाधीनता) कांफ्रेंस

अहमदाबाद—१६ दिसम्बर १९२९

मनोनीत सभापति श्री जमनादास मेहता की अध्यक्षता में हुआ। आपने कहा कि मुझे आशा नहीं है कि ३१ दिसम्बर १९२९ से पहिले औपनिवेशिक स्वराज्य मिलेगा। साइमन कमीशन और गोलमेज कांफ्रेंस से हिन्दुस्तान को कोई आशा न रखनी चाहिये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण राष्ट्रीय स्वाधीनता होना चाहिये। अन्त में आपने कहा कि ऐसा समय शीघ्र ही आवेगा जब कि वर्तमान सरकार के मुकाबिले में दूसरी सरकार कायम करने की जरूरत होगी। हमारा मार्ग अहिंसा मय होगा।

मुख्य प्रस्ताव—(१) भारत का लक्ष्य शीघ्र ही पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करना है (२) जो लोग पूर्ण स्वाधीनता के समर्थक हैं वे व्यवस्थापक सभाओं से इस्तीफा दे दें (३) वाइसराय की घोषणा पर हस्ताक्षर करने वालों की निन्दा आदि २

प्रथम मैसूर स्टेट युवक कांफ्रेन्स

बङ्गलौर—७ मई १९२९

उक्त कांफ्रेंस का उद्घाटन समारंभ करते हुये श्री० कृष्णराव ने कहा कि प्रत्येक युवक को कांग्रेस के बतलाये हुये कार्यक्रम को पूरा करने के लिये अत्यन्त प्रयत्न करना चाहिये।

स्वागताध्यक्ष श्री० के. टी. भाष्यम् आयंगर ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। आपने अपने भाषण में युवक आन्दोलन की आवश्यकता, शिक्षा, राजनैतिक स्थिति आदि २ पर अपने विचार प्रगट किये।

सभापति श्री० वी. व्यंकटय्या एम. एल. सी. ने वन्देमातरम् की ध्वनि

गूंजने के बाद अपना प्रभावशाली भाषण आरंभ किया. आपने संसार के युवक आन्दोलन का जिक्र करते हुये कहा हिन्दुस्तान का युवक आन्दोलन राष्ट की उन्नति का निशान है. नव युवकों नें १९१४ की World war के वाद अपनी जिम्मेदारी समझी और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि पुरानी दुनियां इस संसार में शान्तता स्थापित करनेके लायक नहीं है वे लोग इस काम में लग गये. जिनेवा में जो लोग Disarmament Conference में गये हुये थे वे लोग अच्छी तरह समझ गये कि दुनियां में शान्तता विना युवक लोगों के राष्ट्र की मदद के नहीं स्थापित हो सकती है ।

आपने कहा कि हिन्दुस्तान के युवकों के सामने बहुत वडी २ समस्यायें हैं जैसे सामाजिक, राजनैतिक आदि २ जिनमे उनको लड़ना हैं अन्त में आपने कहा युवकों को मातृभूमि को छुडाने के लिये तन मन धन से कार्य करना चाहिये ।

मुख्य प्रस्ताव [१] यह सभा मैसोर के महाराज को आदर के साथ धन्यवाद देती है [२] लाला लाजपत, राय डा० के. डी. शास्त्री की मृत्यु पर शोक [३] सारदा विल तथा विधवा विवाह का समर्थन [४] खद्दर का प्रयोग तथा हिन्दी भाषा की शिक्षा पर जोर दिया गया [५] डा० हार्डीकर पर गवर्नमेंट की १४४ धारा लगाने पर निन्दा [६] युवकों में व्यायाम रुचि वढाना [७] प्रत्येक युवक को जात पात के झगडोंको छोडकर भारत माता को वन्धन छुडाने के लिये लग जाना चाहिये । (८) युवकों को मजदूर आन्दोलन में मदद देना चाहिये आदि २

---

५ वीं करनाटक डिविजिनल कोआपरेटिव कान्फ्रेन्स

धारवार—नम्वर १९२९

श्रीयुत औनरेवल बी. रामदास पंटलु बी. ए. बी. एल. मेम्वर आफ कौंसिल आफ स्टेट की अध्यक्षता में हुई ।

हिज एक्सेलेन्सी सर फ्रेड्रीक सेक्स बम्बई ने सभा का उद्घाटन किया ।

सभापति ने एक बहुत बडा प्रभावशाली तथा विद्वत्ता पूर्ण भाषण दिया ।

कान्फ्रेन्स ने अनेक उपयुक्त प्रस्ताव पास किये ।

आल इण्डिया "डिप्रेस्ड क्लास" दलित जातिय कान्फ्रेन्स

लाहौर (लाजपत नगर) २५ दिसंवर १९२९

स्वागताध्यक्ष वा. पुरुषोत्तम दास टण्डन ने अपने भाषण में कहा कि यद्यपि कान्फ्रेन्स ने अछूतोद्धार को अपना मुख्य प्रोग्राम वनाया है फिर भी अछूत अपनी दशा अपने आप ही

सुधार सकते हैं। उन्हें देश की बढ़ती हुई दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिये देश में होने वाले स्वाधीनता के आन्दोलन में साथ देना चाहिये। गवर्नमेंट उनकी सच्ची हितचिन्तक नहीं है क्योंकि उसने अछूतों की शिक्षा के लिये १ करोड़ रुपया देने के विषय में लालाजी के प्रस्ताव का विरोध किया था।

सभापति म० गांधी का भाषण बड़ा ही मार्मिक तथा सुन्दर था आपने कहा कि अछूतों को अपनी उन्नति आप करनी चाहिये। वाइसराय स्पेशल ट्रेन बम दुर्घटना के सम्बन्ध में आपने कहा कि बमों से स्वाधीनता न मिलेगी क्या कोई तुम्हारी स्वाधीनता और उन्नति को रोक सकता है?

अछूतों को बुरी आदतें छोड़ने तथा शान्ति के साथ कार्य करने का उपदेश देते हुये आपने कहा कि जबरन मन्दिरों में घुसना सत्याग्रह नहीं है। जो जबरन मन्दिर में घुसते हैं उनमें सच्ची ईश्वर भक्ति नहीं है।

अन्त में आपने कहा कि स्वराज्य पाने की कुन्जी न तो लन्दन में है और न वाइसराय के पास है बल्कि तुम्हारे ही हाथ में है।

मुख्य प्रस्ताव—(१) सार्वजनिक संस्थायें, सड़कें, कुवे; और सरकारी नौकरियां बिना किसी जाति भेद के हरएक के लिये खोल दी जायँ (२) जयकर के अस्पृश्यता बिल का समर्थन किया गया (३) अस्पृश्यता दूर करने के निश्चय के लिये अछूतों को बधाई आदि।

इण्डियन नेशनल सोशल कांफ्रेंस

लाहौर (लाजपतनगर) २६ दिसम्बर १९२९

उक्त कांफ्रेंस का अधिवेशन सभापति श्री० हर विलास सारदा की अध्यक्षता में हुआ।

आपने अपने भाषण में कहा कि भारतवर्ष में आजकल सामाजिक और राजनैतिक आन्दोलन अपनी २ तीव्र गति से चल रहा है। दोनों आन्दोलन का परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध है। सामाजिक सुधारों के बिना राष्ट्रीय जीवन उन्नति नहीं कर सकता।

आपने प्राचीन भारत की सामाजिक स्थिति पर दृष्टि डालते हुये कहा कि भारतीय समाज में दो बड़े दोषों ने घर कर लिया है (१) स्त्रियों (२) अछूतों के अधिकारों की सर्वथा उपेक्षा की गई।

अन्त में आपने देश युवकों को सामाजिक कुरीतियों के दूर करने की प्रार्थना की।

मुख्य प्रस्ताव—(१) सब सम्प्रदाय वाले आपस में मेल बढ़ाने का उपाय करें (२) विधवाओं के उत्तराधिकार सम्बन्धी बिल का समर्थन (३) परदा प्रथा का विरोध (४) बहु विवाह का विरोध (५) एक जाति को दूसरे प्रान्त से

विवाह सम्बन्ध जोड़ने पर जोर दिया गया।

मध्य प्रांतीय हिन्दू सम्मेलन

विलासपुर—२१ दिसम्बर १९२९

उक्त सम्मेलन का अधिवेशन श्री० जगतनारायन लाल के सभापतित्व में हुआ। डा० मुन्जे, बाबा सावरकर तथा अन्य लोग उपस्थिति थे।

मुख्य प्रस्ताव—(१) अगर मुसलमानों को और अधिकार देने के लिये नेहरू रिपोर्ट पर फिर विचार हुआ तो हिन्दू महा सभा को चाहिये कि वह नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार न करे (२) सर्व दल सम्मेलन के समय हिन्दू महा सभा के भी प्रतिनिधि बुलाये जायँ। (३) सिन्ध को अलग प्रान्त बनाने का घोर विरोध किया गया (४) शुद्धि; संगठन, गो रक्षा, अखाड़ा आदि के बारे में कई प्रस्ताव पास हुये।

पंजाब व सीमा प्रांतीय हिन्दू कान्फ्रेन्स

लाहौर—२५ दिसम्बर १९२९

श्री० केलकर के सभापतित्व में पंजाब व सीमा प्रान्तीय हिन्दू सम्मेलन हुआ।

सम्मेलन में आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय; श्री० हरविलास सारदा, श्री० रामानन्द चटर्जी आदि सज्जन सम्मिलित थे।

सभापति ने एक बड़ा प्रभावशाली तथा सुन्दर व्याख्यान द्वारा नेहरू रिपोर्ट को मानने के लिये कहा और हिन्दू महा सभा और राजनीति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट किये।

मुख्य प्रस्ताव—(१) वाइसराय की स्पेशल को बम से उड़ाने का प्रयत्न करने तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की नीति की निन्दा (२) पंजाब कौंसिल द्वारा स्वीकृत अकौंट्स बिल का विरोध [३] कौंसिलों में स्त्रियों के लिये स्थान सुरक्षित रखने की सिफारिश [४] पंजाब तथा सीमा प्रान्त में हिन्दुओं से तहसील में हिन्दू सभा स्थापित करने की अपील आदि २

आल इण्डिया ह्यूमेनिटेरियन कान्फ्रेन्स

त्रीवनड्रम [मद्रास] २० दिसम्बर १९२९

राय बहादुर कृष्ण आयङ्गर ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। जनता की उपस्थिति बहुत थी।

सभानेत्री श्री मधुलक्ष्मी रेडी डिप्टी प्रेसीडेन्ट मद्रास लेजिसलेटिव एसेम्बली ने अपने भाषण में कहा कि यह बड़े शोक की बात है कि हिन्दुस्तान सरीखे देश में बच्चों की जिंदगी तथा उनके साथ बुरा वर्ताव रोकने के लिये कोई एक्ट या कायदा नहीं है। हिन्दुस्तान में हर साल बहुत से बच्चे मर जाते हैं आपने अस्पृश्यता के विषय में भाषण करते हुये कहा कि वह हिन्दू जाति के

लिये कलंक की बात हैं कि वे मनुष्यों को कुत्ते और बिल्ली से भी बुरे समझें।

अनेक उपयुक्त प्रस्ताव सभा में पास हुये।

लिबरल फिडरेशन ।

मदरास २९ दिसम्बर १९२९

नेशनल लिबरल फिडरेशन का ११ वां अधिवेशन मदरास में सर फीरोज सेठना के सभापतित्व में हुआ लगभग २०० प्रतिनिधि उपस्थित थे जिनमें श्री श्रीनिवास शास्त्री, सर चिम्मनलाल सीतल वाड़, सर तेज बहादुर सप्रू, सर एम. एम. चिंटनवीस, श्री. सी. वाई चिंतामणि, डाक्टर एनी बेसेन्ट आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। सर राम स्वामी स्वागताध्यक्ष थे।

स्वागताध्यक्ष सर राम स्वामी ऐयर ने कहा कि लिबरलों को ब्रिटेन पर विश्वास रखना चाहिये और हमको वाध्य आन्दोलन द्वारा स्वराज्य प्राप्त करना चाहिये। आपने भारतीय रियासतों तथा अशिक्षता के वारे में अपने विचार प्रकट किये।

सभापति सर फीरोज सेठना ने एक विस्तार पूर्वक तथा नीतिनिपुण भाषण दिया। आपने स्वतंत्रता आन्दोलन के सम्बन्ध में कहा कि यह आन्दोलन हमारे दल को पसन्द नहीं हैं और हम औपनिवेशिक स्वराज्य के पक्षपाती हैं।

वायसराय की घोषणा के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुये कहा कि ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकृत करना भारत के हक में भूल होगी इसलिये हमको राउण्डटेबिल कांफ्रेंस के प्रस्ताव को मन्जूर कर लेना चाहिये आपने यह भी कहा कि अगर राउण्डटेबिल कान्फ्रेंस ने तत्काल पूर्ण जिम्मेदारी सरकार स्थापित करने या औपनिवेशिक पद प्राप्त करने का प्रश्न निकाल दिया गया तो हम राउण्डटेबिल कांफ्रेंस में भाग न लेंगे।

अन्त में आपने मुसलमानों की साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांगों पर आश्चर्य प्रकट किया।

मुख्य प्रस्ताव—(१) राउण्डटेबिल कांफ्रेंस, औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग जोरों से रखने के लिये आवश्यक मसाला इकट्ठा करने को सर शिवस्वामी ऐयर, सर पी. सी. राम स्वामी ऐयर, श्री. टी. रङ्गाचारियर, श्री. सी. वाई चिन्तामणि, सर मोरो पन्त जोशी, सर चिम्मनलाल शीतलवाड़, सर शङ्करराव और सर तेज बहादुर सप्रू की कमेटी बनाई गई। (२) देशी नरेशों से अपने राज्यों की शासन प्रणाली का पूर्ण संगठन करने। (३) पूर्वी अफ्रीका के उपनिवेशों के सम्बन्ध में विल्सन रिपोर्ट का विरोध तथा हिल्टन यंग की सिफारिशों का समर्थन (४) वायसराय की की स्पेशल ट्रेन बम दुर्घटना की घोर निन्दा और सकुशल बच जाने के कारण बधाई (५) नारायण विष्णु गोखले, सर गङ्गाधर चिटनवीस और जसटिस

गोकर्णनाथ मिश्र की मृत्यु पर शोक (६) वायस राय की घोषणा का स्वागत तथा राउण्डटेबिल कान्फ्रेन्स में लिबरल दल के प्रतिनिधि भेजने का निश्चय (सर तेज बहादुर सप्रू का प्रस्ताव) आदि २

अखिल भारतीय ईसाई सम्मेलन

लाहौर—३० दिसम्बर १९२९

रेवरेन्ड वी. ए. नाग की अध्यक्षतामें उक्त कान्फ्रेन्स का अधिवेशन हुआ. आपने भाषण देते हुये कहा कि भारत की राजनैतिक अवस्था बडी तेजी से बदल रही है यह नहीं कहा जासकता कि कल क्या होगा । लेकिन हमारे लिये यह खुशी की बात है कि ब्रिटिश सरकार का ध्येय भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य कायम करना है ।। भारतीय ईसाइयों का कर्तव्य है कि वे गोलमेज कान्फ्रेन्स का सहृदय स्वागत करें । हमें मजदूर सरकार पर विश्वास करना चाहिये ।

कान्फ्रेन्स ने गोलमैज कान्फ्रेन्स के निमंत्रण को स्वीकार करने तथा अन्य अनेक उपयुक्त प्रस्ताव पास किये ।

आल इण्डिया खिलाफत कान्फ्रेन्स

लाहौर—३१ दिसम्बर १९२९

स्वागताध्यक्ष सर जुलफिकार अली खां ने सब प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुये कहा हिन्दू देश के शासन में मुसल्मानों को बराबर अधिकार नहीं देना चाहते । उन्होंने राजनैतिक संस्था से ही शुद्धि और संगठन का आन्दोलन खडा किया है अन्त में आपने मुसलमानों से मत भेद भूल कर इस्लाम के लिये मिल कर कार्य करने की अपील की. ।

सभा में मौलाना मुहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मौलाना हसरत मोहानी, मिस्टर अब्दुल कादिर, सर मुहम्मद शफी और हाजी अब्दुल्ला हारुन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं ।

सभापति नवाब इस्माईल खां ने अपने भाषण में मुसलमानों से अपील की कि, वे धन् जन से खिलाफत कान्फ्रेन्स की मदद करें । आल इंडिया मुस्लिम कान्फ्रेन्स की मांगे स्वीकार होने पर ही देश की जातीय समस्या का समाधान हो सकता है । आपने वायसराय की घोषणा का स्वागत किया तथा शारदा एक्ट का विरोध किया ।

अनेक उपयुक्त प्रस्ताव सभा में पास हुये ।

पंजाब देशी प्रजा कान्फ्रेन्स

लाहौर—२७ दिसम्बर १९२९

श्री. पी. एल. चुडकर के सभापतित्व में उक्त कान्फ्रेन्स का अधिवेशन बडे समारोह के साथ हुआ ।

सभापति ने अपने भाषण में कहा कि मैसूर ट्रावन कोर, कोचीन को छोड कर सभी देशी राज्यों में राजाओं और एजेन्टों की ताना शाही चल रही है राजा लोग अपने ऐश आराम में ही

प्रजा के धन को नष्ट करते हैं पञ्जाब की देशी रियासतों में स्त्रियों और लड़कियों की मान रक्षा करना असंभव है आपने कहा कि इन सारी बुराइयों का कारण ब्रिटिश नीति हैं जो न राजाओं का न प्रजा का हित कर सकती है।

अन्त में बटलर कमेटी की निन्दा करते हुये कहा कि बिना प्रजा की अनुमति लिये गोलमेज कांफ्रेंस में जो निर्णय होंगे उन्हें मानने के लिये प्रजा बाध्य नहीं हो सकती हम राज्यों में स्वराज्य प्रणाली चाहते हैं।

सभा में अनेक उपयुक्त प्रस्ताव पास किये गये।

पंजाब किरती किसान कांफ्रेंस।

लाहौर—३० दिसम्बर १९२९

श्री० अधिकारी (जो कि डा० अधिकारी अभियुक्त मेरठ षड़यन्त्र केस के भाई हैं) की अध्यक्षता में उक्त कांफ्रेंस का अधिवेशन हुआ। सभामंडप दर्शकों से खचा खच भरा हुआ था।

मुख्य प्रस्ताव—(१) तपस्वी यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु पर शोक तथा सम्मान (२) निर्वाचित अध्यक्ष श्री रैंडिव को हाल में दी गई सजा पर बधाई (३) मजदूर आन्दोलन के प्रति सरकार की नीति की निन्दा (४) मजदूरों को और किसानों को साम्राज्य वाद के लाभ के लिये भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में बिलकुल शामिल न होना चाहिये (५) जोतने वालों को ही जमीन की मिल्कियत का अधिकार दिया जाय तथा कारखानों में मजदूरों को अधिकार मिलना चाहिये (६) नेहरू रिपोर्ट का खंडन (७) मेरठ केस के अभियुक्तों को छुड़ाने के लिये जोरदार आन्दोलन किया जाय (८) ट्रेडयूनियन कांग्रेस को छोड़ने वाले नेताओं के कार्य की निन्दा (९) दिल्ली के अकाल पीड़ितों से लगान वसूल करने के कार्य की निन्दा।

अखिल भारतीय मेडिकल कान्फ्रेंस

लाहौर—२७ दिसम्बर १९२९

डाक्टर विधानचन्द्र राय के सभापतित्व में उक्त कांफ्रेंस का अधिवेशन बड़े समारोह के साथ हुआ। देश के भिन्न २ स्थानों से अधिक संख्या में आये हुये लोगों में आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय, श्री भाकले, श्री डी. एच. राय, श्री शोधी डाक्टर मालाकंशन कौल, मेजर भाटिया महाराज किशन आदि उल्लेखनीय हैं। बहुत सी स्त्रियां भी सभा में उपस्थिति थीं।

सभापति जी ने अपने व्याख्यान में उन विषयों पर प्रकाश डाला जो कि वर्तमान समय के डाक्टरों में हलचल पैदा किये हुये है। ब्रिटेन की जनरल मेडिकल कौंसिल के भारतीय डाक्टरों की डिग्री स्वीकार न करने के प्रश्न पर आपने कहा कि इण्डियन मेडिकल असोसियेशन इस बात पर अच्छी तरह विचार करे और डाक्टरों से प्रार्थना करे कि इंगलैंड की बनीं दवायें वे काम में न लावें।

मुख्य प्रस्ताव—(१) औषधालयों में इंगलैण्ड की बनी चाजें न रक्खी जायँ (२) भारत में 'आल इण्डिया मेडिकल कौंसिल' नाम की संस्था कायम की जाय (३) परिशोध का कार्य जारी किया जाय (४) विभाग में स्त्री शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध किया जाय (५) कांफ्रेंस ने उन सामाजिक सुधारों पर भी जोर दिया जिनसे मनुष्यों का स्वास्थ्य ठीक रहे आदि २

राष्ट्रीय मुसलिम कान्फ्रेंस

लाहौर (लाजपतनगर) ३० दिसम्बर १९२९

चौधरी अफजल हक की अध्यक्षता में उक्त कांफ्रेंस का अधिवेशन बड़े समारोह के साथ हुआ। मंडप खूब भरा हुआ था उपस्थित सज्जनों में ये नाम उल्लेखनीय है—मौलाना जफर अली खां, मौ० हबीबुल रहमान, राजा फीरोजुद्दीन और अताउल्ला शाह बोखारी।

सभापति ने अपने भाषण में कहा कि मुसलमानों को अपना कार्य क्रम बना लेना चाहिये। हम लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे हैं और अब कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास करना चाहती है। नेहरू रिपोर्ट रद्द हो जायगी और कोई साम्प्रदायिक भेद नहीं रक्खा जायगा। वह विधान मजदूर विधान होगा। जो लोग भारी त्याग करेंगे उन्हीं को अधिक अधिकार होगा।

मुख्य प्रस्ताव—(१) मुसलमान देश हित के लिये त्याग करें और जो नेहरू रिपोर्ट के कारण कांग्रेस से अलग हो गये हों वे फिर आ जायँ और कन्धे से कन्धा लगाकर काम करें। आदि २ अनेक उपयुक्त प्रस्ताव कांफ्रेंस में पास किए गए।

अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन

लाहौर—२७ दिसम्बर १९२९

श्री० रामानन्द चटर्जी की अध्यक्षता में इस कांफ्रेंस की कारवाई हुई आपने वर्तमान समय में पुस्तकालय से होने वाली सहायता का वर्णन किया और कहा कि पुस्तकालय ऐसी संगृहीत वस्तुओं का अजायब घर न होना चाहिये जिससे किसी को लाभ न हो। उसे सर्व साधारण में शिक्षा प्रचारक संस्था बना देनी चाहिए। किन्तु इस आशा पर बैठ नहीं रहना चाहिए कि लोग आकर शिक्षित हों।

बड़ौदा राज्य पुस्तकालय के श्री० नूतन मोहन दत्त ने बड़ौदा राज्य पुस्तकालय का इतिहास बताते हुए उसके द्वारा शिक्षा प्रचार के तरीके का वर्णन किया।

मुख्य प्रस्ताव—(१) लाला लाजपतराय, मुदालियर चेट्टी और अमेरिका के श्री० जानकाटन की मृत्यु पर शोक (२) सरकार से भारतवर्ष के हर शहर और ग्रामों में रात्रि पाठशाला के साथ

साथ वाचनालय और पुस्तकालय खोलने का अनुरोध और नरेशों और जमींदारों से पुस्तकालयों को आर्थिक सहायता देने की अपील आदि २ प्रस्ताव पास हुये।

---

४४ वीं इण्डियन नैशनल कांग्रेस

लाहौर—२९, ३०, ३१ दिसम्बर १९२९

२५ दिसम्बर १९२९ का शाम के ४ बजे पं० जवाहरलाल नेहरू मनोनीत सभापति राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर पहुंचे। उनके स्वागत के लिये स्वागत समिति के सभापति डा० किचलू, सरदार शार्दूल सिंह कविश्वर, लाला दुनीचन्द तथा कई प्रभावशाली सदस्यों के अतिरिक्त लगभग दो लाख से ज्यादा मनुष्य स्टेशन पर उपस्थित थे।

पं० जवाहरलाल जी को एक सफेद तेजस्वी घोड़े पर बैठालकर जुलूस सारे शहर में निकाला गया। साथ में एक सौ अश्वारोहियों का दल भी था। सारा शहर अच्छी तरह से सजाया गया था। अफ्रीका से आये हुये दो पत्रकार भी प्लेटफार्म पर जुलूस की शोभा देख रहे थे

राष्ट्रीय झण्डा

राष्ट्रीय झण्डा ता० २९ दिसम्बर १९२९ को प्रातःकाल १० बजे पण्डित जवाहरलाल ने फहराया। आपने एक छोटे से भाषण में बतलाया कि यह झण्डा हिन्दुस्तान की स्वतन्त्रता का निशान है और इसकी रक्षा करना प्रत्येक भारतवासी का धर्म है।

इस अवसर पर खादी की प्रदर्शिनी हुई थी जिसका उद्घाटन समारम्भ सर पी. सी. राय ने किया था।

कांग्रेस का कार्यक्रम

इस कांग्रेस में विदेशों से बहुत सन्देश आये थे। काबुल से राजा महेन्द्र प्रताप ने बड़ा उत्साह जनक सन्देशा भेजा। श्री० रासबिहारी बोस ने जापान से सन्देशा भेजा। नैरोबी (दक्षिण अफ्रीका); फिजी, पेरिस और बर्लिन की कांग्रेस कमेटियों ने भी सन्देशे भेजे थे। आयर्लैण्ड के भी नेता मि० डीवेलर तथा इङ्गलैण्ड के स्वतन्त्र मजदूर दल ने भी सन्देश भेजा था। सेन फ्रांसिस्को की हिन्दुस्तान नेशनेलिस्ट सोसायटी तथा मि० फेनर ब्राक ने भी सन्देशे भेजे थे।

श्रीमान् डा० किचलू स्वागताध्यक्ष ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया आपने एक बहुत सुन्दर तथा विद्वत्ता पूर्ण भाषण देते हुये राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्तमान समय तक का इतिहास बतलाया और कहा कि अब हमारे सामने कोई जबरदस्त कार्यक्रम होना चाहिये जिससे हम अपनी कई वर्षों की गुलामी का अन्त कर सकें। सिर्फ दो वर्ष के ही असहयोग आन्दोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला दिया है। देश की वर्तमान स्थिति के लिये आल पार्टीज कान्फ्रेंस बेकाम है। अन्त में आपने कहा कि अब हमको

साम्प्रदायिक झगड़ों को छोड़कर स्वतन्त्रता के युद्ध में लगजाना चाहिये।

पं० जवाहर लाल नेहरू का भाषण बड़ा प्रभावशाली था उन्होंने देश परिस्थिति पर सब तरह से विचार करते हुये बतलाया कि अब परिवर्तन का युग आगया है। सारा संसार नवीनता की ओर जारहा है तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारा भारतवर्ष भी अपने को स्वतन्त्रता रूपी नवीनता को पाने के लिये आन्दोलन करे।

आपने कहा हमारी स्वाधीनता का अर्थ कलकत्ता कांग्रेस १९२८ के अनुसार औपनिवेशिक स्वराज्य था और जिसके लिये सरकार को एक साल का समय भी दिया गया था परन्तु अब साल खतम हो गया और अब उसका अर्थ ब्रिटिश प्रभुत्व और ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्णतः मुक्त होना है और उसके प्राप्त करने के लिये हम को खूब प्रयत्न करना चाहिये।

आपने कहा मैं साम्यवादी और प्रजातन्त्र वादी हू और बादशाहों और राजाओं की प्रथा में विश्वास नहीं रखता। मैं उस प्रणाली का भी समर्थक नहीं जिसके कारण आधुनिक "कारखान दार राजा" उत्पन्न हुआ करते हैं। जिन्हें पुराने जमाने के राजाओं से बढ़कर लोगों के माल पर अधिकार रहता है और जिन का ढङ्ग पुराने जमाने के लूटपाट मचाने वाले स्वेच्छाचारी गिरोहों के सरदारों से भी बदतर हैं।

हमारे सामने तीन बड़ी समस्यायें हैं (१) अल्प संख्यक समुदायों की, (२) देशी रियासतों की (३) मजदूरों और किसानों की।

पहिली समस्या के सम्बन्ध में आपने कहा कि इन अल्प संख्यक समुदायों को अपनी बातों और कार्यों से हमें पूर्ण विश्वास दिलाना चाहिये कि उनकी संस्कृति और परम्परा पर कोई भी आघात न पहुँचने पावेगा।

दूसरी समस्या के सम्बन्ध में जो कुछ आपने कहा उसका अर्थ यह है कि बहुत से राजालोग समझते हैं कि हम को शासन का अधिकार ईश्वर से मिला है इसी कारण वे अपनी इच्छानुमार प्रजा की भलाई बुराई का ध्यान न देते हुये राज्य करते हैं परन्तु मैं कहता हूं कि यह उनका दोष नहीं है बल्कि उस प्रणाली का है जिसके कारण वे राजा बने हैं। इस दलित प्रणाली का अन्त होगा ही। देशी रजवाड़े शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकते। रियासतों के भविष्य का निर्णय करने का अधिकार उनकी प्रजा तथा उनके शासकों के सिवा किसी दूसरे को नहीं हो सकता। कांग्रेस अभी स्वयं स्वभाग्य निर्णय की स्वाधीनता का दावा करती है तब रियासतों के निवासियों के इस सम्बन्ध के दावे को वह अस्वीकार नहीं कर सकती।

तीसरी समस्या किसान और मजदूरोंकी है यही सब से बड़ी समस्या है. आपने कहा हमारा राष्ट्रीय आन्दोलन इन्हीं के ऊपर निर्भर है इनके हित की रक्षा करना देश की हित की रक्षा करना है. अन्त में आपने कहा कि उन की दुर्दशा ब्रिटिश साम्राज्य के प्रताप तथा हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के कारण है. ।

आपने कहा कि देश में साम्राज्य वाद और पूंजी वाद के रहते कभी भी शान्ति नहीं हो सकती।

अन्त में आपने देश के गुप्त षडयन्त्र के सम्बन्ध में भाषण देते हुय कहा कि अब तो हम अपने देश को विदेशियों के पंजे से छुडाने के लिये प्रकाश्य (खुले) षडयंत्र रचने लगें हैं। देश के सभी भाइयों और बहनों को इस षडयन्त्र में शामिल होने का निमंत्रण दिया जाता है।

मुख्य प्रस्ताव—(१) शहीद यतीन्द्र और पुंगी विजय के आत्म बलिदान की प्रशंसा और उनके परिवारों के साथ सहानुभूति (२) श्री गोकर्ण नाथ मिश्र, श्री बरुआ, और श्री लाहडी की मृत्यु पर शोक (३) वायस राय ट्रेन को बंम से उडाने वाले कार्य पर शोक तथा वायसराय और उन की पत्नी बचजाने पर को बधाई (४) कलकत्ता कांग्रेस के प्रस्तावानुसार यह कांग्रेस घोषणा करती है कि स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वतन्त्रता होगा, इस लिये औपनिवेशिक स्वराज्य सम्बन्धी नेहरू योजना अब खतम होती है ! अब आशा की जाती है कि सभी दल जो नेहरू रिपोर्ट के कारण अभी तक जुदा थे तथा जो कि शामिल थे पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्ति का प्रयत्न करेंगे (५) कौंसिलों का बहिष्कार (६) वायसराय की घोषणा के उत्तर में निकाले गये पार्टी नेताओं के वक्तव्य का समर्थन करते और वायसराय ने समझोते के लिये जो प्रयत्न किया उस की प्रशंसा करते हुये और पण्डित मोती लाल नेहरू तथा अन्य नेताओं और वायसराय के बीच जो बातें हुई हैं उन पर भी विचार करते हुये इस कांग्रेस की राय है कि वर्तमान परिस्थिति में गोलमेज कान्फ्रेन्स में प्रतिनिधि भेजने से कोई लाभ नहीं हैं। (७) श्रीयुत शापुर जी सकलत वाला तथा अन्य भारतीयों को पास पोर्ट न देने के लिये गवर्नमेन्ट की निन्दा (८) भारत सरकार द्वारा लिये गये ऋण का स्वतंत्र भारत उसे अदा करने को बाध्य न होगा (९) ईस्ट आफ्रिका जहां पर भारतीय विपत्ति में फंसे हुये हैं, जाने के लिये श्रीमती सरोजिनी नायडू को बधाई (१०) देशी राज्यों में भी स्वराज्य होना चाहिये. (११) सिक्खों, मुसलमानों, तथा अन्य अल्प संख्यकों को विश्वास दिलाया जाता है कि स्वाधीन भारत में उनके अधिकार पूरी तौर से सुरक्षित रक्खे जायगें.

(१२) आल इंडिया कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार दिया जाता है कि वह जब मुनासिब समझें सर्वानिय कानून भंग जिस में टैक्स न देना भी शामिल है का आन्दोलन करें. (१३) आगामी कांग्रेस का अधिवेशन करांची में मार्च में होगा. (१४) कांग्रेस कार्य क्रम

नोटः—४ नम्बर का प्रस्ताव बहुत बाद विवाद के बाद ३१ दि० तारीख को रात में पास हुआ पण्डित जवाहर लाल की अध्यक्षता में ठीक १२ बजे एक बडा जलूस स्वतंत्र घोषणा के स्वरुप में निकाला गया जो सारे शहर में घूमा।



भारतवर्ष के उद्योग धन्धे ।

कृषि ।

भारतवर्ष कृषि में प्रधान देश है। ७५ प्रतिशत मनुष्य कृषि में लगे हुये हैं। भारतवर्ष से अन्य देशों को अनेक प्रकार के अनाज, तिलहन, जूट आदि पदार्थ जाते हैं। सारे जगत में यहां का जूट जाता हैं। रुई की उपज सारे जगत में द्वितीय श्रेणी में है। जगत को ४० प्रतिशत चाय भारत देता हैं।

गेहूं, चाबल, चना, ज्वार मुख्य खाद्य पदार्थ हैं।

कृषि में लगे हुये मनुष्य ।

प्रान्त व राज्य	कृषि में लगे हुये मनुष्य	ओसत प्रति १०००	कृषक और उनके सहायकों का प्रति शत औसत	
			कृषक	सहा-यक
भारत	२२४१०९११०	७०९	४५	५५
अजमेर मारबाड़	२४८१२२	५०१	६५	३५
अंडमान नीकोबार	१०४२३	४००	६०	४०
आसाम	७०२७८७१	८८०	४५	५५
विलोचिस्तान	५३६६९९	६७१	३२	६८
बङ्गाल	३६७९२४५५	७७३	३२	६८
बिहार और उड़ीसा	३०२७१२२५	७९७	४८	५२
बम्बई	१६४८५२७१	६१६	५३	४७
बरमा	९३१६०६७	७०७	५०	५०
मध्य प्रदेश और बरार	११८६३९९१	७४२	५९	४१
कुर्ग	१३६२९४	८३१	६१	३९
दिल्ली	१३८६६४	२८४	३१	६९
मद्रास	३ २९३१६५	७०८	४९	५१
उत्तरी पश्चिमी सरहद्दी सूबा	१४८८७३५	६५०	३३	६७
पञ्जाब	१४८०४२४१	५९०	३४	६६
आगरा व अवध	३४८७०१०८	७५०	५४	४६
बड़ौदा राज्य	१३६०७४६	६४०	४०	६०
कोचीन ”	४९१५१७	५०२	४१	५९
गवालियर ”	२०६१९७०	६४७	६६	३४
हैदराबाद ”	६२१५९२७	४४९	५३	४७
काशमीर ”	२६ ७९०४	८०३	३७	६३
मैसूर ”	४७४७६४०	७९४	२५	७५
ट्रावनकोर ”	२०४६८७९	५११	३१	६९

भारतवर्ष का जो क्षेत्रफल भिन्न २ पदार्थों की खेती में लगा हुआ है और उससे जो उपज होती है वह नीचे दिये हुये कोष्टक से मालूम होगी।

क्षेत्रफल एकड़ में

खेती के पदार्थ	१९२०–२१	१९२३–२४	१९२५–२६	१९२६–२७
चावल	७८१२०२७०	७७२००७११	८०१७१५५८	७६६०७
गेहूं	२०३६७७८७	२४२९४६४७	२३९७९०५७	२४५६९
जौ	६२६८१७१	७१८११४४	६६१००७२	६८२५
जुवार	२२६९०३१८	२११३८१७२	२०६१६७५१	२१२४८
बाजरा	१२०८२०२३	१३६७४६७०	१२२६९३८१	१४०६२
रागी	४२३८९५७	४२२०४४०	३८८१३९७	३८५२
मक्का	६२०५९२०	५८४१६९३	५५०४३६७	५९४३
चना	९४६३४३२	१४४३७९१२	१४३२५ ९४	१३९७३
अन्य अनाज व दाल	२७५३३१६५	२९०१०७७१	२८७०८५४४	२९६००
चीनी	२७०५७७३	३०४४७११	२८०२००६	३०४७
कहवा	९५५०१	९५९९५	९५१६६	९२
चाय	६६०७५१	७१३१६१	७२८८५७	७४३
अलसी	२०५३८५८	२५५९४७३	२५२४०७८	२३२५
तिल	३७०७०६७	३५२५४१७	३४०९१२८	३१७२
मस्टर्ड	४२३२८२२	३९२००३५	३०८८९४८	३२८०
अन्य तिलहन	४२०२८२४	५००८८९४	६१३३८५४	६२२२
रुई	११६६५३९५	१७४१४२४९	१८१८६१६६	१५६८७
जूट	१५०५५२७	२७३७९३१	२९२३४०८	३६१०
अन्य	६८३५२१	८२९६३०	९१००९८	८०५
नील	३२८८२९	१०७२३४	१३३६१८	१०४
अफीम	१२२८८८	१२७४५२	८३०३०	५९
तमाखू	१०५०६८५	१०६५६५६	१०६४८६२	१०५५
खली	८६०८२१९	८८२६४३८	८९३२३५८	८९४०

पैदावार का औसत

खेती के पदार्थ		१९१९-२०	१९२३-२४	१९२५-२६	१९२६-२७
साफ चावल	टन	२७६५६०००	३०१०००००	३०६३७०००	३०६२५
गेहूँ	,,	६७०६०००	७१६९०००	८७०४०००	९०९५
कहवा	पौंड	२२४५४०००	१८१५७९००	२२१०६७००	३४२८६८०६
चाय	,,	३४५३३९६००	३४७८६२००८	३६३५०६६००	३९२९१७
रुई ४०० पौं गट्ठा		३६०००००	३८१२०००	६२५००००	४९६०
जूट ,, ,,	,,	५९१५०००	७९८८०००	८९४००००	१०१८०
अलसी	टन	२७००००	४६१०००	४०१०००	४०७
मस्टर्ड	,,	८५९०००	११८९०००	९१००००	१०५१
तिल	,,	३८२०.००	४२७०००	४२६०००	४६९
मूंगफली	,,	१०२२०००	१४३८०००	१९९९०००	२०३५
नील	हंडर.	४३७००	१७८००	२८२००	१८१००
ऊख	टन	२५२२०.००	२४५३०००	२९७७०००	३४००
रबड़	पौं.	१३७८९०००	८३२२०००	१९९७८२००	२३००२७००

सरकारी मालगुजारी।

प्रान्त तथा जमीदारी की किस्में	मालगुजारी प्रति जन			मालगुजारी जो पूरे क्षेत्रफल पर वसूल की जाती है
मद्रास	रु०	आ०	पा०	रुपया
रैयतवारी	२	१	९	५९९७३३३८
जमीदारी (परमानेंट सेटलमेंट)	०	१२	५	६६६९०४३
कुछ इनाम गांव	०	८	९	—
बम्बई १९२५--२६				
रैयतवारी				३९२२७०८८
जमीदारी तथा भैयाचारा	२	१०	१	
टैम्पोरेरी सेटलमेंट				१३२७७८६
बङ्गाल १९२२--२३				
जमीदारी (परमानेंट सेटलमेंट)	०	१०	२	२०९०७९५२

सरकारी मालगुजारी चालू ।

प्रान्त तथा जमींदारी की किस्में	मालगुजारी प्रति जन			मालगुजारी जो पूरे क्षेत्रफल पर वसूल की जाती है
जमींदारी (टेम्पोररी) सेटिलमेंट				६०७४०११
संयुक्त प्रान्त १९२१–२२				
जमींदारी तथा भैयाचारा (टेम्पोररी	१	९	७	
सेटिलमेंट)				६३४७'३३१५
जमींदारी (टेम्पोररी सेटिलमेंट)	१	१	९	५५८०२४०
पंजाब १९२५–२६				
जमींदारी (टेम्पोररी सेटिलमेंट)	२	८	४	४९४२२७६३
बर्मा १९२५–२६				
रैयतवारी	४	१५	३	३८२१३७६८
बिहार और उड़ीसा १९२१–२२				
जमींदारी (परमानेन्ट सेटिलमेंट)				१०६९१४०३
जमींदारी (टेम्पोररी सेटिलमेंट)	०	७	४	४५३९४४६
मध्यप्रदेश व बरार १९२५–२६				
रैयतवारी				९४६५४५७
जमींदारी तथा भैयाचारा	१	९	५	—
टेम्पोररी सेटिलमेंट				११०४३९७१
सरकारी जंगल				—
आसाम				
रैयतवारी				७५४९७८७
जमींदारी तथा भैयाचारा	१	७	३	
टेम्पोररी सेटिलमेंट				६१८७३१
जमींदारी (परमानेन्ट सेटिलमेंट)				३७६४९७
उत्तर पश्चिमी सरहदी सूबा				
जमींदारी टेंपररी सेटलमेंट	१	२	२	२३५३५५४
अजमेर मारवाड				
जमींदारी तथा भैयाचारा	१	७	०	
(टेम्परी सेटलमेंट)				१९८५७१
जमींदारी परमानेन्ट सेटलमेंट	०	१०	११	११४७३४
कुर्ग				
रैयतवारी	२	६	१	२८१७००
देहली १९२५–२६				
जमींदारी टेंपररी सेटलमेंट	०	१४	७	४४६२२३

रुई की उपज।

प्रान्त व राज्य	१९२८-२९	
	एकड़ (हजार)	४०० पौण्ड के गट्ठ (हजार)
बम्बई	७६२७	१३३८
मध्य प्रदेश व बरार	४९७२	१३०१
मद्रास	२४६७	५३४
पंजाब	२८२५	६१६
संयुक्त प्रांत	७१५	२५५
बर्मा	३१५	५६
बंगाल	७९	१८
बिहार और उड़ीसा	७८	१४
आसाम	४४	१७
अजमेर मारवाड़	४४	२१
उत्तरीं पशिचमी सरहदी सूबा	१७	४
दिल्ली	२	१
हैदराबाद	४०१९	८९५
मध्यभारत	१३०१	२४५
बडोदा	७९३	७०
गवालियर	६४५	१०७
राजपूताना	४६५	१२३
मैसूर	७६	२३
योग	२६४८४	५६३८

कच्ची रुई का निर्यात (वज़न हण्डरेडवेटों में)

देश	१९२५-२६	१९२६-२७	१९२७-२८	१९२८-२९
इङ्गलैंड	८०३६२०	३०९२८०	५३२०००	८६११८०
जर्मनी	७७७६००	५१६५६०	९१५९८०	११५७५००
नीदरलैंड	१६९४८०	१०५५६०	१२५५६०	१८०९४०
बेलजियम	८६८२००	५६६७००	८२०३२०	१२३७५४०
फ्रान्स	६८७८००	४४०३६०	६५९७००	७२७५२०
स्पेन	२६०२८०	१९२५००	९११४६०	२७०७८०
इटली	१६२८७६०	१०८८४००	११८०५२०	१३७१६८०
आस्ट्रिया	६९००	३६४०	२००	७६०
सीलोन	२४४००	१५१००	१८१४०	१९४००
इन्डोचाइना	१५५९६०	७४२८०	१३८२६०	५५१२०
चीन	१९४८१६०	७४८०३००	३९८९८०	१५४०७८०
जापान	७४४४५४०	६५७७४६०	४४०९९००	५७५०१६०
यूनाइटेड स्टेट्स अमेरीका	११०६४०	७४७००	११६१८०	१६७९६०
अन्य देश	१७६६०	२०९२०	१८३८०	१५६००
योग	१४९०४०००	११३८५७६०	९५५३५८०	१३२५५९२०

भारत में कपड़ा अत्यन्त प्राचीन काल से बनता है। यहां के कपड़े इतने अच्छे बनते थे कि रोमन साम्राज्य से लाखों रुपया भारत में आते थे। आधुनिक काल में इङ्गलैंड देश में इस कदर कपड़ा छींट, मलमल आदि जाता था कि इंग्लैंड ने कानून द्वारा भारत के कपड़े की आयात बन्द करना १७०१ से आरंभ की। १८३८ में मिल खोलने का प्रयत्न हुआ किन्तु असफल रहा। १८५६ में भारत में पहिली मिल खोली गई उस समय से भारत में मिलें बढ़ती जाती हैं

भारत में मिलों की बढ़ती।

सन	मिलें	स्पिडलें	करघे	मजदूरों का दैनिक औसत	कतीं हुई रुई का औसत	
					हंडरेडवेड	गट्ठा ३९२ पौं
१८८०	५६	१४६१५९०	१३५०२	४४४१०	१०७६७०८	३०७६३१
१८९०	१३७	३२७४१९६	२३४१२	१०२७२१	३५२९६१७	१००८४६२
१९००	१९३	४९४५७८३	४०१२४	१६११८९	५०८६७३२	१४५३३५२
१९०५	१९७	५१६३४८६	५०१३९	१९५२७७	६५७७३५३	१८७९२४४
१९१०	२६३	६१९५६७१	८२७२५	२३३६२४	६७७२५३५	१९३५०१०
१९१५	२७२	६८४८७४४	१०८००९	२६५३४६	७३५९२१२	२१०२६३२
१९२०	२५३	६७६३८७६	११९०१२	३११०७८	६८३३११३	१९५२३१८
१९२५	३३७	८५१०६३३	१५४२०२	३६७८७७	७७९२०८५	२२२६३१०
१९२६	३३४	८७१४१६८	१५९४६४	३७३५०८	७३९६८४४	२११३३८४
१९२७	३३६	८७०२७६०	१६१९५२	३८४६२३	८४६०९४२	२४१७४१२
१९२८	३३५	८७९४१७२	१६६५३२	३६०९२१	७०३४२३७	२००९७८२

भारत की मिलों में कने हुये सूत का बजन (पौंडों में)

नम्बर (कौंट)	१९२६–२७	१९२७--२८	१९२८--२९
१—१०	११४६३४७३०	१०५९८३१८३	७८८८७७३४
११—२०	४०१०३६१२५	३८८८१६८९४	३०३१३५८८०
२१—३०	२४८३१०९७५	२६३०७११३५	२१३०१३२३६
३१—४०	२७६५६८५३	३३७५७०९७	३७४८८१९७
४० से ऊपर	११५३१४५८	११९४१८२१	१००२९०४८
अन्य	३९३६०९२	६१७०२४३	५७२९२४२
जोड	८०७११६९३३	८०८९४०३७३	६४८२८३३३७

भारत मे बुना हुआ कपड़ा।

	१९२६-२७	१९२७-२८	१९२८-२९
भूरे तथा साफ थान			
पौंड	३८१,७११,३६५	४०३,४६७ ८९०	३३०,९२५,३७६
गज	१,५७७;२३७,७७४	१,६७५,०११,५८३	१,४०९,५१२,५५२
रंगीन थान			
पौंड	१४५,३२०,४७६	१४८,२९७,६२१	१०२,१७५,८९८
गज	६८१,४७८,२९१	६८१,५५३,२२२	४८३,६७६,१०३
थान भूरे तथा रंगीन			
पौंड	४,१५१,३०२	४२०५,१४७	३,३३०,९६०
गज	१,००६,५४८	९९२,१०७	७८६,००८
मोजे वनियान आदि			
पौंड	९८३,३०८	१,२१३,८७०	१,४८०,९९१
दर्जन	३५११९१९	४३८,२३७	४४८,८०९
मिश्रित			
पौंड	४,२८९,१४२	५,८२७,५४६	४,४०३ ५१९
रुई रेशम तथा ऊन से मिश्रित			
थान	२,३१३,७६०	४.७९४.००२	३ २११ ७६२
जोड़ पौंड	५३८,७६९,३५३	५६७,८०६,०४५	४४५,५२८,५०६
गज	२,२५८;७१६ ०६५	२,३५६;५६४,८०५	१.८९३,२६८,६५५
दर्जन	१ ३५८ ४६७	१,४३०,३६४	१,२३४,८१७

विदेशी कपड़ों की आयात

	करोढ़
१९१८—१९	५७.४१
१९१९—२०	५६.१२
१९२०—२१	९६.३६
१९२१—२२	५४.६७
१९२२—२३	६६.७१
१९२३—२४	६४.७९
१९२४—२५	७९.९०
१९२५—२६	६२.३०
१९२६—२७	६१.६३
१९२७—२८	६१.९३

प्रत्येक भारतवासी के लिये प्रति वर्ष केवल १३ गज कपड़े का औसत पड़ता है। यदि केवल पिछले १० वर्ष का औसत लिया जावे तो केवल ९ गज प्र.त मनुष्य पड़ता है।

जूट।

जूट के व्यापार का महत्व वर्तमान काल में अत्यन्त अधिक है। रिशडा (बंगाल) में स० १८५५ में पहिली जूट मिल खोली गई और १८५९ में भाप की शक्ति से चलने वाला लूम (करगा) लगाया गया। इस समय

४००० टन प्रति दिन जूट का कपड़ा तैयार होता है। यह कपड़ा बोरे वगैरः के बनाने में काम आता है।

जूट की मिलों की संख्या

औसत	चालू मिलों की संख्या	मजदूरों का दैनिक औसत (हजारों में)
१८८०	२१	२८.८
१८९०	२६	६४.३
१९००	३६	११४.२
१९१०	६०	२०८.४
१९१८–१९	७६	२७५.५
१९२०–२१	७७	२८८.४
१९२३–२४	८९	३३०.४
१९२४–२५	९०	३४१.७
१९२५–२६	९०	३३१.३
१९२६–२७	९३	३३३.६

जूट की निर्यात

	जूट की बुनाई कीमत लाख रुपयों में
१८८०	१२४.५
१८९०	२८९.३
१९००	८२६.५
१९१०	२०२४.८
१९१५	४०१९.३
१९२०	५२९९.४
१९२५–२६	५७५२.१
१९२६–२७	५२८३.३
१९२७–२८	५३२१.८
१९२८–२९	५६५६.४

ऊन।

भारत में ऊन बहुत उत्पन्न होता है और तिब्बत, नैपाल, अफगानिस्तान से भी आता है। सन् १९२८–२९ में कच्चे ऊन की आयात ५० लाख रुपए की थी और कच्चे ऊन की निर्यात ४८९ लाख रुपए की थी। देश में कच्चे ऊन और ऊनी कपड़े की निर्यात ५ करोड़ ९० लाख ७१ हजार की थी और आयात ५ करोड़ १ लाख ८७ हजार की थी।

भारत में अनेक स्थानों पर अच्छे २ कालीन बनते हैं। पंजाब और कशमीर में अच्छे कम्बल व दुशाले बनते हैं।

भारत में सन् १९०० से ऊन की मिलें खुलीं। मिलों की संख्या बढ़ती जाती है।

मिलों की संख्या आदि

	सन् १९०२ में	१९१७ में
संख्या	३	५
पूंजी	३८५०००	२५६५००००
करघे	६२४	११५५
स्पिंडल	२३८००	३९६०८
मजदूर	२५५९	७८२४
वजन जो तैयार हुआ—		
पौंडों में	२१४८०००	९७४४२६४

इस समय ९ ऊन की मिलें हैं और ऊनी कपड़े की तैयारी तथा खपत दोनों बढ़ गई हैं। जर्मन महायुद्ध में इन मिलों ने बहुत कपड़ा तैयार किया। लालिमली और धारीवाल ऊनी कपड़ा सारे भारत में खूब चलता है। कानपुर की जुग्गीलाल कमलापति मिल में भी ऊनी कपड़ा तैयार होने लगा है। इन मिलों के अतिरिक्त मुजफ्फर नगर में अच्छे कम्बल और मिरजापुर व झांसी में अच्छे कालीन तैयार होते हैं। पहिनने के ऊनी कपड़े मिलों में और काश्मीर देश में करघों से तैयार होते हैं।

रेशम।

भारत में प्राचीन काल से रेशम के उत्तमोत्तम वस्त्र बनते आये हैं। तीन प्रकार के रेशमी कीड़े खास भारतीय हैं (१) टसर (२) मूगा (३) एंडी। अन्य प्रकार के रेशमी कीड़े भी पाये जाते हैं।

सूरत, बनारस, एवला, भड़ोंच, मद्रास, जैसोर आदि नगरों में रेशमी काम वहुत अच्छा बनता है। भारत से अन्य देशों को रेशम भेजा जाता है। सन १९१५-१६ में साढ़े २७ लाख रु० का व सन् १९१६-१७ में ५५ लाख रु० का रेशम भेजा गया। १९२८-२९ में कच्चे रेशम की निर्यात २७ लाख रु० की थी और रेशमी कपड़े की ४ लाख रुपये की थी कच्चे रेशम और रेशमी कपड़े की आयात (१९२८-२९) ५ करोड़ ६७ हजार रुपये की थी। नकली रेशम के कपड़े भी इटली इङ्गलैंड हालैंड आदि से लगभग ४ करोड़ ७७ लाख रुपये के भारत में आते हैं।

तिलहन का व्यापार।

भारतवर्ष से अन्य देशों को करीब ३० करोड़ रुपये का तिलहन प्रत्येक वर्ष जाता है। सिवाय वड़े शहरों के तेल बहुधा बैल के कोल्हुओं द्वारा ही निकाला जाता है। इस प्रकार के कोल्हू ग्राम २ में पाये जाते हैं।

भारतवर्ष में तिलहत से बची हुई खली का उपयोग साबुन वगैरः बनाने के काम में नहीं किया जाता इस कारण बहुतसा तिलहन अन्य देशों को वड़े सस्ते दामों में चला जाता है। यदि तेल निकलने के बाद की बची हुई खली का भी उपयोग मूल्यवान वस्तुयें बनाने में हो तो तिलहन इतना अधिक बाहर न जा सकेगा।

तिलहन की निर्यात। टन (हजार)

	१९२५—२६	१९२६—२७	१९२७—२८	१९२८—२९
अलसी	३०८	१९२	२२२	१५७
रेपसीड	३१२	९४	६६	७७
मूंगफली	४५५	३६८	६१३	७८८
अंडी	११०	१०२	१२२	१२१
बिनौला	१९७	५१	१५३	१३१
तिल	४०	२	११	३०
अन्य	२८	२९	२३	२४
जोड़	१२५०	८३८	१२१०	१३२८

चाय।

चाय की उपज अधिकतर आसाम बङ्गाल और दक्षिणी भारत में होती है। सन् १९२८ की उपज लगभग ४० करोड़ ४० लाख पौंड है जिसमें से आसाम ६१ प्रतिशत उत्पन्न करता है, बङ्गाल (उत्तरी

भारत) २५ प्रतिशत और दक्षिणी भारत केवल १४ प्रतिशत उत्पन्न करता है।

लगभग ४ लाख २७ हजार २ सौ एकड़ जमीन आसाम में, २ लाख १८ हजार ७ सौ एकड़ उत्तरी भारत में और १ लाख २७ हजार १ सौ एकड़ दक्षिणी भारत में चाय की खेती में लगी हुई है। करीब २ सब रुपया विदेशियों का ही इस व्यवसाय में लगा हुआ है।

सन् १९२८-२९ में २६ करोड़ ४ लाख ४४ हजार रु० की चाय हिन्दुस्तान से बाहर गई और ७४ लाख २२ हजार रु० की चाय बाहरी देशों से हिन्दुस्तान में आई। नीचे के कोष्टक से उपज, निर्यात तथा देश में खर्च कुछ वर्षों का ज्ञात होगा—

चाय की उपज हजार पौंड में

	१९२६	१९२७	१९२८
आसाम	२४१९८२	२३५८८८	२४६०१८
उत्तरी हिन्दुस्तान	९९८०४	१०१९२३	१००४७५
दक्षिणी ,,	५११४७	५३१०९	५७२७२
मीजान	३९२९३३	३९०९२०	४०३७६५

चाय की निर्यात हजार पौंड में

	१९२६--२७	१९२७--२८	१९२८--२९
चिटगांव और कलकत्ता बन्दरगाह से	३०४९५७	३१५१०९	३०९८४५
मद्रास बन्दरगाह से	४४१७२	४६१४२	४९५०३
बंबई, सिन्ध, बरमा से	१३७३	७६१	४३६
मीजान	३५०५०२	३६२०१२	३५९७८४

काफी।

काफी अधिकतर दक्षिणी भारत में ही उत्पन्न होती है और विदेशों में ही इसकी अधिक खपत है।

सन् १९२७-२८ में २७३८१५ एकड़ जमीन काफी की खेती थी और ३५५00000 पौंड के करीब काफी उत्पन्न हुई।

काफी की निर्यात

	हण्डरेडवेट (हजार)
१९२३—२४	२१८
१९२४—२५	२४२
१९२५—२६	२०५
१९२६—२७	१५०
१९२७—२८	२७७
१९२८—२९	११८

कोयला ।

भारत में कोयला बहुतायत से पाया जाता हैं । सबसे अधिक कोयला बङ्गाल विहार उड़ीसा व गोंडवाने में होता है । हैदराबाद में सिंगरेनी खान है और मध्य प्रान्त में भी खानें हैं ।

खानों से कोयले की निकासी (टन)

प्रान्त	१९२७	१९२८
आसाम	३२३३४२	२९८०८९
बिलोचिस्तान	१४४४४	१७९३१
बङ्गाल	५५५४९९०	५६३९९९३
बिहार और उड़ीसा	१४५१७८६६	१४८२७४५३
मध्य भारत	२१७६६१	२१८७५०
मध्य प्रदेश	६६६७५८	७३२३५३
हैदराबाद	७०७२१३	७३४७६५
पञ्जाब	६२७०४	४६१५२
राजपूताना	१७३५८	२७३८६
योग	२२०८२३३६	२२५४२८७२

नमक ।

भारत वर्ष में चार प्रमुख स्थानों में बनता है. [१] पहाडी नमक कोहाट [पंजाब] में [२] सामर झील राजपुताने में [३] कच्छ की खाडी से [४] बम्बई, मदरास के कारखानों से ।

पंजाबमें पहाडी नमक इतना अधिक होता है कि सैकड़ों वर्षों तक देश को नमक की कभी कमी नहीं पड सकती है. बम्बई और मदरास में समुद्रों के किनारों पर सूर्य की गर्मी द्वारा नमक अपने आप तैयार होता हैं. बंगाल में हवा में नमी होने के कारण नमक तैयार नहीं होसकता है. इस पर भी भारत में १ करोड ४७ लाख रुपया का नमक सन् १९२८–२९ में आया. ।

भारत में जितना नमक पैदा होता है उस का आधा भारत सरकार स्वयम्

बनवाती है और बाकी का ठेकों द्वारा बनवाती है. वर्तमान अवस्था में नमक पर सवा रुपया मन का कर लगा हुआ है. १९२९--३० के बजट के अनुसार सरकार को नमक से ६३४६४००० रु० कर मिलने की आशा है. भारत में सन् १८८८ में नमक पर कर नहीं था.।

मोटरें व बाईसिकलें

३१ मार्च १९२९ तक निम्नलिखित हैं।

	संख्या
मोटरें व टैक्सी	११६६२५
मोटर साइकिलें	२५८७४
लोरीं	३०१८१
योग	१७२६८०

इस से यह स्पष्ट होगा कि प्रत्येक बर्ष भारत से अधिक माल जाता है और कम आता है। यह अधिक माल जो करीब १५० करोड रुपये का विदेशों को जाता है। इस के कारण अनेक हैं।

मोटर की आयात।

१९२६-२७	२.९४ करोड रु०	
१९२७-२८	३.५४	„
१९२८-२९	६.१८	„

भारतीय व्यापार।

सन	आयात [हजार]	निर्यात [हजार]
१९२४ २५	२४६६८५४	३८४६६५३
१९२५-२६	२२६१७७८	३७४८४२१
१९२६-२७	२३१२२०८	३०१४३५८
१९२७-२८	२४९८४६६	३१९१५३५
१९२८-२९	२५३३०१०	३३०१२७९

१९२८—१९२९

	आयात रुपया (लाख)
रुई का कपड़ा	६३२४
रुई का सूत	६२९
कच्ची ऊन व कपड	५०२
नकली रेशम	४७७
कच्ची रेशम व कपड़े	५०१
धातु व धातु के बर्तन	२६९८
लोहा व स्टील	२०२४
अन्य धातु	६७४
मशीन व कलें	१९४३
मोटरें	७७२
शक्कर	१६०९
मट्टी का तेल	१०७०
खाद्य पदार्थ	६२१
शराब	३५७
कागज़	३३०
रसायन	२४८
नमक	१४७
कोयला	३३
माचिस	१७

१९२८—२९

	निर्यात रुपया (लाख)
जूट व जूट का कपडा	८९२५
रुई व कपडा	७९४२
आटा व नाज	३१६९
चाय	२६६०
तिली	२९६३
चमडा	१८८७
कच्ची ऊन	४८९
तेल	८७
धातु	८९१
लोहा	२११ १ बटे २

भारत के बाज़ार में अंग्रेजी माल (रुपयों में)

	सन १९२०	१९२३	१९२६
तम्बाकू	१४१९७८८०	१७७७८९५९	२१९८४५४४
खिलोने	९१९८८५०	१३७१२२३	१४६५५७६
जूते	१५५६२८०	१८०९८८४	३०५९२५६
बाजे	४४२५९०	७४०९५२	१०५४५६५
जवाहिर	९४६९३०	१३५१२२३	३००४६४३
साबुन	११२२२७४०	११४५६८५७	१३८३६४४२

भारत के विदेशी ब्यापार का ५१.४ प्रतिशत भाग इंग्लैंड के हाथ में है. जरमनी के हाथ में ५,९, जापान ८.९ अमरीका यूनाइटेडस्टेट ६.७ है। अन्य देशों के हाथ में बहुत थोडा है।

खादी।

भारत वर्ष के व्यापार में खादी का स्थान सदा से महत्व पूर्ण रहा है। विदेशी कपडे भी सब निवासियों की कपडों की आवश्यकता पूरी नहीं करते देश में लाखों चरखे और सहस्त्रों करघे चलते ही जाते हैं।

किन्तु विदेशी मिलों के करडों के आक्रमण से लाखों कोरी व जुलाहे जिनका रोजगार केवल कपडा बिनना था बेकार हो गये हैं। और देश को निर्धनता बढती जाती है।

भिन्न २ उद्योगों में भारतवासी इस प्रकार लगे हुऐ हैं।

खेती	७०.९ प्रतिशत	
व्यापार	६.०	,,
ढुलाई (रेल आदि)	२.०	,,
प्रबन्ध	२.०	,,
मिल फैक्टरियां आदि	२.०	,,

इस से स्पष्ट है कि इतने वर्षों में "मशीनयुग" ने भी १ प्रतिशत से अधिक मनुष्यों को काम न दिया और न पेट भरा।

भारत में जुती हुई जमीन २२५ करोड एकड हैं खेती में लगे हुये मनुष्यों के लिये १ एकड प्रति मनुष्य पड़ती है। भारत के खेतों (होल्डिंग) का औसत इस प्रकार है—

प्रान्त	एकड
आसाम	२.९६
बगाल	३.१२
बिहार उड़ीसा	३.०९
बम्बई	१२.१५
बर्मा	५.६५
मध्य प्रदेश	८.४८
मद्रास	४.९१
पश्चिमोत्तर प्रान्त	११.२२
पंजाब	९.१८
यू. पी.	२.५१

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ७०.१ मनुष्यों को मिलें व फेक्टरियां काम नहीं दे सकतीं। न इतने मनुष्य छोड़कर शहरों में आकर मिलों में काम कर सकते हैं। इस कारण महात्मा गांधी का कहना है कि खादी द्वारा ग्राम में रहने वाले ग्रामवासियों को ऐसा सहायक उद्योग दिया जा सकता है जो उन्हें खेती से बचे हुये समय में ही कुछ धन सम्पादन करने में सहायता दे। चरखा और खादी पर इसी कारण बहुत जोर देते हैं। उनका कहना है कि यदि कोई मनुष्य शहर में आकर मजदूरी करे तो उसकी मजदूरी से चरखा से सूत कातने की आमदनी की तुलना नहीं हो सकती। चरखा चलाना केवल 'सहायक उद्योग' है किन्तु बड़ा ही शक्तिवान उद्योग है।

असहयोग आन्दोलन (१९१९) के आरम्भ में ही महात्मा गांधी ने चरखा व खादी का प्रचार आरम्भ किया। सितम्बर सन् १९२५ में अखिल भारतीय चरखा संघ महात्मा गांधी के प्रयत्नों द्वारा कायम हुआ।

आज कल भिन्न २ प्रान्तों में लगभग १००० कार्य कर्ता खादी का काम कर रहे हैं और जो संघ निजी रूप में चल रहे हैं उनकी संख्या ज्ञात नहीं हुई। परन्तु जो संस्थायें आल इण्डिया स्पिनर्स एसोसियेशन व जो पबलिक संस्थायें स्पिनर्स एसोसियेशन से सहायता पा रही हैं वे निम्नलिखित हैं—

आल इण्डिया स्पिनर्स एसोसियेशन

सेन्ट्रल आफिस	९
टेकनिकल डिपार्टमेंट	८
आंध्र	४६
बिहार	७७
बम्बई भांडार	२०
बर्मा	२
करनाटक	२६
महाराष्ट्र	४१
पंजाब	२६
राजस्थान	२८
टामिलनाद	१४४
यू. पी.	३०
उटकल	५२
	५११

सहायक संस्थायें

खादी प्रतिष्ठान	९५
अभय आश्रम	६३
प्रवतक संघ	१५
खलिसपुर आश्रम	१२
विद्याश्रम	१७
आराम बाग खादी कार्य	५
गान्धी आश्रम त्रिचंगोडू	१०
गान्धी आश्रम मेरठ	१३
	२३०

निजी संस्थाओं के भी कार्य कर्ता १००० हैं जो भारत के २६० स्थानों में विभाजित हैं। जिनमें से ११० स्थानों में खद्दर तैयार होता है और अन्यों में बिक्री होती है जो अगले पृष्ठ में दी हुई हैं-

प्रान्त	तैयारी	बिक्री
आंध्र	२१	१४
बिहार	९	१६
बंगाल	१७	२०
बम्बई	—	२
बर्मा	—	१
देहली	३	२
गुजरात	६	३
कर्नाटक	७	१०
महाराष्ट्र	६	२४
पंजाब	६	१२
राजस्थान	९	३
टामिलनाद	१७	२५
केरल	२	३
यू. पी.	३	६
उटकल	४	९
	११०	१५०

लगभग ३००० ग्रामों में इस संघ द्वारा काम जारी है जिसमें ७०१ कर्दार, ९०२७२ स्पिनर और ४६७२ वीवर काम करते हैं।

सन् १९२७–२८ में २४ लाख रु० का खद्दर तैयार हुआ जिसमें ८ लाख की कच्ची रुई खरीदी गई और २ लाख अन्य कार्यों में खर्च हुआ और शेष १४ लाख मजदूरों को दिया गया।

खद्दर की तैयारी व बिक्री १९२७–२८

प्रान्त	तैयारी रु०	बिक्री रु०
आंध्र	२९४०८३	३७१६९८
बिहार	२१२४४१	२४३३५९
बंगाल	३२८६०९	४१०६३२
बम्बई	—	३०६२५८
बरमा	—	२५४५१
देहली	१६७५८	१९८०९
गुजरात	३७६४९	९५८३५
करनाटक	७३९७०	११२१९३
काशमीर	२२२१९	—
महाराष्ट्र	३७०३६	१९५५९०
पंजाब	८४६९२	१०७५३८
राजस्थान	१४१७१०	१४१४७३
टामिलनाद एंड केरल	९९७४६६	१०२३२२१
यू. पी. गांधी–आश्रम	११६३६५	१९७०२६
उटकल	५३३८४	५८२५१
	२४१६३८२	३३०८६३४

साइमन-कमीशन की रिपोर्ट।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट का पहिला भाग १० जून सन् १९३० को प्रकाशित हुआ जिसका सारांश नीचे दिया जाता है।

रिपोर्ट का सारांश।

पहिला भाग।

रिपोर्ट के इस भाग के आरम्भ में साइमन कमीशन ने कहा है, कि इसमें जो बातें कही गई हैं; वह मित्रभाव और स्वच्छता से कही गई हैं। हमारा काम फैसला करना नहीं; बल्कि जिस विलायती पार्लीमेंट ने यह कमीशन संगठित किया है; उसके और इङ्गलैण्ड राज के सामने अपनी सिफारिशें उपस्थित करना है। इस रिपोर्ट के निकलने के बाद और विलायती पार्लीमेंट के अन्तिम फैसले से पहले इस रिपोर्ट पर उभयपक्ष सविशेष रूप से विचार कर सकते हैं। भारत बहुत बड़ा देश है। उसमें जुदा-जुदा भाषाओं और सम्प्रदायों के मनुष्यों का निवास है। फिर भी, ब्रिटिश सरकार के प्रभाव से इस महादेश में जाति और भाषा का ऐक्य स्थापित हो रहा है। शिक्षित लोगों में अङ्गरेज़ी भाषा विचार-विनिमय का साधन बनाई जा रही है। राजनैतिक विचार के भारतवासी भारत को जातीय सूत्र से बांधने का बड़ा यत्न कर रहे हैं। हमें इस यत्न को तुच्छ समझना न चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे विचार के लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है। इसमें भी सन्देह नहीं, कि ऐसे विचार के लोगों के नेता उन करोड़ों भारतियों के सम्बन्ध का विशेष ज्ञान नहीं रखते, जो राजनीति का मर्म्म ही नहीं समझते। फिर भी यह स्वीकार करना ही होगा, कि यह छोटासा राजनैतिक दल समग्र जातीय भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है और यही भारतीय के जातीय भावों के जगाने और उनकी शक्तियों के केन्द्रीभूत करने का व्रत ग्रहण किये हुये है।

यद्यपि इधर भारत की बड़ी उन्नति हुई है; फिर भी, भारतीय ग्रामों के अधिवासी अपनी उसी पुरानी दशा में है। उनके साधन बहुत ही थोड़े हैं। यह अशिक्षित हैं फिर भी चालाक हैं। वह सब पुराने आचार विचार के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं। उन्हें साम्राज्य का 'अधिवासी' या 'सिटिजन' बनाने से पहले उनके जीवन पर अवश्य विचार करना चाहिये। उनमें जो राजनैतिक सुधार फैलाया जाय; वह हठात् नहीं; बहुत ही धीरे २ फैलाया जाय। जो ग्रामीण नगरों में आके कल-कारखानों में मजदूरी करते हैं; उनके निवास की

सुव्यवस्था परमावश्यक है । अब शिक्षित भारतवासियों की ओर ध्यान देना चाहिये । इनकी स्थिति निराली ही है इन सबकी कामनायें पाश्चात्य कामनायें हैं और इन्हें यह अपने पूर्वीय देश और उसके अधिवासियों के साथ संयुक्त करना चाहते हैं । भारतीय कुलीन धनी पुरुष भी कम नहीं । इनका सारे भारत पर बड़ा प्रभाव है ।

यह दोनों सम्प्रदाय एक दूसरे से बिलकुल जुदा है । इनके आचार-बिचार शादी गमी; रहन सहन सभी में भेद दिखाई देता है । कुछ लोगों की शिकायत है कि व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों का साम्प्रदायिक चुनाव ही दोनों सम्प्रदायों के बीच उपस्थित होने वाले वैमनस्य का कारण है । किन्तु मैं ऐसा नहीं समझता । मेरी समझ में अगर चुनाव की यह व्यवस्था मिटा दी जाय तो भी दोनों सम्प्रदायों के बीच का वैमनस्य कभी न मिटेगा । चुनाव का अलगाव आज से नहीं, दीर्घ काल से चला आता है । इसलिये मैं तो जुदा चुनाव का ही पक्षपाती हूं । मेरी समझ में इन दोनों सम्प्रदाया के बीच का झगड़ा राजनैतिक अधिकारों के लिये ही है । सिख सम्प्रदाय भी उपेक्षा योग्य नहीं । गत ३० साल में इस सम्प्रदाय ने आशातीत उन्नति की है । यद्यपि यह सम्प्रदाय पंजाब में ही सीमावद्ध है, फिर भी, इसकी उपयोगिता में कोई सन्देह नहीं । अछूतों और देशी ईसाइयों की ओर से उपेक्षा करने से भी काम न चलेगा । रह गये भारतीय यूरोपियन । यह सब बहुत थोड़े हैं सही, किन्तु इन्हीं के यत्न से भारत में इतने थोड़े समय में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया है । भारतीय स्त्रियों के स्वत्वों की ओर भी ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है । भारतीय स्त्रियों की स्थिति का परिवर्तन समग्र भारत में परिवर्तन उपस्थिति कर सकता है । इस समय भारतीय स्त्री शिक्षकों की संख्या बहुत ही कम है । फिर भी इन्हीं की सहायता से देश की कन्याओं की शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है । भारतीय स्त्रियों की अज्ञानता के कारण उनकी जो क्षति हो रही है, उसे देख के रुयें खड़े हो जाते हैं । भारत तब तक उस उन्नति को प्राप्त न कर सकेगा, जब तक भारतीय स्त्रियां भी शिक्षिता न हो जायँगी । ब्रह्म और भारत के बीच प्रत्यक्ष अलगाव है । देशी राज्यों के सम्बन्ध में अगले भाग में कुछ बातें लिखी जायँगी ।

भावी भारतीय सैन्य का संगठन बड़ा ही आवश्यक विषय है । भारत को सबसे बड़ा भय उसके उत्तर पश्चिम सीमान्त से है । अगर भारत स्वराज्य प्राप्त उपनिवेश बन गया; तो इस सीमांत की ओर से उसे सदा सशंक रहना पड़ेगा भारत को भीतरी अशान्ति से रक्षा पाने के लिये फौजों की आवश्यकता है । तीसरी बहुत बड़ी दिक्कत यह आयगी कि भारत की किस जाति से रंगरूट

लिये जायें। यहां ऐसी जातियों की भी कमी नहीं, जिनसे सिपहगरी के लिये रङ्गरूट लिये ही नहीं जा सकते। बडी आवश्यकता इस बात की है; कि भारत में एक जातीय सैन्य तय्यार की जावे। इस सैन्य से भारतीय भीतरी झगड़ों के मिटाने में सहायता की जावे। नेहरू रिपोर्ट ने भारतीय सैन्य के सम्बन्ध में जो बातें कही हैं। वह स्वीकार नहीं की जा सकती। इस विषय में अङ्गरेजों और भारतवासियों दोनों को विचार-पूर्वक कार्य्य करना चाहिये।

अन्त में इस रिपोर्ट में दूसरा के द्वितीय और तृतीय भाग में निकलने वाली बातों का हाल कहा गया है। सिवा इसके स्थानीय स्वराज्य यानी म्युनिसिपलिटी और कारपोरेशन, भारतीयों की आकांक्षा: सरकारी कर्मचारी आदि विविध विषयों पर ऐसी ही बातें कही गई हैं। अन्त में कहा गया है, कि अंगरेज बहुत समय से स्वाधीनता भोग रहे है; ऐसी दशा में उनका भारतीयों की स्वाधीनता-स्पृहा देख के आनन्दित होना स्वाभाविक है। भारत की सामाजिक कुप्रथा और अर्थसंकट ही उसकी अवनति का कारण है। इन दोनों दूषणों का निवारण भारतवासी अपने हाथों कर सकते हैं। भारतीयों को चाहिये, कि इन दोनों दूषणों का दोष दूसरो पर कम; किन्तु अपने ही ऊपर अधिक रक्खें।

दूसरा भाग।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट का दूसरा भाग, जिसमें कमीशन की सिफारिशें है, २४ जून १९३० को प्रकाशित हुआ। इसमें ३१६ पृष्ठ हैं और कमीशन के सभी सदस्य सिफारिशों के सम्बन्ध में एकमत हैं। कमीशन का कहना है कि "इस रिपोर्ट के तैयार करने में हम लोगों ने भारत की इधर कई महीने की घटनाओं की चर्चा नहीं की है। सच तो यो है कि सारी मुख्य-मुख्य सिफारिशें इन घटनाओं के पहले ही तय हो चुकी थीं और सर्वसम्मति से ये सिफारिशें तय हुई थीं। इधर की घटनाओं के कारण हम लोगों ने रिपोर्ट की एक लाइन भी नहीं बदली है।"

गत २७ मई को ही रिपोर्ट पर कमीशन के सदस्यों के हस्ताक्षर हो चुके थे और यद्यपि इस में यत्र-तत्र कई सदस्यों के व्यक्तिगत रूप से विचार भिन्न हैं तथापि यह रिपोर्ट सर्वसम्मति से तैयार हुई है। कमीशन के सदस्यों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि "हम लोगों ने जो शासन विधान तैयार किया है उस पर सम्पूर्ण रूप से विचार करना चाहिये और लोगों को समझ लेना चाहिये कि 'रिपोर्ट के किसी एक अंश का दूसरे अंश से जो सम्बन्ध है उसका ख्याल न करके हम लोग किसी अंश विशेष के ही लिये सिफारिश करते।"

रिपोर्ट १२ भागों में विभक्त है

रिपोर्ट के पहले परिच्छेद में कमीशन की सिफारिशों के मूल सिद्धान्त पर प्रकाश डाला गया है जिससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि इस स्कीम में मुख्य ध्येय रक्खा गया हैं। अखिल भारतीय फेडरेशन (संघबद्ध राज्य) का क्रमशः विकाश, जिसमें सभी प्रान्त इसके अङ्ग होंगे और सभी स्वाधीन होंगे। वाइसराय सम्राट के प्रतिनिधि स्वरूप रहेंगे और सेना पर अधिकार इनका ही रहेगा और देशी राज्यों के साथ सम्राट के प्रतिनिधि की हैसियत से आपका ही सम्बन्ध रहेगा। प्रान्तीय सरकार यूनिटरी ढङ्ग की होगी और सभी विभाग मिनिस्टरों के हाथ में रहेंगे। मिनिस्टर निर्वाचित भी हो सकते हैं और नामजद भी पर अल्प संख्यक जातियों की रक्षा; किसी जाति व समुदाय के विरुद्ध कानून बनने से रोकने और शान्ति तथा सुव्यवस्था आदि की देख भाल के लिये गवर्नर को विशेष अधिकार रहेंगे।

प्रान्तीय शासन व्यवस्था

रिपोर्ट के दूसरे परिच्छेद में गवर्नर के प्रान्तों की शासन व्यवस्था पर राय जाहिर की गई है। कमीशन की सिफारिश है कि इन प्रान्तों में कौंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाय और पृथक निर्वाचन की प्रथा जारी रक्खी जाय और साम्प्रदायिक विवादों का अब तक नये ढङ्ग से कोई सन्तोष जनक समझौता न हो जाय तब तक लखनऊ ऐक्ट के अनुसार ही व्यवस्था कायम रक्खी जाय। मत दाताओं की संख्या बढ़ाकर तीन गुना कर देने के लिये सिफारिश की गई है और इसके लिये 'फ्रेंचाइज कमेटी' नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव किया गया हैं। प्रान्तों की सीमा पर बिचार करने के लिये 'बौंडरीज कमेटी' नियुक्त करने की भी सिफारिश की गई है। बीच में यदि नया प्रान्त बने तो उसके लिये भी शासन विधान की स्कीम बताई गई है।

पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सुधार

तीसरे भाग में पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त और खास २ स्थानों की शासन व्यवस्था पर बिचार किया गया है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में कानून बनाने और टैक्स आदि लगाने के प्रश्न पर बिचार करने के लिये कौंसिल स्थापित करने की सिफारिश की गई है पर साथ ही यह भी कहा गया है कि शासनाधिकार चीफ कमिश्नर के ही हाथ में रहेगा और सुधार की दृष्टि से पिछड़े हुये स्थानों के शासन का भार भारत सरकार के हाथ में सौंपने की भी सिफारिश की गई हैं।

भारत सरकार का संघटन।

रिपोर्ट के चौथे हिस्से में भारत सरकार के संघटन पर विचार किया गया हैं। इसमें सिफारिश की गयी हैं कि

ऐसेम्बली फेडरल ढङ्ग की हो और इसके सदस्यों की सख्या करीब २८० रक्खी जाय। ये सदस्य समान अनुपात के आधार पर चुने जायंगे और इनको चुनने का अधिकार प्रान्तीय कौंसिलों के सदस्यों को ही होगा। ऐसेम्बली और राष्ट्र परिषद् के काम वही रहेंगे जो अभी हैं। राष्ट्र परिषद् के सदस्यों का भी चुनाव परोक्ष निर्वाचित प्रथा के ही अनुसार होगा। ऐसेम्बली के साथ केन्द्रीय शासक मण्डल का सम्बन्ध वैसा ही रहेगा जैसा अभी है। हां इतना अन्तर अवश्य होगा कि ऐसेम्बली में सरकारी सदस्य अब उतनी तादाद में नहीं रहेंगे जितनी तादाद में अभी हैं। केन्द्रीय शासक मण्डल को सम्राट नहीं बल्कि गवर्नर जनरल ही नियुक्त करेंगे और इसमें व्यवस्थापिका परिषदों में से भी एक या एक से अधिक सदस्य लिये जा सकते हैं। प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषदों में जिस तरह अभी कितने ही विषयों पर वोट देने का अधिकार हैं और कितने ही पर वोट देने का अधिकार नहीं है वैसा ही इस नये विधान के अनुसार भी रक्खा जाय, ऐसी सिफारिश की गयी है। इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार को खूब सुदृढ़ बनाये रखना चाहिये और सुधारों की आजमायश प्रान्तों में ही होनी चाहिये।

आत्मरक्षा की समस्या।

कमीशन की रिपोर्ट के पांचवें भाग में भारतरक्षा की समस्या से सम्बन्ध रखने वाले प्रश्नों पर विचार किया गया है। कमीशन ने इस सम्बन्ध में सिफारिश की है कि बाहरी आक्रमणों से रक्षा करने और अन्तरङ्ग शान्ति कायम रखने के लिये वाइसराय के मातहत में इम्पीरियल सेना रखने के लिये भारत और इङ्गलैण्ड के बीच समझौता होना चाहिये और इस सेना के लिये इम्पीरियल अधिकारियों के हाथ में काफी धन देना चाहिये इससे यह स्पष्ट है कि अब जङ्गीलाट भारत सरकार के सदस्य नहीं रहेंगे, बल्कि ये अब वाइसराय के मातहत में रहेंगे।

बर्मा का पृथक्करण।

रिपोर्ट के छटे हिस्से में कमीशन ने बर्मा को हिन्दुस्तान से अलग करने की शिफारिश की है पर हिन्दुस्तान की तरह वहां की पूर्वोत्तर सीमा के लिये इम्पीरियल सेना रखने की सिफारिश की गयी है।

देशी रियासतों से सम्बन्ध।

सातवें परिच्छेद में इस बात पर विचार किया गया है कि भारत सरकार का देशी राज्यों से कैसा सम्बन्ध रहेगा। कमीशन ने शिफारिश की है कि जिन प्रश्नों का ब्रिटिश भारत और देशी रजवाड़े दोनों से सम्बन्ध है उन पर विचार करने के लिये एक कौन्सिल कायम होनी चाहिये।

इण्डियन फाइनेन्स।

आठवें भाग का शीर्षक है 'इंडियन फाइनेंस' और इसमें अर्थनैतिक सम्बन्ध के लिये मि० लेटन की स्कीम पर विचार किया गया है। इस स्कीम में एक खास बात यह है कि फेडरल ऐसेम्बली को परोक्ष टैक्स लगा कर प्रान्तीय फड इकट्ठा करने की तरकीब बताई गई हैं।

आई० सी० एस० का भविष्य

रिपोर्ट के नवें भाग में आई० सी० एस० वालों की सर्विस का भविष्य में क्या हाल होगा इस पर बिचार किया गया है। इस सम्बन्ध में कमीशन ने ली कमीशन की सिफारिशों का समर्थन किया है। दशवें भाग में हाईकोर्ट की व्यवस्था और ग्यारहवें हिस्से में भारत सरकार और ब्रिटिश सरकार के पारस्परिक सम्बन्ध पर बिचार किया गया है। कमीशन ने इण्डिया कौंसिल के संघटन में कुछ रद्दोबदल करने की सिफारिश की है।

निरंकुश शासक मण्डल

बारहवें भाग में उपसंहार है। इस तरह भारत सरकार के शासक मंडल में नये ढङ्ग की व्यवस्था की सिफारिश की गई है पर साथ ही यह भी कहा गया है कि शासक मण्डल भारतीय व्यवस्थापिका परिषद् के सामने उत्तरदायी नहीं होगा भारत सरकार का संघटन फेडरल ढङ्ग का तो अवश्य होगा पर वर्तमान शासन यन्त्र ज्यों का त्यों बना रहेगा और प्रान्तों में स्वराज्य की आज़मायश होगी

प्रान्तों में दो कौंसिलों का प्रश्न

प्रान्तों में दो कौंसिलें स्थापित करने के सम्बन्ध में कमीशन ने कुछ सिफारिश नहीं की है क्योंकि इनकी राय में सभी प्रान्त इस पर एक मत नहीं हैं कमीशन ने भावी शासन विधान पर बिचार करते हुये कहा है कि नई स्कीम ऐसी होनी चाहिये कि उत्तरदायित्व पूर्ण शासन की ओर अग्रसर होने के लिये फिर इनक्वायरी की जरूरत न पड़े क्योंकि किसी निश्चित समय के बाद जांच होने की पहिले ही व्यवस्था रखने से इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सभी का इसी ओर ध्यान रहता है कि भविष्य में जो जांच कमीशन बैठेगा उसके सामने अपने अधिकार का प्रश्न रखना चाहिये जिससे अधिक से अधिक अधिकार मिलें। इस कारण भिन्न २ जातियों में पारस्परिक द्वेष बढ़ गया है।

प्रान्तीय स्वराज्य की मांग

कमिश्नरों का कहना है कि प्रांतीय स्वराज्य के लिये जो मांग पेश की जाती है उसका एक कारण यह तो अवश्य है कि प्रान्तों में राजनैतिक चेतना बढ़ गई हैं, पर इसके अलावा और भी कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भारत सरकार की राजधानी दिल्ली प्रांतों से बहुत दूर है और दूसरी बात यह

कि प्रान्तों को केंद्रीय शासन की अपेक्षा अधिक अधिकार दिये गये हैं जिस से इन में अधिक जागृति आगयी है। एक कारण यह भी है कि अल्पसंख्यक जाति वालोंका जिस प्रान्त में बहुमत है, वहां वे पूरे अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं, पर प्रान्तों के बटवारे का वर्तमान ढग ठीक नहीं है। इस लिये फिर से इनके बटवारे की सिफारिश की गयी है और बर्मा के सम्बन्ध में कहा गया है कि भारत से यह सब प्रकार अलग है अतएव इसे पृथक ही कर देना चाहिये।

सुराज या स्वराज्य ?

सुराज और स्वराज्य की चर्चा करते हुए कमीशन ने कहा है कि हम यह कितना ही क्यों न कहें कि स्वराज्य की समता सुराज नहीं कर सकता है, हमें इस बातका तो ख्याल रखना होगा कि हम ऐसी स्कीम न पेश करें जिस से अराजकता फैल जाय। यह बाहरी हमले का डर तो है ही पर भीतरी अशान्तिक आशंका भी कम नहीं रहती और सुदृढ़ सरकार पर ही करोड़ों भारतवासियों के जानमाल की रक्षा का भार निर्भर है अतएव भारतवासियों को जहां स्वराज्य की ओर अग्रसर करना है वहां इस बात का भी ध्यान रखना है कि आवश्यकता पड़ने पर लोगों की रक्षा के लिये गवर्नर और गवर्नरजनरल के हाथों में काफी अधिकार रहने चाहिये।

प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल।

आगे चलकर कमीशन ने कहा है कि भारतवासियों का प्रबल विचार इस पक्ष में है कि प्रान्तीय शासन में सुधार होना चाहिये। मुडीमैन कमेटी की जांच के बाद से यह विचार और भी प्रबल होगया है पर किस प्रकार का सुधार हो इस विषय पर सभी प्रान्तीय सरकारों का मतभेद है—सभी ने अपनी आवश्कताओं के अनुसार इसे हल करने की तदबीर बताई है। इस लिए यहां ऐसी स्कीम बनानी पड़ी है जो सब प्रान्तों के लिये मौजूं हो। इस दृष्टि से यह तजबीज का गई है कि प्रान्तीय कैबिनेट यूनिटरी ढंग के हों अर्थात् मंत्रिमण्डल के प्रत्येक मन्त्री को समस्त मन्त्रिमण्डल के कार्यों के लिये उत्तरदायी रहना पड़ेगा। अनिर्वाचित नागरिकों में से मिनिस्टर बना सकते हैं। ऐसे मिनिस्टर भी कौंसिल के सदस्य समझे जायगे। मिनिस्ट्री को स्थायी बनाने के लिए एक तरकीब यह बताई गई है कि इनका वेतन प्रांतीय कौंसिल कानून बनाकर ठीक करेगी, साधारण ढंग से नहीं। दूसरी बात यह कि अविश्वास का प्रस्ताव मन्त्रिमण्डल पर लाया जायगा, किसी खास मिनिस्टर पर नहीं।

पुलिस किस के अधिकार में ?

इस सिलसिले में कमीशन ने शान्ति और सुव्यवस्था अर्थात् पुलिस विभाग किस के आधीन रहे इस पर विचार किया है। इनका कहना है कि भारत-

वासियों का कहना है कि पुलिस भी मिनिस्टर के अधीन रहना चाहिये। उनका ऐसा कहना स्वाभाविक ही है क्योंकि शान्ति और सुव्यवस्था से नागरिक का सम्बन्ध है। इस विभाग पर यदि मिनिस्टर का अधिकार न रहा तो इसे लोग बड़ी तीव्र दृष्टि से देखते रहेंगे। फिर भारतवासियों के हाथ में लैण्ड-रेवन्यू और सिंचाई विभाग जैसे उत्तर-दायित्व पूर्ण काम यदि दिये जा सकते तो कोई कारण नहीं कि पुलिस विभाग भी इनके हाथ में न रहे।

पृथक निर्वाचन प्रथा।

कौंसिलों के संघटन के सम्बन्ध में कहा गया है कि प्रान्तों का बटवारा फिर से होने के बाद इस का निश्चय हो सकता है पर अभी प्रान्तीय कौंसिलों में २०० से २५० तक सीटें रक्खी जा सकती हैं। पृथक् निर्वाचन का समर्थन किया गया है क्योंकि कमीशन का कहना है कि नेहरू रिपोर्ट में इस के उठा देने के कारण ही सब से बढ़ कर इस से मुसलमान बहुत चिढ़ गये थे सिक्खों के लिये पृथक् निर्वाचन नहीं बल्कि सीट रिज़र्व रखने की सिफारिश की गयी है। मद्रास के अब्राह्मणों के लिये सीट रिज़र्व रखने की प्रथा उठा देने पर बम्बई कौंसिल में मरहठों की रिज़र्व सीट कायम रखने की सिफारिश की गयी है। अछूतोंने जो अलग निर्वाचन का दावा पेश किया था उसे कमीशन ने मन्ज़ूर नहीं किया क्योंकि कमीशन की राय है कि अभी अन्त्यजों के प्रति ऊंची श्रेणी के लोगों की जो सहानुभूति बढ़ती है उस से ये वंचित हो जायगे। फिर भी कमीशन ने इन के लिये कौंसिलों में सीट रिज़र्व रखने की सिफारिश की है।

फेड्रल ऐसेम्बली

लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली का नाम फेड्रल ऐसेम्बली रखने की सिफारिश की गयी हैं और इस में प्रतिनिधित्व प्रान्तों का होगा और सदस्य प्रान्तीय कौंसिलों द्वारा चुने जायगे। ऐसेम्बली से सरकारी ब्लौक उठा देने की सिफारिश की गयी है।

नमक सत्याग्रह ।

ता० २ मार्च १९३० को महात्मा गान्धीजी ने वाइसराय के पास समझौते का अन्तिम अलटीमेटम एक अंग्रेज (मि० रेनाल्ड) द्वारा भेजा। वाइसराय के प्राइवेट सैक्रटरी द्वारा असन्तोष जनक उत्तर मिला। उत्तर मिलने पर महात्मा गान्धी ने अपने साबरमती आश्रम से ७९ स्वयं सेवकों को साथ लेकर नमक सत्याग्रह करने के लिये ता० १२-३-३० को डंडी के लिये प्रस्थान किया। इसके पहिले बम्बई सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटैल को गिरफ्तार कर ३ महीने की सजा का हुक्म दे दिया था। मार्ग में महात्मा गान्धी छोटे छोटे गांवों में विश्राम करते हुये तथा उपदेश देते हुये ता० ५ अप्रैल १९३० को २५० मील की पैदल यात्रा करके डंडी पहुंचे। ता० ६-४-३० को राष्ट्रीय सप्ताह प्रारम्भ होता देख महात्माजी ने नमक बनाया और बेचा। इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई फिर देश में भी सब स्थानों पर नमक बनने लगा इस पर सरकार ने गिरफ्तारियां शुरू कीं। श्री० रामदास गान्धी; जमनालाल बजाज, जवाहरलाल नेहरू, जे. एम. सेन गुप्त आदि २ बड़े २ नेता पकड़े गये। देश में अब भी हर रविवार को नमक बनाने का कार्यक्रम जारी है।

शराब पर धरना

महात्माजी ने देश के संग्राम में औरतों को अलग रखना ठीक न समझा इसलिये स्त्रियों को विदेशी कपड़े व शराब के धरने का काम सौंपा। श्रीमती कस्तूरी बाई गान्धी ने लगभग १०० स्त्री वालंटियरों के साथ गुजरात में धरना जारी कर दिया। देश में भी प्रत्येक बड़े शहर में धरने का काम शुरू हो गया। पं० मदनमोहन मालवीय ने भी बड़े २ शहरों में घूमकर टैरिफ बिल के विरोध में विदेशी कपड़े के बहिष्कार पर व्याख्यान देना शुरू किया। जब कि सरकार ने बहिष्कार आन्दोलन बढ़ता तथा देश के व्यापारियों को कांग्रेस का साथ देना देखा तो धरना रोकने के लिये आर्डीनेन्स जारी किया परन्तु आन्दोलन बढ़ता ही गया। ता० ५-५-३० को महात्मा गान्धीजी को रात के २ बजे बम्बई सरकार ने अनिश्चित समय के लिये गिरफ्तार किया इनके बाद सेनापति अब्बास तैय्यब जी हुये। तैय्यब जी के गिरफ्तार होने पर श्रीमती सरोजिनी नायडू सेनापति हुईं और धरसाने की चढ़ाई पर गिरफ्तार कर ली गईं। इनके बाद धरसाने की चढ़ाई बराबर जारी रही जिसमें कई सौ स्वयं सेवक

घायल हुये नमक डिपो बडाला बम्बई पर भी हम्ला वोला गया सत्याग्रहियों ने हजारों मन नमक वेचा, वर्सात शुरू होने के कारण चढ़ाई का काम वन्द कर दिया गया ।

कलकत्ते में नमक सत्याग्रह के साथ जब्त किताबों का पढ़ना भी शुरु किया गया । सी. पी. में सरकारी जंगलों की लकड़ी सत्याग्रहियों ने काटी । आंदोलन के वढ़ाव में प्रेसीडेन्ट एसेम्बली श्रीमन् बी. जे. पटेल ने, इस्तीफा दिया और आपने पत्र प्रकाशित किये इस पर सरकार ने प्रेस आर्डीनेंस निकाला इस पर एसेम्वली व कौंसिल के कितने ही सदस्यों ने इस्तीफा दिया । कई पत्रकारों ने प्रकाशन वन्द कर दिया । इस के वाद फौज व पुलिस को ठीकराह वताने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रिजोलूशन नम्बर ६ निकला जो वायसराय ने विशेष अधिकार से जप्त कर लिया । कांग्रेस वर्किंग कमेटी को नाजायज करार दिया और पण्डित मोतीलाल जी को पकड़ लिया इन की जगह श्री वल्लभ भाई पटेल जी सभापति हुये जो हाल में ही छूटकर आये थे आन्दोलन की प्रगति में पेशावर, लखनऊ, ढ़ाका, शोलापुर, मदरास, बम्बई, आदि कई स्थानों मे गोली चलीं बहुत से मारे गये बहुत से घायल हुये । शोलापुर में १ माह तक मार्शला जारी रहा । कई जगह १४४ धारा लगाई गई जैसे मदरास, लखनऊ झांसी आदि अब तक लगभग २५००० आदमी गिरफ्तार हो गये हैं इस आंदोलन में स्त्रियों को भी कड़ी सजा दी जारही है उल्लेखनीय है इनमें से कमला देवी चट्टोपाध्या, श्रीमती मित्रा, सी. आर दास की वहिन, श्री. सरोजिनी नायडू आदि २ हैं । देश में हर एक स्थान पर सत्याग्रह आश्रम खोले गये हैं । जिस को जनता पूर्ण रीति से सहायता दे रही है । आंदोलन की इस प्रगति को देखकर सरकार ने ता० २० अक्टूवर १९३० को राउण्डटेविल कांफ्रेन्स के लिए निश्चित की है वाइस राय, ने ता० ९ जुलाई ३० को एक घोषणा की है जिस में केवल नर्म दल के लोग सहानुभूति प्रगट करे रहे हैं । साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है जो निराश पूर्ण है इस लिए मुसलमान लोग भी आंदोलन में शामिल हो गये देश में जो मुख्य २ गिरफ्तारियां हुई हैं वे नीचे दी जाती हैं ।

संयुक्त प्रान्त

१. पं० जवाहरलाल नेहरू २. पं० कृष्णदत्त पालीवाल ३. पं० हरिहर नाथ शास्त्री ४. बा० मोहनलाल सक्सेना ५. बा० सम्पूर्णानन्द ६. बा० श्रीप्रकाश ७. मौलवी अहमद जमान खां ८. सरदार नर्वदाप्रसाद सिंह ९. ठा० पृथीराज सिंह १०. बा० रघुवीरसहाय ११. चौधरी रघुवीरनारायण सिंह १२. पं० मोतीलाल नेहरू १३. बा० पुरुषोत्तमदास टण्डन १४. श्री सुन्दरलाल १५. र० वि० धुलेकर १६. आत्माराम गोबिन्द खेर १७. गङ्गा

धर अण्णाजी जोशी १८. कुञ्जविहारीलाल १९. श्रीमती मित्रा २०. बाबा राघवदास २१. श्री राम नारायण सिंह २२. गणेश शङ्कर विद्यार्थी २३. पं० बालकृष्ण शर्मा २४. रमा शङ्कर अवस्था २५. शिब-प्रसाद गुप्त २६. प्रेसीडेन्ट पटैल।

दिल्ली

१ मि० देवीदास गान्धी २. लाला शङ्करलाल ३. रामानन्द सन्यासी ४. श्री अरिफ हरवी ४. श्री० एस. एन. साहनी इत्यादि।

पंजाब

१. डा० परसराम २. डा० सत्यपाल ३. डा० मुहम्मद आलम ४. मौ० जाफर अली खां ५. डा० किचलू

बम्बई और गुजरात

१. सरदार बल्लभभाई पटेल २. मि. मनीलाल कोठारी ३. मि. रामदास गान्धी ४. मि० के. एफ. नरीमैन ५ सेठ जमना लाल बजाज ६. डा० चन्दूलाल ७. मि० अमृतलाल सेठ ८. डा० मन्नू भाई ९. दरबर गोपालदास १०. प्रो० कीकाभाई देसाई ११. डा० चेत्राम १२. मि० जमनादास मेहता १३ मि० के. एम. मुंशी १४. मि० महादेव देसाई १५. मि. बेन्कर १६. मि० एल. बी. भोपटकर १७. स्वामी आनन्द १८. काका कालेलकर १९. महात्मा गांधी २०. अब्बास तैयब जी २१. सरोजिनी नायडू २३. कमला देवी चट्टोपाध्याय २३. अलीबहादुर खां

मदरास

१ मि० प्रकाश २ मि० नागेश्वर राव ३. डा० पट्टाभी सीतारामैया ४ मि० कालेश्वर राव ५. मि० नारायन राव ६. मि० सी. राजगगोपालाचारी ७. मि. कोंडा वेन्कटरया

बगाल

१ मि० सेन गुप्त २. डा० प्रमथ नाथ बनर्जी ३. प्रफुल्लचन्द घोष ४. मि. के पी. चक्रवर्ती ५. मि. यू एन. नियोगी ६. मि० पी एन धार ७ सुभाषचन्द्र बोस ८. प्रो० विजयकुमार भट्टाचार्य

बिहार और उड़ीसा

१. मि० नारायण प्रसाद २. सेठ जीवनराम जी कलयान जी कोठाजी ३. बा० जगत नरायन लाल ५. बा० राजेन्द्र प्रसाद आदि

मध्यप्रदेश

१. सेठ गोविन्दास २ पं० द्वारका प्रसाद मिश्र ३. पं० मक्खन लाल चतुर्वेदी ४. श्रीयुत अने आदि

इस समय तककरीब २ तीस हजार गिरफ्तारियां देश में हो चुकी हैं।

॥ समाप्तः ॥